



# भारत

## वार्षिक सन्दर्भ ग्रन्थ

### 1986

सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
भारत सरकार  
के गवेषणा और सन्दर्भ प्रभाग द्वारा  
संकलित "इंडिया 1986" का  
हिन्दी रूपान्तर



सत्यमेव जयते

प्रकाशन विभाग  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
भारत सरकार



31. सामान्य सूचना	851
वरीयता अनुक्रम	851
भारत के राष्ट्रपति	854
भारत के उप-राष्ट्रपति	855
भारत के प्रधानमंत्री	855
भारत के मुख्य न्यायाधीश	856
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त	856
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति	856
कमांडर-इन-चीफ	857
यल सेनाध्यक्ष	857
नौ सेनाध्यक्ष	857
वायु सेनाध्यक्ष	858
परम वीर चक्र विजेता	858
भारत के कुछ प्रमुख पर्वत-शिखरों की ऊंचाई	859
भारत की कुछ प्रमुख नदियों की लम्बाई	860
राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लम्बाई	860
लम्बी दूरी की प्रमुख रेलगाड़ियां	865
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन प्रतिष्ठान	869
निर्यात संवर्धन परिषदें	870
संविधान में संशोधन	871
परिशिष्ट	881
भारत सरकार	881
संतद सदस्य	785
असैनिक पुरस्कार	912
वीरता पुरस्कार	913
ललित कला अकादमी पुरस्कार 1985	913
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985	914
साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985	914

# 1 भारत भूमि और उसके निवासी

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा विविधताओं के कारण भारत ने सदैव विश्व की एक प्राचीन सभ्यता के रूप में सम्पूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। इस समय भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरी है, जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, के 40 वर्षों में बहु-आयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति की है। भारत इस समय खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा विश्व के औद्योगिक देशों में इसका दसवा स्थान है। जनहित के लिए प्रकृति पर विजय पाने हेतु अन्तरिक्ष में जाने वाले देशों में इसका छठा स्थान है। भौगोलिक रूप में इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि० मी० है जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक विस्तृत है। क्षेत्रीय विशालता, भाषा तथा प्राकृतिक संरचना की विविधताओं के होते हुए भी 'विविधता में एकता' का जन-विश्वास देश को दृढ़तापूर्वक जोड़े हुए है। विश्व के सातवें विशालतम देश के रूप में भारत शेष एशिया से पर्वतो तथा समुद्र द्वारा अलग है जिससे इसका स्वतंत्र भौगोलिक अस्तित्व है। इसके उत्तर में महान हिमालय पर्वत है, जहाँ से वह दक्षिण में बढ़ता हुआ कर्क रेखा तक जाकर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिन्द महासागर से जा मिलता है

यह पूर्णतया उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि 8°4' और 37°6' उत्तरी अक्षांश और 68°7' और 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत की भू-सीमा 15,200 कि०मी० है तथा मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अंदमान व निकोबार द्वीप समूहों के सागर तट की कुल लम्बाई 7,516.6 कि०मी० है।

## प्राकृतिक पृष्ठभूमि

नेपाल क्षेत्र को छोड़ करमीर के उत्तर में हिमालय और अन्य ऊँचे पर्वत—मजराग प्रता, अगिल और कुनलुन और हिमाचल प्रदेश के पूर्व में जासकार पर्वत का दक्षिण-पूर्वी भाग भारत की उत्तरी सीमा बनाते हैं। इसके उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हैं। पूर्व में कई पर्वत श्रृंखलाएँ भारत को बर्मा से अलग करती हैं। पूर्व में बांग्ला देश है, जिसके चारों ओर भारतीय राज्य—पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम हैं। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप भारतीय क्षेत्र के अंग हैं।

प्राकृतिक संरचना

मुख्य भूमि चार स्पष्ट खण्डों में बंटी है—विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप।

हिमालय की तीन लगभग समानांतर शृंखलाएं हैं, जिनके बीच बड़े-बड़े पठार और घाटियां हैं, इनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ घाटियां उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ इन्हीं पर्वत शृंखलाओं में हैं। अधिक ऊंचाई के कारण आना-जाना केवल कुछ ही दर्रा से हो पाता है, जिनमें मुख्य है—दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में चुम्बी घाटी से होते हुए, मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलप-ला और नायू-ला दर्रे तथा कल्पा (किलौर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी-ला दर्रा। पर्वतीय दीवार लगभग 2,400 किलोमीटर की दूरी तक फैली है, जो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ी है। पूर्व में भारत और बर्मा तथा भारत और बांग्ला देश के बीच की पहाड़ी शृंखलाओं की ऊंचाई बहुत कम है। लगभग पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई गारो, खासी, जैन्तिया और नागा पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण तक फैली मिजो तथा रखाइन पहाड़ियों की शृंखला से जा मिलती हैं।

सिंधु और गंगा के मैदान लगभग 2,400 किलोमीटर लम्बे और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़े हैं। ये तीन स्पष्ट नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के घाटों से बने हैं। ये संसार में सबसे बड़े सपाट कठारों विस्तारों में से हैं और भूमि पर सबसे घने घने क्षेत्रों में भी। इनके उभार में मुश्किल से कोई अन्तर है। दिल्ली में यमुना नदी और बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1,600 किलोमीटर की दूरी में केवल लगभग 200 मीटर की ढलान है।

रेगिस्तानी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है—विशाल रेगिस्तान और लघु रेगिस्तान। विशाल रेगिस्तान कच्छ के रन के पास से उत्तर की ओर लूणी नदी तक फैला हुआ है। राजस्थान-सिन्धु की पूरी सीमा रेखा इसी रेगिस्तान के साथ-साथ है। लघु रेगिस्तान जैसलमेर और जोधपुर के बीच में लूणी नदी से शुरू होकर उत्तर की ओर फैला हुआ है। इन दोनों रेगिस्तानों के बीच पठारी इलाका है, जिसमें कई स्थानों पर चूने के भंडार हैं। भूमिगत पानी के अभाव और बहुत कम वर्षा के कारण यह इलाका लगभग पूरी तरह बंजर है।

दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार 460 से 1,220 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत तथा पहाड़ियों की श्रेणियों द्वारा सिन्धु और गंगा के मैदानों से पृथक हो जाता है। इनमें प्रमुख हैं—भरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकला और अजन्ता। प्रायद्वीप के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां औसत ऊंचाई 610 मीटर के करीब है और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, जहां यह ऊंचाई साधारणतया 915 से 1,220 मीटर है, जो कहीं-कहीं 2,440 मीटर से भी अधिक है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समुद्र तट की एक तंग पट्टी है, जब कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच चौड़ा तटीय क्षेत्र है। पठार का वह दक्षिणी भाग नीलगिरि की पहाड़ियों से बना है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके परे फैली कार्बोमम पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जा सकती हैं।

### भूतत्वीय संरचना

भूतत्वीय संरचना भी प्राकृतिक रचना की तरह तीन स्पष्ट भागों में बांटी जा सकती है—हिमालय तथा उससे सम्बद्ध पहाड़ों का समूह, सिन्धु और गंगा के मैदान तथा प्रायद्वीपीय भाग।

उत्तर में हिमालय पर्वत का क्षेत्र और पूर्व में नागा-लुगाई पहाड़, पर्वत-निर्माण प्रक्रिया के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र का बहुत-सा भाग, जो अब संसार के कुछ अति मनोरम पर्व-तीय दृश्य प्रस्तुत करता है, लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले समुद्र था। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुए पर्वत-निर्माण प्रक्रिया के क्रम में तलछट और चट्टानों के तल बहुत ऊंचे उठ गए। उन पर मौसमी और कटाव तरावों ने काम किया, जिससे वर्तमान उभार अस्तित्व में आये।

सिंधु और गंगा के विशाल मैदान कछारी मिट्टी के भाग हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग करते हैं।

प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थायी और भूकम्पीय हलचलों से मुक्त क्षेत्र है। इस भाग में प्रागैतिहासिक काल की लगभग 380 करोड़ वर्ष पुरानी कायांतरित चट्टानें हैं। शेष भाग में गोंडवाना का कोयला क्षेत्र तथा बाद में मिट्टी के जमाव से बना भाग और दक्षिणी सावे से बनी चट्टानें हैं।

### नवी प्रणालियाँ

भारत की नदियाँ इस प्रकार वर्गीकृत की जा सकती हैं : (1) हिमालय की नदियाँ; (2) दक्षिणी नदियाँ; (3) तटीय नदियाँ तथा (4) अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ।

हिमालय की नदियों को पानी आमतौर से बर्फ के पिघलने से मिलता है। अतः उनमें वर्ष भर निर्बाध प्रवाह रहता है और वे बारहमासी हैं। मानसून के महीनों में हिमालय पर भारी वर्षा होती है, जिससे नदियों में पानी बढ़ जाने के कारण अबसर बाढ़ आ जाती है। प्रायद्वीप की नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी रहता है; इसलिए पानी की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। अधिकांश नदियाँ बारहमासी नहीं हैं। तटीय नदियाँ, विशेषकर पश्चिमी तट की, कम लम्बी हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। इनमें से अधिकतर कीचड़ युक्त हैं और बारहमासी नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में नदियाँ बहुत कम हैं और अंतःस्थलीय प्रवाह वाली हैं। उनमें से अधिकतर छोड़े दिन ही बढ़ती हैं। समुद्र की ओर कोई निकास न होने से वे अपने धालों या सांभर जैसी नमक की झीलों की ओर जाती हुई सूख जाती हैं या रेत में छो जाती हैं। इस भाग की केवल लूणी नदी ही ऐसी है, जो कच्छ के रन में गिरती है।

गंगा धाला जो कि गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना धाले का सबसे बड़ा भाग है, भारत में सबसे बड़ा है और इसमें देश के कुल क्षेत्र के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी आता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विष्णुगिरि से इसकी सीमाएँ सुस्पष्ट हैं। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम हैं—भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी, गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा अलकापुरी के हिमनद से। यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक तथा कोसी सहित हिमालय की कई नदियाँ गंगा में भाकर मिलती हैं। गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी यमुना है, जो यमुनोती के हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। मध्य भारत से उत्तर की ओर बहती हुई, यमुना या गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ चम्बल, बेतवा तथा सोन हैं।

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बरक नदियाँ जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, अन्तर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। इनमें जल संसाधनों की प्रचुर संभावनाएँ हैं, जो कि सभी विकास के आरम्भिक चरणों में हैं।

दूसरा सबसे बड़ा थाला दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी का है। इसमें भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत भाग शामिल है। प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा थाला कृष्णा नदी का और तीसरा बड़ा थाला महानदी का है। दक्षिण की ऊपरी भूमि में नर्मदा जो कि अरब सागर की ओर बहती है और दक्षिण में कावेरी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, के थाले लगभग बराबर आकार के हैं, यद्यपि उनकी विशेषताएं भिन्न-भिन्न हैं।

दो अन्य नदी प्रणालियां, जो छोटी किन्तु कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उत्तर में तापी और दक्षिण में पेण्णार हैं।

### जलवायु

भारत की जलवायु मोटे रूप से उष्ण कटिबंधीय है। यहां चार ऋतुएं होती हैं—शीत ऋतु (जनवरी-फरवरी), ग्रीष्म ऋतु (मार्च-मई), वर्षा ऋतु या दक्षिण-पश्चिम मानसून का समय (जून-सितम्बर) और मानसून-पश्चात ऋतु जिसे दक्षिण प्रायद्वीप में उत्तर-पूर्व मानसून का समय भी कहा जाता है (अक्तूबर-दिसम्बर)।

भारत में वर्षा अनिश्चित है और कहीं किसी वर्ष कम तथा कहीं किसी वर्ष अधिक होती है। वर्षा के आधार पर चार मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं। लगभग सारे असम और इसके आसपास के क्षेत्र, पश्चिमी घाट और उसके साथ का तटीय मैदान और हिमालय के कुछ भाग भारी वर्षा के क्षेत्र हैं। यहां प्रति वर्ष 2,000 मि० मी० से भी अधिक वर्षा होती है। मेघालय की खासी और जैन्तिया पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्रति वर्ष औसतन लगभग 11,419 मिलीमीटर चेरापूंजी में होती है। इसके विपरीत कच्छ, राजस्थान और पश्चिम में गिरिगत तक फैला कश्मीर का ऊंचा लद्दाख पठार कम वर्षा के प्रदेश है। यहां वर्षा साल भर में 100 से 500 मिलीमीटर तक ही होती है। वर्षा की दृष्टि से परस्पर विरोधी इन दो क्षेत्रों के बीच क्रमशः सामान्य रूप से अधिक और कम वर्षा के दो क्षेत्र हैं, जिनमें क्रमशः 1,000 से 2,000 मिलीमीटर तक और 500 से 1,000 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। पहले क्षेत्र के अन्तर्गत प्रायद्वीप के पूर्वी भाग की चौड़ी पट्टी है, जो उत्तर भारत के मैदानों से मिली हुई है। दूसरे क्षेत्र के अन्तर्गत पंजाब के मैदानों से शुरू होकर विन्ध्य पहाड़ों को पार करती हुई दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में फैली वह पट्टी है, जो दक्षिण और पूर्व में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश तक चली गई है।

यद्यपि वर्षा ऋतु देश के अधिकतर भागों में जून से सितम्बर तक रहती है, किन्तु तमिलनाडु में यह अक्तूबर-दिसम्बर में होती है।

### पेड़-पौधे

उष्ण से लेकर उत्तर-ध्रुवीय जलवायु तक की विविधता के कारण भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो समान आकार के अन्य देशों में बहुत कम मिलती हैं। भारत को आठ वनस्पति क्षेत्रों में बांटा जा सकता है—पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, दक्षिण क्षेत्र, मालाबार और अंदमान।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है। इस क्षेत्र के शीतोष्ण कटिबंधीय भाग में चीड़, कोणधारी वृक्षों (कोनोफर्स) और चीड़ी पत्तीवाले शीतोष्ण वृक्षों के वनों का बाहुल्य है। इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार, नीली चीड़, सनोवर वृक्ष और श्वेत देवदार के जंगल हैं। आल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की ऊपरी सीमा से 4,750

मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ऊंचे स्थानों में मिलने वाले श्वेत देवदार, श्वेत भोजवृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं।

पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर शुरू होता है और इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, कुसियांग और उसके साथ लगे भाग आते हैं। इस क्षेत्र के शीतोष्ण भाग में प्रोक, जयवृक्ष, ट्रिफन, बड़े फूलों वाली सदाबहार झाड़ियां, पितु वृक्ष और भोज वृक्ष के जंगल हैं। अनेक प्रकार के कोंगधारी वृक्ष, सदाबहार वृक्ष और छोटी बेंत भी इस क्षेत्र में हैं। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटिया और बीच की पहाड़ी श्रेणियां आती हैं। इनमें सदाबहार जंगल के साथ गहन हरियाली वाली वनस्पति पाई जाती है, जिसमें बीच-बीच में घने बांसों और लम्बी घासों के झुरमुट हैं।

सिंधु मैदान क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं। यह क्षेत्र शुष्क और गर्म है और इसमें बहुत कम प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। गंगा मैदान क्षेत्र के अन्तर्गत भरावली श्रेणियों से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग कठारी मैदान है और इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। केवल थोड़े से भाग में विभिन्न प्रकार के जंगल हैं।

दक्षिणी क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की सारी पठारी भूमि शामिल है, जिसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों के साथ तरह-तरह की जंगली झाड़ियों के वन हैं।

मालाबार क्षेत्र के अधीन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के साप-साप लगने वाली पहाड़ी तथा अधिक नमीवाली पट्टी है। इस क्षेत्र में घने जंगलों के अलावा कई महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलें जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी और चाय पैदा होती हैं। इस क्षेत्र के कुछ भागों में रबड़, कानू और यूकलिप्टस की खेती शुरू हुई है।

अर्धमान क्षेत्र में अर्धमान तथा निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इसमें सदाबहार, अर्ध-सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय और आप्लावी जंगलों की अधिकता है।

कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय क्षेत्र (नेपाल, सिक्किम, भूटान, मेघालय, नागालैण्ड) और दक्षिण प्रायद्वीप में क्षेत्रीय पर्वतीय श्रेणियों में पाए जाने वाले ऐसे पौधों की अधिकता है, जो केवल इन क्षेत्रों को छोड़ दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं हैं।

भारत वन संपदा की दृष्टि से सम्पन्न है। यहां पेड़ों की अनुमानतः 45,000 प्रजातियां पायी जाती हैं। संवहनी वनस्पति, जो कि उत्कृष्ट वनस्पति है, के अन्तर्गत 15,000 प्रजातियां हैं। इसमें से 60 प्रतिशत के लगभग प्रजातियां देशीय (स्थानीय) हैं, जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। देश की वन-संपदा में न केवल फूलों वाले पौधे ही हैं, बल्कि बिना फूल के पौधे जैसे फर्न, लिबरवर्ट, शैवाल, फगी भी शामिल हैं।

देश के पेड़-पौधों का विस्तृत अध्ययन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग तथा कुछ अन्य संस्थानों के वनस्पति शास्त्रियों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वनस्पति-सर्वेक्षण विभाग द्वारा 'भारत के पेड़-पौधे' नामक ग्रंथमाला खंडों में प्रकाशित की जा रही है। अब तक इसके 14 खंड प्रकाशित किए जा चुके हैं। विभाग ने राज्यों और जिलों के फूल वाले पौधों व बिना फूल वाले पौधों की जानकारी से संबंधित पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है।

वनस्पति प्रजाति विज्ञान में वनस्पतियों के विविध वर्गों के अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न भानुवाशिक वर्गों की वनस्पतियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले

पदार्थों के उपयोग का विवेचन किया जाता है। वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने इन पीधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। वनस्पतिक प्रजातियों से संबंधित विस्तृत खोज के कार्य देश के कई जनजातीय इलाकों में किए गये। वनस्पति प्रजाति-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पीधों की 800 प्रजातियां विभिन्न केन्द्रों में इकट्ठी की गईं तथा उनकी पहचान की गई।

खेती, उद्योग और नगर विकास के लिए जंगलों की कटाई के कारण कुछ भारतीय पेड़-पौधे लुप्त हो रहे हैं। इनमें से कुछ के नमूने वनस्पति उद्यानों और राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षित रखे गये हैं। इन पौधों के शुष्क नमूनों का संग्रह केन्द्रीय वनस्पति संग्रहालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय वनस्पति संग्रहालयों और अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों में किया जाता है।

### जीव-जन्तु

जलवायु और प्राकृतिक दशाओं की व्यापक भिन्नता के कारण भारत में अनेक प्रकार के जीव-जन्तु पाए जाते हैं।

करीब 50,000 किस्म के कीट, 4,000 किस्म के घोंघे, 6,500 किस्म के अन्य अपृष्ठवंशी जीव, 2,000 किस्म की मछलियां, 140 किस्म के उभयचर, 420 किस्म के सरीसृप, 1,200 किस्म के पक्षी, तथा 340 किस्म के स्तनपायी जीव पाये जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त विवरण के अनुसार 65,000 विभिन्न किस्मों के जीव-जन्तु पाये जाते हैं।

स्तनपायी जानवरों में भारत में चिरकाल से पौराणिक और राजसी ठाट-बाट से सम्बद्ध हाथी, गौर या भारतीय बाइसन, भारतीय भैंसा, नील गाय, चीरिंगा मृग (जो भारत में अद्वितीय है), भारतीय कृष्ण मृग, घोड़-खुर या भारतीय जंगली गधा (जो केवल कच्छ के रन में पाया जाता है) और विशालकाय एक सींग वाला गैंडा (जो अब केवल पूर्वी भारत में पाया जाता है) शामिल हैं। विभिन्न जातियों के मृग जैसे दुर्लभ कश्मीरी वारहसिंघा मृग, दलदली मृग, चित्तीदार मृग, कस्तूरी मृग, थाभिन (जो अब केवल मणिपुर में ही पाया जाता है) और मूषक मृग इत्यादि भारत में मिलते हैं।

शिकारी पशुओं में भारतीय सिंह विशिष्ट है, जो अफ्रीका के अतिरिक्त संसार में केवल भारत में ही पाया जाता है। बाघ राष्ट्रीय पशु है, जिसकी संख्या 4230 के लगभग है। हाल के वर्षों में इसकी संख्या में कमी आने के कारण 'बाघ परियोजना' कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक हो गया। यह योजना 15 चुने हुए क्षेत्रों में जारी है। यहां बाघों की रक्षा, उनके शिकार पर रोक और उनके रहन-सहन के स्थान की सुरक्षा की व्यवस्था है। बिल्ली-जाति की अन्य किस्मों में तेंदुआ, काला तेंदुआ, हिम तेंदुआ और अनेक प्रकार की छोटी बिल्लियां शामिल हैं।

अनेक प्रकार के बन्दर और लंगूर सामान्य रूप से मिलते हैं। हलोक नामक विशाल बन्दर केवल पूर्वी क्षेत्र के वर्षा वाले जंगलों में ही पाया जाता है। शेर जैसे अथल और पूंछ वाले बन्दर केवल दक्षिण में ही मिलते हैं।

भारत में अनेक प्रकार के रंगबिरंगे पक्षी मिलते हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक दूसरे पक्षी जैसे तीतर, बत्तख, मुंगियां, मैना, लम्बी पूंछ वाले छोटे तोते, कबूतर, सारस और दगुले, लम्बी चोंच वाले पक्षी और अत्यधिक लाल रंग के पक्षी जंगलों में और नमो वाली भूमि में पाए जाते हैं।

नदियों और झीलों में मगरमच्छ और घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल केवल भारत में ही मिलता है। पश्चिमी तट के साय-साय अर्द्धमान और निकोबार द्वीप समूह के धारे पानी में भी मगरमच्छ पाए गये हैं। 1974 में शुरू की गई मगरमच्छ पालन योजना से मगरमच्छों की नस्ल समाप्त होने से बचाई गई। विभिन्न राज्यों में मगरमच्छ-पालन तथा उनकी नैसर्गिक स्थानों में छोड़ने के लिए 12 योजनाएं चलायी जा रही हैं।

विशाल हिमालय क्षेत्र में अत्यन्त आकर्षक जीव-जन्तु है, जिनमें जंगली भेड़ और जंगली बकरे तथा बकरियां, लम्बे सींग वाली जंगली बकरी, छछुन्दर और टेपर शामिल हैं। पाण्डा और हिम तेन्दुआ भी ऊंचे पहाड़ी स्थानों में ही पाए जाते हैं।

वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर (जिसका अपना अलग अधिनियम है), सभी राज्यों में लागू है। यह कानून वन्य प्राणियों का संरक्षण करता है और वन क्षेत्र के अन्दर तथा बाहर ऐसे वन्य प्राणियों को, जिनकी नस्ल समाप्त होने की आशंका है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के अन्तर्गत दुर्लभ और सुप्तप्राय नस्लों के वन्य जीवों का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया है तथा कई किस्म के पशु-पक्षियों तथा उनके उत्पादों के निर्यात पर और अधिक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

भारत अब समाप्तप्राय जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों की नस्लों से सम्बन्धित 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन' का उद्देश्य है। इस सम्मेलन के अनुसार पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओं की समाप्तप्राय नस्लों के आयात-निर्यात पर कठोर निदोषण है तथा उन नस्लों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबन्ध है।

इस समय देश में 45 राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 207 वन्यप्राणी अभयारण्य और 35 प्राणी उद्यान हैं। इस प्रकार 88,000 वर्ग कि० मी० का भू-भाग संरक्षित है। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों के सुधार तथा विकास के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

### जनगणना की पृष्ठभूमि

भारत में पहली जनगणना, जो यद्यपि समकालिक नहीं थी, 1872 में की गई थी। 1881 के बाद हर दसवें वर्ष नियमित रूप से जनगणना होती आ रही है। 1981 की जनगणना से देश में दस-वर्षीय जनगणना के 110 वर्ष पूरे हुए। जम्मू और कश्मीर तथा असम को छोड़कर सारे देश में 9 फरवरी 1981 से 5 मार्च 1981 के बीच (1 मार्च 1981 के सूर्योदय को संदर्भ तिथि के रूप में मानकर) जनगणना की गई। फरवरी-मार्च 1981 में खराब मौसम के कारण जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं हो सकी, इसलिए (6 मई 1981 के सूर्योदय को संवर्ष तिथि के रूप में लेकर) वहां 20 अप्रैल से 10 मई 1981 तक जनगणना की गई। असामान्य स्थिति होने के कारण असम में जनगणना नहीं हो सकी।

जनसंख्या

कुल जनसंख्या

1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, असम की अनुमानित जनसंख्या को मिलाकर 68,51,84,692 थी। 1971 की जनसंख्या की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनसंख्या में इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं : बेहतर स्वास्थ्य





1951	1961	1971	1981
26,10,88,090	43,92,34,771	54,81,59,652	68,51,84,692
3,11,15,259	3,59,83,447	4,35,02,708	5,35,49,673
80,28,856	1,08,37,329	1,46,25,152	1,98,98,843
3,87,82,271	4,64,47,457	5,63,53,369	6,99,14,734
1,62,62,657	2,06,33,350	2,66,97,475	3,40,85,799
56,73,614	75,90,543	1,00,36,808	1,29,22,618
23,85,981	28,12,463	34,60,434	42,80,818
32,53,852	35,60,976	46,16,632	59,87,389
1,94,01,956	2,35,86,772	2,92,99,014	3,71,35,711
1,35,49,118	1,69,03,715	2,13,47,375	2,54,53,686
2,60,71,637	3,23,72,408	4,16,54,119	5,21,78,841
3,20,02,564	3,95,53,718	5,04,12,235	6,27,84,171
5,77,635	7,80,037	10,72,753	14,20,952
6,05,674	7,69,380	10,11,699	13,35,819
2,12,975	3,69,200	5,16,449	7,74,930
1,46,45,946	1,75,48,846	2,19,44,615	2,63,70,271
91,60,500	1,11,35,069	1,35,51,060	1,67,88,915
1,59,70,774	2,01,55,602	2,57,65,806	3,42,61,862
1,37,725	1,62,189	2,09,843	3,16,385
3,01,19,047	3,36,86,953	4,11,99,168	4,84,08,077
6,39,029	11,42,005	15,56,342	20,53,058
6,32,19,655	7,37,54,554	8,83,41,144	11,08,62,013
2,62,99,980	3,49,26,279	4,43,12,011	5,45,80,647
30,971	63,548	1,15,133	1,88,741
—	3,36,558	4,67,511	6,31,839
24,261	1,19,881	2,57,251	4,51,610
41,532	57,963	74,170	1,03,676
17,44,072	26,58,612	40,65,698	62,20,406
5,96,059	6,26,667	8,57,771	10,86,730
21,035	24,108	31,810	40,249
1,96,202	2,66,063	3,32,390	4,93,757
3,17,253	3,69,079	4,71,707	6,04,471

4. गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली की 1911, 1941 और 1951 की जनगणना को क्रमशः 1910, 1940 और 1950 की जनगणना के अन्तर्गत गणना गया है। इसी तरह पाकिस्तान के विरुद्ध 1948 के आरक्षणों को 1951 के विरुद्ध की गणना किया गया है। गोवा, दमन और दीव के 1961 के आरक्षित पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा 15 दिसम्बर 1960 को मन्दर्भ नियम मानकर की गई जनगणना के हैं। दादरा और नगर हवेली के 1961 के आरक्षित 1 मार्च 1962 की मन्दर्भ नियम मानकर की गई जनगणना के हैं।

5. 11 फरवरी 1987 को जारी अनायास राजस्व की अधिनियम के अनुसार 20 फरवरी 1987 में अण्डमान प्रदेश की अन्तर्गत की राज्य का दर्जा दिया गया।

सुविधाओं के कारण मृत्यु-दर में कमी, महामारियों पर प्रभावकारी नियंत्रण, अकाल की स्थितियों में कुशल प्रवन्ध, आर्थिक विकास तथा अन्य सुधार। जन्म-दर में थोड़ी-सी कमी होने के बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 76.69 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 23.31 प्रतिशत था। कुल जनसंख्या में 33.45 प्रतिशत अनुपात उन मुख्य कमियों का था, जिन्होंने वर्ष की अधिकांश अवधि में कार्य किया था। स्त्रियों के कार्य की अनुपात दर 13.99 प्रतिशत थी।

घनत्व

1981 में जन-घनत्व औसतन 216 प्रति वर्ग किलोमीटर था। एक राज्य का जन-घनत्व दूसरे राज्य से भिन्न था। केरल में जन-घनत्व 655 था, सिक्किम में 45 और अरुणाचल प्रदेश में केवल आठ था। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और जन-घनत्व सारणी 1.2 में दर्शाया गया है।

भारणी 1.2  
क्षेत्र तथा जनसंख्या  
का घनत्व

भारत/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	क्षेत्रफल (1,000 वर्ग किलोमीटर में)	जनसंख्या	जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर
1	2	3	4
भारत <sup>1</sup>	3287.3 <sup>2</sup>	68,51,84,692	216 <sup>3</sup>
<b>राज्य</b>			
1. आंध्र प्रदेश . . .	275.1 <sup>5</sup>	5,35,49,673	195
2. असम <sup>4</sup> . . .	78.4	1,98,96,843	254
3. बिहार . . .	173.9 <sup>5</sup>	6,99,14,734	402
4. गुजरात . . .	196.0 <sup>5</sup>	3,40,85,799	174
5. हरियाणा . . .	44.2 <sup>5</sup>	1,29,22,618	292
6. हिमाचल प्रदेश . . .	55.7	42,80,818	77
7. जम्मू और कश्मीर . . .	222.2 <sup>5</sup>	59,87,389	59 <sup>3</sup>
8. कर्नाटक . . .	191.8	3,71,35,714	194
9. केरल . . .	38.9 <sup>5</sup>	2,54,53,680	655
10. मध्य प्रदेश . . .	443.4 <sup>5</sup>	5,21,78,844	118
11. महाराष्ट्र . . .	307.7 <sup>5</sup>	6,27,84,171	204
12. मणिपुर . . .	22.3	14,20,953	64
13. मेघालय . . .	22.4 <sup>5</sup>	13,35,819	605
14. नागालैंड . . .	16.6	7,74,930	47
15. उड़ीसा . . .	155.7	2,63,70,271	169
16. पंजाब . . .	50.4	1,67,88,915	333
17. राजस्थान . . .	342.2	3,42,61,862	100
18. सिक्किम . . .	7.1	3,16,385	45
19. तमिलनाडु . . .	130.1 <sup>5</sup>	4,84,08,077	372
20. त्रिपुरा . . .	10.5	20,53,058	196

1	2	3	4
21. उत्तर प्रदेश .	294.4 <sup>5</sup>	11,08,62,013	377
22. पश्चिम बंगाल .	88.8 <sup>5</sup>	5,45,80,647	615
<b>केन्द्र शासित प्रदेश</b>			
1. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह .	8.3	1,88,741	23
2. अरुणाचल प्रदेश <sup>6</sup> .	83.7 <sup>5</sup>	6,31,839	8
3. चंडीगढ़ .	0.1	4,51,610	3,961
4. दादरा और नागर हवेली [ ]	0.5	1,03,676	211
5. दिल्ली .	1.5	62,20,406	4,194
6. गोवा, दमन और दीव	3.8	10,86,730	285
7. लक्षद्वीप .	.03	40,249	1,258
8. मिज़ोरम <sup>6</sup> .	21.1	4,93,757	23
9. पांडिचेरि .	0.5	6,04,471	1,229

- 1 पाकिस्तान और चीन द्वारा गैर-कानूनी तौर पर अधिभूत क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़े छोट दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ जनगणना नहीं की जा सकी।
- 2 देश का कुल क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़ों पर आधारित है। इसमें पाकिस्तान द्वारा गैर-कानूनी तौर पर अधिभूत 78,114 वर्ग कि० मी० क्षेत्र और 5,180 वर्ग कि० मी० गैर-कानूनी ढंग से पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र और 37,555 वर्ग कि० मी० वह क्षेत्र शामिल है, जिस पर चीन का गैर-कानूनी कब्जा है।
- 3 जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर है।
- 4 1981 के अनुमानित आंकड़े।
- 5 क्षेत्रफल सम्बन्धी आंकड़े आँकड़ों पर हैं।
- 6 11 फरवरी 1987 को जारी असाधारण राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार 20 फरवरी 1987 से अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।

1921 और 1981 के बीच प्रति वर्ग किलोमीटर जन-घनत्व और जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सारणी 1.3 में दिया गया है।

वर्ष	जन-घनत्व प्रति वर्ग कि०मी०	दशक	जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि
1921	81	—	—
1931	90	1921-31	11.0
1941	103	1931-41	14.2
1951	117	1941-51	13.3
1961	142	1951-61	21.5
1971	173 <sup>1</sup>	1961-71	24.8
1981 <sup>2</sup>	216 <sup>1</sup>	1971-81	25.0

1. जनसंख्या घनत्व तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर की गई है।
2. 1981 की जनगणना में अंतिम के अनुमानित आंकड़े शामिल हैं।

सारणी 1.3  
जन-घनत्व और  
जनसंख्या वृद्धि

**स्त्री-पुरुष अनुपात** 1981 की जनगणना के अनुसार 35.4 करोड़ पुरुष तथा 33.1 करोड़ महिलाएं थीं। इस प्रकार भारत में 1,000 पुरुषों के पीछे 933 महिलाएं हैं। 1901 में यह संख्या 972 थी, जो कम होते-होते 1931 में 950 रह गई। केवल केरल में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं। वहां 1,000 पुरुषों के पीछे 1,032 महिलाएं हैं। राज्यों में सिन्धु एक ऐसा राज्य है, जहां महिलाओं का औसत सबसे कम है। यहां 1,000 पुरुषों के पीछे 835 महिलाएं हैं। इसी प्रकार केन्द्र शासित प्रदेशों में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह भी ऐसा ही क्षेत्र है, जहां 1,000 पुरुषों के पीछे महिलाओं का औसत सबसे कम, केवल 760 है।

### साक्षरता

जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति शिक्षित समझा जाता है, जो किसी भाषा को पढ़, लिख और समझ सके। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, उसे शिक्षित नहीं कहा जा सकता। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे अशिक्षित समझे जाते हैं।

यदि कुल जनसंख्या में से 0—4 आयु समूह को निकाल दिया जाए, तो साक्षरता-दर और बढ़ जाएगी। इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसे कुछ और सारणियां बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए 0—4 आयु समूह सहित सम्पूर्ण जनसंख्या को इस गणना में ले लिया गया है। 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 36.23 प्रतिशत है। इसमें पुरुषों की साक्षरता 46.89 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता 24.82 प्रतिशत थी। जनसंख्या सारणी 1.4 में देश की साक्षरता-दर दर्शायी गई है। वर्ष 1981 के लिए जनसंख्या की इन दरों की गणना करते समय असम की अनुमानित जनसंख्या को छोड़ दिया गया है। सन् 1941 तक की दरें अविभाजित भारत की हैं।

### भारत में साक्षरता दर प्रति एक हजार स्त्री/पुरुष

जनगणना वर्ष	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति
1901	98	6	53
1911	106	11	59
1921	122	18	72
1931	156	29	95
1941	249	73	161
1951	249	79	167
1961	344	130	240
1971	395	187	294
1981	469	248	362

स्त्री-पुरुषों की साक्षरता की अनुपातिक स्थिति में लगातार प्रगति सारणी 1.5 से स्पष्ट हो जाती है। विशेषकर स्त्रियों में साक्षरता की प्रगति उल्लेखनीय है। फिर भी, विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि देश की आवादी में लगभग आधे पुरुष और तीन-चौथाई स्त्रियां अभी भी अशिक्षित हैं। कुल जनसंख्या में लगभग 64 प्रतिशत लोग अभी भी अशिक्षित हैं।

सारणी 1.5  
 वर्ष 1981 में जनसंख्या एवं साक्षरों की संख्या तथा लिंग के आधार पर साक्षरता की दर

राज्य/केन्द्र साक्षित प्रदेश	जनसंख्या				साक्षर				कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत					
	स्त्री		पुरुष		स्त्री		पुरुष		भारत		पुरुष		स्त्री	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
भारत 1	66,52,87,859	34,39,30,423	32,13,57,426	24,10,31,849	16,12,85,508	7,97,46,281	36.23	46.89	24.52					
राज्य														
1. आन्ध्र प्रदेश	5,35,49,673	2,71,08,922	2,64,40,751	1,60,34,818	1,06,42,377	53,92,441	29.94	39.26	20.39					
2. असम	6,69,14,734	3,59,30,560	3,39,84,174	1,83,21,004	1,36,91,472	46,29,532	26.20	38.11	13.62					
3. बिहार	3,40,85,789	1,75,52,640	1,65,33,159	1,48,95,844	95,55,269	52,40,575	43.70	54.44	32.30					
4. गुजरात	1,29,22,818	69,09,938	60,12,680	48,69,898	33,30,658	13,39,240	36.14	48.20	22.27					
5. हरियाणा	42,80,818	21,69,931	21,10,887	18,16,287	11,54,281	6,64,006	42.48	53.19	31.46					
6. हिमाचल प्रदेश	1,59,87,389	31,64,660	28,22,729	15,96,776	11,48,569	4,48,207	26.67	36.29	15.88					
7. जम्मू और कश्मीर	3,71,35,714	1,89,22,627	1,82,13,087	1,42,82,717	92,36,276	50,46,441	38.46	48.81	27.71					
8. कर्नाटक	2,54,53,680	1,25,27,767	1,29,25,913	1,79,24,732	94,28,092	84,96,640	70.42	75.26	65.73					
9. केरल	5,21,78,844	2,68,86,305	2,52,92,339	1,45,44,568	1,06,17,302	39,27,266	27.87	39.49	15.53					
10. मध्य प्रदेश	6,27,84,171	3,24,15,126	3,03,69,045	2,96,20,806	1,90,56,503	1,05,64,303	47.18	58.79	34.79					
11. महाराष्ट्र	14,29,953	7,21,006	6,99,947	5,87,618	3,84,231	2,03,387	41.35	53.29	29.06					
12. मणिपुर	13,35,819	6,83,710	6,52,109	4,55,191	2,59,024	1,96,167	34.08	37.89	30.08					
13. मेघालय	7,74,930	4,15,910	3,59,020	3,29,878	2,08,195	1,21,633	42.57	50.06	33.89					
14. नागालैंड	2,63,70,271	1,33,09,786	1,30,60,485	90,27,205	62,68,643	27,59,562	34.23	47.10	21.12					
15. उत्तरांचल	1,67,88,915	89,37,210	78,51,705	68,60,349	42,14,978	26,45,471	40.86	47.16	33.69					
16. पंजाब	3,42,61,862	1,78,54,154	1,64,07,708	83,54,117	64,81,156	18,72,961	24.38	36.30	11.42					
17. राजस्थान	3,16,395	1,72,440	1,43,945	1,07,738	75,779	31,959	34.05	43.95	22.20					
18. तमिलनाडु	4,84,08,077	2,44,87,624	2,39,20,453	2,26,37,659	1,42,67,331	83,70,328	46.76	58.26	34.99					
19. त्रिपुरा	20,63,058	10,54,846	9,98,212	8,64,799	5,45,401	3,19,398	42.12	51.70	32.00					
21. उत्तर प्रदेश	11,08,62,013	5,88,19,276	5,20,42,737	3,01,05,260	2,27,98,451	73,06,809	27.16	38.76	14.04					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22. पश्चिम बंगाल	5,45,80,647	2,85,60,901	2,60,19,746	2,23,44,153	1,44,73,045	78,71,108	40.94	50.67	30.25	
केन्द्र शासित प्रदेश										
1. अरुणाचल प्रदेश										
निर्गोबार् दीप समूह	1,07,261	81,480	97,321	62,983	34,338	51.56	58.72	42.14		
2. अरुणाचल प्रदेश 2	6,31,839	2,92,517	1,31,333	98,211	33,122	20.79	28.94	11.32		
3. चण्डीगढ़	4,51,610	1,96,332	2,92,580	1,76,130	1,16,450	64.79	69.00	59.31		
4. दादरा और नगर हवेली	1,03,676	52,515	27,655	19,072	8,583	26.67	36.32	16.78		
5. दिल्ली	62,20,406	34,40,081	27,80,325	38,28,328	23,52,883	14,75,443	61.54	68.40	53.07	
6. गोवा, दमन और दीव	10,86,730	5,48,450	5,38,280	6,15,752	3,59,731	2,56,021	56.66	65.59	47.56	
7. लक्षद्वीप	40,249	20,377	19,872	22,165	13,293	8,872	55.07	65.24	44.65	
8. मिजोरम 2	4,93,757	2,57,239	2,36,518	2,95,685	1,65,813	1,29,873	59.88	64.46	54.91	
9. पांडिचेरि	6,04,471	3,04,561	2,99,910	3,37,615	2,00,520	1,37,095	55.85	65.84	45.71	

1. भारत और जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या में उन लोगों की जनसंख्या शामिल नहीं है, जो कि पाकिस्तान और चीन के गैर-मान्य कब्जे में हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अरुणाचल प्रदेश भी शामिल नहीं है क्योंकि वहाँ 1981 में जनगणना नहीं कराई जा सकी थी।

2. 11 फरवरी 1987 को जारी असाधारण राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार 20 फरवरी 1987 से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।

सारणी 1.6  
प्रमुख धर्मों तथा  
धार्मिक भतावल-  
म्बियों की संख्या

सारणी 1.6 में 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या और प्रमुख धर्मों तथा धार्मिक भतावलम्बियों से संबंधित जनसंख्या और उसके तुलनात्मक प्रतिशत को दर्शाया गया है।

धार्मिक सम्प्रदाय	1971		1981 <sup>1/2</sup>	
	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
हिन्दू	45,34,36,630	82.82	54,97,24,717	82.63
मुस्लिम	6,14,18,269	11.20	7,55,71,514	11.06
ईसाई	1,42,25,045	2.59	1,61,74,498	2.43
सिख	1,03,78,891	1.89	1,30,78,146	1.96
बौद्ध	38,74,942	0.71	47,19,900	0.71
जैन	26,04,837	0.48	31,92,572	0.48
अन्य भतावलम्बी <sup>3</sup>	21,84,955	0.40	27,66,285	0.42
अज्ञात धर्मावलम्बी	36,083	0.01	60,217	0.01

1. 1981 के आंकड़े परिवार के मुखिया के धर्म पर आधारित हैं। यह विवरण पारिवारिक अनुसूची से लिया गया है।
2. अज्ञात को छोड़कर।
3. अन्य लोगों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार शेष अन्य धर्मावलम्बियों की कुल संख्या।

भाषाएं

भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इनमें से 15 भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित हैं। इनके नाम हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिन्धी और हिन्दी।

जन्म तथा मृत्युदर

नमूना पंजीकरण व्यवस्था<sup>2</sup> के अनुसार भारत में सन् 1984 में अस्वास्थ्य जन्म और मृत्यु दर निम्न प्रकार थी:

(अ) जन्म दर—33.8 प्रति एक हजार

(आ) मृत्यु दर—12.5 प्रति एक हजार

1976—80 में अनुमानित औसत आयु (अशिक्षित आयु, जन्म के समय) पुरुषों के लिए 52.5 वर्ष और स्त्रियों के लिए 52.1 वर्ष थी। यह जानकारी भारत के महा-

1. नमूना पंजीकरण व्यवस्था भारत के महापंजीकरण द्वारा 1964-65 में लागू की गई थी।



पंजीयक की नमूना पंजीयन व्यवस्था द्वारा जारी किये गये श्रांकाओं पर आधारित है।

जन्म और मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 जन्म और मृत्यु के पंजीयन को नियंत्रित और एकीकृत करता है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य नियम सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा इस अधिनियम के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए हैं।

### नगर और गांव

1981 की जनगणना के अनुसार देश में 3,949 नगर<sup>1</sup> और 5,57,137 बसे हुए तथा 48,087 गैर-बसे<sup>2</sup> गांव थे। राज्यों में सबसे अधिक नगर उत्तर प्रदेश में (704) थे। इसके बाद तमिलनाडु (434), मध्य प्रदेश (327), और महाराष्ट्र (307) थे। नागालैण्ड में 7, सिक्किम में 8, त्रिपुरा में 10, हिमाचल प्रदेश में 47, जम्मू और कश्मीर में 58 और हरियाणा में 81 नगर थे।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दादरा और नागर हवेली, प्रत्येक में एक-एक नगर था जबकि दिल्ली में 30 नगर थे। उत्तर प्रदेश में 1,12,566 बसे हुए और 11,680 गैर-बसे गांव थे। मध्य प्रदेश में 71,352 और सिक्किम में 440 बसे हुए गांव थे। केरल में कोई भी गैर-बसा हुआ गांव न था। केन्द्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश में कोई भी गैर-बसा हुआ गांव नहीं था।

1981 की जनगणना में 12 ऐसे शहर पाए गए जिनकी जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक थी। ये शहर हैं : कलकत्ता, ग्रेटर बम्बई, दिल्ली, भद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, बंगलूर, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ तथा जयपुर।

1981 में देश में 412 जिले थे।

1. शहरी क्षेत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

(अ) सभी स्थान जहां नगर निगम, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, कैंटोनमेंट बोर्ड आदि हैं।

(आ) अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मापदण्डों की पूर्ति करते हैं :

(i) न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या,

(ii) कम से कम 75 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या ऐसी हो जो कि गैर-कृषि कार्यों में लगी हो, और ;

(iii) कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि० मी० का जन घनत्व।

2. बसे हुए और गैर-बसे हुए गांवों का अर्थ शाब्दिक है।


अनुसूचित जाति एवं जनजाति 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 10,47,54,623 तथा 5,16,28,638 थी। सारणी 1.7 में 1981 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजातियों की संख्या दर्शायी गई है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या देश की आबादी की लगभग 23.51 प्रतिशत है।

सारणी 1.7  
अनुसूचित जातियों  
तथा जनजातियों  
की जनसंख्या

राज्य	अनुसूचित जातिया	अनुसूचित जनजातिया
1	2	3
भारत <sup>1,2</sup>	10,47,54,623	5,16,28,638 <sup>3</sup>
राज्य		
1. आंध्र प्रदेश	79,61,730	31,76,001
2. असम <sup>1</sup>	—	—
3. बिहार	1,01,42,368	58,10,867
4. गुजरात	24,38,297	48,48,586
5. हरियाणा <sup>5</sup>	24,64,012	—
6. हिमाचल प्रदेश	10,53,958	1,97,263
7. जम्मू और कश्मीर <sup>2,5</sup>	4,97,363	—
8. कर्नाटक <sup>4</sup>	55,95,353	18,25,203
9. केरल	25,49,382	2,61,475
10. मध्य प्रदेश	73,58,533	1,19,87,031
11. महाराष्ट्र	44,79,763	57,72,038
12. मणिपुर	17,753	3,87,977
13. मेघालय	5,492	10,76,345
14. नागालैण्ड <sup>3</sup>	—	6,50,885
15. उड़ीसा	38,65,543	59,15,067
16. पंजाब <sup>5</sup>	45,11,703	—
17. राजस्थान	58,38,879	41,83,124
18. सिक्किम	18,281	73,623
19. तमिलनाडु	88,81,295	5,20,226
20. त्रिपुरा	3,10,384	5,83,920
21. उत्तर प्रदेश	2,34,53,339	2,32,705
22. पश्चिम बंगाल	1,20,00,768	30,70,672

1	2	3
केन्द्र शासित प्रदेश		
1. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह <sup>3</sup>	—	22,361
2. अरुणाचल प्रदेश <sup>6</sup>	2,919	4,41,167
3. चण्डीगढ़ <sup>5</sup>	63,621	—
4. दादरा और नागर हवेली	2,041	81,714
5. दिल्ली <sup>5</sup>	11,21,643	—
6. गोवा, दमन और दीव	23,432	10,721
7. लक्षद्वीप <sup>3</sup>	—	37,760
8. मिजोरम <sup>6</sup>	135	4,61,907
9. पांडिचेरि <sup>5</sup>	96,636	—

1. इसमें अरुणाचल को छोड़ दिया गया है। अशांति की स्थिति होने के कारण वहाँ जनगणना नहीं की जा सकी थी।
2. जनसंख्या के आंकड़ों में चीन और पाकिस्तान द्वारा गैर-कानूनी रूप से अधिभूत क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है।
3. राष्ट्रपति द्वारा नागालैण्ड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए किसी भी जाति को अनुसूचित नहीं किया गया है।
4. क्षेत्र प्रतिवन्ध हटाये जाने से कर्नाटक के लिए अनुसूचित जनजातियों की आबादी के आंकड़े अधिक हो गए हैं क्योंकि जो जातियाँ अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल थीं, उनसे मिलते जुलते नाम अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिए गए हैं।
5. राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरि के केन्द्र शासित प्रदेशों की कोई जनजाति अनुसूचित नहीं की गई है।
6. 11 फरवरी 1987 को जारी असाधारण राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार 20 फरवरी 1987 से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है।





## राष्ट्र-ध्वज

राष्ट्र-ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में तीन आड़ी पट्टियाँ हैं, गहरा केसरिया रंग ऊपर, सफेद बीच में और गहरा हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तम्भ पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई जितना है और इसमें चौबीस तीलियाँ हैं।

भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ध्वज का प्रयोग और प्रदर्शन एक संहिता द्वारा नियमित होता है।

## राज-चिह्न

भारत का राज-चिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तम्भ में शीर्ष पर चार सिंह हैं जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पथ के ऊपर एक चित्रबल्लरी में एक हाथी, दौड़ता हुआ एक घोड़ा, एक साँढ तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं, जिनके बीच-बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस स्तम्भ के शीर्ष के सिंहों के ऊपर 'धर्मचक्र' है।

भारत सरकार ने यह चिह्न 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसमें केवल तीन सिंह दिखाई पड़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक साँढ और बाईं ओर एक घोड़ा है। भाधार का पथ छोड़ दिया गया है। दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। फलक के नीचे मुंबईकोपनियद्द का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है—सत्य की ही विजय होती है।

## राष्ट्रगान

रवीन्द्रनाथ ठाकुर (1861-1941) ने 'जन-गण-मन' राष्ट्रगान की रचना की और इसको संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसम्बर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पुरे गीत में पांच पद हैं। प्रथम पद, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है, जो इस प्रकार है :

जन-गण-मन अधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग

तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मागे

गाहे तव जय-गाथा

जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता

जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।

राष्ट्रगान के गायन का समय लगभग 52 सेकेंड है। कुछ ध्रुवसरो पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम अंकितियाँ (गाते) का समय लगभग 20 सेकेंड होती है।

## राष्ट्रीय गीत

वंकिमचंद्र चटर्जी (1838-1894) ने 'वन्दे मातरम्' राष्ट्रीय गीत की रचना की, जिसे 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतन्त्रता संग्राम में जन-जन का प्रेरणा-स्रोत था। वह पहला राजनीतिक अवसर जब यह गीत गाया गया था, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है :

वन्दे मातरम् !

सुजलाम् सुफलाम् मलयज-शीतलाम्

शस्यश्यामलाम् मातरम् !

शुभ्रज्योत्सना, पुलकितयामिनीम्

फुल्लकुसुमितं ब्रुमदल शोभिनीम्

सुहासिनीम् सुमधुर नाशिणीम्

सुखदाम् वरदाम् मातरम् !

राष्ट्रीय पंचांग  
(कैलेण्डर)

ग्रिगोरियन कैलेण्डर के साथ-साथ देश भर के लिए शक संवत् पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया : (1) भारत का राजपत्र, (2) आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, (3) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेण्डर और (4) भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सम्बोधित पत्र।

राष्ट्रीय पंचांग और ग्रिगोरियन कैलेण्डर की तारीखों में स्थायी सादृश्य है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतया 22 मार्च को और लौट के वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।

## राष्ट्रीय पशु

भारत का राष्ट्रीय पशु 'बाघ' 'वैन्यर टाइग्रीस' (लिनियस) अपने मोहक रंगों, मायावी रूप और शक्ति के लिए हमेशा से ही सम्मान का पात्र रहा है। सभी मांस-भक्षियों में बाघ सबसे आकर्षक और भव्य पशु है। इसकी दहाड़ती हुई आवाज शक्ति का प्रतीक है। दुनिया भर में पाई जाने वाली इसकी आठ प्रजातियों में से भारतीय प्रजाति को रायल बंगाल टाइगर के नाम पर 'बंगाल का बाघ' कहा जाता है। यह भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। भारत में बाघों के प्राकृतिक निवास की जगह कम हो जाने से 1972 में उनकी संख्या घटकर केवल 1,827 रह गई। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 1973 में 'बाघ परियोजना' शुरू की गई। इसके बाद इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। अप्रैल 1986 में 4230 बाघ होने का अनुमान है।

## राष्ट्रीय पक्षी

भारत का राष्ट्रीय पक्षी 'मयूर पावो क्रिस्टेटस' (लिनियस) है। मयूर (खासकर नर मयूर) सभी पक्षियों में सबसे सुन्दर है। उसकी चमचमाती नीली गर्दन, वक्ष, पंखाकार कलगी और लम्बी भव्य पूंछ हमेशा आकर्षण का केन्द्र रही है। मयूरी के सामने मयूर द्वारा पंख फैलाकर किए गए प्रणय-नृत्य की छटा ही अनोखी है। अनन्तकाल से भारतीय साहित्य, लोक-जीवन और लोक-कथाओं में मयूर को प्रमुख स्थान मिला है। यह पक्षी समूचे मैदानी इलाकों में

पाया जाता है, लेकिन उत्तरी भारत के शुष्क खुले स्थानों पर यह बहुतायत में मिलता है। भारतीय मयूर देश में सिन्धु के दक्षिण और पूर्व में जम्मू और कश्मीर, पूर्वी असम, मिजोरम के दक्षिणी क्षेत्र और समूचे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारतीय वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।



राज्यों का संघ भारत एक सम्पूर्ण प्रभुता-सम्यन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। गणराज्य उस संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है, जो 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।

संसदीय सरकार के संविधान का ढांचा एकात्मक विशेषताओं के साथ-साथ संघात्मक है। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यद्यपि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किन्तु यह भी उल्लिखित है कि वह इस शक्ति का प्रयोग 'संविधान के अनुसार' करेगा। संविधान का अनुच्छेद 74 (1) यह निदिष्ट करता है कि कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होगी तथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कार्य करेगा। इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में निहित है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति राज्य की कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परन्तु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान में विधायी शक्ति को संघीय एवं राज्य-विधान मण्डलों में बांटा गया है तथा शेष शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है।

न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा-आयोगों तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में प्रावधान हैं।

अत्र समूचे देश में सभी स्तरों पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है।

### संघ और प्रदेश

भारत में 22 राज्य और 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। राज्य हैं—आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। केन्द्र शासित प्रदेश हैं—अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश,<sup>1</sup> गोवा, दमन और दीव, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, पांडिचेरि, मिजोरम<sup>1</sup> और लक्षद्वीप।

### नागरिकता

संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एक तथा समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जो संविधान के लागू होने के दिन (26 जनवरी 1950 को) भारत का अधिवासी था और (क) भारत में पैदा हुआ था, या (ख)

1. 11 फरवरी 1987 को जारी किए गए असाधारण राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 20 फरवरी 1987 से राज्य का दर्जा दे दिया गया।

जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ था, या (ग) जो उस तारीख से ठीक पहले सामान्यतया कम-से-कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा था। पाकिस्तान से भाए व्यक्तियों और विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 में, जो संविधान के उपबंधों को अनुपूरित करता है, यह व्यवस्था की गई है कि जन्म, बंशक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के सम्मिलित हो जाने से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि नागरिकता परित्याग, समाप्ति तथा बंचन द्वारा छीनी जा सकती है।

### मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, कुछ मूलभूत स्वतन्त्रताओं की व्यवस्था की गई है। संविधान में मोटे-तौर पर छः प्रकार की स्वतंत्रताओं की मूल अधिकारों के रूप में सुरक्षा दी गई है, इनकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। ये मौलिक अधिकार हैं : (1) समानता का अधिकार : कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल, बंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोजगार के लिए अवसर की समानता; (2) विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार; शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने, संस्था या संघ बनाने, भारत में सर्वत्र घाने-जाने, भारत के किसी भाग में रहने तथा कोई वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के अधीन हैं); (3) शोषण से रक्षा का अधिकार : इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के बलात् श्रम, बालश्रम और व्यक्तियों के क्रय-विक्रय को अवैध करार दिया गया है; (4) अन्तःकरण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, तदनुकूल आचरण करने और उनका प्रचार करने की स्वतन्त्रता का अधिकार; (5) अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण करने तथा अपनी पसन्द की शिक्षा प्राप्त करने एवं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार और (6) मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

### मूलभूत कर्तव्य

सन् 1976 में पारित संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत, नागरिकों के दस मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अन्य बातों के अलावा इसमें कहा गया है कि नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुसरण करे, देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर देश-सेवा में जुट जाए और धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भिन्नताओं को भूल कर सामंजस्य और भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा दे।

### धर्म के नीति निर्देशक सिद्धांत

संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराये जा सकते, तथापि वे 'देश के शासन में मूलभूत आधार हैं और 'सरकार' का यह कर्तव्य है कि कानून बनाते समय वह इन सिद्धांतों का उपयोग करे।' उनमें कहा गया है, कि "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की प्रभावी रूप

स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो।" सरकार ऐसी नीति का निर्देश करेगी जो सभी स्त्री-पुरुषों को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट तथा समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान भुगतान की व्यवस्था करे, अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के अनुसार सब को काम और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलाए और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व अपाहिजपन या अनधिकार अभाव के प्रत्येक मामले में सब को वित्तीय सहायता दे। सरकार श्रमिकों के लिए निर्वाह-वेतन, कार्य की मानवोचित दशाओं, रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा उद्योगों के प्रवन्ध में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए प्रयत्न करेगी।

आर्थिक-क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति ऐसे कारगर ढंग से लागू करनी चाहिए, जिससे कि समाज के भौतिक संसाधनों पर अधिकार और उन पर नियंत्रण का लोगों के बीच इस प्रकार वितरण हो कि वह सब लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हों और जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि आर्थिक व्यवस्था को लागू करने के परिणामस्वरूप सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध घन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित नहीं होंगे।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत हैं बच्चों के स्वस्थ वातावरण में विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना; 14 वर्ष तक की अवस्था के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों का गठन, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके सम्पूर्ण देश के लिए समान नागरिक कानून को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना; समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करना, पर्यावरण की सुरक्षा और विकास, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा; राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की शर्तों के प्रति कृतज्ञता व अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को बढ़ावा देना।

## संघ

कार्यपालिका

संघीय कार्यपालिका के अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति की सलाह देती है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मण्डल के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों के बीच आपस में समानता तथा राज्यों और संघ के बीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्त्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का तथा लोक सभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्य-काल 5 वर्ष का होता है वह इस पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। उसे संविधान

के अनुच्छेद 61 में निहित कार्यविधि के अनुसार राष्ट्रपति-पद से हटाया जा सकता है। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित स्वरूप में लिखित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है।

कार्यपालिका के सभी अधिकार राष्ट्रपति में निहित हैं। वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करता है। रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने, उसमें भाग लेने और उसे सन्देश भेजने, लोक सभा को भंग करने, दोनों सदनों के अधिवेशन काल को छोड़कर किसी भी समय अध्यादेश जारी करने वित्तीय तथा धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सिफारिश करने तथा विधेयको को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान देने, दण्ड रोकने अथवा उसमें कमी या परिवर्तन करने आदि के अधिकार प्राप्त हैं। किसी राज्य में नैतिक व्यवस्था के अस्तित्व हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के सम्पूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विश्वास हो जाए कि कोई ऐसा संकट विद्यमान है जिससे भारत को अथवा उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, चाहे यह खतरा युद्ध अथवा बालू आक्रमण के कारण या विद्रोह के कारण हो, तो वह देश में आशातस्थिति की घोषणा कर सकता है।

### उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक सक्रमणीय मत द्वारा एक निर्वाचक मण्डल के सदस्य करते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-से-कम 35 वर्ष की आयु का और राज्य सभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह इस पद के लिए पुनः चुना जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 67 (ख) में निहित कार्य-विधि द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जब राष्ट्रपति बीमारी, या अन्य किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो या जब राष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग अथवा पद से हटाए जाने के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तब उसे राष्ट्रपति के चुने जाने तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बन्द कर देता है।

### मंत्रिपरिषद्

कार्य-संबालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। मंत्रिपरिषद् संयुक्त रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह भारत-संघ के कार्यों के प्रशासन के सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद् के निर्णयों, तथा कानून बनाने के प्रस्तावों तथा उनसे सम्बन्धित आवश्यकियों से राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे।

मंत्रिपरिषद् में तीन तरह के मंत्री होते हैं : (1) वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, (2) राज्यमंत्री (जो विभाग का स्वतंत्र रूप में कार्यभार संभाले हुए हों), (3) राज्यमंत्री तथा उपमंत्री।

## प्रशासनिक ढांचा

राष्ट्रपति ने सरकार के कार्य को मंत्रियों के बीच बांटने और सुविधापूर्वक चलाने के लिए संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 1961 बनाया है। सरकार का कार्य मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों तथा इस नियम में उल्लिखित कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य का बंटवारा करता है। वह एक मंत्रालय या उसके किसी भाग या एक से अधिक मंत्रालयों को किसी मंत्री के प्रभार में सौंपता है। प्रायः राज्यमंत्री मंत्रिमण्डलीय मंत्री की सहायता करते हैं।

सामान्यतः मंत्री को नीति और सामान्य प्रशासन के संबंध में परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक अधिकारी होता है, जो भारत सरकार के सचिव का पद ग्रहण करता है।

## मंत्रीमंडलीय सचिवालय

मंत्रीमंडलीय सचिवालय उच्चतम स्तर पर लिये जाने वाले निर्णयों की प्रक्रिया में समन्वय करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम करता है। इसके कार्यों में मंत्रीमंडल और उसकी समितियों के समक्ष मामले प्रस्तुत करना, उन पर लिए गए निर्णयों के रिकार्ड तैयार करना और उन पर अमल के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही करना शामिल है। यह सचिवों की समितियों के कार्य भी करता है। इसकी बैठकें मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में उन समस्याओं पर विचार करने और परामर्श देने के लिए समय-समय पर होती रहती हैं, जिन पर मंत्रालयों के बीच परस्पर परामर्श और समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य सम्बन्धी नियम बनाता है और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति से सरकार के कार्यों का मंत्रालयों और विभागों में आवंटन करता है। यह विभाग प्रत्येक मंत्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में समय-समय पर उनसे सामयिक सार और टिप्पणियां मंगवाता है और उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के पास भेजता है।

योजना आयोग के सदस्य प्रो० एम० जी० के० मेनन की अध्यक्षता में एक समिति, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय के अन्तर्गत 6 सितम्बर 1983 से कार्य कर रही है। टेक्नोलाजी नीति वक्तव्य में उल्लिखित टेक्नोलाजी नीति के क्रियान्वयन के तौर तरीके तय करना और उसकी प्रगति पर नजर रखना, इस समिति का कार्य है।

प्रारम्भ में 21 मार्च 1983 को वृष्णचन्द्र पंत की अध्यक्षता में ऊर्जा पर दो वर्षों के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। इस अवधि में बोर्ड ने दो बार सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें उन मुद्दों से संबंधित थीं जिन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना अत्यवश्यक था। इनमें सातवीं योजना में ऊर्जा-क्षेत्र के लिए मध्यम नीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

इस बोर्ड का 1 जुलाई 1985 को तीन वर्षों के लिये पुनर्गठन किया गया। इसके अध्यक्ष श्री वी० वी० वोहरा हैं। इससे 12 अन्य सदस्य हैं। यह बोर्ड ऊर्जा की स्थिति की लगातार समीक्षा करेगा और समेकित व समन्वित आधार पर भविष्य में ऊर्जा स्रोतों के विकल्पों की सिफारिश करेगा। ऊर्जा के वाणिज्यिक और

गैर-वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में बड़े समेकित ऊर्जा नीति बनाएगा और सभी क्षेत्रों में मांग और पूर्ति की व्यवस्था के व्यावहारिक प्रबन्ध करेगा। साथ ही सभी क्षेत्रों में, तत्संबंधी कार्य की जानकारी भी हासिल करेगा।

भोपाल गैस रिसाव में जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन जारी रखने के लिए डा० सी० आर० कृष्णामूर्ति की अध्यक्षता में अगस्त 1985 में एक वैज्ञानिक आयोग का गठन किया गया है जिसके चार अंशकालिक सदस्य हैं। इस आयोग का कार्यकाल दो वर्ष का है। यह मंत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

विदेश मंत्रालय में नीति-आयोजन समिति के स्थान पर श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय सचिवालय में अप्रैल 1986 में एक 'नीति परामर्श-दात्री समिति' गठित की गई है। इस समिति के कार्य इस प्रकार हैं:

(1) भारत के विश्व संबंधी दृष्टिकोण को विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करना, मुख्य कार्यकलापों का जायजा लेना तथा यह देखना कि हमारे प्रत्युत्तर उद्देश्यपूर्ण एवं सम्पूर्ण राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत हों।

(2) संभावित संकटमय स्थितियों का समय-समय पर मूल्यांकन करना, ताकि नीति-निर्माण के समय ही संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान किया जा सके।

सरकार की नागरिक सेवाओं और पदों पर भर्ती करने के लिए संविधान के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

आयोग की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा आयोग के अध्यक्ष पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ का कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। आयोग का सदस्य उस आयोग के या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु अन्य किसी सरकारी नौकरी में नहीं।

1 मार्च 1986 को आयोग के अध्यक्ष और सदस्य इस प्रकार थे:

अध्यक्ष : एच० के० एल० कपूर

सदस्य : जमबन्त राय बंसल; ए० के० वडशी; अन्तुन हमीद; के० बैकट रमैया; एस० समादार; जगदीश राजन, जगदीश प्रकाश गुप्ता, आर० आर० कामा-सामी और गुरिन्द्र नाथ।

### कर्मचारी चयन आयोग

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1 जुलाई 1978 को एक 'अधीनस्थ सेवा आयोग' का गठन किया गया। 26 सितम्बर 1977 को इसका नाम बदल कर कर्मचारी चयन आयोग रखा गया। इसका मुख्य कार्य सरकार के विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में गैर-लकड़ीय पदों के लिए छीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की (उन पदों को छोड़कर जिनके लिए रेल सेवा आयोग या औद्योगिक प्रतिष्ठान कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करते हैं) भर्ती करना है। आयोग का मुख्यालय और इसके उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय नयी दिल्ली में है। मध्य, पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी, पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कार्यालय क्रमशः इलाहाबाद, बम्बई, गुवाहाटी, कनकपुर

और मद्रास में है। रायपुर में इसका उपकेन्द्रीय कार्यालय है। 23 जुलाई, 1985 से श्री एस०मित्तल इस आयोग के अध्यक्ष हैं।

**अखिल भारतीय सेवाएं**

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत आरम्भ की गई थीं। 1963 के अधिनियम, में संशोधन कर तीन अन्य अखिल भारतीय सेवाएं—भारतीय अभियंता सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा शामिल की गई। 1 जुलाई 1966 से भारतीय वन सेवा प्रारम्भ की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा का नियंत्रण कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा भारतीय पुलिस सेवा का नियंत्रण गृह मंत्रालय करता है। भारतीय वन सेवा का नियंत्रण वन तथा वन्य-जीवन विभाग करता है।

**केन्द्रीय सेवाएं**

केन्द्र सरकार की नागरिक सेवाएं चार वर्गों में संगठित हैं : वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग तथा वर्ग घ। यह वर्गीकरण पदों के लिए निर्धारित वेतनमानों के आधार पर किया गया है।

**नियंत्रक तथा लेखानियन्ता और महालेखा परीक्षक**

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसको पद से हटाने के लिए वही कारण और कार्यविधि अपनायी जाती है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। अपने पद से हटने के बाद वह संघ या किसी राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे-जोखे के लिए प्रपत्र निर्धारित करता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के लेखे-जोखे की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजता है, जो संसद और राज्यों के विधान-मंडलों में प्रस्तुत की जाती है।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, अधिकार और सेवा सम्बन्धी शर्तें 1971 में बनाए गए कानून (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम) द्वारा निश्चित की गई हैं।

**राजभाषा**

संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी संघ की राजभाषा है। सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप अपनाया गया है। संविधान में यह व्यवस्था भी की गई कि 25 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा और बाद में इस विषय पर संसद में पुनर्विचार किया जाएगा। राजभाषा अधिनियम, 1963 को संशोधित कर यह व्यवस्था की गई कि हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का उपयोग सभी सरकारी कार्यों तथा संसद की कार्यवाही के लिए जारी रहेगा। इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि जिस राज्य ने हिन्दी भाषा को सरकारी कार्य के लिए नहीं अपनाया है, उस राज्य व संघ का आपसी पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में ही किया जाएगा। इन राज्यों को संघ से या उस राज्य से, जिसने हिन्दी को सरकारी कार्य के लिए अपनाया है, हिन्दी में आपसी पत्र-व्यवहार करने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कुछ विशेष

कार्यों जैसे प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेस-वित्तित्ति, प्रशासकीय रिपोर्ट, लाइसेंस, परमिट, संविधा और समझौतों आदि में अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं का प्रयोग होना आवश्यक है।

इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सरकार द्वारा राजभाषा नियम, 1976 (संघ के सरकारी कार्यों के लिए) बनाए गए हैं, जो सरकार की सरकारी राजभाषा नीति के क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्देशों को दर्शाते हैं। इन नियमों की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

(1) ये नियम केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों, जिनमें विगम एवं कम्पनियाँ सम्मिलित हैं, जो सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, या उसकी अपनी हैं, पर लागू होते हैं।

(2) केन्द्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' (जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तथा दिल्ली शामिल हैं) के अन्तर्गत राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश से या इन राज्यों में या केन्द्र शासित प्रदेशों में किसी व्यक्ति से पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाएगा।

(3) केन्द्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ख' (इसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं) के राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को पत्र-व्यवहार साधारणतः हिन्दी में होना चाहिए। परन्तु किसी भी व्यक्ति से पत्र-व्यवहार हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में किया जा सकता है।

(4) केन्द्र सरकार के कार्यालय से अन्य किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश या ऐसे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश [उपरोक्त (2) और (3) को छोड़ कर] में रहने वाले किसी व्यक्ति से पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा।

(5) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों का आपसी पत्र-व्यवहार हिन्दी अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा में किया जा सकता है।

(6) किसी मंत्रालय या विभाग का, केन्द्र सरकार के क्षेत्र 'क' में स्थित किसी सम्बद्ध या अवीनस्य कार्यालय से पत्र-व्यवहार हिन्दी में होगा, जो केन्द्र सरकार द्वारा समझ-समझ पर निर्धारित किए गए अनुपात के अनुसार होना चाहिए (इस समय यह अनुपात 80 प्रतिशत है)। क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों का आरसी पत्र-व्यवहार केवल हिन्दी में होना चाहिए।

(7) जो पत्र-व्यवहार हिन्दी में प्राप्त हो उन सभी का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। इसी तरह जब कभी हिन्दी में लिखा या हस्ताक्षरित कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन आए तो उसका उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए।

(8) केन्द्र सरकार का कोई भी कर्मचारी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अपनी फाइल एवं बैंठरू की कार्यवाही का विवरण, अन्य किसी भाषा में अनुवाद किए बिना, लिखने के लिए स्वतंत्र है।

(9) केन्द्र सरकार की कार्यालय संहिता तथा अन्य कार्य पद्धति सम्बन्धी सामग्री हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी होनी चाहिए। सभी किस्म के प्रपत्तों, रजिस्ट्रों के शीर्षक, नामपट्ट, सूचनापट्ट, तथा अन्य विभिन्न लेखन सामग्री, पर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में लिखा जाएगा।



सारणी 3.1

लोक सभा और उसके अध्यक्ष

लोक सभा	मध्यक्ष	नाम	से	तक
गठन के पश्चात की प्रथम बैठक	संग होने की तिथि			
प्रथम लोक सभा	13 मई 1952	4 अप्रैल, 1957 <sup>2</sup>	गणेश वसुदेव मावलंकर (1888-1956) एम० अनंत शयनम् श्रायंगर (1891-1978)	15 मई 1952 27 फरवरी 1956 <sup>3</sup>
दूसरी लोक सभा	10 मई 1957	31 मार्च 1962 <sup>4</sup>	एम० अनंत शयनम् श्रायंगर	8 मार्च 1956 10 मई 1957
तीसरी लोक सभा	16 अप्रैल 1962	3 मार्च 1967 <sup>5</sup>	हुसूम सिंह (1895-1983)	11 मई 1957 16 अप्रैल 1962
चौथी लोक सभा	16 मार्च 1967	27 दिसम्बर 1970 <sup>6</sup>	नीलम संजीव रेड्डी डा० गुरदियाल सिंह डिल्लो	17 अप्रैल 1962 16 मार्च 1967 17 मार्च 1967 19 जुलाई 1969 <sup>7</sup> 8 अगस्त 1969 19 मार्च 1971

## सोक सभा अध्यक्ष

गठन के परबात् की प्रथम बैठक संग होने की तिथि नाम से तक

पांचवीं सोक सभा	19 मार्च 1971	18 जनवरी 1978	गुरदिपाल सिंह बिल्लौं बलि राम मगत	22 मार्च 1971 5 जनवरी 1976	1 दिसम्बर 1975 <sup>9</sup> 25 मार्च 1977
छठीं सोक सभा	25 मार्च 1977	22 अगस्त 1979 <sup>10</sup>	नीलम संजीव रेड्डी के० एस० हेगड़े	26 मार्च 1977 21 जुलाई 1977	13 जुलाई 1977 <sup>11</sup> 21 जनवरी 1980
सातवीं सोक सभा	21 जनवरी 1980	31 दिसम्बर 1984 <sup>12</sup>	वसन्तम जाखड़	22 जनवरी 1980	15 जनवरी 1985
आठवीं सोक सभा	15 जनवरी 1985	—	बलराम जाखड़	16 जनवरी 1985	अव तक

1. संविधान के अनुच्छेद 94 के अन्तर्गत, सोक सभा के संग हो जाने पर अध्यक्ष बनना पद नई सोक सभा की प्रथम बैठक होने तक नहीं छोड़ता।
2. अपने सामान्य कार्यकाल से 38 दिन पूर्व ही संग हो गई।
3. मृत्यु हो गई।
4. अपने सामान्य कार्यकाल से 40 दिन पहले ही संग हो गई।
5. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 44 दिन पूर्व ही संग हो गई।
6. अपने कार्यकाल की समाप्ति से एक वर्ष 79 दिन पूर्व ही संग हो गई।
7. त्यागपत्र दे दिया।
8. सोक सभा का कार्यकाल जो कि 18 मार्च 1976 को समाप्त होना था (मालाबधि विस्तार) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सोक सभा द्वारा 1 वर्ष के लिए 18 मार्च 1977 तक बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम में संशोधन के परबात् सोक सभा कार्यकाल पुनः 18 मार्च 1978 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तंत्रित 6 वर्ष 10 महीने 6 दिन अतिरिक्त में रहने के परबात् सदन को संग कर दिया गया।
9. त्यागपत्र दे दिया।
10. 2 वर्ष 4 महीने 28 दिन अतिरिक्त में रहने के बाद सदन को संग कर दिया गया।
11. त्यागपत्र दे दिया।
12. अपने कार्यकाल की समाप्ति से 20 दिन पूर्व ही संग हो गई।

(10) हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हस्ताक्षरित विशेष प्रलेख हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी हों जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 3(3) में है।

(11) केन्द्र सरकार के प्रत्येक प्रशासकीय उच्चाधिकारी को यह जिम्मेदारी है कि वह इन अधिनियमों व नियमों का पालन ठीक ढंग से तथा इस कार्य का निरीक्षण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करे।

सरकार की सामान्य नीति है कि संघ को सरकारी भाषा के रूप में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दें और हिन्दी केन्द्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों में परस्पर सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो।

गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकार की सरकारी भाषा नीति का कार्यान्वयन करे और सरकार की ओर से विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की गतिविधियों को समन्वित करे इसके कार्य इस प्रकार हैं: (1) राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को क्रियान्वित करना [अन्य विभागों को सौंपे गए कार्यों (राजभाषा संबंधी) को छोड़कर]; (2) उच्च न्यायलय में अंग्रेजी के सिवा अन्य किसी भाषा के सीमित प्रयोग को अधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वा-नुमति प्राप्त करना; (3) राजभाषा के रूप में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग की मुख्य जिम्मेदारी—जिसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण और पत्रिकाओं, अखबारों तथा संबंधित साहित्य का प्रकाशन शामिल है; (4) राजभाषा के रूप में हिन्दी के अधिक प्रयोग से संबंधित सभी मामलों का समन्वय जिसमें प्रशासकीय शब्दावली, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य सामग्री (मानकीकृत लिपि में) शामिल हैं; (5) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का संवर्ग प्रबंधन तथा गठन करना; (6) केन्द्रीय हिन्दी समिति तथा उपसमिति से संबंधित मामले; (7) विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा स्थापित हिन्दी सलाहकार समितियों के कार्य का समन्वय करना; (8) और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइप, हिन्दी आशुलिपिक में पूर्णकालीन प्रशिक्षण देने के लिए अभी हाल में इसके द्वारा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

### विधानमंडल

केन्द्रीय विधानमण्डल में, जिसे 'संसद' कहते हैं, राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदन सम्मिलित हैं, जो राज्य सभा और लोक सभा के नाम से जाने जाते हैं। संसद के प्रत्येक सदन को अपनी बैठक पिछली बैठक के छः महीने के भीतर करनी होती है। कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक भी की जा सकती है।

### राज्य सभा

भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्य सभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे जिनमें से 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के कारण राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। शेष सदस्य राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। राज्य सभा के लिए निर्वाचन

प्रत्यक्ष होता है। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, सम्बन्धित राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मत से किया जाता है। केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार चुने जाते हैं। राज्य सभा कर्मी भी भंग नहीं होती। हर दो साल बाद इसके एक-तिहाई सदस्य सेवा निवृत्त होते रहते हैं।

इस समय राज्य सभा में 244 सदस्य हैं। इनमें से 232 सदस्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज-सेवा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामशुद्ध किये गये हैं।

लोक सभा

लोक सभा के सदस्यों का चुनाव बयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इन समय संबन्धित संविधान द्वारा लोक सभा की अधिकतम संख्या 547 रखी गई है—इसमें से 525 सदस्य राज्यों, 20 सदस्य केन्द्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अधिकतम दो सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय का (यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में इस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है) प्रतिनिधित्व करेंगे। लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या का राज्यवार निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि जहां तक व्यावहारिक हो, प्रत्येक राज्य के लिए नियत लोकसभा की सीटों और उनकी जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक समान हो।

वर्तमान लोक सभा में 544 सदस्य हैं। इसमें 525 सदस्य 22 राज्यों से और 17 सदस्य नौ केन्द्र शासित प्रदेशों से सीधे निर्वाचित हैं। राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए गए हैं।

प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों की संख्या, इस प्रकार नियत की गई है कि स्थानों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच अनुपात, जहां तक व्यवहार्य है, समान हो। वर्तमान लोक सभा में स्थानों की राज्यवार संख्या 1971 में की गई मतगणना के आधार पर तथा संविधान के 42वें संशोधन (1976) के अंतर्गत निर्धारित की गई है। अब तक सन् 2000 के बाद प्रथम मतगणना नहीं हो जाती, तब तक यह निर्धारण इसी आधार पर होता रहेगा। लोक सभा की अवधि उसके पहली बैठक की नियत तिथि से पांच वर्ष के लिए होती है, बशर्ते कि वह पहले भंग न कर दी जाये। वैसे आपातकाल की स्थिति में यह अवधि संसद द्वारा कानून पारित करके बढ़ायी जा सकती है किन्तु एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं और आपात काल की घोषणा की समाप्ति के बाद किसी भी अवस्था में छ' महीने से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती। अभी तक आठ लोक सभाएं गठित की गई हैं। सारणी 3.1 में प्रत्येक लोक सभा तथा उसके अध्यक्षों का कार्यकाल दर्शाया गया है।

सारणी 3, 2 में संसद के दोनों सदनों में स्थानों का राज्यवार नियतन और लोक सभा में राजनीतिक दलों की स्थिति दी गई है। आठवीं लोकसभा के सदस्यों के नाम, उनके निर्वाचन क्षेत्र तथा उनको पार्टी का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

संसद की सदस्यता के लिए शर्तें

संसद का सदस्य चुने जाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्य सभा के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष तथा लोक सभा के लिए कम से



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. मेधासय . . . . .	1	2	2	—	—	—	—	2	—
14. नागलैंड . . . . .	1	1	1	—	—	—	—	1	—
15. उड़ीसा . . . . .	10	21	20	—	—	1 <sup>9</sup>	—	21	—
16. पंजाब . . . . .	7	13	6	—	—	7 <sup>10</sup>	—	13	—
17. राजस्थान . . . . .	10	35	24	—	—	—	—	24 <sup>14</sup>	—
18. सिक्किम . . . . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—
19. तमिलनाडु . . . . .	18	39	25	—	—	—	1	1	—
20. बिपुरा . . . . .	1	2	—	—	—	13 <sup>11</sup>	1	39	—
21. उत्तर प्रदेश . . . . .	34	85	83	—	2	—	—	2	—
22. पश्चिम बंगाल . . . . .	16	42	16	—	—	2 <sup>12</sup>	—	85	—
केन्द्र शासित प्रदेश					18	8 <sup>13</sup>	—	42	—

1. अंदमान और निकोबार  
दीप समूह

2. प्रकणाचल प्रदेश

3. चंडीगढ़

4. शारदा तथा नागर हवेली

5. दिल्ली

6. गोवा, दमन और दीव

7. लक्षद्वीप

8. मिजोरम

	—	1	1	—	—	—	—	1	—
	1	2	2	—	—	—	—	2	—
	—	1	1	—	—	—	—	1	—
	—	1	—	—	—	—	1	1	—
	3	7	7	—	—	—	1	1	—
	—	2	2	—	—	—	—	7	—
	—	1	1	—	—	—	—	2	—
	1	1	1	—	—	—	—	1	—
	1	1	1	—	—	—	—	1	—



कम 25 वर्षे होने चाहिए। इसके प्रतिरिक्त अन्य महत्ताएं संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जा सकती हैं।

**संसद के मुख्य कार्य और अधिकार**

संसद का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना और सरकार को राज्य की सेवाओं के लिए धन उपलब्ध कराना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को उनके पदों से हटाने का अधिकार प्राप्त है।

प्रत्येक कानून के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है किन्तु वित्त विधेयक के बारे में लोक सभा की इच्छा प्रन्तिम होती है। प्रत्यायुक्त विधान की भी संसद पुनरीक्षा कर सकती है तथा उस पर नियंत्रण रख सकती है। वित्त संबंधी सभी कानूनों की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, केवल लोक सभा को ही सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांगों पर मत देने का अधिकार प्राप्त है। संकटकालीन स्थिति में तथा संविधान में निर्दिष्ट कुछ अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों में संसद को राज्य-सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उन कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें कम-से-कम आधे राज्य विधान-मण्डलों का समय-समय आवश्यक है, संविधान में संगोपन करने का अधिकार भी मुख्य रूप से संसद को ही है। वर्ष 1985 के दौरान संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सूची सारणी 26.2 (अध्याय न्याय और विधि) में दी गई है।

**संसदीय समितियां**

अन्य देशों की तरह भारत में भी संसद न केवल विभिन्न प्रकार के कार्य करती है बल्कि इसके पास काम की भी अधिकता रहती है। चूंकि इसके पास समय बहुत कम होता है इसलिए इसके समक्ष प्रस्तुत सभी विधायी या अन्य मामलों पर यह गहन विचार नहीं कर सकती। अतः इसका बहुत-सा कार्य समितियों द्वारा ही निष्पादित होता है :

संसद के दोनों सदनों की समितियों की संरचना (कुछ अपवादों को छोड़कर) एक जैसी है। इन समितियों में नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं कार्य-संचालन की प्रक्रिया कुल मिलाकर एक-ही ही है और ये संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अन्तर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित-नियमों की धाराओं के तहत अधिनियमित होती हैं।

सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती हैं—स्वायत्त समितियां और तदर्थ समितियां। स्वायत्त समितियां प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वाचित या नियुक्त की जाती हैं और इनका काम कमीशन निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है, तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपने रिपोर्ट पेश कर देने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं।

स्वायत्त समितियां : लोक सभा की स्वायत्त समितियों में तीन वित्तीय समितियां—लोक सेवा समिति, प्राकलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति—को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये सरकारी खर्च और सरकारी काम पर नजर रखती हैं। लोक सभा समिति और सरकारी उपक्रम समिति में राज्य सभा के सदस्य होते हैं जबकि प्राकलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इन समितियों का



निरन्तर-प्रकृति का होता है। समितियां प्रश्नावलियों, प्रतिनिधिक गैर सरकारी संगठनों और सुविन्न व्यक्तियों के स्मरणपत्रों, संगठनों का मौके पर अध्ययन तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी साक्षियों के मौखिक साक्ष्यों के द्वारा जानकारी एकत्रित करती हैं।

प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में विहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्य-कृशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह इस बात की भी जांच करती है कि घन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही ध्यय किया गया है या नहीं। समिति इस बारे में भी सुझाव देती है कि प्राक्कलन संसद में किस रूप में पेश किया जाए। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि धरकारी घन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्च हो। यह अपव्यय, हानि और निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान दिलाती है। सरकारी उपक्रम समिति कुछ निर्धारित सरकारी उपक्रमों की रिपोर्टों, लेखों और उन पर लेखा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की, यदि कोई हो तो, जांच करती है। यह इस बात की भी जांच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं या नहीं तथा उनका प्रबंध ठोस व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनकी सिफारिशों पर सरकार समुचित ध्यान दे, इन समितियों के पास पर्याप्त आधार है। सरकार एवं समितियों के मध्य मतभेदों और इनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति का उल्लेख, समय-समय पर सदन को प्रस्तुत की जाने वाली 'कार्यवाही रिपोर्ट' में किया जाता है।

प्रत्येक सदन में अन्य स्थायी समितियां अपने कार्यानुसार इस प्रकार विभाजित हैं:

### (1) जांच समितियां

- (क) याचिका समिति याचिकाओं तथा जनहित संबंधी मामलों की जांच करती है एवं संबंधी विषयों से संबंधित मामलों पर अभिवेदन प्राप्त करती है ;
- (ख) विशेषाधिकार समिति सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए विशेषाधिकार के किसी भी मामले की जांच करती है।

### (2) संवीक्षण समितियां

- (क) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति : यह समिति मंत्रियों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों, वायदों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है।
- (ख) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति : यह इस बात की जांच करती है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों, उप नियमों, तथा निर्माण संबंधी शक्तियों का अधिकारीगण उचित प्रयोग करते हैं। वह इसकी सूचना सदन को देती है।

(ग) पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति : यह समिति वैधानिक अधिसूचनाओं व आदेशों, जो कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कार्यक्षेत्र में आते हैं, से भिन्न, मंत्रियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कागजातों की जांच करती है और देखती है कि किसी अधिनियम, नियम या विनियम के तहत कागजात प्रस्तुत करते हुए संविधान की धाराओं का पालन हुआ है या नहीं।

(3) सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समितियाँ

(क) कार्य मंत्रणा समिति : यह सदन में पेश किये जाने वाले सरकारी एवं अन्य मामलों के लिए समय-निर्धारण की सिफारिश करती है ;

(ख) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी समिति : यह समिति गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों का वर्गीकरण एवं उनके लिए समय निर्धारण करती है, गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहुस के लिए समय की सिफारिश करती है और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले उसकी जांच करती है। राज्यसभा में इस प्रकार की समिति नहीं होती। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति ही गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं प्रस्तावों की स्थिति पर बहुस के लिए समय निर्धारण की सिफारिश करती है ;

(ग) नियम समिति : यह सदन में कार्यप्रणाली और संचालन से सम्बन्धित मामलों पर विचार करती है और नियम प्रणाली में किसी संशोधन या संयोजन की सिफारिश करती है, और

(घ) सभा की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों संबंधी समिति . यह सदन की बैठकों में अनुपस्थित सदस्यों की छुट्टी के आवेदन पत्रों पर विचार करती है। राज्यसभा में इस प्रकार की कोई समिति नहीं होती। सदस्यों द्वारा अनुपस्थिति के लिए अनुमति संबंधी आवेदन-पत्रों पर सदन स्वयं ही विचार करता है।

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति : इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी मामलों पर विचार करती है और इस बात पर नजर रखती है कि उन्हें जो संवैधानिक संरक्षण दिये गए हैं, वे ठीक से कार्यान्वित हो रहे हैं या नहीं।

(5) सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करने संबंधी समितियाँ :

(क) सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति : यह समिति सदन से संबंधित ऐसे मामलों पर विचार करती है जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते तथा अध्यक्ष को उस बारे में सलाह देती है; और

(ख) आवास समिति : यह सदस्यों के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है।

(6) **संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधी संयुक्त समिति** : यह संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन गठित की गई है। संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन सम्बन्धी नियम बनाने के अतिरिक्त यह उनके चिकित्सा, आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन-क्षेत्र एवं सचिवालय संबंधी सुविधाओं के संबंध में नियम बनाती है।

(7) **लाल के पदों संबंधी संयुक्त समिति** : यह केन्द्र, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियुक्त बोर्डों एवं अन्य निकायों की संरचना और स्वरूप की जांच करती है और यह सिफारिश करती है कि कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य बनाते हैं; और

(8) **पुस्तकालय समिति** : इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह संसद के पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है।

**तदर्थ समितियां** : ऐसी समितियां दो शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत की जा सकती हैं (क) किसी विचाराधीन प्रस्ताव पर संसद के किसी सदस्य द्वारा या अध्यक्ष द्वारा किसी विशिष्ट विषय (उदाहरणतः राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप संबंधी समिति इत्यादि) की जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर गठित की गई समितियों, तथा (ख) विशेष विधेयकों पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त पंच एवं संयुक्त समितियां। जहां तक विधेयकों से संबंधित सवाल है, ये समितियां अन्य तदर्थ समितियों से भिन्न हैं और इनके द्वारा पालित प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष/चेयरमैन के निर्देश तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया गया है।

सरकारी कार्य,  
की आयोजना

संसदीय कार्य मंत्रालय को लोक सभा और राज्य सभा में विधायी और गैर-विधायी दोनों प्रकार के सरकारी कार्य को समन्वित करने, उनकी योजना बनाने और तत्संबंधी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यह संसद में चर्चा के लिए आने वाले महत्वपूर्ण विषयों के लिए दोनों सभाओं में समय निर्धारण के संबंध में विपक्षी दलों और समूहों के नेताओं से उनके विचार जानने के लिए सम्पर्क करता है। राष्ट्रीय समस्याओं पर विपक्ष के नेताओं के विचार जानने के उद्देश्य से यह प्रधानमंत्री और/अथवा संबंधित मंत्रियों के साथ उनकी बैठकों की व्यवस्था भी करता है।

संसदीय  
विशेषाधिकार

संविधान ने संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की है। संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद अथवा उसकी समितियों में कही गई किसी बात अथवा दिए गए किसी मत के लिए किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अन्य बातों के संबंध में संसद की प्रत्येक सभा और उसके सदस्यों तथा उनकी समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जो संसद द्वारा कानूनन समय-समय पर परिभाषित की जाएंगी और जब तक वे परिभाषित नहीं कर दी जातीं तब तक वे वही रहेंगी जो 20 जून 1979 के तत्काल पूर्व उस सदन और उसके सदस्यों तथा समितियों की थीं।

संसद में विपक्ष के नेता

संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य-सभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को कानूनी मान्यता दी गयी है। उन्हें वेतन और कतिपय सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि वे संसद में अपना कार्य कर सकें। इसके लिए अगस्त 1977 में संसद द्वारा आवश्यक विधान पारित किया गया। यह अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियम 1 नवम्बर 1977 से लागू किए गये।

किन्तु छाठवीं लोकसभा में अब तक किसी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकी है क्योंकि विपक्ष के किसी समूह (ग्रुप) के सदस्य सभा में अपेक्षित संख्या में नहीं हैं। राज्य सभा में भी यही स्थिति है।

सलाहकार समितियाँ

संसदीय कार्य मंत्रालय, सलाहकार समितियों का गठन करता है। इनमें ससद की दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। इनका उद्देश्य मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा अधिकारियों का आपसी सम्पर्क बढ़ाना तथा विचार-विमर्श के जरिये सरकारी नीतियों और लोक प्रशासन के सिद्धान्तों, समस्याओं और कार्यक्रम से सदस्यों को परिचित कराना है। प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक ऐसी समिति है।

आश्वासनों का क्रियान्वयन

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद की दोनों सभाओं की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वायदों, वचनों आदि को छाट कर उन्हें संबन्धित मंत्रालयों/विभागों को क्रियान्वयन के लिए भेजता है। संबन्धित मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक जानकारी एकत्र करके तथा उनकी समुचित जांच करने के बाद संसदीय कार्य मंत्री द्वारा समय-समय पर सभाओं के पटल पर आश्वासनों के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण रखे जाते हैं।

युवा संसद

युवा संसद की योजना, जो सचेतकों के चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन की सिफारिशों पर आरंभ की गयी थी, का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन और सहनशीलता की भावना भरने, उनका चरित्र निर्माण करने, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने, अनुशासन तथा दूसरों के विचारों के प्रति सहनशीलता की भावना पैदा करने और युवा पीढ़ी को देश की संसद की प्रक्रियाओं और कार्य व्यवहार से परिचित कराना है।

यह मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देता है। यह मंत्रालय राज्यों/किन्द्र शासित प्रदेशों में प्रधानाचार्यों/अध्यापकों तथा प्रतियोगिता के आयोजकों के लिए 'अनुकूलत पाठ्य-क्रम' चलाता है और मंत्रालय के अधिकारी राज्यों में जाकर वहां युवा संसद के संचालन के लिए सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हैं।



10. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय
  - (क) खाद्य विभाग
  - (ख) नागरिक आपूर्ति विभाग
11. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
  - (क) स्वास्थ्य विभाग
  - (ख) परिवार कल्याण विभाग
12. गृह मंत्रालय
  - (क) आंतरिक सुरक्षा विभाग
  - (ख) राज्य विभाग
  - (ग) राजभाषा विभाग
  - (घ) गृह विभाग
13. मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय
  - (क) शिक्षा विभाग
  - (ख) युवा-कार्य तथा खेल विभाग
  - (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग
  - (घ) कला विभाग
  - (ङ) संस्कृति विभाग
14. उद्योग मंत्रालय
  - (क) औद्योगिक विकास विभाग
  - (ख) कम्पनी कार्य विभाग
  - (ग) रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग
  - (घ) सांख्यिक उद्यम विभाग
15. सूचना और प्रसारण मंत्रालय
16. श्रम मंत्रालय
17. विधि तथा न्याय मंत्रालय
  - (क) विधि-कार्य विभाग
  - (ख) विधायी विभाग
  - (ग) न्याय विभाग
18. संसदीय कार्य मंत्रालय
19. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
  - (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
  - (ख) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग
  - (ग) पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग
20. पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय
21. योजना मंत्रालय
  - (क) योजना विभाग
  - (ख) सांख्यिकी विभाग

22. कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
23. रेल मंत्रालय
24. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
  - (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
  - (ख) वैज्ञानिकी तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग
  - (ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग
25. इस्पात तथा खान मंत्रालय
  - (क) इस्पात विभाग
  - (ख) खान विभाग
26. सड़क परिवहन मंत्रालय
27. कपड़ा मंत्रालय
28. पर्यटन मंत्रालय
29. शहरी विकास मंत्रालय
30. जल संसाधन मंत्रालय
31. कल्याण मंत्रालय
32. परमाणु ऊर्जा विभाग
33. इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
34. महासागर विकास विभाग
35. अन्तरिक्ष विभाग
36. मंत्रिमण्डल सचिवालय
37. राष्ट्रपति का सचिवालय
38. प्रधानमंत्री का कार्यालय
39. योजना आयोग

### प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत

प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग का गठन मार्च, 1985 में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन लोक शिकायत और प्रशासनिक विषयों को मिलाकर किया गया था। प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत के क्षेत्र में यह केन्द्र सरकार की शीर्षस्थ संस्था है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

- (अ) प्रशासनिक सुधार तथा जनता की शिकायतों को दूर करने सम्बन्धी विषयों पर नीतियों का निर्धारण;

- (आ) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संगठनों को प्रबन्ध सलाहकार सेवा उपलब्ध कराना; तथा
- (इ) प्रशासनिक व्यवहार तथा प्रबन्ध की आधुनिक विधियों आदि पर सूचना प्रदान करना।

यह विभाग केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखता है तथा उनसे विचार-विमर्श करता है। विभाग केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सुधार के लिए उठाए गए कदमों को अन्तिम रूप देने का कार्य भी करता है। व्यापक रूप से जनता के सम्पर्क में आने वाले विभागों में विशेष रूप से नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। ये हैं :

- (अ) चार महानगरों में तथा नौ अन्य शहरों के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण; पैसे की वापसी आदि से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए लोक शिकायत कक्ष स्थापित किए गए हैं;
- (आ) नई दिल्ली में सुधार के कई उपाय अपनाए गए हैं तथा केन्द्रीयकृत रेलवे पूछताछ सेवा में सुधार किया गया है;
- (इ) दूर-संचार विभाग में शिकायतों को एक ही स्थान पर निपटाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है;
- (ई) सफरदरजंग तथा डॉ० राममनोहर लोहिया अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शिकायतों को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। लोगों की समस्याओं को तुरन्त निपटाने के लिए इन अस्पतालों में शिकायत निपटान अधिकारी भी नियुक्त किए हैं;
- (उ) राष्ट्रीयकृत बैंकों में जनता की शिकायत के शीघ्र निपटारे के लिए केन्द्रीयकृत ग्राहक सेवा शुरू की गई है;
- (ऊ) आब्रजन से संबंधित मामलों पर संयुक्त सचिव आब्रजक महासंरक्षक तथा उप-आब्रजन अधिकारी ने हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सार्वजनिक मुनवाई की;
- (ए) शिकायतों के निपटारे से संबंधित व्यवस्था को और अधिक कुशल तथा जनोन्मुख बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक शिकायतों की मुनवाई के लिए व्यवस्था की है।

सचिवालय में कार्यक्षमता में सुधार

सचिवालय के काम में और अधिक कुशलता लाने और काम के निपटारे में गुणात्मक सुधार लाने के कई उपाय किए गए हैं। ये हैं: विन्नेन्डीकरण तथा हस्तांतरण, नियमों तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मामलों के निपटारे में आने वाले चरणों को कम करना, मामलों के निपटारे के स्तर तथा माध्यम निर्धारित करना, डेस्क अधिकारी प्रणाली तथा कार्यवार फाइल बनाने



की प्रणाली लागू करना, आवश्यक रिपोर्टों और विवरणों का सरलीकरण, कार्यालयों में नवीन मशीनों तथा उपकरणों आदि का प्रयोग।

कार्यालयों की नई मशीनों तथा उपकरण

काम की गति तथा गुणवत्ता में सुधार लाने और उबाऊ तथा एक ही तरह के कामों को करने से होने वाले श्रम को दूर करने के लिए यह विभाग सरकारी कार्यों में नई मशीनों तथा उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देता है। विभाग कार्यालय में सामान्य उपयोग में आने वाले आधुनिक उपकरणों की समय-समय पर प्रदर्शनी भी लगाता है।

प्रबन्ध संबंधी विषयों पर प्रकाशन

सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी के प्रसार के लिए विभाग निम्नलिखित पत्रिकाएं प्रकाशित करता है:

- (क) मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट (त्रैमासिक),
- (ख) मैनेजमेंट डाइजैस्ट (वार्षिक);
- (ग) ग्लिम्पसेज इन एडमिनिस्ट्रेशन (द्वैमासिक),
- (घ) विव्लियोग्रैफिक बुलेटिन इन मैनेजमेंट लिटरेचर (द्वैमासिक)।

## राज्य

राज्यों की शासन पद्धति केन्द्रीय शासन पद्धति से बहुत मिलती-जुलती है।

कार्यपालिका राज्यपाल

राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होती है।

राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए करता है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहता है। 35 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राज्य की कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देती है और उसके कार्य में सहायता करती है। किन्तु ऐसे मामलों में यह व्यवस्था नहीं है जहाँ संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से कोई कार्य करना अपेक्षित हो। नागालैंड के संबंध में राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 371-क के अधीन वहाँ कानून और व्यवस्था के लिए विशेष दायित्व सौंपा गया है और यदि कानून और व्यवस्था के मामले में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से परामर्श करना आवश्यक भी हो तब भी वह कार्यवाही करने के लिए अपने निर्णय का प्रयोग कर सकता है। नागालैंड के तुएनसांग जिले से संबंधित सभी मामलों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार छठी

अनुसूची में—जो असम, मेघालय और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, जिला परिषद और राज्य सरकार के बीच रायल्टी के बंटवारे से संबंधित मामलों में राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार प्राप्त है। सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए उचित प्रवन्ध करने का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। सभी राज्यपालों को अपने संवैधानिक कार्यों को करते समय, जैसे राज्य के मुख्य मंत्री की नियुक्ति करने अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र की अक्षरत्वता को रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देने से संबंधित मामलों में स्वेच्छा और स्व-विवेक से निर्णय लेना होता है।

### मंत्रिपरिषद

मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसी के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

### आयोजना

जिला स्तर पर आयोजना का कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था सामान्यतया राज्य आयोजना बोर्ड है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य के वित्त मंत्री तथा कुछ तकनीकी विशेषज्ञ इसके सदस्य होते हैं। राज्य सरकार का आयोजना विभाग इस बोर्ड का सचिवालय होता है। कई राज्यों में आयोजना की प्रक्रिया को जिला स्तर पर विकेंद्रित किया जा चुका है तथा कुछ में यह उप-खण्ड तथा ब्लाक स्तर तक विकेंद्रित की जा चुकी है। अधिकांश राज्यों में जिला नियोजन बोर्ड या जिला नियोजन समिती या जिला नियोजन परिषद नामक संस्था होती है जो जिला स्तर पर आयोजना का कार्य करती है। इसका गठन सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों तरह के सदस्यों से होता है। कुछ राज्यों के कुछ जिलों में जिले की योजना तैयार करने के लिए एक अलग व्यवस्था भी है, जिसमें जिला नियोजन अधिकारी, प्रथमशास्त्री, ऋण नियोजन अधिकारी, क्षेत्र नियोजन अधिकारी शामिल हैं। यह योजना राज्य की योजना के साथ समन्वित कर दी जाती है।

### विधान मंडल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है, जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक या दो सदन होते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल के दो सदन हैं, जिन्हें विधान परिषद और विधान सभा कहते हैं। शेष राज्यों में विधानमण्डल का केवल एक ही सदन है जिसे विधान सभा कहा जाता है। किसी वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने या जहाँ वह नहीं है; वहाँ उसे बनाने के लिए, यदि संबंधित विधान सभा प्रस्ताव द्वारा समर्थन करे तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है।

### विधान परिषद

प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में

40 से कम नहीं होगी।<sup>1</sup> परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं—एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचक मण्डल करते हैं; वारहवें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन राज्य की (कम-से-कम) माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम-से-कम तीन वर्ष से काम कर रहे अध्यापकों के निर्वाचक मंडल करते हैं; अन्य वारहवें भाग के बराबर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते हैं, जिन्हें उपाधि प्राप्त किए 3 वर्ष से अधिक हो गए हों। शेष सदस्यों का राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। विधान परिषदों का विघटन नहीं होता। उनके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवा निवृत्त होते रहते हैं।

### विधान सभा

किसी राज्य की विधान सभा में अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं।<sup>2</sup> इनका निर्वाचन उस राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इन निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नियत किये गये स्थानों की जनसंख्या के बीच अनुपात, जहाँ तक संभव हो, सम्पूर्ण राज्य में समान रहे। विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बशर्ते वह पहले भंग न कर दी जायें।

### अधिकार तथा कार्य

राज्य विधान मण्डलों को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में उल्लिखित विषयों पर एकान्तिक अधिकार तथा उसकी सूची 3 में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र के साथ मिले-जुले अधिकार प्राप्त हैं। विधान मण्डल की वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत सरकार द्वारा किया जाने वाला सम्पूर्ण व्यय, लगाए जाने वाले कर और ऋण प्राप्त करना शामिल है। वित्त विधेयक केवल विधान सभा में ही पेश हो सकता है। विधान परिषद वित्त विधेयक के विधान सभा से प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर उसमें आवश्यक परिवर्तनों के लिए केवल सिफारिश भ्र कर सकती है। परन्तु परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए विधान सभा स्वतंत्र है।

### विधेयकों को रोके रखना

विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के लिए रोक सकता है। सम्पत्ति का अनिवार्यतः अधिग्रहण, उच्च न्यायालयों की शक्ति और स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उपायों, अन्तर्राज्यीय नदी या नदी घाटी योजनाओं में पानी या बिजली के संग्रह, वितरण और विक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से सम्बन्धित विधेयक अनिवार्यतः इस प्रकार से रोके रखे जाने चाहिए। अन्तर्राज्यीय व्यापार पर रोक

1. जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 50 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की विधान परिषद में केवल 36 सदस्य हैं।

2. संविधान के अनुच्छेद 371 (ब) के अनुसार सिक्किम विधान सभा में केवल 32 सदस्य हैं।

संगाने का कोई भी विधेयक राज्य विधान मण्डल में राष्ट्रपति की पूर्व-स्वीकृति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

### कार्यपालिका पर नियंत्रण

राज्य विधानमण्डल वित्त पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त कार्यपालिका के नित्य प्रति के कार्य पर निगरानी रखने के लिए प्रश्नों, चर्चाओं, वाद-विवादों, स्पष्टन और अविश्वास प्रस्तावों तथा संकल्पों जैसी सामान्य संसदीय प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं । उनकी अपनी प्राक्कलन तथा लोक वेद्या समितियाँ भी होती हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत किये गये अनुदानों का किस प्रकार उचित रूप से उपयोग किया जाए ।

### केन्द्र शासित प्रदेश

केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे, अपने ही द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करता है ।

अंशमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमन और दीव, मिजोरम और पांडिचेरि के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, जबकि चण्डीगढ़ के प्रशासक को मुख्य प्रायुक्त कहा जाता है । गोवा, दमन और दीव का उपराज्यपाल दादरा और नागर हवेली का भी प्रशासक होता है । सप्तद्वीप का एक अलग प्रशासक है ।

अरुणाचल प्रदेश<sup>1</sup> गोवा, दमन और दीव, मिजोरम<sup>1</sup> और पांडिचेरि में विधान सभाएं तथा मंत्रिपरिषद हैं । दिल्ली में महानगर परिषद और कार्यकारी परिषद की व्यवस्था है । अंशमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश परिषद और पार्षदों की व्यवस्था है । ये पार्षद उसी परिषद के सदस्यों में से ही नियुक्त होते हैं ।

केंद्र-शासित प्रदेशों की विधान सभाएं, अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले मामलों के सम्बन्ध में धरती उन मामलों के सम्बन्ध में, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 या 3 में उल्लिखित हैं, जहाँ तक वे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लागू होते हैं, कानून बना सकती हैं । संसद भी ऐसे मामलों के सम्बन्ध में केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकती है ।

दिल्ली महानगर परिषद को तथा अंशमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रदेश परिषद को क्रमशः दिल्ली, अंशमान और निकोबार द्वीप समूह से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने और उनके बारे में सिफारिश करने के अधिकार हैं ।

### क्षेत्रीय परिषदें

राज्य और केंद्र-शासित प्रदेश (पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर) कई क्षेत्रों में बाँट दिये गये हैं । प्रत्येक क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था होती है, जिसे क्षेत्रीय परिषद कहते हैं । इस परिषद में उस क्षेत्र के राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों का समान हितों पर विचार-विमर्श का अवसर मिलता है । उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा चण्डीगढ़ और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं । मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं । पूर्वी क्षेत्र में बिहार, उड़ीसा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं । गुजरात और महाराष्ट्र तथा गोवा, दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली केंद्र-

1. केंद्रशासित अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दे दिया गया ।

शासित प्रदेश पश्चिम क्षेत्र में हैं। दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरि केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

## स्थानीय प्रशासन

अधिकांश राज्यों में विधान मण्डलों के विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत बड़े नगरों में नगर-निगम स्थापित किये गये हैं। उनके अध्यक्ष महापौर (मेयर) कहलाते हैं, जो निर्वाचित होते हैं। नगर के प्रशासन का कार्य निर्वाचित परिषद करती है। निगम के अधिकार तीन प्राधिकरणों के अधीन होते हैं : (1) सामान्य परिषद; (2) परिषद की स्थायी समितियाँ और (3) निगम आयुक्त या मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सामान्य परिषद द्वारा निर्वाचित स्थायी समितियाँ प्रशासन का मुख्य कार्य करती हैं। इनके कार्यों में कराधान, वित्त और वज्रट तैयार करना, इंजीनियरी निर्माण कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। निर्धारित राशियों तक के अनुमान और ठेके स्वीकृत करने का अधिकार तीनों प्राधिकरणों को है। निगम के अधिकतर अधिकारियों को सामान्य परिषद नियुक्त करती है, लेकिन निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। निगम की कार्यपालिका-शक्ति आमतौर पर आयुक्त में निहित होती है, जो विभिन्न संस्थाओं के कर्तव्य निर्धारित करता है और उनके कार्य को देख-रेख करता है। जन-सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नागरिकों की अन्य सुविधाओं से संबंधित मामलों के अलावा निगम के कार्यक्षेत्र के अधीन जल आपूर्ति, जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्य, गलियों और पुलों, भागों और उद्यानों तथा मनोरंजन-स्थलों, विक्रय केन्द्रों और बाजारों के रख-रखाव का काम भी आता है। बड़े निगम आवास और भूमि विकास कार्य भी अपने हाथ में लेते हैं, किन्तु शहरी विकास के लिए बनाये गये विशेष अधिकरणों को ये कार्य सौंपने की परम्परा बढ़ रही है। 1 अप्रैल 1985 तक देश में 73 नगर निगम थे। मेयर-इन-कौंसिल प्रणाली लागू करने के लिए कलकत्ता निगम अधिनियम हाल ही में संशोधित किया गया है।

## नगर पालिकाएं और परिषदें

अन्य सभी कस्बों और शहरों में नगर पालिकाओं के निर्वाचित बोर्ड और परिषदें होती हैं, जो अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती हैं। नगर पालिका के सभी सदस्यों को मिलाकर आम सभा बनती है, जो नीति सम्बन्धी सभी प्रश्नों और नगर पालिका प्रशासन की महत्वपूर्ण बातों पर विचार करती है और उनके बारे में निर्णय करती है। फर लगाने, वज्रट पास करने, व्यय को भतदान द्वारा स्वीकृत करने तथा नियम और विनियम बनाने के अधिकार इस आम सभा में निहित होते हैं। नगर पालिका परिषद का कार्य प्रायः कई समितियों के माध्यम से होता है, जो प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करती हैं या परिषद के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। नगर पालिका के नित्य प्रति के कार्य का संचालन एक कार्यकारी अधिकारी करता है, जो या तो नगरपालिका अधिकारियों के राज्य संवर्ग (काडर) से या राज्य सिविल सेवा से लिया जाता है। कई राज्यों में नगरपालिका परिषदें अब भी कर्मचारियों और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करती हैं।

## धरकार

त्रिलों में स्थायत  
शासन

पंचायती राज प्रणाली 1959 में शुद्ध की गई स्थानीय स्वायत्त शासन की मंचरचना सामान्यतः गांव, खण्ड और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय है। किन्तु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार राज्य इस ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। सभी पंचायती राज निकाय संगठनात्मक रूप से संबद्ध हैं। इन निकायों में पिछड़े वर्गों, महिलाओं और सहकारी समितियों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

## निर्वाचना आयोग

संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के निर्वाचन के लिए नामावली तैयार करने इसके निर्वाचनों के संचालन तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व निर्वाचन आयोग को दिया गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार अनुसूचित में गठित एक संवैधानिक प्राधिकरण है। मरुति अनुच्छेद 324 के उपखंड (2) में यह कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तथा समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा, तथापि आयोग में आरम्भ से एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को स्वायत्तता एक विनियम संवैधानिक उपबन्ध द्वारा सुरक्षित रखी गई है जिसमें यह कहा गया है कि उसे उसी ढंग से तथा जहाँ कारणों से मरने पद से हटाया जा सकेगा जिस ढंग से और जिन कारणों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, श्रम्यथा नहीं। उसकी सेवा शर्तों को नियुक्ति के बाद नहीं बदला जाएगा।

1 जनवरी 1986 से श्री आर० बी० एम० पेरिगास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर हैं।

संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचन आयोग को दो गई शक्तियों के अलावा संसद के अधिनियमों अर्थात् 1950 और 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1952 के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1963 के केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1966 के दिल्ली प्रशासन अधिनियम तथा उनके अधीन बनावे गये नियमों और प्रादेशों के द्वारा भी उसे शक्तियाँ दी गई हैं।

महाराष्ट्र सूचियों

भारत में केन्द्र तथा राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली बखरक मताधिकार पर आधारित है। इसके अनुसार भारत के के सभी नागरिक, जो 21 वर्ष से कम आयु के नहीं हैं और जो उपयुक्त विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कितने कानून के अधीन कुछ कारणों, जैसे भारत का निवासी न होना, मानसिक रूप से अक्षम होना, अपराध, गैर कानूनी और कार्यों अप्रत्याचार का दोषी होना— से अयोग्य घोषित नहीं किये गये हैं, तब वे लोकसभा तथा राज्यों को विधान सभाओं के किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के अधिकारी हैं। 1985 के मत में मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या लगभग 40.80 करोड़ की।

## आम चुनाव

व्यक्त मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, उसमें लोक सभा तथा सभी राज्य विधान सभाओं (भाग 'क', 'ख' और 'ग' राज्यों को मिलाकर) के लिए साथ-साथ चुनाव हुए थे। दूसरा आम चुनाव राज्यों के पुनर्गठन के बाद शीघ्र ही 1957 में हुआ और उसमें भी लोक सभा तथा 13 राज्य विधान सभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन हुए थे। 1962 में जब तीसरा आम चुनाव हुआ तो केरल और उड़ीसा की राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन उसके साथ नहीं हो पाये। इसी प्रकार 1967 में नागालैण्ड और पांडिचेरि में लोकसभा के चौथे आम चुनाव के साथ चुनाव नहीं हो पाये। 1967 के पश्चात अधिकांश विधान सभाओं में नियत समय से पहले आम चुनाव कराने पड़े। परिणामतः 1971 में पांचवें आम चुनाव में लोक सभा के साथ उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के ही निर्वाचन हुए। 1977 में केरल ही एकमात्र राज्य था जहाँ लोक सभा के छठे आम चुनाव के साथ ही चुनाव हुए। जनवरी 1980 में जब लोक सभा का सातवाँ आम चुनाव हुआ तो उसके साथ केवल मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, गोआ, दमन और दीव तथा पांडिचेरि केन्द्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के लिए भी चुनाव हुए। पंजाब तथा असम को छोड़कर 20 राज्यों तथा 9 केन्द्र शासित प्रदेशों में 24, 27 और 28 दिसम्बर 1984 को लोक सभा का आठवाँ आम चुनाव हुआ। इसके साथ ही तमिलनाडु, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और गोआ, दमन और दीव राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव भी सम्पन्न हुए।

असम के मामले में, आयोग ने उच्चतम न्यायालय को दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में व्यापक संशोधन का कार्य शुरू किया। यह कार्य देश के शेष भागों में आम चुनाव की प्रक्रिया के आरंभ होने से पहले पूरा नहीं किया जा सका।

पंजाब में कानून विधि और व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग इस बात से संतुष्ट था कि पंजाब में शेष राज्यों के साथ चुनाव नहीं कराये जा सकते। इस प्रयोजन के लिए 20 नवम्बर 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया और उसमें एक नयी धारा 73-क जोड़ी गयी। इस अध्यादेश का स्थान अब संसद के अधिनियम ने ले लिया है। जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एक ही दिन मतदान हुआ।

मार्च 1985 में 11 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में आम चुनाव हुए। इन आम चुनावों में सात राज्यों—बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं का कार्यकाल जून/जुलाई 1985 में समाप्त होना था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तथा हिमाचल प्रदेश के विधान सभा के चुनाव

उनकी विधान सभाएं समय से पहले ही भंग किए जाने से आवश्यक हो गए जो कि क्रमशः 22 जनवरी 1984, 2 जनवरी 85 तथा 21 जनवरी 85 को भंग की गईं।

द्विक्रम और केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में क्रमशः 25 मई 1984 और 21 जून 1983 से राष्ट्रपति शासन लागू था तथा आयोग को बताया गया कि शीघ्र ही राष्ट्रपति शासन समाप्त होने वाला है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में चुनाव दो दिनों—मार्च 2 तथा 5 मार्च 1985 को सम्पन्न हुए और बाकी 8 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश में चुनाव केवल एक दिन यानी 5 मार्च 1985 को सम्पन्न हुए।

पंजाब और असम के विधान सभा चुनाव क्रमशः सितम्बर 1985 और दिसम्बर 1985 में हुए। इन राज्यों की सौक सभा की रिक्त सीटों को भरने के लिए भी साथ-साथ चुनाव करवाये गये।

राजनीतिक पार्टियां संसदीय प्रणाली के अन्तर्गत चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन भारत में राजनीतिक पार्टियों के गठन और उनके कार्य संचालन के संबंध में अभी कोई कानून नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त संगठन बनाने के मूल अधिकार पर कोई अंकुश नहीं है यद्यपि इस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन संसद को यह अधिकार है कि वह भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता अथवा लोक व्यवस्था या नैतिकता के हित में इस अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने वाला कानून बना सकती है। लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियमों में भी एक-दो अनुपंगी मामलों को छोड़कर निर्वाचन की दृष्टि से राजनीतिक पार्टियों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए निर्वाचन आयोग के लिए यह जरूरी हो गया कि वह ऐसी प्रक्रिया तैयार करे जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट चुनाव चिह्नों के आबंटन को नियमित करने के सीमित उद्देश्य के लिए राजनीतिक पार्टियों को 'मान्यता' दे सके। 1968 में आयोग ने 'संसदीय और विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों में चिह्नों के विशेषीकरण, आरक्षण, चयन, आबंटन और इस संबंध में राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने तथा तत्संबंधी अन्य बातों की व्यवस्था करने के लिए' निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 जारी किया। इस आदेश के खंड 6 में कहा गया है कि किसी राजनीतिक पार्टी को आयोग की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।

"कोई राजनीतिक पार्टी किसी राज्य में केवल तभी मान्यता प्राप्त पार्टी मानी जायेगी जब वह खंड (क) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेगी, या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करेगी, अन्यथा नहीं। अर्थात्

(क) ऐसी पार्टी जो

(1) लगातार पांच वर्षों से राजनीतिक क्रियाकलाप में लगी हो; और



(2) उस राज्य में लोक सभा अथवा तत्कालीन कार्यरत विधान सभा के आम चुनाव में—

(1) उस राज्य से लोक सभा के लिए निर्वाचित प्रत्येक पच्चीस सदस्यों में से कम-से-कम एक सदस्य, या

(2) उस राज्य की विधान सभा के प्रत्येक तीस सदस्यों में से कम-से-कम एक सदस्य उसी पार्टी का हो।

(ख) राज्य में लोक सभा अथवा तत्कालीन और कार्यरत विधान सभा के आम चुनाव में ऐसी पार्टी द्वारा खड़े किये गये सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये गये वैध मतों की कुल संख्या (पार्टी के अनिर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वैध मत तथा उम्मीदवारद्वारा प्राप्त वे वैध मत जो उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वैध मतों के बारहवें भाग से कम हैं—को छोड़कर) राज्य में ऐसे आम चुनाव में चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वैध मतों की कुल संख्या (जिसमें चुनाव लड़ने वाले उन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या भी शामिल है, जिनकी जमानत जन्त हो गई है) के 4 प्रतिशत से कम नहीं हो।

इस आदेश के पैरा 7 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को 'राष्ट्रीय पार्टी' अथवा 'राज्य स्तर की पार्टी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि किसी राजनीतिक पार्टी को चार या अधिक राज्यों में मान्यता प्रदान की गई हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है और जिस राजनीतिक पार्टी को चार से कम राज्यों में मान्यता प्राप्त हो उसे उस राज्य अथवा राज्यों में 'राज्य स्तर की पार्टी' माना जाता है जिनमें उसे मान्यता प्रदान की गई है।

जिन राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों के रूप में मान्यता दी गई है उनके नाम इस प्रकार हैं:

### राष्ट्रीय पार्टियाँ

1. भारतीय जनता पार्टी, 2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 3. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), 4. भारतीय कांग्रेस (सोशलिस्ट), 5. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 6. जनता पार्टी, और 7. लोकदल।

### राज्य स्तर की पार्टियाँ<sup>1</sup>

1. तेलुगु देशम, 2. प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल आफ आसाम, 3. भारतीय कांग्रेस (जे), 4. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल काँग्रेस, 5. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँग्रेस, 6. आल इंडिया मुस्लिम लीग, 7. केरल कांग्रेस (जे), 8. मुस्लिम लीग, 9. पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी, 10. कुकि नेशनल एसोसिएशन, 11. मणिपुर पीपुल्स पार्टी, 12. आल पार्टी हिल लीडर्स काँग्रेस, 13. [हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, 14. पब्लिक डिमान्ड्स इम्प्लीमेंटेशन कन्वेंशन, 15. नागा

1. जुलाई 1986 की स्थिति

नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, 16. शिरोमणि अकाली दल, 17. सिक्किम कांग्रेस (भार), 18. सिक्किम प्रजातंत्र कांग्रेस, 19. आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, 20. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, 21. त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, 22. रिवाँल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी, 23. आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक, 24. पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल, 25. महाराष्ट्रवादी गोमांतक, 26. पीपुल्स काँग्रेस 27. केरल कांग्रेस, 28. गोवा कांग्रेस, 29. जे. एण्ट के. पॅन्थर्स पार्टी, 30. सिक्किम संश्राम परिषद, 31. भाऊ साहू वंदेइकर गोमांतक, 32. असम गण परिषद, 33. युनाइटेड मायनोटीज फ्रंट, 34. युनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ।

भारत की रक्षा नीति उपमहाद्वीप के विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शान्ति को बढ़ाना और उसे स्थायित्व देना है। साथ-ही-साथ, आक्रमण के विरुद्ध अपने बचाव के लिए रक्षा सेनाओं को पर्याप्त रूप से सुसज्जित रखना है।

राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किन्तु राष्ट्रीय रक्षा का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का है। रक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए रक्षा मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सेनाओं के प्रशासन और कार्य संचालन का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सेनाओं के मुख्यालय करते हैं। रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए तीनों सेनाओं के मुख्यालयों को नीति संबंधी मामलों पर भारत सरकार के निर्णय भेजने, उनके कार्यान्वयन तथा रक्षा-व्यय के लिए संसद से वित्तीय स्वीकृति की प्राप्ति हेतु केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

संगठन

तीनों सेनाएं अपने-अपने सेनाध्यक्षों के अधीन कार्य करती हैं। 31 अगस्त, 1986 को ये निम्न तीन सेनाध्यक्ष थे:

थलसेनाध्यक्ष	.. जनरल के० सुन्दरजी
नौसेनाध्यक्ष	.. एडमिरल आर० एच० तहिलियानी
वायुसेनाध्यक्ष	.. एयर चीफ मार्शल डी० ए० लफांते

थल सेना

थल सेना का मुख्यालय नयी दिल्ली में है। थल सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए वाइस चीफ तथा पांच अन्य मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं—डिप्टी चीफ ग्राफ आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टरमास्टर-जनरल, मास्टर-जनरल आफ आर्डनेन्स और सेना सचिव। इनके अतिरिक्त एक शाखा का मुख्य अधिकारी इंजीनियर-इन-चीफ होता है।

थल सेना पांच कमानों में संगठित है: पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्यवर्ती। प्रत्येक कमान लेफ्टिनेन्ट जनरल पद के 'जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ' के अधीन होती हैं। जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र का कमांडर होता है और क्षेत्रीय तथा स्थिर टुकड़ियां उसी की कमान के अन्तर्गत आती हैं। कोर, डिवीजन और ब्रिगेड मुख्य क्षेत्रीय संगठन हैं जोकि क्रमशः लेफ्टिनेन्ट जनरल के पद के जनरल आफिसर कमांडिंग, मेजर जनरल के पद के जनरल आफिसर कमांडिंग और ब्रिगेडियर के अधीन होते हैं। स्थिर टुकड़ियां क्षेत्रों, स्वतन्त्र-उपक्षेत्रों और उपक्षेत्रों में बंटी होती हैं। क्षेत्र की कमान मेजर जनरल पद के

एक जनरल आफिसर कमांडिंग के जिम्मे होती है और स्वतन्त्र-उपसेनर तथा उपसेनर की कमान एक ब्रिगेडियर के अधीन होती है।

यह सेना कई शाखाओं और सेवाओं में संगठित है। ये हैं : बख्तरबन्द कोर, तोपखाना रेजीमेंट, इंजीनियर कोर, सिगनल कोर, इन्फैंट्री, सेना सेवा कोर, सेना नर्सिंग सेवा, सेना मेडिकल कोर, आर्माईडेंट कोर, आर्माईड आइन्स कोर, इलेक्ट्रिकल और मॅकेनिकल इंजीनियर कोर, रिमाउंट और वेटरिनरी कोर, मिलिटरी फार्म सेवा, सेना शिक्षा कोर, इंटेलिजेंस कोर, मिलिटरी पुलिस कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर, पायनियर कोर, सेना डाक सेवा कोर, भर्ती विभाग, रिकार्ड आफिस, कालेज, स्कूल, डिपो, वाल अधिष्ठान तथा चयन केन्द्र, प्रादेशिक सेना तथा डिफेन्स सिक्वोरिटी कोर।

## नौसेना

भारतीय नौसेना के कार्य संचालन का नियंत्रण नौसेनाध्यक्ष नौसेना मुख्यालय से तीन कमानों के जरिए करना है : पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी कमान। प्रत्येक कमान फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के अधीन संगठित है। इनके मुख्यालय क्रमशः बम्बई, विशाखापत्तनम तथा कोच्चिन में हैं। नौसेनाध्यक्ष की सहायता पांच मुख्य स्टाफ अधिकारी करते हैं। इनके पद के नाम हैं : नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ, मुख्य कामिक अधिकारी, मुख्याधिकारी साज-सामान, नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ तथा लाजिस्टिक्स के नियंत्रण अधिकारी।

नौसेना में दो बड़े हैं—पश्चिमी बेड़ा और पूर्वी बेड़ा। इन बेड़ों में वायुयान वाहक, विध्वंसक एवं विनाशक रणपोत (फ़िगेट) हैं, जिनमें कुछ आधुनिकतम पनडुब्बीमार और विमानभेदी रणपोत, पनडुब्बीमार गश्ती नौकाएं, पनडुब्बियां, एक पनडुब्बी डिपो जहाज और विशेष पोत हैं। नौसेना के पास काफी बड़ा हवाई बेड़ा है, जिसमें अनेक प्रकार के हवाई जहाज तथा हेलिकाप्टर शामिल हैं। इसके अलावा कुछ सर्वेक्षण जहाज, पलोट टैंकर और अनेक सहायक जहाज भी हैं। आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित आई० एन० एस० विक्रांत को हाल ही में सी-हैरियर नामक विमान प्राप्त हुए हैं। इन विमानों के लम्बवत उड़ान भरने व उतरने के कारण नौसेना की युद्ध-क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त नौसेना में सर्वेक्षण जहाज, पलोट टैंकर, लैंडिंग क्राफ्ट व अन्य कई सहायक जहाज हैं। सर्वेक्षण इकाई ने उन समुद्रों को चिन्हित किया है जिनके कारण उनके तट बदलते रहते हैं। भारतीय नौसेना सर्वेक्षण द्वारा बनाया गया समुद्री नौबहन नक्शा अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उपयोग विश्व को अन्य नौसेनाओं द्वारा भी किया जाता है।

अन्दमान व निकोबार के नौसेना अधिकारी-फोरट्रेस कमांडर के अधीन देश की एकमात्र ऐसी कमान है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों व उनके ग्राम-ग्राम के विशेष धार्मिक क्षेत्रों की रक्षा करती है। पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में शुरू किए गए नौसेना वायु स्टेशन आई० एन० एस० जत्कोष इन विश्वरे हुए द्वीपों की आकाशीय रक्षा ही नहीं करता

व द्वीप के दूर-दराज के लोगों को समयानुकूल एवं उपयोगी सहायता भी प्रदान करता है।

### तट रक्षक

तट रक्षक संगठन का संघ की सशस्त्र सेना के रूप में गठन भारत के लगभग 28 लाख वर्ग किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्रीय एवं राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए 19 अगस्त, 1978 को तट रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत किया गया। इस सेवा का प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन है तथा मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। चूंकि राष्ट्रीय तटवर्ती क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व तट रक्षक संगठन पर है इसलिए इसे तीन क्षेत्रों—पश्चिमी, पूर्वी तथा अंदमान और निकोबार में विभाजित किया गया है। तटरक्षक महानिदेशक बम्बई, मद्रास और पोर्ट ब्लेयर में स्थित तीन क्षेत्रीय कमांडरों के द्वारा नियंत्रण करता है। इन क्षेत्रों को दस जिला तटरक्षक उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें से 8 तटवर्ती राज्यों में (प्रत्येक राज्य में एक) व 2 अंदमान व निकोबार में स्थित हैं। वाडिनर और पोरबंदर (गुजरात), कोच्चिन (केरल), मंडपम (तमिलनाडु), हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और कैम्पबल खाड़ी (अंदमान और निकोबार द्वीप समूह) में इस समय तट रक्षक जिला मुख्यालय/स्टेशन कार्यरत हैं। एक तट रक्षक एयर एंक्लेव गोआ में कार्य कर रहा है। वर्ष 1986 के दौरान दमन में भी एक तट रक्षक एयर स्टेशन शुरू किया गया है।

इस सेवा के स्तर को शीघ्रता से बढ़ाने के लिए भारतीय पोतों के अतिरिक्त विशिष्ट विदेशी पोत भी इसमें शामिल किए गए हैं। उपलब्ध संसाधनों का अत्यन्त खतरनाक क्षेत्रों जैसे—अवैध रूप से मछली पकड़ना, तस्कर विरोधी, खोज और बचाव, प्रदूषण-विरोधी आदि—में प्रयोग किया जाता है। हमारी सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ने के कारण वर्ष 1986 के दौरान मछली पकड़ने वाले 23 विदेशी जहाज पकड़े गये।

इस संगठन के जहाज नियमित रूप से सीमा शुरू अधिकारियों को उनके तस्कर विरोधी अभियान में सहायता देते हैं। इनकी सहायता से करोड़ों रुपयों की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई हैं।

एक दीर्घकालीन विस्तृत योजना के अधीन सरकार द्वारा तटरक्षक संगठन के विकास की स्वीकृति दी गई है।

### वायु सेना

भारतीय वायु सेना का गठन कार्य सम्बन्धी एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार किया गया है। वायु सेना की युद्ध सम्बन्धी पांच कमानें हैं। ये हैं: पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी-पश्चिमी वायु कमान, मध्य वायु कमान, पूर्वी वायु कमान और दक्षिणी वायु कमान। इसके अतिरिक्त, दो अन्य कार्यकारी कमानें हैं: रख-रखाव कमान एवं प्रशिक्षण कमान।

वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायु सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए ये अधिकारी हैं—वायु सेना के वाइस चीफ, डिप्टी चीफ, एयर आफिसर इंचार्ज (प्रशासन), एयर आफिसर इंचार्ज (रख-रखाव), एयर आफिसर इंचार्ज (कार्मिक)

भार उड़ान सुरक्षा व निरीक्षण के महानिरीक्षक। इन छः मुख्य स्टाक अधिकारियों की सहायता वायु सेना के न्यायक चीफ करते हैं।

वायु सेना के बड़े में 45 स्ववाहन हैं। इनमें कई प्रकार के लड़ाकू विमान, लड़ाकू बनवर्षक, लड़ाकू-भबरोवक, बनवर्षक, परिवहन तथा संभारतन्त्र-बाहिकी विमान हैं। लड़ाकू विमानों में हंटर, धबीठ, निग-21, निग-23, जगुमार तथा निराञ-2000 शामिल हैं। अपने देश में ही बने निग-27 विमान भी हान ही में हवाई बड़े में शामिल हो गए हैं। निग-29 विमान भी घोध्र ही शामिल होने वाला है। जगुमार विमान, बनवर्षक विमान कैनबरा का स्थान लेगा। परिवहन विमानों में है: आई एल-76, ए एन-12, ए एन-32, कैरिब, बीईग-737 तथा देग में निर्मित एच एच-748। पुराने धॉटर विमानों का स्थान डारनिमर-228 लेगा। हेतिकाप्टरों में है: एम आई-8, एम आई-17, एम आई-25, एम आई-26, चीठा और चेतक। इनमें से चीठा वीर चेतक हेलीकाप्टरों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि० द्वारा निर्मित एच पी टी-32 विमान बुनियादी प्रशिक्षण के काम धाते हैं। इसने हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रथम बुनियादी प्रशिक्षण विमान एच टी-2 का स्थान लिया है। एच जे टी-16 (किरण) तथा पीलैड से खरीदे इसका विमानों का उपयोग बुनियादी प्रशिक्षणमान के रूप में किया जा रहा है। एच एन-748 का परिवहन प्रशिक्षण विमानों के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

भारतीय वायु सेना के एम आई-8 हेतिकाप्टरों में धन्टाकॉटिका अभियान हेतु विनोय रूप से परिवर्तन किया गया। इसके मलावा स्थल सेनाधों की नाव्रिस्टिक स्पॉट में उच्चत्थानीय कानंवाहीं में एम आई-17 तथा चेतक हे तिकाप्टर का मत्वधिक प्रयोग किया जा रहा है।

भारतीय वायु सेना का शुभारम्भ चार वेल्डैड वपोति विमानों के साथ 1932 में कराची में हुआ था। 1982 में इसने अपनी स्वयं जयन्ती मनायी। अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए इसने पिछले कुछ समय में अनेक धाधुनिक शस्त्र हासिल किए हैं। परिवहन तथा युद्धक विमानों में धाधुनिक जंसी उपकरण लगाये जा रहे हैं, ताकि सामरिक उड़ानें सुरक्षित एवं पूर्ण रूप से सही और सफल बनें। जमीन पर वायु सुरक्षा में सुधार हेतु पुराने राडारों के स्थान पर स्वचालित धांकड़ा-संचालन तन्त्र को लगा कर राडार तन्त्र का भी धाधुनिकीकरण किया जा रहा है।

धर्मांगठ पर

वीनों सेनाधों के कर्मांगठ पद नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक सेना के पद अन्य सेनाधों के समकक्ष पद के सामने दिये गये हैं :

थन सेना	नीसेना	वायु सेना
1	2	3
जनरल	एडमिरल	एयर चीफ मार्शल
लेफ्टिनेंट-जनरल	वाइस-एडमिरल	एयर मार्शल

1	2	3
मेजर-जनरल	रियर एडमिरल	एयर वाइस-मार्शल
ब्रिगेडियर	कोमोडोर	एयर कोमोडोर
कर्नल	कैप्टन	ग्रुप कैप्टन
लेफ्टिनेंट कर्नल	कमांडर	विंग कमांडर
मेजर	लेफ्टिनेंट कमांडर	स्क्वाड्रन लीडर
कैप्टन	लेफ्टिनेंट	फ्लाइट लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट	सब-लेफ्टिनेंट	फ्लाईंग आफिसर
सैकंड लेफ्टिनेंट	एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट	पाइलट आफिसर

भर्ती

एक जवान 16 वर्ष की आयु में सेवा में प्रवेश करता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 20 से 25 वर्ष तक है। अक्टूबर 1981 में शुरू की गई नई भर्ती प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा मानदण्डों वाले उम्मीदवार को चयन के लिए साक्षरता और शारीरिक योग्यता परीक्षा में बैठना होता है। भर्ती करने वाले सदस्यों के दौरों के समय अपनाई जाने वाली चयन-प्रणाली में सुधार किया गया है। अब चयन परीक्षाएं अंतस्थ इलाकों में भर्ती करने वाले समूहों के दौरों के दौरान भी होती हैं। अब भर्ती की कार्यवाही दो दिनों के अन्दर पूरी करनी होती है और चयन के बाद उम्मीदवार को तुरंत रेजिमेन्टल सेन्टर में भेजना होता है। यह परिवर्तित प्रणाली चयन में तेजी लाने के साथ-साथ उम्मीदवारों को भर्ती कार्यालयों के बार-बार चक्कर काटने से भी छुटकारा दिलाती है।

नाविक

नौसेना में नाविकों की भर्ती देश भर में स्थित 68 से अधिक क्षेत्रीय भर्ती कार्यालयों द्वारा की जाती है।

नाविकों की भर्ती 15 से 20 वर्ष के आयु वर्ग में होती है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राथमिक स्तर (कुक और स्ट्यूवर्ट दोनों के लिए) से लेकर मैट्रिक (आर्टीफिसर एप्रेंटिस तथा सीधे भर्ती होने वाले नाविक के लिए) तक है। आर्टीफिसर एप्रेंटिसों को नौसेना के विभिन्न प्रतिष्ठानों में उच्च-कोशल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। आर्टीफिसरों की सीधी भर्ती भी की जाती है। इस प्रकार की भर्ती उनके लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा (अर्थात् इलेक्ट्रिकल/रेडियो मैकेनिकल/एरोनाटिकल/आटोमोबाइल) में डिप्लोमा किया है और जो 18-22 वर्ष की आयु वर्ग का हो।

विशेष फ़िस्म की प्रविष्टि के अनुसार वर्ष में दो-तीन बार भर्ती होती है जिसमें उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और डाक्टरी परीक्षा में बैठना पड़ता है।

## वायु सैनिक

वायु सेना में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या इसके समकक्ष है और आयु सीमा 16-20 वर्ष है। जो उम्मीदवार बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष या भौतिकी और गणित में उच्चतर परीक्षा पास होने के साथ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त हो, उसे आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाती है। जो उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक और डाक्टरों मानदण्डों में खरे उतरने हैं वहीं लिखित परीक्षा व मासात्कार में बैठ सकते हैं। चुने हुए उम्मीदवारों को इसके पश्चात् शारीरिक और डाक्टरों जांच होती है।

वायु सेना में उम्मीदवारों को विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसूच 44 तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्य हैं। इस बात के लिए कि उम्मीदवारों को लम्बी यात्रा न करनी पड़े, उनकी आरम्भिक जांच के लिए देश भर में 80 से भी अधिक केन्द्र खुले हुए हैं।

## प्रशिक्षण संस्थाएं

## सैनिक स्कूल

सैनिक स्कूल लड़कों को शैक्षणिक एवं शारीरिक रूप में राष्ट्रीय रक्षा भ्रमादमी में प्रवेश हेतु तैयार करते हैं। इस समय देश में 18 सैनिक स्कूल हैं। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मिझोरम को छोड़कर हर राज्य में एक-एक सैनिक स्कूल है। ये विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं और इनमें 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू है। इनमें प्रचलित भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर बच्चों को छठी कक्षा में दाखिल किया जाता है। वर्ष 1985-86 के दौरान 10,008 छात्रों ने सैनिक स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की। अब तक इन स्कूलों से 3800 लड़कों ने राष्ट्रीय रक्षा भ्रमादमी में प्रवेश किया है।

राष्ट्रीय भारतीय  
सैनिक कालेज

पब्लिक स्कूलों की तरह चला रहा राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज, देहरादून, शिक्षारथियों को राष्ट्रीय रक्षा भ्रमादमी की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करता है।

राष्ट्रीय रक्षा  
भ्रमादमी

राष्ट्रीय रक्षा भ्रमादमी, खड़कवासला में सेना की तीनों शाखाओं के प्रशिक्षणार्थियों के लिए, तीन वर्ष के मिले-जुले बुनियादी सेना प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इसके बाद शिक्षार्थी अपनी-अपनी सेना के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कैंडेटों को विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की शिक्षा भी दी जाती है। भ्रमादमी में प्रवेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश के विभिन्न केन्द्रों पर वर्ष में दो बार होने वाली लिखित योग्यता परीक्षा और उसके बाद सविमेज सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा मासात्कार के आधार पर होता है। हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास लड़के, जो पाठ्यक्रम शुरू होने वाले महीने की पहली तारीख को 16 से 18½ वर्ष के बीच हों, भ्रमादमी में प्रवेश पा सकते हैं।

भारतीय सेना  
भ्रमादमी

देहरादून स्थित भारतीय सेना भ्रमादमी फल सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केन्द्र है। कमीशन प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय रक्षा भ्रमादमी, खड़कवासला से



उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी यहां एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अकादमी के 1½ वर्ष के प्रशिक्षण में उच्चतर आयु वर्ग के वे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पाते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं तथा सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाते हैं। अकादमी में सेना के तकनीकी अंगों में विशिष्ट कमीशन प्राप्त के लिए चुने गए अन्य स्नातक एक वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सेना के नियमित जूनियर कमीशन प्राप्त और विना-कमीशन वाले अधिकारी, जिन्होंने आर्मी कैंडेट कालेज में तीन वर्ष का प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है, अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात् इनको सेना में कमीशन देकर अधिकारी बना दिया जाता है।

आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल

मद्रास स्थित आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के लिए कैंडेटों को प्रशिक्षण देता है। संघ लोक सेवा आयोग तथा सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में योग्यताप्राप्त स्नातकों, जो पाठ्यक्रम प्रारंभ होने वाले महीने की पहली तारीख को 19 से 27 वर्ष की आयु के हों, के लिए यह ट्रेनिंग स्कूल 44 सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

रक्षा सेवा स्टाफ कालेज

वेलिंगटन स्थित रक्षा स्टाफ कालेज में प्रति वर्ष सेना की तीनों शाखाओं के सेवाधीन अधिकारियों को अपनी-अपनी शाखाओं में स्टाफ नियुक्तियों के लिए और अन्तर-सेवा मुख्यालयों में नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां प्रतिवर्ष तीनों सेनाओं से लगभग 400 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें 30 विदेशी अधिकारी तथा 5 असैनिक अधिकारी शामिल हैं।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज

नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कालेज एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यह सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों में आपसी समझ बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रति-बद्ध है। यह कालेज राष्ट्र की सुरक्षा विदेश और रक्षा संबंधी नीतियों को गहरे रूप से प्रभावित करने वाले पहलुओं पर इन अधिकारियों को एक साथ बैठकर अध्ययन करने की सुविधाएं देता है ताकि वे उच्च दायित्वों को निभाने के योग्य बन सकें। साढ़े दस माह तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में सैनिक-असैनिक सेवाओं तथा मित्र राष्ट्रों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

अन्य प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल

महू स्थित युद्ध-कला कालेज उच्च कमान पाठ्यक्रम, वरिष्ठ कमान पाठ्यक्रम और कनिष्ठ कमान पाठ्यक्रम चलाता है। सैनिक इंजीनियरी कालेज, खिड़की (पुणे), अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सैन्य-इंजीनियरी के सभी पहलुओं का प्रशिक्षण देता है। अधिकारियों को स्नातक स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए दो वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। महू स्थित सैन्य दूरसंचार इंजीनियरी कालेज दूरसंचार और सिगनल तकनीक में प्रारम्भिक और उच्च प्रशिक्षण देता है।

अहमदनगर स्थित बख्तरबंद कोर केन्द्र तथा विद्यालय बख्तरबंद युद्ध वाहनों के कुशल नियंत्रण और चालन तथा रख-रखाव का प्रशिक्षण देता है।

देवलाती स्थित तोरखाना विद्यालय जमीन और वायु रक्षण तोरखाने का प्रशिक्षण देता है। महु तथा बेलगांव स्थित पैदल सेना विद्यालय (इंजिनट्री स्कूल) अधिकारियों और जवानों के लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं। जबलपुर स्थित गैना भ्रामुघ कोर विद्यालय भ्रामुघ डिपो में रखे जाने वाले गोला-बारूद और जिस्कोटकों सहित सभी पदार्थों को पहचानने तथा सुरक्षित रखने का विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण देता है।

अन्य सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रों और स्कूलों में से कुछ ये हैं : उच्च स्थानीय युद्ध कला विद्यालय, गुनमग; सेना सेवा कोर स्कूल, बरेली; ई० एम० ई० स्कूल, बढोदरा; इलेक्ट्रानिक्स और यंत्र इंजीनियरी सैनिक कालेज, निरुन्दराबाद; रसायन प्रबन्ध कालेज, सिकन्दराबाद; रिमाउंट और वेटरिनरी कोर केन्द्र तथा स्कूल, मेरठ; सैनिक विद्या कोर प्रशिक्षण कालेज और केन्द्र, पचमढ़ी; धूम्रिया प्रशिक्षण स्कूल और डिपो, पुणे; यांत्रिक वाहन सैनिक स्कूल, बंगलूर; सैन्य पुलिस कोर केन्द्र और स्कूल, बंगलूर; सैनिक शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, पुणे; सैनिक वायु परिवहन सहायता स्कूल, भागरा और सैनिक लिपिक प्रशिक्षण स्कूल, झोरगावाबाद; सैन्य सतकंता प्रशिक्षण स्कूल व डिपो, पुणे; यांत्रिक परिवहन सेना स्कूल, बंगलूर; सैन्य पुलिस केन्द्र व विद्यालय कोर, बंगलूर, काउंटर इन्फर्जोसी एंड जयल कारफेयर स्कूल, बरंगटे, मशरूज सेना चिकित्सा कालेज, पुणे और राष्ट्रीय एकता संस्थान, पुणे।

### सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज

सशस्त्र सेना के चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने, पैरा-मेडिकल अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसन्धान कार्य के लिए सेना चिकित्सा कालेज की स्थापना 1 मई, 1948 को की गई थी। विद्यार्थियों को पुणे विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० की डिग्री के लिए प्रशिक्षण देने हेतु अगस्त, 1962 में स्नातक विभाग प्रारम्भ किया गया। 1982 से विद्यार्थियों की वार्षिक भर्ती संख्या बढ़कर 130 हो गई है (जिनमें 105 लड़के और 25 लड़कियां हैं)। इनमें से सभी लड़के और 5 लड़कियां स्थायी सेवा के अन्तर्गत आते हैं जबकि 20 लड़कियां स्नातक की डिग्री के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन के अन्तर्गत आती हैं। विद्यार्थियों का चयन अखिल भारतीय चयन प्रतियोगिता के माध्यम पर किया जाता है। स्थायी सेवा के सभी विद्यार्थियों को 100 रुपये से 150 रुपये प्रति माह भृति प्रदान की जाती है तथा उनको शिक्षा शुल्क की भी छूट होती है। 1964 में यहाँ नर्सिंग कालेज का खुलना एक उल्लेखनीय बात है। इस कालेज से प्रतिवर्ष 30 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में बी० एस सी० (नर्सिंग) की डिग्री दी जाती है।

### नीकेता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान

नीकेता के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र कोचीन में स्थित है, जो तोपखान, नीतखान, पनडुब्बी विभाग, पनडुब्बी-रोपन, संचार और उद्धारण का प्रशिक्षण देता है।

नीकेता (महाराष्ट्र) स्थित आई० एन० एम० सिवाजी में मेकेनिक्स इंजीनियरों तथा मार्टिकमरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नीकेता के

इंजीनियर भीर विजली शाखा अधिकारी, लोनावला स्थित कालेज में आरंभिक प्रशिक्षण लेते हैं।

मार्च मजद वम्बई स्थित आई० एन० एस० हमला में नौसेना की आपूर्ति एवं सचिवालय शाखा के लिए अफसरों व नाविकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जामनगर में स्थित आई० एन० एस० वालसुरा, विजली शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। अधिकतर जहाजों में अब अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं इसलिए इस प्रतिष्ठान को नौसेना की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है।

नौसेना में भर्ती हुए नये रंगस्टों को भुवनेश्वर के पास स्थित आई० एन० एस० चिलका तथा आई० एन० एस० मांडवी, गोआ में प्रशिक्षण दिया जाता है। वे प्रशिक्षण पूरा करने पर नाविक बनते हैं।

प्रशिक्षण की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस समय कोचीन स्थित नौसेना अकादमी को कन्नानूर जिले में ऐजीमाला नामक स्थान पर स्थानान्तरित करने की योजना है।

### वायु सेना प्रशिक्षण संस्थान

वायुसेना प्रशिक्षार्थियों को चार स्रोतों—राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, भूतपूर्व वायु सैनिक, नेशनल कैडेट कोर तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चयन द्वारा लिया जाता है। सभी पाइलट प्रशिक्षार्थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी से नहीं आते, वे उड्डयन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कोयमुत्तूर के वायु सेना प्रशासकीय कालेज में पाठ्यक्रम-पूर्व प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षार्थी विमान चालकों को बुनियादी उड्डयन प्रशिक्षण (प्रथम चरण) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में तथा उच्च विमान प्रशिक्षण (द्वितीय चरण) वायु सेना केन्द्र, विदर तथा वायु सेना केन्द्र, हाकिमपेट में दिया जाता है। द्वितीय चरण (उच्च चरण) को पूरा करने पर विंग और कमीशन प्रदान किये जाते हैं। इसके पश्चात ये प्रशिक्षार्थी तृतीय चरण (प्रायोगिक चरण) के लिए तीन विभिन्न शाखाओं—हैंटर तथा मिग लड़ाकू विमान उड्डयन तथा परिचालन एककों, वायु सेना केन्द्र यल्लाहंका में परिवहन प्रशिक्षण और हाकिमपेट के हेलिकाप्टर प्रशिक्षण स्कूल में भेजे जाते हैं। प्रारम्भिक और उच्च विमान चालन प्रशिक्षण तथा वायु सेना सिगनल प्रशिक्षण हैदराबाद के नेविगेशन तथा सिगनल स्कूल में दिया जाता है। वायुसेना के (गैर-तकनीकी) स्थल-अधिकारियों तथा हवाई यातायात नियंत्रण के अधिकारियों को भी हैदराबाद की वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण दिया जाता है। उड्डयन के सभी वर्गों के लिए उड्डयन प्रशिक्षकों को उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल ताम्ररम् में प्रशिक्षण दिया जाता है। सिन्दराबाद का हवाई युद्ध संबंधी कालेज, उच्च संयुक्त सेवा और हवाई युद्ध कला अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता है।

वायु सेना प्रशासनिक कालेज, कोयमुत्तूर, जमीन पर काम करने वाले गैर-तकनीकी शाखाओं के अधिकारियों के लिए तथा सभी शाखाओं के लिए जूनियर कमाण्डर पाठ्यक्रम चलाता है। तकनीकी अधिकारी, वायु-सेना तकनीकी कालेज, जलाहाली में प्रशिक्षण पाते हैं। चुने गए वारंट पद के वायु सैनिकों को ब्रांच कमीशन प्रदान करने से पूर्व उनको ब्रांच के अनुसार

वायु सैनिक तकनीकी कालेज व वायु सेना प्रशासनिक कालेज में प्रशिक्षण दिया जाता है।

जलाहाली के संस्थान वायु सैनिकों को राडार, रेडियो, विजली के उपकरणों एवं फोटो ग्राहक वाहन चालन का प्रशिक्षण देते हैं।

गैर-तकनीकी कार्यों विमान-टांचा, इंजन, हथियारबंदी, सुरक्षा उपकरणों तथा वर्कशाप का प्रशिक्षण साम्बरा में दिया जाता है मोटर परिवहन जैसे कार्यों का प्रशिक्षण भावडी में दिया जाता है।

सभी गैर तकनीकी प्रशिक्षणियों जैसे—सामान्य कार्य लिपिक, साज-सामान व लेखा लिपिक, वेतन लेखा लिपिक, खान-पान सहायक, शिक्षक, आई० ए० एफ० पुलिस, शारीरिक उपयुक्तता प्रशिक्षक—को साम्बरा में प्रशिक्षण दिया जाता है।

बडोदरा एवं बैरकपुर स्थित स्थलीय प्रशिक्षण संस्थान सैनिकों को भूमि से आकाश में भार करने वाले प्रक्षेपास्त्र और उससे सम्बन्धित उपकरणों का अनुसंधान तथा संचालन करने के लिए तैयार करते हैं। सेना की विमानवाही इकाइयों के छाताधारी सैनिकों को भागरा स्थित पैराट्रूपर्स प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षित किया जाता है। चिकित्सा सहायकों को भी बंगलूर में प्रशिक्षण दिया जाता है।

चिकित्सा और विमानकर्मी दल के अधिकारी उद्भवन चिकित्सा संस्थान, बंगलूर में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

पूर्ति, उत्पादन  
रि अनुसंधान

सेना की आवश्यकताओं की अधिकतर वस्तुएं भ्रम देश में ही बनायी जा रही हैं। यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के दो अलग-अलग विभागों को सौंपी गई है। ये हैं—रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग। रक्षा उत्पादन विभाग सशस्त्र सेनाओं के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरणों के उत्पादन की योजना बनाने और निर्देशन तथा समन्वय का काम करता है। यह अपना कार्य तकनीकी विकास और उत्पादन, आयुध कारखानों, निरीक्षण, मानकीकरण, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आठ प्रतिष्ठानों के माध्यम से करता है।

वायु कारखाने

इस समय कुल 36 आयुध कारखाने कार्यरत हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य उपकरणों का आयुधनिकीकरण करना तथा इस क्षेत्र में अधिक-से-अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। सेना की आवश्यकतानुसार कारखानों को देश भर में स्थापित किया गया है तथा ये एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। 1947 में स्वतन्त्रता के समय इनका कुल उत्पादन 15 करोड़ रुपये का था जबकि अब इनका कुल उत्पादन 1,000 करोड़ रुपये का है।

इन कारखानों में सशस्त्र सेनाओं, मर्क-सैनिक संगठनों तथा पुलिस के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार होती हैं। इनमें प्राथमिक टैंक भेदी तोप, विमान-भेदी तोप, फील्ड गन, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, माउन्टेड गन, मार्टर तोप, छोटे हथियार तथा उनसे सम्बन्धित मोला-कार्ड का उत्पादन भी शामिल है। इसमें प्रतिरिक्त आयुध कारखानों में मोला, कारतूस, फ्यूज, ग्राइन्डर, रसायन तथा विस्फोटक, चप, चक्रेट,

प्रोजेक्टाइल, ग्रेनेड, सुर्रों, डेमोलिशन चाजोस, डेप्थ चाजोस आदि विस्फोटक पाइरों, तकनीक सामग्री, आष्टिकल, अग्नि निर्यंत्रण यंत्र, भारी सामान ले जाने वाली गाड़ियां, बखतरबंद गाड़ियां, हल्के पुल, गोला बारूद, विस्फोटक बम तथा सम्बन्धित अन्य अनेक सामग्रियों का भी उत्पादन होता है। इनके अतिरिक्त युद्धक-वस्त्र, पहाड़ों पर पहुँचे जाने वाले वस्त्र, पैराशूट, पर्वतारोहण उपकरण जैसी वस्तुएँ भी तैयार की जाती हैं। इंकैंट्री काम्रैट व्हीकल के निर्माण हेतु एक नई परियोजना को कार्यरूप दिया जा रहा है।

आयुध कारखानों के उत्पादन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1983-84 में 1,017 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्ष 1984-85 में 1,165 करोड़ रुपये का सामान तैयार हुआ। यह पहले वर्ष की तुलना में 14.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1985-86 में 1,325 करोड़ रुपये मूल्य के सामान के उत्पादन का अनुमान है।

आयुध कारखानों में टेक्नोलॉजी तथा सैन्य-उपकरणों का आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है। सेना के उपकरणों को निरन्तर अत्याधुनिक बनाने तथा तेजी के साथ बदलती हुई सैन्य टेक्नोलॉजी और आवश्यकता के अनुरूप आयुध कारखानों में पुराने संयंत्रों को नये तथा आधुनिक उपकरणों से योजनाबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

वर्ष 1984-85 के दौरान रक्षा अनुसन्धान और विकास विभाग तथा आयुध कारखानों के साथ सहयोग से कई रक्षा भंडारों का विकास किया गया। इनमें मुख्य थे: 30 एम० एम० एम्यूनिशन, 76.2 एम० एम० नेवल एम्यूनिशन, 122 एम० एम० ग्राड राकेट तथा 81 एम० एम० इल्यूमिनेटिंग।

## सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन आठ उपक्रम हैं। उनके नाम हैं: हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लि०, भारत अर्थ मूवर्स लि०, भद्रगांव डॉक लि०, गार्डेन रीच शिपविल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०, गोम्रा शिपयार्ड लि०, भारत डायनामिक्स लि० और मिश्र धातु निगम लि०।

इनमें से सात उपक्रम पूर्णरूप से सार्वजनिक हैं। भद्रगांव डॉक लिमिटेड के अपनी सहयोगी कम्पनी गोम्रा शिपयार्ड लिमिटेड में 53.4 प्रतिशत के शेयर हैं। निजी शेयर होल्डरों के पास 3.6 प्रतिशत तथा शेष शेयर सरकार के पास हैं।

इन उपक्रमों में एक लाघ से अधिक कर्मचारी हैं। अर्सेनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ इन उपक्रमों में रक्षा सेवाओं के लिए कई तरह के उपकरण और पुर्जों आदि के डिजाइन तैयार करने और उनके उत्पादन की क्षमता है।

1964 में स्थापित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० की बारह फैक्टरियां हैं। बंगलूर में पांच फैक्टरियां हैं जबकि कोरान्पट, नासिक, कोरवा कानपुर, लखनऊ, बैरकपुर और हैदराबाद में एक-एक फैक्टरी है। इस कम्पनी का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के विमानों, हेलिकाप्टरों, उनके इंजनों, इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों, अन्य उपकरण और सहायक पुर्जों का डिजाइन तैयार करना, उत्पादन करना और उनकी मरम्मत करना है। इस समय हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि०

जेट ट्रेनर, किरण; एच० पी० टी०-32 ट्रेनर, सात सीटों वाला बहुदेशीय हेलिकॉप्टर 'चेतक' तथा हल्के वजन वाला हेलिकॉप्टर 'चैता' बना रहा है। यह कम्पनी जगुभार विमान, उसके इंजन, सहायक पुर्जों और उसके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन कर रही है जिसके लिए उसे लाइसेंस मिला है। यह लाइसेंस के अन्तर्गत मिग-21 बी० आई० एस० का भी उत्पादन कर रही है और भव उसे मिग-27 एम० विमान, उसके इंजन और अन्य उपकरणों के उत्पादन का काम भी सौंपा गया है। हाल ही में इस कम्पनी को अर्धनैतिक तथा रक्षा सेवाओं के उपयोग के लिए हल्के परिवहन विमानों के उत्पादन का काम भी सौंपा गया है। हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में बनाये जा रहे विभिन्न विमानों के काम में आने वाले पुर्जों को देश में ही बनाये जाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनका आयात कम किया जा सके।

देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास को दृष्टि से 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि० को स्थापना की गई। उक्त समय इसका एक-मात्र कारखाना जलाहाली, बंगलूर में था। अब यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था बन गई है। बंगलूर, गाजियाबाद, पुणे और मठलीपत्तनम में इसके चार कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त तालोडा (महाराष्ट्र), पंचकुला (हरियाणा) और कोटदादर (उत्तर प्रदेश) में तीन और कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। इस कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तुएँ हैं— एच० एफ०, यू० एच० एफ०, बी० एच० एफ० तथा माइक्रोवेव रेजों के कम और उच्च शक्ति के संचार उपकरण, उच्च शक्ति के चल और अचल राडार, दृष्टि उपकरण की लाइन के चल और अचल ट्रोस्कोप, प्रसारण ट्रांसमीटर, तीव्र नियंत्रण उपकरण, फ्लिप्ट जहाजों के लिए शस्त्र नियंत्रण उपकरण, आई० एफ० एफ० उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वॉरिंग मशीन। इस उपक्रम द्वारा जिन पुर्जों का उत्पादन किया जा रहा है, वे हैं—एक्स-रे ट्यूब, सादे टेलिविजन सेट की पिचर ट्यूब, इमेज कनवर्टर ट्यूब, जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, इन्टीग्रेटेड सर्किट तथा मैमोशियम मैगनेज डाइआक्साइड कैटोड।

मन्नगांव डॉक लि०, मम्बई; गोव्रा शिपयार्ड लि०, गोव्रा तथा गार्डन रोड शिपयार्ड्स एण्ड इंजीनियर्स लि०, कलकता सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में जहाजों के निर्माण और मरम्मत को सम्पन्न कराईया है। इनमें फ्लिप्ट, समुद्रवर्ती रक्षा नौकाओं, सर्वेक्षण जहाजों, समुद्र तथा समुद्रतट पर गश्त लगाने वाले जहाजों के निर्माण की सुविधाएं हैं। इनमें मालवाहो जहाजों जैसे व्यापारिक जहाजों, ड्रेजरों, टर्गों, फ्लोटिंग क्रैनो; बागों (barges) और विभिन्न प्रकार के यात्री व मालवाहो जहाजों का निर्माण भी होता है। मन्नगांव डॉक लिमिटेड इस समय भारतीय डिजाइन पर आधारित 'गोदावरी' श्रेणी की तीन फ्लिप्टों का निर्माण कर रहा है। इसकी परिवर्धना, डिजाइन व निर्माण पूर्णरूप से भारतीय है। इस शृंखला का प्रथम जहाज आई० एन० एन० 'गोदावरी' दिसम्बर, 1983 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। द्वितीय फ्लिप्ट आई० एन० एन० गंगा को 30 दिसम्बर 1985 को नौसेना को सौंपा गया। तृतीय फ्लिप्ट आई० एन० एन० गोमती का जन्मावतरण मार्च

1984 में किया गया जिसके 1987 के आरम्भ में नौसेना को सौंपे जाने की आशा है।

गार्डन रीच शिपविल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता ने पहला बड़ा मालवाहक जहाज 'लोकप्रति' तैयार करके दिसम्बर 1981 में मुगल लाइन लि० के सुपुर्द कर दिया। ऐसा दूसरा जहाज 1984-85 में नौसेना को सौंपा गया। नौसेना को यह कम्पनी पहले ही दो सर्वेक्षण जहाज 'संघायक' और 'निर्देशक' सुपुर्द कर चुकी है। इसके अतिरिक्त यह नौसेना और तट रक्षक दल को अनेक समुद्रवर्ती रक्षा नौकाएं और तेज गति वाली गश्ती नौकाएं दे चुकी है।

गोमा शिपयार्ड लि०, जो आरम्भ में मुख्य रूप से जहाजों की मरम्मत का काम करती थी, अब पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में एक मध्यम दर्जे के जहाज निर्माण की कम्पनी बन गयी है और नौसेना के लिए समुद्रवर्ती रक्षा नौकाएं, अवतरण (लैंडिंग) नौकाएं और तेज गति से चलने वाली गश्ती नौकाएं बना रही है। इस कम्पनी ने बीच समुद्र में काम आने वाले सहायता व वैकल्पिक जहाजों का निर्माण आरम्भ करके इस क्षेत्र में उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है।

भारत डायनेमिक्स लि० हैदराबाद ने, जिसे नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और उत्पादन का आधार तैयार करने की दृष्टि से 1970 में स्थापित किया गया था, 1971 में विदेशों सहयोग से उत्पादन आरंभ किया। तब से इस उपक्रम ने पहले चरण के टैंक भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र का 73 प्रतिशत और उसके युद्ध-उपस्कर का 82 प्रतिशत भाग देश में ही तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। पहले चरण के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्रों को सेना के सुपुर्द करने का कार्यक्रम पूरा हो गया है। इस समय यह कम्पनी दूसरे चरण के प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण के लिए सुविधाएं जुटाने में लगी है। इसने नौसेना के लिए राकेट और तारपीडो तथा विभिन्न सेवाओं के लिए अनेक उपकरणों का उत्पादन भी आरंभ कर दिया है।

भारत अयर्स मूवर्स लि० की स्थापना 1964 में हुई और 1 जनवरी, 1965 से इसने उत्पादन आरम्भ कर दिया। इसकी बंगलूर, कोलार गोल्ड फोल्ड्स और मैसूर में तीन उत्पादन इकाइयां हैं। भारत अयर्स मूवर्स लि० उच्च प्रौद्योगिकी के मिट्टी हटाने वाले उपकरणों—बुलडोजर, हम्मर, लोडर, स्केपर, मोटर ग्रेडर तथा क्रेनों के उत्पादन के क्षेत्र में तथा प्लेनेटरी एक्सल, पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन और नियंत्रण घाल्व जैसे आधुनिक फिल्म के पुर्जों के मामले में भारत की एक अग्रणी संस्था बन गई है। यह बड़ी लाइनों पर चलने वाले इन्टीग्रल कोचों का भी निर्माण कर रही है और भारतीय रेल की लगभग 30 प्रतिशत आवश्यकता पूरी कर रही है। उम्प ट्रक के निर्माण के लिए स्थापित मैसूर स्थित नई इकाई ने उत्पादन कार्य आरम्भ कर दिया है।

मिश्रधातु निगम लि०, हैदराबाद की स्थापना 1973 में की गई। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा, विद्युत उत्पादन, वैमानिकी, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरी और उपकरण उद्योग जैसे अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विभिन्न आकार-प्रकार के अनेक आधुनिक और सामरिक महत्व की धातुओं और मिश्र धातुओं के उत्पादन की क्षमता तैयार करना है।

## अनुसंधान और विकास

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के कुछ तकनीकी विकास एकाइ को मिलाकर की गई। इसके मुख्य कार्य रक्षा की सामरिक आवश्यकताओं के आधार पर नये और आधुनिक किस्म के अस्त्रों और उपकरणों के डिजाइन बनाना, उन्हें तैयार करना एवं देश में ही उनके उत्पादन में सहायता करना है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सभी सुविधाओं से युक्त 42 प्रयोगशालाएं/प्रतिष्ठान हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा उसकी प्रयोगशालाएं रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। रक्षामंत्रों के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव के अधीन यह विभाग, सैनिक कार्यवाहियों, उपकरण और संचार तंत्र के संबंध में तथा रक्षा कार्यों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित अनुसंधान, डिजाइन और विकास योजनाओं को सूचनायें रक्षामंत्रों, तीनों सेवाओं तथा अन्तर सेवा संगठनों को सलाह भी देता है। रक्षा से सम्बन्धित मुख्य विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में यह विभाग, राष्ट्रीय क्षेत्र में अनुसन्धान, विकास, परीक्षण और उत्पादन क्षमता के समन्वयन के कार्य में केन्द्रीय एजेंसी की भूमिका निभाता है।

संगठन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत विभिन्न विज्ञान और तकनीकी कार्य आते हैं जैसे : वायुयान, राकेट और मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक व यंत्रिक रडार-रखाव, युद्धक गाड़ियां, सामान्य इन्जीनियरिंग, विस्फोटक अनुसन्धान, कम्प्यूटर विज्ञान सम्बन्धी साजो-साभान, पोषक व कृषि अनुसंधान, जैव और व्यवहार विज्ञान और भूमि सम्बन्धी अनुसन्धान, कार्य-अध्ययन व पद्धति विश्लेषण, आदि संगठन इन सभी विकास योजनाओं पर अनुसन्धान का कार्य करता है, चाहे यह सेना की प्रत्यक्ष (स्टाफ परियोजना) की भावी आवश्यकता के तहत हो या राष्ट्रीय रक्षा।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक मुख्य उपलब्धि यह भी है कि उसने तीन मुख्य युद्ध-टैक के प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक पूरे किये हैं जिसकी आजकल तकनीकी जांच की जा रही है। पूरी तरह से तैयार होने पर यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाला एक आधुनिक किस्म का टैक होगा। इस संगठन द्वारा तैयार की गई अनेक अस्त्र-प्रणालियां रक्षा सेवाओं ने स्वीकार कर ली हैं और अनेक बड़े अस्त्र भी शीघ्र तैयार होने वाले हैं।

हाल ही में जो प्रमुख कार्यक्रम शुरू किये गये, उनमें उच्च प्रौद्योगिकी वाले हल्के लड़ाकू विमान तैयार करने तथा रक्षा सेवाओं की भावी प्रक्षेपास्त्र संबंधी भारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समेकित नियंत्रित प्रक्षेपास्त्रों (गाइडिड मि साइल) के विकास के कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ससाधनों का उपयोग किया जाएगा।

## प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना नागरिकों की एक स्वैच्छिक सेना है जो अंशकालिक आधार पर कार्य करती है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसके जरिये नागरिकों को अपने खाली समय में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। प्रादेशिक सेना आपात स्थितियों में सेना की सहायता करके, प्राकृतिक आपदाओं से



निपटने में असैनिक अधिकारियों की सहायता करके और संकटपूर्ण परिस्थितियों में, जब लोगों के जीवन और देश की सुरक्षा को खतरा हो, आवश्यक सेवाएं बनाए रखकर तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को सैनिक टुकड़ियां देकर देश की सेवा करती है। इसमें पैदल सेना की टुकड़ियां और कुछ तकनीकी यूनिटें, जैसे रेलवे इंजीनियर, सामान्य अस्पताल आदि होती हैं। विषम परिस्थितियों में तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में प्रादेशिक सेना में तेल बटालियनों भी शामिल कर दी गई हैं। 1983 में देश के कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए प्रादेशिक सेना में पर्यावरण यूनिटें भी स्थापित की गईं। इस क्षेत्र में यह एक अद्वितीय प्रयोग है जिसका बहुत अधिक महत्व और व्यापक क्षमताएं हैं। प्रादेशिक सेना की इकाइयां भारत से बाहर तब तक सैनिक कार्य नहीं करतीं जब तक कि इस बारे में सरकार का सामान्य अथवा विशेष आदेश न हो।

18 से 42 वर्ष की आयु वर्ग के और अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले सभी स्वस्थ भारतीय नागरिक प्रादेशिक सेना में अधिकारी या जवान के रूप में भरती हो सकते हैं। कुछ तकनीकी यूनिटों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट है।

#### नेशनल कैंडेट कोर

1948 में स्थापित नेशनल कैंडेट कोर (एन० सी० सी०) देश का एक प्रमुख युवा संगठन है जिसमें विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों के छात्र स्वेच्छा से प्रवेश ले सकते हैं। इसमें इस समय लगभग 10,000 शिक्षा संस्थाओं के 11 लाख से अधिक कैंडेट (लड़के और लड़कियां) हैं। इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, सच्चरित्रता, मित्रता, खेल-भावना और सेवा के आदर्श का विकास करना तथा अनुशासित और प्रशिक्षित नागरिकों का एक ऐसा बल तैयार करना है जो राष्ट्रीय आपात स्थिति में सहायता कर सके। इसका यह उद्देश्य भी है कि वह प्रशिक्षण द्वारा छात्रों में आफिसर के समान गुणों का विकास कर उन्हें सशस्त्र सेनाओं में कमीशन दिलवा सके। एन० सी० सी० के कैंडेट और कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए सक्रिय सैनिक सेवा करने की कोई बाध्यता नहीं है।

ले० जनरल के पद का अधिकारी इसका प्रमुख होता है जो कि देश में एन० सी० सी० के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। पूरे देश को राज्य स्तर पर 16 निदेशालयों में विभक्त किया गया है, जिनके अन्तर्गत सभी राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं। ब्रिगेडियर या उनके समकक्ष अधिकारी निदेशालय का प्रमुख होता है।

एन० सी० सी० में तीन डिवीजन हैं: महाविद्यालय के छात्रों के लिए सीनियर डिवीजन, स्कूल के छात्रों के लिए जूनियर डिवीजन तथा महाविद्यालय और स्कूल की छात्राओं के लिए गर्ल्स डिवीजन (सीनियर और जूनियर डिवीजन क्रमशः महाविद्यालय और स्कूलों के अंतर्गत)। इस समय सीनियर डिवीजन में कैंडेटों की प्रामाणिक संख्या 4.2 लाख (थल सेना में 3,33,800; नौसेना में 12,600; वायु सेना में 11,600 तथा लड़कियों के डिवीजन में 62,000) है। जूनियर डिवीजन में कैंडेटों की प्रामाणिक संख्या 7 लाख (थल सेना में 5,31,900, नौसेना में 49,100, वायुसेना में 52,000 और लड़कियों के डिवीजन में 67,000) है।

कैंडेटों को रक्षा सेवाओं की तरह प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उनके प्रशिक्षण में पर्वतारोहण और ट्रेकिंग (पैदल चलना) अभियान, साइकिल अभियान;

नौकायन, पैराशूट से छजंग लगाने का प्रशिक्षण, ग्लाइडिंग, शक्ति-चालित विमान से उड़ान भरने, पैरा सेलिंग आदि साहसिक कार्यों पर विशेष जोर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से कनाडा के साथ एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत दोनों देशों के युवा एक-दूसरे देश में जाते हैं। एन० सी० सी० कैंडेटों को सिंगापुर और ब्रिटेन के कैंम्पों में तथा वंगनादेश में विजय दिवस पर जाने का अवसर मिलता है। प्रशिक्षणार्थी के रूप में ही उन्हें भारतीय नौसैनिक जहाजों में विदेश भी भेजा जाता है। विभिन्न राज्यों के लोगों को एक-दूसरे के नजदीक लाने के उद्देश्य से 1983 में एक नया 'राष्ट्रीय ब्रबंधता' कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवा कैंडेटों (लड़के तथा लड़कियों) को एक-दूसरे के निकट लाकर उनमें पारस्परिक सद्भाव पैदा करना है। इस कार्यक्रम के अनुसार कैंडेट दूसरे राज्यों के कैंडेटों के घरों में रहेंगे और विकास परियोजनाओं पर मिलजुल कर काम करेंगे।

एन० सी० सी० के कैंडेट सामाजिक सेवा के कार्यों में भी भाग लेते हैं। इनके अर्न्तगत रक्तदान, वृक्षारोपण, गंदी वस्तियों की सफाई, कुष्ठ निवारण अभियान और प्रौढ़ शिक्षा आदि हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय कैंडेट स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करते हैं।

### भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी योजनाएं

पुनर्वास महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट) सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं, व्यावसायिक और तकनीकी कार्यों, भूमि कालोनियों तथा परिवहन सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिलाने का काम करता है। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में 'ग' वर्ग के पदों में 10 प्रतिशत और 'घ' वर्ग के पदों में 20 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इनके लिए इन वर्गों में आरक्षण क्रमशः 14½ और 24½ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में असिस्टेंट कमांडेंट के 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 से लेकर 20 प्रतिशत तक पद आरक्षित कर दिए हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा तथा शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी गई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिक कार्य दल में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया है।

डिफेंस सिन्स्युरिटी कोर में भी भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। डिफेंस सिन्स्युरिटी कोर के कामियों को सेवा शर्तों में पर्याप्त सुधार होने पर तथा पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा चलाए गए विशेष भर्ती अभियान के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक इस कोर में नियुक्त किए गए हैं।

इस आशय के सरकारी आदेश भी जारी किए गए हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति पर कमीशन रिक के नीचे के सैनिकों के मामले में उनको पूरी सैनिक पेंशन की छूट दी जाएगी। अफसरों के मामले में छूट की सीमा 250 रु० से बढ़ाकर 500 रु० प्रति मास कर दी गई है। अधिकतर राज्य सरकारों ने भी इन आदेशों को लागू किया है।

बहुत से स्वनियोजित उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आरक्षण, लोक वाहनों के लिए राज्यों को दिए गए राष्ट्रीय परमिटों में से 10 प्रतिशत का आरक्षण, कोयले की ढुलाई के लिए भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कम्पनियां बनाना, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा बनायी गयी रक्षा मंत्रालय को सप्लाई की जाने वाली सभी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत राज सहायता की अदायगी की योजनाएं शामिल हैं। पुनर्वास महानिदेशालय नई मोटरगाड़ियों, ट्रैक्टरों, तिपहिए स्कूटरों, सेना की फालतू मोटरगाड़ियों और मरम्मत योग्य डुप्लिकेटों और टाइपराइटरों की खरीद में भी भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करता है। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्वनियोजित योजनाओं के लिए बैंक से लिए गए कुछ सीमा तक के ऋण के व्याज में भी रियायतें दी गई हैं। लगभग 295 भूतपूर्व सैनिक परिवारों को, जिनको खेती का अनुभव है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में बसाया गया है।

पंद्रह प्रतिशत खाद की दुकानें तथा साढ़े सात प्रतिशत रसोई-गैस/पेट्रोल पंप/मिट्टी के तेल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की एजेंसियां सैनिकों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। सेवामुक्त सैनिकों को मदर डेयरी या दिल्लीदुग्ध योजना के दूध तथा सब्जियों और फलों की दुकानें दिलवाने में डी० जी० आर० मदद करते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के दूसरे चरण में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को पचास हजार बीघा जमीन दिलवाई गयी।

मार्च 1981 में 'नौकरी के दौरान प्रशिक्षण' की एक योजना आरम्भ की गई। इसके तहत चुने हुए लोगों को, जिनका सेवा काल 18 महीने रह गया है, और आठवीं तक पहुँचे हैं तथा गैर तकनीकी विभाग में काम करते हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, (एम व्ही) लाइन मैन, मोल्डर, प्लंबर, जिल्दसाज तथा वड़ईगीरी का प्रशिक्षण शामिल है।

'प्री-क्रम-पोस्ट रिलीज प्रशिक्षण योजना' के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) के एक हजार स्थान सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। देश भर के सौ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 53 विषयों में एक और दो साल के पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है :

1983 के आरंभ में पैक्ससेम (भूतपूर्व सैनिकों की स्वरोजगार के लिए तैयारी) नामक एक नयी योजना पर विचार किया गया। प्रयोग के तौर पर इसे पंजाब (पटियाला), हरियाणा (नारनौल), राजस्थान (झुनझुनू) हिमाचल प्रदेश, (कांगड़ा), उत्तर प्रदेश (बस्ती), और तमिलनाडू (उत्तरी आरकोटा) के एक जिले में शुरू किया गया। इस योजना में भूतपूर्व सैनिकों को जरूरी प्रशिक्षण/सलाह और वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे कि वे ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार आरम्भ कर सकें। पिछले तीन वर्षों में इन छः जिलों में लगभग 1581 भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 535 सैनिकों ने स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया और 113 लोगों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में पुनः नौकरी प्राप्त की। इस योजना पर आया खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया गया। केन्द्र द्वारा प्रायोजित

योजना के रूप में इस योजना को आठ अन्य जिलों में भी लागू किया गया। गांवों में रहने वाले भूतपूर्व सैनिकों में इस योजना की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण ऐसा किया गया। अब इस योजना पर होने वाले खर्च को केन्द्र तथा राज्य सरकारें आधा-आधा बांट लेंगी।

स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए अनेक विषयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी आयोजन किया जाता है। अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाओं में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित होते हैं। वर्तमान में गैर तकनीक लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें दूरदर्शन-तकनीक, कंप्यूटर-पाठ्यक्रम, वातानुकूलन तथा प्रशीतन (रेफ्रिजरेशन) संबंधी प्रशिक्षण, अंक संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा स्कूटर मरम्मत आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया गया है। अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं में आयोजित किये जाते हैं।

सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा अधिकारियों के लिए कम अवधि के (चार से छः सप्ताह के) अनेक विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ताकि वे अपने भविष्य के लिए योजना बना सकें।

एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार सेवानिवृत्त के बाद काम मिलने की संभावनाओं में वृद्धि के लिए निम्न विषयों में औपचारिक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है :

- (क) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला तथा मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, मदुराई से व्यावसायिक-प्रशासन में तीन वर्ष का स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम ;
- (ख) राष्ट्रीय कार्मिक प्रवन्ध संस्थान, पटना से कार्मिक प्रवन्ध में दो वर्ष का पत्राचार द्वारा स्नातकोत्तर डिप्लोमा ;
- (ग) भारतीय व्यावसायिक प्रवन्ध संस्थान, पटना द्वारा प्रवन्ध विषय में पत्राचार द्वारा दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा ;
- (घ) भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसायटी नई दिल्ली का प्रशिक्षण और विकास में डेढ़ वर्ष का पत्राचार और इंटर्नशिप डिप्लोमा, तथा
- (ङ) वाजार प्रवन्ध संस्थान, नयी दिल्ली द्वारा व्यवसाय प्रवन्ध में पत्राचार द्वारा एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

पुनर्वास महानिदेशालय, नयी दिल्ली का केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की मदद करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। केन्द्रीय बोर्ड विभिन्न राज्यों के राज्य सैनिक बोर्डों में समन्वय स्थापित करती है जबकि राज्य बोर्ड अपने जिलों के जिला सैनिक बोर्डों के कार्यों में एकसूत्रता लाते हैं। इस संस्था के पास अनेक कल्याण कोष होते हैं, जिनका उपयोग भूतपूर्व तथा विकलांग सैनिकों के कल्याण तथा पुनर्वास में किया जाता है। इनके अतिरिक्त भूतपूर्व तथा युद्ध में दुर्घटनाग्रस्त सैनिकों के आश्रितों के लिए शिक्षा सुविधाएं, कानूनी और चिकित्सा सहायता तथा विशेष पेंशन की व्यवस्था भी की जाती है। युद्ध में अग्र्ये हुए तथा सैन्य-सेवाओं के कारण आँवों की रोगाणी खो बैठे हुए भूतपूर्व सैनिकों को विशेष पेंशन दी जाती है।

## युद्ध पीड़ितों का पुनर्वास

दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध के बाद केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों, विशेषकर विधवाओं को तथा अपंग सैनिकों और उनके आश्रितों को लाभ व सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत सी योजनाएं तैयार कीं। विभिन्न योजनाओं पर कार्यवाही को समन्वित करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया। महत्वपूर्ण केन्द्रीय योजनाओं में एक योजना युद्ध में मारे गये आधिकारियों, जवानों की विधवाओं और उनके परिवारों को तथा अपंग सैनिकों को उदार पेंशन की रियायतें देने की है। फरवरी, 1972 में लागू हुई इस योजना का लाभ 1947 में जम्मू तथा कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण से लेकर सभी सैनिक कार्यवाहियों से प्रभावित सैनिकों को दिया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार रक्षा सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के सभी मृत तथा स्थायी रूप से अपंग हुए व्यक्तियों के आश्रितों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है। केन्द्रीय सरकार उन आश्रितों की शिक्षा का भी पूरा खर्च उठाती है जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं।

अन्य योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी देने में ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। अपंग सैनिकों को आयु, शैक्षिक अर्हताओं और स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं में छूट दिये जाने के अलावा प्राथमिकता-1 दी जाती है।

सेवाकाल के दौरान युद्ध में मारे गये या गंभीर रूप से अपंग हुए या लगभग 50 प्रतिशत तक शारीरिक रूप से अपंग सैनिकों के दो आश्रितों को केन्द्रीय सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' के पदों में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता-2 दी जाती है; यद्यपि वे सैनिक सेवा के कारण अपंग हुए हों। राज्य जिला सैनिक बोर्डों को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों तथा अपंग सैनिकों के नाम भेज सकें। साथ ही रोजगार कार्यालय अनारक्षित पदों पर भी नियुक्ति के मामले में उनकी सहायता करते रहते हैं।

राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत नकद अनुदान, खेती के लिए भूमि का अनुग्रह आवंटन तथा रियायती दरों पर आवासीय भूखण्ड देने की व्यवस्था है।

## छावनी बोर्ड

सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के स्वास्थ्य, कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए केन्टोनमेंट ऐक्ट, 1924 के अधीन छावनियां बनायी गयीं। इस अधिनियम में छावनी में रहने वाले असैनिक लोगों के नागरिक प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है और उसमें छावनी के प्रशासन में असैनिक नागरिकों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था है। प्रत्येक छावनी में एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें चुने हुए, मनोनीत और पदेन सदस्य होते हैं जो उस कमांड के जी० ओ० सी०-इन-सी० के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में कार्य करते हैं। छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। दिसम्बर 1985 में 48 छावनी बोर्डों का चुनाव हुआ।

असैनिक नागरिकों की संख्या के आधार पर छावनियों की श्रेणी को 1, 2 और 3 में वर्गीकृत किया गया है। 62 छावनियों में से 30 श्रेणी-1, 19 श्रेणी-2 और 13 श्रेणी-3 की छावनियां हैं। सरकार को पूर्व अनुमति से छावनी बोर्डों को अपने क्षेत्र में ऐसे कर लगाने का अधिकार है जो निकटवर्ती नगरपालिका द्वारा लगाये गये हों। लेकिन इस तरह से जो राजस्व वसूल होता है वह अधिकतर इतना नहीं होता जिसे बोर्ड अपना बजट पूरा कर सके इसलिए केन्द्रीय सरकार अनुदान द्वारा उनकी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त सरकारी इमारतों के रख-रखाव के लिए सरकार ने वर्ष 1984-85 से सेवा शुल्क देना शुरू कर दिया है और मंडू सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह राशि विनास कार्यों पर खर्च हो।

केन्टोनमेंट ऐक्ट 1924 का 1983 में संशोधन किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ संशोधित अधिनियम द्वारा सरकार को बोर्डों के प्रशासन से संबंधित मामलों में छावनी बोर्डों के किसी भी निर्णय अथवा जी० प्रो० सी०-इन-सी० के आदेश पर पुनर्बिचार करने की शक्ति दी गयी है। साथ ही बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार नये कर लगाने अथवा वर्तमान करों की दरें बढ़ाने के लिए भी निर्देश दे सकती है।

शिक्षा, प्रगति तथा विकास की प्रारंभिक शर्त है। देश की विकास प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होने के कारण, आयोजन की प्राथमिकताओं में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के चार दशकों में समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप साक्षरों की कुल संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है। प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों की संख्या में चार गुना से अधिक वृद्धि होने से ऐसे स्कूलों की संख्या भी दुगुने से ज्यादा हो गई है। विश्वविद्यालयों की संख्या में पांच गुना वृद्धि हुई है। शैक्षिक सुविधाओं में संख्यात्मक रूप में वृद्धि होने के साथ-साथ अब गुणात्मक सुधार लाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

सन् 1976 से पूर्व शिक्षा का पूरा दायित्व राज्यों पर था, तथा केन्द्र का कार्य केवल तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करना तथा स्तर-निर्धारण करना था। 1976 में संविधान में संशोधन के जरिये शिक्षा का दायित्व केन्द्र और राज्य सरकारों पर संयुक्त रूप से आ गया।

सातवीं योजना में शैक्षिक गतिविधियों के स्तर तथा श्रेष्ठता के उन्नयन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों की चुनौती का सामना करने के लिए शैक्षिक तंत्र को गतिशील बनाने, विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के अधिक अवसर जुटाने तथा देश में उपलब्ध मानवीय संसाधनों की क्षमता के विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक तंत्र के पुनर्गठन पर विशेष बल दिया जाएगा। शिक्षा के नये प्राण का उद्देश्य 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक तंत्र को मजबूत आधार प्रदान करना है जिसकी जड़ें वैज्ञानिक मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के प्रति गौरव तथा आवश्यक जीवन-मूल्यों की स्थापना में होंगी।

सबके लिए प्राथमिक शिक्षा तथा 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग में निरक्षरता की समाप्ति के लक्ष्य को 1990 तक प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प होकर प्रयास किये जायेंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाओं को पार करने के लिए अपनाई जाने वाली मुख्य रणनीति में ब्लाक तथा स्कूल स्तर की विस्तृत योजनाओं और स्थानीय यातावरण तथा विकास गतिविधियों को प्रभावी रूप से जोड़ने का प्रावधान है। प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए "आपरेशन ब्लॉक वॉर्ड" कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। शिक्षा की प्रासंगिकता तथा इसके स्तर को ऊपर उठाना सातवीं योजना का एक महत्वपूर्ण केन्द्र-विन्दु होगा। विशेषतः हर स्तर पर गणित तथा विज्ञान-शिक्षण के स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास होंगे। अनौपचारिक शिक्षा तथा खुली शिक्षा-पद्धतियों को हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। स्त्री-शिक्षा, जो विशेष महत्व का क्षेत्र है, को भी इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को अधिक आकर्षक तथा सम्मानित बनाने के लिए आवश्यक सुधार किये जाएंगे। जहां बहुत आवश्यक न हो, वहां डिग्रियों को काम

की एक आवश्यक शैक्षिक योग्यता या पूर्व-शर्त मानने पर जोर नहीं दिया जाएगा।

### शैक्षिक योजना

नीति-निर्माण के अलावा शिक्षा विभाग शैक्षिक योजना भी बनाता है, जिसका दायित्व राज्य सरकारों पर भी है। पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को विकास प्रक्रिया से सम्बद्ध न करके समाज सेवा के रूप में ही लिया जाता रहा। किन्तु छठी पंचवर्षीय योजना से मानव ससाधनों के विकास के जरिये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और 15-35 वर्ष के आयुवर्ग में प्रौढ़ निरक्षरता का वन्मूलन करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी है। इन दोनों कार्यक्रमों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है। समाज के कमजोर वर्गों में शिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इनमें लड़कियाँ तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना (1986) में 1990 तक सबके लिए प्राथमिक शिक्षा तथा वयस्क साक्षरता का प्रावधान रखा गया है। तकनीकी और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का रूप देने, प्रादेशिक भाषाओं का विकास करने तथा योजनागत कार्यक्रमों आदि पर नियन्त्रण रखने और उनके मूल्यांकन की व्यवस्था को मजबूत बनाने के कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के बीच गतिशील और लाभकारी संपर्क स्थापित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है।

योजना आयोग ने छठी योजना में शिक्षा के लिए 2,524 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, जबकि पूर्वानुमानित व्यय 2,945 करोड़ रुपये है। यह छठी योजना के शिक्षा पर कुल परिच्यय का 116.7 प्रतिशत है और छठी योजना के शिक्षा संबंधी परिच्यय पर लगभग 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सातवीं योजना में योजना आयोग ने शिक्षा के लिए 6,383 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वर्ष 1985-86 में केन्द्र और राज्यों का शिक्षा पर अनुमानित व्यय 998.85 करोड़ रुपये है। वर्ष 1986-87 में शिक्षा-परिच्यय 1188.26 करोड़ रुपये रखा गया है।

1985-86 के लिए उपलब्ध बजट अनुमानों में से शिक्षा पर कुल बजट व्यय 8725.69 करोड़ रुपये थाता है जो केन्द्र व राज्य सरकारों के कुल बजट अनुमान का 9.4 प्रतिशत है। शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धियों और लक्ष्यों को साक्षरता 5.1 में विस्तार से दिखाया गया है।

### साक्षरता

साक्षरता की राष्ट्रीय औसत दर जो 1951 में 16.67 प्रतिशत थी, 1981 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 36.23 प्रतिशत हो गयी है। 18 राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 61.56 प्रतिशत की सर्वोच्च साक्षरता दर थी तथा झरणाचल प्रदेश में सबसे कम 11.29 प्रतिशत थी। 1981 में, केरल ने अपनी स्थिति में सुधार किया तथा 70.42 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त कर



सर्वाधिक साक्षर प्रदेश बन गया, जबकि 20.79 प्रतिशत की न्यूनतम साक्षरता-दर अरुणाचल प्रदेश में बनी रही। 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग में साक्षरता की स्थिति 1951 में 254.1 लाख से बढ़कर 1981 में 1,101 लाख हो गयी। साक्षरों की कुल संख्या 1951 में 601.9 लाख से बढ़कर 1981 में 2,475.5 लाख हो गयी (इसमें असम में साक्षर जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि सम्मिलित है)। इस प्रकार तीस वर्ष में साक्षरता में चौगुनी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार निरक्षरों की कुल संख्या 1951 के 3,009 लाख से बढ़कर 1981 में 4,376.3 लाख हो गयी (इसमें असम के निरक्षरों की अनुमानित संख्या सम्मिलित है)। इन निरक्षरों में 3,695.2 लाख अर्थात् 84.44 प्रतिशत गांवों में रहते हैं। पुरुषों की साक्षरता दर 46.89 प्रतिशत है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 24.82 प्रतिशत है। देश के कुल 412 जिलों में (1981 जनगणना) 243 में साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है, और इनमें वे 193 जिले भी शामिल हैं जहां महिलाओं की साक्षरता की दर 20 प्रतिशत से कम है।

### प्रारंभिक शिक्षा

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह संकल्प किया गया है कि सन् 1990 तक ग्यारह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा या अनौपचारिक रूप से इसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे। इसी प्रकार 1995 तक 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क दी जायेगी। छठी योजना में बच्चों का शिक्षा के लिए नाम दर्ज कराने का लक्ष्य तथा उपलब्धियां सारणी 5.2 में दी गई हैं।

14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश को पूरा करने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

देश में अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी सरकारी/स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जाने वाले तथा सरकारी अनुदान पानेवाले स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा निःशुल्क है।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपलब्धियाँ

1950-51 1960-61 1968-69 1978-79 1982-83<sup>1</sup> 1983-84<sup>1</sup> 1984-85

शिक्षा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	191.5	349.9	543.7	689.6	770.4	811.0	839.0
2. 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्गों के विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	42.6	62.4	78.1	81.6	87.2	91.8 <sup>2</sup>	94.1
3. कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	31.2	67.0	125.4	181.8	222.1	245.9	257.0
4. 11 से 14 वर्ष तक के आयु वर्गों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	12.7	22.5	33.5	38.0	43.9	48.4 <sup>2</sup>	49.8
5. कक्षा 9 से 11/12 तक के विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	12.2	28.9	61.5	84.1	118.2	156.7	160.7
6. 14 से 17 वर्ष तक के आयु वर्गों के विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	5.3	10.6	18.3	18.8	24.6	32.5 <sup>2</sup>	32.4
7. विश्वविद्यालय स्तर तक के कला, विज्ञान और वाणिज्य के कुल विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	3.6	8.9	17.0	38.2	47.5	35.5	28.9
8. 17 से 23 वर्ष तक के आयु वर्गों के छात्रों की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	0.8	1.0	3.3	4.9	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9. विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के विद्यार्थियों का प्रतिशत	37.8	28.9	23.0	18.0	12.0	11.0	21.9
10. प्राइमरी/जूनियर सेकेंड स्कूलों की संख्या	2,09,671	3,30,399	4,00,621	4,72,519	5,03,741	5,09,143	5,19,701

(1)

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11. मिडिल/सीनियर वैदिक स्कूलों की संख्या	13,596	49,663	84,246	1,12,801	1,23,423	1,26,345	1,29,879
12. हाई/हायर सेकेंड्री स्कूलों की संख्या	7,288	17,257	33,487	46,874	52,279	55,235	58,834
13. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या	782	1,138	231	118	908 <sup>3</sup>	914 <sup>3</sup>	923
14. शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या	53	478	1,377	1,286	511	517	367
15. कला, विज्ञान (अनुसंधान सहित) और वाणिज्य कालेजों की संख्या	542	1,122	2,141	8,698	8,011	7,834 <sup>3</sup>	8,114
16. विश्वविद्यालयों की संख्या	27	45	92	1254	1374	1374	150
17. प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	5,37,918	7,41,515	10,05,282	12,96,639	13,89,356	13,91,912	15,58,140
18. प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	58.8	64.8	76.9	87.1	86.9	88.2	88.7
19. मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	85,496	3,45,228	5,95,733	8,25,146	8,56,3898	78,562	9,05,207
20. मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	53.3	66.5	81.0	87.4	89.5	90.6	90.6
21. उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	1,26,504	2,96,305	5,81,618	8,18,507	9,93,115	10,32,219	10,75,48
22. विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की संख्या	18,648	41,759	91,069	2,49,399	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1. ग्रॉन्ड्स अनलिप्त हैं, इनमें डिवी स्तर से नीचे की संख्याएँ भी शामिल हैं।

2. प्रवित्त 1983 की अनुमानित वारसंख्या पर आधारित है।

3. केवल कला, विज्ञान तथा वाणिज्य कालेज शामिल हैं।

4. इनमें राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त संस्थाएँ सम्मिलित हैं।

## सारणी 5.2

छठी योजना के दौरान नामांकन लक्ष्य तथा  
उपलब्धियाँ

(लाखों में)

आयु वर्ग	छठी योजना लक्ष्य	1984-85 (उपलब्धियाँ)	1985-86 लक्ष्य	1985-86 (उपलब्धियाँ)
<b>6—11</b> (कक्षा I— )				
लड़के	485	515	528	528
लड़कियाँ	342	339	366	363
कुल	827 (95.2)	854 (96.3)	894 (101.7)	891
<b>11—14</b> (कक्षा VI—VIII)				
लड़के	166	173	188	187
लड़कियाँ	92	94	102	93
कुल	258 (50.3)	267 (55.2)	290 (52.2)	280

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सम्बन्धित आयु वर्ग की जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में नामांकन दर्शाते हैं)।


## माध्यमिक शिक्षा

13 राज्यों 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में 10वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। ये राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अदमन और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेरि। इसके अतिरिक्त मणिपुर, उड़ीसा और उत्तरप्रदेश में 10वीं कक्षा तक शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बच्चों के लिए सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।


उच्चतर माध्यमिक स्तर (11वीं, 12वीं कक्षा) तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में है : गुजरात, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम

# बोर्डों में प्राथमिक शिक्षा दाखिलों में बढ़ोतरी (लाखों में)

## प्राथमिक स्तर कक्षा I से V आयु 6-11 वर्ष



## मध्य स्तर कक्षा VI से VIII आयु 11-14 वर्ष



(राज्य) तथा अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और पाण्डिचेरि केन्द्र शासित प्रदेश। इसके प्रतिरिक्त मध्यप्रदेश तथा मणिपुर में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है।

### 10+2+3 पद्धति

इस पद्धति को अपनाते की सिद्धांतियाँ सबसे पहले कर्नाटक विश्वविद्यालय आयोज (1917-19) ने की थी। इस प्रस्ताव का समर्थन केन्द्रीय शिक्षा सचिवद्वारा बोर्ड ने भी किया। समान पद्धति के अलावा इसमें शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रस्ताव था। इस पद्धति के अन्तर्गत इंटरमीडियेट स्तर को विश्वविद्यालय से हटाकर स्कूल में रखा गया है, जहाँ इसे वास्तव में होना चाहिये। इस पद्धति से उच्चतर माध्यमिक स्तर को व्यावसायिक रूप देने का कार्य अधिक आसान और कारगर हो गया है। इसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश देने की आयु को वांछित स्तर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा इससे स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के स्तर में वृद्धि होगी।

इस समय 26 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षा को 10+2 पद्धति अपना रहे हैं। +3 स्तर, अर्थात् 10+2 स्तर के बाद तीन वर्ष का डिग्री कोर्स 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जा रहा है।

### विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

देश में उच्च शिक्षा 135 विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कई कला, विज्ञान, वाणिज्य या व्यावसायिक शिक्षा कालेजों के माध्यम से दी जाती है। इसके प्रतिरिक्त अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में 17 अनुसंधान संस्थान तथा अन्य संस्थाएँ 1 जुलाई 1986 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अर्धीन विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत हो चुकी हैं। संसद द्वारा 9 संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ घोषित किया गया है।

### विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1953 में स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों शिक्षा की उन्नति तथा समन्वय के लिए आवश्यक कदम उठाने और विश्वविद्यालयों में अध्ययन, परीक्षा तथा अनुसंधान का स्तर निर्धारित करने और उसको कायम रखने का कार्य करता है। इसे विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं की जाच-नदस्ता करने और, उन्हें समुचित अनुदान देने का भी अधिकार है। आयोग नये विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उच्चतर शिक्षा संबंधी अन्य विषयों पर सरकार को सलाह भी देता है।

### राष्ट्रीय प्राध्यापकी

सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापकी प्रारम्भ की। इसके अन्तर्गत प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और विद्वानों को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में उनके अमूल्य सहयोग के लिये सम्मानित किया जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने अपनी आयु के 65 वर्ष पार कर लिये हैं और जिनका अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण योगदान रहा है और जो अनुसंधान के क्षेत्र में अपना लाभकारी सहयोग देने में सक्षम हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान प्राध्यापक के पद के लिये विचारणीय होते हैं। इस पद पर नियुक्ति प्रारम्भ में 5 वर्ष के लिये की जाती है जिसकी अवधि अगले 5 वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकती है।

इस योजना के प्रारम्भ से अब तक नियुक्त हुए राष्ट्रीय प्राध्यापकों की सूची इस प्रकार है (विषय तथा नियुक्ति के वर्ष कोष्ठक में दिये जा रहे हैं) : डा० चन्द्रशेखर वैकटरामन (1888-1970) (भौतिकी-1949); डा० सत्येन्द्र नाथ बोस (1894-1974) (भौतिकी-1958); डा० राधा विनोद पाल (1886-1967), (न्यायशास्त्र-1959); डा० पांडुरंग वामन काने (1880-1971) (भारतविद्या-1959); डा० शिशिर कुमार मित्रा (1890-1963) (भौतिकी-1962); डा० दाराशाँ नौशेरवाँ वाडिया (1883-1969) (भूविज्ञान-1962); डा० वसन्त रणजीत खानोलकर (1895-1978) (श्रौपधि-विज्ञान 1963); डा० सुनीति कुमार चटर्जी (1890-1977) (मानविकी-1965); डा० शियाली रामामृता रंगनाथन (1892-1972) (पुस्तकालय विज्ञान-1965); डा० सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली (जन्म-1896) (पक्षी विज्ञान-1982); डा० तेल्लीयावरम महादेवन पोन्नमवलम महादेवन (जन्म-1911) (दर्शनशास्त्र-1982); डा० विजयेन्द्र कस्तूरीरंगा वर्धेराजा राव (जन्म-1908) (अर्थशास्त्र-1984); डा० दुर्गादास (जन्म-1907) (संवैधानिक कानून-1986) ।

### द्विरोप अनुसंधान संस्थान

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिपद्, नई दिल्ली, जो 1972 में स्थापित की गई थी, इतिहास संबंधी अनुसंधान की राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित तथा कार्यान्वित करती है । यह इतिहास के वैज्ञानिक ढंग से लेखन को भी प्रोत्साहित करती है । यह अनुसंधान परियोजनाएं चलाती है, तथा व्यक्तिगत रूप से चलाई जा रही अनुसंधान परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है । इसके अतिरिक्त यह परिपद् फ़ैलोशिप देती है तथा प्रकाशन और अनुवाद कार्य की व्यवस्था करती है ।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिपद्, नई दिल्ली, एक स्वायत्तशासी संगठन है जिसकी स्थापना देश में समाज विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा इसका समन्वय करने के लिए की गई थी । इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना; इसके सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं को सलाह देना; अनुसंधान कार्यक्रम प्रायोजित करना तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए व्यक्तियों तथा संस्थानों को अनुदान देना ।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना सरकार ने दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए की थी । इसके अन्य कार्य हैं : दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रायोजित करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना; अनुसंधान आदि के कार्य में लगे विद्वानों तथा संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, 1965 में स्थापित हुआ था । यह मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च-स्तरीय

अनुसंधान का केन्द्र है। यहाँ अनेक विद्वान ज्ञान की नई दिशाओं की खोज करते हैं जिनका उद्देश्य सामयिक महत्व के प्रश्नों पर महत्वपूर्ण संश्लेषात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और विभिन्न विषयों को बहु आयामी बनाना है। श्री कृष्ण कृपलानी की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित एक समिति के सुझावों के आधार पर संस्थान को पुनर्गठित कर दिया गया है।

### तकनीकी शिक्षा

प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता माध्यमिक स्तर पर अनेक प्रकार के काम-धंधों के लिए होती है, जैसे व्यावहारिक क्षेत्र में जानकारी के प्रयोग के लिए, उत्पादन और निर्माण के लिए, परीक्षण और विकास के लिए। इस उद्देश्य से 330 पॉलीटेक्निकों में, जिनमें प्रतिवर्ष 58,000 विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। इसमें इंजीनियरी तथा टेक्नालॉजी के बहुत से पाठ्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, डिप्लोमा स्तर के अन्य संस्थान फार्मसी, और होटल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इनके अलावा 42 अन्य मान्यताप्राप्त पॉलीटेक्निक पूर्णतः लड़कियों के लिए हैं। ये पॉलीटेक्निक प्रतिवर्ष 5,200 लड़कियों को प्रवेश दे रहे हैं। जो पॉलीटेक्निक अभी तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अखिल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें ऊपर दिये गये आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बड़ी संख्या में पॉलीटेक्निक खोले गये हैं। ये राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्डों से सम्बद्ध हैं। बोर्ड पाठ्यक्रमों का सामान्य स्तर तथा मानदण्ड निर्धारित करते हैं तथा छात्रों एवं पॉलीटेक्निकों की मूल्यांकन पद्धति के लिए उत्तरदायी हैं। जहाँ संस्थान में पूर्णकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ इन पाठ्यक्रमों की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष है और जहाँ प्रशिक्षण सेमीविच प्रणाली या अंशकालिक आधार पर है वहाँ पाठ्यक्रम की अवधि 3½ वर्ष से 4 वर्ष तक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स) में व्यावसायिक प्रशिक्षण/कारिगर पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

इंजीनियरी और टेक्नालॉजी के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 159 प्राथमिक इंजीनियरी कालेजों में इंजीनियरी और टेक्नालॉजी के स्नातक डिग्री तक के कोर्स हैं। इनकी वार्षिक प्रवेश-क्षमता लगभग 33,800 है।

स्नातकोत्तर कोर्स के लिए 105 संस्थान हैं, जिनकी प्रवेश-क्षमता लगभग 6,500 है। जो लोग पहले ही से काम में लगे हुए हैं, उनके लिए अधिकांश संस्थानों में अंशकालिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने की सुविधा है। इंजीनियरी और टेक्नालॉजी में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कोर्स की अवधि तीन सेमेस्टर की है।

इंजीनियरी और टेक्नालॉजी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं बम्बई, कानपुर, छद्दगपुर, मद्रास और नई दिल्ली में स्थापित पांच राष्ट्रीय संस्थानों में हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी के नाम के ये संस्थान प्रतिवर्ष स्नातक-पूर्व के कोर्सों में लगभग 1,600 विद्यार्थियों



को प्रवेश देते हैं। इसके अलावा इनमें तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर में प्रतिवर्ष स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 2,000 विद्यार्थियों को और 1,500 शोध छात्रों को प्रवेश मिलता है। इंजीनियरी और टेक्नॉलाजी की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण के लिए 16 रीजनल इंजीनियरिंग कालेज हैं। धान और धातु विज्ञान, श्रौद्योगिक इंजीनियरी, गढ़ाई और उलाई तथा वास्तु शिल्प जैसे विशेष पाठ्यक्रमों के लिए भी अनेक केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इंजीनियरी की शिक्षा को व्यावहारिक प्रशिक्षण से सम्बद्ध करने के लिए कई इंजीनियरिंग कालेज और पॉलीटेक्निक अब उद्योगों के सहयोग से काम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए ऐसे पाठ्य-क्रमों की अवधि 4½-5 वर्ष और डिप्लोमा के लिए 3½-4 वर्ष है। पॉलीटेक्निकों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता, भोपाल, चण्डीगढ़ और मद्रास में एक-एक प्रशिक्षण संस्थान है।

अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलूर और लखनऊ स्थित चार राष्ट्रीय संस्थान अपने सुव्यवस्थित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों द्वारा निजी एवं सरकारी उपक्रमों की प्रबन्धकीय जरूरतें पूरी करने में सहायता करते हैं। वर्तमान में इन संस्थानों में लगभग 500 विद्यार्थियों के नामांकन की क्षमता है। ये संस्थान शोध, परामर्श एवं प्रकाशन के द्वारा प्रबंधन संबंधी समस्याओं के समाधान में तथा प्रबन्धन विज्ञान संबंधी साहित्य के विकास में अपना योगदान देते हैं। ये फैलोशिप कार्यक्रम भी संचालित करते हैं जो पीएच०डी० के समकक्ष होते हैं। इनके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक एवं स्वैच्छिक संगठनों के लगभग 55 ऐसे संस्थान हैं जो प्रबंधन के सामान्य एवं क्रियात्मक क्षेत्र में पूर्णकालिक, अंश-कालिक एवं पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नॉलाजी के स्थानान्तरण के माध्यम से सामुदायिक/ग्रामीण विकास को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के लिए सारे देश में चुने हुए डिप्लोमा स्तर के संस्थानों में सामुदायिक पॉलीटेक्निक की एक योजना है। इस समय पूरे देश में 46 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों में यह योजना चल रही है। अब तक जो सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, उनकी सहायता से भारत अब अगले दशक तक की जरूरत के लिए तकनीकी जनशक्ति जुटाने की स्थिति में है।

## प्रौढ़ शिक्षा

शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय नीति-1986 में कहा गया है कि अशिक्षा, खास तौर से 15-35 के आयु वर्ग में, के उन्मूलन के लिए पूरा देश वचनबद्ध हो। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समूचे राष्ट्र को, शिक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य जीवनभर शिक्षा, के साथ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर अमल के लिए, संसाधन जुटाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना होगा। चूंकि विकास कार्यक्रमों में लाभान्वित होने वाले लोगों की भागीदारी का निर्णायक महत्व है, राष्ट्रीय ध्येयों के साथ जुड़े प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, राष्ट्रीय एकीकरण, छोटे परिवार के प्रतिमान का पालन, महिलाओं को समानता दिये जाने को बढ़ावा

आदि आयोजित विधे जायेगे। प्रौढ़ और अनवरत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जायेगा, जिसमें अनवरत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, जन-संचार साधनों और पुस्तकालयों का प्रयोग, दूरस्थ शिक्षा तथा जलूत पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल है।

इस समय यह कार्यक्रम, 513 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं, 500 स्वयंसेवी संस्थाओं, 40 धर्मिक विद्यापीठों तथा 98 विश्वविद्यालयों और 2,900 कालेजों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में कार्यरत 17 राज्य संसाधन केन्द्रों के साथ सहयोग से (राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी और शैक्षिक समन्वय सुहाया किया जा रहा है।

1 मई 1986 को सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें विश्वविद्यालय और कालेजों के 2 लाख एन० एस्० एम० और 1 लाख गैर एन० एस्० एस्० छात्र शामिल हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को निर्देशित करने वाली बातों में राष्ट्रीय शीतल से नीचे साक्षरता वाले जिलों को शामिल करना, महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्राथमिकता, स्वयंसेवी संस्थाओं को इसमें शामिल करना तथा साक्षरता के बाद अनुवर्ती कार्यक्रम शामिल है। निरक्षरता के उन्मूलन के लिए एक टेक्नोलॉजीय मिशन तैयार किया जायेगा जिससे साक्षर होने की प्रक्रिया को त्वरित और आसान बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक कार्यवाहीपूर्ण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

छठी योजना में 15-35 आयु वर्ग में 2 करोड़ 30 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को नामांकित किया गया है। 1985-86 के दौरान 72.64 लाख लोगों को साक्षरता के लिए भर्ती किया गया। 1986-87 के लिए निर्धारित 83.60 लाख के मुकाबले, जून में समाप्त होने वाली तिमाही में ही 73.30 लाख तक का लक्ष्य हासिल कर लिया गया, जिसमें 54.32 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

## महिला शिक्षा

सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तेज करने में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के महत्व को स्वीकारते हुए सरकार ने समय-समय पर दस दिना में अनेक कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि शिक्षा को महिलाओं के स्तर में सुनिश्चिती परिवर्तन लाने की राजनीति के रूप में प्रोत्साहन में लाया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (1) महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रदा करेगी, (2) नये विधे के अन्तर्गत किये गये पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से नये मूल्यों के शिक्षण के योगदान देगी और (3) विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में स्त्री-संशोधन अध्ययन को प्रोत्साहित करेगी।

उद्देश्यों की मुख्य विशेषताओं और अमल में लाने की दृष्टि से है—(1) महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए एक समन्वयित प्रणाली की भूमिका की योजना के लिए समन्वयित शिक्षा प्रणाली को तैयार किया गया है।

(2) विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में महिलाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन तथा महिलाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन, (3) व्यावसायिक तकनीकी और पेशागत शिक्षा कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार और (4) निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गतिशील प्रबन्धकीय ढांचे का निर्माण।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, सरकार ने सभी स्तरों पर महिला शिक्षा के प्रोत्साहन और विकास पर एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति स्थापित की है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम लागू किया है जिसके अंतर्गत सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्थानीय तिकाय स्कूलों में 9वीं-10वीं कक्षाओं की छात्राओं के शिक्षा शुल्क की पूर्ति की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम 1985-86 से प्रभावी है और सातवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1989-90 तक जारी रहेगा। 1985-86 के दौरान जिन राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए उन्हें 800.47 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

### शैक्षिक प्रौद्योगिकी

चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में 1972 में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, शिक्षा के अचसरों को बढ़ाने तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान विषमताओं को कम करने के लिये शैक्षिक प्रौद्योगिकी के साधनों का उपयोग करना है। इस योजना के अन्तर्गत, 21 राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया है।

'इन्सेट' की दूरदर्शन सुविधाओं के सन्दर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुझाव दिया कि इनका लाभ उठाने वाले मंत्रालयों को अपने विशिष्ट प्रयोगों के लिये कार्यक्रमों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कार्यक्रम प्रासंगिक, सार्थक तथा प्रभावी हैं। इसी प्रकार निर्माण क्षमताओं को भी विकेंद्रित करना आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय किया है कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी दूरदर्शन से धीरे-धीरे शिक्षा विभाग द्वारा ले ली जायेगी।

इस निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 'इन्सेट' की सुविधा वाले राज्यों में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करना आवश्यक था। तदनुसार, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 6 इन्सेट राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक-एक राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित कर इस कार्य को विकेंद्रित किया जा रहा है। गैर-इन्सेट राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के माध्यम से 'इन्सेट' कार्यक्रम में भाग लेने के लिये तैयार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सीमित निर्माण क्षमताओं का विकास किया जा रहा है ताकि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कार्यक्रम निर्माण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों

के आयोजन में इसका प्रयोग कर सकें। केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा शिक्षण सहायता विभाग को मिलाकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के अधीन केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी० आई० ई० टी०) स्थापित किया गया है।

शैक्षिक कार्यक्रमों, विशेष रूप से आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सुविधाओं के उपयोग की दृष्टि से तय की गई मुख्य प्रायमिकताएं निम्न लिखित हैं :

- औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा को संवसुलम बनाना;
- प्रौढ़ों के लिये अनौपचारिक शिक्षा देना तथा शिक्षा को आर्थिक और सामाजिक कार्यों के साथ जोड़ना ;
- व्यावसायिक तथा पेशेवर कौशल का विकास ;
- नागरिकता की शिक्षा ;
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विज्ञान को लोकप्रिय बनाना ;
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना ; तथा
- राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे जनसंख्या, शिक्षा, ऊर्जा वचत, वन्य जीवन परिरक्षण, पर्यावरण की स्वच्छता, पोषण तथा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता प्रदान करना ।

शिक्षक-शिक्षा की व्यापक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जन-संचार साधनों का उपयोग जिन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है वे हैं :

- शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाना ;
- औपचारिक स्कूल शिक्षण में सहायता प्रदान करना ; तथा
- शिक्षा के लिये दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के शैक्षिक उपयोगों के उद्देश्यों को समझने में सहायता करना ।

अच्छे व्यावसायिक स्तर के तथा शैक्षिक उपयोगिता वाले दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण का दायित्व राज्य निर्माण केन्द्रों पर होगा। प्रारम्भ में कार्यक्रम प्रारम्भिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित होंगे। एक बार निर्माण केन्द्रों द्वारा पूर्ण रूप से कार्य प्रारम्भ किये जाने पर ये शिक्षा के सभी स्तरों की कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। निर्माण केन्द्रों के 1986-87 के अंत तक पूर्णतः कार्यरत हो जाने की आशा है।

जब तक कि राज्य निर्माण केन्द्र कार्य करना प्रारम्भ न कर दें, तब तक केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है। ये कार्यक्रम 6 प्रदेशों में प्रसारित किए जा रहे हैं। इन्फेट राज्यों में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों का निर्माण कार्य दूरदर्शन तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच बराबर के आधार पर किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के लिये सप्ताह में पांच दिन ऐसे दो कार्यक्रम प्रतिदिन होते हैं, जो स्कूलों के कार्य घण्टों के दौरान दूरदर्शन पर दिखाये जाते हैं। ये कार्यक्रम 5-8 वर्ष के प्रायु वर्ग तथा 9-11 वर्ष के प्रायु वर्ग के लिये होते

हैं। प्रत्येक शनिवार को अध्यापकों के लिये कार्यक्रम होता है। उपलब्ध सीमित निर्माण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान इस समय हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रम तैयार कर रहा है तथा उन्हें सम्बन्धित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में डब कर रहा है। इस संस्थान द्वारा कुछ कार्यक्रम मराठी और गुजराती में भी तैयार किए गए हैं।

### राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह स्कूली शिक्षा के गुणवत्तीय सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और अमल में लाने से संबंधित मामलों में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अकेडमिक सलाह देने में मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं, जिनकी स्कूली शिक्षा में रुचि है, के साथ निकट सहयोग से काम करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी करीबी संपर्क बनाये रखती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों की परिषद् तथा केन्द्रीय शिक्षा टैक्नॉलाजी संस्थान, नई दिल्ली और राज्य शिक्षा विभागों से संपर्क बनाये रखने के लिए विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 17 क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालय कार्यरत हैं।

परिषद् मुख्य रूप से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत है और इसने शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली को लागू करने में समर्थन प्रदान किया है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा, परिषद् ने पूरी स्कूली शिक्षा के लिए (कक्षा एक से 12 तक) लगभग सभी विषयों में पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं। परिषद् द्वारा तैयार की गयीं पाठ्य-पुस्तकों तथा पूरक पठनीय सामग्री को अपने स्कूलों के लिए स्वीकार करने और रूपान्तरित करने में राज्य स्वतंत्र हैं। परिषद् स्कूलों के प्रयोग के लिए वीडियो टेप, टेप स्लाइड, फिल्म और अन्य श्रव्य-दृश्य (आडियो-विजुअल) सामग्री तैयार करती है। परिषद् प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए कम लागत वाले विज्ञान के किट भी तैयार करती है। परिषद् प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को और यूनीसेफ की सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू कर रही है।

स्कूलों में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन नामक परियोजना को भी शुरू किया गया है ताकि कुछ चुने हुए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लगाये जा सकें। स्कूली बच्चों में जनसंख्या के प्रति चेतना विकसित करने के लिए यू०एन०एफ० पी०ए० के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना भी शुरू की गयी है। यूनीसेफ की पांच निम्नलिखित परियोजनाएं इन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए प्रगति पर हैं: (1) प्राइमरी शिक्षा को व्यापक पहुंच तक ले जाना; (2) पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छ वातावरण; (3) प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण; (4) सामुदायिक शिक्षा और भागीदारी में

विद्यालयों में निर्वाचित; और (5) बच्चों की सीखने प्रयोगशाला/सहकारणों की शिक्षा।

सामुदायिक शिक्षण की एक राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के रूप में शुरू किया गया है। इनमें बच्चों की सामुदायिक रूप में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा उन्मुख राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की योजना विकसित की जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों की पुनर्गठना और राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण में मुख्यतः किया जाता है। परिणत द्वारा इसे अपने अनुभवों के कारण 'शिक्षा प्रयोगशाला' में सुधार लाने तथा इसे अधिक समुदाय, विद्यार्थियों और माता बचाने का सारना गया।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968) में संशोधन कर नयी शिक्षा नीति (1986) देश को नयी दिशा (1) क्षेत्रीयक टेक्नोलॉजी, मुख्य-प्रधान शिक्षा और राष्ट्रीय प्रतिष्ठान पर जोर दिया गया है। एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाना शोकाह या गया है शिक्षण व्यवस्था के विकास कार्यक्रम तथा मूल पाठ्यक्रम लागू करने का मन्ता है। स्कूल शिक्षण के प्रवृत्तियों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है शिक्षण प्रयोगशाला के दौरान उन्हें:

- (1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986; (2) राष्ट्रीय 'पाठ्यक्रम बनाना; और
- (3) क्षेत्रीयक टेक्नोलॉजी के अध्ययन कराया जा सके।

राष्ट्रीय क्षेत्रीयक अनुसंधान और प्रविष्टान परिणत अनुसंधान कार्यकर्ता है और करवानी है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रविष्टान कार्यक्रम प्रोत्साहित करती है तथा स्कूल शिक्षा के विभिन्न परवृत्तियों पर सहाय्यक सेवाएं मुहैया करती है। और क्षेत्रीय शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षण के लिए सेवा शुरू करने में परवृत्त तथा सेवा के मध्य में प्रविष्टान कार्यक्रम प्रोत्साहित करने हैं।

परिणत चार परिणत विभागों है: शिक्षण (एम्प्लोयमेंट सिस्टम (शिक्षणविद्य), जनक शाला शिक्षण (शिक्षणविद्य); स्कूल शिक्षण (शिक्षणविद्य); प्राथमिक शिक्षण (शिक्षणविद्य)। भारतीय प्राथमिक शिक्षा (शिक्षणविद्य) तथा प्राथमिक शिक्षण (शिक्षणविद्य) हिन्दी में ही प्रकाशित करने जाते हैं।

हर वर्ष परिणत राष्ट्रीय प्रविष्टान शिक्षण प्रयोगशाला के माध्यम पर छात्रों को 750 छात्रवृत्तियाँ (सहाय्यक) प्रदान करती है। महान उन्मीदवाओं की विज्ञान, गणित और सामुदायिक विज्ञान विभागों में वा-इंजीनियरिंग और विद्युत-यंत्र विभागों में विद्युत-यंत्र विभागों के लिए छात्रवृत्तियों पर नए व्यवस्थापन कार्य करने के लिए छात्रवृत्तियाँ देती है।

छात्रवृत्तियाँ

शिक्षा विभाग अपने छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाता है, शिक्षण प्रयोगशाला द्वारा भारतीय छात्रों को उच्च और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा और प्रविष्टान की सुविधाएं भी प्रदान है। विभाग प्रयोगशाला के माध्यमों को शिक्षण प्रयोगशाला पर वा-प्रयोग में छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1961-62 में प्रारंभित व माध्यमों के माध्यम पर शुरू किया गया था। इसे छात्रवृत्तियों द्वारा प्रोत्साहित प्रयोगशाला के

है। प्रत्येक शनिवार को अध्यापकों के लिये कार्यक्रम होता है। उपलब्ध सीमित निर्माण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान इस समय हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रम तैयार कर रहा है तथा उन्हें सम्बन्धित राज्य की क्षेत्रीय भाषा में डब कर रहा है। इस संस्थान द्वारा कुछ कार्यक्रम मराठी और गुजराती में भी तैयार किए गए हैं।

### राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिपद्

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद् की स्थापना 1961 में की गई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह स्कूली शिक्षा के गुणवत्तीय सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और अमल में लाने से संबंधित मामलों में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अकेडमिक सलाह देने में मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं, जिनकी स्कूली शिक्षा में रुचि है, के साथ निकट सहयोग से काम करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी करीबी संपर्क बनाये रखती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों की परिपद् तथा केन्द्रीय शिक्षा टेक्नालाजी संस्थान, नई दिल्ली और राज्य शिक्षा विभागों से संपर्क बनाये रखने के लिए विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में 17 क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालय कार्यरत हैं।

परिपद् मुख्य रूप से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत है और इसने शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली को लागू करने में समर्थन प्रदान किया है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के अलावा, परिपद् ने पूरी स्कूली शिक्षा के लिए (कक्षा एक से 12 तक) लगभग सभी विषयों में पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं। परिपद् द्वारा तैयार की गयीं पाठ्य-पुस्तकों तथा पूरक पठनीय सामग्री को अपने स्कूलों के लिए स्वीकार करने और रूपांतरित करने में राज्य स्वतंत्र हैं। परिपद् स्कूलों के प्रयोग के लिए वीडियो टेप, टेप स्लाइड, फिल्में और अन्य श्रव्य-दृश्य (आडियो-विजुअल) सामग्री तैयार करती है। परिपद् प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए कम लागत वाले विज्ञान के किट भी तैयार करती है। परिपद् प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को और यूनीसेफ की सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू कर रही है।

स्कूलों में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन नामक परियोजना को भी शुरू किया गया है ताकि कुछ चुने हुए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लगाये जा सकें। स्कूली बच्चों में जनसंख्या के प्रति चेतना विकसित करने के लिए यू०एन०एफ० पी०ए० के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना भी शुरू की गयी है। यूनीसेफ की पांच निम्नलिखित परियोजनाएँ इन क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए प्रगति पर हैं : (1) प्राइमरी शिक्षा को व्यापक पहुंच तक ले जाना; (2) पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छ वातावरण; (3) प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण; (4) सामुदायिक शिक्षा और भागीदारी में

विकासात्मक गतिविधियाँ; और (5) बच्चों की मीडिया प्रयोगशाला/वाल्वावस्था की शिक्षा ।

सामुदायिक गायन का एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है । इससे बच्चों को सामूहिक रूप से गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनमें राष्ट्रीय एकीकरण की चेतना विकसित की जा सके । स्कूली पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है । परिपक्व द्वारा किये गये अनुसंधानों के कारण 'परीक्षा प्रणाली' में सुधार लाने तथा इसे अधिक वस्तुपरक, विश्वसनीय और मान्य बनाने का रास्ता खुला ।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1968) में संशोधन कर नयी शिक्षा नीति (1986) तैयार की गयी जिसमें (1) शैक्षणिक टेक्नोलॉजी, मूल्य-प्रधान शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण पर जोर दिया गया है । एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा स्वीकार किया गया है जिससे अध्ययन के समान कार्यक्रम तथा मूल पाठ्यक्रम लागू किये जा सकते हैं । स्कूल शिक्षकों के अनुकूलन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे प्रोपम अवकाश के दौरान उन्हें :

- (1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986; (2) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा; और
- (3) शैक्षणिक टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जा सके ।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपक्व अनुसंधान कार्य करती है और करवाती है । यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सलाहकार सेवाएं मुहैया करती है । चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने शिक्षकों के लिए सेवा शुरू करने से पहले तथा सेवा के मध्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं ।

परिपक्व चार पत्रिकाएं निकालती है : इंडिया एज्यूकेशन रिव्यू (त्रैमासिक), जर्नल ऑफ इंडियन एज्यूकेशन (द्विमासिक); स्कूल साइंस (त्रैमासिक); प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक) । भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) तथा प्राइमरी शिक्षक (त्रैमासिक) हिन्दी में भी प्रकाशित किये जाते हैं ।

हर वर्ष परिपक्व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर छात्रों को 750 छात्रवृत्तियाँ (स्कारलरशिप) प्रदान करती है । सकल उम्मीदवारों को विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों में या इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए डाक्टरेट स्तर तक अध्ययन जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति देती है ।

### छात्रवृत्तियाँ

शिक्षा विभाग अनेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाता है, जिसमें अन्य देशों द्वारा भारतीय छात्रों को उच्च और विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी शामिल हैं । विभाग अन्य देशों के नागरिकों को द्विपक्षीय आधार पर या अन्य तरह से छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है ।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1961-62 में योग्यता व साधनों के आधार पर शुरू किया गया था । इसे राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रशासित प्रशासनों के



माध्यम से लागू किया जा रहा है। 1985-86 में 27,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं। 1986-87 में इसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है।

1963-64 से राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना लागू है। यह भी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों के माध्यम से लागू की जाती है। नयी छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 है।

मान्यता प्राप्त आवासीय सेकेंडरी स्कूलों में छात्रवृत्तियों की योजना 1953-54 में शुरू की गयी थी। इसे सीधे स्कूलों में लागू किया जा रहा है। हर वर्ष 11-12 वर्ष आयु के उन छात्रों को 500 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं जिनके माता-पिता की आय 500/- प्रति माह से अधिक नहीं है।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के लिए मैट्रिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजना 1955-56 से लागू है तथा राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की जा रही है। 1979-80 से हर वर्ष इस तरह की 2,500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, जो 1949-50 में शुरू की गयी थी, सरकार कुछ चुने हुए अफ्रीकी, एशियाई और अन्य विकासशील देशों के नागरिकों को हर वर्ष इंजीनियरिंग टेक्नॉलाजी/चिकित्सा/फार्मसी और अन्य सामान्य विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कुछ छात्रवृत्तियां देती है। इसके लिए भारतीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में स्थान आरक्षित हैं। ये छात्रवृत्तियां उतनी अवधि के लिए होती हैं जोकि उस डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिनके लिए कोई छात्र चुना गया है। भारत और अन्य देशों के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गयी है। इसके माध्यम से विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की वे सभी सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं जो उनके देश में उपलब्ध नहीं हैं। विदेशों में भारतीय मिशनो के माध्यम से चुने हुए देशों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं और केवल उन्हीं छात्रों के आवेदनों पर विचार किया जाता है, जिनकी उनके देशों द्वारा भारतीय मिशनो के जरिये सिफारिश की जाती है।

स्वयं व्यय बहन योजना के अंतर्गत अपने खर्च का स्वयं इंतजाम करने वाले विदेशी छात्रों का बी-फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जाता है। इसके लिए भारतीय संस्थाओं में स्थान आरक्षित हैं।

बंगलादेश के नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति/फेलोशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष बंगलादेश के नागरिकों को 110 छात्रवृत्तियां (इसमें 10 संस्कृत और पाली की छात्रवृत्तियां शामिल हैं) दी जाती हैं। यह छात्रवृत्ति भी व्यवहारतः उतनी ही है जितनी कि सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना में है।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों के लिए सेकेंडरी स्तर पर छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा का विकास करना तथा इन्हें समीपवर्ती अच्छे जिला स्कूलों में शिक्षा देना है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति मिडिल स्तर से शुरू होती है और सैकेंडरी स्तर पर समाप्त होती है, जिसमें 12वीं कक्षा भी शामिल है। 1985-86 के लिए इस धेगो में 33 हजार छात्रवृत्तियां दी गयीं। 1986-87 के दौरान इसमें थोड़ी वृद्धि की संभावना है।

विदेशों में शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना 1971-72 से चालू है और सीधे कन्ड्र द्वारा चलायी जा रही है। चिकित्सा और कृषि-अध्ययन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। हर वर्ष 50 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 1985-86 के दौरान विभिन्न विदेशी सरकारों ने, भारतीय छात्रों को 400 छात्रवृत्ति/फेलोशिप प्रदान कीं। भारतीय छात्रों द्वारा हर वर्ष लगभग 250 छात्रवृत्तियां का उपयोग किया जाता है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/फेलोशिप योजना के अंतर्गत हर वर्ष विदेशी छात्रों को 300 छात्रवृत्ति/फेलोशिप दी जाती हैं। 1985-86 के दौरान 170 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में दाखिल किये गये और इन कार्यक्रमों के तहत इन्हें छात्रवृत्तियां दी गयीं। सामान्यतः छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए दी जाती है और पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। सामान्यतः छात्रवृत्तियां स्नातकोत्तर अध्ययन/प्रनुसंधान के लिए ही मुख्य रूप से दी जाती हैं।

## पुस्तकें

### राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन० वी० टी०) सन् 1957 में गठित एक स्वायत्त संगठन का उद्देश्य लोगों में पुस्तक-प्रेम को बढ़ावा देना तथा विभिन्न प्रायु वर्गों के लिए उचित दामों पर अच्छी अध्ययन सामग्री का निर्माण करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास, पूर्व निर्धारित पुस्तकालयों के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करता है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकमालाएँ, इस प्रकार हैं—भारत भूमि और लोग, राष्ट्रीय जीवन, युवा भारत, भारत की लोक कथाएँ, लोकप्रिय विज्ञान तथा आज का विश्व। अपनी स्थापना से अब तक न्यास ने इन पुस्तकमालाओं के अन्तर्गत 2,980 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इनके अतिरिक्त न्यास राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो प्रमुख प्रकाशन-कार्यक्रम आदान-प्रदान और नेहरू बाल पुस्तकालय भी चलाता है। आदान-प्रदान शृंखला के अन्तर्गत 640 से अधिक तथा नेहरू बाल पुस्तकालय के अन्तर्गत 1,150 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

न्यास अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तक-मेलों का आयोजन करता है। अब तक इसने 6 अन्तर्राष्ट्रीय मेले, 13 राष्ट्रीय पुस्तक मेले तथा 110 से अधिक क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। वर्ष 1985-86

इलाहाबाद में तीसरा राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला, पटना में चौदहवां राष्ट्रीय पुस्तक मेला तथा नई दिल्ली में सातवां विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया।

भारतीय लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए, न्यास उनकी लिखी विश्व-विद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता की एक योजना चला रहा है ताकि ये पुस्तकों छात्रों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। अभी तक 750 पुस्तकों के लिए आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में पुस्तकों उपलब्ध कराना तथा पोलिटेक्नीक स्तर की पुस्तकों उपलब्ध कराना भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। न्यास का एक प्रमुख कार्य संगोष्ठियां, विचार गोष्ठियां तथा लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है।

### पुस्तक निर्यात

भारत पुस्तक प्रकाशित करने वाले 10 प्रमुख देशों में है तथा अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में इसका तीसरा स्थान है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों तथा अनुवाद की विक्री के प्राधिकार को प्रोत्साहन देने तथा विदेशों से मुद्रण का काम प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना, भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करना, विपणन अध्ययनों का आयोजन तथा टिप्पणीयुक्त सूची पत्रों और विवरणिकाओं के प्रसार द्वारा व्यावसायिक प्रचार शामिल हैं।

1985-86 के दौरान भारत ने 25 करोड़ रुपये की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का निर्यात किया।

### पुस्तक आयात

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं, समाचार पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के आयात की अनुमति दी गई है। ऐसे पुस्तक व्यवसायी, जिनका पुस्तकों का कारोबार 3 लाख रुपये या अधिक हो, खुले सामान्य लाइसेंस के अतिरिक्त अपने पुस्तकों की खरीद के कारोबार के 10 प्रतिशत के आधार पर आयात लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

### राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र की स्थापना एक सूचना तथा प्रलेखन केन्द्र के रूप में सन् 1972 में नई दिल्ली में की गई थी। यह केन्द्र विश्वविद्यालय स्तर की भारतीय पुस्तकों के लिए तथा भारतीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए, पुस्तकों के लिए एक सार्थक आयात नीति तैयार करने के उद्देश्य से विदेश से आयातित मुद्रित सामग्री के प्रलेखन तथा सांख्यिकीय विश्लेषण के प्रयास करता रहता है। इसके पास विदेशी पाठ्य पुस्तकों के आर्थिक सहायता प्राप्त संस्करणों सहित विश्वविद्यालय स्तर की भारतीय पुस्तकों का विशाल संग्रह है।

केन्द्र को देश में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक अंक प्रणाली प्रारम्भ करने हेतु एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामजद किया गया है।

### राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् को सितम्बर 1983 में पुनर्जीवित किया गया। पहले इसे राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड कहा जाता था तथा इसने 1967—74 तक कार्य किया। परिषद् पुस्तकों से जुड़े विभिन्न हितों का प्रतिनिधि संगठन है जिसके निम्नलिखित कार्य हैं :

- (1) देश को समग्र आवश्यकताओं के सुन्दर में पुस्तक उद्योग के विकास के लिए रूपरेखाएं निर्धारित करना;
- (2) लोगों में पढ़ने को आदतों को बढ़ावा देना;
- (3) लेखन को, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहन देना और लेखकों के हितों की सुरक्षा हेतु उपाय सुझाना; तथा
- (4) राष्ट्रीय पुस्तक नीति का मसौदा तैयार करना।

### कॉपीराइट

कॉपीराइट का संरक्षण भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 द्वारा होता है, जो 1958 में लागू हुआ था। अधिनियम के अन्तर्गत एक कॉपीराइट कार्यालय सन् 1958 से मुम्बई में कार्यरत है, जिसमें कॉपीराइट होता है और जो कृतियों के स्वामियों के लिए उनके स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कॉपीराइट सम्बन्धी विवादों में मध्यस्थता अधिकारों के साथ एक कॉपीराइट बोर्ड स्थापित किया गया है।

भारत दो अन्तर्राष्ट्रीय कॉपीराइट समझौतों—यूनेस्को (1948) तथा यूनिवर्सल कॉपीराइट समझौता (1952)—का सदस्य है। दोनों समझौतों को 1971 में पेरिस में फिर संशोधित किया गया था, जिसमें विकासशील देशों को विशेष छूट के अन्तर्गत विदेशी मूल की पुस्तकों के शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पुनर्काशन/अनुवाद का अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम, 1957 को 1983 में निम्न विशिष्ट कारणों से संशोधित किया गया—

(क) ताकि यूनेस्को समझौते तथा यूनिवर्सल कॉपीराइट समझौते के 1971 के पेरिस समझौते के पाठ को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक पुस्तकों के अनुवाद तथा पुनर्काशन के लिए, अनिवार्य लाइसेंस देने से सम्बन्धित प्रावधानों को शामिल किया जा सके, (ख) लेखकों के अधिकारों को समुचित संरक्षण दिया जा सके तथा (ग) 1957 के कॉपीराइट अधिनियम में अनभव की गयी प्रशासनिक कमियों तथा अन्य कमजोरियों को दूर किया जा सके। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1983, 9 अगस्त 1984 में लागू किया गया।

देश में व्यापक रूप में फैल रही साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए कॉपीराइट अधिनियम को 1984 में फिर संशोधित किया गया। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1984 बनाया गया है तथा साहित्यिक चोरी के विभिन्न अवसरों के लिए अधिक कठोर नज़ाओं के प्रावधान रखे गये हैं। कॉपीराइट का उल्लंघन सख्त अपराध माना गया है। अधिनियम में कॉपीराइट के उल्लंघन पर बड़े हुए दण्ड की व्यवस्था है। यह दण्ड 6 माह की न्यूनतम सजा से 3 साल तक

की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने के रूप में हो सकता है। यह अधिनियम 8 अक्टूबर, 1984 से लागू हो गया है।

**भाषाओं की प्रगति** सरकार की नीति प्राचीन, आधुनिक तथा जनजातीय भाषाओं सहित सभी भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन देना है। इस अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें त्रिभाषा फार्मूला अपनाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने तथा अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम परिवर्तित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने पर विशेष बल दिया गया। किसी भी रूप में हिन्दी को लादने की इच्छा न रखते हुए अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षण हेतु सुविधाओं के प्रोत्साहन के लिए समर्थन दिया जाता है और वहाँ के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता; हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना, दसवीं कक्षा से आगे की कक्षाओं में हिन्दी के अध्ययन के लिए इन राज्यों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देना, स्वयंसेवा हिन्दी संगठनों को हिन्दी शिक्षण के लिए कक्षाएं चलाने के लिए सहायता, हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के आयोजन, इसके शिक्षण पद्धति तन्त्र पर अनुसन्धान कार्यों का संचालन तथा विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। जनजातीय, प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रगति और विकास के लिए पुस्तकें, शब्दकोश, अनुसन्धान, शैक्षणिक सामग्री के निर्माण तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की योजनाएं; कार्यान्वित की जा रही हैं।

हिन्दी

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के माध्यम से सरकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के छात्रों को हिन्दी सिखाने के लिए उन्नत तरीकों के विकास, उपयुक्त पाठ्य सामग्रियों की तैयारी तथा पढ़ाई के सुधरे तरीकों के विकास को प्रोत्साहन देता है। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के माध्यम से सरकार देश में अहिन्दी भाषी राज्यों, विदेशी दूतावासों में हिन्दी पुस्तकों के क्रय तथा प्रकाशन और उनके मुफ्त वितरण से सम्बद्ध कार्यक्रमों का संचालन, विदेशों तथा अहिन्दी भाषी छात्रों के लिए अंग्रेजी, मलयालम तथा बंगला के माध्यम से हिन्दी शिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रमों; शब्दावली/द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों को तैयार करने तथा उनके प्रकाशन कार्यों को प्रोत्साहन देता है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली को विभिन्न विषयों पर पारिभाषिक शब्दकोश/शब्दावलियाँ बनाने, अखिल भारतीय तकनीकी शब्दावली तैयार करने तथा आधारभूत विज्ञानों, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावलियाँ बनाने का कार्य सौंपा गया है। रूपि, अभियांत्रिकी (जिसमें पॉलीटेक्निक भी शामिल है), पशुचिकित्सा विज्ञान, वानिकी, चिकित्सा विज्ञान और नर्सिंग (जिसमें पैरामेडिकल और भेषज विज्ञान भी शामिल है), में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य सौंपा गया है।

हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों/किन्द्र शासित प्रदेशों तथा अन्य राज्यों में कार्यक्रम स्वीकृत हिन्दी संगठनों को अनुदान सहायता दी जाती है ।

अहिन्दी भाषी राज्यों/किन्द्र शासित प्रदेशों को प्रभावी ढंग से त्रिभाषा मूत्र पर अमल करने में सहायता देने के लिए उच्च प्राइमरी, मिडिल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी अध्यापकों को नियुक्ति के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों/किन्द्र शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा रही है । अनुदान सहायता मुख्यतया अहिन्दी भाषी राज्यों/किन्द्र शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विकास तथा उन्हें सुसंगठित करने के लिए और एक सीमा तक ऐसे अहिन्दी भाषी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को जहां इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, दी जाती है ।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली में हिन्दी के अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को प्रति वर्ष 50 छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था है । विदेशों में, जहां हिन्दी भाषियों की संख्या काफी है, हिन्दी में सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विदेशी दूतावासों में हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना के लिए हिन्दी पुस्तकें दी जाती हैं । हिन्दी के टाइपराइटर तथा अन्य उपकरण भी भेजे जाते हैं । सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी के विद्वानों को भेजा जाता है ।

### साहित्यिक भारतीय भाषाएं

आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास को योजना के अन्तर्गत सरकार विश्वकोशों, शब्दकोशों तथा वैज्ञानिक रुचि की पुस्तकों जैसे प्रकाशनों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देती है । भारतीय भाषाओं के विकास के लिए साहित्यिक सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा प्रदर्शनियों के लिए अनुदान दिए जाते हैं । मुद्रित प्रतियों को खरोद द्वारा भी उन्हें सहायता दी जाती है । क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर को पुस्तकों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को विशेष सहायता दी जाती है ।

उर्दू प्रोत्साहन न्यूरो (बी० पी० यू०) 1969 में शिक्षा विभाग में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में खोला गया । तरबूत-ए-उर्दू बोर्ड के, जो उर्दू के विकास के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए उच्चतम परामर्शदायी संस्था है, कार्य-संचालनों में सहायता देने के अतिरिक्त उर्दू प्रोत्साहन न्यूरो उर्दू में शैक्षिक साहित्य का विकास करता है । न्यूरो ने 31 केंद्रीय भाषा केंद्र स्थापित किये हैं जहां छात्रों को किताबत का प्रशिक्षण दिया जाता है । इनमें से चार केंद्र केवल महिलाओं के लिए हैं तथा तीन में अल-गैरिफ सुलेखन सिखाया जाता है ।

सरकार मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है । इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर को भाषा-विवरण, भाषा-शिक्षण, भाषा प्रौद्योगिकी तथा भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान का

दायित्व सौंपा गया है। जनजातीय भाषाओं का अध्ययन इसका एक प्रमुख कार्य है। संस्थान ने अब तक भाषाई विवरण तथा सामग्री तैयार करने के लिए 52 जनजातीय तथा सीमावर्ती भाषाओं/बोलियों का कार्य हाथ में लिया है। यह संस्थान भुवनेश्वर, मैसूर, पटियाला, पुणे और सोलन में स्थित पांच क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों को सहयोग देता है, जो त्रिभाषा फार्मूले पर अमल करने में प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग पूरी करने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के आश्वासनों को पूरा करने में मदद करते हैं।

### अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाएं

सरकार ने केन्द्रोद अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद की स्थापना 1958 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य देश में अंग्रेजी के शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाना है। बाद में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसमें प्रमुख विदेशी भाषाओं जैसे रूसी, जर्मन, फ्रेंच और अरबी भाषाओं और उनके साहित्य की शिक्षा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत 1973 में इसे उच्च शिक्षा की संस्था घोषित किया गया और विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके शिलांग तथा लखनऊ में दो क्षेत्रीय केन्द्र हैं।

भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण तथा अध्ययन के स्तर को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों को अंग्रेजी भाषा के लिए जिना केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इन केन्द्रों का उद्देश्य राजकीय अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अंग्रेजी के अध्यापकों को प्रशिक्षण देना तथा उसके बाद पत्राचार कार्यक्रम द्वारा उन्हें लम्बे समय की व्यावसायिक सहायता तथा मार्गदर्शन करना है। राज्यों के अंग्रेजी भाषा शिक्षण-संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना भी सोची गयी है ताकि उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बल मिले।

### संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषाएं

संस्कृत शिक्षा तथा अरबी और फारसी जैसी अन्य शास्त्रीय भाषाओं के प्रसार, प्रचार और विकास के लिए कई कार्यक्रम हैं। इनके तहत आयोजित की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं: स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलायी जा रही कुछ संस्थाओं को अधिक वित्तीय मदद देकर आदर्श संस्कृत पाठशालाओं के रूप में विकसित करना प्राध्यापकों, युवा शिक्षकों को रोजगार, समकालीन लेखकों के मौलिक लेखन के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता, दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संपादन और प्रकाशन तथा पाण्डुलिपियों को तालिकाबद्ध करना, अनुपलब्ध संस्कृत पुस्तकों का पुनः-प्रकाशन, मौखिक वैदिक परंपरा को बढ़ावा देना, संस्कृत पाठशालाओं से निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रमुख विद्वानों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संस्कृत शब्दकोशों का प्रकाशन।

संस्कृत के विकास और प्रसार के लिए काम पर रहे पंजीकृत संगठनों को शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियों/भवनों के निर्माण और मरम्मत, पुस्तकालय के लिए किताबों, अनुसंधान—परियोजनाओं आदि के लिए आवस्यक

और पुनरावर्तक अनुदान दिये जाते हैं। जो कि स्वीकृत व्यय का 75 प्रतिशत तक होता है। 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पारंपरिक संस्कृत शिक्षा के पाठ्यक्रम आयोजित करने वाली 650 स्वयंसेवी संस्थाओं को लाभ मिला।

जिन संस्थाओं में अधिक विद्यार्थी की संभावना मौजूद है, उनको चुना जाता है और उन्हें आदर्श संस्कृत पाठशाला/शोध संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाता है तथा व्यय की आवर्तक मदों पर 95 प्रतिशत तक भी सहायता दी जाती है। ऐसी 14 आदर्श संस्कृत पाठशालाओं/शोध संस्थाओं को 1985-86 के दौरान सहायता दी गई। इसी तरह देश में 24 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें वैदिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए 95 प्रतिशत अनुदान दिया गया। यह मंत्रालय उन 10 वेद इकाइयों को भी वित्तीय सहायता दे रहा है, जो देशों के मौखिक पाठ की परंपरा को सुरक्षित रखने के काम में लगी हैं।

मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और जो दिल्ली, जम्मू, इलाहाबाद तिरुचिपति, गुडवापूर, पुरी और जयपुर स्थित 7 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों पर, शैक्षणिक और प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, जहां पारंपरिक शास्त्रों पर स्नातकोत्तर संस्कृत शिक्षा तथा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किये जाते हैं। एक अन्य संस्कृत विद्यापीठ लखनऊ में स्थापित किया गया है तथा इसने चालू शैक्षणिक वर्ष में कार्य करना शुरू कर दिया। इसके अलावा देश की 43 संस्थाएं परीक्षा के लिए इससे संबद्ध हैं। संस्थान प्रथम में लेकर विद्या चारिधि और वाचस्पति (पी०एच० टी०, और डी लिट्) तक परीक्षाएं आयोजित करता है।

मंत्रालय संस्कृत के समकालीन लेखकों को अपनी पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए भी सहायता दे रहा है। इसके लिए हाल ही में सहायता स्वीकृत खर्च के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी गई है। अनुसंधान सम्याओं और विश्वविद्यालयों के स्थापित विभागों को दुर्लभ पाण्डुलिपियों के विवेचनात्मक संस्करणों तथा संस्कृत पाण्डुलिपियों की नालिकाओं को तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए भी मदद दी गयी है। 1985-86 के दौरान 30 प्रकाशन, 5 तालिकाएं और 5 विवेचनात्मक संस्करण भ्रंशकार की मदद में प्रकाशित किये गये। 30 संस्कृत पत्रिकाओं के संपादकों की गुणवत्ता और विषयवस्तु में सुधार लाने के लिए 1,500 रुपये में लेकर 10 हजार रुपये तक की सहायता दी गयी।

व्यावसायिक प्रकाशकों के माध्यम से अनुपलब्ध संस्कृत की 3 पुस्तकों को फॉटो-ग्रामेट में छपवाकर बाजिव कीमतों में उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम 1982-83 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 80 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इसी तरह का एक कार्यक्रम 18 पुराणों के पुनः प्रकाशन के लिए शुरू किया गया, जिन्हें मूल रूप में वैकटेश्वर स्ट्रीम प्रेस, बंबई ने छपा था। 17 पुराण प्रकाशित हो चुके हैं।

वयोवृद्ध प्रमुख संस्कृत विद्वानों को जिनकी आर्थिक हानन अच्छी नहीं है, उन्हें 3,000 रुपये वार्षिक (इसमें से उनकी अपनी आय को घटाकर) की सहायता



दी जा रही है। 1985-86 के दौरान देश भर के 1650 विद्वानों को यह सहायता प्राप्त हुई।

संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वानों को सम्मान प्रमाण-पत्र की योजना के अंतर्गत, 10 प्रमुख संस्कृत विद्वानों और अरबी और फारसी के 2-2 विद्वानों को हर वर्ष राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इन्हें आजीवन 5,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है। 1985-86 तक 230 विद्वानों को यह सम्मान दिया गया।

यह मंत्रालय संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए हर वर्ष अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन तथा अखिल भारतीय संस्कृत वक्तृता प्रतियोगिता का भी आयोजन करता है, जिनमें विभिन्न शास्त्रों के 100 विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है ताकि दुर्लभ वेदशाखाओं और उनकी वेदिकाओं को पहचाना जा सके तथा वाक् (मौखिक) परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए रास्ते और तरीके ढूँढ़े जा सकें। पिछले वर्ष यह समारोह कांचीपुरम् (तमिलनाडु) में आयोजित किया गया।

वैदिक शिक्षा के एक अन्य कार्यक्रम पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने भी गहरी रूचि ली है। इसे भी योजना आयोग मंजूरी दे चुका है।

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों और अन्य पारंपरिक संस्कृत संस्थाओं से निकलने वाले छात्रों के लिए रोजगार संभावनाएं विस्तृत करने के उद्देश्य से, 1982-83 से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत इन छात्रों को धार्मिक अनुष्ठान पुरालेखशास्त्र, पाण्डुलिपिशास्त्र, संस्कृत की प्रिंटिंग और कंपोजिंग आदि जैसे संस्कृत अध्ययन से जुड़े विषयों में अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 1985-86 के दौरान 8 संस्थाओं को शत-प्रतिशत अनुदान दिया गया।

1985-86 के दौरान शास्त्रीय भाषाओं, अरबी और फारसी के क्षेत्र में कार्यरत करीब 150 पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि के लिए वित्तीय सहायता दी गयी। मंत्रालय ने इस्लामी कानून पर एक ऐतिहासिक कृति फतवा-अल-तातर-खानिया का विवेचनात्मक संस्करण निकालने की एक बड़ी अनुसंधान परियोजना शुरू की। यह परियोजना 10 वर्षों में पूरी होगी।

शास्त्र चूड़ामणि योजना के अंतर्गत युवा विद्वानों को केन्द्रीय विद्यापीठों/आदर्श संस्कृत पाठशालाओं, आदि में विभिन्न क्षेत्रों में गहन दीक्षा दी गयी और इसमें प्रमुख अनुभवी विद्वानों की सेवाओं का उपयोग किया गया। इन विद्वानों को 1,000 रुपये मासिक मानदेय पर नियुक्त किया जाता है। 1985-86 के दौरान ऐसे 55 विद्वानों को मानदेय प्रदान किया गया।

**शारीरिक शिक्षा  
और योग**

आज शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को सारे विश्व में शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। नई राष्ट्रीय खेल नीति, जिसमें शारीरिक शिक्षा और योग अंतर्निहित है, को हाल ही में सरकार के एक प्रस्ताव के रूप

में स्वीकार किया गया है। इनके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वे चहुँमुखी विकास में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काफी उच्च प्राथमिकता दें। नई नीति में केन्द्र और राज्य सरकारों की यह भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे बड़े पैमाने पर आवश्यक खेलकूद की सुविधाएँ और इनके लिए आवश्यक बाह्य ढांचा मुहैया करें जिससे इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए हर नागरिक की जहरत पूरी की जा सके।

### सर्वोच्च राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, क्वालिपर

यह सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेल के लिए स्थापित दो राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा संस्थाओं और अन्य संगठनों के लिए शारीरिक शिक्षा में उच्चस्तरीय नेतृत्व की प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। यह कालेज सहशिक्षा संस्था है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करता है तथा शारीरिक शिक्षा में एम० फिल् और डाक्टोरेट कार्यक्रम आयोजित करता है। 1957 में इसकी स्थापना से लेकर अब तक इस कालेज ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में करीब 2900 स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षक दीक्षित किये हैं, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा यह कालेज विस्तार मेवाएँ, नौकरी कर रहे लोगों के लिए पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम और एजेंसी आधार पर भ्रमल, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम जैसे कुछ केन्द्रीय कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में प्रकाशित साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता भी आयोजित करता है। इस कालेज ने शारीरिक शिक्षा में एक राष्ट्रीय मंडाघन और दस्तावेज केन्द्र स्थापित किया है जो कि आम जनता के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में व्यावसायिक सूचना के स्रोत के रूप में काम करता है।

### राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान समिति

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संस्थान समिति (स्नाइप्स) की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में मई 1965 में की गयी थी। इनका उद्देश्य देश की दो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संस्थाओं, अर्थात् सर्वोच्च राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, क्वालिपर और नेताजीसुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला के प्रबन्ध और प्रशासन की देखभाल करना तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजनाओं एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम में खेलों के स्तर को ऊँचा उठाना था। स्नाइप्स सरकार को शारीरिक शिक्षा तथा योग पर सलाह देने वाले राष्ट्रीय सगठन के रूप में भी काम कर रही है।

## सांस्कृतिक गतिविधियाँ

भारत की मिली-जुली संस्कृति मूलतः इसकी जनता के वर्गों से संचित विश्वासों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक धारा का यह अजस्र प्रवाह ही वह शक्ति है जो इस देश की संस्कृति, इसके चरित्र तथा कठिन परिस्थितियों के बावजूद—एक सम्पूर्ण जीवन्त यथार्थ के रूप में जीवित रहने और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसी को ध्यान में रखकर देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, लोगों में कलाचेतना के विकास तथा सृजनात्मक और निष्पादन कलाओं में उच्च मानदंडों के विकास तथा कला के प्रसार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया गया है।

केन्द्र और राज्य सरकारें कला, नृत्य, नाटक, संगीत और साहित्य की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अकादमियों के द्वारा कला और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा इसके प्रसार का प्रयास करती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर सांस्कृतिक भाईचारे को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है। यह एक संसाधन तथा आंकड़ा केन्द्र के रूप में कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत सभी कलाएं आ जाती हैं। इन सभी संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार के संस्कृति विभाग को जन संचार माध्यमों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ललित कलाओं से जुड़े कुछ जानेमाने कलाकारों को अपने क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए समय-समय पर सम्मानित करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया जाता है।

### दृश्य-कलाएं

#### चित्रकला

भारतीय चित्रकला की प्रमुख परम्पराओं में अजन्ता, एलोरा के भित्तिचित्र (म्यूरल्स) तथा अन्य भित्तिचित्र, ताड़पत्र पर बौद्ध पाण्डुलिपियाँ, जैन धर्म-ग्रन्थ, दक्षिणी, मुगल, राजपूत और कांगड़ा कला शैलियों के चित्र शामिल हैं। बंगाल के कलात्मक पुनर्जागरण और नवीन कला-प्रवृत्तियों ने भारतीय चित्रकला को आधुनिकता प्रदान की है, जबकि आधुनिक भारतीय चित्रकला यूरोप और अन्य भागों की नवीन कला-प्रवृत्तियों से प्रभावित हुई है। इसके साथ ही भारतीय लोककला और कथावस्तु को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है तथा धपनाया गया है।

#### वास्तुकला और मूर्तिकला

आधुनिक प्रवृत्तियों के आरम्भ से पहले धर्म ही भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला का मुख्य प्रेरणास्रोत था। इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं—मन्दिर, मस्जिद, किले, महल और ग्रन्थ स्मारक जो सारे देश में फैले हुए हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बने विशाल भवन और चण्डीगढ़ शहर, भारतीय वास्तुकला के आधुनिक काल के आरम्भ के

चौतक है। समकालीन भारतीय शिल्पकारों ने मूर्तिकला के प्रति नई जागरूकता पैदा करने में काफी योग दिया है।

संलित कला  
प्रकाशनी

देश और विदेश में भारतीय कला की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1954 में संलित कला प्रकाशनी की स्थापना की। प्रकाशनी इसके लिए प्रकाशनों, कार्यक्रमालाओं और शिविरों का आयोजन करती है। यह प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी और प्रत्येक तीसरे वर्ष 'त्रैवार्षिक भारत' नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन करती है।

प्रकाशनी ने प्राचीन भारतीय कला पर एक निबन्धमाला एवं कई पुस्तिकाएँ प्रकाशित की हैं और यह एक अर्द्ध-वार्षिक कला पत्रिका 'संलित कला कंटेम्परेरी' प्रकाशित करती है।

प्रकाशनी कलाकारों के शिविर, गोष्ठियां और भाषण भी आयोजित करती है और देश के मांग्यताप्राप्त कला संगठनों को अनुदान देती है। यह प्रमुख कलाकारों को प्रकाशनी का फेलो बनाकर उन्हें सम्मानित करती है। अब तक 31 व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान की गई है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अवसर पर दस-दस हजार रुपये के दस पुरस्कार कलाकारों को प्रदान किये जाते हैं।

कलाकारों को पेंटिंग, मूर्तिकला शिल्प, रीखा चित्र-कला और मूर्ति-कला में प्रशिक्षण देने तथा उनके प्रभ्यात के लिए सुविधाएँ प्रदान करने के लिए गढ़ी (नई दिल्ली) तथा कलकत्ता में प्रकाशनी के स्टूडियो हैं। इसके क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास तथा लखनऊ में हैं जहाँ पर व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा कार्य की सुविधाएँ भी उपलब्ध करायी गई हैं। भुवनेश्वर में एक अन्य क्षेत्रीय केन्द्र का निर्माण हो रहा है।

प्रकाशनी प्रतिवर्ष डॉ० भानन्द कुमारस्वामी (1877-1947) की स्मृति में एक व्याख्यानमाला आयोजित करती है।

### प्रदर्शनारम्भक कलाएँ

संगीत

शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शाखाएँ हैं: हिन्दुस्तानी और कर्नाटक। दोनों ही शाखाएँ मुख्यतः गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक गायन सिखाने की परम्परा में ही जीवित हैं और इसीलिए घराना तथा सम्प्रदाय जैसी पारिवारिक परम्पराएँ अस्तित्व में आईं।

हाल ही में जनजातीय और लोक संगीत में लोगो की रुचि काफी बढ़ी है और अब शहरों में रगमच पर इसका आयोजन होने लगा है। एक और प्रकार के संगीत की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, जिसे सुगम संगीत के नाम से जाना जाता है।

संगीत को राज्य और जनता दोनों का सरक्षण प्राप्त है। संगीत-नाटक प्रकाशनी (राष्ट्रीय संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रकाशनी), आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म, स्वैच्छिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन ही वे मुख्य संस्थाएँ हैं, जिनकी सहायता से संगीत के प्रति राष्ट्रव्यापी जागरूकता और आकर्षण बढ़ा है।

नृत्य

भारत में नृत्य की 2,000 वर्ष पुरानी धरातल परम्परा है। इसकी विषय-वस्तु पुराणों, धार्यानों और प्राचीन साहित्य पर आधारित है। भारतीय नृत्य के मुख्यतः दो

हैं—शास्त्रीय और लोक-नृत्य। शास्त्रीय नृत्य प्राचीन ग्रंथों पर प्राधारित हैं और उसके विभिन्न रूपों को प्रस्तुति के संबंध में काफी कड़े नियम हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रचलित रूप ये हैं—भरत नाट्यम, कथकलि, कतपक, मणिपुरी, भोडिसि और कुचिपुडि। भरत नाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कथकलि केरल का नृत्य-नाट्य है। कतपक उत्तर भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, जिसका विकास भारतीय संस्कृति पर मुगलों के प्रभाव से हुआ। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और इसकी शैली कोमल और प्रगीतात्मक है। कुचिपुडि आंध्र प्रदेश का नृत्य-नाट्य है, जिसकी विषय-वस्तु रामायण और महाभारत आदि महाकाव्यों से ली जाती है। उड़ीसा का भोडिसि नृत्य पहले मन्दिरों में होता था, किंतु अब कलाकार इसका प्रदर्शन बहुविध कर रहे हैं। भारत के लोकनृत्य और जनजातीय नृत्य विविध प्रकार के हैं।

शास्त्रीय और लोकनृत्य की वर्तमान लोकप्रियता का कारण देश के विभिन्न भागों में स्थित सांस्कृतिक संगठन, संगीत नाटक अकादमी और प्रशिक्षण संस्थान हैं। अकादमी, नृत्य के विभिन्न रूपों के प्रशिक्षण हेतु, सांस्कृतिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देती है। नृत्य और संगीत के विविध रूपों, विशेषकर दुर्लभ रूपों के उच्च अध्ययन और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए संगीत नाटक अकादमी विद्वानों, कलाकारों और अध्यापकों को फेलोशिप देती है।

### रंगमंच

भारत का रंगमंच उतना ही प्राचीन है, जितना इसका संगीत और नृत्य। प्राचीन रंगमंच क्षेत्र के केवल कुछ भागों में ही है, लेकिन लोक रंगमंच क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ देश के सभी भाषायी क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसके अलावा व्यावसायिक रंगमंच भी हैं, जो मुख्यतः शहरों में ही हैं। देश के विभिन्न भागों में कठपुतलियों के प्रदर्शन की भी समृद्ध परम्परा है। इनकी विविध किस्मों में धागे वाली कठपुतलियाँ, छड़ीवाली कठपुतलियाँ, दस्ताने वाली कठपुतलियाँ और चमड़े वाली कठपुतलियाँ (छाया रंगमंच) भी हैं।

इनके प्रतिरिक्त बड़े शहरों में बहुत से अर्द्ध-व्यावसायिक और रुचिगत नाटक दल भी हैं, जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नाटक प्रस्तुत करते हैं।

### संगीत नाटक अकादमी

1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए कार्य करती है। अपनी समन्वयकारी एवं विकासशील गतिविधियों के अंग के रूप में यह प्रतियोगिताएं, गोष्ठियाँ और संगीत सम्मेलन आयोजित करती है, श्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कार देती है, संगीत, नृत्य और नाटक संस्थाओं को अनुदान देती है तथा पारम्परिक शिक्षकों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। अकादमी संस्कृति के प्रसार/प्रचार के लिये तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से नाटक मण्डलियों को अन्तर-राज्य स्तर पर आदान-प्रदान करने की एक योजना भी चलाती है। सांस्कृतिक एकता एवं क्षेत्र विशेष की दुर्लभ कलाओं को प्रत्यक्ष में लाने के लिए अकादमी क्षेत्रीय उत्सवों का आयोजन करती है।

देश के रंगमंच, संगीत एवं नृत्य के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखकर अकादमी ने एक विशेष एकाद स्थापित किया है, जिसका काम इन विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण और प्रामाणिक-लेख तैयार करना है। अकादमी का डिस्क और टेप लाइब्रेरी भारतीय शास्त्रीय, लोक और जनजातीय संगीत का सबसे बड़ा संग्रह है।

नृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी दो राष्ट्रीय संस्थाएं चला रही है : कृत्यक केन्द्र, नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इम्फाल। अकादमी कठपुतली कला को पुनर्जीवित करने के लिए सहायता दे रही है।

अकादमी अपनी एफ़ मोजना के अन्तर्गत संगीत, नृत्य और नाट्य पर विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशन हेतु वार्षिक सहायता देती है। यह असाधारण कलाकारों को फेलो बनाकर और वार्षिक पुरस्कार देकर सम्मानित करती है।

### राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसके साथ छत्त भारत सरकार उठाती है। 1975 से यह एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ नाट्य-कला में तीन वर्ष का डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के द्वारा विद्यालय विश्व की समकक्ष संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखता है। विद्यालय नाटकों के प्रनूस्त्वान को भी बढ़ावा देता है।

विद्यालय की गतिविधियाँ 'लिपटरी कम्पनी' जैसे विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न स्थानों पर रंगमंच कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों को रंगमंच का प्रशिक्षण देकर प्रदर्शित की जाती है।

### प्रसारण

आकाशवाणी भारतीय संगीत-शास्त्रीय, सुगमशास्त्रीय, लोक और जन-जातीय के धारे में जागरूकता लाने और परिबोधन कराने में काफी योगदान दे रहा है। संगीत के प्रचार के लिए इसके पास कई राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। आकाशवाणी की विविध भारतीय सेवा लोकप्रिय फिल्म और सुगम संगीत का प्रसारण करती है।

### साहित्य

प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य को पुनः धीरे धीरे प्रमुख भारतीय भाषाओं और क्षेत्रों में प्राधुनिक साहित्य का विकास धाज की साहित्यिक गतिविधियों की चल्नेखनीय बात है। अनेक साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं, साहित्यिक संस्थाओं और आकाशवाणी ने प्राधुनिक भारतीय साहित्य के विकास में सहयोग दिया है।

### साहित्य अकादमी

भारतीय साहित्य के विकास और साहित्य का स्तर ऊँचा करने के लिए, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक गतिविधियों के विकास और समन्वय तथा इसके द्वारा देश में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना सरकार ने मार्च 1954 में की थी।

अकादमी के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : साहित्यिक रचनाओं का एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में और गैर-भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना; साहित्य के इतिहास और आलोचना सम्बन्धी रचनाओं का प्रकाशन करना; ग्रन्थ सूचियों तथा ग्रन्थसूचियों जैसी तदर्थ पुस्तकों और देवनागरी तथा अन्य भारतीय लिपियों में रचनाओं का प्रकाशन करना तथा जनता में साहित्य के ध्वन्यन को लोकाप्रय बनाता। अम्बई, कलकत्ता और मद्रास में अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

चार खंडों में प्रकाशित भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय ग्रन्थसूची (1901—1953) अकादमी का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसमें सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की साहित्यिक महत्व की पुस्तकों का, जो भारत में प्रकाशित हुई हैं अथवा भारतीय लेखकों द्वारा रचित हैं, उल्लेख है। डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली तथा राजस्थानी के लिए पांचवां खण्ड तैयार किया जा रहा है। अकादमी भारतीय साहित्य का विश्वकोश तैयार कर रही है।

साहित्य अकादमी 'इण्डियन लिट्रेचर' नामक अंग्रेजी द्वैमासिक, 'समकालीन भारतीय साहित्य' नामक हिन्दी त्रैमासिक और 'संस्कृत प्रतिभा' नामक संस्कृत में एक अर्द्ध-वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करती है।

अकादमी ने दो पुस्तक मालाएं आरम्भ की हैं : प्रथम 'भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का इतिहास', द्वितीय 'भारतीय साहित्य के निर्माता'। इनमें प्राचीन काल से आज तक देश-भर के लेखकों का संक्षिप्त जीवन-परिचय और साहित्य का मूल्यांकन होगा।

अकादमी 22 मान्यताप्राप्त भाषाओं से सम्बन्धित 1,000 से भी अधिक लेखकों की सहायता से भारतीय साहित्य का एक विस्तृत विश्वकोश तैयार कर रही है।

अकादमी श्रेष्ठ पुरुष एवं महिला साहित्यकारों को अपना 'फेलो' चुनकर सम्मानित करती है। यह अंग्रेजी और प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है।

युवा कलाकारों  
को प्रोत्साहन

18-28 आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों के लिए हिन्दुस्तानी संगीत, शास्त्रीय नृत्यों के विभिन्न रूपों तथा परम्परागत कला मंच, नाटक, चित्रकला तथा शिल्प-कला में उच्च प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष 75 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। शोधकर्ता 2 वर्ष तक 400 रुपये प्रतिमास पाता है।

फेलोशिप

अभिनय, मूर्ति कला तथा साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे 25-65 आयु-वर्ग के सर्वोत्तम कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए 1,000 रु० (प्रतिमास) की 15 सोनियर फेलोशिप तथा 500 रु० (प्रतिमास) की 35 जूनियर फेलोशिप 1979-80 से प्रतिवर्ष दी जा रही हैं। इनकी अवधि दो वर्ष होती है। ये फेलोशिप निश्चित परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिए दी जाती हैं। ये योजनाएं तथा परियोजनाएं या तो स्वयं कलाकारों के सुझाव पर शुरू की जाती हैं, या इनका चुनाव सरकार की पहल पर किया जाता है।

अभिनय, साहित्य तथा मूर्ति कलाओं में प्रयोगों को जारी रखने के लिए ऐसे दस विख्यात कलाकारों को, जिन्होंने अति उच्च विशिष्टता तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है परन्तु अब व्यवसाय से निवृत्त हो चुके हैं, 2,000 रुपये प्रतिवर्ष की फेलोशिप दी जाती है।

साहित्य, कलाओं तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे 68 वर्ष से अधिक आयु के उन विशिष्ट व्यक्तियों को, जिनकी मासिक आय 600 रु० से कम हो, धनुदान के रूप में प्रति माह 400 रु० तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

पुरातत्व

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1861 में स्थापित) पुरातत्व अनुसंधान तथा अन्य कार्यों के क्षेत्र में अग्रणी संस्था के रूप में कार्य करता है, यह प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल के पश्चात् तथा अन्य प्राचीन स्थलों के समस्यामुक्त अनुसंधान और बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य करता है। इसके साथ ही साथ यह संस्था वास्तुकला सर्वेक्षण, स्मारकों के आस-पास की भूमि को ठीक करना, शिल्पकला की वस्तुओं, स्मारकों तथा शिलालेख अनुसंधान, प्राचीन स्थलों के निरूट स्थित 31 पुरातत्व संग्रहालयों तथा संग्रहालयों के समूह के रख-रखाव, पुरातत्व तथा शिलालेखों से सम्बद्ध पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि के प्रकाशन आदि का कार्य करती है। यह स्मारकों और स्थलों का संरक्षण काम भी करती है।

इसकी प्रमुख सफलताओं में से एक है—सिंधु घाटी की खोज (1921 में), जो प्रमुख रूप से सिंधु—सरस्वती की नदी घाटियों में और इससे पूर्व विभिन्न संस्कृतियों में पल्लवित-पुष्पित हुई। सर जॉन मार्शल (1876-1958), दयाराम साहनी (1879-1939), राखाल दास बनर्जी (1886-1930), काशीनाथ दीक्षित (1889-1946), माधो स्वरूप वर्त (1896-1955), नानि गोपाल मजूमदार (1893-1938) तथा सर आर्टिमेर ह्वीलर (1890-1976) जैसे व्यक्तियों के प्रयासों से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हूदड़ो जैसे अनेक स्थलों की खुदाई का काम हो सका और इस प्रकार भारतीय इतिहास का काल कम से कम तीन हजार वर्ष और पीछे चला गया। स्वतंत्रता के पश्चात् सिंधु घाटी के सभी स्थान पाकिस्तान में चले गये। भ्रमलानंद घोष (1910-1981) के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के योजनाबद्ध कार्यों द्वारा सरस्वती नदी की विलीन धारा के आस-पास सिंधु घाटी के अनेक स्थलों का पता लगाना संभव हो सका। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी से पूर्व (हड़प्पा) के भी अनेक स्थलों का पता लगाया गया है। हड़प्पा-संस्कृति के जिन सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की 1947 से खुदाई हुई, उनमें रोपड़, काली-बंगा, लोयाल, सुरकोटाडा, बनवाली और हुलास सम्मिलित हैं। हड़प्पा (या सिंधु) सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हुलास तक होने का पता लगा है, इस सभ्यता की उत्तरी सीमा मदा प्रब जम्मू तथा कश्मीर में है, जबकि दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के भ्रमदनगर जिले का देमावाद है। भारतीय पुरातत्वविदों के प्रयासों के परिणामस्वरूप वैदिक काल से बुद्धकाल तक, जिसे किसी समय भारतीय इतिहास का भ्रजात काल कहा जाता था, का भारत के विभिन्न भागों में अनेक नवपाषाण युग तथा ताम्रयुगीन संस्कृतियों की खोज द्वारा पता चला गया है। इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हिमालय तथा कश्मीर घाटी, मित्रिकम और उत्तर-पूर्वी भारत सहित उप-हिमालय क्षेत्रों की नवपाषाण युगीन संस्कृतियों का अध्ययन करेगा। दक्षिण बिहार में तारादीह और कर्नाटक में बनहाली के नवीन खुदाई कार्यों ने नव पाषाणकालीन संस्कृति का नया साक्ष्य प्रस्तुत किया है। लडाखीय द्वीपसमूह, जहां से मध्यकालीन व पूर्व मध्यकालीन इतिहास के अग्रशोध प्राप्त हुए हैं, पर भी अनुसंधान कार्य जारी है। हाल ही के वर्षों की कुछ नवीन खोज इस प्रकार है: पंजाब में सधोल से प्राप्त एक बौद्ध स्तूप का क्षुपाणकालीन तराशा हुमा जंगला, उत्तर प्रदेश में शृंगवेरपुर



में ईसवी काल के प्रारंभ में बनाया हुआ पक्की ईंट का 200 मीटर लम्बा तालाब; उदय गिरि से प्राप्त बौद्धस्तूप तथा उड़ीसा में बौद्धस्थल ललितगिरि से प्राप्त स्वर्ण व रजत पात्र ।

प्राचीन श्रवणोप तथा ऐतिहासिक स्मारक, जिनकी संख्या लगभग 5,000 है, कानून के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में सरकार द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं, उनकी देख-रेख व संरक्षण का काम अपने कानूनों के अन्तर्गत राज्य सरकारें करती हैं । लगभग सभी राज्य सरकारों के अपने पुरातत्व विभाग हैं, जो उनके सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित स्मारकों, स्थलों और पुरातत्व संग्रहालयों की देखभाल करते हैं ।

प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं श्रवणोप अधिनियम, 1958 तथा पुरातत्व और कला वस्तु अधिनियम, 1972 को भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लागू करता है । पुरातत्व तथा कला निधि अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत 100 वर्ष पुरानी (पाण्डुलिपियों, मसौदों आदि के मामले में 75 वर्ष) किसी भी वस्तु का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की वैध आज्ञा (परमिट) के बिना निर्यात नहीं किया जा सकता । इस अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विख्यात कलाकारों की उन कलाकृतियों के निर्यात के लिए भी आज्ञापत्र की आवश्यकता है जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत कला-निधि घोषित कर दिया गया है । सभी अंतर्राष्ट्रीय विकास केन्द्रों पर एक विशेषज्ञ समिति होती है, जो पुरातत्व सामग्री न होने का प्रमाण-पत्र जारी करती है । मूर्तियों और कलाकृतियों के अतिरिक्त चित्रित, पेंटिंग की हुई और शहरों पर सोने-चांदी के काम वाली पाण्डुलिपियों (जो 100 वर्षों से अधिक पुरानी हैं) के पंजीकरण की योजना भी जारी है । इस अधिनियम के अनुसार पुरावशेषों का व्यापार केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं, जिन्हें पुरातत्व सर्वेक्षण के लाइसेंसिंग अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त हो । प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और श्रवणोप अधिनियम, 1958 तथा 1959 के नियमों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों का फिल्मांकन करने या फोटो लेने के लिये अनुमति की आवश्यकता होती है । इसके महानिदेशक द्वारा जारी लाइसेंस के बिना भारत में कहीं भी पुरातात्विक खुदाई नहीं की जा सकती ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने पुरातत्व विद्यालय में द्वैवार्षिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पुरातत्व शास्त्र) चलाता है, जिसमें पड़ोसी देशों के विद्यार्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ।

पुरातत्व सर्वेक्षण का अपना पुस्तकालय भी है, जो देश में सबसे पुराने पुस्तकालयों में से है । इसमें न केवल भारत वरन् दक्षिण-पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया के संबंध में भी दुर्लभ-सामग्री है । चित्रों का एक अलग संग्रहालय है । इसके अतिरिक्त भारत-थाक उपमहाद्वीप की मिट्टी के वर्तन बनाने की प्राचीन कला (सिरैमिक्स) से सम्बन्धित एक अध्ययन-कक्ष भी है, जो देश के सबसे सुन्दर संग्रहों में से एक है ।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (साकं) के तत्वावधान में आयोजित प्रथम दक्षिण एशिया पुरातत्व कांग्रेस के अवसर पर पुरातत्व, सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

### समुद्री पुरातत्व

ममुद्र में डूबे हुए वन्दरगाहों तथा 'जहाजों' को खोजने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मागर विज्ञान संस्थान गोआ में एक समुद्री अभिलेखागार एकत्र स्थापित किया गया था। विज्ञान और प्रयोगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित इस परियोजना के अन्तर्गत गूजरात के ममुद्र तट पर बसे पौराणिक नगर द्वारका के समुद्री सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया। कहा जाता है कि द्वारका को श्रीकृष्ण ने बसाया था तथा बाद में यह नगर ममुद्र में समा गया था। ममुद्रनामपण मन्दिर से समुद्र की ओर बने प्राचीन वन्दरगाह की खुदाई से डूबे हुए विशाल भवन के खण्डों का पता लगा। इन खुदाई से समुद्रतट पर खुदाई में प्राप्त जानकारी की पुष्टि होती है, जिसमें डूबे हुए तीन मंदिर (पहली में 9 वीं शताब्दी) और दो वरिष्ठता (10वीं और 15वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व) पाई गईं। भोखा वन्दरगाह के पाम बसे श्वेत द्वारका द्वीप की समुद्री खोज से 15वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व जलमग्न हुए नगर के पक्के प्रमाण मिलते हैं। इन नगर का श्रीकृष्ण की कथा में सम्बन्ध है। समुद्री लहरों से कटे तट पर एक विशाल दीवार का भी पता लगा है, जो अपनी प्रारम्भिक स्थिति में 3.6 मीटर गहरे पानी में डूबे हुई थी। पिछले 3,300 सालों में ममुद्र की सतह में कुल वृद्धि 5 मीटर की कही जा सकती है। इससे ममुद्र की सतह में परिवर्तन की जांच की दृष्टि में महत्वपूर्ण तिथि का पता लगता है। पानी के अन्दर खुदाई से प्राप्त इतिहास के प्रारम्भिक काल के महत्वपूर्ण पुरातन अवशेषों में सिंधु घाटी की एक अद्वितीय मुद्रा तथा एक धर्तन का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें ममुद्र देवता की उपासना करते हुए तथा उनसे रक्षा करने की याचना करते हुए चित्र बने हैं।

राज्य तथा राष्ट्रीय अभिलेखागारों के समुद्र से सम्बन्धित रिकार्डों की जांच की गई, जिसके आधार पर भारत की जल-सीमा में डूबे 200 जहाजों का पता लगाया गया। इन डूबे हुए जहाजों में से 30 जहाज ऐतिहासिक महत्व के हैं। कुछ जहाजों को खोजने तथा निचाले जाने पर विचार किया जा रहा है। इन रिकार्डों में श्रोत्रेण, मारीशम तथा मनेशिया के निकटवर्ती समुद्र में डूबे जहाजों का भी पता लगा है। समुद्री अभिलेख की खोज के दो उद्देश्य हैं—पहला, समुद्री व्यापार, जहाज-निर्माण तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के इतिहास का पुनर्निर्माण करना और दुसरा, समुद्री तलछट का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों तथा जहाज वास्तुकारों को नमूनों के तिथि निर्धारण और समुद्रतटीय कटाव का पता लगाने में सहायता करना।

समुद्र के भीतर और भागे खुदाई करने पर पत्थरों से बने एक घट जिन तीन छेद वाले तिकोने लंगरों का पता चला। ये लंगर काट्टी हूट टूट ईडे हैं। ये जिनसे 130 ईस्वी पूर्व उगरीत (UGARIT) (सीरिया) और किरिन्त (मिस्र) में पाए गए थे। द्वारका के लंगर भी उसी काल के हैं।

के दो कि० मी० से भी अधिक दूर रूपेण तक फैले होने के प्रमाण मिले हैं। बालापुर खाड़ी के निकट सितु में जलमग्न दीवारों से पता चलता है कि बेट द्वारका (शंखोदर) नगर की लम्बाई चार कि० मी० थी। श्रव यह स्पष्ट हो गया है कि 15वीं से 14वीं ईसवी पूर्व, यानी अकेमेनिड नगरों के अस्तित्व में आने के एक हजार वर्ष पहले भारत में दूसरी बार शहर बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बेट द्वारका के समुद्र में मिली लोहे की वस्तुओं से पता चलता है कि उस समय लौह प्रौद्योगिकी अपरिष्कृत अवस्था में थी।

## संग्रहालय

संग्रहालय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी, औद्योगिक अथवा अन्य सामग्रियों को नष्ट होने से बचाने तथा इतिहास को आगामी पीढ़ी तक सम्प्रेषित करने के लिए होते हैं। वे शिक्षा के महत्वपूर्ण दृश्य-श्रव्य माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।

संविधान में संग्रहालयों की स्थापना और उनके रख-रखाव के लिए प्रमुख रूप से राज्यों को उत्तरदायी बनाया गया है। परन्तु सरकार ने कई प्रमुख संग्रहालयों की स्थापना की है और निजी संग्रहालयों तथा विश्वविद्यालयों के संग्रहालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी तथा निजी संग्रहालयों में वर्तमान संग्रह के अभिलेखीकरण तथा नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों के इस्तेमाल द्वारा संग्रहों के संरक्षण और संग्रहों की विषय-सूची के प्रकाशन पर विशेष बल दिया जाता है।

भारतीय कला और पुरातत्व के क्षेत्र में सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता; तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद की स्थापना की। समसामयिक इतिहास तथा कला के लिए सरकार द्वारा तीन संग्रहालयों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ये हैं—विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता; राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, और नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली।

1948 में स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय देश के प्रारम्भिक संग्रहालयों में से एक है और इसके प्रमुख कार्य हैं—पुरानी वस्तुओं का अधिग्रहण, प्रदर्शन, संरक्षण, प्रकाशन और शिक्षण। भारत की सांस्कृतिक परम्पराओं से अवगत कराने के लिए विभिन्न देशों में मनाये जाने वाले भारतीय-महोत्सवों को समन्वित करने का काम भी संग्रहालय को सौंपा गया है। 1814 में स्थापित भारतीय संग्रहालय देश का पहला संग्रहालय है। यह देश के कला और पुरातत्व के बहुत उत्कृष्ट संग्रहालयों में से एक है। सालारजंग संग्रहालय में कला की विभिन्न वस्तुओं का व्यापक संग्रह है। इसमें फारसी, अरबी तथा उर्दू की 7,500 से अधिक पांडुलिपियां हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल मुख्य रूप से 1700 ई० से 1900 ई० के बीच भारतीय इतिहास के ब्रिटिश काल से सम्बद्ध स्मृति अवशेषों तथा स्मारकों की एक ऐतिहासिक कला दीर्घा है। इस संग्रहालय में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जानकारी का समावेश कर इसे एक विशिष्ट कालवद्ध रूप प्रदान किया जा रहा है। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों के जन-जातीय तथा किसान आन्दोलनों को दर्शाने के लिये एक व्यापक दीर्घा स्थापित करने के लिए सामग्रियां संकलित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना 1954 में की गई थी इसमें एक शताब्दी से अधिक समय की विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 3,500 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है। जिन उत्कृष्ट भारतीय कलाकारों की कृतियों का संकलन किया गया है, वे हैं—राजा रवि वर्मा (1848-1906), भयनीन्द्रनाथ टैगोर (1871-1951), नन्दलाल बोस (1883-1966), देवी प्रसाद राय चौधरी (1899-1975), विनोद बिहारी मुखर्जी (1904-1980), रामकिशोर वैज (1910-1980), रवीन्द्रनाथ टैगोर (1861-1941), गगनेन्द्रनाथ टैगोर (1867-1938), मामिनी राय (1887-1972), तथा अमृता शेर गिल (1913-1941)। यह दीर्घा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कला की विशेष प्रदर्शनियाँ आयोजित करती है। यह प्रकाशन भी करती है। यह भारत महोत्सव में समकालीन और आधुनिक कला से संबंधित प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है।

कुछ अन्य प्रमुख संग्रहालय हैं—लालकिले में भारतीय युद्ध स्मारक तथा पुरातत्व संग्रहालय; दिल्ली तथा नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय; हस्त-शिल्प संग्रहालय तथा रेल परिवहन संग्रहालय; कलकत्ता में आगुतोप संग्रहालय; हैदराबाद में राजकीय संग्रहालय; बम्बई में पश्चिमी भारत का प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम; मद्रास में गवर्नमेंट म्यूजियम; वाराणसी में भारत कला भवन; इलाहाबाद में म्यूनिसिपल म्यूजियम; लखनऊ में राजकीय संग्रहालय और अहमदाबाद में केलिको टैक्सटाइल म्यूजियम। कुछ प्राचीन स्थानों में पुरातत्व संग्रहालय भी हैं, जैसे—कोणार्क, अमरावती, नागार्जुनकोण्डा, सांची, नानंदा, सारनाथ आदि में। दिल्ली, अहमदाबाद 'र लखनऊ जैसे स्थानों में बच्चों के गूढ़िया संग्रहालय और सूती वस्त्र डिजाइन संग्रहालय भी हैं। कलकत्ता, बंगलूर और बम्बई में कुछ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय भी स्थापित किए गए हैं। देश में 375 से अधिक संग्रहालय हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् की स्थापना अप्रैल 1978 में संस्कृति विभाग ने एक स्वायत्त-शासी संगठन के रूप में की थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। संग्रहालय निम्नलिखित संग्रहालयों के प्रशासन देखता है :-

- (1) बिरला प्रौद्योगिक तथा तकनीकी संग्रहालय, कलकत्ता
- (2) विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिक तथा तकनीकी संग्रहालय, बंगलूर
- (3) नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई
- (4) विज्ञान केन्द्र, दिल्ली (निर्माणाधीन) —सभी राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय/केन्द्र,
- (5) श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना
- (6) क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी (निर्माणाधीन),
- (7) क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ (निर्माणाधीन),
- (8) रमण विज्ञान केन्द्र, नागपुर (निर्माणाधीन),
- (9) क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर (निर्माणाधीन) —राज्य स्तरीय केन्द्र,
- (10) जिला विज्ञान केन्द्र, पुरुलिया, पं० बंगाल
- (11) जिला विज्ञान केन्द्र, गुलबर्गा, कर्नाटक
- (12) जिला विज्ञान केन्द्र, धर्मपुर, गुजरात,
- (13) जिला विज्ञान केन्द्र, तिरुनेलवेलि (तमिलनाडु)।

परिषद् बच्चों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, ग्रामीणों, गृहणियों तथा बेरोजगार युवकों के लिए बहुविध शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है।

### संग्रहालय-विज्ञान में प्रशिक्षण

अलीगढ़, वडोदरा, भोपाल, कलकत्ता, पिलानी और बनारस विश्वविद्यालयों द्वारा संग्रहालय विज्ञान में नियमित रूप से डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सरकार देश के विभिन्न भागों में प्रति वर्ष संग्रहालय शिविरों का आयोजन करती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहालय सामग्रियों के संरक्षण के लिए तीन महीने का एक पाठ्यक्रम तथा सेवारत कर्मचारियों के लिए छः सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भारत में तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप भी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा ने कला कार्य के रख-रखाव तथा पुनर्स्थापना के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया है।

सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए मार्च 1976 में लखनऊ में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई। यह प्रयोगशाला (1) संरक्षण के अच्छे सिद्धान्तों के आस के लिये अनुसंधान; (2) कला तथा अभिलेख सामग्री का तकनीकी अध्ययन; (3) संग्रहालयों, अभिलेखागारों तथा अन्य संबंधित संस्थानों को तकनीकी सहायता; तथा (4) प्रामाणिक लेखन और अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के कामों को देखती है। यह संग्रहालय-संरक्षकों के लिए विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है तथा संग्रहालयों, पुरातत्वविदों और पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करती है।

### अभिलेखागार तथा अभिलेख

अभिलेख तथा पाण्डुलिपियां हमारी समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रमुख भाग हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, इतिहास, चिकित्सा तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो योगदान किया, ये उसके भण्डार हैं। वे भारत के अतीत के पुनर्निर्धारण के लिए प्रारम्भिक स्रोत हैं। सरकार के अधिकार क्षेत्र में केवल वे पुस्तकालय आते हैं, जिनकी स्थापना सरकार ने की है तथा जिन संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है। परन्तु राष्ट्रीय, राज्य तथा अन्य पुस्तकालयों के समन्वित विकास को प्रोत्साहन देने के लिए यह राज्य सरकारों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए कदम उठानी है। इस प्रयोगशाला को वैज्ञानिक संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

### राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सबसे बड़ा तथा सम्भवतः एशिया में सबसे सुव्यवस्थित अभिलेख भण्डार है। इसके तीन क्षेत्रीय अभिलेख भण्डार भोपाल, जयपुर और पांडिचेरि में हैं। इसके संरक्षण में कई लाख सांस्कृतिक अभिलेख, मानचित्र, निजी दस्तावेज, माइक्रो-फिल्में और पुस्तकें हैं, जो अलमारियों में कुल 30 किलोमीटर की लम्बाई में रखी गई हैं। बहुत से भारतीय एवं विदेशी शोध छात्रों को अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को, उनके अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के निजी दस्तावेज प्राप्त करना तथा विदेशों से भारतीय रुचि की माइक्रो फिल्म प्राप्त करना, संरक्षण तक-

नीक में सुधार तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए शोध करना, पांडुलिपियों व राष्ट्रीय महत्व की अन्य वस्तुओं के संरक्षण/प्रामाणिक लेखन के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा प्रदर्शनियों एवं गोष्ठियों के द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना, शामिल है । 'दि इंडियन आर्काइव एण्ड बुलेटिन आफ रिगर्च थोसित एण्ड डिजिटेशन' नामक द्विर्वाषिक पत्रिका प्रकाशित करने के अलावा, यह विभाग निजी दस्तावेजों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा विभिन्न अभिलेखों व संदर्भ माध्यमों के लिए 'गाइड' (निर्देशिका) भी प्रकाशित करता है । यूनेस्को द्वारा प्रायोजित एक परियोजना 'गाइड टू दि सोसिजि आफ एशियन हिस्टरी' के तहत यह पुरातत्व संबंधी संस्थाओं के लिए 'गाइड' प्रकाशित करता है ।

एशिया में अपनी किस्म के एक मात्र संस्थान 'पुरातत्व अध्ययन विद्यालय' में पुरातत्व विज्ञान के विभिन्न पहलुओं में यह विभाग आठ स्प्ताह का अल्पावधि पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है ।

**पांडुलिपि साइब्रेरी** 1891 में स्थापित खुदाबख्श औरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, पांडुलिपि साइब्रेरी अरबी व फारसी पांडुलिपियों तथा मुगल चित्रों का बृहद संकलन है । संसद के अधिनियम द्वारा 1969 में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया । पांडुलिपियों और पुस्तकों की प्राप्ति तथा संरक्षण के पारस्परिक कार्य के अलावा इस लाइब्रेरी ने विषय वार 34 सूचियाँ तैयार की हैं । यह साइब्रेरी देश की वर्तमान स्थितियों सहित विभिन्न विषयों पर वार्षिक एवं विस्तृत व्याख्यान आयोजित करती है । इन्होंने दुर्लभ पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संपादन का कार्य शुरू किया है । अब तक 11 पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संपादन किए जा चुके हैं, उनमें दीवान-ए-हुफीज, दीवान-ए-मुशाफी, दीवान-ए-मुवाद की अद्वितीय पांडुलिपियाँ भी हैं । अनुसंधान एवं प्रकाशन के कार्य को तेज करने के लिए लाइब्रेरी ने प्रासंगिक विषयों पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय गोष्ठियों का पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया है । इन्होंने रिडर्स फेलोशिप, विजिटिंग फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फेलोशिप प्रारंभ की है ।

तंजौर के महाराजा सरफोजी की चोल-साम्राज्य कालीन सरस्वती महल लाइब्रेरी को तत्कालीन मद्रास सरकार ने 1918 में अपने हाथ में ले लिया । इस लाइब्रेरी को 9 जुलाई 1986 को तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया है । विभिन्न विषयों पर लिखित भारतीय एवं यूरोपियन भाषाओं में 38,368 पुस्तकों के संग्रह के अलावा इस लाइब्रेरी में संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु एवं अन्य भाषाओं में लगभग 42,996 पांडुलिपियाँ हैं ।

रामपुर रजा लाइब्रेरी में बहुत-सी छोटी चित्राकृतियों एवं भांजपत्तों के अलावा लगभग 15,000 पाण्डुलिपियों का संग्रह है । पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त पुस्तक अनुभाग में भी लगभग 50,000 अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकों संग्रहित हैं ।

कुछ अन्य प्रमुख पाण्डुलिपि लाइब्रेरियाँ हैं—गवर्नमेंट औरिएण्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास; पुणे; तथा वदोदरा में औरिएण्टल रिचर्च लाइब्रेरियाँ; संस्कृत विश्व-विद्यालय पुस्तकालय, वाराणसी; विश्वेश्वरानन्द, वैदिक अनुसंधान संस्थान पुस्तकालय,

होशियारपुर तथा मौलाना आजाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पुस्तकालय; अलीगढ़। इसके अतिरिक्त 500 से भी अधिक पुस्तकालय राज्य सरकारों तथा निजी संस्थाओं से सम्बन्धित हैं, जिनमें हजारों पाण्डुलिपियां हैं।

## पुस्तकालय

पुस्तकालय हमारे इतिहास तथा संस्कृति के संरक्षक होते हैं। पुस्तकालय प्रणाली का विकास, अनीपचारिक शिक्षा तथा सतत अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। संविधान के अनुसार 'पुस्तकालय' विषय राज्य-सूची में सम्मिलित है। केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र में केवल वे ही पुस्तकालय आते हैं; जो उसके द्वारा स्थापित हैं या जिन्हें ऐसी संस्थाओं द्वारा स्थापित किया गया है, जिनको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया है। देश में कुल मिलाकर 60,000 से अधिक पुस्तकालय हैं।

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता को 'भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची' के संकलन, सम्पादन, मुद्रण तथा विक्री का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह मासिक/वार्षिक ग्रंथसूची है, जिसमें प्रमुख भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों (प्रविष्टियों) को सम्मिलित किया जाता है। यह पुस्तकालय 'इन्डेक्स इण्डियाना' का भी संकलन करता है, जो कि प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रही पत्रिकाओं में छपे लेखों की वार्षिक सूची है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता भारत में सभी पाठ्य एवं सूचना सामग्री तथा भारतीयों द्वारा लिखित सभी मुद्रित सामग्री और विदेशियों द्वारा भारत के बारे में किसी भी रूप में लिखी गई और कहीं भी प्रकाशित सामग्री के एक प्रमुख संग्रह के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त इसके पास फारसी; संस्कृत, अरबी तथा तमिल पाण्डुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। दक्षिण एशिया के एक संग्रह पुस्तकालय के रूप में यह संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी एजेंसियों से सामग्री और प्रलेख प्राप्त करता है। यह पुस्तकालय 61 देशों के 181 संस्थानों से आदान-प्रदान सम्बन्ध बनाये हुए है।

यूनेस्को की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से वर्ष 1951 में स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अब महानगरीय पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में विकसित हो चुकी है। इसमें एक केन्द्रीय लाइब्रेरी, 23 शाखाएँ तथा उप-शाखाएँ, नेत्रहीनों के लिये एक शैल लाइब्रेरी तथा दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर 12 चलते-फिरते सेवा केन्द्र और सात डिपोजिट स्टेशन हैं।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता जो कि एक स्वायत्तशासी एवं स्वैच्छिक संस्था है, राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों एवं स्वयंसेवी एजेंसियों की सहायता से सम्पूर्ण देश में सामान्यतः पुस्तकालय सेवाएं और विशेषतः जन पुस्तकालय सेवाओं को प्रोत्साहित करती है।

## प्रकाशनाधिकार पुस्तकालय

पुस्तकों तथा समाचारपत्रों के वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालयों) सम्बंधी 1954 के अधिनियम के तहत चार पुस्तकालयों को देश में प्रकाशित प्रत्येक नई पुस्तक तथा पत्रिका की एक प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। ये हैं: राष्ट्रीय पुस्तकालय,

कलकत्ता; सेण्ट्रल लाइब्रेरी, बम्बई; कन्नोमारा पब्लिश लाइब्रेरी, मद्रास तथा दिल्ली पब्लिश लाइब्रेरी; दिल्ली।

**अन्य पुस्तकालय**

अन्य विरोध पुस्तकालय भी हैं, जो शोधकर्ताओं को अनुसंधान की सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। इनमें प्रमुख हैं : इण्डियन कौंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली; इण्डियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता; गोखले इंस्टीट्यूट, पुणे; पियोसॉफिकल सोसाइटी, मद्रास; नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक्स रिसर्च, नई दिल्ली; इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली ; तथा केन्द्रीय सचिवालय धंधागार, नई दिल्ली। इनके अलावा कुछ बड़े विश्वविद्यालयों में भी पुस्तकों के उत्तम संकलन हैं।

मुप्रसिद्ध भारतविद् विलियम जोन्स (1746-1794) ने एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक, इतिहास, पुरावशेष, कला, विज्ञान तथा साहित्य की खोज के उद्देश्य से 1784 में एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की नींव रखी थी। दो सौ वर्ष पुरानी यह संस्था भारत में सभी साहित्यिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए एक स्रोत तथा संसार में सभी एशियाई सोसायटियों के लिए एक अभिभावक सिद्ध हुई। सोसायटी के पास लगभग पाने दो लाख पुस्तकों का संग्रह है, जिनमें से कुछ अत्यंत दुर्लभ पुस्तकें तथा वस्तुएँ इन प्रजार हैं : लगभग 40 लिपियों में लिखित पांडुलिपियाँ; करीब 24,000 सिक्के; 76 तैलचित्र; खरोष्ठी लिपि में 42,000 शिलालेख तथा ब्राह्मी लिपि में अशोक का एक राज्यादेश। सोसायटी अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें सम्पादन तथा पत्रिकाएँ, 'विन्तोयिका इण्डिका', मोनोग्राफ तथा भ्रदालतों कायंयाहियों की विभिन्न शृंखलायें और जीवनवृत्त तथा भाषण शामिल हैं। मार्च 1984 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इस सोसायटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।

**तिब्बती तथा अन्य ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान**

कई शताब्दी पूर्व भारतीय विद्वानों ने हिमालय पार करके तिब्बत तक की यात्रा की थी तथा वे अपने साथ भारतीय दर्शन और विचार भी ले गये थे। तिब्बती विचार तथा संस्कृति का विकास इसी परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ।

श्री जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) की पहल पर भारत में कई बौद्ध संस्थाएँ शुरू की गईं। उनमें बौद्ध दर्शन विद्यालय, लेह; जिसकी स्थापना 1959 में हुई और जिसे अब केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के नाम से जाना जाता है तथा केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी सम्मिलित हैं। इनको संस्कृति विभाग द्वारा पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य तिब्बती संस्कृति और परम्परा का संरक्षण, आधुनिक विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के माध्यम से प्राचीन तथा परम्परागत विषयों की शिक्षा देना तथा तिब्बती अध्ययन में अनुसंधान कार्य संचालित करना है। इसके अतिरिक्त सरकार सिविकन रिटर्न इंस्टीट्यूट आफ टिवेटोसॉजी, गगटोक तथा लाइब्रेरी ऑफ टिवेटन बस्तु एन्ड आर्काइव्स, धर्मशाला को अनुदान देती है।



तिब्बती अध्ययन संस्थान की स्थापना वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के एक भाग के रूप में वाराणसी में की गई थी। 1977 में यह पूरी तरह से एक स्वायत्त संगठन हो गया और इसका नाम बदल कर 'केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान' रखा गया। संस्थान का प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रकाशन का एक सुनियोजित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तिब्बती विरासत को, विशेषकर भारतीय उत्तराधिकार के उस ज्ञान खण्ड को प्रकाश में लाना है जो संस्कृत तथा पाली में तो नष्ट हो गया था, परन्तु तिब्बती में सुरक्षित बचा है।

केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह की स्थापना 1959 में हुई थी। इसका उद्देश्य बौद्ध दर्शन, साहित्य एवं कला में अध्येताओं को प्रशिक्षण देना है। संस्थान सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध है।

**नृविज्ञान और मानवजाति विज्ञान संस्थाएं** भारतीय नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता, संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है जबकि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, 15 मार्च, 1985 से इस विभाग का एक स्वायत्तशासी संगठन है।

### भारतीय नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण

भारतीय नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1 दिसम्बर, 1945 से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करना शुरू किया। आरम्भ में यह एक छोटी-सी संस्था के रूप में अस्तित्व में आया, परन्तु अब यह राष्ट्रीय स्तर पर नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख संस्थान बन गया है और विश्व परिप्रेक्ष्य में अब यह अपनी तरह की सबसे बड़ी संस्था है। इस समय देश के विभिन्न भागों में इसके सात क्षेत्रीय कार्यालय और एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनका मुख्यालय कलकत्ता में है। यह भारतीय जनसंख्या के जैव-सांस्कृतिक विभिन्नताओं के अभिलेख और विश्लेषण के लिए अनुसंधान-कार्य करता है। यह भारतीय जन समुदाय के आधारभूत पुरावशेषों के जैव-सांस्कृतिक इतिहास के सन्दर्भ में खोज, संरक्षण तथा अध्ययन के लिए खोज अभियान चलाता है और भारतीय जन समुदाय से संबंधित क्षेत्रीय तथा प्रयोगशाला—आधारित खोजें संचालित करता है। इनमें जनजातियों और क्रमजोर वर्गों पर और सम-सामयिक महत्व की समस्याओं पर बल दिया जाता है। यह सर्वेक्षण संस्था मानवजाति से संबंधित सामग्रियों का संग्रह, संरक्षण और अभिलेख तैयार करती है तथा मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित संग्रहालयों के माध्यम से इनका प्रदर्शन करती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था को वैज्ञानिक संस्था के रूप में घोषित किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संस्था द्वारा स्वीकृत 'भारत के लोग' परियोजना के अन्तर्गत देश में 5,000 जनजातियों का अध्ययन किया जाएगा।

### राष्ट्रीय मानव

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल की परिकल्पना एक सम्पूर्ण संस्था के रूप में की गई है, जो मानव जाति के रहस्यों का उद्घाटन करने, मानव के जीव वैज्ञानिक विकास तथा भारत के विशेष सन्दर्भ के साथ सांस्कृतिक पद्धतियों पर विशेष प्रकाश डालने के कार्यों के प्रति समर्पित है।

**क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र**

नये सांस्कृतिक प्रयासों के क्रम में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। इन केन्द्रों की परिकल्पना उन सांस्कृतिक सम्बन्धों को विव्रित करने के उद्देश्य से की गई है, जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृति का मिलन और अंततः भारत की समृद्ध विविधतापूर्ण संस्कृति के निर्माण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इसके अलावा इनका उद्देश्य लुप्त होती हुई कलाकृतियों और मौखिक परम्पराओं को प्रवर्धित, संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। कलाकारों और सृजनात्मक रचि के लोगों की भागीदारी इस प्रणाली के स्वायत्तशासी स्वरूप द्वारा सुनिश्चित की गई है।

नयी योजना के अन्तर्गत गठित सात 'क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र' इस प्रकार हैं :  
 (1) उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला (2) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, शान्ति निकेतन (3) दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजावुर (4) पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर (5) उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद (6) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दोमापुर (7) दक्षिण-केन्द्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर। राज्यों का एक से अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र में भाग लेना विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों की रचना का एक विशेष गुण है।

**सांस्कृतिक विकास और संवर्धन**

सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 1979 में स्वायत्त संगठन के रूप में हुई, जिनका सम्पूर्ण खर्च सरकार पर था। सांस्कृतिक प्रचार योजना, जो 1970 से दिल्ली विभवविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी, केन्द्र ने अपने हाथ में ले ली।

इस केन्द्र का स्पष्ट उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बाहुल्य के बारे में विचारियों में समझ व जागरूकता पैदा करना तथा इस ज्ञान का पाठ्यक्रम के विषयों के साथ समाकलन करके शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र देश के विभिन्न भागों के प्राथमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के लाभ के लिये कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

महू केन्द्र स्नाइडस, चित्रों, फिल्मों तथा रिकार्डिंग के रूप में संसाधन एगज कर रहा है, ताकि स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री तैयार की जा सके।

दिसम्बर 1982 में केन्द्र ने सांस्कृतिक विभाग से 'सांस्कृतिक प्रतिभा अन्वेषण छात्रवृत्ति योजना' को अपने हाथ में ले लिया। इस योजना के अन्तर्गत 10-14 वर्ष की आयु के ऐसे प्रतिभावाली बच्चों को, जो या तो माध्यम प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं या ऐसे परिवार से सम्बन्ध रखते हैं जो विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए पारम्परिक प्रदर्शनात्मक या अन्य कलाओं की साधना करते हैं, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि वे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। इसमें कला की दुर्लभ विधाओं को विशेष

महत्व दिया जाता है। यह केन्द्र संस्कृति के प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है।

विश्व परम्परा में  
भारत

वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को द्वारा गठित विश्व की सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा बनाई गई थी। इसने विश्व की सांस्कृतिक विरासत से सम्बन्धित सूची में, भारत के सांस्कृतिक स्मारकों और नई प्राकृतिक स्थलों को सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की है। ये हैं :

(1) ताजमहल (2) अजन्ता की गुफाएं (3) एलोरा की गुफाएं (4) आगरा का क़िला (5) कोणार्क का सूर्य मन्दिर (6) महाबलिपुरम् के स्मारक (7) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (8) मानस वन्य अभयारण्य और (9) कर्नालादेव राष्ट्रीय उद्यान।

इन्दिरा गांधी  
राष्ट्रीय कला  
केन्द्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कला विभाग को नई दिल्ली में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। केन्द्र में विभिन्न कलाओं के आपसी सम्बन्धों पर अध्ययन करने की योजना है। इसके अतिरिक्त केन्द्र में प्रकृति, वातावरण, मानव की रोजमर्रा की जीवनचर्या, विश्व और यहां तक कि समग्र ब्रह्मांड और कलाओं के परस्पर संबंधों पर भी अन्वेषण-अध्ययन इत्यादि शुरू करने की योजना है। केन्द्र अपने अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रकाशनों, प्रचार-प्रसार योजनाओं तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से कला को समाज के हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र की जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाने के उपाय करेगा। इस तरह केन्द्र एक ऐसा वातावरण तैयार करने के प्रयास करेगा जिसमें कला एक सहज मानवीय गति-विधि के रूप में अपनाई जाने लगेगी।

प्रथम चरण में केन्द्र भारतीय कला और संस्कृति पर ही अधिक ध्यान देगा। बाद में यह अन्य सभ्यताओं तथा संस्कृतियों और विशेष रूप से दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमरीका, आस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमरीका इत्यादि की सभ्यताओं और संस्कृतियों को भी अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करेगा।

केन्द्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. कला सामग्री और विशेष रूप से लिखित, मौखिक, श्रव्य, दृश्य, चित्र इत्यादि मूलक कला सामग्री के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना ;
2. संदर्भ कृतियों, शब्दावलियों, शब्दकोशों, विश्वकोशों, इत्यादि पर अनुसंधान करने और उन्हें प्रकाशित करने की योजनाएं शुरू करना ;
3. सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन के लिए एक जनजातीय तथा लोक कला संग्रह और संरक्षण केन्द्र की स्थापना करना ;

4. वास्तुकला, साहित्य, संगीत, मूर्तिकला, चित्रकारी, छायाचित्रकला (फोटोग्राफी), फिल्मकला, कुम्हारी, बुनाई और कढ़ाई जैसे विभिन्न कला-क्षेत्रों में कार्यक्रम मंचनों, प्रदर्शनीयों, बहुमाध्यम प्रचार कार्यक्रमों, सम्मेलनों, गोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से समन्वय स्थापित करना और रचनात्मक तथा विवेचनात्मक विचार-विनिमय के लिए उन्हें एक मंच पर लाना ;

5. विशेष रूप से भारतीय परिप्रेथ के अनुकूल कला अनुसंधान मॉडलों का विकास करना ।

केन्द्र के प्रयास होंगे कि कलाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाए और यथासंभव अधिकधिक कलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाए । यह अपने विशिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं के जरिए विभिन्न कलाओं के आपसी सम्बन्धों का अध्ययन करेगा । इनमें जनजातीय, ग्रामीण, सहरी, मार्गों और देसी, चिरकालिक साहित्य (श्रवण) लोक शालीय और अनेक (धाराप्रवाह) मौखिक परम्पराएं भी शामिल हैं ।

केन्द्र विभिन्न कलाओं, भौगोलिक क्षेत्रों, विचारधाराओं, दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक वर्गों में एक दूसरे के प्रति आपसी सूझबूझ बढ़ाने के उपाय भी करेगा ।

### राष्ट्रीय कला परिषद

सरकार द्वारा राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना 19 सितम्बर 1983 को की गई थी । इसका उद्देश्य कला, पुरातत्व, नृत्य विज्ञान, अभिलेखागारों और संग्रहालयों से सम्बन्धित गतिविधियों को समन्वित करना तथा सस्याधो और एजेन्तियों आदि की भावी योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन करना है ।

### सांस्कृतिक सम्बन्ध

सांस्कृतिक विभाग परस्पर सांस्कृतिक अनुबन्धों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से संसार के अनेक देशों के साथ सक्रिय रूप से सांस्कृतिक सहयोग की नीति अपना रहा है । सांस्कृतिक अनुबन्धों में मोटे तौर पर सहयोग के सिद्धान्त निहित हैं । इनको दो से तीन वर्षों की अवधि के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इस समय भारत के 74 देशों के साथ सांस्कृतिक अनुबन्ध हैं और 48 देशों से 2-3 वर्षों की अवधि के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हैं ।

### भारत समारोह

प्रथम भारत समारोह इंग्लैण्ड में वर्ष 1982 में आयोजित किया गया था । इस समारोह की रूपरेखा स्वतन्त्रता के बाद भारत के अतीत और वर्तमान की सर्वाधिक व्यापक और महत्वाकांक्षी अभिव्यक्ति के रूप में तैयार की गई थी । इसका उद्देश्य वह बसे भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक परम्परा के सौष्ठव और विविधता में वृद्धि करने तथा विज्ञान, उद्योग तथा तकनीकी क्षेत्रों में भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद हुई प्रगति और विकास की जानकारी से अवगत कराने का अवसर देना था । दूसरा समारोह फ्रांस में पेरिस में 7 जून 1985 से 12 जून

1986 तक चला। यह समारोह 12 जून 1986 को समाप्त हुआ। तीसरे समारोह का उद्घाटन श्री राजीव गांधी द्वारा अमरीका में 13 जून 1985 को किया गया। इन समारोहों के लिए भारत ने अनेक प्रदर्शनियों, संगीत सभाओं, नृत्य समारोह, सिनेमा तथा रंगमंचांय कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा व्याख्यानो का आयोजन किया है ताकि विदेशों के लोगों को भारत के समकालीन विकास के साथ-साथ इसके प्राचीन गौरव की झलक भी दिखाई जा सके। रूस में भारत समारोह का आयोजन जुलाई 1987 से जुलाई 1988 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

## त्यौहार

भारतीय त्यौहारों के उद्भव में उतनी ही विविधता है जितनी उनकी संख्या में। इन त्यौहारों का उद्भव घर्मों, पौराणिक कथाओं तथा किंवदन्तियों से हुआ है। कुछ त्यौहार राष्ट्र-नायकों के जन्म दिन को मनाने के लिये तथा कुछ ऋतु परिवर्तन या फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। मुख्य त्यौहार हैं—दीवाली, दशहरा, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, मुहरंम, ईद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, ईद-ए-मिलाद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वैशाखी, गुरुपर्व, बुद्ध जयन्ती, महावीर जयन्ती तथा जमशेद नवरोज। कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाए जाते हैं तथा अन्य सीमित या गिने-चुने क्षेत्रों में मनाए जाते हैं। गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी); स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त) तथा गांधी जयन्ती (2 अक्तूबर) राष्ट्रीय अवकाश के दिन हैं।

## 7 वैज्ञानिक अनुसंधान

भारत के मविधान के अनुच्छेद 51(ए) (एच) के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह "वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा जिज्ञासा एव नुधार की भावना का विकास करे।" इसका यह भी उद्देश्य है कि "विज्ञान हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन तथा हमारी गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रविष्ट हो।" मविधान की इस भावना को मूल रूप देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप आज भारत वैज्ञानिकों की संस्था की दृष्टि से संसार के देशों में तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार उसका स्थान अमरीका और सोवियत संघ जैसे दुनिया के सबसे अधिक विकसित राष्ट्री के बाद आता है।

आधुनिक विज्ञान ने स्वतंत्रता से पूर्व भी देश की आन्तरिक स्थिति को प्रभावित किया। देश के कई वैज्ञानिकों ने न केवल व्यक्तिगत रूप से सम्मान तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की बल्कि भारत में किये जा रहे उच्च कोटि के वैज्ञानिक कार्य को भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाया। जगदीश चंद्र बोस (1858-1937); प्रफुल्ल चंद्र राय (1861-1954); दारणा नौसेवा वाडिया (1883-1969); श्रीनिवास रामानुजन (1887-1920); चंद्र-शेखर बेंकटरामन (1888-1970); वीरवल साहनी (1891-1949); प्रशांत चंद्र महालनोबिस (1893-1972); मेघनाद साहा (1893-1949); सत्येन्द्र नाथ बोस (1894-1974); शांति स्वरूप भटनागर (1894-1955) तिरुवेंकट राजेंद्र शोवाद्रि (1900-1975); पंचानन महेश्वरी (1904-1966) तथा होमी जहांगीर भाभा (1909-1966) का उत्कृष्ट योगदान देश में वैज्ञानिक चेतना के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान के केवल कुछ उदाहरण हैं।

भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का रूप तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत होता है। ये हैं: केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों के अपने अनुसंधान तथा विकास यूनिट।

देश में अनुसंधान का अधिकांश कार्य तीन प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है, उनमें अग्रणी हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, पर्यावरण महामागर विकास विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आदि। इन प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों के अंतर्गत लगभग 200 अनुसंधान प्रयोगशालाएँ हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के प्रयोग केंद्र वैज्ञानिक गन्थान अपने दायित्व के क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं। राज्य सरकारें उन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के

कार्यक्रमों में सहयोग करती हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे कृषि, पशु-पालन, मछली-पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी अनुसंधान कार्य होते हैं और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्र और राज्य सरकारों से सहायता मिलती है। ये संस्थान विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएँ भी चलाते हैं।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनुसंधान तथा विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिये सरकार अनेक प्रोत्साहन दे रही है। फलतः अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी आई है। पहली मार्च, 1986 तक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में 924 से अधिक अनुसंधान तथा विकास यूनिटों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने मान्यता मिल चुकी थी।

1950-51 में अनुसंधान तथा विकास और संबद्ध वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक कार्यों पर खर्च 4.68 करोड़ रुपये हुआ था, जबकि 1984-85 में यह खर्च बढ़कर 1,890.58 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। सातवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 7,535 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

## विज्ञान नीति

भारत सरकार की विज्ञान नीति 4 मार्च 1958 को संविधान द्वारा स्वीकृत विज्ञान-नीति संकल्प पर आधारित है। इसमें वैज्ञानिक जानकारी तथा अनुसंधान के व्यावहारिक उपयोग से होने वाले फायदों को जन सामान्य को दिलाने की, सरकार की जिम्मेदारी पर बल दिया गया है। सरकार की यह भी नीति है कि ज्ञान के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए तथा विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आर्थिक तथा सर्वांगीण सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है।

सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि आत्म-निर्भरता और आर्थिक तथा सामाजिक विकास का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एक प्रमुख माध्यम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण तथा अन्य सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में सुदृढ़ नींव के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की गयी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व के नवोदित क्षेत्रों के लिए छठी योजना में पर्यावरण, महासागर विकास, गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों तथा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान तथा जैव-प्रौद्योगिकी के नये विभाग खोले गये हैं। इस नीति के फलस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं।

## टेक्नोलॉजी नीति पर

जनवरी 1983 में घोषित टेक्नोलॉजी नीति सम्बन्धी वक्तव्य टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित जटिल और व्यापक क्षेत्रों में दिशा-निर्देश की आवश्यकता को देखते हुए तैयार किया गया। इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी के अभाव

के पहलू को भी ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य इस बात की व्यवस्था करना है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों—खासकर मानवीय साधनों का—इस तरह भरपूर इस्तेमाल किया जाए कि समाज के सभी वर्गों को भलाई होती रहे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति का उद्देश्य देश की विभिन्न समस्याएं हल करना और स्वतन्त्रता तथा एकता की रक्षा करने योग्य बनना है। इसके अन्य उद्देश्यों में टेक्नोलॉजी सम्बन्धी कुशलता और आत्म-निर्भरता प्राप्त करना, लोगों को न्यूनतम सामंदायक रोजगार उपलब्ध कराना, परम्परागत निपुणता को व्यावसायिक रूप प्रदान करना, कम-से-कम पूंजी से अधिक से अधिक विकास की व्यवस्था करना, उपकरणों और टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना, ऊर्जा की बचत [करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल है। एक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी नीति परिपालन समिति प्रौद्योगिकी नीति के क्रियान्वयन संबंधी मामलों पर गौर करती है।

ध्यान

विभिन्न योजना अग्रधियों के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये रखे गये धन का विवरण तालिका 7.1 और 7.2 में दिया गया है। तालिकाओं में पता चलता है कि हर अग्रणी योजना में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये रखे गई धन-राशि बढ़ी है।

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	अनुसंधान और विकास धन्य		
	1982-83	1983-84	1984-85
सारणी 7.1			
वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा संबंधी कार्यक्रमों पर ध्यान			
केन्द्रीय क्षेत्र	936.57	1,082.28	1,474.98
राज्य क्षेत्र	121.41	150.90	178.85
निजी क्षेत्र	196.98	207.83	236.75
योग	1,254.96	1,441.01	1,890.58

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	योजना	गैर-योजना	योग
सारणी 7.2			
पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान-वृद्धि का विवरण			
पहली योजना	14	6	20
दूसरी योजना	33	34	67
तीसरी योजना	71	73	144
चौथी योजना	142	231	373
पांचवीं योजना	693	688	1,381
छठी योजना	2,064	1,652	3,716
सातवीं योजना	4,398	3,137*	7,535*

\*अनुमानित



कार्यक्रमों में सहयोग करती हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे कृषि, पशु-पालन, मछली-पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी अनुसंधान कार्य होते हैं और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्र और राज्य सरकारों से सहायता मिलती है। ये संस्थान विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं भी चलाते हैं।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनुसंधान तथा विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिये सरकार अनेक प्रोत्साहन दे रही है। फलतः अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी आई है। पहली मार्च, 1986 तक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में 924 से अधिक अनुसंधान तथा विकास यूनिटों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में मान्यता मिल चुकी थी।

1950-51 में अनुसंधान तथा विकास और संबद्ध वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक कार्यों पर खर्च 4.68 करोड़ रुपये हुआ था, जबकि 1984-85 में यह खर्च बढ़कर 1,890.58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सातवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 7,535 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

## विज्ञान नीति

भारत सरकार की विज्ञान नीति 4 मार्च 1958 को संविधान द्वारा स्वीकृत विज्ञान-नीति संकल्प पर आधारित है। इसमें वैज्ञानिक जानकारी तथा अनुसंधान के व्यावहारिक उपयोग से होने वाले फायदों को जन सामान्य को दिलाने की, सरकार की जिम्मेदारी पर बल दिया गया है। सरकार की यह भी नीति है कि ज्ञान के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए तथा विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आर्थिक तथा सर्वांगीण सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है।

सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि आत्म-निर्भरता और आर्थिक तथा सामाजिक विकास का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास एक प्रमुख माध्यम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण तथा अन्य सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में सुदृढ़ नींव के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की गयी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व के नवोदित क्षेत्रों के लिए छठी योजना में पर्यावरण, महाशगर विकास, गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों तथा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान तथा जैव-प्रौद्योगिकी के नये विभाग खोले गये हैं। इस नीति के फलस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

## टेक्नोलॉजी नीति पर

जनवरी 1983 में घोषित टेक्नोलॉजी नीति सम्बन्धी वक्तव्य टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित जटिल और व्यापक क्षेत्रों में दिशा-निर्देश की आवश्यकता को देखते हुए तैयार किया गया। इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी के अभाव

के पहलू को भी ध्यान में रखा गया है। इसका उद्देश्य इस बात की व्यवस्था करना है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों—खासकर मानवीय साधनों का—इस तरह भरपूर इस्तेमाल किया जाए कि समाज के सभी वर्गों को भलाई होती रहे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति का उद्देश्य देश की विभिन्न समस्याएं हल करना और स्वतन्त्रता तथा एकता की रक्षा करने योग्य बनना है। इसके ग्रन्थ उद्देश्यों में टेक्नोलॉजी सम्बन्धी कुशलता और आत्म-निर्भरता प्राप्त करना, लोगों को न्यूनतम लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराना, परम्परागत निपुणता को ध्यावसायिक रूप प्रदान करना, कम-से-कम पूँजी से अधिक से अधिक विकास की व्यवस्था करना, उपकरणों और टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना, ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल है। एक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिक नीति परिपालन समिति प्रौद्योगिक नीति के क्रियान्वयन संबंधी मामलों पर गौर करती है।

ध्यय

विभिन्न योजना अवधियों के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये रखे गये धन का विवरण तालिका 7.1 और 7.2 में दिया गया है। तालिकाओं से पता चलता है कि हर अगली योजना में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये रखी गई धन-राशि बढ़ी है।

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	अनुसंधान और विकास व्यय		
सारणी 7.1	1982-83	1983-84	1984-85
वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास तथा तत्संबंधी कार्यक्रमों पर व्यय			
केन्द्रीय क्षेत्र	936.57	1,082.28	1,474.98
राज्य क्षेत्र	121.41	150.90	178.85
निजी क्षेत्र	196.98	207.83	236.75
योग	1,254.96	1,441.01	1,890.58

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	योजना	गैर-योजना	योग
सारणी 7.2			
पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय-वृद्धि का विवरण			
पहली योजना	14	6	20
दूसरी योजना	33	34	67
तीसरी योजना	71	73	144
चौथी योजना	142	231	373
पांचवी योजना	693	688	1,381
छठी योजना	2,064	1,652	3,716
सातवी योजना	4,398	3,137*	7,535*

\*अनुमानित

### शीर्ष सलाहकार परिषद

प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद का गठन 4 फरवरी, 1986 को, दो वर्ष के लिये किया गया है। पिछली विज्ञान सलाहकार परिषद का कार्यकाल जून, 1985 में समाप्त हुआ। परिषद् के अध्यक्ष प्रो० सी० एन० आर० राव हैं। परिषद् के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—प्रो० जे० वी० नालीकर, डॉ० पी० एन० टंडन, प्रो० आर० नरसिम्हा, डॉ० ए० एस० गांगुली, डॉ० सेखर राहा और प्रो० माधव गाडगिल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सलाहकार डॉ० पी० जे० लवकरे परिषद के सचिव हैं। परिषद प्रधानमंत्री को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देगी :—(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समकालीन महत्वपूर्ण मामले, (ख) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति और उसका दिशा निर्देशन, (ग) 21वीं सदी की भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक योजना का निर्माण। परिषद विभिन्न वैज्ञानिक विभागों की विशेष समस्याओं और नीतियों तथा अनुसंधान और विकास संबंधी प्राथमिकताओं के निर्धारण के बारे में भी विचार करेगी। परिषद के लिये कार्यालयीन सेवादि की व्यवस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग करता है।

### राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड

1982 में गठित राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध व्यक्तियों को उद्यमी बनाने के उपाय कर रहा है। बोर्ड के प्रयासों के फलस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध लगभग 1,200 व्यक्ति उद्यम संचालन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियों ने अनेक उद्यम शुरु किये हैं।

अल्पावधि प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के अतिरिक्त बोर्ड ने, इंजीनियरी डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के प्रयास किये हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये, उद्यमों से संबंधित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिये गये हैं।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों, (एस० टी० ई० पी० एस०) की स्थापना भी की है। पिछड़े जिलों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों के विकास के लिये कुछ पिछड़े जिलों में कार्यकारी दलों का गठन किया गया है। ये कार्यकारी दल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सफल उद्यमियों की उपलब्धियों, सफलताओं और असफलताओं के कुछ विशेष दृष्टांतों के वीडियो, एवं वृत्त-चित्र तैयार किये गये हैं।

### राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, जन-संचार माध्यमों, स्वैच्छिक संस्थाओं इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। परिषद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जन-रुचि बढ़ाने के लिये विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को, जो 1971 में बनाया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढ़ावा देने, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्राली सवैक्षण, अनुसंधान करने या वित्तीय रूप से उनकी सहायता करने, डिजाइन तैयार करने, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं और वैज्ञानिक संगठनों को सहयोग देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित सभी गतिविधियों में तालमेल रखने, विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन और समर्थन का काम संभालने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सूचनाओं का प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न विषयों से संबंधित गतिविधियों में समन्वय लाने और प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परिषद तथा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम विकास बोर्ड और राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद का सहायता करने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

पिछले कई वर्षों से यह विभाग सामाजिकोन्मोगी विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास को तेज करने और विभिन्न क्षेत्रों तथा विभागों के कार्यक्रमों में समन्वय लाने और मूल तथा व्यावहारिक अनुसंधान करने वाले शैक्षणिक तथा अन्य अनुसंधान संस्थानों को सहयोग देने की दिशा में निरंतर प्रयास करता रहा है। यह विभाग विज्ञान से संबंधित लोगों को वित्तीय सहयोग देकर, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके और उनको क्षमताएं बढ़ाकर, बुनियादी सुविधाएं जुटाकर और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के महत्व के बारे में लोगों में जागृति पैदा करके विज्ञान से संबंधित लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में सफल हुआ है। इस बात का भी प्रयास किया गया है कि विज्ञान से संबंधित लोगों में परस्पर भादान-प्रदान अधिक हो, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, वैज्ञानिक अनुसंधानों का उपयोग करने वालों और वैज्ञानिकों के बीच सम्पर्क कायम हो, उत्कृष्टता का विकास हो और उपयोगी परिणामों वाले वैज्ञानिक प्रयासों को मजबूती प्रदान की जाए। यह विभाग देश-विदेश के विशेषज्ञों की मदद से जैव-प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरी, सामग्री, प्लाज्मा भौतिकी जैसे प्रमुखता से उभर रहे क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का पता लगाने, उन्हें तैयार करने और उन्हें लागू करने का काम प्रमुखता से कर रहा है। इन कार्यक्रमों के बनने में हालांकि काफी देर लगती है, लेकिन इनसे अंततः ऐसे उपयोगी परिणाम मिलेंगे जिनका राष्ट्रीय विकास से महत्वपूर्ण और सीधा सम्बन्ध होगा।

### संबंधन योजनाएं

अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिये, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम संबंधी सामान्य अनुसंधान योजना तथा विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद नामक दोनों योजनाओं को, धन-व्यवस्था के मामले में, एक ही योजना के अन्तर्गत कर दिया गया है। इस योजना के उद्देश्य मोटे तौर पर, इस प्रकार हैं:

- (1) बहुविध क्षेत्रों सहित विज्ञान तथा इंजीनियरी के नए और विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, और

- (2) संबंधित संस्था की मौजूदा अनुसंधान क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, विज्ञान तथा इंजीनियरी के सामयिक और चुनिंदा क्षेत्रों में, सामान्य अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना।

जिन संस्थाओं ने विशिष्ट वैज्ञानिकों/ग्रुपों के योगदान से अपने कार्यक्रम क्रियान्वित किये हैं उनके उच्च प्राथमिकता वाले चुनिंदा अनुसंधान क्षेत्रों को, बड़े पैमाने पर सहायता देकर, मजबूत बनाया गया है।

संवर्द्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत देश की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गति-विधियों में भाग लेने के लिए अपेक्षाकृत युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जा रहा है। इस उद्देश्य से उन्हें रचनात्मक अनुसंधान के लिये परियोजना विषयक सहायता दी जाती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के अवसर दिये जाते हैं। उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिये विशेष पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पर्क कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्हें जाने-माने वैज्ञानिकों से विचारों का आदान-प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में, युवा वैज्ञानिकों के लिये बनाई गई इस योजना के अन्तर्गत, विशेष मौलिकता व अभिरुचि वाले युवा अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, विषयों पर युवा वैज्ञानिकों की गोष्ठियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संवर्द्धन हेतु देश के विशाल वैज्ञानिक समुदाय को जिन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उनको दृढ़ करने की ओर भी ध्यान दिया गया है। इसके लिए विशिष्ट उपकरण सहायता के अतिरिक्त सात क्षेत्रीय परिष्कृत उपकरण केन्द्र भी खोले गए हैं।

जिन अन्य संवर्द्धन योजनाओं ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है, वे अनुसूचित जातियों व जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये, प्रौद्योगिकी विकास, महिलाओं के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं को सहायता देने से संबंधित है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने सातवीं योजना के दौरान सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों के ज्ञान का उपयोग करने तथा ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये नई योजनाएं शुरू की हैं।

### राज्य परिषदें

राज्य स्तर पर वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राज्य परिषदों के विकास योजना में अधिक तेजी आयी है।

ये परिषदें मुख्यतः राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में ताल-मेल बिठाने तथा ऐसे कार्यक्रमों के संवर्द्धन के लिये कार्य करेंगी। लगभग सभी राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदें या राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग गठित किये गये हैं।

इंजीनियरिंग माईस परिवहन, संचार, आवास आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध विकास परियोजनाएं शुरू करने तथा उनके लिये धन की व्यवस्था करने के लिये मुख्यवस्थित प्रयास किया गया है। प्रत्येक परियोजना, संबंधित शासकीय विभागों, उद्योग और उपभोक्ता एजेंसियों से विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है। धन की व्यवस्था ये एजेंसियां संयुक्त रूप से करती हैं। नए क्षेत्रों में ऐसे समन्वित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया है, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान हुआ है। विभिन्न सामग्री तथा प्रक्रियाओं का व्यावहारिक उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य में अनुसंधान और विकास संगठनों के काम आने वाली जानकारी संकलित करने के लिये आंकड़ा बैंकों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

परीक्षण तथा  
अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग-  
शालाओं का,  
समन्वय

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिये, स्वतंत्रता प्राप्त के समय से ही, समान परीक्षण प्रक्रियाओं तथा मुख्यवस्थित अंशानुक्रम प्रयोगशालाओं की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। अच्छी वस्तुएं बनाने और उनकी गुणवत्ता बनाये रखने के लिये, परीक्षण और अंशानुक्रम प्रयोगशालाओं में तालमेल आवश्यक है। 1982 में प्रारम्भ किये गए कार्यक्रम के अन्तर्गत, दस विभिन्न क्षेत्रों में, प्रयोगशाला पंजीकरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किये गये हैं।

नवीन तन्तु और  
योगिक

1975 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों के विकास और क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं के गठन के अतिरिक्त विशेष किस्म के तन्तुओं और राल प्रणालियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम में, समय-समय पर, विश्वविद्यालयों के लगभग 15-20 अनुसंधान ग्रुप, अनुसंधान संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां हिस्सा ले चुकी हैं। विभिन्न उत्पादों को सफलतापूर्वक हस्तांतरित करने के लिये प्रत्येक राल प्रणाली के संश्लेषण, संबद्धन और परीक्षण के लिये अनुसंधान ग्रुपों का एक संगठन बनाने की योजना बनाई गई थी। उद्योगों को राल प्रणालियां हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब स्वचालित बाहनों, दुर्गम बाहनों, समुद्री जहाजों तथा अन्य उद्योगों के लिये चुनिंदा कलपुजों का विकास किया जा रहा है। बाजार में नए रेशों तथा योगियों से बने पदार्थ उदलच्च कराने के लिये, इन उद्योगों के सहयोग में, संयुक्त परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है।

प्राकृतिक संसाधन  
आंकड़ा प्रबंध  
प्रणाली

प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रबंध प्रणाली परियोजना का उद्देश्य, क्षेत्र विशेष संबंधी योजनाओं को नियमित करने तथा मूद्रम स्तर पर विकेंद्रीकरण सिद्धांत को लागू करने के लिये, क्षेत्र विशेष के संसाधनों की नवीनतम जानकारी देना है। यह परियोजना 1982 में शुरू की गई। छठी योजना में परियोजना के प्रायोगिक दौर के अनुभव का नाम उठाने के लिये, जिला स्तर पर कुछ आंकड़ा केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। 23 चुनिंदा जिलों में 1985-90 के दौरान आंकड़ा केन्द्र स्थापित करने की योजना है। गुडगांव (हरियाणा), खेड़ा (गुजरात), कोरापुर (उड़ीसा), सुलतानपुर (उ० प्र०) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित कर दी गई हैं।

**आंतरिक भू-संरचना का अध्ययन** भारत के स्थल-मंडल में, भूमि की भीतरी संरचनाओं तथा भौमिकी प्रक्रियाओं के बारे में कुछ विवेचनात्मक जानकारी एकत्रित करने और तत्संबंधी विषयों के अध्ययन की योजना भी है। इसके अतिरिक्त परिवेशी तथा छद्म स्थिति में पाई जाने वाली चट्टानों की गहरी छांन-वीन की जाएगी और उनकी पेट्रो-भौतिकी विशेषताओं का पता लगाया जाएगा।

**शुष्क क्षेत्र अनुसंधान** शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का उद्देश्य, देश के शुष्क क्षेत्रों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से, भूमि, मानव तथा पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाना तथा सामान्य भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को जानना है। इस परियोजना में वातावरण संबंधी जानकारी हासिल करने, सतही तथा भू-गर्भीय जल के आयसी संबंध, कृषि, जलवायु, अनुसंधान, वन, वागवानी, पर्वतीय तथा बंजर भूमि विकास, पुनर्नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों, बालू के टीलों की गति के अध्ययन, मानवीय योगदान तथा संसाधन आंकड़ों की स्थापना से सम्बद्ध कार्यक्रम है।

### हिमालयी हिमनद विज्ञान

हिमालय के हिमनदों के अध्ययन के लिये एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत तत्संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाएगा। इस कार्य में संबंधित संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। परियोजना में हिमाच्छादित स्थल, मानचित्रण, हिमनद इन्वेन्ट्री, जलवायु मंडलीय/जलविज्ञान अध्ययन तथा भू-वैज्ञानिक/भू-आकृतिसूचक संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिम तथा बर्फ से संबंधित भौतिक तथा रसायन विज्ञानों पर प्रयोगशालाओं में अध्ययन किया जाएगा। ऊंची चोटियों पर होने वाले परिवर्तनों तथा वातावरण पर विभिन्न घटनाओं के प्रभाव का अध्ययन भी किया जाएगा।

### हिमालय क्षेत्र में भूकम्प अध्ययन

हिमालय भूकम्प अध्ययन परियोजना के अन्तर्गत, हिमालय क्षेत्र में भूकम्प अध्ययन तंत्र को, स्थायी तथा चलती-फिरती वेधशालाएं स्थापित करके सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रायोगिक तौर पर एक टेलीमीटर्ड नेटवर्क की स्थापना भी की जा रही है। इसके अलावा पांच स्थायी भूकम्प अध्ययन केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। कांगड़ा तथा शिलांग क्षेत्रों में ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जिनकी सहायता से भूमि की सतह के नीचे होने वाले फैलाव का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। इन यंत्रों ने हाल ही के भूकम्पों के बारे में काफी उपयोगी आंकड़े सफलतापूर्वक रिकार्ड किए हैं। इन आंकड़ों की सहायता से भूकम्प की आशंका वाले इलाकों में भवन आदि सिविल संरचनाओं के क्षेत्रानुकूल डिजाइन तैयार करने में आसानी होगी। विद्युत चालकता, गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय शास्त्र तथा क्रिस्टलीय उल्लंघनों जैसे विषयों पर भी अध्ययन किया जा रहा है।

### वायुमंडल विज्ञान अनुसंधान

हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में वायुमंडलीय विज्ञानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत इन विज्ञानों में अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई है। तदनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वायुमंडलीय विज्ञान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मानसून की गति तथा उनके अनिश्चित आवागमन के बारे में मौजूदा जानकारी बढ़ाने तथा मौसम संबंधी भविष्यवाणियां करने के लिये, उपयुक्त क्षेत्रीय तथा सार्व-भौमिक परिमंचरण मॉडल तैयार किये जा रहे हैं। तूफानों की तीव्रता से संबंधित भविष्यवाणियां करने तथा भारत में समुद्री तूफानों की चेतावनी देने के लिये भी उपयुक्त मॉडल तैयार किये जा रहे हैं। वायुमंडलीय सीमा परत, वायुमंडलीय रसायन शास्त्र, मेघ भौतिकी, मौसम संशोधन तथा चक्रवातों, तीव्र स्थानीय तूफानों और अन्य प्राकृतिक विनाशशीलताओं के बारे में समन्वित अनु-संधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

### राष्ट्रीय सूचना प्रणाली

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के अधीन विशिष्ट क्षेत्रों में शोधकर्ताओं और पेशेवर लोगों को उपयोगी वैज्ञानिक जानकारी देने संबंधी गतिविधियां जारी हैं तथा इसमें उत्तरोत्तर कम्प्यूटरो के उपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चमड़ा, दवाओं, मशीनी मीजारों, पत्तन, रसायन, खाद्य-पदार्थों एवं स्फटिक विज्ञान के बारे में वर्तमान सूचना केंद्रों को मजबूत बनाने के अलावा कड़ी आकड़ा सेवाओं, आंकड़ा आधार तक पहुंच, कम्प्यूटर पर आधारित चुनिंदा सूचना प्रसार एवं औपचारिक तथा अनौपचारिक जनशक्ति विकास जैसे नये कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

### अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विकासशील तथा विकसित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सतत प्रयत्न किये गये हैं। बातचीत तथा समझौतों के जरिये कुछ विकासशील देशों से नये औपचारिक अनुबंध किये गये हैं। दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ मिलकर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में दक्षिण एशिया, क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों का पता लगाया गया है। इनमें समान हित वाले खास क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

अनेक विकसित देशों जैसे फ्रांस, जापान, सघीय जर्मन गणराज्य, पोलैंड, अमरीका, सोवियत संघ आदि के साथ वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ा है, जिसमें सहयोग के नये कार्यक्रमों का पता लगाकर उन्हें शुरू करने तथा उनके क्रियान्वयन के तीव्र-तरीकों की व्याख्या करना शामिल है।

### प्रौद्योगिकी उपयोग

स्वदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन तथा समर्थन देने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। इनमें उद्योगों द्वारा स्थापित अनुसंधान तथा विकास यूनिटों का पंजीकरण, वैज्ञानिक अनुसंधान पर किये गये व्यय तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को दिये गये अंशदान को वित्तीय प्रोत्साहन, स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास पर आधारित उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक



वनाने पर अधिक दर पर पूंजीनिवेश भत्ता, गैर-व्यावसायिक अनुसंधान संस्थानों को वैज्ञानिक यंत्रों आदि के आयात पर सीमा शुल्क से छूट आदि शामिल हैं। फिलहाल, विभिन्न उद्योगों की अपनी अनुसंधान तथा विकास यूनिटों का पंजीकरण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग कर रहा है।

फरवरी, 1986 में मान्यता प्राप्त इकाइयों की संख्या 924 थी। इन पर प्रति वर्ष लगभग पांच अरब रुपये का व्यय हो रहा था। सातवीं योजना में प्रौद्योगिकी के संवर्धन, विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम नेशनल रजिस्टर ऑफ फारेन कोलेबोरेशन (विदेशी सहयोग की राष्ट्रीय पंजी), टैक्नोलॉजी एन्वोयर्स एंड एडेप्टेशन स्कीम (प्रौद्योगिकी समावेशन तथा अनुकूलीकरण योजना), ट्रांसफर एंड ट्रेडिंग इन टैक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार), प्रमोशन एंड सपोर्ट टु कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन (परामर्श-दाता संगठनों के संवर्धन तथा सहयोग) इत्यादि से सम्बद्ध हैं।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०) भारत की अग्रणी और विश्व में तीसरे नम्बर की ऐसी सबसे बड़ी कम्पनी है जो पूर्णतः स्वविकसित क्रिस्टलीय सिलिकन सोलन सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सोलन फोटोवोल्टाइक्स (एस० पी० वी०) बनाती है। देश के विभिन्न भागों में इसके लगभग 3000 एस० पी० वी० प्रतिष्ठान हैं। ये प्रतिष्ठान उच्चस्तरीय व्यावसायिक तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान कुशलता से पूरा करते हैं। ये प्रतिष्ठान दूरवर्ती स्थानों तथा कठिन परिस्थितियों और खराब मौसम वाले इलाकों में भी, विश्वसनीयता तथा उपलब्धि के अपने मानदंडों पर चलते हुए कार्यरत हैं। भारतीय रेलों को विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियां प्रदान करने में सी० ई० एल० काफी सक्रिय रही है। इसने देश में मध्यम क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों के सप्लायर तथा व्यावसायिक फेराइट के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में एक विशेष स्थान बना लिया है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक समान सहभागिता, विकास परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता, शैतजिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता, पुरस्कार आदि देकर आविष्कारों को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों से, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण, संवर्धन तथा उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है।

### राष्ट्रीय सर्वेक्षण तथा अन्य संस्थाएँ

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, राष्ट्रीय एटलस तथा विषय-वस्तु मानचित्रण संगठन, कलकत्ता तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नयी दिल्ली—ये तीनों विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ संगठन हैं।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्र की प्रधान मानचित्रण एजेंसी है। देश के समेकित विकास को तेज करने तथा देश की प्रगति, खुशहाली और सुरक्षा में सभी संसाधनों का भरपूर योगदान सुनिश्चित करने के लिये, देश के अधिकांश

क्षेत्र का समुचित अन्वेषण और मानचित्रण करना, विभाग का विशेष उत्तर-दायित्व है।

यह एजेंसी भौगोलिक, भू-भौतिकीय अध्ययन, सर्वेक्षण उपकरणों तथा यंत्रों आदि के देशीकरण आदि से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों में शामिल रहती है तथा मानचित्रण में मुद्रक संवेद प्रयोगों में भी शक्ति रूप से कार्यशील है। देश की एरियल फोटोग्राफी के कार्य में तालमेल बढ़ाने का काम भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जिम्मे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सरकार को सर्वेक्षण संबंधी सभी मामलों जैसे भौगोलिक, फोटोग्रामीट्री, मानचित्रण तथा मानचित्र प्रतिरूपण, भारत की बाहरी सीमा का रेखांकन तथा मानचित्रों में इसे दिखाने के बारे में सलाह-मशविरा भी देता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न पैमानों पर स्थानक तथा भौगोलिक नक्शे तैयार करता है जो कि विकास तथा रक्षा कार्यों में सर्वेक्षण के लिए काम आते हैं। इसने कोयला-क्षेत्रों, मिनाई, विजली, संचार, बाढ़-नियंत्रण, जल सज्जाई, वानिकी, इस्पात परियोजनाओं, सुरंग बढता आदि विवास कार्यों के लिए विभिन्न पैमानों वाले अनेक स्थलीय एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण तैयार किये हैं।

अनेक प्राधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने सर्वेक्षण आंकड़ों के संग्रहन, भूचना तंत्र के निर्माण तथा डिजिटल कम्प्यूटराइज्ड मानचित्र-जला प्रदान के लिये, नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी तथा 'इन-हाउम' कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली लागू करने के उपाय किए हैं।

हैदराबाद का सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान, सर्वेक्षण तथा मानचित्रण के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, भारतीय नागरिकों तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को प्रशिक्षण देता है।

वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर महयोग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रण मध, फोटोग्रामीट्री तथा मुद्रक संवेदन की अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी और अन्तर्राष्ट्रीय गुल्बराकरण मध की विकास-गोष्ठियों में भी शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय एटलस और  
विषयवस्तु मान-  
चित्रण संगठन

राष्ट्रीय एटलस और विषयवस्तु मानचित्रण संगठन, विषय वस्तुओं के मान-चित्रण के लिये भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। यह संगठन राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मानचित्र संकलित और प्रकाशित करता है। संगठन ने आठ भागों में भारत का एटलस तथा मिनाई, वन-समाधन, द्विप-समाधन आदि विषयों पर एटलसों का प्रकाशन किया है। इस समय देश के बुनिदा जिलों के विकास प्रयत्नों के भू-उपयोग तथा भू-प्रकार मानचित्र बृहत स्तर पर संकलित किए जा रहे हैं। मानवीं योजना के दौरान, भारत का पर्यावरण एटलस, भारत का जल समाधन विकास एटलस, हिन्दी और बंगला में भारत का संदर्भ एटलस, भारत का पर्यटन एटलस (दूररा सम्करण), स्वास्थ्य और रोगों का एटलस बनाने तथा भारतीय महासागर जैसी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। ये सब एटलस व्यापक रूप में, योजना तथा अन्य कार्यों के उपयोग में लाये जा रहे हैं। इनमें भूगोल और मानचित्रण के व्यावहारिक पक्षों पर

वनाने पर अधिक दर पर पूंजीनिवेश भत्ता, गैर-व्यावसायिक अनुसंधान संस्थानों को वैज्ञानिक यंत्रों आदि के आयात पर सीमा शुल्क से छूट आदि शामिल हैं। फिलहाल, विभिन्न उद्योगों की अपनी अनुसंधान तथा विकास यूनिटों का पंजीकरण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग कर रहा है।

फरवरी, 1986 में मान्यता प्राप्त इकाइयों की संख्या 924 थी। इन पर प्रति वर्ष लगभग पांच अरब रुपये का व्यय हो रहा था। सातवीं योजना में प्रौद्योगिकी के संवर्धन, विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम नेशनल रजिस्टर ऑफ फारेन कोलेबोरेशन (विदेशी सहयोग की राष्ट्रीय पंजी), टेक्नोलाजी एक्जोव्हान एंड एडेप्टेशन स्कीम (प्रौद्योगिकी समावेशन तथा अनुकूलीकरण योजना), ट्रांसफर एंड ट्रेडिंग इन टेक्नोलाजी (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार), प्रोमोशन एंड सपोर्ट टु कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन (परामर्श-दाता संगठनों के संवर्धन तथा सहयोग) इत्यादि से सम्बद्ध हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र  
के उद्यम

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०) भारत की अग्रणी और विश्व में तीसरे नम्बर की ऐसी सबसे बड़ी कम्पनी है जो पूर्णतः स्वविकसित क्रिस्टलीय सिलिकन सोलन सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सोलन फोटोवोल्टाइक्स (एस० पी० वी०) बनाती है। देश के विभिन्न भागों में इसके लगभग 3000 एस० पी० वी० प्रतिष्ठान हैं। ये प्रतिष्ठान उच्चस्तरीय व्यावसायिक तथा ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान कुशलता से पूरा करते हैं। ये प्रतिष्ठान दूरवर्ती स्थानों तथा कठिन परिस्थितियों और खराब मौसम वाले इलाकों में भी, विश्वसनीयता तथा उपलब्धि के अपने मानदंडों पर चलते हुए कार्यरत हैं। भारतीय रेलों को विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियाँ प्रदान करने में सी० ई० एल० काफी सक्रिय रही है। इसने देश में मध्यम क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों के सप्लायर तथा व्यावसायिक फेराइट के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में एक विशेष स्थान बना लिया है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक समान सहभागिता, विकास परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता, क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता, पुरस्कार आदि देकर आविष्कारों को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण, संवर्धन तथा उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति की है।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण  
तथा अन्य संस्थान

राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, राष्ट्रीय एटलस तथा विषय-ज्ञस्तु मानचित्र संगठन, कलकत्ता तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नयी दिल्ली—ये तीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ संगठन हैं।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्र की प्रधान मानचित्रण एजेंसी है। देश समेकित विकास को तेज करने तथा देश की प्रगति, खुशहाली और सुरक्षा सभी संसाधनों का भरपूर योगदान सुनिश्चित करने के लिये, देश के अधिकांश

क्षेत्र का समुचित अन्वेषण और मानचित्रण करना, विभाग का विशेष उत्तर-दायित्व है।

यह एजेंसी भौगोलिक, भू-भौतिकीय अध्ययन, सर्वेक्षण उपकरणों तथा यंत्रों आदि के देखीकरण आदि से संबंध विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों में शामिल रहती है तथा मानचित्रण में सुदूर संवेद प्रयोगों में भी सक्रिय रूप से कार्यशील है। देश की एरियल फोटोग्राफी के कार्य में तालमेल बढ़ाने का काम भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जिम्मे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सरकार को सर्वेक्षण संबंधी सभी मामलों जैसे भौगोलिक, फोटोग्रामीट्री, मानचित्रण तथा मानचित्र प्रतिरूपण, भारत की बाहरी सीमा का रेपॉजिन तथा मानचित्रों में इसे दिखाने के बारे में सलाह-मशविरा भी देता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न पैमानों पर स्थानक तथा भौगोलिक नक्शे तैयार करता है जो कि विकास तथा रक्षा कार्यों में सर्वेक्षण के लिए काम आते हैं। इसने कोयला-क्षेत्रों, सिंचाई, बिजली, संचार, बाढ़-नियंत्रण, जल सप्लाई, वानिकी, इस्पात परियोजनाओं, सुरंग बढ़ता आदि विकास कार्यों के लिए विभिन्न पैमानों वाले अनेक स्थलीय एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण तैयार किये हैं।

अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने सर्वेक्षण आकड़ों के सकलन, सूचना तंत्र के निर्माण तथा डिजिटल कम्प्यूटराइज्ड मानचित्र-कला अपनाने के लिये, नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी तथा 'इन-हाउस' कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली लागू करने के उपाय किए हैं।

हैदराबाद का सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान, सर्वेक्षण तथा मानचित्रण के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, भारतीय नागरिकों तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को प्रशिक्षण देता है।

वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सहयोग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रण संघ, फोटोग्रामीट्री तथा सुदूर संवेदन को अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी और अन्तर्राष्ट्रीय गुरुत्वाकर्षण संघ की विचार-मोठियों में भी शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय एटलस और  
विषयवस्तु मान-  
चित्रण संगठन

राष्ट्रीय एटलस और विषयवस्तु मानचित्रण संगठन, विषय वस्तुओं के मानचित्रण के लिये भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। यह संगठन राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मानचित्र सकलित और प्रकाशित करता है। संगठन ने आठ भागों में भारत का एटलस तथा सिंचाई, वन-संसाधन, कृषि-संसाधन आदि विषयों पर एटलसों का प्रकाशन किया है। इन समय देश के चुनिंदा जिलों के विकास प्रयत्नों के भू-उपयोग तथा भू-प्रकार मानचित्र बृहत स्तर पर सकलित किए जा रहे हैं। सातवीं योजना के दौरान, भारत का पर्यावरण एटलस, भारत का जल संसाधन विकास एटलस, हिन्दी और बंगला में भारत का संदर्भ एटलस, भारत का पर्यटन एटलस (दूररा सस्करण), स्वास्थ्य और रोगों का एटलस बनाने तथा भारतीय महासागर जैमी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। ये सब एटलस व्यापक रूप में, योजना तथा अन्य कार्यों के उपयोग में लाये जा रहे हैं। इनमें भूगोल और मानचित्रण के व्यावहारिक पक्षों पर

वनाने पर अधिक दर पर पूंजीनिवेश भत्ता, गैर-व्यावसायिक अनुसंधान संस्थानों को वैज्ञानिक यंत्रों आदि के आयात पर सीमा शुल्क से छूट आदि शामिल हैं। कृषिज्ञान, विभिन्न उद्योगों की अपनी अनुसंधान तथा विकास यूनिटों का पंजीकरण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग कर रहा है।

सन् 1986 में मान्यता प्राप्त इकाइयों की संख्या 924 थी। इन पर प्रति वर्ष लगभग पांच अरब रुपये का व्यय हो रहा था। सातवीं योजना में प्रौद्योगिकी के संवर्धन, विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम नेशनल रजिस्टर ऑफ प्रॉद्योगिकी इन्वेस्टमेंट (विदेशी सहयोग की राष्ट्रीय पंजी), टैक्नोलाजी एक्सचेंज एंड एडेप्टेशन स्कीम (प्रौद्योगिकी समावेशन तथा अनुकूलिकरण योजना), ट्रान्स्फर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैक्नोलाजी (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार), प्रोमोशन एंड सपोर्ट टू कम्प्लेटी आर्गेनाइजेशन (परामर्श-दाता संगठनों के संवर्धन तथा सहयोग) इत्यादि में सम्बद्ध हैं।

संवर्धन क्षेत्र के लक्ष्य

एल. इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०) भारत की अग्रणी और विश्व में तीसरे नम्बर की ऐसी मत्रमे बड़ी कम्पनी है जो पूर्णतः स्वविकसित क्रिस्टलीय निर्मित सोलन मेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सोलन फोटोवोल्टाइक्स (एस० पी० सी०) बनाने में देश के विभिन्न भागों में इसके लगभग 3000 एल० पी० सी० प्रतिष्ठान हैं। ये प्रतिष्ठान उच्चस्तरीय व्यावसायिक तथा ग्रामीण, दान्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान कुशलता से पूरा करते हैं। ये प्रतिष्ठान दुर्ग्रन्थी स्थानों तथा कठिन परिस्थितियों और खराब मौसम वाले इलाकों में भी विश्वमनीयता तथा उपलब्धि के अपने मानदंडों पर चलते हुए कार्यरत हैं। भारतीय क्षेत्रों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणालियाँ प्रदान करने में सी० ई० एल० काफी सक्रिय रही है। इसने देश में मध्यम क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों के सफाया तथा व्यावसायिक फेराइट के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में एक विशेष स्थान बना लिया है।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक समान सहभागिता, विकास प्रोत्साहनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता, शैतजिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहायता, पुरस्कार आदि देकर आविष्कारों को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों से, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण, संवर्धन तथा उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में प्रगति प्रगति की है।

राष्ट्रीय सर्वेक्षण तथा अनुसंधान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, राष्ट्रीय एटलस तथा विषय-वस्तु मानचित्रण संगठन, कलकत्ता तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नयी दिल्ली—ये तीनों विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ संगठन हैं।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्र की प्रधान मानचित्रण एजेंसी है। देश के सर्वांगीण विकास को तेज करने तथा देश की प्रगति, खुशहाली और सुरक्षा में नयी संभावनाओं का भरपूर योगदान सुनिश्चित करने के लिये, देश के अधिकांश

क्षेत्र का समुचित अन्वेषण और मानचित्रण करना, विभाग का विज्ञेय उत्तर-दायित्व है।

यह एजेंसी भौगोलिक, भू-भौतिकीय अध्ययन, सर्वेक्षण उपकरणों तथा यंत्रों आदि के देशीकरण आदि से सबद्ध विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रमों में शामिल रहती है तथा मानचित्रण में सुदूर संवेद प्रयोगों में भी सक्रिय रूप से कार्यशील है। देश की एरियल फोटोग्राफी के कार्य में तालमेल बढ़ाने का काम भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जिम्मे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सरकार को सर्वेक्षण सबधी सभी मामलों जैसे भौगोलिक, फोटोग्रामीट्री, मानचित्रण तथा मानचित्र प्रतिरूपण, भारत की बाहरी सीमा का रेखांकन तथा मानचित्रों में इसे दिखाने के बारे में सलाह-मशविरा भी देता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न पैमानों पर स्थानक तथा भौगोलिक नक्शे तैयार करता है जो कि विकास तथा रक्षा कार्यों में सर्वेक्षण के लिए काम आते हैं। इसने कोयला-क्षेत्रों, सिंचाई, विजली, संचार, बाढ़-नियंत्रण, जल सफाई, वानिकी, इस्पात परियोजनाओं, नुरंग बढ़ता आदि विकास कार्यों के लिए विभिन्न पैमानों वाले अनेक स्थलीय एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षण तैयार किये हैं।

अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभाग ने सर्वेक्षण आंकड़ों के संकलन, सूचना तंत्र के निर्माण तथा डिजिटल कम्प्यूटराइज्ड मानचित्र-कला अवनाने के लिये, नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी तथा 'इन-हाउस' कम्प्यूटराइज्ड प्रणाली लागू करने के उपाय किए हैं।

हैदराबाद का सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान, सर्वेक्षण तथा मानचित्रण के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, भारतीय नागरिकों तथा पड़ोसी देशों के नागरिकों को प्रशिक्षण देता है।

वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सहयोग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रण मध, फोटोग्रामीट्री तथा सुदूर संवेदन की अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी और अन्तर्राष्ट्रीय गुस्त्वाकर्षण मध की विचार-गोष्ठियों में भी शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय एटलस और विषय-संगठन

राष्ट्रीय एटलस और विषय-संगठन, विषय-वस्तुओं के मानचित्रण के लिये भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। यह संगठन राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मानचित्र संकलित और प्रकाशित करता है। संगठन ने आठ भागों में भारत का एटलस तथा सिंचाई, वन-संसाधन, कृषि-संसाधन आदि विषयों पर एटलसों का प्रकाशन किया है। इस समय देश के चुनिंदा जिलों के विकास प्रयोजनों के भू-उपयोग तथा भू-प्रकार मानचित्र बृहत स्तर पर संकलित किए जा रहे हैं। सातवी योजना के दौरान, भारत का पर्यावरण एटलस, भारत का जल संसाधन विकास एटलस, हिन्दी और बंगला में भारत का मंदर्भ एटलस, भारत का पर्यटन एटलस (डूमरा संस्करण), स्वास्थ्य और रोगों का एटलस बनाने तथा भारतीय महासागर जैसी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। ये सब एटलस व्यापक रूप से, योजना तथा अन्य कार्यों के उपयोग में लाये जा रहे हैं। इनमें भूगोल और मानचित्रण के व्यावहारिक पदों पर

किये गये अनुसंधान तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत किये गये शोध-पत्रों का नियमित रूप से समावेश किया जाता है।

## परमाणु ऊर्जा

परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, परमाणु ऊर्जा को समस्त गतिविधियों के विषय में, नीति निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित कराने वाला अभिकरण है।

बम्बई के निकट ट्राम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, देश में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास कार्य इस केन्द्र में होते हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अनुसंधान तथा विकास संबंधी सहयोग देता है। इस समय ट्राम्बे में चार अनुसंधान रिएक्टर कार्य कर रहे हैं। तरण ताल टाइप, एक मेगावाट थर्मल की क्षमता वाला रिएक्टर अक्सरा, 40 मेगावाट की क्षमता वाला रिएक्टर साइरस, यूरेनियम (233) के घोल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाला समांगी रिएक्टर पूर्णिमा II, तथा पूर्णतः भारत में निर्मित 100 मेगावाट की क्षमता वाला रिएक्टर ध्रुव, जिसने अगस्त, 1985 में काम करना शुरू किया। इनके अलावा कलपक्कम में यूरेनियम (233) के ईंधन को उपयोग में लाने वाले लघु-ताल जैसे 30 किलोवाट क्षमता वाले रिएक्टर कामिनी के निर्माण में भी काफी प्रगति हो गई है।

कलकत्ता में भाभा अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्थापित परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंधान कार्यों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इस केन्द्र का प्रयोग जैव एवं कृषि उत्पादों के नियंत्रित प्रत्यक्ष अविकिरण के लिए भी किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की गुलमर्ग स्थित उच्च स्थलीय अनुसंधान प्रयोगशाला देश के सभी वैज्ञानिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च स्थलीय अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करती है। श्रीनगर में एक नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र भी है। इंदौर में संगलन, लेसर तथा त्वरक के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन फरवरी 1984 में किया गया था। इस केंद्र के प्रौद्योगिक उत्पादन का उपयोग अंतरिक्ष, रक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रमों एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास में भी हो सकेगा।

बंगलूर के पास भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का गौरीविदानूर भूकम्प केन्द्र, भूमिगत नाभिकीय विस्फोटों और विस्फोट स्थल का पता लगाने में मदद करता है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र देश में रेडियो-आइसोटोपों एवं उपकरणों का एकमात्र उत्पादक है। यहां प्रति वर्ष लगभग 400 किस्मों के रेडियो-सक्रिय एवं लेबल युक्त

योगिकों का उत्पादन किया जाता है और देश के अन्दर और विदेशों में प्रयोक्ताओं को लगभग 50,000 रेडियो-आइसोटोप व उपकरण भेजे जाते हैं। रेडियो आइसोटोपों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे रोगों का निदान तथा उपचार, भौतिक एक्स-रे चित्रण, चावल, गेहूँ, मूंगफली आदि को अधिक उपज देने वाली रोग प्रतिरोधक उत्परिवर्तियों (म्यूटेंट्स) किस्मों का विकास। ड्राम्बे स्थित आइसोमेट नामक एक वाणिज्यिक रेडियो विकिरण निष्क्रियता केन्द्र देश में विकिरण उत्पाद उद्योगों को रेडियो विकिरण निष्क्रियता की सेवा उपलब्ध कराता है। बम्बई स्थित विकिरण चिकित्सा केन्द्र, निदान और चिकित्सा में रेडियो आइसोटोपों का प्रयोग करता है।

नाभिकीय विज्ञान के अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र अन्य अनेक क्षेत्रों में भी, अनुसंधान और विकास कार्य कर रहा है। इसमें धातु कर्म, निर्वात टेक्नोलॉजी, धुंकीय द्रवगत विज्ञान, लेसर, प्लाज्मा भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, जीव-विज्ञान, चिकित्सा और नियंत्रण इंजीनियरी सम्मिलित हैं। अनेक क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकीय जानकारी उद्योगों को दी गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र देशव्यापी कर्मचारी जांच सेवा भी करता है, जिसका उद्देश्य विकिरण उपकरणों का प्रयोग करने वाले संग-ठनों में लगे श्रमिकों पर विकिरण का प्रभाव मालूम करना है।

कलपक्कम स्थित रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र का नाम दिसम्बर, 1985 में, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र रखा गया। यह केन्द्र फास्ट रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अनुसंधान और विकास का कार्य करता है। कलपक्कम में अक्टूबर, 1985 में, 40 मेगावाट की तापीय तथा 13 मेगावाट की विद्युतीय डिजाइन क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहली बार काम करने की स्थिति में आया, जो इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना है। इस तरह भारत को विश्व में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला सातवा तथा विकासशील देशों में ऐसा पहला देश बनने का श्रेय मिला। भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सर्वप्रथम यूरेनियम कार्बाइड तथा प्लूटोनियम कार्बाइड के मिश्रण का ड्राइवर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का श्रेय भी प्राप्त किया। देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरूआत एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके फलस्वरूप हमारे देश में योरिनियम के विशाल भंडार को ब्रीडर रिएक्टरों द्वारा उपयोग में लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ब्रीडर रिएक्टर ऊर्जा और ईंधन दोनों ही पैदा करते हैं। अतः यह आशा करना उचित ही है कि 21वीं सदी में देश की बढ़ती हुई विद्युत आवश्यकताओं को बड़ी मात्रा में देश में ही उपलब्ध यूरेनियम तथा प्लूटोनियम को ब्रीडर रिएक्टरों में उपयोग करके पूरा किया जा सकेगा। 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पाउर टाईप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

#### परमाणु शक्ति

भारत विश्व के उन गिने-बुने देशों में से है जो परमाणु शक्ति रिएक्टरों का डिजाइन, और इनके लिए ईंधन तैयार करके इनका संचालन स्वयं कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु शक्ति कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि मई 2000 तक देश में परमाणु विद्युत उत्पादन की 10,000 मेगावाट क्षमता हो जाये जो कि देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का करीब 10 प्रतिशत है।



परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु विद्युत बोर्ड परमाणु विजलीघरों के आकल्पन, निर्माण और संचालन का काम देखता है। बोर्ड इस समय तीन परमाणु विजलीघर चला रहा है। ये हैं: बंबई के पास तारापुर में  $2 \times 160$  मेगावाट क्षमता का तारापुर परमाणु विजलीघर, कोटा के पास रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विजलीघर जिसकी क्षमता  $2 \times 220$  मेगावाट है और कलकत्ता में मद्रास परमाणु विजलीघर की  $2 \times 235$  मेगावाट क्षमता की यूनिट। मद्रास विजलीघर की यूनिट-II 12 अगस्त, 1985 को चालू हुई थी और 21 मार्च 1986 को इसने व्यावसायिक तौर पर उत्पादन आरंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश में नरोरा में  $2 \times 235$  मेगावाट क्षमता के एक अन्य परमाणु विजलीघर का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है। गुजरात में काकरापार में  $2 \times 235$  मेगावाट क्षमता वाले पांचवें परमाणु विजलीघर के निर्माण-कार्य में भी संतोषजनक प्रगति हुई है। कर्नाटक में काडगा और राजस्थान में रावतभाटा में  $2 \times 235$  मेगावाट क्षमता के दो अन्य विद्युत केंद्र लगाने का भी फैसला किया गया है। 500 मेगावाट क्षमता के पावर रिएक्टर का डिजाइन बनाने का कार्य भी चल रहा है। तारापुर स्थित परमाणु विजलीघर में समुद्र यूरैनियम से चलने वाले उबलते पानी वाले रिएक्टर का प्रयोग किया गया है, जब कि अन्य सभी विजलीघर प्राकृतिक यूरैनियम से चलने वाले एवं भारी पानी द्वारा मंदित एवं शीतित रिएक्टरों पर आधारित हैं।

### हैवी वाटर प्रोजेक्ट

पंजाब में नांगल स्थित भारी पानी के एक छोटे संयंत्र के अतिरिक्त वड़ोदरा, कोटा, तालछेड़ तथा तूतीकोरिन में भारी पानी के चार संयंत्र हैं। थाल वैरीट (महाराष्ट्र) तथा मनुगुरु (आंध्र प्रदेश) में भारी पानी के दो और संयंत्रों का निर्माण आरम्भ किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त हाजिरा (गुजरात) में भी वैसा ही संयंत्र लगाया जा रहा है, जैसा कि थल में लभाया गया है। कोटा, मानुगुरु और हाजिरा के संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी प्रयासों और प्रौद्योगिकी से लगाए गए हैं।

परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा सर्वप्रथम स्थापित की गई इकाइयों में से एक है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और इसके जिम्मे यूरैनियम, थोरियम, बेरिलियम, नाइऑबियम और टैंटलम की खोज तथा विकास है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यम हैं। इनके नाम हैं—इंडियन रेयर अर्थ्स लि० (आई० आर० ई०), यूरैनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (यू० सी० आई० एल०) और इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (ई० सी० आई० एल०)। इंडियन रेयर अर्थ्स लि० मानावालाकुरिचि और चावरा में खनिज रेत उद्योग तथा आलवे में दुर्लभ मिट्टियों के संयंत्र का संचालन करती है। यह बम्बई में थोरियम उत्पाद भी बनाती है तथा दुर्लभ मिट्टियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा सैंड काम्प्लेक्स भी स्थापित कर रही है। यूरैनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, बिहार में, जादुगुड़ा में कच्चे यूरैनियम के खनन तथा संसाधन का कार्य करती है।

इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सोलेशन ऑफ इण्डिया लि०, हैदराबाद, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित प्रवीणता का दोहन करने के उद्देश्य से न्यूक्लीय तथा गैर-न्यूक्लीय प्रयोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा योजनों का उत्पादन करता है। ई०सी०आई०एन० धरेनु उपयोग का इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टी० वी० सेट, फॉल्यूलेटिंग मशीन और कम्प्यूटर बनाता है।

### वित्तीय सहायता

विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण में चार अनुसंधान मस्याओं के लिए वित्तीय व्यवस्था भी करता है। ये सस्याएँ हैं—टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बम्बई; टाटा मेमोरियल सेंटर, बम्बई; माहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर। इसके अतिरिक्त गणित के विकास के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, मद्रास; मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद और नेशनल बोर्ड फार हायर मैथमेटिक्स, बम्बई को भी सहायता दी गई है। विभाग परियोजना से सम्बद्ध वित्तीय सहायता देकर, भारतीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं में तकनीकी मानवशक्ति और सुविधाओं के विकास के लिए परमाणु (नाभिकीय) ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में, सुयोग्य अन्वेषकों द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान योजनाओं को भी प्रोत्साहित करता है।

### अंतरिक्ष अनुसंधान

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अग्रगण्यता प्राप्त करना। इसमें मुख्य जोर तीन बातों पर दिया जाता है। ये हैं— (1) विभिन्न राष्ट्रीय उपयोगों के लिये उपग्रह संचार, (2) संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध, पर्यावरण-अध्ययन तथा मौसम विज्ञान सेवाओं के लिये उपग्रह सुदूर सवेद, एम (3) स्वदेशी उपग्रहों तथा प्रक्षेपण यानों के विकास तथा संचालन के द्वारा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना।

### संगठन

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरम्भ 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये भारतीय राष्ट्रीय समिति के गठन के साथ हुआ। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। इससे तथा भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला (पी०आर०एल०) स्वायत्त एजेंसियों के रूप में काम करते थे और इन्हें मुख्यतः परमाणु ऊर्जा विभाग से सहायता मिलती थी। बाद में ये संगठन 1972 में स्थापित अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग के अधीन कर दिये गये। राष्ट्रीय सुदूर सवेद एजेंसी, जो कि एक स्वायत्त पंजीयित संसाधनी है, 1980 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन आ गयी। इन्स्टे-1 अंतरिक्ष इंग्रमेंट प्रोजेक्ट का मगडन 1977 में किया गया।

अंतरिक्ष आयोग का काम बाह्य अंतरिक्ष के बारे में नीति निर्धारण, अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित बजट का अनुमोदन और बाह्य अंतरिक्ष से सम्बद्ध सभी मामलों में राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) देश में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इनके प्रयोग के नियोजन से संबंधित कार्यक्रम का निर्धारण तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के प्रबंध का काम देखता है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष तथा संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान कार्यक्रम चलाती है तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेद एजेंसी, संसाधन प्रबंध के लिए आधुनिक सुदूर संवेद तकनीकों का विकास तथा उपयोग करती है। इसरो, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला तथा सुदूर संवेद एजेंसी एवं इन्सेट-1 अंतरिक्ष सेगमेंट परियोजना अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम करती हैं।

इसरो परिषद एवं इसरो मुख्यालय, इसरो के केंद्रों तथा यूनिटों को वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा प्रबंधकीय कार्यों में मार्गनिर्देश देती हैं।

## अंतरिक्ष प्रयोग

### इन्सेट प्रणाली

प्रथम शृंखला की भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सेट-1) निश्चित राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए 'कार्यरत' अंतरिक्ष प्रणाली को लागू करने की दिशा में पहला कदम है। इन्सेट-1 एक बहुदेशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है। इसका उपयोग देश के भीतर लंबी दूरी के दूर-संचार, मौसम वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भू-पर्यवेक्षण तथा आंकड़ा-प्रेषण, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से राष्ट्रव्यापी सामुदायिक टेलीविजन प्रसारण को बेहतर बनाने तथा भू-स्थित ट्रांसमीटरों के जरिये, पुनः प्रसारण के लिए रेडियो तथा टी० वी० कार्यक्रमों के राष्ट्रव्यापी वितरण में किया जाता है।

इन्सेट-1वी उपग्रह अगस्त 1983 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया और अक्टूबर 1983 में इसने काम शुरू कर दिया। फरवरी 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हसन में मास्टर कंट्रोल फेसिलिटी (एम०सी० एफ०) से इन्सेट प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित किया। इन्सेट-1वी ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिये हैं। इस उपग्रह की चारों सेवाओं का, उपभोक्ता एजेंसियां लगातार उपयोग कर रही हैं।

इन्सेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है तथा सरकारी विभागों और एजेंसियों की परंपरागत सीमाओं से उठकर एक प्रमुख संगठनात्मक पहल है। इन्सेट अंतरिक्ष सेगमेंट की स्थापना तथा उसके संचालन की जिम्मेदारी अंतरिक्ष विभाग को सौंपी गयी है।

इन्सेट-1 प्रणाली एक दोहरा उपग्रह अंतरिक्ष सेगमेंट है। इसमें मुख्य अंतरिक्षयान और एक सक्रिय परिक्रमण स्पेयर शामिल है, परन्तु

सितम्बर, 1982 में इन्सैट-1ए के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद, इन्सैट-1 बी ने प्रमुख उपग्रह का स्थान ले लिया। इन्सैट-1बी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अन्तरिक्ष विभाग ने इन्सैट-1सी के आर्डर भी दे दिए हैं। इन्सैट-1सी को 1988 के प्रारंभ में यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी की एरियन वाच लिंकल में छोड़ा जाएगा। स्वदेश में ही निर्मित दूसरी पीढ़ी के इन्सैट को अन्तरिक्ष में छोड़े जाने तक इन्सैट-1 की सेवाओं को जारी रखने के लिए, इस श्रृंखला में एक चौथे उपग्रह इन्सैट-1डी के आर्डर भी दिए जा चुके हैं। इसे 1989 के प्रारंभ में छोड़ा जाएगा।

इस समय इन्सैट-1बी नेटवर्क में 38 दूरसंचार अर्थ स्टेशन कार्यरत हैं। ये 69 हटों पर लगभग 3,960 दुतरफा ध्वनि (टू-वे वायस) या इन्वीवेलेंट सर्किट उपलब्ध करा रहे हैं। इन्सैट-1बी के दो हार्ड-वायर एस-बैंड ट्रांसपांडरों का उपयोग दूरदर्शन द्वारा, राष्ट्रीय नेटवर्क में, लोभर टी० वी० ट्रांसमीटरों की कार्यचालन क्षमता बनाए रखने तथा 'एरिया स्पेसिफिक डाइरेक्ट ग्राम्पेटेड टी० वी० रिसेवरो' के लिए किया जाता है। देश में 184 टी० वी० ट्रांसमीटरों में से पाच को छोड़कर सभी ट्रांसमीटर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए इन्सैट-1बी के माध्यम से सामग्री प्राप्त करते हैं।

इस समय भारत के विभिन्न भागों में इन्सैट-1बी, एस-बैंड टी० वी० ट्रांसमिशन को सीधा पकड़ने (डाइरेक्ट रिसेप्शन) के लिए लगभग 3,200 डाइरेक्ट रिसेप्शन सेट लगाए गए हैं।

इन्सैट-1 के जरिये रेडियो नेटवर्क सेवा भरोसेमंद, उच्च क्षमता के पाच-चैनल वाले राष्ट्रीय/प्रादेशिक प्रसारण के द्वारा, आकाशवाणी के सभी केंद्रों से पुनः प्रसारण के लिये बनाई गई थी। इस समय आकाशवाणी के 94 स्टेशन इन्सैट-1बी रेडियो नेटवर्क में हैं। यह नेटवर्क पाच चैनलीय सेवा (फाइव चैनल फीड) उपलब्ध कराता है। इस तरह इन्सैट-1बी पर, रेडियो कार्यक्रम प्रसारण के एक महीने में कुल संचित घंटे औसतन लगभग 2,100 तक बँट जाते हैं।

नई दिल्ली में मौसम विज्ञान आकडा उपयोग केंद्र पूरी तरह चालू हो गया है। इस केंद्र में इन्सैट-1बी अति उच्च रेजोल्यूशन रेडियोमीटर से प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़े और सूचना एकत्रीकरण प्लेटफार्म से मिली सूचना का विश्लेषण किया जाता है। 15 अक्टूबर 1986 तक की सूचना के अनुसार, इन्सैट-1 बी पर रचे गए अति उच्च रेजोल्यूशन रेडियोमीटर को 13,560 में भी अधिक प्रतिबिम्ब भेजने का कार्य सौंपा गया है। इनमें से 13,481 पूर्ण तथा 85 खंड प्रतिबिम्ब हैं। इन्सैट-1बी का अति रेजोल्यूशन रेडियोमीटर ऐसे कुछ अति उच्च रेजोल्यूशन रेडियोमीटरों में से है, जो पृथ्वी के मापेक्ष अन्तरिक्ष में स्थिर रहकर, बिना खराबी के या निरर्थक सावित हुए बगैर, लगातार तीन वर्ष में संतोष-जनक कार्य कर रहे हैं।

रेडियोमीटर प्रतिबिम्बों से प्राप्त वायु-संवर्धों आंकड़ों को नियमित रूप से विश्व मौसम विज्ञान संगठन की दूर-संचार प्रणाली को भेजा जाता है। इस समय पृथ्वी के मापेक्ष, स्थिर कक्ष से हिन्द महासागर के ऊपर बार-बार या

कभी-कभार होने वाले मौसम परिवर्तनों की सूचना केवल इन्सैट-1वीं से ही मिलती है।

इस समय 22 अनुषंगी सूचना उपयोग केन्द्र कार्यरत हैं और ये मौसम विज्ञान व सूचना उपयोग केन्द्र द्वारा एकत्रित रेडियोमीटर सूचना प्राप्त कर रहे हैं।

सुदूर तथा निर्जन स्थानों से मीतम विज्ञान, जल-विज्ञान और समुद्रविज्ञान विषयक आंकड़ों को संकलित करने के लिए 100 आंकड़ा संकलन प्लेटफार्मों का पहला सेट स्थापित कर दिया गया है।

इन्सैट-I अन्तरिक्ष यान का स्थान स्वदेश में ही विकसित इन्सैट-II उपग्रह लेंगे। इन्हें भूस्थिर उपग्रह लांच व्हिकल के जरिए अंततः भारत से ही छोड़ा जाएगा। भूस्थिर उपग्रह लांच व्हिकल का रूप-विन्यास निश्चित करने के प्रयास चल रहे हैं। इन्सैट-II अन्तरिक्ष खंड तथा उससे संबंधित यान की रूप-रेखा निर्धारित कर दी गई है। परिचालन शृंखला प्रारंभ करने से पूर्व किया जाने वाला इन्सैट-II परीक्षण अन्तरिक्षयान संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। इन्सैट-II अन्तरिक्ष खंड का विन्यास, तीन समान बहु-उद्देश्यीय (दूरसंचार, टेली-विज्ञान, रेडियो प्रसारण, मौसम विज्ञान) अन्तरिक्ष यानों पर आधारित है। इनमें से दो को प्रथम कक्ष में साथ-साथ तथा एक को दूसरे खांचे में रखा गया है। इन्सैट-I उपग्रहों की वजाय, प्रत्येक अन्तरिक्षयान की सेवा क्षमता अधिक होगी।

**सुदूर संवेद उपग्रह** अर्ध-कार्यरत/कार्यरत सुदूर संवेदन भारतीय उपग्रहों की शृंखला में प्रथम आई० आर० एस०-1ए, इसी वर्ष फ्रांस के अन्तरिक्ष केन्द्र में ताप संतुलन परीक्षण में खरा उतरा। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली में इसका विशिष्ट स्थान होगा। 900 कि० ग्रा० श्रेणी के इस अंतरिक्षयान, आई० आर० एस०-1ए का सक्रिय कक्षीय जीवन, इसकी संरचना के अनुसार, तीन वर्ष का होगा। आई० आर० एस०-1ए, 904 कि० मी० के ध्रुवीय/सूर्यसमक्रमिक कक्ष से पृथ्वी के प्रतिदिम्ब (चित्र) लेगा।

### संसाधन सर्वेक्षण परियोजना

राष्ट्रीय सुदूर संवेद एजेंसी ने अनेक प्रयोक्ताओं की ओर से संसाधन सर्वेक्षण परियोजनाओं का संचालन किया। पंजाब में जल संबंधी गुणों के लिए नदी घाटों की मानसून-पूर्व तथा इसके पश्चात् स्थिति के अध्ययन तथा भूमि जल की संभावना एवं भूमि उपयोग के लिए मद्रास तथा इसके आसपास के पर्यावरण का अध्ययन उपग्रह से मिले चित्रों के माध्यम से किया गया। नीलगिरि के साइलेंट वैली क्षेत्र के पर्यावरणीय अध्ययन, लवणता, क्षारता तथा नदी जल किस्म के मान-चित्रण की परियोजनाएं हवाई तथा उपग्रह से मिली जानकारी के उपयोग से पूरी की गयीं। आंध्र-प्रदेश के सात नगरों का नगर नियोजन सर्वेक्षण, खनिज अन्वेषण के लिए वस्तर जिले में स्कैनर (थर्मल) सर्वेक्षण, श्रीहरिकोटा में प्राकृतिक तथा विकास गतिविधियों के कारण हुए परिवर्तनों का अध्ययन, केरल का चित्र सर्वेक्षण एवं

तेजपुर के निकट मड़क पुन के लिये किये गये सर्वेक्षण आदि, पूरी की गयी हवाई मुद्रर संवेद परियोजनाओं में शामिल है।

**प्रादेशिक मुद्रर संवेद सेवा केंद्र**

मुद्रर संवेद के जरिये प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के लिए विभिन्न मंत्रालयों की वित्तीय सहायता से पांच प्रादेशिक मुद्रर संवेद सेवा केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। अंतरिक्ष विभाग में वित्तीय सहायता प्राप्त एक केंद्र देहरादून में चालू है। नागपुर, पड़रगपुर, बंगलूर तथा जोधपुर में केंद्र स्थापित हो रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी एक केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रारंभ में इन केंद्रों का संचालन अंतरिक्ष विभाग करेगा।

### अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

**प्रेषण मान प्रौद्योगिकी**

संवर्धित उपग्रह लाच ह्विकन (ए० एम० एल० बी०) संवर्धी नायं जारी है। सर्वाधिक पेशीदा ऑन-बीर्ड प्रणाली की अर्हता, बन्द लूप जडत्वीय मायंदर्जन प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करके, उपकरण कक्ष में समंजित कर दिया गया है। स्टेज मोटर इन्टरस्टेज, ताप बचक, उपकरण कक्ष जैसी विभिन्न प्रणालिया 'भार' केंद्र में पहुंचाई जा चुकी है।

ध्रुवीय उपग्रह लाच ह्विकन (पी० एम० एल० बी०) परियोजना ने इस वर्ष काफी प्रगति की है। पी० एम० एल० बी० की उड़ान 1989 में होने की आशा है। इसका पहला लाच आर्डे० आर० एम०-1ए का मुद्ररा रूप होगा।

रोहिणी साउंडिंग राकेट कार्यक्रम का उद्देश्य राकेट मौसम विज्ञान, ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान तथा उड़ान प्रणाली के विकास को टी० ई० आर० एल० एम०; एस० एच० ए० आर०, तथा बालासोर से साउंडिंग राकेट उड़ानों के जरिये समर्थन प्रदान करना है।

**उपग्रह प्रौद्योगिकी**

विस्तृत रोहिणी उपग्रह शृंखला कार्यक्रम का उद्देश्य 150 कि० घा० वर्ग के उपग्रहों का विकास करना है, जिन्हें ए० एस० एल० बी० के जरिये छोड़ा जायेगा। इसके अंतर्गत कार्यक्रम-1 तथा कार्यक्रम-2 बनाये जा रहे हैं।

कार्यक्रम-1 का उद्देश्य प्रेषणमान के काम पर नजर रखना, उपग्रह के मुख्य बांचे के तटवों के परिक्रमा के दौरान कार्य को ठीक करना, तथा गामा किरणों के विस्फोट के अध्ययन के लिये वैज्ञानिक परीक्षण करना है। कार्यक्रम-2 के अंतर्गत जर्मन एम० ई० आर्० एम० एम० उपकरणों के साथ संयुक्त इमरो-डी० एक० बी० एल० आर० (पश्चिम जर्मनी की अतर्गित एजेमी) मुद्रर संवेद प्रयोग किया जायेगा।

विस्तृत रोहिणी उपग्रह शृंखला-3 द्वारा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिये वातावरण मन्त्रालय परीक्षण किए जायेंगे।

शृंखला-4 अभियान में इसरो तथा टाटा इंस्टीट्यूट के लिए परीक्षण किए जाएंगे, जिनमें एकसरे सामग्री ले जायी जाएगी।

प्रेषण समर्थन,  
ट्रैकिंग नेटवर्क  
व रेंज सुविधाएं

सभी इसरो कार्यक्रमों के लिए प्रेषण समर्थन व रेंज सुविधाएं इसरो रेंज कंट्रोल-क्स द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनमें श्रीहरिकोटा, टी० ई० आर० एल० एस० तथा बालासोर राकेट प्रेषण केंद्र की सुविधाएं शामिल हैं।

इसरो टेलीमीटरी, ट्रैकिंग व कमांड नेटवर्क का मुख्यालय बंगलूर में है और यह ट्रैकिंग नेटवर्क के जरिये इसरो के विभिन्न उपग्रह मिशनों की सहायता करता है। इस नेटवर्क में टी० टी० सी० के श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद तथा तिरुअनंतपुरम भू-केंद्र, कार निकोवार में डाउन रेंज केंद्र, कावालूर में उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिंग केंद्र तथा श्रीहरिकोटा में उपग्रह नियंत्रण केंद्र शामिल हैं।

श्रीहरिकोटा व अहमदाबाद केंद्रों से भारतीय उपग्रहों तथा एन० ओ० ए० ए०-7 व 8 तथा लेन्डसेट उपग्रह के लिए ट्रैकिंग सहायता मिलती है।

इस नेटवर्क का विस्तार करके छह भू-केंद्र तथा एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र लगाये जा रहे हैं जिससे ए० एस० एल० वी०, पी० एस० एल० वी० तथा आई० आर० एस० मिशनों को टी० टी० सी० सहायता मिल सके। श्रीहरिकोटा, तिरुअनंतपुरम व कार निकोवार के भू-केंद्र ए० एस० एल० वी० को सहायता देने के लिए हैं। ये केन्द्र चालू हो चुके हैं।

अंतरिक्ष विज्ञान

अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अनुसंधान, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला में होता है। वी० एस० एस० सी० में अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला में और आई० एस० ए० सी० में तकनीकी भौतिकी डिब्बिजन में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जा रहा है। पृथ्वी के निकट का वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल तथा सूर्य एवं पृथ्वी के संबंध अनुसंधान के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। सौर किरणों, खगोल भौतिकी, इन्फ्रारेड खगोल विज्ञान, उल्का मंडल, चन्द्रमा नमूने, भू-सौर भौतिकी तथा प्लाज्मा भौतिकी के क्षेत्र में भी अनुसंधान को महत्व दिया जाता है। उदयपुर सौर वैधशाला में सौर भौतिकी पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, अनेक संस्थानों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के लिये सहयोग दिया जाता है। इनमें बहु एजेंसी भारतीय मध्य वायुमंडल कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए परामर्श समिति शामिल हैं।

प्रायोजित  
अनुसंधान

प्रायोजित अनुसंधान के अंतर्गत, जो कि 1976 में प्रारंभ किया गया था, अब तक 75 से अधिक विश्वविद्यालयों, आई० आई० टी०, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों तथा कुछ उद्योगों में 200 अनुसंधान व विकास परियोजनाओं को सहायता मिल चुकी है। ये परियोजनाएं अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इसके प्रयोग के बारे में हैं।

इसरो—आई० आई० एस० के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकौष्ठ ने अपने कार्य के दो वर्ष सफलता से पूरे कर लिये हैं। देश का दूसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकौष्ठ हाल ही में आई० आई० टी०, बम्बई में स्थापित किया गया है। इससे मुख्य रूप से सुदूर संवेद के क्षेत्र में अनुसंधान किया जायेगा।





वी० एस० एस० सी० के नये कार्यक्रम हैं, वलियामाला तथा महेंद्रगिरि परिसर और इनकी स्थापना पी० एस० एल० वी० परियोजना की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुई है। ए० एस० एल० वी० तथा पी० एस० एल० वी० के अलावा वी० एस० एस० सी० की अगली प्रमुख परियोजना थी—भू-स्थिर प्रेषण वाहन (जी० एस० एल० वी०) का विकास। इसका उपयोग दूसरी शृंखला के स्वदेशी इन्सैट-II उपग्रह को छोड़ने में किया जायेगा।

बंगलूर का इसरो उपग्रह केंद्र (आई० एस० ए० सी०), भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का उपग्रह प्रौद्योगिकी आधार है, जिसके अधीन विभिन्न वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और प्रयोग मिशनों के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष यान परियोजनाओं को लागू किया जायेगा। इसके लिये यह केंद्र आर्यभट्ट उपग्रह कार्यक्रम का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण तथा प्रबंध कार्य कर रहा है और इसने अब तक आठ उपग्रह परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं।

श्रीहरिकोटा केंद्र आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है और यह इसरो का मुख्य कार्य-स्थल है तथा इसरो का उपग्रह प्रेषण रेंज का नियंत्रण करता है। इस केंद्र में इसरो रेंज परिसर, स्टेटिक परीक्षण तथा मूल्यांकन परिसर, सालिड प्रोपेलेंट स्पेस बूस्टर प्लांट, श्रीहरिकोटा कम्प्यूटर सुविधा, कार्यक्रम नियोजन व मूल्यांकन ग्रुप, श्रीहरिकोटा केंद्रीय डिजाइन, निर्भरता व गुणता आश्वासन ग्रुप तथा श्रीहरिकोटा आम सुविधाएं भी शामिल हैं। इसरो रेंज परिसर में प्रेषण परिसर तथा थ्रुवा में टी० ई० आर० एल० एस० व वालासोर राकेट प्रेषण केंद्र शामिल हैं। स्टेटिक परिसर तथा सालिड प्लांट इसरो की सबसे बड़ी स्टेटिक परीक्षण तथा सालिड प्रोपेलेंट उत्पादन सुविधाएं हैं।

इसरो का टेलीमीटरी, ट्रैकिंग व कमांड नेटवर्क इसरो के उपग्रह और उपग्रह प्रेषण वाहन मिशन के लिए आवश्यक ट्रैकिंग, कमांड, आंकड़ा एकत्रीकरण तथा रिफ्लेक्टिंग सहायता प्रदान करता है।

इस नेटवर्क में टी० टी० सी० के श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद व तिरुअनंतपुरम स्थित भू-केंद्र, कार निकोवार में एक डाउन रेंज केन्द्र, कावालूर में एक उपग्रह ट्रैकिंग और रेंजिंग केन्द्र तथा श्रीहरिकोटा में एक उपग्रह नियंत्रण केन्द्र शामिल हैं। प्रथम चार केन्द्र वी० एच० एफ० वैंड में काम कर रहे हैं और एस० एल० वी०-3/रोहिणी तथा अन्य उपग्रह मिशनों को सहायता दे रहे हैं। कावालूर में आस्टिकल ट्रैकिंग केन्द्र है जो कि उपग्रहों के चित्र लेने तथा सूक्ष्म ट्रैकिंग में सहायता करता है। श्रीहरिकोटा में उपग्रह नियंत्रण केन्द्र, उपग्रहों तथा नेटवर्क कार्यों के लिए केन्द्रीयकृत कार्य नियंत्रण, निगरानी और समन्वय सहायता देता है।

अहमदाबाद के अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र तथा इसरो के प्रयोग अनुसंधान व विकास केन्द्र के प्रमुख कार्य हैं : परियोजनाओं का आकल्पन, नियोजन व कार्यान्वयन तथा अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक प्रयोगों के लिए अनुसंधान करना। अंतरिक्ष प्रयोग के मुख्य कार्य हैं : उपग्रह पर आधारित दूर संचार व टेलीविजन तथा प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेद, पर्यावरणीय निगरानी, मौसम विज्ञान व भू-परिदृश।

अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र ने इसरो के सुदूर संवेद तथा संचार उपग्रह के लिए प्रयोग उपकरणों के विकास, भू-प्रणालियों के उपयोग व उपग्रह संचार तथा सुदूर संवेद के लिए प्रयोग तकनीकों के मामले में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

द्रव गति प्रदाय प्रणाली यूनिट (एल० पी० एस० यू०) के डिवीजन बंगलूर व तिरुवनंतपुरम में है और यह यूनिट प्रेषण वाहनों तथा उपग्रहों के लिए द्रव गतिप्रदाय नियंत्रण पैकेजों के डिजाइन, विकास तथा सप्लाई का काम देती है। यह यूनिट सूक्ष्म व विशेष निर्माण, संगठन व परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित है।

अहमदाबाद का विकास तथा शिक्षा संचार एकक दूरदर्शन/सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से विकास तथा शिक्षक टी० वी० कार्यक्रमों के निर्माण, विशेषकर इन्टैट सेवाओं के लिए तथा संवद्ध अनुसंधान व प्रशिक्षण का काम देखता है।

हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेद एजेंसी एक स्वशासी पंजीकृत सोसायटी है। यह देश के प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन व प्रबन्ध के काम में आने वाली आधुनिक सुदूर संवेद तकनीकों का उपयोग करती है और विभिन्न उपमोक्षताओं को कार्य-संबंधी सहायता प्रदान करती है। इसके पास भू-साधनों के सर्वेक्षण, पहचान, व रिकॉर्डिंग व निगरानी के लिए अनेक प्रकार के उपकरण व यंत्र हैं। इसका मुख्य केन्द्र बालानगर में है और उपग्रह भू-केन्द्र शादनगर परिसर में है। हैदराबाद का भारतीय सुदूर संवेद संस्थान इस एजेंसी का एक अंग है और सुदूर संवेद तथा हवाई फोटो-विश्लेषण तकनीकों व पाठ्यक्रमों के लिए देश में मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र है।

अहमदाबाद की भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अन्तरिक्ष व मध्य विज्ञानों में अनुसंधान का प्रमुख राष्ट्रीय केन्द्र है। मुख्य अनुसंधान कार्यक्रम सौर तारामण्डल भौतिकी, इन्फ्रारेड पगोलविद्या, भू-अन्तरिक्ष भौतिकी, सैद्धान्तिक भौतिकी, मौसम विज्ञान, प्लाजमा भौतिकी, प्रयोगशाला खगोल-भौतिकी, पुरातत्व विज्ञान व जल विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला उदयपुर सौर वेधशाला का प्रबंध भी करती है।

## इलेक्ट्रॉनिक्स

इलेक्ट्रॉनिक्स आज के युग की ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसका अनेक क्षेत्रों में उपयोग होता है। इसने जीवन तथा आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। उद्योग, वाणिज्य, रक्षा, अन्तरिक्ष, ऊर्जा, शिक्षा, बिक्री, संचार, मनोरंजन आदि मानव गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इस महत्वपूर्ण शाखा से सहायता मिलती है। देश के प्रौद्योगिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रति यूनिट निवेश के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराता है और उद्योग, तेल, ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आधुनिक 'ग्रॉन लाइन' प्रक्रिया नियंत्रण यंत्र, धांकड़ा संकलन प्रणाली, उपयुक्त स्वचालित प्रक्रिया तथा कम्प्यूटराइज्ड डिजाइन इत्यादि अल्पाने में, समय की काफी बचत हो सकती

है, भौजूदा क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सकता है तथा औद्योगिक कुशलता बढ़ाई जा सकती है। आकाश, पृथ्वी, रेलों, सड़कों, समुद्रों, फैक्टरियों और खदानों में सुरक्षा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही निर्भर करती है। रक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के जरिए यह देश की अखंडता की रक्षा करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से दूरदराज के इलाकों से सहज ही सम्पर्क किया जा सकता है, टी० वी० तथा अन्य आधुनिक दूर-संचार सेवाओं में इसकी गहरी पैठ है। इस तरह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स की महती भूमिका है। जनता में शिक्षा का प्रसार करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं।

1970 में भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण उद्योग के मार्गदर्शन के लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की। फरवरी, 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग का गठन हुआ। आयोग देश में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक समेकित तथा आत्मनिर्भर आधार तैयार करने के लिए नीतियां बनाता है। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व अनुसंधान, विकास और औद्योगिक संचालन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करना है।

### विकास रणनीति

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति इस प्रकार है—(i) स्वदेशी बाजार में संस्थापित इस विशाल संसाधन के अधिकाधिक विकास के प्रयास करना; (ii) देश की सामरिक सुरक्षा, संचार, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में ही अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कराने के उपाय करना; (iii) प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना। इसका तात्पर्य यह नहीं कि विदेशी प्रौद्योगिकी को निकाल बाहर किया जाए, बल्कि जहां आवश्यक हो, वहां इसे सूझबूझ सहित अपनाकर, अपनी आवश्यकतानुसार ढाला और विकसित किया जाए। और साथ-ही ऐसे उपाय भी किए जाएं जिनसे देश की सामरिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताएं, यथासंभव अधिकाधिक, स्वदेशी वस्तुओं से पूरी की जा सकें; (iv) घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से निर्यात का मार्ग प्रशस्त करना; (v) देश के विभिन्न भागों में तकनीकी जानकारी पहुंचाने, रोजगार मुहैया कराने, उत्पादन बढ़ाने तथा क्रय-विक्रय को सुविधाएं जुटाने के लिए अधिकाधिक स्थानों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करना, और (vi) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जगत में ऐसा वातावरण बनाने के उपाय करना, जहां उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों तथा औद्योगिक, कृषि, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में सहज तालमेल पैदा हो।

सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के तीव्र विकास के लिए नई संबंधन नीतियां बनाने के उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(क) लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाना। इसका उद्देश्य नियंत्रण की वजाय संबंधन को प्रोत्साहन देना है।



है, मौजूदा क्षमताओं का भरपूर उपयोग किया जा सकता है तथा औद्योगिक कुशलता बढ़ाई जा सकती है। आकाश, पृथ्वी, रेलों, लड़कों, समुद्रों, फैक्टरियों और खदानों में सुरक्षा मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही निर्भर करती है। रक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के जरिए यह देश की अखंडता की रक्षा करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से दूरदराज के इलाकों से सहज ही सम्पर्क किया जा सकता है, टी० वी० तथा अन्य आधुनिक दूर-संचार सेवाओं में इसकी गहरी पैठ है। इस तरह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स की महती भूमिका है। जनता में शिक्षा का प्रसार करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं।

1970 में भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण उद्योग के मार्गदर्शन के लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की। फरवरी, 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग का गठन हुआ। आयोग देश में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक समेकित तथा आत्मनिर्भर आधार तैयार करने के लिए नीतियां बनाता है। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व अनुसंधान, विकास और औद्योगिक संचालन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करना है।

### विकास रणनीति

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति इस प्रकार है—(i) स्वदेशी बाजार में संस्थापित इस विशाल संसाधन के अधिकाधिक विकास के प्रयास करना; (ii) देश की सामरिक सुरक्षा, संचार, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में ही अधिकाधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण कराने के उपाय करना; (iii) प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना। इसका तात्पर्य यह नहीं कि विदेशी प्रौद्योगिकी को निकाल बाहर किया जाए, बल्कि जहां आवश्यक हो, वहां इसे सूझबूझ सहित अपनाकर, अपनी आवश्यकतानुसार ढाला और विकसित किया जाए। और साथ-ही ऐसे उपाय भी किए जाएं जिनसे देश की सामरिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताएं, यथासंभव अधिकाधिक, स्वदेशी वस्तुओं से पूरी की जा सकें; (iv) घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से निर्यात का मार्ग प्रशस्त करना; (v) देश के विभिन्न भागों में तकनीकी जानकारी पहुंचाने, रोजगार मुहैया कराने, उत्पादन बढ़ाने तथा क्रय-विक्रय की सुविधाएं जुटाने के लिए अधिकाधिक स्थानों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की स्थापना करना, और (vi) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जगत में ऐसा वातावरण बनाने के उपाय करना, जहां उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों तथा औद्योगिक, कृषि, परिवहन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में सहज तालमेल पैदा हो।

सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के तीव्र विकास के लिए नई संवर्धन नीतियां बनाने के उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

(क) लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाना। इसका उद्देश्य नियंत्रण की वजाय संवर्धन को प्रोत्साहन देना है।

- (ख) जहाँ नियंत्रण अपरिहार्य हो, वहाँ आमतौर पर आर्थिक नियंत्रण की अपेक्षा वित्तीय नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ग) नामान्यतः क्षमता की अधिकतम सीमा का बंधन तथा अत्यधिक विविध परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से किए गए आदेशों को छोड़कर, बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर, निजी क्षेत्र, नावैज्ञानिक क्षेत्र इत्यादि जैसे क्षेत्रीय बंधन नहीं होंगे। कम-से-कम खर्च पर, नम-कालीन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर, उत्पादन में वृद्धि यही मार्गदर्शक सिद्धांत होगा।
- (घ) मानकीकरण की दिशा में कारगर प्रयास किए जाएंगे। केवल इन्हीं के जरिए हम देश में कल-पुर्जों के उत्पादन को आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बना सकते हैं।
- (ङ) जिन वस्तुओं का निर्माण देश में ही होना है, उनका आयात रोकना या सीमित किया जा सकता है, अथवा आयात शुल्क में भारी वृद्धि करके, देश में बनी वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। साथ ही स्वदेशी उत्पादकों में आतस्य की प्रवृत्ति को रोकने तथा उनके उत्पादों को लागत की तुलना में लाभप्रद बनाए रखने के लिए, इन प्रकार के शुल्क को, क्रमबद्ध ढंग से, घटाया जा सकता है।
- (च) उचित लागत पर उपकरण उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में न बनने वाले कल-पुर्जों, कम आयात शुल्क लगाकर, आयात किए जाएंगे।
- (छ) इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों और उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वमनीयता बनाए रखने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे। प्रयास यही होगा कि विश्वसनीयता और गुणवत्ता, अन्ततः डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया के ही अंग बन जाएं।

### उत्पादन

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने 1985 के दौरान उपकरण और कल-पुर्जों, दोनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की तथा उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की। 1985 में कुल 26 अरब, 75 करोड़ रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन हुआ। यह 1984 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है।

### इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जें

1985 में कुल 4 अरब, 10 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों का उत्पादन हुआ। ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन तथा टेपरिकार्डर उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक कल-पुर्जों की काफी मांग बढ़ी। इस उद्योग के लिए अधिकांश कल-पुर्जें देश में ही बनने हैं। जिन कल-पुर्जों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उनमें ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन विक्रम ट्यूब, वाबन फिल्म रेजिस्टर, विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर, टेलीविजन तथा टेपरिकार्डर के पुर्जें, मैग्नेटिक टेप इत्यादि शामिल हैं। अनेक क्षेत्रों में

निर्माताओं ने क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर उपाय किए हैं। फलस्वरूप आगामी दो या तीन वर्षों में उत्पादन में और वृद्धि होने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश किया गया है, उनमें हाइब्रिड सर्किट, मैनेटिक टेप, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, रंगीन टेलीविजन तथा टेपरिकार्डर के पुर्जे, सर्किट फ़ैराइट, हाई फ़ैराइट इत्यादि शामिल हैं।

### उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है। इस क्षेत्र में 1984 के 5 अरब, 87 करोड़ रुपये के उत्पादन की तुलना में 1985 में 10 अरब, 30 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। उत्पादन-वृद्धि वाले क्षेत्रों में ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन (18 लाख) तथा रंगीन टेलीविजन (6 लाख, 80 हजार) भी शामिल हैं। 1985 में 20 लाख टेपरिकार्डरों का उत्पादन हुआ और 75 लाख रेडियो बने। उल्लेखनीय उत्पादन वृद्धि वाली अन्य वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक (7 लाख, 70 हजार) और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ (2 लाख, 90 हजार) भी शामिल हैं।

### नियंत्रण, यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स

नियंत्रण, यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के उल्लेखनीय प्रगति वाले क्षेत्रों में हैं। इस उप-क्षेत्र में, 1985 में 4 अरब 4 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। परीक्षण तथा रख-रखाव सम्बन्धी अधिकांश सामान्य आवश्यकताओं को भारत में बने परीक्षण तथा मापन यंत्र ही पूरा कर देते हैं। श्रवण-सहायक यंत्र (हियरिंग एड्ज), पेसमेकर, डेफिब्रिलेटर, इटेंसिव केयर यूनिट, ई० सी० जी०, ब्लड प्रेशर मानीटर, ई० ई० जी०, कार्डियोस्कोप जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाले यंत्र भारत में भी बनने लगे हैं।

भारत ने प्रक्रिया नियंत्रण हार्डवेयर की सिस्टम इंजीनियरिंग उत्पादन और यंत्रीकरण प्रणालियाँ स्थापित करने तथा उन्हें चालू करने की जानकारी भी प्राप्त कर ली है। थर्मल (ताप), सीमेंट और स्टील संयंत्रों, पेट्रो-रसायन उद्योगों और तेलशोधक कारखानों में काम में आने वाले दबाव, तापमान, बहाव, स्तर आदि नापने वाले यंत्रों की मांग देशी स्रोत ही पूरी कर देते हैं। इस्राएल के क्षेत्र में, देशी निर्माता संगठनों ने स्वचलन, नियंत्रण तथा कम्प्यूटरीकरण इत्यादि से सम्बन्धित विशाल इलेक्ट्रॉनिक ठेकों को भी लिया है। तत्संबन्धी सम्पूर्ण कार्य-संचालन में उनकी महती भूमिका है। झांका भट्टी स्वचलन का पहला बड़ा कार्य मुख्यतः स्वदेशी प्रयासों से किया जा रहा है।

कोयला खदानों को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से लैस करने की एक आदर्श परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना कोयला क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण मॉडल के रूप में भी कार्य करेगी। इसी तरह सीमेंट की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिनी सीमेंट प्लांट में ऊर्वाधार शॉफ्ट वाले भट्टे के लिए, माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली लागू की गई है।

'आन लाइन' क्वालिटी कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण प्रणालियों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इससे सीमेंट उत्पादन के साथ-साथ उसकी क्वालिटी का अनुमान भी लगता रहता है।

कम्प्यूटर

राष्ट्रीय विकास में कम्प्यूटर उद्योग के महत्व को समझने हुए भारत सरकार ने 1984 में एक तर्कसंगत कम्प्यूटर नीति घोषित की। इनके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- (क) नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित कम्प्यूटरों को, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कीमतों पर, देश में ही बनाने के उपाय करना तथा स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को इस तरह प्रोत्साहित करना, जिनसे वह आर्थिक दृष्टि में लाभकारी हो।
- (ख) मौजूदा कार्यक्रमानियों को मरल बनाना जिनमें कम्प्यूटर का उपयोग करने वालों को देशी या विदेशी दोनों में अपनी आवश्यकता-नुसार कम्प्यूटर प्राप्त करने में आसानी हो।
- (ग) देश के विशेषज्ञों के ज्ञान को छानने हुए कम्प्यूटरों के सूक्ष्म-बुद्ध युक्त प्रयोग को प्रोत्साहित करना जिनमें विकास की प्रक्रिया तेज हो सके। निर्माणाद्यो को प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं; उदाहरणार्थ:
  - (क) गैर उत्पादों के उत्पादन के लिए चुनिंदा कच्चे माल पर शुल्क में कमी,
  - (ख) कम्प्यूटरों, कम्प्यूटर-आधारित प्रणालियों तथा गैर उत्पादों के उत्पादन के लिए जानकारी और डिजाइन, ड्राइंगों का उदार आयात, और
  - (ग) उन गैर उत्पादों पर शुल्क में कमी, जिनका उत्पादन न तो इस समय देश में होता है और न ही निकट भविष्य में होने की सम्भावना है।

सरकार द्वारा प्रोत्साहित और समर्थित कुछ विशेष परियोजनाएं इस प्रकार

हैं :

- (क) भारतीय रेनों में यात्री आरक्षण तथा माल-भाड़ा प्रणालियों का कम्प्यूटीकरण;
- (ख) इस्पात के क्षेत्र में, स्टील थर्मालिटी ट्रांक उद्योग के लिए इस्पात सूचना प्रणाली, भिन्नाई स्टील प्लांट की मानवी ग्लान्ट भट्टी के लिए स्वचालन तथा बोकारो और भिन्नाई स्टील प्लांटों की प्रक्रिया निरीक्षण संबंधी आवश्यकताएं;
- (ग) तेल के क्षेत्र में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून की मू-कम्पीय प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों के लिए कम्प्यूटर प्रणाली;
- (घ) भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के लिए मटेरि म्बिचय प्रणाली, और
- (ङ) सोमेट संयंत्रों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, परमाणु विद्युत मंत्रालय, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि०, राज्य विजली बोर्डों आदि के लिए आकड़ा संकलन प्रणालियां।

रसा, विद्युत, तेल, इस्पात जैसे मामूली महत्व के क्षेत्रों तथा अनुसंधान और विकास तथा विज्ञान के व्यावसायिक क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण कम्प्यूटर प्रणा-



लियां काम में लाई जा रही हैं। मेनफ्रेम कम्प्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने देश में ऐसे कम्प्यूटरों के उत्पादन के उपाय किए हैं।

### कम्प्यूटर उपकरण

प्रौद्योगिक विकास तथा गांवों में जन-सम्पर्क के लिए संचार-साधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत में संचार उपकरणों का उत्पादन मुख्यतः केन्द्र/राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में ही होता है। संचार प्रौद्योगिकी ने तेजी से तरक्की की है। स्पष्ट-निरूपित टर्मिनल अंतरा-पृष्ठ वाले अधिकाधिक दूर-संचार उपकरणों का मानकीकरण किया जा रहा है। 1985 में कुल 3 अरब, 80 करोड़ रुपये के दूर-संचार उपकरणों का उत्पादन हुआ। मनकापुर (उ० प्र०) स्थित आई० टी० आई० फैक्टरी ने ई० एस० एस० उपकरण बनाने शुरू कर दिए हैं और शीघ्र ही बंगलूर में भी आई० टी० आई० की एक फैक्टरी स्थापित कर दी जाएगी। आशा है कि निजी तथा संयुक्त क्षेत्र की अनेक कम्पनियां शीघ्र ही ई० पी० ए० वी० एक्स० और डिजिटल टेलीफोनों का उत्पादन शुरू कर देंगी। पी० सी० एम० उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, राज्यों तथा केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र में, देशी प्रौद्योगिकी की सहायता से, इन उपकरणों को बनाने के लिए अनेक कम्पनियां स्थापित की जा रही हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में तीव्र व विश्वसनीय संचार सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कम खर्च वाले अर्थ-स्टेशनों की योजना बनाई जा रही है। इसी तरह स्विचिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र 4,000 लाइन की डिजिटल स्विचिंग प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है।

### निर्यात

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रयास मुख्यतः घरेलू मांग को पूरा करना और आयात की जाने वाली वस्तुओं को स्वदेश में ही बनाना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हुआ। प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने तथा अपनाने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे निर्यात के लिए भी द्वार खुलते गए। 1985 में 1 अरब, 38 करोड़, 50 लाख रुपये का निर्यात हुआ। जिसमें से 30 करोड़ रुपये के सॉफ्टवेयर का निर्यात हुआ। मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से 1980 में 16 करोड़, 50 लाख का निर्यात हुआ था जबकि 1985 में यह 85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

### प्रौद्योगिकी विकास

निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक सशक्त अनुसंधान और विकास व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई है:

- (क) सभी प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इलेक्ट्रॉनिक्स का युगान्तरकारी प्रयोग;
- (ख) भारत का, विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य;
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, किसी भी नई प्रौद्योगिकी के जल्दी ही पुराना पड़ने की संभावना।

भारत में अन्तरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, मंचार मंत्रालय तथा अन्य उपमोक्ष मंत्रालयों की प्रयोगशालाओं, भागीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और शैक्षिक संस्थाओं के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स का गहन अध्ययन है। इनके अतिरिक्त अनेक उत्पादन इकाइयों में भी गहन अनुसंधान और विकास संगठन हैं।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, प्रौद्योगिकी विकास परिषद और राष्ट्रीय राडार परिषद प्रौद्योगिकी के विकास के कार्य में सहायता कर रहे हैं। हाल ही में, अन्य बातों के साथ-साथ, अत्यावश्यक और सामरिक महत्व के माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के कार्य में नालमेल विधाने तथा इस कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च-अधिकार-प्राप्त राष्ट्रीय माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स परिषद की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सर्चिच प्रणालियाँ, एल० एस्० आई०/वी० एल० एम० आई०, कम्प्यूटर वास्तुकला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरी, विशेष माइक्रोवेव उत्पाद और अत्याधिक शुद्ध सिलिकन, इत्यादि शामिल हैं।

आगामी वर्षों में प्राथमिकता वाले चुनिंदा क्षेत्रों में विशिष्टता हासिल करना प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत सुनिश्चित मित्त के अनुसार कार्य किया जाएगा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गई कमियों को 'टेक्नोलॉजी पुनः' योजना के जरूर भीषण दूर किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी विकास परिषद

1973 में प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना के बाद, परिषद के कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 90 से भी अधिक संगठनों की 290 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई। इनमें से 190 परियोजनाएँ पूरी हो गई हैं। जिसमें से लगभग आधी परियोजनाएँ औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और शेष अनुसंधान और विकास सुविधाएँ, तथा कार्यक्षमता बढ़ाने में महत्वक हुई हैं।

जिन परियोजनाओं को कुछ समय पहले उत्पादन के क्षेत्र में या तो हस्तान्तरित कर दिया गया है या क्रिया आरम्भ है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

- (क) माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित शर्करा यंत्रीकरण;
- (ख) माइन वाइडर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मानीटरिंग प्रणाली,
- (ग) देवनागरी कम्प्यूटर,
- (घ) कागज और लुगदी यंत्रीकरण;
- (ङ) जूट उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्रीकरण;
- (च) फाउंडर-प्रॉप्टिसम टेक्नीकलिसम डाटा लिंक;
- (छ) माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित एकीकृत मानक औद्योगिक नियंत्रण।

(ज) एल० ओ० एस० एन्टेना के लिए उच्च निष्पादन (हाई पर्फॉमेंस) फीड; और

(झ) नाइलोन 6-6 पावडर।

शुरू की गई कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं: दृष्टिहीनों के लिए कम्प्यूटर उपयोग के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विकास माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित कालीन बुनाई प्रणाली; माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित मुद्रित सर्किट बोर्ड के कारखाने का डिजाइन; माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित खदान निगरानी प्रणाली; लोलकी (लोड) उपग्रह एन्टेना डिजाइन और विकास; न्यूरो-मस्क्यूलर निदान के लिए डिजिटल एक्जैजर; माइक्रोवेव क्षेत्रों के जीव-भौतिकी प्रभाव भूवैज्ञानिक-मानचित्रण और खनिजों की खोज के कार्य में पैटर्न पहचान और प्रतिविबद संसाधन तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग।

### राष्ट्रीय राडार परिपद

1975 में राष्ट्रीय राडार परिपद की स्थापना के बाद, परिपद की योजना के अन्तर्गत 84 परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की गई है। इनमें से 25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें मौसम विज्ञान तथा उड्डयन और स्वचलन परीक्षण उपकरणों के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के राडार भी हैं। प्रकाश-गुहों और दीप-नौकाओं के लिए विकसित किए गए ट्रांसपॉंडर संकेत-दीपों का क्षेत्र-परीक्षण किया जा रहा है। जो परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं उनमें गूँज ध्वनित, विद्युत चुम्बकीय पोत लॉग, अवरक्त डी० एम० ई० और एनालॉग/डिजिटल भूकम्पलेसी सम्बन्धी परियोजनाएं हैं। हाल ही में तैयार की गई विकास परियोजनाएं विशेष प्रकार की विमान-स्थल-निगरानी राडार, फेराइट सामग्री के विकास तथा फेराइट फेज डिप्टरों के डिजाइनों से सम्बद्ध हैं।

### परीक्षण सुविधाएं

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने एक मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत परीक्षा और अंशांकन का एक देशव्यापी नेटवर्क सोपानक-III (एशेलॉन-II) के स्तर के अनुसार कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और केन्द्रों की धी-वन सोपानक संरचना, सोपानक-II स्तर के अनुसार कार्यरत क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली में सोपानक-I स्तरानुसार कार्यरत आधारित अंशांकन अनुभाग के रूप में कार्य कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विद्या के व्यावहारिक पक्ष को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए राष्ट्रीय मापन प्रत्याभूति कार्यक्रम भी आरंभ किया जा रहा है। इस उद्योग से राष्ट्रीय तथा अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक मापन के क्षेत्र में तालमेल विधाने में सहायता मिलेगी।

इस समय विभिन्न राज्यों में 15 इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और विकास केन्द्र कार्यरत हैं। ये केन्द्र सामान्यतः छोटे और मजाले उद्योग-समूहों के आस-पास कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चार क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं—दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बंगलूर में स्थित हैं तथा सम्बन्धित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगी हैं।

रंगीन टेलीविजन रिसेवर्स की औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार नीमित स्वीकृति योजना के अन्तर्गत, रंगीन टेलीविजन के लगभग 55 निर्माताओं

को संवीकृति दी जा चुकी है। 8-विट व्यक्तिगत कम्प्यूटर, क्वान्टीटिवो माटीटरों, पत्रांगी डिस्क ड्राइव, कौन्सोर्ड और प्रिंटर आदि युक्त व्यक्तिगत कम्प्यूटर प्रणाली के लिए विनिर्देशनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। यह कार्य उद्योग से मंत्रिय सहयोग से तथा, जहां भी लागू हो, दानविक परीक्षण के आधार पर किया गया है। व्यक्तिगत कम्प्यूटर, संबंधित मीण उत्पादों और प्रतिष्ठित पुर्जों की एक प्रमाणीकरण योजना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है।

भारत को आई० ई० सी०—ब्यू० ए० प्रणाली के मद्दम के रूप में प्रवेश मिल गया है और इलेक्ट्रॉनिकम को चांगे क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएँ, प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के क्षमता-परीक्षण मंत्रश्री आकड़ों के आदान-प्रदान के लिए बने संगठन 'एग्जैक्ट' में शामिल कर ली गई हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निर्माताओं/संगठनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय उत्पाद/पुर्जों के परीक्षण रिपोर्ट के आकड़ों का आदान-प्रदान हुआ है।

**मानववर्धन विकास**

उच्च-स्तरीय विद्येय योग्यता-प्राप्त तथा प्रतिष्ठित मानववर्धन और इन शक्ति के भंडार को नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार तराशते रहना, इलेक्ट्रॉनिकम के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मानववर्धन पर अद्ययनाय मठिन कार्यकागे दन ने अनुमान लगाया है कि मानवी योजना के अन्तिम वर्ष तक कुल 5,20,000 यूनिट मानववर्धन की आवश्यकता होगी। इस परिप्रेक्ष्य में मानववर्धन के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। विभिष्ट विषयों के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए शि्यान्विन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकम डिजाइन प्रौद्योगिकी केन्द्र इलेक्ट्रॉनिकम की नवीनतम डिजाइन तकनीको मे इंजीनियरो को प्रशिक्षण देते रहे हैं।

यह महत्त्व किया गया है कि आने वाले वर्षों में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी के जानकार व्यक्तियों की भारी कमी की समस्या उत्पन्न होने वाली है इसलिए विभाग ने बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

**शिक्षा में इलेक्ट्रॉनिकम**

इस तरह समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाने के लिए कम्प्यूटरों की जानकारी तथा उनके उपयोग का अत्यधिक महत्व हो गया है। इस दिशा में स्कूल के स्तर में ही कार्य करना होगा। आवश्यकता इस दान की है कि एकूली बच्चों को माइक्रो-कम्प्यूटरों की ध्यावहारिक जानकारी दी जाए तथा उन्हें चलाने के अवसर उपलब्ध कराए जाए। इन तरह उन्हे कम आयु में ही कम्प्यूटर की क्षमताओं तथा कमजोरियों दोनों का ज्ञान मज्ज ही हो जाएगा।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभाग ने मानव सनावन विकास मन्त्रालय के सहयोग में स्कूलों में 'कम्प्यूटर माधरता और अद्ययन (क्याम)' नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरु की है। 1984-85 के दौरान यह कार्यक्रम 25 विद्यालयों में लागू किया गया। इसके अतिरिक्त 42 मन्त्रालय केन्द्रों में भी कार्यक्रम किए गए। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम मानकीकरण की सुविधा उपलब्ध

कराने के अतिरिक्त विद्यालयों को तकनीकी व अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, 1985-86 के दौरान 500 स्कूल और आठ संसाधन केन्द्र प्रारंभ किए गए। इस कार्यक्रम में 8-बिट सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर 'अर्कान' का प्रयोग किया जा रहा है। प्रायोगिक परियोजना के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों में कम्प्यूटरों के बारे में जानकारी बढ़ी तथा उन्हें कम्प्यूटर संचालन का व्यावहारिक ज्ञान मिला। इस तरह 'कलास' परियोजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही है।

### राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना मार्च 1977 में, सरकारी विभागों/मंत्रालयों में शासकीय निर्णयों में तेजी लाने के लिए एक उपयुक्त सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए की गई। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के नेटवर्क में अब तक प्रमुख भूमिका विशाल कम्प्यूटर प्रणाली साइबर सी० डी० सी० 170/730 ने निभाई है। इसे मई 1980 में संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से स्थापित किया गया। यह प्रणाली 60 अन्तर-सक्रिय टर्मिनलों और 12 मिनी कम्प्यूटर टर्मिनलों से जुड़ी है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के क्षेत्रीय संस्थान हैं। आन्तरिक कार्यक्रम संचालन कर्मचारियों तथा केन्द्र की सुविधाओं के उपभोक्ताओं के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की प्रमुख गतिविधि रही है। लगभग 1,000 उपभोक्ता इस केन्द्र के नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 75 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों से सम्बद्ध हैं। लगभग 400 सरकारी तथा 300 गैर-सरकारी परियोजनाएं केन्द्र में पंजीकृत हैं। केन्द्र की परपोषी कम्प्यूटर प्रणाली औसतन 98 प्रतिशत तक, दिन-रात कार्यरत रही है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने 1985-86 के दौरान अपनी गतिविधियों का दूसरा चरण शुरू किया। एन० ई० सी० प्रणाली एस-1,000 दिल्ली में स्थापित की गई है और उसे उपभोक्ताओं के लिए खोल दिया गया है। 'निकनेट' नामक राष्ट्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने की संचार नेटवर्क योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। विभिन्न सरकारी विभागों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सुविधाएं प्रदान करने तथा सॉफ्टवेयर के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक अध्ययन किए गए हैं।

दूसरे चरण में दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और हैदराबाद में मेनफ्रेम कम्प्यूटर स्थापित करके, क्षेत्रीय स्तर पर 'निकनेट' का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्यों की राजधानियों तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी इस नेटवर्क के मिनी/मिनि मिनी कम्प्यूटर स्थापित किए जाएंगे। इन कम्प्यूटरों को उपग्रह संचार प्रणाली में जोड़ने की योजना है। जिला स्तर पर भी छोटे कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव है। शुरू में, 100 जिलों में माइक्रो अर्थ-स्टेशनों से जुड़े छोटे कम्प्यूटर स्थापित किए जाएंगे। आवश्यकतानुसार अन्य जिलों में भी छोटे कम्प्यूटर लगाए जाएंगे। क्षेत्रीय और राज्य स्तर के कम्प्यूटर 1986

के अन्त तक तथा जिला स्तर के कम्प्यूटर 1987 के अन्त तक स्थापित कि जा सकेंगे।

### टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र

अगली पीढ़ी की डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स स्विचिंग प्रणाली के विकास के लिए, अगस्त 1984 में एक टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र की स्थापना की गई। 1985-86 में 128 पोर्ट डिजिटल पी० ए० बी० एक्स० के विकास का कार्य पूरा होने के बाद 1986-87 में उपकरण निर्माण प्रौद्योगिकी उद्योग को हस्तांतरित कर दी जाएगी। 512 लाइनों के पी० ए० बी० एक्स और 512 लाइनों के ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज (प्रार० ए० एक्स०) की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, उपरोक्त उपकरण को विकसित करने का कार्य चल रहा है और पी० ए० बी० एक्स० प्रार० ए० एक्स० का क्षेत्र परीक्षण इसी वर्ष पूरा हो जाएगा। पैरिजिंग को अंतिम रूप देने और इंजीनियरी दस्तावेज तैयार करने का कार्य भी साथ-साथ चल रहा है। प्रार० ए० एक्स० प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने का काम जनवरी 1987 में प्रारंभ किया जाएगा। मेन घाटोमेटिक एक्सचेंज (एम० ए० एक्स०) के डिजाइनिंग का कार्य भी सतोपजनक ढंग से चल रहा है। 400 लाइन के एम० ए० एक्स को स्थापित करने का कार्य जल्दी ही शुरू होगा, इसका नियमित उत्पादन निकट भविष्य में प्रारंभ होगा। इस समय टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र ई० पी० ए० बी० एक्स०, प्रार० ए० एम० और एम० ए० एक्स० के लिए उपकरण डिजाइन तैयार करने और उनका उत्पादन करवाने के प्रयास कर रहा है।

### कम्प्यूटर मॉन्टोनेस कार्पोरेशन

कम्प्यूटर मॉन्टोनेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सी० एम० सी०) हाइडंबेयर के रख-रखाव, कम्प्यूटर-प्रणाली स्थापित करने तथा चालू करने, कम्प्यूटर केन्द्र सेवा, कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास तथा अनुसंधान और विकास से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। यह 30 से भी अधिक निर्माताओं द्वारा सप्लाई किए गए असंख्य उपकरण हाइडंबेयर के रख-रखाव से सम्बन्धित सेवा भी उपलब्ध करता है। सी० एम० सी० 'इंडोनेट' नामक परियोजना के क्रियान्वयन में तालमेल बिठाने का कार्य भी करता है। 'इंडोनेट' देश भर में समेकित सूचना प्रबंध और वितरण आंकड़ा संसाधन की सुविधा प्रदान करता है। इस परियोजना के अन्तर्गत बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद में कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। इसके टर्मिनल ब्रह्मदाबाद, पुणे और बंगलौर में होंगे। सी० एम० सी० को, बैंकिंग क्षेत्र की यंत्रीकरण योजना को क्रियान्वित करने में, भारतीय रिजर्व बैंक को परामर्श और मार्गदर्शन देने का काम सौंपा गया है। इस सिलसिले में इसके द्वारा अनेक कार्यक्रम (साफ्टवेयर पैकेज) तैयार किए गए हैं। सी० एम० सी० ने अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों से, भारतीय रेलों के लिए 'इम्प्रेस' (समेकित बहु-ट्रेन यात्री आरक्षण प्रणाली) नामक साफ्टवेयर पैकेज तैयार किया है। इसके द्वारा विकसित 'आईडियाज' नामक संदेश स्विचिंग प्रणाली को, चार महानगरों में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कार्यालयों में स्थापित किया जा चुका है। निगम प्रतिवर्ष अनेक प्रशिक्षण कार्य-

क्रमों के जरिए, कम्प्यूटरों के लिए मानवशक्ति का विकास भी कर रहा है। निगम अन्य शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में श्रव्य और दृश्य शिक्षा के नए कार्यक्रम प्रारंभ करने के उपाय कर रहा है।

सी० एम० सी० ने अंगुलियों के निशानों की पहचान तथा अपराध-अपराधी सूचना प्रणाली का एक साफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है निगम की अनुसंधान और विकास सम्बन्धी अन्य गतिविधियों में विद्युत प्रणाली नियंत्रण, रेल भाड़ा संचालन प्रबंध प्रणाली, इस्पात संयंत्रों के लिए समेकित नियंत्रण प्रणालियां, प्रतिबिंब संसाधन प्रणाली, बहुभाषीय शब्द संसाधन मुद्रण और टाइप सेटिंग संचार और प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियां तथा आंकड़ा आधार प्रबंध प्रणालियां शामिल हैं। बम्बई, दिल्ली और हैदराबाद स्थित तीन कम्प्यूटर केन्द्र, उपभोक्ताओं को अनेक कम्प्यूटर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें उपभोक्ताओं द्वारा सौंपे गए कार्यों का संसाधन, संगठनों के व्यवहार्यता अध्ययन तथा साफ्टवेयर डिजाइन, इत्यादि शामिल हैं। विदेशों में भी सी० एम० सी० की सेवाओं की मांग बढ़ रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स  
व्यापार और  
औद्योगिक विकास  
निगम

इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम) की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक्स में विदेश व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए की गई। निगम ने 1985-86 में एक श्रव्य, 23 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसने दिसम्बर 1985 तक लगभग 45,000 कलर पिक्चर ट्यूबों और 2,16,000 ब्लैक एण्ड व्हाइट ट्यूबों का वितरण किया। इसके अतिरिक्त निगम ने उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्रित की तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास को गति देने के लिए भारी मात्रा में खरीद की।

निगम ने सामयिक डिजाइन और उच्च गुणवत्ता युक्त और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु उत्पादन यूनिटों को सहायता देने का एक नया कार्यक्रम एम० टी० वी० शुरू किया है। इसके अन्तर्गत देश में लगभग 50 यूनिटों 14 इंच के ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सेट बना रहे हैं। समय के साथ-साथ ऐसी यूनिटों की संख्या बढ़ती जाएगी। एम० टी० वी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 इंच के रंगीन टेलीविजन सेटों की टेस्ट मार्केटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है तथा दिसम्बर 1985 से इनका उत्पादन नियमित रूप से शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 'यूनिडों' के तत्वावधान में, सेनेगल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिए, तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन किए जा चुके हैं। समेकित सक्रिय योजना स्थापित करने की डी० पी० आर० के० की परियोजना ने भी संतोषजनक प्रगति की है।

निगम ने देश के दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में जन-जन तक इलेक्ट्रॉनिक्स के लाभ पहुंचाने के लिए 'टेलीटीच' नामक शिक्षण की सामुदायिक वीडियो परियोजना शुरू की है। परियोजना के अन्तर्गत तैयार किए गए साफ्टवेयर पैकेज व्यावसायिक मार्गदर्शन, सामुदायिक विकास उपयोगिता प्रबंध कर्मचारियों, सेवा

व्यवसायियों कारीगरों, शिल्पियों आदि के प्रशिक्षण से सम्बन्धित अनेक विषयों पर चित्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे।

सेमीकंडक्टर  
काम्प्लेक्स  
लिमिटेड

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लि० ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन उपकरणों के प्लस डायलर, 32 किलोहर्ट्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लक यंत्र तथा उद्योगों के लिये कुछ कस्टम यंत्र, जैसे एल० एस० आई० यंत्रों का नियमित उत्पादन शुरू कर दिया है। सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लि० (एस० सी० एल०) द्वारा निर्मित माइक्रो और सब-माइक्रो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाच माइक्रो, क्वार्ट्ज अनालॉग घड़ियों और क्लॉकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्लाक, सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर, सी० पी० यू० के माइक्रो, सी० आर० टी० टर्मिनल और पुश बटन टुक डायलर शामिल हैं। एस० सी० एल० ने ई-2, पी० आर० ओ० एम० और 16 के/64 के एस० आर० ए० एम० यंत्र विकसित करने के लिए दो समझौते को अंतिम रूप दिया है। अपने कार्य के प्रथम वर्ष के दौरान एस० सी० एल० ने नौ लाख एल० एस० आई० यंत्रों तथा नौ लाख माइक्रो और उप-प्रणालियों का निर्माण किया। एस० सी० एल० के प्लस डायलरों और क्लक यंत्रों की गुणवत्ता विदेशी निर्माताओं ने भी सराही है। एस० सी० एल० ने थोडा-बहुत निर्यात करना भी शुरू कर दिया है।

एस० सी० एल० ने 1986-87 के दौरान 35 लाख एल० एस० आई० यंत्र बनाने के लिए 24,000 सिलिकन टिकलियां ससाधित करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त आशा है कि वह 19 लाख माइक्रो तथा उप प्रणालिया भी बनाएगा। 1986-87 के दौरान बनाए जाने वाले उत्पादों में 8-बिट माइक्रो-प्रोसेसर (आर 6502), 8-बिट माइक्रो-कम्प्यूटर, तीन गौण यंत्र, बहु-उपयोगी अनुकूलक (बसेंटाइल एडाप्टर), आर० ए० एम० इन्पुट/आउटपुट टाइमर, टेलीफोनो के 128 के आर० ओ० एम० प्लस डायलर, 32 किलोहर्ट्ज क्लक चिप, कम लागत के डी० ई० डब्ल्यू० यंत्र, पी० सी० एम० उपकरणों के लिए सी० ओ० डी० ई० सी० इत्यादि शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी हासिल करने के लिए एम० सी० एल० ने एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई० प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिये एक सशक्त अनुसंधान और विकास सभ्यतन स्थापित किया है। एस० सी० एल० के कम्प्यूटर एडेड ग्रुप ने 17 कस्टम/सेमी-कस्टम सर्किटों के डिजाइन तैयार किए हैं। पांच माइक्रोन प्रौद्योगिकी का ज्ञान हासिल करने के बाद एम० सी० एल० तीन माइक्रोन सी० एम० ओ० एम० सिलिकन प्रेड प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है। मौजूदा क्लक चिप के निकुडे रूप के, तीन माइक्रोन ज्योमेट्री में सफल समाधान के बाद, हमने तीन माइक्रोन डिजाइन नियमों पर आधारित क्लक चिप का उत्पादन शुरू कर दिया है। तीन माइक्रोन डिजाइन नियमों पर आधारित एक एल० सी० टी० वाच चिप डिजाइन ससाधन और उत्पादन के विभिन्न चरणों में है। एम० सी० एल० ने देश में दो माइक्रोन सी० एम० ओ० एन०/एन० एम० ओ० एम० प्रौद्योगिकी के विकास के लिए



क्रमों के जरिए, कम्प्यूटरों के लिए मानववर्षित का विकास भी कर रहा है। निगम अन्य शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में श्रेष्ठ और दृश्य शिक्षा के नए कार्यक्रम प्रारंभ करने के उपाय कर रहा है।

सी० एम० सी० ने अंगुनियों के निधानों की पहचान तथा प्रपत्र-प्रसंगी सूचना प्रणाली का एक साफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है निगम की अनुसंधान और विकास सम्बन्धी अन्य गतिविधियों में विज्ञान प्रणाली नियंत्रण, रेल भाड़ा संचालन प्रबंध प्रणाली, इत्यादि संयंत्रों के लिए नमेकित नियंत्रण प्रणालियाँ, प्रतिस्वयं संसाधन प्रणाली, बहुभाषीय शब्द संग्रहण सूत्रण और टाइप सेटिंग संचार और प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियाँ तथा अंतर्गत आधार प्रबंध प्रणालियाँ शामिल हैं। बम्बई, दिल्ली और हैदराबाद स्थित तीन कम्प्यूटर केन्द्र, उपभोगताओं को अनेक कम्प्यूटर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनमें उपभोगताओं द्वारा माँगे गए कार्यों का संसाधन, संगठनों के व्यवहार्यता अध्ययन तथा साफ्टवेयर डिजाइन, इत्यादि शामिल है। विदेशों में भी सी० एम० सी० की सेवाओं की माँग बढ़ रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स  
व्यापार और  
औद्योगिक विकास  
निगम

इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवेलपमेंट कांसेप्टन (इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम) की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक्स में विदेश व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए की गई। निगम ने 1985-86 में एक अरब, 23 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसने दिसम्बर 1985 तक लगभग 45,000 कनर विनर ट्यूबों और 2,16,000 ब्लैक एण्ड व्हाइट ट्यूबों का वितरण किया। इसके प्रतिरिक्त निगम ने उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्रित की तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के विकास को गति देने के लिए भारी मात्रा में परीश्रम की।

निगम ने सामयिक डिजाइन और उच्च गुणवत्ता युक्त और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु उत्पादन यूनिटों को सहायता देने का एक नया कार्यक्रम एम० टी० वी० शुरू किया है। इसके अन्तर्गत देश में लगभग 50 यूनिटें 14 इंच के ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सेट बना रहे हैं। समय के साथ-साथ ऐसी यूनिटों की संख्या बढ़ती जाएगी। एम० टी० वी० कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 इंच के रंगीन टेलीविजन सेटों की टेस्ट मार्केटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है तथा दिसम्बर 1985 से इनका उत्पादन नियमित रूप से शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 'यूनिडों' के तत्वावधान में, सेनेगल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिए, तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन किए जा चुके हैं। समेकित सर्किट योजना स्थापित करने की डी० पी० आर० के० की परियोजना ने भी संतोषजनक प्रगति की है।

निगम ने देश के दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में जन-जन तक इलेक्ट्रॉनिक्स के लाभ पहुंचाने के लिए 'टेलीटीच' नामक शिक्षण की सामुदायिक परियोजना शुरू की है। परियोजना के अन्तर्गत तैयार किए गए साफ्टवेयर पैकेज व्यावसायिक मार्गदर्शन, सामुदायिक विकास उपयोगिता प्रबंध कर्मचारियों, सेवा

व्यवसायिकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि के प्रशिक्षण में सम्बन्धित अनेक विषयों पर विद्वानों के माध्यम से प्रशिक्षण देने।

सी.के.ए.ए.ए.  
काम्यसेवा  
विमिटेड

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मार्गदर्शक क्षेत्र के उद्योग निर्माणकर्ता कार्यक्षेत्र वि० ने इलेक्ट्रॉनिक टेरीफोन उपकरणों के पल्लु डायलर, 32 किबोर्डेज इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक यंत्र तथा उद्योगों के लिये कुछ कस्टम यंत्र, जैसे एल० एम० आर्डी० यंत्रों का नियमित उत्पादन शुरू कर दिया है। सी.के.ए.ए.ए. काम्यसेवा वि० (एम० सी० एल०) द्वारा निर्मित माइक्रोनों और सब-माइक्रोनों में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थाय माइक्रो, यथादेज अनुप्रयोग घड़ियों और बत्तनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉड्युलर, गिगल बोर्डे कम्प्यूटर, सी० पी० यू० के माइक्रो, सी० आर० टी० टिमिंग और गुंभ बटन टुक डायलर शामिल हैं। एम० सी० एल० ने ई-2, पी० आर० ओ० एम० और 16 के/64 के एम० आर० ए० एम० यंत्र विकसित करने के लिए दो समझौतों का अंतिम रूप दिया है। अनेक कार्य के प्रथम अर्थ के दौरान एम० सी० एल० ने नौ लाख एल० एम० आर्डी० यंत्रों तथा नौ लाख माइक्रोनों और उप-प्रणालियों का निर्माण किया। एम० सी० एल० के पल्लु डायलरों और बत्तक यंत्रों की गुणवत्ता अिदेशी निर्माताओं व भी मारती है। एम० सी० एल० ने पोश-बटन निर्माण करना भी शुरू कर दिया है।

एम० सी० एल० ने 1986-87 के दौरान 35 लाख एल० एम० आर्डी० यंत्र बनाने के लिए 24,000 मिलियन टिकियायें संग्राहित करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त आज्ञा है कि यह 10 लाख माइक्रो तथा उप प्रणालियाँ भी बनाएगा। 1986-87 के दौरान बनाए जाने वाले उत्पादों में 8-बिट माइक्रो-प्रोसेसर (आर 6502), 8-बिट माइक्रो-कम्प्यूटर, तीन गीग यंत्र, बटु-उपयोगी अनुकूलक (थर्मोस्टैट एडाप्टर), आर० ए० एम० इन्पुट/ आउटपुट टाइमर, टेरीफोनों के 128 के आर० ओ० एम० पल्लु डायलर, 32 किबोर्डेज क्लॉक थिथ, कम लागत के टी० ई० इन्पु० यंत्र, पी० सी० एम० उपकरणों के लिए सी० ओ० टी० ई० सी० इत्यादि शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञानकारी हासिल करने के लिए एम० सी० एल० ने एल० एम० आर्डी०/पी० एल० एम० आर्डी० प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिये एक मशरत अनुसंधान और विकास मण्डल स्थापित किया है। एम० सी० एल० के कम्प्यूटर एंजिनेरों ने 17 कस्टम/निर्माण-कस्टम मॉड्युलरों के डिजाइन तैयार किए हैं। थाय माइक्रोन प्रौद्योगिकी का ज्ञान हासिल करने के बाद एम० सी० एल० तीन माइक्रोन सी० एम० ओ० एम० विकसित में प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है। मोजूदा क्लॉक थिथ के गिनुट्टे रूप के, तीन माइक्रोन उद्योगों में एकल संग्राहक के बाद, हमने तीन माइक्रोन डिजाइन नियमों पर आधारित क्लॉक थिथ का उत्पादन शुरू कर दिया है। तीन माइक्रोन डिजाइन नियमों पर आधारित एक एल० सी० टी० थाय थिथ डिजाइन संग्राहक और उत्पादन के अिदेश करणों में है। एम० सी० एल० ने देश में दो माइक्रोन सी० एम० ओ० एम०/एल० एम० ओ० एम० प्रौद्योगिकी के विकास के लिए

एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। आशा है कि 1987 के अन्त तक माइक्रोन प्रौद्योगिकी स्थापित हो जाएगी।

### वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का गठन 1942 में हुआ और यह एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है। आज यह एक सुदृढ़ समन्वित कार्यशील संगठन है इसकी देश-भर में 39 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ तथा दो सहकारी औद्योगिक अनुसंधान संगठन हैं जिनके करीब 100 विस्तार केन्द्र और फील्ड केन्द्र हैं। इन प्रयोगशालाओं में जो व्यापक अनुसंधान तथा विकास कार्य होता है उसमें माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर धातु विज्ञान, रसायन से लेकर आणविक जीवविज्ञान तथा जड़ी-बूटियों से औद्योगिक मशीनों तक के समस्त क्षेत्र शामिल हैं। इस परिषद के पास 4,500 से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तथा 10,000 से अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं।

अबने यहां अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के अलावा यह परिषद विश्व-विद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान में सहायता देती है। इसकी सहायता से अब 500 से अधिक अनुसंधान योजनाएँ चल रही हैं और हर साल 4,000 से अधिक शोधकर्ता सी० एस्० आई० आर० अनुसंधान फेलोशिप और एसो-सिएटशिप पाते हैं। 1958 में प्रारम्भ किए गए वैज्ञानिकों के पूल के जरिए विदेशों से लौटने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और डॉक्टरों को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। हर समय इस पूल में करीब 450 विशेषज्ञ दर्ज रहते हैं। इस परिषद ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का राष्ट्रीय रजिस्टर भी बनाया हुआ है।

परिषद ने अपने संस्थापक महानिदेशक डॉ० शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में 1957 में एक स्मृति पुरस्कार प्रारम्भ किया और यह पुरस्कार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। हर साल भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों में बीस-तीस हजार रुपये के पांच या छः पुरस्कार दिए जाते हैं।

### उपलब्धियाँ

आई० पी० सी० एल० बड़ोदरा में, एन० सी० एल० उत्प्रेरक एन्सीलाइट की सहायता से, जाइलीन सामवकीकरण वाणिज्यिक संयंत्र परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं। नवम्बर 1985, से प्रतिवर्ष एक अरब रुपये की जाइलीनों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम (आई० आई० पी०) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई० आई० एल०) द्वारा विकसित सुरभि-निष्कर्षण पद्धति का उपयोग, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० बम्बई ने, प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये का बेंजीन और टोल्यूइन प्राप्त करने के लिए, 9 करोड़ रुपये की लागत

से, प्रतिवर्ष एक लाख 15 हजार टन की क्षमता वाले संयंत्र को स्थापित करने में किया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं (आर० आर० एल० हैदराबाद और जोरहाट, आई० आई० पी०) के एक संघ ने अन्तःसामग्री पाइपलाइनों के माध्यम से आर्थिक मोमयुक्त कच्चे तेल की ढुलाई बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से परामर्श समझौता किया है। इससे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कच्चे तेल की आर्थिक ढुलाई करने में सहायता मिलेगी। राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए कोकिंग मिथेन चयन पर कार्बनीकरण अध्ययन से धातुकर्मीय कोक को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी। (सी० एफ० आर० आई०)।

सेन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 50 कि० धा०, 5 मी० शीप धाले एक लघु जलीय टर्बोइन का डिजाइन तैयार करके उसका निर्माण किया है। क्षेत्र परीक्षण चल रहे हैं। इससे कम ऊंचे झरनों से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

सी० एफ० टी० आर० आई० ने गुजरात एग्री इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन अहमदाबाद के लिए, प्रतिवर्ष ग्रामो का 1200 टन कन्सेन्ट्रेट तैयार करने का कारखाना गणदेवी में स्थापित करने की परियोजना रिपोर्ट तैयार की।

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ने, कोयला धोने के बाद प्राप्त हुए अवशेष से बढिया किस्म की ईंटें बनाने की विधि तैयार की है।

केन्द्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान ने ग्लास रीडफोर्सड जिप्सम (जी० आर० जी०) नामक ग्लास फाइबर द्वारा सबलित जिप्सम यौगिक का विकास किया है। इसका उपयोग लकड़ी के स्थान पर दरवाजे, पार्टीशन, फर्निचर आदि बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ी के पैनलों की तुलना में जी० आर० जी० की सागत 25 से 30 प्रतिशत कम होती है।

केन्द्रीय औपधीय पौधा संस्थान (सी० आई० एम० पी०) ने आर्टेमिसिया एनुआ नामक औपधीय पौधे की खेती के लिए प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किए हैं। इस पौधे से प्राप्त आर्टेमिसिनिन औषधि मलेरिया के इलाज के काम आती है।

संस्थान द्वारा उत्कृष्ट तेलयुक्त एक नया नींबूघास कुन्तक (लेमन ग्रास ब्लोन) भी विकसित कर लिया गया है।

आर० आर० एल० भुवनेश्वर ने मै० पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स लि० नई दिल्ली के लिए, घटिया ग्रेड के पाइराइट्स से लोहे और सल्फर के अश निकाले हैं।

राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्लोशीट पर आघातित प्लोस्फार का ए-72 टी० पी० डी० अतिप्रिया संबंध चान्दी डोंगरी (म० प्र०) में शुरू किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर राउरकेला में इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम के उत्पादन के लिए ए-35 टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक संयंत्र लगाया गया। इसमें लगभग 60

लाख रुपये की पूंजी लगी। संगमरमर का वार्षिक कारोबार 55 लाख रुपये के बराबर है। केन्द्रीय विद्युत-रासायनिक अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित जानकारी द्वारा बेयर लिंकर नामक पदार्थ से प्रतिवर्ष 30 कि० ग्रा० गैलियम का उत्पादन करने का प्रायोगिक संयंत्र मद्रास अल्युमिनियम कम्पनी, मेट्टूर, तमिऴु ने चालू कर दिया है।

आन्ध्र प्रदेश में बज्जकण्टर जट्टावरम क्षेत्र में नई किम्बर्लाइट नाम की दुर्लभ चट्टानें भी पाई गई हैं, जिनमें हीरे मिलने की सम्भावना है।

नई दिल्ली में इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कंक्रीट की पटरियों के टूटे-फूटे हिस्सों की सफाईपूर्वक मरम्मत कर दी गई है।

इस समय राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला के प्रमुख कार्यों में हल्के जड़कू विमान के विकास का काम भी है। इस परियोजना में राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला के योगदान से वायुगतिकी, संरचना विश्लेषण, आधुनिक सामग्री कठोर परिश्रम वाली दिनचर्या के मूल्यांकन तथा उड़ान नियंत्रण प्रणाली के क्षेत्रों में काफी सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला में विकसित विशिष्ट परीक्षण सुविधा की सहायता से पोलरमेटेलाइट लॉचिंग व्हेकल सेपरेशन ब्रूस्टर पर अध्ययन किए गए हैं। खेतरी कॉपर माइन्स में एक पल्ल विद्युत मांटेनलेंट (पी० डब्ल्यू० एम०) सॉलिड स्टेट 40 के० वी० ए० एम० सी० मोटर ड्राइव का सफल परीक्षण किया गया है। इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल ने केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदत्त डिजाइन के आधार पर विकसित किया था।

चीनी उद्योग के लिए स्वचालित पी० एच० निबंधन प्रणाली पर आधारित माइक्रोप्रोसेसर की अनुज्ञा उद्योग को प्रदान कर दी गई है। इससे उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। मापन के लिए माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित यंत्रोत्पत्ति तथा मांके पर ही आद्रता की जानकारी हासिल करने की विधि, कागज उद्योग के लिए वेट तथा कैलियर का विकास कर लिया गया है। कॉपर बोर्ड तिखनन्तपुरम और राष्ट्रीय कीटनाशक तथा रसायन लि० चण्डीगढ़ के लिए गंदे पानी के संसाधन और निपटान की अभिक्रिया विकसित कर ली गई है। (एन० ई० ई० आर० आई०)

एम० ई० ई० आर० आई० ने गंदे पानी में विपैले और खतरनाक रसायनों के विश्लेषण के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक परॉपिरोमीटर विकसित कर लिया है। सी० एस० आई० ओ० ने सुविधाओं की कमी वाले स्टेशनों में लो फ्रीक्वेंसी, लो-एम्पिटलट्यूड सिग्नलों की अभिक्रिया करने में सक्षम, एक पोर्टेबल एनोलाॅग सीज्मोग्राफ विकसित कर लिया है।

सी० एस० आई० ओ० ने रक्त अवयवों की स्वचालित जैव-रासायनिक विधि तैयार की है। इससे रक्त संबंधी रोगों के निदान में बड़ी सहायता मिलेगी। सी० एस० आई० ओ० ने, पंजाब राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० चण्डीगढ़ के सहयोग से तीन इंच की लगभग 1,000 दूरबीनें बनाई और उन्हें शैक्षिक संस्थाओं को सप्लाई किया।

धम्बई नगर निगम के लिए बर्ली और बान्द्रा में प्रस्तावित आउटफाल मार्गों के लिए तथा सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रायोजित हाजी बान्द्रा, धम्बई के सर्वेक्षण शुरु किए गए हैं।

1.7 ग्राम/सी० मी० घनत्व के 2 डी कार्याकार्बन यौगिकों के विकास का कार्य पूरा कर लिया गया है। ये यौगिक सामरिक महत्व के हैं। समुद्र तटीय बालू और वाक्साइट से जिर्कोनिया एल्यूमीना एत्रेमिब सामग्री तैयार की गई है। अपघर्षण उद्योग में इसके उपयोग की असीम सम्भावनाएं हैं। (आर० ग्रा० एल०)

सी० टी० आर० आई० द्वारा गुगुल नामक पौधे से निकाली गई गुगुलीपिड हाइपोलिपाइडेमिक औषधि का पश्चिम जर्मनी में वाणिज्यीकरण होने की सम्भावना है।

खतरनाक स्थिति में पहुच चुके धक्ष कैमर की चिकित्सा में काम आने वाली औषधि सेंटफ्रोमन के द्वितीय चरण के परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

बिबनीन से बिबनिडाइन बनाने की एक व्यावहारिक विधि विकसित कर ली गई है इसका इन्फेन्सल अर्गैडथमिक नामक रोग के उपचार के लिए किया जाता है।

सी० एम० एम० सी० आर० आई० की र्विसं आस्मसिस प्रौद्योगिकी पर आधारित, सारापन दूर करने के तीन सयत्र (50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले सयत्र प्थाग्राम, तमिलनाडु तथा जिल्लेदुपादु, आन्ध्र प्रदेश में और 30,000 लीटर प्रति दिन की क्षमता वाला सयत्र राजस्थान में मारवाड के निकट एक गाव में स्थापित कर लिए गए हैं।

जलशक्ति नामक एक जल-अवशोषक पौलीमैरिक उत्पाद विकसित कर लिया गया है। (एन० सी० एल०)। कृषि में इसके उपयोग की जवदस्त सम्भावनाएं हैं।

हैदराबाद में एन० पी० एल० से, टी० आई० एफ० आर० बैलून केन्द्र की आई० एम० ए० पी० बैलून उडान दो उपयोगी भारों को ले गई—(अ) समतप्यगंडल में घनात्मक और ऋणात्मक आयनों का घनत्व नापने के लगभ्यूर परीक्षण, और (आ) जईनियन सपनित। यह परीक्षण सफल रहा। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। वाइत्रियो कोलरे एम० ए० के० 757 में प्राप्त जीवविप जीन को ई कोली में "क्लोनित" किया गया है तथा विश्लेषण किया जा रहा है।

वाइत्रियो कोलरो के एक वश में पाए जाने वाले स्थिर प्लास्मिड की विशेषताओं का पता लगा लिया गया है तथा अनेक नियंत्रण एन्जाइमों द्वारा उनका मानचित्रण किया जा चुका है। इससे हैजे के शक्तिशाली टीके के विकास में मदद मिलेगी।

गियरवाक्स संचालन का कम्प्यूटर-एडेड डिजाइन पैकेज पूरा कर लिया गया है। (सी० एम० ई० आर० आई०)

मंगलौर-रसायन और उर्वरक लि० मंगलौर के अमोनिया सयंत्र पर अनु-रूपण तथा संवर्धन अध्ययनों से उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। (आर० आर० एम० हैदराबाद)

## महासागर विकास

सदियों से भारतीय नाविक भारतीय उपमहाद्वीप के निकटवर्ती समुद्र का उपयोग परिवहन; संचार तथा खाद्य पदार्थ के लाने-ले जानेके लिए करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में समुद्र के जीवों और पदार्थों की खोज और उन्हें निकालने के काम में तेजी आई है। 1982 में समुद्री कानून के बारे में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नयी समुद्री सीमा तय की गयी और इसके अन्तर्गत देशों के लिए समुद्र में आर्थिक क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है जिसमें तटवर्ती देशों को साधनों की खोज और अन्य आर्थिक कार्यों के लिए इस्तेमाल का अधिकार होगा। इस कानून पर भारत सहित 159 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं तथा 28 देश और संयुक्त राष्ट्र नीमीविया परिपद (5 मई 1986) इसका अनुमोदन कर चुके हैं। तटवर्ती देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्र में जीवों तथा पदार्थों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिक जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। समुद्री इलाके में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा महासागर विज्ञान प्रक्रियाओं को समझने की भारी आवश्यकता है तथा इसे देखते हुए राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाने के औचित्य से इन्कार नहीं किया जा सकता।

राष्ट्र के आर्थिक विकास तथा प्रगति में महासागरों के महत्व को समझते हुए सरकार ने जुलाई 1981 में महासागर विकास विभाग की स्थापना की और इसे समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण के नियोजन तथा समन्वय, अनुसंधान तथा विकास, समुद्री जानकारी व साधनों का प्रबंध, जनसाधन का विकास तथा समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास का काम सौंपा गया। विभाग को गहरे समुद्र में समुद्री पर्यावरण की देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी। महासागर विकास के नीति उद्देश्यों की घोषणा संसद में नवम्बर 1982 में की गयी।

महासागरों से संबंधित मुख्य क्षेत्र हैं—अंटार्कटिका अनुसंधान, जीवों और पदार्थों के सर्वेक्षण को बढ़ावा तथा उनका अधिकतम उपयोग, ऊर्जा के दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले साधनों का इस्तेमाल तथा गहरे समुद्र तल से बहुधातु पिंडों की खोज।

महासागर विकास विभाग ने दो अति आधुनिक समुद्री अनुसंधान जहाज—ओ० आर० वी० सागर कन्या (जून 1983) तथा एफ० ओ० आर० वी० सागर सम्पदा (नवम्बर 1984) प्राप्त किए। ये जहाज अति आधुनिक समुद्री अनुसंधान जहाजों में हैं और भौतिकी, रसायन; जीवविज्ञान, भूगर्भ; भूभौतिकी समुद्र विज्ञान तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए इनमें अति-आधुनिक सुविधाएं हैं। सागर सम्पदा बहु उद्देशीय जहाज है और इसकी क्षमता और कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है। यह भारत के 200 समुद्री मील में फैले समुद्री आर्थिक क्षेत्र में तथा उससे भी अग्रे और 65° दक्षिणी अक्षांश तक दक्षिणी हिन्द महासागर में भी भारत के अंटार्कटिका कार्यक्रमों के लिए भरपूर सहायता प्रदान कर सकता है। पांच वर्ष की अल्प-वधि में सागर विकास विभाग ने समुद्र विकास में काफी प्रगति की है और समुद्र विज्ञानों में देश की क्षमताओं में वृद्धि के उपाय किए हैं। इसने देश के अनेक संस्थानों को आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करायी है।

अंटार्कटिका  
अनुसंधान

हाल तक अंटार्कटिका में केवल वैज्ञानिक ही रुचि लेते थे और वहां वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे देशों की ही इसमें रुचि थी। लेकिन सातवें दशक के अंत में दुनिया के देशों को अंटार्कटिका प्रदेश में समुद्री और खनिज साधनों की जान-

कारी हुई। हाल में अंटार्कटिका के बारे में हुए अध्ययनों से विकसित और विकास-शील दोनों वर्गों के देश अंटार्कटिका के साधनों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने तथा वहाँ के समुद्र से प्राप्त होने वाली जैव सम्पदा के उपयोग के बारे में उत्सुक हुए हैं। भारत ने अंटार्कटिका अनुसंधान 1981 में शुरू किया और तब से सागर विकास विभाग छः वैज्ञानिक अभियान दल वहाँ भेज चुका है।

अंटार्कटिका अनुसंधान के विभिन्न वैज्ञानिक कार्यक्रमों में मौसम विज्ञान, रेडियो तरंग प्रेषक, भूगर्भविज्ञान, भूभौतिकी, समुद्र विज्ञान, समुद्र जीव विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, ऊपरी वायुमण्डल रसायन शास्त्र तथा हिमवण्ड विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन अंटार्कटिका आते-जाते समय, जहाज खड़ा करने के स्थल पर, स्थायी मानवयुक्त केंद्र (दक्षिण गंगोत्री), और शिरमौर हिल क्षेत्र में किये जाते हैं। अंटार्कटिका में वैज्ञानिक गतिविधियों के कारण भारत सितंबर 1983 में अंटार्कटिका संधि का सलाहकार सदस्य बनाया गया। यह संधि 1959 में हुई थी। भारत अक्टूबर 1984 में अंटार्कटिका अनुसंधान की वैज्ञानिक समिति का सदस्य बना।

भारत ने 17 जुलाई 1985 से अंटार्कटिका समुद्री आजीविका संसाधन संरक्षण समझौता स्वीकार कर लिया है। उसने सितम्बर 1985 में, आयोग की चौथी वार्षिक बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में और सितम्बर 1986 में आयोग के पूर्ण सदस्य के रूप में हिस्सा लिया है।

गोवा से 4 दिसम्बर 1984 को गये चौथे दल में 83 सदस्य थे। इनमें से एक वैज्ञानिक मारिशस का था। इस अभियान के दौरान सीधा संचार सम्पर्क कायम किया गया। वर्तमान स्थायी केंद्र से करीब 70 कि०मी० दूर पहाड़ियों पर 3 छोटे भकानों वाला एक छोटा केंद्र बनाया गया। इसमें प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त स्थल, हिम वाहन रखने के लिए गैरेज तथा उपकरण आदि रखने के लिए भंडार कक्ष बनाये गये।

तीसरे अभियान दल ने 12 सदस्यों के जिस पहले दल को सदियों के दौरान अध्ययन के लिये अंटार्कटिका पर छोड़ा था, उसे भारत वापस लाया गया। 13 सदस्यों के नये दल को अंटार्कटिका का सदियों के दौरान अध्ययन के लिये वहाँ छोड़ा गया। चौथे दल में छः सदस्यों का वह दल भी पूरे साज-सामान के साथ गया था जिसने दक्षिण ध्रुव की यात्रा की तैयारी के लिये पूर्वाभ्यास अध्ययन किया।

30 नवम्बर 1985 को पाचवां भारतीय अभियान दल गोवा से अंटार्कटिका की ओर रवाना हुआ और दिसम्बर 1985 को अंटार्कटिका पहुंच गया। अभियान दल के वैज्ञानिक सदस्यों में दो महिला वैज्ञानिकों सहित, 12 संस्थाओं से लिए गए 21 वैज्ञानिक थे। दल के संभारलेख में सेना के तीनों अंगों के लिए गए 67 सदस्य थे।

अंटार्कटिका के वर्षादि महाद्वीप में 69 दिन तक ठहरने और अपने वैज्ञानिक तथा अन्य सव्यों को पूरा करने के पश्चात् अभियान दल वापस लौट आया। अभियान दल दूसरे शीतकालीन अभियान के उच्च सदस्यों को भी ले आया जिन्हें



चौथा अभियान दल वहाँ छोड़ आया था। चार वैज्ञानिकों तथा उनकी सहायता के लिए सेना के 10 सदस्यों को मिलाकर कुल 14 सदस्यों के दल को शीतकालीन अनुसंधान के लिए वहीं छोड़ दिया गया।

भारतीय अंटार्कटिका अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व के अध्ययन व कार्यक्रम शुरू करना तथा एक ऐसी ग्रामलचूल व्यवस्था करना है जिसमें भारत को अपने विकास कार्यक्रमों को जारी रखने तथा उनको बढ़ावा देने में सुगमता हो, अंटार्कटिका कार्यक्रम की सफल शुरुआत ने कई भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं को एक मंच पर इकट्ठा होने का अवसर दिया है। इससे भारत को अंटार्कटिका संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं में एक सक्रिय एवं कारगर भूमिका निभाने में मदद मिली है।

विभाग एक ऐसा अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करना चाहता है जिसमें उपयुक्त संभारतंत्र तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो। प्रस्तावित अंटार्कटिका अनुसंधान केन्द्र के लिए गोवा सरकार ने गोआ में 18 एकड़ का भूखण्ड दिया है। भूखण्ड के विकास के उपाय किए जा रहे हैं। आशा है कि अध्ययन केन्द्र स्थापना का पहला चरण सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पूरा हो जाएगा।

### जैव संसाधन

भारत प्राचीन काल से ही समुद्री संसाधनों का दोहन करता रहा है। प्रतिवर्ष मछली पकड़ने के मामले में उसका आठवां स्थान है। अनुमान है कि सन् 2000 ई० तक भारत में कुल एक करोड़ 14 लाख टन मछलियों की खरत होगी। इस समय प्रतिवर्ष कुल 30 लाख टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। इनमें से 56 प्रतिशत मछलियां समुद्र से पकड़ी जाती हैं। भारत का समुद्र तट 6,000 कि० मी० लम्बा है। उसके पास 20 लाख वर्ग कि० मी० से अधिक का ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें मछली पकड़ना आर्थिक दृष्टि से एक लाभदायक व्यवसाय है। हिन्द महासागर में पकड़ी जाने वाली मछलियों में से वह लगभग 46 प्रतिशत मछली पकड़ता है। महासागर से प्रतिवर्ष कुछ एक करोड़ टन मछलियां पकड़ी जा सकती हैं।

सागर विकास विभाग का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि समुद्री अनुसंधान जहाज ओ०आर०वी० 'सागर कन्या' तथा एफ० ओ० आर० वी० 'सागर सम्पदा' की सहायता से भारत के समुद्री आर्थिक क्षेत्र तथा खुले समुद्र क्षेत्र में जैव संसाधनों का व्यवस्थित सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हो। इन जहाजों के कार्यक्षेत्र में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा मध्य हिंद महासागर में 20° दक्षिण अक्षांश तक का क्षेत्र आता है। ओ० आर० वी० 'सागरकन्या', जुलाई 1983 से जून 1984 के बीच 235 दिन तथा जुलाई 1984 से जून 1985 के बीच 298 दिन समुद्र में रहा। इस तरह उसने अपनी 82 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया। समुद्र में 76 प्रतिशत वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग कारगर ढंग से हुआ। इन अनुसंधानात्मक समुद्री यात्राओं में 17 संगठनों और संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने

भाग लिया। आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद विशेष क्षेत्र में, समुद्री मछलियों का पता लगाने के लिए, ओ० आर० वी० 'सागर कन्या' की तरह 'सागर सम्पदा' का भी भरपूर उपयोग किया गया। सितम्बर 1986 तक जहाज ने 20 समुद्री यात्राएं पूरी कर ली थीं।

समुद्र तट पर तथा समुद्र में मानव गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण प्रभावित होता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 34,000 टन कीटनाशकों और लगभग 11,000 टन सिर्योटेक डिट्रेंट की खपत होती है। अनुमान है कि इसका 25 प्रतिशत बहकर समुद्र में चला जाता है। यह अनुमान भी है कि घरों से प्रतिवर्ष करीब 5 करोड़ क्यूबिक मी० गंदा पानी भारत के तटीय समुद्र में गिर जाता है। समुद्री पर्यावरण संबंधी मीनूदा अनुसंधान और मानीटरिंग कार्यक्रमों में तटीय पर्यावरण प्रणाली के रक्षा उपायों का पता लगाने का कार्य भी शामिल किया गया है।

#### गहन सागर खनन

समुद्री कानून पर हुए तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत को गहरे समुद्र तल में खनिज निकालने वाले एक प्रमुख देश के रूप में मान्यता दी। गहरे समुद्र तल में खनन के पहले चरण में बहुधातु पिंडों के सर्वेक्षण, अन्वेषण, एकत्रीकरण तथा प्रयोगशाला जांच का काम शामिल था ताकि इन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से निकालने की व्यावहारिकता का अध्ययन हो सके। भारत ने समुद्र में खनन क्षेत्र अर्थात् करने के लिये संयुक्त राष्ट्र में आवेदन किया है।

भारत का आवेदन संभवतः काफी पहले पजीकृत हो गया होता, परन्तु उत्तर-पूर्व प्रशान्त क्षेत्र में खाद्यान्न क्षेत्र के पजीकरण के लिए सोवियत संघ, फ्रान्स और जापान के आवेदनों के कारण इसमें विलम्ब हो गया क्योंकि इसके लिए उनके आवेदनों का निपटारा करना भी आवश्यक था। अगस्त 1986 में उपक्रमालक आयोग के अन्तिम अधिवेशन के दौरान दावों को निपटाने तथा नवीन क्षेत्रों में पूंजी लगाने के इच्छुक निवेशकर्ताओं की पजीकरण प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए एक फार्मूले पर सहमति हो गई।

गहरे समुद्र में सर्वेक्षण के साथ-साथ समुद्र तल से निकले बहुधातु पिंडों का निकालने और उसे धातुएं प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी भी आवश्यक है। विभाग इसके लिए एक मानवयुक्त जहाज तथा आवश्यक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के उपाय कर रहा है।

#### घाटापन दूर करने का कार्यक्रम

सागर विकास विभाग द्वारा आयोजित घाटापन दूर करने के कार्यक्रम को केन्द्रीय सचिव और समुद्री रसायन संस्थान, भावनगर तथा भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड श्रियान्वित कर रहे हैं। कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था विकास विभाग ही कर रहा है।

केन्द्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर के अनुसंधान और विकास प्रयासों के फलस्वरूप, रिवर्स आस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा खारेपन को दूर करने की प्रौद्योगिकी का मानकीकरण कर दिया गया है। यह प्रौद्योगिकी नमकीन पानी का खारापन दूर करने के संयंत्रों के डिजाइन तैयार करने तथा उनका निर्माण करने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लि० को दी गई थी। वी० एच० ई० एल० द्वारा तैयार किया गया संयंत्र सरल और लचीली विधि से नमकीन पानी की सफाई करके उसे पीने लायक बनाता है। नमक अलग करने के साथ-साथ यह विधि खारे पानी से हानिकारक पदार्थों और कीटाणुओं को भी निकाल देती है। रिवर्स आस्मोसिस प्रक्रिया में, खारापन दूर करने की तापीय विधि की अपेक्षा, ऊर्जा की अधिक वचत होती है। इस तरह यह विधि आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। रिवर्स आस्मोसिस प्रणालियों की डिजाइन व निर्माण माँड्यूलर ब्लाकों में होता है। इसलिए इनसे शीघ्र ही संयंत्र खड़ा करके चालू किया जा सकता है। इस वर्ष तमिलनाडु में पुथाग्राम में प्रतिदिन 50,000 लीटर पीने लायक पानी बनाने की क्षमता वाला खारापन दूर करने का एक प्रायोगिक संयंत्र लगया गया है। अप्रैल 1986 में आन्ध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में भी इतनी ही क्षमता का दूसरा संयंत्र चालू किया गया है।

### जन-साधन नियोजन

समुद्र विज्ञान तथा इंजीनियरी की समस्या सरल नहीं है और इनके अध्ययन में लगे लोगों को उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा की आवश्यकता है। इस सिलसिले में विभाग ने विभिन्न शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के माध्यम से जनसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के उपाय किये हैं। देश के विभिन्न संस्थानों में महासागर से सम्बन्धित उपयोगी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिये समुद्री अनुसंधान और विकास कोष स्थापित किया गया है।

## विभागीय अनुसंधान

### भूगर्भ विज्ञान

विभिन्न सरकारी विभागों पर कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान करने की जिम्मेदारी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में है। यह देश में भूवैज्ञानिक गतिविधियां चलाने वाली प्रमुख एजेन्सी है। विभाग का उत्तरदायित्व देश के भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक और भूभौतिकीय मानचित्र (भूमि और वायुवाहित) तैयार करना है। इसके कार्यक्षेत्र में तटीय समुद्र भी शामिल है। मानचित्रों का उपयोग (तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिजों को छोड़कर) धातु के भण्डारों का पता लगाने तथा उनका विश्लेषण करने, भू-तकनीकी समस्याओं का अध्ययन करने व इंजीनियरी परियोजनाओं को विशेष तकनीकी परामर्श देने के लिए तथा खाद्यान्न और मरुस्थल नियंत्रण इत्यादि से संबंधित अध्ययनों में किया जाता है।

विभाग भू-कालक्रम विज्ञान, शैल विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, सुदूर सर्वेदन, खनिज विज्ञान, भू-रसायन शास्त्र, विश्लेषणात्मक रसायन तथा भू-भौतिकी जैसी भूविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों ही प्रकार का अनुसंधान कर रहा है। यह भू-तापामयिकी, हिमनदविज्ञान, भूकम्पविज्ञान इत्यादि पर भी विशेष अन्वेषण कर रहा है। क्षेत्रीय कक्षीय कार्यालयों की गतिविधियों को एकत्रित करके उनका मिलन किया जाता है। संसाधन के पश्चात् सूचना संसाधन एकांशों, प्रकाशनों, मानचित्रों और आकड़ा केन्द्रों के माध्यम से उन्हें प्रचारित किया जाता है। विभाग में मानवगणित संसाधन विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। विभाग भारतीय संगठनों तथा 'एस्कोप' के सदस्य-देशों को प्रशिक्षण सहायता भी देता है।

1984-85 के दौरान (अक्तूबर 1984 से सितम्बर 1985 तक) विभाग ने देश के विभिन्न भागों में कठोर पथरीले इलाकों और चतुर्थयुगीन क्षेत्रों में 1,30,732 वर्ग कि० मी० तय करके (1:63,360/1:50,000 पैमानों पर) नियोजित ढंग से भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया है। खनिजों का पता लगाने के उद्देश्य से संभावित खनिज-बहुल क्षेत्रों को अंकित करने के लिए 1,37,842 मीटर खुदाई की गई। 5,245 वर्ग कि० मी० का बड़े पैमाने का मानचित्रण (1 : 31,680 से 1 : 10,000 पैमाने तक) और 167 वर्ग कि०मी० का विस्तृत मानचित्रण (1:10,000 से बड़े पैमाने पर) किया गया। विभाग के वायुवाहित खनिज सर्वेक्षण तथा पर्यवेक्षण खंड ने, इस अवधि के दौरान 12° अक्षांश के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में 28,496 कि० मी० का वायुचुम्बकीय सर्वेक्षण किया। यह कार्य राष्ट्रीय सुदूर सर्वेदन एजेंसी के एक डी० सी०-3 विमान तथा सर्वेदकों की सहायता से किया गया। इस अवधि में वायुवाहित भूभौतिकीय असंगतियों को सुलझाने का कार्य भी चलता रहा।

समुद्र में खनिज अन्वेषण तथा समुद्री भूगर्भ विज्ञान डिवीजन अनुसंधान जहाज 'समुद्र मंथन' की सहायता से भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट के पास समुद्री आर्थिक क्षेत्र में खनिज साधनों के मानचित्रण तथा अन्वेषण का काम कर रहा है। ये कार्य अनुसंधान पोत 'समुद्र मंथन' तथा दो तटीय वा-क्राओं 'समुद्री सौधिताम' और 'समुद्र कोस्तुभ' के द्वारा किए गए। इस अवधि में पूर्वी तट पर 5650 वर्ग किलोमीटर तथा पश्चिमी तट पर 11,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये कार्य किये गये।

इस विभाग ने विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के अनुरोध पर सिवाई, जल तथा ताप विद्युत उत्पादन, वाइ नियंत्रण, जन-आपूर्ति संचार लाइनों तथा माइक्रोहाइड्रल योजनाओं, पुलों, रेल लाइनों स्लो स्ट्रेविजिटों आदि के बारे में 335 भू-तकनीकी अध्ययन किये।

अनुसंधान परियोजनाओं में मुख्यतः खनिज अन्वेषण कार्य में तेजी लाने के नए तरीकों और तकनीकों का विकास करने तथा भोजूदा तरीकों को सुधारने के कार्य पर ध्यान दिया जा रहा है। इनमें अनेक कार्यक्रम विभिन्न भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों के सहयोग में शुरू किए गए और कुछ को विज्ञान और प्रयोगिकी विभाग ने प्रायोजित किया।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग चौथे अंटाकटिका अभियान में शामिल हुआ। यह अभियान दिसम्बर 1984 में शुरू किया गया था। अभियान दल ने फिरमाशेर हिल एरिया में 'दक्षिण गंगोत्री' नामक भारतीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की। केन्द्र के आस-पास के साढ़े चार वर्ग किलो मीटर क्षेत्र का, बड़े पैमाने पर भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया। यह मानचित्र त्रेफाइड खोज संबंधी अध्ययन के लिए बनाया गया। इस खनिज का पता इस क्षेत्र में पहले ही लग चुका था।

## मौसम विज्ञान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 1875 में अखिल भारतीय आघार पर गठित किया गया था और यह मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। विभिन्न प्रकार की 1,400 से अधिक वेधशालाओं से मौसम सम्बन्धी जानकारी इकट्ठी करके इस विभाग में विश्लेषण के लिए भेजी जाती है। यह पुणे के भारतीय शुष्क क्षेत्र मौसम विज्ञान संस्थान के सहयोग से मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, मौसम विज्ञान उपकरण, राडार मौसम विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, जल मौसम विज्ञान, उपग्रह मौसम विज्ञान और वायु प्रदूषण के विभिन्न क्षेत्रों में मूल और व्यावहारिक अनुसन्धान करता है। पुणे का संस्थान कृत्रिम वर्षा के लिए कृत्रिम वादल के प्रयोग भी कर रहा है।

बंगलूर में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बम्बई में भारतीय भू-चुम्बकीय संस्थान और पुणे में भारतीय शुष्क क्षेत्र मौसम विज्ञान संस्थान पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अंग थे, लेकिन वे 1971 से स्वायत्त संस्थानों के रूप में कार्यरत हैं। बंगलूर का खगोल भौतिकी संस्थान सौर और तारा-मण्डल भौतिकी, रेडियो खगोल शास्त्र, सौर विकिरण आदि के क्षेत्र में अनुसन्धान करता है, जब कि बम्बई का भू-चुम्बकत्व संस्थान, चुम्बकीय पर्यवेक्षण दर्ज करता है और भू-चुम्बकीय क्षेत्र में अनुसन्धान करता है।

यह विभाग कुछ विश्वविद्यालयों तथा आई० आई० टी० दिल्ली द्वारा मानसून मौसम विज्ञान पर चलाये जा रहे अनुसंधान कार्यों के लिए धन देता है। यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानसून गतिविधि केंद्र भी स्थापित कर रहा है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली में पांच क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र हैं। कलकत्ता में विभाग का एक स्थितीय खगोल शास्त्र केन्द्र है। राज्य सरकारों के साथ समन्वय के लिए 12 राज्यों की राजधानियों में मौसम विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं। मौसम-विज्ञान राकेटों द्वारा ऊपरी वायुमंडल की छान-बीन करने के लिए विभाग धुम्बा और बालासोर राकेट लॉन्चिंग स्टेशनों से सम्पर्क बनाए रखता है।

विभाग ने मद्रास, पुणे, कलकत्ता, नई दिल्ली, भोपाल, चण्डीगढ़, श्रीनगर, पटना और भुवनेश्वर में कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार सेवा केन्द्र खोले

है। बम्बई, गोवा, कलकत्ता, मद्रास, कराईकल, पारादीप, विशाखापत्तनम और मछली-पत्तनम में समुद्री तूफानों की चेतावनी देने के लिए राडार लगाए गए हैं। कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, बम्बई, पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी और भुवनेश्वर में स्वचालित पिक्चर ट्रान्समीशन स्टेशनों के माध्यम से, मौसम उपग्रह से चित्र लिए जाते हैं। मद्रास स्थित समुद्री तूफान की चेतावनी देने व अनुसंधान का केन्द्र विशेष तौर पर ऊष्ण कटिबन्धीय तूफानों से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करता है। कश्मीर में गुलमर्ग में पर्यटकों को मौसम संबंधी भविष्यवाणियां देने के लिए एक पर्यटक मौसम विज्ञान कार्यालय है। उच्च गति के दूर-संचार चैनलों के माध्यम से अनेक देशों के साथ मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान होता है। भारत नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय-मौसम विज्ञान केन्द्र और क्षेत्रीय दूर-संचार केन्द्र के माध्यम से विश्व मौसम-विज्ञान संगठन के विश्व मौसम निगरानी कार्यक्रम में सहयोग देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की योजना के अन्तर्गत, नई दिल्ली में एक क्षेत्र भविष्यवाणी केन्द्र भी कार्य कर रहा है। विश्व क्षेत्र भविष्यवाणी प्रणाली के अंतर्गत इस केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर इसे आचलिक (रीजनल) क्षेत्र भविष्यवाणी केन्द्र बना दिया जाएगा।

#### इन्सैट कार्यक्रम

30 अगस्त 1983 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट-1 बी) को सफलतापूर्वक छोड़ा गया तथा दिल्ली स्थित प्रधान आकड़ा उपयोग केन्द्र को और सक्षम बनाया गया ताकि वह उपग्रह से प्राप्त सामग्री का समुचित उपयोग कर सके।

3 अगस्त 1983 से इन्सैट-1 बी द्वारा प्रेषित मेघ प्रतिबिम्बीय आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं और अनुसंधान के पश्चात उनका उपयोग मौसम संबंधी भविष्यवाणियां विशेष रूप से समुद्री तूफान संबंधी भविष्यवाणियां करने और तत्संबंधी चेतावनी देने के लिए किया जा रहा है। विभाग ने 18 गौण आकड़ा उपयोग केन्द्र और 100 आकड़ा सक्तन प्लेटफार्मे स्थापित किए हैं। प्राकृतिक विपदा चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत दो और गौण आकड़ा उपयोग केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, 100 प्राकृतिक विपदा चेतावनी प्रणालियां उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आन्ध्र प्रदेश के प्राकृतिक विपदा की आशका वाले क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं।

#### प्रसारण

आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग की स्थापना अप्रैल 1937 में मुख्यतः प्रसारण संवाधों के लिए एक वैज्ञानिक योजना बनाने, म डिजम और हार्ड फ्रीक्वेंसी बैंडों पर रेडियो अध्ययन करने, देश में प्रसारण व्यवस्था का अनुरक्षण करने और उसके विकास; संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए की गई थी। विभाग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं

- (1) छवि और टी० वी० प्रसार क्षेत्रों में नवीनतम तथा सभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, देश में इन नेटवर्कों की सेवाएं सुधारने के लिए अन्वेषण, अनुसंधान और विकास का कार्य करना;
- (2) आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्कों के संचालन में तकनीकी सहयोग देना;

- (3) आकाशवाणी/दूरदर्शन के काम में आने वाले उपकरणों के प्रयोग-शाला माडलों के डिजाइन तैयार करना, उनका विकास करना और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी हस्तांतरण संबंधी विनिर्देशन तैयार करना; प्रारंभ में वाणिज्यिक संगठन के उत्पादन व विकास की सूचना मानीटर करना और क्षेत्र परीक्षण व मूल्यांकन करना;
- (4) आकाशवाणी और दूरदर्शन की ओर से राष्ट्रीय मानक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समितियों, भारतीय मानक संस्था और इलेक्ट्रॉनिक विभाग आदि के साथ विचार-विनिमय में भाग लेना तथा विश्लेषण परामर्श सेवा उपलब्ध कराना;
- (5) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सी० सी० आई० आर०, ए० वी० यू०, सी० वी० ए० आदि द्वारा पता लगाए गए समस्याजनक क्षेत्रों का अध्ययन और विश्लेषण करना और यदि आवश्यक हो तो उन पर अन्वेषण करना;
- (6) आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरी प्रभागों की पहल पर ऐसे सभी टी० वी० उपकरणों का परीक्षण और मूल्यांकन करना, जिन्हें सामान्य सेवाओं में शामिल करने का प्रस्ताव है।

विभाग ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उष्णकटिबंधीय प्रसारण के क्षेत्र में किए गए योगदान को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है।

एल० एफ०, एच० एफ०, वी० एच० एफ० और माइक्रोवेव फ्रीक्वेन्सीज पर भी महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं।

इस समय स्टिरियोफोनिक एफ० एम० प्रसारण शुरू करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है। विभाग ने स्टीरियो कोडर और डिकोडर भी विकसित कर लिए हैं।

विभाग आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्कों के लिए कुछ उपकरणों के डिजाइन तैयार करने और उन्हें विकसित करने में लगा है। उपकरणों के विकास में नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे प्रसारण के क्षेत्र में अत्याधुनिक जानकारी प्राप्त करने और विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिली है।

**हाइड्रोलिक और विद्युत अनुसंधान**

1916 में स्थापित पुणे का केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र भारत का प्रमुख हाइड्रोलिक अनुसंधान संस्थान है और जल-साधनों तथा जल-परिवहन के मामले में संयुक्त राष्ट्र के एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला है।

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला 1954 में स्थापित की गयी थी यह भू-यांत्रिकी और निर्माण सामग्री, मृदा यांत्रिकी

और बुननपाद इंजीननरी, कंश्रीट प्रीयोगिकी, रसायन शास्त्र और तंत्रछट में मूल और व्यावहारिक अनुसंधान करता है ।

रडुकी में राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गयी थी । यह एक प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो जल-विज्ञान के क्षेत्र में ब्यवस्थापक मूल, सैद्धांतिक और व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान करता है ।

नई दिल्ली में केन्द्रीय सिंचाई और त्रिजली बोर्ड, सिंचाई और विद्युत इंजीननरी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, इसमें समन्वय रखता है और इनसे प्राप्त ज्ञान का प्रसार करता है ।

लेख

रेल मंत्रालय के अधीन अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन 1957 में केन्द्रीय मानक कार्यालय और रेलवे परीक्षण और अनुसंधान केंद्र, लखनऊ को मिलाकर बनाया गया । यह संगठन अब भारतीय रेलवे का एक पूर्ण रूप से सुसज्जित अनुसंधान संगठन बन गया है और इनमें रेलवे की सभी शाखाओं के विशेषज्ञ काम करते हैं ।

काश्मीर प्रीयोगिकी

कनड़ा क्षेत्र की विभिन्न सहकारी अनुसंधान संस्थाएं काश्मीर प्रीयोगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और त्रिकास से संबद्ध गतिविधियों का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं । ये संस्थाएं हैं : अश्मदावाद कनड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, अहमदावाद (स्थापित 1949), बम्बई कनड़ा अनुसंधान संस्थान, बम्बई (स्थापित 1954), दक्षिण भारत कनड़ा अनुसंधान संस्थान, कोरम्बडूर (स्थापित 1951), रेगम और कनात्मक रेगम भिन्न अनुसंधान संस्थान, बम्बई (स्थापित 1950), भारतीय पट्टा उद्योग अनुसंधान संस्थान, कनकगा (पंजीकृत 1966), ऊन अनुसंधान संस्थान, बम्बई (स्थापित 1963), उत्तर भारत कनड़ा अनुसंधान संस्थान, गाजियाबाद (स्थापित 1974), और मानव निर्मित कनड़ा अनुसंधान संस्थान, सूरत (1980-81 से एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त) ।

दूर संचार

दूर संचार अनुसंधान केंद्र, दूर संचार विभाग का अनुसंधान तथा त्रिकास संगठन है । इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और यह अब दूर संचार के क्षेत्र में त्रिकास कार्य में लगा एक विशाल संगठन बन चुका है । यह केंद्र अन्य कार्यों के अलावा समुचित नयी प्रीयोगिकी को लागू करने में दूर संचार तंत्र की भावी आवश्यकताओं का आकलन कर रहा है । यह केंद्र देश में ही नयी प्रणालियों के लिए डिजाइन त्रिकास कार्य भी करता है ।



## 8: पर्यावरण, वानिकी और वन्य-जीवन

स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही स्वच्छता, सावंजनिक स्वास्थ्य, पोषण, वानिकी, भूमि-संरक्षण, आवास आदि के राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किये गये और इन्हें पर्याप्त रूप से काफी उच्च प्राथमिकता दी गई। फिर भी आठवें दशक के प्रारंभ तक निरंतर प्रयोग में लाये जा सकने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर बल के साथ पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के प्रति व्यापक और समन्वित दृष्टि अपनाने के प्रति कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। चौथी योजना में स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकारा गया कि सुसंगत विकास की योजना केवल तभी संभव है, जब इसका आधार पर्यावरण संबंधी मसलों का व्यापक मूल्यांकन हो और इसलिए यह भी आवश्यक है कि नियोजन और विकास-प्रक्रिया में पर्यावरण का आयाम भी शामिल किया जाय। सरकार ने 1970 में योजना आयोग के सदस्य पीताम्बर पंत की अध्यक्षता में मानव पर्यावरण पर समिति की स्थापना की। इस समिति को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में देश की रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया। इस समिति ने पर्यावरण संबंधी इस पहलू का अध्ययन किया तथा पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों में अधिक समन्वय और एकीकरण के लिए, एक विधिवत प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता की ओर ध्यान खींचा। तदनुसार फरवरी 1972 में पर्यावरण नियोजन और समन्वय पर एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। समिति को पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर सरकार को सलाह देना तथा विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श कर समस्याओं के हल सुझाने का काम सौंपा गया।

पांचवीं योजना में भी औद्योगिक विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन और समन्वय समिति को गंभीरता से संबद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को पूरी तरह ध्यान में रखा जा सके। इसमें यह उद्देश्य निहित था कि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों की वजह से पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों में गिरावट के द्वारा जीवन के स्वरूप में कमी न आने पाये। वल्कि; प्रयास यह होना चाहिए कि विकास नियोजन और पर्यावरण प्रबंध के बीच कड़ी और संतुलन बनाये रखा जाये।

जनवरी 1980 में छठे आम चुनाव के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा का सवाल लगभग सभी मुख्य राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में शामिल था। इसके परिणामस्वरूप, सरकार के सत्ता संभालते ही, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मौजूदा वैधानिक उपायों और प्रशासनिक तंत्र की समीक्षा और इन्हें मजबूत बनाने के सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। 1980 में सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की, जो पर्यावरण कार्यक्रमों के नियोजन, प्रोत्साहन

और समन्वय के लिए केन्द्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे का केन्द्र [विन्दु है।

1985 में एक नया एकीकृत विभाग गठित किया गया जिसका नाम "पर्यावरण, वानिकी और [वन्य-जीवन विभाग" रखा गया। यह विभाग पर्यावरण नीति, कानून, प्रगति का मूल्यांकन, अनुसंधान को प्रोत्साहन, प्रदूषण-नियंत्रण और इस पर नजर रखना, वन और वन्य-जीवन प्रबंध और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विषयों को देखता है।

## पर्यावरण

पर्यावरण के क्षेत्र में, यह विभाग राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, प्रोत्साहित करने तथा समन्वित करने का काम करता है। इसके उत्तरदायित्व हैं :

- (क) पर्यावरण के नुकसान की घटनाओं, कारणों और परिणामों का अध्ययन तथा इन्हें मरकार और संसद के ध्यान में लाना और पर्यावरण के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना तथा पूर्व सूचना प्रणाली कायम करना;
- (ख) वायु और जल-प्रदूषण पर नजर रखना;
- (ग) विकास परियोजनाओं पर पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना ;
- (घ) प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम प्रतिपादित करना;
- (ङ) प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण;
- (च) पर्यावरण संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहन देना;
- (छ) पर्यावरण के प्रति चेतना, शिक्षा और सूचना गतिविधियां;
- (ज) पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से पारस्परिक संपर्क और सहयोग।

## प्रदूषण पर निगरानी और नियंत्रण

जल-प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड, जल और वायु-प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण की शिखर संस्था है। जल (1974) और वायु (1981) प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानूनों तथा जल उपकरण कानून (1977) को भी लागू करने के कार्यपालिका उत्तरदायित्वों का केन्द्रीय बोर्ड और विविध अधिनियमों के अन्तर्गत राज्यों में गठित इसी तरह के वैधानिक बोर्डों के माध्यम से निर्वाह किया जाता है। अब तक चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। केन्द्रीय बोर्ड उन 18 राज्य बोर्डों की गतिविधियों को भी समन्वित करता है, जो प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को क्रम में लाने के लिए स्थापित किये गये हैं।

एक औपचारिक कार्यप्रणाली विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत स्थान चयन के समय से ही पर्यावरण संबंधी मतलों को ध्यान में रखा जाता है। उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान के चयन के लिए व्यापक दिशानिर्देश विकसित किये गये हैं। जल शुद्धता प्रबंध के लिए आधार प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय बोर्ड ने 14 बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय नदियों को क्षेत्रबद्ध और वर्गीकृत किया और इसे एक एटलस के रूप में प्रकाशित किया गया।

दस खास उद्योगों से होने वाले जल-प्रदूषण को लेकर बोर्ड ने न्यूनतम राष्ट्रीय मानक तय किये हैं। इन उद्योगों में शामिल हैं : चीनी, बलोरल्कली, फरमन्टेशन; कृत्रिम धागा, तेल शोधक कारखाने, उर्वरक, इस्पात कारखाने, ताप विजली-घर, कपड़ा और कागज तथा लुगदी। प्रदूषण पैदा करने वाले 12 उद्योगों के लिए उत्सर्जन सीमा भी बांध दी गई है। देश के करीब 50 प्रतिशत बड़े और मध्यम उद्योगों ने अब तक प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां भी कायम कर ली हैं।

जलाशयों में प्रदूषण के निवारण और रोकथाम के लिए कार्रवाई की एक योजना तैयार की गई है। दामोदर, सुवर्णरेखा, कृष्णा, ब्रह्मणी, वैतरणी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के लिए प्रदूषण के स्रोत का पता लगाने का काम शुरू किया गया है।

केन्द्रीय बोर्ड ने मौसम संबंधी आंकड़ों की मदद से एक चार्ट भी छापा है जिससे भूमि उपयोग के नियोजन के लिए वायु प्रदूषण का नमूना लेकर इसका प्रतिरूपण (मॉडलिंग) किया जा सके।

दिल्ली में यातायात से पैदा होने वाले प्रदूषण के प्रभाव का भी बोर्ड द्वारा वनस्पतियों के नमूने लेकर अध्ययन किया जा रहा है।

1984 के दौरान सात नगरों में 27 निगरानी केन्द्रों की मदद से आस पास की वायु की शुद्धता पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय तंत्र भी शुरू किया गया।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981, तथा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974, अपर्याप्त पाए गए और इसी लिए, सरकार के पास इनमें पैनापन लाने के लिए संशोधन के प्रस्ताव हैं। मंत्रालय ने मई, 1986 में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम भी बनाया है, जो कि एक बहुत व्यापक कानून है और इसमें कड़े दंड के प्रावधान हैं तथा अधिकारों को एक जगह केन्द्रित किया गया है। इसके अन्तर्गत ध्वनि-प्रदूषण सहित सभी तरह के प्रदूषणों से निपटा जा सकता है। इस कानून को 19 नवम्बर, 1986 से लागू कर दिया गया है और इसके नियमों की भी इसी दिन अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

पर्यावरण की सुरक्षा के इस विधान का व्यापक उद्देश्य पर्यावरण के प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए व्यापक कदम उठाना तथा इस बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक और निजी संगठनों और व्यक्ति विशेष के उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना है।

इस कानून में तमाम प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अमल में लाने के लिए एक प्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान है। इसमें वायु, जल और भूमि प्रदूषण तथा जहरीले और खतरनाक तत्वों के नियंत्रण से संबंधित उपाय शामिल हैं, लेकिन यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है। इस प्राधिकरण या सरकार से इस विधान के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए मानदंड तय करने तथा नियम और अधिनियम बनाने की उम्मीद की जाती है। जांच, परीक्षण, वर्गीकरण, मानकीकरण, पदार्थों की लाइसेंसिंग या नियंत्रण, प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षण, नियंत्रण, निर्देश, मरम्मत,

तालाबंदी या अदालती कार्रवाई के अधिकार—सभी नियम बनाने के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। प्राधिकरण को जहाँ कहीं आवश्यक हो संबंधित एजेंसी को मौजूदा प्रासंगिक कानूनों को लागू करने के निर्देश देने के अधिकार भी हैं।

इस कानून में घतरनाक पदार्थों से संबंधित सभी लोगों के ऊपर उत्तर-दायित्व डाला गया है ताकि पर्यावरण में इनके रिसाव को रोका जा सके। इस कानून के अंतर्गत 5 साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। प्रदूषण जारी रहने की स्थिति में सजा मात्र माल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना 5 हजार रुपये प्रतिदिन किया जा सकता है। इस कानून के उल्लंघन के लिए कोई भी नागरिक अदालत में शिकायत कर सकता है। अदालतें किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बारे में की गई शिकायत को सुनवाई के लिए बाध्य है, अगर उस व्यक्ति ने केन्द्र सरकार या संबंधित अधिकारियों को अदालत में शिकायत करने के अपने इरादे का 60 दिन का नोटिस दिया हो।

पर्यावरण की शुद्धता की रक्षा और इसमें सुधार तथा पर्यावरण-प्रदूषण के निवारण और रोकथाम के लिए नियमों से संलग्न अनुच्छेद में सात उद्योगों द्वारा पर्यावरण को दूषित करने वाले तत्वों के छाव और विसर्जन के लिए मान-दंडों की अधिसूचना है। (और उद्योगों के लिए मानदंडों की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी)।

नियम 4(1)(2) के अनुसार, हर निर्देश लिखित रूप से जारी किया जायेगा और इसमें संभावित कार्रवाई का विवरण होगा और जिस व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को यह जारी किया जायेगा, उसके लिए समय निर्धारित होगा, जिसके भीतर उसे इस निर्देश का पालन कर लेना चाहिए। संबंधित व्यक्ति को उसे दिए जाने वाले प्रस्तावित निर्देशों के बारे में आपत्तियाँ दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के लिए समय निर्धारित किया गया है जिसके भीतर उसे नोटिस पर दाखिल की गई आपत्तियों का निबटारा कर देना होगा।

निर्देश के नोटिस देने के तरीके को भी नियम 4(6) में बताया गया है।

नियम 5(1) के अनुसार, उद्योगों के स्थान को लेकर बंदिश या नियंत्रण लगाने और विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों को जारी रखने के लिए निम्न कारणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

- (1) क्षेत्र के बारे में निर्धारित पर्यावरण की शुद्धता के लिए निर्धारित मानदंड;
- (2) (ध्वनि सहित) विभिन्न पर्यावरण प्रदूषण को दूर रखने के लिए अधिकतम श्रृंखला;
- (3) पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों के संभावित छाव और विसर्जन;
- (4) क्षेत्र की भौगोलिक और मौसम संबंधी विशेषताएं;
- (5) क्षेत्र की जैविक विविधता;

- (6) पर्यावरण की दृष्टि से इस्तेमाल में ला सकने लायक भूमि;
- (7) पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन;
- (8) संरक्षित क्षेत्र, जिसमें विभिन्न कानून लागू होते हैं, उससे दूरी; और
- (9) मानव वस्ती से दूरी।

नियम 5(2)(3) के अनुसार उद्योग के स्थान पर बंदिश या नियंत्रण लगाने के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:

- (1) सरकार द्वारा बंदिश या नियंत्रण लगाने के अपने इरादे की अधिसूचना को जारी करना;
- (2) इस अधिसूचना में क्षेत्र और उद्योग, कार्य और प्रक्रिया जिस पर नियंत्रण और बंदिश लगाई जाती है और इसमें कारणों का ब्यौरा शामिल होगा;
- (3) अधिसूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति आपत्तियां दाखिल कर सकता है;
- (4) केन्द्र सरकार अधिसूचना की तिथि से 120 दिनों के भीतर आपत्तियों पर विचार करेगी और निर्णय देगी।

नियम 8 के अंतर्गत विश्लेषण के लिए नमूने जमा करने और इसके पश्चात् प्रयोगशाला रिपोर्ट के स्वरूप के बारे में प्रक्रिया को विस्तार से बताया

### केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण

सरकार ने 1985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की। इसका उद्देश्य गंगा नदी के दूषित हिस्सों की सफाई के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना के अमल की देखरेख करना था। एक संचालन समिति का गठन किया गया, जिसने उत्तर प्रदेश, विहार और पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए। इन तीन राज्यों से गंगा बहती है। एक निगरानी समिति का भी गठन किया गया। इस समिति को कार्यक्रमों की प्रगति और नदी की सफाई के प्रभाव पर नजर रखने का काम सौंपा गया। तीन राज्यों में इस काम के लिए उपयुक्त विभाग निर्धारित किए गए और गतिविधियों में समन्वय कायम रखने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियां तैयार की गईं।

सातवीं योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने तीन राज्यों के प्रथम श्रेणी के 27 नगरों में, 240 करोड़ रुपये के विनियोग को स्वीकृत कर लिया है।

इस योजना के मुख्य पहलुओं में मौजूदा जल-मल निकास और नालों का नवीनीकरण शामिल है। इससे गंगा में गंदगी को रोका जा सकेगा। इस योजना में गंगा में जल-मल और अन्य दूषित जल के नालों को दूसरे स्थानों को ले जाने के लिए नए निर्माण कार्य, मौजूदा पंपिंग स्टेशनों का नवीनीकरण तथा जल-मल शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना शामिल है, ताकि संसाधनों का अधिकतम संभव प्रयोग किया

जा सके। इस योजना के अन्तर्गत जीव-ऊर्जा, जो कि पशुपिण्ड शूद्धीकरण संयंत्रों को चलाने के काम आती है, द्वारा अधिकतम राजस्व की प्राप्ति तथा प्रमाणित तकनीकों एवं स्वच्छता के अन्य कार्यक्रमों के आधार पर जैविक संरक्षण के उपाय भी शामिल हैं।

हालांकि गंगा कार्रवाई योजना मूल रूप से घरेलू सूत्रों से पैदा होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करेगी, लेकिन यह औद्योगिक स्रोतों से पैदा होने वाले प्रदूषण और नदी में छोड़े जाने वाले न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने की ओर भी ध्यान देगी।

गंगा कार्रवाई योजना के अंतर्गत करीब 250 कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाएगा। 31 दिसम्बर, 1986 तक 75.36 करोड़ रुपए की लागत के 114 कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। प्रथम श्रेणी के 27 नगरों में से 23 में पहले ही काम चालू हो चुका है। हरिद्वार और वाराणसी में 2 कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। पटना में 62 लाख और 33 लाख गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाले गंदगी साफ करने वाले दो संयंत्रों का नवीनीकरण किया गया और इन्हें फिर से स्थापित किया गया।

जल संसाधन मंत्रालय और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड की सलाह से स्वच्छ नदी जल के प्रतिरक्षण (मार्डलिंग) का काम शुरू किया गया है। जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड द्वारा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ मिलकर, नदियों के पानी की शुद्धता पर निगरानी रखी जा रही है। नदियों के भौतिक और रासायनिक लक्षणों के अध्ययन और निगरानी में अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों तथा विश्व-विद्यालयों की सहायता ली जा रही है।

वाराणसी, पटना, कलकत्ता और इलाहाबाद में गंगा पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। कानपुर जैसे अन्य स्थानों में भी इस तरह की प्रदर्शनियों के आयोजन का प्रस्ताव है। वाराणसी और कानपुर में वृक्षारोपण, घाटों के नवीकरण जैसे कार्यक्रमों को लेकर अनेक शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें नेहरू युवा केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। इसी तरह के अनेक शिविर अन्य स्थानों पर आयोजित करने का प्रस्ताव है। गंगा पर केन्द्रित प्रदूषण की समस्याओं के बारे में टेलीविजन पर फिल्में दिखाई गईं।

गंगा कार्रवाई योजना के बारे में लोगों को लगातार जागरूक बनाए रखने के लिए, सूचना पुस्तिकाओं का प्रकाशन और प्रेम विज्ञापितों निकालने सहित अनेक कदम उठाए गए।

पर्यावरण प्रभाव  
का मूल्यांकन

किसी भी परियोजना की जल्दत और व्यावहारिकता को तय करने के लिए दो मुख्य मानदण्ड—इसका आर्थिक रूप में लाभकारी और तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक होना—अब पर्याप्त नहीं रह गए हैं। अब व्यापक रूप में इस बात को स्वीकार किया गया है कि विकास का कोई प्रयास केवल उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता, जो इसके लिए तय किए गए हैं बल्कि इसके कुछ अन्य आनुवंशिक परिणाम भी हो सकते हैं जिनके बारे में पहले सोचा न गया हो। ये

अनचाहे परिणाम उन तमाम सामाजिक-आर्थिक उपलब्धियों को नकार सकते हैं जिनके लिए परियोजना तैयार की गई थी। इसलिए यह आवश्यक माना गया है कि किसी भी परियोजना को तैयार किए जाने की स्थिति में ही पर्यावरण से संबंधित मसलों पर विचार कर लिया जाए और उन्हें परियोजना में शामिल कर लिया जाए। इसके लिए निम्नलिखित पहलुओं पर उपयुक्त निर्णय लिया जाना चाहिए :

1. परियोजना के लिए स्थान का चयन,
2. टेक्नोलॉजी का चयन, और
3. पर्यावरण को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए, निवारण और नियंत्रण के उपायों का चयन।

### प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया

विकास परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन, विभाग द्वारा मंत्रालयी मूल्यांकन समिति की मदद से किया जाता है जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इन विशेषज्ञ दलों द्वारा परियोजना अधिकारियों की व्यावहारिकता रिपोर्टों और पर्यावरण प्रबंध योजना और/या पर्यावरण प्रभाव वक्तव्य की पड़ताल की जाती है और जब कभी जरूरत हो विशेष रूप से बनाए गए विशेषज्ञ-दलों को क्षेत्र में भेज कर अतिरिक्त जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। परियोजना अधिकारियों की मदद के लिए, पर्यावरण विभाग ने मार्गनिर्देश सिद्धान्त और प्रश्नावलियां विकसित की हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विभिन्न परियोजनाओं में किन-किन पर्यावरण संबंधी मसलों को शामिल किया जाना चाहिए।

पर्यावरण विभाग द्वारा पारित परियोजनाओं को बहुधा वे सभी सुरक्षात्मक और अभनकारी उपाय लागू करने होते हैं, जिनका सुझाव दिया जाता है। इनके लिए एक प्रभावशाली निगरानी प्रणाली की जरूरत होती है। पर्यावरण विभाग और इससे संबद्ध भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण जैसी परियोजना एजेंसियां और इनके क्षेत्रीय स्टेशन, परियोजना अधिकारियों को, निर्माण त्रिधातव्यन और इसकी निगरानी (मानीटरिंग) में सभी आवश्यक मदद देते हैं।

### नदी घाटी परि-योजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव

नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव जिनकी तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत है :

1. आवाह क्षेत्र में कटाव,
2. कमांड क्षेत्र का विकास,
3. प्रभावित लोगों का पुनर्वासि,
4. जल से पैदा होने वाली बीमारियों में वृद्धि,
5. जमाव से पैदा होने वाले भूकम्पीय प्रभाव,
6. वनों का कटाव तथा वनस्पति और जीव-जन्तुओं को नुकसान जिनमें जीनपूल भंडार भी शामिल हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक केवल 1100 वर्ग किलोमीटर आवाह क्षेत्र को ही ठीक किया जा सका, जबकि उद्देश्य 10.5 लाख वर्ग कि० मी० निर्धारित किया गया था जिसमें 59 वर्ग परियोजनाएं शामिल थीं। इसी तरह, कमांड क्षेत्र का विकास मुख्य रूप से किसान का उत्तरदायित्व था, जिसके पास सिंचाई क्षमता को पूरी तरह उपयोग में लाने के लिए आवश्यक भूमि को समतल करने, श्रेणीबद्ध करने तथा निकासी-कार्य हेतु न तो तकनीकी जानकारी और न ही वित्तीय क्षमता है।

बारहमासी सिंचाई शुरू करने से मलेरिया, फाइलेरिया, शिस्टोसोमियासिस जैसी पानी में पैदा होने वाली बीमारियों में भी वृद्धि हुई। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सिंचाई शुरू की गई, वहाँ इन बीमारियों को रोकथाम के उपाय तथा स्वास्थ्य की देख-रेख सबसे महत्वपूर्ण हो गई।

अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं से व्यापक वन-भूमि पानी में डूब जाती है, जिससे वनस्पति और जीव-जन्तु के साथ-साथ समृद्ध जैविक सम्पत्ति का नुकसान होता है। परियोजनाओं के कारण जल-भराव से होने वाले विनाश में कुछ सदा हरे-भरे रहने वाले जंगलों के जीनपूल भंडारों को भी घतरा पदा हो गया है। मानवजाति के अस्तित्व के लिए जीनपूल भंडार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये न केवल अन्न की उच्च उत्पादक किस्मों, पेड़-पौधों और खाद्य फसलों को कीटाणुओं और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि नई किस्मों का भी विकास करते हैं।

**वन परियोजनाएं** वन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं :

1. भूमि का कटाव,
2. सतह और भूगर्भीय जल-समाधनों में प्रदूषण,
3. वायु-प्रदूषण,
4. वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं के नुकसान के साथ-साथ वनों को हानि,
5. प्रभावित आवादी-जिनमें जन-जातियां भी शामिल हैं- का पुनर्वास;
6. ऐतिहासिक स्मारकों और धार्मिक स्थानों पर प्रभाव।

भारत में वन कार्य का बड़ा हिस्सा खुली किस्म का है जिससे क्षेत्र में भूमि-प्रयोग का ढांचा बुरी तरह प्रभावित होता है। भूमिगत वन से सतही जीवन पर प्रभाव पड़ता है और क्षेत्र में पेड़-पौधों के विकास तथा भू-संरचना पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वन से निकाले जाने वाले वनज, सतह और भूमिगत जल से मिलते हैं तथा वन में काम आने वाला पानी, अगर अम्लीय या जहरीला हो तो जल संसाधन प्रदूषित होते हैं। वनों के नुकसान से सतह की भूमि को होने वाली हानि में भूमिगत जल समाधान कमजोर पड़ते हैं तथा पानी के शाश्वत स्रोत और धाराएं सूख जाती हैं। यह खासतौर से पहाड़ी इलाकों में होता है।



### ताप विजली परियोजनाएं

ताप विजली परियोजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों में शामिल हैं :

1. वायु-प्रदूषण ;
2. जल-प्रदूषण ;
3. वनों का नुकसान ;
4. पुनर्वास, और
5. भूमि को हानि ।

सल्फर डाई-ऑक्साइड (एस० ओ० 2), नाइट्रोजन ऑक्साइड (एन० ओ० एक्स०), और कार्बन मोनों ऑक्साइड (सी० ओ०), आदि से युक्त टीलों से गैसें निकलती हैं जो मानव प्राणियों के साथ-साथ पेड़-पौधों के लिए भी नुकसान-देह होती हैं ।

ताप विजलीघरों से जल-प्रदूषण उस घोल को छोड़े जाने से भी हो सकता है, जो राख और पानी का मिश्रण होता है । ताप-प्रदूषण, ठण्डा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पानी से पैदा होता है, जो जलयुक्त स्थानों में जीवन को प्रभावित कर सकता है ।

राख की समस्या का समाधान निर्माण में प्रयुक्त इंटों और अन्य निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री बनाने के प्रयोग करने में निहित है । प्रदूषण को रोकने का दूसरा उपाय यह है कि राख के ढेरों पर उपयुक्त किस्म के पेड़-पौधे उगाकर इन्हें स्थायी कर दिया जाए ।

### औद्योगिक परियोजनाएं

औद्योगिक परियोजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों में शामिल हैं :

1. वायु-प्रदूषण ;
2. जल-प्रदूषण और
3. ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रयोग ।

विकास परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि निरन्तर विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो ।

### पारिस्थितिकी पुनरुज्जीवन और विकास

राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना 1981 में की गई । इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं : पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास की व्यावहारिकता को प्रदर्शित करना, पहले ही क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं को और अधिक क्षति से रोकने के कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन, इन्हें शीघ्र बहाल करने के कार्यक्रम शुरु करना तथा युवकों को काम के द्वारा सीखने की कला के माध्यम से संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना ।

बनीकरण और भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए पारिस्थितिकी विकास कार्य दल लगाये गये हैं । सार्वजनिक

और स्वयंसेवी संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी और सहयोग में पारिस्थितिकी निधियों का आयोजन किया गया। प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पुनरुज्जीवन के लिए महत्वपूर्ण फील्ड प्रदर्शन परियोजनाओं में शामिल हैं— गरुड़ गंगा, पटेल गंगा और मनास के आवाही क्षेत्रों, शिवालिक की पहाड़ियों (होशियारपुर), ओरोविले (पांडिचेर), हल्दीपाटी (उदयपुर), पुष्कर घाटी (अजमेर) और चैरापूजी (मेघालय) में आयोजित प्रदर्शन परियोजनाएं।

क्षेत्र में कार्रवाई-प्रधान एकीकृत अनुसंधान और विकास के लिए उच्चस्तरीय अध्ययन के मातृ केन्द्रों में विकेन्द्रीकृत तंत्र के रूप में इंदिरा गांधी हिमालयी पारिस्थितिकी और विकास संस्थान को विकसित किया जा रहा है।

### राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति

आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवमंडल की क्षमता बनाये रखने के साथ, इसे जीवन-स्तर पर कायम रखने के आधार पर हमें प्रबंध के लिए विभाग में विश्व संरक्षण कार्यनीति के उद्देश्यों के अनुरूप अनेक गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। देश में जैविक विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण और सुरक्षा के लिए जीवमंडल के भंडारों का एक तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए 13 जैविक क्षेत्र बनाये गये हैं। नीलगिरि, नंदादेवी, नाम्दाफा, नोकरेक और मन्नार की खाड़ी पर परियोजना दस्तावेज तैयार किये जा चुके हैं और अन्य क्षेत्रों के लिए तैयार किये जा रहे हैं। मंत्रालय इन कार्यक्रमों का केन्द्र है और इसका उत्तरदायित्व आंशिक रूप से वित्तीय सहायता, प्रशिक्षित वैज्ञानिक/तकनीकी/प्रशासनिक कर्मचारी तथा ज्ञान मुहैया करना भी है, जिससे जीवमंडल का प्रबंध किया जा सके। मंत्रालय आवश्यक दिशानिर्देश भी तैयार करता है। पहला जीवमंडल भंडार-नीलगिरि जीवमंडल भंडार है जो तमिल-नाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में करीब 5500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, नितम्बर, 1986 में प्रभावी हुआ। अन्य के बारे में ब्यौर तैयार किया जा रहा है।

विभाग राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति भी तैयार करने में लगा है, जिसमें संरक्षण के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलु भी शामिल होंगे।

### राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध व्यवस्था

प्रकृतिक ससाधनों की वैज्ञानिक तरीके से निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता को स्वीकारते हुए, सरकार ने बहु-विभागीय राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध-व्यवस्था कायम की है। जीव-संसाधन और पर्यावरण की रक्षायी समिति ने 6 प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार हैं :

1. पेड़-पौधों का मानचित्र तैयार करना;
2. हिमालय की पारिस्थितिकी की व्यवस्था;
3. बायोमैस का अनुमान,
4. वायु-प्रदूषण,
5. पर्यावरण पर खनन का प्रभाव; और
6. औद्योगिकरण का प्रभाव।

तदनुसार इन क्षेत्रों में परियोजनाओं को तकनीकी रूप से तैयार करने, इन्हें लागू करने वाली एजेन्सियों का निर्धारण और इनकी निगरानी के लिए 6 विशेषज्ञ उप-दल गठित किये गये हैं। अब तक 31 परियोजनाओं को इसके अंतर्गत लाया गया है और इनकी जांच की जा रही है।

### वन

भारत में 747.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वन घोषित किया गया है। इसमें से 397.8 लाख हेक्टेयर को आरक्षित और 216.5 लाख हेक्टेयर को सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 8.67 लाख हेक्टेयर वन गैर-वर्गीकृत हैं और 4.62 लाख हेक्टेयर अन्य तरह से वर्गीकृत है। पहाड़ों में अधिकतम वन क्षेत्र 60 प्रतिशत और मैदानों में 20 प्रतिशत है।

उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वनों में कमी को सारणी 8.1 में दर्शाया गया है।

#### सारणी 8.1

##### वनों में कमी

वर्ष	देश में वनों का क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)
1972—75	555.2
1980—82	463.5
अनुमानित कमी	91.7

इस कमी का प्रमुख कारण जीव-संबंधी दबाव है जो हमारे वनों की क्षमता से अधिक है। भारत की केवल 2 प्रतिशत वन भूमि से विश्व की 15 प्रतिशत जनसंख्या और 13 प्रतिशत जानवर पलते हैं। हमारे देश में वनों के कटाव के मुख्य कारणों में ईंधन के लिए पेड़ काटना, क्षमता से अधिक चारागाह के रूप में प्रयोग करना, वन भूमि में अवैध कब्जा, खेती के स्थानों का परिवर्तन, वन भूमि का गैर-वन कार्यों के लिए प्रयोग करना आदि शामिल हैं।

#### वन-नीति और कानून

भारत उन चन्द देशों में से है जिसकी 1894 से एक वन नीति है। वन नीति के प्रस्ताव में कहा गया है :

1. वनों के प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य देश के ग्राम कल्याण के प्रति समर्पण है,
2. पर्याप्त रूप से वनों को बनाये रखने की जरूरत मूलतः देश की मौसम और भौतिक परिस्थितियों की रक्षा है और दूसरे लोगों की जरूरतों की पूर्ति करना है,
3. वनों से पहले स्थायी किस्म की खेती का स्थान आता है।
4. राजस्व के विचारों से ऊपर गैर-प्रतियोगी दरों पर, अगर मुफ्त नहीं, स्थानीय आवादी की जरूरतों की पूर्ति है; और
5. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के बाद ही अधिकतम राजस्व-प्राप्ति, मांग दर्शक कारक होना चाहिए।

1952 में वन नीति को संगोधित किया गया। देश के वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इनके उचित प्रबंध हेतु निम्नलिखित मूल सिद्धांत निर्धारित किये गये :

1. कार्यमूलक आधार पर वनों का वर्गीकरण अर्थात् वनों की सुरक्षा और गाव के वन,
2. जहां कहीं संभव हो वन भूमि की स्थापना ताकि भौतिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों में सुधार हो और लोगों के आम कल्याण को प्रोत्साहन मिले,
3. चारे, घेती के औजारों और ईंधन तथा गोबर को खाद के रूप में प्रयोग के लिए लकड़ी की आपूर्ति में निरंतर वृद्धि,
4. वनों के अंधाधुंध कटान से कृषि योग्य भूमि के विस्तार का विरोध, क्योंकि इससे न केवल स्थानीय आबादी को ही लकड़ी, घास : आदि से मंचित होना पड़ता है, बल्कि धूल, सूफान, गर्मी, हवाओं और भू-चटाव के कारण भूमि भी प्राकृतिक सुरक्षा से वंचित होती है; और
5. इसमें यह व्यवस्था भी है कि भारत को अपने एक तिहाई क्षेत्र में वन बनाये रखने का उद्देश्य रखना चाहिए। पहाड़ों में यह 60 प्रतिशत और मैदानों में 20 प्रतिशत होना चाहिए।

#### राष्ट्रीय वन नीति

1952 में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा से, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में दूरगामी महत्व के परिवर्तन आये हैं। आज इस बात को कहीं अधिक स्वीकार किया गया है कि वनों की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से समर्पित लोगों को एक दीवार तैयार करने के लिए जनजातीय और आसपास की आबादी की विकास योजनाओं और प्रबंधकीय निर्णयों में भागीदार बनाकर विश्वास में लेना जरूरी है।

इस दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, संशोधित राष्ट्रीय वन नीति का मूल उद्देश्य पर्यावरण स्थापित्व और पारिस्थितिकीय सतुलन को बनाये रखना होना चाहिए। राजस्व प्राप्त करने का उद्देश्य मूल उद्देश्य के मातहत होना चाहिए।

अनेक स्थानों पर वनों का कटान एक ऐसी स्थिति के करीब पहुँच चुका है, जहाँ से वापसी नहीं हो सकती। इस खतरनाक स्थिति को रोकने की तात्कालिक जरूरत को स्वीकार करते हुए, विभाग वनों में संघटित तमाम गतिविधियों को एक नया आयाम प्रदान कर रहा है। वनों के प्रभावी संरक्षण के लिए तात्कालिक कार्रवाई के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, फालतू भूमि पर वन लगाना और शक्य विपणन, मौजूदा वनों में नए पेड़-पौधे लगाना, वनों के गवेषण और वन व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वन अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित और पूर्ण निरीक्षण, पशुधर्मों को चराने पर अनुमति, ईंधन की अन्य विस्मै गप्पार्ट करना, लकड़ियों में व्यापार पर नियंत्रण, एक ही तरह की फसल लगाने पर रोक आदि, शामिल हैं।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएँ शुरू की गयी हैं। वनीकरण, सामाजिक वनविज्ञान और फार्म वनविज्ञान, नए 20 पूर्ण कार्यक्रम

के महत्वपूर्ण भाग हैं। छठी योजना के दौरान इन मदों पर उपलब्धियों का सालाना लेखा-जोखा सारणी 8.2 में दिया गया है :

### सारणी 8.2

#### छठी योजना के दौरान उपलब्धि

(लाखों में)

क्र० विवरण सं०	1980-	1981-	1982-	1983-	1984-
	81	82	83	84	85
1. वनरोपण कुल लगाई गई पौध	8470	13190	20780	24180	26360
2. सामाजिक वन क्षेत्र जिसमें पौध लगाई गई (लाख हेक्टेयर में)	1.53	2.54	3.75	4.22	4.67
3. फार्म वन वितरित पौध	—	4410	8970	11870	12750

#### वन संरक्षण

देश में वनों और पेड़-पौधों वाली भूमि के अधिकाधिक विनाश और ह्रास, खास तौर से हिमालय और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में, के कारण व्यापक भू-कटाव, अनियमित वर्षा और बार-बार बाढ़ आ रही हैं। इसके अलावा इससे ईंधन-लकड़ी का गंभीर अभाव पैदा हो रहा है तथा इसके भी बढ़कर भूमि के कटाव और ह्रास से उत्पादकता का नुकसान हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया। इसका मूल उद्देश्य वनों के अंधाधुंध कटाव को रोकना तथा वन भूमि का अन्य कार्यों के लिए प्रयोग पर रोक लगाना है। इस कानून में प्रावधान है कि विना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के किसी भी वन भूमि को अनारक्षित नहीं किया जाएगा या इसे किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले, 1951-80 तक, वन भूमि का अन्य कार्यों के लिए प्रयोग की दर 1.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष थी। इस कानून के बनने के बाद के वर्षों में यह दर घटकर 6,500 हेक्टेयर प्रति वर्ष रह गयी है।

#### रोपण प्रक्रिया

1951-1985 के दौरान लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाए गए। 1985-86 के दौरान 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाने का काम हाथ में लिया गया तथा चालू वर्ष (1986-87) के लिए 17 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया गया है। यह प्रस्ताव है कि वनीकरण की गति को 50 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष किया जाय।

#### ईंधन की लकड़ी

ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी को लेकर भी स्थिति नाजुक है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्रोत के रूप में मुख्य रूप से ईंधन की

लकड़ी का प्रयोग होता है। ईंधन की लकड़ी की अनुमानित जरूरत 13.3 करोड़ टन प्रति वर्ष है, जबकि आपूर्ति करीब 4.9 करोड़ टन है। इसमें में रिफाई किया गया उत्पादन केवल 1.5 करोड़ टन है। ईंधन की लकड़ी की कमी के कारण काफी मात्रा में गोबर (अनुमानतः 7.3 करोड़ टन) और कृषि-प्रवर्धन ईंधन के रूप में जला दिए जाते हैं [1]।

### विशेष क्षेत्रों का संरक्षण

पोर्टब्लेयर में दो क्षेत्रीय स्टेशन स्थापित हैं। इनमें एक भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और दूसरा भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण का है। इसका काम पर्यावरण, आर्थिक और पारिस्थितिकी की दृष्टि से वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं का सर्वेक्षण, बिरलेपण और निगरानी करना है। उत्तरी अंडमान द्वीपों में एक जीव मंडल भंडार कायम करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

### नम-भूमि

विभाग ने नम-भूमि निदेशालय कायम करने की कार्रवाई शुरू की है ताकि—1. नम-भूमि के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके; 2. निरंतर प्रयोग के आधार पर नम-भूमि संसाधनों के प्रयोग के लिए प्रबंधकीय कार्यनीति विकसित करना और 3. इन अध्ययनों के जीव-उत्पादों के वैज्ञानिक प्रयोग के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना।

### कच्छ वनस्पति

विभाग ने अपनी राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति समिति का पुनर्गठन किया है। कच्छ वनस्पतियों की रक्षा के लिए समिति कार्रवाई की एक प्रबंध योजना का सुझाव देगी और वित्तीय सहायता के लिए प्रयत्न करने वाली अनुसंधान क्षेत्रों का निर्धारण करेगी।

### बंजर भूमि विकास बोर्ड

राष्ट्रीय बंजर-भूमि विकास बोर्ड की स्थापना मई 1985 में की गई। इसका मूल उद्देश्य देश में बंजर भूमि के प्रबंध और विकास के लिए कार्यक्रमों को तैयार करना, समन्वित करना और इन्हें गति प्रदान करना था। सामाजिक वानिकीकरण के सभी पहलुओं पर राण्यों को व्यापक निर्देश दिए गए ताकि हर वर्ष 50 लाख हेक्टेयर भूमि को हरा-भरा बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। कार्रवाई योजना शुरू की गयी है जिसमें छोटे और सीमान्त किसानों, स्कूलों, महिलाओं और अन्य समुदायों द्वारा विवेकीकृत नर्सरियों की स्थापना, भूमिहीनों और ग्रामीण गरीबों को पेड़ों के पट्टे देना, जहरी/संरक्षित वृक्षारोपण, विशेषकर उद्योगों द्वारा, शामिल हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को बंजरभूमि विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा चार राण्यों में पेड़ लगाने वालों की सहायता समितियां स्थापित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) तैयार की गई है।

बोर्ड कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन को भी प्रोत्साहित कर रहा है, जैसे कि, पेड़ काटने के कानूनों और अधिनियमों की प्रासंगिकता के साथ-साथ ईंधन में काम आने वाली लकड़ी और चारे की स्थिति।

वनसंधान को देश में पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा अनुसंधान और विकास सुविधाओं और इसके लिए एक तंत्र का निर्माण विभाग की प्रमुख गतिविधि है। गठित की गई दो समितियाँ—भारतीय मानव और जीव-मंडल समिति और पर्यावरण अनुसंधान समिति—प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पर्यावरण अनुसंधान, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अनुसंधान प्रस्तावों की जांच, परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन और अनुसंधान के परिणामों को अमल में लाने के लिए उपयुक्त तरीकों की सिफारिश करती हैं। इस कार्यक्रम की एक विशेषता, राष्ट्रीय महत्व के चुने हुए क्षेत्रों में समन्वित बहु-संस्था परियोजनाओं का शुरु किया जाना है। इनमें, भारी धातुओं पर अखिल भारतीय समन्वित योजना, जातीय जैवकीय खतरे में अस्तित्व वाली जातियों (बीज जैवकीय और ऊतक संवर्धन) का संरक्षण और विशेष महत्व के पेड़-पौधों पर वायु प्रदूषकों का प्रभाव शामिल हैं। हिमालय क्षेत्र के पूर्वी घाटों, पश्चिमी घाटों, गंगा, निर्जल क्षेत्रों, नमी वाले क्षेत्रों और कच्छ वनस्पतियों के पारिस्थितिकीय विकास पर कारंबाई आदि प्रधान एकीकृत कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। देश में पर्यावरण संबंधी अनुसंधान और प्रशिक्षण के आधार को मजबूत करने के लिए "उत्कर्ष केन्द्रों" की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है। वंगलूर और अहमदाबाद में दो केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकीय अनुसंधान और प्रशिक्षण का पहला केन्द्र, पश्चिमी घाटों तथा वायु और जल-प्रदूषण के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करता है। अहमदाबाद स्थित पारिस्थितिकी शिक्षा का दूसरा केन्द्र मूल रूप से वृक्षों और शहरी/ग्रामीण समुदायों के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पुस्तकों, चित्रयुक्त दस्तावेजों के रूप में शैक्षणिक सामग्री प्रकाशित करता है।

धनवाद में भारतीय खान स्कूल में खनन पर्यावरण पर एक अध्ययन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। यह "उत्कर्ष केन्द्र" के रूप में काम करेगा और भूमि को फिर से इस्तेमाल के योग्य बनाने, जल और वायु-प्रदूषण, अवशिष्ट पदार्थों का सुरक्षात्मक तरीके से निवृत्त और इस पर फिर से पेड़-पौधे उगाना और पेड़-पौधों को उगाने के लिए फिर से जमीन तैयार करने के कामों पर मुख्यतः ध्यान देगा।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने और विकास प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी पहलुओं के एकीकरण को लेकर निर्देश तैयार किए गए हैं जिनमें संभावित संस्थागत रचनातंत्रों तथा केन्द्र, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया है। राज्य के पर्यावरण विभागों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र से वित्तीय मदद को एक योजना पहले ही कार्य कर रही है।

वन अनुसंधान के क्षेत्र में, वनवृक्ष-विज्ञान अनुसंधान निदेशालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विविध वन जातियों के सर्वेक्षण और इस्तेमाल पर अनेक अनुसंधान परियोजनाओं को संगठित और समन्वित किया। इन अध्ययनों में, निर्जल और अर्द्ध-निर्जल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जातियों का विश्लेषण, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन-सकड़ी और ऊर्जा प्रणालियों के लिए उपयुक्त तकनीकों और सूखे क्षेत्र वाले जानवरों के प्रयोग से भारी सामान को लाने-ले जाने के अच्छे तरीके भी

शामिल है। वनवृक्ष-विज्ञान अनुसंधान क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से भी किया गया। अरुनी क्षेत्रीय शाखाओं और फील्ड केन्द्रों सहित देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान और कालेज, वानिकी में अनुसंधान का मुख्य केन्द्र है।

देहरादून स्थिति लॉगिंग विकास संस्थान में वर्ष के दौरान लॉगिंग (सूटे बनाना) के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान परियोजनाएँ चलाई गयीं। इनका उद्देश्य लकड़ी काटने की प्रक्रिया में बरबादी को न्यूनतम करना था। नए कार्यक्रमों में सुधारे गए हस्त-औजारों का प्रचार तथा विभिन्न किस्म के ढुलाई के औजारों और तरीकों के परीक्षण के कार्यक्रम शामिल हैं। अरुनी की ब्लेडों और ढाँचों के लिए भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देश तैयार किए गए हैं।

भारतीय वन्यजीवन संस्थान में अनुसंधान और विकास के कार्यक्रम सक्रियता से जारी रहे। इनके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में पाच नई परियोजनाएँ शुरू की गईं। इनमें खतरे में अस्तित्व वाली जातियों, जानवरों के व्यवहार, जानवरों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी को अमर्यादों से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं।

शिक्षा, ज्ञान और सूचना

पर्यावरण के प्रबंध के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण के बारे में शिक्षा, प्रशिक्षण और ज्ञान आवश्यक है। इस उद्देश्य से देश की आबादी के सभी आयु वर्गों और हिस्सों में चेतना जागृत करने के लिए अनेक गतिविधियाँ शुरू की गईं। सेमीनारों/कारंशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पारिस्थितिकी-शिबिरो, बहु-प्रचार माध्यम अभियानों आदि के माध्यम से अतीतवाकिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

1972 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना की गई। इसका कार्य प्राकृतिक दुनिया का इसके अनेक रूपों में अध्ययन और इसकी व्यवस्था करना है। इसे पारिस्थितिकी, वन्यजीवन और पर्यावरण के क्षेत्र में अनीपचारिक शिक्षा प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। इसे इस तरह से बनाया गया है ताकि यह प्रकृति, प्राकृतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या तथा पर्यावरण के प्रति मनुष्य के उत्तरदायित्व को सामने लाने के बारे में जानकारी प्रदान करे।

सातवीं योजना के दौरान मैसूर में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित करने का फैसला किया गया है। इस बारे में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

भारतीय लोगों में सभी स्तरों पर पर्यावरण के बारे में चेतना जागृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना अभियान शुरू किया गया है। हमारे जीवन को जिन्दा रखने वाले पर्यावरण की मौजूदा नाजुक स्थिति से लोगों की चेतना को सुदृढ़ करने के प्रयास में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में पर्यावरण के नुकसान के कारण, राष्ट्र के पर्यावरण संबंधी संसाधनों की सुरक्षा में किसी व्यक्ति विशेष/समुदाय/समूह द्वारा मदद के व्यावहारिक तरीकों की जानकारी भी शामिल थी।



भारत में 1881 में वानिकी शिक्षा छोटे स्तर पर शुरू की गई। पिछले सौ वर्षों के दौरान वन कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई, इनकी प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार हुआ और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठा।

वन अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले चार वन कालेजों में उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हैं: (1) भारतीय फोरेस्ट (वन) कालेज (भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है) (2) राज्य फोरेस्ट सर्विस कालेज, बर्नीहाट, असम (3) राज्य फोरेस्ट सर्विस कालेज, कोयम्बटूर, और (4) राज्य फोरेस्ट सर्विस कालेज, देहरादून। इसके अतिरिक्त रेंज फोरेस्ट अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पांच फोरेस्ट रेंजर कालेज स्थापित किए गए हैं। ये कालेज चन्द्रापुर (महाराष्ट्र) वालाघाट (मध्य प्रदेश), देहरादून, कोयम्बटूर और कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में हैं। चार कालेज राज्य सरकारों के अधीन भी हैं।

वन अनुसंधान संस्थान और कालेजों को खाद्य और कृषि संगठन ने दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वानिकी के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता दी है।

भारतीय वनकर्मियों को वन संसाधनों के आधुनिक व्यापारिक पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए एक वन प्रबंध संस्थान ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अक्टूबर 1982 से भोपाल में काम करना शुरू कर दिया है।

नीति-निर्माताओं, निर्णय लेने वालों, अनुसंधान कर्मियों और आम जनता की सूचना जरूरतों को पूरा करने के लिए 1982 में पर्यावरण सूचना व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें कम्प्यूटर की मदद ली गई है तथा इसमें सूचना संग्रहण, पुनःप्राप्ति और वितरण की सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं शामिल हैं। चुने हुए संस्थानों में प्रदूषण नियंत्रण, जहरीले रसायनों, तटीय/तटवर्ती समुद्र की पारिस्थितिकी आदि खास विषयों पर 10 सूचना केन्द्रों का एक राष्ट्रीय तंत्र बनाया गया है। पर्यावरण के बहुआयामी पहलुओं को लेकर ऐसे और केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है। 'पर्यावरण एक्स्ट्रेक्ट्स' एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण में भारतीय अनुसंधान के योगदान की जानकारी होती है।

पर्यावरण पर सूचना स्रोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवस्था की राष्ट्रीय शाखा के रूप में विभाग देश और विदेश से मांगी गई जानकारी प्रदान करता है। हाल ही में भारतीय सूचना व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवस्था, दक्षिण एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय सेवा केन्द्र बनाया गया है।

## वन्य जीवन

1983 में शुरू की गई राष्ट्रीय वन्यजीवन कार्यवाही योजना, भविष्य में वन्य जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति, कार्यक्रम और परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। संरक्षित क्षेत्र को बढ़ाकर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। अभी यह 3 प्रतिशत है। वन्य जीवन संरक्षण के केन्द्रीय निदेशालय

और भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून में केन्द्रीय एजेंसियां हैं जो कार्रवाई योजना में निर्धारित कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू करेंगी और इनकी निगरानी करेंगी। इस कार्य में वे उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मदद लेंगी जो देश में वन्य जीवन के वास्तविक संरक्षण और प्रबंध के लिए सीधे उत्तरदायी हैं। अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधनों की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि कानूनों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके।

कार्रवाई योजना में लगभग सभी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उल्लेखनीय कदम इस प्रकार हैं: (1) सभी राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षण के काबिल अन्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण; (2) वन्य-जीवन स्थलों के लिए प्रबन्ध योजनाएं तैयार करने हेतु दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं जो कि राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं; (3) राष्ट्रीय वन नीति की समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है; (4) वन्यजीवन (सुरक्षा) अधिनियम 1972 में संशोधनों पर विचार किया जा रहा है; (5) संरक्षित प्रजनन और पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

#### शाय परियोजना

1973 में शुरू किया गया योजना कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान भी जारी रहा। इस समय देश के विभिन्न राज्यों में बाघों के 15 घातित क्षेत्र हैं। आठवीं योजना के दौरान लागू करने के लिए असम में गैंडे के संरक्षण की एक विशेष योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। असम और झरणाचल प्रदेश में सफ़ेद पर वाली बतख के संरक्षित प्रजनन और पुनर्वास की योजनाएं शुरू की गई हैं।

#### अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में, सन्तुष्ट राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, प्रकृति और प्राकृतिक ससाधनों के संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय यूनियन तथा एकीकृत पर्वत विकास के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के लिए, एक केन्द्र बिन्दु का काम करता है। इसके अलावा, यह पर्यावरण सञ्चयी कार्यक्रमों को लागू करने और भारत तथा अन्य देशों के सहयोग से किए गए अनुसंधान कार्य की चांच के लिए अन्य संप्रकृत राष्ट्र एजेंसियों, क्षेत्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करता है। इस समय अनेक राज्यों में विश्व बैंक, यू० एस्० ए० आई० डी०, एस्० आई० डी० ए० और सी० आई० डी० ए० की मदद से 15 सामाजिक वानिकी परियोजनाएं चल रही हैं।

विश्व विरासत सम्मेलन के अंतर्गत, जिसका केन्द्र-बिन्दु शिक्षा मंत्रालय है, भारत के तीन प्राकृतिक स्थलों को विश्व के प्राकृतिक विरासत स्थलों के रूप में मान्यता मिलने की संभावना है। ये तीन स्थल हैं केवनादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर (राजस्थान), मानस टाइगर रिजर्व, असम और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम।

यह एक दुःखद सत्य है कि भारत लम्बे समय से महामारियों का देश रहा है। अर्थात् चिकित्सा सुविधाओं, लोगों के अज्ञान तथा गरीबी के कारण चेचक, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड तथा कई अन्य बीमारियों से बहुत से लोग मौत के शिकार बन जाते थे। 1951 तक बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी तथा एक भारतीय की औसत अनुमानित आयु मात्र 32 साल थी।

### उपलब्धियाँ

तीन दशकों से अधिक के नियोजित विकास के फलस्वरूप स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी सुधार हुआ है। डॉक्टरों और अस्पतालों में विस्तरों की संख्या ढाई गुना से अधिक और नर्सों की संख्या छह गुनी अधिक हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो कि पहली योजना से पहले 30 थी, अब बढ़कर 106 हो गई है। 1 अप्रैल, 1986 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8,496 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 88,950 उपकेन्द्र थे, जबकि 1951 से पूर्व ऐसा एक भी केन्द्र नहीं था। मलेरिया, क्षय रोग और हैजा पर; जो कि पहले भारी संख्या में जानें लेते थे, अब विभिन्न स्तरों पर नियंत्रण पा लिया गया है। 1967 से देश में प्लेग के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। चेचक, पहले एक भयानक बीमारी थी; अब इसका उन्मूलन कर दिया गया है। सामान्य मृत्यु दर, जो कि 1951 में 27.4 प्रति हजार थी, घटकर 1984 में, अनुमानतः 12.5 प्रति हजार हो गई और जन्म के समय जीवन संभावना 1941-51 में 32 वर्ष से बढ़कर 1982 में 55 वर्ष से अधिक हो गई। पचास के दशक में शिशु मृत्यु दर 146 थी जो घटकर 1984 में 104 हो गई।

संविधान के अनुसार "सरकार जनता के पोषाहार के स्तर तथा जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और जन-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रमुख कर्तव्यों में मानेगी।" इस निर्देश के परिपालन के लिए स्वास्थ्य को यथायोग्य प्राथमिकता दी गई है।

जन-स्वास्थ्य मूलतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य सुधार के संबंध में मार्गदर्शन करती है तथा योजनाएं प्रस्तुत करके सहायता करती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों के कार्यों में समन्वय करता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद स्वास्थ्य के सभी पहलुओं की नीति और कार्यक्रम के बारे में मंत्रालय को सलाह देती है।

### स्वास्थ्य योजनाएं

स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य संचारी रोगों का नियंत्रण और उन्मूलन करके ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज और रोकथाम की सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए हर सामुदायिक विकास खण्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया है और चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को और मजबूत किया गया है। चौथी योजना में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रभाव-शाली आधार तैयार करने के प्रयास किए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से रोगियों को आगे इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उप-मंडलीय और जिला अस्पतालों का विस्तार किया गया है। संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अभियान तेज किया गया है और तकनीकी जनशक्ति की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण को तेज किया गया है।

पाचवी योजना में मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं आदि के लिए परिवार नियंत्रण और पोषाहार तथा न्यूनतम जन-स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। छठी योजना में मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और गरीब लोगों के लिए मुबरी हुई प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का रहा है, वह भी इस सिद्धांत के अन्तर्गत कि 'बम लोगों की जरूरतों से ज्यादा ध्यान अधिक लोगों की जरूरतों पर दिया जाए'। वर्ष 2000 तक देश 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। बीस-सूत्री कार्यक्रम में लोगों के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने की आवश्यकता पर स्पष्ट बल दिया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वैच्छिक योजना के रूप में जन-प्रान्दोलन के तौर पर बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। साथ ही सबके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और कुष्ठ रोग, क्षय रोग और ग्रन्थेपन की रोकथाम करने तथा जनजातीय, पर्वतीय और पिछड़े इलाकों में महिला और बाल-कल्याण कार्यक्रमों और गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है।

जनसंख्या वृद्धि की दर को रोकने के लिए 1952 में परिवार कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। 1980 की नई अनुमानित नीति के अन्तर्गत पर अब यह कार्यक्रम जन-प्रान्दोलन बन गया है और परवर्ती उपलब्धियां सर्वसम्पत्ति में हुई हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 68 करोड़ 52 लाख थी। जनसंख्या में एक दशक (1971-81) में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले दशक 1961-71 की वृद्धि 24.80 प्रतिशत में मामूली अधिक है। मन् 2000 तक जन्म दर 21 तथा मृत्यु दर 9 प्रति हजार तक करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मंगाधित न्यूनतम प्राथमिकता कार्यक्रम के माध्यम से बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा संक्रामक रोगों का उन्मूलन या नियंत्रण स्वास्थ्य सेवा के केन्द्रीय बिन्दु हैं। पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने के काम को अब प्राथमिकता दी जा रही है।

स्वास्थ्य कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों जैसे कि नर्सों, सहाई निरीक्षकों, अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारियों, पैर-चिकित्सा निरीक्षकों, शैतिक चिकित्सकों आदि के लिए अब कई प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। पूरी स्वास्थ्य सुविधा पद्धति के स्तरीय पुन-निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा और सहायक कर्मचारी ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर कार्य करने की योजना बनायी गयी है। इन सेवाओं में थोड़े प्रशिक्षण के बाद सामुदायिक स्तर के कर्मचारियों, जैसे शिक्षकों, डाक वालों, ग्राम-सेवकों को सम्मिलित करने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

सारणी 9.1 में विभिन्न योजना अर्थधियों में पूर्ण निवेश का स्वरूप दिया गया है। (रुपये करोड़ों में)

योजनावधि	कुल योजना निवेश/परिव्यय	स्वास्थ्य पर योजना निवेश	कुल निवेश का प्रतिशत
1	2	3	4
पहली योजना	1,960.00	65.20	3.30
दूसरी योजना	4,672.00	140.80	3.00
तीसरी योजना	8,576.50	225.90	2.60

सारणी 9.1  
पूर्ण-निवेश का स्वरूप

1	2	3	4
वार्षिक योजनाएं	6,625.40	140.20	2.10
चौथी योजना	15,778.80	335.50	2.10
पांचवीं योजना	39,426.20	760.80	1.90
वार्षिक योजना	12,176.50	223.10	1.82
छठी योजना	97,500.00	1,821.10	1.86

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को भी सरकार से अनुदान सहायता योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता मिलती है, ये योजनाएं हैं—ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं सुधारने की योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल/डिस्पेंसरियां खोलने की योजना और अस्पताल भवनों के विस्तार तथा नए उपकरण खरीदने की योजना। इनके अलावा स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

### राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

#### मलेरिया

भारत में मलेरिया अब भी जनस्वास्थ्य के मामले में एक बड़ी समस्या है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय मलेरिया से पीड़ित साढ़े-सात करोड़ रोगी थे और हर वर्ष औसतन 8 लाख लोगों की मलेरिया के कारण मृत्यु होती है।

अप्रैल 1953 में सरकार ने मलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया। 1958 में इसका नाम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। इसके परिणाम आश्चर्यजनक रहे। इस कार्यक्रम का प्रभाव यह हुआ कि मलेरिया के रोगियों की संख्या घटकर सिर्फ एक लाख रह गई और 1965 में मलेरिया की वजह से एक भी रोगी के मरने की रिपोर्ट नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ तकनीकी, प्रशासनिक और संचालन संबंधी कारणों से कार्यक्रम को कुछ झटका लगा। 1966 में मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़कर एक लाख 48 हजार हो गई और 1976 में यह 64 लाख 67 हजार हो गई।

इस स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार ने अप्रैल 1977 में सुधरी हुई कार्य योजना चलाई। 1985 में अस्थायी आंकड़ों के अनुसार मलेरिया के सिर्फ 16 लाख 65 हजार मामले दर्ज किए गए।

कर्मचारियों को मलेरिया उन्मूलन के तरीकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली तथा बंगलौर, मुंबनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग और वदोदरा के क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों में दिया जाता है। भारतीय स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद् मलेरिया पर प्रयोगशालाओं में तथा खुले स्थानों पर अनुसंधान कार्य कर रही है।

#### फाइलेरिया

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 से चल रहा है। अनुमान है कि 30.4 करोड़ लोगों को फाइलेरिया हो सकता है। इनमें से डेढ़ करोड़ ऐसे हैं जिनमें इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और 2.1 करोड़ लोगों के रक्त में फाइलेरिया के सूक्ष्म रोगाणु विद्यमान हैं।

कार्यक्रम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अभी सारा ध्यान डिम्बक (लावा) नष्ट करने पर दिया जा रहा है। 197 फाइलेरिया नियंत्रण केन्द्र लगभग 3.4 करोड़ लोगों का इस रोग से बचाव कर रहे हैं। 148 फाइलेरिया चिकित्सालय भी कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर 12 हेडक्वार्टर ब्यूरो भी कार्य कर रहे हैं।

अब तक इस रोग की संभावना वाले 298 जिलों में से 235 में ही सर्वेक्षण किया गया है। 169 जिने ऐसे पाए गए हैं जहां फाइलेरिया रोग होने की संभावना है। अन्य जिलों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। फाइलेरिया के मामलों का पता लगाने और इलाज करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय स्तर के दो अनुसंधान केन्द्र काम कर रहे हैं। इनमें से एक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिने में और दूसरा केन्द्र आन्ध्र प्रदेश के श्रीशकुलम जिले में है।

फाइलेरिया की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली के अन्तर्गत तीन क्षेत्रीय केन्द्र कालीकट, राजमुन्दी और वाराणसी के क्षेत्रीय फाइलेरिया प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

चेचक

1947 से पूर्व चेचक दूसरी भीषण ज्वानलेवा बीमारी थी। 1962 में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिसमें व्यापक प्राथमिक टीका अभियान और जनसंख्या के वे कमजोर वर्ग जिन्हें यह बीमारी जल्दी लग सकती है, को फिर से टीका लगाने पर जोर दिया गया। परिणामतः जुलाई 1975 में चेचक की बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। फिर भी सतर्कता बरकराई जारी रखी गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यांकन आयोग द्वारा 23 अप्रैल 1977 तक भारत में चेचक के उन्मूलन की घोषणा कर दी गयी। अब समूचे विश्व को चेचक की बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

कुष्ठ रोग

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कुष्ठ रोग के मामलों की रिपोर्ट मिलती है। दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में इस रोग की अधिक प्राणका रहती है। इस समय देश में करीब चाबीस लाख लोगों को कुष्ठ रोग होने का अनुमान है। देश में कुष्ठ रोग होने की दर 5.7 प्रति हजार व्यक्ति है।

1955 में देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया था। पहले 25 वर्षों में इस कार्यक्रम की प्रगति धीमी रही। परन्तु छठी योजना अवधि में इस कार्यक्रम की गतिविधियों का कई नए क्षेत्रों में विस्तार करके तेजी से प्रगति हुई है। 31 मार्च 1986 को देश में 434 कुष्ठ रोग नियंत्रण यूनिट, 6785 सर्वेक्षण शिप्रा और इलाज केन्द्र, 721 शहरी कुष्ठ रोग केन्द्र, 74 सर्वरी यूनिट, 46 कुष्ठ रोग प्रशिक्षण केन्द्र, 26 अथवायी हस्पताल बार्ड थे, जो देश की अधिक आशका वाले कम आयांक वाले क्षेत्रों की लगभग 43 करोड़ जनसंख्या को मुक्ति का दान कर रहे थे।

कुष्ठ रोग के मामलों में इलाज के लिए यह पाया गया है कि प्रकैले डेपसोन औषधि देने से इच्छित प्रभाव नहीं पड़ता। रोगियों का तेजी से इलाज करने, अग्रगता को रोकने और मंक्रामक मामलों को ठीक करने के लिए रिफेमाइमोन, बनीकेनाईन और डेपसोन औषधियां मिलकर देने से बहुत लाभ होता है। 15 जिले पहले ही 'बहु-औषधि उपचार' के अन्तर्गत लाए गये हैं।

कुष्ठ रोग को 20 मंत्री कार्यक्रम में शामिल कर लेने के बाद इन गतिविधियों के विस्तार और इनकी देख-रेख की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

अब तक कुष्ठ रोग के 33 लाख 20 हजार मामलों का पता लगाया जा चुका है और 33 लाख 6 हजार रोगियों का इलाज हो रहा है। उपचार के प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 23 लाख रोगियों को ठीक करके छुट्टी दी जा चुकी है।

कार्यक्रम की ज़रूरत पूरी करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोले गए हैं। अब तक कुष्ठ रोग नियंत्रण के बारे में 1,515 चिकित्सा अधिकारियों और 10,210 अर्धचिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

कुष्ठ रोग के विरुद्ध संघर्ष में स्वैच्छिक संगठन भी सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और ये संगठन कुष्ठ रोग संस्थान, सर्वेक्षण, शिक्षा और इलाज की सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं और कुष्ठ रोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके अतिरिक्त ये संगठन कुष्ठ रोगियों और विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं।

## क्षयरोग

1955-58 में हुए राष्ट्रीय क्षयरोग सेम्पल सर्वेक्षण के अनुसार और बाद के वर्षों में हुए सीमित सर्वेक्षणों के अनुसार कुल जनसंख्या का करीब 1.5 प्रतिशत अब भी फेफड़ों की टी० बी० (क्षयरोग) से पीड़ित है और इनमें से एक चौथाई अर्थात् 0.4 प्रतिशत रोगियों को गले या कफ का टी० बी० है। गांवों में रहने वाले लोगों में भी इतने ही प्रतिशत लोग क्षयरोग से पीड़ित हैं। हमारे देश में कुल 80 प्रतिशत आबादी करीब छः लाख गांवों में रहती है, इसलिए क्षयरोग की समस्या मुख्य रूप से गांवों की समस्या है।

देश के करीब 431 जिलों में से 366 जिलों में उन्नत टी० बी० केन्द्र काम कर रहे हैं जो सामान्य स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर जिलावार तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम चलाते हैं। इनके अलावा लगभग 300 सामान्य टी० बी० अस्पताल भी हैं जो मुख्य रूप से शहरी इलाकों में स्थित हैं। तपेदिक की बीमारी का पता लगाने और उसका इलाज करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी सक्रिय रूप से सहयोग करते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्षयरोग कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियाँ तेज करने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य गाइड और बहुदेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी पूरी तरह लगे हैं।

देश के विभिन्न भागों में क्षयरोगियों के लिए अस्पतालों में लगभग 45,800 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। बंगलौर के राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान की स्थापना 1959 में की गई थी और यह चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। ये कर्मचारी जिला क्षयरोग कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करते हैं।

20-सूती कार्यक्रम में क्षयरोग कार्यक्रम शामिल करने के बाद इस पर अधिक जोर दिया गया है और इसके विस्तार के कार्यक्रम चलाए गए हैं। 1982-83 से प्रति वर्ष अज्ञात क्षयरोगियों का पता लगाने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और प्रति वर्ष लक्ष्य में वृद्धि की जाती है।

1982-83 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 10,81,000 तपेदिक के नये मामलों का पता लगाया गया है जबकि इस अवधि के लिए लक्ष्य 10

लाख का था। 1983-84 में साढ़े बारह लाख रोगियों का पता लगाने का लक्ष्य था और लगभग 12,09,000 मामलों का पता लगाया गया। इसी तरह 1985-86 में करीब 13,58,000 मामलों का पता लगाया गया जबकि लक्ष्य 14 लाख का था। इनके अलावा ग्रामीण इलाकों में धूक की जांच करके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर तपेदिक के नए मामलों का पता लगाने के लिए 1983-84 के बाद लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1983-84 में करीब 12,12,000, 1984-85 में करीब 17 लाख 31 हजार और 1985-86 में लगभग 20 लाख 33 हजार नए रोगियों के धूक की जांच की गई।

स्वैच्छिक संगठन भी देश में क्षयरोग की समस्या का मुकाबला करते हैं सरकार के प्रयासों की मदद कर रहे हैं और ये जिला/राज्य क्षयरोग एसोसिएशनो के माध्यम से देश भर के लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने में लगे हैं।

नव जन्म रोग  
प्रतिरक्षण कार्यक्रम

केन्द्र तथा राज्य सरकारें यौन जन्य रोगों (एस० टी० डी०) का नियंत्रण करने के उद्देश्य से सारे भारतवर्ष में 300 से अधिक एस० टी० डी० चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं। मुख्य रूप से ये चिकित्सालय जिला अस्पतालों के मुख्यालयों में स्थित हैं किन्तु कुछ राज्यों में जैसे तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश में यौन जन्य रोग चिकित्सालय छोटे स्तर पर अर्थात् उप-जिला मुख्यालयों में स्थित हैं।

चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित दो प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं, ये हैं—यौन जन्य रोग अध्ययन सत्यान, मद्रास; मेडिकल कालेज, मद्रास और एस० टी० डी० प्रशिक्षण एवं निदर्शन केन्द्र, और सफदरजग अस्पताल, नई दिल्ली। पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता में तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए नागपुर में एक-एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। सरकार के सिरोलोजिस्ट तथा रसायन परीक्षक के कार्यालय में एक क्षेत्रीय सन्दर्भ प्रयोगशाला कार्य कर रही है।

विघात

अन्वेषण पर नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1975-76 में शुरू हुआ और 1968 से चल रहा राष्ट्रीय रोहा नियंत्रण कार्यक्रम भी इसी में शामिल कर लिया गया। करीब साढ़े-चार करोड़ लोग दृष्टि रोग के शिकार हैं, जिनमें 90 लाख लोग दृष्टि-हीन हैं। इनमें से 60 लाख ऐसे हैं, जो आपरेशन से ठीक हो सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चलती-फिरती नेत्र इकाइयों के माध्यम से लोगों को नेत्र चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं तथा आंखों की रक्षा के बारे में जानकारी देना तथा जन-स्वास्थ्य की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत आंखों की चिकित्सा सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

देश के विभिन्न भागों में उपकरणों से सुसज्जित 80 चलती-फिरती इकाइयां चल रही हैं। प्रत्येक इकाई हर वर्ष 1,500 से 2,000 आपरेशन करती है। राज्यों में मेडिकल कालेजों तथा जिला अस्पतालों में सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था



की गयी है, जिससे आंखों के रोगों की चिकित्सा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण का स्तर सुधारा जा सके। 60 मेडिकल कालेजों में नेत्र चिकित्सा विभागों को विकसित करके उन्हें सामुदायिक नेत्र इकाई केन्द्र बना दिया गया है। 5 नेत्र संस्थाओं को क्षेत्रीय संस्थान का दर्जा दे दिया गया है और चार अन्य संस्थानों के विकास को स्वीकृति प्रदान की गयी है। चलती-फिरती इकाइयों के अलावा 404 अस्पतालों में एसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे प्रत्येक जिले में एका नेत्र इकाई प्रारम्भ कर सकें। 2,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आंखों के इलाज के उपकरणों की व्यवस्था अब तक कर दी गयी है। उन केन्द्रों में नेत्र चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति भी की जा रही है। वर्तमान 5 नेत्र विज्ञान संस्थान तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को विकास, अनुसंधान और विशेष संदर्भ सेवाओं हेतु जन-शक्ति की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नेत्र विज्ञान सहायकों के लिए 37 केन्द्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

रोहा तथा उससे सम्बन्धित अन्य तकलीफों की रोकथाम के लिए राज्यों को आंखों की दवा वितरित की जा रही है। सरकार स्वयंसेवी संगठनों तथा पंचायत समारों को प्रत्येक नेत्र शिविर के लिए 12,000 रुपये तथा प्रत्येक आपरेशन के लिए 60 रुपये देती है।

### कैंसर

शल्य क्रिया, रेडियो-विकिरण चिकित्सा तथा रासायनिक चिकित्सा पद्धति से कैंसर का इलाज करने की सुविधाएं इस देश में मेडिकल कालेजों सहित 150 अस्पतालों में हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थित 16 अस्पतालों तथा संस्थानों द्वारा कैंसर पर अनुसंधान किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने मुंह, वक्ष और गले के कैंसर पर देश में विभिन्न संस्थानों के सहयोग से अध्ययन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त बम्बई, मद्रास और बंगलौर में जनसंख्या पर आधारित कैंसर रजिस्ट्री और चण्डीगढ़, त्रिवेन्द्रम और डिब्रूगढ़ में हॉस्पिटल ट्यूमर रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है। कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और बम्बई के मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के अतिरिक्त छठी योजना में सरकार ने अहमदाबाद, बंगलौर, कटक, खालियर, गुवाहाटी और त्रिवेन्द्रम के वर्तमान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान की है। तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब में कोवाल्ट थिरेपी यूनिट के संस्थापन हेतु प्रत्येक राज्य को 10 लाख रुपये की सहायता राशि सरकार ने मंजूर की है। अब अप्रैल 1984 से इस 10 लाख रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है।

अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 मेडिकल कालेजों में प्रसव के बाद कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना की गयी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए भी सात केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कैंसर अनुसंधान इलाज कार्यक्रम के अंतर्गत असम, सिक्किम, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए 18 केन्द्र खोले गए हैं।

### गण्डमाला रोग

भारत में गण्डमाला रोग हिमालय की सभी उपशृंखलाओं के क्षेत्रों में व्याप्त है। इन क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार,

पश्चिम बंगाल और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों के हिस्से शामिल है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ जिलों में भी यह रोग पाया जाता है। इन क्षेत्रों में इसकी व्यापकता औसतन 30 प्रतिशत है, जो 10 से 60 प्रतिशत के बीच रहती है।

गण्डमाला रोग के प्रसंगत आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में राष्ट्रीय गण्डमाला रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। महामारी विज्ञान के अनुसार यह रोग मानसिक अवरोध, शारीरिक अवरोध (मुख्यतः बच्चों और किशोरों में), बहुरेपन तथा मानसिक विकलांगता से जुड़ा है। इससे बाद में गलतधि में कैसर भी हो सकता है। इस कार्यक्रम के लिए ये नीतियाँ अपनाई गयी हैं : (1) गण्डमाला रोग के क्षेत्रों का पता लगाना; (2) आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन तथा रोग प्रभावित क्षेत्रों को उसकी आपूर्ति। सार्वजनिक क्षेत्रों में 1980 तक आयोडीन युक्त नमक तैयार करने के 12 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। रोग वाले क्षेत्रों को लगातार पांच वर्ष तक आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति करने के बाद इस कार्यक्रम के प्रभाव को आँकने के लिए फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा।

जून 1983 से निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में व्यापारिक प्राधार पर आयोडीन युक्त नमक बनाना शुरू कर दिया गया है।

#### कालाजार

राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान का कालाजार नेल बिहार में कालाजार के रोगियों की संख्या और इससे मरने वालों की संख्या का पता लगाता रहा है। 1985 में इस रोग से मरने वालों की संख्या 26 थी और कुल रोगियों की संख्या 10,872 थी।

#### जापानी एंस्सिफलाइटिस

1977-78 में देश के विभिन्न राज्यों में जापानी एंस्सिफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) महामारी फैलने के बाद सरकार ने जापान सरकार के साथ इस रोग का टीका तैयार करने के बारे में एक समझौता किया। यह टीका कसौली के सी० आर० आई० में तैयार किया जा रहा है और इस समय इसकी किस्म नियंत्रित करने के परीक्षण चल रहे हैं। सभी परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूरे होने के बाद इस टीके का 1988-89 में पांच हजार लोगों पर परीक्षण किया जाएगा। धारणा है कि सी० आर० आई० 1988-89 में 10 लाख खुराक तैयार करेगा और इसकी उत्पादन क्षमता 1990 में बढ़कर 20 लाख खुराक तक हो जाएगी। 1984 में जापानी एंस्सिफलाइटिस के 3323 मामले सामने आए थे, जिनमें से 1390 रोगियों की मृत्यु हो गई थी। 1985 में 2381 मामले सामने आए थे और 913 रोगी मर गए थे।

#### अस्पताल और ओषधात्मक

चिकित्सा सेवाएं मुख्य रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारें प्रदान करती हैं। कई धर्माश्रम, स्वयंसेवी तथा निजी संस्थाएं भी चिकित्सा सहायता प्रदान करती हैं। जिला और उप-महलीय अस्पतालों की कमियां दूर कर उनका विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विकास किया जा रहा है। 1983 में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सरकारी और

5.35 लाख थी। जबकि 1951-52 में यह 1.13 लाख थी। अब विस्तार-जनसंख्या अनुपात 0.7 प्रति हजार है जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 0.24 प्रति हजार था। 1984 के अन्त में पंजीकृत डाक्टरों और नर्सों की संख्या लगभग 2.97 लाख और 1.71 लाख थी।

### केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

दिल्ली में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जुलाई 1954 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी। धीरे-धीरे यह योजना अन्य शहरों में भी चलाई गई और इस समय यह योजना इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, कानपुर, मेरठ, पटना, नागपुर, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद और लखनऊ में चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ—(क) केन्द्र सरकार के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों और उनके परिवारों, (ख) संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों और उनके परिवारों, (ग) केन्द्र सरकार के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की विधवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं से रिटायर हुए कर्मचारियों तथा उनके परिवारों, (घ) भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और भूतपूर्व राज्यपाल तथा उनके परिवारों, (ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायधीशों और उनके परिवारों, (च) कुछ चुने हुए अर्द्ध-सरकारी और स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों (केवल दिल्ली में), (छ) संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के स्टाफ के सदस्यों और उनके परिवारों, (ज) आम जनता के लोगों (केवल दिल्ली में) और (झ) मान्यता-प्राप्त पत्रकारों को दिए जाते हैं।

पेंशन पाने वालों की कठिनाइयों को देखते हुए इस योजना के लाभ प्राप्त करने की कुछ शर्तें और उदार बनाई गई हैं क्योंकि अधिक आयु होने के कारण इन लोगों को अधिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत पड़ती है। इन उदार शर्तों के अंतर्गत ये लोग अस्पताल में रहने का खर्च, हृदय रोग के लिए 'पेस मेकर' जैसे उपकरण खरीदने आदि की राशि वापस लेने के उसी तरह हकदार हैं, जैसे कि कार्यरत कर्मचारी।

1954 में जब यह योजना शुरू हुई तो एलोपैथिक इलाज की 16 डिस्पेंसरियां खोली गई थीं, जिनमें करीब दो लाख, तीस हजार लोग इलाज के लिए आते थे। अब आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और एलोपैथी जैसी विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की 281 डिस्पेंसरियां/अस्पताल हैं जिनसे लगभग 30 लाख 15 हजार लोग लाभान्वित होते हैं। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली में एक योग केन्द्र भी है इसके अलावा विभिन्न शहरों में इस योजना के अंतर्गत अस्पताल और प्राइवेट डाक्टरों से विशेष चिकित्सा परामर्श की सुविधाएं भी हैं। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि में इस योजना के अंतर्गत 162 सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता दी गई है, जहां इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले कर्मचारियों को विशेष इलाज और अस्पताल की सुविधाएं मिल सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में शामिल होने वाला मद्रास का अपोलो अस्पताल सबसे बड़ा है। इसे हृदय रोग

संबंधित कोरोनरी बार्ड-माउ सर्जरी के लिए मान्यता दी गयी है, क्योंकि इस रोग के लिए देग में बहुत कम अस्पताल हैं।

**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**

30 जून 1986 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 87,819 उप-केन्द्रों, 12,289 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों। 3,688 सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों और 767 पदोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्तर्गत कार्यरत बड़ी संख्या में ग्रामीण डिस्पेंसरियों के अतिरिक्त 5.45 लाख प्रतिशित दाइयाँ तथा 3.90 लाख स्वास्थ्य परिचारिकों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। इन मुक्तिघातों को धीरे-धीरे और बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि वर्ष 2000 तक प्रत्येक 30,000 लोगों के लिए (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 20,000) एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रति 5,000 लोगों (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 3,000) के लिए एक उप-केन्द्र तथा प्रति एक लाख लोगों के लिए पदोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) हो जाएं। जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू की जा रही है वहाँ छोटी योजना भवधि के अन्त तक सभी गांवों में एक प्रतिशित दाई तथा एक स्वास्थ्य परिचारक नियुक्त करने का प्रस्ताव है। फिर भी यह धाशा की जाती है कि 1987-88 के अंत तक देश के प्रत्येक गांव में एक प्रतिशित दाई तथा एक स्वास्थ्य परिचारक उपलब्ध होंगे।

**चिकित्सा की भारतीय पद्धति और हीम्योपैथी**

चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों में, होम्योपैथी को छोड़कर, एलोपैथी पद्धतियों के अलावा अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियां शामिल हैं, जैसे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, प्राकृतिक, योग और ग्रामची।

करीब 2 लाख 91 हजार पंजीकृत डाक्टर इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इस समय भारतीय चिकित्सा पद्धति की 13,294 डिस्पेंसरियां और 1,665 अस्पताल/वाडें काम कर रहे हैं, जिनमें 18,179 विस्तरों की व्यवस्था है।

**स्नातक-पूर्व शिक्षा**

देग में इस समय 97 आयुर्वेदिक कालेज, 18 यूनानी कालेज और एक सिद्ध कालेज चल रहा है जिनमें से 55 आयुर्वेदिक कालेज और 12 यूनानी कालेज गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। तीन आयुर्वेदिक कालेज और 4 यूनानी चिकित्सा कालेज अभी विरवविद्यालयों में सम्बद्ध किये जाने हैं। स्नातक-पूर्व शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष अर्द्ध-आयुर्वेद में 3872, यूनानी के लिए 675 और सिद्ध के लिए 100 लोगों के प्रवेश की क्षमता है। तमिलनाडु में पलनी में एक सिद्ध कालेज के लिए स्वीकृत दी गई है।

**स्नातकोत्तर शिक्षा**

जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अलावा बनारस हिन्दू विरवविद्यालय, वाराणसी और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर दो स्नातकोत्तर शिक्षा के संस्थान हैं। आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा के अध्ययन की सुविधा 20 कालेजों में है, जिनमें महाराष्ट्र के चार गैर-सरकारी कालेज शामिल हैं।

इन कालेजों में से दो यूनानी चिकित्सा पद्धति के अध्ययन के लिए हैं और एक सिद्ध चिकित्सा के लिए है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्वेद में 250, यूनानी चिकित्सा के लिए 27 और सिद्ध के लिए 20 विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता है।

सरकार ने कर्नाटक सरकार के सहयोग से बंगलूर में यूनानी चिकित्सा के राष्ट्रीय संस्थान के लिए स्वीकृति दी है।

नई दिल्ली स्थित भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा और सिद्ध की शिक्षा और प्रयोग को नियंत्रित करती है।

### होम्योपैथी

होम्योपैथी में स्नातक-पूर्व शिक्षा के लिए 110 संस्थान हैं, जिनमें से 90 गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। कलकत्ता का राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा देगा। इस समय यह होम्योपैथी के सर्वोच्च डिप्लोमा में साढ़े चार वर्ष का डिप्लोमा पूरा करने वालों को होम्योपैथी का सर्वोच्च डिप्लोमा देता है। 42 संस्थान विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं और शेष 68 बोर्डों के अन्तर्गत चलाए जा रहे हैं। डिग्री पाठ्यक्रमों में 2,673 और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 4,268 के प्रवेश की क्षमता है। होम्योपैथी में शिक्षण स्तरों और व्यावसायिक प्रयोगों का नियमन केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् करती है।

देश में होम्योपैथी पद्धति के 122 अस्पताल/वार्ड हैं जिनमें 3,388 विस्तरों की व्यवस्था है और 2,296 डिस्पेंसरियां हैं तथा 1,24,000 के होम्योपैथी के डाक्टर हैं।

### लाज

चिकित्सा की प्राकृतिक पद्धति के बारे में प्रशिक्षण के लिए दो कालेज गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं जिनमें कुल 50 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जाता है। केवल एक कालेज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। इसके अलावा पुणे में स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोला गया है।

### अनुसंधान

चार अनुसंधान परिषदें, यथा—(1) केन्द्रीय आयुर्वेद और व सिद्ध अनुसंधान परिषद्, (2) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, (3) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, (4) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, पंजीकृत समितियां हैं और इनके लिए सरकार पूरी वित्त व्यवस्था करती है।

केन्द्रीय आयुर्वेद व सिद्ध अनुसंधान परिषद् अपने 5 केन्द्रीय प्रमुख अनुसंधान संस्थानों, 8 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों, 10 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों और 67 अनुसंधान यूनिटों तथा 17 अनुदान प्राप्त पृच्छताछ केन्द्रों के माध्यम से बहु-आयामी अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है जिनमें से मुख्य रूप से व्यावहारिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण, विविध औषधि अनुसंधान, स्वास्थ्य देख-भाल अनुसंधान सेवाएं, साहित्यिक अनुसंधान और देशीय गर्भ-निरोधकों के बारे में अनुसंधान कार्य शामिल हैं।

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद का एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, 7 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, 10 चिकित्सा अनुसंधान यूनिट, 5 औषधि मानकीकरण अनुसंधान यूनिट, एक नाहिनिक अनुसंधान यूनिट, एक केन्द्रीय जड़ी बूटी उद्यान, तीन चिकित्सा पौध सर्वेक्षण यूनिट, एक नृचना केन्द्र, और दो परिवार कल्याण अनुसंधान पृष्ठ-उपग्रह केन्द्र हैं।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद का एक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, दो क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, 34 चिकित्सा अनुसंधान यूनिट (आदिवासी क्षेत्रों की 20 यूनिटों सहित) 4 औषधि प्रमानोकरण अनुसंधान यूनिट, 2 औषधि मानकीकरण यूनिट, 4 चिकित्सा ज्ञान यूनिट, एक चिकित्सा पौध सर्वेक्षण यूनिट, एक अनुदान सहायता यूनिट है, जो विभिन्न चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा साहित्य और सर्वेक्षण अनुसंधान कामों में लगे हैं।

केन्द्रीय आयुर्वेद व सिद्ध अनुसंधान परिषद एक वैज्ञानिक पत्र जर्नल ऑफ रिचर्स इन आयुर्वेद एंड सिद्ध, और बुनेटिन ऑफ इंडियन इंटीग्रेटिड ऑफ हिन्दी ऑफ मेडिसिन, और बुनेटिन ऑफ मेडिको एथनो बोटैनिक्ल रिचर्स प्रकाशित करती है। परिषद ने दो खण्डों में फार्मास्यूटिकल ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स भी प्रकाशित की है। केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने लिआना-ए-ब्रुदिया का संगोष्ठित संस्करण छापा है और कुनिपाठ-ट्रैन-ए-रन्द को अरबी भाषा में प्रकाशित किया है।

केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 13 प्राकृतिक चिकित्सा परिशोधनाओं और 11 योग परिशोधनाओं को सहायता दी है। पूर्ण रूप से केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्वायत्त संगठन केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, योग के बारे में विभिन्न मूलभूत अनुसंधान कामों में लगे हैं। त्रिवापटन योगाथन सहायता प्राप्त निजी पंजीकृत संस्था है, जहाँ योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके अलावा देग के विभिन्न भागों में अनेक योग प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जो स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जाते हैं।

### भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम

अच्छी विज्ञान की आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध औषधियों का उत्पादन करने के मुख्य उद्देश्य को लेकर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रतिष्ठान खोला है—भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम। यह कारखाना और इसका पंजीकृत कार्यालय अल्मोड़ा त्रिने में मोहान में है। यह एक संयुक्त उद्योग है। उत्तर प्रदेश सरकार इस परिशोधना में राज्य सरकार के सरकारी प्रतिष्ठान कुनाऊ मंडल विकास निगम के माध्यम से सम्मिलित है। इस निगम ने 1983-84 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इस कारखाने में बड़ी संख्या में औषधियों का उत्पादन होता है, जो मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार स्वाम्य सेवा की इलेक्ट्रियो और मंत्रालय की अनुसंधान संस्थानों की सप्लाई की जाती है।

### फार्मास्यूटिकल प्रयोगशालाएं

गात्रियाबाद में स्थित भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला और होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल प्रयोगशाला मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में चलाए जा रहे हैं।

भारतीय औषधि की फार्माकोपोइयल प्रयोगशाला आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों की औषधियों के मानकीकरण का कार्य करती हैं। इसके लिए अकेली औषधि और मिश्र औषधियों के बारे में अनुसंधान होता है।

होम्योपैथी फार्माकोपिया प्रयोगशाला 1975 में स्थापित की गयी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर औषधियों का मानकीकरण करने के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। यह प्रयोगशाला होम्योपैथिक फार्माकोपिया आफ इण्डिया के लिए होम्योपैथिक दवाओं के विभिन्न मानक भी निर्धारित करती है।

## औषध

औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और समय-समय पर संशोधन के अनुसार, विदेशों से औषध और सौन्दर्य प्रसाधन का सामान मंगवाने तथा देश में उनके निर्माण, विक्रय और वितरण के कार्य को नियमित करता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कम प्रभावकारी, मिलावटी और गलत ब्रांड की औषधियों के विदेशों से मंगवाने तथा देश में उनके निर्माण और विक्रय पर रोक लगा दी गई है। सरकार को विदेशों से मंगायी दवाइयों की किस्म को जांचने, राज्य-सरकारों की गतिविधियों में समन्वय करने, औषधियों के नियामक मानक निर्धारित करने और नई औषधियों को विदेशों से आयात करने या देश में बनाने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त है। निर्माण, विक्रय तथा वितरण की जाने वाली दवाइयों के स्तर पर नियंत्रण रखना राज्य सरकारों का काम है। केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, जो बम्बई, कलकत्ता, गाजियाबाद और मद्रास में हैं, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य संगठनों के साथ ताल-मेल रखते हैं। यह संगठन औषधि मानक नियंत्रण में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता, केन्द्र और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से विदेशों से आयातित दवाइयों का परीक्षण और देश में निर्मित औषधियों की गुणवत्ता पर नियंत्रण करती है तथा औषध और प्रसाधन वस्तु अधिनियम के अधीन अदालतों द्वारा भेजे गए नमूनों के लिए एक अपीलैबल प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है। गाजियाबाद की केन्द्रीय भारतीय फार्माकोपिया प्रयोगशाला अज्ञेय औषधियों के नमूनों की जांच करती है जो भारतीय फार्माकोपिया में शामिल हैं।

## औषधि-मूल्य

विपुल मात्रा में बनने वाली औषधियों के मूल्यों पर 1962 से ही कानूनी नियंत्रण रहा है किन्तु प्रभावी रूप से यह नियंत्रण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 जिसका स्थान अब औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 ने ले लिया है, के अन्तर्गत 1970 से लागू हुआ। इन उपायों के फलस्वरूप दवाओं और औषधियों की शोक कीमतों की मूल्य-सूची अन्य वस्तुओं की तुलना में स्थिर ही रखी गई है।

## टीका उत्पादन

पोलियो और खसरा को छोड़कर बाकी सब रोगों के लिए निरोधक टीका कार्यक्रम के लिए आवश्यक टीकों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। पोलियो के

टीके का प्रायात घोल के रूप में किया जाता है और फिर यहाँ इसे पतला करके बम्बई में हाफकिन बायो-फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड में शीघियों में भरा जाता है। पोलियो टीके का देश में ही उत्पादन शुरू किया जा रहा है।

### रोग निरोधक टीका कार्यक्रम

बाल मृत्यु या बच्चों में बीमारियाँ मुख्य रूप से छूत के रोगों के कारण होती हैं। पेचिश, दस्त, अतिसार और कुपोषण को छोड़कर अधिकतर बीमारियों की रोकथाम टीका लगाकर की जा सकती है। इन रोगों के गम्भीर रूप धारण करने की स्थिति में, बच्चे भ्रंग भी हो जाते हैं। बच्चों की भ्रंगता और बाल-मृत्यु की रोकथाम में कम लागत वाले टीकों के प्रभावशाली परिणामों को देखते हुए सरकार ने 1978 में रोग निरोधक टीके लगाने का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल मृत्यु, बालरोग और डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस और तपेदिक के रोगियों को रोग निरोधक टीके की सुविधाएँ उपलब्ध कराना था इस कार्यक्रम में पोलियो और टायफाइड के टीके लगाने का काम 1977-80 में और 1980-81 में टी० टी० (स्कूली बच्चे) कार्यक्रम शामिल किया गया। 1985-86 में चुने हुए जिलों में खसरे के टीके लगाना भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को 2 टीके लगाए जाते हैं या टिटनेस टॉक्साइड की बूस्टर खुराक दी जाती है ताकि नवजात शिशु को टिटनेस होने की आशंका न रहे।

टीका लगाने का कार्यक्रम दीर्घविधि है। रोग निरोधक टीके की सेवाएँ वर्तमान स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं और इसके लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, या कोई अलग काडर नहीं है। ये सेवाएँ झुआको में प्रम्पनालो, डिस्पेंसरियों और एम० सी० एच० क्लिनिकों में तथा ग्रामीण झुआको में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों में उपलब्ध हैं। जो गाव स्वास्थ्य केन्द्रों से बहुत दूर हैं, वहाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाकर टीके लगाते हैं।

1985-86 में देश में सभी को रोग निरोधक टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें लक्ष्य यह रखा गया था कि 1990 तक सभी जहरतमंद बच्चों (85 प्रतिशत) को डी० पी० टी० और पोलियो के तीन-तीन टीके और बी० सी० जी० तथा खसरे का एक-एक टीका लगा दिया जाए और सभी गर्भवती महिलाओं (100 प्रतिशत) को टिटनेस टॉक्साइड की दो खुराक (या एक बूस्टर खुराक) दे दी जाए। मातृवी योजना अवधि में कुल 8 करोड़ 22 लाख बच्चों को और सवा नौ करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने की योजना थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिश्चित सामग्री, उपकरण और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी को रोग निरोधक टीके लगाने का कार्यक्रम शुरू में 30 चुने हुए जिलों में चलाया गया था। 1986-87 में 62 और जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया। 1987-88 में 90 और 1988-89 में 120 नये जिलों में तथा शेष सभी जिलों में 1989-90 में इसे चलाने का प्रस्ताव है।



## आपत्तिजनक विज्ञापन

श्रीपथि तथा चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1955 के अनुसार उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें यौन रोगों तथा स्त्री रोगों के अद्भुत उपचार तथा कामोत्तेजक श्रीपथियों का प्रचार किया जाता है। 1963 में संशोधित किए गए इस अधिनियम के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा डाक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर विदेशों से आने वाली तथा देश से जाने वाली ऐसी सभी वस्तुओं पर रोक लगाई जा सकती है जिनमें आपत्तिजनक विज्ञापन हों।

## चिकित्सा सामग्री डिपो तथा कारखाने

चिकित्सा भण्डार संगठन सात केन्द्रों—बम्बई, कलकत्ता, गुवाहाटी, हैदराबाद, करनाल मद्रास तथा दिल्ली स्थित उपकेन्द्रों द्वारा समूचे देश में स्थित करीब 16,000 अस्पतालों और श्रीपथालय को उच्च कोटि का चिकित्सा सम्बन्धी सामान कम दामों पर खरीद कर देता है। चिकित्सा सामग्री डिपो बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से सम्बद्ध संगठन की तीन रसायन प्रयोगशालाएँ हैं तथा मद्रास में दवाओं का जैविक परीक्षण करने के लिए एक स्वतन्त्र जैविक प्रयोगशाला और पशु गृह है। इस संगठन से अधिकतर ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित छोटे अस्पताल और डिस्पेंसरियां दवाएं खरीदती हैं।

इसे यूनीसेफ, एस० आई० डी० ए०, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यू० एस० ए० आई० डी० आदि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सप्लाई मिलती है और यह इन श्रीपथियों को देश के विभिन्न भागों में वितरित करता है। यह संगठन कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, क्षयरोग निरोधक कार्यक्रम, मलेरिया निवारण कार्यक्रम और परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न श्रीपथियां वितरित करने का काम भी संभालता है। देश के सभी भागों में सूखा, बाढ़, समुद्री, तूफान, युद्ध और दंगों जैसी प्राकृतिक या राष्ट्रीय विपदाओं के समय भी पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए श्रीपथियां यही संगठन उपलब्ध कराता है। हाल में इस संगठन ने देश भर की केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत आने वाली डिस्पेंसरियों के मेडिकल स्टोरों को श्रीपथियां सप्लाई करने का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर विदेशों को मुफ्त श्रीपथियां भी यही संगठन भेजता है।

संगठन के बम्बई और मद्रास स्थित कारखानों में टिक्चर, पट्टियों, शवंत, गोलियों और मरहम आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है जिससे उन यूनिटों की जरूरतें पूरी की जाती हैं जो संगठन से इन चीजों की मांग करते हैं।

## खाद्य पदार्थों में मिलावट

1 जून 1955 से खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954 लागू किया गया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को बेची गयी वस्तुएं स्वास्थ्यवर्द्धक और शुद्ध हैं। इसका एक अन्य लक्ष्य छल-कपट, धोखा-धड़ी की रोक-थाम कर उचित व्यापार पद्धति को बढ़ावा देना है।

इस अधिनियम में 1964 में संशोधन हुआ था तथा इसकी कुछ खामियों को दूर कर पुनः 1976 में संशोधित करके अधिनियम में सख्त सजा का प्रावधान किया गया। अधिनियम के अनुसार मिलावट प्रमाणित होने पर कम से कम छः माह का कारावास तथा 1,000 रुपये का अर्थ दण्ड है, जबकि मिलावट के उन मामलों में जिनमें खाद्य

मिलावट से मृत्यु भ्रयवा गम्भीर क्षति संभव है, आजीवन कारावास की सजा और कम-से-कम 5,000 रुपये का भ्रय दण्ड हो सकता है।

खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम का संचालन तथा इसके अन्तर्गत किए जाने वाले प्रावधान का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों का है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार बृहद नीतियाँ निर्धारित करती है और खाद्य-पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम तथा नियमों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक संशोधन आदि करती है। कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को परामर्श भी देती है।

केन्द्रीय भ्रयवा राज्य सरकारों को अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए 'केन्द्रीय खाद्य मानक समिति' नाम की एक संवैधानिक समिति है। इस समिति की सहायता विभिन्न तकनीकी उपसमितियाँ करती हैं।

आमतौर पर अधिनियम को स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाता है। इस सम्बन्ध में राज्यों को शिक्षित एवं अनुभवी कमियों से युक्त धलंग खाद्य एकक स्थापित करने की सलाह दी गई है।

चार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ इस प्रकार हैं: (1) सी०एफ०टी०आर० आई० में स्थित मैसूर को केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर, (2) खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद में स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद, (3) राज्य जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे की केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पुणे और (4) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता। न्यायालयों द्वारा इन अपील प्रयोगशालाओं में नमूने भेजे जाते हैं। प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्टें में अन्तर्निहित तथ्यों के वितरण को अन्तिम और निर्णायक साध्य माना जाता है।

राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के नियंत्रण में भी 73 खाद्य प्रयोगशालाएँ हैं। खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूने इन प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं और रिपोर्टों के आधार पर न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ होता है। इन प्रयोगशालाओं को सुमज्जित करने में केन्द्र सरकार ने भी सहायता प्रदान की है।

एफ०ए०ओ०/डब्ल्यू०एच०ओ० मानक खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कोडबस सभरण आयोग की स्थापना विश्वव्यापी मानक खाद्य प्रतिपादित करने के लिए हुई है। भारत भी इस विश्व निकाय का सदस्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय कोडबस समिति का गठन किया गया है जिसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक कार्यक्रम से गव-धित विभिन्न विषयों पर भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिपादित करना है।

प्रशिक्षण, खाद्य मिलावट रोकथाम कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, अतः स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954 तथा 1955 के नियमों को लागू कराने में सम्बद्ध पदाधिकारियों को मेला के दौरान ही प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्यक्रम आयोजित करता है।

राज्यों में अधिनियम को लागू करने के लिए सम्बद्ध खाद्य निरीक्षकों, विरलेषको तथा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देग की विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से प्रशिक्षण का आयोजन करता है। विश्व स्वास्थ्य

संगठन विश्लेषकों को फेलोशिप भी प्रदान करता है जिसका उद्देश्य उन्हें विश्लेषण के नवीनतम तरीकों की जानकारी प्रदान करना है।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कार्यों के समन्वय का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य मंत्रालय का है। मंत्रालय राज्यों में कार्यान्वित खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम तथा नियमों के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार मिलावट के प्रतिशत में कमी हुई है। इसके अनुसार 1978 तथा 1984 में मिलावट का प्रतिशत क्रमशः 84.4 और 12.2 था।

## पोषाहार

पोषाहार सम्बन्धी मुख्य समस्याएँ हैं: प्रोटीन की कमी, ऊर्जा और शक्ति की कमी से कुपोषण, विटामिन 'ए' की कमी और खून की कमी। गण्डमाला रोग बहुत फैला हुआ है जबकि पलूरोसिस और लैथिरिज्म बीमारियाँ कुछ क्षेत्रों के लोगों को ही होती हैं।

सबसे अधिक राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य निदेशालयों में राज्य पोषाहार डिविजन स्थापित किए गए हैं। ये डिविजन विभिन्न वर्गों के लोगों में पोषाहार के स्तर और उनके आहार का मूल्यांकन करते हैं और पोषाहार शिक्षा अभियान चलाते हैं, पूरक आहार कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं तथा पोषाहार को बढ़ावा देने के उपाय करते हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की देखरेख में राज्य पोषाहार बोर्डों और राष्ट्रीय पोषाहार निगरानी ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश में बड़ी संख्या में लोग प्रोटीन कैलोरी के कुपोषण और अल्पता की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें से भी ज्यादातर छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और दूध पिलाने वाली माताएँ इन रोगों की शिकार होती हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अनेक पोषाहार कार्यक्रम चला रही है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक आहार, पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, जांच-सेवाएँ, रोग निरोधक टीके, स्वास्थ्य की जांच और अनौपचारिक शिक्षा आदि की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत छठी योजना के अन्त तक 1000 विकास खण्डों को लाया जा चुका था और आशा है कि सातवीं योजना के दौरान 1000 और विकास खण्डों में भी यह योजना शुरू कर दी जाएगी। पूरक आहार उपलब्ध कराने सम्बन्धी विशेष पोषाहार कार्यक्रम को धीरे-धीरे समेकित बाल विकास सेवा योजना में ही मिला दिया जाएगा।

भोजन में विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर छः महीने बाद विटामिन 'ए' की विशेष खुराक बच्चों को देते हैं। इसी प्रकार महिलाओं और बच्चों में पोषाहार की कमी की वजह से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए लौह और फोलिक एसिड की गोलियाँ भी स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से बाँटी जाती हैं।

स्तनपान को बेहतर पोषण के रूप में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने सरक्षण और वच्चों के लिए स्तनपान को प्रोत्साहन देने हेतु एक राष्ट्रीय महिला अर्पनाई है।

हैदराबाद का राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान और कलकत्ता का अखिल भारतीय शारीरिक स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य संस्थान देश में पोषाहार कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रमुख संगठन हैं।

चिकित्सा शिक्षा  
तथा अनुसंधान

चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में 106 मेडिकल कालेज कार्य कर रहे हैं, जबकि 1950-51 में इनकी संख्या 30 थी। 25 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय और 11 अन्य संस्थान भी कार्यरत हैं। नए मेडिकल कालेजों की स्थापना और स्थानित महाविद्यालयों के विस्तार से वार्षिक प्रवेश क्षमता 1984-85 में 12,958 हो गई जबकि 1950-51 में यह 2,500 थी।

भारतीय चिकित्सा परिषद, महाविद्यालयों के स्तर को कायम रखने के लिए सरक्षक संस्था का काम करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रमण्डल फाउण्डेशन तथा कोलम्बो योजना से फेलोशिप के रूप में विदेशी सहायता मिल रही है। विभिन्न चिकित्सा एवं सार्वजनिक चिकित्सा कार्यक्रमों के अन्तर्गत कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधाओं में इस प्रकार की सहायता लाभदायक है। वर्ष 1984 के दौरान 85 व्यक्तियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन फेलोशिप के लिए, 94 व्यक्तियों को कोलम्बो योजना फेलोशिप के लिए और 54 व्यक्तियों को राष्ट्रमण्डलीय फेलोशिप के लिए नामजद किया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सहायित विषयों में प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1984 के दौरान भारत में विभिन्न संस्थानों में विभिन्न देशों के 290 'फेलो' भरती किए गए।

बड़े अस्पतालों से सम्बद्ध 340 से अधिक नर्सिंग स्कूल हैं। इन स्कूलों से निकलने वाली नर्सों/डाइयों की संख्या लगभग 7,750 है। ये स्कूल अपने-अपने राज्यों की नर्सिंग काउन्सिल से सम्बद्ध हैं। प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास होना है। विज्ञान विषय वाला को धरीयता दी जाती है।

देश में इस समय सहायक नर्सों और डाइयों के लिए तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 411 स्कूल हैं जिनमें 20,345 स्थान हैं और महिला स्वास्थ्य विज्ञितों के प्रशिक्षण के लिए 44 विशेष स्कूल हैं जिनमें 3,191 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। इन प्रशिक्षण स्कूलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उप केन्द्र स्तर पर नियुक्त किया जायेगा। सहायक नर्सों/डाई/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होना है और पाठ्यात्मिक पदोन्नति प्रशिक्षण के लिए पांच वर्ष के अनुभव वाली वरिष्ठ नर्सों/डाइयों को चुना जाता है।

नर्सों

संगठन विश्लेषकों की फेलोशिप भी प्रदान करता है जिसका उद्देश्य उन्हें विश्लेषण के नवीनतम तरीकों की जानकारी प्रदान करना है।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कार्यों के समन्वय का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य मंत्रालय का है। मंत्रालय राज्यों में कार्यान्वित खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम तथा नियमों के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार मिलावट के प्रतिशत में कमी हुई है। इसके अनुसार 1978 तथा 1984 में मिलावट का प्रतिशत क्रमशः 84.4 और 12.2 था।

## पोषाहार

पोषाहार सम्बन्धी मुख्य समस्याएं हैं: प्रोटीन की कमी, ऊर्जा और शक्ति की कमी से कुपोषण, विटामिन 'ए' की कमी और खून की कमी। गण्डमाला रोग बहुत फैला हुआ है जबकि फ्लुरोसिस और लैथिरिज्म बीमारियां कुछ क्षेत्रों के लोगों को ही होती हैं।

सत्रह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य निदेशालयों में राज्य पोषाहार डिवीजन स्थापित किए गए हैं। ये डिवीजन विभिन्न वर्गों के लोगों में पोषाहार के स्तर और उनके आहार का मूल्यांकन करते हैं और पोषाहार शिक्षा अभियान चलाते हैं, पूरक आहार कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं तथा पोषाहार को बढ़ावा देने के उपाय करते हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की देखरेख में राज्य पोषाहार बोर्डों और राष्ट्रीय पोषाहार निगरानी ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि देश में बड़ी संख्या में लोग प्रोटीन कैलोरी के कुपोषण और अल्पता की बीमारियों से ग्रस्त हैं। इनमें से भी ज्यादातर छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इन रोगों की शिकार होती हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अनेक पोषाहार कार्यक्रम चला रही है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक आहार, पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, जांच-सेवाएं, रोग निरोधक टीके, स्वास्थ्य की जांच और अनौपचारिक शिक्षा आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत छठी योजना के अन्त तक 1000 विकास खण्डों को लाया जा चुका था और आशा है कि सातवीं योजना के दौरान 1000 और विकास खण्डों में भी यह योजना शुरू कर दी जाएगी। पूरक आहार उपलब्ध कराने सम्बन्धी विशेष पोषाहार कार्यक्रम को धीरे-धीरे समेकित बाल विकास सेवा योजना में ही मिला दिया जाएगा।

भोजन में विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में होने वाले अंधेपन की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर छः महीने बाद विटामिन 'ए' की विशेष खुराक बच्चों को देते हैं। इसी प्रकार महिलाओं और बच्चों में पोषाहार की कमी की वजह से होने वाली रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए लौह और फोलिक एसिड की गोलियां भी स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से बांटी जाती हैं।

स्तनपान को बेहतर पोषण के रूप में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने संरक्षण और बच्चों के लिए स्तनपान को प्रोत्साहन देने हेतु एक राष्ट्रीय महिना प्रपनाई है।

हैदराबाद का राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान और कलकत्ता का प्रशिक्षित भारतीय शारीरिक स्वच्छता और जन-स्वास्थ्य संस्थान देश में पोषाहार कार्यकर्ताओं के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण के प्रमुख संगठन हैं।

### चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान

चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में 106 मेडिकल कॉलेज कार्य कर रही हैं, जबकि 1950-51 में इनकी संख्या 30 थी। 25 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय और 11 अन्य संस्थान भी कार्यरत हैं। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्थापित महाविद्यालयों के विस्तार से वार्षिक प्रवेश क्षमता 1984-85 में 12,958 हो गई जबकि 1950-51 में यह 2,500 थी।

भारतीय चिकित्सा परिषद, महाविद्यालयों के स्तर को कायम रखने के लिए संरक्षण संस्था का काम करती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रमण्डल फाउण्डेशन तथा कोलम्बो योजना से फेलोशिप के रूप में विदेशी सहायता मिल रही है। विभिन्न चिकित्सा एवं सार्वजनिक चिकित्सा कार्यक्रमों के अन्तर्गत कामियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधाओं में इस प्रकार की सहायता लाभदायक है। वर्ष 1984 के दौरान 85 व्यक्तियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन फेलोशिप के लिए, 94 व्यक्तियों को कोलम्बो योजना फेलोशिप के लिए और 54 व्यक्तियों को राष्ट्रमण्डलीय फेलोशिप के लिए नामजद किया गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1984 के दौरान भारत में विभिन्न संस्थानों में विभिन्न देशों के 290 'फेलो' भरती किए गए।

### नर्स

बड़े अस्पतालों से सम्बद्ध 340 से अधिक नर्सिंग स्कूल हैं। इन स्कूलों से निकलने वाली नर्सों/दाइयों की संख्या लगभग 7,750 है। ये स्कूल अपने-अपने राज्यों की नर्सिंग काउन्सिल से सम्बद्ध हैं। प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास होना है। विज्ञान विषय वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

देश में इस समय सहायक नर्सों और दाइयों के लिए तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 411 स्कूल हैं जिनमें 20,345 स्थान हैं और महिला स्वास्थ्य विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए 44 विशेष स्कूल हैं जिनमें 3,191 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश मिल सकता है। इन प्रशिक्षण स्कूलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जब केन्द्र स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। सहायक नर्सों/दाइयों/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होना है और पाठ्यात्मिक पदोन्नति प्रशिक्षण के लिए पाच वर्ष के अनुभव वाली वरिष्ठ नर्सों/दाइयों को चुना जाता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्यद्ध 19 नर्सिंग कालेज वी०एस०सी० (नर्सिंग) तथा 10 कालेज नर्सों के वी०एस०सी० के वाद के पाठ्यक्रम चलाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 400 नर्स वी०एस०सी० की डिग्री तथा 200 पोस्ट-वैसिक नर्सिंग में डिग्री प्राप्त करती हैं।

प्रमाणपत्र तथा डिग्री के अतिरिक्त अन्य पांच कालेज नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करते हैं, ये कालेज हैं—एस०एन०डी०टी०, बम्बई; आर०ए०के० कालेज ऑफ नर्सिंग, दिल्ली; कालेज ऑफ नर्सिंग, वेल्डोर; कालेज ऑफ नर्सिंग, चण्डीगढ़ तथा कालेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद। दो राज्य, त्रिवेन्द्रम एवं अहमदाबाद में नर्सिंग स्नातकोत्तर डिग्री शुरू करने वाले हैं। प्रतिवर्ष लगभग 30-35 नर्स स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करती हैं।

इंडियन नर्सिंग काउन्सिल, जो नर्सिंग शिक्षा स्तर को बनाए रखने का नियन्त्रण कार्य करती है, सभी स्कूलों तथा कालेजों का निरीक्षण करती है। परिपद् ने विभिन्न क्लीनिकल विशिष्टता के अल्प अवधि (6 माह) पाठ्यक्रमों को शुरू किया है।

चिकित्सा अनुसंधान

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिपद देश में चिकित्सा अनुसन्धान, उसके विकास और समन्वय का काम करती है। इसे सारा खर्च केन्द्र सरकार देती है। यह परिपद अनेक अर्ध-स्वायामी यूनियनों के अलावा 18 स्थायी अनुसन्धान संस्थान और केन्द्र भी चलाती है। ये हैं:—राष्ट्रीय पौष्टिक आहार संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय रोगाणु अध्ययन संस्थान, पुणे; तपेदिक अनुसंधान केन्द्र, मद्रास; राष्ट्रीय हैजा और आन्त रोग संस्थान कलकत्ता; विकृति विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय आक्यूपेशनल स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद; प्रजनन अनुसन्धान संस्थान, बम्बई; कुष्ठ रोग के लिए केन्द्रीय जालमा (एशिया के लिए जापानी कुष्ठ रोग मिशन) संस्थान, आगरा; इम्यूनोमिटोलोजी (भूतपूर्व रक्त ग्रुप सन्दर्भ केन्द्र), संस्थान, बम्बई; वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरि; मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली; चिकित्सा सांख्यिकी अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली; चिकित्सा सांख्यिकी अनुसन्धान, मद्रास; प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा, हैदराबाद; खाद्य पदार्थ और औषधि विष विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद; साइटोलोजी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली; एंटरो वायरस अनुसंधान केन्द्र, बम्बई और चिकित्सा विज्ञान का राजेन्द्र स्मारक अनुसन्धान संस्थान, पटना। इसके अलावा प्रादेशिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं, जो पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़ और जव्वलपुर में हैं।

चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान के लिए दो वैधानिक निकाय हैं। ये हैं: नई दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और चण्डीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान। इनके अलावा मैसूर में बोलने और सुनने की तकलीफों के बारे में एक अखिल भारतीय संस्थान है। इन सभी संस्थानों में इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कालाजार, प्लेग आदि बीमारियों के बारे में चुनी हुई अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए सहायता देता है। अनुसन्धान के लिए विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस समय पटना में कालाजार यूनिट और बंगलौर में प्लेग निगरानी यूनिट, ये दो परियोजनाएं काम कर रही हैं।

चिकित्सा विभाग के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत कुछ संस्थान ये हैं : भारतीय कैंसर अनुसन्धान केंद्र, बम्बई; कैंसर संस्थान, मद्रास; चित्तोजन कैंसर अनुसन्धान केंद्र, कलकत्ता; नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोटीरी कैंसर अस्पताल; राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान, बंगलौर; वल्लभभाई पटेल चैस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली; केन्द्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन और अनुसन्धान संस्थान, बिगलपुर; (इसे विश्व स्वास्थ्य मण्डल से क्षेत्रीय केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है) राष्ट्रीय सचारी रोग संस्थान, दिल्ली; अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता; ग्रामीण स्वास्थ्य यूनिट और प्रशिक्षण केंद्र, सिंगूर; शहरी स्वास्थ्य केंद्र, चेतना और केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता ।

कमौली में, केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान विभिन्न बीमारियों के लिए निरोधक टीके तैयार करने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र है । यहां डी० पी० टी०, टिटनस, टाइफॉइड, रेबीज, पीला ज्वर और हैजा के टीके तथा एंटी-सेरा और डायग्नोस्टिक रीजेंट्स एन्टीजन का उत्पादन होता है । दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पीले ज्वर के टीकों का उत्पादन करने वाला यह एक मात्र संस्थान है ।

यह संस्थान विरल स्वास्थ्य मण्डल, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और देश में उत्पादक मण्डलों द्वारा नामजद उम्मीदवारों को विभिन्न टीकों और उनकी किस्म नियंत्रण का प्रशिक्षण देता है । यह डी० एस-सी०, एम० एस-सी० और एम० फिन० (माइक्रो) में नियमित पाठ्यक्रम चलाता है । यह संस्थान रेबीज के निदान, रोकथाम और इलाज, टीकों के किस्म नियंत्रण के लिए प्रत्य-प्रवधि के पाठ्यक्रम और औषधि नियंत्रण अधिकाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है । यह संस्थान, टीकों की उत्पादन तकनीकों में सुधार और टीकों के किस्म नियंत्रण के अनुसन्धान कार्य भी करता है । नए टीके जैसे खमरा के लिए टीके तैयार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

नीलगिरी कुमूर में, पास्चर इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया रेबीज, इन्फ्लुएंजा और अन्य प्रबलन सम्बन्धी रोगाणु टीकों आदि में अनुसन्धान और रेबीज के टीकों के उत्पादन में लगा हुआ है । यह संस्थान डी० पी० टी० परियोजना को छठी योजना प्रवधि के दौरान रोग निरोधक टीकों के विस्तृत कार्यक्रम के अधीन चला रहा है । इसके लिए सारा खर्च केंद्र सरकार दे रही है । यह परियोजना 1978-79 में शुरू की गई ।

## स्वास्थ्य शिक्षा

केन्द्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा दूरों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा का शीर्ष मण्डल है । यह मण्डल 1956 में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों के जरिये स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने और इसमें तानमेल रखने के लिए बनाया गया । दूरों में कामकाज के लिए छ टेकनीकल डिबीजन है । इसके कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बताने, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रमुख स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, राज्यों और अन्य एजेंसियों के लिए स्वास्थ्य सभाओं आदितों के बारे में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन में अनुसन्धान, प्रशिक्षण के लिए प्रभावशाली कार्यविधि तैयार करने, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सहायता देने, विभिन्न आयु वर्ग के स्कूली बच्चों और अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य



विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 19 नर्सिंग कालेज वी०एस०सी० (नर्सिंग) तथा 10 कालेज नर्सों के वी०एस०सी० के वाद के पाठ्यक्रम चलाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 400 नर्सों वी०एस०सी० की डिग्री तथा 200 पोस्ट-वेसिक नर्सिंग में डिग्री प्राप्त करती हैं।

प्रमाणपत्र तथा डिग्री के अतिरिक्त अन्य पांच कालेज नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करते हैं, ये कालेज हैं—एस०एन०डी०टी०, बम्बई; आर०ए०के० कालेज ऑफ नर्सिंग, दिल्ली; कालेज ऑफ नर्सिंग, वेल्डोर; कालेज ऑफ नर्सिंग, चण्डीगढ़ तथा कालेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद। दो राज्य, त्रिवेन्द्रम एवं अहमदाबाद में नर्सिंग स्नातकोत्तर डिग्री शुरू करने वाले हैं। प्रतिवर्ष लगभग 30-35 नर्सों स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करती हैं।

इंडियन नर्सिंग काउन्सिल, जो नर्सिंग शिक्षा स्तर को बनाए रखने का नियन्त्रण कार्य करती है, सभी स्कूलों तथा कालेजों का निरीक्षण करती है। परिषद् ने विभिन्न क्लीनिकल विशिष्टता के अल्प अवधि (6 माह) पाठ्यक्रमों को शुरू किया है।

### चिकित्सा अनुसंधान

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद देश में चिकित्सा अनुसन्धान, उसके विकास और समन्वय का काम करती है। इसे सारा खर्च केन्द्र सरकार देती है। यह परिषद अनेक अर्ध-स्थायी यूनितों के अलावा 18 स्थायी अनुसन्धान संस्थान और केन्द्र भी चलाती है। ये हैं:—राष्ट्रीय पोष्टिक आहार संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय रोगाणु अध्ययन संस्थान, पुणे; तपेदिक अनुसंधान केन्द्र, मद्रास; राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान कलकत्ता; विकृति विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय आक्यूपेशनल स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद; प्रजनन अनुसन्धान संस्थान, बम्बई; कुष्ठ रोग के लिए केन्द्रीय जालमा (एशिया के लिए जापानी कुष्ठ रोग मिशन) संस्थान, आगरा; इम्यूनोमिटोलोजी (भूतपूर्व रक्त शुष सन्दर्भ केन्द्र), संस्थान, बम्बई; वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिच्चेरि; मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली; चिकित्सा सांख्यिकी अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली; चिकित्सा सांख्यिकी अनुसन्धान, मद्रास; प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा, हैदराबाद; खाद्य पदार्थ और औषधि विष विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद; साइटोलोजी अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली; एंटरो वायरस अनुसंधान केन्द्र, बम्बई और चिकित्सा विज्ञान का राजेन्द्र स्मारक अनुसन्धान संस्थान, पटना। इसके अलावा प्रादेशिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं, जो पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़ और जबलपुर में हैं।

चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान के लिए दो वैधानिक निकाय हैं। ये हैं: नई दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और चण्डीगढ़ में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान। इनके अलावा मैसूर में वोल्ने और सुनने की तकलीफों के बारे में एक अखिल भारतीय संस्थान है। इन सभी संस्थानों में इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कालाजार, प्लेग आदि बीमारियों के बारे में चुनी हुई अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए सहायता देता है। अनुसन्धान के लिए विभिन्न संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस समय पटना में कालाजार यूनिट और बंगलीर में प्लेग निगरानी यूनिट, ये दो परियोजनाएं काम कर रही हैं।

चिकित्सा विज्ञान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कार्यरत कुछ संस्थान ये हैं : भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई; कैंसर संस्थान, मद्रास; चित्ररंजन कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता; नई दिल्ली में अखिल भारतीय धातुविज्ञान संस्थान में रोटीरी कैंसर अस्पताल; राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान, बंगलौर; बल्लभभाई पटेल चैप्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली; केन्द्रीय कुष्ठ रोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चिगलपुर; (इसे विश्व स्वास्थ्य मंडल से क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है) राष्ट्रीय संवारी रोग संस्थान, दिल्ली; अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता; ग्रामीण स्वास्थ्य यूनिट और प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगूर; शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, चैतला और केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कलकत्ता ।

कसौली में, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान विभिन्न बीमारियों के लिए निरोधक टीके तैयार करने का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र है । यहाँ डी० पी० टी०, टिटनस, टाइफाइड, रेबीज, पीला ज्वर और हैजा के टीके तथा एंटी-सेरा और हाईगैन्-स्टिक रीजेंट्स एन्टीजन का उत्पादन होता है । दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पीले ज्वर के टीके का उत्पादन करने वाला यह एक मात्र संस्थान है ।

यह संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और देश में उत्पादन संगठनों द्वारा नामजद उम्मीदवारों को विभिन्न टीकों और उनकी किस्म नियंत्रण का प्रशिक्षण देता है । यह डी० एस-सी०, एम० एस-सी० और एम० फिल० (माइक्रो) में नियमित पाठ्यक्रम चलाता है । यह संस्थान रेबीज के निदान, रोकथाम और इलाज, टीकों के किस्म नियंत्रण के लिए अल्प-अवधि के पाठ्यक्रम और औषधि नियंत्रण अधिकाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाता है । यह संस्थान, टीकों की उत्पादन तकनीकों में सुधार और टीकों के किस्म नियंत्रण के अनुसंधान कार्य भी करता है । नए टीके जैसे खमरा के लिए टीके तैयार करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

नीलगिरी कुयूर में, पासचर इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डिया रेबीज, इन्फ्लूएजा और अन्य श्वसन सम्बन्धी रोगाणु टीकों आदि में अनुसंधान और रेबीज के टीकों के उत्पादन में लगा हुआ है । यह संस्थान डी० पी० टी० परियोजना को छोड़ी योजना अवधि के दौरान रोग निरोधक टीकों के विस्तृत कार्यक्रम के अधीन चला रहा है । इसके लिए सारा खर्च केन्द्र सरकार दे रही है । यह परियोजना 1978-79 में शुरू की गई ।

## स्वास्थ्य शिक्षा

केन्द्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा का शीर्ष संगठन है । यह संगठन 1956 में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों के जरिये स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने और इनमें तालमेल रखने के लिए बनाया गया । ब्यूरो में कामकाज के लिए छः टेक्नीकल डिवीजन हैं । इसके कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बताने, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रमुख स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, राज्यों और अन्य एजेंसियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आदतों के बारे में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन में अनुसंधान, प्रशिक्षण के लिए प्रभावशाली कार्यविधि तैयार करने, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सहायता देने, विभिन्न धायु वर्ग के स्कूली बच्चों और अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य

शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने और स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सहयोग करने का काम शामिल है।

यह ब्यूरो राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के विकास का काम भी देखता है। अब तक 22 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्थापित किए हैं। इनके अलावा 113 जिला स्वास्थ्य शिक्षा यूनिट भी खोले गए हैं। ब्यूरो सभी स्वास्थ्य शिक्षा यूनिटों के साथ सम्पर्क रखता है और इन्हें तकनीकी सलाह देता है।

ब्यूरो ने मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम लोगों को बताने के लिए शुरू से संचार माध्यम कार्यक्रमलाप आरम्भ कर दिये थे। अब यह 4 पत्रिकाएं निकालता है। ये हैं: 'स्वस्थ हिन्द' (अंग्रेजी), 'आरोग्य सन्देश' (हिन्दी), 'डी० जी० एच० बी० कौनिकल' (अंग्रेजी तैमासिक), 'स्वस्थ शिक्षा समाचार' (हिन्दी तैमासिक)।

यह ब्यूरो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए मुद्रित प्रचार सामग्री और ऐसी स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री तैयार कराता है जिसका उपयोग राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं में कर सकें।

ब्यूरो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए जनसंचार और प्रचार माध्यमों का समर्थन उपलब्ध कराता है। यह स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ सम्पर्क बनाए रखता है। यह प्रदर्शनियां आयोजित करता है और फिल्मों के निर्माण में सहायता करता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने में भी ब्यूरो मदद करता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का अनुसंधान और मूल्यांकन डिवीजन, स्वास्थ्य संबंधी आदत अपनाने के बारे में लोगों के व्यवहार के बारे में अनुसंधान कार्य कर रहा है। डिवीजन ने अब तक मलेरिया, चेचक, यौन रोग, कुष्ठ रोग, पीण्टिक आहार, जल सफ़ाई, रोग निरोधक टीकों के विस्तृत कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में 64 अनुसंधान अध्ययन पूरे कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त पांच अन्य अनुसंधान अध्ययनों पर कार्य चल रहा है। इस डिवीजन ने 9 टेक्नीकल पत्र रिपोर्टें भी निकाली हैं। यह डिवीजन स्वास्थ्य कर्मचारियों को अनुसंधान कार्य विधि में भी प्रशिक्षण देता है और इसके लिए चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा चुके हैं।

ब्यूरो स्वास्थ्य शिक्षा में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और सेवारत चिकित्सकों तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के लिए पांच अन्य सेवा कालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा डिवीजन, 1 अप्रैल 1977 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना की निगरानी का काम भी कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

## परिवार कल्याण

परिवार कल्याण कार्यक्रम हमारी प्रगतिशील कल्याणकारी योजनाओं का अनिवार्य अंग है और यह पूर्णतः स्वीकृत कार्यक्रम है। इसे समग्र विकास नीति, जिसमें स्वास्थ्य, मां और बच्चे की देखभाल, परिवार कल्याण, महिलाओं के अधिकार और पोषाहार आते हैं, के अनिवार्य अंग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस नीति के विशेष पहलू हैं: विविध प्रचार माध्यमों और व्यक्तिगत संचार के रचनात्मक उपयोग से लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास तेज करना, कार्यक्रम को अपनाने वाले लोगों को नजदीक के स्थानों पर ही सेवाएं उपलब्ध कराना, महिला साक्षरता में तेजी से बढ़ोतरी के लिए सुविधाओं का विकास करना, स्कूलों और कालिजों में और साथ ही स्कूलों में न जाने वाले युवाओं को जनसंख्या के बारे में शिक्षा और जानकारी देना, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सहायता और समर्थन प्राप्त करना, अन्य संबद्ध मंत्रालय और विभागों से उचित सम्पर्क बनाना, परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यक्तियों और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना तथा सभी स्तरों पर इस परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की देख-रेख करना।

यद्यपि परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकारी तौर पर 1952 में प्रारम्भ किया गया था लेकिन जन्म नियंत्रण आंदोलन इससे पहले का है। प्रथम दो जन्म नियंत्रण चिकित्सालय विश्वभर में सर्वप्रथम 1930 में कर्नाटक में स्थापित हुए थे। उन दिनों जन्म नियंत्रण पर स्वतन्त्र रूप से चर्चा नहीं होती थी। पश्चिम के अतिरिक्त भारत में कुछ लोग इसके बारे में जानते थे लेकिन वे सम्पन्न घरानों से संबंधित थे। भारत में कुछ परम्परागत गर्भ-निरोधक पद्धतियों का उपयोग किया जाता था परन्तु सरकार द्वारा प्रवर्तित परिवार नियोजन नाम का कोई कार्यक्रम नहीं था। फिर भी देश के सुमंस्कृत लोगों को इसका बोध था। सुखी पारिवारिक जीवन के हित में गर्भ निरोधक सुविधाएं आवश्यक होनी चाहिए। इस निरचय के साथ ही 1930 में कर्नाटक में दो चिकित्सालयों की स्थापना की गई।

## योजनाओं के अन्तर्गत परिवार कल्याण

पहली योजना की शुरुआत के साथ ही भारत ने आयोजना के युग में प्रवेश किया। इन तथ्यों की स्वीकृति के बाद लोगों ने माना कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या लोगों के जीवन-स्तर को उठाने में बाधा डालेगी। 1952 में परिवार नियोजन को सरकारी कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। इस कार्यक्रम को पहली और दूसरी योजना में साधारण रूप से लिया गया था और जनसांख्यिकी, सम्पर्क, शरीर विज्ञान के पुनर्स्थापित आदि के अनुसंधान पर मुख्यतः जोर दिया था। परिवार नियोजन के इच्छुक व्यक्तियों को सलाह और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ क्षेत्रों में केन्द्रों की स्थापना की गई।

तीसरी योजना में कार्यक्रम को पुनर्गठित किया गया। अब तक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग चिकित्सा केन्द्रों में आते थे। इस योजना के दौरान स्वास्थ्य संबंधी संदेशों, सेवाओं और गर्भनिरोधक सामग्री को चिकित्सा केन्द्रों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। केन्द्र में 1966 में स्वतन्त्र रूप से परिवार नियोजन

विभाग का गठन हुआ और एक उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम को लक्ष्य के अनुकूल बनाया गया।

चौथी और पांचवीं योजना के कार्यक्रमों में इसको बहुत उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इस अवधि में मां और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार और समेकन हुआ। कार्यक्रम में स्वतन्त्र मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बढ़ी जन-आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। परिवार नियोजन से सम्बद्ध सभी क्षेत्रों, जैसे जन-शिक्षा और अभिप्रेरणा, सेवाएं और आपूर्ति, श्रमिकों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन को स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा अंगीकार कर लिया गया। संगठित क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।

परिवार कल्याण के बारे में ध्रांतियों को दूर करने तथा लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रेस, फिल्म, रेडियो एवं दूरदर्शन, मौखिक एवं दृश्य संचार साधनों, जैसे गीत और नाटक मण्डली तथा पारस्परिक विचार-विमर्श का प्रचुर रूप से उपयोग किया जा रहा है। उपयुक्त दम्पतियों के अतिरिक्त समाज के संभावित मुख्य वर्गों में छोटे परिवार की धारणा को स्वीकार करने की प्रेरणा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देश में जनसंख्या शिक्षा को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा देश के विकास कार्यक्रमों में कार्यरत सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों जैसे श्रमिक संघ, सहकारी समितियों और पंचायत आदि के सहयोग और सहायता से अनौपचारिक माध्यमों के द्वारा जनसंख्या शिक्षा को प्रारम्भ किया जा रहा है।

**कार्यान्वयन व्यवस्था** कार्यक्रम राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसके लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम का और विस्तार किया जाएगा। इसका प्रसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के द्वारा किया जाएगा। 1980-85 की छठी योजना में 37,940 अतिरिक्त उपकेन्द्र स्थापित किए जाने थे। इनमें से लगभग 35,774 उप-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं, तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 54,883 और उप-केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मां और बच्चे का स्वास्थ्य तथा प्रतिरोधीकरण का कार्यक्रम भी परिवार कल्याण कार्यक्रम का ही एक अंग है।

केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद राष्ट्रीय स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में सलाह देती है। अनुसंधान कार्यों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान समन्वय समिति जैसी कई केन्द्रीय समितियां स्थापित की गई हैं।

**निष्पत्ति**

कार्यक्रम शुरू होने से 31 मार्च 1986 तक 538 लाख बन्ध्याकरण किए गए और 186 लाख लूप लगाए गए। इस प्रकार उपरोक्त तिथि तक कुल जनसंख्या में बन्ध्याकरण तथा लूप की दर क्रमशः 71.2 तथा 24.6 प्रति हजार रही।

**निरोध**

भारत में निरोध 12 प्रमुख उपभोक्ता सामग्री विपणन कम्पनियों द्वारा तीन लाख से अधिक खुदरा दुकानों के माध्यम से चलाई जा रही एक व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत बेचे जाते हैं। मुफ्त वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निरोध, डायफ्रम, जैली क्रीम ट्यूब और फोम की टिक्कियां वितरित की जाती हैं।

खाने की गर्भ निरोधक गोलियों के कार्यक्रम का शहरी केन्द्रों में, जिनमें स्थानीय स्वास्थ्य और स्वीचिड सस्पाओं द्वारा चलाए जाने वाले केन्द्र भी सम्मिलित हैं, तथा उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, जहाँ इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सके और लोगों ने इसका पालन किया, विस्तार किया गया। देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कार्यरत 22015 केन्द्रों द्वारा इन गोलियों का वितरण किया जाता है।

### कार्यक्रम का प्रभाव

समानोत्पत्ति करने योग्य अनुमानतः 12.94 करोड़ युगलों में से जिनकी परिणयों की आयु गर्भ-धारण योग्य अवधि 15 से 44 के बीच थी, में से 35 प्रतिशत युगल परिवार कल्याण के किसी न किसी अनुमोदित तरीके के द्वारा सुरक्षित हो चुके थे। 31 मार्च 1986 तक के कार्य के फलस्वरूप अनुमानतः 764 लाख जन्म रोके गए हैं। यह आंकड़े अनंतिम हैं।

### गर्भपात

उपकरणों से सुसज्जित मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रशिक्षण-प्राप्त डाक्टरों की सहायता से गर्भपात कार्यक्रम मूल रूप से स्वास्थ्य देखभाल उपाय है। लेकिन, यह एक तरह से परिवार कल्याण कार्यक्रम का पूरक है क्योंकि गर्भ निरोधक उपायों के विफल होने पर इसके अतिरिक्त कानूनी तौर पर गर्भपात की भी व्यवस्था है। गर्भपात कराने वाली अनेक महिलाएँ नसबन्दी, लूप आदि किसी न किसी गर्भ निरोधक उपाय को अपनाती हैं। अप्रैल, 1972 से गर्भपात अधिनियम, 1971 लागू किया गया है।

### माता और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

समाज में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी भी बात का सबसे जल्दी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनके स्वास्थ्य की देखभाल परिवार कल्याण कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसव और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रभावी जन्म-पूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव, समुचित जन्मोत्तर देखभाल, माताओं द्वारा शिशुओं को अपना दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहित करना और इसे जारी रखना, आम संचारी रोगों से बचाव के लिए समय पर रोग निरोधक टीके लगाना, दस्त की रोकथाम, विकास की तरफ ध्यान और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य हैं।

स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशिष्ट बाल चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के लिए जिला, उप-मण्डलीय अस्पतालों और जिला अस्पतालों तथा जन्म-बच्चा यूनिटों को सुसज्जित किया जा रहा है। 1986-87 में बच्चों और माताओं को बीमारियों, कुपोषण से और रक्त की कमी से बचाने के लिए टीके लगाने के कार्यक्रम के लिए टीके और दवाइयाँ खरीदने के लिए 15.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

1986-87 में 'रिहाइड्रेशन' चिकित्सा पद्धति के जरिए बच्चों में पेचिश और अतिमार रोगों की रोकथाम के कार्यक्रम के लिए 4 अरब रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। यह कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया है और मानवी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 25 करोड़ रुपये रये गए हैं।

## बहुदेशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के परिधीय स्तर पर बहुदेशीय कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित किया जा रहा है। छठी योजना के दौरान सभी जिलों में प्रशिक्षण के पूरा होने की आशा है। जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य-प्रशिक्षणार्थियों का पुनः प्रशिक्षण 7 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारियों तथा ब्लाक एक्सटेंशन एजुकेटर्स का 47 स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किया गया है। ब्लाक के पैरा-मेडिकल स्टाफ को चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित किया जाता है।

## विशेष योजनाएं

विशेष योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित चार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है—जिला तथा उप जिला अस्पतालों में अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम और चुने हुए मेडिकल कालेजों में पैप (पी.ए.पी.) स्मियर परीक्षण कार्यक्रम; शहरी तंग वस्तियों में संगठनात्मक सुधार, नसबंदी आदि आपरेशनों के लिए शय्या योजना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध ग्रामीण परिवार केन्द्रों में लूप लगाने के कमरों का नवीकरण।

प्रसवोत्तर कार्यक्रम परिवार कल्याण का ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अस्पतालों में प्रसव के बाद जच्चाओं की देखभाल करना है और यह कार्यक्रम अब राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर 554 संस्थाओं में लागू हो चुका है। इनमें 104 मेडिकल कालेज और दो स्नातकोत्तर संस्थाएं शामिल हैं।


इसके अलावा परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर का शुरु में ही पता लगाने के लिए 25 मेडिकल कालेज पैप स्मियर टेस्ट सुविधा कार्यक्रम लागू कर रहे हैं।

उप मंडलीय अस्पतालों में जन्मोत्तर कार्यक्रम के विस्तार का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में माता और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके।

सातवीं योजना अवधि के अन्त तक इस कार्यक्रम को 1200 उप-जिला अस्पतालों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक मंडलीय अस्पतालों में, 829 योजना अवधि केन्द्रों के लिए स्वीकृति दी गई है। शेष केन्द्रों को विभिन्न चरणों में स्वीकृति दी जाएगी। राज्य सरकारों ने 560 उप-मंडलीय अस्पतालों में इस कार्यक्रम की मंजूरी दी है।

शहरी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवार कल्याण, और प्रसूति की बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेष शहरी योजना शुरु की गई है। कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार कोई नया परिवार कल्याण केन्द्र नहीं खोला जाएगा बल्कि वर्तमान शहरी केन्द्रों में ही अधिक साज-सामान और सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। अब तक 899 स्वास्थ्य चौकियों और 14 नगर-परिवार कल्याण ब्यूरो का पुनर्गठन किया जा चुका है। राज्य सरकारों ने 539 स्वास्थ्य चौकियों और 10 नगर परिवार कल्याण ब्यूरो के संचालन की मंजूरी दी है।

### परिवार नियोजन के तरीके अपनाने वाले





जिन अस्पतालों में इस तरह के रोगियों को भर्ती करने की सुविधाएं नहीं होतीं वहां स्टर्लाईजेशन वेड स्कीम के अंतर्गत महिलाओं की नसबन्दी करने की सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत उन चिकित्सा संस्थानों और अस्पतालों में रोगियों के लिए विस्तर मंजूर किये गये हैं, जिन्हें शैक्षिक संगठन चलाते हैं। यह सुविधा इन संगठनों के पिछले वर्ष के काम के आधार पर दी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों के लिए विस्तरे राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वीकार किए जाते हैं या फिर इसके लिए संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य और परिवार के क्षेत्रीय निदेशकों की सिफारिश को आधार बनाया जाता है। प्रत्येक संस्थान को प्रति विस्तर रखरखाव के लिए 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती है, वशत कि हर विस्तर पर एक वर्ष में कम से कम 60 नसबन्दी आपरेशन किए जायें। 31 मार्च 1986 को राज्य सरकार के संस्थानों, स्थानीय संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के अंतर्गत 2,766 विस्तारों की स्वीकृति दी गयी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र में लूप कक्षों को आपरेशन कक्षों में बदलने के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में नसबन्दी और गर्भपात की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। 31 मार्च 1986 को 1,133 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह योजना लागू करने का कार्यक्रम था। 31 मार्च 1986 तक राज्य सरकारों ने 862 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ये योजनाएं मंजूर की हैं।

**प्रेरणा तथा शिक्षा** भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वैच्छिक है। शहरों तथा दूर गांवों में रहने वाले लगभग 13 करोड़ से अधिक पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ प्रजनन-वय दम्पतियों तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक जन शिक्षण तथा प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया है। परिवार कल्याण विभाग का डाक द्वारा मुद्रित सामग्री भेजने वाला एकांश डाक द्वारा मुद्रित सामग्री सीधे उन नेताओं को भेजा जाता है, जिनका जनमत पर प्रभाव है। पत्तों की सूची में 5 लाख पते इस समय चालू हैं। इसके अतिरिक्त यह एकांश दो मासिक पत्रिकाएं अंग्रेजी में 'सेन्टर कॉलिंग' और हिन्दी में 'हमारा घर' और दो त्रैमासिक प्रकाशन-अंग्रेजी में 'ई०पी०आई०' वुलेटिन और हिन्दी में 'जन स्वास्थ्य रक्षक' का नियमित रूप से प्रकाशन कर रहा है। एकांश द्वारा इन पत्रिकाओं के हर अंक की 1.5 लाख प्रतियां छापी जाती हैं।

**क्षेत्रीय परियोजना** स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई आदर्श योजना के आधार पर 15 राज्यों के 67 जिलों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए सघन विकास हेतु तथा क्षेत्रीय परियोजना के अन्तर्गत इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक, यू०एन०एफ०पी०ए०१, डी०ए०एन०आई०डी०ए०२,

1. यूनाइटेड नेशन्स फंड फार पपुलेशन एक्टिविटीज
2. डेनिस इंटरनेशनल डिवलपमेंट एजेंसी

यू०एस०ए०आई०डी०<sup>1</sup> तथा ब्रिटेन से कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी। परियोजनाएं इस ढंग से बनाई गई हैं कि लगभग पांच वर्ष में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं और जनशक्ति को जुटाया जा सके, ताकि यह समन्वित ढंग से एक स्तर को प्राप्त कर एक अवधि में देश के हर भाग तक पहुंच जाएं। इन सुविधाओं में शामिल हैं—मूचनाएं, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां जिसमें ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग कैंम्प, जन-संचार गतिविधियां, कमियों को प्रबंध प्रशिक्षण, मानिटारिंग तथा मूल्यांकन एवं नवीकरण गतिविधियां। योजना का मूलभूत उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति कम करना, मां तथा बच्चे के जीवन की रक्षा करना तथा उन्हें निरोग बनाना है।

अनुसंधान और  
मूल्यांकन

विभिन्न राज्यों में 18 जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से जनसांख्यिकी तथा संचार कार्य के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां जारी रही। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के राष्ट्रीय संस्थान प्रजनन जीव विज्ञान तथा संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्षेत्र में जैव चिकित्सा अनुसंधान कार्यों में लगे हैं।

1. यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इंटरनेशनल डिवलपमेंट

देश में चल रहे कल्याण कार्यक्रमों का प्रेरणास्रोत सविधान है जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य का ध्येय रखा गया है। राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अनुसार "राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक कामसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।" इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि, "राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ायेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।" अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान यह सुनिश्चित करता है कि, "इन वर्गों को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकास के लिए राज्य संरक्षण और बढ़ावा देगा।"

कल्याण अब दया की बात नहीं रह गई है। आरम्भ में कल्याण कार्यक्रमों का ध्यान कुछ बीमारियों और पुनर्वास जैसी कुछ मूलभूत सेवाओं की ओर था। बाद के वर्षों में, बीमारी और सुरक्षात्मक कार्यक्रमों की वजाय कल्याण कार्यक्रमों को विकास की दिशा दी गयी। वर्तमान में इन कार्यक्रमों का लक्ष्य विकलांगों, वृद्धों, कुपोषितों, अनुसूचित जाति और जनजातियों, समाज के अन्य दुर्बल और पिछड़े वर्गों को निवारक, विकासपरक और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है।

अब तक कमजोर वर्गों के कल्याण का दायित्व अनेक मंत्रालयों और विभागों पर था। बाद में समाज के इन वर्गों के विकास को समग्र रूप से बढ़ावा देने के लिए कल्याण मंत्रालय बनाया गया। इस मंत्रालय में सामाजिक सुरक्षा, विकलांगों, अनुसूचित जाति और जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों और वक्क संबंधी सभी कार्यों को समन्वित किया गया है।

### प्रशासनिक ढांचा

कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जा रहा है। कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को बनाने के अतिरिक्त केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही कल्याणकारी सेवाओं में समन्वय तथा उनके प्रोत्साहन का कार्य भी करता है। इसका दायित्व कल्याण मन्त्रालय पर है।

कल्याण मंत्रालय की गतिविधियां पांच विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। ये विभाग हैं—विकलांग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन और अल्प संख्यक, जनजातीय विहास तथा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ी श्रेणियां।

### विकलांगों का कल्याण

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि देश में लगभग 1.20 करोड़ व्यक्ति विकलांग हैं। मंत्रालय

द्वारा विकलांग व्यक्तियों अर्थात् नेत्रहीन, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग, मंदबुद्धि व्यक्ति, मस्तिष्क संस्तंभ से ग्रस्त तथा कृष्ठ रोगियों का शोध पता लगाने तथा उनका उपचार करने, उन्हें शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने और उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं।

विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श, पुनर्वास और अनुसंधान के लिए चार राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गयीं हैं। ये संस्थाएं हैं—राष्ट्रीय दृष्टिरोग संस्थान, देहरादून; राष्ट्रीय श्रवणरोग संस्थान, बम्बई; राष्ट्रीय अस्थिरोग संस्थान, कलकत्ता, और राष्ट्रीय मनोरोग संस्थान, हैदराबाद। इनके अतिरिक्त पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोललपुर (कटक), नई दिल्ली स्थित शारीरिक रूप से अंग व्यक्तियों के लिए संस्थान, हैदराबाद स्थित बधिर प्रशिक्षण केन्द्र, विकलांगों के लिए बनाए जा रहे कार्य-श्रमों में प्रपना योगदान कर रहे हैं। कानपुर स्थित वृत्तम अंग निर्माण निगम विकलांगों के लिए विविध उपकरण बना रहा है।

### नेत्रहीन

राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान नेत्रहीनों से संबंधित प्रशिक्षण, अनुसंधान, व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श, पुनर्वास तथा उनके लिए उपयुक्त सेवाओं के विकास के क्षेत्र में शीर्षस्थ संगठन है। यह संस्थान नेत्रहीनों के संबंध में प्रलेखन और सूचना के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। इस संस्थान में नेत्रहीन बच्चों के लिए एक आदर्श विद्यालय, आशिक रूप से नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय, प्रौढ़ नेत्रहीनों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र, ब्रेल उपकरण तैयार करने के लिए एक वर्कशाप और एक केन्द्रीय ब्रेल प्रेस है। यह संस्थान चार क्षेत्रीय केन्द्रों—दिल्ली, भद्रास, बम्बई और कलकत्ता में नेत्रहीनों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इन केन्द्रों में प्रतिवर्ष 40—50 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

### बधिर

बधिरों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की समेकित सेवाएं प्रदान करने के लिए अगस्त 1982 में बम्बई में राष्ट्रीय भली यावर जंग बधिर संस्थान स्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रौढ़ बधिर प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद (उपरोक्त संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत) आशिक रूप से बधिरों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है।

### मंदबुद्धि

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की स्थापना 1984 में हैदराबाद में की गई। इस संस्थान का धीरे-धीरे विकास किया जा रहा है और आशा है कि यह संस्थान मानसिक रूप से विकलांगों के अनुसंधान, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में कार्य करने लगेगा। नयी दिल्ली स्थित मानसिक रूप से अशिक्षित बच्चों के माटल स्कूल में 6 से 15 वर्ष तक की आयु के मानसिक रूप से अशिक्षित बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

शारीरिक रूप से विकलांग

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1982 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए अनुसंधान करना तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है। इस संस्थान के अन्य उद्देश्य हैं—शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना, उपयुक्त सेवा माइयूल तैयार करना, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरण और सहायक साधन तैयार करना।

अन्य संस्थाएं

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्ली स्थित संस्थान ऐसे व्यक्तियों के लिए एक विशेष विद्यालय और वर्कशॉप चलाने के अलावा भौतिक चिकित्साविदों और रोगी को काम में लगाकर इलाज करने की प्रणाली के चिकित्सा-विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी देता है। ओलतपुर (उड़ीसा) में प्रोस्पैटिक और आरथेटिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान इस क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर रहा है।

छात्रवृत्तियां

नेत्रहीन, बधिर और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को सामान्य शिक्षा तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान विकलांग विद्यार्थियों को लगभग 18,000 छात्रवृत्तियां दी गईं। इस योजना को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

सहायक साधनों तथा उपकरणों की आपूर्ति

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान सहायक साधनों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता देने हेतु आरम्भ की गयी योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को जिनकी आय प्रति माह 1,200 रुपये तक थी, 25 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की लागत के सहायक साधन तथा उपकरण मुफ्त दिये गये। ऐसे व्यक्तियों को जिनकी मासिक आय 1,200 रुपये और 2,500 रुपये के बीच थी, ये उपकरण आधी कीमत पर दिये गये। वर्ष 1985-86 के दौरान इस प्रयोजन के लिए 45 क्रियान्वयन एजेंसियों को 176 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया गया है जिससे 30,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

अक्षम व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को परियोजना की कुल लागत के 90 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 1985-86 में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 177 संगठनों को 284 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

पुनर्वास केन्द्र

1983-84 में सरकार ने प्रायोगिक रूप में 'जिला पुनर्वास केन्द्रों' (डी०आर०सी०) की स्थापना की योजना आरम्भ की। इस योजना में आरम्भ से ही अक्षमताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के उपाय करने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत समाज के अन्दर ही अपंगों के आर्थिक पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाती है। योजना से खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अक्षम व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। उड़ीसा,

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एक-एक जिला पुनर्वासि केन्द्र स्थापित किया गया है। इन केन्द्रों को और अधिक विस्तृत आधार प्रदान करने के लिए इस योजना को अलग, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी शुरू किया गया है।

### विशेष रोजगार कार्यालय

सामान्य रोजगार कार्यालयों में स्थित विशेष रोजगार काउन्सिलों और विशेष सेलों के जरिए लाभकारी रोजगारों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को स्थान दिलाने की कोशिश की जा रही है। 1985 में लगभग 5,200 विकलांग व्यक्तियों को देख-भर में फैले 22 विशेष रोजगार कार्यालयों और इनमें स्थित 40 विशेष सेलों के जरिए रोजगार दिया जा चुका है।

### पेट्रोल की रियायती खरीद की योजना

इस पेट्रोल सहायता योजना के अन्तर्गत मोटर-चालित वाहनों के विकलांग मालिकों द्वारा खरीदे गए पेट्रोल/डीजल की आधी लागत की उन सभी विकलांग व्यक्तियों के मामले में प्रतिपूर्ति की जाती है जिनकी आय प्रति-माह 2,000 रुपये से कम हो। इस योजना को केन्द्र सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश क्रियान्वित करते हैं।

### राष्ट्रीय पुरस्कार

भारत के राष्ट्रपति हर वर्ष विकलांगों को रोजगार देने वाले विशिष्ट नियोक्ताओं, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र, स्थानीय निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों के सबसे कुशल विकलांग कर्मचारियों/स्वनियोजित व्यक्तियों और विकलांगों के नियोक्ता अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हैं। विकलांग व्यक्तियों की भलाई के लिए किए गए स्वैच्छिक कार्य को सरकारी मान्यता देने हेतु 1983 से विकलांगों के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं। पुरस्कारों में प्रशस्ति-पत्र तथा प्रमाण-पत्र के साथ-साथ व्यक्ति विशेष को 20,000 रुपये और संस्था को 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

### सेवाओं में आरक्षण

विकलांगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सेवाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह 'ग' तथा 'घ' के 3 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। केन्द्रीय सेवाओं में आयु में 10 वर्ष तक की छूट तथा शारीरिक स्वास्थ्य के मापदण्डों में रियायत दी गई है।

### राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष

सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष की स्थापना की है। इस कोष में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और आम जनता से मुक्त रूप से योगदान लिया जाता है। इस कोष का उपयोग विकलांग कल्याण के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक क्षेत्र की सेवाओं को बढ़ाने में होगा।

### विकलांग कल्याण के लिए राष्ट्रीय परिषद

देश में विकलांगों के सम्बन्ध में नीति-निर्धारित करने तथा कार्यक्रमों को बनाने में सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय विकलांग कल्याण परिषद की स्थापना की गई है।

### सामाजिक सुरक्षा

पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन की समस्याएं किशोरों में अपराध प्रवृत्ति, नशीली दवाओं और शराब के सेवन, विभिन्न प्रकार के अपराधों तथा महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार आदि रूपों में प्रकट हो रही हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक पतन की इन समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों ने विशेष कानूनों और सम्बद्ध प्रावधानों की व्यवस्थाओं के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम शुरू किये हैं।

### अपराध नियंत्रण

वाल अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के कार्यक्रम विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वाल अधिनियमों के क्रियान्वयन पर निर्भर करते हैं। 1960 में संसद द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए बनाए गए वाल कानून को इस क्षेत्र में आदर्श कानून माना जाता है। नागालैण्ड के अलावा सभी राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनमें बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पालन-पोषण, प्रशिक्षण तथा वाल अपराधियों के पुनर्वास के प्रति विशेष दृष्टिकोण अपनाने की व्यवस्था है। इनकी संस्थागत व्यवस्था में बच्चों के लिए न्यायालय/वाल कल्याण बोर्ड, रिमांड/पर्यवेक्षण गृह, विशेष प्रमाणीकृत/स्वीकृत विद्यालय, वालगृह तथा उनकी देखभाल संबंधी सुविधाएं शामिल हैं।

### बच्चों के लिए सेवाएं

परित्यक्त, उपेक्षित, अवांछित और निराश्रित बच्चों की देखरेख तथा सुरक्षा के लिए एक और कार्यक्रम है। परंपरागत पारिवारिक व्यवस्था के टूटने से ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गयी थी। 1974-75 में चलाए गये इस कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय मदद दी जाती है जिससे ये संस्थाएं अभावग्रस्त बच्चों के रहने तथा देखरेख की व्यवस्था कर सकें। अभी तक 32,000 से अधिक अभावग्रस्त बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।

### कारागार कल्याण

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में कारागार-कल्याण और प्रशासन सेवाओं का मुख्य स्थान है। जेलों और अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की है। जेलों में कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जेलों में कल्याण-अधिकारियों को नियुक्त और महिला कैदियों के बच्चों के लिए शिक्षागृहों की स्थापना की जो योजना शुरू की गयी थी उस पर अमल जारी है। कल्याण-अधिकारियों का कार्य कैदियों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देना तथा उनके पुनर्वास और समाज में उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए साधन जुटाना है।

### परिवीक्षा और सम्बद्ध उपाय

अपराधियों की परिवीक्षा संबंधी 1958 के अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत इस क्षेत्र में सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अधिनियम में निर्दिष्ट परिस्थितियों में विभिन्न वर्गों के अपराधियों को परिवीक्षा के लिए सुव्यवस्थित प्रावधान हैं। इस कानून में 21 वर्ष से कम उम्र के किशोर अपराधियों के लिए कैद के बदले परिवीक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत नियुक्त परिवीक्षा अधि-

कारी अपराधियों के सामाजिक परिवेश की जांच-पड़ताल प्रदालतों के विचारार्थ करते हैं। वे उन्हें सोंपे गये मामलों का निरीक्षण भी करते हैं। साथ ही साथ स्वीच्छिक संगठन परिवीक्षा में रिहा किए गये अपराधियों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं।

### मिखावृत्ति की रोकथाम

मिखावृत्ति के लिए बच्चों को फुसलाने, अपंग करने या उनका अपहरण करने के खिलाफ मूल कानूनो की व्यवस्थामो के अलावा पन्द्रह राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों ने विशेष कानून लागू किए हैं। इसके अलावा नगरपालिका और पुलिस कानूनों में भी मिखावृत्ति की रोकथाम के उपाय शामिल हैं। सरकार केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए मिखावृत्ति की रोकथाम संबंधी समान कानून बनाने पर विचार कर रही है।

### मद्यनिषेध और मादक द्रव्य

सविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार सरकार चिकित्सा के अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले द्रव्यों और दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के उपाय करेगी। मद्यनिषेध से संबंधित मर्यादात्मक उत्तरदायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में मद्यनिषेध की प्रगति की समीक्षा करती है तथा तदय प्राप्त करने के माध्यम और उपाय सुझाती है। सरकार ने मद्यनिषेध नीति के पालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

हाल में नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता नजर आ रहा है और इस समस्या से निपटने के लिए 1985 में नशीली दवाएं और मनोविकारी पदार्थ कानून नामक एक नया कानून लागू हो गया है। इस कानून में नशीली दवाओं संबंधी अपराधों के लिए कड़ी गजाएं निर्धारित की गई हैं। इस कानून को लागू करने के साथ ही मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की पहचान, इलाज, शिक्षा, बीमारी के वाद की देखभाल, पुनर्वास और उनके समाज में पुनर्स्थापन के लिए पुरजोर कदम भी उठाए जा रहे हैं। अनेक स्वीच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है ताकि वे मद्यनिषेध नीति को लागू करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकें। सरकार स्वीच्छिक संगठनों के माध्यम में लोगों को मद्यपान और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बुराई के बारे में शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन उद्देश्य के लिए जन-संचार माध्यमों से भी प्रचार किया जा रहा है। मद्यपान और नशीले द्रव्यों के दुष्प्रभावों से छात्रों को अवगत कराने के लिए कल्याण मंत्रालय के प्रक अनुदान में विश्वविद्यालय स्तर पर निबन्ध और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गयी हैं।

नशीली दवाओं की आप्त से छुटकारा दिलाने वाले केन्द्र तथा अलाहकार केन्द्र भी खोले जा रहे हैं। एक नया 'कैप तरीका' भी अपनाया जा रहा है जिससे नशीली दवाएं लेने वालों का पुनर्वास किया जा सके। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के अनुपात तथा बदलाव संबंधी बातें जानने के लिए अनेक तथु स्तरीय अध्ययन किये जा रहे हैं।



### राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान देश में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विकास, मानकीकरण और समन्वय के लिए केन्द्रीय सलाहकार संस्था के रूप में काम करता है। इसके लिए संस्थान सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में शोध करता है, आंकड़े इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करता है, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण/नयी जानकारी देने के कार्य को प्रोत्साहित करता है तथा आदर्श कानून और नियम बनाने में मदद करता है। संस्थान सामाजिक सुरक्षा के विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भी सलाह देता है।

### वृद्धों के लिए कल्याण सेवाएं

सामान्यतः वृद्धों की देखभाल को जिम्मेदारी उनके संबंधियों की होती है परन्तु कभी-कभी परिस्थितिवश ये जॉग बेसहारा हो जाते हैं। नीति-निर्माण, योजना तथा क्रियान्वयन के लिए यथार्थ आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु वल्लभाज मंत्रालय ने वृद्ध लोगों की समस्याओं के स्वरूप एवं विविध आयामों से संबंधित बहुत से शोध कार्य करवाए हैं। इस समय बहुत थोड़े-से लोग पेंशन, ग्रेच्युटी आदि सुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के अलावा सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने जरूरतमंद वृद्धों को नकद सहायता देने की एक योजना शुरू की है। सरकार और स्वैच्छिक संगठनों ने वृद्धों के लिए आश्रयस्थलों की स्थापना तथा उनके घरों में उनकी मदद के लिए अन्य सेवाएं शुरू की हैं। स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने की सामान्य योजना के अंतर्गत वृद्धों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल तथा मनोरंजन आदि के लिए चलाई गयी सेवाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

### अनुसंधान और मूल्यांकन

अनुसंधान और प्रकाशनों के लिए सहायक अनुदान की योजना के माध्यम से समाज कल्याण, सामाजिक नीति तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में अनुसंधान तथा मूल्यांकन संबंधी अध्ययन कराये जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों को अनुसंधान परियोजना पर आने वाली लागत को पूरा करने के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

### अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये 15 आदेशों द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का अलग-अलग उल्लेख किया गया है। 1981 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की जनसंख्या लगभग 23.51 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने भी 'अन्य पिछड़े वर्गों' के नाम से खानाबदोश तथा अर्द्ध-खानाबदोश समुदायों का उल्लेख किया है।

यद्यपि भारत के संविधान में इन श्रेणियों के लिए सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है, फिर भी पंचवर्षीय योजनाओं में इन जातियों के उत्थान को राष्ट्रीय नीति का एक मुख्य लक्ष्य माना गया है।

संवैधानिक संरक्षण संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों का शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी सामाजिक असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मुख्य संरक्षण इस प्रकार हैं :

- (1) अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा इसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध [अनुच्छेद 17];
- (2) इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अत्याय से बचाव [अनुच्छेद 46];
- (3) हिन्दुओं की सार्वजनिक, धार्मिक संस्थाओं के द्वार समस्त हिन्दुओं के लिए खोलना [अनुच्छेद 25 ख];
- (4) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुम्भों, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों, तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार की अयोग्यता, दायित्व, प्रतिबन्ध अथवा शर्तों को हटाना [अनुच्छेद 15(2)];
- (5) किसी भी अनुसूचित जनजाति के हित में सभी नागरिकों के स्वतन्त्रता-पूर्वक आने-जाने, बसने और सम्पत्ति अर्जित करने के सामान्य अधिकारों में कानून द्वारा कटौती करने की व्यवस्था [अनुच्छेद 19 (5)];
- (6) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश पर किसी भी तरह के प्रतिबन्ध का निषेध [अनुच्छेद 29(2)];
- (7) राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए उन सरकारी सेवाओं में, जहाँ उनका प्रतिनिधित्व अनर्थाप्त है, आरक्षण करने का अधिकार देना तथा राज्य के लिए यह अनेकित करना कि वह सरकारी सेवाओं में नियुक्ति करने के मामले में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखें [अनुच्छेद 16 तथा 335];
- (8) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को 25 जनवरी 1990 तक लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व देना [अनुच्छेद 330, 332 तथा 334];
- (9) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा हितों की रक्षा के लिए राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा पृथक विभागों की स्थापना करना और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना [अनुच्छेद 164 तथा 338 और पंचम अनुसूची];

- (10) अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबन्ध [अनुच्छेद 244 और पंचम तथा षष्ठम अनुसूची]; तथा
- (11) मानव का देह व्यापार तथा जवरदस्ती मजदूरी कराने का निषेध [अनुच्छेद 23] ।

### अस्पृश्यता निवारण विधान

अस्पृश्यता कानून को अधिक व्यापक बनाने तथा इसके दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को और कठोर बनाने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1976 द्वारा, (19 नवम्बर 1976 को लागू) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था। इस संशोधन के साथ मूल अधिनियम का नाम बदल कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 रख दिया गया है। इस अधिनियम में किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के उन्मूलन से प्राप्त अधिकारों का अस्पृश्यता के आधार पर प्रयोग करने से रोकने के लिए दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। परवर्ती अपराधों के लिए और अधिक दण्ड देने/जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था की गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के उपबन्धों के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध को करने का दोषी पाया जाये तो दोष साधित होने की तारीख से वह छः वर्ष की अवधि तक संसद तथा राज्य विधान मण्डलों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जाता है। अधिनियम के एक उपबन्ध के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, अधिनियम की धारा 15-क के उपबन्धों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखती है।

### नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15-क के अन्तर्गत किये गये उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्र से सहायता दी जाती है। 20 राज्यों ने नागरिक अधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों में पीड़ित अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था की है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमे दायर करने और उन पर निगरानी रखने के लिए 19 राज्यों ने विशेष कक्षा/दस्ते स्थापित किये हैं। दिसम्बर 1982 तक 18 राज्यों ने अस्पृश्यता की समस्याओं तथा इससे सम्बद्ध मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाने हेतु विभिन्न स्तरों पर समितियाँ स्थापित की थीं। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के हरिजनों पर अत्याचार तथा अस्पृश्यता से ग्रस्त जिलों में इन तरह के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 27 विशेष अदालतें/विशेष चल अदालतें स्थापित की गई हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, जिसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

राज्य/किन्तु शासित प्रदेश	सक संभा			विधान सभा		
	स्थानों की संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान	स्थानों की संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	42	6	2	294	39	15
2. असम	14	1	2	126	8	16
3. बिहार	54	8	5	324	48	28
4. गुजरात	26	2	4	182	13	26
5. हरियाणा	10	2	—	90	17	—
6. हिमाचल प्रदेश	4	1	—	68	16	3
7. जम्मू और कश्मीर	6	—	—	76 <sup>2</sup>	6	—
8. कर्नाटक	28	4	—	224	33	2
9. केरल	20	2	—	140	13	1
10. मध्य प्रदेश	40	6	9	320	44	75
11. महाराष्ट्र	48	3	4	288	18	22
12. मणिपुर	2	—	1	60	1	19
13. मेघालय	2	—	—	60	—	—
14. नागालैण्ड	1	—	—	60	—	—
15. उत्तरांचल	21	3	5	147	22	34
16. पंजाब	13	3	—	117	29	—
17. राजस्थान	25	4	3	200	33	24



के अन्तर्गत राज्यों को समतुल्य आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। समय-समय पर राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश तथा अनुदेश जारी किये जाते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विद्यमान शुष्क मौसमों को बदल कर सफाई कर्मचारियों को मल उठाने के काम से मुक्त करने का कार्य भी आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक सोनह राज्यों के 89 नगरों को 'समग्र नगरदृष्टिकोण' के आधार पर कुछ घूने हुए नगरों के लिए इस शर्त पर सहायता दी गई है कि पुनः मुक्त किये गये सफाई कर्मचारियों की वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेंगे।

**विधान मण्डलों में प्रतिनिधित्व**

संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में स्थान आरक्षित किये जाते हैं। आरम्भ में यह रियायत संविधान के लागू होने से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए थी किन्तु संविधान में संशोधन करके इसे 25 जनवरी 1990 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संसदीय अधिनियमों में विधान मण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों में इसी तरह के आरक्षण करने की व्यवस्था है। राज्य सभा तथा राज्य विधान परिषदों में कोई स्थान आरक्षित नहीं किये जाते। सारणी 10.1 में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं से इन जातियों के प्रतिनिधित्व का व्योरा दिया गया है।

पंचायती राज लागू होने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था है ताकि इनमें उनको समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

**सेवाओं में आरक्षण**

संविधान के अनुच्छेद 335 में यह व्यवस्था है कि केन्द्र अथवा राज्यों के कार्यों के सम्बन्ध में पदों तथा सेवाओं के लिए नियुक्ति करते समय प्रशासनिक कुशलता को बनाये रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जायेगा। अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए उन सेवाओं में, जिनमें उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो, आरक्षण करने की अनुमति देता है। इन उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार ने अपने अधीन आने वाली सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण किया है।

जिन पदों पर अधिल भारतीय आधार पर खूली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती की जाती है, उनमें अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाते हैं और अधिल भारतीय स्तर की किसी अन्य तरीके से की जाने वाली भर्ती के मामले में 16-2/3 प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित किये जाते हैं। दोनों मामलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत रिक्त स्थान आरक्षित किये जाते हैं। समूह 'ग' तथा 'घ' पदों में, जिनमें आमतौर पर स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार आते हैं, सीधी भर्ती के मामले में सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये जाते हैं।

समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' में विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों तथा समूह 'ख', 'ग' तथा 'घ' और समूह 'क' में सबसे निचले स्तर के ग्रेडों अथवा उन सेवाओं में जिनमें सीधी भर्ती, 66-2/3 प्रतिशत से अधिक न हो, तो अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से रिक्त स्थान आरक्षित किये जाते हैं। समूह 'क', 'ख', 'ग' तथा 'घ' के पदों, उन ग्रेडों अथवा सेवाओं में, जिनमें सीधी भर्ती (यदि कोई हो), 66-2/3 प्रतिशत से अधिक न हो, वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

समूह 'क' के 2,250 रुपये प्रतिमाह या इससे कम वेतन वाले पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति करने के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों को जो वरिष्ठता के आधार पर विचार किये जाने योग्य हैं और जो पदोन्नति के लिए रिक्त स्थानों की निर्धारित संख्या के अन्दर आते हैं, पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये जाने पर चयन सूची में सम्मिलित कर लिए जाते हैं।

इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से कुछ रियायतें दी जाती हैं जो इस प्रकार हैं—(1) आयु सीमा में छूट; (2) उपयुक्तता के मानदण्डों में छूट; (3) पदों के लिए चयन, बशर्ते वे अनुपयुक्त न पाये जायें; (4) जहाँ कहीं आवश्यक हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में छूट; (5) अनुसन्धान के लिए अपेक्षित समूह 'क' के सबसे निचली श्रेणी के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों का भी आरक्षण योजना में सम्मिलित किया जाना। समूह 'ग' तथा 'घ' (श्रेणी तृतीय तथा चतुर्थ) के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की रोजगार कार्यालयों को सूचना देने अथवा उनके चारे में अखबारों में विज्ञापन देने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों से इन रिक्त स्थानों के चारे में प्रसारण किया जाता है। इनकी सूचना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्वयंसेवी संस्थाओं तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशकों को भेजी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा द्वारा भिन्न तरीके से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों को पहली बार केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विज्ञापित किया जाता है और पहली बार, असफल हो जाने पर फिर से विज्ञापन दिया जाता है और अन्य समुदायों के उम्मीदवारों पर तब विचार किया जाता है जब अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हो रहे हों। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये किए जाने वाले आरक्षण (जिनमें आगे ले जाये गये रिक्त पद भी सम्मिलित हैं) की अधिकतम सीमा कुल रिक्त स्थानों की संख्या का 50 प्रतिशत है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा भी आरक्षण योजना अपनाई ज

रही है। सरकार से पर्याप्त मात्रा में सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए भी एक शर्त के रूप में यह अपेक्षित है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में आरक्षण योजना की कुछ विशिष्ट बातों को अपनायें।

आरक्षण लागू करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों और खुली प्रतियोगिता से भिन्न तरीके से की जाने वाली भर्तियों तथा पदोन्नति के मामले में 40 प्वाइंट का आदर्श रोस्टर निर्धारित किया गया है। स्थानीय और क्षेत्रीय आधार पर की जाने वाली भर्तियों के लिए 100 प्वाइंट का रोस्टर निर्धारित किया गया है। यदि किसी सेवा या संवर्ग में रिक्त पदों की संख्या बहुत ही कम है तो आरक्षण के लिए छुट-पुट पदों को सीधी भर्तियों के साथ सम्मिलित किया जाता है। सरकार द्वारा जांच किये जाने के लिए भर्तों प्राधिकरणों के लिए यह अपेक्षित है कि वे वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें। विशेष प्रतिनिधित्व आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नम्बर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

राज्य सरकारों ने भी संविधान की सातवीं अनुसूची की मद संख्या 41 के तहत इन श्रेणियों के लिए राज्य सेवाओं में आरक्षण देने और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु नियम बनाये हैं। परन्तु राज्य सरकार की सेवाओं के अन्तर्गत दिया जाने वाला आरक्षण एकाधिकारिक रूप से राज्य सरकारों के ही क्षेत्राधिकार में है।

केन्द्र सरकार की सेवाओं में 1 जनवरी 1983 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का स्पीरा सारणी 10.2 में दिया गया है।

सारणी 10.2  
केन्द्रीय सरकार की  
सेवाओं में अनु-  
सूचित जातियों/  
जनजातियों का  
प्रतिनिधित्व

समूह (श्रेणी)	कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या के मुकाबले अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	कुल संख्या के मुकाबले अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
क (श्रेणी प्रथम)	53,165	3,574	6.72	761	1.43
ख (श्रेणी द्वितीय)	62,600	6,368	10.17	922	1.47
ग (श्रेणी तृतीय)	21,28,746	3,11,070	14.61	88,149	4.14



	1	2	3	4	5
घ (श्रेणी					
चतुर्थ) (सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर)	13,03,005	2,55,053	19.57	71,812	5.51
कुल	35,47,516	5,76,065	16.24	1,61,644	4.56
खिल भारतीय वाष् (1 जनवरी 1983 को स्थिति अनुसार)					
भारतीय प्रशासनिक सेवा	4,236	404	9.54	181	4.27
भारतीय पुलिस सेवा	2,198	330	10.40	77	3.50

अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान के कुछ क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244 तथा पंचम अनुसूची के अन्तर्गत अधिसूचित किये गये हैं। सम्बन्धित राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं।

असम, मेघालय तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है। अनुसूची के अन्तर्गत उन्हें स्वायत्तशासी जिलों में बांट दिया गया है। इस प्रकार के आठ जिले हैं—असम में उत्तरी कछार तथा मिफिर पहाड़ी जिले, मेघालय में संयुक्त खासी-जयन्तिया, जवाई और गारो पर्वतीय जिले तथा मिजोरम में चकमा, लाखेर और पावी जिले। प्रत्येक स्वायत्तशासी जिले में एक जिला परिषद है जिसमें अधिक से अधिक 30 सदस्य होते हैं, इनमें से अधिक से अधिक 4 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। परिषदों को कुछ प्रशासनिक, विधायी तथा न्यायिक अधिकार दिये गये हैं।

कल्याण तथा सहायकार एजेंसियों

भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति बनाने, उनकी आयोजना तथा समन्वय करने के लिए प्रमुख मंत्रालय है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय तथा विभाग अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमुख है। गृह मंत्रालय, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखता है।

जुलाई 1978 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक आयोग का गठन किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में एक विशेष अधिकारी भी होता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है तथा जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के नाम से जाना जाता है। आयोग का कार्य संवैधानिक संरक्षण,

सरकारी सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करना, अस्पृश्यता तथा उससे उत्पन्न घृणित भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के बारे में अध्ययन करना और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति किये जाने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों का पता लगाना है ताकि समुचित उपचारार्थक उपाय सुझाये जा सकें।

### संसदीय समिति

भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संवैधानिक संरक्षणों के क्रियान्वयन की जांच करने हेतु तीन संसदीय समितियाँ गठित कीं। पहली समिति 1968 में, दूसरी समिति 1971 में और तीसरी समिति 1973 में गठित की गई। ये स्थायी संसदीय समितियाँ हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है।

### राज्यों में कल्याण विभाग

राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का कार्य देखने के लिए अलग विभाग बनाये हैं। विभिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में प्रशासनिक ढांचा अलग-अलग है। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में संविधान के अनुच्छेद 164 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनजातीय कल्याण कार्य देखने के लिए पृथक मंत्री नियुक्त किये गये हैं। कुछ अन्य राज्यों ने केन्द्र की संसदीय समिति के अनुरूप राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की समितियाँ गठित की हैं।

अनुसूचित श्रेणी वाले सभी राज्यों तथा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उत्थान से सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देने के लिए संविधान की धारा 164 में किये गये उपबन्धों के अनुसार जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की हैं।

### स्वैच्छिक संगठन

कई स्वैच्छिक संगठन भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अखिल भारतीय स्तर के महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार हैं: हरिजन सेवक संघ, दिल्ली; भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली; हिन्दू स्वीपर सेवक समाज, नई दिल्ली; रामकृष्ण मिशन, नरेंद्रपुर, पश्चिम बंगाल; भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली, आंध्र राज्य; आदिमजाति सेवक संघ, बेलूर; रामकृष्ण मिशन, चेरपूजा, राँची, पुरी, सिलचर, शिलांग और पुरुलिया तथा भारतीय समाज उन्नति मंडल, भीलवंडी, महाराष्ट्र; ठक्कर बापा आश्रम, नुमाचंडी, उड़ीसा; भारत सेवक समाज, पुणे तथा सामाजिक कार्य एवं शोध केन्द्र, तिलोनिवा, राजस्थान।

सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच कार्य कर रहे गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सहायन: अनुदान देती है।

## कल्याण योजनाएं

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके कल्याण के लिए प्रत्येक पंच-वर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। इन विशेष कार्यक्रमों पर किये गये निवेश में प्रत्येक योजना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है, जैसा कि सारणी 10.3 में दिखाया गया है।

## सारणी 10.3 योजनाओं में व्यय

(करोड़ रुपये में)

	अवधि	परिष्कृत	व्यय
पहली योजना	1951-56		30.04
दूसरी योजना	1956-61		79.41
तीसरी योजना	1961-66		100.40
वार्षिक योजनाएं	1966-69		68.50
चौथी योजना	1969-74		172.70
पांचवीं योजना	1974-78		296.19
छठी योजना	1980-85		1337.21
सातवीं योजना	1985-90		1967.22

इसके अलावा राज्य सरकारें अपने गैर-योजनागत बजट में से भी इन वर्गों के कल्याण पर काफी धन व्यय करती रहीं हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :

## योजनागत

## कार्यक्रम

शिक्षण तथा उससे  
संबंध योजना

केन्द्र/राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंक सेवाओं, भारतीय जीवन बीमा/साधारण बीमा निगम के अधीन आने वाले विभिन्न पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में परीक्षापूर्व शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगिता-परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। मार्च 1986 के अन्त तक स्वीकृत/स्थापित ऐसे केन्द्रों की संख्या 62 से अधिक थी।

मैट्रिक के बाद  
दो जाने वाली  
छात्रवृत्तियां

अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति देने की योजना 1944-45 में देश के विभिन्न विद्यालयों तथा कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। 1944-45 में अनुसूचित जातियों के लिए यह योजना आरम्भ की गई और उस वर्ष अनुसूचित जातियों के 114 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं। 1948-49 में यह योजना अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरम्भ की गई और उस वर्ष अनुसूचित जनजातियों के 89 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित

जनजातियों के छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या 1984-85 में बढ़कर 8.86 लाख हो गई तथा 1985-86 में इस संख्या के 9.9 लाख से भी अधिक हो जाने की सम्भावना है। जीवन निर्वाह के बढ़ते हुए ध्यय तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अब सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दरें बढ़ा दी गई हैं। छात्रवृत्ति पाने की पात्रता के लिए माता-पिता/अभिभावकों की आय-सीमा भी बढ़ा दी गई है। दोनों मामलों में यह वृद्धि 1 जुलाई 1981 से की गई है। 1980-81 से 750 रुपये प्रतिमाह तक कुल वेतन पाने वाले नौकरी भुदा छात्रों को अब यह छात्रवृत्ति मिल सकती है लेकिन इन्हें अनिवार्य वापस न की जाने वाली देय राशियों/गुल्क आदि की ही प्रतिपूर्ति की जायेगी।

### लड़कियों के लिए छात्रावास

राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को उन स्थानों में नये छात्रावासों का निर्माण करने तथा विद्यमान छात्रावासों का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जहां इन बर्गों की लड़कियों के लिए इस प्रकार की सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं।

### अनुसन्धान और प्रशिक्षण

सरकार समाज विज्ञान की ऐसी प्रतिष्ठित शोध संस्थाओं और एजेंसियों को शत-प्रतिशत सहायता देती है, जिन्होंने अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास, समस्याओं, आवश्यकताओं तथा सरकारी विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों के प्रभाव के अध्ययन में अपनी विशेषज्ञता सिद्ध कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत उन अध्ययन कार्यों को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जाता है, जो शीघ्र कार्रवाई के लिए व्यावहारिक सुझाव देते हैं।

### पुस्तक बैंक योजना

यह योजना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन छात्रों के लिए है जो देश में चिकित्सा/इंजीनियरी के डिग्री पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत उन छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं जो राजकीय सहायता के बिना मंहंगी पढाई जारी नहीं रख सकते। तीन विद्यार्थियों पर पुस्तकों का एक सेट दिया जाता है तथा एक सेट की पुस्तकों का जीवनकाल 3 साल निर्धारित है।

### शैक्षिक-पूर्व छात्र-वृत्तियाँ

यह योजना 1977-78 में आरम्भ की गई और इसका उद्देश्य छठी से दसवीं कक्षा तक के बच्चों का शैक्षिक विकास करना है जो शुष्क [गौचालयों] की सफाई करने, चर्मरोगघन तथा घातलाने जैसे तथाकथित अस्वच्छ कार्यों में लगे हुए हैं। इस योजना के अन्तर्गत छठी से आठवीं कक्षा तक के प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 200 रुपये तथा नवीं और दसवीं कक्षा के प्रत्येक छात्र को 250 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए नीति

अनुसूचित जातियों के विकास में तेजी लाने के लिए तीन सूत्री नीति तैयार की गई है।

- (क) केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों की विशेष संघटक योजनाएं;
- (ख) राज्यों की अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता; तथा
- (ग) राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम।

विशेष संघटक योजनाओं में विकास के सामान्य क्षेत्रों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को निर्दिष्ट करने, प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत सभी विभाज्य कार्यक्रमों के लिए धनराशि का निर्धारण करने तथा विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था है ताकि यह पता लग सके कि प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों से कितने परिवारों को लाभ होगा। इसका मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों की आमदनी में पर्याप्त रूप से वृद्धि के लिए मदद देना है। विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत मूलभूत सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने और सामाजिक तथा शैक्षिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम भी शामिल किये जाएंगे।

छठी योजनावधि में विशेष संघटक योजना के लिए 4,481.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। यह बंटवारा योजना के कुल व्यय 46,831.30 करोड़ रुपयों में से किया गया। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने भी अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार करना प्रारम्भ कर दिया है। अब तक केवल आठ केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने इस प्रकार की योजनाएं तैयार की हैं। शेष मंत्रालयों/विभागों को भी ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं को सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता देती है। अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अतिरिक्त रूप से दी जाती है तथा विशिष्ट योजनाओं के लिए सहायता देने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए किए जा रहे राज्यों के प्रयत्नों को उनकी सम्पूर्णता में आंक कर ही ऐसी सहायता दी जाती है। राज्यों द्वारा यह अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उनकी विशेष संघटक योजनाओं के परिव्यय के साथ जोड़ी जाती है और इसका उपयोग केवल आय वृद्धि करने वाली आर्थिक विकास योजनाओं में किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे जितने भी अनुसूचित जातियों के व्यक्ति हैं उनमें से अधिक से अधिक लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यह सहायता राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के बीच अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या, राज्य के पिछड़ेपन की स्थिति और राज्य सरकारों के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

जैसा कि तालिका 10.4 में दिखाया गया है, विशेष केन्द्रीय सहायता ने राज्य सरकारों को विशेष संपटक योजनाओं में अधिक व्यय करने को प्रेरित किया है।

(करोड़ रुपये में)

सारणी 10.4  
केन्द्रीय सहायता

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	वि० सं० प० परिव्यय	प्रतिशत	विशेष केन्द्रीय सहायता
1979-80	5,967.03	240.54	4.03	5
1980-81	7,140.31	547.84	7.67	100
1981-82	8,229.31	632.76	7.69	110
1982-83	9,445.49	675.76	7.15	120
1983-84	11,120.80	754.86	6.79	130
1984-85	12,504.38	924.15	7.39	140
1985-86	12,949.76	1007.82	7.78	165

अनुसूचित जाति  
विकास निगम

आर्थिक विकास से मन्वन्धित ऐसी योजनाओं में जिनमें बैंक की जरूरत होती है, अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय संस्थानों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। अनुसूचित जाति विकास निगम भी इन परिवारों को अल्प-राशि वाली सहायता देकर वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली सहायता में वृद्धि करते हैं।

ये निगम 18 राज्यों तथा 3 केन्द्र शासित प्रदेशों (पाण्डिचेरि, दिल्ली तथा चण्डीगढ़) में स्थापित किये गये हैं। सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इन निगमों को शेष-पूंजी में 49:51 के अनुपात में पूंजी निवेश के लिए अनुदान दिये जाते हैं।

सारणी 10.5 अब तक दिए गए अनुदानों को प्रदर्शित करती है।

(लाख रुपये में)

सारणी 10.5  
अनुसूचित जाति  
विकास निगम के  
लिए अनुदान

वर्ष	राज्य सरकारों का योगदान	केन्द्र द्वारा दी गई राशि
1978-79	710.55	50.00
1979-80	703.16	1,224.00
1980-81	1,403.00	1,300.97
1981-82	1,367.56	1,332.87
1982-83	1,364.40	1,350.00
1983-84	1,759.93	1,400.00
1984-85	1,452.21	1,500.00
1985-86		1,500.00

टिप्पणी : इनमें 1984-85 में आन्ध्र प्रदेश के लिए 228.13 लाख रुपये की गैर-पूंजी वा शेष तथा आंध्र प्रदेश, वनारस, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के लिए प्रत्येक 50 लाख, 40.99 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 13.04 लाख रुपये की सहायता शामिल है।

इन निगमों द्वारा अजित अनुभवों व केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्ष 1981-82 में इस योजना में कुछ सुधार किए गए। अब ये निगम कुल 12,000 रुपये अनावर्ती लागत की योजनाओं को अल्प राशि ऋण सहायता दे सकते हैं। पहले यह सीमा 6,000 रुपये तक थी। राज्य सरकारें अब प्रोत्साहन-गतिविधियों के लिए और निगमों के कर्मचारियों की ऋण-वसूली/पर्यवेक्षण/मूल्यांकन गतिविधियों तथा तकनीकी विभागों के लिए वरावरी के आधार पर सहायता अनुदान पाने की हकदार हैं। इस सहायता-अनुदान पर कुल संचयी केन्द्रीय सहायता के एक निश्चित प्रतिशत की अधिकतम सीमा का प्रतिबंध है।

अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण

जनजातियों के विकास कार्यक्रम दो नीतियों को ध्यान में रखकर चलाये जा रहे हैं :—(अ) जीवन-स्तर को उठाने के लिए विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना; तथा (ब) कानूनी और प्रशासनिक सहायता द्वारा इनके हितों का संरक्षण करना।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास के लिए एक नई उप-योजना बनाई गयी। यह उन इलाकों के लिए थी जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक जनजाति के लोग रहते थे। बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान और अंदमान-निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के काफी बड़े भाग को इस उप-योजना से लाभ पहुंचाया गया। दूसरे राज्यों में, जहां जनजातियां फैली हुई हैं, उनके एक बड़े तबके को मदद पहुंचाने हेतु पचास प्रतिशत के नियम को शिथिल किया गया। शिथिल किये गये नियमों के तहत यह उप-योजना आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा गोवा, दमन और दीव में कार्यान्वित की गयी। सिक्किम में जनजाति उप-योजना क्षेत्र अगस्त 1980 में तय किये गये। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप और दादरा और नागर हवेली जैसे जनजाति बहुल राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इस उप-योजना में शामिल नहीं किये गये क्योंकि इन प्रदेशों की योजनाएं वास्तव में जनजाति विकास के लिए ही थीं।

छठी योजना में जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत एक संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एम० ए० डी० ए०) बनाया गया जो 10,000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक जनजातियां हैं, लागू होता है। सातवीं योजना में एक सामूहिक कार्यक्रम के तहत इसे 5000 जनसंख्या वाले इलाकों में भी जहां पचास प्रतिशत से अधिक जनजातियां थीं, लागू किया गया। इसके अलावा यह योजना उन इलाकों में भी कार्यान्वित हुई है जहां 73 अधिसूचित आदिम जनजाति के लोग रहते हैं और जिनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस जनजाति उप-योजना में अब 184 समेकित जनजाति विकास परियोजनाएं, 256 जनजाति बहुल क्षेत्र, 8 समूह और आदिम जनजातियों के लिए 73 परियोजनाएं आती हैं जो कि 5.01 लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र में चल रही

हैं और 19 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में जनजातियों के 372 लाख लोगों को लाभ पहुंचा रही है। जनजाति के लिए वनी उप-योजना के मुख्य उद्देश्य हैं : (1) जनजाति क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच विकास-असंतुलन को कम करना तथा (2) जनजातियों का जीवन-स्तर उठाना।

इस जनजातीय उप-योजना को चलाने के लिए धन राज्य योजनाओं से, केन्द्र सरकार के कल्याण-मंत्रालय की विशेष सहायता के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों से और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता है। पांचवी योजना के 1,100 करोड़ रुपये के निवेश की तुलना में छठी योजना में अनुमानित निवेश 5535.50 करोड़ रुपये होगा और सातवी योजना में संभावित निवेश 10,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन योजनाओं के लिए विशेष 'केंद्रीय सहायता सातवीं योजना में 756 करोड़ रुपये रखी गयी है। छठी योजना में यह राशि 485.50 करोड़ रुपये थी।

सातवी पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप-योजना लिए विशिष्ट उद्देश्य रखे गये हैं : (1) परिवारों के लिए लाभदायक कार्यक्रम चलाना, जिससे खेती, बागवानी, पशुधन और छोटे उद्योग-धंधों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके, (2) भूमि-हड़प, सूदखोरी, बंधुआ मजदूरी, वन और शराब के काम में जनजातियों के शोषण को समाप्त करना, (3) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास, (4) महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों तथा वनवासियों, झूम कृषक, विस्थापित और प्रवासी जनजाति तथा जनजाति स्त्रियों का विकास और (5) जनजाति क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार।

वीस सूचीय कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान देता है। छठी योजना (1980-85) के दौरान अनुसूचित जनजातियों के 39.67 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई जबकि लक्ष्य 27.60 लाख परिवारों का था। सातवी योजना (1985-90) में गरीबी रेखा से नीचे 40 लाख जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। सातवी योजना के पहले वर्ष (1985-86) में 8,73,100 परिवारों को मदद पहुंचाई गयी जबकि लक्ष्य 8,34,537 परिवारों का था।

### जनजाति अनुसंधान संस्थान

जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में काम कर रहे हैं। ये जनजाति उप-योजनाओं को बनाने, परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने, इनकी निगरानी, मूल्यांकन अनुसंधान, अध्ययन और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।

### अल्प संख्यों के लिए कल्याण कार्यक्रम

भारतीय संविधान के स्वभाष और धर्मनिरपेक्ष तथा समानता पर आधारित समाज के निर्माण संबंधी उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए संविधान में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान



हैं। संवैधानिक सुरक्षाओं के क्रियान्वयन पर निरंतर चौकसी तथा पुनर्निरीक्षण के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा कई आयोग भी बनाए गये हैं।

1978 में नियुक्त अल्पसंख्यक आयोग ऐसी ही एक संस्था है। इस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होते हैं। इस आयोग को सौंपे गये कार्य ये हैं—संविधान द्वारा प्रदत्त संरक्षण के क्रियान्वयन का मूल्यांकन, संरक्षणों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सिफारिश करना, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित नीतियों का पुनरीक्षण, अधिकारों तथा संरक्षणों से वंचित किये जाने संबंधी शिकायतों को सुनना, सर्वेक्षण और शोध कार्य करना, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में कल्याणकारी और उचित कानूनी युक्ति सुझाना, तथा समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए भी एक आयोग है जो भाषायी अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षणों से संबंधित मामलों की जांच करता है। विभिन्न भाषायी अल्पसंख्यक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों और निवेदनों को भी यह आयोग देखता है।

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 1983 में एक विशेष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम का संचालन केन्द्र सरकार और क्रियान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा होता है जिनकी हायता अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नियुक्त मुख्य अधिकारियों का जंत करता है। अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई तथा पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के समन्वय एवं देखरेख के लिए केन्द्र सरकार का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करता है। कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। कार्यक्रम का संचालन नियमित रूप से केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सहयोग से किया जाता है। पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं :—साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना, साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी जरूरतों पर विशेष जोर देना, सेवाओं में, विशेषकर केन्द्र और राज्य पुलिस सेवाओं में भर्ती के मामलों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देना तथा बीस-सूत्री कार्यक्रम सहित अन्य विकास कार्यक्रमों द्वारा मिलने वाले लाभों में अल्पसंख्यकों का समुचित हिस्सा सुनिश्चित करना।

पिछड़ी श्रेणी  
रिपोर्ट

वी० पी० मडल की अध्यक्षता में गठित द्वितीय पिछड़ी श्रेणी आयोग की रिपोर्ट, जो कि सरकार को 31 दिसम्बर 1980 को प्रस्तुत की गई थी, अभी विचाराधीन है।

वक्फ

वक्फ धार्मिक, पवित्र या दान कार्यों के लिए मुस्लिम कानून में स्वीकृत स्थायी रूप से समर्पित चल या अचल सम्पत्तियां हैं। वास्तव में वक्फ समाज-कल्याण के साधन हैं। वक्फ संस्थाओं का बेहतर प्रबंध तथा उद्देश्यों की प्राप्ति समाज के विकास और प्रगति में योगदान देती है।

वक्फ अधिनियम  
1954

वक्फ अधिनियम 1954 को लागू करने का दायित्व कल्याण मंत्रालय पर है। लेकिन यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं होता क्योंकि इन राज्यों के अपने वक्फ कानून हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी यह केन्द्रीय अधिनियम लागू नहीं होता है।

1954 का वक्फ अधिनियम एक विकेंद्रित प्रणाली की कल्पना करता है, जबकि प्रत्येक वक्फ का मुताबालिया (प्रबंधक) अपने दायित्वों को निभाने के लिए स्वतंत्र होता है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित वक्फ बोर्डों को राज्य के सभी वक्फ पर समग्र अधीक्षण का अधिकार होता है। वक्फ बोर्डों को यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य के वक्फों का ठीक तरह से रख-रखाव और प्रशासन हो तथा उनकी आय उन्हीं उद्देश्यों के लिए खर्च की जाए जिनके लिए वे बनाए गये हैं। वक्फ बोर्ड का अपना कार्यालय और स्टाफ होता है तथा विविध वक्फों से प्राप्त वैधानिक अंशदानों से बना उसका अपना कोष होता है।

वक्फ बोर्ड पर समग्र अधीक्षण राज्य सरकार के पास होता है जो बोर्ड के सदस्य और सचिव को नियुक्त करने के अलावा बोर्ड का वार्षिक बजट प्राप्त करती है और हिसाब-किताब की जाच के लिए लेखा-परीक्षक भी नियुक्त करती है। राज्य सरकार के पास बोर्ड को निर्देश देने के अधिकार भी हैं और कुछ मामलों में वह बोर्ड के निर्णय बदल भी सकती है।

नीति विपयक मामलों में केन्द्र सरकार वक्फ बोर्डों को निर्देश दे सकती है। केन्द्रीय वक्फ परिपद नामक एक कानूनी संस्था केन्द्र सरकार को वक्फ के प्रशासन के मामलों में सलाह देती है। वक्फ संबंधी कार्यों का केन्द्रीय मंत्री इस परिपद का प्रधान होता है।

देश में वक्फ प्रशासन को मजबूत करने के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1984 पारित किया गया। इस संशोधन अधिनियम की दो मुख्य बातें लागू की जा चुकी हैं, तथा शेष बातें लागू करने के लिए केन्द्र सरकार सश्रिय रूप से विचार कर रही है।

देश के वक्फ और वक्फ बोर्डों के वार्षिक साधन बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार केन्द्रीय वक्फ परिपद को वार्षिक सहायता-अनुदान देती है जिससे कि वह शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए कर्ज के रूप में मदद दे सके। अब तक 34 विकास परियोजनाओं को इस योजना से लाभ पहुंचा है जिसमें से 8 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। 1986-87 के लिए अनुदान-सहायता हेतु 50 लाख रुपये रये गये हैं।

जनसाधारण की समस्याओं के हल के लिए भी केन्द्र सरकार वक्फ बोर्डों राज्य सरकारों के माध्यम से मदद पहुंचाती है।

**दरगाह खाजा अजमेर** अजमेर स्थित खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्फ है। इसके प्रशासन का दायित्व दरगाह खाजा अधिनियम, 1955 के तहत इसी मंत्रालय का है। इस धार्मिक संस्था का प्रबंध केन्द्र द्वारा नियुक्त एक समिति करती है जिसमें एक अधिकारी सहायक के तौर पर काम करता है। इस अधिकारी को नाजिम कहा जाता है। समिति के पास स्वयं का कोष होता है और यह अन्य बातों के अलावा दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण का कार्य भी देखती है। समिति दो अौषधालय चलाती है और इसने सस्ती दरों पर आवास सुविधा दिलाने हेतु छः बहुमंजिले अतिथि-गृह भी बनवाए हैं।

**महिला व बाल कल्याण** महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अन्तर्गत देश में चल रहे सामान्य विकास कार्यक्रमों से मिलने वाले लाभों के अलावा इन दो वर्गों को विशेष सहायता दी जाती है। महिलाओं और बच्चों के लिए चल रहे विकास कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए सितम्बर 1985 में बने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास के लिए अलग विभाग बनाया गया। इस नवनिर्मित महिला और बाल विकास विभाग को एक केन्द्रीय संस्था के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया जिससे कि वह इस क्षेत्र में काम कर रही सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को निर्देश देने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उनके पुनरीक्षण का काम कर सके। इस विभाग के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों, खासकर समाज के निर्बल वर्गों का, समन्वित कार्यक्रमों द्वारा कल्याण करना है।

**प्रशासनिक संरचना** विकास और कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त केन्द्र सरकार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को निर्देश देने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने का कार्य भी करती है।

इस विभाग में दो ब्यूरो हैं: (1) पोषाहार और बाल विकास तथा (2) महिला कल्याण और विकास आयोजन। अनुसंधान और सांख्यिकी अनुभाग इस विभाग के कार्यकलापों को तकनीकी सहायता देता है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान इस विभाग को इसके कार्यों में मदद देते हैं। इनके अलावा स्वैच्छिक संस्थाएं भी इस कार्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

पोषाहार तथा बाल विकास विभाग बच्चों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने तथा बाल विकास की समग्र नीति निर्धारित करने के अलावा बाल विकास कार्यक्रमों में समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है। महिला कल्याण और विकास

विभाग देश में महिला कल्याण और विकास के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा यह विभाग महिलाओं के कल्याण और आर्थिक विकास के कुछ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी करता है।

### योजना निवेश

छठी योजना (1980-85) के 117.90 करोड़ रुपये से केन्द्रीय निवेश का सातवीं योजना (1985-90) में 738.12 करोड़ रुपये हो जाना इस बात का द्योतक है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा विकास के प्रति बहुत रजग है। केन्द्रीय योजना का र्च 1985-86 के 95.15 करोड़ रुपयों में बढ़कर 1986-87 में 155.14 करोड़ रुपये हो जाने की भाशा है।

### बाल विकास

बाल विकास कार्यक्रमों को देश में उच्चतम प्राथमिकता दी गयी है। अगस्त 1974 में सरकार द्वारा अपनायी गयी राष्ट्रीय बाल नीति के अनुसार बच्चे देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। यह नीति राज्य पर बच्चों के पालन तथा हित-चिन्तन का दायित्व जालती है। बच्चों की सारी अनिवार्य सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करके तथा उनके नियोजन, समीक्षा तथा समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय बाल-विकास बोर्ड बनाया गया है। इसी प्रकार के बोर्ड मुख्य मंत्रियों/उप-राज्यपालों/प्रशासकों की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में भी बनाए गये हैं।

### समेकित बाल विकास सेवा

समेकित बाल विकास सेवाएं मानव संसाधन विकास में मूल सहायक कार्य हैं, क्योंकि इन्हें छः साल तक के बच्चों और गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इस योजना में छोटी उम्र के बच्चों को कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमें पूरक पोषाहार, रोग निवारक टीके, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व-विद्यालय शिक्षा शामिल है। छठी योजना के अंत तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित 1.019 समेकित बाल-विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 1985-86 में 211 परियोजनाएं तथा 1986-87 में 244 अन्य समेकित बाल-विकास सेवा परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनके अलावा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारों ने 131 परियोजनाएं शुरू की हैं। अब तक पूरे देश में इस प्रकार की 1605 (1474 केन्द्रीय व 131 राज्य क्षेत्र की) समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। ये परियोजनाएं अत्यंत पिछड़े ग्रामीण/जनजाति इलाकों तथा शहरों के दुग्गी-गोंपडी क्षेत्र के चुने हुए छण्डों में लागू की जा रही हैं।

### बच्चों के लिए बालवाडियां

इस योजना में नौकरीपेशा तथा बीमार महिलाओं के पांच वर्ष तक के बच्चों को कुछ सेवाएं दी जाती हैं। इनमें दिन में देखभाल, सोने की व्यवस्था, पूरक पोषाहार, स्नान, मनोरंजन तथा साप्ताहिक स्वास्थ्य जांच शामिल है। स्वच्छिक सगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना की शुरुआत 1974-75 में 247 बालवाडियों की छोटी सी संख्या से हुई जिसमें लगभग 5,000 बच्चे थे।

वाद के वर्षों में इस योजना ने जोर पकड़ा तथा आज लगभग 8,000 बाल-वाड़ियां हैं, जिनसे 2,00,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है।

**पोपाहार कार्य** 1970-71 में प्रारम्भ किए गए विशेष पोपाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरों की गंदी वस्तियों, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों में छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोपाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से समेकित बाल-विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाने वालों की जरूरतें पूरी करता है। अभी पूरे देश में लगभग 110 लाख लोगों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। विशेष पोपाहार कार्यक्रम आंशिक रूप से केअर (कोपोरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर) और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिए गए अनाज से तथा आंशिक रूप से देशी अनाज से क्रियान्वित किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा प्रसूता महिलाओं के लिए 1 जनवरी 1986 से गेहूं पर आधारित पूरक पोपाहार के एक नये कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के और उपरोक्त विशेष पोपाहार कार्यक्रम के उद्देश्य, इनसे लाभान्वित होने वाला वर्ग तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि लगभग एक जैसी हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्तमान की खाद्यान्न सेवाओं का दायरा बढ़ाकर मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों, शहरों की गंदी वस्तियों और पिछड़े ग्रामीण इलाकों में और अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का है। इस कार्यक्रम के दो भाग हैं। अतिरिक्त उपभोक्ताओं को केन्द्रीय सहायता जिसमें मुफ्त गेहूं तथा अन्य खाद्य पदार्थों को समर्थित मूल्य पर दिलाना अनुदान तथा राज्यों द्वारा चलाए गए पोपाहार कार्यक्रमों में गेहूं के लिए राज्यों को शामिल है। आशा है कि 1986-87 के अंत तक यह नया कार्यक्रम 30 लाख अतिरिक्त लोगों को लाभ पहुंचाएगा।

एक अन्य पोपाहार कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बालवाड़ियों और दिन में बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है। इसके तहत 7,000 बालवाड़ियों के माध्यम से तीन से छः वर्ष तक की उम्र के 2.29 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये बालवाड़ियां जिन पांच स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं वे हैं: केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, हरिजन सेवक संघ, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पूरक पोपाहार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने की सुविधाएं उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही हैं ताकि इनका अधिकतम प्रभाव पड़े।

**राष्ट्रीय पुरस्कार** 1949 के अन्तर्राष्ट्रीय बाल-कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कारों की स्थापना की गई। बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कराने वाली संस्थाओं तथा व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं।

1986 से इस योजना में संशोधन करके सस्थाओं को पांच तथा व्यक्तियों को तीन पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है।

### राष्ट्रीय बालकोष

धर्मार्थ संस्था अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय बाल विकास वर्ष 1979 में एक राष्ट्रीय बालकोष की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा बाल विकास के लिए चलाए गए नवीन कार्यक्रमों के लिए एक मदद के स्रोत का निर्माण करना है।

### संयुक्त राष्ट्र संघ का बालकोष

भारत 1949 से यूनीसेफ से संबद्ध रहा है। बाल कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए यूनीसेफ भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता देता है। भारत ने यूनीसेफ के सामान्य संसाधनों में अपना योगदान उत्तरोत्तर बढ़ाया है जो अब 250 लाख रुपये है। 1961 में एक वर्ष तथा 1 अगस्त 1977 से 31 जुलाई 1978 तक एक अन्य वर्ष को छोड़कर भारत लगातार यूनीसेफ की कार्यकारी परिषद् का सदस्य रहा है।

### राष्ट्रीय जन-सहयोग तथा बाल-विकास संस्थान

नई दिल्ली स्थित 'राष्ट्रीय जन-सहयोग तथा बाल विकास संस्थान' स्वैच्छिक कार्य तथा बाल विकास के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर शोध करना तथा समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रमों व समाजिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देना इसके कार्यक्रमों में सम्मिलित है। इस संस्थान की तीन क्षेत्रीय इकाइयां गुवाहाटी, बंगलूर तथा लखनऊ में हैं।

### प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंत्रालय द्वारा कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों के लिए समुचित संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न अकादमी, शोध तथा प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से प्रायोजित किए गए हैं।

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को देशभर में फैले 300 अंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लगभग 22 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो समन्वित बाल-विकास सेवा के मध्यम स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जन-सहयोग तथा बाल-विकास संस्थान वरिष्ठ स्तर के विभिन्न समाज कल्याण कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं।

### महिला कल्याण

महिलाओं के लिए देश में एक राष्ट्रीय कार्य-योजना 1976 से शुरू की गई थी। यह योजना महिला कल्याण तथा विकास की नीतियां व कार्यक्रमों को बनाने के लिए दिशा-निर्देश देती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग में महिला ब्यूरो नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा समन्वय के लिए राष्ट्रीय संस्था है। वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए इस ब्यूरो को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

**महिला कर्मचारियों के लिए होस्टल,**

निम्न आयवर्ग की महिला कर्मचारियों को सस्ते तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने तथा होस्टलों के निर्माण/विस्तार के लिए स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से एक योजना 1972 में शुरू की गई। यह योजना 1982-83 में संशोधित की गई तथा आठ वर्ष तक की उम्र के बच्चों वाली नौकरीपेशा महिलाओं के होस्टलों के लिए अलग से दी जाने वाली सहायता को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यह योजना बने-बनाये भवनों को खरीदने में भी सहायता प्रदान करती है। ऐसी नौकरीपेशा महिलाएं जो प्रतिमाह 2,000 रुपये तक कुल वेतन पाती हैं, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होस्टलों में आवास पाने की हकदार हैं। इस योजना के अन्तर्गत उन पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो महिला कल्याण के क्षेत्र में लागत-साक्षेदारी के आधार पर काम कर रहे हैं। सरकार कुल अनुमानित लागत के 75 प्रतिशत के बराबर सहायता देती है। 1972-73 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 24,994 नौकरीपेशा महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 395 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं।

**पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र**

18 से 50 वर्ष की अत्यन्त गरीब महिलाओं को विक्री योग्य वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पुनर्वास केन्द्र बनाने की एक योजना 1977 में शुरू की गयी। महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान आवश्यकतानुसार आवास तथा देखभाल की सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना में एक साल से कम समय में ही परम्परागत और नये उद्योग-धंधों का प्रशिक्षण देने की योजना है। यह योजना स्वैच्छिक संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। जिन्हें इस कार्य के लिए 90 प्रतिशत सहायता दी जाती है। यह सहायता केन्द्र और राज्य सरकारें समान रूप से देती हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों में 90 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार देती है। इस योजना के तहत न्यास, धर्मार्थ संस्थान, ग्रामीण विकास एजेंसियां, पंचायतें और दूसरी स्थानीय संस्थाएं भी मदद पा सकती हैं।

**रोजगार तथा आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयां**

1982-83 में शुरू किये गये इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए आय तथा रोजगार उत्पन्न करने वाली योजनाएं शुरू करना था। नार्वे की एक अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था (नोराड) की मदद से यह कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम से गरीब ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा जनजाति जैसे कमजोर वर्गों की महिलाओं, युद्ध में मारे गये सैनिकों तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में लगे संगठनों के मृत कर्मचारियों की विधवाओं को लाभ मिल रहा है।

महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं को विविध प्रकार की धाम-उत्पादक गतिविधियों संचालित करने के लिए तथा जरूरतमंद व शारीरिक रूप से भक्षम महिलाओं को 'काम और मजदूरी' के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम में बड़े औद्योगिक उपकरणों की सहायक इकाइयों, हथकरघा और हस्तशिल्प इकाइयों जैसी सपु-औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की व्यवस्था है। इन इकाइयों में महिलाओं तथा शारीरिक रूप से भक्षम व्यक्तियों को पूर्ण-कालिक तथा अंशकालिक आधार पर कार्य करने तथा अपनी पारिवारिक भाग बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। दुग्ध, उत्पादन तथा सूत्र, बकारी, भेड़ तथा मुर्गी-पालन इकाइयों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया गया है। अपना उद्यम चलाने के लिए भी सहायता दी जा रही है। बोर्ड ने धम तक (मार्च 1986) 7,082 इकाइयां संचालित करने के लिए अनुदान दिए हैं जिनसे लगभग 88,800 लोगों को लाभ होगा।

प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के सघन कार्यक्रम

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 में शिक्षा के सघन कार्यक्रम शुरू किये गये। इसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक पाठशाळा के शिक्षकों, बाल रेगिनाओं, गरीब, स्वास्थ्य-परिचारकों, दाइयों, और विशेषतया ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन कार्यकर्ताओं का एक तक्षम और प्रशिक्षित यंत्र तैयार करना था। 1975 में व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया ताकि 18 से 30 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे वे अपनी धाम बढ़ा सकें। योजना के प्रारंभ से मार्च 1986 तक 9,652 पाठ्यक्रम स्वीकृत किए जा चुके हैं जिससे 2,15,664 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

स्वैच्छिक कार्रवाई विभाग

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने केन्द्र स्तर पर तथा 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्वैच्छिक कार्रवाई विभाग स्थापित किये हैं। इनका कार्य महिलाओं तथा बच्चों पर होने वाले अत्याचारों का प्रतिरोध करना तथा अत्याचार एवं अत्याचार के शिकार हुए लोगों को निवारक तथा पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना है। बोर्ड जरूरतमंद महिलाओं के परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए परिवार-परामर्श केन्द्र स्थापित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। 1985-86 में इस तरह के 20 केन्द्रों के लिए अनुदान स्वीकृत किए गए।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए सशिक्षक कार्य

महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सशिक्षक कार्य योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता देकर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से ग्रामस्थानों में सशिक्षक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं को नरकारी अधिकाधिक महिला दूसरे लोगों के लिए प्रशिक्षण देने के माध्यम से कानूनी शिक्षा प्रशिक्षण गिरी, स्त्रियों के लिए परा-कानूनी अत्याचारों को रोकने के लिए कानूनी शिक्षा की पुस्तिकाएं, मार्गदर्शिकाएं, आरंभिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए



परंपरागत माध्यमों द्वारा महिलाओं के प्रति हो रही घटनाओं के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना आदि कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

### अन्य कार्यक्रम

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए कई अन्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख हैं : स्थानीय ग्रामीण स्तर के महिला संगठनों (महिला मंडलों), व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, पुनर्वास केन्द्रों, निराश्रित महिला सदन, कालेजों में महिला विकास केन्द्रों, जनसहयोग से ग्रामीण महिलाओं का प्रशिक्षण, नौकरीपेशा महिलाओं के लिए होस्टल तथा प्रचार कार्यक्रमों आदि को सहायता देना। कुछ राज्यों ने महिलाओं को उनकी आर्थिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए महिला विकास निगम स्थापित किये हैं। कई स्वैच्छिक संगठन बाल-विवाह, दहेज प्रथा और लड़कियों की पढ़ाई छोड़ने जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार करने तथा जन सहयोग प्राप्त करने के कार्य में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

### विधायी उपाय

भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के लिए बनी समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए सरकार ने पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह-विच्छेद का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है। हिन्दू विवाह अधिनियम को इसी के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। क्रूरता तथा परित्याग को विवाह-विच्छेद के आधारों में सम्मिलित कर लिया गया है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दहेज लेना तथा देना सरकारी कर्मचारियों के 'आचरण नियमों' का उल्लंघन घोषित कर दिया गया है। राज्यों को भी इसी तरह की कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान परिश्रमिक देने और रोजगार के मामले में महिलाओं के प्रति भेद-भाव को रोकने की व्यवस्था है। हिन्दू-विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन करके किसी लड़की को, जिसका बाल्यावस्था में विवाह हो गया हो, यह अधिकार दिया गया है कि वह उसके वयस्क होने से पहले हुए विवाह को, चाहे विवाहोत्तर सहवास हुआ हो अथवा नहीं, अस्वीकार कर सकती है।

बाल-विवाह अवरोधक (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा विवाह की आयु लड़कियों के लिए 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इस अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय बना दिया गया है। कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1976 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जिसे स्थान पर 30 महिलाएं (जिनमें दिहाड़ी और ठेके पर काम करने वाली श्रमिक महिलाएं भी शामिल हैं) काम कर रही हों वहां बालवाड़ियां खोली जाएं। पहले यह व्यवस्था 50 महिला श्रमिकों के लिए काम के स्थान पर थी। प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 में अप्रैल 1976 में संशोधन करके उसमें उन महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की परिधि में नहीं आतीं। संसद द्वारा 1983 में दो दंड-विधि संशोधन विधेयक पारित किए गए जिनसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया

संहिता में संगोपन करके बनात्कार तथा महिलाओं के विरुद्ध ऐसे अन्य अपराधों के लिए अधिक कड़े और प्रभावी दंड की व्यवस्था की गई और माप ही भारतीय दंड संहिता में नया उद्भवन्ध शामिल करके महिलाओं पर उनके पति तथा अन्य मन्त्रियों द्वारा की गई कूरता को दंडनीय बना दिया गया।

### अर्न्तिक व्यापार का दमन

भारतीय संविधान मानव देह के व्यापार को निषिद्ध घोषित करता है। स्त्रियों और लड़कियों के अर्न्तिक व्यापार के दमन के लिए 1956 में बनाए गये कानून, का उद्देश्य जीवनयापन के लिए सर्गठित व्यवसाय के रूप में वेश्यावृत्ति को रोकना है तथा अधिमूर्चित इलाकों में वेश्यावृत्ति पर रोक लगाना है। इस कानून में दूसरी बार 1986 में संगोपन किया गया (पहला संगोपन 1978 में किया गया था)। इस संगोपन में वर्तमान कानून की कुछ कमियों को दूर किया गया तथा इनकी धाराओं को और कठोर किया गया जिससे कि अर्न्तिक व्यापार की इस समस्या के सभी पहलुओं का कारगर रूप में मुकाबला किया जा सके। संगोपित कानून, जिससे अर्न्तिक व्यापार (निवारण) कानून 1986 कहा गया है, उन सभी स्त्री और पुरुषों को संरक्षण देता है जिनका व्यापारिक कार्यों के लिए अर्न्तिक शोषण किया जा रहा था। इस कानून द्वारा बच्चों और नाबालिगों के प्रति हुए अपराधों के लिए कैद की अवधि बढ़ा कर सजा और कठोर की गई है। इस कानून के तहत वेश्यागृहों से छुड़ाए गए व्यक्तियों को देखभाल, इलाज और पुनर्वास के लिए बनाए (स्थापित) गये संरक्षण गृहों या सुधार संस्थाओं में भेजा जाता है। यह कानून राज्य सरकारों को इसके ठीक तरह से क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने के अधिकार देता है। अन्तर्राज्यीय अपराधों के मुकदमों को चलाने के लिए यह कानून केन्द्र सरकार को संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद विशेष न्यायालय स्थापित करने के अधिकार देता है। अंतर्राज्यीय न्यायिक अधिकार-क्षेत्र वाले जांच अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार भी केन्द्र सरकार के पास हैं।

### दहेज निषेध कानून

दहेज निषेध कानून, 1961 में हाल ही में सुधार करके दहेज निषेध (संगोपन) कानून, 1986 बनाया गया जिससे कि इसकी धाराओं को और कठोर एवं कारगर बनाया जा सके। संगोपित कानून के तहत दहेज लेने या देने में मदद करने के लिए न्यूनतम सजा बढ़ाकर 5 वर्ष कैद और 5,000 रुपये जुर्माना की गयी है। इस कानून के तहत अपराधों को गैर जमानती बनाने का प्रस्ताव भी है तथा इसके कारगर ढंग से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा मलाहकार बोर्ड और दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

### अनुसंधान और मूल्यांकन

सहायक अनुदान योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों को अनुसंधान और प्रकाशनों के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परि-योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान दिये जाते हैं। इस योजना में कार्य-अनुसंधान सहित अनुसंधान के लिए, विशिष्ट छात्रों को गवेषणात्मक

अध्ययन से संबंधित प्रकाशनों को प्रायोजित करने के लिए, तथा कार्यशालाओं/गोष्ठियों के आयोजन के लिए अनुदान दिए जाते हैं। उन व्यावहारिक अनुसंधान परियोजनाओं को प्रधानता दी जाती है जो योजना-नीतियों और सामाजिक समस्याओं के तहत महिला विकास और बाल कल्याण के लिए अविश्व सरकारी हस्तक्षेप को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। दहेज, निराश्रयता जैसी उभरती हुई सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाने वाले अध्ययन भी इसमें शामिल हैं। विभाग के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया जाता है जिससे कि उनकी मजबूती और कमजोरियों का पता लगाया जा सके। इन अध्ययनों के निष्कर्षों का उपयोग नीति-निर्धारण, कार्यक्रम आयोजन और उनके क्रियान्वयन में किया जाता है।

### सहायता और पुनर्वास

श्रीलंका से प्रत्या-  
वर्तित भारतीय

1964 और 1974 के भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार ने 17 वर्ष की अवधि में भारतीय मूल के 6 लाख लोगों को उनकी भावी संतान सहित भारतीय नागरिकता प्रदान करना और प्रत्यावर्तित करना स्वीकार किया था। सितम्बर 1986 के अन्त तक 1,15,457 परिवारों के 4,59,447 लाख व्यक्ति श्रीलंका से भारत वापस आ चुके थे। इन परिवारों को राहत तथा पुनर्वास जैसी कई प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

श्रीलंका में जुलाई 1983 और उसके बाद फरवरी 1985 में भड़की जातीय हिंसा की वजह से ऐसे भारतीय मूल के निवासी जो कि समझौते के अन्तर्गत नहीं आते हैं, भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर कही गयी श्रेणी के व्यक्तियों को भी, जो कि तमिलनाडु सरकार के पास सहायतार्थ पहुंचे हैं, राज्य में स्थापित विभिन्न शिविरों में प्रवेश दिया गया है।

24 अगस्त, 1986 को तमिलनाडु के इन शिविरों तथा अस्थायी शरणस्थलों में 25,873 व्यक्तियों के 6,725 शरणार्थी परिवार ठहरे हुए थे। उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान की गईं जो भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत इन शरणार्थियों को दी जानी थीं। उन्हें कोई पुनर्वास सहायता नहीं दी जा रही है क्योंकि स्थिति के सामान्य होते ही उनके श्रीलंका लौट जाने की आशा है।

असम में उपद्रव  
से पीड़ित व्यक्ति

असम में गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में लोगों पर असर पड़ा। सर्वाधिक उपद्रव के दौरान 3,10,732 लोग 250 राहत शिविरों में रहे। 10 अप्रैल 1983 को न्वालपाड़ा जिले में गड़बड़ी से 16,717 और लोगों पर असर पड़ा।

असम में राहत और पुनर्वास कार्यों में समन्वय के लिए गठित समन्वय समिति ने पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सहायता देने के मानदण्ड निश्चित किये। उन्हें राशन, कम्बल, कपड़ा, नकद सहायता आदि के जरिये राहत सहायता दी गई। असम में पीड़ित परिवारों के लिए स्थापित सभी राहत शिविर

अब बन्द कर दिये गये हैं तथा परिवार अपने गांवों को लौट गये हैं। इनमें से अधिकांश परिवारों को फिर से बसा दिया गया है।

पीड़ित परिवारों को घर लौटने पर मकान का फिर से निर्माण करने और दुधारू पशु खरीदने के लिए सहायता दी गई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कितारें खरीदने के लिए सहायता दी गई। कृषक परिवारों को बीज और खाद खरीदने, खेतों को ट्रैक्टर से जोतने और नए बैल खरीदने के लिए सहायता दी गई। गैर-कृषक परिवारों को छोटे व्यापार आदि के लिए प्रति परिवार 500 रुपये दिये गये। सभी पीड़ित परिवारों को उनकी जरूरत के अनुसार निश्चित अवधि के लिए निर्वहन सहायता भी दी गई। असम सरकार ने भी स्कूलों के पुनर्निर्माण, पुलों और सड़कों की मरम्मत तथा पीने के पानी की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। मृतकों के परिवारों को प्रत्येक मृतक के लिये 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई।

8,000 से अधिक व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल चले गये थे वे भी असम लौट आये हैं। अंतिम सूचना के अनुसार सितम्बर 1985 तक 2,261 पीड़ित व्यक्ति पश्चिम बंगाल के राहत शिविरों में रहे रहे हैं। असम सरकार इन परिवारों की वापसी के लिए कदम उठा रही है।

पेंशन और पेंशन  
भोगियों का  
कल्याण

देश के वरिष्ठ नागरिकों को विनम्र और शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए पेंशन भोगी कल्याण विभाग का गठन किया गया। इससे न केवल सिविल सेवाओं की और सर्वोत्तम प्रतिभा आकर्षित होगी बल्कि जन-साधारण के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए ये सेवाएं एक कारगर साधन बनेंगी। इस विभाग के बन जाने से पेंशन भोगियों की कठिनाइयों के निवारण के लिए एक आवश्यक सस्या उपलब्ध हो गयी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने चौथे वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में सशोधन किया जिससे कि आयोग पेंशन ढाचे, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में वर्तमान और भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए अपनी सिफारिशें दे सके। आयोग द्वारा गहन अध्ययन के कारण एक ऐसी पेंशन नीति तैयार करना संभव होगा जिससे कि ये वरिष्ठ नागरिक समुचित जीवन स्तर बनाए रख सकें, नियम और सरल बनाए जा सकें तथा पेंशन प्रशासन को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए नियम बनाए जा सकें।

लोगों को उनके विकास के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने तथा राष्ट्रनिर्माण के प्रयास में सक्रिय साझेदार बनने को प्रेरित करने में जनसंचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में एक ओर तो संचार के पारम्परिक तथा लोक माध्यमों के कुशल समन्वय के प्रयास किये जा रहे हैं तथा दूसरी ओर आधुनिक दृश्य-श्रव्य माध्यमों के साथ-साथ उपग्रह संचार के समन्वय के प्रयास भी हो रहे हैं। जनसंचार के क्षेत्र में केन्द्रीय महत्व की संस्था होने के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार इकाइयों की विस्तृत व्यवस्था है। इसके क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय तथा चलती-फिरती इकाइयां देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं।

### इलेक्ट्रॉनिक माध्यम

#### आकाशवाणी

भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में बम्बई और कलकत्ता में दो गैर-सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से हुई। भारत सरकार ने उन्हें 1930 में अपने अधिकार में ले लिया और उनका संचालन भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से करने लगी। 1936 में इस सेवा का नाम बदल कर 'आल इण्डिया रेडियो' कर दिया गया। 1957 से इसे आकाशवाणी कहते हैं और इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी जनसंचार विभागों में आकाशवाणी सबसे बड़ा है। यह केवल लोगों की जानकारी बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षित करने में ही नहीं, बल्कि स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने में भी बहुत प्रभावशाली माध्यम के रूप में काम कर रहा है।

#### प्रसारण नेटवर्क

1947 में भारत की स्वतन्त्रता के समय आकाशवाणी के केवल 6 केन्द्र थे। अब 91 केन्द्र हैं। इनमें से 3 केन्द्र केवल विविध भारती/विज्ञापन प्रसारण के लिए तथा 2 रिले केन्द्र हैं। विज्ञापन केन्द्र चण्डीगढ़, कानपुर और बड़ोदरा में हैं और रिले केन्द्र अलप्पी और अजमेर में हैं। भुवनेश्वर और शांतिनिकेतन में दो सहायक स्टूडियो केन्द्र हैं। आकाशवाणी केन्द्र देश के सभी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भाषायी क्षेत्रों में प्रसारण की सुविधा प्रदान करते हैं। आकाशवाणी द्वारा 170 ट्रांसमीटरों से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, जिनमें 131 मीडियम वेव के हैं, जिनसे देश के 79.81 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारण पहुंचता है और देश की 90.30 प्रतिशत जनसंख्या इनसे लाभ उठाती है।

#### संगीत

स्वाधीनता से पूर्व संगीत मुख्य रूप से शाही दरबारों के संरक्षण में था। 1947 में रजवाड़ों की समाप्ति के बाद संगीत की विरासत और उसके विविध स्वरूपों, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत, के प्रचार-प्रसार का दायित्व आकाशवाणी ने संभाला। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों ने संगीत कार्यक्रमों का

नियमित प्रसारण किया। इससे भारत के शास्त्रीय, सुगम, लोक और जनजातीय क्षेत्रों के संगीत के बारे में लोगों की जानकारी मिली और उन्होंने इसे समझा, सराहा।

इस समय आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कुल कार्यक्रमों में करीब 39.23 प्रतिशत कार्यक्रम संगीत के होते हैं। इनमें पूर्ण रूप से शास्त्रीय और अर्द्धशास्त्रीय संगीत के अलावा, सुगम संगीत, भक्ति संगीत और पाश्चात्य शास्त्रीय तथा सुगम संगीत शामिल हैं। इन नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस शताब्दी के छठे दशक में आकाशवाणी ने संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम और रेडियो संगीत सम्मेलन जैसे विशेष और व्यापक कार्यक्रमों की भी शुरुआत की। कुछ वर्ष बाद इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में क्षेत्रीय और सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम और युवा कलाकारों के क्षेत्रीय संगीत सम्मेलन भी जोड़ दिये गये। इन सभी कार्यक्रमों के जरिये आकाशवाणी देशव्यापी अपने प्रसार स्टेशनों के माध्यम से श्रोताओं के समस्त देश में उपलब्ध अच्छी से अच्छी संगीत प्रतिभागों को प्रस्तुत करती है।

देश की संगीत की विरासत के प्रति, विशेषतः युवा पीढ़ी में, ज्यादा अच्छी समझ पैदा करने की दृष्टि से आकाशवाणी अपने अनेक केन्द्रों से संगीत-शिक्षा और संगीत में रुचि और समझ पैदा करने वाले कार्यक्रम प्रसारित करती है। नियमित रूप से की जाने वाली संगीत स्वर परीक्षा और वार्षिक संगीत प्रतियोगिताओं के जरिये लगातार नई प्रतिभागों को लिया जाता है। ऊंचे स्तर के प्रतिभावान युवा कलाकारों को सार्वजनिक सम्मेलनों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया जाता है। आकाशवाणी में एक विशेष 'वृत्तिय' प्रणाली के अन्तर्गत एक क्षेत्र के कलाकारों द्वारा दूसरे क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों और संगीत सम्मेलनों की एक प्रमुख उपलब्धि है संगीत की हिन्दुस्तानी और कर्नाटक शैलियों का एकीकरण। ये दोनों शैलियाँ भारतीय संगीत की प्रमुख शैलियों में आती हैं। इन शैलियों में पारंगत प्रमुख संगीतज्ञों के साथ-साथ उमरती हुई युवा प्रतिभागों को भी इन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। इससे दक्षिण में हिन्दुस्तानी शैली और उत्तर भारत में कर्नाटक शैली के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। रेडियो संगीत सम्मेलन के समय दक्षिण भारत में हिन्दुस्तानी संगीत सभाओं और उत्तर भारत में कर्नाटक संगीत सभाओं का आयोजन किया जाता है।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित संगीत कार्यक्रमों में एक उल्लेखनीय प्रगति यह भी है कि 1952 में दिल्ली में आकाशवाणी वाद्यवृन्द नाम से राष्ट्रीय आरकेस्ट्रा शुरू किया गया। बाद में मद्रास में इसका एक और एकक शुरू किया गया। इन एककों में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीतज्ञ शामिल हैं। इन प्रमुख संगीत संचालकों द्वारा भारतीय संगीत को वाद्यवृन्द के जरिये पारम्परिक रागों, लोक ध्रुनों और कयात्मक और संगीत संरचनाओं के रूप में अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। कभी-कभी इन एककों को एक साथ मिलाकर सार्वजनिक रूप से भी प्रस्तुत किया जाता है।

लोक और सुगम संगीत के संरक्षण व विकास के लिए भी आकाशवाणी द्वारा बराबर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त, आकाशवाणी के केन्द्र, विभिन्न क्षेत्रों के लोक संगीत व जनजातीय संगीत के कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं। उच्च कोटि के सुगम संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आकाशवाणी के अनेक केन्द्रों को विशेष धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

आकाशवाणी के संगीत कार्यक्रमों में लोक संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। आकाशवाणी के कुल कार्यक्रमों में 39.23 प्रतिशत कार्यक्रम संगीत के होते हैं। कुल संगीत कार्यक्रमों के 11.33 प्रतिशत भाग में लोक संगीत होता है। आकाशवाणी केन्द्र साधारण तथा विशेष श्रोता कार्यक्रमों में नियमित रूप से लोक संगीत प्रसारित करते हैं। वे अपने क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के संगीत कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, जिनके लिए स्वर-परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रों की रिकार्डिंग इकाइयाँ दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर प्रसारण के लिए वहीं पर रिकार्डिंग करती हैं। काफी समय से लोक संगीत परम्परा को भावी पीढ़ी के लिए सुव्यवस्थित ढंग से एकत्र करने तथा उसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए 20 केन्द्रों पर लोक संगीत संग्रह केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य देश में उपलब्ध विभिन्न लोक संगीतों का संग्रह करना, उनको सूचीबद्ध करना तथा उनको सुरक्षित रखना है। ये केन्द्र बहुत दुर्लभ कार्यक्रम एकत्र करने में सफल हुए हैं। संग्रहण के अतिरिक्त, इन गीतों पर आधारित बहुत रुचिकर कार्यक्रम केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इनमें से दो कार्यक्रमों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है।

समूहगान के जरिये राष्ट्रीय एकता पैदा की जा सकती है; यह बात बहुत पहले समझ ली गई थी। फलतः भुरू में दिल्ली, मम्बई, मद्रास और कलकत्ता के चार क्षेत्रीय केन्द्रों में 4 समूहगान दल बनाये गये। इस योजना के विस्तार के फलस्वरूप अब 17 केन्द्रों ने अपने यहाँ समूहगान दलों की पक्की व्यवस्था कर ली है। समूहगान कार्यक्रम का देश व्यापी विस्तार हुआ है। अब देश-भर में समूहगान के प्रसार को एक बड़े आन्दोलन के रूप में लाया जा रहा है। बच्चों में समूहगान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से रेडियो से कुछ चुने हुए सरल धुनों वाले गीत प्रसारित किये जाते हैं तथा अध्यापकों व छात्रों को इसमें प्रशिक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय आन्दोलन के तौर पर समूहगान को लोकप्रिय तथा संबंधित करने के उद्देश्य से पहले तैयार की गई विस्तृत योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया है। अधिकतर आकाशवाणी केन्द्र समूहगान प्रसारण योजना के अन्तर्गत समूहगान प्रसारित कर रहे हैं, जिनका कुल प्रसारण सप्ताह में 318 बार है। सभी आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा एक साथ सप्ताह में 93 बार समूहगान से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी की विविध भारतीय सेवा भी पूरे देश में समूहगान योजना के गीत प्रसारित करती है।

समूहगान प्रसारण योजना के अन्तर्गत इन गीतों को लोकप्रिय बनाने के लिए 4 केन्द्रों पर कार्यरत क्षेत्रीय समितियाँ अग्रगामी कार्य कर रही हैं। जिन हजारों बच्चों व युवाओं ने रेडियो द्वारा समूहगान का प्रशिक्षण लिया है, वे अपने स्कूलों तथा विशेष समारोहों में ये गीत गा रहे हैं।

ऐसी 106 स्वैच्छिक संस्थाओं तथा 264 शैक्षिक संस्थाओं का पता लगा लिया गया है, जो समूहगान गाने की योजना को लोकप्रिय बनाने की इच्छुक हैं। उनमें से अधिकांश को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले गीतों के श्लेष तथा स्वर-लिपि दे दी गई है।

सारे भारत में सरकारी एजेंसियां तथा स्वैच्छिक संगठन समूहगान शिविर आयोजित कर रहे हैं और आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा उन्हें व्यापक प्रसारण तथा पूर्ण सहयोग मिला रहा है।

आकाशवाणी ने एक और मुख्य काम यह किया है कि अपने संग्रहालय से व्यापारिक आधार पर कुछ चुने हुए कार्यक्रमों के ग्रामोफोन रिकार्ड और कॅसेट रिकार्ड उपलब्ध कराए हैं। अब तक ऐसे 31 कार्यक्रमों के रिकार्ड जारी किए जा चुके हैं।

देश के विभिन्न भागों में आयोजित किये जाने वाले संगीत के कुछ प्रमुख कार्यक्रम भी आकाशवाणी प्रसारित करती है। उदाहरण के तौर पर त्यागराज और तानसेन उत्सवों के कुछ ग्रंथ राष्ट्रीय कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रसारण स्तर पर प्रसारित किये जाते हैं।

देश के कुछ भागों में पश्चात्य संगीत में रुचि रखने वाले श्रोताओं की भी एक बड़ी संख्या है। आकाशवाणी इस और भी आवश्यक ध्यान देती है। इस समय आकाशवाणी के 17 केन्द्रों से पश्चात्य संगीत का प्रसारण किया जाता है। इनमें से कुछ इसे युवा कार्यक्रमों के एक ग्रंथ के रूप में प्रसारित करते हैं। इन कार्यक्रमों में न केवल देश के पश्चात्य संगीत में दक्ष संगीतज्ञों को पेश किया जाता है, बल्कि दुनिया-भर में रिकार्ड किये हुए संगीत के सर्वोत्तम ग्रंथों को भी श्रोताओं की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। जब कभी प्रमुख पश्चिमी संगीतज्ञ भारत आते हैं, आकाशवाणी उनके सान्निध्य का लाभ उठाकर अपने श्रोताओं के लिए उनके संगीत को रिकार्ड कर लेती है।

आकाशवाणी की विविध भारतीय सेवा के अन्तर्गत लोकप्रिय संगीत जैसे फिल्मों और गैर-फिल्मी गीत, लोक गीत, वृन्दगान और देशभक्ति के गीत प्रसारित किये जाते हैं।

अपनी विदेश सेवा के जरिये आकाशवाणी द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाता है।

आकाशवाणी का संगीत संग्रहालय देश में महत्वपूर्ण संगीत रिकार्ड संग्रहों में से एक है।

विविध भारती  
तथा  
विज्ञान सेवा

लोकप्रिय मनोरंजन कार्यक्रम, जो कि 'विविध भारती' के नाम से जाना जाता है, 2 सप्ताह तरंग ट्रांसमीटरों (बम्बई व मद्रास) सहित 31 केन्द्रों से प्रसारित होता है और रविवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिनों में इसका कुल प्रसारण समय प्रतिदिन 12 घण्टे 45 मिनट है। रविवार और छुट्टियों वाले दिन यह समय 13 घण्टे 15 मिनट का होता है। इन कार्यक्रमों में फिल्म संगीत, हास्य नाटिकाएँ, सप्ताह नाटक और रूपक प्रस्तुत किये जाते हैं।



रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रायोगिक तौर पर 1 नवम्बर 1967 को चम्बई-नागपुर-पुणे से आरम्भ की गई थी और अब यह सेवा 29 केन्द्रों से प्रसारित होती है। 7, 10, 15, 20 और 30 सेकेण्ड की अवधि के किसी भी भाग में टेप रिकार्ड किये हुए विज्ञापन इस कार्यक्रम के लिये स्वीकृत किये जाते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम मई 1970 में आरम्भ किये गये। 1 अप्रैल 1982 से विज्ञापन सेवा सीमित प्रायोगिक रूप में प्रारम्भिक चैनल पर आरम्भ हो चुकी है। विज्ञापन प्रातः एवं सायंकालीन प्रत्येक हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन से पूर्व एक मिनट के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। यह सेवा अंग्रेजी के प्रातः एवं सायंकालीन समाचार बुलेटिन के बाद भी प्रदान की जाती है।

26 जनवरी 1985 से आकाशवाणी के 55 केन्द्रों से प्रारम्भिक चैनल (फेज-2) पर विज्ञापन सेवा शुरू कर दी गई है। श्रोताओं की पसंद, नाटकों तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों सहित ग्रामीण कार्यक्रमों, महिला कार्यक्रमों तथा फिल्म/सुगम संगीत (भारतीय तथा विदेशी) कार्यक्रमों में भी विज्ञापन/प्रायोजित कार्यक्रमों को स्वीकार किया जाता है।

### नाटक और रूपक

आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से प्रति सप्ताह कम से कम दो नाटक प्रसारित होते हैं। मौलिक नाटकों के अतिरिक्त, उत्तम रंगमंचीय नाटकों, उपन्यासों और लघु कहानियों के रेडियो रूपान्तर भी प्रसारित होते हैं। राष्ट्रीय नाटक कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं के उत्तम नाटकों का प्रसारण 1956 से शुरू किया गया। प्रति माह शृंखलाबद्ध नाटक भी प्रसारित किये जाते हैं। इस तरह एक वर्ष के दौरान 12 आदर्श नाटक तैयार किये जाते हैं और मुख्य केन्द्रों से इन्हें प्रसारित किया जाता है। वर्तमान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को उजागर करने वाली धारावाहिक नाटिकायें साप्ताहिक रूप से बहुत से केन्द्रों से प्रसारित की जाती हैं। विविध भारती के सभी केन्द्रों से हास्य नाटकों और झलकियों का प्रसारण भी किया जाता है।

राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व की बातों को ध्यान में रखते हुए रूपकों का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1956 में शुरू किया गया। इनके मूल आलेख चाहे हिन्दी या अंग्रेजी में हों, लेकिन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में रूपान्तरित करके उन्हें सभी क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है।

### समाचार एवं सामयिक विषय

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने समाचार बुलेटिनों, टिप्पणियों, वार्ताओं और सामयिक मामलों पर परिचर्चाओं के जरिए श्रोताओं को शीघ्र और विस्तृत खबरें देता है। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ-साथ संसद की कार्यवाही, गांवों की उन्नति और खेलों को भी उचित महत्व देता है। समाचार सेवा प्रभाग अपनी घरेलू, प्रादेशिक और विदेशी सेवाओं में प्रतिदिन 269 बुलेटिन प्रसारित करता है, जिनकी कुल अवधि 36 घंटे होती है। अपनी घरेलू समाचार सेवा में आकाशवाणी दिल्ली से प्रतिदिन 19 भाषाओं में

81 बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं, जिनकी प्रवधि 11 घंटे 25 मिनट होती है। प्रादेशिक समाचार एककों की संख्या 41 है। इनसे प्रतिदिन लगभग 60 भाषाओं और बोलियों में 124 बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। इसमें दिल्ली से प्रसारित होने वाले 3 बुलेटिन भी शामिल हैं। विदेशी सेवा में 64 बुलेटिन 24 भाषाओं में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से प्रतिदिन प्रसारित होते हैं, जिनकी प्रवधि लगभग 8 घंटे 52 मिनट होती है।

15 अगस्त 1985 से हर घंटे समाचार बुलेटिन प्रसारित करना शुरू किया गया। पहला बुलेटिन सुबह 6 बजे होता है और अंतिम अंधरात्रि को। इससे श्रोताओं को दुनिया-भर में होने वाली घटनाओं की नवीनतम जानकारी मिलती रहती है। अंग्रेजी और हिन्दी में विशेष समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं, जिनमें विश्व समाचार, खेलकूद समाचार और धीमी गति वाले बुलेटिन शामिल होते हैं। 1977 में जनरुधि समाचारों का एक साप्ताहिक बुलेटिन हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में शुरू किया गया तथा अंग्रेजी और हिन्दी में 'समाचारपत्रों से' शीर्षक से एक दैनिक कार्यक्रम शुरू किया गया। हज़ यात्रियों के लिए भी एक विशेष बुलेटिन प्रसारित किया जाता है।

जिन दिनों संसद का सत्र चलता है, संसद की दैनिक कार्यवाही की समीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित की जाती है। 1977 में 'दिस वीक इन पार्लियामेंट' और 'इस सप्ताह संसद में' के नाम से साप्ताहिक समीक्षा का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण कार्यक्रम शुरू हुआ। राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही की दैनिक व साप्ताहिक समीक्षा का कार्यक्रम सम्बन्धित भाषाओं में राज्यों की राजधानियों से प्रसारित किया जाता है। अंग्रेजी के 'स्नाट लाइट', हिन्दी के 'सामयिकी' और उर्दू के 'तम्मरा' कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञों की बातचीत और प्राकाशवाणी के संवाददाताओं की रिपोर्ट प्रसारित की जाती है। प्रत्येक रविवार को अंग्रेजी के 'करेंट अफेयर्स' कार्यक्रम में विशेषज्ञ ताजा मतलों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 'आर्षों देवा हाल', महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साक्षात्कार और दिन-प्रतिदिन होने वाली घटनाओं पर आम भावना की प्रतिक्रियाएं, 'रेडियो न्यूज रोल' द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में प्रसारित की जाती हैं।

प्राकाशवाणी से प्रसारित समाचारों का एक बड़ा भाग उसके अपने संवाददाताओं से प्राप्त होता है। भारत और विदेशों में प्राकाशवाणी के 90 पूर्णकालिक संवाददाता हैं। इनके अतिरिक्त, अंशकालिक संवाददाताओं की संख्या देश में 232 और विदेशों में 7 है। प्राकाशवाणी संवाद एजेंसियों की सेवाएं भी लेती है।

इनके अतिरिक्त, समाचार सेवा प्रभाग का मानीटरिंग यूनिट भी समाचारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह यूनिट नई दिल्ली में जनरल न्यूज रूम से संबद्ध है और विभिन्न विदेशी प्रसारण संगठनों के अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले 20 ट्रांसमिशन को प्रतिदिन मानीटर करता है।

**विदेश प्रसारण सेवा**

विदेशों के लिए प्रसारण सेवा का उद्देश्य यह है कि विदेशी श्रोताओं के सम्मुख देश की सही सस्वीर पेश करना और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर अपने देश के विचार प्रस्तुत करना है। इन सेवाओं के माध्यम से

विदेशी श्रोताओं को भारत में लोकतान्त्रिक प्रणाली की कार्य-पद्धति से अवगत कराया जाता है तथा अपनी उच्चकोटि की कला, संस्कृति और परम्पराओं में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया जाता है। इन प्रसारणों का उद्देश्य यह भी है कि विदेशों में रह रहे या बसे हुए भारतीय मूल के लोगों से सम्पर्क रखा जा सके।

संसार में दूर-दूर तक बसे विदेशी श्रोताओं के लिए 25 (8 भारतीय और 17 विदेशी) भाषाओं में प्रतिदिन 57 घंटे 45 मिनट के कार्यक्रम पेश किए जाते हैं।

पश्चिमी एशिया में भारतीय मजदूरों और प्रवासियों के लिए 28 मई 1984 से हिन्दी में एक नई खाड़ी सेवा शुरू की गई है। यह मिली-जुली सेवा प्रतिदिन 45 मिनट की होती है तथा रात को 11.15 से 12 बजे तक प्रसारित की जाती है। यह सेवा इस समय चल रही दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए हिन्दी सेवा के अतिरिक्त है।

इसके अतिरिक्त, 25 अक्टूबर 1984 में संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इस विविधतापूर्ण कार्यक्रम में समाचार, सामयिक विषयों के बारे में टिप्पणियाँ/साक्षात्कार, समाचार फीचर, पैनल विचार-विमर्श, प्रहसन, हास्य नाटिकाएँ/लघु नाटिकाएँ, सुगम, लोक एवं शास्त्रीय संगीत आदि रहते हैं। इस कार्यक्रम की 12 प्रतियाँ विदेश मंत्रालय को भेज दी जाती हैं, जो इन्हें इस कार्यक्रम में रुचि वाले रेडियो स्टेशनों को भेज देता है। इन कार्यक्रमों का अच्छा स्वागत हुआ है।

**विशेष श्रोता वर्ग के लिए कार्यक्रम**

विशेष श्रोता वर्गों और विशेष अवसरों के लिए कार्यक्रमों में सैनिकों, महिलाओं और बच्चों, युवाओं, विद्यार्थियों, ग्रामीण और जनजातीय लोगों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। 14 आकाशवाणी केन्द्र सैनिकों के लिए नित्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और 60 आकाशवाणी केन्द्र सप्ताह में दो बार प्रादेशिक भाषाओं में महिलाओं के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर 36 परिवार कल्याण एककों द्वारा नियोजित व प्रस्तुत किए जाते हैं। लगभग सभी केन्द्र सामान्यतया परिवार कल्याण और स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। ये कार्यक्रम ग्राम कार्यक्रमों में भी शामिल किए जाते हैं और उन विशेष कार्यक्रमों में भी, जो कि विशेष श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

आकाशवाणी के लगभग सभी केन्द्र ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रतिदिन 30 से 75 मिनट का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनके अलावा, प्रत्येक दिन 45 से 55 मिनट का कृषि कार्यक्रम 64 कृषि और गृह इकाईयाँ प्रसारित करती हैं। ये इकाईयाँ विभिन्न केन्द्रों में काम कर रही हैं।

युवा वर्ग, जो देश में अधिसंख्यक रूप से है, को आत्म-अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए देश के भविष्य निर्माण में भागीदारिता की भावना जगाने और उसका राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित



अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जो सुरक्षित है, वह इस प्रकार है (1) वेदों का परम्परागत ढंग से संस्कृत में पाठ, (2) हिन्दी और अन्य भाषाओं के प्रमुख कवियों के कविता पाठ, (3) हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के पुराने गायकों के गायन, (4) विभिन्न घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख गायकों के चुने हुए गायन, लोक संगीत, भक्ति संगीत और रंगमंच गीतों के चुने हुए अंश और (5) स्वतन्त्रता सेनानियों की रिकार्डिंग।

हिन्दुस्तानी, कर्नाटक और लोक तथा प्रादेशिक संगीत के महान आचार्यों का लगभग 2,100 घंटे से अधिक का संगीत अब तक सुरक्षित किया जा चुका है और संगीताचार्यों के दुर्लभ और प्राचीन रिकार्डों का संग्रह करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

1982 के नवें एशियाई खेलों की 200 घंटे की रिकार्डिंग में से खेलकूद की विशिष्ट घटनाओं की विवेचनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें कमेंटरी के महत्वपूर्ण अंश भी शामिल किए गए हैं। स्वर टेप संग्रहालय द्वारा कला, साहित्य, इतिहास और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों की जीवनियों से संबंधित इतिहास को प्रस्तुत करने का महान कार्य किया गया।

आकाशवाणी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तैयार करने में ध्वनि संग्रहालय की सामग्री का भरपूर उपयोग करती है। अप्रैल 1974 से इसमें उपलब्ध रिकार्डों पर आधारित एक घण्टे की अवधि का 'चयन' नामक साप्ताहिक कार्यक्रम हर रविवार को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित हो रहा है। एक वैंसा ही आधे घण्टे की अवधि का 'संचयिता' नामक साप्ताहिक कार्यक्रम युवा वाणी से प्रसारित किया जाता है।

इस सेवा का कार्यक्रम आदान-प्रदान एकक, आकाशवाणी के केन्द्रों और विदेशी प्रसारण संगठनों से प्राप्त रिकार्डिंग और आलेख विभिन्न केन्द्रों को भेजा जाता है। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों—संगीत, नाटक, रूपक, वार्ताओं/साक्षात्कारों और चर्चाओं को सभी केन्द्रों में भेजा जाता है। लगभग 50 विदेशी प्रसारण संगठनों से सामग्री प्राप्त की जाती है, जिसे उचित कार्रवाई के पश्चात् आकाशवाणी के केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाता है।

### कार्यक्रम पत्रिकाएं

आकाशवाणी द्वारा पाक्षिक कार्यक्रम पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं इनमें से आकाशवाणी (अंग्रेजी), आकाशवाणी (हिन्दी), और आवाज (उर्दू) दिल्ली से प्रकाशित होती हैं और वनोली (तमिल) मद्रास से<sup>1</sup>। विदेश सेवा विभाग विदेशों में रहने वाले श्रोताओं के लिए अरबी, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, इंडोनेशियन; नेपाली, फारसी, पश्तो, स्वाहिली, और तिव्वती भाषाओं में त्रैमासिक कार्यक्रम पत्रक छापता है। अंग्रेजी में 'इंडिया कालिंग' नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

### दूरदर्शन

भारत में दूरदर्शन 15 सितम्बर 1959 को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। अपने जीवन के तीसरे दशक में अब तक यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वरूप ग्रहण कर चुका है।

1. अप्रैल 1987 से इसका प्रसारण बंद कर दिया गया है।

31 दिसम्बर 1986 को 11 पूर्ण केन्द्र थे, जिनके साथ 5 रिसे केन्द्र; 4 साइट ( SITE ) कंटीन्यूटी केन्द्र और 6 इन्सेट स्टेशन जुड़े हुए थे। थोप 159 केन्द्र कम शक्ति वाले रिसे ट्रांसमीटर हैं, जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इन 185 ट्रांसमीटरों के जरिए दूरदर्शन के कार्यक्रम देश की 70 प्रतिशत जनता देय सकती है। विस्तार के इस प्रयत्न व्यापक कार्य में स्वदेशी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है और इनसे देश के ग्रामीण और सुदूरवर्ती बसे प्रदेशों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिली है।

1972 में बम्बई में देश के दूसरे दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना तक देश में पहले दूरदर्शन केन्द्र ने उल्लेखनीय प्रगति नहीं की थी। बम्बई के बाद श्रीनगर, अमृतसर, कलकत्ता, भद्रास और लखनऊ केन्द्रों की स्थापना की गई। 1975-76 में 'साइट' दूरदर्शन से प्राप्त उपयोगी अनुभवों के परचात भारत ने अपना बहु-उद्देशीय उपग्रह इन्सेट छोड़ा। इस उपग्रह का दूरदर्शन के साथ-साथ दूर संचार, आकाशवाणी और मौसम विज्ञान के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 अगस्त 1982 से दूरदर्शन ने अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रारम्भ कर दिया। रात 8.40 बजे से 11.15 बजे तक यह कार्यक्रम सभी केन्द्रों से एक साथ रिसे किया जाता है। उसी दिन से 6 राज्यों—भारत प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में नियमित इन्सेट सेवा शुरू की गई, जिसमें अधिकतर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण और आदिवासी लोगों की रुचि तथा महत्व के कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। यह समूची सेवा उपग्रह के माध्यम से प्रसारित की जाती है और इन राज्यों में डायरेक्ट रिसेवर सेट तथा अति उच्च फ्रीक्वेंसी सेट लगाए गए हैं। दूरदर्शन के इतिहास के इसी स्वर्णिम दिवस पर रंगीन टी० वी० का भी शुभारम्भ हुआ।

दूरदर्शन की स्कूल टेलीविजन सेवा का प्रारम्भ अक्टूबर 1961 में हुआ था। इस समय अनेक दूरदर्शन केन्द्र तथा 'साइट' और इन्सेट केन्द्र शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। अगस्त 1984 से विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग के सहयोग से विश्वविद्यालयों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होने लगे हैं।

दूरदर्शन 1982 में नवें एगिवाई खेलों और 1983 में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन तथा राष्ट्र मण्डन देशों के भासनाध्यक्षों तथा राज्याध्यक्षों के सम्मेलन जैसे आयोजनों को 'कवर' करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा चुका है।

दूरदर्शन ने देश के लोगों की मांग पूरी करने तथा दूरदर्शन को ग्राम आदमी तक ले जाने के उद्देश्य से नए ढंग के कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए, जिनमें जनवाणी, सच की परछाइयाँ, बियॉड टूमर्रो, रोविंग आई, आदि उल्लेखनीय हैं।

पहली जनवरी 1976 से दूरदर्शन पर विज्ञापन सेवा प्रारम्भ हुई। शुरू में केवल स्पॉट विज्ञापन प्रसारित किए जाते थे। किन्तु अब स्पॉट विज्ञापनों के साथ-साथ प्रायोजित कार्यक्रम और पारिवारिक धारावाहिक कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं। कार्यक्रमों में विविधता लाने के उद्देश्य से बाहरी निर्माताओं और एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए प्रायोजित कार्यक्रम भी प्रतिदिन दिखाए जाते हैं।

एक चैनल प्रभावी के कारण जो कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए दिल्ली में दूसरा चैनल 17 सितम्बर 1984 से और बम्बई में 1 मई 1985

से शुरू किया गया। वाकी महानगरों में भी दूसरे चैनल शीघ्र ही शुरू किए जाने की आशा है। दूसरा चैनल अनिवार्यतः स्थानीय श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

दूरदर्शन की भावी योजनाओं में स्थानीय टेलीविजन सेवा शुरू करना, राज्यों की राजधानियों में स्टूडियो सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना और राजधानियों से राज्य के अन्य ट्रांसमीटरों को रिले करने के लिए उपग्रह माइक्रोवेव सम्पर्क चालू करना शामिल है। मूलभूत उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले दर्शकों को राष्ट्रीय और स्थानीय रुचि के कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं। प्रारम्भ में 9 अगस्त 1986 से महाराष्ट्र के सभी कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को बम्बई से जोड़ दिया गया है, ताकि इन्स्ट-1 वी के सी-बैंड ट्रांसपांडर के माध्यम से बम्बई से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम रिले किए जा सकें।

### समाचारपत्र एवं मुद्रण माध्यम

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय, जो साधारणतः प्रेस रजिस्ट्रार के नाम से जाना जाता है, 1 जुलाई 1956 से शुरू हुआ। प्रेस रजिस्ट्रार के कार्यकलापों को प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में परिभाषित किया गया है, जिनका समय-समय पर संशोधन होता रहा है। इन कार्यों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज के आवंटन और छपाई की मशीनों के आयात के लिये अनुमोदन करने का काम भी करता है।

भारतीय प्रेस में 36 समाचारपत्र ऐसे हैं, जो अपनी शताब्दी मना चुके हैं। गुजराती भाषा का बम्बई से प्रकाशित होने वाला 'बम्बई समाचार' सबसे पुराना समाचारपत्र है, जो अब भी प्रकाशित होता है। यह 1822 में शुरू हुआ था। भारतीय प्रेस की एक मजेदार विशेषता यह है कि 1984 के दौरान दो बंगला दैनिक समाचारपत्र 'आनन्द बाजार पत्रिका' और 'युगान्तर' की प्रसार-संख्या सबसे अधिक थी, जब कि संख्या में हिन्दी के दैनिक समाचारपत्र सबसे अधिक थे।

1984 के अन्त में समाचारपत्रों की कुल संख्या 21,784 थी, जबकि 1983 में यह 20,758 थी। यह वृद्धि 4.9 प्रतिशत की थी। इनमें से 1,609 दैनिक, 111 वे समाचारपत्र जो सप्ताह में दो/तीन बार निकलते हैं, 6,469 साप्ताहिक और 13,595 अन्य प्रकार की आर्वाधिक पत्र-पत्रिकाएँ थीं।

अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 3,063 समाचारपत्र प्रकाशित किये जाते हैं। उसके बाद क्रमशः दिल्ली (2,772); महाराष्ट्र (2,735) और पश्चिम बंगाल (2,378) का स्थान है। 1,000 से अधिक समाचारपत्रों के प्रकाशन वाले राज्यों में तमिलनाडु (1,328), राजस्थान (1,210), आन्ध्र प्रदेश (1,198) और केरल (1,112) थे।

उत्तर प्रदेश की स्थिति दैनिक समाचारपत्रों के प्रकाशन (221) में भी सबसे ऊपर है। उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (185) का स्थान है।

1984 के दौरान 99 विदेशी प्रचारक प्रकाशन थे। ये प्रकाशन भारत में रहने वाले 26 विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित किए गए। सोवियत संघ का दूतावास सबसे

अधिक (49) प्रकाशन निकाल रहा है। अन्य द्वावस पांच से कम प्रकाशन निकाल रहे हैं।

समाचारपत्र 92 भाषाओं में प्रकाशित हुए। यह 16 मुख्य भाषाओं के प्रतिरिक्त 76 अन्य भाषाओं में और कुछ विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हुए। सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हिन्दी (6,370) में और इसके बाद अंग्रेजी (3,961) में हुआ।

सारणी 11.1 में 1984 के अन्त में समाचारपत्र के भाषावार प्रकाशन का विवरण दिया गया है।

31 दिसम्बर 1984 को समाचारपत्रों की कुल प्रसार संख्या 8,11,47,000 प्रतियाँ थी, जबकि 1983 में यह संख्या कुल 5,53,91,000 थी। इस प्रकार यह संख्या 10.4 प्रतिशत बढ़ी। 7,622 समाचारपत्र ऐसे थे, जिन्होंने 1984 के लिए अपनी प्रसार संख्या सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत किये। इनमें से केवल 217 बड़े (प्रसार संख्या 50,000 प्रतियों से अधिक), 461 मझौते (प्रसार संख्या 15,001 से 50,000 के बीच) और 6,944 छोटे पत्रों (प्रसार संख्या 15,000 तक) की श्रेणी के थे।

सारणी 11.1  
समाचारपत्रों की संख्या  
(भाषा और अवधिवार)

दैनिक	त्रि/द्वि/साप्ताहिक	साप्ताहिक	अन्य	योग	
हिन्दी	554	27	2,900	2,889	6,370
अंग्रेजी	138	13	440	3,370	3,961
असमो	3	2	28	54	87
बंगला	52	10	433	1,167	1,662
गुजराती	41	5	177	512	735
कन्नड	93	3	173	418	687
कश्मीरी	—	—	1	—	1
मलयालम	118	—	125	673	876
मराठी	132	15	391	630	1,168
उड़िया	17	—	42	253	312
पंजाबी	29	1	192	251	473
संस्कृत	2	—	4	25	31
सिंधी	7	—	22	40	69
तमिल	113	3	134	642	892
तेलुगु	42	2	167	396	607
उर्दू	182	9	723	578	1,492
द्विभाषी	35	15	382	1,260	1,692
बहुभाषी	9	2	68	281	360
अन्य	42	4	67	196	309
<b>कुल</b>	<b>1,609</b>	<b>111</b>	<b>6,469</b>	<b>13,595</b>	<b>21,784</b>



स्वामित्व का स्वरूप 1984 के दौरान संस्कृत और कश्मीरी को छोड़कर शेष सभी भाषाओं के समाचारपत्रों के सबसे बड़े भाग का स्वामित्व निजी हाथों में था। निजी स्वामित्व वाले समाचारपत्रों की प्रसार संख्या भी सबसे अधिक 36.6 प्रतिशत थी। सारणी 11.2 में समाचारपत्रों की प्रसार संख्या और उनका स्वामित्व दर्शाया गया है :

सारणी 11.2  
स्वामित्व का स्वरूप

स्वामित्व का प्रकार	संख्या <sup>1</sup>	प्रसार (हजार में)	कुल प्रसार का प्रतिशत
निजी	4,646	22,397	36.6
ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी	515	22,266	36.4
फर्म/साझेदारी	407	6,351	10.4
समितियों/संघ	1,347	4,495	7.6
ट्रस्ट	275	3,306	5.4
सरकार	213	1,347	2.1
अन्य	218	985	1.5
<b>कुल]</b>	<b>7,622</b>	<b>61,147</b>	<b>100.00</b>

### पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की सूचना देने की केंद्रीय एजेंसी है। इस कार्यालय द्वारा दी गई सूचनायें देशी/विदेशी दैनिक समाचारपत्रों, समाचार पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों, रेडियो और दूरदर्शन संगठनों तक पहुंचती हैं। देश-भर में इसके अपनी टेलीप्रिंटरो और हवाई डाक सुविधाओं के कारण ये सूचनायें न केवल दिल्ली के समाचारपत्रों तक, बल्कि देश के अन्य भागों के समाचारपत्रों तक भी पहुंच जाती हैं। देश का अन्य कोई भी सूचना संगठन इतने अधिक समाचारपत्रों और जनसम्पर्क माध्यमों तक नहीं पहुंच पाता। समाचार एजेंसियों के लगभग एक हजार समाचारपत्र ग्राहक हैं, जबकि पत्र सूचना कार्यालय 7,000 समाचारपत्रों को प्रेस-सामग्री का वितरण करता है।

1. उन समाचारपत्रों के संबंध में जिनकी प्रसार संख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं।

कार्य

पत्र सूचना कार्यालय इस आधारमूल सिद्धान्त पर कार्य करता है कि लोकतांत्रिक सरकार द्वारा जनता को अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकृतियों की सही जानकारी दी जानी चाहिए, जिसकी सद्भावना व सहयोग से उसे कार्य करने का हक प्राप्त होता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पत्र सूचना कार्यालय के मुख्य कार्य सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों और कार्यकृतियों की सूचनाएँ देना, सरकार को बताना कि इन सूचनाओं का जनता पर क्या असर पड़ा, और सरकार को अपनी सूचना नीति के निर्धारण के लिये परामर्श भी देना है।

इस संगठन के अधिकारी ननी मंत्रालयों और विभागों के मुख्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये अधिकारी अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों में दैनिक सम्पर्क बनाये रखते हैं। सरकारी नीतियों को समझाने और व्याख्यायित करने तथा वास्तविक सूचना देने के अलावा सूचना अधिकारी जनता की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने की भूमिका भी निभाता है। वह सरकार को जनमत की जानकारी देता है। साथ ही उसे सरकार को सूचना नीति के निर्धारण में परामर्शदाता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। वह समाचारपत्रों के सम्पादकों और अन्य जन-सम्पर्क माध्यमों के प्रतिनिधियों से बराबर सम्पर्क बनाये रखता है।

घर-घर सूचना भेजने के लिये पत्र सूचना कार्यालय अनेक साधनों का इस्तेमाल करता है। इस कार्यालय द्वारा जारी की गई लिखित सामग्री में प्रेस वक्तव्य, प्रेस टिप्पणियाँ व विज्ञापियाँ, घटनाओं की पृष्ठभूमि, लेख और पत्रक शामिल होते हैं। यह सामग्री अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू तथा अन्य 15 भाषाओं में जारी की जाती है। कार्यालय प्रेस सम्मेलनों व प्रेस विवरण-बैठकों आयोजन करता है, ताकि लोक सम्पर्क माध्यमों के प्रतिनिधि ताजी खबर स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें।

लोगों को विनोद समस्याओं तथा पिछड़े, आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्रों के अल्पजाने वाले विनाश कार्यों से अवगत कराने के लिए पत्र सूचना कार्यालय विनाश के कारणों का आयोजन करता है। पिछड़े, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण का दिल्ली तथा अन्य विकसित भागों में भी ले जाया जाना है ताकि विनाश लोको में राष्ट्रीय एकरा विकसित हो।

सहयोग, समानता

पत्र सूचना कार्यालय सरकार के कार्य-कृतियों से सम्बन्धित पत्रों के प्रादान-प्रदान दैनिक तथा साप्ताहिक समाचार पत्रिकाओं को सरकार जागरूक करने के लिए काफी संख्या में फोटों भी उपलब्ध कराता है, जुलाई के लिखित सामग्री को सहज रूप से ग्राह्य और आकर्षक अक्षरों में चुना गया। अपना टेली-फोटो उपकरण है, जिसके जरिये फोटो सम्मेलन में भारत को कार्यालयों को भेज दिये जाते हैं।

एरे में मार्च 1986 में

छोटे और मध्यम दर्जे के उन समाचारपत्रों को चुना गया।

के अलावा भेजता है, जिनके पास अनाक बनाने की सुविधा है। के भारतीय के लिये प्रणाली में उपयोग होने वाले चयन भेजे जाते हैं; के अलावा के अलावा

फोटो सेवा

## प्रत्यायन

कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रत्यायित संवाददाताओं और कैमरामैनों को व्यावसायिक सुविधा देता है। 31 दिसम्बर 1985 तक कुल 841 संवाददाता, कैमरामैन और तकनीशियन प्रत्यायित थे। दूसरे देशों से आये संवाददाताओं/कैमरामैनों को, जो थोड़ी अवधि के लिए भारत आते हैं, अस्थायी प्रत्यायन की सुविधाएं दी जाती हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए विशेष प्रत्यायन देने की व्यवस्था की जाती है।

## सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

पत्र सूचना कार्यालय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और करार के अन्तर्गत पत्रकारों के लिए देश-विदेश की यात्राएं आयोजित करने वाली एजेंसी भी है।

## क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय के नेटवर्क में 4 क्षेत्रीय, 36 शाखा कार्यालय और 13 सूचना केन्द्र हैं। क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों की सहायता से अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा देश भर के समाचारपत्र-पत्रिकाओं व अन्य सूचना माध्यमों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रेष सामग्री भेजी जाती है। मुख्यालय से इन कार्यालयों का सम्पर्क टेलीप्रिंटर्स के जरिये बना रहता है।

## कम्प्यूटरीकरण

समाचारपत्रों तक सूचना तीव्र गति से पहुंच सके, इस उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय एक डाटा बैंक और सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली (इन्फोरमेशन रिट्रीवल सिस्टम) स्थापित करने जा रहा है। इस सिस्टम या प्रणाली के माध्यम से कार्यालय का नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और कुछ क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय कम्प्यूटराइज्ड डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ जाएंगे। ऐसा होने पर सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में देश-भर के समाचारपत्रों और अन्य सूचना माध्यमों को एक साथ जानकारी दी जा सकेगी।

## एजेंसियां

## पत्र सूचना कार्यालय

भारत में चार समाचार एजेंसियां हैं—प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया (पी० टी० आई०), यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया (यू० एन० आई०), समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार। 1976 में इन चारों एजेंसियों का 'समाचार' नामक एजेंसी में विलय हो गया था। दो वर्ष बाद 'समाचार' एजेंसी को समाप्त कर दिया गया और 14 अप्रैल 1978 से चारों एजेंसियां फिर से स्वतन्त्र रूप में काम करने लगीं।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया (पी० टी० आई०) की स्थापना 27 अगस्त 1947 हुई थी। इसने एसोसिएटेड प्रेस आफ इंडिया तथा रायटर्स का स्थान लिया। महानगरों में इसने अपनी समाचार सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण कर लिया है। पंद्रह अपने शेष 120 सामाचार कार्यालयों और अपनी सभी सेवाओं का है, नकीकरण करने जा रहा है। शीघ्र ही पी० टी० आई० के पूर्ण स्वामित्व में विश्वियक 'संगठन' पी० टी० आई० इंटरनेशनल की स्थापना हो जाएगी, जो समाचारों की व्यवस्था करेगा। 1986 के प्रारम्भ में इसने पी० टी० आई० के नाम से एक हिन्दी समाचार सेवा शुरू की। निकट भविष्य में शेष 15 भाषाओं में भी समाचार सेवाएं शुरू की जाएंगी।

लंदन और न्यूयार्क में पी० टी० आई० के पूर्ण सूचना कर्पोरेशन है और विश्व की 30 महत्वपूर्ण राजधानियों में इसके पूर्णकालिक और अंतरराष्ट्रीय संचालनकर्ता हैं। लगभग 100 देशों से इसकी समाचार आदान-प्रदान सेवा है। गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसियों के पूल का यह सक्रिय भागीदार है। आजकल पी० टी० आई० एशिया-प्रशांत समाचार एजेंसियों के संगठन (ओ० ए० एन० ए०) का अध्यक्ष है।

यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया 1959 में एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत हुई थी। मार्च 1961 से इसने समाचार देने का काम संभाला। मई 1982 से इस एजेंसी ने 'भूनीवात' नाम से हिन्दी में समाचार सेवा शुरू की है। यह चार छोटी-छोटी देशों के लिए भी एक समाचार सेवा का संचालन करती है। विश्व की 22 राजधानियों में इसके संचालनकर्ता हैं। इसने जुलाई 1986 में टेलीविजन समाचार प्रसारण शुरू की और यह दूरदर्शन तथा अन्य संगठनों को समाचार-निर्माण और समाचार फीचर प्रदान करती है।

हिन्दुस्तान समाचार देश की एकमात्र बहुभाषी समाचार एजेंसी है, जिसका संचालन इसके कार्यकर्ता सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत करते हैं। यह पहली समाचार एजेंसी है, जिसने देवनागरी दूरमुद्रक (टेलीप्रिन्टर) का उपयोग शुरू किया और भारत की भाषा पत्रकारिता में एक नए युग को प्रारम्भ किया।

गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल

सूचना मंत्रियों के स्तर पर गुट-निरपेक्ष देश पहली बार नई दिल्ली में जुलाई 1976 को एक सम्मेलन में मिले थे। इसमें एक घोषणा में यह कहा गया था कि "इस समय संसार की सूचना व्यवस्था में गम्भीर असन्तुलन है" और इसका गुट-निरपेक्ष देशों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये सूचना के साम्राज्यवादी ढांचे से अपने सूचना और सम्पर्क माध्यमों को मुक्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने इस स्थिति को ठीक करने के लिये सामूहिक संकल्प लेने की बात भी कही। इस घोषणा में सूचना की उपनिवेशवादी चंगुन में मुक्ति तथा सूचना की एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के निर्माण का आह्वान किया गया। इसको उतना ही आवश्यक समझा गया, जितना कि विश्व की नई धार्मिक व्यवस्था को। इसके कार्य रूप देने के लिये 13 जुलाई 1976 को गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की स्थापना की गई।

गुट-निरपेक्ष देशों का समाचार एजेंसी पूल व्यावसायिक सहयोग, समानता तथा सदस्य देशों के बीच समन्वय के आधार पर, समाचारों के आदान-प्रदान की एक पद्धति है।

भारत, जिसने कि पूल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका धरा की, जुलाई 1976 से नवम्बर 1979 तक समन्वय समिति का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। ट्यूनिश में नवम्बर 1982 में आयोजित तीसरे आम सम्मेलन में भारत को पूल की समन्वय समिति का सदस्य चुना गया, और हारारे में मार्च 1986 में हुए चौथे आम सम्मेलन में भारत पुनः इसका सदस्य चुना गया।

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया, गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय ईस्ट का संचालन करता है। इस समय भारत का उपग्रह के माध्यम से बेसपेड

जकार्ता, बहरीन, हवाना, कोलम्बो, हनोई, क्वालालम्पुर, ट्यूनिस, लंदन और हरारे से तथा तार के द्वारा काठमांडू, ढाका और इस्लामाबाद से सीधा सम्पर्क है। काबुल के लिए रेडियो सेवा शुरू हो गई है। विस्तार सेवा के अन्तर्गत इण्डिया न्यूज पूल डेस्क का उपग्रह के माध्यम से लुसाका, मैक्सिको, कारकास, डकार, बगदाद और तेहरान तक सीधा सम्पर्क स्थापित किया जाएगा।

### प्रेस आयोग

1952 के जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय समाचारपत्रों के विकास तथा स्तर के बारे में अध्ययन करने के लिए 1978 में स्थापित द्वितीय प्रेस आयोग ने 3 अप्रैल 1982 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू थे। आयोग ने समाचारपत्रों के विविध पहलुओं के बारे में 278 सिफारिशें कीं।

सरकार ने प्रेस आयोग द्वारा की गयी 91 सिफारिशों या तो पूरी तरह या आंशिक रूप में या सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली हैं। अन्य 77 सिफारिशों को सरकार ने नोट कर लिया है तथा यह निर्णय किया गया है कि जहां कहीं भी जरूरी हो इन सिफारिशों को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा प्रेस से संबंधित संस्थाओं आदि की जानकारी में लाया जाए, ताकि वे इन पर विचार कर समुचित कार्रवाई कर सकें। फिर भी, सरकार ने कमीशन की 48 सिफारिशों को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि उसका विचार था कि या तो वर्तमान कानून/व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं या उनमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सिफारिशों को लागू करना इसलिए व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इससे प्रेस की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप होगा।

प्रेस कमीशन द्वारा की गयी सिफारिशों में 26 ऐसी हैं, जिनके संबंध में गहराई से जांच के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है। 36 अन्य सिफारिशों के बारे में भी विस्तृत जांच का निर्णय लिया गया है।

### प्रेस परिषद्

प्रेस परिषद्, अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत पहली प्रेस परिषद् की स्थापना 1979 में, दूसरी की फरवरी 1982 में तथा तीसरी की स्थापना जुलाई 1985 में हुई। परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष है।

प्रेस परिषद्, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करती है और समाचारपत्रों; समाचार एजेंसियों के स्तर को न केवल बनाये रखती है, बल्कि उसमें सुधार भी करती है। इसके सदस्य ज्यादातर समाचारपत्रों के ही प्रतिनिधि होते हैं। अपनी विरादरी के पत्रकारों के व्यावसायिक कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाती है। इस प्रकार परिषद् पत्रकारों द्वारा स्वयं पर नियंत्रण रखने के एक मंच के रूप में काम करने लगी है।

परिषद् के सामने जो शिकायतें पेश की जाती हैं, उनकी जांच-पड़ताल तो वह करती ही है, पर उसे खुद अपनी ओर से भी शिकायतों पर गौर करने का हक प्राप्त है। अपने कार्य परिचालन के लिए आवश्यक हुआ तो परिषद् सरकार सहित किसी भी अधिकारी के खिलाफ अपनी राय जाहिर कर सकती है।

**गवेषणा और  
सन्दर्भ प्रभाग ]**

गवेषणा और सन्दर्भ प्रभाग एक सूचना सेवा एजेंसी के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसके जन-सम्पर्क माध्यम एककों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये बहुत जल्दी भूमिका भ्रदा करता है। जन-सम्पर्क माध्यम एककों को कार्यक्रम और प्रचार अभियान तैयार करने में यह प्रभाग एक सूचना बैक और साथ ही सूचना सम्पर्क सेवा (फोडर सर्विस) के रूप में उनकी मदद करता है। प्रभाग जन-सम्पर्क माध्यमों में प्रचलित प्रवृत्तियों का विशेष रूप से अध्ययन करता है और जन-संचार तथा समसामयिक घटनाओं व मामलों को लेकर सन्दर्भ व दस्तावेजी सेवा प्रदान करता है।

इस प्रभाग की स्थापना मई 1945 में की गई थी, किन्तु केन्द्रीय विद्यालय सभा में कटौती प्रस्ताव के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। बाद में 9 अगस्त 1950 को इसे दुबारा शुरू किया गया और इसके जिम्मे ये कार्य सौंपे गये : (क) प्रचार कार्य से संबंधित सामग्री पर अनुसंधान करना, (ख) समसामयिक मामलों व अन्य विषयों की पुच्छमूमि तैयार करना व उनके संबंध में मार्गनिर्देश करना, (ग) प्रमुख विषयों पर आवश्यक जानकारी एकत्र करना और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जन-संपर्क माध्यमों के विभिन्न एककों में उपयोग किए जाने के लिए प्रचार-सामग्री तैयार करना।

यह प्रभाग नियमित रूप से मंत्रालय के एककों द्वारा मांगे जाने पर और स्वयं भी सार्वजनिक महत्व के मामलों और घटनाओं पर पुच्छमूमि-पत्रक, संदर्भ-पत्रक और घटनाओं की डायरी तैयार करता है। इसके साथ ही प्रमुख व्यक्तियों की संक्षिप्त जीवनियों भी इस प्रभाग द्वारा तैयार की जाती हैं।

यह प्रभाग भारत पर एक विशद वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 'इंडिया' भी तैयार करता है। इस ग्रंथ में देश की भौगोलिक, जनसांख्यिक, राज्यतंत्र संबंधी, आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का संकलन किया जाता है। 1953 से यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। भारत पर संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसने काफी मान्यता हासिल कर ली है। इसका हिन्दी संस्करण 'भारत' शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है।

प्रभाग का अपना अच्छे संग्रह वाला पुस्तकालय भी है, जिसका उपयोग माध्यम एककों के अधिकारी और सवाददाता करते हैं। प्रभाग में अनेक प्रकार के दस्तावेजों पर काम होता है। पुस्तकों, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, मंत्रालयों, विभागों और अनेक सार्वजनिक तथा निजी सस्थानों से प्राप्त होने वाले संदर्भ पत्रकों की विषयानुसार सूची व अनुक्रमिकाएं तैयार की जाती हैं। देश के प्रमुख समाचारपत्रों पर अलग से एक एक गौर करता है। यह अनेक समसामयिक घटनाओं पर प्रकाशित सामग्री की कतरनों निकाल कर एकत्र करता है। इन कतरनों की विषयानुसार सूची और अनुक्रमिका तैयार की जाती है। प्रतिदिन बढ़ने वाले समाचार सामग्री के इतने बड़े सग्रहालय का इस विभाग के गवेषणा व संदर्भ अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। वे मंत्रालय के माध्यम एककों, दूसरे मंत्रालयों अथवा सरकारी विभागों और पत्रकारों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुच्छमूमि-पत्रक तथा संदर्भ-पत्रक तैयार करते हैं।

1976 में गवेषणा और संदर्भ प्रभाग के एक अंग के रूप में जनसंचार पर राष्ट्रीय दस्तावेज केन्द्र की स्थापना की गई। मोटे तौर पर इसका उद्देश्य जन-संचार के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं व उसकी दिशा व प्रवृत्ति से संबंधित सूचना को एकत्र करना, उसकी व्याख्या करना और उसे प्रसारित करना है। जनसंचार के क्षेत्र में समाचारपत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन, पारम्परिक व लोक माध्यम और केन्द्र तथा राज्यों के विभिन्न माध्यम एककों को माना गया था। जन-सम्पर्क माध्यमों और जनसंचार के सभी पहलुओं से संबंधित समाचारों, लेखों और अन्य सूचना सामग्री को इस केन्द्र में एकत्र किया जाता है और उसकी अनुक्रमणिका भी तैयार की जाती है। इस केन्द्र द्वारा एकत्र की गई सूचना सामग्री 10 नियमित दस्तावेज सेवाओं द्वारा प्रसारित की जाती है। 'मास मीडिया इन इंडिया' शीर्षक से यह केन्द्र एक वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ प्रकाशित करता है।

### फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग अपनी तरह का देश का सबसे बड़ा फोटो एकक है। इसमें एक साल में 6 लाख फोटो प्रिंट तैयार किये जाते हैं। इन्हें देश में व बाहर प्रचार के लिये प्रयोग में लाया जाता है। प्रमुख समाचार घटनाओं के इस प्रभाग में निगेटिव संग्रह करके रखे गए हैं। ऐतिहासिक महत्व के होने के कारण यह एक मूल्यवान संग्रह बन गया है। देश में सामाजिक-आर्थिक विकास को दर्शाने वाले फोटो भी इस प्रभाग में संग्रहीत हैं। पत्र सूचना कार्यालय में अलग से एक फोटो संग्रहालय है, जिसमें विवरण सहित फोटो प्रिंट रखे गये हैं। बाहर की एजेंसियां जरूरत पड़ने पर इसी संग्रहालय के जरिए अपनी जरूरत के फोटो प्राप्त करती हैं। प्रचार कार्य के लिए रंगीन प्रिंट निकालने के लिए इस प्रभाग में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला भी है।

प्रमुख राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लिए गये ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो, विभाग द्वारा पत्र सूचना कार्यालय को भेज दिये जाते हैं। जहां से उनका वितरण देश के समाचारपत्रों व बाहर के देशों में अपने दूतावासों को भेज कर किया जाता है। इस प्रभाग के अधिकारी प्रधानमंत्री व अन्य प्रमुख व्यक्तियों की विशेष यात्राओं के दौरान उनके साथ जाते हैं और वहां से भारतीय प्रेस के लिए रेडियो फोटो भेजते हैं।

समाचारपत्रों को फोटो निःशुल्क मुहैया किए जाते हैं। सरकारी विभाग, गैर-प्रचार संगठन और जनता के लोग अपने उपयोग के लिए पैसे देकर फोटो ले सकते हैं।

यूनियन के सहयोग से फोटो प्रभाग ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की, जिसकी विषय वस्तु थी "नहीं बालिका पर टिका कीमती" (फोकस ग्रान गलें चाइल्ड)। यह यूनियन और भारत सरकार के बीच सहयोग के कार्यक्रम का एक भाग था।

कोलम्बो योजना के अंतर्गत फोटो प्रभाग राष्ट्रकुल देशों के फोटोग्राफरों के परिचय की व्यवस्था भी करता है।

इन प्रभाग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और प्रादेशिक कार्यालय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं। लखनऊ में एक चन्ने-फिरले मूनिट की भी स्थापना की गई है।

### प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग का काम है कि राष्ट्रीय महत्व के सभी विषयों पर पुस्तकें और पत्रिकाएँ प्रकाशित करके तथा उनका वितरण और विप्री करके देश-विदेश में लोगों को अद्यतन और अधिकृत सूचना प्रदान की जाए। अब यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रकाशन और वितरण केन्द्र बन गया है।

प्रारम्भ में इसकी स्थापना मन् 1941 में सार्वजनिक सूचना कार्यालय की विदेशी शाखा के रूप में हुई थी। प्रकाशन विभाग के रूप में इसका अस्तित्व 1944 में हुआ।

प्रकाशन विभाग के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- (1) राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के व जानकारी का प्रसार करना ;
- (2) विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न मजहबों और धर्मों को मानने वाले लोगों में अधिक जागरूकता पैदा करके तथा एक-दूसरे को समझने की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना; और
- (3) भान्त की संस्कृति और जीवन-न्यायन के विभिन्न ढंगों के बारे में रुचि पैदा करना और उन्हें समझने तथा उनका आदर करने की भावना पैदा करना।

इसके लिए प्रकाशन विभाग कला और संस्कृति, वनस्पति और प्राणी जगत, यात्रा और पर्यटन, प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनीया, राष्ट्रीय नेताओं के भाषण आदि के बारे में पुस्तकें, एलबम और पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है। पिछले कई वर्षों में बाल साहित्य, प्रकाशन विभाग की गतिविधियों का एक अटूट अंग बन गया है। इन प्रकाशनों में जन-रुचि के वैज्ञानिक विषयों, शिक्षा, इतिहास और मजहबों के पुस्तकें भी शामिल रहती हैं।

महात्मा गांधी के भाषण, लेख, भेटवार्ताएँ और पत्र आदि हिन्दी और अंग्रेजी में सम्पादित और प्रकाशित करने का काम भी इस विभाग को मिला हुआ है। अंग्रेजी में इसके 90 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और इस तरह मुख्य काम पूरा हो चुका है। हिन्दी में इसके अब तक 80 खंड प्रकाशित हुए हैं।

इस विभाग ने अब तक हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं में लगभग 6,200 पुस्तकें और खंड प्रकाशित किए हैं। आजकल औसतन प्रति वर्ष 100 पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। प्रकाशन विभाग ने हाल में "हम सब की पुस्तकमाला" शीर्षक से कम मूल्य की पुस्तकें प्रकाशित करनी शुरू की हैं। अब तक इस माला में हिन्दी की छः, अंग्रेजी की दो और पंजाबी की एक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

प्रकाशन विभाग हिन्दी, अंग्रेजी और दस प्रादेशिक भाषाओं में 21 पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करता है। इनमें सबसे प्रमुख है "रोजगार, भाषा" जो हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। प्रति मन्ताह शौचालय 1957



लाख प्रतियां विकती हैं। इसमें न केवल केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों; सरकारी उपक्रमों और शिक्षण संस्थाओं में होने वाले रिक्त स्थानों की सबसे अधिक जानकारी मिलती है, बल्कि रोजगार चाहने वालों को साक्षात्कार और परीक्षा के लिए तैयारी करने में मदद देने वाली जानकारी भी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं—'योजना', 'कुरुक्षेत्र', 'इंडियन एण्ड फारेन रिव्यू', 'आजकल' और वच्चों की पत्रिका 'बाल भारती'।

ये पुस्तकें और पत्रिकाएं 3,500 अधिकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से बेची जाती हैं। नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ और हैदराबाद में इसके विभागीय केन्द्र भी हैं। इन विभागीय केन्द्रों में 21 अन्य सरकारी और स्वायत्तशासी संगठनों के प्रकाशन भी बेचे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि। प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०) द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें भी बेचता और वितरित करता है।

1985-86 में प्रकाशन विभाग ने 30 प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों में भाग लिया।

## मौखिक और दृश्य माध्यम

भारत में 1912-13 से कथाचित्रों (फीचर फिल्मों) का निर्माण शुरू हो गया था। आर० जी० टोर्नी ने एन० जी० चित्रा के साथ 1912 में 'पण्डलिक' कथाचित्र बनाया था। हुंडीराज गोविन्द फालके (1870-1944) ने 1913 में 'राजा हरिश्चन्द्र' का निर्माण किया। 1931 में आर्देशिर ईरानी (1886-1969) द्वारा 'आलम आरा' बनाए जाने के बाद मूक चलचित्रों का युग समाप्त हुआ। यद्यपि 1934 तक मूक चलचित्र बनते रहे। तब से भारत में 18,000 के लगभग कथाचित्र बन चुके हैं और अब ऐसे चलचित्रों के निर्माण में उसका स्थान सर्वोपरि है।

1985 में केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 912 चलचित्र प्रमाणित किये। इनमें से 892 रंगीन चलचित्र थे और 20 ब्लैक एण्ड व्हाइट। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास फिल्म-निर्माण के प्रमुख केन्द्र हैं।

1985 में बोर्ड ने 525 भारतीय और 73 विदेशी कथाचित्रों तथा 1,505 भारतीय और 638 विदेशी लघुचित्रों को 'यू' प्रमाणपत्र दिये। 103 भारतीय और 17 विदेशी कथाचित्रों तथा 9 भारतीय लघुचित्र और 5 विदेशी लघुचित्रों को 'यू ए' प्रमाणपत्र दिये। 284 भारतीय और 38 विदेशी कथाचित्रों तथा 17 भारतीय और 17 विदेशी लघुचित्रों और एक लम्बी विदेशी फिल्म (कथाचित्र से भिन्न) को 'ए' प्रमाणपत्र दिये। 12 विदेशी और 2 भारतीय लघुचित्रों तथा एक लंबी विदेशी फिल्म (कथाचित्र से भिन्न) को 'एस' प्रमाणपत्र दिया गया।

## केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होने पर ही कोई भी चलचित्र भारत में दिखाया जा सकता है। चलचित्र अधिनियम 1952 के अनुसार स्थापित इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और कम से कम 12 और अधिक से अधिक 25 सदस्य

होते हैं। इनकी नियुक्ति सरकार करती है। बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में है और क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलूर, त्रिवेन्द्रम और हैदराबाद में हैं।

चलचित्रों को प्रमाणित करने के लिए सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार काम करते हुए बोर्ड समय-समय पर चलचित्रों में ग्रन्थ चीजों के प्रताया हिंसा संबंधी श्रवण अभद्र प्रदर्शन पर रोक लगाता है।

चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1981, 1 जून 1983 से लागू हुआ। चलचित्र (सेंसर) नियम 1958 का स्थान चलचित्र (प्रमाणन) नियम 1983 ने ले लिया है। ये नियम 1983 से ही लागू भी हो गये हैं।

## फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग वृत्तचित्रों और समाचार-चित्रों का निर्माण और वितरण करने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय एजेंसी है। भारत में इनका वही स्थान है, जो नेशनल फिल्म बोर्ड का कनाडा में, फ्राउन फिल्म यूनिट का ग्रेट ब्रिटेन में और केन्द्रीय वृत्त चित्र और समाचार चित्र स्टूडियो मास्को का सोवियत सघ में।

फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में समाचार चित्र और वृत्तचित्र पुनः बनाने के लिए की गई थी। पिछली सारी श्रवण में फिल्म प्रभाग की मुख्य भूमिका यह रही है कि भारत का परिचय भारतीय और विदेशी दर्शकों को दिया जाए।

यह प्रभाग समाचार-चित्र, वृत्तचित्र और ग्रामीण दर्शकों के लिए प्रादेशिक भाषाओं में 16 मि० मी० के कथाचित्र, कार्टून चित्र और शिक्षा तथा सरकारी विभागों के लिए अनुदेशात्मक फिल्में बनाता है। 1985-86 में फिल्म प्रभाग ने विभिन्न विषयों पर 103 फिल्में बनाईं। इन विषयों में भारतीय स्वाधीनता संग्राम, राष्ट्रीय परि-वार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार, साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, जनजातीय विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेलकूद और साहसिक कार्य आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रभाग ने स्वतंत्र निर्माताओं से भी 8 फिल्में खरीदी हैं।

प्रभाग हर पंद्रह दिन में भारतीय स्वाधीनता सत्राण के बारे में एक वृत्त-चित्र का निर्माण करता रहा है, जिसे देश-भर के मिनेमाथरों में दिखाया जाता है। इन चित्रों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी दिखाया गया। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में जो भारत उल्लव हुए, उनके लिए तघु और वृत्तचित्र बनाने के लिए एक विशेष परियोजना चालू की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 10 वृत्तचित्रों के निर्माण का काम हाथ में लिया गया, जिनमें से कुछ प्रभाग ने बनाए और कुछ स्वतंत्र निर्माताओं में बनवाये गए। अब तक छ फिल्में पूरी हो चुकी हैं और नार पूरी होने वाली हैं।

सांघियन संघ और जापान आदि में होने वाले भारत उल्लवों के लिए भी तघु/वृत्तचित्रों के निर्माण की परियोजना इस प्रभाग ने अपने हाथ में ली है। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विषयों पर 25 फिल्में स्वतंत्र निर्माताओं में बनवाई जाएगी।

प्रभाग ने विज्ञान पर 30 घटनाओं (एपीसोड्स) वाले चित्रों की शृंखला बनाने का काम हाथ में लिया है। इसका शीर्षक है, 'एस्ट्रोनामी-ए जर्नी थू द यूनिवर्स'। यह विद्ययात वैज्ञानिक डॉ० जे० धी० नलींकर के मार्ग-दर्शन में बनाई ज

इस शृंखला के अन्तर्गत नौ चित्रों का निर्माण सक्रिय रूप से हो रहा है और वे दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिखायी जाएंगी।

प्रभाग ने वृत्तों के लिए भी कुछ शृंखलाओं का निर्माण शुरू किया है तथा पूर्व और दक्षिण प्रादेशिक भाषाओं में 16 मि० मी० के ग्रामीण पक्ष वाले कथाचित्रों का निर्माण भी जारी रखा है। इनमें जनजातीय और पिछड़े हुए क्षेत्रों की बोलियों की फिल्में भी शामिल हैं, जो कलकत्ता और बंगलूर स्थित प्रादेशिक उत्पादन केन्द्रों में बनाई जा रही हैं। इससे पता चलता है कि फिल्म प्रभाग देश के सुदूरवर्ती और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए कितना उत्सुक है।

इस वर्ष फिल्म प्रभाग की एक उल्लेखनीय सफलता थी—तीन महीने की अल्पावधि में ही 50 मिनट की एक चुनौतीपूर्ण फिल्म का निर्माण, जिसका विषय था—यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत तथा शीर्षक था 'समान भागीदार'। प्रभाग ने मंगोलिया सरकार से मिलकर मंगोलियन जनवादी गणराज्य पर एक फिल्म बनाने का काम भी हाथ में लिया है।

वोत्सवाना सरकार के सहयोग से यह प्रभाग वोत्सवाना में स्वाधीनता की 20वीं वर्षगांठ पर होने वाले समारोहों के वारे में भी एक फिल्म बना रहा है।

कार्टून फिल्में बनाने के लिए इस प्रभाग का एक अलग यूनिट है। वृत्त चित्रों और समाचार-चित्रों के लिए 'एनीमेशन' शृंखलाएं बनाने के अतिरिक्त; यह प्रभाग अपने कर्मचारियों और उपकरणों की सहायता से चार कार्टून फिल्में बना सकने की स्थिति में है।

अधिकांश वृत्तचित्र प्रभाग के विभागीय यूनिटों द्वारा बनाए जाते हैं। देश में वृत्तचित्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 40-50 फिल्में स्वतंत्र निर्माताओं द्वारा बनवाई जाती हैं। प्रभाग कुछ तैयार फिल्में भी खरीदता है और कुछ फिल्में इसे भेंटस्वरूप भी मिलती हैं। 1985-86 में प्रभाग ने 35 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' फिल्में तथा 68 रंगीन फिल्में बनाईं। 4 ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्में तथा 14 रंगीन फिल्में बाहरी निर्माताओं से बनवाई गईं।

फिल्म प्रभाग देशभर के सिनेमाघरों में दिखाए जाने के लिए वृत्तचित्रों और समाचार-चित्रों का वितरण भी करता है। अनिवार्य प्रदर्शन योजना के अंतर्गत सिनेमाघरों को अधिक से अधिक 609.8 मीटर लंबी स्वीकृत फिल्में दिखानी होती हैं। हर सप्ताह अंग्रेजी और 14 भारतीय भाषाओं में एक वृत्तचित्र या समाचार-चित्र प्रदर्शन के लिए जारी किया जाता है। 1985-86 में 12,680 सिनेमाघरों, जिनमें सप्ताह-भर में 7.50 करोड़ से भी अधिक दर्शक आए, को स्वीकृत फिल्मों के 49,290 प्रिंट दिए गए थे। इसके अतिरिक्त गत वर्ष 19,913 प्रिंट गैर-व्यापारिक इस्तेमाल के लिए विभिन्न पार्टियों को बेचे गए थे। अनुमान है कि 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष इस प्रभाग की फिल्मों को देखते हैं।

फिल्म प्रभाग के शाखा कार्यालयों में फिल्म लाइब्रेरियां हैं, जहां वृत्तचित्रों और समाचार चित्रों के 16 मि० मी० के प्रिंट रखे जाते हैं। 1985-86 में 1,582 व्यक्तियों और संस्थाओं आदि को 4,634 प्रिंट दिए गए, जिन्हें 25,226 लाख लोगों ने देखा। इनके अतिरिक्त इन शाखा कार्यालयों ने देश के विभिन्न भागों में विशेष आमंत्रित दर्शकों और समाचारपत्र संवाददाताओं के लिए 7

फिल्म-प्रदर्शन आयोजित किए। प्रभाय ने 21 अंतर्राष्ट्रीय मनाचार-वित्त संघर्षों के साथ मनाचार मामलों के निःशुल्क आदान-प्रदान का मनोरंकारिक प्रबंध भी किया हुआ है।

1965 की अवधि के दौरान प्रभाय ने 57 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया और अपनी 118 फिल्मों वहां भेजी। इनमें से कई फिल्मों को पुरस्कार भी मिले।

फिल्म प्रभाय ने हाल ही में एक अनुूदा प्रयास शुरू किया है। सम्बन्ध राश्यों के सहयोग से यह प्रभाग उनकी राजधानियों में स्व-निर्मित फिल्मों के समारोह आयोजित करने लगा है।

### राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

देश में अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना अप्रैल 1980 में की गई थी। बाद में पूर्व स्थापित फिल्म वित्त निगम तथा भारतीय मोगन विश्वसे निर्माता निगम इस निगम में मिला दिए गए। निगम का मुख्य उद्देश्य फिल्म उद्योग के समग्र विकास के लिए योजना बनाना तथा उसका विकास करना है।

### फिल्मों के लिए वित्त व्यवस्था एवं उनकी निर्माण

निगम अच्छी फिल्मों का निर्माण एवं उनके लिए वित्त की व्यवस्था करता है। आज तक राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 157 फिल्मों तथा 58 सप्ताह/सप्ताहियों के लिए वित्त की व्यवस्था की है। अब तक 119 फिल्में पूरी की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त फिल्मों ने 116 राष्ट्रीय तथा 28 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। यह निगम जाने-माने फिल्म निर्माताओं की फिल्मों को भी वित्तीय सहायता देता है।

प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से निगम ने सप्ताह अवधि की फीचर फिल्मों के निर्माण को प्राथमिक सहायता देने का भी निर्णय किया है क्योंकि ऐसी फिल्मों को, जो लगभग आधे घण्टे से लेकर एक घण्टे की अवधि तक की हों। इससे युवा और उदीयमान फिल्म निर्माताओं को सच्ची फिल्म बनाने से पूर्व महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सकेगा। ये फिल्में भारत एवं विदेशों में भी दूरदर्शन पर दिखाई जाएंगी।

### फिल्म और दूरदर्शन सह-निर्माण

निगम ने सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म 'गांधी' के साथ सह-निर्माण के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस फिल्म ने 1983 में 8 भारतीय पुरस्कार और विश्वभर के अन्य विभिन्न पुरस्कार जीते।

निगम ने फ्रांस के एक सरकारी उद्यम के साथ मिलकर सात भागों वाली टी० वी० श्रृंखला फिल्म का भी सह-निर्माण किया है। जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं में इसे टेलीकास्ट भी किया जा चुका है। साथ ही वे दो और सह-निर्माण फिल्म योजनाओं का भी स्वीकृति दे गई है। ये हैं 'इंडिया' और 'गुजिया-स्टेज सेक्टर'। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, भारत और विदेशों में दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग के सहयोग से दूरदर्शन के लिए फिल्मों के निर्माण की योजना बना रहा है।

### सिनेमाघरों को वित्तीय सहायता

अच्छे सिनेमा का विकास चूँकि प्रदर्शन सुविधाओं की कमी के कारण ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, अतः राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सिनेमाघर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। अब तक ऐसे 111 ऋणों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 58 सिनेमाघरों में फिल्में दिखाना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सिनेमाघरों में सीटों की क्षमता 47,298 है।

### वितरण

निगम केवल व्यापारिक सिनेमाघरों को ही नहीं, अपितु गैर-व्यापारिक फिल्म संस्थाओं, क्लबों आदि को भी फिल्में देता है तथा सिनेमाघरों को भी फिल्म-प्रदर्शन के लिए किराए पर लेता है। बम्बई में आकाशवाणी थियेटर से निगम को काफी सुविधा हुई है। इस सिनेमाघर ने तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ और सुरक्षित फिल्मों दिखाने में नाम कमाया है।

### निर्यात

भारतीय कथाचित्रों का निर्यात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाता है। निगम की निर्यात टीम प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में जाती है और वहाँ अपने 'स्टाल' लगाती है। ये टीम अपने साथ फिल्मों के संवाद-अंकित प्रिंट, वीडियो कैसेट और प्रचार सामग्री ले जाती है। कुछ प्रमुख देशों के टी० वी० बाजारों में भी निगम को सफलता मिली है। भारत 80 से अधिक देशों की फिल्में निर्यात करता है।

### आयात

आजकल निगम एक साल में करीब 50 फिल्में आयात करता है। 1975 से 25 देशों से उसने 399 फिल्में आयात की हैं। भारतीय दर्शकों को विभिन्न देशों की फिल्में दिखाने की निगम बराबर कोशिश करता रहता है। 31 मार्च 1986 तक 205 आयातित फिल्में प्रदर्शन के लिए जारी की गईं।

### कच्चा माल और उपकरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म निर्माताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक सामग्री वितरित की जाती है। इससे वितरण में समानता बनी रहती है। आजकल प्रत्येक वर्ष फिल्म निर्माताओं को रंगीन फिल्मों के निगेटिवों के 60,000 से अधिक रोल बांटे जाते हैं। प्रतिभाशाली तकनीशियनों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए निगम वित्तीय सहायता भी देता है।

### विशेष परियोजनाएं

लागत कम आने के कारण 16 एम० एम० की फिल्मों का उपयोग ज्यादा होने लगा है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की अधिकतर फिल्मों को शुरू में 16 एम० एम० में ही बनाया जाता है और फिर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उन्हें सीधे ही 35 एम० एम० में बढ़ा कर दिया जाता है।

देश में 16 एम० एम० की फिल्मों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निगम ने कलकत्ता में ऐसी फिल्मों के निर्माण की पूरी आधुनिक संरचना स्थापित की है। बम्बई में एक आधुनिकतम संवाद-अंकन एकक भी बनाया गया है।

वीडियो कैसेटों द्वारा फिल्मों को संभावित खरीददारों को दिखाने के तरीके का कार्यापलट हो गया है, इसलिए निगम ने मद्रास में वीडियो

कैसेट एकक की स्थापना की है। इसमें फिल्मों को कैसेटों में बदला जा सकता है और पहले से ही रिकार्ड किये हुए कैसेट बनाए जा सकते हैं। इन कैसेटों को निर्यात एवं घरेलू मांग की पूर्ति के लिए बनाया जाता है।

### फ़िल्म समारोह

जुलाई 1981 में फिल्म समारोह निदेशालय को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके उद्देश्य हैं: (क) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करना, (ख) राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करना, (ग) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत व विदेशों में फिल्म सप्ताहों का आयोजन करना और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना।

राष्ट्रीय फिल्म समारोह (पहले इसे 'फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के नाम से जाना जाता था) की शुरुआत 1953 में हुई थी। फिल्म कला और फिल्म निर्माण के 28 वर्षों में सर्वोच्च उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देकर इसका उद्देश्य भारत की चलचित्र कला को प्रोत्साहित करना है। 1982 में पत्नी वार इसके अन्तर्गत सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक को पुरस्कृत करना भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार योजना में स्वर्ण कमल, रजत कमल और नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। इस योजना में अखिल भारतीय स्तर के और क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार दोनों ही सम्मिलित हैं। देश की प्रमुख भाषाओं में बनी फिल्मों को क्षेत्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं। इसके साथ ही ऐसे सर्वश्रेष्ठ योगदान, जिससे भारतीय सिनेमा के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलता हो, के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 से की गई है। फाल्के पुरस्कार का निर्णय सरलर करती है, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्रविष्टियों को फिल्मों के लिए नियुक्त दो राष्ट्रीय अभिनिर्णायक मंडल के सदस्य देखते-पढ़ते हैं। एक जूरी सचिवों को और दूसरी कथाचित्रों को पर्यती है।

33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह (1985 में प्रमाणित कथाचित्र) के लिए सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र चिदम्बरम (मलयालम) को चुना गया। इसका निर्देशन जी० अरविन्दन ने किया है। राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार पी० ए० वैकर द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म 'श्री नारायण गुरु' को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार श्याम बेनेगल को उनकी हिन्दी फिल्म 'त्रिकाल' के निर्देशन पर मिला। शशि कपूर ने हिन्दी फिल्म 'न्यू दिल्ली टाइम्स' में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सुहासिनी ने तमिल फिल्म 'मिन्धु भैरवी' में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। मलयालम फिल्म 'श्री नारायण गुरु' में प्रमंगानुसार अति सुंदर भक्ति-संगीत गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायक का पुरस्कार जयचन्द्रन को मिला। तमिल फिल्म 'सिन्धु भैरवी' में गान्त्रीय और लोकसंगीत का समन्वय प्रस्तुत करते हुए सुमधुर गायन के लिए चित्रा को सर्वश्रेष्ठ पार्श्वगायिका का पुरस्कार मिला (1984)।

1985 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक अभिनेता बी० शान्ताराम को उनके भारतीय सिनेमा को विभिन्न सहयोग के लिए दिया गया।

इनसे पहले फाल्के पुरस्कार पाने वाले हैं: देविदा रानी (1969), बीरेन्द्र नाथ सरकार (1970), पृथ्वीराज कपूर (1971 मरणोपरान्त), पद्म मलिक

(1972), हवी मेयर्स जिन्हें सुलोचना के नाम से अधिक जाना जाता है (1973); वी०एन० रेड्डी (1974), धीरेन गांगुली (1975), कानन देवी (1976); नितिन बोस (1977), राय चन्द बौराल (1978), सोहराव मोदी (1979); पी० जयराम (1980), नौशाद अली (1981), एल० वी० प्रसाद (1982); दुर्गाखोटे (1983) और सत्यजीत रे (1984)।

### भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत को एकत्र करने और सुरक्षित रखने, प्रलेखन व अनुसंधान करने, फिल्मों के अध्ययन और फिल्म संस्कृति के प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फरवरी 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई। 31 दिसम्बर 1985 को इसके पास 9,982 फिल्मों, 14,575 पुस्तकों, 196 पत्रिकाओं, 14,357 सेंटर किए गए फिल्म आलेखों, 5,648 पेम्फलेटों तथा फोल्डरों, 16,447 प्रेज क्लिपिंग; 54,581 अचल चित्रों, 5,003 दीवार पर चिपकाए जाने वाले पोस्टरों, 3,331 गीत पुस्तिकाओं, 1,705 डिस्क-रिकार्डों और 1,951 माइक्रो फिल्मों का संग्रह था। इसके संग्रह में प्रारंभिक अवस्था के भारतीय व विदेशी मूक व वाक चलचित्रों एवं पुरस्कृत विदेशी तथा भारतीय फिल्में उल्लेखनीय हैं।

इस संग्रहालय द्वारा उत्कृष्ट चलचित्रों का नियमित प्रदर्शन किया जाता है। संग्रहालय स्वस्थ फिल्म-संस्कृति के प्रसार के लिए तथा फिल्मों के प्रति समझ पैदा करने के लिए पुणे और अन्य केन्द्रों पर छोटी-छोटी श्रवण के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है।

अब तक इस प्रकार के 11 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों से 650 व्यक्तियों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। यह संग्रहालय सरकारी एजेंसियों और फिल्म सोसायटियों के सहयोग से अचल चित्र प्रदर्शनी/फिल्म समारोह फिल्म जगत के अतीत की झलकियां आयोजित करता है। अन्तर्राष्ट्रीय समारोह, और फिल्मोत्सव के दौरान भारतीय परिदृश्य एवं पुरानी भारतीय तथा विदेशी फिल्मों के आयोजन में यह संग्रहालय फिल्म निदेशालय की सहायता करता है। भारतीय सिनेमा के इतिहास पर विशेष फिल्में बनाने में यह संग्रहालय फिल्म प्रभाग को सहयोग देता है। इसके पास सारे देश की फिल्म संस्थाओं व फिल्म अध्ययन ग्रुपों को गैर-व्यापारिक प्रदर्शनों के लिए 109 भारतीय व विदेशी उत्कृष्ट फिल्मों की वितरण लाइब्रेरी है।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, फिल्म संग्रहालयों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ का सदस्य है। एशियाई क्षेत्र में फिल्म संग्रहालयों के विकास और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में फिल्मों और टेलीविजन के कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए कम्प्यूटर कृत आंकड़े प्रदान कराने के लिए यह संग्रहालय यूनेस्को से मिलकर क्षेत्रीय गोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

संग्रहालय का मुख्यालय पुणे में है और बंगलूर, कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

**बाल फिल्म संस्था**

भारतीय बाल फिल्म संस्था की स्थापना 1955 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य देश में बच्चों से संबंधित बाल फिल्म प्रान्दोलन को प्रोत्साहित करना व उसको व्यापक रूप से चलाना था। यह संस्था बच्चों और युवकों का स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन करने वाली फिल्म प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आई। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह संस्था फिल्मों के निर्माण, उन्हें प्राप्त करने, उनके वितरण व प्रदर्शन के लिए काम कर रही है।

इस संस्था का मुख्य कार्यालय बम्बई में है और क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में हैं।

घरने शुरू होने से अब तक इस संस्था ने करीब 104 कथाचित्रों और 142 लघु चित्रों का निर्माण किया है और धरोहरा है।

1985-86 में जिला अधिकारियों और अन्य कल्याण संस्थाओं के सहयोग से कई जिला मुद्राओं में एक मन्दाह तक चलने वाले फिल्म समारोह आयोजित किए गए। कुल मिलाकर देश भर में 26 केन्द्रों में ये समारोह आयोजित किए गए, जिन्हें 4,55,000 बाल दर्शकों ने देखा और 2,50,000 रुपये की आय हुई।

ग्रामीण बच्चों तक मोबाइल फिल्म यूनिट के जरिए पहुंचाने की जो प्रायोगिक योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई थी वह, 1985-86 में भी जारी रही। सात जिलों में कुल 137 फिल्म शो आयोजित किए गए, जिन्हें 79,501 दर्शकों ने देखा, जिनसे संस्था को 40,308 रुपये की आय हुई।

इस समय चार बाल फिल्म बनव काम कर रहे हैं जिनमें से एक कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में, दो पोरबंदर (गुजरात) में और एक बम्बई में है। 1985-86 में 8,000 बच्चे इन बच्चों के मदस्य थे और मदस्यता शुल्क के रूप में उनसे 4,000 रुपये प्राप्त हुए।

1985-86 में भारतीय बाल फिल्म संस्था की फिल्म 27.56 लाख दर्शकों ने देखी और उनसे संस्था को 19 80 लाख रुपये की आय हुई।

संस्था ने फिल्मों की वितरण प्रणाली को नई दिशा दी है और फलतः एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों की नई पीढ़ी के युवकों व बच्चों में सम्बन्धित फिल्मों का वाच-प्रान्दोलन में शामिल करना है।

संस्था भारत में बाल फिल्म समारोहों का आयोजन करती है और बाहरी देशों में होने वाले ऐसे समारोहों में भाग लेती है। भारत में 1979 में बम्बई में पहला अन्तर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया था। 1981 में मद्रास में दूसरा और नवम्बर 1981 में कलकत्ता में तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। चौथा अन्तर्राष्ट्रीय समारोह नवम्बर 1985 में बंगलूर में आयोजित हुआ।

बालको और युवा लोगों की फिल्मों के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आई० सी० एफ० सी० वाई० पी०), पेरिस ने 1981 में भारत समारोह को 'ए' वर्ग का दर्जा प्रदान किया। फिल्म निर्माता मधु के अन्तर्राष्ट्रीय महामण ने इन समारोहों को कथाचित्रों और लघु चित्रों के विभिन्न प्रतियोगी फिल्म समारोह के रूप में स्वीकार किया है।



वीडियो द्वारा फिल्मों का अवैध प्रदर्शन वीडियो द्वारा फिल्मों के अवैध प्रदर्शन की बढ़ती हुई घटनाओं से फिल्म उद्योग बहुत क्षुब्ध है, क्योंकि इससे उसके राजस्व में भारी कमी आई है। वीडियो द्वारा फिल्मों के अवैध प्रदर्शन से फिल्म उद्योग को हो रही परेशानियों को कम करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं।

ये कदम इस प्रकार हैं: (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 को चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित किया गया। यह 27 अगस्त 1984 से प्रभावी हुआ। इसमें चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन अपराधियों को बढ़ायी गई तथा न्यूनतम (कैद तथा जुर्माना दोनों) सजा की व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त फिल्मों के प्रमाणीकरण से संबंधित अपराधों को, जो पहले से ही संज्ञेय थे और इनको गैर-जमानती भी बना दिया गया है, (2) सरकार ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित किया है। यह 8 अक्टूबर 1984 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए बढ़ी हुई तथा कम से कम (कैद तथा जुर्माना दोनों) सजा का प्रावधान है। कॉपीराइट अतिक्रमण से संबंधित अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध बन गए हैं। 1985 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्य सरकारों पर जोर डालता रहा कि चलचित्र अधिनियम, 1952 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धाराओं को कड़ाई से लागू किया जाए।

सिने कर्मचारी कल्याण

संसद ने सिने-कर्मचारियों के कल्याण के लिए 1981 में तीन अधिनियम पारित किए। ये हैं: (1) सिने-कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, (2) सिने-कर्मचारी तथा सिनेमा थियेटर कर्मचारी (नियमन तथा रोजगार) अधिनियम, तथा (3) सिने-कर्मचारी कल्याण कोष अधिनियम। ये सभी अधिनियम 1984 में तब लागू हुए, जब इन अधिनियमों के नियम बनाए तथा अधिसूचित किए गए। सिने-कर्मचारी कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत केन्द्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रत्येक कथाचित्र के लिए उसके निर्माता से 1,000 रुपये का उपकर एकत्र किया जाता है। इससे सिने-कर्मचारी कल्याण कोष बनाया गया है। सिने-कर्मचारी कल्याण अधिनियम, 1981 का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं/फिल्म स्टूडियों द्वारा सिने-कर्मचारियों के कमजोर वर्गों के लिए औषधालय, प्रसूति केन्द्र तथा शैक्षिक तथा मनोरंजन सुविधाओं आदि की व्यवस्था कराना तथा कल्याण कोष से सहायता राशि देना है। सिने-कर्मचारी तथा सिनेमा थियेटर कर्मचारी (नियमन और रोजगार) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार एक फिल्म निर्माता तब तक किसी सिने-कर्मचारी को रोजगार नहीं दे सकता, जब तक कि उसने सिने-कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समझौता नहीं कर लिया है।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का प्रदर्शन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1984 में वृत्तचित्रों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों, प्रेस, क्षेत्रीय प्रचार माध्यमों, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य फिल्म प्रभाग द्वारा इस विषय पर विशेष वृत्तचित्रों का निर्माण करना

है। ये फिल्में कार्यक्रम के अनुसार 15 घण्टे 1984 में जारी होनी शुरू हो गई हैं तथा प्रत्येक 15 दिनों में एक वृत्तचित्र जारी हो रहा है। ये फिल्में दूरदर्शन पर भी दिखाई जा रही हैं।

### विज्ञापन और दूर प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दूर प्रचार निदेशालय सरकार की केन्द्रीय एजेंसी है, जो कि अनेक मंत्रालयों (रेल मंत्रालय को छोड़कर), विभागों और स्वायत्त संगठनों की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यक्रमों का प्रचार करती है। यह प्रचार संचार माध्यमों के जगदा में ज्यादा संपत्तियों को उपयोग में लाकर किया जाता है। इनमें प्रेस विज्ञापनों, इशतहारों, फोल्डरों, ब्रोशरों, पुस्तिकाओं, वात-हैणर्स के रूप में मुद्रित प्रचार सामग्रियों, प्रचार पट्टों, तन्तु प्रचार पट्टों, मिनेना स्टाइलों, मिति चित्रों व रेल के डिब्बों, ट्रामगाड़ियों व बसों के बाह्यतन्तु विज्ञापनों जैसे बाह्य प्रचार साधनों, आकाशवाणी और दूरदर्शन विज्ञापनों, तन्तु विज्ञापन चत-चित्रों और छायाचित्र प्रदर्शनियों जैसे श्रव्य-दृश्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है। यह देश की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी है, जो 2,000 समाचारपत्रों व पत्रिकाओं का प्रेस विज्ञापनों के लिए उपयोग करती है। निदेशालय के 43 क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक देश-भर में फैले हुए हैं। इनमें 9 वनती-फिरती गाड़ियों और दो रेलगाड़ी के डिब्बे भी शामिल हैं। प्रदर्शनियों को पूरे देश में आयोजित करने की दृष्टि से तैयार किया जाता है। इन एजेंसी की सबसे बड़ी 'सीवी डाक सेवा' है और इसके द्वारा आसानी से 16 लाख लोगों को एक साथ प्रचार सामग्री डाक से भेजी जा सकती है।

### बहु-माध्यम प्रचार

यह निदेशालय तात्कालिक तथा दीर्घकालीन महत्व के विषयों के बारे में लोगों को जानकारी देने और उन्हें शिक्षित करने के लिए बहु-माध्यम प्रचार अभियान चलाता है। इनका यह उद्देश्य भी होता है कि जनता को विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। 1985-86 में महत्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक विषयों के बारे में कई बड़े प्रचार अभियान चलाए गए, जैसे—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि और ग्राम विकास, मंगोपित 20-सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय एजना और माध्यमिक मद्भाक, मनाज के पिछड़े वर्गों का उत्थान और कई मनाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी बुराइयों को दूर करना, जैसे आयकर, उत्सादन शुल्क तथा चुगी की बंचना, तस्करों, दहेज, छुमा-छून, नगोली दवाओं का सेवन और आतंकवादों एवं उग्रवादों गतिविधियां। देश के आर्थिक विकास के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए भी कई बड़े प्रचार अभि-यान चलाए गए। इनके विषय थे—अनाज का भंडारण, मनुजित आहार, तन्तु उद्योग, ह्यकरों और दम्तकारी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय बचनों को बढ़ावा देना, नागरिक अधिकार, करदानाओं के बर्तव्य और दायित्व, प्रतिभावान मुवकों को सज्ज्वर मेताओं में भरती होने के लिए अभिप्रेरित करना आदि।

इस बात के भी प्रश्न प्रश्न किए गए कि प्रचार माध्यमों के जरिए देश के मुद्रवर्ती क्षेत्रों और अलग-अलग बने क्षेत्रों तक भी पहुंचा जाए। लोगों को आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करने और देश

के कुछ भागों में आन्दोलनकारी जो राष्ट्र विरोधी प्रचार चला रहे हैं, उसका प्रतिवाद करने के लिए जोरदार अभियान चलाए गए, ताकि देश में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाया जाए। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की कई घटनाओं का भी प्रचार किया गया, जैसे—कांग्रेस जताव्दी समारोह, अन्तर्राष्ट्रीय युवा वष, नामीबिया पर गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक, भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला—1985, युवा समारोह—मार्को, जनसंगत पर सांसदों का सम्मेलन, पं० जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म और पुण्य तिथियां, दस्तकारी सप्ताह, नॉमिना सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व धानिकी दिवस, विश्व वनत दिवस, शिक्षक दिवस, सारस्वत सेना शंका दिवस और वायु सेना दिवस।

### प्रदर्शनियां

इस निदेशालय ने 1985-86 में देश-भर में 800 प्रदर्शनियां आयोजित कीं। इन प्रदर्शनियों को दो करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। इन प्रदर्शनियों में मुख्य जोर इन विषयों पर दिया गया—राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सम्भाव, परिवार कल्याण और संशोधित 20-मुत्री कार्यक्रम के उद्देश्यों, लक्ष्यों और सफलताओं का परिचय जनता को देना। इन प्रदर्शनियों के शीर्षक थे 'एक राष्ट्र एक प्राण', 'एक जाति एक प्राण', 'एकता', 'छोटा परिवार मुझे परिवार' और 'प्रसन्न मां, प्रसन्न बच्चा'। ऐसे स्थानों में प्रदर्शनियां आयोजित करने पर अधिक ध्यान दिया गया, जहां पहले ये प्रदर्शनियां आयोजित नहीं की गईं, जैसे—गुदरवती, अलग-अलग स्थान, ग्रामीण अर्द्धनगरी क्षेत्र। 1985 में कांग्रेस जताव्दी समारोहों के लिए भी निदेशालय ने एक विशेष प्रदर्शनी तैयार की। उसका शीर्षक था—भारत का स्वतंत्रता संग्राम। नामीबिया पर गुट-निरपेक्ष देशों की 1985 में नई दिल्ली में हुई बैठक के अवसर पर ये विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गईं—'नामीबिया-मित्रता हमारी विरासत' और 'नामीबिया और युवा'। इनके अतिरिक्त मास्को में 12वें युवा समारोह और नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष युवा सम्मेलन के अवसर पर भी विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। जब प्रधानमंत्री मिस्र और अल्जीरिया की यात्रा पर गए, तब भी विशिष्ट विषयों पर प्रदर्शनियां तैयार की गईं।

### विज्ञापन

अनेक मंत्रालयों (रेल मंत्रालय को छोड़कर) और सरकारी विभागों की ओर से निदेशालय समाचारपत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ विज्ञापनों को जारी करता है। अनेक स्वायत्त संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इस निदेशालय के जरिए विज्ञापन जारी करते हैं।

अक्टूबर 1980 से नई विज्ञापन नीति अमल में आती शुरू हुई और 1981-82 में इसमें कुछ संशोधन किए गए। यही नीति इस वर्ष भी लागू रही। उत्पादन के बढ़ते हुए खर्चों को देखते हुए इस निदेशालय ने 1 सितम्बर 1985 से विज्ञान की दरों में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी।

1985-86 में एक नीति के रूप में प्रत्यापित विज्ञापन एजेंसियों का वह पैनल समाप्त कर दिया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बनाया जाता था। अब विज्ञापन एजेंसियों के लिए यह जरूरी नहीं कि वे अपने को डी० ए० वी० पी० की प्रत्यापित एजेंसी बनाने के लिए आवेदन करें।

**मुद्रित प्रचार सामग्री** विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय अपनी प्रचार सामग्री हिन्दी, अंग्रेजी, और 11 प्रादेशिक भाषाओं में तैयार करता है। ये भाषाएँ हैं—असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मलयालम और मराठी। इन वर्ष जो प्रमुख पुस्तिकाएँ और पत्रक (फोल्डर) इत्यादि प्रकाशित किए गए, उनमें विविध अवसरों पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिए गए भाषण और सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक महत्व के दो निर्णय, यानी 'पंजाब समझौता' और 'असम समझौता' शामिल हैं। अप्रैल 1985 से मार्च 1986 के बीच 613 पुस्तिकाएँ, फोल्डर, पोस्टर, कलेंडर और विविध प्रचार सामग्री मुद्रित की गई।

**मुद्रण और आकल्पन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार** यह निदेशालय प्रतिवर्ष मुद्रण और आकल्पन (डिजायनिंग) में श्रेष्ठता के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करता है, ताकि उच्च स्तरीय मुद्रण और आकल्पन के लिए स्वल्प हींडा पैदा हो। इनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। 1985 में इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की रजत-जयन्ती मनाई गई। कुल 51 वर्षों के लिए 5,003 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनका मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति ने किया। पुरस्कार-प्रदान करने के अवसर पर निदेशालय द्वारा पुरस्कृत प्रविष्टियों तथा अन्य उत्कृष्ट प्रकाशनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

**सामूहिक ढाक वितरण**

प्रतिवर्ष मुद्रित सामग्री की औसतन 3-4 करोड़ प्रतियाँ इन निदेशालय द्वारा वितरित की जाती हैं। वितरण का यह कार्य नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों से किया जाता है। अप्रैल 1985 से मार्च 1986 के बीच अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि लोगों और विशेषकर गांवों में रहने वाले लोगों को मोघे ढाक द्वारा प्रचार सामग्री भेजी जाए। मार्च 1982 में यहाँ लघु कम्प्यूटर यूनिट ने काम करना शुरू किया था और अब इनने मोघे प्रचार सामग्री भेजने के काम का काफी विस्तार किया है। आजकल विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पतों के मंत्रालय में मोघे ढाक से भेजे जाने वाले 16 लाख पते हैं। इनमें ग्रामीण वर्ग के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय, पंचायतें, डाकघर, खण्ड विकास कार्यालय, ग्रामोण बैंकों की शाखाएँ और सहायक समितियाँ शामिल हैं।

**अन्य प्रचार माध्यम**

विविध अभियानों के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की विज्ञापन प्रसारण सेवा और बाह्य प्रचार माध्यमों, जैसे दोवारों पर लिखे गए विज्ञापन, प्रचार पटल, मिनेमा स्नाइडें, अनुप्रचार पटल, बसों, रेलगाड़ियों/ट्रामों में ध्वजित विज्ञापन, टीन के स्टैन्ड, 'बैनर' और 'स्टिकर' आदि शामिल हैं। 1985-86 में 12 भाषाओं में 475 रेडियो स्पॉट तथा जिंगल प्रायोजित कार्यक्रम आदि के प्रसारण की व्यवस्था की गई और विभिन्न विषयों पर कुल 65,000 बार प्रसारण हुआ। दूरदर्शन की विज्ञापन प्रसारण सेवा पर और राष्ट्रीय नेटवर्क से 8 भाषाओं में राष्ट्रीय महत्व के 106 टी० वी० और बी० वी० स्पॉट प्रदर्शित किए गए। इन प्रदर्शनों की कुल मंज्या लगभग 1,700 थी।

## क्षेत्रीय प्रचार

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश में आमने-सामने संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। यह निदेशालय एक वर्ष के दौरान करीब 8 करोड़ लोगों के संपर्क में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में आत्मविश्वास जाग्रत करना और उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कामों में सक्रिय रूप से शामिल करना है।

निदेशालय के कार्यालय व एकक देशभर में कार्यरत हैं। विकास, रूपांतरण और परिवर्तन को लेकर इनकी एक विशेष भूमिका है। फिल्मों, गीत और नाट्य कार्यक्रमों, मुद्रित प्रचार सामग्री के वितरण/प्रदर्शन, संचालित भ्रमण कार्यक्रमों, सांख्यिक बैठकों, सामूहिक परिचर्चाओं, विचारगोष्ठियों, संगोष्ठियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और निबन्ध प्रतियोगिताओं जैसे आधुनिक और पारम्परिक लोक-सम्पर्क माध्यमों के जरिए निदेशालय के प्रचार कार्यक्रम लोगों तक पहुंचते हैं। निदेशालय के कर्मचारियों व प्रचार सामग्री की लोगों तक सीधे पहुंच है। वे लोगों के घर तक पहुंचकर सरकार की मूल नीतियों और कार्यक्रमों की खुलासा जानकारी देते हैं। निदेशालय का प्रचार तंत्र पूरे वर्ष सुदूरवर्ती व पिछड़े इलाकों तक प्रचार सामग्री पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। निदेशालय अपने कार्यक्रमों, जो कि श्रोताओं तथा क्षेत्र विशेष के अनुसार होते हैं, में सरकारी व गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त करता है। सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर जनता की त्वरित प्रतिक्रियाओं को भी एकत्र किया जाता है। इस प्रकार निदेशालय जानकारी देने और एकत्र करने के दोनों ही काम करता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का संगठन त्रि-स्तरीय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों तथा प्रमुख नगरों व कस्बों में हैं। क्षेत्रीय प्रचार एकक राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और जिला केन्द्रों में स्थित प्रमुख कस्बों में हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कुछ छोटे राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को एक-दूसरे से मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया गया है। दूसरी ओर बड़े व घनी आवादी वाले प्रदेशों के काम में चुस्ती लाने की दृष्टि से उन्हें दो क्षेत्रों में भी बांटा गया है। इस समय निदेशालय के 22 क्षेत्रीय कार्यालय और 257 क्षेत्रीय प्रचार एकक हैं। इन एककों में से 72 सीमा प्रदेशों में कार्यरत हैं और 30 उन इलाकों में परिवार कल्याण का तीव्र प्रचार करते हैं, जहां पर आवादी की जन्म दर बहुत ज्यादा है।

1985 में एककों ने 77,000 फिल्म प्रदर्शन किये, 8,200 गीत और नाटक कार्यक्रमों का मंचन किया, 76,000 मौखिक संचार कार्यक्रमों का आयोजन किया और समाज के विभिन्न वर्गों के लगभग 8 करोड़ लोगों तक प्रचार कार्यक्रम पहुंचाए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए प्रमुख मेलों और उत्सवों में प्रचार कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। दूर-दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए बैलगाड़ी और ऊंटों का सहारा लिया जाता है और कुछ इलाकों में तो पैदल चलकर ही जाना पड़ता है।

## गीत और नाटक भाग

गीत और नाटक प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जीवंत माध्यम है। इसकी स्थापना सन् 1945 में हुई थी। देश में हो रही विकास गतिविधियों

की जानकारी जनता को देने के लिए यह परम्परागत घोर लोक-कलाओं तथा रंगमंच के वर्तमान माध्यमों का उपयोग करता है। इनमें कथयुतली का नाच, नाटक; नृत्य-नाटिकाएँ, संगीत-नाटिकाएँ, गाथा गीत, हरिकथाएँ आदि शामिल हैं। इसका लाभ यह है कि जनता से सीधे सम्पर्क होता है और नए विचारों को कार्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है।

केन्द्रीय नाटक मंडली सहित इस प्रमाण की 43 विभागीय मंडलियाँ हैं। इनके प्रतिरिक्त इनके पास 500 मंडलियों के नाम दर्ज हैं, जिनसे कई माने हुए कलाकार सम्बद्ध हैं। देश-भर में राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम आयोजित करने में इनका सहयोग लिया जाता है।

प्रभाग की ध्वनि और प्रकाश की पहली शाखा दिल्ली में 1976 में और दूसरी बंगलौर में 1980-81 में स्थापित की गई। यह रंगमंच की एक ऐसी दुर्लभ-परक कला है जो बहुत ही सफल सिद्ध हुई है। इसे एक ही समय में 10,000 दर्शक देख सकते हैं। और किसी को भी ध्वनि या प्रकाश में कोई कमी नजर नहीं आती है। ध्वनि और प्रकाश शाखा अब तक कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी है, जैसे—गुलशनक देव, अमीर खुसरो, कृष्ण देव राय, सुप्रह्लादभ भारती, विद्यापति, रानी झांसी, गालिय, बहादुरशाह जफर आदि। इसके प्रतिरिक्त यह शाखा 'रामचरितमानस' और 'सिफती दा घर' आदि पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी है। परिवार कल्याण जैसे आधुनिक विषयों पर भी इतने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। 1985 में लखनऊ में बेगम हजरत महल पर भी एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।

'पूरव के रखवाले' शीर्षक कार्यक्रम शिलय, इम्फाल, कोहिमा, एजोल और गंगतोक में इस शाखा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रभाग ने 1981 में रांची में एक जनजातीय केन्द्र की स्थापना की। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की जनजातियों में काम करता है, ताकि ये लोग राष्ट्र की मुख्य धारा के अभिन्न अंग बन सकें।

प्रभाग के सशस्त्र सेना मनोरंजन खण्ड की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका उद्देश्य अग्रिम मोर्चों पर रहने वाले जवानों का मनोरंजन करना है।

सीमावर्ती प्रचार मंडलियों देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहती हैं और देश के सुदूर स्थित क्षेत्रों में बसे गाववालों के बीच रहकर काम करती हैं।

## प्रशिक्षण

देश में बहुत-सी समस्याओं द्वारा जनसंचार के विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। देश में 25 विश्वविद्यालय पत्रकारिता में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाते हैं।

## कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)

भाषाशाखा की कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) अपने कर्मचारियों एवं विदेशी प्रतिनिधि प्रशिक्षणार्थियों को सभी प्रकार के कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देता है। आमतौर पर प्रशिक्षार्थी कोलम्बो योजना, विशेष राष्ट्र मंडल अफीका सहायता योजना और अन्य सांस्कृतिक विनिमय

कार्यक्रमों के अन्तर्गत भेजे जाते हैं। आयोजना, उत्पादन और प्रबन्ध तकनीक की योजना बनाने वालों को प्रशिक्षण देने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यह संस्थान आकाशवाणी के कर्मचारियों को विभिन्न देशों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी करता है। हैदराबाद और शिलंग के दो प्रशिक्षण केन्द्र भी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थापन से सम्बद्ध हैं।

### कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)

दूरदर्शन और आकाशवाणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) की है। यह संस्थान तकनीकी सेवा में प्रविष्ट नये कर्मचारियों के लिए वैसिक इंटरनल (भर्ती) कोर्स चलाता है। संस्थान द्वारा कर्मचारियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के विस्तृत नेटवर्क में नवीनतम टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर विभिष्ट पाठ्यक्रमों तथा पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। कोलम्बो योजना और अन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कई देशों के विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को भी इन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

### भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

फिल्म जांच समिति की सिफारिश पर 1960 में पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान चलचित्र और दूरदर्शन, कला एवं गिल्प का प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया। प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1971 में दिल्ली में शुरू किया गया। अक्तूबर 1974 में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्वायत्तशासी निकाय बन जाने पर यहाँ टेलीविजन प्रशिक्षण आरम्भ किया गया।

संस्थान का फिल्म विभाग इन विषयों में त्रि-वर्षीय विभिष्ट पाठ्यक्रम संचालित करता है—(1) फिल्म निर्देशन, (2) चलती-फिरती तस्वीरों की फोटोग्राफी, (3) ध्वनि रिकार्डिंग तथा ध्वनि इंजीनियरिंग का एक-वर्षीय उभयनिष्ट पाठ्यक्रम और (4) एक-वर्षीय उभयनिष्ट पाठ्यक्रम सहित दो वर्ष का फिल्म सम्पादन पाठ्यक्रम। दूरदर्शन विभाग दूरदर्शन के कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है।

संस्थान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे के सहयोग से फिल्म समीक्षा का एक महीने का पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष नियमित रूप से चलाया जाता है।

### भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान भारत में जनसंचार के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अनुसंधान का राष्ट्रीय केन्द्र है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी स्थापना अगस्त 1965 में की थी। 1966 में यह स्वायत्तशासी संस्थान बन गया और इसकी प्रबन्ध व्यवस्था एक सोसायटी को सौंप दी गई।

इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:—

- (1) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (2) सैद्धान्तिक और व्यावहारिक जनसंचार के बारे में परियोजनाएँ चलााना;
- (3) जनसंचार के क्षेत्र में गोप्टियाँ और कार्यशालाएँ आयोजित करना;

(4) भारत और अन्य विकसित देशों के अनुरूप सूचना प्रणालियों का विकास करना।

(5) जनसंचार में सम्बद्ध समस्याओं के बारे में भाषण, गोष्ठियों और परिचर्चाओं आयोजित करना।

जनसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के रूप में इन संस्थानों ने विश्व-भर में व्यापक अर्जित की है। यूनेस्को ने इसे एक ऐसे श्रेष्ठ केन्द्र के रूप में स्वीकार किया है, जहाँ जनसंचार के अध्यापन और प्रशिक्षण की व्यवस्था है और जनसंचार के युवा छात्रों को इसके विभिन्न माध्यमों के बारे में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है, जैसे—मुद्रित पत्रकारिता, समाचार एजेंसी पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और जन-सम्पर्क तथा विज्ञापन का उभरता हुआ व्यवसाय।

संस्थान में पाठ्यक्रम चलाता है: (1) भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले विकासशील देशों के विद्यार्थियों के लिए नौ महीने का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (2) गूट-निरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए समाचार एजेंसी पत्रकारिता में पांच महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (3) विज्ञापन और जनसम्पर्क में नौ महीने का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (4) आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोगों के लिए प्रसारण पत्रकारिता में आठ सप्ताह का पाठ्यक्रम और (5) केन्द्रीय सूचना सेवा के परिवर्धकों के लिए 6 से 11 माह का प्रोसिस्टेण पाठ्यक्रम। इनके प्रतिरिक्त मध्य स्तर के सूचना, प्रसारण से सम्बन्धित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के जन-संपर्क अधिकारियों, सार्वजनिक शोध के संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारियों के लिए 2 से 6 सप्ताह की अवधि के जनसंचार तथा भाषा पत्रकारिता के कई छोटे पाठ्यक्रम भी हैं।

यह संस्थान अन्य मस्थानों को प्रशिक्षण/अध्यापन, अनुसंधान और सूचना ढाँचा तैयार करने में अपनी विशेषज्ञ तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है।

जनसंचार के विभिन्न पहलुओं के बारे में यह मस्थान कई पुस्तक-मुस्तिकाएं प्रकाशित करता है। यह अंग्रेजी में एक त्रै-मासिक पत्रिका, 'कम्प्यूनिक्टेड' तथा हिन्दी में एक अर्द्धवार्षिक पत्रिका 'संचार माध्यम' प्रकाशित करता है।

आशा है कि जल्दी ही इस संस्थान को विश्वविद्यालय के समकक्ष सस्था मान लिया जाएगा और तब यहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकेंगे।

#### सलाहकार समिति

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विभिन्न संचार माध्यम संगठनों के ढाँचे में परिवर्तन करने और यह देखने के लिए कि वे अधिक व्यावसायिक और कुशल रूप में श्रेष्ठतम कार्य कैसे कर सकते हैं, समय-समय पर सिफारिशें करने के लिए नवम्बर 1980 में सरकार ने एक सलाहकार समिति का गठन किया। इसका कार्य सरकार को इन विषयों पर सलाह देना है :-

(क) मंत्रालय के अधीन विभिन्न संचार माध्यम संगठनों में और यदि आवश्यक हो तो स्वयं मंत्रालय के ढाँचे में परिवर्तन करना, ताकि व्यापक राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकाशवाणी के सन्दर्भ में संचार माध्यमों के कार्य निष्पादन में अधिकारिक व्यावसायिक कुशलता और सुधार लाया जा सके;



(ख) मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न संचार माध्यम संगठनों में नये ढंग से कार्यक्रमों की आयोजना में सृजनात्मक सहयोग और विचार-विमर्श के जरिए लोगों का प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर ऐसे उपाय किए जावे चाहिए; ताकि लोगों की सांस्कृतिक विशिष्टता समृद्ध हो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले;

(ग) संचार माध्यमों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता निर्धारित करना और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा इन माध्यमों से जनता के सभी वर्गों तक पहुंचने की इनकी क्षमता को सुदृढ़ बनाना;

(घ) विकास प्रयासों के लिए संचार माध्यमों के प्रभाव को अधिक से अधिक बढ़ाने की दृष्टि से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विभिन्न संचार माध्यमों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा केन्द्रीय और राज्य संचार माध्यम संगठनों के बीच सहयोग का स्वरूप व उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करना ।

समिति ने अब तक आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने, प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति बनाने, देश में रंगीन टेलीविजन शुरू करने, प्रकाशन विभाग की प्रकाशन नीति, आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग तथा पी० सी० जोशी की अध्यक्षता में कार्यदल द्वारा दूरदर्शन के लिए 'साफ्टवेयर प्लान' तैयार करने की सिफारिश के संबंध में सिफारिशें दी हैं ।

सरकार ने स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने के बारे में सिफारिशें संशोधित रूप में स्वीकार कर ली हैं । समाचार नीति से संबंधित सिफारिशें भी स्वीकार की जा चुकी हैं और उनके आधार पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं । मंत्रालय ने रंगीन टेलीविजन शुरू करने का जो प्रस्ताव तैयार किया था, उसमें सलाहकार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है । प्रकाशन विभाग की प्रकाशन संबंधी गतिविधियों के बारे में अधिकतर सिफारिशें मान ली गई हैं । आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग तथा दूरदर्शन के लिए कार्यदल द्वारा प्रस्तुत साफ्टवेयर संबंधी रिपोर्ट के बारे में समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

## 12 मूल आर्थिक आंकड़े

प्राकृतिक संसाधनों तथा जनशक्ति की दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश है। इसके जन तथा भौतिक संसाधनों का पूरा तरह उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इनके और अधिक उपयोग की गुंजाइश है। भारत की भ्रष्ट-व्यवस्था अभी भी प्रधानतः कृषि पर आधारित है और देश की लगभग एक-तिहाई से भी अधिक राष्ट्रीय आय खेती तथा सम्बद्ध व्यवसायों से होती है, जिनमें देश के लगभग दो-तिहाई सशक्त व्यक्तियों को काम मिला हुआ है। 1947 से ही यह उद्देश्य रहा है कि भ्रष्ट-व्यवस्था में बहुमुखी प्रगति की जाए।

राष्ट्रीय तथा प्रति  
व्यक्ति आय

भारत में राष्ट्रीय आय वह कुल आमदनी है, जो देश के सामान्य नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादनों से, प्रत्यक्ष कर घटाए जाने से पूर्व प्राप्त होती है। यह कारक लागत मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। सारणी 12.1 में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े चालू और 1970-71 के मूल्यों के आधार पर दिए गए हैं।

सारणी 12.2 में चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्पादन और तत्सम्बन्धी कुछ और आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 12.3 में मार्बजितर क्षेत्रों के कार्य निम्नादन के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 12.4 में 1970-71 में निम्न क्षेत्र का पूर्ण उद्योग खर्च, शुद्ध घरेलू बचत तथा पूंजी निर्माण के आंकड़े दिए गए हैं।


सारणी 12.5 में शुद्ध घरेलू उत्पादन का कर्मचारियों को मुद्रावत्ता; स्व-रोजगार में लगे लोगों को विभिन्न आय, ब्याज, किराया, लाभ तथा सामाजिक का वितरण दिया गया है।

कर्मियों को  
पैगिया

1981 की जनगणना के लिए जनसंख्या को मुख्य कामियों, सीमान्त कामियों तथा भ्रष्टानिकों में विभाजित किया गया। केवल इन व्यापक समूहों के आंकड़े ही उपलब्ध हैं। 1971 की जनगणना में जनसंख्या को कामियों तथा भ्रष्टानिकों में विभाजित किया गया था। कामियों को 9 श्रेणियां दीं जो सारणी 12.6 में दिखाई गई हैं। यह सारणी 1 अप्रैल, 1971 के मुकाबले, 1 मार्च, 1981 को प्राचीन तथा गहरो क्षेत्रों में कामियों तथा भ्रष्टानिकों की संख्या दर्शाती है। संगठित क्षेत्रों में रोजगार को सारणी 12.7 में दर्शाया गया है।


# राष्ट्रीय आय

करोड़ रुपयों में



# प्रति व्यक्ति आय

रुपयों में



सारणी 12.1  
राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय : कारक लागत पर

वर्ष	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1970-71	1976-77	1978-79 <sup>1</sup>	1979-80 <sup>1</sup>	1980-81 <sup>1</sup>	1981-82 <sup>2</sup>	1982-83 <sup>2</sup>	1983-84	1984-85		
प्रति व्यक्ति										
1. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, कारक लागत पर (करोड़ ₹०) चाणू मूल्यों पर	34,235	66,924	81,321	88,716	1,05,804	1,20,691	1,33,457	1,57,830	1,73,207	1,73,207
1970-71 के मूल्यों पर	34,235	40,429	46,533	44,136	47,496	49,935	51,719	55,100	57,014	57,014
2. प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (₹०) चाणू मूल्यों पर	632.8	1,079.4	1,253.0	1,336.1	1,558.2	1,739.1	1,882.3	2,180.0	2,343.8	2,343.8
1970-71 के मूल्यों पर	632.8	652.1	717.0	664.7	699.5	719.5	721.0	761.0	731.5	731.5
3. शुद्ध राष्ट्रीय आय को सूचकांक संख्या (आधार वर्ष 1970-71) चाणू मूल्यों पर	100.0	195.5	237.5	259.1	309.1	352.5	389.8	461.0	505.9	505.9
1970-71 के मूल्यों पर	100.0	118.1	135.9	128.9	138.7	145.9	149.3	160.9	166.5	166.5
4. प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71) चाणू मूल्यों पर	100.0	170.6	198.0	211.1	246.2	274.8	297.5	344.5	370.4	370.4
1970-71 के मूल्यों पर	100.0	103.0	113.3	105.0	110.5	113.1	113.9	120.3	121.9	121.9
5. कुल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर (करोड़ ₹०) चाणू मूल्यों पर	36,452	71,432	87,058	95,413	1,13,907	1,30,471	1,44,884	1,71,201	1,88,459	1,88,459
1970-71 के मूल्यों पर	36,452	43,076	49,559	47,223	50,793	53,467	54,836	59,043	61,201	61,201
6. कुल राष्ट्रीय उत्पाद का सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71) चाणू मूल्यों पर	100.0	196.0	238.8	261.7	312.5	357.9	397.5	469.7	517.0	517.0
1970-71 के मूल्यों पर	100.0	118.2	136.0	129.6	139.3	146.7	150.1	162.0	167.9	167.9

1. अद्यतन अनुमान 2. स्थिति अनुमान

## सारणी 12.2

## राष्ट्रीय उत्पाद और कुछ संबंधित योग (चालू मूल्यों पर)

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	1970-71	1976-77	1978-79 <sup>2</sup>	1979-80 <sup>2</sup>	1980-81 <sup>2</sup>	1981-82 <sup>2</sup>	1982-83 <sup>2</sup>	1983-84 <sup>3</sup>	1984-85
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. कुल राष्ट्रीय उत्पाद-कारक लागत पर	36,452	71,432	87,058	95,413	1,13,907	1,30,471	1,44,884	1,71,201	1,88,459
2. जमा किए गए अप्रत्यक्ष कर, सहायता को घटाकर	3,527	8,533	10,534	12,184	13,905	16,914	19,175	21,665	23,749
3. कुल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्यों पर (1+2)	39,979	79,965	97,592	1,07,597	1,27,812	1,47,385	1,64,059	1,92,866	2,12,208
4. घटाकर-स्विर पूंजी का ह्रास	2,217	4,507	5,737	6,697	8,103	9,780	11,427	13,371	15,252
5. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर (3-4)	37,762	75,457	91,855	1,00,900	1,19,709	1,37,605	1,52,632	1,79,495	1,96,956
6. घटाकर-विदेशों से शुद्ध कारक आय	(-284)	(-233)	(-156)	(+153)	(+298)	(-7)	(-681)	(-975)	(-975)
7. शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्यों पर (5-6)	38,046	75,690	92,011	1,00,747	1,19,411	1,37,612	1,53,313	1,80,470	1,97,931
8. शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक लागत पर	34,519	67,157	81,477	88,563	1,05,506	1,20,698	1,34,138	1,58,805	1,74,182
9. घटाकर-सरकारी प्रशासनिक विभागों को उद्यम एवं सम्यक्ति से होने वाली आय	574	1,598	1,856	1,981	2,135	2,409	3,377	3,312	4,633
10. घटाकर-गैर विभागीय उपक्रमों की वचत	70	601	442	344	108	1,050	1,613	1,665	2,409
11. घरेलू उत्पाद से निजी क्षेत्र को होने वाली आय (8-9-10)	33,875	64,958	79,179	86,238	1,03,263	1,17,239	1,29,148	1,53,838	1,67,140

मूल आर्थिक आँकड़े

विवरण	सारणी 12. 2—जारी									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12. जमा—राष्ट्रीय श्रृंखला पर ब्याज	216	601	934	1,008	1,490	1,873	2,701	3,682	5,257	
13. जमा—विदेशों से मुद्रा										
कारक भाग	(-)	284	(-)	233	(-)	156	(+)	153	(+)	298
14. जमा—चाहूँ हस्तांतरण										
सरकारी प्रशासनिक विभागों से	578	1,547	2,005	2,392	2,835	3,370	4,009	4,597	5,528	
15. जमा—शेष विश्व से प्राप्त										
चाहूँ हस्तांतरण (मुद्रा)	123	739	1,042	1,624	2,257	2,221	2,527	2,774	3,050	
16. निजी भाग										
(11+12+13+14+15)	34,508	67,612	83,004	91,415	1,10,143	1,24,696	1,37,704	1,63,916	1,80,000	
17. पदावरु—सरकारी										
निगमित शेष की वपत,										
कुल विदेशी कम्पनियों	193	264	515	1,104	1,162	1,006	1,005	896	1,117	
की प्रतिधारण भाग	370	984	1,251	1,392	1,377	1,970	2,184	2,493	2,824	
18. पदावरु—निगम कर										
19. निजी भाग										
(16-17-18)	33,945	66,364	81,238	88,919	1,07,604	1,21,720	1,34,515	1,60,52	1,76,059	
20. पदावरु—परतों द्वारा										
दिया गया प्रत्यक्ष कर	721	1,792	1,806	1,995	2,197	2,490	2,650	2,854	3,159	
21. पदावरु—सरकारी प्रशासनिक										
विभागों की कुठकर प्रशिक्षण	162	246	282	282	303	391	479	528	826	
22. व्यय योग्य व्यक्तितगत भाग										
(19-20-21)	33,062	64,326	79,150	86,642	1,05,104	1,18,839	1,31,386	1,57,145	1,72,074	

1. उपरोक्त पाँचों में से उपरोक्तों द्वारा दो बर्षों का योग 1,80,000 है। यह 1977-78 में 1,80,000 था।

पिच कृपया  
लिख कृपया

विवरण	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1970-71	1976-77	1977-78 <sup>1</sup>	1978-79 <sup>1</sup>	1979-80 <sup>1</sup>	1980-81 <sup>1</sup>	1981-82 <sup>1</sup>	1982-83 <sup>1</sup>	1983-84 <sup>2</sup>	
(1)										
कुल परचू उद्योग	36,736	71,665	80,931	87,214	95,260	1,13,609	1,30,478	1,45,565	1,72,176	
सार्वजनिक	5,456	14,379	[15,697	17,452	20,072	23,489	28,910	34,978	40,678	
	31,280	57,286	65,234	69,762	75,188	90,121	1,01,568	1,10,587	1,31,498	
निजी	14.9	20.6	19.4	20.0	21.1	20.7	22.2	24.0	23.6	
कुल में सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	6,783	18,030	4,168	4,780	4,967	29,084	7,230	7,869	35,607	
कुल परचू उद्योग	1,253	13,845	16,062	19,366	20.1	31,418	36,393	39,924	21,773	
सार्वजनिक	5,530	23.2	20.6	22,984	26,143	13,926	17,528	20,047	24,808	
निजी	18.5	17,705	18,621	9,649	11,816	17,492	18,865	19,877	46.7	
कुल में सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	7,344	8,513	7,450	13,335	145.2	44.3	48.2	50.2	1,55,628	
कुल परचू उद्योग	2,773	9,192	11,171	42.0	85,797	1,03,519	15,276	18,023	20,861	
सार्वजनिक	4,571	48.1	40.0	78,454	11,025	13,033	1,02,765	1,11,326	1,34,767	
निजी	37.8	62,624	71,750	9,624	74,772	68,830	12.9	12.6	13.4	
कुल में सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	33,639	8,206	8,667	68,830	12.9	12.9	12.6	12.9	12.6	
प्रतिशत उपभोग व्यय	3,801	54,418	63,083	12.1	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	
सार्वजनिक प्रशासन	29,838	11.3	13.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	
निजी क्षेत्रों तथा साम न समाने वाली संस्थाएँ	11.3	13.1	13.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	
कुल में सार्वजनिक भाग (प्रतिशत)	11.3	13.1	13.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	

1. बरखाधी अनुमान ।
2. स्थित अनुमान ।
3. मूल्य का मिल नहीं है ।
4. पुरानी वास्तविक परिणामसि के निवल कम सक्षित ।

वार्षिक 12.4  
गैर-सरकारी बाल, बालघर प्रकी निर्माण

वर्ष	राजकी बालर में		गैर-सरकारी प्रति व्यक्ति		मूल परतू		मूल बालु प्रकी निर्माण की दर		प्रतिशत	
	1970-71	1970-71	1970-71	के मुल्यो पर	1970-71	के मुल्यो पर	1970-71	के मुल्यो पर	1970-71	के मुल्यो पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1970-71	29,838	29,838	551.5	551.5	4,566	12.0	4,960	4,960	13.0	
1971-72	32,103	30,709	579.5	554.3	5,107	12.5	5,385	5,270	13.6	
1972-73	35,157	30,093	620.0	530.7	5,157	11.4	5,454	4,716	12.1	
1973-74	42,973	30,914	740.9	533.0	8,399	15.0	8,791	6,644	15.7	
1974-75	52,102	31,100	878.6	525.9	0,180	13.9	9,833	5,876	14.0	
1975-76	53,078	33,530	874.4	552.4	10,855	15.4	10,783	5,938	15.3	
1976-77	54,418	33,287	877.7	536.9	13,522	17.9	12,213	6,669	16.1	
1977-78	63,082	30,774	995.0	580.0	15,238	18.0	13,773	7,427	16.2	
1978-79	68,830	36,438	1,060.6	592.3	18,409	20.0	16,537	9,282	20.1	
1979-80	74,772	36,564	1,126.1	550.7	18,006	17.9	18,586	7,029	18.4	
1980-81	90,486	49,894	1,322.6	600.9	20,981	17.6	23,082	8,814	19.3	
1981-82	1,02,703	42,216	1,490.8	609.3	24,087	17.5	26,705	9,076	19.4	
1982-83	1,11,326	42,896	1,570.2	605.0	25,811	16.8	26,384	8,938	18.5	
1983-84	1,34,767	47,149	1,861.4	651.2	29,453	16.3	31,677	9,848	17.7	
1984-85	1,44,108	49,037	1,950.0	650.0	31,954	16.1	34,329	9,434	17.4	

1. बालर मूल्य पर बालु उत्पादन का प्रतिशत
2. बालघरी अनुपात
3. प्रतिशत अनुपात



## सारणी 12.5

## वालू मूल्यों पर करक आय का वितरण

( करोड़ रुपयों में )

विवरण	1970-71	1976-77	1977-78	1978-79 <sup>1</sup>	1979-80 <sup>1</sup>	1980-81 <sup>1</sup>	1981-82 <sup>1</sup>	1982-83 <sup>1</sup>	1983-84 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. कर्मचारियों का मुआवजा	13,363	26,571	30,729	33,686	37,380	42,958	48,512	55,849	64,600
2. ब्याज	1,802	5,051	5,683	6,536	7,282	8,236	10,035	11,467	12,940
3. किराया	1,748	3,010	3,208	3,631	4,087	4,327	4,542	5,028	5,642
4. लाभ और लाभोष	1,494	3,989	3,924	4,207	4,769	4,765	7,148	8,580	9,467
5. स्व-रोजगार में लगे व्यक्तियों की मिली-जुली आय <sup>2</sup>	16,112	28,536	32,395	33,414	35,045	45,220	50,481	53,214	66,156
6. शुद्ध घरेलू उत्पाद	34,519	67,157	75,939	81,477	88,563	1,05,506	1,20,698	1,34,138	1,58,805

1. बसयाची
2. स्व-रोजगार में लगे कर्मिकों की आय तथा लाभ और नै-रु-संस्थापित उद्यमों के लाभोष ।

(करोड़ रुपयों में)

सारणी 12.6  
श्रेणीवार कामिकों  
तथा अकामिकों  
की जनसंख्या

	शामीण	शहरी	योग
1	2	3	4
<b>1981 की जनगणना :</b>			
कुल जनसंख्या . . . . .	52.55 <sup>1</sup>	15.97 <sup>1</sup>	68.52 <sup>1</sup>
मुख्य कामिक <sup>2</sup> . . . . .	17.64	4.61	22.25
कृषक <sup>2</sup> . . . . .	9.02	0.23	9.25
कृषि श्रमिक <sup>2</sup> . . . . .	5.27	0.28	5.55
घरेलू उद्योग <sup>2</sup> . . . . .	0.54	0.23	0.77
अन्य कामिक <sup>2</sup> . . . . .	2.81	3.87	6.68
सीमान्त कामिक <sup>2</sup> . . . . .	2.09	0.12	2.21
अकामिक . . . . .	31.03	11.04	42.07
<b>1971 की जनगणना :</b>			
कुल जनसंख्या . . . . .	43.91	10.91	54.82
कुल कामिक . . . . .	14.85	3.20	18.05
कृषक . . . . .	7.66	0.17	7.83
कृषि श्रमिक . . . . .	4.56	0.19	4.75
<b>पशुपालन, बानिकी, मत्स्यपालन</b>			
आदि में लगे हुए . . . . .	0.38	0.05	0.43
खानों और घदानों में लगे हुए . . . . .	0.06	0.03	0.09
कारखानों में लगे हुए . . . . .	0.82	0.69	1.71
निर्माण कार्यों में लगे हुए . . . . .	0.11	0.11	0.22
व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए . . . . .	0.36	0.64	1.00
<b>परिवहन, भंडारण व संचार-कार्य</b>			
में लगे हुए . . . . .	0.12	0.32	0.44
अन्य सेवाओं में लगे हुए . . . . .	0.78	0.80	1.58
अकामिक . . . . .	29.06	7.71	36.77

1. अंश में सापान्य स्थिति न होने के कारण, 1981 में जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए वहाँ पर अनुमानित जनसंख्या को ही आधार माना गया है। इसमें जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान और चीन से गैर-भारतीय तौर से अधिभार में है, शामिल नहीं है।
2. इसमें अंश और जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान और चीन से गैर-भारतीय तौर से अधिभार में है, शामिल नहीं है।

## वेरोजगारी

रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों से कुछ हद तक वेरोजगारी का अनुमान लगाया जा सकता है। रोजगार कार्यालयों में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों का चिह्नण रहता है। रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक है, अतः सभी वेरोजगार अपना नाम दर्ज नहीं कराते और रोजगार में लगे कुछ लोग भी बेहतर रोजगार के लिए नाम दर्ज करा लेते हैं। रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या 31 दिसम्बर, 1969 को 34.24 लाख से बढ़कर 31 दिसम्बर, 1981 को 178.38 लाख, 31 दिसम्बर, 1982 को बढ़कर 197.53 लाख तथा 31 दिसम्बर, 1983 को बढ़कर 219.53 लाख हो गई। सारणी 12.8 में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत प्रायियों का व्यवसाय वर्गीकरण दर्शाया गया है। इसमें 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति दी गई है।

## सारणी 12.8

## रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में पंजीकृत प्रायों

व्यावसायिक समूह	31-12-84 को संख्या (हजार में)	कुल का प्रतिशत
व्यावसायिक, तकनीकी और सम्बन्धित कर्मचारी . . . . .	1,056.7	4.5
प्रशासनिक, कार्यकारी तथा प्रबंध कर्मचारी . . . . .	8.6	—
लिपिक आदि . . . . .	1130.8	4.8
बिन्ही कर्मचारी . . . . .	4.6	—
किसान, मछुआरे, शिकारी, लट्ठों के काम वाले तथा संबंधित कर्मचारी . . . . .	71.5	0.3
सेवा कर्मचारी . . . . .	456.0	1.9
उत्पादन और संबंधित कर्मचारी, बस-ट्रक चालक और श्रमिक . . . . .	1,899.5	8.1
ऐसे कर्मचारी जो व्यवसायवार वर्गीकृत नहीं किए गए :		
1. मैट्रिक से कम (अशिक्षितों तथा अन्यो सहित) . . . . .	8,666.8	36.8
2. मैट्रिक और मैट्रिक से ऊपर परन्तु स्नातक स्तर से नीचे . . . . .	8,582.9	36.5
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर . . . . .	1,674.4	7.1
योग . . . . .	23,546.8	100.0

साल्पुी 12 7  
संगठित शैल में रोजगार

(लाख रुपयों में)

	सार्प 1975 <sup>1</sup>	सार्प 1976 <sup>1</sup>	सार्प 1977	सार्प 1978	सार्प 1979	सार्प 1980	सार्प 1981	सार्प 1982	सार्प 1983	सार्प 1984	सार्प 1985
सार्पजनिक शैल :											
केन्द्रीय सरकार	29.88	30.47	30.82	30.96	31.34	31.78	31.95	32.49	32.64	33.11	33.42
राज्य सरकार	47.42	48.97	50.20	51.60	53.09	54.78	56.76	58.53	60.16	61.54	62.99
सर्प सरकार	31.92	33.92	36.75	39.29	41.70	43.43	45.76	48.12	50.41	52.74	55.11
स्वामीय विकास	19.40	19.85	19.89	20.15	20.63	20.80	20.37	20.33	21.11	21.30	21.48
योग	128.62	133.22	137.68	142.00	146.76	150.78	154.84	159.46	164.32	168.69	173.00
सैर-सरकारी शैल (सैर-सुवि) :											
सरे कारखाने (25 या सार्पक सार्पको वाले)	60.98	61.13	61.37	63.22	64.65	64.84	66.00	67.33	66.99	65.26	64.91
छोटे कारखाने (10- 24 सार्पको व सै).	7.09	7.31	7.30	7.21	7.42	7.43	7.95	8.14	8.23	8.19	8.31
योग	68.06	68.44	68.67	70.43	72.08	72.27	73.95	75.47	75.22	73.45	73.22
कुल योग	196.68	201.65	206.33	212.43	218.84	223.05	228.79	234.93	239.53	242.14	246.22

1 सार्प 1975 सौर सार्प 1976 के सार्पसर के सार्पसरे नसुी सार्प ससुे ससुे ।

2. सरससुी ।

## बेरोजगारी

रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों से कुछ हद तक बेरोजगारी का अनुमान लगाया जा सकता है। रोजगार कार्यालयों में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों का विवरण रहता है। रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक है, अतः सभी बेरोजगार अपना नाम दर्ज नहीं कराते और रोजगार में लगे कुछ लोग भी बेहतर रोजगार के लिए नाम दर्ज करा लेते हैं। रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में रोजगार की तलाश करने वालों की संख्या 31 दिसम्बर, 1969 को 34.24 लाख से बढ़कर 31 दिसम्बर, 1981 को 178.38 लाख, 31 दिसम्बर, 1982 को बढ़कर 197.53 लाख तथा 31 दिसम्बर, 1983 को बढ़कर 219.53 लाख हो गई। सारणी 12.8 में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत प्रायियों का व्यवसाय वर्गीकरण दर्शाया गया है। इसमें 31 दिसम्बर, 1984 की स्थिति दी गई है।

## सारणी 12.8

## रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों में पंजीकृत प्रायों

व्यावसायिक समूह	31-12-84 को संख्या (हजार में)	कुल का प्रतिशत
व्यावसायिक, तकनीकी और सम्बन्धित कर्मचारी . . . . .	1,056.7	4.5
प्रशासनिक, कार्यकारी तथा प्रबंध कर्मचारी . . . . .	8.6	—
लिपिक आदि . . . . .	1130.8	4.8
बिक्री कर्मचारी . . . . .	4.6	—
किसान, मछुआरे, शिकारी, लट्ठों के काम वाले तथा संबंधित कर्मचारी . . . . .	71.5	0.3
सेवा कर्मचारी . . . . .	456.0	1.9
उत्पादन और संबंधित कर्मचारी, बस-ट्रक चालक और श्रमिक . . . . .	1,899.5	8.1
ऐसे कर्मचारी जो व्यवसायवार वर्गीकृत नहीं किए गए :		
1. मैट्रिक से कम (अशिक्षितों तथा अन्याय सहित) . . . . .	8,666.8	36.8
2. मैट्रिक और मैट्रिक से ऊपर परन्तु स्नातक स्तर से नीचे . . . . .	8,582.9	36.5
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर . . . . .	1,674.4	7.1
योग . . . . .	23,546.8	100.0

(लाख रुपये में)

सर्वजनिक क्षेत्र :	1975 <sup>1</sup>	1976 <sup>1</sup>	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
केंद्रीय सरकार	29.88	30.47	30.82	30.96	31.34	31.78	31.95	32.49	32.64	33.11	33.42
राज्य सरकार	47.42	48.97	50.20	51.60	53.09	54.78	56.76	58.53	60.16	61.54	62.99
ग्रह सरकार	31.92	33.92	36.75	39.29	41.70	43.43	45.76	48.12	50.41	52.74	55.11
स्थानीय निकाय	19.40	19.85	19.89	20.15	20.63	20.80	20.37	20.33	21.11	21.30	21.48
योग	128.62	133.22	137.66	142.00	146.76	150.78	154.84	159.46	164.32	168.69	173.00

गैर-सरकारी क्षेत्र

(मैर-कृषि) :

बड़े कारखाने (25 या अधिक श्रमिकों वाले)  
छोटे कारखाने (10-24 श्रमिकों वाले)

बड़े कारखाने (25 या अधिक श्रमिकों वाले)	60.98	61.13	61.37	63.22	64.65	64.84	66.00	67.33	66.99	65.26	64.91
छोटे कारखाने (10-24 श्रमिकों वाले)	7.09	7.31	7.30	7.21	7.42	7.43	7.95	8.14	8.23	8.19	8.31
योग	68.06	68.44	68.67	70.43	72.08	72.27	73.95	75.47	75.22	73.45	73.22
कुल योग	196.68	201.65	206.33	212.43	218.84	223.05	228.79	234.93	239.53	242.14	246.22

1. मार्च 1975 और मार्च 1976 के मजिस्ट्रेट के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।
2. अस्थायी।

## राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना सन् 1950 में व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम चलाने के लिए की गई थी ताकि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए और आयोजन तथा नीति निर्धारण के लिए आंकड़े और जानकारी प्रदान की जा सके। अब यह विषय में अपने ढंग के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और इसने कई दिशाओं में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। यह संगठन प्रति वर्ष सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करता है जिनमें जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का समावेश रहता है। साथ ही यह 'वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण' (ए० एस० आई०) का क्षेत्रीय कार्य करता है और खेतों तथा उपज के नमूनों की जांच करता है ताकि राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित कृषि-उत्पादन की किस्म सुधारी जा सके। आजकल इस संगठन में लगभग 6,000 कर्मचारी काम करते हैं और देश भर में इसके 170 से भी अधिक कार्यालय हैं।

1970 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया गया और इसके कार्य के सभी पहलू एक ही सरकारी प्राधिकरण 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन' को सौंप दिए गए। यह एक प्रबन्ध परिपद के निर्देशन में काम करता है जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े एकत्र करने, उनका अध्ययन करने और प्रकाशन करने के लिए आवश्यक स्वाधीनता और स्वायत्तता मिली हुई है। प्रबन्ध परिपद में अध्यक्ष के अतिरिक्त पांच विद्वान, केन्द्रीय और राज्य सरकारों में आंकड़ों के छः उपयोक्ता और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और सांख्यिकी विभाग के छः कार्यकर्ता शामिल होते हैं। आजकल प्रबन्ध परिपद के अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के विख्यात प्रोफेसर श्री वी० एस० मिन्हास हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रमुख एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो प्रबन्ध परिपद का सदस्य-सचिव भी होता है। संगठन में कार्य के चार विभाग हैं—(1) सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान, (2) क्षेत्रीय कार्य, (3) आंकड़ा अध्ययन और (4) आर्थिक विश्लेषण विभाग। हर विभाग एक निदेशक के निर्देशन में कार्य करता है। अन्य सांख्यिकी तथा आवश्यक कर्मचारी उसको सहयोग देते हैं।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का यह विषयवार कार्यक्रम एक सुनियोजित चक्र के हिसाब से चलाया जाता है जिसकी अवधि दस वर्ष होती है। जिन विषयों के सर्वेक्षण किए जाते हैं, वे हैं—(1) जनसंख्या अध्ययन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, (2) परिसम्पत्ति, ऋण तथा निवेश, (3) भूमि की जोतों तथा पशुपालन का सर्वेक्षण, जो दस वर्ष में एक बार किया जाता है, (4) रोजगार, ग्रामीण मजदूर तथा उपभोक्ता व्यय, और (5) गैर सरकारी क्षेत्र के असंगठित उद्यम, जिनका सर्वेक्षण पांच वर्ष में एक बार किया जाता है। उपभोक्ताओं की खर्च के अन्य विषयों के सर्वेक्षण या तो उपर्युक्त किसी सर्वेक्षण में शामिल कर दिए जाते हैं या किसी वर्ष अन्य विषयों के साथ-साथ उनका भी सर्वेक्षण कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की नियमित वार्षिक गतिविधियों में से एक है—उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए आंकड़े एकत्र करना। यह कार्य आंकड़ा

संकलन अधिनियम, 1953 और आकड़ा संकलन (केन्द्रीय) नियम, 1959 के वैधानिक उपबन्धों के अनुसार किया जाता है। इनके अन्तर्गत ऐसे सभी कारखाने आ जाते हैं जो (क) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2-एम (1) और 2-एम (2) के अनुसार पंजीकृत होते हैं, (ख) वे ममी बिजली घर जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत होते हैं, और (ग) वे सभी बीड़ी और सिगार बनाने के कारखाने जो बीड़ी और सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तों) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत होते हैं।

उद्योगों के वार्षिक संगठन के बारे में जो आकड़े एकत्र किए जाते हैं, वे इन विषयों के बारे में होते हैं—पूँजीगत ढांचा, रोजगार और वेतन, ईंधन और लूरीकेट्स की खपत, कच्चे माल और अन्य सामग्री की खपत, तैयार माल, माल तैयार हो जाने पर मूल्य में वृद्धि, भ्रम संबंधी आकड़े, आवागम संबंधी आकड़े तथा कारखानों/मंस्थानों की अन्य विविध बातें। ये आकड़े सरकार तथा अन्य क्षेत्रों में उन आंकड़ों का उपयोग करने वालों की आवश्यकताओं के लिए एकत्र किए जाते हैं।

कृषि सांख्यिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन राज्यों को 'फल आकलन सर्वेक्षण' कराने के बारे में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और राज्य सरकारों द्वारा जो कृषि संबंधी आकड़े एकत्र किये जाते हैं, उन पर बराबर नजर रखना है ताकि उनमें सुधार लाने के उपाय सुझाए जा सकें।

फल सांख्यिकी में सुधार की योजना (आई० सी० एस०) केन्द्र और राज्यों के सहयोग में 1973-74 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य फल सांख्यिकी के आकड़ों को एकत्र करने में आने वाली कमियों की जानकारी प्राप्त करना तथा उनमें सुधार लाने के तरीके बताना है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 5,000 गावों में क्षेत्र-नमूहन तथा क्षेत्र परिगणना से संबंधित कार्य की नमूना-जाच तथा 15,000 फसल-कटाई प्रयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रत्येक कृषि-वर्ष में किए जाते हैं। राज्य सरकारें भी इसके कार्यक्रम में समानता के आधार पर भाग लेती हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का जो 40वां दौर (जुलाई 1984-जून 1985) देश के शामिल व शहरी क्षेत्रों के असंगठित निर्माताओं के बारे में शुरू किया गया था, उसका क्षेत्रीय कार्य पूरा हो गया है। द्वितीय आर्थिक जनगणना के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया था। कुल मिलाकर लगभग 9,100 गावों और 6,100 शहरी इलाकों में यह सर्वेक्षण किया गया था। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी समानता के आधार पर इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

असंगठित व्यापार के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 41वां दौर (जुलाई 1985-जून 1986) शुरू किया गया। इसके अन्तर्गत ऐसे थोक और खुदरा व्यापारिक संस्थान लिए गए हैं जिनमें 5 या इससे कम कर्मचारी काम करते हैं और उनमें कम-से-कम एक कर्मचारी मजदूरी पर काम करने वाला होता है। ऐसे गन्थान भी इसमें शामिल किए गए हैं जो अपना घाना व्यापार स्वयं करते हैं और जिनमें कोई मजदूरी वाला कर्मचारी नहीं होता।



इसका क्षेत्रीय कार्य 1 जुलाई 1985 को शुरू हुआ। इस नमूने का आकार था—देश भर में फैले हुए लगभग 4300 गांव और 10,000 शहरी खण्ड। राज्य सरकारें और संघीय क्षेत्र भी इसमें समानता के आधार पर भाग ले रहे हैं। समूचे सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1.27 लाख व्यापारिक संस्थानों का सर्वेक्षण किया गया।

जनवरी-मार्च 1986 के दौरान इस संगठन ने लक्षद्वीप में प्रत्येक घर का एक व्यापक सर्वेक्षण किया। इसके लिए एक विशेष दल नियुक्त किया गया। इसमें इन बातों के बारे में जानकारी एकत्र की गई—द्वीप समूह में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, गरीबी दूर करने के कार्यक्रम, औद्योगिक इकाइयों की संख्या, किस्म और रोजगार, खेलकूद की उपलब्ध सुविधाएं और सांस्कृतिक केन्द्र। पारिवारिक स्तर पर कई बातों का पता लगाया गया जैसे—मकान का स्वरूप, पीने के पानी का स्रोत, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, फसलों की किस्म, सम्पत्तियों के स्वामित्व, परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आंकड़े और उनके कार्यकलाप, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, उपभोग का स्वरूप और उपभोक्ता व्यय, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवार को मिलने वाली सहायता और उसका उपयोग। इसके अतिरिक्त ऐसी और भी बहुत-सी जानकारी एकत्र की गई जो लोगों के जीवनयापन के ढंग और उनके विकास पर प्रकाश डाल सकेगी।

निर्देशिका (डाइरेक्टरी) 'व्यापार संस्थानों' का एक सर्वेक्षण अक्टूबर 1984—सितम्बर 1985 के बीच किया गया। यह सर्वेक्षण भी द्वितीय आर्थिक संगणना 1980 का अनुवर्ती है। इसके अन्तर्गत ऐसे व्यापारिक संस्थानों के बारे में जानकारी एकत्र करने का विचार है जिनमें 6 या अधिक कर्मचारी हैं और जिनमें कम-से-कम एक व्यक्ति मजदूरी पर है। इन व्यापारिक संस्थानों में थोक तथा खुदरा व्यापार के साथ-साथ नीलामकर्ता भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कार्य की व्यापकता का पता इस बात से चलता है कि हर वार्षिक दौर में लगभग 9,000 नमूना गांवों और 5,000 नमूना शहरी खण्डों के लगभग 1.3 लाख घरों का सर्वेक्षण किया जाता है। फसल की पैदावार तथा खेतों की जांच-पड़ताल के लिए 5,000 नमूना गांवों का सर्वेक्षण किया जाता है तथा फसल कटाई के 15,000 प्रयोग किये जाते हैं। राज्य सरकारें भी इसी तरह का सामाजिक, आर्थिक तथा कृषि सर्वेक्षण कराती हैं। कुछ राज्यों में सर्वेक्षण का आधार और भी बड़ा होता है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 8,000 कारखाने शामिल किए जाते हैं। कुछ राज्य ऐसे गैर-संगणना वाले कारखानों के बारे में भी आंकड़े एकत्र करते हैं जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उस वर्ष के सर्वेक्षण के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जाते।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथ्यों का पता लगाने वाली एक प्रमुख संस्था है और देश की सांख्यिकी प्रणाली में इसका अपना विशिष्ट स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में इसके आंकड़े एकत्र करने के काम में विस्तार भी हुआ है और उसमें विविधता भी आई है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जो विकास कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारों पहले अलग-अलग रिपोर्टों में प्रकाशित की जाती थी और प्रत्येक रिपोर्ट में सभी राज्यों के किसी विषय विशेष से संबंधित

आकड़े रहते थे। अब राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन अपनी पत्रिका 'सर्वेक्षण' प्रकाशित करने लगा है, जिसमें सभी राज्यों के अलग-अलग और समूचे देश के परिणाम मिलाने पर, प्रकाशित किए जाते हैं।

**मूल्य**

धोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1961-62=100 से बदल कर 1970-71=100 कर दिया गया है और पुरानी सूचकांक श्रृंखला अप्रैल 1977 में बन्द कर दी गई है।

संशोधित वर्गीकरण में वस्तुओं का वितरण तीन मुख्य समूहों में किया गया है, जैसे :

1. मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं,
2. ईंधन, शक्ति, बिजली तथा चिकने पदार्थ, और
3. निमित्त वस्तुएं

समूहों को अनेक उप-समूहों में बाटा गया है।

मूलभूत जरूरत की वस्तुओं के समूह की तुलना आमतौर पर कुछ मामूली परिवर्तन के साथ पिछले वर्गीकरण के दो समूहों, 'खाद्य पदार्थ' और 'औद्योगिक कच्चा माल' से की जा सकती है। तीसरे समूह 'निमित्त वस्तुओं' को भी 'घट्ट-निमित्त' तथा 'निमित्त' वस्तुओं के उप-समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

संशोधित आधार 1970-71=100 के अनुसार 1971-72 के तथा 1976-77 से 1983-84 तक की अवधि के धोक मूल्य सूचकांक सारणी 12.9 में दिए गए हैं।

**उपभोक्ता मूल्य**

अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अगस्त 1968 से, 1949=100 के स्थान पर 1960=100 कर दिया गया है। सारणी 12.10 में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के 1970-71 से लेकर 1983-84 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के साथ-साथ कुछ चुने हुए केन्द्रों के भी आकड़े दिए गए हैं। ये केन्द्र उन 50 केन्द्रों में से हैं जिनके सूचकांकों के प्रभावी औसत के आधार पर अखिल भारतीय सूचकांक निकाला जाता है।

1984-85 में अखिल भारतीय सामान्य सूचकांक में गत वर्ष की अपेक्षा 35 अंकों की वृद्धि हुई है। 1985-86 में अखिल भारतीय सामान्य सूचकांक में 38 अंक और अखिल भारतीय खाद्य सूचकांक में 31 अंक की वृद्धि हुई।

सारणी 12.11 में 1970-71 से 1984-85 तक के शहरी गैर-श्रमिक उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक दिए गए हैं।

**आयिक संगणना**

केन्द्रीय सांख्यिकी सचयन ने 1977 में राज्यों के मासिकी ब्यूरो के माप मिलकर गैर-कृषि अर्थ-व्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के आकड़े एकत्र करने के लिए आयिक संगणना और सर्वेक्षण की एक केन्द्रीय योजना शुरू की। इसके अन्तर्गत गैर-यंजीकृत उत्पादन व्यापार और परिवहन सेवाओं का सर्वेक्षण किया गया। 1977 के अन्तिम तीन महीनों में ऐसे गैर-कृषि प्रतिष्ठानों को प्रथम आयिक संगणना हुई, जिनमें कम से कम एक श्रमिक को नियमित रूप से रोजगार दिया गया हो। इस संगणना से प्रतिष्ठानों तथा उनमें आमतौर पर

(साधक: 1970-71=100)

संख्या 12.9  
चौक मुंयां का मूककाक

वर्ष	1971-72	1976-77	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
1. मुनिगादी जलका को वरुणुं	416.67	167.2	181.4	206.5	237.5	264.1	273.9	304.0	324.4	331.0
गाव वरुणुं	297.99	155.3	172.4	186.6	207.9	235.1	249.6	283.1	297.4	317.7
गांधीतर वरुणुं	106.21	167.4	170.4	194.6	217.7	240.5	244.6	281.6	319.6	386.8
वेने	31.73	106.6	169.3	168.1	179.7	215.7	199.5	227.8	303.4	331.3
विपदा	42.01	89.9	158.9	185.7	230.7	253.8	250.5	302.0	322.4	385.3
वसिना	12.47	115.4	499.7	779.9	1,110.2	1,168.6	1,105.6	994.0	1,015.1	1,030.2
2. रंगम, विकसो, यति तथा चिन्ता करी गरी वरुणुं	84.59	105.9	230.8	244.7	283.1	354.3	427.5	494.8	519.4	479.9
3. निर्मित वरुणुं	498.74	109.5	175.2	179.5	215.8	257.3	272.1	295.8	319.5	342.6
गाव वरुणुं	133.22	118.4	189.1	157.0	214.8	308.7	298.9	298.9	323.8	346.2
गाव, तम्बाणू तथा तम्बाणू जलका	27.08	106.8	168.2	178.2	186.6	210.7	217.4	246.2	254.0	296.9
गांधी	110.26	109.6	155.3	179.0	203.2	212.7	223.9	249.6	280.1	275.8
गावज तथा गावज जलका	8.51	110.4	180.1	196.0	237.4	282.2	299.7	325.8	363.5	378.3
गांधी तथा चर्च निर्मित वरुणुं	3.85	101.3	227.8	265.4	345.0	380.1	368.0	385.9	413.6	491.6
खड तथा खड निर्मित वरुणुं	12.07	101.7	157.2	181.9	248.8	284.1	306.1	316.6	335.3	360.6
खायन तथा खायन निर्मित वरुणुं	55.48	101.5	171.4	177.2	198.7	241.3	260.2	281.6	292.1	310.9
भ्यादिक यतिज जलका	14.15	109.3	191.0	213.7	249.5	278.7	311.7	373.7	404.1	450.9
मूज गांधी, मिन्धालू तथा गांधी जलका	59.74	104.7	190.1	211.2	251.9	272.1	317.1	354.6	381.0	477.1
महीनं तथा मखिदा जलका	67.18	105.3	170.1	183.9	215.9	239.4	265.1	277.9	289.6	303.6
विश्व जलका	7.20	102.5	166.0	187.8	209.8	232.8	239.5	243.2	256.9	269.7
4. रानी वरुणुं	1,000.00	105.6	176.6	185.8	217.6	257.3	288.7	316.0	338.4	357.8

सारणी 12.10

औद्योगिक क्रमिकों से सम्बन्धित उपयोगिता मूल्य सूचकांक<sup>1</sup>

(आधार : 1960=100)

वर्ष	मणिल भारत							
	दम्बई	अहमदाबाद	कलकत्ता	मद्रास	राजपुर	दिल्ली	सभी वस्तुएं	याच वस्तुएं
1970-71	182	176	182	170	190	199	186	204
1971-72	190	181	187	182	196	211	192	205
1972-73	203	198	197	203	212	222	207	223
1973-74	233	245	228	229	251	265	250	279
1974-75	289	305	288	301	323	337	317	358
1975-76	300	293	287	314	299	333	313	342
1976-77	298	281	297	286	294	332	301	317
1977-78	318	310	320	311	330	358	324	349
1978-79	325	323	331	318	337	368	331	347
1979-80	359	348	351	350	357	389	360	373
1980-81	400	376	382	388	396	426	401	419
1981-82	460	441	414	446	439	472	451	428
1982-83	502	487	447	475	473	508	486	508
1983-84	564	544	511	550	528	551	547	581
1984-85	609	570	576	577	554	597	582	607
1985-86	654	599	610	630	614	648	620	638

1. फरवरी 1970 में प्राइम्स आधार 1960-100 पर क्रमिक धूरो की नई श्रृंखला से लिए गए हैं।



काम करने वाले श्रमिकों की संख्या, काम के प्रकार, स्वामी के सामाजिक समूह आदि बातों की मूल जानकारी उपलब्ध हुई।  
 वाद प्रथम आर्थिक संगणना के आधार पर 1981 में विभिन्न क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिष्ठानों का नमूने के तहत सर्वेक्षण नियमित ताकि रोजगार, पूंजी निवेश, कच्चे माल और उत्पादन का मादापमूल्य के बारे में विस्तृत, जानकारी एकत्र की जा सके।

दूसरी आर्थिक संगणना 1981 की जनगणना से पहले 1980 में मकानों को सूचीबद्ध करने के काम के साथ की गई। इसमें असम (जहां संगणना नहीं हुई) को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में फसल उत्पादन तथा बागवानी के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों में लगे सभी उद्यमों का सर्वेक्षण किया गया।

इस अखिल भारतीय स्तर की संगणना के परिणामों के अनुसार, देश में (असम को छोड़कर) 183.6 लाख उद्यम फसल उत्पादन और बागवानी के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हैं और इनमें ग्राम तोर पर 536.7 लाख लोग काम करते हैं। इनमें से 169.0 लाख उद्यम (92 प्रतिशत) गैर-कृषि कार्यों में और 14.6 लाख (8 प्रतिशत) फसल उत्पादन तथा बागवानी को छोड़कर अन्य कृषि कार्यों में लगे हैं। इनमें से 61 प्रतिशत उद्यम ग्रामीण इलाकों में हैं। गैर-कृषि उद्यमों का 58.3 प्रतिशत और कृषि उद्यमों का 88.1 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में है। कुल उद्यमों में से 27.1 प्रतिशत प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक कर्मचारी की नियमित रूप से रोजगार मिला है तथा 72.9 प्रतिशत निजी-उत्तरदायित्व उद्यम हैं (अर्थात्, जिनका स्वामित्व और संचालन घरेलू श्रमिकों की मदद से किया जाता है)। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृषि उद्यमों में से 84 प्रतिशत निजी-उत्तरदायित्व उद्यम हैं तथा बाकी 16 प्रतिशत प्रतिष्ठान हैं। गैर-कृषि उद्यमों में तीन चौथाई निजी उत्तरदायित्व उद्यम तथा एक चौथाई प्रतिष्ठान हैं।

कुल उद्यमों में से करीब 18.3 प्रतिशत उद्यम बिना किसी निश्चित परिसर के काम कर रहे थे। कुल उद्यमों में से लगभग छः प्रतिशत उद्यम मौसम पर आधारित हैं। कुल उद्यमों में से 83 प्रतिशत बिजली/ईंधन के बिना काम कर रहे थे। करीब दस प्रतिशत उद्यमों पर अनुसूचित जातियों का स्वामित्व था। निजी उद्यम 90 प्रतिशत थे।

मानान्यतः कार्यरत 536.7 लाख श्रमिकों में से 244.7 लाख (46 प्रतिशत) ग्रामीण इलाकों में स्थित उद्यमों में काम करते थे। कुल कर्मचारियों में से 54 प्रतिशत यानि 290.3 लाख श्रमिक थे। कुल 536.7 लाख श्रमिकों में से केवल पांच प्रतिशत को ही कृषि उद्यमों में रोजगार मिला हुआ था। कृषि उद्यमों में कार्यरत 86 प्रतिशत कर्मचारी ग्रामीण इलाकों के थे। बाकी 95 प्रतिशत यानि 508.2 लाख लोग गैर-कृषि उद्यमों में काम करते थे। गैर-कृषि उद्यमों में कार्यरत कुल व्यक्तियों में से 220.2 लाख ग्रामीण इलाकों में थे। इनमें से 43.5 प्रतिशत श्रमिक थे। शहरी इलाकों के गैर-कृषि उद्यमों के 288.0 लाख व्यक्तियों में से दो तिहाई श्रमिक थे।



## 13 वित्त

वित्त मंत्रालय सरकार के लिए वित्त प्रशासन का काम संभालता है। यह देश के सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों को देखता है। इसमें विकास तथा अन्य उद्देश्यों के लिए साधन जुटाना भी शामिल है। सरकार के खर्च और राज्यों में धन के हस्तांतरण का नियमन भी वित्त मंत्रालय करता है। इसके तीन विभाग हैं—(1) आर्थिक कार्य विभाग, (2) व्यय विभाग तथा (3) राजस्व विभाग।

आर्थिक कार्य विभाग में सात प्रमुख प्रभाग हैं। ये हैं—(1) आर्थिक, (2) बैंकिंग, (3) बीमा, (4) वजट, (5) वित्त आयोग, (6) पूंजी निवेश तथा (7) विदेशी वित्त। यह विभाग अन्य कार्यों के अलावा मौजूदा आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है और आंतरिक तथा विदेशी आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में सरकार को परामर्श देता है। इनमें व्यापारिक ढ़कौ और ऋण देने वाली संस्थाओं का कामकाज, पूंजी निवेश से संबंधित नियम, विदेशी सहायता आदि मामले शामिल हैं। केन्द्रीय वजट तथा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वजट तथा उनके विधेयक तैयार करने और उन्हें समय में प्रस्तुत करने का दायित्व भी इसी विभाग का है।

व्यय विभाग के छह प्रमुख प्रभाग इस प्रकार हैं—(1) योजना वित्त, (2) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, (3) स्थापना, (4) लागत लेखा, (5) लेखा महानियंत्रक का सचिव, और (6) कर्मचारी निरीक्षण इकाई।

राजस्व विभाग केन्द्र के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों से संबंधित राजस्व के मामलों को देखता है। यह काम बहु दो सांविधिक बोर्डों—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से करता है। केन्द्रीय विनी कर, स्टाम्प ड्यूटी, स्वर्णनियंत्रण, विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित कानूनों तथा सम्बद्ध वित्तीय कानूनों में जिन नियंत्रण संबंधी उपायों की व्यवस्था होती है, उन्हें लागू करने और उनके प्रशासन का काम भी यही विभाग संभालता है।

### आर्थिक कार्य

सार्वजनिक वित्त

संविधान के अन्तर्गत धन एकत्र करने और व्यय करने का अधिकार केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में बांटा गया है। साझे करों और गुल्कों को छोड़कर, आमतौर पर केन्द्र और राज्यों के राजस्व के साधन अलग-अलग हैं।

संविधान में व्यवस्था है कि (1) कोई भी कर कानूनी अधिकार के बिना लगाया या जगाहा नहीं जा सकता, (2) सरकारी निधियों से व्यय केवल संविधान में उल्लिखित तरीके के अनुसार ही किया जा सकता है, और (3) कार्यकारी अधिकारी केन्द्र के संबंध में केवल संसद द्वारा, और राज्य के संबंध में केवल राज्य विधान सभा द्वारा निर्धारित पद्धति से ही सरकारी धन व्यय कर सकते हैं।

केन्द्र सरकार का कुल राजस्व और व्यय दो अलग-अलग शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जाता है, ये हैं—भारत की सचिव निधि और भारत का सार्वजनिक लेखा। सचिव निधि में, केन्द्र सरकार का समस्त राजस्व, लिए गए ऋण की राशि और ऋणों की श्रावणी से प्राप्त राशि शामिल है। इस निधि में से केवल संसद द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत भारत अधिकार



से ही धन निकाला जा सकता है। जमा राशियां, सेवा निधि और प्रेषित राशियां आदि अन्य सभी प्राप्तियां भारत के सार्वजनिक लेखे में डाली जाती हैं। इनमें से भुगतान करने के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिनके संबंध में वार्षिक विनियोग अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं होती, संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अनुसार भारतीय आकस्मिक निधि स्थापित की गई है।

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भी एक-एक संचित निधि, सार्वजनिक लेखा और आकस्मिक निधि की स्थापना की व्यवस्था है।

सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े उपक्रम रेलवे का बजट संसद में अलग से पेश किया जाता है। अन्य विनियोग तथा व्यय की भांति रेल बजट के विनियोग और व्यय पर भी संसद का उसी प्रकार का नियंत्रण रहता है। परन्तु रेलवे का अपना पृथक रोकड़ हिसाब न होने के कारण रेलवे की कुल प्राप्तियां तथा भुगतानों को भी आम बजट के हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार के बजट में सम्मिलित किया जाता है।

### राजस्व के स्रोत

केन्द्रीय राजस्व के मुख्य स्रोत हैं सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद कर तथा निगम व आयकर। रेलवे तथा डाकतार विभाग में लगाई गई पूंजी पर लाभांश भी केन्द्र सरकार को मिलता है।

राज्यों के लिए राजस्व के मुख्य साधन हैं—राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर तथा शुल्क, केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए करों में उनका हिस्सा तथा केन्द्र से मिलने वाले अनुदान। सम्पत्ति कर, चुंगी तथा सीमा कर से स्थानीय निकायों के लिए धन जमा होता है।

### साधनों का हस्तांतरण

केन्द्र से राज्यों को साधनों का हस्तान्तरण भारत में संघीय वित्त व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। करों तथा शुल्कों के अपने हिस्से के अलावा राज्य केन्द्र से नाविधिक तथा अन्य प्रकार के अनुदान और विभिन्न विकास तथा गैर-विकास कार्यों के लिए ऋण भी लेते हैं। राज्यों को प्रत्येक योजना-अवधि में हस्तांतरित कुल साधनों का व्यौरा सारणी 13.1 में दिया गया है।

(रुपये करोड़ों में)

### सारणी 13.1 राज्यों को हस्ता- ंतरित साधनों का व्यौरा

अवधि	कर और शुल्क	अनुदान	ऋण	कुल
1	2	3	4	5
पहली योजना	344	288	799	1,431
दूसरी योजना	668	789	1,411	2,868
तीसरी योजना	1,196	1,304	3,100	5,600
वार्षिक योजनाएं				
1966-67	373	419	916	1,708
1967-68	417	471	869	1,757
1968-69	492	499	891	1,882
	1,282	1,389	2,676	5,347

1	2	3	4	5
चौथी योजना	4,562	3,831	6,708	15,101
पांचवी योजना	8,268	8,198	8,978	25,444
वार्षिक योजना				
1979-80	3,406	2,288	2,697	8,391
छठी योजना				
1980-81	3,792	2,666	3,074	9,532
1981-82	4,274	2,706	3,369	10,349
1982-83	4,639	3,455	5,924	14,018
1983-84	5,246	4,178	5,329	14,753
1984-85	5,777	4,936	6,026	16,739
	23,728	17,941	23,722	65,391
सातवी योजना				
1985-86 (संशोधित प्राक्कलन)	7,490	6,863	10,419	24,772

## वित्त आयोग

संविधान के अन्तर्गत हर पाच वर्ष में या उससे पहले, जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त आयोग गठित किया जाता है जो राष्ट्रपति को निम्न बातों पर सुझाव देता है :—

1. करो से होने वाली शुद्ध आय का केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारा करने, जो उनके बीच बाटे जाएंगे या बाटे जा सकते हैं, और ऐसी आय का भाग राज्यों को आवंटित करने पर।
2. आवश्यकता पड़ने पर भारत की सचिव निधि में से तथा राज्यों के राजस्व में से उन्हें दो जाने वाली अनुग्रह राशि के बारे में सिद्धांत बनाने पर।
3. मजबूत वित्त व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे जाने वाले अन्य संबद्ध मामलों पर।

आयोग की सिफारिशों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत जापान संघ के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाते हैं। संविधान लागू होने के बाद से 8 वित्त आयोग बनाए गए हैं।

आठवें वित्त आयोग ने 14 नवम्बर, 1983 को अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी थी जिसमें 1984-85 की प्रवधि शामिल थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थी उन्हें सरकार ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया।

आठवें वित्त आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1984 को दी। चूंकि केन्द्र और अधिकतर राज्यों के बजट तथा 1984-85 की वार्षिक योजनाओं को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका था, इसलिए सरकार ने आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर लागू वित्त प्रबंध जारी रखने का फैसला किया। 1985-89 के शेष चार वर्षों के लिए सरकार ने वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

आठवें वित्त आयोग की 1984-89 के पाच वर्षों के लिए की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों को 39,452 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने

का अनुमान था। यह राशि 1979-84 के लिए सातवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित हस्तान्तरित राशि से 89 प्रतिशत अधिक थी।

हस्तांतरण कार्यक्रम के अनुसार बारह राज्यों को कुल 26775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई। दस राज्यों के वजट घाटे पूरे करने के उद्देश्य से 1,503 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी गई। राजस्थान, जिसे अतिरिक्त आय वाला राज्य आंका गया है, भी केवल पहले दो वर्षों के लिए 10 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के योग्य है। घाटे वाले राज्यों को पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुदान सहायता में हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। घाटे के वजट वाले ग्यारह राज्यों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों का अतिरिक्त महंगाई भत्ता केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने के खर्च की भरपाई के लिए 509.29 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान सहायता देने की सिफारिश की गई है। सोलह राज्यों में पुलिस, शिक्षा, जेल, जनजातीय प्रशासन, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रशासन, जिला तथा राजस्व प्रशासन का स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से 914.55 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की सिफारिश की गई है। दस राज्यों को विशेष समस्याओं से निपटने के लिए 52 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता देने की सिफारिश की गई है। सभी 22 राज्यों को प्राकृतिक विपदाओं के सिलसिले में राहत-व्यय की भरपाई के लिए आयोग ने 5 वर्षों के लिए 602 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश की है जो इस व्यय का आधार होगा।

आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रहेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्सा 40 से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है। 5 प्रतिशत की यह अतिरिक्त राशि घाटे के वजट वाले ग्यारह राज्यों में वितरण के लिए रखी गई है। इन राज्यों को अपने घाटे के अनुपात में सहायता दी जाएगी। पहली बार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर में राज्यों के हिस्से के सम्बन्ध में एक समान फार्मूला बनाने की सिफारिश की गई है। रेल-यात्रा भाड़ा कर के स्थान पर दी जाने वाली मुआवजा-सहायता राशि 23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये कर दी गई है और राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा प्रत्येक राज्य की गैर-उपनगरीय यात्री-प्राय से जोड़ दिया गया है। इस आधार पर मणिपुर, मेवालय और सिक्किम को भी पहली बार इस राशि में से हिस्सा मिल सकेगा। सम्पदा शुल्क से होने वाली आय के वितरण और कृषि संपत्ति पर, संपत्ति कर के लिए दी जाने वाली सहायता के बारे में वर्तमान सिद्धांत ही लागू रखने की आयोग ने सिफारिश की है।

1983-84 के अन्त में वकाया केन्द्रीय ऋणों को इकट्ठा करके और पुनः निर्धारित करके राज्यों के लिए आयोग ने पांच वर्षों के लिए 2285.39 करोड़ रुपये की ऋण राहत देने की सिफारिश की है। इसके अलावा, 1984-85 में छोटी वस्तुओं के ऋणों की अदायगी के बारे में 117.08 करोड़ रुपये की और राहत देने की भी सिफारिश की गई है।

आठवें वित्त आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की गतों के अनुसार 1984-85 में राज्यों को राशि हस्तांतरण करने और आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों को केवल चार वर्षों के लिए स्वीकार करने के सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप राज्यों को पांच

वर्ष	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87
कुल पर							
<b>1. राजस्व लेखा</b>							
क. राजस्व	12,828.57	15,574.19	18,091.30	20,452.58	24,383.69	29,021.39	31,400.47
ख. व्यय	14,343.01	15,867.73	19,345.63	22,890.24	27,881.25	34,961.35	38,274.06
ग. बचत (+) या घटा (-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
घटा (-)	1,715.04	293.54	1,254.33	2,397.66	3,497.56	5,939.96	6,873.59
<b>2. पूंजी लेखा</b>							
क. प्राप्ति	8,771.01	9,448.53	12,483.05	15,861.07	17,768.30	23,610.39	24,896.69
ख. व्यय	9,633.25	10,546.89	14,627.04	15,280.57	18,015.89	22,798.77	21,672.83
ग. बचत (+) या घटा (-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)
घटा (-)	862.24	1,098.36	2,144.59	580.50	247.59	178.38	3,223.80
<b>3. गुरु निगम बचत</b>							
(+) या घटा (-)	2,577.28	1,391.90	3,398.92	1,817.16	3,745.15	6,118.34	3,649.73
<b>4. सरकारी ऋणियों में</b>							
वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	2,654.57	921.83	7,158.68	1,674.75	3,695.84	5,681.00	3,649.60
<b>5. सरकारी ऋणियों में</b>							
वृद्धि (+) अथवा कमी (-)	580.40	738.63	288.56	4,028.32	537.24	487.93	50.59
<b>6. वृद्धि (+) या कमी (-)</b>							
वृद्धि (+) या कमी (-)	178.23	470.07	3,759.76	3,491.91	49.31	437.34	0.13

1. वार्षिक निष्पत्ति में समाविष्ट किए गए सरकारी ऋणियों के 3,500 करोड़ रुपये शामिल हैं।  
 2. वार्षिक वित्त बजट के लिए किए गए ऋणों के समाविष्टन के बाद केवल का बाट 1982-83 में 1655.46 करोड़ रुपये; 1983-84 में 1417.16 करोड़ रुपये और 1985-86 में 4400.33 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) रहेगा है।

वर्ष में कर, शुल्क और अनुदान सहायता के माध्यम से कुल 38500 करोड़ रुपये के कुल साधनों का हस्तांतरण होने का अनुमान है। सरकार के फैसले के परिणाम-स्वरूप राज्यों को दी जाने वाली उस ऋण राहत में कुछ कमी हो जाएगी, जिसकी सिफारिश आठवें वित्त आयोग ने की है।

### वजट स्थिति

सारणी 13.2 में केन्द्र सरकार के 1980-81 के बाद के वजटों की स्थिति दिखाई गई है। वर्ष 1986-87 के वजट अनुमानों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त एवं व्यय के अनुपात को अध्ययन में दिए गए दो आरेखों द्वारा दर्शाया गया है।

### वार्षिक वित्तीय व्यौरा या वजट

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे सभी खर्चों और प्राप्तियों के बारे में पूर्वानुमान प्रतिवर्ष संसद के सामने पेश किया जाता है। इसे 'वार्षिक वित्तीय व्यौरा' या 'वजट' कहते हैं, और इसमें समाप्त होने वाले और नए शुरू होने वाले वर्ष में जिसे वजट वर्ष कहा जाता है, देश के भीतर और विदेशों में होने वाला केन्द्रीय सरकार का हर तरह का पूरा लेन-देन शामिल होता है।

वजट पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों में इस पर आम बहस होती है। भारत की संचित निधि में से होने वाले अनुमानित खर्चों को लोक सभा में अनुदान मांगों के रूप में रखा जाता है। फिर संचित कोष में से निकाली जाने वाली सभी राशियों को प्रतिवर्ष संसद में विनियोग कानून के माध्यम से अधिकृत किया जाता है। वजट के कर प्रस्तावों को विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और वर्ष के 'वित्त कानून' के रूप में पारित किया जाता है।

इसी प्रकार राज्य सरकारें वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपने-अपने विधान मण्डलों में प्राप्तियों और खर्चों का अनुमान पेश करती हैं और खर्च के लिए विधायी स्वीकृति भी इसी तरीके से प्राप्त की जाती है।

### सार्वजनिक ऋण

सार्वजनिक ऋणों में शामिल हैं—आंतरिक ऋण जिसमें देश के अन्दर से प्राप्त किए गए ऋण, जैसे कि बाजार से लिए गए कर्ज, मुआवजे तथा बॉन्ड तथा रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों, व्यावसायिक बैंकों और अन्य पाठियों द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी-बिलों के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी की गई अविनिमेय विना व्याज वाली रुपया-प्रतिभूतियाँ आती हैं, और बाहरी ऋण जिसमें विदेशों, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से प्राप्त ऋण होते हैं।

1986-87 के अन्त तक सरकार के 101,592 करोड़ रुपये के सार्वजनिक ऋण वकाया होने का अनुमान है। 1950-51 के बाद से चुने हुए वर्षों के अन्त तक वकाया सार्वजनिक ऋण के विश्लेषण सारणी 13.3 में दिए गए हैं।

### घन संकलन तथा मुद्रा

चलन मुद्रा में जनता के पास की मुद्रा तथा रिजर्व बैंक सहित बैंकों में जमा राशि शामिल है, जो मांगने पर वापस ली जा सकती है। 1985-86 के अन्त तक जनता के पास चलन मुद्रा (एम० 1) 42871 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 25111 करोड़ रुपये लोगों के पास थे और 17496 करोड़ रुपये जमा राशि के रूप में थे। 1985-86 में चलन मुद्रा में 3222 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 1984-85 में यह

भारत सरकार के वार्षिक खण

(खण्ड करोड़ में)

	1950-51	1960-61	1965-66	1979-80	1980-81	1981-82	1984-85	1985-86	1986-87
								(संगठित)	(अन्य)
								धनुमान	धनुमान
<b>क. वार्षिक खण</b>									
1 बाजार खण	1,438.46	2,555.72	3,415.27	12,945.90	15,625.65	18,533.70	30,360.21	15,460.18	40,769.71
2 भूतलान के क्षेत्र बाजार खण	6.49	22.73	33.72	51.60	50.64	51.00	34.03	34.03	34.03
3 दुकानियाँ	358.02	1,106.29	1,611.82	10,196.17	12,850.73	10,272.53	19,452.31	25,133.31	29,228.31
4 विशेष धारक बांड	..	..	..	..	..	..	964.39	964.26	964.26
5 मुद्राबन्दा तथा अन्य बांड	..	10.08	15.13	65.45	212.12	185.86	522.40	562.96	564.30
6 विशेष रूप से जारी किए गए तथा अन्य खण	212.60	274.18	340.70	1,060.33	2,124.85	1,535.85	2,551.10	3,086.24	3,841.38
7 कोष, वसा प्राप्ति तथा अन्य खण	6.73	..	..	..	..	..	..	..	..
8 रिजर्व बैंक को जारी किया प्रेषित	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>गण्य वार्षिक खण</b>	2,022.30	2,978.00	5,416.84	24,319.45	30,863.99	35,653.43	58,537.31	70,427.98	80,642.08
<b>घ. विशेष खण</b>	32.03	760.96	2,590.62	9,963.96	11,298.03	12,327.75	16,036.65	18,342.39	20,949.53
9 न्य वार्षिक खण	2,054.33	4,738.96	8,007.26	34,283.41	42,162.02	47,981.18	75,173.96	88,770.37	101,591.61

वृद्धि 5113 करोड़ रुपये थी। 1985-86 में जनता के पास मुद्रा में वृद्धि 2447 करोड़ रुपये तथा बैंकों में जमा राशि में वृद्धि 1114 करोड़ रुपये हुई जबकि 1985 में यह वृद्धि क्रमशः 3132 करोड़ रुपये तथा 1,646 करोड़ रुपये थी। 1980 के बाद से मुद्रा सप्लाई के बारे में ब्यौरा सारणी 13.4 में दिया गया है।

(रुपये करोड़ में)

सारणी 13.4  
जनता के पास  
चलन मुद्रा

31 मार्च को	जनता के पास मुद्रा		बैंक के पास जमा राशि		जनता के पास चलन मुद्रा	
	राशि	वार्षिक अन्तर	राशि	वार्षिक अन्तर	राशि	वार्षिक अन्तर
1	2	3	4	5	6	7
1980	11,654	1,423	7,955	1,060	2,000	2,708
1981	13,426	1,772	9,587	1,632	23,424	3,424
1982	14,474	1,048	10,295	708	24,937	1,513
1983	16,659	2,185	11,690	1,395	28,535	3,598
1984	19,602	2,943	13,505	1,815	33,398	4,863
1985	22,631	3,069	16,655	3,150	39,922	6,524
1986 <sup>1</sup>	25,111	2,447	17,496	1,114	42,871	3,222

1985-86 में लोगों के पास मुद्रा का प्रसार 3,222 करोड़ रुपये हुआ जो 1984-85 की मुद्रा 5,113 करोड़ रुपये से कम है। सरकारी क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण 9,579 करोड़ रुपये के थे जबकि पिछले वर्ष यह राशि 6,509 करोड़ रुपये की थी। परन्तु 1985-86 में व्यापारिक क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋणों में 9,745 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई जबकि 1984-85 में यह वृद्धि 9,320 करोड़ रुपये थी। जनता को सरकारी मुद्रा देनदारियों में 63 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 1984-85 में 58 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति में 299 करोड़ रुपये की वृद्धि, 1984-85 की 1419 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में कम रही। 1984-85 के दौरान 2655 करोड़ रुपये के प्रसार की तुलना में, बैंकिंग सेक्टर की गैर-भौद्रिक देनदारी में 4494 करोड़ रुपये का प्रसार होने से मुद्रा स्टॉक (एम-3) पर पूर्व-कथित प्रसारवात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव नहीं हुआ।

बैंकिंग

बैंकिंग प्राचीन काल से किसी-न-किसी रूप में अस्तित्व में रही है, उसमें मुख्य कार्य धन उधार देना होता था। आज से सौ वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व आधुनिक बैंकिंग ने जन्म लिया। ब्रिटिश शासन में सबसे पहले जिन संस्थानों ने बैंकिंग कार्य किए वे एंजेली हाउस थे जिन्होंने व्यापारिक क्रियाकलापों के साथ-साथ बैंकिंग कार्य किए।

1. अंकड़े माह के अन्तिम शुक्रवार पर आधारित है।

इनमें से अधिकांश एजेंसी हाउस 1929-32 के दौरान बन्द कर दिए गए। विन्नीपेग शताब्दी के तृतीय तथा चतुर्थ दशक में जो बैंक बन्द रहे थे, वे भी संकट के दौर में गुजर रहे थे। इनमें प्रमुख तीन प्रेसीडेंसी बैंक थे, जो बैंकिंग संरचना में 1919 में इम्पीरियल बैंक में मिला दिए गए।

भारतीयों के प्रबन्ध में सीमित देयताओं वाला पहला बैंक भारत में 1854 में बँक ऑफ इण्डिया की स्थापना 1881 में की गयी थी। उसके बाद 1894 में पंजाब पैसावरी बैंक की स्थापना हुई। 1906 में शुरू हुए स्वदेशी आन्दोलन में बहुत से वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। 1913-17 के बैंकिंग संकटकाल तथा 1949 में समाप्त होने वाले दशक में विभिन्न राज्यों में 588 बैंकों की स्थापना में वाणिज्यिक बैंकों के नियमन तथा नियंत्रण की आवश्यकता पर ध्यान दिया। जनवरी 1946 में बैंकिंग कम्पनी (निरीक्षण अध्यादेश) तथा फरवरी 1946 में बैंकिंग कम्पनी (शाखाओं पर प्रतिबन्ध) अधिनियम पारित हुए। बैंकिंग अधिनियम फरवरी 1949 में पारित हुआ जो बाद में बैंकिंग विधान अधिनियम के नाम से संशोधित हुआ।

सरकार ने सामाजिक वास्तव्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 14 बड़े स्थापनागत बैंकों को, जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपये से अधिक थी, आर्थिक विपन्नता की मुख्य भाग में लाने की दृष्टि से 19 जुलाई, 1969 को एक अध्यादेश जारी करके भारी सहायता में ले लिया। इसके बाद 15 अप्रैल, 1980 को 0 और स्थापनागत बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उद्देश्यों की स्पष्टता प्रदान करी द्वारा 21 जुलाई 1969 को संसद में पेश की गयी। इनमें कुछ उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

1. जनता द्वारा अधिकृत गंभिर नीति तथा बचनों में धन जुटाना और उचित उत्पादन के उद्देश्यों हेतु उपयोग करना।
2. बैंकिंग व्यवस्था की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए और लोक नियंत्रण के अधिक महत्त्व आना चाहिए।
3. निजी क्षेत्र के उद्योग तथा व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
4. इस बात का प्रबन्ध करना कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्रों विशेषकर किसानों, मध्य उद्योगपतियों और स्वतंत्र व्यवसायियों के वर्गों की आवश्यकताओं बढ़ते हुए तरीकों से पूर्ति की जा सके।
5. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नये तथा प्रगतिशील उद्यमियों की पहचान को बढ़ावा देना तथा प्रतीक देना में विशेष भाग में लिया जायेगा तथा निरन्तर क्षेत्रों के लिए नये प्रवेश सुदाना।
6. छुट्टे तथा अन्य अनुवादक उद्देश्यों के लिए बैंक ऋणों के प्रयोग पर नियंत्रण करना।

संरचना

जून 1986 के अन्त तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में 233 अनुसूचित क्षेत्र 4 गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे।

1. निम्नलिखित उद्देश्यों के अन्तर्गत एक उद्देश्य के अनुसार क्षेत्र में बैंक की संख्या बढ़ी: एक-समान 5 भाग में बँट गई है, निम्नलिखित क्षेत्रों में बँट गई है।



अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से 222 सरकारी क्षेत्र में हैं और कुल वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली का 90 प्रतिशत कारोबार इन्हीं के पास है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से 194 बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कर्जदारों को अधिक कर्ज देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन बैंकों का कार्य-क्षेत्र आमतौर पर जिलों की निर्धारित संख्या (एक या अधिक) तक सीमित होता है। ये मुख्यतौर पर समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देते हैं। ये अन्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्य भी करते हैं। शेष 28 बैंक पूर्णतया व्यावसायिक हैं तथा सब प्रकार का वाणिज्यिक कारोबार निपटाते हैं।

भारत में पिछले वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकिंग में हुई प्रगति को सारणी 13.5 में दिखाया गया है।

मार्च 1986 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक था। इसकी 7,425 से अधिक शाखाएं हैं, इसके पास 19,500 करोड़ से अधिक रुपये जमा हैं तथा इसने 13,400 करोड़ से अधिक रुपये के ऋण दिए हैं। मुख्य भारतीय स्टेट बैंक के अलावा इसके 7 सहयोगी बैंक भी हैं। इन बैंकों की सारी अथवा आधी से अधिक शेरर पूंजी भारतीय स्टेट बैंक के पास है। स्टेट बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक मिलकर देश के कुल बैंकिंग कारोबार का 33 प्रतिशत से अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 30 प्रतिशत कारोबार संभालते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य 20 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं, जिनमें से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, 1969 को तथा 6 का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, 1980 को किया गया।

मोटे तौर पर बैंक राष्ट्रीयकरण के पीछे यह भावना थी के कि जनता की वचत को उपयोग में लाने वाली संस्थाओं को, और अधिक सार्थक रूप में, आर्थिक और सामाजिक विकास का कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकिंग प्रणाली का तेजी से विस्तार हुआ।

### शाखा विस्तार

1969 से बैंकिंग का तेजी से विकास हुआ है। जून 1969 के अन्त में देश में केवल 8,262 बैंक शाखाएं थीं, जो मार्च 1986 तक बढ़कर 52,936 हो गईं। इस प्रकार इस अवधि में 44,674 नई शाखाएं खुलीं। इसके परिणामस्वरूप जहां जून 1969 में 65,000 की आवादी पर एक बैंक शाखा थी, वहां मार्च 1986 के अन्त तक 13,000 की आवादी के लिए एक बैंक शाखा की व्यवस्था हो गयी।

### ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की नई शाखाएं खोलने में इस बात पर जोर दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जून 1969 से मार्च 1986 के बीच खोली गयी नई शाखाओं में 62.1 प्रतिशत शाखाएं ऐसे गांवों में खुलीं, जिनकी आवादी 10,000 तक है। जून 1969 के अन्त तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1,832 शाखाएं थीं, जो मार्च 1986 में बढ़कर 29,558 हो गईं। यह कुल बैंक शाखाओं का 55.8 प्रतिशत है।



### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कमजोर वर्गों, छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों की ऋण सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने में बैंकों के सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 1975 से बैंकिंग संस्थाओं का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया है, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम दिया गया है। ये बैंक सीमित क्षेत्र में ही काम करते हैं। इनमें कर्मचारी भी उसी इलाके या राज्य से नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें ये काम करते हैं तथा ये बैंक केवल समाज के कमजोर वर्गों को ही कर्ज देते हैं। उन्हें राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करने वाले प्रत्येक बैंक से उदारतापूर्वक पुनर्वित्त प्राप्त हो जाता है। जून 1986 के अन्त में देश में इस प्रकार के 194 बैंक काम कर रहे थे। नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार दिसम्बर 1985 के अन्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 333 जिलों में 12,606 गाँवाएँ थीं। इनमें 1286 करोड़ रुपये जमा थे तथा 1408 करोड़ रुपये के ऋण थे। इस प्रकार ऋणों और जमा का अनुपात 109 प्रतिशत था।

### जिला आयोजन तथा समन्वय

जिलों की अर्थव्यवस्था में ऋण-आधारित विकास के योजनावद्ध प्रयासों में बैंकों का सहयोग बढ़ाने तथा लोगों के लाभ के लिए चलाए गए विकास कार्यों को पर्याप्त समर्थन देने के लिए सभी बैंकों की ओर से समन्वित प्रयास करने के उद्देश्य से 1969 के अन्त में लीड बैंक योजना शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए जिस बैंक को लीड बैंक निर्धारित किया जाता है, वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना बनाने, विशिष्ट कार्यक्रमों में अन्य बैंकों का सहयोग लेने, जिले में काम कर रही विभिन्न ऋण संस्थाओं का हिस्सा तय करने तथा निश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में इन सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने का प्रयास करता है।

जिन जिलों में लीड बैंक योजना लागू है, वहाँ पर एक ओर विभिन्न बैंकों की गतिविधियों में तथा दूसरी ओर सभी बैंकों और जिला स्तर की अन्य एजेंसियों में तालमेल बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समितियों की एक निश्चित अवधि के बाद सभा बुलाई जाती है जिसमें इसके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को सुलझाया जाता है। जिला-स्तरीय सिंहावलोकन सभा में वार्षिक कार्रवाई योजना की समीक्षा की जाती है। गरीबी विरोधी योजनाओं के क्रियान्वयन की देख-रेख के लिए ब्लाक स्तरीय फोरम बनाये गये हैं।

### जमा राशि में वृद्धि

राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जून 1969 के अन्त तक बैंकों की जमा राशि 4,646 करोड़ रुपये थी जो तत्कालीन मूल्य स्तर पर राष्ट्रीय आय का लगभग 15.5 प्रतिशत थी। जून 1985 के अंत तक यह राशि बढ़कर 77,381 करोड़ रुपये अर्थात् राष्ट्रीय आय का 38.3 प्रतिशत हो गई। मार्च 1986 के अन्त तक जमा राशि 84,719 करोड़ रुपये हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि जून 1969 में 3,871 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 1986 के अन्त तक 76,308 करोड़ रुपये हो गई।

बैंकों में जमा राशि का दो उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है—

- (1) परिसमापन अनुबन्धों को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश।
- (2) लोगों को ऋण देना।

**अग्रिम ऋण**

वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित परिसमापन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों और बैंकों तथा सरकार से सम्बद्ध संस्थाओं के ऋण पत्रों में लगाते रहे हैं। जमा राशियों में वृद्धि तथा सर्वाधिक परिसमापन अनुपात में लगातार संशोधन के कारण सरकारी तथा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यह निवेश मार्च 1970 में 1,727 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1985 में 28,138 करोड़ रुपये हो गया तथा मार्च 1986 में 30536 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार की प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूंजी लगाना अब योजना कार्यक्रमों के लिए साधन जुटाने की नीति का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।

**ऋण सुविधाओं का विकास**

बैंकों की कार्य प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है लोगों को ऋण देना—चाहे वे ऋण किसी भी रूप में हों। जून 1969 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने केवल 3,599 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे, जबकि जून 1985 तक यह ऋण राशि बढ़ कर 50,828 करोड़ और मार्च 1986 तक 55506 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि इसी अवधि में 3,017 करोड़ रुपये से बढ़कर 45,413 करोड़ और 49,438 करोड़ रुपये हो गई।

**क्षेत्रवार विस्तार**

बैंक ऋणों की राशि में वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण उन क्षेत्रों का परिचर्तन रहा है, जिन्हें ऋण दिए जाते हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले 78 प्रतिशत से भी अधिक ऋण बड़े और मध्यम उद्योगों और बड़े व्यापारियों को दिए जाते थे। दिसम्बर 1985 तक बैंक ऋणों में इन वर्गों का हिस्सा (सार्वजनिक खाद्यान्न अधिग्रहण का छोड़कर) घटकर 41 प्रतिशत रह गया। इसकी तुलना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, अनाज की खरीद करने वाली एजेंसियों आदि को दिए जाने वाले ऋणों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

**प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण**

राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक मुख्य काम यह सौंपा गया कि वे अर्थव्यवस्था के अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के छोटे कर्जदारों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ। इसके लिए बैंकों ने कृषि, लघु उद्योगों, सबक तथा जल परिपहन, खुदरा व्यापार और लघु व्यापार जैसे क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण देने की योजनाएँ बनाई हैं जिन्हें अब तक बैंकों से बहुत कम ऋण मिलता रहा था। कमजोर वर्गों के विशेष कार्यों के लिए साधन जुटाने की जल्दगी को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता ऋण (विशेष कार्यों के लिए कुछ सीमाओं के साथ) को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले लघु आवास ऋण (5,000 रुपये से अधिक नहीं) प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण माने जाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इन वर्गों के ऋण लेने वालों के ऋण घाते, जून 1969 और मार्च 1986 के बीच 2.60 लाख से बढ़कर 244.32 लाख हो गए।

इसी अवधि के दौरान वकाया राशि 441 करोड़ रुपये से बढ़कर 20853 करोड़ रुपये हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि मार्च, 1986 तक उनके द्वारा दिया गया ऋण सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का कुल 40 प्रतिशत होना चाहिए। इस लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मार्च, 1986 के अंत तक इन बैंकों का योगदान सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के 42 प्रतिशत तक पहुंच गया। जून, 1969 में इनका योगदान 14.6 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण की मात्रा में हुई वृद्धि को तालिका 13.6 में दर्शाया गया है।

कमजोर वर्गों को  
ऋण

वास्तव में छोटे और गरीब ऋण आवेदकों को यथासंभव अधिकाधिक ऋण देने के उद्देश्य से कमजोर वर्ग के सिद्धान्त को व्यापक रूप दिया गया है। इसमें छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, काश्तकारों, बटाईदारों, कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभभोगियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और रियायती व्याज दर (डी० आर० आई०) के लाभभोगियों को शामिल किया गया है। इस वर्ग को मार्च, 1985 तक कुल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। मार्च, 1986 के अंत तक कमजोर वर्गों को 5098 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका था। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का 10.3 प्रतिशत थी।

कृषि के लिए प्रत्यक्ष  
वित्त व्यवस्था

मार्च 1986 तक कृषि के लिए 7420 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था की गई। यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों का 15.0 प्रतिशत है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि मार्च 1987 तक, बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का 16 प्रतिशत, कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था के रूप में दिया जाए।

यह माना गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग समाज में सर्वाधिक असुरक्षित वर्ग हैं। बैंकों से कहा गया है कि पर्याप्त ऋण देकर उनकी सहायता के लिए विशेष उपाय किए जाएं ताकि वे स्वयं के रोजगार शुरू कर सकें या अपनी आय बढ़ाने के साधन जुटा सकें और अपना जीवन-स्तर सुधार सकें। मार्च, 1986 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्जदारों को, 58 लाख, 30 हजार खातों के माध्यम से, 1394 करोड़ रुपये के ऋण दिए।

समन्वित ग्रामी  
विकास कार्यक्रम

बैंकों ने, कमजोर वर्गों की सहायता के उद्देश्य से, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में भी उपाय किए हैं। बैंक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायक हुए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी को रोकने के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के उत्थान के लिए चलाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब परिवारों का पता लगाया जाता है और उन्हें आय के साधन जुटाने के

लिए ऋण सहायता दी जाती है ताकि ये गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। कार्यक्रम के अन्तर्गत, छठी योजना के दौरान, डेढ़ करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए, 15 अरब रुपये की आर्थिक सहायता (सामाजिक) तथा उपाय सब्सिडी 30 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में बैंकों ने 3102 करोड़ रुपये के सावधि ऋण देकर, एक करोड़ 66 लाख लाभार्थियों की सहायता की। सातवीं योजना का प्रस्तावित लक्ष्य दो करोड़ लाभार्थियों की सहायता करना है। 1985-86 के दौरान बैंकों ने 606.2 करोड़ रुपये के सावधि ऋणों के जरिए 28 लाख 23 हजार लाभार्थियों की सहायता की।

**सिखित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना**

यह योजना स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा शिक्षित युवकों और युवतियों को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1983-84 में शुरू की गई थी। यह योजना, ऐसे शहरों को छोड़कर, जिनकी आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार, दस लाख से अधिक थी, सारे देश में शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े इलाकों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 25,000 रुपये तक का मिश्रण ऋण दिया जाता है। बैंकों को कहा गया है कि वे न तो कोई अतिरिक्त राशि समूल करे और ऋण देने के तिलतिले में न ही किसी तीसरे पक्ष की सहवर्ती प्रतिभूति (जमानत) प्रस्तुत करने को कहें। बैंकों का लक्ष्य प्रतिवर्ष ढाई लाख व्यक्तियों की सहायता करना था। इसकी तुलना में 1983-84 में बैंकों ने अनुमानतः 401.50 करोड़ रुपये की सहायता से 2 लाख 42 हजार लाभार्थियों को मदद की। इसी तरह 1984-85 और 1985-86 में क्रमशः 429.50 करोड़ और 413.53 करोड़ रुपये के जरिए अनुमानतः 2 लाख 29 हजार और 2 लाख 17 हजार व्यक्ति लाभान्वित हुए।

**व्याज दर संरचना**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की दर-संरचना में, प्रायः-मिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में तरजीह देने की व्यवस्था की गई है। इन क्षेत्रों में भी छोटे/गरीब कर्जदारों को अधिक प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था है।

सावजनिक क्षेत्र के बैंकों ने डी० एर० आई० नामक रियायती व्याज दर की एक योजना चलाई है। इस योजना का लाभ उन गरीब कर्जदारों को दिया जाता है, जिनकी आय निर्धारित सीमा के अन्दर होती है। इस वर्ग में गांवों में अधिकतम दो हजार रुपये वार्षिक आय वाले कर्जदार तथा अन्य स्थानों में अधिकतम तीन हजार रुपये वार्षिक आय वाले कर्जदार आते हैं। लाभार्थियों के पास अतिरिक्त भूमि ढाई एकड़ तथा सिंचित भूमि एक एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाले कर्जदारों को, उत्पादक व्यवसायों के लिए, 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज की दर पर, 5,000 रुपये तक का सावधि ऋण तथा कार्यकारी पूंजी के रूप में 1,500 रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

रियायती व्याज दर की इस योजना के तहत, मार्च 1986 के अंत में, मार्जनिक क्षेत्र के बैंकों का कर्जदारों पर, 45 लाख 70 हजार उधार पत्रों के अंतर्गत,

क्षेत्र	उधार खातों की संख्या (लाखों में)				वकाया राशि (करोड़ रुपयों में)			
	जून 1969	दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984	मार्च 1986	जून 1969	दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984	मार्च 1986
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ऋण :								
(क) प्रत्यक्ष वित्त	1.60	117.79	134.79	151.51	40.21	4773.49	5970.36	7420.03
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	0.04	9.83	9.93	9.49	112.12	1243.96	1375.22	1282.90
2. लघु उद्योग <sup>2</sup>	0.51	12.23	14.13	15.79	251.07	5131.85	6238.47	7561.36
3. सड़क तथा जल परिवहन	0.02	4.67	5.48	—	5.49	1517.14	1774.08	—
4. खुदरा व्यापार तथा छोटे व्यापार	0.33	25.70	33.02	—	19.37	1025.13	1412.93	—
5. पेयोवर तथा स्वरोजगार में लगे लोग	0.08	11.46	14.49	—	1.91	312.94	510.00	4588.46 <sup>3</sup>
6. शिक्षा	0.01	0.52	0.58	67.59 <sup>3</sup>	0.80	19.17	25.28	—
योग :	2.60	182.20	212.47	—	440.97	14023.68	17306.28	—
7. आवास	—	1.45	1.62	—	—	—	38.69	53.14
8. उपभोक्ता	—	1.98	2.02	—	—	—	22.19	18.52
कुल योग	2.60	185.63	216.11	244.33	440.97	14084.56	17377.94	20852.75

1. आकड़े अस्थायी हैं।  
 2. एककों की संख्या।  
 3. संवत्वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

505 करोड़ रुपये का बकाया ऋण था। अनुसूचित जातियों/जनजातियों को 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर, धर बनाने के लिए भी पांच हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों, कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, छोटे व्यापारियों, क्रेरीवालों को भी रियायती ब्याज पर ऋण दिए जाते हैं। रियायत की सीमा ऋण लेने के उद्देश्य तथा ऋण की राशि पर निर्भर करती है।

### निर्यात वित्त

निर्यात को दी जाने वाली प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए; वाणिज्यिक बैंक इस क्षेत्र को प्राधान्य दरों और शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। जनवरी 1986 के अन्त में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया निर्यात ऋण 2,377 करोड़ रुपये था।

निर्यात प्रयत्नों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को प्रोत्साहन देने हेतु रिजर्व बैंक, बैंकों को वृद्धिशील निर्यात ऋण पर उदार पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है। वर्तमान में पुनर्वित्त की दर निर्यात ऋण के औसत स्तर पर शत-प्रतिशत है।

रिजर्व बैंक इयूटी ड्रा बैंक योजना भी चलाता है, जिसके अन्तर्गत निर्यातक बैंकों से 90 दिन तक के लिए ब्याज रहित ऋण ले सकते हैं, बशर्त कि उनकी माल साने की रसीदों को कम्प्युटर अधिकारियों द्वारा अनुमति रूप से प्रमाणित कर दिया गया हो। बदले में बैंक रिजर्व बैंक से ऐसे मामलों में, जिनमें इयूटी ड्रा बैंक दावों का अन्तिम निर्णय होना है, ब्याज रहित पुनर्वित्त करा सकते हैं।

### बैंकों तथा प्रशासनिक एजेंसियों में समन्वय

विछड़े वर्गों तथा कमजोर वर्गों के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देने में बैंकों की बढ़ती हुई भूमिका के कारण विभिन्न बैंकों के बीच तथा बैंकों और विभिन्न विकास एजेंसियों के बीच समन्वय कायम करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए जिला, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर अनेक संगठन बनाए गए हैं। जिला स्तर पर उत्पादक-कार समितियां गठित की गई हैं, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर तथा संयोजक सीट बैंकों के अधिकारी होने हैं। राज्य स्तरों पर बैंक समितियां तथा समन्वय समितियां काम करती हैं। बैंक समिति में प्रबंध के मध्यम स्तर के बैंक अधिकारी होते हैं और समन्वय समिति में राज्य सरकारों के विभागाध्यक्ष भी शामिल किए जाते हैं। शीर्ष स्तर पर छह क्षेत्रीय सलाहकार समितियां हैं, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं।

### विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं

31 अगस्त 1986 तक विदेशों में 13 भारतीय वाणिज्यिक बैंकों की 133 शाखाएं (इनमें भारतीय शाखाएं तथा चलती-फिरती एजेंसियां शामिल थीं) में शाखाएं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्रों जैसे लंदन, सिंगापुर, दहरीन और पेरिस में स्थित हैं। अधिकतर शाखाएं ब्रिटेन, अमरीका, फिजी, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, मारोश और सिंगापुर में हैं। ये शाखाएं अंतर्राष्ट्रीय बैंक और विदेश व्यापार



में विशिष्टता प्राप्त करती है। ये आन्तरिक व्यापार और उद्योग की भी आवश्यकताएं पूरी करती हैं। इस प्रकार ये देश की बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न अंग है।

### विकास से संबद्ध वित्तीय संस्थाएं

#### भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1984 के अंतर्गत की गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था कराने तथा उद्योगों के संवर्धन और विकास में लगी संस्थाओं के काम-काज में तालमेल विठाने और इन संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देने की प्रमुख वित्तीय संस्था है। बैंक बड़ी और मझौली औद्योगिक इकाइयों को सीधी वित्तीय सहायता देता रहा है। यह छोटी और मझौली इकाइयों को भी बैंकों और राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता देता रहा है।

बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच अरब रुपये है, और जैसा सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी, इसे बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने की अधिकतम सीमा 20 अरब रुपये रखी गई है। 30 जून 1986 को बैंक की चुकता पूंजी 445 करोड़ रुपये थी। बैंक ने जून 1986 के अंत तक, संचित रूप में, 19948 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी थी तथा 14454 करोड़ रुपये वितरित किए थे।

वर्ष जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक बैंक को सामान्य निधि के अंतर्गत 108.10 करोड़ रुपये तथा विकास सहायता निधि के अंतर्गत 13.80 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

#### भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) देश का प्रथम विकास बैंक है, जो संसद के अधिनियम द्वारा 1 जुलाई, 1948 को स्थापित किया गया। इसको स्थापित करने का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मध्यम और लम्बी अवधि के ऋण उपलब्ध कराना था।

यह निगम अपनी व्यापक विकास भूमिका के रूप में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग से तथा स्वयं विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों में सक्रिय है। इसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है जो कि समयानुसार सरकार द्वारा निश्चित करने पर 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। निगम की चुकता पूंजी 30 जून, 1986 को 45 करोड़ रुपये थी। सामूहिक रूप में जून, 1986 के अंत में निगम ने 3,231.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए और 2,379.69 करोड़ रुपये वितरित किए। जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक निगम का शुद्ध लाभ 34.18 करोड़ रुपये था।

#### भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना, देश में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए, एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में, 1955 में की गई। यह रुपये तथा विदेशी मुद्रा में सावधि ऋण देता

है, जिनमें और व्ययकों के अन्तर्गत का विन्धा लेना है, इनके प्रत्यक्ष रूप से प्रो-  
दान करना है और कम पैसे द्वारा दिए गए धन की आवश्यकता की राशियों  
देना है। निम्न विन प्रमुख कार्यों के लिए विशेष व्यवस्था करता है, जिनमें भूमि,  
मकान और मशीनों के रूप में पूर्वीय परिवर्तन की शर्तों भी शामिल है।  
जून, 1955 की मनाविद पर निम्न की प्रतिक्रिया पूर्वी एक करार करने थी।  
उत्प्रेक्ष्य विधि को इनकी चुकना पूर्वी 49 करोड़ 50 लाख रुपये थी। निम्न ने  
जून 1955 की मनाविद एक-संवित्त का में 4035 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति  
की और 1952 करोड़ रुपये की मन्वयता विहित की। निम्न का कैपिटल वर्ष  
1955 का 100 करोड़ 4 लाख रुपये था।

**भारतीय औद्यो-  
गिक पुनर्निर्माण  
पूर्वी बैंक**

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को मन्वयता प्राप्त करने भारतीय औद्योगिक पुन-  
निर्माण निम्न का पुनर्निर्माण करने 20 मार्च, 1955 को एक वैधानिक निम्न के  
रूप में की गई थी। बैंक की मन्वयता मुख्यतः कम औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण  
के लिए धन तथा निवेश सुविधा उपलब्ध कराने और इकाइयों के संवर्धन के  
लिए की गई है। औद्योगिक मन्वयता की मन्वयता बैंक का प्रमुख उद्देश्य है, बैंक की  
प्रतिष्ठित पूर्वी दो-करार करने है और 30 जून, 1955 को इनकी चुकना पूर्वी 65  
पूर्वी करोड़ रुपये थी।

जून 1955 को मनाविद पर मन्वित्त रूप में 477.17 करोड़ रुपये की निर्माण  
मन्वयता स्वीकृत की गई थी तथा 335.95 करोड़ रुपये विवरित किए गए थे।

**राज्य वित्तीय  
निम्न**

1994-85 के दौरान, 18 राज्य वित्तीय निम्नों ने कुल 739 करोड़  
रुपये की मन्वयता स्वीकृत की। इनमें पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गयी 14.6  
प्रतिशत अधिक थी। 1984-85 में 499 करोड़ रुपये की राशि विवरित की गई,  
जो 1983-84 में विवरित की गई राशि की तुलना में 14.4 प्रतिशत अधिक  
थी। 1984-85 में सभी राज्य वित्तीय निम्नों ने कुल 31,118 औद्योगिक  
इकाइयों को मन्वयता की। लक्ष-सेव की 604 करोड़ रुपये की मन्वयता दी गई।  
यह मन्वयता राशि, सभी राज्य वित्तीय निम्न द्वारा स्वीकृत की गई कुल राशि  
का 81.8 प्रतिशत है। 1984-85 में राज्य वित्तीय निम्नों ने, विशेष रूप से  
उत्प्रेक्ष्य विधि से औद्योगिकों में विवरित इकाइयों के लिए 404 करोड़ रुपये की  
मन्वयता की स्वीकृति दी। यह राशि इनमें पिछले वर्ष स्वीकृत राशि की तुलना में  
25.5 प्रतिशत अधिक थी। 1984-85 के दौरान अध्यापक विशेष प्राध्यापकों  
रुपये देने इकाइयों की प्रथम मन्वयता के लिए विशेष पूर्वी-मन्वयता के अध्यापक  
4 करोड़ 78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। 1984-85 के दौरान एक प्राध्यापक  
के अध्यापक दो करोड़ रुपये विवरित किए।

**भारतीय निर्माण-  
व्यापक बैंक**

भारतीय निर्माण-व्यापक बैंक की मन्वयता, भारतीय निर्माण-व्यापक बैंक प्राय-  
निम्न 1981 के अध्यापक, निर्माण-व्यापक बैंक मन्वयता के लिए, 1981,  
1982 में की गई।

में विशिष्टता प्राप्त करती है। ये आन्तरिक व्यापार और उद्योग की भी आवश्यकताएं पूरी करती हैं। इस प्रकार ये देश की बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न अंग है।

### विकास से संबद्ध वित्तीय संस्थाएं

#### भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1984 के अंतर्गत की गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था कराने तथा उद्योगों के संवर्धन और विकास में लगी संस्थाओं के काम-काज में तालमेल बिठाने और इन संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देने की प्रमुख वित्तीय संस्था है। बैंक बड़ी और मझौली औद्योगिक इकाइयों को सीधी वित्तीय सहायता देता रहा है। यह छोटी और मझौली इकाइयों को भी बैंकों और राज्य-स्तरीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सहायता देता रहा है।

बैंक की प्राधिकृत पूंजी पांच अरब रुपये है, और जैसा सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी, इसे बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने की अधिकतम सीमा 20 अरब रुपये रखी गई है। 30 जून 1986 को बैंक की चुकता पूंजी 445 करोड़ रुपये थी। बैंक ने जून 1986 के अंत तक, संचित रूप में, 19948 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी थी तथा 14454 करोड़ रुपये वितरित किए थे।

वर्ष जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक बैंक को सामान्य निधि के अंतर्गत 108.10 करोड़ रुपये तथा विकास सहायता निधि के अंतर्गत 13.80 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।

#### भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) देश का प्रथम विकास बैंक है, जो संसद के अधिनियम द्वारा 1 जुलाई, 1948 को स्थापित किया गया। इसको स्थापित करने का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मध्यम और लघु ऋण के ऋण उपलब्ध कराना था।

यह निगम अपनी व्यापक विकास भूमिका के रूप में अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग से तथा स्वयं विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों में सक्रिय है। इसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है जो कि समयानुसार सरकार द्वारा निश्चित करने पर 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। निगम की चुकता पूंजी 30 जून, 1986 को 45 करोड़ रुपये थी। सामूहिक रूप में जून, 1986 के अंत में निगम ने 3,231.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए और 2,379.69 करोड़ रुपये वितरित किए। जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक निगम का शुद्ध लाभ 34.18 करोड़ रुपये था।

#### भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना, देश में औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए, एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में, 1955 में की गई। यह रुपये तथा विदेशी मुद्रा में सावधि ऋण देता

है, शेयरों और ऋणपत्रों के प्रचालन का जिम्मा लेता है, इनमें प्रत्यक्ष रूप से अंशदान करना है और अन्य पक्षों द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी की गारंटी देता है। निगम जिन प्रमुख कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था करता है, उनमें भूमि, भवन और मशीनरी के रूप में पूंजीगत परिसम्पत्ति की खरीद भी शामिल है। जून, 1986 की समाप्ति पर, निगम की प्राधिकृत पूंजी एक अरब रुपये थी। उल्लेखनिय विधि की इसकी चुकता पूंजी 49 करोड़ 50 लाख रुपये थी। निगम ने जून 1986 की समाप्ति तक, मंचित रूप में 4036 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी और 2992 करोड़ रुपये की महायता वितरित की। निगम का कैलेंडर वर्ष 1985 का शुद्ध लाभ 36 करोड़ 4 लाख रुपये था।

### भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण पूंजी बैंक

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना भूतपूर्व भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का पुनर्गठन करके 20 मार्च, 1985 को एक वैधानिक निगम के रूप में की गई थी। बैंक की स्थापना मुख्यतः रण्य औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण तथा निवेश मुदियाएँ उपलब्ध कराने और उद्योगों के संवर्धन के लिए की गई है। औद्योगिक रण्यता की रोकथाम बैंक का प्रमुख उद्देश्य है, बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो अरब रुपये है और 30 जून, 1986 को इसकी चुकता पूंजी 65 पूंजी करोड़ रुपये थी।

जून 1986 की समाप्ति पर मंचित रूप में, 477.17 करोड़ रुपये की वित्तीय महायता स्वीकृत की गई थी तथा 335.95 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।

### राज्य वित्तीय निगम

1984-85 के दौरान, 18 राज्य वित्तीय निगमों ने कुल 739 करोड़ रुपये की महायता स्वीकृत की। इससे पिछले वर्ष की तुलना में यह राशि 14.6 प्रतिशत अधिक थी। 1984-85 में 499 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, जो 1983-84 में वितरित की गई राशि की तुलना में 14.4 प्रतिशत अधिक थी। 1984-85 में सभी राज्य वित्तीय निगमों ने कुल 31,118 औद्योगिक इकाइयों की महायता की। न्यु-सेक्टर को 604 करोड़ रुपये की महायता दी गई। यह महायता राशि, सभी राज्य वित्तीय निगमों द्वारा स्वीकृत की गई कुल राशि का 81.8 प्रतिशत है। 1984-85 में, राज्य वित्तीय निगमों ने, विशेष रूप से उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में स्थित इकाइयों के लिए 404 करोड़ रुपये की महायता की स्वीकृति दी। यह राशि इससे पिछले वर्ष स्वीकृत राशि की तुलना में 25.5 प्रतिशत अधिक थी। 1984-85 के दौरान, आवश्यक विशेष जानकारी रखने वाले उद्यमियों को इन्विट्री महायता के लिए विगेर पूंजी-योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ 70 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। 1984-85 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ढाई करोड़ रुपये वितरित किए।

### भारतीय निर्वाण-आयान बैंक

भारतीय निर्वाण-आयान बैंक की स्थापना, भारतीय निर्वाण-आयान बैंक अधिनियम 1981 के अन्तर्गत, निर्वाणको और आयानको की महायता के लिए, जनवरी, 1982 में की गई।

इस कार्य के अलावा बैंक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाली संस्थाओं में ताल-मेल विठाने की प्रमुख वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा इससे संबद्ध अन्य मामलों को निपटाना है। बैंक की प्राधिकृत पूंजी दो अरब रुपये है। 31 दिसम्बर, 1985 को इसकी चुकता पूंजी 147.50 करोड़ रुपये थी। अपनी स्थापना के समय से 30 अगस्त, 1986 तक बैंक ने 1614 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की और 1441 करोड़ रुपये वितरित किए। बैंक ने 31 दिसम्बर 1985 को समाप्त वर्ष के दौरान 15 करोड़ 40 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।

### राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री वी० शिवरामन की अध्यक्षता में, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए सस्थागत ऋण-व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति ने राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड) का विचार प्रतिपादित किया और इसकी स्थापना की सिफारिश की। संसद ने 1981 के अधिनियम 61 के जरिए इसे स्थापित करने की स्वीकृति दी और बैंक 12 जुलाई, 1982 को अस्तित्व में आ गया।

नावार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम के भूतपूर्व कृषि ऋण विभाग और ग्रामीण योजना तथा ऋण कक्ष का कार्यभार संभाला। इसकी अंशदान तथा चुकता पूंजी एक अरब रुपये है। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बराबर का योगदान किया है। नावार्ड की स्थापना कृषि, लघु उद्योग, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प व अन्य ग्रामीण दस्तकारियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य आर्थिक गतिविधियों के संवर्द्धन के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना; ग्रामीण क्षेत्रों को खुशहाल बनाना व अन्य सम्बद्ध मामलों पर ध्यान देना है।

नावार्ड एक शीर्ष संस्था है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा अन्य गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने की नीति, योजना तथा कार्य संचालन प्रक्रिया संबंधी सभी मामलों को निपटाने का काम सौंपा गया है। यह (1) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए निवेश व उत्पादन ऋण देने वाली संस्थाओं की शीर्ष पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

(2) पुनर्वास योजनाएं तैयार करने, उनकी मानीटरिंग करने, ऋण उपलब्ध करने वाली संस्थाओं का ढांचा सुधारने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने; इत्यादि के साथ-साथ ऋण वितरण प्रणाली की समावेशन क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थागत व्यवस्था विकसित करने के उपाय करेगा।

(3) क्षेत्र स्तर पर विकास कार्य में लगी सभी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही वित्तीय व्यवस्था में ताममेल विठाएगा और राज्य सरकारों; भारतीय रिजर्व बैंक व नीति-निर्माण से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाओं से सम्पर्क बनाए रखेगा।

(4) उप परियोजनाओं की मानीटरिंग और मूल्यांकन करेगा जिनकी इसने पुनर्वित्त व्यवस्था स्वयं की हो।

नावाडों की पुनर्वित्त मुद्रिष्ठा राज्य भूमि विक्रान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध है। निवेग ऋण के जरिए अंततः व्यक्ति, माघी कम्पनियां, ग्रामकीय निगम या सहकारी समितिया लाभान्वित हो सकनी है। पर उत्पादन ऋण मामान्यतः व्यक्तियों को ही दिया जाता है।

1985-86 के दौरान नावाडों ने योजनात्मक ऋणों के अंतर्गत पुनर्वित्त के रूप में 1192 करोड़ रुपये के ऋण विनरित किए। यह राशि इनमें पिछले वर्ष वितरित की गई राशि की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक थी। इन वर्ष नई योजनाओं के अंतर्गत 1464 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वापदों की स्वीकृति मिली। इनमें पिछले वर्ष 1233 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वापदे स्वीकार किए गए थे। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 376 करोड रुपये की पुनर्वित्त व्यवस्था की गई। यह राशि इनमें पहले की राशियों में सर्वाधिक तथा पिछले वर्ष की राशि में 6.2 प्रतिशत अधिक है।

### रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन एक प्रजेन, 1935 को हुई थी और एक जनवरी, 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं : बैंक नोट जारी करने के कार्य को विनियमित करना, देश की प्रापक्षित विदेशी मुद्रा निधियां बनाये रखना, भारत में मुद्रा की स्थिरता को बनाये रखने की दृष्टि से देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली का परिवालन करना तथा राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों और नीतियों के अनुसूच देश के वित्तीय ढांचे को ठोस आधार पर विकसित करना।

एक रुपये के सिक्के/नोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में देगी मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है। रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले एक रुपये के नोटों और सिक्कों तथा छोटे सिक्कों के वितरण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक भारत सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और कुछ वित्तीय संस्थाओं के बैंकर के रूप में कार्य करता है। वह अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देकर मूल्यों में स्थिरता लाने के उद्देश्यों से मुद्रा नीति का निरूपण करता है और उसे लागू करता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक रुपये के विनिमय मूल्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भदा करता है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्यता के लिए सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। आजकल रिजर्व बैंक विकास और संवर्धन के विभिन्न कार्य भी करता है।

### बीमा

भारत में बीमा उद्योग ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसका इतिहास सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है। बीमा उद्योग में प्रथम विश्व युद्ध के बाद विनिये प्रगति हुई और 1947 में देश के स्वतंत्र होने के समय 200 भारतीय तथा गैर-भारतीय बीमा और मविध्य निधि संस्थाएं काम कर रही थी।

राजाजी के बाद देश में बीमा व्यवसाय का नया युग प्रारम्भ हुआ; परन्तु इस क्षेत्र में विकास के प्रमुख चरण हैं—1 सितम्बर, 1956 में बीमा निगम तथा 1 जनवरी, 1973 में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण। बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था—देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा व्यवसाय का व्यापक फैलाव, ताकि अधिक संख्या में लोगों तथा अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक बीमा व्यवसाय का लाभ पहुंच सके। इसके लिए क्षेत्र संगठन को मजबूत बनाने तथा विभिन्न वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप नई-नई बीमा योजनाएं लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है। ग्रामीण तथा मुफरसिल इलाकों में ज्यादा से ज्यादा शाखाएं खोलने के लिए विकासशील नीति अपनाई गई है।

**जीवन बीमा निगम** जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितम्बर, 1956 को देश में जीवन बीमा का सन्देश फैलाने तथा जनता की वचत को देश के हित में प्रयोग करने के लिए की गई।

राष्ट्रीयकरण से पहले 245 निजी बीमाकर्ता 97 बीमा केन्द्र चलाते थे जो अधिकांशतः शहरी क्षेत्र में थे। 1955 के अन्त तक उनका कुल कारोबार 1,220 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीयकरण के बाद से जीवन बीमा निगम अपने बम्बई स्थित मुख्यालय तथा बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और कानपुर स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा महत्वपूर्ण शहरों में स्थित अपने 43 विभागीय कार्यालय तथा सारे देश में फैले 1,197 से अधिक शाखा कार्यालय चलाता है। 31 मार्च, 1985 को जीवन बीमा निगम का कुल व्यापार 44,169 करोड़ रुपये का था जिनमें व्यक्तिगत बीमा 33,951 करोड़ रुपये के तथा सामूहिक बीमा 10,218.56 करोड़ रुपये के थे। व्यक्तिगत बीमा की 265.31 लाख पालिसियां थीं जबकि समूह बीमा में 78,90,341 व्यक्तियों का बीमा किया गया था। निगम विदेशों में भी व्यापार करता है तथा इसके फिजी, मारीशस तथा इंग्लैंड में कार्यालय हैं। जीवन बीमा निगम विदेश में दो संयुक्त उद्यमों से बीमा कारोबार से सम्बद्ध है। ये हैं : के इंडिया एश्योरेन्स कं० लि०, नैरोबी तथा यूनाइटेड ओरियन्टल एश्योरेन्स लि०, क्वालालम्पुर, मलेशिया।

1947 में सभी बीमा कम्पनियों ने मिलकर 126 करोड़ रुपये का कारोबार किया जो 1955 तक दुगुना हो गया। जीवन बीमा निगम द्वारा की गई महान तरक्की का पता इस तथ्य से चलता है कि 1985-86 में इसने 32.83 लाख व्यक्तिगत पालिसियों से 7,059.47 करोड़ रुपये तथा सामूहिक बीमा से 9,613.76 करोड़ रुपये का कारोबार किया जिसमें कुल 15.44 लाख लोगों का बीमा किया गया। 1985-86 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 12.26 लाख पालिसियों से 2,176.79 करोड़ रुपये का कारोबार (व्यक्तिगत बीमा) किया गया। जो कि निगम के पालिसियों के कारोबार का 37.4 प्रतिशत है। ग्रामीण जनता के लिए विशेष तौर पर बनाई गई जन रक्षा तथा नयी जनरक्षा नीति से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा की धारणा तेजी से बढ़ रही है। निगम का 'लाइफ फंड' 31 मार्च, 1985 को 1,1191.09 करोड़ रु० था। 1984-85 में इस फंड में 1,390.71 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

जीवन बीमा निगम ने अपने पालिसी धारकों को दिए जाने वाले बोनस में साल-दर-साल वृद्धि की है। 31 दिसम्बर, 1957 को जीवन बीमा पालिसियों तथा धर्मदा पालिसियों पर प्रति हजार बीमा की राशि पर क्रमशः 16 रुपये और 12 रुपये 80 पैसे की तुलना में 31 दिसम्बर, 1985 को यह बढ़कर क्रमशः 55 रुपये और चालीस रुपये हो गया।

ग्रामीण पालिसीधारकों को उनके घरों तक सुरंत सेवाएं पहुंचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकवाधिक शाखा कार्यालय खोले जा रहे हैं। निगम समूह बीमा योजना के अन्तर्गत सामाजिक तथा भाषिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों और विकलांगों को भी कृषि, औद्योगिक तथा असंगठित क्षेत्रों में मामूली दरों पर जीवन बीमा की सुविधाएं प्रदान करता है। वर्ष 1985-86 के दौरान 2,632 नई योजनाएं शुरू की गईं जिसके अन्तर्गत 11.56 लाख लोगों का बीमा किया गया।

जीवन बीमा निगम ने सार्वजनिक आवास योजनाओं तथा बड़े नगरों जैसे बोरोवली, (बम्बई), इंदिरा नगर, (बंगलूर), हैदराबाद, कानपुर तथा वस्त्रपुर (ग्रहमदाबाद) के निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने की योजना शुरू की है। अतः सार्वजनिक आवास योजना के अन्तर्गत 3,070 फ्लैट/मकान बनाए गए हैं।

निगम अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, सरकारी गारंटी की विनी योग्य प्रतिभूतियों, समाजोन्मुखी क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र भी शामिल हैं में निवेश के लिए 75 प्रतिशत तक की प्राधार सहायता देता है। निवेश का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र, पालिसीधारकों को ऋण, तथा निगम के सम्पत्ति निर्माण आदि के लिए है। वर्ष 1984-85 में निगम का निवेश (कुल) 1,541 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 1985 तक निगम के निवेश का अंकित मत्प 10,804 करोड़ रुपये था।

#### सामान्य बीमा निगम

सरकार ने मई, 1971 में, देश की 107 भारतीय और विदेशी बीमा कम्पनियों का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। एक जनवरी, 1973 से, लागू राष्ट्रीयकरण के बाद, इन 107 कम्पनियों को मिलाकर चार कम्पनियों बना दी गईं। इन चारों कम्पनियों का गठन भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कम्पनियों के रूप में किया गया। ग्राम बीमा निगम की स्थापना एक नियंत्रक कम्पनी के रूप में की गई। इसकी चारों सहायक कम्पनियों की सहायता करने और उन्हें सलाह देने की जिम्मेदारी है।

चार सहायक कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं:

1. नेशनल इन्वयोरेंस कम्पनी लि०, कलकत्ता।
2. दि न्यू इंडिया एन्वयोरेंस कम्पनी लि०, बम्बई,
3. ओरिएण्टल इन्वयोरेंस कम्पनी लि०, नई दिल्ली।
4. यूनाइटेड इंडिया इन्वयोरेंस कम्पनी लि०, मद्रास।



सामान्य बीमा निगम प्रमुखतः इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स तथा फसल बीमा के अलावा किसी अन्य प्रकार के बीमे का प्रत्यक्ष कारोबार नहीं करता। सामान्य बीमा निगम की कम्पनियां देश भर में क्षेत्रीय मंडल (डिवीजन) और शाखा कार्यालयों के माध्यम से, हर प्रकार के बीमों का कारोबार करती हैं। ये कम्पनियां आपस में स्पर्धा की भावना से कार्य करती हैं। ये विदेशों में भी कारोबार की जिम्मेदारी लेती हैं। 1973 से कम्पनी के संगठनात्मक ढांचे में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। 1973 में 799 कार्यालयों की तुलना में, 1985 की समाप्ति तक इसके कार्यालयों की संख्या बढ़कर 2731 तक पहुंच गई। सामान्य बीमा उद्योग की सेवाएं अब देश भर में उपलब्ध हैं क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से हर जिले में इसका कार्यालय या निरीक्षक है। 1985 में उद्योग का कुल घरेलू प्रीमियम 1158 करोड़ रुपये था जबकि 1984 में इस प्रीमियम की राशि 991 करोड़ रुपये थी। यह वृद्धि 16.8 प्रतिशत है।

संगठित व्यापार और उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा, कृषि ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के कमजोर वर्गों तक बीमा का लाभ पहुंचाने के अधिकाधिक उपाय किए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को सामान्य बीमा सुविधा उपलब्ध है। इनमें जूतों से लेकर हवाई जहाज बनाने तक, तेल के कुश्रों से लेकर खेती के काम आने वाले कुश्रों तक, हीरे तथा जवाहरात के निर्यात से लेकर चीनी के आयात तक, उपग्रह छोड़ने से लेकर अत्यधिक खतरनाक रासायनिकों को लाने-ले-जाने तक सभी क्षेत्र शामिल हैं।

समाज के कमजोर वर्गों के लिए लागू की गई योजनाओं में जनता व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी और ग्रामीण दुर्घटना पालिसी है। इनके अंतर्गत, कम आय वाले व्यक्तियों को, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में, नाममात्र प्रीमियम दर पर, बीमों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। 1985 के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना-सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों के कमाऊ व्यक्तियों की मृत्यु पर, उन परिवारों के शेष व्यक्तियों को बीमे का लाभ दिया जाता है। इस समय इस योजना की सुविधा देश के 440 में से 200 जिलों में उपलब्ध है। इसका प्रीमियम सरकार जमा करती है। 1985 के दौरान एक व्यापक फसल बीमा योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा किए गए फसल संबंधी ऋणों के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। यह योजना उन सभी राज्यों में शुरू की गई है जिन्होंने अधिसूचित क्षेत्रों में, देश की प्रमुख फसलें यानी चावल, गेहूं, ज्वार-बाजरा जैसे अनाजों, तिलहनों और दालों की खेती के लिए दिए गए फसल-संबंधी सभी ऋणों पर इस योजना को लागू करना स्वीकार किया है। इस सिलसिले में क्षेत्रानुसार कार्यशैली अपनाई जाती है, जिसके अनुसार पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के आधार पर अनमानित (संभावित) पैदावार आंकी जाती है तथा फसल कटाई के परीक्षणों के आधार पर, वास्तविक पैदावार निर्धारित की जाती है। प्रीमियम की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। ये दर चावल, गेहूं और ज्वार-बाजरा जैसे अनाजों के

लिए बीमों की राशि का दो प्रतिशत और तिलहनों तथा दातों के लिए बीने की की राशि का एक प्रतिशत है। भ्रायिक, मध्यम और कम सभी प्रकार के जोखिम बाते क्षेत्रों के लिए दर समान है। छोटे और सीमांत किसानों की और से 50 प्रतिशत तक प्रीमियम की व्यवस्था सरकार करती है। जोखिम में संबंधित राज्य सरकारों की भागीदारी 33/1/2 प्रतिशत तथा केन्द्रीय सरकार की भागीदारी 66/2/3 प्रतिशत होती है। योजना का संचालन सामान्य बीमा निगम करता है।

एक भ्रक्तूवर, 1986 से चिकित्सा संबंधी ऐसी बीमा पानिनी शुरू की जा रही है जिसके भंतर्गत कुछ खास बीमारियों से प्रस्त व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हॉस्पर या घर में रहकर कराई गई चिकित्सा पर हुए खर्च को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं।

कारोबार के मिलसिले में विदेग जाने वाले भारतीय नागरिकों (इनमें उनकी सरकारी/व्यावसायिक यात्राएं भी शामिल हैं) के लिए अमरीका की मेरेन्स इंटरनेशनल कार्पोरेशन के सहयोग से चिकित्सा बीमा योजना शुरू की गई है। इन योजना की बीमा सुविधा या लाम, अमरीका और कनाडा की भ्रवकाय यात्राओं को छोड़कर, अन्य स्थानों की अधिकतम 30 दिन तक की भ्रवकाय यात्राओं के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है। भोपाल गैस वास्तु के बाद, जन-दायित्व (पब्लिक लायबिलिटी) पालिसी शुरू करने के अनेक मुद्दाव मिले हैं। उद्योग ने बीमा करने वाली संस्थाओं को आवश्यकताओं के अनूकूल जनदायित्व पालिसी तथा प्रदूषण दायित्व योजना तैयार की है।

1985 के दौरान शुरू की गई अनेक कम पर्चीली बीमा योजनाओं में जन-जातियों के लिए मिश्रित बीमा पालिसी, कारीगरों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों इत्यादि के लिए व्यापक बीमा तथा डी० आर० डी० ए० [योजना के लाभार्थियों के लिए मिश्रित पैकेज पालिसी शामिल है।

सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्योग ने अधिकांश पूंजी निवेश अपेक्ष्यवस्था के सामाजिक क्षेत्रों में किया है। इन वर्षों में केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभृतियों में पूंजी निवेश बढ़ा है। उद्योग, मरुतन बनाने के लिए भी श्रण देता है। 31 दिसम्बर 1985 को उद्योग की पूंजी और निधियां 1466 करोड़ रुपये थी।

सामान्य बीमा उद्योग की शाखाएं और एजेंसियां दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमरीका और कैरेबियन के 32 देशों में काम कर रही हैं। भलेशिया और केन्या में उद्योग की संयुक्त कंपनियां चल रही हैं और घाना, नाइजीरिया, सीरालियोने, त्रिनिदाद और टोबेगो में इसकी सहायक कम्पनियां हैं।

चारों कम्पनियों के अपने-अपने सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण कालेज हैं। इनमें भ्रावसायि सुविधा भी है। बीमा कालेज, राष्ट्रीय बीमा अकादमी तथा निम्न स्तर संस्थाओं ने, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान से सम्बद्ध एक कालेज के रूप में, प्रशिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में काफी योगदान किया है। इन कालेजों में भी बीमा को एक विषय के रूप में शोधप्रतिशीघ्र लागू करने के लिए कार्य जा रहे हैं। बीमा उद्योग लाभ प्रीवेन्शन (हानि-निवारक) एजेंसियां के अंतर्गत

लि० को भी सहयोग देता है। यह एसोसिएशन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली हानि की रोकथाम की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

### पूँजी निवेश

विदेशी पूँजी-निवेश की नीति

तीव्र औद्योगिक विकास के लिए धन जुटाने तथा तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार कुछ उपयुक्त मामलों में विदेशी सहायता की अनुमति देती है। विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में नीति 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव और 1949 में संविधान सभा में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के आधार पर संचालित की जाती है। इसके अन्तर्गत विदेशी पूँजी-निवेश के बारे में सरकार की नीति चयन परक है और इसका उद्देश्य टेक्नोलोजी के विकास के अन्तर को दूर करना और निर्यात बढ़ाना है। बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त, वागान, व्यापार तथा उपभोक्ता उद्योगों में विदेशी पूँजी लगाने की अनुमति नहीं है। उच्च टेक्नोलोजी वाले तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों में विदेशी पूँजी-निवेश की अनुमति है। विदेशी हिस्सेदारी की सामान्य सीमा 40 प्रतिशत है जो विशेष मामलों के गुण-दोष के आधार पर घटाई-बढ़ाई जा सकती है। परन्तु तेल निर्यातक विकासशील देशों के निवेशकों और विदेशों में बसे भारतीयों को कुछ उदार सुविधाएं उपलब्ध हैं।

विदेशी मुद्रा नियमन कानून 1973 के अनुच्छेद 29 के अनुसार विदेशों में निगमित कंपनियों और उन भारतीय कंपनियों को, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी विदेशियों की है, भारत में अपनी वर्तमान गतिविधियां जारी रखने के लिए रिजर्व बैंक से फिर से अनुमति लेनी होगी।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विदेशी कंपनियों की शाखाओं के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे अपने को भारतीय कम्पनियों में बदल दें और वे विदेशी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत, 51 प्रतिशत और 74 प्रतिशत तक रख सकती हैं। जिन भारतीय कम्पनियों में विदेशी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है, उनसे अपेक्षित था कि वे अपने व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार विदेशी पूँजी का हिस्सा कम करके 74 प्रतिशत, 51 प्रतिशत या 40 प्रतिशत कर दें। विदेशी मुद्रा नियमन कानून के अन्तर्गत विदेशी हिस्सेदारी को सीमित करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में सार्वजनिक क्षेत्र के पूँजी-निवेश संस्थान के रूप में की गई। इसका उद्देश्य लोगों को वचतों को एकत्र करके उन्हें उत्पादक निगमित पूँजी निवेश के रूप में लगाकर अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विस्तार में सहयोग करना है। इसकी प्राप्ति के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट 10 रु० और 100 रु० की यूनिटें बेचता है ताकि लोगों को, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्गों के लोगों को, अल्पपक्ष रूप से कम्पनियों के शेयर और ऋण-पत्र प्राप्त करने का अवसर मिले। ट्रस्ट ने विभिन्न पूँजी-निवेश वर्गों की खास जहूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई हैं।

भारतीय मुद्रित द्रव्य (दू. टी. घाटो) की, जतना की वचन के माध्यम से घन जूतने की कटौत योजना है। दू. टी. घाटो की मुख्य योजना मुद्रित योजना है। दू. टी. घाटो ने भारतीयों की निर्मित वित्त के मूल्यांकन में जुलाई 1986 में 'डिफेंस फंड' नामक योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य पैर घाटोओं भाग्योपों, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा भारत के बाहर रहते वाले अन्य व्यक्तियों को, दू. टी. घाटो की विशेष मुद्रित योजना के अतिरिक्त, भारत के मेजरिटी बाजार में पूर्वी मजाने का भवना प्रदान करना है। दू. टी. घाटो ने निम्न, 1986 में एक परम्पर विधि (स्वतन्त्र पूर) की स्थापना भी की है, इसके अतिरिक्त 'भारत में रहने' को जतना के लिए खोल दिया गया है। परम्पर विधि की स्थापना, छोटे निवेशकों को, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा उद्घृत अंशों में पूर्वी मजाने का भवना देने के लिए की गई है।

घाटो स्थापना के समय में ही दू. टी. घाटो नामाग की दर बढ़ाता रहा है। मुद्रित द्रव्य की प्रमुख योजना मुद्रित योजना 1964 के लगभग की दर तथापार रही है। यह दर 1964-65 में 6.1 प्रतिशत, 1981-82 में 12.5 प्रतिशत 1982-83 में 13.5 प्रतिशत, 1983-84 में 14 प्रतिशत, 1984-85 में 14.25 प्रतिशत तथा 1985-86 में 15.25 प्रतिशत हो गई।

**शेयर बाजार**

शेयर बाजार निम्नो निर्धारित क्षेत्र में भारत जूतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस समय देश में 14 शेयर बाजार हैं जिनमें प्रतिभूति अनुबन्ध (निम्न) अतिविशेष, 1956 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, अहमदाबाद, मुम्बिनादा, कानपुर, इन्दौर, पुणे, हैदराबाद, बंगलूर, कोचिन मुम्बई की बांग मद्रास में हैं। शेयर बाजारों का प्रशासन छोटे छोटे प्रशासनिक बोर्डों और कर्मचारियों प्रमुख करते हैं, परन्तु इनके विषय और नियन्त्रण के लिए मंत्रिमन्त्रालय नियंत्रित करता है। भारतीय वित्त बोर्ड का साधारण औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मूल सूचकांक (1930-81=100) जो कि 7 दिसम्बर, 1985 को 219.0 था, 4 प्रतिशत बढ़कर, 6 दिसम्बर, 1986 को 227.8 हो गया।

**विदेशी सहायता**

1949 से ही भारत अपने निर्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/संघों से अन्न सहायता और वस्तुओं की सहायता के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त कर रहा है। वित्त विकास बन्धितियों के लिए इस सहायता का प्रयोग किया गया है—कृषि, शिक्षा, कलात्त क्षेत्रीय विकास, आर्थिक और शहरी बन्धों के पानी की आपूर्ति, जनसंख्या नियंत्रण, पोषण कार्यक्रम, विदेशी, उर्वरक, टेल और रेश, रेश, दुग्धकार तथा पुर्कों का आयात आदि।

सन् 1985 के अंत तक अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी सहायता 41,166 करोड़ रुपये की विधि 33,715 करोड़ रुपये अन्न के रूप में, 4677 करोड़ रुपये सहायता के रूप में तथा 2,774 करोड़ रुपये वस्तुओं की सहायता के रूप में थे। 31 दिसम्बर, 1985 तक कुल अन्तर्राष्ट्रीय सहायता में से 31,437 करोड़ रुपये की सहायता

का उपयोग किया गया, जिनमें 24,664 करोड़ रुपये ऋण के रूप में, 3,954 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में और 2,819 करोड़ रुपये वस्तुओं की सहायता के रूप में थे।

1984-85 में कुल विदेशी सहायता 2,354 करोड़ रुपये थी, जबकि 647 करोड़ रुपये के मूल भुगतान के बाद शुद्ध प्राप्ति 1,707 करोड़ रुपये की थी। 1984-85 के कुल 2,354 करोड़ रुपये की सहायता के मुकाबले 1985-86 में विदेशी सहायता कुल 3,130 करोड़ रुपये की है जिसमें 2,754 करोड़ रुपये के ऋण और 376 करोड़ रुपये के अनुदान शामिल हैं। 1984-85 में 647 करोड़ रुपये के मूल भुगतान के मुकाबले 1985-86 में 737 करोड़ रुपये का मूल भुगतान होने की संभावना है। 1985-86 के वजट अनुमानों के अनुसार 1985-86 में शुद्ध विदेशी सहायता 2,393 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

### टकसाल और छापेखाने

इंडियन सेक्युरिटी प्रेस, नासिक रोड की दो इकाइयां हैं—स्टैंप प्रेस और सेंट्रल स्टैम्प डिपो। स्टैंप प्रेस में डाक-सामग्री और डाक टिकट तथा अन्य प्रकार के टिकट, जुडीशियल और गैर-जुडीशियल स्टैंप, चैक बांड तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजात छापे जाते हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा अर्ध-सरकारी संगठनों की आवश्यकता की अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी इसी प्रेस में छपती है। सेंट्रल स्टैम्प डिपो, स्टैंप प्रेस द्वारा निर्मित वस्तुओं का वितरण करता है। करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड में एक रुपये के नोट और 2, 5 तथा 10 रुपये के बैंक नोट छपते हैं। सेक्युरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद में करेंसी नोट बनाने के लिए कागज तथा अन्य महत्वपूर्ण कागज तैयार होता है। बैंक नोट प्रेस, देवास की दो इकाइयां हैं। मेन प्रेस में 10, 20, 50 तथा 100 रुपये के नोट छापे जाते हैं और स्याही कारखाने में सेक्युरिटी इंक का निर्माण होता है। सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद में डाक सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण फार्म छपते हैं।

बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की टकसालों में सिक्के बनाए जाते हैं। बम्बई टकसाल में सोने के लाइसेंसधुदा व्यापारियों के लिए सोने के परिष्करण का काम भी होता है। बम्बई टकसाल रक्षा सेवाओं और अन्य संस्थाओं के लिए पदक भी बनाती है। विभिन्न राज्यों के लिए नाप-तोल के मानक भी इसी टकसाल में बनाए जाते हैं। कलकत्ता टकसाल में सिक्कों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों के लिए पदक बनाए जाते हैं। देश में सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। आधुनिक तरीके से सिक्कों की ढलाई करने के लिए इन टकसालों में सिक्के ढालने की 24 नई प्रेसें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में, नोएडा में भी एक नई टकसाल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

## व्यय

## सेखापरीक्षा और लेखे

1976-77 में देश के वित्तीय और लेखा प्रशासन में बहुत बड़ा सुधार किया गया था। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने विभागीय सेखा प्रणाली को अपना लिया था। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को धीरे-धीरे सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लेखे संकलित करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। यह सुधार इसलिए लागू किया गया ताकि केन्द्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय पर काफ़र नियंत्रण तथा निगरानी की जा सके और विकास परियोजनाओं पर खर्च की स्थिति के बारे में सही समय पर जानकारी मिल सके।

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में (दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह; पाकिस्तान तथा गोवा, दमन और दीव को छोड़कर) लेखों को सेखापरीक्षा से अलग नहीं किया गया और उनके लेखों का हिसाब-किताब रखने तथा सेखापरीक्षा का काम अब भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें सम्बंधित राज्यों के राज्यपालों/उप-राज्यपालों को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें विधान मंडलों में पेश करते हैं।

## सेखा महानियंत्रक

केन्द्र सरकार के लेखों को विभागीय रूप देने से सम्बंधित मामले निपटाने के लिए अक्टूबर 1976 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंग के रूप में लेखा महानियंत्रक के संगठन की स्थापना की गई। इन मामलों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का स्वरूप निश्चित करना, लेखा प्रक्रियाएँ निर्धारित करना, इनसे सम्बंधित नियमों तथा नियम पुस्तिकाओं का संशोधन; केन्द्रीय (भूतनिक) लेखा कार्यालयों के अच्छे लेखन-स्तर को बनाए रखना; भारत सरकार के मासिक तथा वार्षिक लेखे तैयार करना (सश्लिप्त भूतनिक विनियोग लेखे तैयार करना भी शामिल है) और भारत की सचिव निधि; भारत की भाकस्मिकता निधि तथा सार्वजनिक लेखों में जमा धन प्रादि के संरक्षण से सम्बंधित संविधान के अनुच्छेद 283 के अन्तर्गत नियमों का पालन करना शामिल है।

महालेखा नियंत्रक भारत सरकार के विनियोग लेखों (भूतनिक) और वित्त लेखों के संक्षिप्त रूप तैयार करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सेखापरीक्षा के पश्चात् इन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। साथ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें भी रखी जाती हैं।

लेखा कार्य को संबन्धित विभागों के अंतर्गत लाने के बाद, मंत्रालयों/प्राधिकरणों से संबन्धित सेवा कार्यालयों के कर्मचारी अपने-अपने विभागों के लेखे स्वयं तैयार करते हैं और उन्हें पूर्ण मुद्रित पुस्तिकाओं के रूप में सी० जी० ए० कार्यालय में भेजते हैं, जहाँ नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर के कम्प्यूटर की सहायता से उन्हें समेकित किया जाता है। समेकित केन्द्रीय सिविल लेखे, केन्द्रीय सरकार के

लेखे (रेलवे, डाक और तार तथा रक्षा मिलाकर) तथा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लेखे तैयार किए जाते हैं। इस कार्य में सुधार लाने तथा समय की बचत करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के लेखों का वाउचर-स्तर पर कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत माइक्रोप्रोसेसरों का स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस नेटवर्क का उपयोग वेतन और लेखा कार्यालय, मूल स्रोत स्तर के लेखा आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें नेशनल इन्फोमेटिक्स सेन्टर के सुपरकम्प्यूटर में संसाधित करने के लिए करेंगे। दिल्ली में लेखा कार्यालयों के बड़ी संख्या में होने के कारण यह परियोजना सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू की जाएगी। धीरे-धीरे इसे अन्य महानगरों में भी लागू किया जाएगा।

### राजस्व

राजस्व विभाग कर कानूनों के पालन के माध्यम से तीन मुख्य उद्देश्य पूरे करता है। ये हैं—कर दाताओं और कर समाहर्ताओं के बीच आपसी विश्वास का वातावरण बनाना, कर चोरी तथा बकाया करों को कम करने की समस्याओं से निपटना तथा उपयुक्त कानूनों की मदद से सामाजिक-आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना।

### प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर देश की कर प्रणाली में केवल राजस्व के स्रोत के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सशक्त साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली बात तो यह है प्रत्यक्ष करों से कर-प्रणाली को प्रगतिशील बनाने में मदद मिलती है और प्रगतिशीलता, समानता तथा आय सम्पत्ति के वंटवारे में विषमता कम करने के लिए आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्ष कर योजना-प्रक्रिया की नीति में कई तरह से सहायक होते हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बचत के लिए करों में छूट देने के फलस्वरूप बचत को बढ़ावा मिलता है। भारत में आय कर तथा पूंजी कर दोनों ही इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हैं।

इस समय आय कर विभाग प्रत्यक्ष करों से सम्बंधित जिन अधिनियमों को लागू करता है, वे इस प्रकार हैं—आय कर अधिनियम, 1961, घन कर अधिनियम, 1957, उपहार कर अधिनियम, 1958, सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953, कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964, व्याज-कर अधिनियम, 1974, अनिवायं जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम, 1974 तथा होटल प्राप्तिगां कर अधिनियम, 1980 (28 फरवरी, 1982 से करों की वसूली बन्द कर दी गई)।

सारणी 13.7 में करदाताओं की संख्या और विभिन्न प्रमुख प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत राजस्व के आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी 13.7  
प्रत्यक्ष कर

कर	करदाताओं की संख्या (सार्धों में)	एकत्र किए गए राजस्व की राशि (₹ करोड़ों में)			
		1984-85	1984-85	1985-86	1986-87 (बजट अनुमान)
1. निगम कर	}		2,392.73	2,555.90	2,583.64
2. भ्राम कर		49.35	1,699.14	1,927.76	2,795.59
3. ब्याज कर			177.92	170.88	57.70
4. सम्पत्ति कर		4.48	107.78	146.36	100.00
5. सम्पदा शुल्क		0.71	23.93	21.96	15.00
6. उपहार कर		1.16	10.89	10.11	11.00

सारणी 13.8 में 1986-87 की कर दरों पर चुने हुए आय-स्तरो के आयकर का स्वीरा दिया गया है :-

सारणी 13.8  
चुने हुए आय वर्गों में आयकर की दरें

आय (₹)	आयकर (अधिभार सहित) (₹)	प्रभावी दर (प्रतिशत)
1	2	3
18,000	—	—
20,000	500	2.50
25,000	1,750	7.00
30,000	3,250	10.83
40,000	6,250	15.63
50,000	9,250	18.50
60,000	13,250	22.08
70,000	17,250	24.64
80,000	21,250	26.56
90,000	25,250	28.06
1,00,000	29,250	29.25
1,50,000	54,250	36.17
2,00,000	79,250	39.62
3,00,000	1,39,250	43.08
4,00,000	1,79,250	44.81
5,00,000	2,29,250	45.85
10,00,000	4,79,250	47.



**प्रत्यक्ष करों की चोरी पर रोक** करों की चोरी रोकने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 1985 के दौरान वित्त मंत्री ने संसद में एक दीर्घकालीन राजस्व नीति प्रस्तुत की। इससे प्रत्यक्ष करों की दरों को युवितसंगत बनाने का कार्य सुगम हो गया। राष्ट्रीय लोक-वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा भारत में काली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर तैयार की गई रिपोर्ट में दिए गए सुझाव तथा इन पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रतिक्रियाओं पर नीति बनाते समय दिशाएं बिया गयी। क्षमादान की एक योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत अधोषित आय को घोषित करने का अवसर दिया गया। सरकार की उदार राजस्व नीति के फलस्वरूप राजस्व की वसूली में वृद्धि हुई। सरसरी तौर पर आय विधायन योजना को उदार बनाना तथा प्रत्यक्ष करों की दरों को कम करना इस नीति का केवल एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है बाकी मामलों में गृहरी छात्रवृत्ति, तलाशी तथा जल्ती की कार्यवाही, ताकि कर-दाता को इस संबंध में कोई संदेह न रहे कि वह कुछ भी घोषणा करके साफ निकल सकता है। 1985 के दौरान 6,919 वार तलाशी और जल्ती की कार्यवाही की गई। इसके जरिए लगभग 43 करोड़ 40 लाख रुपये की परिसम्पत्ति जब्त की गई। इससे पिछले वर्ष की तलाशी की कार्यवाही 3,547 वार की गई तथा उसमें 20 करोड़ 87 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त की गई। इसी तरह आय/धन को छुपाने वाले अपराधियों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 1985 के दौरान 957 मुकदमों दायर किए गए जबकि 1984 में दायर किए गए मुकदमों की संख्या 644 थी। 1985 के दौरान 1,45,023 परिसरों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण, तलाशी और मुकदमों से सम्बद्ध मशीनरी को और मजबूत बनाया जा रहा है। विशेषतौर पर सर्वेक्षण मशीनरी को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि अधिकाधिक संख्या में करदाताओं का पता लगाया जा सके।

**तस्कर तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वाले अपराधी**

तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वालों की सम्पत्ति की जल्ती से संबंधित 1976 के अधिनियम का उद्देश्य देश में तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी के खतरे से निपटना है। इसमें तस्करों, विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वालों और उनके संबंधियों तथा साथियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से इकट्ठी की गई सम्पत्ति की जल्ती की व्यवस्था की गई है।

अधिनियम को लागू करने के लिए पांच सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके मुख्यालय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में हैं। अधिनियम के अंतर्गत 31 जुलाई, 1986 तक, 2,623 मामलों में कार्यवाही शुरू की गई। इनमें 1,685 ऐसे मामले भी हैं जिन पर उचित आदेश दिए जा चुके हैं।

**अप्रत्यक्ष कर**

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। इन शुल्कों के जरिए संघ के कुल राजस्व का 78 प्रतिशत राजस्व शुल्क के रूप में जमा होता है। सारणी 13.9 पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रह को दर्शाती है :



**प्रत्यक्ष करों की चोरी पर रोक** - करों की चोरी रोकने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 1985 के दौरान वित्त मंत्री ने संसद में एक दीर्घकालीन राजस्व नीति प्रस्तुत की। इससे प्रत्यक्ष करों की दरों को युवितसंगत बनाने का कार्य सुगम हो गया। राष्ट्रीय लोक-वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा भारत में काली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर तैयार की गई रिपोर्ट में दिए गए सुझाव तथा इन पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रतिक्रियाओं पर नीति बनाने समय विचार लिया गया। क्षमादान की एक योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत अधोपित आय को घोषित करने का अवसर दिया गया। सरकार की उदार राजस्व नीति के फलस्वरूप राजस्व की वसूली में वृद्धि हुई। सरसरी तौर पर आय निर्धारण योजना को उदार बनाना तथा प्रत्यक्ष करों की दरों को कम करना इस नीति का केवल एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है बाकी मामलों में गहरी छावनी, तलाशी तथा ज्वती की कार्यवाही, ताकि कर-दाता को इस संबंध में कोई संदेह न रहे कि वह कुछ भी घोषणा करके साफ निकल सकता है। 1985 के दौरान 6,919 बार तलाशी और ज्वती की कार्यवाही की गई। इसके जरिए लगभग 43 करोड़ 40 लाख रुपये की परिसम्पत्ति जप्त की गई। इससे पिछले वर्ष की तलाशी की कार्यवाही 3,547 बार की गई तथा उसमें 20 करोड़ 87 लाख रुपये की सम्पत्ति जप्त की गई। इसी तरह आय/धन को छुपाने वाले अपराधियों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की संख्या में भी वृद्धि हुई। 1985 के दौरान 957 मुकदमों दायर किए गए जबकि 1984 में दायर किए गए मुकदमों की संख्या 644 थी। 1985 के दौरान 1,45,023 परिसरों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण, तलाशी और मुकदमों से सख्त मशीनरी को ग्राह्य मजबूत बनाया जा रहा है। विशेषतौर पर सर्वेक्षण मशीनरी को सशक्त बनाया जा रहा है ताकि अधिकाधिक संख्या में करदाताओं का पता लगाया जा सके।

**तस्कर तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वाले अपराधी**

तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वालों की सम्पत्ति की ज्वती से संबंधित 1976 के अधिनियम का उद्देश्य देश में तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी के खतरे से निपटना है। इसमें तस्करों, विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वालों और उनके संबंधियों तथा साथियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से इकट्ठी की गई सम्पत्ति की ज्वती की व्यवस्था की गई है।

अधिनियम को लागू करने के लिए पांच सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके मुख्यालय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में हैं। अधिनियम के अंतर्गत 31 जुलाई, 1986 तक, 2,623 मामलों में कार्यवाही शुरू की गई। इनमें 1,685 ऐसे मामले भी हैं जिन पर उचित आदेश दिए जा चुके हैं।

**अप्रत्यक्ष कर**

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। इन शुल्कों के जरिए संघ के कुल राजस्व का 78 प्रतिशत राजस्व शुल्कों के रूप में जमा होता है। सारणी 13.9 पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रह को दर्शाती है :

( रुपये करोड़ों में )

सारणी 13.9  
उत्पाद तथा  
सीमा शुल्क से  
राजस्व

वर्ष	1983-84	1984-85	1958-88 (संशोधित अनुमान)	1986-87 (बजट अनुमान)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	10,221.75	11,150.84	12,928.10	13,981.84
सीमा शुल्क	5,583.44	7,040.52	9,517.57 <sup>1</sup>	10,404.10

हाल ही के वर्षों में किए गए कराधान उपायों का उद्देश्य सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क का ढांचा सुधारना, आर्थिक विकास, निष्पक्षता तथा सादगो को बढ़ावा देना और एक ऐसी व्यवस्था करना है जिसके फलस्वरूप स्वभावतः ही राजस्व प्राप्ति को प्रक्रिया में वृद्धि होती रहे ।

अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली में सुधार लाने के उपायों में, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिए समान वस्तु वर्गन तथा सांकेतिक प्रणाली पर आधारित नई शुल्क दरें लागू करना भी है । जैसा कि दीर्घकालीन राजस्व नीति में व्यवस्था की गई है, उत्पादन शुल्क में वृद्धि के असर को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क ढांचे में संशोधित मूल्य संबंधित कर प्रणाली (मोड्येक) लागू कर दी गई है । लघु उद्योगों में किए गए सुधारों का उद्देश्य छोटी इकाइयों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना तथा उनके अनावश्यक विभाजन को रोकना है ।

1985 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के विरुद्ध अभियान और तेज कर दिया गया था । फलस्वरूप उस वर्ष 7,408 मामले पकड़े गए । इन मामलों में 340.83 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी किए जाने का अनुमान है । 1984 की इसी अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के 5433 मामलों पकड़े गए, जिनमें 64 करोड़ 48 लाख रुपये की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी किए जाने का अनुमान है ।

तस्करो की  
रीरुपाम

1985 के शुरू में सरकार ने तस्करो रोकने के विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा की तथा तस्करो और उनकी गतिविधियों के विरुद्ध और तेज अभियान चलाने का निर्णय लिया । तदनुसार दीर्घ तथा लघु योजनाएं चलाई गईं । ये योजनाएं इस प्रकार हैं :

1. मुजबिरो और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को, समान रूप से, जभ किए गए अवैध माल की कीमत को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया । पुरस्कार की 10 प्रतिशत राशि की अदायगी जभी के तुरंत बाद कर देने का प्रावधान कर दिया गया ।

<sup>1</sup>अन्य विभाग द्वारा एक किए गए शुल्क शामिल नहीं है ।

2. सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो सांकेतिक नामों के अभियान 'केतु' और 'काली' चलाए। इन अभियानों के अंतर्गत 234 परिसरों की तलाशी के दौरान 36 करोड़ रुपये का अवैध माल जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी और 36 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के बीजकों की हेरा-फेरी, दक्षिण अफ्रीका को अवैध निर्यात तथा आयात में धोखाधड़ी के मामले पकड़े गए। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर की गई कार्यवाहियों के दौरान अधिकृत सीमा से अधिक सामान पर एक करोड़ रुपये से भी अधिक सीमा शुल्क की वसूली की गई।
3. आयात-निर्यात में धोखाधड़ी के बड़े-बड़े मामलों का पता लगाया गया जिनमें करोड़ों रुपये के सीमा शुल्क की चोरी की गई थी।
4. मूल्यांकन, गलत घोषणा, अग्रिम लाइसेंसों का भारी दुरुपयोग तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी के मामलों को भी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (कोफेपोसा) की परिधि में शामिल कर दिया गया है। 1984 में तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वाले अपराधियों की नजरबन्दी के 904 आदेश जारी किए गए तथा 719 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया जबकि 1985 में 973 नजरबन्दी आदेश जारी किए गए तथा 760 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया।
5. आर्थिक अपराधों की छानबीन और आर्थिक कानून लागू करने से सम्बद्ध विभिन्न एजेन्सियों की गुप्तचर गतिविधियों, छानबीन संबंधी कार्यवाहियों तथा कानून लागू करने के काम-काज में तालमेल बिठाने तथा उन एजेन्सियों को अपना कार्य और कारगर ढंग से चलाने में सहयोग देने के लिए आर्थिक गुप्तचर व्यूरो की स्थापना।
6. विभिन्न पुराने अधिनियमों को समेकित तथा संशोधित करना और नशीली दवाओं व मस्तिष्क पर असर करने वाले पदार्थों से संबंधित अधिनियम को कारगर ढंग से लागू करने की व्यवस्था करना। नशीली दवाओं तथा मस्तिष्क पर असर करने वाले पदार्थों से संबंधित 1985 का अधिनियम नवम्बर, 1985 से लागू हुआ।
7. तस्करी की आशंका वाली वस्तुओं जैसे कलाई घड़ियों, सियेटिक कपड़ों, जियों आदि पर राजस्व संबंधी कुछ रियायतें दी गईं जिससे देश में इन वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ सके। 1985 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने 192 करोड़ रुपये का अवैध माल जप्त किया। 1984 में 101 करोड़ रुपये का अवैध माल जप्त किया गया था।

विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गति-विधियों की रोकथाम अधिनियम

1985 के दौरान तस्करों और विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (कोफेपोसा) की धाराओं को और अधिक सख्ती से लागू किया गया।

अधिनियम की कुछ धाराओं को 'कोफेपोसा (मंशोधित) अधिनियम, 1984 के जरिए संशोधित करके भीर कड़ा बना दिया गया है। संशोधन (धारा 9 के अंतर्गत घोषणा) में तस्करी की अत्यधिक मात्रा वाले क्षेत्रों (पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व तट, भारत-पाकिस्तान सीमा, दिल्ली हवाई अड्डा और कलकत्ता हवाई अड्डा) में तस्करी करने वालों को, कुछ मामलों में एक साल की बजाय दो साल तक नजरबन्द करने की व्यवस्था कर दी गई है। 1985 के दौरान कोफेपोसा अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत 380 घोषणाएं जारी की गईं।

पोस्त की खेती, अन्य नशीली दवाएं तथा मस्तिष्क पर असर करने वाले पदार्थ

भारत विश्व में वैध अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। वैध पोस्त की खेती और अफीम का उत्पादन तथा निर्यात केवल सरकार के नियंत्रण में है। यह नियंत्रण सरकार हानि ही में बनाए गए नशीली दवाओं तथा मस्तिष्क पर असर करने वाले पदार्थों में संबंधित 1985 के अधिनियम (1985 का 61) के जरिए करती है। यह अधिनियम 14 नवम्बर, 1985 को लागू हुआ। इसके लागू होने पर 1857 तथा 1878 के अफीम अधिनियम तथा एतदनुक दवा अधिनियम, 1930 रद्द हो गए। नये अधिनियम में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए निवारक दंड की व्यवस्था की गई है।

गांजा बनाने के काम आने वाली भारतीय भाग की खेती शासकीय कानूनों के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। 1985 के दौरान नशीली दवाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियों ने 6,841 कि० ग्रा० अफीम, 66,314 कि० ग्रा० गांजा, 10,312 कि० ग्रा० चरस, 125 कि० ग्रा० मार्फीन, 761 कि० ग्रा० हेरोइन तथा 745 कि० ग्रा० मैट्रैकम की गोलियां जप्त कीं। सरकार ने नशीली दवाओं तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाले पदार्थों के दुर्हयोग तथा इनके अवैध व्यापार को कारण बन से रोकने के लिए नशीली दवा नियंत्रण ब्यूरो नामक शीर्ष मण्डल का गठन किया है।

इसके अलावा देश में सभी सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालयों (कन्स्ट्रैटो) में भी 'नशीली दवा कप्त' घोषित गए हैं। इंटरपोल, इंटर-नेशनल नाट्रिकोटिकल कन्ट्रोल बोर्ड, कन्स्टम, कन्-प्रोरेशन कॉमिन्ट इत्यादि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता से नशीली दवाओं का रखा जाना है और महसूस किया जाता है।

भारत तथा विश्व की मुद्राओं की दरें

सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कुछ विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती है। सरकारी 13.10 में वित्त मंत्रालय की 27 जून, 1983 की अधिवृत्त के अनुसार 100 रुपयों की तुलना में कुछ विदेशी मुद्राओं की विनिमय दरें दी गई हैं।

सारणी 13.10  
विनिमय दरें

क्रम सं०	विदेशी मुद्रा	भारतीय 100 रुपयों की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर
1.	आस्ट्रेलियन शिलिंग	114.5
2.	आस्ट्रेलियाई डालर	13.255
3.	बेल्जियन फ्रांक	337.5
4.	कनाडा डालर	11.045
5.	डेनमार्क क्रोनर	61.20
6.	जर्मन मार्क	16.340
7.	नीदरलैंड गिल्डर	18.430
8.	फ्रांसीसी फ्रांक	53.00
9.	हांगकांग डालर	62.00
10.	इटली लीरा	11,249
11.	जापानी येन	1,242
12.	मलेशियाई डालर	20.90
13.	नार्वे क्रोनर	60.00
14.	ब्रिटिश स्टर्लिंग	5.2305
15.	स्वीडन क्रोनर	56.85
16.	स्विट्जरलैंड फ्रांक	13.465
17.	अमरीकी डालर	7.940
18.	सिंगापुर डालर	17.475

### बिक्री कर

बिक्री कर राज्यों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। समाचार-पत्रों को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर कर लगाना राज्यों का विषय है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व्यापार या वाणिज्य के दौरान इस प्रकार की बिक्री पर कराधान राज्यों को सौंपा गया है और इससे प्राप्त होने वाला राजस्व उन्हीं के पास रहता है।

1985-86 में केन्द्रीय बिक्री कर, सामान्य बिक्री कर, मोटर स्प्रिट कर तथा चीनी के क्रय कर सहित आयकर से कुल 8,110 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। 1985-86 में, चीनी, तम्बाकू तथा कपड़े पर बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से 880 करोड़ रुपये एकत्र होने का अनुमान है।

### स्वर्ण नियंत्रण

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार सोने पर नियंत्रण को लागू किया जाता है। स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव होता है। प्रशासक का क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई में

है। स्वर्ण (निर्यंत्रण) कानून को केन्द्रीय उत्पाद तथा सोनागुलक के विभिन्न समाहताओं के माध्यम से लागू किया जाता है।

सोने के व्यापारियों को लाइसेंस देने, स्वर्णकारों के प्रमाणीकरण की प्रणाली तथा निर्धारित लेखों के हिाव-किताब रखने और विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करने के नियमों के माध्यम से सोने के व्यापार का नियमन किया जाता है।

देश में सोने की दो खानें हैं। ये हैं: भारत गोल्ड माइन्स लि० और हुट्टी गोल्ड माइन्स लि०। भारत गोल्ड माइन्स द्वारा निहाला गया सारा सोना सरकार ले लेती है। हुट्टी खान से निकला सोना वम्बई बाजार के भावों पर सोने के उन औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेचा जाता है, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लाइसेंस मिले होते हैं। इसके अलावा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा गीण उत्पाद के रूप में कुछ सोना निकाला जाता है जिसे सरकार द्वारा ले लिया जाता है। 1935 में (जनवरी से दिसम्बर) हुट्टी खानों में 814.678 कि० ग्रा० सोने का उत्पादन हुआ।

मंजूरशुदा औद्योगिक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता का सोना स्वर्ण निर्यंत्रण प्रशासक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक लाइसेंसों के माध्यम पर भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदते हैं। वर्ष 1935 के दौरान कुल 883 ग्राम सोने के लिए 615 परमिट जारी किए गए।

### निगमित क्षेत्र

भारत में 1850 में बना संपुक्त शेयर कम्पनी पंजीकरण कानून कम्पनियों के बारे में पहला कानून था। इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन होते रहे। इंग्लिश कम्पनी (कंसीलिडेशन) एक्ट, 1908, के बाद कम्पनी एक्ट, 1913 लागू किया गया। इस में अनेक बार संशोधन किये गये। स्वतन्त्रता के बाद इस कानून को नया रूप देने की आवश्यकता अनुभव की गई और 1950 में सी० एच० भामा की अध्यक्षता में कम्पनी कानून संशोधित करने के मुसौदा देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के माध्यम पर केन्द्रीय कानून के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 लागू किया गया। इस कानून के लागू होने में पहले तक कम्पनी कानून के परिपालन का दायित्व राज्य सरकारों का था।

पिछले 30 वर्षों में कम्पनी अधिनियम 1956 में 15 संशोधन हुए। 1969, 1974 तथा 1977 के संशोधनों का विशेष महत्व है। 1969 के संशोधन के अन्तर्गत कम्पनियों के प्रबन्ध एजेंट, सचिव या कोषाध्यक्ष नियुक्त करने की प्रथा समाप्त कर दी गयी। 1974 के संशोधन में कम्पनी कानून के कुछ अनुच्छेदों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के अधिकार कम्पनी कानून बोर्ड को हस्तांतरित किए गए। अनुच्छेद 43-ए के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, जिसमें निजी क्षेत्र की कम्पनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनिया माना जा सके। कम्पनियों द्वारा जमा राशि स्वीकार करने के नियमन के लिए नये अनुच्छेद 58-ए को शामिल किया गया तथा बड़े समूहों द्वारा कम्पनियों को अपने कर्ज में लेने से रोकने के उद्देश्य से अनुच्छेद 103-ए से 103-एच तक जोड़े गए।



1977 के संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ 634-ए अनुच्छेद जोड़ा गया, जिससे कम्पनी कानून बोर्ड को अधिनियम के अनुच्छेद 17, 18, 19, 79, 141 तथा 186 के अन्तर्गत अपने आदेश कानूनी अदालतों की भांति लागू करवाने का अधिकार मिल गया ।

कम्पनी एक्ट, 1956 से केन्द्र सरकार के कम्पनी कानून बोर्ड को कम्पनियों के कार्य कलापों की निगरानी, नियमन और नियंत्रण के लिए कई तरह के अधिकार मिले हैं ।

देश में कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत निगमित सरकारी तथा गैर-सरकारी संयुक्त कम्पनियों की संख्या 31 मार्च, 1985 को 109341 थी। इनमें से 107369 कम्पनियां शेयरों द्वारा सीमित हैं । 295 असीमित देयता वाली और 1677 कपनियों गारण्टी द्वारा सीमित अथवा लाभ न कमाने वाली एसोसिएशन हैं । 107369 शेयर लिमिटेड कम्पनियों की कुल चुकता पूंजी 27331 करोड़ रु० थी । इनमें से 14,566 सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की चुकता पूंजी 6,287 करोड़ रुपये और 92,803 निजी क्षेत्र की कम्पनियों की चुकता पूंजी 21,044 करोड़ रुपये थी ।

सारणी 13. 11 में कम्पनियों (सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों को मिलाकर) की संख्या और उनकी चुकता पूंजी का वयौरा वर्ष 1951, 1961, 1971; 1981 तथा उसके बाद के वर्षों के बारे में दिया गया है ।

जो कम्पनियां 1984-85 में पंजीकृत हुईं उनकी संख्या 13440 है। इनमें 13,347 शेयर लिमिटेड, 13 असीमित देयता वाली और 80 गारण्टी से सीमित अथवा लाभ न कमाने वाली एसोसिएशन थीं। शेयर लिमिटेड कम्पनियों में से 1659 सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां थीं जिनकी अधिकृत पूंजी 1069 करोड़ रुपये थी और 11,688 निजी क्षेत्र की कम्पनियां थी जिनकी अधिकृत पूंजी 961.5 करोड़ रु० थी ।

### जारी पूंजी और परियोजना

1984-85 के दौरान, 395 गैर-सरकारी तथा गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों ने, जनता से 333 करोड़ रुपये एकत्रित करने के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कम्पनियों के पंजीयकों को, पंजीकरण के लिए अपने विवरण-पत्रों की प्रतिगण प्रस्तुत कीं। इससे पिछले वर्ष कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र: संख्या 441 थी। 1984-85 के दौरान पंजीयकों को अपने विवरण पत्र प्रस्तुत करने वाली 395 कम्पनियों में से 374 सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में परिवर्तित 21 निजी क्षेत्र की कम्पनियां थीं। इन विवरण-पत्रों के जरिए जारी की गई 333 करोड़ रुपये की राशि में से 86.0 प्रतिशत इक्विटी शेयरों तथा 14 प्रतिशत ऋण-पत्रों के लिए थी। विवरण-पत्रों पर स्वीकृत राशि का 58.1 प्रतिशत जनता तथा शेप 41.99 प्रतिशत संघर्षकों, निवेशकों, मौजूदा शेयर होल्डरों, कम्पनियों के कर्मचारियों, गैर-आवासी भारतीयों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा राज्य सरकारों इत्यादि को आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। आवंटित करने के लिए निर्धारित की गई राशि का 14.5 प्रतिशत गैर-आवासीय भारतीयों के लिए था।

इसकी तुलना में 1933-34 में 441 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय सांख्यिक क्षेत्र की कम्पनियों ने 226.00 करोड़ रुपये की राशि विवरण-पत्र जारी करके जुटाई। उस वर्ष जुटाई गयी राशि में 48.2 प्रतिशत इक्विटी शेयरों, 0.5 प्रतिशत प्रेफरेंस शेयरों और 51.3 प्रतिशत ऋणपत्रों (डिबेंचरों) के लिए थी।

**घन कम्पनियां**

1934-35 में उन कम्पनियों की संख्या 240 थी जिनका परिचालन किया गया या किसी अन्य कारण से बन्द हो गयी घणवा कम्पनी कानून 1956 के अनुच्छेद 560 (5) के अन्तर्गत जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इस तरह की कम्पनियों की पिछले वर्षों की संख्या इस प्रकार है: 1970-71 (472), 1980-81 (391), 1981-82 (330), 1982-83 (261) और 1983-84 (258)।

**सरकारी कम्पनियां**

सारणी 13.12 में सरकारी कम्पनियों की संख्या और उनकी चुकता पूंजी का कुल चूने हुए वर्षों का व्योरा दिया गया है।

**सारणी 13.12  
कार्यरत सरकारी  
कम्पनियां**

31 मार्च को	सांख्यिक		निजी		कुल	
	संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ ₹०)	संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ ₹०)	संख्या	चुकता पूंजी (करोड़ ₹०)
1957	39	18.9	35	53.7	74	72.6
1962	41	23.5	113	606.2	154	629.7
1967	65	77.1	167	1,314.4	232	1,391.5
1972	107	156.0	245	2,213.1	352	2,369.1
1977	273	591.9	428	6,582.6	701	7,174.5
1982	372	1,266.1	522	11,613.0	394	12,879.2
1983	409	1,499.8	534	13,222.7	943	14,722.5
1984	427	1,513.0	543	14,901.9	970	16,414.9
1985	417	2,026.4	563	19,448.4	980	21,492.8

**विदेशी कम्पनियां**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 501 में दी गई परिभाषा के अनुसार 31 मार्च, 1985 को 324 विदेशी कम्पनियां (अर्थात् जो विदेशों में संयुक्त शेयर कम्पनियों के रूप में पंजीकृत हैं, परन्तु उनका कारोबार भारत में है) काम कर रही थीं। देशों (मूल) के अनुसार इन कम्पनियों का विवरण इस प्रकार है—इंग्लैंड 123, अमरीका 67, जापान 25, फ्रांस 10, पश्चिम जर्मनी 8, इटली 7।

कनाडा, हांगकांग—प्रत्येक की 6; बंगलादेश, पाकिस्तान, हॉलैंड—प्रत्येक की 5; स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, पनामा—प्रत्येक की 4; नेपाल, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम—प्रत्येक की 3; युगाण्डा, मिंगापुर, सेयनान, यूगोस्लाविया, बहामादीप, श्रीलं, आस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया—प्रत्येक की 2; घदन, मलेशिया, मारोश, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, श्रीलंका, इथोपिया, नावो, क्रायमन द्वीप, ईरान, तजानिया, साउथेरिया और कुवैत—प्रत्येक की एक।

सारणी सं० 13.11  
कार्परेत कम्पनियां

शेवर लिमिटेड कम्पनियां

असोमित देयता  
भाली कम्पनियां  
(संख्या)

गारंटी द्वारा  
सीमित  
अकबल  
लाभ न  
कमाने वाली  
एसोसिएशन  
(संख्या)

31 मार्च को

भारत 1986

वर्ष	सार्वजनिक		निजी		कुल	
	संख्या	चुक्ता पूंजी (करोड़ रु० में)	संख्या	चुक्ता पूंजी (करोड़ रु० में)	संख्या	चुक्ता पूंजी (करोड़ रु० में)
1951	12,568	566.5	15,964	208.9	28,532	775.4
1961	6,702	948.2	19,447	870.3	26,149	1,818.5
1971	6,690	2,091.5	23,632	2,422.2	30,322	4,513.7
1981	9,740	4,645.5	52,974	10,909.0	62,714	15,554.5
1982	10,541	4,982.1	61,816	12,858.1	72,402	17,840.1
1983	11,780	5,339.1	71,123	14,569.8	82,903	19,908.9
1984	14,566	6,286.8	81,311	16,356.8	94,264	21,928.5
1985			92,803	21,044.5	1,07,369	27,331.3

भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्यों के भादि शोध संविधान में दिए गए राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त हैं। हमारी धर्म-व्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक समझे जाते हैं। निजी क्षेत्र में केवल संगठित उद्योग ही नहीं अपितु कृषि उद्योग, कृषि, व्यापार, भावास और निर्माण तथा अन्य कई प्रकार के उद्योग भाते हैं। व्यक्तिगत तथा निजी प्रयत्न भावश्यक तथा शांछनीय समझे जाते हैं। नीति यह है कि स्वेच्छिक से सहयोग के भाधार पर विकास कायों में अधिक से अधिक सहायता मिल सके। सरकारी क्षेत्र में भाधारभूत तथा भारी उद्योगों में बड़ी मात्रा में धन्ये लगते हुए इस क्षेत्र का विस्तार करते रहना भी भाषिक आयोजन में शामिल है।

सरकार ने देश के सारे साधनों और भावश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास का एक डांचा तैयार करने के लिए 1950 में योजना भायोग का गठन किया था। 31 दिसम्बर, 1986 को भायोग का गठन निम्नानुसार था :

राजीव गांधी	.	.	.	प्रधानमंत्री और अध्यक्ष
डा० मनमोहन सिंह	.	.	.	उपाध्यक्ष
पी० वी० नरसिम्हा राव	.	.	.	मानव संभाधन एवं विकास मंत्री और सदस्य
वी० पी० सिंह	.	.	.	वित्त मंत्री और सदस्य
बूटा सिंह	.	.	.	गृह मंत्री और सदस्य
जी० एस० डिल्ली	.	.	.	कृषि मंत्री और सदस्य
सुखराम	.	.	.	योजना राज्य मंत्री और सदस्य
प्रो० एम० जी० के० मेनन	.	.	.	सदस्य
डा० राजा जे० चेलैया	.	.	.	सदस्य
हितेन भाया	.	.	.	सदस्य
भाबिद हुसैन	.	.	.	सदस्य
जे० एम० बीजल	.	.	.	सदस्य-सचिव

### पंचवर्षीय योजनाएं

पहली योजना

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) के दो उद्देश्य थे : द्वितीय महायुद्ध और देश के विभाजन के कारण उत्पन्न भाषिक असंतुलन को ठीक करना और साध-ही-साध सर्वांगीण सन्तुलित विकास की प्रक्रिया शुरू करना जिससे निरन्तरधारक रूप से राष्ट्रीय भाष में वृद्धि हो और कालान्तर में जीवन स्तर में सुधार हो। चूंकि 1951 में देश को बड़े पैमाने पर अन्न भाषात करना पड़ा और धर्म-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ा इसलिए योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई और बिजली परियोजना सहित कृषि को दी गई। इनके विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के 2,069 करोड़

₹० के कुल परिव्यय का (जो बाद में बढ़ाकर 2,378 करोड़ ₹० कर दिया गया) 44.6 प्रतिशत रखा गया। इस योजना का लक्ष्य निवेश-दर को राष्ट्रीय आय के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 7 प्रतिशत करना भी था।

### दूसरी योजना

1954 में लोक सभा ने घोषित किया कि आर्थिक नीति का व्यापक उद्देश्य 'समाज के समाजवादी ढांचे' के लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए। इस ढांचे के अन्तर्गत प्रगति की रूपरेखा निर्धारित करने की आधारभूत कसौटी निजी मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ और आय तथा सम्पत्ति में अधिकतम समानता होनी चाहिए। इसलिए दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61) में भारत में अन्ततः समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की दिशा में विकास-ढांचे को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किए गए। इस योजना में विशेष रूप से इस बात पर बल दिया गया कि आर्थिक विकास का अधिकाधिक लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम साधन-प्राप्त वर्गों को मिले और आय, सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति के गिने चुने हाथों में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति में लगातार कमी हो।

दूसरी योजना के मुख्य उद्देश्य थे : (1) राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत वृद्धि; (2) आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए तेजी से औद्योगीकरण; (3) रोजगार के अवसरों में वृद्धि; और (4) आय और सम्पत्ति की विषमताओं में कमी तथा आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण। इस योजना का लक्ष्य 1960-61 तक निवेश-दर को राष्ट्रीय आय के लगभग 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 11 प्रतिशत करना था। योजना में औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया। अतः लोहे तथा इस्पात और नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों सहित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि और भारी इंजीनियरी तथा मशीन उद्योग के विकास पर जोर दिया गया।

### तीसरी योजना

तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66) का मुख्य उद्देश्य देश को विकास की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ाना था। इसके तात्कालिक लक्ष्य थे : (1) राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की वृद्धि करना और साथ ही ऐसे निवेश का ढांचा तैयार करना कि यह वृद्धि-दर आगामी योजना अवधियों में बनी रहे; (2) छायाओं में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और कृषि उत्पादन बढ़ाना जिससे उद्योग तथा निर्यात की जरूरतें पूरी हो सकें; (3) इस्पात, रसायनों, ईंधन और बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना और मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करना ताकि आगामी लगभग 10 वर्षों में औद्योगीकरण की भावी मांगों को मुख्यतः देश के धरने साधनों से पूरा किया जा सके; (4) देश की जन-शक्ति के साधनों का पूरा उपयोग करना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार करना; तथा (5) अवसरों की समानता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना, आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना और आर्थिक शक्ति का और अधिक समान वितरण करना। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि करके 1960-61 में 14,500 करोड़ ₹० से बढ़ाकर 1965-66 तक 19,000 (1960-61 के मूल्यों पर) करोड़ ₹० करना और प्रति व्यक्ति आय में लगभग 17 प्रतिशत वृद्धि करके 330 ₹० से 385 ₹० करने की योजना थी।

### वार्षिक योजनाएं

1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न स्थिति, दो साल के लगातार भीषण सूखे, मुद्रा अवमूल्यन, मूल्यों में आम वृद्धि और योजना के लिए उपलब्ध साधनों में कमी के कारण

चौथी योजना को अन्तिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए 1966-69 के बीच चौथी योजना के मसौदे को ध्यान में रखते हुए तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इनमें तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया। इस अवधि में अर्थ-व्यवस्था की स्थिति और योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी के कारण विकास परिव्यय कम रहा।

### चौथी योजना

चौथी योजना (1969-70 से 1973-74) का सक्षय स्थिरतापूर्वक विकास की गति को तेज करना, कृषि के उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना तथा विदेशी सहायता की प्रतिनिवृत्तताओं के दुष्प्रभाव को घटाना था। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा करना था, जिनसे समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन भी मिले। योजना में—विशेषकर रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था के जरिए—कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की दशा को सुधारने पर विशेष बल दिया गया। इस योजना में सम्पत्ति, धन्य और भाषिक शक्ति का अधिकधिक लोगों में प्रसार करने और उच्च चन्द हाथों में केन्द्रित होने से रोकने के प्रयत्न भी किए गए।

योजना का सक्षय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को जो 1969-70 में 1968-69 के मूल्यों पर 29,071 करोड़ ₹० था, बढ़ाकर 1973-74 में 38,306 करोड़ ₹० करने का था। इसका अर्थ था कि 1960-61 के मूल्यों पर 1968-69 के 17,351 करोड़ ₹० के उत्पादन को 1973-74 में 22,862 करोड़ ₹० कर दिया जाए। विकास की प्रस्तावित औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी।

### पांचवी योजना

पांचवी योजना (1974-75 से 1977-78) ऐसे समय बनाई गई थी जबकि अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव अत्यधिक था। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे : आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और गरीबी को रोकना से नीचे रह रहे लोगों के उपभोग-स्तर को ऊपर उठाने के उपाय करना। पांचवी योजना में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने और भाषिक स्थिति में स्थिरता लाने को भी उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय धन्य में वार्षिक वृद्धि की दर 5.5 प्रतिशत रखी गई थी। पांचवी योजना की अवधि से सम्बद्ध चार वार्षिक योजनाएं पूरी हो जाने के बाद यह निर्णय किया गया कि वार्षिक योजना 1977-78 की समाप्ति के साथ ही पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी जाए और अगले पांच वर्षों के लिए नयी प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों के साथ एक नई योजना के लिए काम शुरू किया जाए।

### छठी योजना

आयोजना के पिछले तीन दशकों की उपलब्धियों और कमियों को ध्यान में रखकर छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) तैयार की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था—गरीबी दूर करना। हालांकि यह भी स्वीकार किया गया था कि इतना बड़ा काम पांच वर्ष की छोटी-सी अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता।

इस योजना के लिए ऐसी नीति अपनायी गई थी जिससे कृषि और उद्योग क्षेत्रों क्षेत्रों की संरचना सुदृढ़ हो ताकि पूंजी निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके और इस उद्देश्य से तैयार किए गए विशेष कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण और अंतर्गत क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों

में वृद्धि हो जिससे लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। सभी संबद्ध समस्याओं को अलग-अलग की बजाय समेकित रूप में सुलझाने, प्रबन्ध दक्षता बढ़ाने, सभी क्षेत्रों का गहन पर्यवेक्षण करने और स्थानीय स्तर की विशेष विकास परियोजनाओं में लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने तथा इन परियोजनाओं के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया था।

छठी योजना पर वास्तविक व्यय (वर्तमान कीमतों के अनुसार) 109,291.7 करोड़ रुपये हुआ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड़ रुपये (1979-80 के मूल्यों पर) की राशि निर्धारित की गई थी। कहने भर के लिए यह वृद्धि 12 प्रतिशत है। छठी योजना की औसत वार्षिक वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत बैठती है। यह योजना के लक्ष्य के बराबर है।

### सातवीं योजना

सातवीं योजना (1985-86 से 1989-90) में ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है जिनके जरिए, भारतीय योजना के आधारभूत सिद्धांतों यानी विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर चलते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी। सातवीं योजना में उत्पादन बढ़ाने वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है ताकि गांवों और कस्बों से गरीबी हटाई जा सके और वहां के निवासियों का जीवन-स्तर सुधारा जा सके। उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि होने से पूंजी-प्रधान तथा संसाधन प्रधान वस्तुएं तथा सेवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इनमें से अधिकांश का उपयोग अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है। इससे स्वदेशी बाजार का विस्तार होगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के समक्ष टिकने में सक्षम होगी। साथ ही औद्योगिक योजना तैयार करते समय नई सुविधाएं जुटाने के लिए भारी पूंजी लगाने के स्थान पर औद्योगिक क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने और उपलब्ध सुविधाओं की क्रियाशीलता बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल 180,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें विकास के लिए रखी गई मीजूदा 25,782 करोड़ रुपये तथा कुल निवेश की 154,218 करोड़ रुपये की राशियां शामिल हैं। सातवीं योजना के दौरान उत्पादन लागत के आधार पर, कुल घरेलू उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। यह छठी योजना की वृद्धि-दर के अनुरूप तथा पिछले दशक के औसत से कुछ अधिक है। सातवीं योजना के दौरान, वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात जो बाजार भाव पर कुल घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा योजनावधि में कुल निवेश के संबंध को दर्शाता है 5 प्रतिशत के इर्द-गिर्द रहने की आशा है।

### योजना में परि- व्यय और निवेश

पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए क्रमशः 2,378 करोड़ ₹०, 4,800 करोड़ ₹० तथा 7,500 करोड़ ₹० के परिव्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविक खर्च क्रमशः 1,960 करोड़ ₹०, 4,672 करोड़ ₹० तथा 8,577 करोड़ ₹० हुआ। निर्जल क्षेत्र का पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में विनियोग 1,800 करोड़ ₹०, 3,100 करोड़ ₹० और 4,190 करोड़ ₹० था। तीनों वार्षिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के लिए

कुल 6,625 करोड़ रुपये खर्चे गए। धारम्भ में चौथी योजना के लिए 24,822 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था। इसमें सरकारी क्षेत्र के लिए 15,902 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित थी। चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र का वास्तविक खर्च अनुमानतः 15,779 करोड़ रुपये था। पांचवीं योजना में 39,322 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में लगभग 27,049 करोड़ रुपये का परिव्यय था। पांचवीं योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र पर वास्तविक खर्च 39,426 करोड़ रुपये था। पूंजी निवेश की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करके 1979-80 की योजना में सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के लिए 12,601 करोड़ रुपये खर्चे गए जबकि इस दौरान वास्तविक खर्च 12,176 करोड़ रुपये हुआ।

छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड़ रुपये खर्चे गए थे, जबकि वास्तविक व्यय 109,291.7 करोड़ रुपये हुआ।

छठी योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के योजना-व्यय की वृद्धि सारणी 14.1 में दर्शायी गई है।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 180,000 करोड़ रुपये खर्चे गए हैं। 1985-86 का योजना व्यय 32,238.56 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था जब कि संगोषित व्यय राशि 34,218.2 करोड़ रुपये हो गई। 1986-87 के लिए बजट की अनुमानित राशि 39051.5 करोड़ रुपये है। सातवीं योजना का विवरण सारणी 14.2 में दिया गया है।

#### उत्पादन

1950-51 से 1984-85 की अवधि के दौरान, उत्पादन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की राष्ट्रीय भाय 1970-71 के मूल्यों पर 16,731 करोड़ रुपये से बढ़कर 57,014 करोड़ रुपये हो गयी अर्थात् संयुक्त वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत वार्षिक से अधिक रही। प्रथम योजना-अवधि (1951-56) के दौरान राष्ट्रीय भाय में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् 2.1 प्रतिशत वार्षिक की लक्ष्य दर की तुलना में 3.6 प्रतिशत वार्षिक की संयुक्त वृद्धि दर रही। द्वितीय योजना-अवधि (1956-61) के दौरान राष्ट्रीय भाय में 4.5 प्रतिशत वार्षिक की प्रत्याशित वृद्धि की तुलना में 4 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गयी। तीसरी योजना-अवधि (1961-66) के दौरान राष्ट्रीय भाय की वृद्धि दर में भारी कमी हुई और 5.6 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य वृद्धि दर की तुलना में मात्र 2.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही। यह कमी मूलतः कृषि उत्पादन में भारी गिरावट तथा इसके परिणाम स्वरूप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में तीसरी योजना के अंतिम वर्ष से 5.9 प्रतिशत की गिरावट की वजह से हुई। फिर भी, अनुषंगी तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और 1966-69 के दौरान राष्ट्रीय भाय की वृद्धि दर 4 प्रतिशत वार्षिक प्रांकी गयी।

जब कि चौथी योजना (1969-74) के दौरान राष्ट्रीय भाय की वृद्धि दर कुछ घटकर 3.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर आ गई, पांचवीं योजना (1974-79) के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। 1979-80 में



छठी योजना में परिव्यय की प्रगति: केन्द्र, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश

विभाग की मद	छठी योजना का परिव्यय		वार्षिक योजना 1980-81 (वास्तविक)		वार्षिक योजना 1981-82 (वास्तविक)		वार्षिक योजना 1982-83 (वास्तविक)		वार्षिक योजना 1983-84 (संशोधित-प्राक्कल्प)		वार्षिक योजना 1984-85 योजना-परिव्यय		छठी योजना कुल (वास्तविक)
	1	2	3	4	5	6	7	8					
1. कृषि	5,695.1	981.5	1,129.4	1,261.0	1,427.0	1,824.6	6,623.5						
2. ग्रामीण विकास	5,363.7	1,040.2	1,100.9	1,295.8	1,497.9	2,062.0	6,996.8						
3. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,480.0	206.4	258.5	335.1	356.8	423.5	1,580.3						
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	12,160.0	1,777.3	1,948.4	2,105.2	2,445.4	2,653.6	10,929.9						
5. ऊर्जा	26,535.4	3,828.0	5,064.9	6,409.6	7,276.6	8,172.2	30,751.3						
क. विजली	19,265.4	2,656.8	3,182.3	3,708.5	4,092.5	4,658.5	18,298.6						
ख. ऊर्जा के नये स्रोत और बरतन हेतु नये स्रोत	100.0	4.3	13.9	22.5	32.7	88.7	163.1						
ग. पर्यटन	4,300.0	735.2	1,204.8	1,823.1	2,197.8	2,521.2	8,482.1						
घ. कोयला	2,870.0	431.7	663.9	855.5	952.6	903.8	3,807.5						
च. ऊर्जा विकास	15,017.6	2,194.5	2,777.9	3,075.3	3,916.4	4,983.4	16,947.5						
6. खनिज और उद्योग	1,780.5	273.2	322.9	326.1	402.6	620.3	1,945.1						
क. ग्रामीण और लघु उद्योग	13,237.1	1,921.3	2,360.0	2,709.2	3,478.8	4,321.1	14,790.4						
ख. बड़े और मझोले उद्योग	12,412.0	2,163.0	2,583.1	2,752.8	3,075.8	3,633.7	6,586.7						
ग. प्रल्प	5,100.0	973.0	1,210.0	1,319.5	1,419.6	1,664.6	14,208.4						
7. परिवहन	7,312.0	1,190.0	1,373.1	1,433.3	1,656.2	1,969.1	7,621.7						
क. रेल													
ख. प्रल्प													

1	2	3	4	5	6	7	8
8. अंतर वन सूचना और अंतर	3,134.3	356.7	576.1	674.5	864.5	997.4	3,469.5
9. विनाश और लक्ष्मी	865.2	97.4	143.3	209.1	228.5	339.1	1,020.4
10. सामाजिक सेवाएं	14,035.2	2,074.0	2,437.2	2,950.2	3,834.7	4,569.9	15,916.6
क. शिक्षा	2,523.7	339.5	435.7	538.6	697.8	965.0	2,976.6
ख. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	2,831.0	411.5	530.4	675.2	853.1	942.0	3,412.2
ग. आवास और शहरी विकास	2,488.4	477.3	488.1	507.3	656.9	709.5	2,839.1
घ. अन्य सामाजिक सेवाएं	6,192.1	846.3	1,033.0	1,229.1	1,626.9	1,953.1	6,688.7
11. अन्य	801.5	112.8	136.2	215.0	163.9	219.6	847.5
12. शेष (1 से 11)	97,500.0	14,832.4	18,210.9	21,282.9	25,087.5	29,878.0	1,09,291.7
क. राष्ट्रीय योजनाएं	47,250.0	(15,023.4)	(18,372.9)	(21,724.9)	(25,313.6)	30,032.5	(1,10,467.3)
ख. राज्य योजनाएं	48,600.0	7,049.3	9,197.0	11,284.9	13,644.0	16,650.0	57,825.2
ग. केंद्र शामिल प्रदेशों की योजनाएं	1,650.0	(7,718.5)	(8,829.3)	(10,029.8)	(11,220.9)	12,681.8	49,458.2
घ. बाउंडरी में दिये गये धाकड़ों में के व्यय (1980-81 में 191 करोड़ ₹०, 1981-82 में 162 करोड़ ₹०, 1982-83 में 442 करोड़ ₹०, 1983-84 में 26 करोड़ ₹० तथा 1984-85 में 154.5 करोड़ ₹०) शामिल हैं जो आर्थिक विषयों से प्राप्त धुआँके के लिए राष्ट्रीय कृषिसेवा से किये गये।		235.6	347.6	410.2	448.7	546.2	2,008.3

क. बाउंडरी में दिये गये धाकड़ों में के व्यय (1980-81 में 191 करोड़ ₹०, 1981-82 में 162 करोड़ ₹०, 1982-83 में 442 करोड़ ₹०, 1983-84 में 26 करोड़ ₹० तथा 1984-85 में 154.5 करोड़ ₹०) शामिल हैं जो आर्थिक विषयों से प्राप्त धुआँके के लिए राष्ट्रीय कृषिसेवा से किये गये।

• सर्वेक्षण और डेटा एनलिसिस (एन-टी-एच) पर खर्च किये गये 2.85 करोड़ ₹० शामिल नहीं हैं।

यद्यपि उससे पिछले वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय आय में फिर 5.2 प्रतिशत की गिरावट आई, पर 1980-81 (छठी योजना के पहले वर्ष) में 7.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उसके बाद 1981-82 में 5.1 प्रतिशत, 1982-83 में 2.4 प्रतिशत, 1983-84 में 7.8 प्रतिशत और 1984-85 में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह छठी योजनावधि के दौरान 5.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्धारित लक्ष्य (5.2 प्रतिशत प्रति वर्ष) की तुलना में कुछ अधिक है।

1969-70 में समाप्त हो रही त्रिवार्षिकी को आधार मानकर कृषि उत्पादन का सूचकांक प्रथम योजना की समाप्ति पर 71.9 से बढ़कर दूसरी योजना की समाप्ति पर 86.7 हो गया। तीसरी योजनावधि में कृषि उत्पादन बहुत संतोषजनक नहीं रहा। 1965-67 के दौरान काफी बड़े क्षेत्रों में फले सूखे से कृषि उत्पादन की वृद्धि दर मंद पड़ गयी जिससे खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं का काफी आयात करना पड़ा। कृषि उत्पादन का सूचकांक 1965-66 में 80.8 तथा 1966-67 में 80.7 रहा। सूखे के इन वर्षों के दौरान ही भारत में सर्वप्रथम ज्यादा उपज वाली किस्मों (हाई यील्डिंग वैरायटीज) तथा बहु-फसल योजनाओं के रूप में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कृषि टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई। आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ और परिणामस्वरूप सूचकांक 1967-68 में सुधर कर 98.9 प्वाइंट हो गया तथा निश्चित तथा क्रमिक वृद्धि से 1973-74 में 112.4 हो गया। 1974-75 का वर्ष कृषि के लिए फिर बुरा रहा तथा सूचकांक गिर कर 108.6 हो गया। इसके बाद 1975-76 में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा सूचकांक 125.1 तक पहुंच गया। 1976-77 में सूचकांक में 8.8 प्वाइंट की कमी हुई तथा वह 116.3 पर पहुंच गया लेकिन फिर तेजी से बढ़कर 1977-78 में 132.9 तथा 1978-79 में 138.0 हो गया। वर्ष 1979-80 में 21 प्वाइंट की गिरावट आयी तथा कृषि उत्पादन का सूचकांक गिर कर 117 पर आ गया। सूचकांक फिर सुधर कर 1980-81 में 135.3 तथा 1981-82 में 142.9 हो गया। 1982-83 में मानसून की अनियमितता के कारण खरीफ उत्पादन पर बुरा असर पड़ा। इस वर्ष मानसून अपर्याप्त, असमान तथा असमय रहा। फिर भी, खाद्यान्न उत्पादन में मामूली गिरावट आयी जो उत्पादन सूचकांक में 5.4 प्वाइंट की गिरावट से व्यक्त होती है। 1983-84 में कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह वर्ष मौसम की स्थितियों के विचार से लगभग सामान्य वर्ष था। कृषि उत्पादन का सूचकांक 1982-83 के 137.5 से बढ़कर 1983-84 में 156.4 हो गया तथा खाद्यान्नों का उत्पादन 15.237 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया। 1984-85 में मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं। परिणामस्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन घटकर 14 करोड़ 62 लाख टन हुआ। कृषि उत्पादन का सूचकांक भी घटकर 155.0 तक पहुंच गया। 1985 की खरीफ की फसल के दौरान मध्य और उत्तरी राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन में देरी हो गई और कई राज्यों में इसके आगमन के बारे में अनि-

रिचतता बनी रही। परन्तु रबी की फसल के दौरान मौसम लगभग अनुकूल ही रहा। फलस्वरूप 1985-86 के दौरान खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन 15.047 करोड़ टन तक पहुँच गया।

1950-51 में देश में कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2.09 करोड़ हेक्टेयर था जो पहली योजना के अन्त तक बढ़कर 2.28 करोड़ हेक्टेयर, दूसरी योजना के अन्त तक 2.47 करोड़ हेक्टेयर, तीसरी योजना के अन्त तक 2.63 करोड़ हेक्टेयर और 1968-69 में 2.90 करोड़ हेक्टेयर हो गया। चौथी योजना के अन्त में कुल सिंचित क्षेत्र 3.25 करोड़ हेक्टेयर था और 1978-79 में इसके 3.81 करोड़ हेक्टेयर हो जाने का अनुमान था। कुल सिंचित क्षेत्र 1980-81 में 4.99 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 1981-82 में 5.16 करोड़ हेक्टेयर तथा 1982-83 में 5.20 करोड़ हेक्टेयर हो गया।

कुल स्थापित उत्पादन क्षमता, जो 1950 में केवल 2.300 मेगावाट थी, मार्च 1985 के अंत तक बढ़कर 46,681 मेगावाट हो गई। सातवीं योजना में जीवनोपयोगी सेवाओं की स्थापित क्षमता में वृद्धि का लक्ष्य 22245 मेगावाट है। इसमें से 4223 मेगावाट की वृद्धि 1985-86 के दौरान हुई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 1985 के अंत तक कुल 5 लाख 76 हजार गांवों में से 3 लाख 69 हजार गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी थी। 1985-86 के दौरान 19909 गांवों में बिजली पहुंचाई गई।

मार्च 1985 तक देश में कार्याशील पम्पसेटों की संख्या 57 लाख थी। वर्ष 1985-86 में 4.43 लाख पम्पसेट चालू किए गए।

औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र में, विशेष रूप से दूसरी योजना के भारम्भ से भारी निवेशों के कारण उद्योगों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इस दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर कभी कम और कभी अधिक रही। प्रारम्भिक 14 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर लगभग भाठ प्रतिशत रही। उसके बाद यह दर घटती बढ़ती रही और 1966-68 में लगभग स्थिर रही तथा 1976-77 में 9.6 प्रतिशत तक हो गयी। 1979-80 में यह घट कर 1.4 प्रतिशत हो गयी। पिछले दशक (1970-71 से 1979-80) में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 4 प्रतिशत बायिक रही। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में औद्योगिक क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 6 प्रतिशत रही जो पिछले पांच वर्षों के 5.3 प्रतिशत के औसत से मामूली अधिक थी।

सातवीं योजना में उद्योग क्षेत्र में उत्पादन में 8.7 प्रतिशत औसत बायिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजना के प्रथम वर्ष 1985-86 के लिए 7 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रही। कुल मिलाकर उद्योग क्षेत्र की उपलब्धि, घाम तौर पर पिछले वर्षों की उपलब्धियों की तुलना में संतोषजनक रही।

1985-86 में सरकार ने औद्योगिक विकास के मार्ग में घाने वाली प्रवृत्तियों को दूर करने तथा विक्रम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से घनेक उपाय किए। इनमें क्षमता पुनर्पुष्टीकरण योजना, उद्योगों को लाइसेंस संबंधी छूट, एकाधिकार तथा प्रतिवधित व्यापार गतिविधियों में संबंधित अधिनियम के अंतर्गत

आने वाले उद्योगों सहित 65 चुनींदा उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना तथा कपड़ा, चीनी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विशेष उद्योगों से संबंधित योजना शामिल है। हालांकि इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिलने में कुछ और समय लगेगा, फिर भी नीतियों और कार्य-प्रणालियों को उदार बनाए जाने के फलस्वरूप आज देश में, पूंजी-निवेश के क्षेत्र में काफी उत्साहजनक वातावरण बन गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आशा की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में उद्योगों का और अधिक विकास होगा।

पिछले तीन दशकों के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1950-51 में शैक्षिक संस्थाओं की संख्या 231,278 थी। 1984-85 में यह संख्या बढ़कर 7,55,135 हो गई।

प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा एक से आठ) के क्षेत्र में 1984-85 में विद्यालयों में 11 करोड़ 21 लाख 6 हजार विद्यार्थी भर्ती थे, इनमें 6 करोड़, 86 लाख, 66 हजार लड़के और 4 करोड़, 34 लाख, 40 हजार लड़कियां थीं। यह 6-14 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या का 77.62 प्रतिशत (93.22 प्रतिशत लड़के और 61.38 प्रतिशत लड़कियां) है। अध्ययन संबंधी सुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ, जनता में साक्षरता की दर 1951 में 16.67 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 36.17 प्रतिशत हो गई। इसके बावजूद 1981 में निरक्षरों की संख्या 43 करोड़ 70 लाख से भी अधिक थी। छठी योजना के अनुसार 1990 तक, 15-35 आयु वर्ग के सभी लोगों को प्रारंभिक शिक्षा देने तथा प्रौढ़ निरक्षरता दूर करने की व्यवस्था की जा रही है।

#### सारणी-14.2

सातवीं योजना (1985-90) में परिव्यय : केन्द्र, राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश

(करोड़ रूपयों में)

क्र० सं०	विकास की मद	सातवीं योजना का व्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 संशोधित अनुमान	वार्षिक योजना 1986-87 योजना व्यय
1	2	3	4	5
1.	कृषि	10,573.6	2,006.9	2,202.8
2.	ग्रामीण विकास	9,074.2	2,136.8	2,505.3
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3,144.7	464.3	597.1
4.	सिंचाई और वाढ़ नियंत्रण	16,978.6	2,838.5	3,192.7

1	2	3	4	5
5.	ऊर्जा . . .	54,821.3	9,951.3	11,922.1
	क. विजली . . .	34,273.5	5,718.8	7,405.7
	ख. ऊर्जा के नए तथा पुनः उपयोग में लाए जा सकने योग्य स्रोत	519.5	133.6	119.9
	ग. पेट्रोल . . .	12,627.7	3,101.3	3,216.0
	घ. कोयला . . .	7,400.6	997.4	1,179.8
	ङ. ऊर्जा विकास . . .	—	0.2	0.7
6.	उद्योग और खनिज	22,460.8	5,615.4	5,414.9
	क. ग्रामीण तथा छोटे उद्योग . . .	2,752.7	540.5	606.1
	ख. बड़े और मध्यम उद्योग . . .	19,708.1	5,034.9	4,773.8
	ग. अन्य . . .	—	40.0	35.0
7.	परिवहन . . .	22,971.0	4,402.0	5,197.7
	क. रेल . . .	12,334.6	2,050.0	2,650.1
	ख. अन्य . . .	10,636.4	2,352.0	2,547.6
8.	संचार तथा सूचना और प्रसारण . . .	6,472.5	1,189.3	1,252.6
9.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी . . .	2,466.0	421.2	529.0
10.	सामाजिक सेवाएं	29,350.5	4,906.2	5,809.7
	क. शिदात . . .	6,382.7	983.1	1,297.4
	ख. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	6,649.2	1,088.7	1,224.2
	ग. आवास और शहरी विकास . . .	4,259.5	751.7	859.2
	घ. अन्य सामाजिक सेवाएं . . .	12,059.1	2,082.7	2,428.9
11.	अन्य . . .	1,686.8	286.3	427.6

1	2	3	4	5
12. योग (1 से 11)		1,80,000.0	34,218.2	39,051.5
क. केन्द्रीय योजना		95,534.0	20,094.0	22,300.0
ख. राज्य योजनाएं		80,698.0	13,481.6	16,878.8
			(13,842.8)	
ग. केन्द्र शासित प्रदेश योजनाएं		3,768.0	642.6	872.7

## कार्यक्रम क्रियान्वयन

कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का गठन 25 सितम्बर 1985 को किया गया था। इस नये मंत्रालय का काम :

- (क) अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों की कार्यकुशलता,
- (ख) वीस करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं, और
- (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन देखना है।

## अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों में प्रगति

अर्थव्यवस्था के सभी नौ क्षेत्रों—विजली, कोयला, इस्पात, रेल, जहाजरानी दूरसंचार, सीमेन्ट, उर्वरक और पेट्रोलियम में पिछले वर्ष के मुकाबले काफी प्रगति हुई। अतिरिक्त क्षमताओं को व्यवस्थित करने और वर्तमान क्षमताओं के बेहतर इस्तेमाल से यह सम्भव हुआ है।

देश में ताप विजलीघरों की कार्यकुशलता कुल मिलाकर वर्ष 1984-85 के मुकाबले बेहतर थी। 1985-86 में अखिल भारतीय थर्मल प्लान्ट लोड फैक्टर 54.4 प्रतिशत था, जो कि इस वर्ष के लक्ष्य 50 प्रतिशत और 1984-85 में 50.1 प्रतिशत की उपलब्धि के मुकाबले ज्यादा है। ताप विजली घरों में अनिवार्य क्षति 1985-86 में 17.86 प्रतिशत रही जोकि 1984-85 में 24.1 प्रतिशत के मुकाबले बेहतर थी।

कोयले का उत्पादन 154.2 मीट्रिक टन रहा जो कि 154.5 मीट्रिक टन के लक्ष्य से मामूली कम है। वी० सी० सी० एल० को छोड़कर, कोल इण्डिया लिमिटेड, सभी सहायक निगमों में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि होने के कारण कोयले का कुल उत्पादन लक्ष्य को पार कर गया। 1985-86 के अन्त में कोल इण्डिया लिमिटेड के पिट हैड का भण्डार 28.1 मीट्रिक टन था जोकि 1984-85 के अन्त में कुल भण्डार 28.31 मीट्रिक टन जितना ही है। वर्ष 1984-85 के मुकाबले स्टील

टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई राशियों में 1985-86 में केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिए चलाए गए कार्यों का व्यय (361.2 करोड़ रुपये) भी शामिल है।

भयारिटी घाफ इण्डिया लिमिटेड में गर्म धातु का उत्पादन 11.3 प्रतिशत बढ़ गया जबकि बिन्नी योग्य स्टील और बिन्नी योग्य पिग आयरन के उत्पादन में क्रमशः 13.6 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान अतिरिक्त क्षमताओं को व्यवस्थित करने और क्षमता के बेहतर इस्तेमाल से यह सम्भव हुआ। 1985-86 में बिन्नी योग्य इस्पात उत्पादन के रूप में क्षमता का कुल इस्तेमाल 79 प्रतिशत रहा जबकि 1984-85 में यह 73 प्रतिशत था। 1985-86 के अन्त में स्टील भयारिटी घाफ इण्डिया के संयंत्रों और भण्डारों में बिन्नी योग्य इस्पात का कुल भण्डार 6.61 लाख टन रहा। जबकि 1984-85 के अन्त में यह केवल 6.05 लाख टन ही था।

वर्ष 1985-86 के दौरान माल की ढलाई से प्राप्त राजस्व में भी वृद्धि हुई है। 1985-86 में 250 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 258.1 मीट्रिक टन और 1984-85 में 236.43 मीट्रिक टन माल बोया गया।

वर्ष 1985-86 में प्रमुख बन्दरगाहों पर कुल माल के व्यापार में भी वृद्धि हुई है। इन बन्दरगाहों पर 120.81 मीट्रिक टन कोयले को बोया गया जबकि 1984-85 में यह उपलब्धि 106.7 मीट्रिक टन रही।

वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन और चुने हुए क्षेत्रों (महानगर एवं प्रमुख टेलीफोन जिलों और अन्य राज्यों की राजधानियों) में नये टेलीफोन कनेक्शन देने का काम सन्तोषजनक रहा।

1985-86 में नाइट्रोजन और फास्फेटयुक्त उर्वरकों का उत्पादन 1984-85 के मुकाबले अधिक रहा। 1985-86 में, उर्वरक उद्योग द्वारा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के लिए 75.4 प्रतिशत और फास्फेटयुक्त उर्वरक के लिए 90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया। 1985-86 में सीमेंट का उत्पादन 33.1 मीट्रिक टन रहा जोकि 1984-85 के मुकाबले 9.7 प्रतिशत अधिक था।

## परियोजना क्रियान्वयन

इस क्षेत्र की कार्यक्षमता कुल मिलाकर सन्तोषजनक रही। 1985-86 के अन्त में 264 केन्द्रीय परियोजनाओं (20 करोड़ रुपये और इससे अधिक की परियोजना) पर काम चल रहा था जिनकी अनुमानित कुल लागत 64,448 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएँ 13 मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक निष्पन्न में हैं। गहन देख-रेख के लिए इन परियोजनाओं को तीन भागों में बाटा गया है। ये हैं - बृहत (1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाली), बड़ी (100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा लागत वाली लेकिन 1,000 करोड़ रुपये से कम लागत वाली) और मझौली (20 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाली परन्तु 100 करोड़ रुपये से कम लागत वाली)।

परियोजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रमुख समस्याओं को सुनजाने में मंत्रालय की मदद के लिए राष्ट्रीय मलाहकार परिषद ने काम करना शुरू कर दिया है और प्राप्ता है 1986-87 के अन्त तक यह अपनी मिकाओं प्रस्तुत कर देगी।



20-सूत्री कार्यक्रम वर्तमान 20-सूत्री कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। यह नया कार्यक्रम 1 अप्रैल 1987 से लागू किया जाएगा। 1986 के कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन विषयों को शामिल किया गया है वे हैं :

- (1) ग्रामीण निर्धनता का उन्मूलन
- (2) वारानी खेती के लिए योजना
- (3) सिंचाई साधनों का बेहतर इस्तेमाल
- (4) अधिक फसलें
- (5) भूमि सुधारों को लागू करना
- (6) ग्रामीण मजदूरों के लिए विशेष कार्यक्रम
- (7) शुद्ध पेयजल
- (8) सभी के लिए स्वास्थ्य
- (9) दो बच्चों का परिवार
- (10) शिक्षा का प्रसार
- (11) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय
- (12) महिलाओं के साथ समानता
- (13) युवाओं के लिए नये अवसर
- (14) लोगों के लिए आवास
- (15) गन्दी वस्तियों का सुधार
- (16) वानिकी के लिए नयी योजना
- (17) पर्यावरण की सुरक्षा
- (18) उपभोक्ता के बारे में चिन्ता ]
- (19) गांव के लिए ऊर्जा, और
- (20) संवेदनशील प्रशासन ।

1985-86 के दौरान इन क्षेत्रों में उपलब्धि हुई :

- (1) वारानी खेती
- (2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
- (3) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
- (4) अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता
- (5) अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता
- (6) पेयजल
- (7) घर बनाने के लिए जमीन का आवंटन
- (8) गृहनिर्माण में सहायता
- (9) गन्दी वस्तियों में सुधार
- (10) पम्पसेटों को चालू करना
- (11) वृक्षारोपण; और
- (12) वायुमैस संयंत्र ।

आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमरा: पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रयासों ने कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। इन क्षेत्र द्वारा श्रमिकों की 60 प्रतिशत जनसंख्या को आजीविका मिलती है। इसका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में 37 प्रतिशत योगदान है तथा देश के निर्यातों में भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। गैर-कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तुएं तथा अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि पदार्थों को लाने-ले-जाने, इनका विपणन, उपयोग, इनसे अन्य सामान बनाने तथा कृषि उत्पादन के अन्य पहलुओं का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

1985 में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 463 ग्राम प्रतिदिन तक पहुंच गई, जबकि 1950 के दशक में यह मात्रा 395 ग्राम थी। उर्वरकों की कुल खपत में, अमरीका, रूस और चीन के बाद भारत का विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में दलहन फसलों के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में ही है। कपास के क्षेत्र में, भारत कपास की संकर किस्म बनाने वाला विश्व का पहला देश है। क्षीमा बीज उत्पादन और मोती प्राप्त करने में देश ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत विश्व के एक प्रमुख क्षीमा निर्यातक देश के रूप में अपनी स्थिति बनाना चाहता है।

1949-50 से 1984-85 के बीच कृषि उत्पादन की समग्र वृद्धि दर 2.63 प्रतिशत वार्षिक रही। इन अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह 1949-50 में 5.49 करोड़ टन था, जो 1984-85 में 14.55 करोड़ टन हो गया। फसलचक्र में अब बहुत परिवर्तन हो गए हैं और घरेलू मांग और निर्यात आवश्यकताओं के अनुरूप अब व्यावसायिक फसलों की खेती को प्रोत्साहन मिला है।

हल्लि क्रांति की बाद की अवधि में, अर्थात् 1967-68 से 1984-85 के बीच, कृषि उत्पादन में 2.66 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर आकी गई। इसी अवधि में खाद्यान्न उत्पादन 9.51 करोड़ टन से बढ़कर 14.55 करोड़ टन तक पहुंच गया। फसल चक्र में अब बहुत परिवर्तन आ गए हैं और गमियों के जोड़म में होने वाली मूंग, मूंगफली, सोयाबीन तथा मूजमुयी जैसे गैर-पारम्परिक फसलें धीरे-धीरे जोर पकड़ रही हैं। कुछ क्षेत्रों में खरीफ या रबी की फसलों के बाद जमीन में बाकी बची नर्मा का इस्तेमाल करके छोड़े से समय में तैयार होने वाली तांगरी फसल पैदा की जाती है। इस प्रकार दुर्लभ साधनों का अधिकतम उपयोग होता है।

इसी तरह घाघ तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1950 में 2.5 किलोग्राम से बढ़कर 1985 में 5.6 किलोग्राम हो गई। जनसंख्या के दबाव के बावजूद देश में उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति को नियन्त्रण में रखकर

उसे सुधारने में सफलता मिली है। इसके परिणामस्वरूप लोगों का जीवन-स्तर सुधारने में भी मदद मिली है।

1983-84 का कृषि-वर्ष वर्षा की दृष्टि से एक सबसे अच्छा वर्ष माना जा सकता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून और उसके बाद के मौसमों में उपयुक्त वर्षा के कारण अनाज का उत्पादन, विशेषकर धान, गेहूँ और मोटे अनाजों का उत्पादन इस वर्ष रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया। तिलहनों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अनाजों और तिलहनों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ। दूसरी ओर, गन्ना, कपास, जूट और मेस्टा जैसी अन्य नकदी फसलों का उत्पादन गिर गया क्योंकि इन फसलों के लिए उपयुक्त मौसम नहीं रहा। सारणी 15.1 में चुने हुए वर्षों में मुख्य फसलों का उत्पादन क्षेत्र, कुल उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज दर्शायी गयी है।

1984-85 वर्ष के लिए 15.36 करोड़ टन अनाज का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इस वर्ष वर्षा की स्थिति अनुकूल नहीं रही जिससे अनाज के उत्पादन को धक्का लगा और यह गिरकर 14.55 करोड़ टन रह गया। मक्का को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन स्तर 1983-84 की तुलना में 1984-85 में नाचे चला गया। परन्तु तिलहनों का उत्पादन योजना-लक्ष्य 130.0 लाख टन के करीब रहा। इसका मुख्य कारण रेपसीड, सरसों तथा सोयाबीन की रिकार्ड फसल होना था। जहाँ गन्ने का उत्पादन 1983-84 में 17.4 करोड़ टन की अपेक्षा गिरकर 17.0 करोड़ टन रह गया, वहीं कपास का उत्पादन 85.1 लाख गांठ के नये स्तर को छू गया।

1985-86 वर्ष में, दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिति एक धार फिर प्रतिकूल थी जिससे खरीफ की फसल और मोटे अनाजों तथा तिलहनों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मानसून के बाद के मौसम में काफी उपयोगी वर्षा हुई जिससे रबी की रिकार्ड फसल हुई। 1985-86 में अनाज का कुल उत्पादन 15.05 करोड़ टन आका गया है, जो 1984-85 के उत्पादन स्तर की तुलना में 0.5 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है।

चावल और गेहूँ का उत्पादन नये स्तर पर पहुँचा तो दालों के मामले में भी सराहनीय उपलब्धि रही। लेकिन, तिलहनों के उत्पादन में करीब 18 लाख टन की कमी आई। इसका मुख्य कारण गुजरात के महत्वपूर्ण मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा का होना था। रेशे वाली फसलों का उत्पादन (कपास, जूट और मेस्टा) वर्ष के दौरान अच्छा रहा, साथ ही गन्ने के उत्पादन में भी कुछ सुधार हुआ और इसका उत्पादन 17.2 करोड़ टन के स्तर पर आ गया।

### भूमि उपयोग

कुल 32.87 करोड़ हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में से 92.5 प्रतिशत क्षेत्र के भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। राज्यों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1982-83 में, कुल 6.72 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर वन लगे हैं, जबकि 1950-51 में यह क्षेत्र 4.05 करोड़ हेक्टेयर था। इसी अवधि में कुल वुआई क्षेत्र भी 11.9 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 14.2 करोड़ हेक्टेयर हो गया। फसलों के मोटे-मोटे प्रारूप से संकेत मिलता है कि हालांकि कुछ फसल क्षेत्रों में अनाज अन्य फसलों की

तुलना में सवमे अधक बोया जाता है, फिर भी 1950-51 के मुकाबले 1982-83 में इयका तुलनात्मक हिम्मा 76.7 प्रतिशत मे गिरकर 72.6 प्रतिशत हों गया ।

**योोजना व्यय**

छठी योजना (1980-85) पर सफनतापूर्वक झमल मे भारतीय अर्थतंत्र उच्च विकाम के रास्ते पर आने में सफल हुआ है । कुल मिलाकर, छठी योजना विकाम, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय की आकाशाओं को बनाये रखने और उन्हें और भी सुदृढ़ करने में काफी हद तक कामयाब रही है । छठी योजना के लिए 5.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर निर्धारित की गई थी । कुल मिलाकर यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, लेकिन कुछ कमियां भी रह गयीं । घास तोर से घनन और निर्माण के क्षेत्र मे, जो कि कृषि से अलग है । कृषि में अच्छी वृद्धि दर (मध्य 3.8 प्रतिशत के मुकाबले 4.3 प्रतिशत) मुख्य कारण थी, जिसमे लक्षित कुल वृद्धि दर हासिल की जा सकी । छठी योजना की विशेषता यह भी रही है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और कृषि क्षेत्र में जरूरी ढांचागत सुविधाएं पैदा की गईं ।

कृषि और सवद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विकान कार्यक्रमों को लागू करने के लिए छठी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय 12,539 करोड रुपया था । योजना में पहले चार वर्षों में वास्तविक व्यय 10,891 करोड रुपया था जो, कुल व्यय का 87 प्रतिशत था । 1984-85 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान से, योजना अवधि के दौरान कृषि और सवद्ध क्षेत्रों पर अनुमानित व्यय 15,004 करोड रुपया आता है जो स्वीकृत व्यय 12,539 करोड रुपये से 20 प्रतिशत अधिक है । सभी क्षेत्रों को मिलाकर, योजना अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय 97,500 करोड रुपया था । इसमें में 79,414 करोड रुपया पहले चार वर्षों में व्यय किया गया जो कुल निर्धारित व्यय का 81 प्रतिशत था । 1984-85 के संशोधित अनुमान को शामिल करने से योजना अवधि के दौरान अनुमानित व्यय, 1,09,646 करोड रुपया आता है जो कि 97,500 करोड रुपये के व्यय से 12 प्रतिशत अधिक है ।

सातवी योजना (1985-90) के मूल उद्देश्य विकास, आधुनिकीकरण, आत्म-निर्भरता और सामाजिक न्याय हैं । योजना में उन नीतियों और कार्यक्रमों पर-जोर दिया गया है, जिससे खाद्यान्न उत्पादन की गति तेज हो, रोजगार के अवसर बढ़ें और उत्पादकता में वृद्धि हो । सातवी योजना की विकास कार्यनीति का केन्द्रीय तत्व उत्पादक रोजगार पैदा करना है । योजना का लक्ष्य गरीबों में काफी कमी लाना और गांवों और नगरो में गरीबों के जीवन में सुधार लाना है । सातवी योजना की कार्यनीति की जरूरत है कि खाद्यान्न, घास तेलां, चीनी, कपड़ा आदि के उत्पादन को बढ़ाने की और विशेष ध्यान दिया जाए । योजना का लक्ष्य, पूर्वी क्षेत्र में चावल की उत्पादकता बढ़ाकर और वर्षों वाले तथा सूखे क्षेत्रों में धेती पर जोर देकर, हरित क्रांति का नये क्षेत्रों में विस्तार करना है । खाद्यान्न के उत्पादन में तीव्रतर वृद्धि, घासतौर से अधिकमिन क्षेत्रों में, के आधार पर टिकी विस्तृत घास सुरक्षा योजना, अनाजों का भंडारण और सार्व-जनिक वितरण सातवी योजना की मुख्य विशेषताएं हैं । सातवी योजना की

सारणी 15.1

भारत की प्रमुख फसलों का उत्पादन क्षेत्र, कुल उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज  
 फसल वर्ष (बुलाई से जून तक)

भारत 1986

	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86
फसल क्षेत्र	308.10	341.28	375.92	401.52	382.62	412.44	411.59	409.12
उत्पा०	205.76	345.74	422.25	536.31	471.16	600.97	583.37	641.53
उ०	668	1,013	1,123	1,336	1,231	1,457	1,417	1,568
क्षेत्र	97.46	129.27	182.41	222.79	235.67	246.72	235.65	230.74
उत्पा०	64.62	109.97	238.32	363.13	427.94	454.76	440.69	468.85
उ०	663	851	1,307	1,630	1,816	1,843	1,870	2,032
क्षेत्र	155.71	184.12	173.74	158.09	163.76	164.32	159.39	157.89
उत्पा०	54.95	98.14	81.05	104.31	107.53	119.19	114.02	101.23
उ०	353	533	466	660	657	725	715	641
क्षेत्र	90.23	114.69	129.13	116.57	109.42	118.32	106.19	106.89
उत्पा०	25.95	32.83	80.29	53.43	51.31	77.26	60.46	36.84
उ०	288	286	622	458	469	653	569	345
क्षेत्र	31.59	44.07	58.52	60.05	57.20	58.59	58.00	58.79
उत्पा०	17.29	40.80	74.86	69.57	65.49	79.22	84.42	68.90
उ०	547	926	1,279	1,159	1,145	1,352	1,456	1,172
क्षेत्र	782.30	920.18	1,017.82	1,042.10	1,022.62	1,076.21	1,039.36	1,032.44
उत्पा०	424.14	693.14	966.04	1,189.62	1,176.62	1,394.81	1,335.76	1,375.05
उ०	542	753	949	1,142	1,151	1,296	1,285	1,332
क्षेत्र	190.91	235.63	225.34	224.57	228.33	235.42	227.37	238.18
उत्पा०	84.11	127.04	118.18	106.27	118.57	128.93	119.63	129.64
उ०	441	539	524	473	519	548	526	544
क्षेत्र	75.70	92.76	78.39	65.84	73.99	171.61	69.04	76.54
उत्पा०	36.51	62.50	51.99	43.28	52.90	47.51	45.61	56.83
उ०	482	674	663	657	715	663	661	743

साधान (कुल) शें०	973.21	1,155.81	1,243.16	1,266.67	1,250.95	1311.63	1,266.73	1,270.62
उत्पा०	508.25	820.18	1,084.22	1,295.89	1,295.19	1523.74	1,455.39	1,504.69
उ०	522	710	872	1,023	1,035	1,162	1,149	1,184
शुष्कशक्ती								
शें०	44.94	64.63	73.26	68.01	72.15	75.39	71.68	73.11
उत्पा०	34.81	48.12	61.11	50.05	52.82	70.86	64.36	55.47
उ०	775	745	834	736	732	940	898.	759
रेफ्रीजिड व सरसों शें०								
उत्पा०	20.71	28.83	33.23	41.13	38.27	38.74	39.87	38.03
उ०	7.62	13.47	19.75	23.04	22.07	26.08	30.73	26.39
विप्लव (कुल) शें०								
उत्पा०	107.271	137.701	166.44	176.03	177.55	186.89	189.24	188.71
उ०	51.581	69.821	96.30	93.72	99.95	126.92	129.46	111.51
गन्ना								
शें०	17.07	24.15	26.15	26.67	33.58.	31.10	29.53	28.62
उत्पा०	570.51	1,100.01	1,263.68	1,542.48	1,895.06	1,740.76	1,703.19	1,716.81
उ०	33,422	45,549	48,322	57,844	56,441	55,978	57,673	59,986
कपास (काहा) शें०								
उत्पा०	58.82	76.10	76.05	78.23	78.71	77.21	73.82	75.81
उ०	30.44	56.04	47.63	70.10	75.34	63.87	85.07	86.12
जूट <sup>3</sup>								
शें०	5.71	6.29	7.49	9.41	7.34	7.60	8.33	11.48
उत्पा०	33.09	41.34	49.38	65.08	59.46	63.25	56.31	109.52
उ०	1,043	1,183	1,186	1,245	1,458	1,498	1,411	1,717
मेन्टा								
शें०	भनुपलव्य	2.74	3.31	3.59	2.86	2.94	2.96	3.48
उत्पा०		11.29	12.55	16.52	12.25	13.99	12.56	17.76
उ०		742	684	828	771	858	764	919

1. पांच बूटल विप्लव

2. साब पाठे, (प्रति गांठ 170 किलोग्राम)

3. साब पाठे, (प्रति गांठ 180 किलोग्राम)


शें०--बीकान साब हैटैयर है

उत्पा०--उत्पादन साब टल है

उ०--उत्पन्न प्रति हैटैयर है

# कृषि उत्पादन

लाख टनों में



अवधि के दौरान कृषि उत्पादन के लिए, 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर और खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए 3.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सातवी योजना में इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है :

(1) पूर्वी क्षेत्र में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम (2) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, (3) वर्षायुक्त कृषि के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम, और (4) छोटे और सीमान्त किसानों का विकास। इस संदर्भ में जल प्रबंध, अनुसंधान और विस्तार, ऋण संस्थाओं, कृषि मूल्य-नीति और किसानों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, सातवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 22,793 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है, जो कि कुल योजना व्यय 1,80,000 करोड़ रुपये का 13 प्रतिशत है। सातवी योजना के पहले वर्ष 1985-86 में ये धाकड़े क्रमशः 4,195 करोड़ रुपये और 32,239 करोड़ रुपये हैं। 1985-86 में कुल योजना व्यय में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 13 प्रतिशत बनाये रखा गया है।

## उर्वरक

कृषि उत्पादन बढ़ाने में उर्वरक की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य बातें समान होने पर जमीन में एक टन उर्वरक डालने से अनाज उत्पाद में 8 से 10 टन की वृद्धि होती है। अनुमान लगाया गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि का करीब 70 प्रतिशत, उर्वरक का अधिक इस्तेमाल करने के कारण होता है। इस प्रकार देश में कृषि के क्षेत्र में एक वर्ष में हुई प्रगति का संकेत इस बात से मिल सकता है कि इस अवधि में उर्वरक का प्रयोग कितना बढ़ा है। उर्वरक की प्रति यूनिट क्षेत्र में घपत की दृष्टि से भारत का स्थान, जो पहले बहुत नीचे था, अब काफी ऊपर आ गया है। 1950-51 में जहाँ उर्वरक की प्रति हेक्टेयर घपत शून्य स्तर पर थी, वह बढ़कर 1985-86 में अनुमानतः प्रति हेक्टेयर 52.28 किलोग्राम हो गई है। उर्वरक की कुल घपत 1950-51 में 69,000 टन थी जो 1984-85 में 82.11 लाख टन हो गई। अनुमान किया जाता है कि वर्ष 1985-86 में उर्वरक की घपत 90.26 लाख टन हो गई है। मौसम की अनुकूलता के कारण उर्वरक की घपत में काफी वृद्धि हुई है। मौसम की अनुकूलता और उर्वरक पर किया गया निवेश इस रिकार्ड स्तर की पैदावार के लिए उत्तरदायी है।

1984-85 तथा 1985-86 में उर्वरकों की उपलब्धि की स्थिति काफी संतोषजनक रही है।

## जैविक-उर्वरक

विश्व में फिर से प्रयोग में न लाए जा सकने वाले पेट्रोलियम पोषक भंडारों में कमी और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती लागत के कारण आवश्यक हो गया है कि रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एक विकल्प फिर से प्रयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों की तलाश की जाए तथा उर्वरक, जैविक और जैविक-उर्वरकों के संयुक्त प्रयोग के माध्यम से एकत्रित पोषक आपूर्ति



पर जोर दिया जाए। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में जैविक-उर्वरक प्रभावशाली, सस्ते और फिर से प्रयोग में लाए जा सकने लायक स्रोत हैं।

हमारे देश में राइजोवियम को दालों और सोयाबीन तथा मूंगफली जैसे तिलहनों के लिए और एक विशेष प्रकार की शैवाल को पानी वाली भूमि में होने वाले घान के लिए बहुत प्रभावशाली पाया गया है। देश में जैविक-उर्वरकों के उपयोग की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 1982-83 के दौरान जैविक उर्वरकों के विकास और प्रयोग की 2.82 करोड़ रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के अंतर्गत, एक राष्ट्रीय और छः क्षेत्रीय केन्द्र तथा जैविक-उर्वरकों के उत्पादन, प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 40 शैवाल उप-केन्द्रों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। राष्ट्रीय केन्द्र गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है। हिसार, पुणे, बंगलूर, जवलपुर, भुवनेश्वर और शिलांग में छः क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। शैवाल उप-केन्द्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं और इनमें 1984-85 के दौरान करीब 50 टन तथा 1985-86 के दौरान करीब 100 टन शैवाल का उत्पादन किया जा चुका है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है और इसके चालू वर्ष के दौरान ही शुरू हो जाने की आशा है। किसानों, विस्तार कर्मचारियों और वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से जैविक-उर्वरकों के कुशल प्रयोग के प्रदर्शन जगह-जगह आयोजित किए जा रहे हैं। सातवीं योजना के दौरान इस परियोजना को और भी मजबूत करने का प्रस्ताव है।

### आर्गेनिक खाद

पौधों को पोषक तत्व देने के अतिरिक्त भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए आर्गेनिक खाद बहुत आवश्यक है। देश में ग्रामीण इलाके में 65 करोड़ टन और शहरी इलाके में 1.6 करोड़ टन आर्गेनिक अपशेष होते हैं। इस समय ग्रामीण क्षेत्र के 2.35 करोड़ टन और शहरी क्षेत्र के 67 लाख टन अपशेषों का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों के विकल्प के रूप में बाकी अपशेषों के प्रयोग की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसी प्रकार वायुगैस और मल के भी प्रयोग किए जाने की व्यापक संभावना है। सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण कम्पोस्ट टेक्नोलॉजी पर 'पायलट स्केल' प्रदर्शन आयोजित करने का प्रस्ताव है।

### भूमि परीक्षण

उर्वरकों के विवेकपूर्ण, संतुलित तथा कुशल प्रयोग और इनसे अधिकतम लाभ उठाने के लिए किसानों को सलाह देने में भूमि परीक्षण एक महत्वपूर्ण तरीका है। देश में 426 भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं (जिनमें 331 स्थिर और 95 मोबाइल (चलती-फिरती) प्रयोगशालाएं शामिल हैं) हैं। इनकी वार्षिक क्षमता 60 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच की है। अधिकांश राज्यों के लगभग सभी जिलों को भूमि परीक्षण की सुविधाएं दी गई हैं। इसमें वे राज्य शामिल नहीं हैं, जिन्हें मोबाइल भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ये सुविधाएं दी जा रही हैं। भूमि में माइक्रो-पोषक तत्वों की कमी का चित्रण करने के लिए भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 25 एटोमिक

एञ्जिनरप्लान स्पैक्ट्रा-फोटोमीटर मुद्रैया कराए गए है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/ कृषि विन्वविद्यालयों ने भी इन तरह के कई उपकरण स्थापित किए है।

**उर्वरक किस्म नियंत्रण**

किमानों को मही किस्म के उर्वरक मही समय और उचित दामों पर उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने देग में उर्वरकों के मूल्य, व्यापार और क्वालिटी के नियमन के लिए 1957 में उर्वरक नियंत्रण आदेश जारी किया। इसमें देग में बेचे जा रहे विभिन्न स्वदेशी/आयातित उर्वरकों के मानदंड, विन्नेपण के तरीके और लागू करने वाली एजेंसियों के गठन का प्रावधान, किस्म नियंत्रण प्रयोगशालाएं तथा उर्वरक में व्यापार और वितरण के नियमन के प्रावधान शामिल है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 43 उर्वरक किस्म नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं और फरीदाबाद में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला है। इसकी वार्षिक क्षमता 75,000 नमूनों के विन्नेपण की है। देग में करीब 1.56 लाख डीलरों (व्यापारियों) की संख्या को देखते हुए, इस क्षमता में काफी वृद्धि की जरूरत है। फरीदाबाद स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों और उर्वरक विन्नेपकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। यह प्रयोगशाला उर्वरक डीलरों और किमानों को भी प्रशिक्षण देती है और आयोजित और स्वदेशी उर्वरक भंडारों में नमूने लेकर इनका विन्नेपण भी करती है। मातवी योजना के दौरान, केन्द्रीय उर्वरक किस्म नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद की गतिविधियों को और भी मुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

**बीज**

सरकार ने बहुत पहले ही अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने के महत्व को समझ लिया था। 1963 में अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने की जरूरत को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गयी थी। 1969 में भारतीय राज्य फार्म निगम स्थापित किया गया ताकि अच्छी किस्म के बीजों के उत्पादन के लिये बड़े-बड़े फार्म विकसित किये जायें जहाँ अधिकतम कार्य मशीनों में हो। 1975-76 में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम शुरू होने पर बीजों के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का विकेन्द्र करण हो गया और कुछ राज्यों में राज्य बीज निगम स्थापित किये गये। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं और बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का जाल बिछ गया है।

देग में पिछले छ-वर्षों के दौरान प्रमाणिकृत/अच्छी किस्म के बीजों के वितरण में कई गुना वृद्धि हुई है। 1979-80 में केवल 14 लाख क्विंटल प्रमाणित/अच्छी किस्म के बीज बाटे गये, जबकि 1985-80 के दौरान 55.01 लाख क्विंटल बीजों के वितरण का अनुमान है।

नयी आनुवांशिक खाणों के बाद बीज उत्पादन चक्र तीन चरणों में बंट गया है। ये हैं—प्रजनक बीज, मूल बीज, और प्रमाणिकृत बीज। प्रजनक बीज, बीज उत्पादन की पहली अवस्था है। इनका उत्पादन मुख्य रूप से कृषि विन्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में किया जाता है। अब राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम ने भी प्रजनक बीजों का उत्पादन शुरू

कर दिया है। इसके फलस्वरूप प्रजनक बीजों की उपलब्धता देश में 1981-82 में 3,914.67 क्विंटल से बढ़ कर 1985-86 में 32,214.526 क्विंटल (अनुमानित) हो गयी। प्रजनक बीजों से मूल बीजों के उत्पादन का काम मुख्यतः कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के फार्मों पर किया जाता है। 1985-86 के दौरान देश में करीब 3.04 लाख क्विंटल मूल बीज उपलब्ध होने का अनुमान था। मूल बीजों से प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन राष्ट्रीय बीज निगम के अनुबंधित उत्पादकों, राज्य बीज निगमों तथा भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य सरकारों के फार्मों पर किया जाता है।

### राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम

राष्ट्रीय बीज परियोजना-I और परियोजना-II को क्रमशः दिसम्बर 1984 और दिसम्बर 1985 में बंद किया गया। इन दो परियोजनाओं में निम्नलिखित ढांचागत सुविधाएं सृजित की गयीं। परियोजना-I में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा पंजाब आते हैं तथा परियोजना-II में विहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं।

अवयव	इकाई	राष्ट्रीय बीज लक्ष्य	परि- योजना-I उप- लब्धि	राष्ट्रीय बीज लक्ष्य	परि- योजना-II उप- लब्धि	कुल	
						लक्ष्य	उप- लब्धि
प्रमाणीकृत बीज प्रोसेसिंग	लाख क्विंटल	6.00	5.95	5.50	6.37	11.50	12.32
मूल बीज प्रोसेसिंग	लाख क्विंटल	0.92	0.52	0.60	0.42	1.52	0.94
बीज भंडारण	लाख क्विंटल	4.50	9.20	—	3.70	4.50	12.90
फार्म विकास वनस्पति बीज प्रोसेसिंग	हेक्टेयर संख्या	13,975	8,563	13,555	6,885	27,530	15,448
एकक		7	8	—	—	7	8

राष्ट्रीय बीज परियोजना की बढ़तीत ही बीजों का वितरण 1975-76 में 6 लाख क्विंटल से बढ़कर 1985-86 में 48 लाख क्विंटल हो गया। बीज वितरण का 1.07 करोड़ क्विंटल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग प्रमाणीकरण, किस्म नियंत्रण और वितरण के लिए न केवल परियोजना राज्यों, बल्कि असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैसे नये राज्यों में भी, ढांचागत सुविधाओं के विस्तार का निर्णय लिया गया है। इस लक्ष्य को राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्राप्त करने का प्रस्ताव है जो कि अभी तैयार किया जा रहा है।

### किस्म नियंत्रण

बीज अधिनियम, 1966 और उसमें निहित नियमों में बीजों की अच्छी किस्म बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों को किस्म नियन्त्रण

उपाय लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। राज्यों में बीजों की किस्म जांचने और उन्हें प्रमाणित करने का दायित्व राज्यों में काम कर रही बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों को सौंपा गया है।

केन्द्रीय बीज समिति ने 1985-86 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलों के लिए, 52 नये और बेहतर किस्म के बीजों की सिफारिश की। नई किस्मों के विकास ने बीजों को पैदावार की किस्मों में विविधता लायी जा सकेगी, जिसकी बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी और जो अब तक कुछ गिनी-चुनी किस्मों तक ही सीमित थी। इनके अलावा 1985-86 के दौरान 237 किस्मों को मूवीबद्ध किया गया ताकि इनमें बीजों को किस्म नियंत्रण के दायरे में लाया जा सके। क्वालिटी बीजों में पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्य-बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा निरंतर बीजों का परीक्षण किया जाता है। 1985-86 में इन प्रयोगशालाओं ने बीजों के 4,16,496 नमूनों का परीक्षण किया।

भारतीय बीज विदेशों में लोकप्रिय है। फिर भी, विदेशों में मांग की अपेक्षा देश में बीज की मांग को प्राथमिकता दी जाती है। प्रजनक बीजों, मूल बीजों और दालों तथा तिलहनों के प्रमाणीकृत बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध है। अनाज के प्रमाणीकृत बीजों की मांग होने पर प्रत्येक की गुणवत्ता के आधार पर जांच की जाती है तथा देशों जरूरतों को पूरा करने के बाद, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के हित में इनके निर्यात की अनुमति दी जाती है।

### राष्ट्रीय बीज निगम

राष्ट्रीय बीज निगम ने 1984-85 के दौरान प्रमाणीकृत बीजों के 7.59 लाख क्विंटल और मूल बीजों के 1.10 लाख क्विंटल का रिफाई उत्पादन प्रारंभ किया। 1985-86 के दौरान प्रमाणीकृत और मूल बीजों का उत्पादन क्रमशः 3.83 लाख क्विंटल और 0.25 लाख क्विंटल रहा। प्रमाणीकृत बीजों का वितरण 1984-85 के 4.71 लाख क्विंटल के मकाबले 1985-86 में 4.39 लाख क्विंटल रहा। 1985-86 के दौरान मूल बीजों का वितरण 0.45 लाख क्विंटल रहा, जबकि 1984-85 में यह 0.63 लाख क्विंटल था। प्रमाणीकृत और मूल बीजों के उत्पादन और वितरण में कमी का कारण यह था कि राष्ट्रीय बीज निगम महिन विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों के फार्म पुराना स्टाक बचा था। निगम ने 1985-86 में अपने ही फार्म पर 273 क्विंटल प्रजनक बीजों का उत्पादन किया। दालों का उत्पादन 1984-85 में 30,800 क्विंटल में बढ़कर 1985-86 में 39,000 क्विंटल हो गया, जो कि महत्वपूर्ण वृद्धि है।

### भारतीय राज्य फार्म निगम

भारतीय राज्य फार्म निगम 13 बड़े आकार के नर्सरीनिष्ठ फार्मों का प्रबंध करता है। भारतीय राज्य फार्म निगम के फार्मों में कुल छेती योग्य भूमि 26,960 हेक्टेयर है। बीज उत्पादन के अतिरिक्त यह निगम बागवानी के लिए उत्कृष्ट किस्म की रोपण सामग्री की वितरण योजना कार्यान्वित करता है तथा मिजोरम एक विकसित फार्म चला रहा है, जहाँ स्थानीय किसानों को

कृषि के नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय राज्य फार्म निगम ने 1984-85 के 3.65 लाख क्विंटल के उत्पादन के मुकाबले 1985-86 में 4.23 लाख क्विंटल का उत्पादन किया।

## पौध संरक्षण

पिछले दो दशकों में, विशेष रूप से अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित होने के बाद, कृषि उत्पादन बढ़ाने में पौध-संरक्षण के महत्व को पहचाना गया है। फसल को किसी भी तरीके से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है। नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और बीमारियों का समय पर पता लगाकर और सही कीटनाशक दवाओं और अन्य कृषि-प्रणालियों के जरिए उन्हें रोका जा सकता है। इसके लिए जीव-विज्ञान और आनुवंशिकी इंजीनियरी आदि का प्रयोग किया जाता है।

केन्द्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन, राज्य सरकारों के सहयोग से टिड्डियों की रोकथाम के लिए जमीन से और विमान से दवाएं छिड़कने जैसे तरीके अपनाता है। जोधपुर स्थित दूर संवेदन और टिड्डियों के पैदा होने के स्थानों का अध्ययन करने हेतु उपग्रह प्रयोगशाला में आंफड़े एकांक किये जाते हैं, जिनका विश्लेषण किया जाता है। टिड्डियों की जांच के लिए बीकानेर स्थित केन्द्र में वारानी क्षेत्रों में होने वाली नस्ल को छोड़कर रेगिस्तान की अन्य नस्ल की टिड्डियों के पर्यावरण, जैविक-स्थिति और गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है।

19 केन्द्रीय निगरानी केन्द्र और 13 केन्द्रीय पौध-संरक्षण केन्द्र कीड़ों और बीमारियों की स्थिति का सर्वेक्षण अध्वजन करते हैं। इन सर्वेक्षणों से कीड़ों और बीमारियों के प्रकोप या हमले की पहले से चेतावनी मिल जाती है, जिससे राज्य सरकारें समय पर नियंत्रण के उचित उपाय कर सकती हैं।

20-सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत पौध-संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय के क्षेत्रीय केन्द्रों ने पौध-संरक्षण तकनीकों के प्रसार के लिए 192 गांवों को अपनाया है, जहां वे इस बारे में किसानों को जानकारी देंगे।

प्रमुख फसलों पर हमला करने वाले जाने-पहचाने कीड़ों की जांच के लिए सर्वेक्षण कार्य 11 केन्द्रीय जैविक नियन्त्रण केन्द्र करते हैं। बंगलूर में एक परजीवी-गुणन प्रयोगशाला बनाई गई है।

9 बन्दरगाहों, 10 हवाई अड्डों और 10 सीमावर्ती क्षेत्रों में 29 पौध संगरोध और धूमिकरण केन्द्र हैं। ये केन्द्र बीज, पौधों और उपाई जाने वाली सामग्रियों की जांच करके पता लगाते हैं कि कहीं उनमें कीटाणु या रोगाणु न हों।

कीड़ों और बीमारियों को समाप्त करने और उनकी रोकथाम सम्बन्धी केन्द्र समर्थित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

पौध-संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय में केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला खोली गई है। हैदराबाद का केन्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान इस काम में लगे अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

देश में कोई 50 कीटनाशक औषधियों का उत्पादन किया जाता है। 1985-86 के लिए विभिन्न कीटनाशकों की मांग 66,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

### कृषि उपकरण

1983-84 में पशुओं की महापता में चलने वाले सुधरी किस्म के उपकरणों और हाथ के औजारों को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम पर नए मिरे में जोर दिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाराली खेती वाले क्षेत्रों के किसानों के लिए उपयुक्त तकनीकी जानकारी प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छठी योजना के दौरान, राज्य सरकारों ने 10,45,958 कृषि उपकरण और 1,12,307 बीज बोने और उर्वरक डालने वाले उपकरण वितरित किये गए।

मातृ योजना अधि के दौरान भी यह प्रणाली जारी रखी गयी। देश के बाराली खेती वाले 500 खण्डों में इस योजना के लागू किये जाने का प्रस्ताव रखा है। कृषकों को खेती में काम आने वाले उपकरणों तथा हाथ के औजारों को खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है।

कृषकों तक नवीन तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए केन्द्रीय स्तर की कृषि उपकरण पुनरावलोकन तथा वितरण समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तावों के निरीक्षण तथा विभिन्न जलवायु व परिस्थिति के अनुसार खेती में काम आने वाले कृषि यंत्र, उपकरण तथा मशीनों के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। 1985-86 के दौरान 9 उन्नत किस्म के उपकरणों का पता लगाया गया और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जारी किया गया। समिति इसका भी ध्यान रखती है कि कृषकों को अच्छे किस्म के उत्पाद मुलभत्ता से उपलब्ध होते रहें तथा स्तर के आधार पर निर्माताओं पर नियंत्रण के लिए हानिकारक यंत्र (नियमन) अधिनियम, 1983 बनाया गया। अधिनियम में प्रमाणित नियत स्तर के अनुसार ही निर्माता को मशीनों का निर्माण करना होता है। साथ ही अधिनियम द्वारा मशीनों को चलाने समय हुई दुर्घटना अथवा मृत्यु हो जाने पर चालक को हर्जाना दिये जाने का भी प्रावधान है।

केन्द्रीय कृषि यंत्र तथा उपकरण विभाग परिषद की स्थापना 1985 में की गयी। यह गुरु परामर्शदायी निकाय है जो कि कृषि यंत्र तथा उपकरणों में संबंधित विषयों का विम्वेषण करता है।

### कृषि यंत्र संस्थान

कृषि यंत्रों के चयन, उन्हें चलाने और उनके रखरखाव का सरकार व्यक्तियों/संगठनों/ किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये कृषि और महुकारिता विभाग की ओर से बुदनी (म०प्र०), हिसार (हरियाणा) और आन्ध्र प्रदेश के धनन्तपुर जिले में गान्धीन्ने में कृषि यंत्र प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान चलाये जा रहे हैं। ये संस्थान उत्पादकों और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये ट्रेक्टर और अन्य कृषि यंत्रों का परीक्षण करते हैं।

## कृषि उद्योग निगम

सत्रह राज्य कृषि उद्योग निगमों को कृषि संयंत्रों के निर्माण, वितरण तथा उसकी देखरेख की योजना को विस्तृत रूप से चलाने का परामर्श दिया गया। साथ ही निगमों को जरूरतमंद कृषकों को सीमा शुल्क निकासी की सुविधा प्रदान करने की सलाह भी दी गयी। निगमों को आवश्यक विशेषज्ञ सलाह तथा परामर्श सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि-संयंत्र सलाहकार लिमिटेड (नैशनल एग्री-प्रोजेक्ट कंसल्टेंट लिमिटेड) को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

## भूमि और जल संरक्षण

प्रथम योजना से ही केन्द्र और राज्यों के क्षेत्र में भूमि और जल संरक्षण के कार्यक्रम चालू हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भूमि कटाव और भूमि की किस्म में होने वाली कमी को रोकना, भूमि की देखभाल और इसमें नमी बनाए रखना और इस तरह कुल उत्पादकता को बढ़ाना है। राज्य सरकारें जहां अपने अधिकार क्षेत्र में जल और भूमि के संरक्षण को देखती हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्रालय में भूमि एवं जल संरक्षण डिवीजन इन कार्यों में एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य और संतुलित दृष्टि प्रदान करता है, खासतौर से अंतर्राज्यीय समस्याओं के मामलों में इसकी भूमिका है। केन्द्रीय और केन्द्र की मदद से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों का प्रमुख मकसद बहु-उद्देश्यीय जलाशयों में अत्रमय भरने वाली गाद को रोकना, गंगा घाटी के उत्पादक मैदानों में बाढ़ के खतरों की रोकथाम, खेती के स्थान में परिवर्तन वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और अन्य राज्यों के झुमियाओं का पुनर्वास, जहां कहीं संभव हो भूमि को हुए नुकसान में भरपाई कर इसे फिर से प्रयोग में लाना तथा हमारे स्थिर भूमि संसाधन की उत्पादकता और स्थायित्व में सुधार करना है। इसके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं: (1) जलाशयों में असमय गाद भरने से रोकने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं के आवाही क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण के लिए उचित कदम उठाना और आवाही क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार करना; (2) बाढ़ के खतरों को कम करने और उत्पादक मैदानों को बचाने के लिए गंगा घाटी की बाढ़ लाने वाली नदियों के आवाही क्षेत्रों में एकीकृत जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंध लागू करना; (3) जनजातीय लोगों में लंबे समय से चली आ रही खेती का स्थान बदलते रहने की प्रथा को हटाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र और कुछ अन्य राज्यों के पहाड़ी ढलानों में एकीकृत भूमि और जल संरक्षण के उचित उपाय लागू करना; और (4) भूमि संरक्षण के सिद्धांतों को गैर-कृषि और गैर-चरागाह भूमि के प्रयोग में लागू करना।

'जलसंभर प्रबंध' के भूमि संरक्षण कार्यक्रम के नियोजन और अमल से, संरक्षण कार्यनीति को सामाजिक आर्थिक जरूरतों के साथ जोड़कर राष्ट्रीय योजना के अधिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

केन्द्र द्वारा समर्थित नदी घाटी परियोजना में भूमि संरक्षण और बाढ़ के खतरे वाले आवाही क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राथमिकता वाले 776 जलसंभर आते हैं। ये जलसंभर 2000 से 4000 हेक्टेयर तक के हैं। इनकी केन्द्रीय भूमि सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जा रहे उपयुक्त भूमि सर्वेक्षण के जरिए पहचान और रूपरेखा तैयार की जा रही है।

मारी विनियोग में बनाए गए बहु-उद्देशीय योजनाओं में अग्रमय होने वाली गाद को रोकने के उद्देश्य में केन्द्र समर्पित नदी घाटी परियोजनाओं के आवाही क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्यक्रम 17 राज्यों और 40 वी० वी० सी० क्षेत्रों में तीन भूमि संरक्षण क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले 27 आवाही इलाकों में लागू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रम में छोटे जलसमूहों और उन नदियों की जलसमूह विनियोजनाओं के साथ गाद गिरने से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने की सुविधाएं विहित हैं। 1985-86 के अंत तक विभिन्न भूमि एवं जल संरक्षण उपायों में 20.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 203.79 करोड़ रुपये की लागत में ढांक किया गया। मानवीय योजना के दौरान माध्यम कार्यक्रम चालू रहेंगे। विभिन्न राज्य सरकारों में निरंतर मांग की जा रही है कि मानवीय और उनके बाद की योजनाओं में इन कार्यक्रमों का नए आवाही क्षेत्रों में विस्तृत किया जाए।

मानवीय योजना के दौरान बाढ़ लाने वाली नदियों के आवाही क्षेत्रों के लिए एकीकृत जलसमूह प्रबंध की केन्द्र समर्पित योजना गंगा के मैदान में बाढ़ लाने वाली 8 नदियों के लिए चालू की गई। इनके अन्तर्गत 7 राज्य और एक केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं। इन योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों की वर्षा का पानी संचयन की शक्ति में वृद्धि करना, भूमि-उत्थार को रोकना, और नदियों में जमा होने वाली गाद को रोक कर इन क्षेत्रों को बाढ़ के प्रभाव से बचाना है। 1985-86 के अंत तक 43.25 करोड़ रुपये की लागत में 2.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया। यह योजना मानवीय योजना के दौरान भी जारी रहेंगी। मानवीय और अनुवर्ती योजनाओं में पर्याप्त वित्तीय आवंटन होने की स्थिति में और भी आवाही क्षेत्रों को इन योजना में शामिल किया जाएगा।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लाखों प्रभावित बीहड़ों के सुधार और विकास के लिए 1986-87 में केन्द्र समर्पित कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इन कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि विकास कार्यक्रम, बीहड़ क्षेत्रों को स्याचिन्व प्रदान करना और पथरी क्षेत्र की सुरक्षा, अतिरिक्त निवारण सुविधा सुईया बन, क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाकर तथा एकीकृत जलसमूह प्रबंध में भूमि और जल संसाधनों को स्याचिन्व प्रदान करने जैसे उपायों में बीहड़ों के राज को ठोकेने का परत रखा गया है। यह भी विनियोग किया गया है कि इसी तरह का कार्यक्रम गुजरात के बीहड़ों के लिए भी शुरू किया जाए। इन कार्यक्रम के लिए अल्प में धन की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है।

अग्रिम भारतीय नित्यी-भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन आने वार क्षेत्रीय केन्द्रों और तीन उन केन्द्रों की मदद से, आवाही क्षेत्रों का जलसमूहों में विज्ञान और वर्गीकरण, उनमें प्राथमिकताएं निर्धारित करने, हाइड्रोलॉजिकल निट्टियों के समूह बन करने, एक दूसरे में प्रवेश से पैदा होने वाली विनियोजनाओं, विभिन्न भूमि गृहणियों की पहचान और अग्रिम संस्थाओं के अग्रत का काम जारी रखे हुए है। 1985-86 के अंत तक संगठन 81.36 लाख हेक्टेयर का विस्तृत भूमि सर्वेक्षण, 659.67 लाख हेक्टेयर में भी अग्रिक का प्राथमिकता निर्धारण सर्वेक्षण, 10.05 लाख हेक्टेयर का विशेष सर्वेक्षण और 6,243 स्थलों (हेक्टेर 64 हेक्टेयर) का नन्ता लेकर सर्वेक्षण कर चुका है। टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ, संगठन को जवाबदा



क्षेत्रों के चित्रण और वर्गीकरण, कोयला खानों के नीचे के क्षेत्रों का सर्वेक्षण और भूमि को होने वाले नुकसान का खाका तैयार करने का अतिरिक्त उत्तर-दायित्व सौंपा गया है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में खेती का स्थान बदलने की पद्धति को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम लागू किया गया है। यह लाभोन्मुखी कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य हर झुमिया परिवार को एक हेक्टेयर खेती योग्य भूमि और एक हेक्टेयर वाग-बगीचे और पेड़-पौधे लगाने वाली भूमि देकर पुनर्वास करना भी है। छठी योजना में 700 परिवारों (7 इकाइयों) के पुनर्वास का लक्ष्य था लेकिन केवल पांच इकाइयों में ही काम पूरा हो सका तथा इसके बाद 1985-86 में मिजोरम में 2 इकाइयों में काम पूरा करना संभव हो सका। इस समय 400 परिवारों (4 इकाइयों) के पुनर्वास का काम चल रहा है इनमें से 3 इकाइयों मिजोरम में और एक इकाई अरुणाचल प्रदेश में है। स्थान परिवर्तन की खेती की पद्धति पर कार्य-दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम को सातवीं योजना के दौरान दो केन्द्र शासित प्रदेशों के अलावा 13 राज्यों तक विस्तृत करने की तैयारी है। इससे 25,000 झुमिया परिवारों का 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्वास किया जाएगा। इस बृहत् कार्यक्रम को योजना आयोग मंजूरी दे चुका है और इसे सातवीं योजना में 45 करोड़ रुपये की लागत से 1987-88 में शुरू किया जाएगा।

जलसंभर (वाटरशेड) विकास परिषद का गठन विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए किया गया। ये परियोजनाएं हैं :- (1) उत्तर प्रदेश में हिमालयी जलसंभर (वाटरशेड) प्रबंध योजना, और (2) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वर्षा वाले क्षेत्रों में जलसंभर विकास के लिए प्रायोगिक (पायलट) परियोजना। पहली परियोजना दो चुने हुए जलसंभरों में लागू की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य, जंगलों के कटने, चरागाहों का अतिशय प्रयोग, भूमि के गलत प्रयोग और लापरवाही से सड़कें बनाने से हिमालय की परिस्थिति की व्यवस्था को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना है। दूसरी परियोजना आठ जलसंभरों में लागू की जा रही है। इसमें दो-दो जलसंभर हर राज्य में हैं। इसका उद्देश्य संबंधित राज्यों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त विभिन्न टेक्नोलॉजियों की प्राप्ति करना है।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग संरक्षण बोर्ड मूल रूप से राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति, संरक्षण की भावी योजना, देश में भूमि संसाधनों के प्रबंध और विकास, कृषि योग्य उत्तम भूमि के दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल को रोकने तथा भूमि उपयोग और संरक्षण के वैज्ञानिक प्रबंध को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यों से सरोकार रखता है। यह बोर्ड विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित राज्य भूमि उपयोग बोर्डों के कार्यों का समन्वय भी करता है। राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति का मसविदा तैयार कर राष्ट्रीय भूमि उपयोग और वंजर भूमि विकास परिषद में रखा गया यह मसविदा पूर्णरूपेण स्वीकृत कर लिया गया।

वारानी/वर्षा पर निर्भर खेती

भारत में अभी तक केवल निम्न क्षेत्रों में ही कृषि विज्ञान होता रहा है और वारानी/वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों की अनदेखी होती रही है, जबकि यह कुल कृषि योग्य क्षेत्र का करीब 70 प्रतिशत है। देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें से 10.2 करोड़ हेक्टेयर से अधिक वारानी खेती के अन्तर्गत आती है। दाल और तिलहन जैसी महत्वपूर्ण फसलों, औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कपास और मूंगफली जैसी फसलों और ज्वार, बाजरा तथा मक्का जैसी अनाज की फसलों का बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। वर्षा पर निर्भर मुख्य फसलों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि धीमी रही है और इसके परिणामस्वरूप वारानी इलाकों की मुख्य फसलों-दालों, और घास तेलों-की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो गई है। भारत में कृषि विकास अब ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिये वारानी/वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा तथा क्षेत्रीय और पोषाहार सम्बन्धी असन्तुलन दूर करने और अंतर्वर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में ग्रामीण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये भी इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। नये 20-सूची कार्यक्रम में वारानी खेती के विकास को शामिल किया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार क्षेत्रीय और पोषाहार असन्तुलन दूर करने के लिए कितनी इच्छुक है और वह इसको खेती के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

खेती के लिये वर्षा पर निर्भर रहने वाले इलाकों में फसल उत्पादन निश्चित नहीं होता, वर्षा कपा-ज्यादा होने या समय पर न होने के कारण भारी असुरक्षा और जोखिम का बातावरण होता है। यही वजह है कि वारानी खेती करने वाले किसान बीज, खाद, उर्वरक, पौध-सुरक्षा आदि पर पूजी लगाते हुए डरते हैं।

वारानी क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय नीति के रूप में यह स्वीकार किया गया है कि एक उपयुक्त स्थान पर थोड़ी-सी भूमि को जल-विभाजक के रूप में विकसित किया जाए। सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इन क्षेत्रों में उत्पादन-स्तर तेजी से बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय करें।

कुई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने 98,79,240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13,472 छोटे जल-विभाजकों का पता लगाया है, जिनका व्यापक और व्यवस्थित ढंग से विकास किया जाना है। प्रत्येक जल-विभाजक से करीब 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ मिलेंगी। जल-विभाजकों के विकास की योजना के अन्तर्गत वर्षा का पानी के पैमानिक प्रवन्ध, भूमि-विकास, वनरोपण, पशुपालन का विकास और अन्य संबंधित कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में जल-विभाजकों के विकास के लिए एक प्राथमिक परियोजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में वर्षा पर निर्भर 25,000-30,000 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास करने का कार्यक्रम है। यह परियोजना, क्षेत्रीय स्तर पर शुरू की जा चुकी है।

कई दशकों से हिमालय की तराई के निचले इलाकों में हो रही वनों की कटाई को रोकने तथा भूमि को भूक्षरण और वाढ़ से बचाने और कृषि हेतु विकसित करने के लिये बड़े पैमाने पर पूंजी-निवेश करने के उद्देश्य से पंजाब में विश्व बैंक की सहायता से कुल 59.88 करोड़ रुपये की लागत की एक व्यापक परियोजना शुरू की गई है, जिसका नाम कंडी जल-विभाजक और क्षेत्र-विकास परियोजना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र के किसानों को तो लाभ पहुंचेगा ही, देश के समूचे कंडी क्षेत्र के लिए यह एक आदर्श परियोजना की भूमिका भी निभायेगी।

सातवीं योजना के दौरान 1986-87 से वारानी खेती के लिए एक नया केन्द्रीय कार्यक्रम 'वारानी खेती के लिए राष्ट्रीय जलाक्रांत विकास कार्यक्रम' शुरू किया गया है। जल संरक्षण/खेती की टेक्नोलॉजी तथा वीज-उर्वरक को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रमों के प्रचार, परिष्कृत किस्में तैयार करने के कार्यक्रमों तथा 1983-84 के दौरान हाथ में लिए गए शुष्क भूमि विकास के कार्यक्रमों का इस नये राष्ट्रीय कार्यक्रम में विलय कर दिया गया था। इन पर दो कार्यक्रम पहले ही चालू थे।

देश में विशाल शुष्क भूमि/वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने 1986-87 से वर्षा पर निर्भर कृषि के लिए केन्द्र समर्थित राष्ट्रीय जलाक्रांत विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 राज्यों के 99 जिले आएंगे। इसके उद्देश्य हैं: (1) भूमि संरक्षण और वंजर भूमि को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मानना और इसके विकास के लिए जलाक्रांतों को आधार बनाना; (2) विभिन्न कृषि और मौसम संबंधी परिस्थितियों के लिए आवश्यक भूमि और नमी के संरक्षण के उपायों और फसल उत्पादन को स्थायित्व देने के उपायों के लिए उपयुक्त 'टेक्नोलॉजी' को विकसित और प्रदर्शित करना; और (3) उचित वैकल्पिक भूमि उपयोग व्यवस्था से ग्रामीण समुदायों के चारे, फल और ईंधन के संसाधनों को बढ़ाना। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं: (1) शुष्क भूमि वागवानी, चारे का उत्पादन और फार्म घनों सहित फसल व्यवस्था को लागू करने के लिए भूमि और नमी की प्रबंध व्यवस्था; (2) बीजों का आयात-भंडारण और पीघ तथा घास के बीजों/गांठों की आपूर्ति; (3) प्रशिक्षण; (4) अनुकूल अनुसंधान गतिविधि; (5) सर्वेक्षण के उपकरणों और नये औजारों के निर्माण का प्रावधान; (6) 'फील्ड मेनुअल' आदि तैयार करना। सातवीं योजना के बाकी चार वर्षों के लिए कार्यक्रम पर 239 करोड़ रुपया खर्च आएगा, जिसमें से 120 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाना है। शेष 119 करोड़ रुपया राज्यों सरकारों द्वारा मुहैया कराया जायेगा। इस कार्यक्रम को 9.28 लाख हेक्टेयर भूमि पर चलाया जाएगा। एक वर्ष के लिए 2.32 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है।

#### विकास कार्यक्रम

कृषि विकास के संबंध में तैयार एक नीति के अन्तर्गत अधिकधिक क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन, सिंचाई सुविधाओं का विकास; विशेषकर भूमिगत जल-स्रोतों का उपयोग,

उर्वरकों का पर्याप्त और संतुलित उपयोग, प्रावणकृता पर पाषाणित पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग जाना और कृषि के काम करने वाले वस्तुओं, विशेष संस्थागत एवं ग्रन्थ वित्तीय संगठनों से प्राप्त होने वाला ऋण भी शामिल है, की मुख्यस्थित और निवर्धित प्राप्ति प्राप्ति है। इसके प्रतिरक्षण, संग्रह-प्रतिक्षण के माध्यम से किसानों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी से प्रभावित करने तथा विस्तार संगठन को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। गांवों के कमजोर वर्गों की दशा सुधारने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है।

अधिक उपज देने वाली किस्में

देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्में तैयार करने का कार्यक्रम कृषि नीति का प्रमुख हिस्सा बनाया गया है। कार्यक्रम प्रारम्भ होने के वर्ष 1966-67 में इसे 18.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया गया, जो 1984-85 में बढ़कर 5.41 करोड़ हेक्टेयर हो गया। 1985-86 में यह कार्यक्रम अनुमानित 5.52 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया गया है जबकि लक्ष्य 5.88 करोड़ हेक्टेयर था। वर्ष 1986-87 के लिए सातवी योजना के 7.00 करोड़ हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 6.16 करोड़ हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। फसलवार व्यौरा सारणी 15.2 में दिया गया है:

#### सारणी 15.2

क्षेत्र, जिसमें अधिक उपज वाली फसलें बोयी गईं (लाख हेक्टेयर)

फसल	1966-67	1984-85 अनुमानित	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य
1	2	3	4	5
धान	8.9	227.8	238.0	280.0
गेहूं	5.4	190.9	197.2	200.0
ज्वार	1.9	50.7	48.8	56.0
बाजरा	0.6	51.7	45.8	56.0
मक्का	2.1	20.3	22.2	24.0
योग	18.9	541.4	552.0	616.0

छठी योजना (1980-85) में अनाज उत्पादन का लक्ष्य 15.36 करोड़ टन निर्धारित किया गया जबकि 1979-80 में इसका बुनियादी उत्पादन स्तर 12.80 करोड़ टन प्रोका गया। अनाज और

ज्वार-बाजरे की ऊंची पैदावार देने वाले क्षेत्र का विस्तार कर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसका क्षेत्र 1979-80 में 3.838 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ाकर 1984-85 में 5.6 करोड़ हेक्टेयर किया गया। इस कार्यक्रम के साथ-साथ सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि और पौधों की सुरक्षा के उपायों को तेज किया गया।

खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार 11.4 करोड़ टन को पार कर गया और 1983-84 में 15.237 करोड़ टन के स्तर पर जा पहुंचा, जो कि छठी योजना के लक्ष्य के करीब था। लेकिन 1984-85 के दौरान उत्पादन में कमी आई। इसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम के कारण खेती के क्षेत्र में करीब 45 लाख हेक्टेयर की कमी होना था। राज्यों के कृषि विभागों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण उत्पादकता में कोई खास कमी नहीं आई।

विभिन्न फसलों में गेहूं हर वर्ष उत्पादन की नई ऊंचाइयों को छू रहा था। परन्तु 1984-85 के दौरान 1983-84 के मुकाबले 12.5 लाख टन की कमी आई, जिसका कारण कृषि योग्य क्षेत्र में कमी था। इसके बावजूद 1984-85 के दौरान गेहूं का उत्पादन छठी योजना के 4.4 करोड़ टन के लक्ष्य से अधिक था। कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में गेहूं का हिस्सा 1950-51 में 13 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 30 प्रतिशत हो गया। चावल के उत्पादन में भी उत्साहजनक प्रगति हुई है। 1983-84 के दौरान इसका उत्पादन 5.3/5.4 करोड़ टन को पार कर के 6.01 करोड़ टन तक पहुंच गया। 1950-51 के उत्पादन को देखते हुए इसमें 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोटे अनाजों का उत्पादन जो कि छठी योजना के पहले तीन वर्षों में 2.8 से 3.10 करोड़ टन के बीच था, 1983-84 में 3.39 करोड़ टन की नयी ऊंचाई को छू गया। यह तथ्य भी उत्साहजनक है कि दालों का उत्पादन छठी योजना के प्रथम चार वर्षों में क्रमशः बढ़ता रहा और 1983-84 में एक नई ऊंचाई 1,289 करोड़ टन तक पहुंच गया। खाद्यान्न उत्पादन का एक दूसरा उल्लेखनीय पहलू यह है कि छठी योजना के दौरान उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण सभी फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी था।

सातवीं योजना के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के मुख्य अंतर्निहित उद्देश्यों में शामिल है: (1) आयात को पूरी तरह बंद कर खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता हासिल करना; (2) खाद्यान्न उत्पादन को अधिक स्थायित्व प्रदान करना; (3) दाल और मोटे अनाज के उत्पादन की वृद्धि दर को तेज करना; और (4) मूल्य समर्थन और बेहतर वितरण उपायों से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा।

सातवीं योजना के लिये खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 17.8 से 18.3 करोड़ टन के दायरे में निर्धारित किया गया है। सातवीं योजना के पहले वर्ष 1985-86 के दौरान, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 15.92 करोड़ टन निर्धारित किया गया। 1986-87 के लिये 16 करोड़ टन का लक्ष्य रखा गया है।

### केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम

उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को दून केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों का समर्थन है—चावल का मिनिक्विट/सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का मिनिक्विट प्रदर्शन कार्यक्रम, जनजाति/पिछड़े क्षेत्रों में मक्का प्रदर्शन और विस्तार कर्मचारियों का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण।

मिनिक्विट प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य नई किस्मों को लोकप्रिय बनाना और किसानों की परिस्थितियों में नई विकसित किस्मों का परीक्षण करना है। इसके लिए 0.25 किलो—5 किलो बीज वाले मिनिक्विट बड़ी संख्या में किसानों को मुक्त बाटे गये हैं।

गेहूँ में रतुग्रा (रस्ट) बीमारी को रोकने के लिए, किसानों को इन बीमारी का प्रतिरोध कर सकने वाली किस्में मुक्त बाटी जाती हैं। ये किस्में उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा साथ-साथ दक्षिण के उन भागों में भी वितरित की जाती हैं: जहाँ गर्मियों के मौसम में गेहूँ में रतुग्रा बीमारी पनपती है और बाद में मुख्य फसल के समय यह मैदानों में फैल जाती है।

पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में मक्का प्रदर्शनों का उद्देश्य मक्का की नई उत्पादन टेक्नोलॉजी को प्रचलित करना है ताकि मक्का का प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा पिछड़े और जनजातीय किस्मों की आर्थिक हालत में सुधार किया जा सके।

चावल सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम के अन्तर्गत 14,146 हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की नर्सरिया स्थापित की गईं जबकि 1985-86 के दौरान 13,700 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चावल की नर्सरी उगाने तथा जिन किस्मों के पास स्वयं अपने मिर्बाई संसाधन नहीं हैं, उनको मामूली दायों पर पौध बांटने के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद दी जाती है। 1986-87 से इस कार्यक्रम को आगे नहीं चलाया जा रहा है।

विभिन्न फसलों की नई उत्पादन टेक्नोलॉजी में, राज्य स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन संबंधित राज्य कृषि विभागों के सहयोग से कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान म्थानों में आयोजित किये जाते हैं।

### केन्द्र समर्थित कार्यक्रम

असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1985-86 में 420 चुने हुए ब्लाकों में केन्द्र समर्थित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया। इन राज्यों में चावल उत्पादक क्षेत्र काफी हैं लेकिन प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन कम है। 1985-86 के दौरान विभिन्न कार्य योजनाएँ शुरू करने के लिये इस कार्यक्रम के लिये 2603.12 लाख रुपये आवंटित किये गये। 1986-87 के दौरान, इस कार्यक्रम को चुने हुए 430 ब्लाकों में लागू किया जा रहा है और इसके लिये 3921.8 लाख रुपये आवंटित किया गया है।

### दालें

देश में दालों की पैदाई के अन्तर्गत शैव विश्व में सबसे ज्यादा है। ये दलहन फसलें मिट्टी की उर्वरा-शक्ति बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये यहां के लोगों के भोजन का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं।

परम्परा यह है कि किसान दालों की खेती प्रमुख फसल के रूप में नहीं करते बल्कि ये बची हुई असिंचित जमीन पर अतिरिक्त फसल (बोनस फसल) के तौर पर उगाई जाती हैं। फिर भी कृषि अर्थव्यवस्था में दलहनी फसलों का एक निश्चित और स्थायी स्थान है। ये फसलें मिट्टी की नमी की अधिकता के बावजूद भी टिकी रहती हैं और नाइट्रोजन की मात्रा ये अपने-आप वायुमण्डल में से ले लेती हैं।

चूंकि दालों के उत्पादन में तकनीकी प्रगति के कारण उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी अनाज के उत्पादन में हुई है, इसलिए दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने विशेष कदम उठाये हैं। बीस-सूती कार्यक्रम-1986 के अन्तर्गत दालों का उत्पादन बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नीति यह है कि (1) जिस जमीन पर सिंचाई सुविधाएं हैं, वहां दलहनी फसलें शुरू की जाएं, (2) गर्मी के मौसम में सिंचाई की सुविधाओं वाले क्षेत्रों में तिलहन, गन्ना, आलू, गेहूं और मसूर की फसल के बाद और रबी के मौसम में बची हुई नमी का उपयोग करने के लिए, धान की फसल के बाद परती भूमि में मूंग और उड़द की जल्दी तैयार होने वाली किस्में अधिक से अधिक क्षेत्र में उगाया, (3) सिंचित और असिंचित दोनों तरह की जमीन में सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और गेहूं की फसल के साथ ही खेत में अरहर भी बोया जाए, (4) उन्नत दलहनी बीजों का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ाया जाए, फास्फेट युक्त उर्वरक और राईजोघियम का इस्तेमाल किया जाए और पीछ-संरक्षण के उपाय अपनाए जाएं, (5) फसल कटाई के बाद अपनाई जाने वाली सुधरी प्रौद्योगिकी तथा दालों के मूल्य एवं विपणन की जन-नीति अपनाई जाए।

1986-87 से सरकार ने केन्द्र समर्थित राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना मंजूर की है। इसका उद्देश्य दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि करना तथा इसे अनुकूल फसल अपनाने तथा स्थान विशेष की समस्याओं के माध्यम से स्थायित्व देना है। सिंचाई की स्थितियों में दालों की अल्पकालिक किस्मों के क्षेत्र का विस्तार और इसके साथ-साथ नई टेक्नोलाजी के जरिए उत्पादकता में वृद्धि पर इस परियोजना का खास जोर होगा। यह परियोजना एक निश्चित समय में उत्पादकता का उच्च स्तर हासिल करने के लिये जिला-उन्मुख मिशन कार्यक्रम है।

## तिलहन

1984-85 के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के माध्यम से देश में तिलहन विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के लागू होने और इससे पहले शुरू किये गये केन्द्र समर्थित कार्यक्रम / विशेष परियोजनाओं के बदलेत तिलहन विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पांचवीं योजना के अंत में (1979-80) तिलहनों की घेती 169.4 लाख हेक्टेयर में हो रही थी जो कि 1984-85 में बढ़कर 198.5 लाख हेक्टेयर हो गयी। इसी प्रकार उत्पादन भी 1979-

80 में 87.4 लाख टन में बढ़कर 1984-85 में 131 लाख टन हो गया। यह निर्धारित 130 लाख टन के लक्ष्य को पार कर गया। इसी अवधि के दौरान उत्पादकता भी 516 किलो प्रति हेक्टेयर में बढ़कर 660 किलो प्रति हेक्टेयर हो गयी। छठी योजना के दौरान तिलहन विकास के लिये 92.52 करोड़ रुपये दिये गये, जिसमें से तिलहन विकास परियोजना के लिये 1984-85 के दौरान 28.67 लाख रुपये दिया गया। सातवीं योजना में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिये 170 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई है जिसमें से 30 करोड़ रुपये 1985-86 के लिये मंजूर किये गये हैं।

1986-87 के लिये और सातवीं योजना के अंतिम वर्ष के लिये तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 148 और 180 लाख टन रखा गया है। सातवीं योजना की नई कार्यनीति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना में 1986-87 से परिवर्तन किये गये हैं। संगोषित परियोजना के अन्तर्गत सीमाओं का विश्लेषण और इनसे पार पाने के तरीकों के आधार पर, जिला कार्रवाई योजनाएं चुने हुए 180 जिलों के लिये तैयार की गई हैं। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित फंड, सेवाओं के मौजूदा स्तर को मजबूत करने, किसानों को प्रोत्साहन और चुने हुए जिलों में निवेश और कर्ज उपलब्ध कराने के लिये इस्तेमाल किये जायेंगे। कार्यक्रम के नये अंग हैं - (1) प्रजनक और मूल बीजों का उत्पादन; (2) दूरदराज के इलाकों में खुदरा वितरण केन्द्र खोलना; भंडारण और रखरखाव करना; (3) ग्राम स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन; (4) 'इनपुट किट' का वितरण; (5) पौधों के सुरक्षा रसायनों और पौधों की सुरक्षा के उपकरणों को पहले से सही स्थान पर रखना; (6) फील्ड प्रदर्शनों के जरिये टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण; (7) छिड़काव सेटों का वितरण; (8) नये फार्म औजारों की आपूर्ति; (9) भूमि परीक्षण के लिये सहायता, (10) बाजार और मूल्य समर्थन; (11) मूल जीव-प्रजातियां और उत्पादन, और (12) परियोजना के लिये समर्थन/स्टाफ का प्रावधान।

### बागवानी

बागवानी का विकास केवल फलों और सब्जियों जैसे पोषक खाद्यों की आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे विशेष रूप से लघु और मीमांत कृषकों की आमदनी बढ़ती है और रोजगार के अवसर बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। अप्रैल 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की गयी, जिसका मुख्यालय गुडगांव में है। इसका उद्देश्य बागवानी का समेकित विकास और उपज के उत्पादन, फटाई के बाद फसल की देखभाल, बिक्री और संवर्धन से सम्बंधित सभी पहलुओं की पूरी व्यवस्था करना है। यह बोर्ड बागवानी उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय और सहायकार सेवाओं सहित सभी तरह की सहायता उपलब्ध करवायेगा।



राष्ट्रीय वागवानी बोर्ड ने तीन वर्ष के लिए 59.18 लाख रुपये की लागत से फलदार वृक्षों के लिए अच्छी किस्म की सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना के अंतर्गत 19 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 25 नर्सरियाँ आयेंगी। इन नर्सरियों में किसानों को उचित दामों पर आपूर्ति के लिए आम, नींबू, सेव और लीची के पेड़-पौधों का प्रचार किया जायेगा। सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय वागवानी बोर्ड 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में मिनि किट वितरण के माध्यम से सब्जियों की खेती को तेज करने के लिए एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना चला रहा है। हर मिनिकिट में बीज, उर्वरक और पौधों की सुरक्षा के रसायन होते हैं। इसकी लागत 50 रुपये होती है लेकिन यह किसानों को केवल 5 रुपये में दिया जाता है। दिल्ली और मिजोरम के केन्द्र शासित प्रदेश और करीब 60 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वागवानी के विकास के लिए 12.5 लाख रुपये लागत की एक परियोजना शुरू की है। छोटे और सीमान्त किसानों के सामने सही समय पर फलों की पैकिंग की प्रभावशीलता का प्रदर्शन, अच्छे दाम के लिए सही पैकिंग और श्रेण बद्ध करना, तथा उन्हें उर्वरक और कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति कर वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। फसल के बाद आलू को नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय वागवानी बोर्ड ने 24 लाख रुपये की लागत से नमी विहीन कूलिंग व्यवस्था वाले गोदामों में आलू रखने की प्रायोगिक परियोजना लागू की है। इस तरह से प्रत्येक 20 टन क्षमता के 60 गोदाम, उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठंडे गोदामों के निर्माण के लिए 2,000 रुपये प्रति गोदाम की सीमा तक 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इन विशेषताओं के कारण इनकी मांग विश्व भर में की जाती है।

नारियल विकास बोर्ड ने, जिसका मुख्यालय कोचीन में है, अब तक 11 परियोजनाएँ लागू की हैं। इनके अंतर्गत नारियल के फसल क्षेत्रों का विस्तार, अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन, पीध उपलब्ध कराना और नारियल टेक्नोलाॅजी केन्द्र स्थापित करना शामिल है। नारियल के लिये एकमुश्त कार्यक्रम में केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 14,0000 हेक्टेयर जमीन पर नये पौधे लगाये गये, 55,000 हेक्टेयर में नारियल के पेड़ों का नवीकरण किया गया और 5,200 प्रदर्शन प्लाट बनाये गये।

केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा में काजू का उत्पादन बढ़ाने के लिये विश्व बैंक की सहायता से 38 करोड़ 36 लाख रुपये की बहुराज्यीय काजू परियोजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत 53,775 हेक्टेयर क्षेत्र में नयी पीध लगायी गयी। इसके अलावा मौजूदा वागानों में से साढ़े सात हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। काजू विकास के लिये केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत छठी योजना के अन्त तक केरल,

कनाटक, मांध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और योधा में 6,046 प्रदर्शन किये गये ।

योधा में केना उत्पादन कार्यक्रम और अरुणाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अल्पनास उत्पादन कार्यक्रम केन्द्र की सहायता से प्रयाण जा रहे हैं ताकि इन फलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके । इसके अलावा उन्नत किस्म के मेषों के उत्पादन के लिए सुधरी हुई तरनीक के विकास हेतु एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1983-84 से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है । जम्मू और कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सैन्य तकनीक परियोजना को लागू करने के काम का भी 1983-84 से विस्तार कर दिया गया है ।

समशीतोष्ण जलवायु में होने वाले फलों के विनास के लिये इटली की सहायता से एक योजना जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है । इसके अंतर्गत फलों की किस्में आयात करके उन्हें स्थानीय वातावरण में उगाया जाता है और स्थानीय कर्मचारियों को इटली के अनुभवों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

केन्द्र की सहायता से भारतीय राज्य फार्म निगम के दस फार्मों पर उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने के लिये वागान लगाये गये हैं । इनके अंतर्गत 155.88 हेक्टेयर जमीन पर विभिन्न फलों के उन्नत किस्म के पौधे लगाये गये हैं ।

## पशुपालन

मवेशी और  
दुधारू पशु

भारत में दुनिया के सबसे अच्छी नस्ल के मवेशी और दुधारू पशु पाये जाते हैं ; भारतीय मवेशी अपनी ताकत, मजबूती और उच्च कटिबंधीय बीमारियों और जलवायु के प्रतिरोध की क्षमता के लिये मशहूर हैं । इन विशेषताओं के कारण इनकी मांग विश्व भर में की जाती है । 1982 की मवेशियों की गणना के अनुसार भारत में 19.10 करोड़ मवेशी और 6.90 करोड़ दुधारू पशु हैं जो विश्व की कुल पशुओं की संख्या का लगभग छठवाँ और आधा है ।

मवेशी और दुधारू पशु राष्ट्रीय प्राय में काफी योगदान करते हैं । 1983-84 में अस्थायी अनुमानों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर पशुपालन क्षेत्र के उत्पादन का कुल मूल्य 13,780 करोड़ रुपये था । देश की प्राचीन परंपराओं में मवेशियों के महत्व और राष्ट्रीय प्राय में उनका योगदान को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकारें इनके विकास पर काफी ध्यान दे रही हैं । मवेशी विकास के लिये राज्यों द्वारा प्रस्तायी गयी विभिन्न योजनाओं में मुख्य प्राचीण छंड और सघन मवेशी विकास परियोजनाओं कागिर हैं । इनके अंतर्गत पांच सौ मुख्य प्राचीण छंड और 127 सघन मवेशी विकास परियोजनाओं विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थापित की गयीं । इनका उद्देश्य मवेशियों का बहुमुखी विकास नियोजित और समन्वित रूप में करना है । इन

योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में करीब 15 हजार गर्भाधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

इन कार्यक्रम पर अमल के परिणामस्वरूप मवेशियों और भैंसों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। छठी योजना के दौरान देश में दूध का उत्पादन 1979-80 में 3.02 करोड़ टन से बढ़कर 1984-85 में 4.02 करोड़ टन हो गया।

छठी योजना की मध्यकालीन समीक्षा में मवेशियों और भैंसों की मान्यता प्राप्त देशी नस्लों के सुधार पर जोर दिया गया। तदनुरूप केन्द्र समर्थित एक योजना तैयार की गयी। इस योजना में जानवरों के रहने के लिए वर्तमान राज्य मवेशी/भैंस प्रजनन फार्मों को सुदृढ़ करने, चारे के उत्पादन, भूमि विकास, सिंचाई सुविधाओं के विकास और जानवरों की खरीद की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम 1984-85 में शुरू किया गया और 1985-86 में जारी रहा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हर राज्य में एक फार्म के विकास के लिए वित्तीय मदद मुहैया की गयी। इस कार्यक्रम को सातवीं योजना में भी शामिल किया गया है।

चारा

वैज्ञानिक ढंग से चारा उत्पादन कार्यक्रम के लिये टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के प्रयास तेज किये गये। इस कार्यक्रम का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान है। इस काम के लिये चारे के मिनिक्विट प्रदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार किया गया और इसके उत्पादन और प्रदर्शन के लिये सात क्षेत्रीय केन्द्रों ने विस्तार कार्यों पर जोर दिया। 1985-86 में 85,450 मिनिक्विट उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा 1985 के खरीफ और 1986-87 के रबी मौसम के दौरान क्षेत्रीय केन्द्रों ने विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में अधिक उपज देने वाली किस्मों और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से 7,600 प्रदर्शनों के लिए प्रबंध किया। ये क्षेत्रीय केन्द्र चारा उत्पादन और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य सरकारों और विभिन्न संगठनों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं।

बंगलूर में हसरघट्टा स्थित केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म और क्षेत्रीय केन्द्रों ने राज्य सरकारों और किसानों के उपयोग के लिये 350 मीट्रिक टन से अधिक चारे की फसलों और घास के उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन किया। क्षेत्रीय केन्द्र अब देश में किसी भी स्थान पर उगाये जाने वाले चारे की फसल के लिये अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज सीमित मात्रा में उपलब्ध करा सकते हैं। हसरघट्टा चारा बीज फार्म और क्षेत्रीय केन्द्रों में तैयार कुछ बीज केन्द्रीय मिनिक्विट कार्यक्रम में भी इस्तेमाल किये गये। हसरघट्टा में तैयार अधिक उपज देने वाला चारे का बीज एच० जी० टी०-3 देश में बहुत अधिक लोकप्रिय रहा है।

स्टाइलोसाथिस और सिराट्टो नामक चारे की फालियों के प्रचलन तथा इसके बीजों के बड़े पैमाने पर पैदा किये जाने से

चरागाह विकास कार्यक्रम को बड़ा फायदा हुआ है। बहुत से राज्यों के बन-विभागों ने स्टाइलोग्राम्स, विशेषकर एम हमाटा के बीजों का उत्पादन किया है। चारा फसलों की नई किस्में एस० स्टेला तथा एस० विस्कोना शुरू की गयी हैं। जमीन का बटान रोपने तथा मूत्रे क्षेत्रों में चारा फसल उगाने के लिए बड़े पैमाने पर उपरोक्त किस्मों का विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया।

### मूर्गी-पालन

देश में 1985-86 के दौरान 1,453 करोड़ घण्टों का उत्पादन होने की आशा है। इसी तरह मांस के लिए 7 करोड़ से अधिक पक्षियों के उपलब्ध होने की आशा है।

बंबई, भुवनेश्वर, हसरपट्टा और चंडीगढ़ में केन्द्रीय मूर्गी प्रजनन फार्म, वैज्ञानिक तरीके से मूर्गी-प्रजनन के कार्यक्रम में लगे हैं और यहाँ अधिक घण्टे देने वाली और जल्दी घण्टे देनेवाली नस्लें विकसित की गई हैं। ये फार्म हेचरीज (भंडा उत्पातिशालाओं) को जनकीय किस्म के चूजे और किसान को संकर नस्ल के व्यावसायिक चूजे की आपूर्ति कर रही हैं।

हसरपट्टा का केन्द्रीय बतख-पालन फार्म विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अधिक घण्टे देने वाले खाकी कैम्पवेल नस्ल की बतखें और चूजे मिलाई कर रहा है।

हसरपट्टा, बम्बई और भुवनेश्वर के तदर्थ सम्पन्न-परीक्षण यूनिट पक्षियों के घण्टे देने की प्रक्रिया और ब्राइलर परीक्षण करते हैं और मूर्गी-पालकों, हेचरीज तथा ब्रीडिंग संगठनों को देश में उपलब्ध सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के भण्डा देने वाली मूर्गियों और ब्राइलर के स्टॉक के बारे में उपयोगी जानकारी मुहैया कराते हैं। आशा की जाती है कि 1986-87 में चौथा परीक्षण यूनिट जो कि गुडगांव (हरियाणा) के निकट है, कार्य करना शुरू कर देगा।

हसरपट्टा का केन्द्रीय मूर्गी-पालन प्रशिक्षण संस्थान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/कृषि विरबविद्यालयों और निजी क्षेत्र के मूर्गी-पालन केन्द्रों को व्यवहारिक अत्यावधि पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूर्गी-पालन के विशेष क्षेत्रों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

चंडीगढ़ की क्षेत्रीय चारा विरलेषण प्रयोगशाला किसानों और चारा-उत्पादकों के निजी तथा सार्वजनिक संगठनों को चारे के विरलेषण की सुविधाएं मुहैया कराती है। 1986-87 तक बम्बई तथा भुवनेश्वर की प्रयोगशालाएं इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना प्रारंभ कर देंगी।

भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिषद 'नाफेड' राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर घण्टों की वित्री और खरीद का काम संभालता है।

### मांस

देश में विभिन्न पशुओं में करीब दस लाख टन मांस का उत्पादन होता है। देश में उपभोग के लिए प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 1.36 किलो ग्राम है। मानव उपभोग के लिए साफ और अच्छे किस्म का मांस प्राधुनिकतम सुधरे बूढ़वानो हाथ ही उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार के तीन प्राधुनिक:

बूचड़खाने बनाये जा चुके हैं। कलकत्ता, दिल्ली, श्रीनगर तथा शिविक्कम में आधुनिक बूचड़खाने बनाने का प्रस्ताव है।

### सुअर पालन

देश में सुअरों की संख्या एक करोड़ से भी अधिक है। सुअर नस्ल बढ़ाने तथा शीघ्रता से वजन बढ़ाने वाले जानवरों की सफल नस्लों में से है। उत्पादन की दृष्टि से विदेशी सुअरों की नस्ल के मुकाबले में देशी नस्ल बड़ी कमजोर है। देशी सुअरों की नस्ल को आर्थिक रूप से सुधारने के लिए संकर नस्ल तथा विदेशों से अच्छी नस्ल के सुअर मंगाए जा रहे हैं। देश में 85 सुअरों की नस्ल सुधार/नस्ल वृद्धि के केन्द्र हैं जहाँ विदेशों से मंगाए अच्छे किस्म के सुअरों की भी देख-रेख की जाती है। इस प्रकार की देशी-विदेशी नस्ल से तैयार संकर नस्ल की बहुत मांग है।

उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए अच्छी किस्म का सुअर का मांस (पोर्क) और उससे तैयार होने वाले उत्पादों के लिए तथा प्राथमिक उत्पादकों, जो अपने उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बेचते हैं, की सहायता के लिए आठ क्षेत्रीय फ़ैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं जो आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं। बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल को फ़ैक्ट्रियों की क्षमता सुधारने का प्रस्ताव है। मांस परिरक्षण की निजी क्षेत्र की 140 इकाइयां हैं जहाँ साफ-सुथरे ढंग से सुअर के मांस (पोर्क) तथा मांस से बने उत्पादों के परिरक्षण का कार्य किया जाता है।

### भेड़-पालन

भारत में भेड़ों की संख्या करीब 4.90 करोड़ है (1982 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार)। हमारे यहाँ एक भेड़ से औसतन प्रतिवर्ष 1 किलोग्राम से कम ऊन उतरती है, जबकि अन्य देशों में मेरीनो, रेम्बोलिट्स जैसी नस्ल की भेड़ों से प्रतिवर्ष औसतन 4 से 5 किलोग्राम ऊन उतरती है। देश में ऊन का कुल उत्पादन 3.84 करोड़ किलोग्राम होने का अनुमान है (1984-85)। इसमें से 10 प्रतिशत ऊन बढ़िया वस्त्र बनाने लायक होती है, शेष ऊन बढ़िया गलीचे, अन्य जगह इस्तेमाल होने वाले गलीचे, नम्दा और कम्बल बनाने योग्य होती है। देश में ऊन की कुल मांग 5.50 करोड़ किलोग्राम है इसलिए उत्पादन तथा मांग की कमी की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये की 160 लाख से 180 लाख किलोग्राम ऊन का आयात किया जाता है।

1968-69 में 13.28 करोड़ रुपये के ऊनी गलीचे बनाए गए थे जबकि 1986-87 में 215 करोड़ रुपये के गलीचे बनाए जाने का अनुमान है। गलीचे तैयार करने के लिए देश में कुल 2 करोड़ किलोग्राम ऊन उपलब्ध होती है जो कि अभी गलीचा उद्योग की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है।

बढ़िया किस्म की ऊन प्राप्ति के लिए देश में सभी प्रजनन योग्य मादा भेड़ों के लिए बढ़िया किस्म की ऊन वाले कुल 4.5 लाख और एक तिहाई मादा भेड़ों के लिए कम से कम 1.2 से 1.7 लाख नर भेड़ों की आवश्यकता है। इसके लिए 90 भेड़ प्रजनन फार्म तथा 1,400 विस्तार केन्द्र खोले गए हैं। इन उपायों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और कच्ची ऊन का कुल उत्पादन, जो 195

में 275 लाख किलोग्राम था, 1984-85 में अनुमानतः 384 लाख किलोग्राम तक पहुँच गया।

हिसार (हरियाणा) में संकर भेड़ प्रजनन फार्म खोला गया है। भ्रमणी स्थापना से अब तक इस फार्म ने विभिन्न राज्यों को चुनी हुई 5,800 विदेशी नर भेड़ें सप्लाई की हैं। महफार्म भेड़ पालन और प्रबंध के बारे में अधिकारियों और चरवाहों को प्रशिक्षण भी देता है। देश में ऊन की विपणन तथा वर्गीकरण प्रणाली सुधारने के लिए 5 ऊन बोर्ड/भेड़ निगम भी कायम किए गए हैं।

### पशु-स्वास्थ्य

सारे देश में लगभग 15,720 पशु चिकित्सालय तथा औपघालय तथा अन्य 19,900 पशु चिकित्सा सहायता केन्द्र कार्यरत हैं। ये संस्थाएँ ग्राम बीमारियों के रोग निरोध तथा रोकथाम के कार्य करती हैं। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले टीके का देश में ही उत्पादन करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 18 टीका उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी केन्द्र मिलकर पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए 4,000 लाख टीके, एंटीजन इत्यादि तैयार करते हैं।

केन्द्रीय शुधि मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा जीव संबंधी उत्पादों का किस्म (क्वालिटी) नियंत्रण केन्द्र स्थापित कर रहा है ताकि जानवरों के लिए देश में निर्मित विभिन्न टीके, और उनकी बीमारी का पता लगाने में प्रयोग होने वाले प्रतिकर्मको (रिएजेंट्स) का स्तर और गुणवत्ता बनायी रखी जा सके।

शुधि मंत्रालय 5 क्षेत्रीय रोग जाच प्रयोगशालाएँ स्थापित कर रहा है जो क्षेत्रों से रोगों की जाच करेगी तथा दुस्त्याध्य तथा नए-नए रोगों की जाच के बारे में विशेषज्ञ सलाह देगी। इसके प्रतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 राज्य रोग जाच प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाई जा रही है। राज्यों में लगभग 250 रोग जाच प्रयोगशालाएँ कार्य कर रही हैं।

देश में पशुओं को होने वाले प्लेग के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रियान्वित किया जा रहा है। इस बीमारी से मृत्यु की दर जो 1950 के दशक के मध्य में 96 प्रति लाख प्रतिवर्ष थी, कम होकर छठी पंचवर्षीय योजना काल में 1 प्रति लाख रह गई है।

चासू योजना की अवधि के दौरान विभिन्न पतरे वाले क्षेत्रों में चासू किस्म की नीतियों को लागू कर बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रयास किये जायेंगे।

### डेपरी

देश में इस समय सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों में विविध प्रकार-प्रकार के 244 डेपरी सयंत्र हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 142 लाख लीटर प्रति दिन है और इनमें 1985 के दौरान प्रतिदिन 105 लाख लीटर दूध का उत्पादन हुआ।

1978 में करीब 485.5 करोड़ रुपये की लागत की दूसरी आपरेशन प्लड-योजना के अन्तर्गत समेकित डेयरी विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मुख्य कार्य किए गए, उनमें ग्राम, जिला और राज्य स्तरों पर त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे का गठन, तकनीकी निवेश की व्यवस्था और सहकारी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण दुग्ध उत्पादन की परिरक्षण क्षमता तथा उसकी विक्री की व्यवस्था करना शामिल है। इस तरह उपभोक्तार्थों को सुविधा देने तथा उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों तथा उत्पादक क्षेत्रों में दूध परिरक्षण और विपणन की सुविधाएं आवश्यक हैं। 1985-86 के दौरान इस दिशा में काफी प्रगति हुई।

मार्च 1986 के भारतीय डेयरी निगम ने विभिन्न उत्पादों की विक्री से 269.13 करोड़ रुपये का धन संचय किया। जबकि भारतीय डेयरी निगम ने 361.81 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अपनी परियोजनाओं के विकास पर खर्च की।

मार्च, 1986 के अंत तक यह कार्यक्रम 164 दुग्धशालाओं में लागू किया जा रहा था जिसके अंतर्गत 42,865 ग्रामीण सहकारी समितियां और सहकारिता के अन्तर्गत आने वाले 45.24 लाख फार्म परिवार शामिल हैं। मार्च 1986 के दौरान ग्रामीण डेरियों द्वारा औसतन 93.54 लाख किलो प्रति दिन दूध इकट्ठा किया गया। इस वर्ष के दौरान सर्वाधिक दूध फरवरी 1986 के महीने में इकट्ठा किया गया जो 100.26 लाख किलो प्रति दिन था। मार्च 1986 के दौरान मेट्रो डेरियों से औसतन 30.48 लाख लीटर प्रति दिन दूध वितरित हुआ। मार्च 1986 के अंत तक 8,581 गांवों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थीं और 22,808 ग्रामीण सहकारी समितियां मवेशियों का विपणन कर रही थीं।

इटोला (वड़ीदा) में हिन्दुस्तान पैकेजिंग कंपनी लिमिटेड को अक्टूबर 1985 में आई० डी० सी० की सहयोगी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह कारखाना सूरत, इंदौर और जयपुर के अपूर्तिक (असेप्टिक) पैकेजिंग स्टेशनों को लेमिनेटेड कागज उपलब्ध कराता है। यह कारखाना आई० डी० सी० की श्रोर से प्रणाली की स्थापना, नियमित सर्विसिंग तथा अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई और आपरैटरों के प्रशिक्षण को लेकर ग्राहकों से समझौता करने के वाद अपूर्तिक पैकेजिंग प्रणालियां लीज पर देता है। अप्रैल, 1985 से मार्च 1986 तक कंपनी की कुल विक्री 148.63 लाख रुपये की रही। आपरेशन प्लड प्रोग्राम के अंतर्गत बड़ी और छोटी लाइनों के 95 दूध टैंकों के रूप में लंबी दूरी की यातायात व्यवस्था तैयार की गयी। इन टैंकों की कुल क्षमता 33.25 लाख लीटर है। 7.01 लाख लीटर क्षमता के 18 टैंकों का आदेश दिया गया है। 82.43 लाख लीटर कुल क्षमता के सड़कों पर चलने वाले 758 टैंकर लिये गये हैं और 22.62 लाख लीटर क्षमता के 218 टैंकों का आदेश दिया गया है। ठोस दूध के पाउडर के लिए 8,300 एम० टी० तथा मक्खन तेल तथा सफेद मक्खन के लिए 2,200 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता अब तक विकसित की जा चुकी है।

### मछली-पालन

मछलीपालन के क्षेत्र में प्रतिवर्ष करीब 29 लाख टन मछली में प्रोटीन समृद्ध खाद्यपदार्थों का उत्पादन हो रहा है और इनसे प्रतिवर्ष करीब 400 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। इनसे 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है जिनमें से अधिकांश मछुमारों के परंपरागत समुदायों में आते हैं।

### उत्पादन

भारत में 1950-51 में मछली उत्पादन 7.5 लाख टन था, जो 1982-83 में बढ़कर 23.7 लाख टन हो गया है।

1984-85 में 28.58 लाख टन उत्पादन अभी तक का सबसे अधिक उत्पादन है। छठी योजनावधि के दौरान संपूर्ण मछली उत्पादन की वृद्धि +3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की होगी। 1984-85 का उत्पादन स्तर 1985-86 में भी कायम रहा।

अब 200 समुद्री मीन के विविध आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है और आशा है कि देश में मछली उत्पादन और बढ़ जाएगा।

1984-85 के दौरान 384.29 करोड़ रुपये मूल्य के 86,187 टन समुद्री सामान का निर्यात किया गया। 1985-86 के दौरान 398 करोड़ रुपये मूल्य के 83,651 टन समुद्री सामान का निर्यात किया गया। मूल्य के रूप में यह निर्यात एक रिकार्ड था।

### मशीनीकरण

जिन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के प्रयत्न कम होते हैं, वहां यंत्रोद्भूत आधुनिक नौकाएं उपलब्ध करायीं गयीं हैं, लेकिन जहां मछली पकड़ने के लिए पहले से ही काफी संख्या में नौकाएं लगी हुई हैं, वहां मशीनी नौकाएं नहीं दी गई हैं। 1984-85 में मशीनी नौकाओं की संख्या 20,000 थी, जो 1985-86 में बढ़कर 22,000 हो गई। इस समय समुद्र से व्यापारिक उद्देश्य से मछली पकड़ने के लिए 88 (20 मीटर या अधिक लम्बाई के) जहाज हैं।

मछली पकड़ने वाली कंपनियों को आसान शर्तों पर कर्ज देने की सिफारिश जहाजरानी विकास फंड समिति को की गई है। यह कर्ज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली 195 नौकाओं को खरीदने के लिए इन कंपनियों ने मांगा है। केन्द्र सरकार की एक नयी योजना सरकारी अनुदान से परंपरागत जहाजों के मोटरीकरण की है। इसके अन्तर्गत 1985-86 में 500 परंपरागत जहाजों के मशीनीकरण की स्वीकृति दी गयी। 1985-86 के दौरान उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण कदम, तट पर उतरने वाले उन्नत क्रिस्म के जहाज का प्रवेश था। 150 जहाजों के लिए सरकारी अनुदान को स्वीकृति प्रदान की गई है।

### मत्स्य बन्दरगाह

मछी बड़े और छोटे बंदरगाहों तथा समुद्र तट के साथ-साथ सगे सभी उपयुक्त स्थानों पर मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बंदरगाह भुविषाण उपलब्ध की जा रही है। सरकार परंपरागत ढंग के देगी जहाजों में लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले आधुनिक जहाजों तक विभिन्न क्रिस्म के जहाजों के



लिए तीन प्रकार के बंदरगाह बनाने पर विचार कर रही है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जहाजों की जलरत पूरी करने के लिए बड़े व्यापारिक बंदरगाहों के पास 6 मीटर गहरे बड़ी श्रेणी के मत्स्य बंदरगाह बनाए जाएंगे। बड़ी मशीनी नौकाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मध्यम आकार के ट्रालरों को खड़ा करने की सुविधाएं देने के लिए 4 मीटर गहरे, छोटे मत्स्य बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव है। उन छोटे मछुआरों के लिए जो पुरानी नौकाएं या छोटी मशीनी नौकाएं रखते हैं, छोटे-छोटे केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है।

अब तक कोचिन, रायचीक, विशाखापत्तनम और मद्रास में 4 बड़े मत्स्य बंदरगाह; तूतीकोरिन, मछलीपत्तनम, काडिकरै, विशिन्जम, फारवाड़, मालपे, हेनावर, धमड़ा और पोर्ट ब्लेयर में 9 छोटे मत्स्य बंदरगाह तथा 73 बहुत छोटे मत्स्य केन्द्र बनकर पूरे हो चुके हैं। एक बड़ा और 17 छोटे मत्स्य बंदरगाह तथा 3 छोटे मत्स्य केन्द्रों को बनाने का काम चल रहा है।

### भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग (जो पहले श्रन्वेपणात्मक मछली पालन परियोजना, वंवाई था) समुद्र तट पर और गहरे समुद्र में 6 स्थानों पर 21 ट्रालरों की सहायता से मछली पकड़ने की संभावनाओं के बारे में सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। ये ट्रालर बड़े हैं और इनमें मछली पकड़ने की विभिन्न सुविधाएं, जैसे पेंद से, पानी के बीच में से या कोने से मछली पकड़ने की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 40 फीथम गहराई तक सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और इसके परिणाम मछली पालन उद्योग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 40 फीथम से अधिक गहरे पानी में सर्वेक्षण शुरू हो चुका है और महाद्वीपीय क्षेत्र के किनारे पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की संभावनाओं का पता चला है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत दूना सम्पदा पर योजनावद्ध ढंग से सर्वेक्षण किया जा रहा है। 1985-86 के अंत तक इस विभाग द्वारा 3.35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

### अन्तर्देशीय मछली पालन

भारत में अंतर्देशीय मछली पालन के क्षेत्र में विशाल संभावनाएं और साधन हैं। इस क्षेत्र से 1971-72 में 6.9 लाख टन मछली उत्पादन हुआ, जो 1984-85 में 10 लाख 82 हजार टन, तथा 1985-86 में 11 लाख 39 हजार टन हो गया।

### मछली पालक विकास एजेंसी

केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में 184 मछली पालन विकास एजेंसियां बनाई गई हैं। इन सभी एजेंसियों ने मिलकर देश में अब तक 1.36 लाख हेक्टेयर जल-क्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन की सुविधाएं विकसित की हैं और करीब 90,000 मछली-पालकों को वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई है। 1973-74 में एक हेक्टेयर जल-क्षेत्र में 50 किलोग्राम मछली उत्पादन होता था, जो 1984-85 में बढ़कर करीब 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। मछली पालक विकास एजेंसियों द्वारा जलचर टेकनोलॉजी केन्द्र की स्थापना

की गयी है। इसका उद्देश्य 3,000 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन समता वाली उच्च उत्पादन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है।

**मत्स्य बीज उत्पादन**

अंतर्देशीय मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है। पाचवी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य के बीजों का उत्पादन 91 करोड़ 30 लाख तक हुआ था, जबकि 1984-85 के दौरान 563.9 करोड़ मत्स्य बीजों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। 1985-86 में मत्स्य बीजों का उत्पादन 653.1 करोड़ था। सातवीं योजना के अंतिम वर्ष (1989-90) में 1,200 करोड़ मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य है।

**खारे जल में मछली पालन**

खारे पानी में मछली पालन के विकास के लिए केन्द्र की सहायता से एक योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत जल-शोध का विकास किया जायेगा और खारे पानी वाले डेढ़ लाख कच्चे तालाबों को मछली पालन फार्मों का रूप दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मछली के बीज तैयार करने के लिए मछली पालन केन्द्र भी बनाये जायेंगे, जिनके माध्यम से मछली पालन करने वाले किसानों को बीज वितरित किए जायेंगे। 1,060 हेक्टेयर क्षेत्र में 21 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

**प्रशिक्षण और अनुसंधान**

बंबई के मछली पालन शिक्षण के केन्द्रीय संस्थान और बैरकपुर में इसकी यूनिट अंतर्देशीय मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र तथा आगरा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। हैदराबाद स्थित केन्द्रीय मछली पालन विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र में उम्मीदवारों को मछली पालन संबंधी विस्तार तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

**क्लिफनेट**

कोचीन स्थित मछली पालन, समुद्री और इंजीनियरी प्रशिक्षण का केन्द्रीय संस्थान क्लिफनेट और मद्रास तथा विशाखापत्तनम में स्थित इसके दो यूनिटों में प्रशिक्षार्थियों को समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के सवध में तथा वहां काम करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के 15 पाठ्यक्रमों में 350 से 400 प्रशिक्षार्थी लिए जाते हैं।

तीन संस्थान समुद्र से और अंतर्देशीय साधनों से मछली उत्पादन करने की विभिन्न समस्याओं पर अनुसंधान कार्य करते हैं। ये हैं—केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय मछली पालन तकनीक संस्थान, कोचीन तथा केन्द्रीय अंतर्देशीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर।

**मछलियों के लिए कल्याण कार्यक्रम**

परम्परागत मछलियों की हालत सुधारने के लिए सरकार के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत अब तक 3.21 लाख मछलियों को लाया जा चुका है। समिति अतिरिक्त के अंतर्गत पञ्जीकृत मछलियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण फंड की स्थापना भी की गई है जो मछलियों के घुने हुए कर्पूर में पीने के पानी, आवास, सड़क, चिकित्सा वगैरै नारकिक सुविधाएं मुहैया करवाएगी।

## कृषि अनुसंधान

कृषि मंत्रालय में 1973 में गठित कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग देश में कृषि, पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्रों के अनुसंधान और शिक्षण संबंधी गतिविधियों में समन्वय का काम करता है। यह विभाग इन क्षेत्रों में और इनसे सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यरत राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अन्तरसंस्थात्मक और संस्थाओं के भीतर तालमेल करने में भी मदद करता है। विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का सरकार के साथ सम्पर्क बनाने का भी काम करता है।

## भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन जुलाई 1929 में एक पंजीकृत समिति के रूप में किया गया था। परिषद योजनाएं बनाने वाली शीर्ष संस्था है और यह कृषि, पशुपालन और मछली पालन विज्ञान के क्षेत्रों में होने वाले अनुसंधान कार्य में समन्वय करती है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाली विस्तार एजेंसियों तथा देश के लगभग सभी राज्यों में स्थित 23 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से इन अनुसंधान कार्यों को खेतों तक पहुंचाने में मदद करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश-भर में फैले सहकारी अनुसंधान संगठनों के जरिए समन्वित रूप से काम करती है। इसमें केन्द्रीय संस्थाएं, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक तथा वैज्ञानिक संस्थाएं हिस्सा लेती हैं। मुख्यालय में शीर्ष स्थान पर फसल विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वागवानी, मत्स्य पालन शिक्षा, कृषि विस्तार, भूमि और कृषि इंजीनियरिंग के सात डिवीजन हैं। हर डिवीजन उप महानिदेशक के निर्देशन और नियंत्रण में है।

इसके पास, 41 केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं, 4 परियोजना निदेशालयों, 4 राष्ट्रीय अनुसंधान ब्यूरो, 7 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, 68 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं, बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी हस्तांतरण परियोजनाओं, 23 कृषि विश्वविद्यालयों, 530 अस्थायी योजनाओं और एक कृषि अनुसंधान प्रबंध की राष्ट्रीय अकादमी, का भरापूरा तंत्र है। सभी प्रमुख राज्यों में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय है। महाराष्ट्र में 4, उत्तर प्रदेश में 3 और हिमाचल प्रदेश और विहार में 2-2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की तिहरी जिम्मेदारी उठाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर को भी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और ये स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा तथा कृषि और पशु पालन विज्ञान के विभिन्न विषयों में क्रमशः स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्रियां प्रदान करते हैं। भारत में कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिवर्ष कृषि और सम्बद्ध विषयों में सैकड़ों दर्जा, फेलो और फेलोशिप प्रदान करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विस्तार व्यवस्था के अन्तर्गत वैज्ञानिक विस्तार गतिविधियां चलाते हैं जिनका उद्देश्य है—किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी की तत्काल व्यावहारिक जानकारी देना और टेक्नोलॉजी पर अमल के दौरान प्राप्त किये अनुभवों की तत्काल जानकारी प्राप्त करना। टेक्नोलॉजी हस्तांतरण परियोजनाओं में 48 राष्ट्रीय प्रदर्शन, 152 संचालन अनुसंधान

परियोजनाएं/केन्द्र, 89 कृषि विज्ञान केन्द्र, 8 प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, 100 प्रयोग-शाला से घेत तककेन्द्र, 45 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण परियोजनाएं तथा तिलहनों और दलहनों के बारे में राष्ट्रीय संचार और प्रशिक्षण केन्द्र की दो परियोजनाएं शामिल हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित अधिक उपज देने वाली किस्मों और उन्नत तकनीकों से कृषि के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध हो गए हैं। अधिकतम फसलों के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी उन्नत किस्में तैयार की हैं जो अधिक उपज देती हैं, बीमारी और कीड़ों का सामना कर सकती हैं तथा देग के हर हिस्से और जलवायु में उगायी जा सकती हैं ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने फसल की किस्मों में सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985 के दौरान विभिन्न फसलों में पौधों की 171 नयी किस्में जारी की । ये हैं : चावल-35, गेहूँ-20, ज्वार-21, बाजरा-18, अरहर-10, मूंगबीन-10, अन्य दालें-9, चना-4, मक्का-5, जौ-5, कपास-7, मूंगफली-5, रेपसीड और सरसों-6, भलसी-3, तिल-2, सोयाबीन-2, अण्डी-1, रामतिल-1 और चारे की फसलें-7 । इनके प्रतिरक्षित, घायातों, चारे, रेणों और व्यावसायिक फसलों की अनेक नई किस्मों का पता लगाया गया है और इन्हें उपयोगी पाया गया है । इनका किसानों के खेतों में मिनिमिड के माध्यम में परीक्षण किया जा रहा है । इसी ढर्रे पर 1986 के दौरान 44 नई किस्मों की सूचना दी गयी और देश के विभिन्न भागों के लिये उपयोगी 15 किस्मों का पता लगाया गया ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विभाग के सहयोग से तिलहनों के उत्पादन को तेज करने के लिए एक 'टेक्नोलॉजी मिशन' विकसित किया है । इस मिशन के अन्तर्गत तिलहनों के उत्पादन में अत्यनिर्भरता शामिल करने तथा घाघ तेलों के भारी आयात को कम करने का प्रयास किया जा रहा है । दालों का उत्पादन अधिकतम करने और स्वायत्त देने के लिए इसी तरह का एक कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया गया है । भारत के पूर्वी राज्यों के समृद्ध क्षेत्रों में चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है । बीमारियों और कीड़ों की एकीकृत रोकथाम को, मुख्य फसलों की उत्पादन टेक्नोलॉजी में उच्च प्राथमिकता दी गई है । इसके अन्तर्गत बीजों को अच्छी हालत में रखना, प्रतिरोध रखने वाले पौधों का विकास करना, कीटनाशक दवाओं के जल्द पर आधुनिक प्रयोग शामिल हैं । फसलों के सुधार कार्यक्रमों को दीर्घकालिक स्तर पर समर्थन देने की दृष्टि से देशी और विदेशी जन-द्रव्य संसाधनों के रूप में देश की परिस्थिति की संपदा को सुरक्षा और समृद्ध करने पर काफी जोर दिया जा रहा है ।

भारत विश्व का पहला देग है जिसने कपास की संकर किस्म तैयार की है । अनेक ऐसी नयी किस्में तैयार की गयी हैं जो कम अवधि में अच्छी किस्म की अधिक उपज देती हैं और बीमारियों का सामना करने में अधिक सक्षम हैं ।

गन्ना अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का प्रमुख स्थान है । गन्ने की तीन हजार ऐसी किस्में विकसित की गयी हैं, जो कम अवधि में फसल देती हैं और जिनमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है । आनुवंशिक और किस्म सुधार के लिए इन्हें गन्ने के

द्रव्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ऐसी किस्में अब 25 से अधिक देशों में बोई जा रही हैं। जूट की भी ऐसी नयी किस्में तैयार की गयी हैं, जो अधिक उपज देती हैं। इससे उन्नत किस्म का जूट मिलता है और ये किस्में खेतों में अधिक पानी इकट्ठा होने पर भी खराब नहीं होतीं।

मानव और पालतू पशुओं को पालने के लिए शुष्क भूमि को उपयोगी बनाने और इसके प्रबंध की उपयुक्त और प्रभावशाली टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए अनुसंधान जारी हैं। गतिमान वायु के टीलों को स्थिर करने, रेगिस्तान में वन विकसित करने, रेंज भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, कुशल जल संरक्षण तथा लागू करने की प्रणालियाँ और भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए विभिन्न उपायों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों का विकास किया गया है और इन्हें सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा रहा है।

खाद्यान्न, चारे और फलों की फसलों को शुष्क भूमि में सफलतापूर्वक पैदा किया जा रहा है। सौर और पवन ऊर्जाओं को शुष्क क्षेत्रों में संग्रहीत किया जा रहा है। फसल के नये तरीकों और रसायनों तथा अन्य कृषि तत्वों का इस्तेमाल कर क्षारीय भूमि को उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। खारी भूमि के प्रबंध के लिए भी टेक्नोलॉजी का पूर्ण विकास कर लिया गया है। इसमें अर्द्ध-सतही निकासी प्रणालियाँ, कृषि वन कार्यक्रम और खारे भूमिगत पानी को अच्छे पानी के साथ मिलाकर प्रयोग में लाने के क्षेत्र में नये परिवर्तनों का भी समावेश किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने विभिन्न किस्म की जमीन में कटाव को नियंत्रित करने के विभिन्न भूमि संरक्षण उपाय भी विकसित किये हैं। सूखे क्षेत्रों में फसल की उत्पादकता को बढ़ाने में भी काफी सफलता हासिल की गई है। परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा किये गये मौसम संबंधी जल संतुलन विश्लेषण से देश के विभिन्न मौसमों वाले क्षेत्रों में एक फसल, अंतर-फसल और दो फसलों को उगाने के लिये सबसे उपयुक्त समय की पहचान मुमकिन हो सकी है। उपयुक्त किस्मों/संकर किस्मों वाली फसलों की पहचान की गई है और संबद्ध फसलों और भूमि प्रबंध के तरीकों को विकसित किया गया है। उर्वरकों के कुशल उपयोग के लिए अनुसंधान पर भी जोर दिया जा रहा है।

कृषि संबंधी अनुसंधान का जोर विभिन्न कृषि सामग्रियों (इन्पुट्स) के अन्तर्गत तीव्रतर फसल चक्र, फसलों के चक्र में भूमि के उपजाऊपन को बनाये रखने, प्रति इकाई उत्पादन की पोषक तत्वों की जरूरतों, उर्वरकों और आर्गेनिक खादों के प्रत्यक्ष, पश्चात्पूर्ती और कुल प्रभाव तथा गहन कृषि व्यवस्था में उर्वरकों के प्रयोग के प्रभावों पर है। अनावश्यक कड़ी मजदूरी और रोजगार में नुस्नान के बिना उत्पादकता बढ़ाने हेतु मानव, जानवर और इलेक्ट्रो-यांत्रिकी शक्ति के अधिकतम उपयोगी मिश्रण से भारतीय कृषि के यंत्रीकरण के लिए कृषि औजार और मशीनरी का विकास किया जा रहा है। कृषि उत्पादों और उप-उत्पादों के संरक्षण तथा किसानों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए स्थान की जरूरत के हिसाब में फसल के बाद काम आने वाली टेक्नोलॉजियों का विकास किया गया है। पशुविज्ञान में

धनुसंधान का जोर मूलतः चयन, अच्छी स्वदेगी नस्लों को योगीबद्ध करने तथा विदेशी नस्लों एवं स्वदेगी नस्लों से मिश्रित नस्ल विकसित करने पर था।

भारतीय कृषि धनुसंधान परिषद के संस्थान देश के सम्पूर्ण विकास के लिए मत्स्यपालन धनुसंधान और प्रशिक्षण को आवश्यक मदद देते हैं। देश में मछलियों के भंडारों के संरक्षण और विस्तार के लिए इलाहाबाद में मछली जेनेटिक संसाधन भूरो स्थापित किया गया है। प्राउन वीज उत्पादन में हाल ही की सफलता तथा मोती संवर्धन टेक्नोलॉजी से देश बाजारों के प्रमुख निर्यातक देश के रूप में विश्व में अपनी स्थिति बनाये रख सकेगा।

सब्जियों और फलों की विभिन्न नई एवं संकर किस्मों का विकास किया गया है। पेड़-पौधों और फसलों के क्षेत्र में धनुसंधान में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की गई हैं।

भारतीय कृषि धनुसंधान परिषद् को सरकार ने फंड मिलते हैं और कृषि गन उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 में होने वाली आय भी परिषद को जाती है।

### कृषि संगणना

पहली व्यापक कृषि संगणना 1970-71 को आधार वर्ष मानकर की गयी। दूसरी संगणना 1976-77 में की गयी। इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गयी है। इसमें कृषि सामग्री का सर्वेक्षण भी शामिल किया गया, जिसके अन्तर्गत विभिन्न उर्वरकों, खादों और कीटनाशकों के उपयोग, मशीनों, कृषि मशीनों और बीजारों के बारे में नमूना जाच के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए।

1980-81 में तीसरी कृषि संगणना पूरी हुई। पहली बार संगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भूमि जोतों के बारे में प्रथम से आंकड़े इकट्ठे किए गए। 1980-81 के लिए कार्यशील भूमिजोतों और क्षेत्र को लेकर अस्थायी मंथनाओं के अखिल भारतीय अनुमान पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 1980-81 के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कार्यशील भूमिजोतों और क्षेत्र की अस्थायी संख्या के अखिल भारतीय अनुमान भी जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कार्यशील भूमिजोतों की कुल संख्या 8.94 करोड़ थी। अनुसूचित जातियों के पास 1.01 करोड़ भूमिजोत थी जो कुल भूमिजोतों का 11 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। जनजातियों से संबंधित भूमिजोतों की संख्या 69 लाख थी जो कुल का करीब 8 प्रतिशत है। अन्य सामाजिक समूहों के जोतों की संख्या 7.24 करोड़ थी जो कुल जोतों का 81 प्रतिशत है। देश में कुल कार्यशील क्षेत्र 16.28 करोड़ हेक्टेयर था। अनुसूचित जातियों का कुल कार्यशील क्षेत्र 1.16 करोड़ हेक्टेयर था जो कि कुल कार्यशील क्षेत्र का 7 प्रतिशत था। अनुसूचित जनजातियों के हिस्से में 1.61 करोड़ हेक्टेयर कार्यशील क्षेत्र था जो देश में कुल कार्यशील क्षेत्र का 10 प्रतिशत है। अन्य सामाजिक समूहों के पास 13.45 करोड़ हेक्टेयर कार्यशील क्षेत्र था जो कुल कार्यशील क्षेत्र का 83 प्रतिशत है। 1980-81 की कृषि संगणना के पूरे परिणाम राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त किए जा चुके हैं तथा अखिल भारतीय स्तर पर राज्यगत आंकड़े तैयार किए जा

रहे हैं। कृषि सामग्री सर्वेक्षण 1981-82 संबंधी आंकड़े राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं।

चौथी कृषि संगणना 1985-86 को आधार वर्ष मानकर चलने का कार्यक्रम है। कृषि संगणना के एक हिस्से के रूप में कृषि सामग्री सर्वेक्षण भी 1986-87 को आधार वर्ष मानकर किए जाने का कार्यक्रम है। कार्य-सूचियों और निर्देशों की छपाई तथा देखरेख और फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण जैसे आरम्भिक काम पहले ही हाथ में लिए जा चुके हैं। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कृषि संगणना का काम किया जाएगा। चौथी कृषि संगणना के लिए फील्ड का काम राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है।

## सहकारिता

1904 में पहली बार भारत में सहकारिता के विचार ने मूर्तरूप ग्रहण किया जब सहकारी ऋण समिति कानून लागू किया गया। इसका उद्देश्य गांवों में महाजनी प्रथा समाप्त करना और ऋण समितियों का पंजीकरण करना था। बाद में 1912 में सहकारी समिति कानून लागू किया गया जिसमें गैर ऋण सहकारी समितियों और सहकारी परिसंघों के पंजीकरण की व्यवस्था थी। तब से सहकारी आन्दोलन ने उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेषकर कृषि ऋण, कृषि उत्पादों के परिरक्षण और विपणन, कृषि साज-सामान की आपूर्ति और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के क्षेत्र में यह आंदोलन काफी सफल रहा है। जून 1984 के अन्त तक देश में 2,62 लाख सहकारी समितियां कार्यरत थीं जिनमें से 65 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में मुख्य रूप से किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण जनसंख्या के अन्य वर्गों की सेवा कर रही थीं। 1960-61 और 1983-84 के बीच चुने हुए वर्षों में भारत के सहकारी आंदोलन की विशेषताओं और संचालन के आंकड़े सारणी 15.3 में दिए गए हैं:

### सारणी 15.3 सहकारी समितियों का विकास

	1960-61	1970-71	1975-76	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
समितियों की संख्या (लाख)	3.3	3.2	3.1	2.99	2.88	2.91	2.62
समितियों की सदस्य संख्या (लाख)	352	644	848	1,062	1,149	1,208	1,231
हिस्सा पूंजी (करोड़ रुपये में)	222	851	1,529	2,088	2,100	2,305	3,190
कार्यशील पूंजी (करोड़ रुपये में)	1,312	6,810	12,432	20,021	21,000	21,857	32,748

इस सारणी के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 1960-61 और 1983-84 के बीच के 23 वर्षों में सहकारी समितियों की सदस्य संख्या तिगुनी, हिस्सा पूंजी 15 गुनी, और कार्यशील पूंजी 24 गुनी से भी अधिक बढ़ी है।

**प्राथमिक कृषि  
श्रृण समितियां**

कुल मिलाकर सबसे अधिक सहकारी समितिया कृषि श्रृण क्षेत्र में है। जून 1984 के अन्त में 92,496 प्राथमिक कृषि श्रृण समितिया ग्रामीण क्षेत्रों के 97 प्रतिशत में भी अधिक भाग में कार्यरत थी। इन समितियों की सदस्य संख्या 30 जून, 1984 को 6.67 करोड़ थी। प्राथमिक कृषि समितियों में श्रव सभाज के सभी वर्गों को सदस्यता पाने का अधिकार है ताकि कमजोर वर्गों के लोग भी इनका फायदा उठा सकें। जून 1984 में इन समितियों की हिस्सा पूंजी 720.75 करोड़ थी और लघु अवधि के 2.158 करोड़ रुपये के कृषि श्रृण 1983-84 के दौरान दिए गए थे।

**विपणन और  
परिरक्षण सहकारी  
समितियां**

सहकारी विपणन ढांचे में लगभग 4,130 सहकारी विपणन समितिया हैं जो देश की सभी प्रमुख कृषि मण्डलों में काम कर रही हैं। इनके अन्तर्गत 3,789 प्राथमिक विपणन समितियां, 33 राज्य स्तरीय सहकारी विपणन परिसंघ और एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ कार्यरत हैं। 1984-85 में सहकारी समितियों ने कुल 3,032.25 करोड़ रुपये मूल्य का कृषि सामान बेचा। इन समितियों ने 1984-85 में भी श्रव रुपये के अनाज का व्यापार किया जबकि 1968-69 में ये राशि 2 अरब 20 करोड़ रुपये थी। 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ ने 139.82 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि 1976-77 में उसने 30.53 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

सहकारी क्षेत्र में स्थापित परिरक्षण इकाइयों की व्यवस्था दो अलग-अलग तरीकों से की गयी है। 1. स्वतन्त्र परिरक्षण समितियों द्वारा स्थापित इकाइया, और 2 सहकारी विपणन समितियों के सहयोग से स्थापित इकाइया। पहले वर्ग में सहकारी चीनी मिलें, कड़ाई मिलें और विनायक निष्करण संयंत्रों जैसी बड़ी इकाइयां आती हैं जबकि चावल मिल, तेल मिल, कनास की ओटाई और घोघन इकाइयां, पटमन की गाठ बनाने की इकाइयां जैसी मध्यम और लघु इकाइया दूसरे वर्ग में आती हैं। 1984-85 के दौरान 2,448 इकाइयां सहकारी क्षेत्र में सगायी गयीं। इस अवधि में गन्ने के मौसम के दौरान 183 सहकारी चीनी मिलों में उत्पादन हो रहा था। इन मिलों में कुल 36.37 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जो देश के कुल चीनी उत्पादन का 59.21 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ मलाह देता है और इनका एक तकनीकी सेल है।

**भंडारण**

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए निवेशन, वित्तिय और अन्य मुविशाओं के प्रबन्ध की व्यवस्था करता है। जून 1985 के अन्त तक सहकारी क्षेत्र में 79.00 लाख टन भंडारण क्षमता जुटाई गयी जबकि 1960-61 में यह क्षमता मात्र 10 लाख टन थी। 1984-85 के दौरान 161 सहकारी भोज भंडार बनाये गये जिनकी कुल क्षमता 3.71 लाख टन थी। निगम ने दस राज्यों में 38 लाख टन क्षमता के 21 हजार गोदामों और भालू का उत्पादन करने वाले 5 राज्यों में 130 भोज भंडारों के निर्माण का विगत कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए धरोरणीय आर्थिक समुदाय और अन्तर-राष्ट्रीय विकास संघ से वित्तीय सहायता मिल रही है।



### औद्योगिक सहकारी समितियाँ

ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा हथकरघा बुनाई के क्षेत्र में सहकारी समितियों का मुख्य स्थान है। 30 जून 1981 तक देश में 48,564 औद्योगिक सहकारी समितियाँ थीं जिनकी सदस्य संख्या 36.59 लाख थी।

राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ की स्थापना सदस्य समितियों के उत्पादनों की विक्री में मदद करने के उद्देश्य से की गयी थी। यह परिसंघ अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है।

### सहकारी कताई मिल

1984-85 में कुल 89 सहकारी कताई मिल काम कर रही थीं। इनमें 40 मिलें उत्पादकों की और 49 बुनकरों की थीं। 1984-85 के दौरान सहकारी क्षेत्र में 22.49 लाख तकिए स्थापित थे।

कताई मिलों ने राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परिसंघ बनाया है। यह परिसंघ विकास और प्रोत्साहन का काम देखता है।

### कृषि साज-सामान की आपूर्ति

भारत में किसानों की मदद के लिए सहकारी समितियाँ खेती के काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश भर में वितरित कुल उर्वरकों में से करीब 44 प्रतिशत का वितरण सहकारी वितरण व्यवस्था के जरिए किया जाता है। इन सहकारी समितियों ने हाल में कुछ नए क्षेत्रों में कार्य भी शुरू किए हैं।

### भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संगठन

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संगठन (इफको) देश में बड़े पैमाने पर उर्वरकों का उत्पादन करने वाला अग्रणी सहकारी संगठन है। यह देश के कुल उत्पादन में 13.3 प्रतिशत नाइट्रोजन उर्वरकों और 27.6 प्रतिशत फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन करता है। यह संस्था 1967 में सरकार और सहकारी समितियों के समर्थन से पंजीकृत की गयी थी। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों से सम्बद्ध किसानों के लाभ के लिए उर्वरकों का उत्पादन और वितरण करना है। इफको के सदस्यों में राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों से लेकर 16 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण स्तर की कुल 26 हजार सहकारी संस्थाएँ शामिल हैं। इसके अन्तर्गत गुजरात में कलोल में अमोनिया और यूरिया उर्वरक संयंत्र और कांडला में एन० पी० के० उर्वरक संयंत्र भी हैं।

इफको ने नेप्या पर आधारित अमोनिया और यूरिया संयंत्र इलाहाबाद में फूलपुर में लगाया है इसमें प्रतिदिन 900 टन अमोनिया और डेढ़ हजार टन यूरिया का उत्पादन होता है। इस संयंत्र ने मार्च 1981 में उत्पादन शुरू कर दिया था।

इफको की वितरण नीति में सिर्फ उर्वरक की ही नहीं बल्कि खेती में काम आने वाली आधुनिकतम टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना भी शामिल है। इस काम के लिए उसके तीन सौ से अधिक प्रशिक्षित कृषि टेक्नोलॉजिस्ट गाँव-गाँव में किसानों की मदद कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता किसानों को संतुलित उर्वरकों, उन्नत किस्म के बीजों और अन्य आवश्यक साज-सामान का उपयोग करना सिखाते हैं और मिट्टी के परीक्षण तथा सहकारी समितियों से ऋण दिलाने में मदद करते हैं।

**कार्यशील सहकारी समितियाँ**

डेयरी, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसे कार्यक्रमों के लिए कार्यशील सहकारी समितियाँ कम्पज़र वर्गों की सेवा में लगी होती हैं। ये सहकारी समितियाँ छोटे और मसाले किसानों और मछुमारों जैसे समुदाय के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार और आय के स्रोत बढ़ाती हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विभिन्न सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

**डेयरी सहकारी समितियाँ**

31 दिसम्बर 1978 तक देश में चालू 190 डेयरी संघों में से 80 सहकारी क्षेत्र में थे। 30 जून 1984 तक 39,678 प्राथमिक दुग्ध आपूर्ति सहकारी समितियाँ थीं जिनके सदस्यों की संख्या 35.47 लाख थी। 1983-84 के दौरान इन सहकारी समितियों में 384.0 करोड़ रुपये मूल्य के दूध और उससे बनी चीजों का कारोबार हुआ। प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों के 270 संघ हैं। 1970 में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ की स्थापना हुई।

**मछली पालन सहकारी समितियाँ**

मछली पालन सहकारी समिति में प्राथमिक स्तर पर मछली पालकों की सहकारी समितियाँ होती हैं, उसके बाद प्राथमिक मछली पालक सहकारी समितियों के परिसंघ बनाए गए। इनमें जिला और केन्द्रीय परिसंघ तथा राज्य स्तर के परिसंघ शामिल हैं। 1979-80 में मछुमारों की सहकारी समितियों का प्रथम भारतीय परिसंघ कायम किया गया। 30 जून 1984 को देश में मछुमारों की 7,144 प्राथमिक सहकारी समितियाँ थी, जिनकी सदस्य संख्या 7.68 लाख थी।

**मुर्गी पालक सहकारी समितियाँ**

जून 1984 के अन्त तक देश में कार्यरत 1,537 प्राथमिक मुर्गी पालक सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 87,000 थी।

**बहु-उद्देशीय जनजातीय सहकारी समितियाँ**

जनजातियों के आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजातीय इलाकों में कार्यरत प्राथमिक सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने के उद्देश्य से बहु-उद्देशीय बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राज्य स्तर पर सहकारी जनजातीय विनाम निगम/परिसंघ स्थापित किए गए हैं। ये संस्थाएँ छोटे-मोटे वन-उत्पादों और उपभोग्य वस्तुओं की बिक्री के लिए शीघ्र संगठनों के रूप में काम करती हैं।

श्रम अनुबन्ध और निर्माण सहकारी समितियाँ भी बनायी गयी हैं जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों को उचित मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना और ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण रोकना है। 1982-83 के दौरान 17,323 श्रमिक सहकारी समितियाँ और श्रमिक सहकारी समितिगत कार्यरत थीं जिनकी सदस्य संख्या 11.07 लाख थी।

1983-84 के दौरान चूनी हुई प्राथमिक गैर श्रमिक सहकारी समितियों की संख्या, सदस्य संख्या और कार्यशील पूंजी सारणी 15.4 में दर्शायी गयी है।

## सारणी 15.4

प्राथमिक सहकारी  
समितियां

समितियां	संख्या	सदस्य संख्या (हजार)	कार्यशील पूंजी (लाख)
दुग्ध आपूर्ति-समितियां	39,678	3,546	6,669
मुर्गी पालक सहकारी समितियां	1,537	87	626
मछली पालक समितियां	7,144	768	4,020
वन श्रमिक समितियां	1,532	209	15,522
श्रम अनुबन्ध और निर्माण समितियां	15,791	897	7,903

प्रशिक्षण और  
अनुसंधान

भारत में सहकारी प्रशिक्षण का त्रि-स्तरीय सुनियोजित ढांचा मौजूद है। इसमें पुणे राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, जिसे वैकुण्ठ मेहता सहकारी प्रबन्ध संस्थान कहा जाता है, वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है। मध्यम दर्जे के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 17 सहकारी प्रशिक्षण कालेज और उससे नीचे के स्तर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 87 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं। वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान और राज्यों के मुख्यालयों में स्थित 17 सहकारी प्रशिक्षण कालेज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन की राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। इस यूनियन के लिए वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह सरकार करती है। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र राज्य सहकारी यूनियनों और राज्य सरकारों की देख-रेख में काम करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर के  
सहकारी परिसंघ

पिछले एक दशक में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों के उदय से सहकारिता के बुनियादी ढांचे को नयी दिशा मिली। सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन एक शीर्ष संस्था है। राष्ट्रीय स्तर के अन्य सहकारी संगठनों में—राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ, अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक परिसंघ, राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ, राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक परिसंघ, राष्ट्रीय सहकारी उद्यमोक्ता परिसंघ, राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी समिति परिसंघ, अखिल भारतीय सहकारी कनाई मिल परिसंघ, राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ, शहरी बैंक और ऋण सहकारी समिति का राष्ट्रीय परिसंघ, श्रमिक सरकारी समिति परिसंघ और अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति।

लघु एवं सीमान्त  
कृषक कार्यक्रम

तीसरी कृषि संगणना (1980-81) के अनुसार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमान्त किसान कुल जोतों के 74.5 प्रतिशत के मालिक हैं लेकिन केवल 26.3 प्रतिशत कार्यशील क्षेत्र पर खेती करते हैं। छोटे और सीमान्त किसानों की उपज बहुत कम है और इनके पास भूमि भी बहुत खराब है। इनकी प्रति हेक्टेयर जोत पर निर्भर संख्या बड़े किसानों की



कृषि अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग बना हुआ है। पानी इस क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि यह क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए जल-संसाधनों का उचित विकास और उनका कुशलतापूर्वक उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है।

देश के भूतल और भूमिगत जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करने का दायित्व जल संसाधन मंत्रालय पर है। लेकिन, चूंकि जल राज्य सूची में है और राज्य ही जल संसाधनों के विकास तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की योजना बनाने, धन जुटाने और क्रियान्वित करने का कार्य करता है, इसलिए इस मंत्रालय का मुख्य कार्य देश में सिंचाई विकास के लिए सहयोग, समन्वय और निरीक्षण करना है। मंत्रालय के मुख्य कार्य क्षेत्रानुसार नियोजन, समन्वय, नीति-निर्देशन, तकनीकी परीक्षण, सिंचाई परियोजनाओं में सहायता, विदेशी अनुदान दिलाने में मदद, अंतर्राज्यीय विवादों का निपटारा तथा अंतर्राज्यीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन है। सिंधु जल संधि तथा फरक्का बांध परियोजना भी इस मंत्रालय के प्रशासन में आते हैं। जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई के (बाढ़-नियंत्रण सहित) क्षेत्र में राज्यों के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाएं बनाने और उनके पुनर्निरीक्षण में योजना आयोग की मदद करता है। केन्द्रीय जल आयोग इस मंत्रालय की प्रमुख तकनीकी शाखा के रूप में काम करता है।

मंत्रालय को जल का राष्ट्रीय संसाधन के रूप में नियोजन, विकास और प्रबंधन का सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में राष्ट्रीय जल नीति संबंधी एक दस्तावेज बनाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय जल-संसाधन परिपद् द्वारा गठित केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल की देख-रेख में तैयार किया जा रहा है।

### सिंचाई क्षमता

देश में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अनवरत तथा योजनावद्ध कार्यक्रम सन् 1951 में नियोजित विकास के प्रारंभ होने के साथ-साथ अपनाया गया था। पंचवर्षीय योजना के लागू होने से पहले देश में सिंचाई-क्षमता 226 लाख हेक्टेयर थी जिसमें से 97 लाख हेक्टेयर बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं से तथा 129 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई योजनाओं से प्राप्त हुई।

वर्ष 1984-85 के अंत तक सिंचाई क्षमता बढ़कर 675 लाख हेक्टेयर हो गई जिसमें से 300 लाख हेक्टेयर बड़ी तथा मझोली सिंचाई योजनाओं से तथा 375 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई योजनाओं से प्राप्त हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 129 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 43 लाख हेक्टेयर बड़ी तथा मझोली सिंचाई योजनाओं से तथा 86 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई योजनाओं से प्राप्त होनी है।

सातवी योजना में बढ़े, महोले तथा छोटे सिंचाई कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित व्यय लगभग 14,360 करोड़ रुपये तथा कमान क्षेत्र के विकास के लिए 1,671 करोड़ रुपये रखा गया है।

सिंचाई के क्षेत्र में विकास-नीति का मुख्य जोर सन् 2010 तक देश में पानी के परावर्तन तथा संग्रहण की प्रचलित विधियों से 1,130 लाख हेक्टेयर की नुन सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। फलतः इसमें से 585 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ी तथा मझोली सिंचाई परि-योजनाओं से तथा शेष लघु परियोजनाओं से पूरी होने की आशा है।

बढ़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाएं

1951 से 1985 तक की अवधि में 246 बढ़ी तथा 1,059 मझोली योजनाएं क्रियान्वयन के लिए ली गयीं। इनमें से 65 बढ़ी तथा 626 मझोली योजनाएं 1985 तक पूरी कर ली गयीं। सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 17 नयी बढ़ी योजनाएं तथा 66 नयी मझोली परियोजनाएं शुरू की गईं। सातवी योजना के दौरान 56 बढ़ी तथा 303 मझोली परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं।

बढ़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त सिंचाई-क्षमता का योजना-वार ब्यौरा सारणी 16.1 में दिया जा रहा है।

योजनावधि के अंत में संवित क्षमता तथा उसका उपयोग (लाख हेक्टेयर में)

सारणी 16.1 सिंचाई क्षमता और उसका उपयोग	योजना					वाषिक योजना (66-69)	चौथी योजना
	पहली पूर्व	दूसरी योजना	तीसरी योजना	वाषिक योजना	चौथी योजना		
क्षमता . . . . .	97	122	143	166	181	207	
उपयोग . . . . .	97	110	131	152	168	187	

	पांचवी योजना	वाषिक योजना	छठी योजना	सातवी योजना (लक्ष्य)
	(78-80)	योजना	योजना	(लक्ष्य)
क्षमता . . . . .	248	266	300	43 (अतिरिक्त)
उपयोग . . . . .	212	226	253	39 (अतिरिक्त)

लघु सिंचाई कार्यक्रम

लघु सिंचाई कार्यक्रम में भूतलीय जल संसाधनों का विकास सम्मिलित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य कुओं की खुदाई, कम गहरे निजी नलकूपों तथा गहरे सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण, कुओं की खुदाई तथा उनको गहण करने का काम तथा परावर्तन योजनाओं के द्वारा भूतलीय जल के विकास की छोटी योजनाएं, जल संग्रह योजनाएं और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक का वृषि योग्य कमान क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से अधिक नहीं है।

भूतलीय जल के विकास की योजना जो कि लघु सिंचाई कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, मूलतः जनता का कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत तथा सहकारी प्रयासों से क्रियान्वित की जाती है। इसके लिए वित्तीय संसाधन मुख्यतः संस्थागत स्रोतों से प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार इस कार्यक्रम से राजकोष पर बहुत कम भार पड़ता है। यह काफी विस्तृत कार्यक्रम है तथा किसानों को सिंचाई की तात्कालिक और विश्वसनीय सुविधा उपलब्ध कराता है। सिंचाई के जल की आपूर्ति के स्तर को सुधारने तथा नहर के कमान क्षेत्र में जल भर जाने और भूमि के क्षारीकरण से बचाव के लिए महत्वपूर्ण सहायता भी प्रदान करता है। छोटी सिंचाई की ऐसी भूतलीय जल परियोजनाएँ जिनको सार्वजनिक क्षेत्र की निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, ऐसे कई क्षेत्रों में जिनमें से अधिकांश अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं, सिंचाई के साधन उपलब्ध कराती हैं। इन योजनाओं में प्रारंभिक निवेश तुलनात्मक रूप से कम होता है तथा इनको शीघ्रता से पूरा भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये योजनाएँ श्रम-प्रधान भी हैं तथा ग्रामीण लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराती हैं। सारणी 16.2 में छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई क्षमता में वृद्धि दर्शाई गई है।

(संचित क्षमता लाख हेक्टेयर में)

सारणी 16.2  
लघु सिंचाई  
परियोजनाओं से  
सिंचाई क्षमता

अवधि	छोटी सिंचाई योजनाओं की क्षमता
चरम क्षमता	550.00
1950-51 के अंत में क्षमता	129.00
पहली योजना	140.00
दूसरी योजना	147.50
तीसरी योजना	170.00
वार्षिक योजना (1968-69)	190.00
चौथी योजना के अन्त में	235.00
पांचवीं योजना के अन्त में	273.00
वार्षिक योजना (1979-80) के अन्त में	300.00
छठी योजना के अन्त में	375.00
1985-86 के अन्त में (सम्भावित)	391.00

### कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

केन्द्रशासित कमान क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य देश की चुनी हुई बड़ी तथा मझोली मिर्चाई परियोजनाओं के पानी का बेहतर तथा अधिक भीषता में उपयोग सुनिश्चित करना था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः फार्म विकास के ये कार्य आते हैं: खेतों में मिर्चाई के लिए नालिया तथा जल निवास के लिए नालों का निर्माण; जहाँ आवश्यक हो वहाँ भूमि को उचित प्रकार के टुकड़ों में विभाजित करना; सड़कें बनाना, चकबन्दी व खेतों की सीमाओं का फिर से निर्धारण करना; प्रत्येक जोत को पानी की एक-समान और अनादिग्रह आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बाढ़बन्दी या क्रमानुसार पानी वितरण की व्यवस्था लागू करना, उपकरणों तथा ऋण उपलब्ध करने की व्यवस्था करना; कृषि-प्रसार, मंढियों और गोदामों का निर्माण तथा भूमिगत जल का सम्बन्धित कार्यों के लिए विकास करना।

सातवीं योजना में जल-प्रबन्ध तथा जल-वितरण व्यवस्था में सुधार करने, क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा किसानों को प्रशिक्षित करने, कार्यक्रमों की परियोजना तथा राज्य-स्तर पर जांच और मूल्यांकन करने तथा किसानों को जन-प्रबन्ध के कार्य में सहभागी बनाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

अभी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 राज्यों तथा एक केन्द्र शासित प्रदेश की 132 चुनी हुई बड़ी तथा मझोली परियोजनाएँ आती हैं जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 173 लाख हेक्टेयर है।

कमान क्षेत्र विकास-कार्यक्रम की इन तीन श्रेतियों से घन प्राप्ति होता है: राज्यों को कुछ चुने हुए कार्यों के लिए बराबरी के आधार पर दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता से, राज्य सरकारों के अपने संसाधनों से तथा फार्म विकास कार्यों, विपन्न और मंदारण के लिए सन्हायत नाथ से।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का अन्तिम मध्य कमान क्षेत्र में कृषि उत्पादन को अधिकृत करना तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। प्रत्येक कमान क्षेत्र विकास परियोजना में, हर फसली मौसम के लिए, मचन फसल कटाई परियोजना करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मिथिल कमान क्षेत्रों की कृषि-उत्पादकता में वृद्धि का प्रभावहीन रूप से माना जा सके। इन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्र की प्रति हेक्टेयर उतज में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

वर्ष 1986-87 में वित्तपोषण की एक नई पद्धति लागू की गई है। इसके अन्तर्गत 40 हेक्टेयर से 5-8 हेक्टेयर तक क्षमता वाली मिर्चाई नहरों के निर्माण में बराबरी के आधार पर धनदान दिया जाएगा, अर्थात् 50 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। खेतों तक पानी ले जाने वाली छोटी नहरों के निर्माण के लिए भी बराबरी के आधार पर वित्तीय सहायता देने की योजना का विस्तार किया जा रहा है।



राज्यों/उत्तर-पूर्व के केन्द्र शासित प्रदेशों तथा सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की कुछ उपयुक्त लघु-सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत ले लिया गया है।

### बाढ़-नियंत्रण

1954 में आई भयानक बाढ़ के बाद यह अनुभव किया गया कि बाढ़-नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सुनियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत तेज किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार 1954 में राष्ट्रीय बाढ़-नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया। यह कार्यक्रम तीन चरणों—तात्कालिक, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन—में विभाजित था। तात्कालिक चरण में आंकड़ों को सघन रूप से एकत्र किया जाना था तथा बाढ़ से सुरक्षा के आपातकालीन उपायों को क्रियान्वित किया जाना था। अल्पकालीन कार्यक्रम मोटे तौर पर दूसरी योजना के साथ-साथ प्रारंभ हुआ था। इसमें तटबंधों के निर्माण, कुछ शहरों की बाढ़ से सुरक्षा, कुछ गांवों को नदी की सतह से ऊंचा उठाने आदि के कार्यक्रम शामिल थे। दीर्घकालीन कार्यक्रम में बांधों के निर्माण, तथा पहले ही पूरे किये जा चुके कार्यों से होने वाले फायदों को स्थायी बनाने के साथ-ही-साथ तटबंधों, नदी के विकास आदि से सम्बन्धित नये कार्यों को भी हाथ में लेने की व्यवस्था है।

### बोर्ड

राज्य स्तर पर एक तकनीकी सलाहकार समिति, राज्य बाढ़-नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की जांच करती है। राज्य स्तर पर नीतियों का निर्धारण भी इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी योजनाओं के तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक होने की विस्तार से जांच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की जाती है और उसके बाद वे केन्द्र द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी की बाढ़-समस्या की गम्भीरता और जटिलता को मद्द्गुण करते हुए सरकार ने 31 दिसम्बर 1981 को ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया। बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य हैं: ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करना, बाढ़-नियंत्रण और तटीय कटाव पर नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान तैयार करना तथा ब्रह्मपुत्र घाटी के जल-संसाधनों के सिंचाई, जल-विद्युत, नी-परिवहन तथा अन्य लाभदायक उद्देश्यों के लिए विकास का ध्यान रखते हुए जल विकास में सुधार लाना।

### उपलब्धियाँ

1954 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुरू किए जाने से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ तक इस क्षेत्र में लगभग 976 करोड़ रुपये का परिव्यय किया जा चुका था। छठी योजना में इस क्षेत्र के लिए 1,045 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 870 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में तथा 175 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में व्यय किए जाने थे। परन्तु राज्यों के संसाधनों की कमी के कारण छठी योजना में अनुमानित परिव्यय 779 करोड़ रुपये रहा।

1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारंभ से मार्च 1985 तक लगभग 14,162 किलोमीटर नये तटबंध तथा 26,119 किलोमीटर लम्बी नहरें बन चुकी हैं। इसी अवधि में शहरों को बाढ़ से बचाने की 375 योजनाएं तथा गांवों को नदी तल से ऊंचा उठाने की 4,700 योजनाएं भी पूरी की गईं। इसके अतिरिक्त समुद्रतट (विशेष रूप से केरल में) के कटाव को रोकने

के उपाय किए गए। कटाव को प्रभावित करने वाले 320 किलोमीटर समुद्रतट में से 290 किलोमीटर को मार्च 1985 तक बचाया जा चुका था। इन सभी योजनाओं से लगभग 130 लाख हेक्टेयर भूभाग को मनुष्यजनित मरुता प्रदान की गई। इसके अलावा अनेक बांध परियोजनाएँ पूरे की गईं जिनसे नदों के निचले भागों में बाढ़ के जोर को कम करने में सहायता मिली है। इनमें से उत्तरेश्वरीय परियोजनाएँ हैं: महानदी पर बना हीराकुंड बांध, दामोदर नदी पर बने बांध, सतलुज नदी पर बना भायड़ा बांध, व्यास नदी पर बना पॉप बांध तथा तापी नदी पर बना उन्नाई बांध।

### बाढ़ का पूर्वानुमान

सरकार ने बाढ़ के खतरे को चेतावनी देने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन बनाया है। इसका उद्देश्य बांध तथा राहत के कार्य से सम्बन्धित एजेंसियों तथा आपातकाल के लिए बाढ़ विरोधी व अनुसंधान संगठनों को सचेत करना है। इसके उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्र के मुख्यतः पटना और हैदराबाद में हैं। केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन ने, अनेक 22 मंडलों से सम्बद्ध 145 बाढ़-पूर्वानुमान केन्द्रों को एक ऐसी व्यवस्था विकसित की है जो देश की सबसे अधिक बाढ़ आने वाली अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय नदियों से सम्बन्धित भावस्यकृतियों को पूरा करती है। इन मंडलों के अग्रणी कार्य कर रहे नियंत्रण कक्षाओं द्वारा दी गई चेतावनियाँ बाढ़ से जुड़ने तथा राहत कार्य संचालित करने में अत्यन्त उपयोगी पाई गई हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रयासों से संचालित जल-वैज्ञानिक प्रयोग भी जब सतत अनुसंधान परियोजनाओं के अन्तर्गत में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुए हैं।

### बाढ़ की स्थिति

वर्ष 1985 के दौरान निम्न राज्यों में छोटे या व्यापक स्तर पर बाढ़ का प्रकार रहा: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नगालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार बाढ़ से कुल 4,059 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

### अन्तर्राष्ट्रीय जल-विवाद

अन्तर्राष्ट्रीय नदी यात्रा वह क्षेत्र है जिनका जनप्रयोग क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में हो या जो दो राज्यों के बीच की सीमा पर स्थित हो। देश के सभी महत्वपूर्ण नदी-बाले अन्तर्राष्ट्रीय हैं। कई से नदियों के एक से अधिक राज्यों से होकर बहने के कारण कभी-कभी मगधित राज्यों के बीच सिंचाई तथा अन्य लाभदायक उद्देश्यों के लिए नदियों के पानी के उपयोग, वितरण तथा नियंत्रण को लेकर मतभेदों का होना जना स्वाभाविक ही है। इसका मुख्य कारण देश-देशों के राज्यों में विभिन्न विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ होने के बाद सिंचाई, जन-विद्युत उत्पादन, घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए जल आपूर्ति जैसे विभिन्न लाभदायक कार्यों के लिए जल सार्वजनिक का तीव्र गति से विकास।

यहाँ तक संभव हो विवादों को सम्बन्धित राज्यों के बीच आपसी समझौते द्वारा या केन्द्र की सहायता से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यदि कभी आवश्यकता हुई तो न्यायाधिकरणों द्वारा भी फैसला कराया जाता है।

हाल ही में कई अंतरराज्यीय जल-विवाद सुलझाए गए। इनमें से कुछ हैं : धीन बांध (रावी); वाणसागर बांध (सोन), राजघाट बांध (बेतवा) के निर्माण से सम्बन्धित समझौते; इसके अतिरिक्त दामोदर-वाराकर, अजय, मयूराक्षी, महानन्दा, सुवर्णरेखा, कन्हार नदियों तथा महाराष्ट्र और उड़ीसा तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कुछ अंतरराज्यीय नदियों के विकास सम्बंधी विवाद भी सुलझाए गये। कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा नदियों के पानी का संबंधित राज्यों के बीच बंटवारे का मामला इन राज्यों से संबंधित न्यायाधिकरणों द्वारा सुलझा लिया गया है। ये न्यायाधिकरण भारत सरकार ने अंतरराज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित किये थे।

अभी दो प्रमुख अंतरराज्यीय नदी जल विवाद ऐसे हैं जो पूरी तरह से सुलझ नहीं सके हैं। इन विवादों का संबंध कावेरी और यमुना के जल का अधिक विकास तथा उपयोग करने से है।

मार्च 1982 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने महसूस किया कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ राज्य तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद का गठन किया जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया तथा सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्री इसके सदस्य बनाए गए। परिषद का एक कार्य जल-संसाधनों के विकास के लिए अंतरराज्यीय विवादों को सुलझाने के तरीके सुझाना ही है।

### अंतरराष्ट्रीय समझौते

#### सिंधु जल समझौता

भारत और पाकिस्तान ने 19 सितम्बर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें सिंधु नदी के जल के उपयोग के सम्बन्ध में दोनों देशों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण तथा सीमांकन किया गया है। यह समझौता 1 अप्रैल 1960 से लागू हुआ। समझौते के अनुसार दोनों सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक 'स्थायी सिंधु आयोग' बनाया गया है जिसका उद्देश्य समझौते के क्रियान्वयन के लिए सहकारी प्रवन्ध करना है।

#### भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग

भारत बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग ने जून 1972 में काम करना शुरू किया। इसके उद्देश्य हैं : (अ) भाग लेने वाले देशों के बीच संयुक्त नदी व्यवस्था से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रभावशाली संयुक्त प्रयासों को सुनिश्चित करने हेतु

सम्पर्क बनाना, (आ) बाढ़ नियंत्रण की योजना तैयार करना तथा संयुक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन को संस्तुति देना, (इ) बाढ़ की चेतावनी, बाढ़ पूर्वानुमान और चक्रवात की चेतावनी देने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करना, (ई) बाढ़-नियंत्रण तथा सिंचाई की परियोजनाओं का अध्ययन करना ताकि इस क्षेत्र के जल-संसाधनों का दोनों देशों की जनता की पारस्परिक भलाई के लिए समानता के आधार पर उपयोग किया जा सके, (उ) दोनों देशों को प्रभावित करनेवाली बाढ़ नियंत्रण की समस्या पर मिनजुश कर अनुसंधान के लिए प्रस्ताव तैयार करना।

### विदेशी सहायता

भारत को बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाओं तथा सी० ए० डी० परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये विश्व बैंक तथा अन्य द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय एजेंसियां सहायता देती हैं। इस प्रकार की बाहरी सहायता का मुख्य माध्यम कम ब्याज पर कर्ज देने वाली विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय विकास मंष (आई० डी० ए०) रही है। 1985 के वित्तीय वर्ष के अंत तक सिंचाई के लिए विश्व बैंक की कुल सहायता 388.6 करोड़ अमरीकी डालर रही है। बैंक से सहायता प्राप्त कुल 46 सिंचाई परियोजनाएं या तो क्रियान्वित हो गई हैं या होने की स्थिति में हैं।

विश्व बैंक ग्रुप के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी अमरीका (यू० एस० ए० आई० डी०) तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई० एफ० ए० डी०) जैसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत में सिंचाई विकास के लिए मदद दे रही हैं। छठी और सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने 31.425 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण दिया। राजस्थान नहर परियोजना, मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना, उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्यूबवैल परियोजना और महाराष्ट्र में भीमा (सी० ए० डी० ए०) परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने स्वतन्त्र रूप से या विश्व बैंक के साथ मिल कर 11 करोड़ अमरीकी डालर की ऋण सहायता दी है।

सिंचाई के लिए यूरोपीय प्रायिक समुदाय से भी अनुदान सहायता मिलती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश की छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए इस समुदाय ने 8.2 करोड़ यूरोपीय करेंसी यूनिट के समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

अभी लगभग 31 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को विदेशी सहायता प्राप्त होनी है।

### केन्द्रीय संगठन संरचना

सिंचाई विभाग के दो मबद्ध कार्यालय—केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय मृदा एवं मामली अनुसंधानशाला, नई दिल्ली तथा नौ अवीनरष कार्यालय हैं।

## सम्बद्ध कार्यालय

'केन्द्रीय जल आयोग' जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में देश का अग्रणी अभियांत्रिक संगठन है जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श कर वाढ़-नियंत्रण, सिंचाई, नौ-परिवहन, जल-विद्युत उत्पादन आदि के लिए देश भर के जल संसाधनों के नियंत्रण, परिरक्षण तथा उपयोग करने की योजनाओं को प्रारंभ करने, उनका समन्वय करने तथा उनको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 1945 से इसके गठन से ही कमीशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है।

जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में चोटी का स्थान रखने वाले अभियांत्रिक संगठन के रूप में विगत चार दशकों में प्रगति की दिशा में जो कदम उठाए गए, उनसे प्राप्त अनुभव से आयोग ने नियोजन, अन्वेषण, प्रवन्ध व जल संसाधनों के विकास की रूपरेखा तैयार करने में पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है। यह अपने इस ज्ञान को संसार के विकासशील देशों के साथ वांट रहा है। आयोग का कार्य चार पक्षों में विभाजित है। ये पक्ष हैं : आकल्पन एवं अनुसंधान खण्ड, नियोजन तथा प्रगति खण्ड, जल संसाधन खण्ड तथा वाढ़ नियंत्रण और जल-निकास खण्ड। एक केन्द्रीय यांत्रिक संगठन राज्य सरकारों को जल संसाधनों के विकास की परियोजनाएं बनाने में सलाह देता है।

कमीशन का एक सुस्थापित क्षेत्रीय संगठन भी है जो कुछ विशिष्ट नदी-घाटी योजनाओं के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण करने, मौसम विज्ञान के जल से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करने और वाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के कार्य में संलग्न है।

'केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला' ऐसा अग्रणी संगठन है जो नदी-घाटी परियोजनाओं के निर्माण में काम आनेवाले, भूयान्त्रिकी और निर्माण-पदार्थों से सम्बन्धित समस्याओं से सम्बन्ध रखता है। अनुसंधानशाला देश भर के अभियंताओं को निर्माण, आकल्पन आदि से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी देने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास-कार्यक्रम के विशेषज्ञों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन करके किया जाता है।

## अधीनस्थ संगठन

सिंचाई विभाग के नियंत्रण में नौ अधीनस्थ संगठन आते हैं। ये संगठन हैं: (1) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे; (2) केन्द्रीय भूतलीय जल बोर्ड, फरीदाबाद; (3) फरक्का बैराज परियोजना तथा फरक्का बैराज नियंत्रण बोर्ड, तथा फरक्का बैराज परियोजना के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, पश्चिम बंगाल, (4) गंगा वाढ़-नियंत्रण आयोग, पटना; (5) सोन नदी आयोग, पटना; (6) वाणसागर नियंत्रण बोर्ड, रीवा; (7) माही नियंत्रण बोर्ड, उदयपुर; (8) तुंगभद्रा बोर्ड तथा (9) सरदार सरोवर-निर्माण परामर्शदात्री समिति, वदोदरा।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे देश का ऐसा अग्रणी संगठन है जो जल, ऊर्जा-संसाधनों तथा नौ-परिवहन के क्षेत्र में व्यावहारिक तथा आधारभूत अनुसंधान कार्य कर रहा है। केन्द्र की अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियां

इसकी दस प्रयोगशालाओं में संचालित की जाती है। 1970 में यह केन्द्र अंतर्देशीय जल-भागों तथा नौ-परिवहन से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य कर रहा है जो एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक भाषाग (एस्कैप) की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। इसकी सेवाओं का उपयोग अरब, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देश करते हैं।

केन्द्रीय भूतलीय जल परिषद देश स्तर का शीर्षस्थ संगठन है, जिसे भूतलीय जल समाधानों के राष्ट्र स्तरीय सर्वेक्षण, खोज, विकास, प्रबन्ध तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 1954 में गठित तथा 1972 में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के भूतलीय जल स्कंध के साथ मिलाकर पुनर्गठित यह परिषद क्षेत्रीय जल-वैज्ञानिक सर्वेक्षण व भूतलीय जल के अन्वेषण सम्बन्धी अध्ययन का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों के पर्यवेक्षण, राज्यों को भूतलीय जल के विकास और प्रबन्ध की योजनाएं बनाने में सहायता देने, अनुसंधान एवं विकास तथा अपने अधिकारियों, केन्द्रीय एजेंसियों व राज्य सरकारों के अधिकारियों को नैवारत प्रशिक्षण देने जैसे कार्य इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं।

केन्द्रीय भूतलीय जल परिषद के दो मुख्य स्कंध हैं—जल-वैज्ञानिक तथा अभियांत्रिक। परिषद भूतलीय जल के विकास की गतिविधियां संचालित करने के लिए आधारभूत नीति कार्यक्रम और कार्यनीति बनाता है। देश में तीन सर्किज ऑफिस, 9 क्षेत्रीय कार्यालय (निदेशकों के नियंत्रण में), 10 राज्य स्तरीय इकाइयों के कार्यालय तथा 12 अभियांत्रिक मंडल खोले गए हैं। इसके प्रतिरिक्त केरल के तटवर्ती भागों के भूतलीय जल के अध्ययन की परियोजना का निदेशालय तथा बिहार, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में कसाई और सुवर्णरेखा नदियों के घाते में भूतलीय जल के अध्ययन के लिए एक-एक परियोजना-निदेशालय स्थापित किया गया है।

फरक्का बैराज परियोजना का निर्माण भागीरथी-हुगली नदी व्यवस्था के क्षेत्र तथा इसकी नौ-परिवहन क्षमता में सुधार करके कलकत्ता बन्दरगाह की सुरक्षा व दृष्टरक्षा को आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। भागीरथी नदी, फीडर नहर तथा फरक्का बैराज का नौ-परिवहन नियंत्रक, हल्दिया-इलाहाबाद अंतर्देशीय जलमार्ग के भंग है, जिनके लिए एक अधिनियम बनाया गया है। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं: (अ) गंगा पर 2,240 मीटर लम्बा बैराज, जिस पर रेज और सड़क पुल भी होगा एवं आवश्यक नदी सम्बन्धी प्रशिक्षण का केन्द्र तथा दाहिनी ओर का मुंडा नियंत्रक। बैराज को जल-निहास क्षमता 76,455 क्यूसेक (27 लाख क्यूसेक) है। (आ) जंगीपुर में भागीरथी पर 213 मीटर लम्बा बैराज, जिसकी जल-निहास क्षमता 1,700 क्यूसेक (80,000 क्यूसेक) है। (इ) 1,333 क्यूसेक (40,000 क्यूसेक) जब ले जाने की क्षमता वाली फीडर नहर तथा फरक्का बैराज की दाहिनी ओर के मुख्य नियंत्रक से 38.38 किमी.मीटर लम्बी फीडर नहर जो जंगीपुर बैराज के बाद भागीरथी से मिल जाती है, और (ई) नौ-परिवहन सम्बन्धी

कार्य जैसे नियंत्रक, नियंत्रक-नहरें, नौ-परिवहन के लिए आश्रय-स्थल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत ढांचा।

दोनों वैयाजों से सम्बन्धित सभी प्रमुख कार्य तथा फीडर नहर के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। फरक्का वैयाज और इस पर बने रेल-सड़क पुल ने असम, पश्चिम बंगाल तथा शेष भारत के बीच एक संचार-सूत्र प्रदान किया है जो कि उत्तर-पूर्वी भारत के लिए अत्यधिक महत्व का है।

जंगीपुर वैयाज गंगा से भागीरथी की ओर पानी के बहाव को नियंत्रित करता है साथ ही यह फीडर नहर से गंगा में पानी के बहाव को भी रोकता है। फीडर नहर के पूरा हो जाने से तथा 21 अप्रैल 1975 को इसके चालू होने के बाद से भागीरथी-हुगली नहर शुरू हुई। इस तरह नहर में नियंत्रित रूप से पानी छोड़ने का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ।

1975 में फीडर नहर के चालू हो जाने से जंगीपुर कस्बे के पास अहरीरों के इर्द-गिर्द का काफी बड़ा भू-भाग साल भर पानी में डूबा रहता था जिसका कारण पानी का एक ओर से दूसरी ओर को निकलना पाना था। प्रभावित क्षेत्र से जमा हुए पानी का निकास करके फीडर नहर के चालू होने से पहले की स्थिति में वापस लाने के लिए पंगला-बन्सलोई थाले में जलमग्न क्षेत्र की योजना का कार्य प्रारंभ हुआ।

फरक्का में जल-परिवहन नियंत्रक के निर्माण तथा परीक्षण का कार्य मई 1986 में पूरा हुआ। यह नियंत्रक अब चालू किये जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके चालू हो जाने से हल्दिया से इलाहाबाद तक पहला राष्ट्रीय जलमार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। इस जलमार्ग का जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा और विस्तार किया जाएगा।

गंगा की प्रकृति अपने प्रवाह में आनेवाले तट को काटने की है। वैयाज से ऊपर बायीं ओर के तटबंध को अधिक मजबूत बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। गंगा भागीरथी के उद्गम से ऊपर तथा नीचे की ओर के दायें तट को काटती जा रही है। जंगीपुर वैयाज परिसर के समीप कटाव रोकने तथा अन्य संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को संचालित करने की अनुमति दी जा चुकी है।

अप्रैल 1972 में स्थापित गंगा बाढ़-नियंत्रण आयोग का मुख्य कार्य गंगा के थाले में बाढ़-नियंत्रण के लिए विस्तृत योजना बनाना तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से इसको समन्वित रूप से क्रियान्वित करवाना है। आयोग गंगा के थाले में बाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी, पानी के जमा होने को रोकने तथा नदियों व समुद्र आदि से भूमि के कटाव को रोकने की योजनाओं की तकनीकी जांच-पड़ताल और परीक्षण कराने के लिए उत्तरदायी है। अनुमान है कि प्रत्येक योजना पर 60 लाख रुपये या इतने अधिक खर्च किये जाएंगे।

जनवरी 1976 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच हुए अन्तरराज्यीय समझौते के अनुपालन में सिंचाई मंत्रालय ने (जो अब जल संसाधन मंत्रालय है) बाणसागर नियंत्रण बोर्ड गठित किया। इसका उद्देश्य बाणसागर बांध तथा सोन

नदी से सम्बन्धित अन्य योजनाओं को कुशलतापूर्वक, कम खर्च पर और शीघ्र क्रियान्वित करना था। (नहर तथा विद्युत परियोजनाएं इसके अलावा हैं जो सम्बन्धित राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी।)

माही नियंत्रण बोर्ड को, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, सरकार ने राजस्थान तथा गुजरात के परामर्श में 1971 में गठित किया था। इसका उद्देश्य माही-बजाज मांगर परियोजना को शीघ्र पूरा कराना था जो दोनों राज्य सरकारों का मंजूर उद्देश्य है। अन्न नियंत्रण बोर्ड पर परियोजना के तकनीकी तथा वित्तीय पक्षों के अतिरिक्त पहली इकाई की सारी जिम्मेदारी भी है।

बंदोदरा स्थित सरदार सरोवर-निर्माण परामर्शदात्री समिति का गठन नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के अनुसार किया गया था। इसका उद्देश्य गुजरात की सरदार सरोवर परियोजना को लागू, इसके तकनीकी पक्षों, पहली और तीसरी इकाई (बाघ तथा विद्युतशक्ति से सम्बन्धित भाग) के डिजाइन तथा वार्षिक कार्य के कार्यक्रम को जांच-पड़ताल करना था। यह परियोजना एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान फायदा उठा रहे हैं।

सांघिक संस्थाएं सिंचाई विभाग के अंतर्गत तीन प्राधिकृत संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं हैं : ब्रह्मपुत्र बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण।

सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया था। इसका एक विशेष उद्देश्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ तथा तटीय कटाव के नियंत्रण तथा जल-निकासी को सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना था। बराक घाटी भी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आती है। अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य करेगा तथा बहुदेशीय परियोजनाओं की परियोजना-रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट बाढ़ तथा तटीय कटाव के नियंत्रण के साथ-साथ घाटी के जल संसाधनों के सिंचाई, जलविद्युत, नौ-परिवहन तथा अन्य लाभकारी उद्देश्यों के लिए विकास तथा उपयोग हेतु, मास्टर प्लान बनाने के लिए है। बोर्ड मार्च 1982 से कार्य कर रहा है।

यमुना की महायक नदी बेतवा पर चनी राजघाट बाघ परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय परियोजना है। इन राज्यों के बीच 1973 में हुए अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार राजघाट बाघ परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए, एक नियंत्रण बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 के अधीन बेतवा नदी बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड का कार्यालय झांसी में है।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एक अंतर्राज्यीय संगठन है जिसका गठन सरकार ने नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयों के अनुसार किया था।



इसने दिसम्बर 1980 से कार्य करना प्रारम्भ किया। प्राधिकरण का मुख्य कार्य नर्मदा के थाले विकास के लिए बनी परियोजनाओं में समन्वय स्थापित करना तथा उनको दिशा-निर्देश देना है।

### पंजीकृत समितियां

जल-संसाधन मंत्रालय के अधीन तीन पंजीकृत संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इनके नाम हैं: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत परिषद तथा राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान।

सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रारूप की रूपरेखा तैयार की है जिसके दो घटक हैं: प्रायद्वीपीय नदियों का विकास तथा हिमालयी नदियों का विकास। प्रारम्भ में प्रायद्वीपीय नदियों के विकास के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुलाई 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के नाम से जल-संसाधन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था गठित की गई। एजेंसी के मुख्य कार्य ये हैं: राष्ट्रीय प्रारूप-योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की व्यावहारिकता का सत्यापन करने के लिए सम्भावित बांधों के निर्माण-क्षेत्र व उनसे जुड़ी नहरों का विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण करना, विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों में जल की मात्रा सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन करना ताकि अतिरिक्त जल को उन राज्यों की निकट भविष्य की तर्कसंगत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अन्य राज्यों को दिया जा सके। इसके अतिरिक्त यह एजेंसी प्रायद्वीपीय नदियों के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के विभिन्न घटकों के औचित्य से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार करती है। इसका अध्ययन-कार्य प्रगति पर है तथा इसके आठवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड को, जिसका गठन 1927 में किया गया था, सिंचाई तथा विद्युत के क्षेत्र में समस्त अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों को समन्वित करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुसंधान के नतीजों को व्यवहार में लाने को प्रोत्साहन देता है।

राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान की स्थापना 1978 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गयी थी। इसका मुख्यालय रुड़की में है। संस्थान एक अग्रणी राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जिसे आधारभूत, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक जल-विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करने का दायित्व सौंपा गया है जिनका राष्ट्रीय आयोजना तथा जल संसाधनों के क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों से गहरा सम्बन्ध है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान

वाटर एंड पावर कन्सल्टेंसी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड का गठन जून 1969 में विद्युत तथा जल-संसाधनों के विकास तथा उनके उपयोग के क्षेत्र में भारतीय विशेषज्ञता को प्रदर्शित तथा समन्वित करने के लिए किया गया था। कम्पनी जल विद्युत तथा ताप विद्युत, बांध, समन्वित सिंचाई (जिसमें नदी के निचले भाग से सम्बन्धित पक्ष भी शामिल है), भूतलीय जल, पानी की आपूर्ति तथा इसको शुद्ध करने, अंतर्देशीय जल-मार्ग तथा नौ-परिवहन-सम्बन्धी सर्वेक्षण आदि के

प्रतिरिक्त जल संसाधनों के विकास के हर पक्ष में सलाहकार सेवा प्रदान करती है। यह कम्पनी वित्त-पोषण करने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पंजीकृत है।

भारत गांवों में बसता है और इसके 5,76 लाख गांवों में से लगभग 50 प्रतिशत गांव दुर्गम स्थानों में स्थित हैं। सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन इन गांवों की विशेषता है। लम्बे समय तक ये गांव उपेक्षित तथा अलग-थलग पड़े रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण जनता की स्थिति को सुधारने के लिए समन्वित रूप से प्रयास किये गये हैं।

वर्ष 1950 वह यादगार साल था जब संविधान लागू किया गया तथा पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सभी पंचवर्षीय योजनाओं के सर्वोच्चलक्ष्यों में से एक रहा है। छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में बुनियादी विस्तार व विकास सेवाएं आरम्भ की गईं। इस कार्यक्रम से ग्रामीण लोगों में विकास की संभावनाओं के संबंध में जागृति पैदा हुई तथा बाद में सातवें दशक के मध्य में कृषि-कार्यों में प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों को तुरन्त अपनाया जाना संभव हो सका। मध्यस्थ भूस्वामियों के हटाए जाने, पट्टेदारी पद्धति में सुधार होने तथा पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक भौतिक व संस्थागत ढांचा तैयार हो गया।

आठवें दशक के मध्य में सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम अपनाया गया तथा 1980 से कुछ पहले रेगिस्तानी इलाकों के विकास के लिए अन्य विशेष कार्यक्रम बनाए गए। 1977 में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम शुरु किया गया जिसका उद्देश्य निर्धन ग्रामवासियों को, विशेष रूप से रोजगार की कमी के समय रोजगार के अवसर प्रदान करना था। इसके साथ ही स्थायी सामुदायिक परिश्रमपत्तियों के लाभ का भी लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम को अक्टूबर 1980 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' को नया रूप दिया गया। पर्वतीय व जनजातीय क्षेत्रों जैसे कम संपन्न या अमुविद्याग्रस्त इलाकों में क्षेत्रीय असमानताओं को मिटाने के उद्देश्य से विकास का विशेष उप-योजनाएं चलाई गईं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़कों में और मकान बनाने में ग्रामीण इलाकों को उचित समयावधि में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम-आवश्यकता-कार्यक्रम तैयार किए गए। कृषि-संबंधी औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अल्पविकसित इलाकों को विशेष वित्तीय रियायत, आसान शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक सहायता भी सुलभ करवाई गई।

1979 में ग्रामीण युवकों की बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना' (ट्राइसेम) शुरु की गई। उचित प्रौद्योगिकी को विकसित करने के बाद उसे देश के सभी गांवों में पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् की स्थापना की गई है। 15 अगस्त 1983 को रोजगार के अधिक अवसर

मुनाम कराने के लिए भूमिहीन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के नाम से गरीबी दूर करने का एक नया कार्यक्रम लागू किया।

**समन्वित  
ग्राम-विकास  
कार्यक्रम**

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (आई० धार० डी० पी०) का उद्देश्य गरीबी की रेखा में नीचे रहने वाले परिवारों को सहायता देना है, ताकि उनका आय-स्तर गरीबी की रेखा से काफी ऊपर हो जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त ऐसे परिवारों को उत्पादन के उपकरण उपलब्ध कराने की जा सकती है। इस कार्यक्रम के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है तथा बैंकिंग मस्याएं हल देती हैं। यह भी विचार है कि इसका लाभ उठाने वालों में 30 प्रतिशत परिवार अनु-भूषित जाति और जनजातियों के तथा 30 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए।

यह कार्यक्रम 'जिला ग्राम विकास एजेंसी' (डी० धार० डी० ए०) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति होती है जो विकास के सभी पहलुओं में प्रगति की समीक्षा करती है। जिला ग्राम विकास एजेंसी का समापित कार्यक्रम को जिला स्तर पर कार्यान्वित करने में तालमेल रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला ग्राम विकास एजेंसियों के भागदर्शन के लिए एक प्रबन्ध समिति होती है। इस प्रबन्ध समिति में मंसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, जिला परिषद् का अध्यक्ष, केन्द्रीय महाकारी बैंक का अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष, जिला उद्योग केन्द्र का महाप्रबन्धक, कमजोर वर्गों के दो प्रतिनिधि (इसमें से एक अनुभूषित जाति तथा अनुभूषित जनजाति का हो सकता है) तथा महिलाओं की एक प्रतिनिधि रहती है। कार्यक्रम के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए जिला परिषदों और पंचायत समितियों से पूरा सहयोग लिया जाता है। लाभ उठाने वाले परिवारों का चुनाव ग्राम सभा की बैठक में किया जाता है।

**सातवीं पंचवर्षीय**

मानवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम की नीति के दो पहलू हैं पहला, छोटी पंचवर्षीय योजना में मिली सफलताओं को मजबूत बनाया जाए तथा जो परिवार आज भी गरीबी की रेखा में ऊपर नहीं उठे हैं उन्हें पूरक सहायता दी जाए। इस काम के लिए प्रत्येक घर का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण तथा दी जाने वाली पूरक सहायता के बारे में बिस्मृत भागदशिकाएँ जारी की जा चुकी हैं। नीति का दूसरा पहलू है—नये लाभ उठाने वालों तक पहुँचना। उन्हें इस क्षेत्र में सहायता दी जाएगी कि पहली बार प्राप्त सहायता में ही वे गरीबी की रेखा को पार कर लें।

**सातवीं पंचवर्षीय  
योजना का परि-  
ष्पय और लक्ष्य**

मानवी योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल परिव्यय 2358 81 करोड़ रुपये है, जिसमें में केन्द्रीय क्षेत्र में 11,86 79 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 11,72.02 करोड़ रुपये रखा गया है। योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि 2 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा को पार कर लें। इन परिवारों में छोटी पंचवर्षीय योजना के दौरान चने गए वे परिवार भी शामिल हैं जिन्हें पूरक सहायता दी जानी है।

समन्वित ग्राम  
विकास कार्यक्रम  
की कार्यक्षमता  
बढ़ाना

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए सातवीं योजना में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- (1) गरीबी की रेखा की सीमा बढ़ाकर 6,400 रुपये वार्षिक प्रति परिवार कर दी गई है ।
- (2) इन परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उनकी आय सीमा बढ़ाकर 4,800 रुपये वार्षिक प्रति परिवार कर दी गई है । तथापि पहले उन परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 3,500 रुपये तक है । उनके बाद 4,800 रुपये तक की आय वालों को शामिल किया जाएगा ।
- (3) प्रति परिवार सहायता के लिए अधिक धन दिया जाएगा ताकि नए लाभ उठाने वालों को उसके निवेश से समुचित आमदनी हो सके ।
- (4) ऐसे परिवारों को जिन्हें छठी योजना में सहायता दी गई किन्तु जो गरीबी की रेखा को पार नहीं कर सके थे और उसमें उनका कोई दोष नहीं था, पूरक सहायता दी जाएगी ।
- (5) अभी तक 'सबको समान सहायता' की नीति अपनाई जाती थी पर अब आर्थिक स्थिति के आधार पर चुनाव किया जाएगा ।
- (6) लाभ उठाने वालों की पहचान के लिए जन-प्रतिनिधियों का और अधिक सहयोग लिया जाएगा ।
- (7) इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर की संस्थाओं की पहचान करके या जिला पूर्ति एवं विपणन संस्थाओं की स्थापना करके तालमेल में सुधार के प्रयास किए जायेंगे ।
- (8) लाभ उठाने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाकर 30 कर दिया जाएगा ।
- (9) प्रशिक्षण के काम में अधिक तालमेल के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी और इसके अन्तर्गत 'संयुक्त ग्राम प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी केंद्र' (सी० आर० टी० टी० सी०) स्थापित किए जाएंगे ।
- (10) विकास खण्ड, जिला और राज्य स्तर के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक चुस्त और आवश्यकतानुसार मजबूत बनाया जाएगा । ग्राम विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त की गई थी । समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस पर विचार किया जा रहा है ।
- (11) बैंकों के, विशेषकर ग्रामीण बैंकों के कामकाज में सुधार लाया जाएगा ।
- (12) लाभ उठाने वालों में जागरूकता पैदा करने वाला वातावरण बनाया जाएगा और उसका समुचित संगठन किया जाएगा ।
- (13) ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की योजनाएं कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक संगठनों का और अधिक सहयोग लिया जाएगा ताकि नये तरह की

परिवारोन्मुखी परियोजनाओं को और अधिक प्रभावकारी ढंग में कार्यान्वित किया जा सके।

- (14) कार्यक्रम के बेहतर मंवादन के लिए 'मासिक मन्वर्ती मूल्यांकन' की नई प्रणाली शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत 36 जिनें 72 ग्रन्ड और 10 वर्तमान लाभ उठाने वाले तथा 10 पुराने लाभ उठाने वाले (जिन्हें दो वर्ष पहले सहायता मिली थी) शामिल किए जाएंगे।

1986-87 के लिए प्रावधान और लक्ष्य

वर्ष 1986-87 में मन्वित ग्राम विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय बजट में 287.50 करोड रुपये रखे गए हैं। राज्यों का हिस्सा मिला कर इस कार्यक्रम के लिए कुल 543.83 करोड रुपये रखे गए हैं। इसके अन्तर्गत 32 लाख परिवारों को सहायता देने का प्रस्ताव है। इनमें से 20 लाख परिवार पुराने होंगे जिन्हें पूरक सहायता दी जाएगी और 12 लाख परिवार नए होंगे।

मूखे के लिए कार्यक्रम

वर्ष 1970-71 में एक ग्राम निर्माण कार्यक्रम बनाया गया जिसका उद्देश्य मूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, परिमपस्थितियों का निर्माण तथा मूखे के कुप्रभाव को कम करना था। चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में इसका नाम 'मूखे की समावना वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम' (डाट प्रोन एरियाज प्रोग्राम) रखा गया।

इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं (1) मूखे से उत्पन्न कुप्रभावों को कम करने के प्रयास करना, (2) जन साधारण की, खास कर समाज के कमजोर वर्गों की भाव में स्थिरता लाना, (3) पर्यावरण सतुलन बनाए रखना।

इस समय यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 90 जिलों के 615 विकास ग्रन्डों में लागू है। इस कार्यक्रम के लिए 350 करोड रुपये खर्च करने का प्रावधान था जो केन्द्र और राज्य द्वारा भाधा-भाधा दिया जाना था। योजना प्रायोग ने इस कार्यक्रम के लिए 404.30 करोड रुपये की स्वीकृति प्रदान की। इसमें से 337.41 करोड रुपये खर्च किए गये हैं।

मरस्थल विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मरस्थलीयकरण पर नियंत्रण पाना और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भाव, रोजगार तथा उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए परिस्थितियों निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चलायी जाने वाली मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं।

- (क) वृक्षारोपण, घासवाली जमीन का विकास तथा रेत के टीलों को बन्दने से रोकना;
- (ख) भूमि जल का विकास और उपयोग;
- (ग) जल-क्षेत्रों का निर्माण करना;
- (घ) मलकूपों को बिजली पहुँचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, और
- (ङ) कृषि, बागवानी तथा पशु-पालन को बढ़ावा देना।

यह कार्यक्रम देश के गर्म तथा ठण्डे दोनों तरह के मरस्थलीय क्षेत्रों में चलाया गया है इसके अन्तर्गत, गर्म मरस्थल क्षेत्र के 18 जिलों में और ठण्डे मरस्थल क्षेत्र के 3 जिलों में काम चल रहा है। इसके अन्तर्गत कुल 131 ग्रन्ड प्राप्ते हैं।

छठी योजना के दौरान 100 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया था जो कि केन्द्र और राज्यों द्वारा आधा-आधा बांटा जाना था। योजना आयोग के वार्षिक व्यय अनुमोदन के आधार पर इसे घटा कर 94.85 करोड़ रुपये कर दिया गया। छठी योजना में इस कार्यक्रम पर 73.55 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

### ग्रामीण जल आपूर्ति

समस्त ग्रामीण जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह बीस सूची कार्यक्रम का ही अंग है। पांचवीं योजना से इसे राज्य-योजनाओं के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। समस्याग्रस्त गांवों की पहचान करने के कार्य में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम' (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०) के तहत सहायता दे रही है। समस्याग्रस्त गांव वह हैं जहां 1.6 किलोमीटर की परिधि में पीने के पानी का कोई सुरक्षित साधन नहीं है और पानी 15 मीटर से अधिक गहराई पर उपलब्ध है। पर्वतीय इलाकों में इस श्रेणी के अन्तर्गत वे गांव आते हैं जहां पानी निवास स्थान से 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध है। अन्य समस्याग्रस्त गांव वे हैं जहां उपलब्ध पानी में अत्यधिक खारापन, लौहत्व, फ्लोराइड और विषैले तत्व हैं तथा हैजा, गिनी-कृमि जैसी बीमारियां हैं।

छठी योजना के प्रारंभ में पहचाने गए ऐसे 2.31 लाख गांवों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना था। योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 2457.63 करोड़ रुपये खर्च किए गए। छठी योजना के दौरान कड़े प्रयत्नों एवं भारी खर्च के फलस्वरूप 1.92 लाख समस्याग्रस्त और 0.47 लाख अन्य गांवों में पानी उपलब्ध कराया जा सका।

सातवीं योजना का उद्देश्य वर्तमान मानकों के आधार पर सम्पूर्ण ग्रामीण आवादी को 1.6 किलोमीटर की परिधि के अन्दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पानी उपलब्ध कराना है।

### राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

सभी पंचवर्षीय योजनाओं में एक प्रमुख लक्ष्य यह रखा जाता रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार में पर्याप्त कमी लाई जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की नीति यह रही है कि रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि करके गरीब लोगों के हित में आय और उपभोग के अनुपात का फिर से निर्धारण करने के प्रयास किए जाएं। अतीत में ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार की जोरदार योजना, ग्रामीण रोजगार का प्रायोगिक सघन कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज जैसे रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रमों से जो अनुभव मिला, उसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की रचना हुई। यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अक्टूबर 1980 में प्रारम्भ किया गया और इसका खर्च केन्द्र तथा राज्यों द्वारा आधा-आधा वहन किए जाने की व्यवस्था की गई। इसके तीन मुख्य लक्ष्य रखे गए: लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना, स्थायी सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण तथा गांवों में दसे गरीब लोगों के शोजन में पीछे तत्वों को बढ़ाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे सभी काम चलाये जा सकते हैं, जिनमें स्थायी सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण होता हो। परन्तु अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भलाई के ऐसे काम भी हाथ में लिए जाने की अनुमति है, जिनमें व्यक्तिगत रूप में किसी को लाभ पहुंचता हो। इसके अन्तर्गत गुरु की जाने वाले परियोजनाओं की सूची ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित कार्यों को ध्यान में रख कर तैयार की जानी है। ये सभी कार्य ग्रामसभाओं की बैठकों में तय होते हैं। हर मास जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों उपलब्ध धन को देखते हुए इस सूची में शामिल परियोजनाओं में से ही वार्षिक कार्य योजनाएं बनाती हैं। यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जाता है।

इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को धन राशि एक निश्चित मूल्य के आधार पर दी जाती थी। इसमें 75 प्रतिशत महत्व खेतिहर मजदूरों तथा सामान्य किसानों को और 25 प्रतिशत महत्व गावों में गरीबी को दिया जाता था। अब इस कमीटी को बदल दिया गया है। अब 50 प्रतिशत महत्व खेतिहर मजदूरों, सामान्य किसानों तथा सामान्य कर्मचारियों को तथा 50 प्रतिशत महत्व ग्रामीण इलाकों में गरीबी के प्रभाव को दिया जाएगा। जिलेदार महायत्ना देने में भी इसी कमीटी को ध्यान में रखा जाएगा। जहां जिलेदार गरीबी का अनुमान प्राप्त नहीं होगा वहां उस जिले की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की मजदूरी को ध्यान में रखा जाएगा। जिला स्तर पर होने वाले व्यय का कम-से-कम 50 प्रतिशत वेतन आदि पर खर्च किया जाएगा। राशि का दम प्रतिशत उन कामों के लिए रखा जाएगा जिनमें अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की सीधे लाभ पहुंचे। इसमें स्वच्छ ग्रामीण शौचालयों के लिए रखी गई छ करोड़ रुपये की महत्वता शामिल है। सामाजिक दानकों के लिए पहले 10 प्रतिशत राशि रखी जाती थी जिसे 1985-86 में बढ़ाकर 20 प्रतिशत और 1986-87 में 25 प्रतिशत कर दिया गया। इसमें से 5 प्रतिशत राशि अनाज के रूप में होगी। आवंटित राशि का 10 प्रतिशत ऐसी परिमत्पत्तियों के रख-रखाव के लिए व्यय करने की अनुमति दी गई है जिनके लिए नियमित व्यवस्था न की गई हो। इस कार्यक्रम में लगे लोगों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है। वेतन का कुछ भाग मन्त्र मन्त्र के अनाज के रूप में दिया जाता है। यह मूल्य गेहूँ के लिए 1.50 रुपये प्रति किलो तथा चावल 1.85 रुपये प्रति किलो है। 1986-87 में 50 प्रतिशत वेतन अनाज के रूप में दिया जाता है जो राज्य सरकारों को मुक्त में दिया जाता है।

छठी योजना में इसके लिए कुल 1,620 करोड़ रुपये रखे गए थे पर 1,873 करोड़ रुपये खर्च किए गए। योजनावधि में कुल 1,834 करोड़ रुपये के व्यय में 17,750 लाख कार्य दिवसों का रोजगार मिला। सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 2487.47 करोड़ रुपये के परिचय की व्यवस्था है जिनमें 14450 लाख कार्य दिवसों का रोजगार मिलेगा।

इस कार्यक्रम में प्रतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था के साथ-साथ स्थायी सामुदायिक सम्पत्तियों का भी निर्माण हुआ है। इसमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल



रही है और उनके भोजन के पौष्टिक स्तर में सुधार हुआ है। इससे लोगों के गांवों से शहरों और कस्बों की ओर पलायन को रोकने में भी कुछ हद तक मदद मिली है। कार्यक्रम को लागू करने से गांवों के गरीबों को पर्याप्त राहत मिली है तथा सड़कों के निर्माण के फलस्वरूप संचार व्यवस्था में सुधार होने से व्यापार और वाणिज्य की सुविधाएं बढ़ी हैं।

### ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि गांवों में गरीबी का अधिक सीधे तथा सरल तरीके से निराकरण किया जाए क्योंकि जब खेती-बाड़ी में काम कम हो जाता है तो ऐसे समय में भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार की विशेष समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम' (आर० एल० ई० जी० पी०) नाम से एक नई योजना 1983-84 से प्रारम्भ की गई है।

इस कार्यक्रम के दो आधारभूत उद्देश्य हैं :

1. ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाना तथा उनका विस्तार करना, जिससे प्रत्येक भूमिहीन मजदूर के परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को साल में 100 दिन तक काम अवश्य मिल सके।
2. गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थायी सम्पत्तियां बनाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो सके।

छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए। 1983-84 में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को 100 करोड़ रुपये दिये गये। 1984-85 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठा रही है। केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में वितरण का वही मापदण्ड रखा गया है जो रा० ग्रा० रो० का० के लिए है। इस प्रकार से निर्धारित धन के लिए राज्य सरकारें योजनाएं तैयार करती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वे कार्य भी हाथ में लिए जा सकते हैं जो 20-सूत्री कार्यक्रम और 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' से सम्बन्धित हों। योजना के कुल खर्च का कम से कम 50 प्रतिशत धन वेतन के रूप में दिया जाना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक किलोग्राम अनाज वेतन के भाग के रूप में दिया जाता है। शेष मजदूरी नकद दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज रा० ग्रा० रो० का० की भांति रियायती दरों पर दिया जाता है।

जो भी योजनाएं शुरू की जानी हों, उनके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय में गठित रा० ग्रा० रो० का०/ग्रा० भू० रो० गा० का० के वारे में केन्द्रीय समिति से मंजूरी लेनी होती है। कौन-सी योजना किस एजेंसी द्वारा चलाई जानी है, इसका फंसला राज्य सरकारें या केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन करते हैं। मार्च 31, 1985 तक विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 906.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तीन सौ अठारह परियोजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं।

1984-85 के दौरान 30 करोड़ कार्य दिवसों के रोजगार की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु 25.76 करोड़ कार्य दिवसों के रोजगार की ही व्यवस्था की गई जो कि लक्ष्य का 85.86 प्रतिशत है।

सातवीं योजना में 1743.78 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जिसमें 101.3 करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार मिलेगा। 1985-86 में 606.33 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिनसे 23.19 करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार मिला जबकि लक्ष्य 20.57 करोड़ कार्य दिवसों का था। इस तरह लक्ष्य के मुकाबले 112.71 प्रतिशत सफलता मिली। वर्ष 1986-87 के लिए 633.65 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 23.64 करोड़ कार्य दिवसों के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। धरा 1986 तक के ग्राम्यायी प्रांकों के अनुसार 6.42 करोड़ कार्यदिवसों का रोजगार मिला जो लक्ष्य का 27.16 प्रतिशत है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में गुणवत्ता और प्रकार संबंधी परिवर्तन लाए गए हैं। 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे जिनमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए छोटे-छोटे घर और आवास बनाए जायेंगे। 1986-87 में इन कार्यक्रम का नाम 'इंदिरा आवास योजना' रखा गया और इसके लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत सामाजिक यानिकों के लिए रखा गया। 1986-87 में इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये ग्रामीण स्वच्छ शौचालयों के लिए खर्च जायेंगे हैं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2.5 लाख ग्रामीण स्वच्छ शौचालय बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की तरह आवंटित राशि का 10 प्रतिशत ऐसे कामों पर खर्च किया जाएगा, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी लाभ होगा।

**उद्योग, सेवा और व्यवसाय घटक**

फरवरी 1979 में उद्योग, सेवा और व्यवसाय घटक (घाई० एम० वी०) को स० प्रा० वि० का० में शामिल कर लिया गया, जिसका उद्देश्य द्वितीय और तृतीय सेक्टरों में रोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना था। बयोनि: कृषि क्षेत्रों में स्व-रोजगार दिलाने के अवसर सृष्टि विदु तरु पड़ूच चुके थे।

घाई० एम० वी० के अन्तर्गत चुने गये सभी परिवार स० प्रा० वि० का० के प्रतिमानों के अनुसार महायता पाने का अधिकार रखते हैं। गैर आदिवासी परिवारों को योजना के अन्तर्गत 33 1/3 प्रतिशत की दर से अधिक महायता दी जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा गैर मूषे की मभावना वाले क्षेत्र के लिए 3,000 रुपये तथा मूषे की संभावना वाले क्षेत्र के लिए 4,000 रुपये है। आदिवासी परिवारों को दी जाने वाली अधिक सहायता की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है जो कि योजना पर किये जाने वाले खर्च के 50 प्रतिशत की दर से निश्चित की गयी है। परिवारों को दी जाने वाली अधिक सहायता की राशि मस्यागत वित्त की मदद में प्रथमः 6,000 रुपये, 8,000 रुपये तथा 5,000 रुपये तक बढ़ायी जा सकती है। छठी योजना में 44.5 लाख परिवारों को महायता प्रदान की गयी जबकि निर्धारित लक्ष्य 50 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करने का था।

भारत 1986

के  
युवकों  
ण

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम नाम की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गांवों में लक्ष्य वाले परिवारों के 18-35 वर्ष के आयु वर्ग वाले ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इन परिवारों की वार्षिक आय 3,500 रुपये से कम होनी चाहिए। प्रशिक्षण देकर इन युवकों में ऐसी तकनीकी योग्यता पैदा कर दी जाती है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय स्वयं चला सकें। इन लक्ष्य-परिवारों के हर परिवार से एक युवक चुना जाना है जिसे कृषि, उद्योग, सेवाओं तथा व्यापार आदि का प्रशिक्षण मिलेगा।

छठी योजना में इसके अर्न्तगत 10.11 लाख युवकों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 3.32 लाख अनुसूचित जाति और जनजातियों के थे तथा 3.33 लाख महिलाएं थीं। इन प्रशिक्षित युवकों में से 4.76 लाख अर्थात् 47.1 प्रतिशत को स्वरोजगार मिला। प्रशिक्षित युवकों में से ही 10.1 प्रतिशत को वैतनिक नौकरी का आश्वासन मिला।

अनुसंधान और  
प्रशिक्षण

ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण के महत्व को अधिकाधिक स्वीकार किया जाने लगा है। न केवल सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वह ग्राम विकास योजनाओं को व्यौरदार समझ सकें, बल्कि लाभ उठाने वालों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उनमें योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा हो और प्रभावशाली संचार प्रणाली विकसित हो।

राष्ट्रीय ग्राम  
विकास संस्थान

राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद एक स्वायत्तशासी संगठन है जो ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं के बारे में अनुसंधान करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। पिछले वर्षों में इस संस्थान ने ग्रामीण विकास संस्थानों में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त कर लिया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के ग्रामीण विकास प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए निश्चित किया गया है कि 22 राज्यों में प्रत्येक राज्य में एक ऐसा केन्द्र खोला जाए।

सातवीं योजना में दो नई योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इनका उद्देश्य ग्राम में 100 विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना और इतनी ही संख्या में जिलों में उपलब्ध ग्रामीण प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करने वाले केन्द्र स्थापित है।

सितम्बर 1986 से एक नई संस्था 'जन कार्य एवं ग्राम्य तकनीकी परिषद' (सी० ए० पी० ए० आर० टी०) बनाई गई है। यह परिषद स्वैच्छिक द्वारा जारी ग्रामीण विकास कार्यों में सहायता के लिए नवीन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगी।

कृषि-विपणन

विपणन और निरीक्षण निदेशालय विपणन की समस्याओं के विषय और राज्य सरकारों को सलाह देता है। उसके कार्य इस प्रकार हैं और समवर्गीय जिन्सों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण

बाजार और विपणन रीतियों का मांविधिक नियमन, (3) कार्मिक-प्रशिक्षण, (4) बाजार-विस्तार, (5) बाजार-प्रमुखान, सर्वेक्षण और योजना बनाना, तथा (6) शीतसंयह्यार भादेग, 1980 एवं मांस खरघ पदार्थ घादेग, 1973 को लागू करना ।

### श्रेणीकरण और मानकीकरण

विपणन और निरीक्षण निदेशालय लगभग 41 कृषि-जिन्सों पर नियमन से पहले अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण घादेश लागू करता है । देश के अन्दर ही खपत के लिए जिन महत्वपूर्ण पदार्थों का 'एगमाक' के अन्तर्गत श्रेणीकरण हुआ है उनमें कपास, वनस्पति तेल, धो, श्रीम, मसखन, अंडे, चावल, गेहूँ, भाटा, गुड़, बूरा, मुपारी, करी पाउडर, जौरा, कांगड़ा चाय, दालें, गहूँ, पिसे भसाले, घाघ आनू और फल घादि शामिल हैं ।

'एगमाक' के अन्तर्गत श्रेणीकृत उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता के परीक्षण के लिए अलेपो, अमृतसर, बंगलूर, भोपाल, मुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, कोचिन, मुवाहाटी, गाजियाबाद, गुन्तूर, जयपुर, जामनगर, कानपुर, कोम्क्रोड, मद्रास, मंगलौर, पटना, राजकोट, तूनीकोरिन और विश्वनगर में 21 प्रयोगशालाएं खोली गई हैं । एक केन्द्रीय 'एगमाक' प्रयोगशाला नागपुर में अलग से है जो आवश्यक परीक्षण-मुविघाएं प्रदान करने वाली शीर्षस्थ प्रयोगशाला है । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की केन्द्रीय और क्षेत्रीय 'एगमाक' प्रयोगशालाओं को जीवबैज्ञानिक परीक्षण-इकाईया स्थापित करके और अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है ।

किसानों के लिए गुणवत्ता के अन्तर्गत कीमत रखने के लिए 914 करोड़ रुपये मूल्य के कृषि पदार्थों को 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शामिल प्रदेशों में खोले गए 9.45 श्रेणीकरण केन्द्रों में बित्री से पहले श्रेणीकृत किया गया था । उक्त निदेशालय ने 142 कृषि-पदार्थों का श्रेणी-विशेषीकरण किया है ।

### बाजार-नियमन

बाजारों का नियमन राज्य सरकारें करती हैं । विपणन और निरीक्षण निदेशालय विपणन के लिए विधि-निर्माण और उसे लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देता है । मार्च 1985 के अन्त तक देश में नियमित बाजारों की संख्या 5,695 थी ।

यह निदेशालय सन्धाकू, पटमन, कपास, मूगफली और काजू जैसे महत्वपूर्ण जिन्सों के सम्बन्ध में श्रेणीकरण की मुविघाएं प्रदान करने के लिए चुने हुए नियमित बाजारों को उत्पादकों के स्तर पर वित्तीय सहायता देता है ।

यह निदेशालय चुने हुए विनियमित बाजारों को, मुविघाओं के विवास के लिए केन्द्रीय सहायता देने की एक योजना सन् 1972-73 में कार्यान्वित कर रहा है । इसके अन्तर्गत कमान क्षेत्रों के बाजार, व्यापारिक फसलों के बाजार तथा फल और सब्जियों के बाजार आते हैं । ग्रामीण और विनियमित बाजारों की सहायता के लिए 1977-78 में एक नई योजना शुरू की गई । इस योजना के अन्तर्गत 1985-86 तक 2,636 ग्रामीण प्राथमिक बाजारों तथा 137 ग्रामीण शीत बाजारों के विकास के लिए 36,82 करोड़ रुपये का सहायता अन्तर्दान दिया गया ।

योजना के प्रारम्भ से लेकर मार्च 1986 तक 547 चुने हुए नियमित बाजारों को 21,309 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

### बाजार अनुसंधान और सर्वेक्षण

बाजार-अनुसंधान और सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत इन दो कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है: (1) बाजार अनुसंधान और योजना निर्माण, तथा (2) बाजार-योजना निर्माण और डिजाइन। पहली योजना के अन्तर्गत निदेशालय कृषि-विपणन की समस्याओं का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए पशुधन, महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों तथा फलों का देशव्यापी विपणन-सर्वेक्षण करता है। बाजार योजना-निर्माण और डिजाइन केन्द्र की ओर से ताजे फलों और साग-सब्जियों के अनेक थोक बाजारों का सर्वेक्षण, उनके विकास और सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने के उद्देश्य से कराया जा चुका है। यह केन्द्र चुने हुए फलों और साग-सब्जियों की पैकिंग, श्रेणीकरण तथा विपणन का अध्ययन करेगा और अधिकारियों को फल और सब्जी बाजारों के डिजाइन के सम्बन्ध में सलाह देगा।

### कपास श्रेणीकरण योजना

1969-70 में कपास के श्रेणीकरण की एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में सूरत में एक कपास श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित किया गया था। इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर ऐसे ही जिन पांच और केन्द्रों को स्वीकृति दी गई वे हैं: महाराष्ट्र में नागपुर, कर्नाटक में रायचूर, तमिलनाडु में तिरुपुर, मध्य प्रदेश में खंडवा और पंजाब में अबोहर।

### शीत संग्रहागार आदेश और मांस खाद्य पदार्थ आदेश

1980 का शीत संग्रहागार आदेश, इस निदेशालय द्वारा शीत संग्रहागार-उद्योग का सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए लागू किया गया है ताकि प्रशीतन स्वास्थ्यकर, स्वच्छ और उपयुक्त ढंग से हो तथा खाद्य पदार्थों को वैज्ञानिक ढंग से रखने के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन हो सके। 30 सितम्बर 1985 तक 1,170 शीत संग्रहागारों को इस आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया जिनकी क्षमता 32, 00,845 घन मीटर थी इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपने नियम/अधिनियमों के अन्तर्गत कई लाइसेंस दिये।

यह निदेशालय सामान्य खाद्यपदार्थ आदेश, 1973 को भी पूरे देश में इसलिए कार्यान्वित करता है ताकि मनुष्यों के खाने के लिए मांस से बने हुए पदार्थों की गुणवत्ता पर सुनिश्चित रूप से नियंत्रण बना रहे। नवम्बर 1985 तक इसके लिए 190 लाइसेंस स्वीकृत किये जा चुके हैं।

### ग्रामीण गोदाम

1979-80 से ग्रामीण भण्डारों की राष्ट्रीय शृंखला की स्थापना के लिए विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना सहकारी समितियों, बाजार समितियों तथा राज्य गोदाम निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन गोदामों की क्षमता 200 टन से 1000 टन तक की है। इन गोदामों के निर्माण पर 50 प्रतिशत खर्च अनुदान से होगा जो कि राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा बराबर-बराबर दिया जाएगा तथा 50 प्रतिशत घन व्यापारिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में लिया जाएगा।

ये गोशाम अनाज तथा दूसरे कृषि उत्पादों (जिनमें जल्दी नष्ट हो जाने वाली यस्तुएं भी शामिल हैं) के लिए भण्डारण की कमी को पूरा करेंगे। ये गोशाम विप्रेय रूप से अन्न के संकट के समय मनमाने दामों में बिक्री को रोकेंगे, फसल के समय में परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करेंगे, उर्वरक बीज घाटि की छोटे तथा सीमान्त कृषकों की पहुंच में लाएंगे तथा घटिया गोशामों के कारण होने वाली मात्रा तथा गुणों की क्षति को कम करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत 1985-86 के अन्त तक गांवों में 3,815 गोशामों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनकी क्षमता 19.76 मीट्रिक टन होगी और इसके लिए 1723.4 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान दिया गया है।

### भूमि सुधार

योजना प्रक्रिया अपनाए जाने के समय से ही भूमि सुधार को ग्रामीण और आर्थिक विकास की प्रमुख नीतियों में स्थान मिला हुआ है। पुराना कृषि ढांचा कृषि को आधुनिक बनाने तथा और अधिक समतावादी समाज की स्थापना के लक्ष्यों के अनुकूल नहीं था। इसलिए भूमि सुधार कार्यक्रम की रचना इस ढंग से की गई है कि उसमें गांवों में परम्परागत सामन्तवादी सामाजिक आर्थिक ढांचा छिन्न-भिन्न हो जाए, कृषि के तरीकों की आधुनिक बनाने में तेजी आए तथा कृषि उत्पादनता में वृद्धि हो। इन कार्यक्रम का उद्देश्य अधिसूचित निर्धन किसानों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। इससे गरीबों का सामाजिक स्तर ऊपर उठाने में मदद मिलती है तथा वे स्वयं को सामाजिक जीवन की मुख्य धारा का अंग महसूस करते हैं। इसी कारण भूमि सुधार कार्यक्रम को केवल आर्थिक विकास का ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्थान का भी साधन माना गया है। सतत योजना में भूमि सुधार को गरीबी-उन्मूलन नीति के मूलभूत हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है।

### बिबी लियों का उन्मूलन तथा स्वाभित्व अधिकांश प्रदान करना

खेती करने को विचौलिया प्रथा के उन्मूलन से पुराना सामन्तवादी ढांचा टूट गया है तथा करीब दो करोड़ कार्शकार मीधे सरकार के सम्पर्क में आ गए हैं। अधिकतर राज्यों में पट्टेदारों को भातिकाता अधिकार मिल गए हैं। इसके फलस्वरूप अब तक 97.10 लाख पट्टेदारों को 67.87 लाख हेक्टेयर भूमि पर भातिकाता अधिकार मिल चुके हैं।

### भूमि की हदबन्दी तथा अतिरिक्त भूमि का वितरण

1950 तथा 1960 के दशकों में अनेक राज्यों ने भूमि हदबन्दी कानून बनाए। इनके फलस्वरूप सरकार ने 26.45 लाख एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण की और उममें से 20.70 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन लोगों में बाटी। 1972 में जारी किये गए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों ने भूमि हदबन्दी कानून फिर से बनाए। इन कानूनों पर तेजी के साथ अमल किया जा रहा है। अब तक 44.67 लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है। इनमें से 30.94 लाख एकड़ जमीन को सरकारी अधिकार में लिया गया है। जिनमें से 22.50 लाख एकड़ जमीन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा महायता योग्य अन्य वर्गों के 18.05 लाख परिवारों में बांटी गई है। कुल मिलाकर 57.39 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण

किया गया है और 43.28 लाख एकड़ जमीन 34.55 लाख परिवारों में वितरित की गई है।

**हृदयन्दी कानून लागू करने में कानूनी अड़चनें**

भूमि सुधार उपायों से ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक-सामाजिक सम्बन्धों में बदलाव आता है, इसलिए इन्हें लागू करना अत्यन्त कठिन है। हालांकि इस बात के अनेक प्रशासनिक और कानूनी उपाय किये गए हैं कि भूमि सुधार के मामलों को अदालतों में चुनौती न दी जा सके, किन्तु फिर भी लोग इन सुधारों के क्रियान्वयन में देरी करने का कोई न कोई रास्ता ढूँढ़ ही लेते हैं। 14.55 लाख एकड़ जमीन मुकदमेवाजी में फंसी हुई है, इसलिये इसका वितरण अभी नहीं किया जा सकता। सरकार भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में प्रगति पर बराबर नजर रखे हुए हैं।

**भूमि सम्बन्धी कानूनों को संवैधानिक संरक्षण**

संविधान (47वें संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा 14 अन्य भूमि कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है जिससे इन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो गया है। 9 वीं अनुसूची में शामिल कुल 202 कानूनों में से 169 कानून भूमि सुधारों के बारे में हैं।

**वित्तीय सहायता**

भूमि हृदयन्दी कानून के अन्तर्गत वितरित अधिकांश भूमि घटिया किस्म की होने के कारण इसे प्राप्त करने वालों को अच्छी खेती के लिए काफी धन लगाना पड़ता है। इसलिए इन लोगों को 1975-76 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन लोगों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लाभ देने के मामले में भी प्राथमिकता दी जाती है। अब तक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को 28.17 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। इस समय यह सहायता 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है।

**भूमि अभिलेख**

भूमि अभिलेखों का सही और तिथिवार पूरा होना भूमि सुधार उपायों को कारगर ढंग से लागू करने, खासकर पट्टेदारों और साझे काश्तकारों को पट्टे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। काश्तकारों को ऋण तथा कृषि के काम आने वाली वस्तुओं की सहायता आसानी से मिल सके, इसके लिए भी भूमि अभिलेख आवश्यक है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भूमि अभिलेख काफी हद तक ठीक हैं। अधिकतर राज्यों में भूमि अभिलेख वार्षिक फसल रजिस्टर से अद्यतन किये जाते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, विहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इन योजनाओं के अन्तर्गत संशोधन के लिए सर्वेक्षण तथा मामले निपटाने के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों से कहा गया है कि वे निश्चित समय में पूरे होने वाले कार्यक्रम चलाकर भूमि सम्बन्धी रिकार्ड को जल्दी-से-जल्दी अद्यतन करने की कोशिश करें।

भूमि अधिग्रहण कानून, 1984 सार्वजनिक उद्देश्यों तथा कम्पनियों के लिए भूमि वा अधिग्रहण करने सम्बन्धी देश का आधारभूत अधिनियम है। भूमि अधिग्रहण (मंशोधन) कानून, 1984 से इसमें व्यापक रूप में सुधार हो गया है। इस कानून में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत क्लेक्टर द्वारा अतः भूमि शिपे जाने तक तीन वर्षों की समय-सीमा का प्रावधान है,

**चक्रवर्दी**

छोटी-छोटी कृषि जोतों के कारण कृषि को युक्तिमंगत बनाने और इसमें पर्याप्त धन लगाने तथा अन्य उपकरणों के उपयोग का कार्य कठिन हो जाता है। इसलिए इन छोटी-छोटी जोतों की चक्रवर्दी करना कृषि की अर्थ व्यवस्था तथा कार्य कुशलता बढ़ाने का आवश्यक उपाय है। इसके साथ ही, इसमें कम खर्च और अधिक अंश में गांवों के नियोजित विकास में भी पर्याप्त महायना मिलती है। अधिक्तर राज्यों में चक्रवर्दी योजना लागू करने के लिए कानूनी उपाय भी किये गए हैं। अब तक 525.60 लाख हेक्टेयर भूमि की चक्रवर्दी की जा चुकी है। यह काम ज्यादातर उत्तरप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में हुआ है।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की यह स्वीकृत नीति है कि कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य में भूमि सुधार कानूनों पर अमल किया जाए। केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को याद दिलाती रहती है कि वे भूमि सुधार कानूनों का केवल निर्माण ही न करें, बल्कि उन्हें बहुत तेजी से लागू भी करें ताकि इन उपायों के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। सरकार राज्यों पर इस बात के लिए भी जोर डालती रही है कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे अदालती कार्रवाइयों के मामलों का जल्दी-से-जल्दी निपटारा हो और उन मामलों का भी पता लगाया जाए जिनमें भूमि सुधार के कानूनों का उल्लंघन किया गया हो। राज्य सरकारों में यह भी कहा गया है कि वे पट्टेदारों तथा बट्टाईदारों के हितों की रक्षा के प्रबन्ध करें, जैसा कि ग्रामीण निर्धन वर्गों में सबसे कमजोर हैं।

**गांवों में सड़कें**

ग्रामीण विकास विभाग गांवों तक पक्की सड़कें बनाने के काम को उच्च प्राथमिकता देता है, क्योंकि यह ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का महत्वपूर्ण अंग है। गांवों में सड़कें बनाना राज्यों के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों का अंग है तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की योजनाओं में इसके लिए धन की व्यवस्था की जाती है।

छठी योजना के दस्तावेजों में सन् 1990 तक 1,500 से अधिक की आबादी वाले सभी तथा 1,000 से 1,500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को पक्की सड़कों में जोड़ने का निश्चय किया गया था। इस तरह के आधे गांवों में छठी योजना की अवधि में ही सड़कें बनाने का निश्चय किया गया।

योजना प्रायोग को मिली मूचना के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 18,000 गांवों को सड़कों में जोड़ा गया जबकि लक्ष्य 20,000 गांवों का था। सातवीं योजना में गांवों में सड़कें बनाने के लिए राज्यों की योजनाओं में 1729.40 करोड़ रुपये खर्चे गए हैं। 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' तथा



‘ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम’ के अर्न्तगत निर्धारित राशि का उपयोग ‘न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम’ के अर्न्तगत गांवों में सड़कें बनाने के लिए पूरक कोष के रूप में होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 24,000 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है ताकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अर्न्तगत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना से राज्यों में केन्द्र-समर्थित योजना भी चलाई जा रही है। इसके अर्न्तगत राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए शतप्रतिशत सहायता दी जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 6.50 करोड़ रुपये रखे गए थे जिसमें से 4 करोड़ रुपये दिए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 14 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सरकार ने बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु की कुछ चुनी हुई सड़कों पर पुल बनाने के लिए 13.54 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के लिए 1985-86 में 3.5 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि 1986-87 में 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सरकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान के डाकू पीड़ित क्षेत्रों के त्वरित आर्थिक विकास के प्रश्न पर भी विचार कर रही है। इन क्षेत्रों के दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कार्यनीति के निर्धारण, दिशानिर्देश तथा मार्गदर्शन के लिए जो समिति बनाई थी, उसने अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया है कि इन क्षेत्रों में करीब 279 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का विकास किया जाए। योजना आयोग ने 1985-86 में इसके लिए 4 करोड़ रुपये दिए तथा 1986-87 के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। सातवीं योजना में इस काम के लिए धन वार्षिक आधार पर दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास

ग्रामीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवारों की महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करके उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए आय बढ़ाने वाले कामों में उनके लिए अवसर पैदा करना है। इसके लिए जिलों का चयन कम साक्षरता और ऊंची शिशु मृत्यु दर के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के सफल न होने से इस कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि 15-20 ग्रामीण स्त्रियों के समूह बनाए जाएं जो आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में भाग ले सकें। चूंकि यह कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना है इसलिए इसके लिए धन भी उसी के बजट में से आता है और उसकी संरचना भी वही होती है। इसके अतिरिक्त हर समूह को 15,000 रुपये दिए जाते हैं जो आवर्तक निधि के रूप में होते हैं। राज्यों के लिए धन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा संयुक्त, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनीसेफ) बराबर-बराबर मात्रा में देते हैं। संघीय क्षेत्रों को 10,000 रुपये प्रति समूह केन्द्र सरकार देती है और 5,000 रुपये यूनीसेफ। यूनीसेफ कर्मचारियों का व्यय भी उठाता है। 1985-86 में इस कार्यक्रम ने उल्लेखनीय प्रगति की। उक्त वर्ष में 4,754 समूह बनाए गए और 630.70 लाख रुपये खर्च हुए।

1986-87 में यह कार्यक्रम राज्यों के 25 और जिलों में भी लागू किया जा रहा है और ऐसे 7500 समूह बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 1980-87 में इस काम के लिए 10.05 करोड़ रुपये खर्चे हुए हैं जबकि सातवीं योजना का कुल परिव्यय 48.05 करोड़ रुपये का है।

इस कार्यक्रम का कार्यक्रम यज्ञाने और कार्यान्वित करने में त्रैभित्तक संगठनों का सहयोग लेने के लिए 'भारतीय जनजात विकास' (पी० ए० डी० आई०) मासिक संस्था को 1985-86 में एक करोड़ रुपये दिए गए ताकि यह उन्हें इस कार्य में लगी संस्थाओं को अनुदान दे सके। 1985-86 में 42 त्रैभित्तक संगठनों की ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। 1986-87 में भी त्रैभित्तक संगठनों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

1985-86 में इसी कार्यक्रम के एक घंटे के रूप में बहुदंशपीय सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया। ये केन्द्र ऐसे क्षेत्रों-स्थान होंगे जहाँ महिलाएँ अपने सामूहिक कार्यों के लिए मिल सकेंगी। इनका उपयोग प्रशिक्षण और नई प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए भी किया जा सकेगा। 1980-87 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलों में 400 बहुदंशपीय सामुदायिक केन्द्र बनाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज

1947 के बाद से कई राज्यों ने वैधानिक रूप में ग्राम पंचायतें स्थापित की हैं। ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की यह त्रिस्तरीय व्यवस्था 1959 में लागू की गई थी। परन्तु कई राज्यों में स्थानीय स्तरों पर एक स्तरीय व्यवस्था लागू है। राज्य अपने सत्तों की परिग्यनिका के अन्तर्गत पंचायती राज द्वारा नियंत्रण करने हैं।

पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर संगठनात्मक दृष्टि से परस्पर जुड़े रहते हैं। इसके विच्छेद नहीं, महिलाओं और मजदूरों संगथाओं का विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों में ही चुनी जाने वाली ये पंचायतें चुनिंदा धाराधारा को बढ़ावा देने, चिकित्सा, प्रशिक्षण और महिला तथा बाल कल्याण के लिए सुविधाएँ जुटाने, संयुक्त चरवागाहों, सड़कों और कुएँ के रख-रखाव तथा मरणांत-व्यवस्था का काम देखती हैं। कुछ स्थानों पर पंचायतों का प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने और भू-संसाधन प्रयोजन का काम भी सौंपा गया है। ग० प्र० वि० कार्यक्रम तथा अन्य अनेक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत-उत्पन्न कार्यक्रमों के आगमोदियों की पहचान का काम भी पंचायतों को सौंपा गया है।

वेपथव और नागापैठ का छाड़कर अब दल क. मंत्री मंत्रों में पंचायती राज लागू हो गया है। मद्रासी और मित्रात्म का छाड़कर मंत्री केन्द्र स्थापित प्रदेशों में भी पंचायतें बन रही हैं। इस समय कुल 2,04,987 ग्राम पंचायतें 4943 पंचायत समितियाँ और 340 जिला परिषदें हैं।

ग्राम विकास के कार्यक्रमों का अन्तर्गत के लिए ग्राम स्तर पर पंचायतें, मजदूरों समितियाँ और विद्यालय स्थापना संगथाएँ हैं। चुनी हुई पंचायतें पर राज्य के मंत्री

विकास कार्यक्रम चलाने का दायित्व होता है। गांव का विद्यालय, जो कि एक सामुदायिक केन्द्र भी होता है, गांव के लोगों की शिक्षा, मनोरंजन और संस्कृति सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। महिला और युवकों के संगठन, किसान और दस्तकारों के संघ जैसी संस्थाएं विभिन्न विकास कार्य सम्पन्न करने के लिए पंचायतों से तालमेल रखकर काम करती हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को कर तथा उपकर आदि के रूप में धन एकत्र करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस तरह वे कुछ विशेष प्रकार की भूमि, मेलों, उत्सवों और वस्तुओं की विक्री पर कर लगाती हैं और चुंगी वसूलती हैं। वे ऐसी सामुदायिक सम्पत्ति भी बनाती हैं जिससे पंचायत को आय होती रहे। उनको राज्य सरकारों से अनुदान भी मिलता है।

पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा दायित्वों की परिभाषा न केवल कानून द्वारा की गई है, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों में भी उनकी भूमिका तथा कार्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इन संस्थाओं पर महत्वपूर्ण विकासशील कार्यक्रमों के निष्पादन का दायित्व सौंप रखा है।

#### न्याय पंचायतें

कुछ राज्यों में न्याय पंचायतें या ग्राम अदालतें काम कर रही हैं जिनसे गांवों के लोगों को जल्दी और कम खर्च पर न्याय प्राप्त होता है।

## 18 खाद्य और नागरिक आपूर्ति

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की स्थापना 31 दिसम्बर 1984 को की गयी थी। इसके दो विभाग हैं, खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग। खाद्य विभाग का मुख्य दायित्व देश की खाद्य अर्थ-व्यवस्था का प्रबन्ध करना है। इसमें जटिल तथा बृहद कार्य, जैसे खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, कमी वाले क्षेत्रों में उसे उचित समय में पहुँचाना, अनाज के सुरक्षित भंडार रचना तथा वैज्ञानिक रीति से अनाज के भंडारण की गमुचित धमता प्राप्त करना है। विभाग को उत्पादन, स्टॉक तथा मूल्य स्तरों पर गहरी नजर रखनी पड़ती है। उचित समय पर स्टॉक से माल बाजार में देना पड़ता है तथा आयात करना पड़ता है ताकि उचित मूल्यों पर उपयुक्त मात्रा में माल उपलब्ध रहे।

नागरिक आपूर्ति विभाग पर इन कार्यों का उत्तरदायित्व है—मूल्य तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि पर नजर रखना; चोर बाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने संबंधी 1980 के अधिनियम के पालन की व्यवस्था करना; सार्वजनिक वितरण व्यवस्था; उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा; तथा उपभोक्ता सहायकारी समितियों का प्रबन्ध करना; वनस्पति घी, तिलहनों, खाद्य तेलों, धीरे बना की आपूर्ति, मूल्य और वितरण का समन्वित प्रबंध करना; बायदा व्यापार पर नियंत्रण तथा नापतोल और मानक से संबंधित कार्य आते हैं। नापतोल निदेशालय; वनस्पति, खाद्य तेल और वसा निदेशालय; भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली; फारवर्ड भाकिट कमिशन, बंबई; और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि०, नई दिल्ली; नागरिक आपूर्ति विभाग को इनके कार्य में महायता देते हैं।

### खाद्यान्न

खाद्य प्रबन्ध  
(उत्पादन)

वर्ष 1984-85 के फसल वर्ष के लिए, दक्षिण-पश्चिम मानसून अनुकूल नहीं रहा, जबकि वर्ष 1983-84 में वर्षा बहुत अच्छी हुई। खरीफ की फसल में खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 1983-84 में 8 करोड़ 92 लाख टन था जो घट कर वर्ष 1984-85 में 8 करोड़ 45 लाख टन हो गया। इसका मुद्दर कारण है, मोटी दालों का उत्पादन 2 करोड़ 88 लाख टन में घटकर 2 करोड़ 60 लाख टन हो जाना। मानसून के बाद के समय में भी, वर्षा कम होने के कारण, गेहूँ के उत्पादन में कुछ कमी आयी, जबकि वर्ष 1980-81 के बाद में इसमें लगातार वृद्धि होती रही है। वर्ष 1984-85 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 14 करोड़ 55 लाख टन रहा जबकि 1983-84 में उत्पादन 15 करोड़ 24 लाख टन रहा जो कि एक रिकार्ड है। तिलहनों का उत्पादन 1 करोड़ 29.5 लाख टन हो गया जो कि इस वर्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के लगभग बराबर है।

वर्ष के दौरान एक बार फिर दक्षिण-पश्चिम मानसून का जोर कम रहा, जिसके कारण मोटी दालों के उत्पादन में गिरावट आयी। जबकि मानसून के बाद में, रबी की फसल के दौरान अच्छी वर्षा हो जाने से, खाद्यान्न (गेहूं को शामिल करते हुए) का रिकार्ड उत्पादन रहा। कुछ राज्यों में खराब मौसम के बावजूद भी धान का उत्पादन 6 करोड़ 42 लाख टन रहा जो कि एक नया रिकार्ड है। 1985-86 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 15 करोड़ 5 लाख टन रहा जो कि 1984-85 के मुकाबले 50 लाख टन अधिक है। तिलहनों का उत्पादन घटकर 1 करोड़ 11 लाख 50 हजार टन हो गया। ऐसा मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, इत्यादि राज्यों में, खरीफ में होने वाली मूंगफली की फसल के लिए अच्छा मौसम न रहने के कारण हुआ है। गन्ने की फसल में सुधार हुआ और वर्ष 1985-86 में इसका उत्पादन 17 करोड़ 17 लाख टन रहा जबकि वर्ष 1984-85 में यह 17 करोड़ 3 लाख टन ही था।

### मूल्य की स्थिति

दालों के थोक मूल्य जो कि अगस्त 1984 तक बढ़ रहे थे, इसके बाद सितम्बर से घटने शुरू हो गये। दालों का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक जो कि अगस्त 1984 में 249.6 था, दिसम्बर 1984 में घटकर 239.4 हो गया और इस प्रकार इसमें 4.1 प्रतिशत की गिरावट आयी। मूल्यों में यह गिरावट मौसम के अनुसार घटती-बढ़ती रही। जनवरी 1985 में मूल्यों में वृद्धि हुई और अप्रैल 1985 तक ये बढ़े हुए मूल्य स्थिर रहे और मई 1985 से मूल्यों में वृद्धि फिर शुरू हुई और यह वृद्धि सितम्बर 1985 तक बनी रही। अप्रैल 1985 से सितम्बर 1985 के बीच दालों के लिए सूचकांक में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस प्रकार यह 244.5 से बढ़कर 269.6 हो गया। 1985-86 की फसल कटने के कारण मूल्य फिर गिरने लगे। दालों के लिए सूचकांक सितम्बर 1985 में 269.6 से घटकर दिसम्बर 1985 में 262.1 हो गया। 1986 की पहली तिमाही में दालों के मूल्यों में फिर वृद्धि हुई। मार्च 1986 में दालों के लिए सूचकांक 273.3 था, अतः दिसम्बर 1985 के मुकाबले इसमें 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दाल की कमी वाले समय में दालों के मूल्य जून 1986 में फिर बढ़ने लगे, इस समय सूचकांक 269.7 था। जून 1985 के मुकाबले में इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दालों का थोक मूल्य जो कि मई 1984 से बढ़ रहा था, बाजार में नई खरीफ फसल की दालों के आ जाने से, दिसम्बर 1984 से घटने लगा। थोक मूल्य में गिरावट का यह क्रम अप्रैल 1985 तक चला। दालों के सूचकांक जो कि नवम्बर 1984 में 470.2 था, 8.1 प्रतिशत घटकर जून 1984 में 431.1 हो गया, हालांकि थोक मूल्य जुलाई 1985 से बढ़ने लगे और यह क्रम नवम्बर 1985 तक चलता रहा। दालों के लिए सूचकांक जून 1984 के 431.1 से 14.7 प्रतिशत बढ़कर नवम्बर 1985 में 494.3 हो गया। दिसम्बर 1985 से थोक मूल्यों में लगातार गिरावट आती रही। दालों का सूचकांक नवम्बर 1985 के 494.3 से 17.5 प्रतिशत घटकर जून 1986 में 407.9 हो गया। दालों का सूचकांक जून 1986 में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.4 प्रतिशत कम था।

लूय नरुतत

वरुत 1985-86 की खरीद की फलल में सरी की कलस के गेरु का खरीद मूल्य बढाकर 157 रुपये प्रति क्वलटन कर दलया गया । वरुत 1984-85 में गेरु का खरीद मूल्य 152 रुपये प्रति क्वलटन था । वरुत 1986-87 की गेरु की फलल के ललए खरीद मूल्य 162 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया है । केन्दुरीय भंडार मे सारुवकनलक वलतरण प्रणाली और रोलर आटा मलतुं को जो गेरु दलया गया, उमका दलम 10 अगस्त 1984 से 172 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया । यह मूल्य 31 जनवरी 1986 तक ललगू रहल । 1 फरवरी 1986 मे सारुवकनलक वलतरण प्रणाली और रोलर आटा मलतुं को दलये जाने वलले गेरु के दलमों मे 18 रुपये प्रति क्वलटन की वृद्धल कर दी गयी और यह 190 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया ।

रोलर आटा मलतुं को दलये जाने वलले गेरु के मूल्य में 1 अरुनल 1986 मे वृद्धल कर दी गयी और यह 220 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया जबकल सारुवकनलक वलतरण प्रणाली को दलये जाने वलले गेरु का दलम नही बढलया गया और यह 190 रुपये प्रति क्वलटन ही रहल । रोलर आटा मलतुं को दलये जाने वलले गेरु के मूल्य में 16 जुललई 1986 से कलर संशुधन कलया गया और यह 205 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया । वरुत 1985-86 के खरीद भोनन में धलन की सलधलरण कलस के ललए खरीद मूल्य 142 रुपये, अरुछी कलस के ललए 146 रुपये और बहुत अरुछी कलस के ललए 150 रुपये नलरुतरल कलया गया । वरुत 1986-87 की फलल में धलन का खरीद मूल्य बढल दलया गया और सलधलरण कलस के ललए 146 रुपये, अरुछी कलस के ललए 150 रुपये और बहुत अरुछी कलस के ललए 154 रुपये कर दलया गया । वरुत 1985-86 की फलल में धलन की वलभलन कलसुं के ललए खरीद मूल्य के मुकलवलले मे इस प्रकार 4 प्रतिशत की वृद्धल की गयी । सलधलरण, अरुछे और बहुत अरुछे कलसुं के कलवलतुं के नलरुत मूल्य 10 अरुतुवर 1985 से क्रमशः 217 रुपये, 229 रुपये और 244 रुपये नलरुतरल कलये गये । 15 जनवरी 1984 से ललगू इन कलसुं के कलवलतुं के नलरुत मूल्युं के मुकलवलले में ये 9 रुपये प्रति क्वलटन अरुधलक हैं । वलभलन कलसुं के कलवलतुं के नलरुत मूल्युं में 1 फरवरी 1986 से 14 रुपये प्रति क्वलटन की और वद्धल की गयी । ये मूल्य सलधलरण कलस के ललए 231 रुपये प्रति क्वलटन, अरुछी कलस के ललए 243 रुपये प्रति क्वलटन और बहुत अरुछी कलस के ललए 258 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया । कलवलतुं के ललए नलरुत मूल्युं में 1 अरुतुवर 1986 से कलर संशुधन कलया गया और सलधलरण, अरुछी और बहुत अरुछी कलसुं के ललए क्रमशः 239 रुपये, 251 रुपये और 266 रुपये प्रति क्वलटन कर दलया गया ।

वरुत 1986-87 की फलल में मोटे अरुनलजुं, जईमे खवलर, वलजरा, मकका, रलगी का खरीद मूल्य 132 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया । वरुत 1986-87 के भूसलम के ललए वलजरे का खरीद मूल्य 132 रुपये प्रति क्वलटन नलरुतरल कलया गया । रलष्टुरीय कृषल सहुकलरी वलपणन सध ने वरुत 1986-87 की फलल के मोटे अरुनलज की खरीद में प्रमुख भूमलकल नलभलयी । रलष्य की सहुकलरी वलपणन एजेन्सलतुं यल रलष्य दलरल मनोनलत एजेन्सलतुं ने इममे सहुधुंन दलया ।

इस खरीद में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई-नेफेड तथा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों को कर दी जायेगी।

### सरकारी खरीद

सरकार ने अपने इस संकल्प को दोहराया है कि वह किसानों द्वारा पैदा किया गया अच्छी श्रेणी का सारा अनाज सरकारी खरीद मूल्य पर खरीद लेगी। 1984-85 की फसल में से कुल 203.55 लाख टन अनाज की सरकारी खरीद की गई, जबकि 1983-84 की फसल में यह खरीद 170.71 लाख टन थी। 1985-86 की फसल से सरकारी खरीद का कार्य चल रहा है और 12 सितम्बर 1986 तक 203.70 लाख टन अनाज की सरकारी खरीद की जा चुकी है। सरकारी खरीद का यह अब तक का सर्वोच्च रिकार्ड है।

1965 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित भारतीय खाद्य निगम अनाज की खरीद, भंडारण, वितरण तथा किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की सेवा करता है। निगम ने वर्ष 1985-86 के दौरान 10,390 करोड़ रुपये वार्षिक का कारोबार किया। इस अवधि में कुल 209 लाख टन खाद्यान्न, चीनी आदि की खरीद तथा 219 लाख टन की विक्री की गयी।

### वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बड़ी संख्या में उचित दर की दुकानें चलती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। 1980 में 149.9 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया गया जो 1981 में घटकर 130.1 लाख टन रह गया। इसका मुख्य कारण यह है कि 1980-81 में अच्छी फसल होने से खाद्यान्न बाजार में आसानी से मिलने लगे। परन्तु 1982 में देश के कुछ भागों में वर्षा न होने के कारण अनाज के बाजार भावों में वृद्धि को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 147.7 लाख टन कर दिया गया। 1983 में 162.1 लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। वर्ष 1984 में खाद्यान्न के वितरण में गिरावट आई और यह घटकर 133.3 लाख टन हो गया। यह गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में 17.8 प्रतिशत कम है। इसका कारण अच्छी फसल का होना तथा खुले बाजार में खाद्यान्न का आसानी से उपलब्ध होना है। वर्ष 1985 में खाद्यान्न वितरण बढ़कर 158 लाख टन हो गया। इसका मुख्य कारण है वर्ष 1984 के मुकाबले 18.5 प्रतिशत अधिक चावल तथा गेहूं का मिलों को दिया जाना।

### सुरक्षित भण्डार

खाद्यान्नों का सुरक्षित भण्डार बनाना और उसे कायम रखना राष्ट्रीय खाद्य नीति के महत्वपूर्ण आधार है। सुरक्षित भण्डार बनाने का मुख्य उद्देश्य वर्ष भर खाद्यान्नों की बराबर आपूर्ति तथा मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना है।

सरकार ने निर्णय किया है कि सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा कायम किए जाने वाले सुरक्षित भण्डार को मात्रा 100 लाख टन होनी चाहिए जिसमें 50 लाख टन गेहूं तथा 50 लाख टन चावल हों। यह सुरक्षित भण्डार परिचालन भण्डार के अतिरिक्त होगा। यह भण्डार 1 अप्रैल को न्यूनतम 65 लाख टन तथा 1 जुलाई को अधिकतम 114 लाख टन होना चाहिए।

स्टाक की स्थिति

1 जनवरी 1986 को मार्बजनिक् एजेंट्सियों के पास ग्याद्यान्न का स्टोक 2.51 करोड टन था जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख को यह 2.26 करोड टन था। 1 जनवरी 1986 का स्टोक स्तर किसी भी वर्ष में इसी तारीख के स्टोक स्तर से अधिक है। गेहूँ के स्टोक की स्थिति विशेष तौर पर बेहतर थी।

जनजातीय क्षेत्रों में खद्यान्नों का वितरण

समय में 19 नवम्बर, 1985 को, जनजातीय क्षेत्रों में घटी दरों पर ग्याद्यान्न वितरण योजना महित कई विकाम योजनाओं की घोषणा की गयी। इन योजना के अन्तर्गत, अन्न कृत् जनजातीय विकाम परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को, घटी दरों पर गेहूँ 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम और माधारण चावल 1 रुपये 85 पैसे प्रति किलोग्राम की दर में वितरित किया जा रहा है। यह योजना सभी एकीकृत जनजातीय विकाम परियोजना क्षेत्रों और नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली के जनजातीय बहून राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार एकीकृत जनजातीय विकाम परियोजना क्षेत्रों में 5 करोड 36 लाख और जनजातीय बहून राज्यों में 34 लाख लोग रह रहे हैं। इन प्रकार इसरी कुल जनसंख्या 5 करोड 70 लाख है। यह निर्णय किया गया कि इनके लिए विभिन्न राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों को भारतीय खाद्य निगम गेहूँ 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम और माधारण चावल 1 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम की दर में उपलब्ध करायेगा। ग्याद्यान्न भण्डारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होने वाले खर्चों के लिए 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर में मार्जिन की अनुमति दी गयी।

आयात तथा निर्यात

वर्ष 1985 में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम में गेहूँ और चावल का आयात नहीं किया। वर्ष 1985 में चावल की आयात का निर्यात खुले नामान्य लाइसेंस के आधार पर जारी रहा। देश में गेहूँ की उपलब्धता में सुधार के कारण, यह निर्णय किया गया कि 16 अप्रैल 1985 में सीमित सीमा के अन्तर्गत गेहूँ और गेहूँ के उत्पादन (मैदा, मूजी, होलमोल घाटा) के निर्यात की अनुमति दे दी जाए। इस वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने सांख्यिक मद्य को 2 लाख 7 हजार टन गेहूँ का निर्यात किया और भुनाका कमाया तथा दूया पीडित अफ्रीकी देशों को 1 लाख टन गेहूँ सहायता के रूप में भेजा। भारत द्वारा वियतनाम को 50 हजार टन गेहूँ कृष के रूप में और मारीशस को 10 हजार टन गेहूँ का आटा और 200 टन चने की दाल भेट स्वरूप देने का भी निर्णय किया गया।

भण्डारण

सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारणार निगम तथा 16 राज्य भंडारणार निगम—तीन एमि एजेंसिया हैं जो बड़े पैमाने के भंडार/गोदाम बनाने में लगी हुई हैं। ग्याद्यान्नों का भंडारण करने वाली एजेंसियों में भारतीय खाद्य निगम प्रमुख है। अपने गोदाम बनाने के प्रतिरिक्त्त निगम अन्य

\*केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है।



स्रोतों जैसे केन्द्रीय भंडारागार निगम, राज्य भंडारागार निगम, राज्य सरकारों तथा निजी उद्यमियों से भंडारण क्षमता किराये पर प्राप्त करती है। केन्द्रीय भंडारागार निगम तथा राज्य भंडारागार निगम के मुख्य कार्य उपयुक्त स्थान पर जमीन प्राप्त करके उस पर गोदाम बनाना तथा उनमें कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा कुछ अन्य मर्दों का भंडारण करना है। ये निगम प्राथमिक तथा विपणन समिति स्तर पर भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के लिए गोदामों की राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना बनाई है।

31 मार्च 1986 को केन्द्रीय भंडारागार निगम की कुल छतदार भंडारण क्षमता 53.47 लाख टन थी। (36.12 लाख टन अपनी तथा 17.35 लाख टन किराये पर) निगम 130 ऐसे भंडारागार भी चला रहा है जो सीमा शुल्क कार्यालयों से सम्बद्ध हैं। ऐसे भंडारागारों की कुल भंडारण क्षमता 31 मार्च 1986 को 5.93 लाख टन थी। केन्द्रीय भंडारागार निगम दिल्ली और अमृतसर में एयर कारगो कम्प्लेक्स भी चलाता है। केन्द्रीय भंडारागार निगम के राज्य भंडारागार निगमों में 16 सहायक निगम हैं। 31 मार्च 1986 को राज्य भंडारागार निगमों की कुल भंडारण क्षमता (अपनी स्वयं की तथा किराये पर प्राप्त की गई) 79.12 लाख टन थी।

### किस्म नियंत्रण

भंडारण और अनुसन्धान डिवीजन देश भर में अनाज की खरीद के बारे में एक समान शर्तें और नियम तैयार करता है। यह अनाज के आयात और निर्यात के तकनीकी पहलुओं के नीति सम्बन्धी मामले भी निपटाता है और भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों तथा अनाज के भंडारण से संबद्ध अन्य एजेंसियों को संरक्षण प्रदान करता है और किस्म नियन्त्रण के बारे में परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराता है। इस के लिए केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में आयातित और देश में खरीदे गए खाद्यान्न के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। नई दिल्ली, कलकत्ता और हैदराबाद में तीन किस्म नियन्त्रण इकाइयां स्थापित की गयी हैं, जो खाद्यान्न की किस्म पर निगाह रखती हैं।

### अनाज बचाओ अभियान

भण्डारण के दोषपूर्ण और अनुपयुक्त तरीकों के कारण फसल की कटाई के बाद और सामुदायिक स्तर पर काफी अनाज का नुकसान हो जाता है। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए 'अनाज बचाओ अभियान' चलाया है। इस योजना का उद्देश्य खेत और सामुदायिक स्तर पर भण्डारण सुविधाओं में सुधार करके नुकसान को रोकने के लिए शिक्षा, प्रोत्साहन और प्रेरणा के जरिए उचित तकनीक उपलब्ध कराना है। अनाज के भण्डारण और कीड़ों की रोक-थाम के लिए आसान लेकिन कारगर तरीकों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। सुधरी किस्म के धातु के बने बड़े वर्तन और अच्छे कीटनाशक भी सप्लाई किए जाते हैं।

'अनाज बचाओ अभियान' की गतिविधियां 17 क्षेत्रीय दलों के माध्यम से चलाई जा रही हैं, जिनमें तकनीकी स्टाफ होता है। हापुड़ का भारतीय अनाज भण्डारण संस्थान और हैदराबाद, लुधियाना, जबलपुर, जोरहाट और उदयपुर में स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्र भी इन दलों की सहायता करते हैं।

पोष्टिक आहार

खाद्य विभाग के पोष्टिक आहार विभाग द्वारा पोष्टिकता से सम्बन्धित विज्ञान, उत्पादन और आहार को बढ़ावा देने के अनेक कार्यक्रम शुरु किये गये। ये कार्यक्रम विशेष रूप से, इन कार्यक्रमों में लगे कार्यकर्ताओं और इनके लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने और इन्हें शिक्षित करने तथा पूरक भोजन कार्यक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाये गये।

पिछले दो दशकों में अधिक समय में, पोष्टिक आहार के बारे में शिक्षा देना इस विभाग की प्रमुख गतिविधि रही है। देश के विभिन्न भागों में विभाग ने खाद्य एवं पोष्टिक आहार का प्रचार करने के लिए बहून्सी मचल-इकाइयों का गठन किया है। ये इकाइया भोजन और पोष्टिकता के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कम चर्ब पर आहार की पोष्टिकता बढ़ाना, छाया तैयार करते समय पोष्टिक तत्वों का संरक्षण करना, व्यक्तिगत सफाई रखना और वातावरण को शुद्ध रखना तथा उपयुक्त आहार की आदत डालना आदि जानकारी देती हैं। यह जानकारी लोगों को कार्यक्रमों के प्रदर्शन के जरिये दी जाती है। इन प्रदर्शनों में फिल्मों, स्लाइड शो, प्रदर्शनियाँ आदि की मदद ली जाती है। ये कार्यक्रम राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों की महायत्ना से आयोजित किये जाते हैं। ये इकाइया जनजातीय क्षेत्रों में गेड़ों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम भी चलाती है। वर्ष 1985 के दौरान लगभग 5 लाख 50 हजार लोगों ने इन कार्यक्रमों का लाभ उठाया। यह विभाग देश के विभिन्न भागों में भोजन को डिब्बाबंद करने और फलसंरक्षण के लिए सामुदायिक केन्द्रों को भी चला रहा है जिनमें विशेषकर गृहणियों के लिए, घर में ही फल और सब्जियों के संरक्षण का प्रशिक्षण और जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा, ये केन्द्र क्षेत्रों में जाकर पोष्टिक आहार के बारे में शिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। वर्ष 1985 के अन्तर्गत लगभग 22,528 लाभार्थियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया।

यह विभाग पोष्टिक आहार कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए विभिन्न भाषाओं में प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराता है जिसमें फोल्डर, पोस्टर, आर्टकार्ड, भोजन के बारे में छोटी-छोटी किताबें शामिल हैं। यह विभाग फिल्म प्रभाग के सहयोग से भोजन में पोष्टिकता के बारे में छोटी फिल्म भी बनाता है। लोगों में पोष्टिक भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, सारे देश में, वर्ष 1982 में मई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पोष्टिक आहार सप्ताह मनाया जाता है।

बंगलूर, हैदराबाद, कलकत्ता और कानपुर में, वर्ष 1985 के दौरान 31 लाख 60 हजार लिटर मिन्टन (मूकली पर आधारित प्रांटीन प्राइसोनेट टोन दूध) का उत्पादन किया गया। 20,884 लाख मीट्रिक टन ऊर्जायुक्त खाद्य पदार्थों, मिश्र आहार का उत्पादन किया गया, जिसका इस्तेमाल समाज कल्याण के आहार कार्यक्रमों में किया गया।

दूध को विटामिन युक्त करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली की मदन डेयरी तथा कलकत्ता और दिल्ली दुग्ध योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिदिन 10

लाख 70 हजार लीटर दूध को पौष्टिक बनाने के लिए विटामिन 'ए' से युक्त किया गया। यह योजना कर्नाटक और सिक्किम में क्रमशः मार्च 1985 और सितम्बर 1985 में शुरू की गई। इन दोनों डेयरियों में प्रतिदिन 3 लाख 55 हजार लीटर दूध को विटामिन युक्त किया गया। इस विभाग में, लोगों में खून की कमी दूर करने के लिए नमक को लौहयुक्त करने के बारे में टेक्नोलॉजी के विकास करने के लिए एक परियोजना शुरू की। नमक को लौहयुक्त करने का एक फार्मूला तैयार किया गया, जिसको कई परीक्षणों के बाद उपयुक्त पाया गया। तमिलनाडु में, राज्य सरकार के नमक निगम द्वारा 15,000 मेट्रिक टन लौहयुक्त नमक तैयार करने की एक योजना को मंजूरी दे दी गई।

### खाद्यान्न संवर्धन

यह विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी फल-उत्पाद आदेश, 1955 के अनुपालन की व्यवस्था करता है। इस आदेश में विभिन्न पदार्थों के उत्पादन में न्यूनतम वैधानिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की शर्तों के पालन करने तथा फलों तथा वनस्पति उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन पर किस्म नियंत्रण का प्रावधान है। यह गुणवत्ता नियंत्रण खाद्यान्नों में प्रयुक्त किये जाने वाले अनुमति प्राप्त रंगों, परिरक्षकों तथा अन्य योगजों के मानक भी निश्चित करता है। इस आदेश के अन्तर्गत उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों पर लेवल लगाने तथा विपणन की शर्तें भी निर्धारित की गयी हैं।

यह विभाग निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अन्तर्गत नियमन एजेंसी भी है जो फल तथा सब्जियों के निर्यात का नियमन करती है। निर्यात किये जाने वाले फल उत्पादों का जहाजों में लादने से पूर्व, इस दृष्टि से निरीक्षण किया जाता है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद, फल उत्पाद आदेश में निर्धारित विनिर्देशन या क्रेता विनिर्देशन के अनुसार हैं।

फलों के रस तथा गूदे का भी संयंत्रों में निरीक्षण किया जाता है ताकि निर्यात किए जाने वाले माल की किस्म सही रहे।

उद्योग के नियमन के लिए विभाग के संगठनात्मक ढांचे में फल तथा सब्जी परिरक्षक निदेशालय तथा उसके बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। फल तथा सब्जियों की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए विभाग की चार प्रयोगशालाएँ बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित हैं।

बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम लिमिटेड जो बिहार सरकार का उपक्रम है, हाजीपुर (जिला वैशाली) में फल तथा वनस्पति संवर्धन संयंत्र लगा रहा है जिसकी पूंजीगत लागत 193.68 लाख रुपये होगी। खाद्यान्न विभाग की भी इसमें 49 लाख रुपये के समता शेरों तथा 70 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण की वित्तीय हिस्सेदारी है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय छुपि विपणन निगम लिमिटेड, जो मार्च 1982 में सरकारी कम्पनी में परिवर्तित कर दी गई थी और जिसका मुख्यालय गुवाहाटी

में है, उस क्षेत्र में पैदा होने वाले फल उद्गाहों के विषयन की सुविधा उपलब्ध करता है। यह त्रिपुरा में 2.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से फलों के रस या कन्सेंट्रेट बनाने का कारखाना भी लगा रहा है।

माडेंन फूड इंस्ट्रूज (भाई) लिमिटेड 13 बड़े शहरों में घाना बेवरी इकाइयों की सहायता से उपभोक्ताओं को विटामिन तथा छनित्र युक्त स्वास्थ्यवर्धन ब्रेड उपलब्ध करता है। इसका 'रविश' नामक पेय, जिममें बोतल बंद सेब, आम, घमरूय तथा भननाय का रस होता है, बड़ा सोशप्रिय हो रहा है।

### धान कूटने का उद्योग

धान कूटने के उद्योग के आयुनिकीकरण के लिए मांध प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में हुलर मशीन के आयुनिकीकरण को एक नई योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत हुलर के मालिकों को धान कूटने के आयुनिकी औजार खरीदने तथा लगाने, इस मशीन के संचालन का निर्देश देने वाली इकाइया स्थापित करने तथा इस विषय पर शोषिष्ठां आयोजित करने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। आयुनिकी औजारों की गुणवत्ता के नियंत्रण को उचित रूपस्था के लिए दक्षिणी, पूर्वी तथा उत्तरी प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक धान मिल मशीन परीक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। मांध प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में एक-एक तथा उत्तर प्रदेश में दो प्रसार सेवा केन्द्र स्थापित किये हैं। धान कूटने संबंधी ये विस्तार सेवा केन्द्र आयुनिकीकरण के लाभ का संदेश लोगों में फैलाने के लिए स्थापित किये गये हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर का पोस्ट हावैस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर तथा धान संवर्धन अनुसंधान केन्द्र तिरुवरूर (तमिलनाडु) धान संवर्धन तथा इमम प्राप्त होने वाले उपोत्पादों के उपयोग के अनुप्रयुक्त पशों पर अनुसंधान तथा विकास में लगे हैं।

### नागरिक आपूर्ति

#### मूल्य प्रबन्ध

वर्ष 1985-86 में मुद्रास्फीति की दर माधारण रही। कच्ची जूट, कपाम, नारियल का तेल, चाय, काली मिर्च और मसालों के दामों में काफी कमी के कारण ऐसा हुआ। वर्ष के दौरान कुछ आवश्यक जिनसा जैसे गेहूँ, मोटा भनाज, धालू, मांन, चीनी, गुड़, मिट्टी का तेल और वनस्पति के दाम बढे। मार्च 1986 में मुद्रास्फीति की वषिक दर 5.1 प्रतिशत थी। जबकि मार्च 1985 और मार्च 1984 में यह क्रमशः 6.2 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत रही।

इस वर्ष दालों का थोक मूल्य मूचकाक बढता रहा। दालों के थोक मूल्य मूचकाक घटते-बढते रहे। चना, अरहर और मसूर का मूचकाक बढा जबकि मूग और उडद का मूचकाक घटा। धालू, मांन, चीनी, गुड़ वनस्पति, काली मिर्च, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि के दामों में वृद्धि के कारण ही मुख्यतः मुद्रास्फीति की दर 5.1 प्रतिशत हो गई। भूंगफली, मरसो, जिगाली और करदी के तेल के दामों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए, इसीलिए इन जिनसों

के सूचकांकों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई। नारियल का तेल, चाय, मिर्च, हल्दी, कपास और जूट के थोक मूल्य सूचकांकों में बहुत कमी आयी।

वर्ष 1985-86 के दौरान उद्योगों में लगे मजदूरों के लिए उपभोक्ता सूचकांक बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 1984 में यह वृद्धि 5 प्रतिशत थी।

### आवश्यक वस्तुएं

वर्ष 1984-85 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में थोड़ी कमी आयी। वर्ष 1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन, वर्ष 1983-84 के उत्पादन 15.24 करोड़ टन से घटकर 14.62 करोड़ टन हो गया, जो कि 4.1 प्रतिशत कम है। मक्का के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई जबकि चावल, गेहूं, प्वार, वाजरा, रागी और जौ का उत्पादन घटा। वर्ष 1984-85 में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी मुख्यतः कम वर्षा और देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने के कारण हुई। दालों के उत्पादन में भी कमी आयी। वर्ष 1984-85 में दालों का उत्पादन 1.22 करोड़ टन रहा जबकि वर्ष 1983-84 में यह 1 करोड़ 29 लाख टन था, इस प्रकार इसके उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की कमी आयी। इसी अवधि में अरहर का उत्पादन 3.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि चने का उत्पादन 4.3 प्रतिशत कम हो गया। वर्ष 1984-85 के दौरान खाद्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रमुख खाद्य तेलों का उत्पादन वर्ष 1983-84 में 33 लाख 8 हजार टन से बढ़ कर वर्ष 1984-85 में 33 लाख 92 हजार टन हो गया। संगठित औद्योगिक क्षेत्र में आम इस्तेमाल की वस्तुओं के उत्पादन में भी 1984 के मुकाबले 1985 में सुधार हुआ। ये वस्तुएं हैं:—गेहूं का आटा, चीनी, चाय, सूती कपड़ा, नमक, माचिस, मिट्टी का तेल, फ्लोरिसेंट ट्यूब, सीमेन्ट, बेंटी के सैल, शिशु आहार, विस्कुट, साबुन, दांतों के लिए पेस्ट और पाउडर, ब्लेड, जूते-चप्पल, ट्रेडा साइक्लीन, एस्परिन, क्लोरोक्वीन, कागज, गत्ता, साइकिल के टायर और लालटेन। वर्ष 1985 में, वर्ष 1984 के मुकाबले वनस्पति, विजली के बल्व (इनकेन्डीसेन्ट), साबुन, सोडा ऐश, पेनसलीन, स्ट्रपटोमाइसीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी, एनालजीन, इन्सुलीन, सल्फा ड्रग और पेन्सिलों का उत्पादन कम हुआ।

### उपलब्धता

वर्ष 1985-86 में, मिट्टी के तेल को छोड़कर सभी आवश्यक जिन्यों और आम उपभोग की अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य रूप से संतोषजनक रही। कुछ राज्यों के कुछ जिलों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में कमी रही। कुछ जगहों पर चीनी और वनस्पति घी की कमी होने की भी खबर थी। वर्ष 1985-86 के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का उचित प्रवन्ध होने से त्यौहारों और कमी वाले मौसम में भी चीनी, खाद्य तेल, वनस्पति घी आदि आसानी से उपलब्ध रहे।

### उपलब्धता सुधारने के उपाय

सरकारी नीति में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति व्यवस्था सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने, उपलब्धता सुधारने, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने और मूल्यों पर

नियंत्रण रखने के लिए अनेक उपाय किए गए। इनमें से कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :

- (1) उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि उत्पादनों के समर्थन और खरीद मूल्यों में वृद्धि की गई।
- (2) सातवीं योजना में तिलहनों और दलहनों की पैदावार बढ़ाने के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
- (3) आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, दान तथा पेट्रोलियम पदार्थों के घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए उनका आयात किया गया ताकि आपूर्ति मांग के अनुरूप बनाए रखी जा सके।
- (4) 20-मूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को विस्तृत और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि देश के अधिक से अधिक लोगों, खासकर ग्रामीण, पिछड़े, दुर्गम और दूर-दराज के लोगों को इससे लाभ पहुंचाया जा सके। देश में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़कर 3.28 लाख हो गई है। 1983-84 में यह संख्या 3.15 लाख थी। मिट्टी के तेल के संवर्धन में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को विशेष रूप से सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण के लिए निर्धारित मिट्टी के तेल का प्रयोग, औद्योगिक तथा गैर-घरेलू कार्यों में न हो।
- (5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति (मोटे अनाज लेवी चीनी तथा आयातित खाद्य तेलों को छोड़कर) 1984 के मुकाबले 1985 में अधिक रही।
- (6) पिछले वर्ष की इसी अवधि के 61.30 लाख टन के मुकाबले 1985 में चीनी का उत्पादन बढ़कर 64.94 लाख टन हो गया। वर्ष 1985 के दौरान 39.96 लाख टन चीनी वितरण के लिए जारी की गई थी, जबकि 1984 में 38.06 लाख टन लेवी चीनी जारी की गई। इस प्रकार 1984 के मुकाबले 1985 में 8.5 प्रतिशत अधिक चीनी खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी की गई।
- (7) देश में उत्पादित तेलों की उपलब्धता बहुत अच्छी रही और इस दौरान दामों में कमी बनी रही। सामान्य मूल्यों पर बाजार में तेलों के उपलब्ध होने के कारण, वर्ष 1985 के दौरान केवल 6 लाख 46 हजार टन आयातित खाद्य तेल ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिया गया, जबकि वर्ष 1984 के दौरान 9 लाख 63 हजार टन दिया गया था।
- (8) कम बजट के पैकेट की योजना के अन्तर्गत 1984-85 में 1.33 लाख टन आयातित खाद्य तेल का वितरण किया गया, जबकि 1983-84 में यह मात्रा 1.76 लाख टन तथा 1982-83 में यह मात्रा 0.40 लाख टन थी। वर्ष 1984-85 के दौरान कम बजट के

पैकेट की यह योजना 15 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही थी। इससे पहले यह योजना 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू थी।

- (9) सरकार की नीति है कि खाद्य तेलों का आयात कम किया जाए और देशी खाद्य तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए तथा देशी खाद्य तेलों के बेहतर इस्तेमाल के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित भी किया जाए। इसीलिए वर्ष 1985-86 के दौरान केवल 10 लाख 72 हजार टन आयातित खाद्य तेल का आयात किया गया, जबकि 1984-85 में 15 लाख 85 हजार टन और वर्ष 1983-84 में 14 लाख 9 हजार टन खाद्य तेल का आयात किया गया था।
- (10) देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों का विस्तार किया जा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए यथासंभव सहकारी क्षेत्र में खुदरा विक्री केन्द्र कायम करने और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोलने तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से समर्थ बनाकर उनके वर्तमान ढांचे को मजबूत करने पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

### सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह मूल्यों पर नियंत्रण रखती है, मुद्रास्फीति को कम करती है तथा मुख्य आवश्यक वस्तुओं की उचित दामों पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित करती है, विशेष रूप से समाज के कमजोर तथा दुर्बल वर्गों के लिए उचित दर की दुकानों की संख्या, जो मार्च 1979 में 2.39 लाख थी, मार्च 1986 में बढ़कर 3.28 लाख हो गई। वर्ष 1985-86 में ही 9,000 उचित दर की दुकानें खोली गईं जबकि लक्ष्य 6,025 दुकानों का था। लगभग 79.5 प्रतिशत दुकानें ग्रामीण इलाकों में हैं जिनमें से एक तिहाई दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं।

गेहूँ, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी का तेल, घरेलू उपयोग में काम आने वाला कोयला और नियंत्रित मूल्य पर विकने वाला कपड़ा—इन सात बहुत जरूरी वस्तुओं की खरीद तथा उनके राज्य सरकारों को वितरण की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की इन संस्थाओं की है: भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति तथा कोल इंडिया लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल कम्पनियों को सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय विक्रय मूल्यों पर इन वस्तुओं की आपूर्ति का काम सौंपा गया है। अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकारों को केन्द्रीय विक्रय मूल्यों में आकस्मिक खर्च जैसे परिवहन व्यय आदि जोड़ने का अधिकार है।

ग्राम जनता के उपयोग की अन्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के साथ-साथ उचित दर की दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारें इन सात वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी वस्तुओं को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर सकती हैं, जिनकी वे सरकारी

खरीद कर सकती है। कुछ राज्य सरकारों, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने दालों, दियामलाई, नहाने का मायुन, भाइविल टायर और ट्यूब, धम्मस पुस्तिकाओं, टाचें के सैल आदि को भी उचित दर की दुकानों से उपभोक्ताओं को वितरण करना शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस सम्बन्ध में महायुता प्रदान करती है तथा मार्बजनिक् वितरण प्रणाली के माध्यम से इनके ममुचिन वितरण के लिए प्रमुय उत्पादकों से विचार-विमर्श करती है।

मार्बजनिक् वितरण प्रणाली के प्रशामन तथा गंयठन की जिम्मेदारी गंबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशामनों की है। मार्बजनिक् वितरण प्रणाली की कार्य-प्रणाली की समीक्षा समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर की जाती है और इसके मुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से विचार-विमर्श कर इन वस्तुओं की उपलब्धता/रुमी की माप्ताहिक तथा मामिक जाच करती है तथा इसके माध-साध आवश्यक कार्रवाई की जाती है। मार्बजनिक् वितरण प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए केन्द्र स्तर पर एक मलाहकान गमिति कार्य कर रही है।

उचित दर की दुकानों के बापों पर नजर रखने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जिला, ब्लाक और तानुस स्तर पर उपभोक्ता मलाहकार समितिया कार्य कर रही है। ऐमी गमितिया किसी न किसी रूप में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में गठित हो गई है, ऐसी सूचना मिली है।

मार्बजनिक् वितरण प्रणाली के विस्तार की 20-सूत्री कार्यक्रम का एग महत्वरुण मूल बना दिया गया है। जहा उचित दरों की दुवानें नहीं है या कम है, उन इलाकों में, उचित दर की दुकानों की सख्या बढाने तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में चलती-फिरती दुकानों के गठन पर विशेष जोर दिया गया है। इनके विस्तार की मुख्य परेसानी प्रामीण क्षेत्रों तथा विशेष कर दूर-दराज तथा दुर्गम इलाकों में है।

अध तक 12 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगमों का गठन किया गया है जो कि खरीदने, भण्डारण में सुरक्षित रखने और मार्बजनिक् वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनेक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का काम कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों, जिसमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केन्द्र शासित प्रदेश अडमान निंवांवा द्वीप समूह शामिल हैं, में मार्बजनिक् वितरण प्रणाली की आधारभूत सुविधाओं को बढाने के लिए केन्द्र सरकार की एक योजना चलायी जा रही है, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम बनाने और भण्डार गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मातवी योजना में धोत्रना प्रायोग ने इस कार्यक्रम के लिए 2 करोड 50 लाख के परिष्य की मसूरी दी है।

नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्णय लिया है कि यह विभाग, मातवी योजना की बाकी अदधि में पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को छंटे-



छोटे पैकटों में आयोडीन युक्त नमक और चीनी की आपूर्ति करने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देगा। इसके लिए 1986-87 के चालू वित्त वर्ष में 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को योजना के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है।

खाद्य तेल  
अर्थव्यवस्था

तेल तथा वनस्पति घी आवश्यक उपभोगता वस्तुएं हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत इन्हें आवश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है। ये मानव पोषण के महत्वपूर्ण सहायक तत्व हैं। इनका प्रयोग औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है।

नागरिक आपूर्ति विभाग के अन्तर्गत नवम्बर 1976 में वनस्पति, वनस्पति तेलों और वसा के निदेशालय की स्थापना की गई। देश में वनस्पति, वनस्पति तेलों और खली के व्यापार के लिए खाद्य तेलों के उत्पादन, मूल्य, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति और वितरण के समन्वित प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी इस निदेशालय की है।

वनस्पति उद्योग

वनस्पति उद्योग ने 1930 में सीमित उत्पादन के साथ शुरुआत की थी और तेजी से विकास करते हुए 1985 में इसका उत्पादन 8,97,109 टन तक पहुंच गया। इस समय देश में 94 वनस्पति इकाइयां हैं जिनकी वार्षिक अनुज्ञापित क्षमता 15.33 लाख टन है। इसमें से कुछ क्षमता का उपयोग मारजरिन, बेकरी में काम आने वाले तेल, शोधित तेल और साबुन बनाने में काम आने वाले तेल के उत्पादन के लिए भी होता है।

विलायक क्षयित  
तेल

31 जुलाई 1986 को देश में विलायक विधि से तेल निकालने वाले कारखानों की संख्या 615 थी, जिनकी कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 7,17,810 टन तेल और 1,02,54,750 टन खली निकालने की थी। 1985 में विलायक से निकाले गए सब प्रकार के तेलों का कुल उत्पादन 3,79,322 मीट्रिक टन था।

पिराई का तेल

संगठित क्षेत्र में तिलहनों की पिराई करने वाली करीब 230 इकाइयां हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 50 लाख टन तिलहन की पिराई की है। असंगठित क्षेत्र में इन इकाइयों की संख्या के विषयसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इनकी संख्या एक लाख से अधिक होने का अनुमान है तथा उनकी वार्षिक क्षमता 175 लाख टन के लगभग है।

ग्राम लोगों के इस्तेमाल के लिए गैर-परम्परागत खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने और जहां तक संभव हो उनके दामों में वृद्धि को रोकने के लिए कई सुरक्षा शर्तों के अधीन वनस्पति युनिटों को मूंगफली और सोयाबीन के रिफाइनड तेल से बने मिश्रित खाद्य तेलों को बनाने और बेचने के लिए अनुमति दे दी गई है।

वनस्पति तेलों की आपूर्ति बढ़ाने और देश में खाद्य तेलों के बेहतर प्रबंध के लिए 18 करोड़ 39 लाख रुपये के अनेक प्रायोजन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस योजना के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं :

- (1) जनजातीय क्षेत्रों में, तिलहनों/तिल के पेड़ों और वनस्पतियों के विकास, और
- (2) वनस्पति तेलों के संबंध में अनुसंधान और विकास।

चावल की भूसी, सोयाबीन और पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों के तेल के अच्छे इस्तेमाल और उत्पादन को बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय, अन्तर-मंत्रालय समन्वय समिति का गठन किया गया है। नागरिक आपूर्ति विभाग में विज्ञान और टेक्नोलॉजी कार्यक्रमों के समन्वित विकास के लिए विज्ञान सलाहकार समिति का गठन भी किया गया है।

हिन्दुस्तान वनस्पति  
तेल निगम

गणेश फ्लोर मिल तथा अमृतसर प्रायल वर्क्स के राष्ट्रीयकरण से, जिनको सरकार ने उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपने कब्जे में ले लिया है, एक नई सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के नाम से 31 मार्च 1984 को पंजीकृत की गई। ये दोनों राष्ट्रीयकृत इकाइयाँ भी सरकारी कम्पनी में मिला दी गईं। इस समय हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम वनस्पति घी, रिफाईंड खाद्य तेलों और नाश्ते के खाद्य-पदार्थों का उत्पादन कर रहा है। यह निगम वाघा, एक, दो और 5 किलोग्राम के छोटे-छोटे उपभोक्ता पैकेटों में आयातित खाद्य तेलों की बिक्री को एक योजना भी चला रहा है। आया है कि यह निगम वर्ष 1985-86 में 220 करोड़ 77 लाख का कारोबार करेगा।

उपभोक्ता  
सहकारी समितियाँ

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए और इस प्रकार वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्यों पर नियंत्रण रखने और सेवाएं प्रदान करने के लिए, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हें कारगर बनाया जा रहा है ताकि ये संस्थाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायक सिद्ध हो सकें और एक प्रबल उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन चला सकें। इन उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के अन्तर्गत निम्ने स्तर पर 16,508 उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला स्तर पर 599 केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सोसाइटियाँ, राज्य स्तर के 21 उपभोक्ता संघ/राज्य विपणन और उपभोक्ता संघ तथा शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ आते हैं। ये सहकारी संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में 32,500 युद्धर सहकारी भण्डार चला रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि ऋण सोसाइटियों को उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं/सामानों के वितरण का काम दिया गया है। 94,000 कृषि ऋण सोसाइटियों में से लगभग 50 प्रतिशत सोसाइटियाँ आवश्यक उपभोक्ता सामान के वितरण का कार्य कर रही हैं।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों पर इस नीति को लागू करने के लिए जोर डाल रही है, जिससे सहकारी संस्थानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 31 मार्च 1986 को कुल 3,27,873 उचित दर की दुकानों की 33.5 प्रतिशत यानि 1,09,946 दुकानें सहकारी क्षेत्र में थीं। वर्ष 1984-85 में शहरी क्षेत्रों में खुले उपभोक्ता सहकारी भंडारों से सामानों की कुल विक्री बढ़कर 14 अरब 63 करोड़ रुपये हो गई जबकि वर्ष 1983-84 में यह 13 अरब 38 करोड़ रुपये थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों द्वारा उपभोक्ताओं को वर्ष 1984-85 में 15 अरब 75 करोड़ रुपये का सामान बेचा गया जबकि वर्ष 1983-84 में यह विक्री 14 अरब 98 करोड़ रुपये के बराबर थी।

शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ आवश्यक वस्तुओं की बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद करने तथा देश भर में फैली अपनी 24 शाखाओं की सहायता से सम्बद्ध संगठनों को इन वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ 5 संवर्धन तथा उत्पादन इकाइयों भी चलाता है। परिसंघ राज्यों द्वारा नामजद एजेन्सियों के द्वारा नियंत्रण मूल्य पर दिए जाने वाले कपड़ों के वितरण की राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति है। 30 जून 1985 को परिसंघ के पूंजीगत निवेश 4.75 करोड़ रुपये के थे, जिसमें से सरकार का हिस्सा 2.03 करोड़ रुपये था। 1983-84 में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ का विक्री का कारोबार 156.71 करोड़ रुपये था, जो 1984-85 में बढ़कर 156.83 करोड़ रुपये हो गया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ ने सरकार की वित्तीय सहायता से एक परामर्श एवं संवर्धन कोष्ठ का गठन किया है। देश में सहकारी संस्थानों को विशेषज्ञ प्रबन्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ और जानकार व्यक्ति इस कोष्ठ में नियुक्त किए गए हैं। इस कोष्ठ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की आर्थिक व्यापार और प्रक्रिया संबंधी तथा संगठनात्मक कार्यकुशलता को बढ़ावा देने में यह कोष्ठ सहायता कर रहा है। सहकारी उपभोक्ता भंडारों में स्वयं सेवा प्रणाली लागू करने में, इस कोष्ठ की सेवाओं को लाभदायक बताया गया है।

शहरी इलाकों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्र समर्थित योजना के अन्तर्गत, राज्य परिसंघों को उदार आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता व्यापार के विस्तार, शाखा और वितरण केन्द्र खोलने तथा उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध करायी जाती है। केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी समितियों को विशाल/छोटे आकार के खुदरा विक्री केन्द्र और विभागीय भंडार खोलने के लिए सहायता दी जाती है। कालेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए सामूहिक रसोई केन्द्र खोलने के लिए भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। राज्य परिसंघों और अच्छी तरह काम करने वाले थोक भंडारों को विशेष क्षेत्र में क्षेत्रीय वितरण केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। आठ लाख से अधिक आवादी वाले कस्बों में, एक करोड़ रुपये सालाना से

अधिक का कारोबार करने वाले थोड़े बंधारों को; चलती-फिरती दुकानों के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इससे नगरों के बाहरी इलाकों में रहने वाले औद्योगिक और भवन निर्माण श्रमिकों तथा कमजोर वर्गों के लोगों आदि की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में घाटे में चलने वाले राज्य परिवसों तथा थोरु/किन्नीय बंधारों की स्थिति सुधारने के लिए भी सहायता दी जाती है।

सातवीं योजना में, राज्य सरकारों के माध्यम से बहुत से उपमोक्ष सहायकारी बंधारों और राज्य सहायकारी संघों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 19 करोड़ 50 लाख रुपये की वार्षिक सहायता दी गई है। वर्ष 1985-86 के अन्तर्गत 12 विभागीय बंधार और 121 गावाएँ खोलने, चलती-फिरती दुकानें चलाने, 4 थोरु बंधारों को शुरू करने और राज्य सहायकारी परिवसों की स्थापना के लिए 2 करोड़ 1 लाख रुपये दिया गया है।

नई दिल्ली में, 1966 में स्थापित मुगर बाजार उन शीघ्र संस्थानों में से एक है, जिनमें खुदरा तकनीकों और स्वस्थ व्यापारिक परम्पराओं को प्रभावित है और एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराकर उपमोक्ष सहायकारी प्रादोशन को एक नई दिशा दी है। यह तीन महत्वपूर्ण विभागीय बंधार और 101 गावाएँ चला रहा है जिनमें दिल्ली के विभिन्न भागों में फैली 16 दवाओं की दुकानें भी शामिल हैं। इसके अलावा 73 चलती-फिरती दुकानें ऐसे स्थानों पर चलायी हैं, जहाँ इनकी नियमित गावाएँ खुली हुई नहीं हैं। सभी पाठ्य-युक्तियों की, मुगर बाजार की प्रयोगगाना में जांच की जाती है। मुगर बाजार की कुल वित्तीय वर्ष 1984-85 में 45 करोड़ 32 लाख रुपये में बढ़कर वर्ष, 1985-86 में 66 करोड़ 35 लाख हो गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण उपमोक्ष कार्यक्रम को सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। विभिन्न राज्यों में प्राथमिक कृषि सहायकारी सोसाइटियों का शेषर पूंजी प्राधार तैयार करने के लिए यह वित्तीय सहायता दी जाती है। ये सोसाइटियाँ इन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे उपमोक्षार्थों, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराए जाने वाले सामान पर छूट देने में सहायता करती हैं। भातवी योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण सहायकारी सोसाइटियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं का लगभग 10 प्रतिशत भाग जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है। वर्ष 1985-86 में इन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

सरकार ऋण गारंटी योजना लागू करके उपमोक्ष समितियों की सहायता कर रही है ताकि वे अपनी कार्यक्रमों पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय बैंकों तथा सहायकारी बैंकों में सम्पत्ति को बंधक रखकर या सामान धरोहर रखकर 10 प्रतिशत के एक समान धरोहर के सीमान्त अन्तर से नकद ऋण प्राप्त कर सकें। धारण और पर यह सीमान्त अन्तर बंधक ऋण के मानने में 40 प्रतिशत तथा धरोहर ऋण के मामले में 25 प्रतिशत है। वर्ष 1985-86 में 7 उपमोक्ष बंधारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ली जाने वाली गारंटी की सीमा, 290 लाख रुपये की कुल नकदी साख सीमा के अन्तर्गत बढ़ाई जा चुकी है।

## उपभोक्ता सुरक्षा

केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन को उच्च प्राथमिकता दी है। उपभोक्ताओं से संबंधित मसलों का प्रमुख विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता सुरक्षा के लिए उपाय नामक एक योजना चला रहा है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता सुरक्षा क्षेत्र में कार्यरत उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह विभाग उपभोक्ता सुरक्षा कानूनों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ सम्पर्क बनाए रखता है जिससे कि उपभोक्ताओं की बेहतर सुरक्षा के लिए इन कानूनों की समीक्षा की जा सके और इसमें संशोधन किया जा सके। उपभोक्ता सुरक्षा के बारे में एक विधेयक विचाराधीन है जिसमें कि उपभोक्ताओं की समस्याओं के जल्दी निराकरण करने की व्यवस्था की गई है। नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सलाह दी है कि वे अपने-अपने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएं। इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। विभाग ने मार्च 1985 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला और जनवरी 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा पर एक अखिल भारतीय गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें 100 से अधिक स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। चालू वित्तीय वर्ष में भी नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य स्तर की, क्षेत्रीय और अखिल भारतीय गोष्ठियां आयोजित करने की योजना है।

देश में उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन को उद्देश्यपूर्ण बनाने तथा अग्रेषण देने के लिए एक उपभोक्ता सुरक्षा सलाहकार परिषद बनाई गई है। यह परिषद उपभोक्ता हितों से संबंध रखने वाले सभी मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है। परिषद ने अब तक चार बैठकें की हैं और इसकी सलाह पर उचित कार्रवाई की जा रही है या की जा चुकी है।

## कानूनी उपाय

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने अनेक वैधानिक उपाय किए हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खरीद, मूल्य नियंत्रण और वितरण सम्बन्धी मुख्य कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 है। चूंकि 1955 के अधिनियम की व्यवस्थाएं, मामलों को जल्दी निपटाने और कालावाजारी तथा जमाखोरी करने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह प्रभावी और उपयुक्त नहीं थीं, इसलिए सरकार ने आवश्यक वस्तु (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1981 द्वारा इस कानून में संशोधन कर दिया। सितम्बर 1982 से लागू संशोधन अधिनियम में दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थाओं को और अधिक कड़ा बनाया गया तथा इसके अधीन अपराधों के लिए सरकारी तौर पर न्यायिक जांच की भी व्यवस्था की गयी।

मूल्य वृद्धि की रोकथाम और बेईमान व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करने से रोकने के लिए अक्टूबर 1979 में आवश्यक वस्तु आपूर्ति और कालावाजारी रोकथाम अध्यादेश, 1979 जारी किया गया। इस अध्यादेश में आवश्यक और अधिक खपत वाली वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालने की किसी भी गतिविधि में लगे लोगों के लिए निवारक नजरबंदी का प्रावधान है। फरवरी 1980 में संसद के एक कानून ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया।

इस अछादेश के लागू होने के बाद से 31 दिसम्बर 1985 तक 874 व्यक्तियों को नजरबंद करने के आदेश दिये गये । वर्ष 1985 में ही 100 व्यक्तियों को नजरबंदी के आदेश दिये गये ।

### मानकीकरण और गुणवत्ता नियन्त्रण

भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था—भारतीय मानक संस्था (आई० एम० आई०) को स्थापना जनवरी 1947 में हुई थी। संस्था के उद्देश्य और कार्य इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय मानक तैयार करके उन्हें आम इस्तेमाल के लिए जारी करना, नार-नोन को इकाइयों के मानकों के लिए सरकार को सकारियों देना, उद्योगों में मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देना, आई० एस० आई० प्रमाणीकरण योजना का संचालन और मानकों से मंगद आकड़ों और अन्य जानकारी का प्रचार करना ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 लागू करके भारतीय मानक संस्था को यह वैधानिक अधिकार दिया गया कि वह देश के उत्पादकों को आई० एम० आई० मानक चिह्न का इस्तेमाल करने का लाइसेंस जारी करेगा ।

इस संस्था को देश भर के 37,000 सदस्यों का महयोग प्राप्त है। इनमें उद्योगों, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, उपयोगिता संगठनों और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। मानक तैयार करने का काम सम्बद्ध प्रमाणित परिपदों के माध्यम निर्देशन में संचालित 11 तकनीकी प्रभाग करते हैं। ध्य तक विभिन्न मामलों में करीब 13,622 भारतीय मानक तैयार किए जा चुके हैं। 31 मार्च 1986 को इन में से 12,959 मानक मान्यता प्राप्त थे और 663 की मान्यता रद्द कर दी गई। वर्ष 1985-86 में (मंगोअन मानक सहिन 921 मानक जारी किए जा रहे हैं।

प्रमाणन चिह्नों के क्षेत्र में 31 मार्च 1986 तक 1,207 भारतीय मानकों के अन्तर्गत 6,011 औद्योगिक इकाइया 8,520 लाइसेंसों के अन्तर्गत उत्पादन कर रही थीं ।

परीक्षण कार्यक्रम के लिए देश में बड़ी मझा में तांबंत्रनिक और निजी प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाता है। भारतीय मानक संस्था में भी मानक परीक्षा प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। ये प्रयोगशालाएँ दिन्ती, (माहिबाबाद) बबई, कनकता, मझा, चण्डीगड (मोहाली) और पटना में कार्यरत हैं।

भारतीय मानक संस्था ने विरत के गभी देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्नीकन आयोग के तकनीकी कार्य और नीति निर्धारण में भी सक्रिय रूप में भाग लेता है।

यह संस्था विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप योजनाओं के अन्तर्गत अनेक विकासशील देशों के मानक इजीनिअरों को प्रशिक्षण देने में मदद कर रही है। भारत ने कई विकासशील देशों में मानकीकरण संगठन स्थापित करने में तकनीकी मार्गदर्शन भी किया है।

### नारनोन के मानक

पहले देश में नारनोन के अंतर्राष्ट्रीय तरीके प्रयोग किए जाते थे। स्वतंत्रता के पश्चात् देश में अिन महत्वपूर्ण मुद्दों की घोषणा की गई उनमें से एक मोट्टिक

प्रणाली लागू करके नापतोल प्रणाली में एकीकरण लाता था। 1956 में संसद में मानक बाट तथा माप अधिनियम के पास हो जाने से सारे देश में नाप-तोल की मीट्रिक प्रणाली ही एकमात्र प्रामाणिक प्रणाली है। नाप-तोल (प्रवर्तन) विधेयक को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 1958 में अपनाया गया ताकि इसकी धाराओं को लागू किया जा सके। वाणिज्यिक लेन-देन में प्रयोग होने वाले नाप-तोल उपकरणों की समय-समय पर उचित जांच तथा प्रमाणन के लिए अधिनियम में संस्थागत ढांचे का प्रावधान किया गया ताकि उपभोक्ता लेन-देन की परिशुद्धता के प्रति आश्वस्त हों। नाप-तोल निदेशालय उपभोक्ता के हितों की रक्षा से सम्बद्ध सभी गतिविधियों, विशेष तौर पर नाप-तोल पर नियामक नियंत्रण और उपभोक्ता को जागरूक बनाने के कार्यक्रमों के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

देश के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक तथा औद्योगिक विकास के लिए मीट्रो-लॉजी मानकों का विकास तथा उनका सही कार्यान्वयन आवश्यक है। मीट्रो-लॉजी के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के साथ-साथ चलने के लिए तथा अपने अधिनियमों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम विकास के साथ अपने नियमों को मिलाने के लिए संसद द्वारा 1956 के अधिनियम के स्थान पर एक विस्तृत विधान मानक, बाट तथा माप अधिनियम, 1976 पास किया गया। यह नया अधिनियम अधिक विस्तृत है और इसमें वाणिज्यिक लेन-देन के साथ-साथ औद्योगिक मानदण्ड और सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव सुरक्षा के मानदण्ड भी शामिल हैं। पैकेट बन्द वस्तुओं के नियमन से संबंधित 1976 के अधिनियम की धाराएं तथा उससे संबंधित नियम, सितम्बर 1977 में क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित किया गया। नियमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उनको उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से अधिक कारगर बनाया जा सके।

प्रवर्तन के मामलों में एकरूपता लाने के लिए संसद द्वारा मानक बाट तथा माप अधिनियम, 1985 बनाया गया है। यह अधिनियम राज्य सरकारों के; इस सम्बन्ध में बनाए गए वर्तमान अधिनियमों का स्थान लेगा। इसके प्रावधानों के अन्तर्गत बाट, माप, बाजार में तोलने और मापने के उपकरणों, औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और मानव सुरक्षा आदि के बारे में कारगर कानूनी नियंत्रण की व्यवस्था है। 1985 के इस अधिनियम को तेजी से लागू करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को आदर्श प्रारूप नियम भेजे गए हैं।

नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ लीगल मीट्रोलॉजी, रांची, नाप तोल तथा इससे संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण देता है। यह संस्थान दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी तरह का एक मात्र संस्थान है तथा यहां पर अन्य विकासशील देशों से भी प्रशिक्षणार्थी आते हैं। भुवनेश्वर में इस क्षेत्र के उद्योगों को सुविधाएं देने के लिए दो क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं।

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली नापतोल के राष्ट्रीय मानकों के आधुनिकीकरण, स्थापना, कार्यान्वयन, परिरक्षण और अनुरक्षण की देखरेख करती है।

संदर्भ, सहायक और कार्याधीन मानकों के उत्पादन का काम भारत सरकार की बन्दई टकजाल में होता है। यह टकजाल इस क्षेत्र के बहुत से अन्य देशों की भी मानक, संबंधी आवश्यकता पूरी करती है।

**भगाऊ ठके**

भगाऊ अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत भगाऊ बाजार भायोग (फाबंडे माकॉट कमीशन) का गठन किया गया था। यह भायोग इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार वैधानिक संस्था है। भायोग भगाऊ व्यापार के चुनिंदा केन्द्रों पर, मान्यता प्राप्त संघों के माध्यम से, इस अधिनियम की नियमन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के भगाऊ व्यापार का नियमन करता है और ऐसे बाजारों में सट्टेबाजी रोकने के लिए भी कार्रवाई करता है। यह कुछ आवश्यक वस्तुओं सहित अनेक जिनसों के भूत्वों पर नजर रखता है, भायोग किसी वस्तु के भगाऊ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में, सरकारी नीति को लागू करते में, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की सहायता भी करता है। भायोग का मुख्यालय बंदई में और शाखा कार्यालय अलग-अलग में है।

विनियमन के अधीन सरकार द्वारा जिन जिनसों में परिवर्तनीय विशेष डिलीवरी/अपरिवर्तनीय विशेष डिलीवरी संविदाओं को मंजूरी दी गई है, वे हैं :

(क) फ्यूचर्स व्यापार

- (1) काली मिर्च
- (2) अदरक
- (3) गुड़
- (4) अंडों के बीज और
- (5) आलू

(अंडों के बीज और आलू फ्यूचर्स व्यापार की अनुमति क्रमशः 16 अगस्त 1985 और 15 मई 1985 को दी गई थी)

(ख) एन० टी० एस० डी० संविदाएं

- (1) कपास
- (2) मूंगफली और
- (3) मूंगफली का तेल

(ग) टी० एस० डी० और एन० टी० एस० डी० संविदाएं

- (1) जूट और जूट से बने सामान

गैर कानूनी फारवर्ड व्यापार को रोकने के लिए इस अधिनियम के दण्ड संबंधी प्रावधान को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। और भायोग का कार्य इस संबंध में उन्हें परामर्श देना है। इनके अलावा इतना कार्य संबंधित पुनिस अधिकारियों को ऐसे व्यापार की मूचना देना, उनके द्वारा बरामद किए गए कागजातों की जांच करना और उन्हें विशेषज्ञ सलाह देना भी शामिल है।



यह आयोग पुलिस/सजा दिलाने वाले अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, नागरिक आपूर्ति अधिकारियों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और गोष्ठियां भी आयोजित करता है जिससे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों की वारीकी के बारे में उन्हें जानकारी हो सके।

आयोग तिलहन, रुई और पटसन जैसी वस्तुओं के गैर-कानूनी व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई करता है। यह अग्राऊ अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अपराधों की प्रवृत्ति, कार्यप्रणाली और अन्य सम्बद्ध पक्षों के बारे में राज्य पुलिस अधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

### व्यापार चिह्न

व्यापार और व्यापारिक माल चिह्न अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत व्यापार चिह्नों के पंजीकरण, उनकी बेहतर सुरक्षा और बाजार में विवने वाले माल पर इनके प्रयोग में होने वाली जालसाजी को रोकने की व्यवस्था है। व्यापारिक चिह्न पंजीकरण कार्यालय इस अधिनियम के परिपालन के लिए स्थापित वैधानिक संगठन है। यह पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्नों के, महानियंत्रक के अन्तर्गत काम करता है। पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक उच्च अधिनियम, के अधीन व्यापार चिह्नों के रजिस्ट्रार (पंजीकार) हैं। इसका मुख्य कार्यालय बंबई में और तीन शाखाएं कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में हैं।

ऊर्जा प्रत्येक आर्थिक गतिविधि को किसी-न-किसी रूप में अवश्य प्रभावित करती है और इसकी उपलब्धता तथा लागत पर राष्ट्र का आर्थिक भविष्य, प्रगति तथा वहां की जनता का जीवन स्तर, काफी हद तक निर्भर करता है। अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी ऊर्जा की आवश्यकता गैर-वाणिज्यिक स्रोतों जैसे लकड़ी, उपले, बेकार कृषि पदार्थों आदि और वाणिज्यिक स्रोतों जैसे बिजली, कोयला, तेल तथा परमाणु ईंधन से पूरी होती है। यद्यपि भारत के गांवों में ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेषतः पर घरों में प्रयोग के लिए, ऊर्जा के गैर-वाणिज्यिक स्रोत प्रयोग करने की परम्परा है, परन्तु देश में ऊर्जा के सबसे सरल और सर्वतोन्मुखी साधन कोयला, तेल (प्राकृतिक गैस सहित) तथा बिजली माने जाते हैं।

समाज की ऊर्जा की आवश्यकताओं को उचित मूल्यों पर पूरा करने के लिए परम्परागत ऊर्जा के साधनों के विकास की जिम्मेदारी तीन विभिन्न विभागों/मंत्रालयों अर्थात् ऊर्जा और कोयला विभाग तथा पेट्रोलियम मंत्रालय की है। सितम्बर 1982 में स्थापित गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग और, पवन और बायो-ऊर्जा जैसे गैर-परम्परागत/वैकल्पिक/नये और नवीकरणीय स्रोतों के विकास तथा प्रोत्साहन पर लगातार ध्यान दे रहा है। देश में कुल ऊर्जा की उपलब्धता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के विकास में तेजी लाई जा रही है।

सरकार की ऊर्जा नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए ऊर्जा के देशी साधनों (परम्परागत तथा गैर-परम्परागत) का विकास किया जाए, ऊर्जा को सुरक्षित रखा जाए और इसके दुरुपयोग को रोका जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की ऊर्जा स्थिति को लगातार समीक्षा करने के लिए तथा संगठित और समन्वित आधार पर भविष्य में ऊर्जा के विकल्प चुनाने के लिए सरकार ने मार्च 1983 में ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड गठित किया है। बोर्ड ने अब तक दो बार सिफारिशों की हैं जिन पर विचार कर लिया गया है तथा अधिकांश सिफारिशों स्वीकार कर ली गई हैं।

### बिजली

बिजली, ऊर्जा की सबसे सुविधाजनक और उपयोगी किस्म है। इसलिए अन्य ऊर्जा साधनों की तुलना में इसकी मांग बहुत अधिक तेजी से बढ़ी है। सात ही पिछले कुछ दशकों में बिजली उद्योग के आकार और तकनीकी विकास में भी कई गुना वृद्धि हुई है। उद्योग और कृषि इन दोनों क्षेत्रों

में विजली की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः विजली की खपत की मात्रा देश में उत्पादकता और विकास दर की सूचक होती है। इसे देखते हुए विकास कार्यक्रम में विजली के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

भारत में विजली विकास की शुरुआत सन् 1900 में कर्नाटक में शिव-समुद्रम में पन-विजली घर से हुई। विजली का उत्पादन हालांकि इस शताब्दी के शुरू में होने लगा था, लेकिन 1947 तक इसके उत्पादन के बारे में कोई खास प्रगति नहीं हुई। तब तक विजली उत्पादन की कुल क्षमता 19 लाख किलोवाट थी और इसका उत्पादन मुख्यतः शहरी क्षेत्रों के निकट होता था। लेकिन पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से विजली उत्पादन कार्यक्रमों में बहुत तेजी आई। विजली क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है और हमारी राष्ट्रीय योजना के कुल खर्च का अधिकांश भाग इस क्षेत्र के लिए निर्धारित होता है।

**योजनागत विकास** पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुड और चम्बल घाटी जैसी अनेक प्रमुख नदी-घाटी परियोजनाएं आरम्भ की गईं। इनसे विजली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। प्रथम योजना समाप्त होने तक बिजली उत्पादन क्षमता 34.2 लाख किलोवाट हो गई थी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल और भारी उद्योगों के विकास के साथ-साथ विजली उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दूसरी योजना के अंत तक विजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 57 लाख किलोवाट हो गई।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण इलाकों को विजली पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अंतर्राज्यीय बिजली ग्रिड प्रणाली की स्थापना। बिजली के क्षेत्रवार विकास के लिए देश को पांच क्षेत्रों में बांट दिया गया। इन क्षेत्रों की विद्युत प्रणालियों के समेकित संचालन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रादेशिक बिजली बोर्ड स्थापित किया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद की तीन वार्षिक योजनाओं में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए कार्यक्रमों को पूरा करने पर जोर दिया गया।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों के विद्युत कार्यक्रमों में सहायता के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहयोग जरूरी है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीन वार्षिक योजनाओं और चौथी पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन में काफी प्रगति हुई। इस दौरान स्थापित क्षमता बढ़कर 313.07 लाख किलोवाट हो गई, जिसमें से 113.86 लाख किलोवाट पन-विजली परियोजनाओं से, 192.81 लाख किलोवाट ताप विजलीघरों से और बाकी 6.4 लाख किलोवाट विजली पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में परमाणु विजली घरों से मिलती थी।

छठी योजना के दौरान 196.66 लाख किलोवाट क्षमता बढ़ाने की (47.68 लाख किलोवाट पन-विजली से, 142.08 लाख किलोवाट ताप-विजली से तथा 6.90 लाख किलोवाट परमाणु विजली से) योजना बनाई गई परन्तु वास्तविक उपलब्धि

142.26 लाख किलोवाट (पन-विजली से 28.73 लाख किलोवाट, ताप विजली से 108.98 लाख किलोवाट तथा परमाणु विजली से 4.55 लाख किलोवाट) अर्थात् लक्ष्य का 72.3 प्रतिशत हुई ।

सातवीं योजना के विजली कार्यक्रम के अन्तर्गत 222.45 लाख किलोवाट प्रतिरिक्त विजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 55.41 लाख किलोवाट पनविजली संयंत्रों से, 159.99 लाख किलोवाट ताप विजली संयंत्रों से और 7.05 लाख किलोवाट परमाणु विजली संयंत्रों से उत्पादन किया जाएगा ।

वर्ष 1985-86 में 42.33 लाख किलोवाट प्रतिरिक्त विजली का उत्पादन हुआ; इसमें से 10.11 लाख किलोवाट पनविजली, 29.77 लाख किलोवाट ताप-विजली और 2.35 लाख किलोवाट परमाणु विजली थी। 1985-86 के अन्त में स्थापित क्षमता 466.03 लाख किलोवाट विजली उत्पादन की थी जिसमें से 154.77 लाख किलोवाट पनविजली की, 298.56 लाख किलोवाट ताप विजली की और 12.70 लाख किलोवाट परमाणु विजली की उत्पादन क्षमता थी ।

### संगठन

विजली, संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए इसके विकास की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों दोनों पर है। केन्द्र में विजली विभाग विद्युत ऊर्जा के विकास और इसके उत्पादन, संचार, वितरण और संरक्षण का काम देखता है। यह विभाग ऊर्जा नीति से सम्बद्ध मामलों में भी तालमेल रखता है। यह विभाग विजली के बारे में कानून बनाने और विद्युत अधिनियम, 1910 के परिपालन के लिए भी काम करता है। इन अधिनियम में 1986 में अनधिकृत रूप से विद्युत-चोरी के प्रभावी रूप को रोकने के लिए संशोधन किया गया है। विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 विद्युत उद्योग के प्रशासनिक ढांचे का आधार है। इस अधिनियम में केन्द्रीय विजली प्राधिकरण की स्थापना और उसे राष्ट्रीय विजली नीति के विकास, विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापों और राज्य विजली बोर्डों के कामकाज में तालमेल की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था है। इस अधिनियम में 1976 में संशोधन किया गया और केन्द्रीय विजली प्राधिकरण का दायरा और काम बढ़ा दिया गया और विजली उत्पादन के लिए कम्पनियां स्थापित करने की व्यवस्था की गई।

केन्द्रीय विजली प्राधिकरण विजली विभाग को तकनीकी, वित्तीय तथा आर्थिक मामलों में परामर्श देता है। केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादन तथा प्रेषण परियोजनाओं के निर्माण तथा संचालन का कार्य केन्द्रीय विद्युत निगमों जैसे राष्ट्रीय ताप विजली निगम (एन० टी० पी० सी०); राष्ट्रीय पन विजली निगम (एन० एच० पी० सी०) तथा पूर्वोत्तर विजली निगम (नोपको) को सौंपा गया है जिनका प्रशासनिक नियंत्रण विजली विभाग करता है। दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अधीन गठित दामोदर घाटी निगम तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अधीन गठित भाचड़ा-व्यास प्रबन्धक बोर्ड भी इन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। इसके प्रतिरिक्त यह विभाग व्यास निर्माण बोर्ड (बी० सी० बी०) तथा राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

(एन० पी० सी० सी०), जो निर्माण एजेन्सियां हैं और केन्द्रीय विद्युत अनुसन्धान संस्थान तथा विद्युत अभियंता प्रशिक्षण समिति, जो प्रशिक्षण और अनुसन्धान संगठन हैं, का प्रशासन भी करता है। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम ग्रामीण विद्युत निगम (आर० इ० सी०) के कार्यक्षेत्र में आते हैं, जोकि एक वित्तदात्री एजेंसी है।

सरकार ने 1984-85 में विजली विभाग में एक संयुक्त सचिव की देखरेख में 'ऊर्जा संरक्षण शाखा' नाम से एक नई शाखा की स्थापना की।

### उत्पादन

1985-86 के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 170 अरब यूनिट रखा गया। इसमें से 110 अरब यूनिट ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा, 4 अरब यूनिट परमाणु संयंत्रों द्वारा तथा 56 अरब यूनिट पन-विजली केन्द्रों द्वारा उत्पादित की जानी थी। 1985-86 के दौरान वास्तविक उत्पादन 170.037 अरब यूनिट (114.119 अरब यूनिट ताप-विजली केन्द्रों द्वारा, 4.985 अरब यूनिट परमाणु संयंत्रों द्वारा तथा 50.933 अरब यूनिट पन-विजली केन्द्रों द्वारा) हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 8.6 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ।

1985-86 के लिए विद्युत उत्पादन कार्यक्षमता का लक्ष्य 50 प्रतिशत रखा गया था। 1984-85 में उत्पादन कार्यक्षमता 50.1 प्रतिशत के मुकाबले 1985-86 में 52.4 प्रतिशत रही। 1985-86 में 4223 मेगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई जो 4459.5 मेगावाट लक्ष्य का 94.7 प्रतिशत है।

### नवीकरण/आधुनिकीकरण योजना

देश की वर्तमान ताप विजली उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से 34 ताप विजली घरों के नवीकरण और आधुनिकीकरण का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। 13175 मेगावाट उत्पादन क्षमता के 162 ताप विजली यूनिटों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीकरण और आधुनिकीकरण किया गया। कार्यक्रम के अनुसार पूरी योजना तीन-चार वर्षों में पूरी हो जाने की आशा है तथा इसके सफल क्रियान्वयन के बाद प्रति वर्ष 700 करोड़ यूनिट विजली और प्राप्त की जा सकेगी।

नवीकरण और आधुनिकीकरण योजना की अनुमानित स्वीकृत लागत 9 अरब 35 करोड़ रुपये है और इस समय केन्द्र सरकार ने विभिन्न एस० ई० वी० और अन्य संगठनों में उन आवश्यक और प्रमुख गतिविधियों के लिए 5 अरब रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता की स्वीकृति दी है, जिनका नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत तुरन्त सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इन्हें केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत रखा गया है और शेष गतिविधियों के लिए राज्य योजना/स्वयं के साधन से धन जुटाना होगा।

योजना लागू करने का काम चल रहा है। 1985-86 के अन्त तक 245 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे, जिसमें से 99.74 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में और 146.20 करोड़ रुपये राज्य योजना में से प्राप्त हुए थे।

### राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रिड.

देश में विद्युत् ट्रांसमिशन और वितरण सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। दिसम्बर 1950 में 66 के० वी० और इससे अधिक की ट्रांसमिशन लाइनों

सन्ध्याई 10,000 सन्टि मि०मी० थी, जो मार्च 1966 में बढ़कर 45,000 सन्टि मि०मी०टर, मार्च 1980 में 1.15 लाख कि० मी० तथा मार्च 1986 में 1.62 लाख कि० मी० हो गई। इन सनन प्रयोग में नाई जा रही अतिउत्तम ट्रान्मिशन बॉल्टेज 400 के० वी० है। मार्च 1986 तक 460 के० वी० क्षमता की लगभग 7300 सन्टि मि०मी०टर की लाइनों का निर्माण हो चुका था। इनमें से लगभग 7000 सन्टि मि०मी०टर लाइनों का उपयोग भी होने लगा है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पहले, देश में ट्रान्मिशन प्रणाली का विकास अधिकतर राज्य प्रणालियों के रूप में किया जाता था। ऐसा इसलिए था, क्योंकि विज्ञानोपकरण मुख्यतः राज्यक्षेत्र में बनाए गए। तीसरी योजना में जब राज्य ट्रान्मिशन प्रणालियाँ काफी सीमा तक विकसित हो गईं तो एक क्षेत्र के भीतर ही अलग-अलग राज्यों की प्रणालियों के अन्तर्सम्बन्ध संवर्धन की संभावनाओं पर विचार किया गया। इन समय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, देश के बाकी सभी क्षेत्रों में 220 के० वी० की काफी अच्छी अन्तःसम्बन्ध प्रणाली उपलब्ध है।

1975 में दो विद्युत् निगमों राष्ट्रीय ताप-विद्युती निगम और राष्ट्रीय पन-विद्युती निगम का गठन करके, केन्द्र ने ग्रिड प्रणाली को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है।

ये संयुक्त प्रणाली उत्पादन परियोजनाओं के झग के रूप में 400 के० वी० की ट्रान्मिशन प्रणाली को निर्मित कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय विद्युती ग्रिड के झग के रूप में 400 के० वी० की अंतर्राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ट्रान्मिशन लाइनें बनाई गई हैं। राष्ट्रीय विद्युत् ग्रिड एक प्रणाली में दूसरी प्रणाली में विद्युती अंतरण और उनके समन्वित संवर्धन के काम को बढ़ावा देगा, दक्षिण देश के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके।

भारत में अब सुरुइ क्षेत्रीय विद्युती प्रणालियाँ हो गई हैं। अनेक राज्यों की प्रणालियों के बीच विद्युती का नियमित आदान-प्रदान हो रहा है, जिससे वारंवार क्षमता का बड़े-बड़े उपयोग हो रहा है।

### क्षेत्रीय विद्युती बोर्ड/क्षेत्रीय मार प्रयोग केन्द्र

प्रारम्भ में क्षेत्र विशेष के राज्यों में समन्वित संवर्धन के लिए और फिर एक सुनिश्चित राष्ट्रीय विद्युती ग्रिड बनाने के उद्देश्य में 1964 में 5 क्षेत्रों में ये प्रत्येक में क्षेत्रीय विद्युती बोर्ड स्थापित किए गए। ये पांच बोर्ड हैं; उत्तर-क्षेत्र विद्युती बोर्ड, जिनमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल और दिल्ली शामिल हैं; पश्चिमी क्षेत्र विद्युती बोर्ड, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रासराज्य, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं; दक्षिणी क्षेत्र विद्युती बोर्ड, जिनमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरि शामिल हैं; पूर्वी क्षेत्र विद्युती बोर्ड, जिनमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मिस्मिम शामिल हैं तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युती बोर्ड, जिनमें असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और निर्धारित शामिल हैं।

सभी पांच क्षेत्रों में परिवर्तन प्रक्रिया के विकास के लिए और परिष्कृत अधिके आदि इच्छा करने के साथ-साथ स्वयंसे क्षेत्रीय मार प्रयोग केन्द्र स्थापित

करने के लिए पांचवीं योजना में अंतरिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किये गये थे। स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ने टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आदि सुविधाओं सहित, बंगलूर में (दक्षिणी क्षेत्र) 1976 से कार्य शुरू कर दिया है।

पांचवीं योजना के अंत में उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में आंकड़ों की प्राप्ति तथा विश्लेषण के लिए आन-लाइन कम्प्यूटर, टेलीमीटरी, त्वरित आकृति बोर्ड आदि सुविधाओं सहित चार स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित करने का कार्य किया गया। 1984 के दौरान पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र में तथा 1986 में पूर्वी क्षेत्र में स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए गए तथा वे इन क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर विद्युत प्रणाली की कार्यपद्धति की निगरानी कर रहे हैं।

### ऊर्जा क्षेत्र के लिए दूरसंचार

आधुनिक कम्प्यूटर-आधारित भार प्रेषण केन्द्रों का सन्तोषजनक संचालन आंकड़ों के दूर-दूर तक सही और कुशल स्थानान्तरण पर ही निर्भर है। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए, जो कि सार्वजनिक संचार संजाल (नेटवर्क) से अलग है, एक भरोसेमन्द और कुशल संचार प्रणाली के विकास की आवश्यकता महसूस की गई। इन आवश्यकताओं पर योजना आयोग द्वारा ऊर्जा क्षेत्र और कई संचार एजेंसियों के सहयोग से एक गहन विश्लेषण भी किया गया है। केन्द्रीय विजली प्राधिकरण इस समय समूचे विजली क्षेत्र के लिए एक मास्टर (विशाल) संचार योजना बना रहा है। अब उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर, डिजिटल रेडियो तकनीक जैसी आधुनिक संचार प्रणालियों पर आधारित ठोस योजनाएँ बनाई जा रही हैं। इनमें से कुछ को सातवीं योजना के दौरान लेने का प्रस्ताव है।

### राज्य विजली बोर्ड

22<sup>1</sup> राज्यों में से 18 राज्यों में राज्य विजली बोर्ड बना दिए गए हैं और वे मुख्य रूप से अपने-अपने राज्यों में विजली के उत्पादन और वितरण का काम करते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, तामिलनाडु और मिजोरम में अभी विजली बोर्ड बनने हैं।

### अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भूटान में 336 मेगावाट (4X84 मेगावाट) की स्थापित क्षमता की चूखा पन विजली परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह कार्य भारतीय अभियंताओं की एक टीम कर रही है। भारत द्वारा वित्तपोषित इस परियोजना का कार्यान्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा मानीटर (देख-रेख) किया जाता है। इसमें केन्द्रीय विजली प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल निगम सलाहकार रूप में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस परियोजना के प्रबन्ध में सक्रियता से सम्बद्ध होने के कारण विद्युत विभाग परियोजना के प्रबन्ध व्यवस्था के लिए निवेश तथा तकनीकी

1. 11 फरवरी 1987 को जारी असाधारण राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी 1987 से राज्य का दर्जा प्राप्त किया।





करने के लिए पांचवीं योजना में अंतरिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किये गये थे। स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ने टेलीप्रिन्टर और टेलेक्स, लोड फ्रीक्वेंसी कन्ट्रोल आदि सुविधाओं सहित, बंगलूर में (दक्षिणी क्षेत्र) 1976 से कार्य शुरू कर दिया है।

पांचवीं योजना के अंत में उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में आंकड़ों की प्राप्ति तथा विश्लेषण के लिए आन-लाइन कम्प्यूटर, टेलीमीटरी, त्वरित आकृति बोर्ड आदि सुविधाओं सहित चार स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित करने का कार्य किया गया। 1984 के दौरान पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्र में तथा 1986 में पूर्वी क्षेत्र में स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए गए तथा वे इन क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर विद्युत प्रणाली की कार्यपद्धति की निगरानी कर रहे हैं।

### ऊर्जा क्षेत्र के लिए दूरसंचार

आधुनिक कम्प्यूटर-आधारित भार प्रेषण केन्द्रों का सन्तोषजनक संचालन आंकड़ों के दूर-दूर तक सही और कुशल स्थानान्तरण पर ही निर्भर है। इसलिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए, जो कि सार्वजनिक संचार संजाल (नेटवर्क) से अलग है, एक भरोसेमन्द और कुशल संचार प्रणाली के विकास की आवश्यकता महसूस की गई। इन आवश्यकताओं पर योजना आयोग द्वारा ऊर्जा क्षेत्र और कई संचार एजेंसियों के सहयोग से एक गहन विश्लेषण भी किया गया है। केन्द्रीय विजली प्राधिकरण इस समय समूचे विजली क्षेत्र के लिए एक मास्टर (विशाल) संचार योजना बना रहा है। अब उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर, डिजिटल रेडियो तकनीक जैसी आधुनिक संचार प्रणालियों पर आधारित ठोस योजनाएँ बनाई जा रही हैं। इनमें से कुछ को सातवीं योजना के दौरान लेने का प्रस्ताव है।

### राज्य विजली बोर्ड

22<sup>1</sup> राज्यों में से 18 राज्यों में राज्य विजली बोर्ड बना दिए गए हैं और वे मुख्य रूप से अपने-अपने राज्यों में विजली के उत्पादन और वितरण का काम करते हैं। गुणपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में अभी विजली बोर्ड बनने हैं।

### अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भूटान में 336 मेगावाट (4×84 मेगावाट) की स्थापित क्षमता की चूखा पन विजली परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह कार्य भारतीय अभियंताओं की एक टीम कर रही है। भारत द्वारा वित्त-पोषित इस परियोजना का कार्यान्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा मानीटर (देख-रेख) किया जाता है। इसमें केन्द्रीय विजली प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल निगम सलाहकार रूप में सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। इस परियोजना के प्रवन्ध में सक्रियता से सम्बद्ध होने के कारण विद्युत विभाग परियोजना के प्रवन्ध व्यवस्था के लिए निवेश तथा तकनीकी

1. 11 फरवरी 1987 को जरी अन्ताराष्ट्रीय राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार केन्द्रशासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी 1987 से राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

कार्यों का समन्वय करता है। इस परियोजना की पहली इकाई मितम्बर 1986 में शुरू होने की आशा है।

भारत, भूटान में भी गिस्ता पनविजली परियोजना का निर्माण कर रहा है जिसमें 500-500 किलोवाट क्षमता के तीन यूनिट बनाए जायेंगे और खालिग पनविजली परियोजना भी भारत बना रहा है जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता में 200-200 किलोवाट के तीन यूनिट हैं। इन दोनों छोटी पनविजली परियोजनाओं का काम भी काफी हो चुका है।

भारत ने बांग्ला देश के साथ मिलकर एक विजली समन्वय बोर्ड बनाया है जो दोनों देशों के बीच सम्पर्क रखेगा और विजली के बारे में सहयोग की संभावना का पता लगायेगा।

भारत ने अफगनिस्तान की चारदेह-धोरबन्द चरण-II ( $1 \times 100$  किलोवाट), बंमियान पनविजली परियोजना ( $3 \times 250$  किलोवाट), धुलम पनविजली परियोजना ( $2 \times 100$  किलोवाट) और फँजावाद पनविजली परियोजना ( $3 \times 85$  किलोवाट) के लिए उत्पादन और ट्रांसमिशन उपकरण सप्लाई किए हैं और इन परियोजनाओं के निर्माण और इन्हें चालू कराने में भी सहयोग कर रहा है। फँजावाद में 85-85 किलोवाट क्षमता के तीन यूनिटों वाली पनविजली परियोजना में उत्पादन अब शुरू हो गया है। भारत सलमा पनविजली परियोजना के लिए डिजाइन और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कर रहा है। इस परियोजना में तीन यूनिट होंगे जिनमें से प्रत्येक की स्थापित क्षमता 13.5 मेगावाट होगी।

### ग्रामीण विद्युतीकरण

20-सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण को दिए गए महत्व को देखते हुए इस कार्य के विकास को बहुत गहनता से मॉनिटर किया जा रहा है। समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप मार्च 1986 तक कुल 5.76 लाख गांवों में से 3.90 लाख गांवों अर्थात् 67.76 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण करने में सफलता मिली। सिंचाई के लिए विद्युतीकृत किए गए पंप सेटों/नलकूपों की संख्या बढ़कर 61.5 लाख से ऊपर हो गई। 1985-86 के दौरान 20,074 गांवों का विद्युतीकरण किया गया जबकि लक्ष्य 20,648 गांवों के विद्युतीकरण का था।

पंप सेटों/नलकूपों के विद्युतीकरण का निष्पादन बहुत प्रभावशाली रहा। पंपसेटों के विद्युतीकरण में उपलब्धि 113.66 प्रतिशत रही। 3.90 लाख पंप सेटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जबकि 4.43 लाख पंप सेटों का विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को पूरित के लिए पंप सेटों में असाधारण वृद्धि की गई।

### विजली निगम

राष्ट्रीय ताप-विजली निगम का गठन नवम्बर 1975 में हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्यम को देश में ताप विजली की योजना बनाकर, उसके समन्वित विकास को बढ़ावा देने और उसे चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। निगम को बड़े कोयला क्षेत्र वाले ताप-विजलीघरों को लगाकर, उन्हें

चलाने और सम्बद्ध ट्रांसमिशन जाल विछाने का काम भी सौंपा गया। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 4,000 करोड़ रुपये है।

राष्ट्रीय तापविजली निगम इस समय 10,900 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के सात बड़े ताप विजलीघर बना रहा है। ये विजलीघर उत्तर प्रदेश में सिंगरीली में, मध्य प्रदेश में कोरवा में, आन्ध्र प्रदेश में रामगुंडम में, पश्चिमी बंगाल में फरक्का में, मध्यप्रदेश में विन्ध्याचल में, उत्तर प्रदेश में रिहन्द में और बिहार में कहलगांव में बनाए जा रहे हैं। निगम 15,000 किलोमीटर लम्बाई की ट्रांसमिशन लाइनें भी विछा रहा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 9607 करोड़ रुपये है। सिंगरीली में 200-200 मेगावाट के 5 यूनिट, कोरवा में 200-200 मेगावाट के तीन यूनिट, रामगुंडम में 200-200 मेगावाट के तीन और फरक्का में 200 मेगावाट के एक यूनिट में उत्पादन शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय ताप विजली निगम दिल्ली में बदरपुर ताप विजलीघर का प्रबन्ध-कार्य एक एजेंसी के रूप में सम्भाल रहा है।

1957 में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की स्थापना की। इसका उद्देश्य बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, विजली परियोजनाओं और अन्य भारी इंजीनियरी परियोजनाओं का निर्माण करना था। विविधीकरण योजना के अंग के रूप में इस निगम का ट्रांसमिशन लाइनें विछाने का काम भी अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय पन-विजली निगम का पंजीकरण नवम्बर 1975 में किया गया। इसे देश में समन्वित पन विजली की योजनाएं बनाकर, उन्हें चलाने और बढ़ावा देने के साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र में पन-विजली घर लगाने; राज्यों के बीच ट्रांसमिशन लाइनें विछाने और सम्बद्ध कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस निगम की अधिकृत पूंजी 400 करोड़ रुपये है। यह निगम दुल्हस्ती, सलाल (जम्मू और कश्मीर), कोइलकारो (बिहार), चमेरा (हि०प्र०), और टनकपुर (उ०प्र०) की पन-विजली परियोजनाओं, का निर्माण कर रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सार्वजनिक निगम के रूप में स्थापना जुलाई 1969 में हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को वित्तीय सहायता देकर गांवों को विजली पहुंचाने के काम को बढ़ावा देना और राज्यों में ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना और उन्हें बढ़ावा देना है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपये है। 31 मार्च 1986 को इसकी चुकता पूंजी 161 करोड़ रुपये थी जो पूरी की पूरी सरकार द्वारा दी गई है। मार्च 1986 के अन्त तक निगम ने 11257 ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं को स्वीकृति दी, जिसमें 3360 करोड़ रुपये के ऋण वितरण, 2.99 लाख गांवों तथा 30.74 लाख नलकूपों का विद्युतीकरण शामिल है। इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत 1 लाख 90 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 21.80 लाख नलकूपों को विजली दी गई। निगम ने कुल 2353 करोड़ रुपये के ऋण की सहायता दी।

पूर्वोत्तर बिजली निगम अप्रैल 1976 में पंजीकृत हुआ। यह निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र में समन्वित बिजली प्रणाली तैयार करता है और उसे बढ़ाया देता है और पूर्वोत्तर परिषद् के जरिये केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजली विकास के लिये क्षेत्रीय नीति बनाकर भेजता है। इस समय यह निगम कोपिली पन-बिजली परियोजना का निर्माण कर रहा है, जिसकी स्थापित क्षमता 150 मेगावाट होगी। निगम ने नागालैंड में दोंग पन बिजली परियोजना का कार्य भी हाथ में लिया है। इसकी स्थापित क्षमता 105 मेगावाट होगी।

दामोदर घाटी निगम 1958 में संसद के एक अधिनियम के तहत गठित किया गया था और इसे बिहार तथा पश्चिम बंगाल में 24,235 वर्ग किलोमीटर दामोदर घाटी क्षेत्र के समन्वित विकास का काम सौंपा गया। यह निगम इस घाटी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली के उत्पादन और ट्रांसमिशन के अलावा नौवहन, भू-संरक्षण तथा घाटी में सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक तथा आर्थिक विकास का काम भी देखता है। निगम के दुर्गापुर, बोकारो तथा चंद्रपुरा में तीन ताप बिजलीघर हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 1,445 मेगावाट है।

निगम के तिलैया, मैयोन, कोनार और पंचेत में चार बहुउद्देशीय बांध हैं। तिलैया, मैयोन और पंचेत बांधों पर 104-104 मेगावाट क्षमता के तीन बिजलीघर भी हैं। निगम बोकारो "डी" में 210-210 मेगावाट क्षमता के दोन ताप बिजली उत्पादन यूनिट भी लगा रहा है और पंचेत में 40 मेगावाट क्षमता का रिपेजिंग पम्प यूनिट स्थापित कर रहा है। बोकारो "डी" में 210 मेगावाट क्षमता के दोन यूनिट अगस्त 1986 में चालू करने का कार्यक्रम है। अन्य यूनिटों पर भी काम चल रहा है। सरकार ने दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में बहुउद्देशीय 210-210 मेगावाट के तीन यूनिटवाला ताप बिजलीघर बनाने और मैयोन में 33-30 मेगावाट क्षमता के तीन यूनिटों वाले गैस टर्बाइन-घर बनाने को ह्वान में मंजूरी दे दी है।


पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अंतर्गत भाबड़ा परियोजना का प्रबन्ध और व्यास परियोजना का निर्माण कार्य क्रमशः भाबड़ा प्रबन्ध बोर्ड और व्यास निर्माण बोर्ड के पास थे। अधिनियम की व्यवस्थानुसार व्यास परियोजना का कुछ कार्य पूरा होने के बाद, भाबड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड ने, भाबड़ा प्रबन्ध बोर्ड, दण्ड क्रि. बा. रू. प्रबन्ध कार्य तथा व्यास परियोजना दण्ड पूरे क्रि. बा. रू. कार्य में दे लिए।

भाबड़ा-व्यास प्रबन्ध बोर्ड, भाबड़ा-व्यास प्रशासकों के अन्तर्गत चार नए पनबिजली घरों का प्रबन्ध कार्य देखता है। इनमें भाबड़ा—बायाँ (650 मेगावाट), भाबड़ा—बायाँ (540 मेगावाट), मधुवन (177 मेगावाट), कोटडा (77 मेगावाट) देहरा—प्रथम चरण (660 मेगावाट), देहरा—द्वितीय चरण (330 मेगावाट), लॉन—प्रथम चरण (240 मेगावाट) और लॉन—द्वितीय चरण (120 मेगावाट) वाले बिजलीघरों का प्रबन्ध शामिल है। इन बिजलीघरों की कुल स्थापित क्षमता 2,704 मेगावाट है।

# गावों का विद्युतीकरण

सामूहिक

400,000  
300,000  
200,000  
100,000  
0



31 मार्च

देश में विजली क्षेत्र की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनवरी, 1980 में, विजली इंजीनियर प्रशिक्षण समिति की शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना की गयी। यह समिति राज्य विजली बोर्डों के विभिन्न विजलीघरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है और साथ ही अपनी प्रशिक्षण गतिविधियां भी चलाती है। समिति के नैवेली, दुर्गापुर, बदरपुर (नई दिल्ली) और नागपुर में चार क्षेत्रीय ताप विजलीघरों के कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये संस्थान ताप विजलीघरों/राज्य विजली बोर्डों के आपरेटरों और इंजीनियरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिनमें प्रारम्भिक प्रशिक्षण, सेवारत लोगों के लिए पुनश्चर्चा। अत्यावधि पाठ्यक्रम और काम कर रहे लोगों के लिए ऑन-जॉब/ऑन-प्लॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। बदरपुर के प्रशिक्षण संस्थान में लगाया गया सिमुलेटर 210 मेगावाट के ताप विजली यूनिटों के इंजीनियरों और आपरेटरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

केन्द्रीय विजली अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1960 में तत्कालीन केन्द्रीय जल और विजली आयोग (विजलीशाखा) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गयी थी। कर्नाटक समिति अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत इसका पुनर्गठन करके इसका पंजीकरण एक समिति के रूप में किया गया। 16 जनवरी, 1978 के बाद से यह समिति के रूप में ही काम कर रहा है। यह संस्थान विजली क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की शीर्ष संस्था है। यह विजली के उपकरणों, ट्रांसमिशन उपकरणों और वितरण उपकरणों की अनुसंधान और परीक्षण जरूरतों को पूरी तरह पूरा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार विजली के यंत्रों की जांच और परीक्षण करता है। केन्द्रीय विजली अनुसंधान संस्थान का त्विचगीयर परीक्षण और विकास केन्द्र तो भोपाल में है, परन्तु इसका मुख्य परिसर (काम्पलेक्स) और प्रयोगशालाएं बंगलूर में हैं।

विभिन्न राज्य विजली बोर्डों और अन्य सेवा-संगठनों ने विजली क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने और संचालन सम्बन्धी समस्याएं हल करने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं। केन्द्रीय सिंचाई और विजली बोर्डों विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों अनुसंधान गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है और उनके अध्ययनों के परिणामों की जानकारी राज्य विजली बोर्डों और अन्य संगठनों तक पहुंचाता है। इन अध्ययनों के लिए आर्थिक सहायता विजली विभाग अनुदान सहायता के रूप में देता है। केन्द्रीय सिंचाई और विजली बोर्ड सी० आई० जी० आर० ई०<sup>1</sup> के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में भी काम करता है।

## कोयला

कोयला भारत में ऊर्जा का प्राथमिक साधन माना जाता है और जीवावशेष ईंधन की कमी तथा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण

1 कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल डेस प्रेन्ड्स रेसलाकम इलेक्ट्रीकलवर्स।

होने की आशा है। देश में बिजली की जरूरतें काफी हद तक कोयले के इस्तेमाल से बिजली तैयार करके ही पूरी की जा रही हैं।

### उत्पादन

उपभोक्ता क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 1980-81 से पूर्व कुछ वर्षों तक कोयले का उत्पादन लगभग 10 करोड़ टन स्थिर रहने के बाद 1980-81 में इस के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। 1980-81 में कुल उत्पादन 11.4 करोड़ टन हुआ। अगले वर्षों में भी उत्पादन बढ़ाने की गति बनाए रखी गई तथा 1983-84 में देश में कोयले का उत्पादन बढ़कर 13.82 करोड़ टन के स्तर तक पहुंच गया। उत्पादन में यह वृद्धि खुली खानों के तेजी से विकास पर लगातार बल देने तथा जहां भी सम्भव हुआ भूमिगत खानों में मशीनीकरण लागू करने के कारण हुई। 1985-86 में 15.42 करोड़ रुपये टन कोयले का उत्पादन हुआ, जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 4.6 प्रतिशत अधिक है।

### परियोजना और आयोजना

सरकार ने 1985-86 में कुल 3.92 करोड़ टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की 16 कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर कुल पूंजीगत लागत करीब 1661.69 करोड़ रुपये आएगी। इन 16 परियोजनाओं में से 12 नई हैं, तीन की लागत का फिर से अनुमान लगाया गया है और एक के लिए अग्रिम कार्य प्रस्ताव है।

### संसाधन

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा किए गए नवीनतम (जून 1985) सर्वेक्षण के अनुसार देश में 1200 मीटर गहराई तक 0.5 मीटर की परतों के 15,590.178 करोड़ टन कोयले का भण्डार होने का अनुमान है।

### खनन

कोयला निकालने का काम सबसे पहले 1774 में पश्चिम बंगाल में रानीगंज में प्रारम्भ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् कोयले की खुदाई में तेजी आई और इसका उत्पादन 1950 में 3 करोड़ 20 लाख टन से बढ़ कर 1985-86 में 15 करोड़ 42 लाख टन से अधिक हो गया।

सरकार ने 1972 में कोकिंग कोयले की खानों का और 1973 में गैर-कोकिंग कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस प्रकार देश में कोयले का उत्पादन अब लगभग पूरी तरह सरकारी क्षेत्र में है। जिस एक खान का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, वह एक बड़ी गैर-सरकारी इस्पात कंपनी की अपनी कोयला खान है।

सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन मुख्य रूप से कोल इंडिया लि० अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से करता है। कोल इंडिया लि० की स्थापना 1975 में नियंत्रक कंपनी के रूप में की गई और इसकी पांच सहायक कंपनियां बनाई गई, जिनके नाम हैं—भारत कोकिंग कोल लि०, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०।

प्रबन्ध कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से चार कोयला उत्पादक कम्पनियों को दो या तीन डिवीजनों में बांटा गया है। पूर्वोत्तर कोयला क्षेत्र (नाथे ट्रैस्टने कोल फील्ड्स) को, जिसमें अरम और पड़ौसी क्षेत्रों की कोयला खानें शामिल हैं, एक अलग डिवीजन का रूप दिया गया और इसे कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन कर दिया गया।

सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को पूंजी लागत और उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव के दृष्टिकोण तथा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जिसमें ये कम्पनियाँ कार्यरत हैं, एवं तकनीकी तथा संसार संबंधी समस्याओं को ध्यान में रख कर दो नई कम्पनियाँ कोल इंडिया की महापंक: कम्पनियों के रूप में खोली गईं। इनमें से एक कम्पनी नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में सिवारीली में है और दूसरी कम्पनी है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में विधानपुर में है। इन दोनों कम्पनियों को 28 नवम्बर, 1985 से कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्गमित कर दिया गया है।

कोल इण्डिया लिमिटेड की कुल अग्रिकृत पूंजी 50 अरब रुपये है। निगम की कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, जो केन्द्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, भी कोयले के उत्पादन में लगी है। आंध्र प्रदेश की सारी खानें इसी के अधीन हैं और यह केवल गैर-कोकिंग कोयला निकालती है। दक्षिण भारत में कोयले की जल्दतः मुहयतः यही कम्पनी पूरी करती है।

**कोयले की सफाई करने के कारखाने**

एक गैर-कोकिंग कोयले की सफाई करने वाले कारखाने सहित कोयले की सफाई करने वाले 20 कारखाने इस समय देश में कार्य कर रहे हैं, जिनकी कुल क्षमता 333.6 लाख टन प्रति वर्ष है। इस समय कोयले की सफाई वाले 4 कारखाने निर्माणाधीन हैं जिनमें से तीन मध्यम दर्जे के कोकिंग कोयले तथा एक गैर-कोकिंग कोयले की सफाई के लिए हैं। मधुबन्द (बिहार) में एक नये कोयले की सफाई करने के कारखाने की परियोजना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

**संरक्षण**

कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा का काम स्वयं कोयला कंपनियाँ देखती हैं और इसके लिए कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत गठित कोयला संरक्षण और विकास परामर्श समिति उनका मार्गदर्शन करती है।

**कल्याण**

कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण कार्यों को भी कोयला उद्योग प्राथमिकता देता है। 1985-86 में मजदूर कल्याण पर 102 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है जबकि यह खर्च 1981-82 में 42.82 करोड़ रुपये का था। इसके अतिरिक्त कोयला खान कल्याण संगठन ने भी 12 करोड़ रुपये खर्च किए, जिनके कल्याण कार्य कोयला कम्पनियों के कल्याण कार्यों के अतिरिक्त होने हैं। कल्याण कार्यों जैसे मकान निर्माण, पानी की आपूर्ति, विविधता सुविधाएँ, पिपरा तथा मनोरंजन सुविधाएँ आदि अतिरिक्त



कल्याण कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है। राष्ट्रीयकरण के समय मकानों की सुविधा 20 प्रतिशत कोयला मजदूरों को उपलब्ध थी, जो बढ़कर अब लगभग 43 प्रतिशत कोयला मजदूरों को प्राप्त है। राष्ट्रीयकरण के समय 2,27,000 कोयला मजदूरों को साफ पानी उपलब्ध था, जो अब बढ़कर 16 लाख कोयला मजदूरों को उपलब्ध है। इस समय इनकी चिकित्सा के लिए 444 औपघालय तथा 65 अस्पताल हैं, जिनमें विशेषज्ञों सहित 973 डॉक्टर हैं। कल्याण गतिविधियों में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से समूचे कोयला खान कल्याण संगठन का 1 अक्टूबर, 1986 से कोल इण्डिया लिमिटेड में विलय कर दिया गया है।

## सुरक्षा

कोयला कम्पनियों कोयला खानों पर सुरक्षा समिति की सिफारिशों, खानों में सुरक्षा पर विभिन्न सम्मेलनों तथा बड़ी खान दुर्घटनाओं की जांच के लिए नियुक्त जांच न्यायालय की सिफारिशों के क्रियान्वयन को गहनता से मॉनीटर करती है। कोल इण्डिया लिमिटेड के मुख्यालय के सुरक्षा बॉर्ड को सुरक्षा के मामले में नीतियां बनाने तथा उसके कार्यान्वयन को मॉनीटर करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। कोयला खानों में सुरक्षा मानक तथा नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए कोयला खानों में सुरक्षा पर तदर्थ समिति भी कार्य कर रही है।

लगातार कोशिशों के परिणामस्वरूप खानों में गम्भीर चोटों तथा मृत्यु दर, संख्या में तथा प्रति 10 लाख टन उत्पादन की दर से, काफी कम हो गई है। सुरक्षा समिति ने कोयला खानों में 1983 तक प्रति 10 लाख टन उत्पादन पर मृत्यु दर कम करके 2 तथा 1992 तक 1 करने की सिफारिश की है। परन्तु 1985 में ही मृत्यु दर 1.09 कर दी गई है। इसी प्रकार कोयला खानों पर सुरक्षा समिति ने प्रति 10 लाख टन उत्पादन पर गम्भीर चोटों की दर कम करके 1980 तक 15 तथा 1987 तक 12 करने की सिफारिश की है, परन्तु 1985 में ही यह दर कम करके 4.04 कर दी गई है।

## भूरा कोयला

भूरा कोयला (लिग्नाइट) यद्यपि केलोरीफिक की दृष्टि से सामान्य कोयले से घटिया है (एक टन गोंडवाना कोयला 2 टन लिग्नाइट के बराबर है) परन्तु इसके भण्डारों की भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिणी क्षेत्रों के लिए इस खनिज का बहुत महत्व है। इस क्षेत्र में कोयले की भी कमी है।

## नेवेली लिग्नाइट निगम

केन्द्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला नेवेली लिग्नाइट निगम, कोयला विभाग की प्रशासनिक देख-रेख में काम करता है। यह कम्पनी नवम्बर 1956 में पंजीकृत की गई। इसका उद्देश्य एक समन्वित परियोजना को अपने हाथ में लेना; उसे क्रियान्वित करना और उसका प्रबन्ध संभालना था। इस परियोजना में एक खुली लिग्नाइट खान (वार्षिक क्षमता 65 लाख टन), 600 मेगावाट क्षमता

का लिग्नाइट ताप बिजलीघर, पूरिया तैयार (1.52 लाख टन प्रति वर्ष) करने वाला एक उर्वरक कारखाना, एक बिकयोटिंग और कार्बन संयंत्र (4.36 लाख टन प्रति वर्ष) तथा मिट्टी साफ करने का संयंत्र (6,000 टन प्रति वर्ष) शामिल है। 1986-87 में लिग्नाइट उत्पादन का लक्ष्य 76 लाख टन रखा गया है।

तमिलनाडु में दक्षिण अर्काट जिले में नेवेली में 3 घरव 30 करोड़ टन लिग्नाइट का भण्डार ही दक्षिण में पृथ्वी के नीचे मिलने वाले ईंधन का एकमात्र स्रोत है। वहाँ लिग्नाइट का सबसे पहले अगस्त 1961 में पता चला और मई 1962 से नियमित उत्पादन प्रारम्भ हो गया। निगम की अधिकृत पूंजी 1,140 करोड़ रुपये है।

दक्षिणी क्षेत्रों में बिजली की कमी दूर करने के लिए सरकार ने फरवरी 1978 में 144.77 करोड़ रुपये की लागत की 47 लाख टन लिग्नाइट की वार्षिक क्षमता की दूसरी खान तथा 213.98 करोड़ रुपये की लागत के 630 मेगावाट (3×210) क्षमता के दूसरे ताप बिजलीघर की मंजूरी दी। फरवरी 1983 में सरकार ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः 270.79 करोड़ रुपये और 483.42 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान मंजूर किए।

सरकार ने 334.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दूसरी खान की क्षमता 47 लाख टन से बढ़ाकर 1 करोड़ 5 लाख टन करने, 638.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दूसरे बिजलीघर की क्षमता 630 मेगावाट से 1470 मेगावाट करने तथा 87.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 400 के० वी० ट्रांसमिशन प्रणाली चरण-I की विस्तार योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

## तेल

पेट्रोलियम उद्योग ने भारत में स्वतन्त्रता के बाद ही तरक्की करना शुरू किया। 1950-51 में देश में तेल का उत्पादन लगभग 2.5 लाख टन और खपत 31 लाख टन थी, जबकि 1984-85 में उत्पादन 2.90 करोड़ टन हुआ और खपत करीब 3.88 करोड़ टन हुई। 1984-85 में देश की जरूरतें पूरी करने के लिए लगभग 1.36 करोड़ टन खनिज तेल और 60.92 लाख टन पेट्रोलियम पदार्थों का आयात किया गया। इसी अवधि में 64.8 लाख टन खनिज तेल तथा 9.33 लाख टन पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात किया गया। इस अवधि में खनिज तेल का कुल आयात 71.64 लाख टन और पेट्रोलियम पदार्थों का कुल आयात 51.6 लाख टन हुआ। इस पूरे वर्ष के दौरान 3.56 करोड़ टन तेल का शोधन किया गया।

भारत में तेल उद्योग के तीन मुख्य अंग हैं : (1) तेल की खोज और उत्पादन; (2) तेलशोधन तथा बियरिंग; और (3) पेट्रोसायन तथा अनुप्रवाह एकक।

## तेल की खोज और उत्पादन

भारत में तेल की खोज तथा उत्पादन नियोजित और व्यापक ढंग से 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद ही प्रारम्भ हुआ । 1981 में सरकार द्वारा वर्मा आयल कम्पनी के शेयर खरीद लेने के फलस्वरूप आयल इंडिया लि० देश में तेल का अन्वेषण और उत्पादन करने वाला दूसरा सार्वजनिक उपक्रम बना । आयल इंडिया ने पूर्वी क्षेत्रों, जहाँ वह तेल की खोज में संलग्न थी, के अलावा अब महानदी थाले में, राजस्थान के कुछ भागों में तथा अंदाजान में अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० के प्रयासों में सहायता के रूप में, देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए कुछ प्रतिष्ठित विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का निश्चय किया गया । सौराष्ट्र, केरल-कोंकण, कावेरी, पलार, [कुष्णा-गोदावरी और महानदी के छः थालों के 27 क्षेत्रों पर तेल खुदाई के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया गया है । तेल के उत्पादन में स्वदेशी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये, तेल-खोज और खुदाई के काम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत की सार्वजनिक और निजी कंपनियों को विदेशों की प्रतिष्ठित कंपनियों से सहयोग करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

तेल की खोज और उत्पादन की दिशा में प्रयास बढ़ाने के अच्छे परिणाम मिले हैं और खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है । छठी योजना के प्रारम्भ में, देश में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन 105.1 लाख टन था, जो छठी योजना के अंतिम वर्ष 1984-85 में बढ़कर 290 लाख टन हो गया । इस प्रकार छठी योजनावधि के दौरान तेल का उत्पादन तीन गुना हो गया । 1985-86 में तेल का उत्पादन 301.4 लाख टन हुआ ।

खनिज तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी बढ़ गया है । 1985-86 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लि० ने 495 करोड़ घन मीटर गैस सप्लाई की, जबकि 1984-85 में 414 करोड़ घन मीटर गैस सप्लाई की गई थी । 1986-87 के लिए गैस सप्लाई का लक्ष्य 468 करोड़ घन मीटर है । दक्षिण थालों जैसे नये गैस क्षेत्रों का पता लगाने और तेल का उत्पादन बढ़ने से अगले कुछ वर्षों में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाने और उन्हें बढ़ाने पर जोर दिया गया है और योजनावधि में 79 करोड़ 80 लाख टन तेल के प्रारंभिक भूगर्भीय भंडारों का पता लगाना संभव हो सका है । असम क्षेत्र में स्थिति खराब होने के कारण, देसी रिगों और समुद्रतटीय प्लेट-फार्मों के मिलने में देरी होने की वजह से और उड़ीसा, राजस्थान तथा अंदाजान आदि में, कुछ कुंओं में उत्पादन-परीक्षण की सुविधाओं की कमी और अन्य परेशानियों के कारण तेल की खुदाई और अन्य कार्यों में प्रगति कम हो गई थी ।

**तेलशोधक कारखाने** इस समय 12 तेलशोधक कारखाने हैं और ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इनमें 1984-85 में 3.56 करोड़ टन तेल साफ किया गया इनमें मथुरा तेलशोधक कारखाना भी शामिल है, जो मई 1983 में पूर्ण रूप से चालू हुआ।

1976 में सरकार ने ट्राम्बे में बर्मा शेल रिफाइनरी और विशाखापत्तनम में कालर्टवस रिफाइनरी तथा इन दोनों की सहायक संस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया। मई 1978 में बर्मा शेल का नया नाम भारत पेट्रोलियम निगम रखा गया और कालर्टवस रिफाइनरी को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम में मिला दिया गया। गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, हल्दिया, डिगबोई और मथुरा तेल शोधक कारखाने भारतीय तेल निगम के अधीन हैं, जबकि मद्रास तथा कोचीन के तेलशोधक कारखाने (संयुक्त क्षेत्र की) कम्पनियों के अधीन हैं। अन्तिम चार वर्षों के दौरान सभी तेलशोधक कारखानों का उत्पादन, वर्तमान क्षमता और उनके वास्तविक काम का ब्यौरा सारणी 19.1 में दिया गया है।

1981-82 में 60 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक नया तेलशोधक कारखाना मथुरा में स्थापित किया गया, जिससे तेलशोधक क्षमता बढ़कर 378 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई। छठी योजना अवधि में विभिन्न विस्तार परियोजनाओं के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप 1 मई 1985 तक कुल तेलशोधन क्षमता बढ़कर 4 करोड़ 55 लाख टन हो गई थी। इससे मध्यम दर्जे के शोधित तेल उत्पाद, जैसे मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल आदि की उपलब्धता में सुधार हुआ।

सरकार ने हरियाणा में करनाल में 60 लाख टन क्षमता का तेलशोधक कारखाना लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है लेकिन सरकार का विचार है कि यह कारखाना और मंगलौर का प्रस्तावित तेलशोधक कारखाना संयुक्त क्षेत्र में बनाया जाए।

#### कोचीन तेलशोधक कारखाना

यह कारखाना सितम्बर 1963 में स्थापित किया गया और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 25 लाख टन थी, परन्तु अगस्त 1973 में कारखाने के विस्तार के बाद उत्पादन क्षमता 33 लाख टन हो गई। और 1984-85 में इस विस्तार योजना के पूरा होने से उत्पादन क्षमता बढ़कर 45 लाख टन हो गई।

#### मद्रास तेलशोधक कारखाना

यह कम्पनी दिसम्बर 1975 में स्थापित की गई थी और इसकी अधिकृत पूंजी 13.50 करोड़ रुपये थी। यह कंपनी भारत सरकार, नेशनल इंडियन प्रायल कंपनी और अमरीका की ए० एम० ओ० सी० एम० इंडिया (इंक) के बीच समझौते के फलस्वरूप बनाई गई। इस कारखाने की वार्षिक क्षमता 58 लाख टन तक पहुंच गई है।

उत्पादन और क्षमता

संश्लेषण 19.1 तेलसौधक कारखानों की क्षमता और उत्पादन तेल की वास्तविक सफाई (लाख टन में)

1981-82 1982-83 1983-84 1984-85

वर्ष से क्षमता  
उत्पादन शुरू (लाख टन) 5.31 33.20 54.81 12.49 7.61 28.96 77.77 8.72 34.13 23.65 7.52 62.39

तेल सौधक कारखानों का नाम

वर्ष	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1. आई.ओ.सी., डिगवोई	5.0	5.2	5.49	5.31
2. एच.पी.सी.एल., बम्बई	35.0 <sup>1</sup>	31.2	33.08	33.20
3. बी.पी.सी.एल., बम्बई	60.0	44.8	52.58	54.81
4. एच.पी.सी.एल., गुवाहाटी	45.0	10.8	10.93	12.49
5. आई.ओ.सी., वरीनी	8.5	8.0	8.71	7.61
6. आई.ओ.सी., कोयली	33.0	30.7	29.07	28.96
7. आई.ओ.सी., कोच्चिन	73.0	70.9	73.31	77.77
8. सी.आर.एल., मद्रास	45.0	31.8	28.47	8.72
9. एम.आर.एल., हदिया	56.0	28.6	26.47	34.13
10. आई.ओ.सी., असम	25.0	25.0	25.80	23.65
11. बी.आर.पी.एल., मधुरा	10.0	4.5	6.49	7.52
12. आई.ओ.सी., मधुरा	60.0	38.4	52.23	62.39

1. इसमें 20 लाख टन अस्थायी क्षमता शामिल नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण  
योजनाएं

तेलशोधक कारखाने ऊर्जा संरक्षण योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं जिनमें (1) भट्टियों की मरम्मत/प्रतिस्थापना; (2) बायलरों का प्रतिस्थापन; (3) एमर प्रोहीटरो/इकोनोमाइजरो की संख्या बढ़ाना; तथा (4) हीट एक्सचेंजरो की संख्या बढ़ाना शामिल है।

जब यह 1987 में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तो इससे करोड़ों रुपये के ईंधन की बचत होगी। छठी योजना के दौरान तेलशोधक कारखानों ने 15.99 करोड़ टन तेल परिष्कृत किया। इस समय के दौरान कुल क्षमता का उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक रहा।

## पाइप लाइन

1964-65 से पहले नहोरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी और गुवाहाटी तेलशोधक कारखानों तक खनिज तेल पहुंचाने के लिए एक पाइप लाइन बनाई गई थी। उसके बाद से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने की अनेक पाइप लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। ये हैं:—गुवाहाटी-सिलीगुड़ी, कोयाली-अहमदाबाद, बरौनी-कानपुर और हल्दिया-मोरीग्राम राजबंध पाइप लाइनें। गुजरात के तेल क्षेत्रों से कोयाली तेलशोधक कारखाने तक खनिज तेल पहुंचाने के लिए भी पाइप लाइनें बिछी हुई हैं।

खनिज तेल की 1,075 किलोमीटर लम्बी एक पाइप लाइन सत्ताया से मयुरा बरास्ता वीरमगाम, भारतीय तेल निगम ने बिछाई। इसकी एक शाखा मयुरा से कोयाली तक बनाई गई। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दिल्ली और चम्पाला होकर जाने वाली एक पाइप लाइन मयुरा से जालन्धर तक बिछाने का काम तीन चरणों में दिसम्बर 1982 में पूरा हुआ।

बम्बई से पुणे तक पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने की पाइप लाइन बिछाने का काम अब पूरा हो चुका है। इसका उद्देश्य पुणे, मिराज, शोलापुर, गुलबर्गा, बीजापुर, रायचूर और सिकन्दराबाद की जरूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ बम्बई तेलशोधक कारखाने से पुणे तक से जाना है।

## निगम

## भारतीय तेल निगम

भारतीय तेल निगम की स्थापना 1 सितम्बर 1964 को इंडियन रिफाइनरीज लि० (स्थापित 1958) के साथ इंडियन प्रायल कंपनी (स्थापित 1959) को सम्मिलित करके की गई। निगम के तीन प्रभाग हैं:— 1. विपणन प्रभाग, मुख्यालय बम्बई; 2. तेलशोधक और पाइप लाइन प्रभाग; मुख्यालय दिल्ली; और 3. भ्रमण तेल प्रभाग, मुख्यालय डिगबोई।

भारतीय तेल निगम का अनुसंधान और विकास केन्द्र फरीदाबाद; हरियाणा में है। यह केन्द्र तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है तथा चिकनाई वाला आधुनिक तेल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह केन्द्र स्थायी महत्व के वैकल्पिक ईंधन तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाने का भी काम कर रहा है।

1984-85 में तेल उद्योग की कुल विक्री में 59.2 प्रतिशत हिस्सा भारतीय तेल निगम का था। 31 मार्च 1985 को निगम की देश में खाना पकाने की गैस की 1038 एजेंसियां, पेट्रोल और डीजल के 4,996 खुदरा विक्री केन्द्र और मिट्टी के तेल/लाइट डीजल की 2,681 एजेंसियां थीं।

### भारत पेट्रो- लियम निगम

जनवरी 1976 में दो बर्मा शेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद बर्मा शेल रिफाइनरीज का नाम बदलकर 12 फरवरी 1976 से भारत रिफाइनरीज लि० कर दिया गया। यह देखते हुए कि कंपनी तेलशोधन और विपणन दोनों काम संभालती है, 1 अगस्त 1977 को इसका नाम भारत पेट्रोलियम निगम रख दिया गया।

कंपनी के मुख्य कार्य ऊर्जा और गैर-ऊर्जा दोनों प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादों का कुशल वितरण तथा विपणन हैं। इसके अतिरिक्त निगम पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में कुछ शोधन धाराओं को मूलभूत माल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के प्रयास कर रहा है।

1984-85 में उद्योग की कुल विक्री में भारत पेट्रोलियम निगम का योगदान 18.2 प्रतिशत था। 31 मार्च 1985 को इसकी खाना पकाने की गैस की 409 एजेंसियां, पेट्रोल और डीजल के 3,486 खुदरा विक्री केन्द्र और मिट्टी के तेल की 809 एजेंसियां थीं।

### हिन्दुस्तान पेट्रो- लियम निगम

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम अमरीकी कम्पनी एस्सो ईस्टर्न के राष्ट्रीयकरण के कारण 15 जुलाई 1974 को अस्तित्व में आया। सरकार ने 31 दिसम्बर 1976 को कालटेक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लि० को भी अपने हाथ में ले लिया और उसे इसी निगम में शामिल कर दिया।

इस निगम के मुख्य कार्य हैं: खनिज तेल शोधन, चिकनाई वाले तेलों का उत्पादन, चिकनाने वाले पदार्थों, ग्रीस और पेट्रोलियम उत्पादों और सम्बन्धित सहायक पदार्थों का उत्पादन व मिश्रण तथा देश भर में खाना पकाने की गैस की विक्री।

1984-85 में उद्योग की कुल विक्री में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम का हिस्सा 18.0 प्रतिशत रहा। 31 मार्च 1985 को निगम की खाना पकाने की गैस की 776 एजेंसियां तथा पेट्रोल और डीजल की खुदरा विक्री के 3,503 केन्द्र थे।

### संगठन/उपक्रम

इंजीनियर्स इंडिया लि० की स्थापना 1965 में हुई और यह 1967 में पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाला संस्थान बन गया। यह कम्पनी सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के संगठनों को पेट्रोलियम शोधन, पाइपलाइन, पेट्रो-रसायन, उर्वरक, रसायन, सीमेंट, कागज, बिजली, अलौह धातु संयंत्र, समुद्र इंजीनियरी तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्र में तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिष्ठान प्रक्रिया, डिजाइन एवं विकास, संयंत्र को चालू करने और उसका संचालन करने, ताप तथा पिण्ड स्थानान्तरण उपकरण,

पर्यावरण अभियंत्रिणी आयोजना, लागत इंजीनियरी, और सामग्री खपत संबंधी समस्याओं तथा निरीक्षण, परिवहन और सीमा शुल्क के निपटारे के बारे में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना है। कम्पनी के पास अपनी अलग कम्प्यूटर प्रणाली है और वह विभिन्न संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के आधार पर सेवाएं प्रदान कर रही है।

भारत सरकार तथा अमरीकी कम्पनी लुब्रीजोल कार्पोरेशन के बीच दिसम्बर 1965 में हुए समझौते के अनुसार जुलाई 1966 में लुब्रीजोल इन्डिया को खोलना हुई। यह कम्पनी पेट्रोलियम आधारित इंजनों के तेलों योगशील रसायन तथा आधारभूत क्षेत्रों में काम करने वाले स्नेहक (लुब्रिकेंट) बनाती है। यह कम्पनी कुछ प्रमुख मध्यवर्ती पदार्थों का देश में ही निर्माण करती है और हम बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इनके लिए उत्तरोत्तर अधिक स्वदेशी कच्चा माल इस्तेमाल किया जाए।

आई० बी० पी० कम्पनी लि० भारतीय तेल निगम से खरीदे पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करती है तथा इसके तीन और प्रभाग भी हैं। ये हैं इंजीनियरी प्रभाग, तेल प्रभाग और रसायन प्रभाग। पहले प्रभाग में थ्रॉ-कट्टेनर जैसी उच्च निर्वात बम्बुए तैयार होती हैं, दूसरा प्रभाग औद्योगिक विस्फोटक बनाता है।

बालमोर लारो एण्ड कम्पनी लि० जो कि आई० बी० पी० की सहायक कम्पनी है, विक्रान्त बाली ग्रीम और ल्यूब बैरल का उत्पादन, चाय का निर्माण तथा पत्रेण्ड व्यवसाय करती है।

बीको लारो लिमिटेड का मुख्य काम विजनों की मोटरों और स्विचगियर उपकरणों के उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ रॉटेटिंग मशीनों को मरम्मत करना है।

इण्डियन आयल ज्यैटिंग लि० पूर्ण तरह सरकारी कम्पनी है तथा यह भारतीय तेल निगम लि० की सहायक कम्पनी है। यह स्नेहकों को मिश्रित करती है।

#### भारतीय गैस प्राधिकरण

पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन सरकारी प्रतिष्ठान, भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना 16 अगस्त 1984 को 5 अरब रुपये की अधिभुक्त पूंजी से की गई। इस कंपनी का मुख्य कार्य सभी तरह की प्राकृतिक गैस की बिक्री-व्यवस्था करना और उसे तैयार करके उसका श्रेणीकरण और लाने-ले जाने की व्यवस्था करना है। भारतीय गैस प्राधिकरण अब हजौरा गैस पाइप लाइन परियोजना को लागू कर रहा है जिसकी अनुमानित लागत 17 अरब 17 लाख रुपये है। इस परियोजना के अन्तर्गत गुजरात में हजौरा से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के रास्ते छः टर्बोक कारखानों (उत्तर प्रदेश में चार और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में एक-एक) की गैस की जरूरतें पूरी करने और पाइप लाइन के माध्यम बचने वाले तीन बिजलीघरों में से दो (राजस्थान में भंडा में और उत्तर प्रदेश में औरंगा में) की गैस संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए 1,730-



किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बनाने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। पाइप लाइन की प्रारम्भिक क्षमता 1 करोड़ 82 लाख घनमीटर गैस प्रतिदिन सप्लाई करने की है।

इस परियोजना के जुलाई 1989 में पूरी हो जाने की आशा है।

## अनुसंधान और विकास

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तीन अनुसन्धान संस्थान बनाए हैं। ये हैं: केशवदेव मालवीय पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान, खुदाई टेक्नोलॉजी संस्थान तथा भण्डारण अध्ययन संस्थान।

देहरादून में 1963 में स्थापित केशवदेव मालवीय पेट्रोलियम अन्वेषण संस्थान पेट्रोलियम भूविज्ञान, अन्वेषण भूभौतिकी, वेल-लार्गिंग तकनीक तथा अन्य सम्बन्धित विषयों में अनुसन्धान करता है।

खुदाई टेक्नोलॉजी संस्थान भी देहरादून में है और यह तेल की खुदाई के काम को तेज करने, अधिक सुरक्षित तथा कम खर्चीला बनाने के उपायों के लिए अनुसन्धान करता है। यह खुदाई के तरल पदार्थों और कीचड़-योगशील पदार्थों की क्षमता सुधारने के लिए खुदाई तकनीकों विकसित करता है।

अहमदाबाद स्थित भण्डारण अध्ययन संस्थान, भण्डारण इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसन्धान करता है। अहमदाबाद में इसकी 15 मुख्य प्रयोगशालाएं, एक विकास दल तथा एक भण्डारण निर्माण दल तथा देहरादून में एक क्षेत्र विकास दल है।

इन संस्थानों के अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इंजीनियरिंग और समुद्र टेक्नोलॉजी तथा उत्पादन टेक्नोलॉजी संस्थान नामक दो और संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का देहरादून में एक कम्प्यूटर केन्द्र है, जो भूकम्प संवंधी आंकड़ों का विश्लेषण करता है।

## ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत

तेजी से समाप्त हो रहे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों के पूरक रूप में तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने ऊर्जा के नये तथा चार-चार इस्तेमाल हो सकने वाले साधनों के विकास तथा प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी है। सम्पूर्ण विश्व में ऊर्जा के आयोगक और वैज्ञानिक विकेन्द्रीकरण ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के सन्दर्भ में विचार कर रहे हैं। भारत ने भी इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए और यहां 12 मार्च 1981 को ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों का आयोग तथा 6 सितम्बर 1982 को ऊर्जा मंत्रालय में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग बनाया गया। ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों का आयोग नीतियां तथा कार्यक्रम बनाता है जबकि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग ऊर्जा मंत्रालय का ही एक अंग है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने अनुसन्धान तथा विकास से संबद्ध बहुत सी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के साय-साय नये तथा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के निरूपण और विस्तार सेवाओं को क्रियान्वित करने, भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में नाम कमाया है।

इस विभाग ने, जो ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों के प्रयोग के सचिवालय के रूप में कार्य भी करता है, चण्डीगढ़, हैदराबाद, भोपाल ग्रहभदाबाद तथा तखनऊ में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। गुवाहाटी में जल्दी ही एक और क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। गोवर गैस कार्यक्रम की प्रगति पर निगाह रखने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में निगरानी यूनिट खोले जा रहे हैं। योजनावधि (1985-90) में भी और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजना है।

विभाग की स्थापना के थोड़े से समय में ही ऊर्जा के नये और बार-बार इस्तेमाल हो सकने वाले स्रोतों तथा उपकरणों का विकास करने और उनका उपयोग करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। यह इसी तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि प्रदर्शन और व्यावसायीकरण के लिए अब विभिन्न तकनीकों और प्रणालियों उपलब्ध हैं।

देश में आज 120 से भी अधिक उत्पादक विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों तथा उपकरणों के उत्पादन तथा विकास में लगे हैं। सैकड़ों सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों, निजी संस्थानों तथा व्यक्तियों ने जल तापन प्रणालियों, पवन चक्कियों, फोटोवोल्टाइक लाइट तथा पंप, उन्नत चूल्हे तथा वायोगैस संयंत्र अपनाए हैं। इन उपकरणों में उन्नत चूल्हे, सौर ऊर्जा के कुकर, वायोगैस संयंत्र, पानी के पंप अधिक लोकप्रिय हैं। ऐसा अनुमान है कि इस शताब्दी के अंत तक ऊर्जा की कुल मांग की 20 प्रतिशत आपूर्ति ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों से की जा सकेगी।

वायोगैस विकास

वायोगैस नवीकरणीय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वायोगैस संयंत्र का एक उप-उत्पाद है—परिष्कृत खाद। इसके अन्य लाभ हैं—इंधन के लिए पेट्रॉ की अन्धाधुंध कटाई में कमी, स्वच्छता की स्थिति में सुधार, ग्रामीण महिलाओं में नेत्र-रोगों की कमी और भोजन पकाने में आसानी। वायोगैस की एक विशेषता यह है कि यह कई तरह के काम भा सकती है। इससे खाना पकाया जा सकता है, रोशनी की जा सकती है और ऊर्जा पैदा की जा सकती है।

1985-86 के लिए विभाग ने 1.50 लाख वायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा था जबकि 1.93 लाख संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इन संयंत्रों से हर साल 6.5 लाख टन लकड़ी की बचत होगी तथा इंधन और उर्वरक के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था को सालाना 54 करोड़ रुपये का लाभ होगा। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वायोगैस संयंत्र लगाना चाहते हैं, उन्हें सहायता देने के लिए राज्यों के पास केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध हैं। धराय संयंत्रों की भरपूर, संयंत्र लगने के बाद उसकी देखभाल और मानीटीरण की क्रियाविधि तथा इन्हें उपयोग में लाने वालों की प्रशिक्षण देना भी इस योजना का एक अंग है। अनुसन्धान विकास और प्रदर्शन के फलस्वरूप गोवर गैस संयंत्रों के पुराने

भारत 1986

माँडलों के अलावा नये से नये मॉडल तैयार हो रहे हैं। इनमें इस्तेमाल के लिए कई अन्य पदार्थों को शामिल किया गया है। शौचालयों से प्राप्त कच्चे सामान पर आधारित गोबर गैस संयंत्र भी लोकप्रिय हो रहे हैं। कोयम्बटूर और उदयपुर स्थित क्षेत्रीय वायोगैस केन्द्र वायोगैस कार्यक्रमों के लिए तकनीकी योग्यता तैयार करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। स्थान-विशेष के प्रचालन, अनुसन्धान/क्षेत्रीय कार्य; प्रचार एवं प्रसार सामग्री तैयार करना और प्रदर्शनी तथा गोष्ठियों का आयोजन भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है।

31 मार्च 1986 को भारत में परिवारनुमा वायोगैसों की कुल संख्या 6.10 लाख थी। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 25 लाख टन ईंधन की लकड़ी की बचत हो सकेगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग एक अरब रुपये है और इनसे प्रतिवर्ष 1 करोड़ 20 लाख टन उर्वरक का उत्पादन होगा, जिसका मूल्य भी करीब एक अरब रुपये ही होगा।

पशुओं के गोबर, औद्योगिक मलनिष्ठाव और मल पर आधारित बड़े आकार के सामुदायिक एवं संस्थागत वायोगैस संयंत्र भी बनाए जा रहे हैं। 31 मार्च 1986 तक 173 संयंत्र लगाए जा चुके थे। 100 एम<sup>3</sup> की औसतन क्षमता वाली प्रत्येक प्रणाली प्रति वर्ष 31,000 टन गैस तथा 107 टन उर्वरक उत्पन्न करेगी।

खाना पकाने के लिए ऊर्जा

हमारे देश के गांवों में ऊर्जा का सर्वाधिक इस्तेमाल भोजन पकाने के लिए होता है। खाना पकाने का परम्परागत साधन चूल्हा है जिसमें लकड़ी, फसलों की वेकार चीजें तथा गोबर जलाया जाता है। परन्तु इसका उपयोग अत्यधिक अकुशल तरीके से किया जाता है। परम्परागत चूल्हे की ऊर्जा क्षमता बहुत कम, केवल दो से बारह प्रतिशत है। इससे धुआँ निकलता है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसके अतिरिक्त चूल्हे को एकत्र करने में महिलाओं तथा बच्चों का समय भी बहुत व्यर्थ जाता है। परिणामस्वरूप उपलब्ध समय तथा साधनों की हानि होती है। इसलिए इस विभाग द्वारा दिसम्बर 1983 से ग्रामीण महिलाओं की मुसीबतों और मेहनत को दूर करने तथा पर्यावरण-सुधार के लिए और ईंधन-लकड़ी की बचत का सबसे सस्तर और श्रेष्ठ उपाय राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम चलाया।

उन्नत चूल्हा कार्यक्रम को हर तरफ से व्यापक समर्थन एवं अनुकूल प्रति मिली। इसकी क्षमता को देखते हुए निर्माण तथा ग्रहणी विकास नि 1985-86 के दौरान एक लाख उन्नत चूल्हों का निर्माण/प्रस्थापन स्वीकार किया है और उसने यह भी निर्णय किया है कि भविष्य में वह निर्माण के लिए अग्रिम राशि तभी देगा यदि उसके डिजाइन में उन्नत चूल्हा शा 31 मार्च 1986 की परियोजना अवधि में सारे देश 10 लाख चूल्हों की स्थापना की गई जबकि इस अवधि में लक्ष्य 10 लाख का था। चूल्हे बनाने के लिए 80,000 व्यक्तियों का एक

कार्यदल बनाया गया, जितने अधिकारीगत: महिलाएँ थीं। देश में इन समय करीब 20 लाख उन्नत किस्म के चूल्हे काम कर रहे हैं। इन चूल्हों से प्रतिवर्ष लगभग 17 लाख टन ईंधन की लकड़ी को बचत होती है, जिनका मूल्य 66 करोड़ रुपये है। उनकी कार्य-क्षमता 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच है। बड़े आकार के सामुदायिक मॉडल भी तैयार किए गए हैं जो 50 से 200 व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं और बहुत लोकप्रिय भी हुए हैं। इन समय घरेलू चूल्हों के 40 से अधिक मॉडल उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

## सौर ऊर्जा

देश में उपलब्ध सौर ऊर्जा के विद्याल भंडार को वैज्ञानिक ढंग से इस्तेमाल करने के लिए योजनाबद्ध, अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग का सरल एवं साधारण उपाय, इसे सौर ताप ऊर्जा में परिवर्तित करना है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में इसका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ निम्न दर्जे की ताप ऊर्जा की आवश्यकता है। इनमें खाना पकाना, पानी गर्म करना, धारे पानी को साफ करना, स्थान गरम करना, फल सुखाना और रेकी-जरेटर इत्यादि शामिल हैं। उच्च ताप वाले उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के सस्ते सौर कलेक्टरों विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 31 मार्च 1986 को देश भर में 900 से अधिक सौर ऊर्जा में पानी गर्म करने की छोटी और बड़ी प्रणालियाँ काम कर रही थीं। इनमें सबसे बड़ी प्रति दिन 40 हजार लिटर से अधिक क्षमता वाली प्रणालियाँ होटल जनपथ (नई दिल्ली), लोधी होटल (नई दिल्ली) और भोनाल डेयरी में काम कर रही हैं। 31 मार्च 1986 को 1200 से अधिक सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने वाली प्रणालियों को लगाने का काम चल रहा था। इनके अलावा 32 सौर भट्टियाँ, 20 कटी हुई फल सुखाने के काम आने वाले सौर यंत्र और धारे पानी को शुद्ध करने वाले 43 सौर यंत्रों को लगाने का काम भी हाथ में लिया गया है।

विभिन्न प्रणालियों में इस समय कुल 33000 एम<sup>2</sup> में ज्यादा क्षेत्र का इस्तेमाल कलेक्टर-क्षेत्र के रूप में किया जा रहा है। इनमें वे करीब 40,000 मीटर-कुकर शामिल नहीं हैं जो इस समय प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर-ऊर्जा में त्रिजली बनाने के लिए छोटे और मझोले आकार के सौर त्रिजली घर बनाने की भी योजना है।

सौर-फोटोवोल्टाइक के क्षेत्र में सौर सेल और माइक्रोम के निर्माण की तकनीक का विकास देश में ही किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से अधिक सौर-फोटोवोल्टाइक पम्प लगाए गए हैं जो पानी का पानी भ्रूषवा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं। अब कुछ लोग निजी तौर पर भी इन सौर पम्पों के मालिक हैं, जिनका उपयोग वे अपनी सघु सिंचाई के लिए करते हैं। ऐसे 300 से अधिक गावों में सौर फोटोवोल्टाइक से सड़कों की सफाई जलाने का काम चल रहा है, जहाँ सामान्य रूप से घामद कर्मी बिजली नहीं पहुँच सकती थी। दूरदराज के गावों में सौर बिद्युतीकरण

कार्यक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और राज्य विद्युत बोर्ड की संलग्न क्रियान्वित किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सैन्ट्रल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अलावा राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र का एक और प्रतिष्ठान भी एस पी वी उत्पादन के क्षेत्र में इस वर्ष शामिल हुआ है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में वनी सौर फोटो वोल्टैक बैटरी चार्जिंग प्रणाली का 1985-86 में भारतीय अंतर्राष्ट्रिका अभियान ने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था।

पवन ऊर्जा का उपयोग पानी चलाते और विजली पैदा करने में किया जा सकता है। नमूने के तौर पर प्रदर्शित करने के कार्यक्रम के तहत देश में अब तक पानी निकालने वाली 14,00 पवन चक्कियां लगाई जा चुकी हैं। कुछ दूर-दराज वाले क्षेत्रों को प्रयोग के तौर पर तथा नमूने के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक से पांच किलोवाट क्षमता के छोटे एयरोजनरेटर सप्लाई किए गए हैं। विभाग ने सी० एस० आई० आर० के साथ एक अनुबंध किया है, जिसके अनुसार पवन मनीटोरिंग केन्द्र स्थापित किए जाएंगे तथा मध्यम दर्जे के एयरोजनरेटरों का विकास करने के लिए स्वदेशी क्षमता तैयार की जाएगी।

छठी योजना के दौरान विभाग के पवन ऊर्जा कार्यक्रम में केवल पानी निकालने वाली पवन चक्कियों के विकास और प्रदर्शन पर बल दिया गया। इस दौरान क्षेत्रीय आंकड़ों के आधार पर पम्पों के डिजाइनों में निरन्तर सुधार किया गया। अनेक प्रकार की पानी निकालने वाली पवन चक्कियों का विकास किया गया तथा चुने हुए स्थानों पर व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय परीक्षण शुरू किए गए।

गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से विजली का उत्पादन करने के लिए कुल 3.3 मेगावाट क्षमता के पवन फार्म स्थापित किए गए। ये पवन फार्म रिकार्ड समय में बनाए गए थे और ये सभी संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। इनसे विजली ग्रिड को विजली सप्लाई हो रही है। आशा है कि योजना अवधि में पवन ऊर्जा से विजली बनाने का काम काफी महत्वपूर्ण स्थान ले लेगा। इस तरह वर्तमान पवन फार्मों में विजली उत्पादन पर काफी कम लागत आती है।

### भू-ताप ऊर्जा

शीत भंडारण इकाई और 5 कि० वा० के विद्युत संयंत्र से संबंधित अनुसन्धान और विकास की गतिविधियां इस वर्ष भी जारी रहीं। ये दोनों भू-तापीय ऊर्जा पर आधारित हैं तथा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले मनीकरत क्षेत्र में स्थित हैं। मनीकरत स्थित भू-तापीय ऊर्जा इस्तेमाल वाले, आरम्भिक शीत भंडारण संयंत्र को प्रयोग के तौर पर चालू कर दिया है तथा यह प्रयोग सफल हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

को हाल में ही व्यावहारिक रूप दे दिया गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय उपलब्ध नवीकरणीय साधनों से, गांवों की जरूरत के लिए विजली का उ

का मध्य है। इन प्रकार की 21 प्रणालियाँ चल रही हैं। इनमें में अधिकांश प्रणालियाँ मामूलाधिक वायोमैस मयंत्रों पर या नवविवर्धित भूमिस्वायत्त पर केन्द्रित हैं जो कि बिजली का उत्पादन कृषिजन्य पदार्थों, पशु-ऊर्जा तथा ईंधन-सकड़ी के अपशिष्टों में करते हैं। परिस्थितियों के अनुसार अन्य आवश्यक तत्व इनमें मिला दिए जाते हैं। इन प्रणालियों को 'ऊर्जा ग्राम' कहते हैं। 1985-90 की योजना-वधि में ऐसी 5000 प्रणालियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मगर के कचरे से ऊर्जा

शहरों के तरल और ठोस; दोनों प्रकार के मलबे से ऊर्जा पैदा करने तथा इस प्रक्रिया में शहरी पर्यावरण को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभाग ने जुलाई 1984 में टैनमार्क की एक कम्पनी के साथ एक परियोजना के बारे में समझौता किया था, जिसके तहत दिल्ली शहर में प्रतिदिन जमा होने वाले 300 टन मलबे के भस्मीकरण का प्रस्ताव था। यह संयंत्र उप-उत्पाद (घाड़-प्रोटेक्ट) के रूप में लगभग 3.75 मेगावाट बिजली पैदा करेगा तथा इसके निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत घाने का अनुमान है। शहरों के निम्न कैलोरी क्षमता वाले मलबे को बिजली में परिवर्तित करने की दिशा में यह भस्मीकरण संयंत्र प्रयोग के तौर पर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।

धम्बई में एक पायरोलाइसिस संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें ठोस शहरी मलबे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन 600 टन कूड़ा-कचरा जलाकर 6 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। गन्ने की छोई जलाकर 9 मेगावाट फालतू बिजली पैदा करने के लिए एक अन्य परियोजना तमिलनाडु स्थित सहकारी चीनी मिल में शुरू की गयी है। घान की भूसी और पुआल पर आधारित 5 और 6 मे० वा० क्षमता के दो विद्युत संयंत्र पंजाब में लगाने की योजना है।

गैर-भारतीय ऊर्जा स्रोत विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मल भोज पर आधारित वायोमैस संयंत्र लगाने में मदद की है। नदियों के किनारे बसे वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर और बंगलूर जैसे शहरों में सीवेज मैस संयंत्र लगाने की योजना बनाई जा रही है। गंगा का प्रदूषण दूर करने के लिए यह विभाग सक्रिय रूप से योजना तैयार कर रहा है, जिसे केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की देख-रेख में लागू किया जाएगा।

कई स्थानों पर मेगावाट क्षमता का कृषि-नाप बिजली उत्पादन करने के प्रस्तावों को अग्रिम रूप दिया गया है। कई अन्य प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

दिल्ली में एक बिजलीघर बनाया गया था जो भूमि के भराव पर आधारित था। इन वर्ष इसका विस्तार होने की आशा है।

वृक्षारोपण द्वारा ऊर्जा

वायोमैस से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनके अन्तर्गत इस क्षेत्र में नई अवधारणाएँ और तरीके विकसित किए जा रहे हैं। जंगली वायोमैस की दिशा में वृक्षारोपण द्वारा बिजली व ऊर्जा प्राप्त करने की एक विस्तृत ही नई अवधारणा शुरू की गयी है। इसमें बेकार

भारत 1986

और परती पड़ी जमीनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोगों को इधन के रूप में लकड़ी, पशुओं का चारा, विजली और समुचित रोजगार मिल सकेगा। वृक्षारोपण द्वारा ऊर्जा गैसीयकरण अथवा भस्मीकरण से प्राप्त की जाएगी। आशा है कि इस प्रकार की परियोजनाओं से घरेलू इस्तेमाल के लिए जलाने की लकड़ी और कोयले के अलावा विकेंद्रित रूप में हजारों मेगावाट विजली प्राप्त हो सकती है। 1985-86 के अंत तक एक मेगावाट विजली सप्लाई करने वाली गैस पर आधारित प्रणाली चालू की गई थी। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा ऊर्जा का काम पूरा किया गया है। आशा है कि आगामी वर्षों में वृक्षारोपण द्वारा ऊर्जा का काम देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा। 1985-86 में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ग्रामीण विकास और परम्परागत ऊर्जा साधनों के संरक्षण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। जैसे जैसे व्यावसायीकरण होगा और लागत कम होती जाएगी, इसमें और प्रगति हुई की आशा है। अनेक क्षेत्रों में यह कार्यक्रम कम लागत वाला और कारगर है।

पिछले 30 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में विविधता और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से द्रुत गति से विकास हुआ है। 1980-85 की छठें योजना अवधि में औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत रही। यद्यपि इस वृद्धि में लगभग सभी उद्योग-समूहों ने अंशदान किया, पर विशेष वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, धातु-उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली की मशीनरी, परिवहन उपकरण और बिजली उत्पादन आदि क्षेत्रों में हुई। विशुद्ध धरेलू उत्पादों में निर्माण-क्षेत्र का योगदान 1970-71 में 13.4 प्रतिशत से बढ़कर 1984-85 में 15 प्रतिशत हो गया।

विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में चालू उद्योगों में नई इकाइयों तथा नए उपक्रमों की स्थापना से उद्योग के ढांचे का विस्तार और विविधीकरण हुआ। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाइयों की संख्या काफी बढ़ी है। 1951 में लोहा और इस्पात उत्पादन के लिए केवल दो बड़ी इकाइयाँ थीं। अब 6 विशाल इस्पात संयंत्र हैं, जिनकी क्षमता लगभग 89 लाख टन की है। इन्होंने 1985-86 में लगभग 78 लाख टन विनोद्योग्य इस्पात का उत्पादन किया। इन संयंत्रों में उत्पादित इस्पात ने देश में मुई से लेकर भारी मशीनों तक इंजीनियरी के अनेक सामान बनाने में आत्मनिर्भरता की बुनियाद रखी है। नए उद्योगों के क्षेत्र में घेती के ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और उर्वरक उद्योग, जिनका 1951 में अस्तित्व भी नहीं था, इतने विकसित हुए कि इनका आयात नाममात्र का किया जाने लगा। दवा और रसायन उद्योग में भी तेजी से वृद्धि हुई। कपड़ा उद्योग, पटसन और मूत के कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। आज कई कारखाने विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रेशे तैयार करते हैं। मशीन तैयार करने वाले उद्योगों में भी तेजी से प्रगति हुई है। देश का इंजीनियरी उद्योग बिजली उत्पादन, रेल, सड़क-परिवहन और संचार के लगभग सभी उपकरण उपलब्ध करा सकता है। चीनी और सीमेंट उद्योग के लिए मशीनों, पावर बॉयलरों, बस्तुओं को लादने-उतारने के उपकरण और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के बड़ी मात्रा में उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। हॉल के दरों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पेट्रो-रसायन तथा फर्मोप्लास्टिक्स उद्योगों में भी तेजी से प्रगति हुई है।

स्वतन्त्रता के बाद देश के औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि सरकारी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है। 1951 में 29 करोड़ रुपये के निवेश के केवल पाच ही गैर-विभागीय सरकारी उपक्रम थे। 31 मार्च 1985 को इनकी संख्या 221 हो गई, जिनमें 42,811 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। यह उपक्रम अब इस्पात, कोयला, एल्युमिनियम, तांबा, भारी और हल्के इंजीनियरी उत्पाद, उर्वरक, आधारात्मक रसायन, दवाएँ, खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ रेल इन्जन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, विमान और जहाज जैसी विविध चीजें बनाते हैं।



## औद्योगिक नीति

1948 के नीति संबंधी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि निरन्तर बढ़ते हुए उत्पादन का और समान वितरण का अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्व है। साथ ही राज्यों के कार्यक्रमों में, उद्योगों के विकास में उनके सक्रिय योगदान पर बल दिया गया। 1956 की संशोधित नीति में आर्थिक विकास की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि करने और औद्योगीकरण की रफ्तार तेज करने के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट निर्देश दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने और एक बड़े तथा निरंतर वृद्धिशील सहकारी क्षेत्र का विकास करने पर विशेष ध्यान दिया गया। नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने में उल्लेखनीय और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ले। साथ ही निजी क्षेत्र को भी विकास और विस्तार का समुचित अवसर प्रदान करे।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा सुनियोजित विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह निर्धारित किया गया कि जो उद्योग बुनियादी और सामरिक महत्व के हैं या जो जनोपयोगी हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिए। साथ ही जो उद्योग आवश्यक हैं और जिनके लिए इतने बड़े निवेश की जरूरत है, जिसे केवल सरकार कर सकती है, वे भी सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिए। इसलिए सरकार ने उद्योगों को जिसे सरकारी योगदान को आधार बनाकर, तीन वर्गों में वर्गीकृत करने का फैसला किया। पहले वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिनके भावी विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी। दूसरे वर्ग में वे उद्योग आएंगे, जो उत्तरोत्तर सरकार के स्वामित्व में आते जाएंगे और जिनमें नए उपक्रम स्थापित करने में सरकार पहल करेगी। किन्तु निजी क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र का पूरक बनकर सहायता करेगा। तीसरे वर्ग में बाकी सभी उद्योग आते हैं और उनका विकास पूरी तरह निजी क्षेत्र की पहल और उद्यम पर छोड़ दिया गया। उद्योगों के 17 समूहों को अनुसूची 'क' में और 12 समूहों को अनुसूची 'ख' में शामिल किया गया है। उद्योगों के शेष समूह तीसरे वर्ग में आते हैं।

अनुसूची 'क' के उद्योग हैं : (1) हथियार और मोला-बारूद तथा रक्षा संबंधी अन्य साज-सामान; (2) परमाणु ऊर्जा; (3) लोहा और इस्पात; (4) लोहे और इस्पात की भारी ढलाई और गढ़ाई; (5) लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए, खनन कार्य के लिए, मशीनों व औजारों के निर्माण के लिए और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य बुनियादी उद्योगों के लिए आवश्यक भारी संयंत्र तथा मशीनें; (6) द्रवचालित तथा वाष्पचालित टरबाइनों सहित बिजली के भारी संयंत्र; (7) कोयला और भूरा कोयला (लिग्नाइट); (8) खनिज तेल; (9) लोह शयस्क, मैंगनीज शयस्क, क्रोम शयस्क, जिप्सम, गन्धक, स्वर्ण और हीरों का खनन; (10) तांबे, सीसे, जस्ते, मोलिब्डेनम और बुलफैम का खनन और संसाधन; (11) परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग पर नियन्त्रण) आदेश 1953 को अनुसूची में वर्णित खनिज; (12) वायुयान, (13) विमानन; (14) रेल यातायात; (15) जलयान निर्माण; (16) टेलीफोन और टेलीफोन के तार, टेलीग्राफ और बेतार उपकरण (रेडियो सेटों को छोड़ कर); और (17) बिजली का उत्पादन और वितरण।

अनुसूची 'ख' के उद्योग हैं : (1) खनिज पदार्थ रियायत नियम, 1949 की धारा 3 में दी हुई परिभाषा में बताए गए 'गौण खनिज पदार्थों' के अतिरिक्त

सभी घनिष्ठ पदार्थ; (2) एल्यूमीनियम तथा अन्य धातु घातुएं जो धनुषी 'क' में शामिल नहीं; (3) मशीनी औजार; (4) लोह मिश्रित धातुएं और औजारी इत्यादि; (5) धोपध, रंग-सामग्री और प्लास्टिक की वस्तुओं, का निर्माण करने वाले उद्योगों जैसे रासायनिक उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी और मध्यवर्ती उत्पाद, (6) एटी-वायटिक तथा अन्य आवश्यक धोपधियां (7) छर्वेरक (8) कृत्रिम रबड़; कोयले का कार्बनीकरण; (10) रासायनिक लुगदी; (11) सड़क परिवहन और (12) समुद्री परिवहन ।

यद्यपि सरकार ने इन वर्गों के उद्योगों की सूचियां बनाई हैं, तथापि इस प्रस्ताव द्वारा इसमें नमनीयता बरती गई है जिनमें कई उद्योग दोनों क्षेत्रों में हो सकते हैं। प्रथम वर्ग में जो निजी उद्योग विद्यमान हैं, उन्हें विस्तार की अनुमति दी जा सकती है तथा सरकार भी राष्ट्रीय हित को देखते हुए अपने उद्योगों के विस्तार के लिए निजी उपक्रमों का सहयोग ले सकती है। इसी तरह निजी उपक्रमों को भी इस क्षेत्र में स्वयं अकेले या सरकार के सहयोग से भाग लेने का अधिकार होगा। सरकार की औद्योगिक नीति का बुनियादी ढांचा आज भी इसी प्रस्ताव पर आधारित है।

## उद्योगों का नियमन

भारत के संविधान में उद्योगों के सवध में विधायी शक्तियों का विभाजन सघीय सूची और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। सघीय सूची में ऐसे उद्योग आते हैं जो संसद द्वारा सामरिक महत्व अथवा देश की रक्षा के लिए आवश्यक घोषित किए जाते हैं, और वे उद्योग, जिनके लिए संसद कानून बनाकर घोषणा करती है कि इनका नियंत्रण सार्वजनिक हित में आवश्यक है। संविधान में विधायी शक्तियों के वितरण के धनुरूप 1951 का उद्योग (विकास और नियमन) अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा यह विधायी व्यवस्था की गई है कि कुछ उद्योगों के विकास तथा नियमन के लिए सरकार की औद्योगिक नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कानून बनाए जाए।

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार को नई औद्योगिक क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार मिल जाए ताकि पूंजीनिवेश वांछित औद्योगिक गतिविधियों की ओर मोड़ा जा सके और ग्रामतीर पर इस बात का नियमन हो सके कि उद्योगों की स्थापना किस स्थानों में की जाती है। इसमें क्षेत्रीय विकास में संतुलन स्थापित हो सकेगा। इस तरह औद्योगिक लाइसेंस मुनिर्गोजित आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है।

## औद्योगिक लाइसेंस

समय-समय पर औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की कई उच्च स्तरीय समितियों ने विस्तृत विवेचना की है। जहां ये सुझाव दिए गए हैं कि लाइसेंस प्रणाली को सुचारु बनाया जाए और उसमें सुधार लाया जाए ताकि द्रुतगति से औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सके, वहीं यह बात स्वीकार की जाती है कि मुनिर्गोजित विकास के लिए औद्योगिक लाइसेंस एक जोखार साधन है। नियमक लाइसेंस देने की प्रक्रिया अब अधिनियम की पहली धनुषी में दिए गए 170 से अधिक उद्योगों पर लागू होती है।

1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत जो नीति संबंधी ढांचा निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर तथा औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली द्वारा इस नीति को कार्यान्वित करने के बारे में जो अध्ययन किए गए, उनके आधार पर सरकार ने 1970 में और फिर 1973 में इस नीति में संशोधन किए। 1973 के नीति संबंधी वक्तव्य में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखा गया है, जो इसलिए बनाए गए थे कि आर्थिक प्रणाली इस तरह न चले कि जनहित के विपरीत आर्थिक सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाए। साथ ही इससे ऐसे महत्वपूर्ण मूल उद्योगों को बढ़ावा मिला है, जो भविष्य में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। इनमें वे उद्योग भी शामिल हैं, जो मूल उद्योगों से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे उद्योग भी इनमें शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बुनियादी और सामरिक महत्व के हैं तथा जिनकी दीर्घकालिक निर्यात संभावनाएं हैं। उद्योगों के 19 समूहों की एक सूची तैयार की गई (जिसे आमतौर पर 'परिशिष्ट-1 उद्योग' कहा जाता है) जिनमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक (एम० आर० टी० पी०) व्यवहार अधिनियम 1969 में परिभाषित बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान भाग ले सकेंगे और इन उद्योगों की स्थापना में योगदान दे सकेंगे, वशत कि वे सार्वजनिक क्षेत्र या लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न हों। इस सूची में जिन उद्योगों को शामिल नहीं किया गया, उनके लिए सामान्यतः बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उनके अधिकांश उत्पादन का निर्यात न किया जाए। इस सूची में उल्लिखित उद्योगों में विदेशी कम्पनियाँ और उनकी सहायक कम्पनियाँ तथा उनकी शाखाएं भी भाग ले सकती थीं। 1973 के नीति संबंधी वक्तव्य में जहां कहीं संभव हो और उचित हो, मध्यम तथा लघु और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई। इसके द्वारा औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को भी सरल बनाया गया, जैसे औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए उपक्रम की स्थायी परिसम्पत्ति की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ा कर पांच करोड़ रुपये कर दी गई और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कुछ क्षेत्र सुरक्षित रखने की बात भी दोहराई गई।

1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को कुछ क्षेत्रों में और अधिक उदार बनाया गया, जैसे लघु उद्योगों और सहायक इकाइयों के लिए निर्धारित निवेश की सीमा का बढ़ाया जाना; लाइसेंसों का अनुमोदन जिससे कि उनकी तात्कालिक उत्पादन क्षमता का पता चले, स्वतः स्फूर्त विकास के उपबन्धों को और अधिक उद्योगों पर लागू करना; लाइसेंस प्रक्रियाओं को और सुचारू बनाना, जिससे विलंब कम किया जा सके; प्रदूषण नियंत्रण तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना आदि। औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना तथा तेजी से औद्योगिक विकास करना, एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले कुछ महीनों में इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।

क्षमता का अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए (ताकि बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन के लाभ प्राप्त किए जा सकें)

और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए तथा निर्माताओं को नमनीयता प्रदान करने के लिए (जिससे कि वे अपने विभिन्न उत्पादों का उत्पादन बाजार की मांग के अनुरूप कर सकें), उद्योगों के 28 समूहों को व्यापक स्वरूप प्रदान करने की एक योजना लागू की गई है।

उद्योगों के 26 व्यापक वर्गों को लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया है, बशर्ते कि वे कुछ शर्तें पूरी करते हों, जैसे (क) वे औद्योगिक उपक्रम, एकाधिकता तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) अधिनियम तथा विदेशी-मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के अंतर्गत न आते हों; (ख) निर्मित वस्तु लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित न हो; और वह औद्योगिक उपक्रम गैर-अनुमति वाले इलाके में स्थापित न हो। बाद में 82 मुख्य औपधियों और उनसे तैयार दवाओं को भी लाइसेंस उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया।

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त रखने की योजना को बाद में एम० आर० टी० पी० और (फेरा) कम्पनियों पर भी ऐसी वस्तुओं के लिए लागू कर दिया गया जो राष्ट्रीय महत्व की हों, या जिनके निर्यात की संभावना हो, बशर्ते कि ऐसे उपक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन करें।

उत्पादन बढ़ाने, अधिक निर्यात करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता को देखते हुए, इन उद्योगों की सूची का और अधिक विस्तार किया गया है और अब उनके अंतर्गत उद्योगों के 32 समूह आते हैं।

अपनी प्रस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकने के लिए, क्षमताओं के पुनः अनुमोदन की एक योजना अप्रैल 1982 में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस में जो क्षमता दिखाई गई है, उसका पुनः अनुमोदन इस आधार पर किया जा सकेगा कि पिछले पांच वर्षों में जिस वर्ष अधिकतम उत्पादन हुआ था, उसमें उस वर्ष के उत्पादन का 1/3 और जमा कर दिया जाएगा (बशर्ते कि वह उपक्रम अपनी क्षमता का 94 प्रतिशत उपयोग कर चुका हो)। इसके लिए उसे नया औद्योगिक लाइसेंस नहीं लेना होगा। 350 से भी अधिक औद्योगिक उपक्रमों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अब इस योजना को और अधिक उदार बना दिया गया है। जिन उपक्रमों ने 80 प्रतिशत क्षमता-उपयोग प्राप्त कर लिया हो, वे भी इस सुविधा के हकदार बन गए हैं। यह योजना सातवी योजना की अवधि (1985-90) तक प्रभावी रहेगी। औपधियों और फार्मास्युटिकल्स वस्तुओं के मामले में यह अनुमोदन बुनियादी औपधियों और उनसे तैयार औपधियों के अनुपात पर निर्भर करेगा।

उदार लाइसेंस नीति का एक और पहलू यह है कि कच्चे माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा बढ़ा दी गई है और इस आधार पर औद्योगिक लाइसेंस से छूट का दावा किया जा सकेगा। जिन उपक्रमों की स्वामी परिसम्पत्ति 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें औद्योगिक लाइसेंस तभी लेना होगा, जब कच्चे माल का आयात 40 लाख रुपये से अधिक का हो या उत्पादन के फँवड़ी मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक हो। अब मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।

आधुनिकीकरण/नवीनीकरण/मशीनें आदि बदलने से यदि क्षमता 49 प्रतिशत से अधिक न बढ़े तो उसके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने में छूट मिलेगी। पिछड़े हुए क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एम० आर० टी० पी०/ 'फेरा' कम्पनियों के निर्यात के दायित्व को भी कम कर दिया गया है। 'क' वर्ग के जिलों (उद्योग-रहित विशेष क्षेत्रों) में निर्यात का कोई दायित्व लागू नहीं किया जाएगा जबकि पहले यह 30 प्रतिशत था। 'ख' वर्ग के सभी 54 पिछड़े हुए जिलों में और 'ग' वर्ग के सभी 112 जिलों में निर्यात दायित्व 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

नीतियों और प्रक्रियाओं को उदार बना देने के परिणामस्वरूप 1985 में कुल 1,457 आशय-पत्र जारी किए गए जो एक रिकार्ड है। 1984 के मुकाबले यह वृद्धि 37 प्रतिशत की है। उक्त अवधि में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के अतिरिक्त 1985 में लाइसेंस मुक्त इकाइयों की रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत 1,167 इकाइयों का पंजीकरण किया गया। 1985 में जो आशय पत्र जारी किए गए उनका 53 प्रतिशत पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए और 43 प्रतिशत औद्योगिक लाइसेंस के क्षेत्र के लिए था। जिन मामलों में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती और जिन्हें केवल टेक्नीकल प्राधिकारियों के पास दर्ज कराना होता है, उन मामलों में भी पिछड़े हुए क्षेत्रों का प्रतिशत बढ़कर 59 प्रतिशत हो गया।

उद्योगों का विकास

ग्रह कहा जा सकता है कि भारत में सुव्यवस्थित आधुनिक उद्योगों का इतिहास 1854 से शुरू हुआ, जबकि मुख्यतः भारतीय पूंजी और उद्यम से बम्बई में सूती मिल उद्योग का वास्तविक आरम्भ हुआ। पटसन उद्योग की शुरुआत अधिकांशतः विदेशी पूंजी और सहयोग से 1855 में कलकत्ता के निकट हुई। इसी समय के आसपास कोयला खनन उद्योग ने प्रगति करनी आरम्भ की। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक केवल ये ही बड़े उद्योग थे जिनका देश में पर्याप्त विकास हुआ। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा उसके बाद अधिकांशतः कारियों ने कुछ अधिक उदार नीति अपनाई, जैसे कि उद्योगों को संरक्षण देने की नीति, जिससे औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। कई उद्योगों का तेजी से विस्तार हुआ और कई नए उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे—इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच, औद्योगिक रसायन, सावुन, वनस्पति और कुछ इंजीनियरी वस्तुएं आदि। परन्तु उनका उत्पादन उस समय की अत्यल्प घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था और न ही उसमें विविधता थी।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में उद्योगों के विकास तथा उत्पादन की विविधता में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यह प्रगति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष उल्लेखनीय रही। सरकारी क्षेत्र में 10-10 लाख इस्पात पिंड की क्षमता वाले तीन नये इस्पात कारखाने स्थापित किए गए और सरकारी क्षेत्र में चल रहे दो इस्पात कारखानों की क्षमता बढ़ाकर


कर दी गई। विजली के भारी सामान और भारी मशीनों, औजार उद्योगों तथा भारी मशीन निर्माण एवं भारी इंजीनियरी उद्योगों की अन्य शाखाओं में उद्योगों की स्थापना की गई। सीमेन्ट और कागज उद्योगों के लिए मशीनें बनाना पहली बार शुरू किया गया। रसायन उद्योग के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई। इसके फलस्वरूप केवल नाइट्रोजन उर्वरकों, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और गंधक के अम्ल जैसे आधारभूत रासायनिक पदार्थों के बड़े कारखानों की स्थापना और इन पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि ही नहीं हुई वरन् यूरिया, अमोनियम फास्फेट, पेनिसिलिन, कृत्रिम रेशम, औद्योगिक विस्फोटकों, पालिथिलीन और रंग-सामग्री जैसी नई वस्तुओं का उत्पादन भी आरम्भ हुआ। कई अन्य उद्योगों के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई जिनमें साइकिल, सिलाई मशीन, टेलीफोन तथा विजली के सामान के उद्योग शामिल हैं। कर्मचारियों ने नए हुनर सीखे तथा औद्योगिक प्रवृत्तियों के लिए नए वर्ग का विकास हुआ। संगठित उद्योगों में उत्पादन इन दस वर्षों में दुगुना हो गया। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जो 1950-51 में 100 था, 1960-61 में बढ़कर 194 हो गया। देश के प्रमुख नगरों के आसपास नई औद्योगिक बस्तियां बस गयीं और कारखाने स्थापित हुए।

### तीसरी योजना तथा वार्षिक योजनाओं की उपलब्धियां

तीसरी पंचवर्षीय योजना और बाद की वार्षिक योजनाओं के आठ वर्षों में औद्योगिक प्रगति में बहुत घट-बढ़ होती रही। पहले चार वर्षों में औद्योगिक पूंजी निवेश और विकास के लिए परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल रही और उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके बाद लगभग तीन वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ आया। दबाव पड़ा, जिससे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटने लगी। पहले तो यह धीरे-धीरे घटी और बाद में तेजी से और अन्त में तो करीब-करीब गतिहीनता की स्थिति आ गई। परन्तु इस अवधि के अन्तिम वर्ष 1964-69 में इसमें सुधार के स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए।

1964-65 के बाद औद्योगिक विकास में गिरावट आने के कई कारण थे, जिनमें सबसे प्रमुख कारण यह था कि 1965 के सघर्ष और 1965-66 और 1966-67 के दो वर्षों में निरन्तर सूखा पडने के कारण उद्योगों पर लगातार बुरा प्रभाव पड़ता रहा। 1965 में कुछ समय के लिए विदेशी सहायता बन्द होने की वजह से कच्चे माल व कल-पुर्जों की कमी का कई उद्योगों पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा।

जिन उद्योगों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अपने उत्पादन लक्ष्य 1965-66 तक पूरी तरह या लगभग प्राप्त कर लिए थे, वे हैं— एल्यूमीनियम, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, सूती कपड़ा मिलों की मशीनरी, मशीनों, औजार, चीनी, पटसन का सामान, विद्युतचालित पम्प, हीजल इंजन और पेट्रोलियम से बने पदार्थ। दूसरी ओर इस्पात और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में भारी कमी हुई। बाद के वर्षों में उर्वरक, भारी रासायनिक पदार्थ, सीमेन्ट और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कुछ उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में इस घट-बढ़ के बावजूद इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुईं, जिनके फलस्वरूप औद्योगिक ढांचे में विविधता आई।



\* अस्थायी

क्षेत्रों में भारी क्षमता का सृजन हुआ। कई बड़ी परियोजनाएँ, जो तृतीय पंच-वर्षीय योजना के आरम्भ में शुरू की गई थी, पूरी कर ली गईं और उनमें उत्पादन आरम्भ हो गया, विशेषकर भारी इंजीनियरी सामान और मशीनों के क्षेत्र में। नैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और माइनिंग और एलाईड मशीनरी कॉरपोरेशन के विभिन्न कारखानों तथा बिजली के भारी सामान की परियोजनाओं में उत्पादन आरम्भ हो जाने से लोहा और इस्पात, खनन तथा विद्युत उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, अधिकतर देशी प्रयत्नों से ही क्षमता का और विस्तार करना संभव हो सका। रेल और सड़क परिवहन तथा संचार के क्षेत्र में उपकरणों के और रेल के इंजनों तथा डिब्बों की आपूर्ति के बारे में वस्तुतः देश आत्मनिर्भर हो चुका था। कपड़ा, चीनी और सीमेंट जैसे परम्परागत उद्योगों के लिए मशीनें बनाने की क्षमता का विकास किया गया और इनके डिजाइन तैयार करने में तथा इंजीनियरी के क्षेत्र में क्षमता का विस्तार किया गया। निर्माण कार्य की तकनीकी जानकारी या तो प्राप्त कर ली गई थी अथवा विकसित कर ली गई थी, जिससे कि उर्वरक, रेयन और घुलनशील लुगदी जैसे उद्योगों की परियोजनाओं के डिजाइन या स्वरूप बनाने में लेकर कारखाने लगाने तक का कार्य अधिकतर देशी प्रयत्नों से ही पूरा किया जा सकता था। इस्पात और अलौह धातुओं की उत्पादन-क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पेट्रोलियम, उर्वरक और पेट्रो-रासायनिक उद्योगों में भी क्षमता का विस्तार करने में सफलता मिली।

### चौथी योजना के दौरान प्रगति

चौथी योजना में औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन निष्पन्न और निवेश दोनों की दृष्टि से आधा से कम था। सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर 3,050 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले निवेश अनुमानतः 2,700 करोड़ रुपये रहा। लौह अयस्क, पेट्रोलियम और पेट्रो-रासायनिक पदार्थों जैसे कुछ क्षेत्रों में निवेश की प्रगति सामान्यतः सन्तोषजनक थी, किन्तु लोहा और इस्पात, अलौह धातुएँ, उर्वरक और कच्चे कोयले जैसे क्षेत्रों में ऐसा नहीं था। परियोजना मूल्यों में हुए विस्तार का हिसाब लगाया जाए तो वस्तुतः समस्त निवेश में गिरावट कहीं अधिक मिलेगी।

औद्योगिक उत्पादन में असन्तोषजनक वृद्धि के अनेक कारण थे। इस्पात और उर्वरक जैसे कुछ नाजुक उद्योगों में विभिन्न यूनितों में परिचालन समस्याओं के कारण उत्पादन स्थापित क्षमता से बहुत कम रहा। चीनी और वस्त्र जैसे कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों में भी असामान्यताएँ बनी रहीं। निवेश की अपर्याप्त प्रगति ने औद्योगिक मशीनरी की मांग को कम किया, जिसका पूंजीगत माल बनाने वाले उद्योगों के उत्पादन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस्पात और अलौह धातुओं की कमी ने अन्य इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन पर भी बुरा असर डाला।

दूसरी ओर मिथ धातु और विशेष इस्पात, एल्यूमीनियम, मोटर गाड़ियों के टायर, पेट्रोलियम शोधन उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनी औजार, ट्रैक्टर तथा भारी बिजली उपकरण उद्योग जैसे बहुत से उद्योगों में उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। चौथी योजना के अन्तिम वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपकरणों में भी उत्पादन में उस्ताहृदयक प्रगति दिखाई। इससे अतिरिक्त औद्योगिक आधार का और विस्तार विद्यमान था और किस्म सुधार तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी प्रगति हुई।



## पांचवीं योजना के दौरान प्रगति

पांचवीं योजना में महत्वपूर्ण उद्योगों के तीव्र विकास और निर्यातानुमुख माल तथा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। संशोधित योजना में औद्योगिक क्षेत्र के विकास की औसत दर 7 प्रतिशत वार्षिक आंकी गई थी। खाद्य, उर्वरक और तेल के मूल्यों में आशातीत वृद्धि के कारण वे सभी अनुमान बुरी तरह गड़बड़ा गए, जिनके आधार पर पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। इन नई घटनाओं के कारण खाद्य और ऊर्जा के मामले में कुछ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना भी आवश्यक हो गया। आगे की वार्षिक योजनाएं इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार करनी पड़ीं।

पांचवीं योजना के प्रारूप में कुल 53,411 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित था, जिसमें से 37,250 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 16,161 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए थे। परन्तु नवम्बर 1973 में तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाने से 1976 में योजना में काफी काट-छांट करनी पड़ी। संशोधित योजना में कुल 69,351 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया—42,303 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 27,408 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में 3,000 करोड़ रुपये का वस्तुनिवेश शामिल था। शेष 39,303 करोड़ रुपये चालू परिव्यय के रूप में था।

पांचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 39,303 करोड़ रुपये की जो संशोधित राशि रखी गई थी, इसमें से 10,201 करोड़ रुपये अर्थात् कुल निर्धारित राशि का 25.9 प्रतिशत उद्योग तथा खनिज क्षेत्र के लिए था। बड़े और मध्यम उद्योग के लिए 9,691 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 510 करोड़ रुपये रखे गए थे।

## छठी योजना के दौरान प्रगति

छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजना राशि 97,500 करोड़ रुपये रखी गई। बड़े उद्योगों और खनिज क्षेत्र के लिए कोयले और पेट्रोलियम सहित कुल मिलाकर 20,407 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। इस राशि का काफी बड़ा भाग अर्थात् 19,018 करोड़ रुपये केन्द्रीय क्षेत्र में तथा शेष 1,389 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में था। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 1980-85 के दौरान 30,323 करोड़ रुपये की पूंजी का प्रावधान है। ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 1,780 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

छठी योजना के दौरान औद्योगिक नीति का उद्देश्य वर्तमान क्षमताओं का अधिकतम उपयोग तथा पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में प्रचुर वृद्धि और उत्पादकता में सुधार करना है। पांच वर्ष की अवधि में औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक विकास दर को 8 प्रतिशत प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है।

औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक विकास दर 5.5 प्रतिशत रही। इस अवधि में विकास की दर काफी असमान रही—1980-81 में 4 प्रतिशत, 1981-82 में 8.6 प्रतिशत, 1982-83 में 3.9 प्रतिशत, 1983-84 में 5.3 प्रतिशत और 1984-85 में 5.8 प्रतिशत। यहाँ यह बताना ठीक होगा कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों से विकास की जिस दर का पता चलता है, वह समूचे निर्माण क्षेत्र की वास्तविक विकास दर

के मुकाबले आमतौर पर कम है। सूचकांक (आधार 1970=100) में कई कमियाँ हैं। उसमें हाल ही में विकसित हुए उद्योगों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रो-रसायन आदि को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया क्योंकि 1970 से पहले ये उद्योग नहीं थे। इस सूचकांक में लघु क्षेत्र में होने वाली ऊँची वृद्धि दर भी परिलक्षित नहीं होती। औद्योगिक उत्पादन के संशोधित सूचकांक के (आधार 1980-81=100) शीघ्र तैयार होने की संभावना है।

छठी योजना में उद्योगों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से पता चलता है कि अल्यूमीनियम, जस्ता, सीसा, थर्मोप्लास्टिक, पेट्रो-रसायन के मध्यवर्ती उत्पाद, विद्युत् उपकरण, मोटरवाहन और टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं जैसे उद्योगों के लिए समता बनाने के लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं। पेट्रोलियम, मशीनी आजार, यात्री कार, मोटर साइकिल और स्मूटर तथा टेलीविजन जैसे उद्योगों में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। विन्तु कोयला, इस्पात, अलुमिना, सीमेंट, औषधियाँ तथा फार्मास्यूटिकल, कपड़ा, पटमन की वस्तुओं, वाणिज्यिक वाहनों, रेल बैगनों, चीनी जैसे उद्योगों के उत्पादन में कमी बतायी गयी।

छठी योजना की टेक्नालोजी से सम्बन्धित कुछ प्रमुख उपलब्धियों में 500 मेगावाट के विद्युत् उत्पादन यूनिट का चालू किया जाना, 500 मेगावाट के टर्बो-जेनरेटर तथा वायलर का उत्पादन शुरू होना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक टेक्नालोजी की 800 सी० सी० की कम तेल की खपत करने वाली यात्री कारों का निर्माण शामिल है। उर्वरक के क्षेत्र में 1,350 टन प्रतिदिन धामभा वाले उर्वरक संयंत्रों का निर्माण शुरू हो गया है। इस्पात के क्षेत्र में पूरी तरह स्वदेशी 3,200 घन मीटर की प्लास्ट भट्टी तथा 7 मीटर ऊँची कोक ऑवन बंदरी और उपकरण भ्रम देश में ही बनाये जा रहे हैं। इसी प्रकार भ्रम खनन के लिए बड़े आकार की भारी मशीनों जैसे लम्बी दीवार के खनन उपकरण, 8 घन मीटर की हाइड्रोलिक खुदाई मशीनों आदि का निर्माण किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जिसे सातवी योजना में 'सूक्ष्म उद्योग' कहा गया है, छठी योजना के लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ है। एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई० सर्किटों जैसे क्षेत्रों में तथा 8 और 16 बिट माइक्रो कम्प्यूटर चिप, कम्प्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर, संचार उपकरण, प्रसारण तथा टी० वी० ट्रांसमिशन उपकरण, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और पुर्जों आदि के निर्माण में उच्च स्तर की टेक्नालोजी प्राप्त कर ली गयी है।

सातवी योजना

सातवी योजना में सांख्यिक क्षेत्र के लिए कुल 1,80,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के लिए 54,821.26 करोड़ रुपये, बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए 19,708.09 करोड़ रुपये और ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 2,752.74 करोड़ रुपये हैं। इस परिव्यय का बड़ा भाग केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं/परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में परिव्यय का 57.4 प्रतिशत और उद्योग व खनिज क्षेत्र (ग्रामीण व लघु उद्योगों सहित) में 82.4 प्रतिशत।

सातवीं योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए (अर्थात् सामाजिक न्याय सहित विकास और उत्पादकता में सुधार) औद्योगिक क्षेत्र की नीतियों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाएगा :

- (क) जरूरी वस्तुएं और जन उपभोग उपभोक्ता सामग्री पर्याप्त मात्रा में मुहैया करना, जिनकी किस्म स्वीकार योग्य हो और कीमतें उचित हों;
- (ख) मौजूदा परिसम्पत्ति से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उद्योग के ढांचे को ठीक करना, उत्पादकता में सुधार लाना तथा प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाना;
- (ग) अधिक विकास क्षमता वाले सूर्योदय ('सनराइज') उद्योगों तथा अन्य उद्योगों का विकास करना, जिनकी देश में और निर्यात बाजार में बड़ी मांग है ताकि वे विश्व में उच्च स्थान प्राप्त कर सकें।
- (घ) सामरिक महत्व के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और अपनी कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए एक समन्वित नीति का विकास करना।

सातवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में 8 प्रतिशत वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है। योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1985-86 के लिए 7 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक उत्पादन दर 6.3 प्रतिशत रही, तथापि पिछले वर्षों के कार्य-निष्पादन को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन को संतोषजनक कहा जा सकता है।

## सार्वजनिक क्षेत्र

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गयी। उद्देश्य यह था कि 1947 से पहले विदेशी शासक, जिन आर्थिक नीतियों पर चल रहे थे, उन्हें बदल दिया जाए, क्योंकि उस समय देश में जो लाभ प्राप्त होता था, उसका बड़ा भाग विदेशों में चला जाता था। साथ ही उत्पादन बढ़ाने और धन के उचित वितरण के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण माना गया। 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और उसके कार्य-क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट किया गया था। 1956 के प्रस्ताव में कहा गया—“समाजवादी स्वरूप को अपनाते और नियोजित तथा तीव्र विकास के लिए जरूरी है कि मूलभूत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी उद्योग या जन-उपयोगी सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत होनी चाहिए।” पहली और दूसरी योजनाओं में यह धारणा निहित थी। उद्देश्य यह था कि विजली, कोयला, इस्पात, उर्वरक, परमाणु-ऊर्जा और मशीन निर्माण जैसे मुख्य उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करके और शेष उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़कर मजबूत औद्योगिक ढांचा उपलब्ध कराया जाए।





1	2	3	4	5
<b>3. सेवा उपक्रम :</b>				
(i) व्यापार तथा विपणन सेवाएं	824.61	2.33	936.93	2.19
(ii) परिवहन सेवाएं	2194.81	6.20	2583.19	6.03
(iii) ठेका तथा निर्माण सेवाएं	265.84	0.75	370.49	0.86
(iv) औद्योगिक विकास तथा तकनीकी परामर्शदात्री सेवाएं	94.19	0.26	104.67	0.24
(v) लघु उद्योगों का विकास	47.86	0.13	54.23	0.13
(vi) पर्यटक सेवाएं	90.67	0.26	91.37	0.26
(vii) वित्त सेवाएं	1835.75	5.19	2071.94	5.19
(viii) अनुच्छेद 25 के अधीन पंजीकृत कंपनियों	66.00	0.19	144.92	0.19
<b>योग (3)</b>	<b>5419.73</b>	<b>15.31</b>	<b>6357.74</b>	<b>14.85</b>
<b>4. बीमा कंपनियां</b>	<b>121.00</b>	<b>0.34</b>	<b>118.50</b>	<b>0.28</b>
<b>कुल योग</b>	<b>35,394.48</b>	<b>100.00</b>	<b>42,811.16</b>	<b>100.00</b>

1984-85 में उपक्रमों का कुल कारोबार 54,668 करोड़ रुपये था जबकि इससे पिछले वर्ष यह 47,272 करोड़ रुपये का था, यानि इसमें 15.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई; 1983-84 और 1984-85 में उपक्रमों के का विवरण सारणी 20.3 में दिया गया है।

सजातीय समूह	कुल कारोबार	
	1984-85	1983-84
1	2	3
(अ) माल का उत्पादन करने वाले उपक्रम		3,509.78
(1) इस्पात	4,165.08	819.79
(2) खनिज पदार्थ और घातुएं	1,025.32	2,169.00
(3) कोयला	2,650.77	170.92
(4) विद्युत	375.11	20,424.25
(5) पेट्रोलियम	22,196.04	
(6) रासायनिक पदार्थ, उर्वरक और औषधियां	2,831.32	2,543.37
(7) भारी इंजीनियरिंग	2,113.07	1,790.61
(8) मध्यम और हल्की इंजीनियरिंग	1,349.10	1,201.63
(9) परिवहन उपकरण	1,381.28	1,084.19
(10) उपभोक्ता सामग्री	632.91	283.78
(11) कृषि पर आधारित उपक्रम	70.20	61.23
(12) टैक्सटाइल्स	725.38	650.11
योग	39,520.58	34,708.69
(ब) सेवा प्रदान करने वाले उपक्रम		9,266.69
(1) व्यापार और विपणन सेवाएं	13,388.82	2,044.58
(2) परिवहन सेवाएं	2,277.93	643.15
(3) ठंका और निर्माण	709.08	
(4) औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्शदात्री सेवाएं	325.79	251.14
(5) लघु उद्योग विकास	28.27	27.30
(6) पर्यटक सेवाएं	71.97	69.15
(7) वित्तीय सेवाएं	187.11	145.2
(8) अनुच्छेद 25 की कम्पनियां	158.61	116.51
योग	15,147.58	12,563.77
कुल योग	54,668.16	47,272.46

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 1984-85 में 5,827 करोड़ रुपये का निर्यात किया, जबकि पिछले साल 5,532 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1984-85 में जहाजों की मरम्मत आदि से

और भाड़े से ग्रामदनी के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा 1305 करोड़ रुपये थी जबकि 1983-84 में 1505 करोड़ रुपये अर्जित किए गए थे। निर्यात किए गए कुछ उत्पाद थे—औद्योगिक वायुसुर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनी औजार, कच्चा सोहा, रेल डिब्बे, इस्पात और बिजलीघरों के लिए उपकरण।

1984-85 के ब्याज और कर के हिसाब को छोड़कर मूल्यह्रास का हिसाब लगाने के बाद इन उपक्रमों को कुल 4637 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। ब्याज अदा करने के बाद, किन्तु कर आदि देने से पहले लाभ 2119 करोड़ रुपये का हुआ। 115 उपक्रमों में कुल 3213 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जबकि 90 उपक्रमों में कुल 1094 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा छठी योजना अवधि में 1980-81 से 1984-85 के दौरान 13,790 करोड़ रुपये के कुल आन्तरिक संसाधन जुटाए गए। उक्त अवधि में लाभांश, निगम कर, उत्पादन शुल्क आदि के रूप में राजस्व में 27,557 करोड़ रुपये जमा कराए गए।

31 मार्च 1985 को केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 21.81 लाख थी। 1984-85 में सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिव्यक्ति मिलने वाला औसत वार्षिक वेतन 24,301 रुपये था, जबकि 1983-84 में यह 21,546 रुपये था।

**औद्योगिक उत्पादन** चुने हुए उद्योगों में 1950-51 से लेकर विभिन्न वर्षों में जो उत्पादन हुआ वह सारणी 20.4 में दर्शाया गया है।

औद्योगिक उत्पादन का अस्थायी सूचकांक (आधार : 1970=100) 1985-86 में 6.3 प्रतिशत बढ़ा। 1985-86 में खनन और प्रस्तरखानों के क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन में 8.6 प्रतिशत, कपड़ा उद्योग में 2.0 प्रतिशत, खड़ उत्पाद में 2.9 प्रतिशत, रसायन और रसायन उत्पादों में 5.3 प्रतिशत, पेट्रोलियम पश्चोद्योग उत्पादों में 20.1 प्रतिशत, धातु उत्पादों में 6.7 प्रतिशत, गैर-विद्युत मशीनरी में 0.5 प्रतिशत, विद्युत मशीनरी में 6.2 प्रतिशत, खाद्य उत्पादन में 4 प्रतिशत, पेय पदार्थ उद्योग में 8.4 प्रतिशत, चमड़े के जूते में 3.9 प्रतिशत, कागज के उत्पादन में 12.9 प्रतिशत, और परिवहन उपकरणों में 10 प्रतिशत और विविध निर्माण उद्योगों में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि इन्हीं अवधि में तम्बाकू उद्योगों के उत्पादन में (-11.4 प्रतिशत) की गिरावट आई।

1951, 1961, 1971 के समूहवार सूचकांक (1960=100) और 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के समूहवार सूचकांक (1970=100) सारणी 20.5 में दिए गए हैं।

### प्रमुख उद्योग

**सूती वस्त्र**

सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा एकल उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारम्भ 1818 में हुआ, जब कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर



	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1982-83	1983-84	1984
1. खनन							1,614
(1) कोयला (लिक्वाइट सहित) (लाख टन)	328	557	763	1,188	1,369	1,449	1,545
(2) लोहा शयस्क (लाख टन) <sup>1</sup>	30	110	325	422	416	382	426
(3) कच्चा लोहा (लाख टन)	16.9	43.1	69.9	95.5	95.8	91.9	92.4
(4) इस्पात पिंड (लाख टन) <sup>2</sup>	14.7	34.2	61.4	62.8	71	99.0	107.2
(5) बिस्की योग्य इस्पात (लाख टन) <sup>3</sup>	10.4	23.9	44.8	71	88	64.0	70.0
(6) इस्पात की ढली वस्तु (हजार टन)	---	34	62	199.0	211.5	219.9	276.5
(7) एल्यूमीनियम (कच्ची धातु) (हजार टन)	7.1	18.3	168.8	9.3	25.3	35.8	41.0
(8) तांबा (कच्ची धातु) (हजार टन)	0.3	7	43.0	196.2	13.6	269.9	302.8
3. मशीनी इंजीनियरिंग उद्योग							
(9) मशीनी मशीन (हजार सं०) <sup>4</sup>	2.9	11.9	87.9	11.1	13.0	15.4	17.4
(10) रेलवे के डिब्बे (हजार सं०) <sup>5</sup>	16.5	55	41.2	86.9	71.7	151.4	158.4
(11) मोटर गाड़ियां (हजार सं०) <sup>6</sup>	8.6	28.4	8.6	86.9	88.4	96.2	96.8

उद्योग (इकाई)

1

1. खनन

(1) कोयला (लिक्वाइट सहित) (लाख टन)

(2) लोहा शयस्क (लाख टन)<sup>1</sup>

(3) कच्चा लोहा (लाख टन)

(4) इस्पात पिंड (लाख टन)<sup>2</sup>

(5) बिस्की योग्य इस्पात (लाख टन)<sup>3</sup>

(6) इस्पात की ढली वस्तु (हजार टन)

(7) एल्यूमीनियम (कच्ची धातु) (हजार टन)

(8) तांबा (कच्ची धातु) (हजार टन)

3. मशीनी इंजीनियरिंग उद्योग

(9) मशीनी मशीन (हजार सं०)<sup>4</sup>

(10) रेलवे के डिब्बे (हजार सं०)<sup>5</sup>

(11) मोटर गाड़ियां (हजार सं०)<sup>6</sup>

(12) व्यापारिक वाहन (हजार सं०)

(င) တပ်မတော်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု

(12) အစားအသောက် (စာရင်းစာရင်း)	20.0	40.7	40.4	68.4	70.0	69.4	110.9
(13) အိမ်ရာနှင့် အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	100	200	431.0	401.0	401.0	400.3	813.3
(14) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	...	97.0	317.1	300.0	410.0	601.1	733.3
(15) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	6.8	68.0	123.0	160.8	160.1	170.3	107.0
(16) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	...	2,042	4,100	4,281	6,000	6,000	6,000
(17) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	30	230	330	300	300	331	301

4. အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ

(17) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	1.0	80.0	104.0	100.0	201.1	203.0	273.8
(18) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	...	2,721	4,000	4,010	6,350	6,010	6,260
(19) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	20	12.2	41.8	41.0	40.7	40.1	63.0
(20) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	140	1,100	1,001	2,714	2,701	2,700	2,707
(21) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	...	1,704	1,734	1,410	1,200	1,100	1,101

5. အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ

(22) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	1.7	04.2	00.0	00.4	46.0	63.2	01.1
--	-----	------	------	------	------	------	------

6. အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ

(23) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	...	630	2,104	3,434	3,401	3,017	4,326
(24) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	0	63	612	600	1,010	1,261	1,117
(25) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	101	1,000	...	...	...	...	...
(26) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	40	440	663	621	900	613	640
(27) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	12	371	678	677	640	600	737
(28) အခြား အခြေခံအဆောက်အအုံ (စာရင်းစာရင်း)	110	760	1,140	1,200	1,353	1,370	1,617

	1	2	3	4	5	6	7
(29) खड़ के टायर							
(क) मोटरगाड़ियों के टायर	8.7	14.4	37.9	79.7	87.8	101.5	114.6
(ख) मोटरगाड़ियों के टायर	33	111.5	192.0	270.0	273.0	329.0	312.0
(क) मोटरगाड़ियों के टायर (लाख सं०)	27.3	79.7	143.0	187	234	271	301.0
(ख) मोटरगाड़ियों के टायर (लाख सं०)	237	567	683	241	311	328	331
(30) सीमेंट (लाख टन)	2	58	171				
(31) ताप-सह वस्तुएं (हजार टन)							
(32) शोधित पेट्रोलियम उत्पाद (लाख टन)	837	1,097	1,060	1,392	1,338	1,095	1,367
6. वस्त्र उद्योग	53.4	80.1	101.6	129.8	121.8	132.0	138.3
(33) पटसन की वस्तुएं (हजार टन)	421.5	637.8	777.2	963.8	924.6	1000.5	1,032.3
(34) सूती घागा (करोड़ कि०घा०) <sup>7</sup>	340.1	463.9	416.2	416.4	312.6	348.5	343.2
(35) सूती वस्त्र (करोड़ मीटर) <sup>8</sup>	81.4	208.9	361.0	547.4	612.0	652.2	689.1
(क) मिल क्षेत्र (करोड़ मीटर)	2.1	43.8	100	126			
(ख) विकेंद्रित क्षेत्र (करोड़ मीटर)	28.7	54.4	94.7				
(36) कृत्रिम रेशमी वस्त्र (करोड़ मीटर)							
(37) कृत्रिम रेशमी वस्त्र (करोड़ मीटर)							

(घ) जूनी और वस्टेड (लाख मीटर) <sup>10</sup>	61	133	143	---	---	---	---
7. घाघ उद्योग							
(39) चीनी (अक्तूबर-सितम्बर) (लाख टन)	11.3	30.3	37.4	51.48	82.30	59.08	61.43
(40) चाय (करोड़ किलोग्राम)	27.7	32.2	42.3	56.8	56.7	60.2	61.3
(41) कॉफी (हजार टन)	21.0	54.1	71.4	139.5	135.9	109.4	141.6
(42) वनस्पति (हजार टन)	170	340	558	753	886	889	936
8. विजली उत्पादित <sup>11</sup> (करोड़ कि० वा० घंटे)	530	1,690	5,580	11,080	12,998	13,990	17,004

1. गोवा के 1969-70 तक के उत्पादन को छोड़कर।

2. इस्पात के मामले में 1970-71 तक।

3. तैयार इस्पात के मामले में 1970-71 तक।

4. रेल वक़्काषों में उत्पादन को छोड़कर।

5. लंडोवर, जीप, यूटीलिटिज, स्टेशन वैन और वनों सहित।

6. बसों, ट्रक, ट्रैक्टर और तीन और चार पहिए वाले वाहनों को मिलाकर।

7. इसमें ब्लैडिङ/मिश्रित सहित शत-प्रतिशत गैर-मूली धागे शामिल हैं (1970-71 से)।

8. 1970-71 से, ब्लैडिङ/मिश्रित सहित।

9. विस्फोट धागों, स्टेपल रेशों और एसीटेट धागों सहित।

10. प्राकड़े केवल 1977 से शुरू होने वाले वर्ष के हैं।

11. केवल जलचरधारी वस्तुओं से सम्बन्धित।

(घ) प्रत्यापी।





	5	6	7	8	9	10	11
2	239.0	242.8	275.7	287.1	288.5		+0.5
3	221.8						
4	373.2						
5	373.2						
6	121.2	182.1	174.0	183.2	190.7	202.6	+6.2
7	176.0	182.1	174.0	183.2	190.7	202.6	+10.0
8	404.8	145.2	150.6	182.9	195.4	215.0	
9	110.0	130.7	130.7	182.9	195.4	215.0	+9.9
10	116.7	122.1	109.0	87.8	90.7	99.7	
11	102.7	114.0	109.0	87.8	90.7	99.7	

अनु-पलब्ध

संख्या में साल के वर्षों के अंकड़े नए आधार पर तैयार किए गए हैं : (1970=100)  
 1970 में औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक 184.3 था। (आधार वर्ष 1960=100)

में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। संरक्षण प्रदान किए जाने और स्वदेशी आन्दोलन के कारण सूती कच्चे उद्योग की तेजी से प्रगति हुई। 1937 में सूती कपड़ा मिलों की संख्या बढ़कर 380 हो गई थी, जिनमें 2,02,464 करघे थे। मार्च 1985 के अन्त में 955 मिलें थीं (674 में कटाई और 281 में कटाई-बुनाई दोनों कार्य होते थे)। इनकी स्थापित क्षमता 244.2 लाख तनुके और 2.1 लाख करघे की थी। 1947 में सूती धागे का उत्पादन 59.7 करोड़ किलोग्राम और कपड़े का उत्पादन 350 करोड़ मीटर हुआ। 1985-86 में मिल धेड़ों में सूती धागे का उत्पादन 122.1 करोड़ किलोग्राम और सूती वस्त्र का 337.6 करोड़ मीटर रहा, जबकि विदेशित क्षेत्रों में 912.2 करोड़ मीटर उत्पादन हुआ।

### पटसन

पटसन उद्योग देश के सबसे पुराने उद्योगों में से है। यह देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का प्रमुख साधन है और इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देश में सबसे पहली विद्युत चालित पटसन मिन 1859 में कलकत्ता के पास रिशरा में स्थापित हुई थी और नवम्बर यह उद्योग तेजी से बढ़ता गया। 1947 में देश के विभाजन के कारण इस उद्योग को महत्वपूर्ण कच्चे माल से वंचित रहना पड़ा। 1947-48 में कच्चे पटसन का उत्पादन केवल 16.5 लाख गांठों का रहा गया, जबकि विभाजन से पहले उत्पादन 65.70 लाख गांठों का था। 1961-62 में कच्चे पटसन का उत्पादन 80 लाख गांठों के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

1985-86 में पटसन के मौसम (जुलाई-जून) में पटसन की शानदार फसल हुई और कच्चे पटसन का उत्पादन 120 लाख गांठों तक पहुंच गया जबकि 1984-85 में केवल 73 लाख गांठों का उत्पादन हुआ था। 1985-86 (अप्रैल-मार्च) में पटसन के सामान का 13.52 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष 13.70 लाख टन हुआ था। 1985-86 (अप्रैल-मार्च) में 270 करोड़ रुपये के पटसन के सामान का निर्यात हुआ जबकि गत वर्ष में यह 299.93 करोड़ रुपये का। पिछले कुछ वर्षों से देश के निर्यात व्यापार में कई कारणों से पटसन का भाव गिरता जा रहा है। कृत्रिम रेशों के सामान से पटसन के सामान की कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है।

देश में 69 पटसन मिलें हैं (इनमें से 3 मिलें शामिल हैं जो स्थायी तौर पर बंद हो गई हैं) जिनकी कुल स्थापित क्षमता 44,376 करघों की है। इनमें से 6 पटसन मिलें राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में हैं जो देश की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 12 प्रतिशत उत्पादन कर रही हैं। पटसन उद्योग लगभग 40 लाख कुपक परिवारों और लगभग 2.5 लाख औद्योगिक श्रमिकों को जीविका प्रदान करता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग देश में कच्चे पटसन तथा पटसन की वस्तुओं की परीक्षण-परिक्षे से जुड़े हैं।

### चीनी

चीनी उद्योग का देश के प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में दूसरा स्थान है। 1950-51 में चीनी मिलों की संख्या 138 थी, जो 1985-86 में बढ़कर 358 हो गई। चीनी का उत्पादन 1950-51 में 11.34 लाख टन था, जो 1977-78 में बढ़कर 64.62 लाख टन हो गया था लेकिन उसके बाद उत्पादन में कमी आयी



जिसका मुख्य कारण गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी आना था । 1978-79 में चीनी का उत्पादन पटकर 58.44 लाख टन रह गया और 1979-80 में तो यह और भी पटकर 38.59 लाख टन रह गया । इसके पश्चात विगत संबंधी विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन फिर बढ़ने लगा । 1980-81 में चीनी का उत्पादन 51.48 लाख टन तक बढ़ा और 1981-82 में यह 84.38 लाख टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया । 1982-83 में चीनी का उत्पादन रिकार्ड स्तर के निकट 82.32 लाख टन था । 1983-84 में कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण चीनी का उत्पादन पटकर 59.16 लाख टन रह गया ।

सरकार ने बढ़ती हुई मांग को देखते हुए चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जिनके फलस्वरूप 1984-85 में चीनी का उत्पादन बढ़ कर 61.44 लाख टन हो गया । 1985-86 में उत्पादन और अधिक बढ़कर 70 लाख टन हो गया । 1983-84 और 1984-85 में उत्पादन में कमी और आंतरिक खपत में वृद्धि के कारण चीनी का आयात करना अनिवार्य हो गया ताकि देश में चीनी उचित कीमतों पर मिलती रहे । 1984-85 में 4.83 लाख टन चीनी आयात की गई और 1985-86 में 19.35 लाख टन । 6 लाख टन और चीनी का भी आयात किया जा रहा है जो अप्रैल-सितम्बर, 1986 के दौरान देश में पहुंच जाएगी । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चीनी उद्योग के विकास में एक उल्लेखनीय बात यह रही कि सहकारी क्षेत्र में इस उद्योग का काफी विस्तार हुआ । अक्टूबर 1985 में 358 चीनी मिलों में से 186 मिलें सहकारी क्षेत्र में थीं ।

16 अगस्त 1978 से 16 दिसम्बर 1979 की संक्षिप्त अवधि के लिए चीनी पर से पूरी तरह नियंत्रण हटा लेने के बाद सरकार ने 17 दिसम्बर, 1979 से फिर चीनी पर आंशिक नियंत्रण लागू कर दिया और दोहरी मूल्य नीति अपनाई । यह नीति अभी जारी है । इस नीति के अंतर्गत हर कारखाने में तैयार चीनी का एक निर्धारित भाग सरकार, नियंत्रित-मूल्य पर लेवी के रूप में करीद लेती है और बाकी चीनी को बिना किसी नियंत्रण के खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे दी जाती है । 1984-85 तक लेवी का और खुली बिक्री चीनी का अनुपात 65:35 था । 1985-86 में यह अनुपात बदल कर 55:45 कर दिया गया ।

## सीमेंट

सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम मद्रास में 1904 में आरम्भ हुआ था । इस समय सीमेंट के 120 कारखाने हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 31 मार्च 1986 को लगभग 4.55 करोड़ टन प्रतिवर्ष है । 1985-86 में सीमेंट का कुल उत्पादन (सब प्रकार की डिस्को सहित) 3.3 करोड़ टन हुआ जबकि 1980-81 में यह 1.87 करोड़ टन था । 1950-51 में सीमेंट उत्पादन मात्र 27.3 लाख टन ही था ।

सीमेंट की कीमत और वितरण को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार ने 28 फरवरी 1982 से सीमेंट को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करने का फैसला किया । आजकल पुरानी सीमेंट इकाइयों को अपने उत्पादन का 60 प्रतिशत लेवी

के रूप में नियंत्रित मूल्य पर देना पड़ता है। जिन इकाइयों ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी 1982 के बाद शुरू किया और जिन इकाइयों को रण माना जाता है, उन्हें अपने उत्पादन का 40 प्रतिशत लेवी के रूप में देना पड़ता है। लेवी सीमेंट इन कामों के लिए दिया जाता है—केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय और राज्यों के निगमों के निर्माण कार्य के लिए, अधिमूचित पिछड़े हुए जिलों में स्थापित होने वाले बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों और लघु उद्योगों को कारखानों के निर्माण के लिए, छोटे उपमोक्ताओं को उनके निर्धारित क्षेत्रफल वाले मकान बनाने के लिए तथा थोड़ी मात्रा में स्थायी मकानों की मरम्मत के लिए।

इस उद्योग ने काफी बड़ी राशि आधुनिकीकरण और विस्तार, प्रीकॉल्लिनेटर्स और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आदि लगाने में व्यय की है।

सरकार ने यह फैसला किया कि सभी कारखानों का कारखाना धारक मूल्य एक ही होगा केवल आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (ओ० पी० सी०), पोर्टलैंड स्लैम सीमेंट (पी० एस० सी०) और पोर्टलैंड पोर्जेलाना सीमेंट (पी० पी० सी०) के धारक मूल्य ही अलग होंगे। ओ० पी० सी०/पी० एस० सी० के मामले में धारक मूल्य 375 रुपये प्रति टन तथा पी० पी० सी० का धारक मूल्य 360 रुपये प्रति टन है। 1 अक्टूबर 1982 से सभी सीमेंट कारखानों को सीमेंट पैकिंग के लिए उन्नत बुनाई वाला नयी बोरियो का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

सभी छोटे सीमेंट कारखाने (66,000 टन प्रति वर्ष खंगर और पिस्ताई कार्यों की क्षमता तक) मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त हैं। जून 1983 में सीमेंट (किस्म) नियंत्रण आदेश, 1962 को संशोधित किया गया ताकि लघु सीमेंट कारखानों सहित सभी सीमेंट उत्पादकों के लिए भारतीय मानक संस्था का प्रमाण-चिन्ह लेना आवश्यक हो जाए।

भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड केन्द्रीय क्षेत्र में सीमेंट उत्पादन करने वाला एकमात्र सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। निगम के 6 राज्यों में 9 कारखाने हैं, इनमें से कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणचल तथा हरियाणा में एक-एक, आन्ध्र प्रदेश में 2 और मध्य प्रदेश में 3 कारखाने हैं।

### कागज और गत्ता

कागज उद्योग, जिसमें लुगदी, कागज, गत्ता तथा अखबारों का कागज शामिल है, देश के बुनियादी महत्व के उद्योगों में से एक है। 1950-51 में कागज तथा गत्ते का उत्पादन करने वाली 17 मिलों की स्थापित क्षमता 1,36,600 टन थी। उद्योग ने तब से लगातार तेज प्रगति की है और 1 जनवरी, 1986 को देश में 26.55 लाख टन वार्षिक व्यापक क्षमता की 271 इकाइयाँ कार्यरत थीं। वर्ष 1951 के 1.09 लाख टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 1985 में उत्पादन 15 लाख टन रहा।

### अखबारों का कागज

कुछ ही समय पहले तक नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपालगर (म० प्र०) देश में अखबारों का कागज का उत्पादन करने वाली एकमात्र इकाई थी। इस मिल ने, जो अब सार्वजनिक क्षेत्र में है, 1955 में उत्पादन प्रारम्भ किया था।

कर्नाटक में मैसूर पेपर मिल राज्य सरकार का एक उपक्रम है। इसकी 75,000 टन की वार्षिक क्षमता की अखवारी कागज परियोजना ने 1981 में उत्पादन शुरू किया। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (अब हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड) की 80,000 टन वार्षिक क्षमता वाली इकाई, केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट ने 1982 में उत्पादन शुरू कर दिया। तमिलनाडु न्यूजप्रिंट और पेपर्स लिमिटेड (राज्य सरकार का एक उपक्रम) की प्रस्थापित क्षमता 50000 टन वार्षिक है। यहाँ 1985 में उत्पादन शुरू हो गया। इस तरह अब अखवारी कागज की प्रस्थापित क्षमता बढ़ कर 1985 में 2.80 लाख टन वार्षिक हो गई है। 1981-82 में देश में अखवारी कागज का घरेलू उत्पादन 55,021 टन था जो 1985-86 में 2.70 लाख टन हो गया।

सिनेमा और  
एक्स-रे फिल्मों  
की रीले

सिनेमा और एक्स-रे फिल्मों की रीले, फिल्म तथा ग्राफिक कला और औद्योगिक फोटोग्राफी में काम आने वाली फिल्में तथा फोटो पेपर बनाने के लिए सरकार ने 1960 में उदगमंडलम में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड की स्थापना की। इस कारखाने की कुल स्थापित क्षमता (समन्वित उत्पादन और जम्बो परिवर्तन के लिए) 153.24 लाख वर्ग मीटर की है।

लोहा और इस्पात

भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का आरम्भ 1870 में हुआ, जब बंगाल आयरन वर्क्स कम्पनी (इस्को की पूर्ववर्ती) ने कुल्टी, पश्चिम बंगाल में अपने संगत की स्थापना की। लेकिन बड़े परिमाण में उत्पादन का प्रयास 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना के साथ आरम्भ हुआ। इसके बाद 1919 में बर्नपुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना हुई। 1923 में भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य शुरू किया।

स्वतन्त्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास के बारे में पहली पंचवर्षीय योजना पर विचार किया गया, लेकिन इसका काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में जाकर ही हो सका, जिसमें 10-10 लाख टन इस्पात पिण्डों की क्षमता की 3 परियोजनाएँ भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्थापित की गईं। निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों, 'डिस्को' और 'इस्को' की उत्पादन क्षमता क्रमशः 20 लाख टन और 10 लाख टन तक बढ़ाने का काम हाथ में लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों कारखानों में उत्पादन 1956 और 1962 के बीच आरम्भ हुआ। निजी क्षेत्र के कारखानों का विस्तार 1959 में पूरा हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों के विस्तार और बोकारो में एक और इस्पात कारखाने की स्थापना पर जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना का आधार यह था कि वर्तमान इस्पात कारखानों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाए और सेलम (तमिलनाडु), विजय नगर (कर्नाटक) और विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में नये इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ा दी जाए कि यह पांचवीं योजना की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

परन्तु पाँचवीं योजना के क्रम में ही, योतिषित समय के एक वर्ष पहले ही 31 मार्च 1978 को समाप्त हो गई। यह समय भी मर्रा। 1978 में बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर इसका उत्पादन क्षमता में वृद्धि 17 लाख टन की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 1974 तक कुल उत्पादन इस्पात पिंड उत्पादन जो कि 89 लाख टन था, 31 मार्च 1978 तक बढ़कर 106 लाख टन हो गया।

14 जुलाई 1972 को नरसरा ने इन्डियन आयरन एंड स्टील बंगाले (इस्को) का प्रबंध करने हाथ में ले लिया था तथा उसके काम में सुधार लाने की दृष्टि में उनका स्वामित्व भी 17 जुलाई 1976 को प्राप्त कर कर लिया गया।

भाबकल बोकारो इस्पात कारखाने और भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करके प्रत्येक की क्षमता 40 लाख टन का कच्चा इस्पात हो जा रही है। बोकारो में लोहा और इस्पात बनाने वाली मशीनयाँ इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है और इनमें मई 1988 तक 4 लाख टन के उत्पादन स्तर के लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटाए जाने की भांशा है। भिलाई में विस्तार का काम दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण की सभी इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। दूसरे चरण की इकाइयों में भी उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और मार्च 1988 तक यहाँ पूरी तरह उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

दुर्गापुर स्थित भलाय स्टील प्लांट (मिथ इस्पात कारखाने) की क्षमता 1,60,000 टन मिथ इस्पात पिंड और विद्येय इस्पात बनाने की है। भाबकल इसकी क्षमता बढ़ा कर 2,60,000 टन कच्चा इस्पात की जा रही है। इसके लिए परिष्कृत वी० ए० डी०/वी० ओ० डी० प्रशियाएँ और निरन्तर बनाई का उपयोग किया जा रहा है। सेलम इस्पात कारखाने की क्षमता 32,000 टन स्टेनलेस स्टील की चादरें/तारों की है। मार्च, 1982 में यहाँ याणित्मिक उत्पादन शुरू हो गया। इस कारखाने में परिष्कृत स्टेनलेस स्टील की पादरें/तारें बनती हैं जो औद्योगिक क्षेत्र में और रसोई का सामान बनाने के काम आती हैं।

भिलाई, बोकारो और मिथ इस्पात कारखानों की विस्तार योजनाएँ पूरी हो जाने पर, इन कारखानों की जो क्षमता हो जाएगी, वह सारणी 20.6 में दिखाई गई है।

(हजार टन में)

सारणी 20.6  
इस्पात कारखानों  
की क्षमता वर्तमान  
विस्तार के बाद

कारखाना संयंत्र	निर्धारित क्षमता	
	कच्चा इस्पात	मिथी योग्य इस्पात
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र		
स्टील प्रयाग्टी धाफ इंडिया लि०		
भिलाई	4,000	3,183
दुर्गापुर	1,000	1,230

	2	3
1	1,800	1,225
राउरकेला	4,000	3,156
बोकारो	1,000	800
इस्को (इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी)	12,400	9,573
कुल एकीकृत इस्पात कारखाने	260	185
मिश्र इस्पात कारखाना	—	32
सेलम इस्पात कारखाना	—	—

स्टील अयारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व का उपक्रम है। यह पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों अर्थात् भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, वर्नपुर तथा साथ ही ए०एस०पी० तथा सेलम इस्पात कारखाने के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। स्टील अयारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने हाल में महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड नामक एक छोटे इस्पात कारखाने का प्रबंध संभाल लिया है। यह कारखाना फ़ैरो मैंगनीज और इस्पात बनाता है। वर्नपुर स्टील वर्क्स का काम इंडियन आयरन एंड स्टील कं० के हाथ में है, जो पूरे तरह सेल की पूर्णतः नियंत्रित कम्पनी है। 31 मार्च 1986 को कम्पनी की अर्द्धकृत पूंजी 4,000 करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी 3923.96 करोड़ रुपये (इसमें 52.31 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी भी शामिल है)। 1985-86 के दौरान कम्पनी का कुल उत्पादन 4470 करोड़ रुपये (अंतिम, इस्को को छोड़कर) का था। 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान सेल तथा टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी के संयंत्रों से इस्पात पिंडों, विक्री योग्य इस्पात, विक्री योग्य कच्चे लोहे का उत्पादन सारणी 20.7 में दिखाया गया है।

विजली की इस्पात भट्टियां, जिन्हें सामान्यतः लघु इस्पात संयंत्र कहा जाता है, रद्दी (सक्रैप) धातु और स्पंज लोहे से इस्पात तैयार करती हैं। ये संयंत्र हमारे देश के इस्पात उद्योग के महत्वपूर्ण भाग हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्र नम इस्पात के साथ-साथ मिश्र इस्पात भी तैयार करते हैं, जबकि लघु इस्पात संयंत्र नम इस्पात के उत्पादन महंगा पड़ता है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन की इस्पात भी तैयार करते हैं, जिन्हें इस समय देश में 199 लघु इस्पात संयंत्र हैं, जिनकी कुल लाइसेंस उत्पादन क्षमता 62 लाख टन प्रतिवर्ष से अधिक है। इनमें से 159 इस्पात में उत्पादन हो रहा है और उन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिए। शेष क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन इकाइयों के अतिरिक्त, चाप भट्टियों वाली कुछ ऐसी इकाइयां भी हैं, जिनके पास लोहे की ढलाई लाइसेंस है, लेकिन उन्हें इस्पात पिंड का उत्पादन करने की अनुमति नहीं है। 1985-86 के दौरान लघु संयंत्रों का उत्पादन 2.8 लाख टन

विशाखापत्तनम  
इस्पात कारखाना

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (बी० ए० पी०) भारत में पहली एकीकृत इस्पात योजना है जिसे दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के नजदीक स्थापित किया जा रहा है। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के डिजाइन में कई आधुनिक टेक्नोलॉजिकल विशेषताओं को शामिल किया गया, जैसे शुष्क शमन सुविधाओं सहित 7 मीटर ऊंची कोक ओवन वैंटरियां, 3200 घन मीटर वाली ब्लास्ट भट्टी शत-प्रतिशत निरन्तर ढलाई की सुविधाएँ आदि।

इस संयंत्र का निर्माण कार्य दो चरणों में पूर्ण होगा तथा इसमें प्रतिवर्ष 34 लाख टन तरल स्टील का उत्पादन होगा।

परियोजना की लागत के लिए सरकार ने 3,897.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है जिसमें उपकरणों के लिए 679.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। कीमतों के लिए प्राधार वर्ष 1981 माना गया है। संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

स्पंज लोहा

स्पंज लोहे को मुख्यतया लघु इस्पात संयंत्रों में इस्पात ढालने के लिए रद्दी (स्त्रैम) धातु के स्थान पर कच्ची सामग्री के तौर पर प्रयोग किया जाता है। देश में उपलब्ध गैर-कोकिंग कोयले के विशाल भंडारों के इस्तेमाल करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए और कोकिंग कोयले के साधनों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडम में एक विशेष परियोजना शुरू की गई है। यह यू० एन० डी० पी० सहायता प्राप्त परियोजना है। संयंत्र में देशी लौह अयस्क तथा गैर-कोकिंग कोयले से स्पंज लोहे का उत्पादन हुआ है। संयंत्र की उत्पादन क्षमता को 30,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 60,000 टन प्रति वर्ष किया जा रहा है। यह विस्तार योजना पूरी हो चुकी है तथा जुलाई 1985 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की आशा है।

सेलम इस्पात  
कारखाना

सेलम इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता 32,000 टन स्टेनलेस स्टील चादरों/तारों की है। मार्च 1982 से इसने व्यापारिक उत्पादन करना शुरू कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में काम में आने वाले आधुनिकतम स्टेनलेस स्टील चादरों/तारों के उत्पादन में भी संयंत्र सक्षम है।

मेटालर्जिकल एंड  
इंजीनियरिंग  
कंसल्टेंट्स

मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकोन) को पहल सेंट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो कहा जाता था, जिसकी स्थापना लोहे तथा इस्पात के क्षेत्र में सलाहकार तथा इंजीनियरी सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की एडवाइ के रूप में 1959 में की गई थी। 1973 में मेकोन को एक स्वतन्त्र कंपनी के रूप में गठित किया गया और यह स्टोन अपारिटी आफ इंडिया (सेल) की सहायक बन गई। 1978 में सार्वजनिक क्षेत्र के लोहा तथा इस्पात उद्योग का पुनर्गठन किया गया तो मेकोन को 'सेल' से मलग करके इसे भीड़ इस्पात और घान मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में कर दिया गया।

(हजार टनों में)

सारणी 20.7

लोहे और इस्पात का उत्पादन

मार्च 1986

विक्री योग्य कच्चा लोहा

विक्री योग्य इस्पात

इस्पात पिंड

संवत्

	1983-84	1984-85	1985-86	1983-84	1984-85	1985-86	1983-84	1984-85	1985-86
1	1837	1998	1988	1998	1988	1988	1998	1988	1988
2	806	760	1119	760	1119	1119	760	1119	1119
3	1088	1925	1681	1925	1681	1681	1925	1681	1681
4	1681	444	543	444	543	543	444	543	543
5	5955	6246	5955	6246	5955	5955	6246	5955	5955
योग	1973	2050	1973	2050	1973	1973	2050	1973	1973
टिस्को	85	85	85	85	85	85	85	85	85
सेल के अधीन इस्पात संयंत्र	67	67	67	67	67	67	67	67	67
ए एस पी	---	---	---	---	---	---	---	---	---
एस एस पी	---	---	---	---	---	---	---	---	---

एकीकृत इस्पात संयंत्र

1. भिलाई

2. दुर्गापुर

3. राजकोटा

4. वोकारो

5. इस्को

योग

टिस्को

सेल के अधीन इस्पात संयंत्र

ए एस पी

एस एस पी

मेकॉन निम्नलिखित कार्य निष्पादन करना है—लौह तथा अलौह धातु-कर्म उद्योगों की स्थापना में तकनीकी परामर्श, डिजाइन तैयार करने और इंजीनियरी तथा परियोजना के तकनीकी प्रबंध के बारे में मलाह देना, कोक ओवन वैंटरियो (7 मीटर ऊंची कोक ओवन सहित) और शुष्क कोक प्रगीतन मंत्रों और रोलिंग मिलों के लिए डिजाइन तैयार करना और उपकरण मुहैया करना। लौह और अलौह धातुओं आदि के प्रोसेसिंग लाइन्स के लिए डिजाइन और इंजीनियरी सेवाएं मुहैया करना।

इने जो प्रमुख ठेके मिले हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं—(क) विनाशा-पतनम इस्पात कारखाने के लिए कारखाने के डिजाइन, उपकरण और प्रयालिया तैयार करना, कोक ओवन वैंटरियो, रोलिंग मिलों, गैस क्लीनिंग प्लांट आदि को निर्मित और चालू करना, इन मय पर काम चालू है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना और इंडियन आयर्न एंड स्टील कम्पनी लि० के आधुनिकीकरण के प्रस्तावों के बारे में परामर्श सेवाएं प्रदान करना, (ग) देश के विभिन्न रक्षा संस्थानों के लिए डिजाइन, इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, (घ) मंगलौर स्थित 3.0 एम० टन क्षमता वाले के० आई० सी० एल० के पेनेटाइजेशन प्लांट के लिए व्यापक इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करना। इसमें परियोजना प्रबंध भी शामिल है। (डिजाइन और इंजीनियरी का काम पूरा हो चुका है और अब कारखाना निर्माणाधीन है), (ङ) मै० सेंचुरी ट्यूबन नई दिल्ली के लिए तथा मै० मुनक गल्वा शीट्स, नई दिल्ली के लिए गिनी गल्वानाईजिंग लाइन्स का निर्माण तथा उसके लिए इंजीनियरी, आपूर्ति और निर्माण कार्य का निरीक्षण तथा उसे चालू करना, (च) मै० पेन्नार स्टील्स लि० हैदराबाद के लिए कोल्ड रोलिंग मिल का डिजाइन और आपूर्ति, (छ) मै० पावरेकम स्टील लि० हैदराबाद के लिए हाई स्पीड स्टील प्लांट के लिए, विस्तृत इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, (ज) दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों के लिए कोक ओवन वैंटरिया लगाने के लिए डिजाइन इंजीनियरी देखभाल सेवाएं प्रदान करना और उन्हें चालू करना। मेकॉन अब नाइजीरिया में अजाओकुटा स्थित 1.3 एम० टन वार्षिक क्षमता वाले ब्लास्ट भट्टी पर आधारित समन्वित इस्पात कारखाने के लिए परामर्श परियोजना प्रबंध और तकनीकी सेवाएं मुहैया कर रहा है।

पिछले दशक में मेकॉन से काम करने वाले तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 1970 में यहाँ केवल 600 तकनीकी कर्मिक थे, जिनमें से 400 इंजीनियर थे और 200 मानचित्रक। अब यह संख्या बढ़कर 2,100 हो गई है, जिनमें से 1,500 योग्यता प्राप्त इंजीनियर हैं और 600 मानचित्रक हैं। इनके अतिरिक्त 1660 अन्य तकनीकी व गैर-तकनीकी व्यक्ति भी हैं। इस तरह यहाँ कुल 3,700 व्यक्ति काम कर रहे हैं।

## इन्जीनियर उद्योग

भारतीय इंजीनियरी उद्योग इस समय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के पूंजीगत साज-सामान की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। पिछले लगभग तीन दशकों में इस उद्योग की स्थिति एकदम बदल गई है। उद्योग ने आयात पर निर्भरता



समाप्त करके आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और अब इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है। चौथी योजना के दौरान देश में स्थापित विजली उत्पादन क्षमता के लगभग 75 प्रतिशत को आयातित उपकरणों से प्राप्त किया गया, लेकिन पांचवीं योजना के दौरान इस स्थिति को उलट दिया गया, जबकि देश में ही निर्मित 85 प्रतिशत उपकरण लगाए गए। अर्थव्यवस्था के इस्पात तथा अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही अनुभव रहा है।

पिछले तीन दशकों के दौरान नियोजित विकास, उत्पादन क्षमताओं का विस्तार, तकनीकी सुयोग्यता की प्राप्ति, अत्याधुनिकता तथा उत्पादन विविधता के परिणामस्वरूप, इंजीनियरी उद्योग के विकास से भारत से इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात भारत के कुल निर्यात का महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। 1956-57 में इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात 5 करोड़ रुपये था, 1980-81 में यह निर्यात 900 करोड़ रुपये से भी अधिक था और 1981-82 में यह बढ़कर 1,060 करोड़ रुपये, 1982-83 में 1,250 करोड़ रुपये, 1983-84 में 1,170 करोड़ रुपये तथा 1984-85 में 1,300 करोड़ रुपये हो गया। 1956-57 में पूंजीगत सामान तथा 'टर्नकी' परियोजनाओं का निर्यात 12 प्रतिशत था, जो 1980-81 में बढ़कर 37 प्रतिशत तथा 1984-85 में 42 प्रतिशत से ज्यादा हो गया। आशा है कि इस दशक के अन्त तक यह निर्यात 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

भारी इंजीनियरी/  
भारी अभियांत्रिक  
औद्योगिक  
मशीनरी

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक एकक हैं, जो इस्पात कारखानों के लिए उपकरण, खनन उपकरण, उर्वरक रसायन, पेट्रोरसायन और पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रक्रिया उपकरण, परिवहन उपकरण, जैसे रेलवे के लिए वाहन और दूसरे मशीनी उपकरण बना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात कारखानों के उपकरणों का निर्माण भारी इंजीनियरी निगम, रांची (स्थापित 1958) कर रहा है। इसके तीन संयंत्र हैं—भारी मशीन निर्माण संयंत्र, ढलाई भट्टी संयंत्र और भारी मशीन उपकरण संयंत्र। 1985-86 में इन तीन संयंत्रों द्वारा कुल उत्पादन 207 करोड़ रुपये का था, जबकि 1984-85 में 195 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ।

खनन और सम्बन्धित मशीनरी निगम, दुर्गापुर में वर्ष 1985-86 के दौरान 49 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों का उत्पादन हुआ।

भारत हीवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि० (बी० एच० पी० वी०) एक दूसरा एकक है जो सार्वजनिक क्षेत्र में 1966 में स्थापित हुआ। यह कारखाना इवोपो-रेशन (वाष्पीकरण संयंत्र) टिटानियम एनोड्स, हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल्स, स्टोरेज टैंक, मल्टीलेयर वेसल्स, लघु आक्सीजन संयंत्र, क्रायो कंटेनर्स, इण्डस्ट्रियल वायलर्स स्क्रॉयर्स, टर्नेज आक्सीजन संयंत्र आदि बनाता है। 1985-86 में इनका कुल उत्पादन 91 करोड़ रुपये का था।

भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद बहुत से उद्योगों के लिए रेसीप्रोकेटिंग और सेन्ट्रीफुगल पम्प और कम्प्रेसर्स बना रहा है। रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्रैथवेल्स एण्ड कम्पनी, जेसप एण्ड कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र के

भारी उद्योग एकक है, जो इस्पात संरचनाओं के डिजाइन तैयार करने और विद्युत ट्रांसमिशन टावरों के निर्माण में लगे हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का एक और भारी उद्योग, हुगली डंक गण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि०, जिसका जून 1984 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए विभिन्न प्रकार के बर्हाजों, वेसलों, श्राफ्टों, ड्रेजर्स, प्लोटिंग ड्राइव डॉकों, मछली पकड़ने के दासरो, समुद्री प्लेटफार्म, सप्लाय व सपोर्ट वेसलों के निर्माण में लगा है और साथ ही प्रे-आयर्न, अलौह और मिश्र धातुओं की इलाई की मशीनों और उपकरणों का उत्पादन भी कर रहा है, जो चाय, चीनी, रासायनिक उर्वरक और अन्य इंजीनियरी उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा यह उपकरणों के सामान्य निर्माण और मशीनों से संबंधित कार्य में भी लगा है।

सार्वजनिक क्षेत्र में चार एकक रेलवे बैगन तैयार करते हैं। ये हैं। वन स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, ब्रेथवेट्स एण्ड कम्पनी, जेसप एण्ड कम्पनी और भारत बैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड। बैगनों के अतिरिक्त वन स्टैण्डर्ड कंपनी लि० पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु के अपने विभिन्न सर्वत्रों में रीफ्रेक्टरों का भी उत्पादन कर रहा है। जेसप एंड कंपनी अपनी कलकत्ता वर्कशाप में ब्रेन, स्ट्रकचरल्स और पेपर मशीनरी का उत्पादन कर रही है।

#### परिवहन उपकरण और ट्रैक्टर

1985 में परिवहन के क्षेत्र में 1,05,300 व्यापारिक वाहनों, 88,700 कारों, 28,500 जीपों तथा 9530 रेलवे बैगनों का उत्पादन हुआ। 1985 में 80,800 ह्युवि ट्रैक्टर भी बनाए गए।

महति उद्योग लिमिटेड ने, जो कि जापान की सुजुकी मोटर कम्पनी के वित्तीय व तकनीकी सहयोग से इस क्षेत्र में आई है, दिसम्बर 1983 से कम्पनी द्वारा निर्मित प्रथम कार का वितरण किया। 1985-86 के दौरान 33,306 मात्रो कारें तथा 16,565 बैन निर्मित की गईं।

#### मशीनी औजार

मशीनी औजारों का उत्पादन संगठित क्षेत्र में (सार्वजनिक और निजी, 1960 में 6 करोड़ रुपये से, 1984 में 291 करोड़ रुपये तक बढ़ा है। 1985 में मशीनी औजारों का उत्पादन 301 करोड़ रुपये का हुआ। देश में मशीनी औजारों के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत निर्यात किया गया।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड मशीनी औजारों का एक प्रमुख निर्माता है। एच० एम० टी० के अनेक कारखानों में निर्मित मशीनी औजारों का उत्पादन 1985-86 में 146 करोड़ रुपये था।

केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान, बगलूर (जो सरकार का एक अनुदान प्राप्त संस्थान है) देश का प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है जो नये डिजाइनों के विकास, प्रोटोटाइपों के मूल्यांकन, मशीनी औजारों के परीक्षण

और अनुसंधान द्वारा मशीनी औजार और इंजीनियरिंग उद्योगों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

### प्रागा टूल्स लिमिटेड

प्रागा टूल्स लिमिटेड (पी० टी० एल०) सार्वजनिक क्षेत्र का एक रक्षा उपक्रम है, 25 अप्रैल, 1986 से इसकी उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है। यह कम्पनी कई तरह के मशीनी उपकरण बनाती है, जो इस प्रकार हैं—कटर और टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइन्डर, पीसने वाली मशीनों में काम आने वाला खराद, थ्रोट रोलिंग मशीनों और खुदाई की मशीनों। हाल ही में विविध उत्पादन कार्यक्रमों के तहत कम्पनी ने अपनी उत्पादन सीमा को बढ़ाया है। सी० एन० सी० मशीन केन्द्रों ने थ्रोट रोलिंग मशीनों और औजारों की किस्मों में सुधार किया है। कम्पनी 1986-87 में 31.70 करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की आशा करती है, जो कि 1985-86 के 21.94 करोड़ रुपये के उत्पादन के मुकाबले 45 प्रतिशत अधिक होगा।

### भारी विद्युत उपकरण सम्बन्धी उद्योग

विद्युत शक्ति उपकरण उद्योग देश में आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णरूपेण सक्षम है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड देश में विजली उत्पादन के उपयोग में आने वाले उपकरण तैयार करने वाला प्रमुख उपक्रम है। उपकरण तैयार करने के कारखाने भोपाल, त्रिची, हैदराबाद, हरिद्वार, रानीपेट, जगदीशपुर और बंगलूर में हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान कुल उत्पादन, 1,700 करोड़ रुपये आंका गया था, जो कि वर्ष 1984-85 के 1,482 करोड़ रुपये उत्पादन की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

### उर्वरक

उर्वरक उद्योग में तीन दशकों के आयोजन और विकास से भारत विश्व के प्रमुख उर्वरक उत्पादक देशों में से एक हो गया है। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। कृषि के विकास में उर्वरक मुख्य साधन हैं और इसीलिए देश की विकास नीति में उर्वरक उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। 1 अक्टूबर 1986 को देश में 40 बड़े उर्वरक कारखाने थे जिनमें साधारण नाइट्रोजनयुक्त मिश्रित और फास्फेटीय उर्वरकों का उत्पादन होता है। इसके अलावा करीब 55 छोटे कारखाने हैं, जिनमें केवल सुपर फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन होता है और 6 कारखानों में इस्पात कारखाने के सह-उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है।

1986 की पहली छमाही में गुजरात में हज्जिरा स्थित कृपक भारती कोआपरेटिव लि० के विशाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया। पारादीप (उड़ीसा) में स्थित पारादीप फास्फेट लिमिटेड के विशाल डाई अमोनियम फास्फेट कारखाने में भी उत्पादन शुरू हो गया। हल्दिया (प० बंगाल) स्थित हिन्दुस्तान लीवर लि० के लघु डाई अमोनियम फास्फेट कारखाने में भी उर्वरक बनने लगे। एक और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कारखाने (हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन की नामरूप-III परियोजना) में शीघ्र ही उत्पादन होने लगेगा।

नाइट्रोजन उत्पादन-क्षमता 1951-52 में 85 हजार टन से बढ़कर 1 अक्टूबर 1986 को 67.42 लाख टन हो गयी। फास्फेटिय उर्वरक उत्पादन क्षमता 1951-52 में 63,000 टन से बढ़कर 1986-87 में 20 लाख 23 हजार टन हो गयी। 1951-52 में नाइट्रोजन का उत्पादन 16,000 टन और फास्फोरस-पेंटाक्साइड का उत्पादन 11 हजार टन था, जबकि 1985-86 में उर्वरक उत्पादन करीब 43.28 लाख टन नाइट्रोजन और 14 लाख 28 हजार टन फास्फोरस-पेंटाक्साइड का हुआ। 1986-87 में उत्पादन और अधिक बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन 51.75 लाख टन और फास्फोरस पेंटाक्साइड उर्वरकों का 17.75 लाख टन हो जाएगा।

उर्वरकों की क्षमता और उत्पादन में जोरदार वृद्धि होने के बावजूद अभी भी देश की उर्वरकों की सारी आवश्यकता पूरी करने के लिए काफी मात्रा में उर्वरक आयात करने पड़ते हैं। इसलिए देश की उर्वरक क्षमता को और अधिक बढ़ाने पर निरन्तर जोर दिया जाता है और उसके लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी तट पर मिलने वाली गैस पर आधारित छह विशाल नाइट्रोजन युक्त कारखाने मध्यवर्ती और उत्तरी क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इनमें से एक कारखाना मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयनगर में, एक राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में विलोधा में और शेष चार उत्तर प्रदेश में मुलतानपुर, बरेली, बदायूँ और शाहजहापुर जिलों में लगाए जाएंगे। इनके अतिरिक्त असम में नामरूप स्थित नामरूप-III परियोजना के अन्तर्गत भी गैस पर आधारित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कारखाना पूरा होने वाला है। आन्ध्र प्रदेश में काकीनाडा में नेप्या पर आधारित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कारखाना भी स्थापित किया जा रहा है। मिश्रित फास्फेट उर्वरक बनाने के भी पांच नए विस्तार कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। मिगल मुपर फास्फेट के रूप में अतिरिक्त फास्फेटिय उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस/आशयपत्र जारी किए जा रहे हैं। इस समय जो परियोजनाएं चल रही हैं उन सभी के पूरा हो जाने के बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की क्षमता लगभग 95 लाख टन और फास्फोरस पेंटाक्साइड उर्वरक की क्षमता 29 लाख टन हो जाएगी। सातवीं योजना में योजनावधि के अन्त (1989-90) तक 92.53 लाख टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और 28.91 लाख टन फास्फोरस पेंटाक्साइड क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने कानूनन उर्वरकों की कीमतों पर नियंत्रण रखा हुआ है ताकि किसानों को देश भर में उचित और समान कीमतों पर उर्वरक मिल सके। तथापि मूल्यों को कम रखने के लिए सरकार प्रतिवर्ष अधिकाधिक राशि सब्सिडी के रूप में देती रही है। देश में बने उर्वरकों पर दिए जाने वाली सब्सिडी की राशि 1981-82 में 275 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,600 करोड़ रुपये हो गई। सब्सिडी की सीमा के भीतर रखने के लिए सरकार ने, 31 जनवरी 1986 से उर्वरकों के वैधानिक मूल्य बढ़ा दिए हैं। पर इस वृद्धि के बावजूद आज भी उर्वरकों के मूल्य उसी स्तर पर हैं जिस पर पांच वर्ष पहले थे।

भारत 1986

सार्वजनिक क्षेत्र के इंजीनियरी और तकनीकी परामर्श-संगठनों ने रसायन और उर्वरक उद्योग के लिए स्वदेशी जानकारी जुटाने/विकसित करने की दिशा में काफी प्रगति की है। ये प्रतिष्ठान हैं—प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट (इंडिया) लिमिटेड (पी० डी० आई० एल०), एफ० ए० सी० टी० इंजीनियरिंग एंड डिजाइन आर्गनाइजेशन (एफ० आई० ओ०) और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ई० आई० एल०)। इन प्रतिष्ठानों ने व्यापक संभावना-अध्ययन किए हैं तथा उर्वरक संयंत्र चालू करने के बारे में विस्तृत इंजीनियरी-निर्माण तथा अन्य जानकारी प्राप्त की है। इन वर्षों में देश में उर्वरक उद्योग की विशेष मांगों को पूरा करने के लिए हाई प्रेशर वेसल्स, कम्प्रेसर, पीम्प, हीट-एक्सचेंजर आदि का उत्पादन करके व्यापक और विविध औद्योगिक आधार तैयार किया गया है।

क, क्षेत्र  
ष्ठान

उर्वरक उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी क्षेत्र पहला उर्वरक कारखाना सिन्दरी, विहार में है, जिसमें 1951 में उत्पादन रसायन लिमिटेड के नाम से फरवरी 1956 में स्थापित किया गया। डाम्बे में एक और उर्वरक संयंत्र के वन जाने से सरकार ने सभी उर्वरक कारखानों को एक प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का फैसला किया। इस प्रकार जनवरी 1961 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपये की अधिभूत धनराशि के साथ राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 23 अगस्त, 1974 को की गयी। इसके बाद, भारतीय उर्वरक निगम और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड को वितरण भंडार और भौगोलिक आधार पर 1 अप्रैल, 1978 वं चार कंपनियों के रूप में पुनः संगठित किया गया।

भारतीय उर्वरक निगम के अधीन इस समय चार कारखाने सिन्दरी, गोरख-तल्चर (उड़ीसा) और रामगुंडम (आंध्र प्रदेश) में चल रहे हैं। इनमें 8 लाख 6 हजार टन नाइट्रोजन और 1 लाख 50 हजार टन फास्फोरस-पेंटाक्साइड के उत्पादन की क्षमता है। इसके अलावा राजस्थान में जिप्सम की खानों में जोधपुर खान संगठन के नाम से चल रहा संस्थान भी इसी के अधीन है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अधीन इस समय चार कारखाने चल रहे हैं। ये हैं—नंगल का कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कारखाना और नंगल, भटिंडा तथा पानीपत के यूरिया कारखाने। कंपनी ने मध्य प्रदेश में गुना उर्वरक संयंत्र का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

'द फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड' (फैक्ट) उद्योग मंडल (केरल के अधीन फिलहाल तीन कारखाने चल रहे हैं। एक उद्योग मंडल में है और दो कोचीन में। उर्वरक के अलावा यह कंपनी रसायनों के उत्पादन में भी लगी है। कंपनी का एक दूसरा प्रभाग फैक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन आरगनाइजेशन उर्वरक/रासायनिक संयंत्रों के निर्माण/चालू किये जाने के डिजाइन, इंजीनियरी खरीद और पर्यवेक्षण का कार्य कर रहा है।



भारत 1986

रासायनिक उद्योग की प्रगति पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति के अनुरूप ही रही है। अप्रैल-मार्च 1986 के दौरान संगठित क्षेत्र के उद्योगों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि रसायनों और रासायनिक उत्पादों में इसी अवधि में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पिछले कुछ वर्षों में कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के भारी उद्योग अनेक अनुप्रवाही उत्पादन है। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के कार्बनिक रसायन के भारी उद्योग अनेक अनुप्रवाही उत्पादन जैसे औषधियों, रंगाई के सामान, कीटनाशक दवाओं, प्लास्टिक, पेंट आदि के उत्पादन के लिए मूल सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं।

रासायनिक उद्योग उच्च टेक्नालॉजी वाला उद्योग है, इसलिए अनुसंधान और विकास कार्यों के संवर्धन के लिए इस उद्योग को अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। लाइसेंस नीति को सरल बनाने के परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों में स्वतःपंजीकरण प्रक्रिया के तहत मध्यम स्तर के अनेक कारखाने स्थापित हुए हैं। अनेक रसायनों को लघु-उद्योग क्षेत्र में ही तैयार किये जाने के लिए आरक्षित किया गया है और इस प्रकार लघु-उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

भारत में कार्बनिक रसायन उद्योग का विकास अप्रैल 1950 के शुरु में हुआ था तथा यह एथिल अल्कोहल पर आधारित था। इसमें गन्ने के शो: नर खमीर उठाकर और आसवन करके तथा कोयले की भट्टी से प्राप्त होने वाले वेंजी से अल्कोहल बनाया जाता था। इस समय इस उद्योग का महत्वपूर्ण भाग पेट्रोलियम से निकली सामग्री पर आधारित है। फेनोल, मेथानोल, फार्मा-ल्डिहाइड, एसिटोन, एसिटिक एसिड जैसे मूल कार्बनिक रसायन देश में काफी मात्रा में बनाये जाते हैं। सोडा ऐश, कार्बनिक सोडा, कैल्शियम कार्बाइड, लाल फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड जैसे सभी अजैव रसायनों को देश में बनाया जाता है और इन सभी रसायनों के मामले में लगभग आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त कर ली गयी है।

रसायनों के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे पहले कारखाने हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को औषधों, रंगों और रबड़ उद्योग के लिए रासायनिक मध्यवर्ती उत्पाद तैयार करने के लिए 12 दिसम्बर, 1960 को निर्गमित किया गया। इस कारखाने ने सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन तथा एक दूसरे एनिलीन नाइट्रोबेन्जिन और हाईड्रोजन संयंत्र के लिए विस्तार कार्यक्रम पूरा कर लिया है। इसके फिनोल संयंत्र के शीघ्र ही चालू होने की आशा है।

अल्कोहल उद्योग 1940 में शुरु किया गया था जिसमें मुख्य रूप से चीनी मिलों से प्राप्त शीरे का उपयोग किया जाता था। सन् 1950 और 1960 के दशकों में अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग के विकास से अल्कोहल का उत्पादन अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तेल की कमी के कारण विश्व भर में अल्कोहल जैसे नवीकरणीय स्रोतों संचि ली जा रही है। लेकिन इससे पहले भी हमारे देश में अल्कोहल आधारित अनेक रसायन उद्योग शुरु हो गये थे। भारत में ही कार्बनिक रासायनिक उत्पाद व्यापक रूप से व्यापारिक स्तर पर बनने लगे। एथिल अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल) से बनने वाले मुख्य उत्पाद हैं—एसिटिक एसिड, एनि

एनहाइड्राइड, एसिटोन, बूटानोल, ब्यूटाइल और एथिल एसिटेट, पोलिथिनीन, स्टाइरीन, पी० वी० सी० और कृत्रिम रबड़ ।

### कीटनाशक दवाएँ

कीटनाशक दवाओं के उद्योग ने कृषि और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में व्यापक भूमिका निभाई है। पिछले तीन दशकों में इसने प्रचंडी प्रगति की है। कीटनाशक दवाएँ भारत में मूल रूप से 1952 में बननी शुरू हुई जब कलकत्ता में रिगरा में बैजिन-हैक्सक्लोराइड बनाने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की गयी। इसके बाद दिल्ली में 1954 में डी० डी० टी० मंत्रालय की स्थापना की गयी। आज देश में तकनीकी स्तर की 50 कीटनाशक दवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। तकनीकी स्तर की कीटनाशक दवाओं के बनाने में 50 कारखाने लगे हुए हैं। 100 से अधिक कीटनाशक दवाओं को देश में प्रयोग के लिए प्रमाणित किया गया है। इस समय 47 इकाइयों में टेक्नीकल ग्रेड की कीटनाशक दवाओं को तैयार किया जाता है और 500 से अधिक कारखाने कीटनाशक दवाओं के फार्मूलेशन तैयार कर रहे हैं।

देश में कीटनाशी दवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने में टेक्नीकल ग्रेड के कीटनाशकों के आयात में काफी कमी आई है। नए कीटनाशी रसायनों जैसे सिपेटिक पाइरेथ्रायड्स तथा गैहूँ के खर-पतवार को नष्ट करने वाले रसायनों के उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में अतिरिक्त स्वीकृतिया दी गई हैं। कीटनाशी फार्मूलेशनों के आयात की आमतौर पर अनुमति नहीं है।

मार्च 1954 में स्थापित हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड की स्थापना हुई। इस समय इसके अधीन तीन कारखाने हैं — दिल्ली, उद्योग मंडल, (केरल) और रासायनी (महाराष्ट्र)। इस समय यह कंपनी देश में उपयोग में आने वाली तीन बड़ी कीटनाशी दवाओं डी० डी० टी०, वी० एच० सी० और मेलाथीधान के उत्पादन में लगी हुई है। यह अपने उत्पादन का अधिकांश भाग राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए देती है।

### औषधियाँ और फार्मास्यूटिकल्स

औषध और फार्मास्यूटिकल उद्योग स्वाधीनता के बाद से भारत के निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हो असाधारण रूप से विकसित हुआ है और आज यह पूर्ण रूप से सगठित है। 1950 के दशक में यह मुख्य रूप से आयातित रसायनों पर निर्भर था और इसका उत्पादन औपघ्रीय पौधों और जड़ी-बूटियों तक ही सीमित था। अधिकांश औषधियों का निर्माण केवल आयातित दवाओं से ही किया जाता था। योजना और विकास के तीन दशकों की अवधि में औषध उद्योग का विकास प्रभावशाली ढंग से हुआ। 1960-61 में 60 करोड़ रुपये मूल्य की मुख्य दवाओं का उत्पादन हुआ जो 1984-85 में बढ़कर 3 अरब 77 करोड़ रुपये मूल्य का हो गया तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन 1984-85 में 1.82 करोड़ रुपये का हुआ। 1985-86 में इनका अनुमानित उत्पादन क्रमशः 416 करोड़ रुपये तथा 1,945 करोड़ रुपये मूल्य का होने की आशा है।

यद्यपि मुख्य मध्यवर्ती और विलायक औषधियों का आयात 1979-80 के 120 करोड़ रुपये के मुकाबले 1983-84 में बढ़कर 163.34 करोड़ रुपये हो गया, तथापि कुल तैयार औषधियों के कुल मूल्य के मुकाबले



औषधियों के आयात का प्रतिशत 1979-80 के 8.3 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 1983-84 में 6.6 प्रतिशत रह गया। आजकल जो मुख्य औषधियां आयात की जा रही हैं, वे वही हैं जो या तो देश में बनती नहीं या जिनकी क्षमता मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं। मुख्यतः इन औषधियों का आयात किया जा रहा है। रिफाम्पिसिन के सेफेलेक्सिन, प्रेडनिसोलोन, एम्पीसिलिन, सोडियम पाइराजिनामाइड, इबुप्रोफेन, विटामिन बी-6, नाप्रोक्सन, बेटामिथासोन, एफ्रीड्रिन और एरगाट के अक्कलायड।

इसके अलावा औषधियों और फार्मास्यूटिकल (औषधीय अंडी के तेल को छोड़कर) के निर्यात में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 1985-86 में 146 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जबकि 1984-85 में 131 करोड़ रुपये तथा 1983-84 में 115 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था।

इनमें से अनेक दवाएं विभिन्न एंटीबायोटिक हैं—जैसे पेंसिलीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराक्सेफेनीकोल, एरिथ्रोमाइसिन, सेमीसेन्थेटिक, पेंसिलीन इत्यादि। इनमें से सल्फा औषधियों का क्षेत्र भी विस्तृत है, जैसे सल्फासोमाइडीन, सल्फामोक्जोल, सल्फाडाइमाइडिन, थालिल सल्फेथाजोल, इत्यादि। विटामिन भी अब देश में बनने शुरू हो गये हैं, जैसे—विटामिन ए, बी, बी-2, 'बी 6', बी-12, सी, डी, ई, पी, के० और फालिक अम्ल आदि।

जब 29 मार्च 1979 को जब नई औषध नीति घोषित की गई थी, तब 31 फेरा कम्पनियां थीं जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक थी। तब से अब तक 26 मामलों में विदेशी पूंजी का प्रतिशत घट गया है। इनमें से 20 में तो विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत या उससे भी कम हो गई है। एक विदेशी कम्पनी एक भारतीय कम्पनी में मिल गई है और गैर-फेरा कम्पनी बन गई है। आजकल औषधि के क्षेत्र में केवल दस फेरा कम्पनियां हैं।

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के जारी होने के बाद 225 मुख्य औषधियों और 10,000 फार्मुलेशन पैकों की कीमतें संशोधित की गई हैं। इस आदेश के अन्तर्गत 75 प्रतिशत औषधियों की कीमतें कानूनी तौर पर नियंत्रित हैं।

औषध निर्माण उद्योग के इस विकास के कारण भारत तीसरी दुनिया के देशों में अग्रणी हो गया है। यह बात सर्वत्र स्वीकार की जाती है कि सभी विकासशील देशों में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग में अधिकतम प्रकार की दवाइयां बनती हैं और यह अधिकतम समन्वित है। तैयार औषधियों में (अर्थात् जिस रूप में वे रोगियों को दी जाती हैं जैसे टिकिया, कैप्सूल आदि) देश आत्मनिर्भर हो गया है। तैयार औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त बहुत-सी मुख्य औषधियों के मामले में भी देश अब आत्मनिर्भर है। भारतीय औषध उद्योग अब उत्पादन तकनीक और उत्पादों के स्तर के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बराबरी की स्थिति में आ गया है। उद्योग द्वारा उपचार और निरोधात्मक दवाइयों और टीकों के उत्पादन से देश में 1947 से स्वास्थ्य के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मलेरिया के अलावा हैजा, प्लेग, चेचक, तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों पर भी नियन्त्रण पा लिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान

औद्योगिक (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 के तहत राष्ट्रीय औषधि और फार्मास्यूटिकल विकास परिषद की स्थापना की गयी। दवा उद्योग के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में पहली कंपनी, 'दि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड' की स्थापना 1954 में पुणे के पास पिम्परी में पेंसिलिन के उत्पादन के लिए की गयी।

'द इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०), को 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत 5 अप्रैल 1961 को निगमित किया गया। इसके अधीन पाच संयंत्र कार्य कर रहे हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण के लिए, ऋषिकेश में, सिथेटिक दवाओं के निर्माण के लिए हैदराबाद में, सर्जरी उपकरणों और फार्मूलेशन के लिए मद्रास और गुडगाव में, और दवाओं, माध्यमिक रसायनों के लिए मुजफ्फरपुर में इसके संयंत्र कार्यरत हैं।

द इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने 1983-84 में 121.55 करोड़ रुपये मूल्य की तुलना में 1984-85 में 121.74 करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं, फार्मूलेशन और सर्जरी के उपकरणों का उत्पादन किया। 1983-84 की तुलना में इसका विक्रय मूल्य (निर्यात सहित) 108.35 करोड़ रुपये से बढ़कर 1984-85 में 120.90 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इसकी विकास दर 11.6 प्रतिशत रही।

पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में राज्य सरकारों के साथ आई० डी० पी० एल० चार सहयोगी संस्थाएं चला रहा है। ये हैं—मंगरूर में पी० एल० आई० डी० सी० द्वारा स्थापित पंजाब मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जो डेक्सट्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज आदि का उत्पादन करता है), जयपुर में राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, लखनऊ में यू० पी० ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कं० लि० और भुवनेश्वर में उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड।

1 मार्च 1954 को निगमित हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, जेन्टामाइसिन, हैमिसिन और औरियोपयूजिन का उत्पादन कर रहा है। इसकी तीन सहायक कम्पनियां हैं जो राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से स्थापित की गयी हैं। इन कम्पनियों के नाम हैं—महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, नागपुर; कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, गलूर तथा गोआ एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, पणजी।

सरकार ने तीन रुग्ण औषधि निर्माण कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण भी किया है। ये हैं स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० जिसे औद्योगिक (विकास और नियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन 4 मई, 1972 को अधिग्रहीत किया गया तथा पहली अक्टूबर 1977 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह कम्पनी केवल फार्मूलेशनो का ही उत्पादन कर रही है। बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० का 15 दिसम्बर 1977 को अधिग्रहण किया गया तथा 15 दिसम्बर 1980 को उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय इस कम्पनी की धार निर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से दो पश्चिम बंगाल, एक कानपुर और एक बम्बई

में है। यह कम्पनी गंधक का अम्ल, फिटकरी, ग्रेम साल्ट जैसे रसायनों तथा साबुन, बालों का तेल, सगन्धियां आदि घरेलू वस्तुओं, तथा डैप्सीन, कैफीन, एम्पिसिलीन, डानोसीसाइक्लीन जैसे औषधों और फार्मास्यूटिकल तथा उनके फार्मूलेशनों का उत्पादन कर रही है। सरकार द्वारा बंगाल इन्सुनिटी लि० का अधिग्रहण 18 मई 1978 को किया गया तथा 1 अक्टूबर, 1984 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह कम्पनी, सेरा, एंटीवेनम और ग्लोरोगवीन फास्फेट का उत्पादन कर रही है।

### पेट्रो-रसायन उद्योग

पेट्रो-रसायन उद्योग अब तेजी से आगे बढ़ने की स्थिति में है। अपनी बेहतर विशेषताओं के कारण पेट्रो-रसायन उत्पाद परम्परागत कच्चे मालों जैसे-लकड़ी, शीशा और धातु इत्यादि की जगह ले रहे हैं। घरेलू और उद्योगों के काम आने वाली वस्तुओं, दोनों के लिए इनकी अत्यधिक संभावनाएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग से आंतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में टपकन (ड्रिप) सिंचाई, घासपात से ढकने, पादप गृहों आदि उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। नहरों की सतह पक्की करने से और प्लास्टिक पाइपों के जरिए पानी ले जाने से, रिसाव से होने वाली पानी की बर्खादी को रोका जा सकेगा और दुर्लभ जल स्रोतों का लाभकारी उपयोग हो सकेगा। इसी तरह फल और सब्जियों को पैक करने में प्लास्टिक के उपयोग से लकड़ी की बचत हो सकेगी, जो पारिस्थितिक कारणों के लिए जरूरी है। प्लास्टिक का उपयोग मोटरों और स्कूटरों के पुर्जों, इलेक्ट्रानिक और दूरसंचार के उपकरण और औद्योगिक पैकेजों के लिए धैलियां बनाने में भी किया जा सकता है। पेट्रो-रसायन उत्पादों से कृत्रिम डिटर्जेंट (प्रक्षालक) बनाए जाते हैं, जिससे साबुन बनाने में तेल की खपत से बचा जा सकता है और वह तेल मनुष्य के खाना पकाने के काम आ सकता है। पालिएस्टर, फाइबर और फिलामेंट हमारी तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए उचित मूल्य पर वस्त्रों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। यह सरकार की वस्तु नीति के भी अनुरूप है।

पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास में एक उल्लेखनीय कदम 1978 में उठाया गया, जब आई० पी० सी० एल० के नेफ्था क्रैकर की स्थापना हुई। चालू योजना में एक और बड़ा उपक्रम महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा।

1985-86 में पेट्रो-रसायनों और कृत्रिम रवड़ का उत्पादन 311 हजार टन हुआ था। आशा है कि 1986-87 में यह बढ़कर 323 हजार टन हो जाएगा। कृत्रिम रेशों का उत्पादन भी 1985-86 के 194 हजार टन के मुकाबले 18 प्रतिशत बढ़कर 1986-87 में 229 हजार टन हो जाएगा। पेट्रो-रसायन मध्य-पर्वतों उत्पादों जैसे एफीलोनिट्राइल (ए० सी० एन०), क्रैप्रोलेक्टम, डिमेथाइल टैरी-पफालेट (डी० एम० टी०) और लीनियर आल्काइल बेंजिन (एल० ए० बी०) का उत्पादन भी 1985-86 के 118 हजार टन के मुकाबले 47 प्रतिशत बढ़ कर 1986-87 में 173 हजार टन हो जाएगा।

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों के नाम हैं—(1) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० बदोदरा (आई० पी० सी० एल०),

(2) पेट्रोफिल्स को-प्रापेगिटिव लि० बंदोदरा, (पी० सी० एल०), (3) सेंट्रल इंस्टी-ट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टूल, मद्रास (सी० आई० पी० ई० टी०)।

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० (पेट्रोलियम को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर) कृत्रिम आर्गेनिक रसायन, प्लास्टिक, रेशे और रेशों के मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है। निगम के उत्पादन उच्च-कोटि के होते हैं और पिछले पांच वर्षों में यहाँ क्षमता का उपयोग 90 प्रतिशत या उससे भी अधिक होता रहा है। 1980-81 में डमकी शुद्ध विन्नी 238.49 करोड़ रुपये की हुई जो 1985-86 में बढ़कर 593 करोड़ रुपये हो गई। 1980-81 में कुल उत्पादन 262.54 करोड़ रुपये का हुआ था, जो 1985-86 में बढ़कर 534.00 करोड़ रुपये का हो गया। अर्थात् उसमें शत-प्रतिशत की वृद्धि हुई। आशा है कि 1986-87 में यहाँ 334 हजार टन उत्पादन होगा, कुल विन्नी 566 करोड़ रुपये की होगी और कराधान से पहले लाभ 70 करोड़ रुपये का होगा।

पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि० (पी० सी० एल०) की स्थापना पालिएस्टर फिलामेंट यार्न बनाने के लिए हुई थी। पी० सी० एल० की यह नीति है कि अपने उत्पाद आर्बटिल करते समय अपने सदस्यों को तरजीह दी जाए ताकि सदस्य सहकारिताओं की जरूरतें पूरी होती रहें। 31 अगस्त 1985 को 1079 सहकारी समितियाँ पी० सी० एल० की सदस्य थीं। समिति की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ रुपये है जिसमें से चुकता पूंजी 14.92 करोड़ रुपये है। इसमें से 13.17 करोड़ रुपये सरकार ने, एक करोड़ रुपये राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने और 0.75 करोड़ रुपये सहकारी समितियों ने (जिसमें शेषों में लगा उनका धन भी शामिल है) दिए हैं। 1980-81 के मुकाबले, 1985-86 में उत्पादन 4050 टन से बढ़कर 8,170 टन; विन्नी 61.65 करोड़ रुपये से बढ़ कर 132.87 करोड़ रुपये; कर से पहले का लाभ 7.34 करोड़ रुपये से बढ़कर 25.46 करोड़ रुपये हो गया। आन्तरिक रूप से जुटाए गए संसाधन भी 26.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 137.50 करोड़ रुपये हो गए। अनुमान है कि 1986-87 में यहाँ उत्पादन 8,720 टन होगा, माल की विन्नी से 70.90 करोड़ रुपये मिलेंगे और कर चुकाने से पहले का लाभ 13.21 करोड़ रुपये होगा।

सी० आई० पी० ई० टी० की स्थापना 1968 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) के अन्तर्गत हुई थी, ताकि विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा सके और प्लास्टिक उद्योगों के विकास और वृद्धि में सहायता दी जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, तकनीकों के उपयोग की विधि बतायी जाए, जांच और किस्म नियंत्रण का काम किया जाए, परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान की जाएं तथा प्रलेखन (डाकुमेंटेशन) किया जाए। सी० आई० पी० ई० टी० का एक विस्तार-केन्द्र अहमदाबाद में स्थापित किया गया, जिसने 1981-82 में काम शुरू कर दिया। इससे प्रोत्साहित होकर सातवीं योजना में ऐसे चार और केन्द्र खोलने का कार्यक्रम है। 1986-87 में इनमें से तीन केन्द्रों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। ये केन्द्र लखनऊ, हैदराबाद और भुवनेश्वर में खोले जाएंगे। इन केन्द्रों में क्रमशः इलेक्ट्रानिक्स और मोटर-गाडियों, इंजीनियरी-और प्लास्टिक तथा आवास और पकेजिंग पर जोर दिया

जाएगा। यहां लम्बी अवधि के प्रशिक्षण-पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 1981-82 के 67 के मुकाबले, 1985-86 में बढ़ कर 155 और लघु अवधि के कार्यक्रमों में 46 से बढ़कर 255 हो गई। अनुमान है कि दीर्घ-अवधि के पाठ्यक्रमों में 1986-87 में यहां 315 प्रशिक्षणार्थी होंगे।

## खनन तथा खनिज

### खनिज संसाधन

भारत खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। देश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज पदार्थों के अनुमानित भंडार आगे बताया गए हैं।

### वाक्साइट

वाक्साइट के महत्वपूर्ण भंडार आन्ध्र प्रदेश, विहार, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में वाक्साइट का भंडार 265.37 करोड़ टन है।

### वैराइट्स

भारत में वैराइट्स के 7.30 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है जो विश्व में सर्वाधिक है। इनमें अधिकतर भंडार कुडप्पा जिले (आन्ध्र प्रदेश) के मंगमपेट में हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत वैराइट्स पाए जाने की जानकारी मिली है।

### कोयला और लिग्नाइट

गोंडवाना किस्म के कोयले के भंडार आन्ध्र प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तथा तृतीयक (टर्शियरी) कोयले के भंडार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड में पाए जाते हैं। कोर्किंग और गैर-कोर्किंग कोयले के कुल अनुमानित भंडार 15,826 करोड़ टन हैं। इसमें से गोंडवाना कोयले के भंडार 15,742 करोड़ टन तथा तृतीयक कोयले के भंडार 84 करोड़ टन हैं। भूरे कोयले (लिग्नाइट) के महत्वपूर्ण भंडार गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पांडिचेरी, राजस्थान और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कुल अनुमानित भंडार लगभग 429 करोड़ टन हैं, जिनमें से 330 करोड़ टन अकेले नेवेलि क्षेत्र, तमिलनाडु में हैं।

### क्रोमाइट

क्रोमाइट के आर्थिक महत्व के भंडार आंध्र प्रदेश, विहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। डलीवाले और बारीक किस्मों सहित भू-संस्थित क्रोमाइट के कुल भंडार लगभग 13.53 करोड़ टन हैं।

### तांबा अयस्क

मुख्य तांबा अयस्क विहार के सिंहभूम क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के वालाघाट, और राजस्थान के अलवर और झुनझुनू क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ मात्रा में तांबा अयस्क आन्ध्र प्रदेश के खम्मम जिले में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हासन जिले में, तथा सिक्किम में पाया जाता है। अनुमान है कि खनिज तांबे का कुल भंडार 56.63 करोड़ टन है जिनमें कुल 62.93 लाख टन तक घातु है।

हीरा

देश में हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र क्षेत्र पन्ना हीरा क्षेत्र है। पन्ना क्षेत्र में अनुमानतः 5,31,000 कैरेट हीरों का भंडार है। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के बजराकरूर क्षेत्र में तथा उ०प्र० के जंगल क्षेत्र में हीरों की खोज के दौरान कुछ हीरे मिले हैं।

डोलोमाइट

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर डोलोमाइट प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई है। विभिन्न श्रेणियों के डोलोमाइट के लगभग 395 करोड़ टन के सुरक्षित भंडार हैं।

सोना

देश में सोने की तीन महत्वपूर्ण खानें हैं। कोलार जिले में कोलार की खानें तथा रायचूर जिले में हट्टी सोना खान हैं। ये दोनों कर्नाटक में हैं। तीसरी खान आंध्र प्रदेश के प्रन्तपुर जिले में रामगिरि में है। लेकिन सोने का उत्पादन मुख्य रूप से पहली दो खानों से होता है। सोने की थोड़ी-सी मात्रा आंध्र प्रदेश में अन्वेषण के लिए किये गये खनन में निकाले गये अयस्क से प्राप्त हुई है। इसके अलावा बिहार में किये जा रहे खनन में तांबे की मिट्टी से उप-उत्पाद के रूप में सोना प्राप्त होता है। देश में सोना अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 161 लाख टन है, जिसमें सोने का कुल मात्रा 85.33 टन है। रामगिरि सोना क्षेत्र में विकसित किये जा रहे यूप्यायाना खान के तैयार होने पर तथा चित्तूर जिले के चिगरगुंटा खान के विकसित होने पर आंध्र प्रदेश में सोने के व्यावसायिक उत्पादन के शुरु होने की आशा है।

अग्नि-सह-मिट्टी

उच्च-ताप-सह ईंटों को बनाने के लिए भारत में अग्नि-सह-मिट्टी के विभिन्न स्रोत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। यह आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में उपलब्ध हैं। अनुमान है कि भारत में अग्नि-सह-मिट्टी के 49.28 करोड़ टन के सुरक्षित भंडार हैं।

फ्लुओरस्पाट

गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फ्लुओरस्पाट के भंडार प्राप्त होने की जानकारी मिली है जिनमें लगभग 1.19 करोड़ टन फ्लुओरस्पाट के सुरक्षित भंडार हैं।

जिप्सम

देश में लगभग 124.86 करोड़ टन जिप्सम होने का अनुमान है, जिसमें से राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु में क्रमशः 107.08, 14.93, और 1.82 करोड़ टन हैं।

ग्रेफाइट

ग्रेफाइट उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा गुजरात में पाया जाता है। इसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। जानकारी के अनुसार ग्रेफाइट का 3.27 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है, जिसमें 10 से 40 प्रतिशत तक कार्बन है।

**इल्मेनाइट**

यह मुख्यतः भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर और वहां की समुद्र-तटीय रेत में पाया जाता है। इस प्रकार के जिन भंडारों में से धातु निकाली जाती है, उनमें केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के भंडार महत्वपूर्ण हैं। समुद्रतटीय रेत में कुल 16 करोड़ टन से अधिक इल्मेनाइट होने का अनुमान है।

**लौह अयस्क**

इस समय लौह अयस्क के जनन का काम मुख्यतः विहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के क्षेत्रों में हो रहा है। इसका कुछ उत्पादन आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में हो रहा है। देश में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 1,757 करोड़ टन है, जिसमें हेमाटाइट लौह अयस्क का 1,147 करोड़ टन और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का 610 करोड़ टन है।

**कोओलिन**

भारत में कोओलिन तथा अन्य मिट्टियों (क्ले) के स्रोत बड़ी मात्रा में हैं। बड़े उत्पादक राज्य हैं : राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, विहार, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा गुजरात। अनुमान है कि सफेद मिट्टी और बाल क्ले सहित कोओलिन के कुल भंडार 104 करोड़ टन के हैं।

**सीसा-जस्ता अयस्क**

सीसा-जस्ता अयस्क के ज्ञात भंडार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात में हैं। कुल सुरक्षित भंडार लगभग 35.85 करोड़ टन होने का अनुमान है। इसमें सीसे और जस्ते की धातु मात्रा क्रमशः 49 लाख टन तथा 1.6 करोड़ टन है।

**चूना पत्थर**

चूना पत्थर देश में भारी मात्रा में पाया जाता है तथा सभी राज्यों में इसके भंडार हैं। अधिक मात्रा में उत्पादन करने वाले राज्य हैं : मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, विहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा कर्नाटक। इनमें सभी श्रेणियों के चूना पत्थर के लगभग 7,320 करोड़ टन सुरक्षित भंडार हैं।

**मैंगनीज अयस्क**

मैंगनीज अयस्क के महत्वपूर्ण भंडार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और गोवा में पाए जाते हैं। देश में मैंगनीज अयस्क का कुल 13.50 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है।

**अभ्रक**

आर्थिक महत्व के अभ्रक के भंडार आंध्र प्रदेश, विहार और राजस्थान के तीन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

**निकल अयस्क**

उड़ीसा के कटक, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में निकल अयस्क पाए जाते हैं। कुल सुरक्षित निकल अयस्क का भंडार 16.50 करोड़ टन है।

**तेल**

असम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गुजरात के समुद्र तटवर्ती इलाकों में तेल के प्रचुर भंडारों वाले क्षेत्र मौजूद हैं। अब तक जिन तेल भंडारों का पता चला है, उनमें 51.08 करोड़ टन कच्चा तेल है।

## फास्केट खनिज

मध्य प्रदेश के छत्तरपुर, गागर और झाबुआ जिलों, राजस्थान के उदयपुर, जैसलमेर तथा बासवाड़ा जिलों और उत्तर प्रदेश के देहरादून, टिहरी तथा लखितपुर जिलों में फास्केट के भंडार मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में व्यापारिक महत्व के घाटाइट भंडार मिलने की भी सूचना है। अनुमान है कि देश में 18.74 करोड़ टन राँक फास्केट (घाटाइट सहित) के भंडार हैं।

## टंग्स्टन

टंग्स्टन राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में पाया गया है तथा कुछ टंग्स्टन मिलने की सूचना आन्ध्र प्रदेश, नागालैंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश से भी मिली है। अनुमान है कि भारत में टंग्स्टन का सुरक्षित भंडार लगभग 4.55 करोड़ टन का है जिसमें 10,225 टन टंग्स्टन प्राप्तगाइड है।

## उष्णसह खनिज

मैंगनेनाइट के महत्वपूर्ण भंडार तमिलनाडु के सेलम जिले, उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ जिले तथा कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले तथा कम मात्रा में जम्मू तथा कश्मीर और केरल में पाये गये हैं। अनुमान है कि इन भंडारों में लगभग 23.91 करोड़ टन मैंगनेनाइट है।

क्वानाइट और गिनिमेनाइट अन्य दो महत्वपूर्ण ऊष्णसह खनिज हैं। क्वानाइट का बिहार के गिहभूमि जिले, महाराष्ट्र के भटाग जिले और कर्नाटक में पता चला है। क्वानाइट का कुल भंडार 30 लाख टन आका गया है। डेलेंदार गिनिमेनाइट मेघालय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है। इसके अतिरिक्त गिनिमेनाइट केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के समुद्र के रेतीले तटों में भी मिलता है। अनुमान है कि डेलेंदार और समुद्र के रेतीले तटों में मिलने वाले गिनिमेनाइट के कुल भंडार 1.70 करोड़ टन हैं।

## अन्य खनिज

भारत में कई अन्य खनिज भी प्राप्त हुए हैं जैसे : फाईसोटाइट एरसेस्टम (आंध्र प्रदेश तथा बिहार), बेन्टोनाइट (बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु तथा राजस्थान) फैंलसाइट (गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश), कौलैंडम (मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र), गार्नेट (राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश), इमेरल्ट (राजस्थान), फैंसपार (राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु), पाइराइट (बिहार तथा राजस्थान), स्टेटाइट (राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा कर्नाटक), बोमिस्क्वाइट (तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात) तथा बोनोंस्टनाइट (राजस्थान), क्वार्ट्ज तथा अन्य मिक्रा खनिज टनके विनाय भंडार हैं, जो भारतके सभी राज्यों में फँसे हैं। इनके अलावा भवन निर्माण के पत्थरों के विशाल भंडार हैं जिनमें ग्रेनाइट और सगमरमर महत्वपूर्ण हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में व्यापक पैमाने पर तथा पश्चिम बंगाल में कम मात्रा में ग्रेनाइट का खनन होता है। सगमरमर का राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में व्यापक रूप से खनन होता है।

## खनिज उत्पादन

भारत में खनिज उत्पादन (परमाणु खनिजों को छोड़कर) के मूल्य में पिछले दशकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। 1975 में यह 1,112 करोड़ रुपये था



जो बढ़कर 1984 में 8062.8 करोड़ रुपये तथा 1985 में 8,487.3 करोड़ रुपये हो गया।

1985 में खनिज उत्पादन का सूचकांक (आधार 1970=100) 240 था, जबकि 1975 में यह 129 था।

1985 में ईंधन खनिज का अंश सबसे अधिक अर्थात् 7335.5 करोड़ रुपये था जो कुल मूल्य का 87 प्रतिशत था। उसके बाद अघातु खनिज (छोटे खनिजों सहित), जिसका मूल्य 625.4 करोड़ रुपये था और जो कुल का 7 प्रतिशत था। घातु खनिजों का स्थान उसके बाद था जिसका मूल्य 522.4 करोड़ रुपये था और जो कुल मूल्य का 6 प्रतिशत था।

ईंधन खनिजों में पेट्रोलियम (कच्चा तेल) का उत्पादन 1985 में 29,909 हजार टन तथा कोयले का उत्पादन 149,211 हजार टन था। पिछले वर्ष की तुलना में पेट्रोलियम के उत्पादन में 7 प्रतिशत तथा कोयले के उत्पादन में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1985 में घातु खनिजों में लौह अयस्क का उत्पादन 42,545 हजार टन, तांबा अयस्क 4,172 हजार टन, क्रोमाइट 561 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 1,240 हजार टन, जस्ता कंसन्ट्रेट 87 हजार टन, वाक्साइट 2,121 हजार टन और सीसा कंसन्ट्रेट 35 हजार टन हुआ।

1984 के मुकाबले 1985 में लौह अयस्क और जस्ता कंसन्ट्रेट के उत्पादन में प्रत्येक में एक-एक प्रतिशत, तांबा अयस्क में 6 प्रतिशत, क्रोमाइट में 23 प्रतिशत, मैंगनीज अयस्क में 9 प्रतिशत और वाक्साइट में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सीसा कंसन्ट्रेट का उत्पादन 1984 के स्तर पर स्थिर रहा।

अघातु वर्ग में चूने का पत्थर मुख्य खनिज है और 1985 के दौरान उसका 48,070 हजार टन का उत्पादन हुआ। उसके बाद एपाटाइट और फास्फोराइट 929 हजार टन, डोलोमाइट 2,217 हजार टन और मैग्नेसाइट 417 हजार टन का उत्पादन हुआ।

1985 में चूने के पत्थर का उत्पादन 1984 के मुकाबले 5 प्रतिशत और एपेटाइट तथा फास्फोराइट का 4 प्रतिशत बढ़ा। 1985 के दौरान डोलोमाइट के उत्पादन में 7 प्रतिशत गिरावट आई जबकि मैग्नेसाइट का उत्पादन 1984 के स्तर पर ही रहा।

## खनिज विकास

संविधान के अन्तर्गत खनिज अधिकार और खनन अधिनियमों का प्रशासन राज्य सरकारों के नियंत्रण में है, परन्तु खनन और खनिज (नियमन और विकास) कानून, 1957 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं के तहत खनिजों के विकास को केन्द्र सरकार नियंत्रित करती है। यह नियम केन्द्र को निम्न उद्देश्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है :

1. विकास लाइसेंस और खनन पट्टे देना,

2. खनिजों का संरक्षण और विकास, और

3. पुराने पट्टों में सुधार करना ।

खनन और खनिज (नियमन और विकास) कानून, 1957 पहली जून 1958 से लागू हुआ । 1972 में इसमें कई संशोधन किए गए ।

**खनिजों की खोज** सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ सगठन खनिज स्थलों के नक्शे बनाने, खोजने, अनुसंधान और दोहन के काम में लगे हुए हैं, इनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है :-

**भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण** भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) की स्थापना 1851 में मुख्य तौर पर पूर्वी भारत में कोयले की संभावनाओं का पता लगाने के लिए की गई थी । इसका मुख्यालय कलकत्ता में है । समय के साथ-साथ इसके कार्य का विस्तार किया गया और स्वाधीनता के बाद श्रौद्योगीकरण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसके काम-काज को और तेज किया गया । इस समय जी० एस० आई० एक प्रमुख एजेंसी है, जिसे देश में भूगर्भ सर्वेक्षण का पूरा काम सौंपा गया है ।

**भारतीय खान ब्यूरो** भारतीय खान ब्यूरो (आई० बी० एम०) एक वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन है जो इस्पात तथा खान मंत्रालय के खान विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है । कोयला, आणविक खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और अन्य गौण खनिजों के अतिरिक्त यह ब्यूरो मुख्य रूप से देश में उपलब्ध खनिज भण्डारों के संवर्धन, संरक्षण तथा वैज्ञानिक विकास के लिए उत्तरदायी है ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह खानों का निरीक्षण और अध्ययन करता है तथा घटिया दर्जे के अपस्क और खनिजों के परिष्करण तथा खनन की विशेष समस्याओं के बारे में अनुसंधान करता है । यह खनिज साधनों के सर्वेक्षण तथा भूगर्भीय मूल्यांकन के बारे में भी तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और परिष्करण संयंत्रों सहित खनन परियोजनाओं के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करता है ।

खनिज व्यापार में सहायता के लिए यह ब्यूरो बाजार-सर्वेक्षण करवाता है और 'खनिज संसाधनों की सूची' तैयार करता है । भारतीय खान ब्यूरो खान तथा खनिजों संबंधी आंकड़ों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है और खनिज तथा खानों के बारे में समय-समय पर आंकड़े प्रकाशित करता है । यह प्रत्येक खनिज पर प्रबन्ध के रूप में तकनीकी प्रकाशन प्रकाशित करता है तथा उनसे संबंधित विषयों पर बुलेटिन निकालता है । इसके मुख्य प्रकाशन हैं--इंडियन मिनरल्स ईअर बुक (वार्षिक), बुलेटिन आफ मिनरल इन्फार्मेशन (त्रैमासिक), कन्जम्प्शन आफ नान-फेरस मेटल्स इन इंडिया (कापर, लेड, जिंक) (त्रैमासिक), मिनरल स्टैटिस्टिक्स आफ इंडिया (अर्ध-वार्षिक), स्टैटिस्टिक्स आफ मिनरल प्रोडक्शन (मासिक), फारेन ट्रेड इन मिनरल्स एण्ड मेटल्स (वार्षिक) और इंडियन मिनरल इंडस्ट्री एट ए प्लान्ट (वार्षिक) ।

इसका मुख्य कार्यालय नागपुर में है। अजमेर, बंगलूर, कलकत्ता, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, हजारीबाग, जबलपुर, मद्रास, नेल्लीर और उदयपुर में इसके प्रादेशिक कार्यालय हैं। नागपुर में उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला तथा कच्चे धातु के शोधन संबंधी अनुसंधान के लिए एक मुख्य संयंत्र है। कच्चे धातु के शोधन के लिए ही अजमेर तथा बंगलूर में एक-एक प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान

खनन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 6 प्रतिष्ठान हैं। ये हैं—हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड। इनमें से नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड अभी निर्माणाधीन है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड खनन और खुदाई के कार्य करता है तथा शेष कारखाने अलौह धातुओं का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सिक्किम खनन निगम में 49 प्रतिशत समता अंश (इन्विटो शेयर) सरकार के हैं। यह कंपनी तांबे, सीसे और सांद्रित जस्ते का थोड़ी मात्रा में उत्पादन करती है।

देश में जस्ते और सीसे के खनन और गलाने की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से जनवरी 1966 में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को निगमित किया गया। शुरु में राजस्थान के मोछिया में प्रतिदिन 500 टन का उत्पादन होता था तथा बिहार के तुन्दू में प्रतिवर्ष 3,600 टन सीसे की स्मेल्टिंग (धातु गलाने का कार्य) होती थी जबकि इस समय हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की सात खानों में प्रतिदिन 8,740 टन के उत्पादन की क्षमता है और उसके धातु गलाने वाले 3 कारखानों में प्रतिवर्ष 10,9000 टन धातु तैयार करने की क्षमता है। जस्ते और सीसे के अलावा कम्पनी में उप-उत्पादों के रूप में कैडमियम (305 टन प्रतिवर्ष), चांदी (48.8 टन प्रतिवर्ष), गंधक का अम्ल (1,62,000 टन प्रतिवर्ष), फास्फोरिक एसिड (26,000 टन प्रतिवर्ष) और अन्य वस्तुओं जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, कापर सल्फेट आदि का उत्पादन भी होता है।

नवंबर 1967 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को अलग कर के निगमित किया गया। इसके अंतर्गत खेतड़ी, कोलीहन, दरीवा और राखा तांबा परियोजनाओं में खुदाई साधनों की खोज, खनन, और तांबे को गलाने की योजनाएं चलाई जाती हैं। इस समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की सात यूनिटों में उत्पादन चल रहा है। ये हैं—राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तांबा परियोजना; बिहार में सिंहभूम जिले के घटशिला में इंडियन कापर कॉप्लेक्स; मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलजखंड तांबा परियोजना; सिंहभूम जिले में राखा तांबा परियोजना; राजस्थान के अलवर जिले में दरीवा तांबा परियोजना; झुंझुनू जिले में चांदमारी तांबा परियोजना और सिंहभूम जिले में लापसो क्यानाइट खानें। इस समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड देश में मूल तांबा उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी है। लेकिन यह कंपनी सोना, चांदी, सेलेनियम, तेलूरियम, निकल और निकल सल्फेट की भी खोज कर रहा है, क्योंकि तांबे के साथ इन धातुओं की भी थोड़ी मात्रा मिली है।

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड देश में सोने का उत्पादन करने वाली सबसे पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड है जो कर्नाटक सरकार का प्रतिष्ठान है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड विश्वप्रसिद्ध कोलार स्वर्णखानों को चला रहा है। एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा कोलार क्षेत्र में सोने के खनन का कार्य 1880 से किया जा रहा था, जिसका 1956 में सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को 1972 में निगमित किया गया ताकि यह इन खानों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चला सके। कोलार स्वर्ण क्षेत्र में तीन खानों में काम चल रहा है। ये हैं—मैसूर खानें, नंदा-दुर्ग और चैम्पियन रीफ।

इसके अतिरिक्त यह आन्ध्र प्रदेश की येप्पामाना खान परियोजना की जांच करा रहा है। सर्वत्र मांग वाली इस धातु का खनन बहुत कठिन परिस्थितियों में करना पड़ता है। कोलार स्वर्ण क्षेत्र में बहुत ही अधिक गहराई पर काम हो रहा है। इस समय शायद वह विश्व की सबसे गहरी खान है, जहां 2,190 मीटर की गहराई पर सोना निकाला जा रहा है। 1985-86 में इस खान से एक टन खनिज में से 3.14 ग्राम सोना प्राप्त होता था।

सांख्यिक क्षेत्र में पहला पूरी तरह एकीकृत एल्यूमीनियम कारखाना भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० के अन्तर्गत बना। यह कंपनी मुख्यतः एल्यूमिनियम परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और प्रबंध के उद्देश्य से 27 सितम्बर 1965 को निगमित हुई। इसने मध्यप्रदेश के कोरवा में एक एकीकृत परियोजना स्थापित की है जो अमरकंटक/फुटकापहाड़ क्षेत्रों के बाक्ससाइट भण्डारों पर आधारित है। कोरवा कारखाने का एल्यूमिना संयंत्र अप्रैल 1973 में चालू किया गया था। सितम्बर 1984 से इसका चौथा चरण चालू हो गया है। धातु गलाने वाले कारखाने की वापिक स्थापित क्षमता एक लाख टन एल्यूमीनियम है और अक्टूबर 1984 से यह लगभग अपनी क्षमता के बराबर काम कर रहा है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी उड़ीसा के गंधमर्दन खानों में बाक्ससाइट का वैकल्पिक स्रोत बना रहा है क्योंकि अमरकंटक और फुटकापहाड़ की वर्तमान खानों में इसका भण्डार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम त्रिटन को सहायता से भारत एल्यूमिनियम कंपनी के लिए, कोरवा में 270 मेगावाट (4 × 67.5 मे०वा०) क्षमता का ताप बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र के पहले यूनिट में जून 1987 में और चौथे और अन्तिम यूनिट में, इस वर्ष के अन्त में काम शुरू होगा।

सरकार ने आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के निकट जकायनगर स्थित एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता की एक राण इकाई एल्यूमीनियम उपक्रम का 2 जून 1984 में राष्ट्रीयकरण करके उसे नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि० को सौंप दिया।

उड़ीसा में एकीकृत एल्यूमिना/एल्यूमि० नियम कारखाने के रूप में 7 जनवरी 1981 को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है तथा उसके मुख्य घटक हैं; (क) कोरापुट जिले के पंचपटमली में एक खुले मुंह की बाक्ससाइट खान, जिससे प्रतिवर्ष 24 लाख टन बाक्ससाइट निकाला जाएगा; (ख)

कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में पंचपटमली पहाड़ी की तलहटी में 8 लाख टन क्षमता का एल्यूमिना संयंत्र, जिसमें 4 लाख टन प्रतिवर्ष के दो भाग होंगे, (ग) डेंकानल जिले के अंगुल में 2,18,000 टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता का एल्यूमिनियम स्मेल्टर जिसमें दो पाँट लाइनें हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 1,09,000 टन है, और (घ) अंगुल में 600 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव विद्युत संयंत्र जो वहां से 5 किलोमीटर दूर स्थित स्मेल्टर को बिजली देने के लिए है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2408.14 करोड़ रुपये है। वाक्साइट की खान और ऋषार नवम्बर 1985 में पूरे हो चुके हैं और एल्यूमिना और एल्यूमीनियम स्मेल्टर के पहले चरण में भी घंटा काम शुरू होने की आशा है।

सिक्किम में रांगपौ के भोतांग बहु-धातु खान भंडारों में केन्द्र सरकार और सिक्किम सरकार का संयुक्त प्रतिष्ठान सिक्किम खनन निगम काम कर रहा है। इस खान में से निकलने वाले खनिज को संसाधित करके रांगपौ संयंत्र के लिए तांबा, सीसा और सान्द्रित जस्ता तैयार किया जा रहा है।

व्यापक खोज कार्य तथा प्रमुख खनिज परियोजनाओं को परामर्श और विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए खनिज अन्वेषण निगम को 1972 में पंजीकृत किया गया। इनके अतिरिक्त यह निगम खान-निर्माण, बांध बनाने के लिए भू-तकनीकी कार्य तथा नलकूपों के लिए खुदाई का काम भी करता है। निगम, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, सरकार की तरफ से विकास गतिविधि के तौर पर और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों के लिए ठेके के आधार पर खनिजों की खोज का काम करता है। 1985 के अन्त तक निगम ने 18.8 लाख मीटर से भी अधिक की खुदाई (ड्रिलिंग) की है और अपनी स्थापना से अब तक 927,00 मीटर क्षेत्र में खनन अन्वेषण का काम किया है। अब तक जिन खनिज भण्डारों का पता चला है, उनका मूल्य लगभग 6,00,000 करोड़ रुपये आंका गया है। विश्व बैंक द्वारा निगम को तंजानिया में कोपेले की खोज की प्रतिष्ठित परियोजना के लिए परामर्शदाता संगठन का कार्य सौंपा गया है। विशेष बात यह है कि निगम के खोज से संबंधित सभी कार्य, बिना किसी विदेशी परामर्शदाता संगठन या विशेषज्ञ की सहायता के, भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं।

## बागान उद्योग

भारत की अर्थव्यवस्था तथा विदेश व्यापार में बागान क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाय, काफी, तम्बाकू, खड़ और इलायची हमारी महत्वपूर्ण बागान फसलें हैं।

### चाय

भारत अब भी विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। 1985 में चाय का अनुमानित उत्पादन 65.7 करोड़ कि० ग्रा० था जबकि 1984 में 64.5 करोड़ कि० ग्रा० चाय का उत्पादन हुआ था। चाय उत्पादकों में भारत ही

एकमात्र देश है जो बड़ी मात्रा में सी०टी०सी० घोर परम्परागत दोनों किस्मों की चाय का उत्पादन करता है। सी०टी०सी० में रंग गहूँ छात्रा है तथा इससे अधिक प्याले चाय बनायी जा सकती है, साथ ही चाय की धूलियों के लिए यह अधिक उपयुक्त है। देश के अन्दर खपत के लिए सी०टी०सी० की सस्ती किस्म की चाय पत्ती और चूर्ण ज्यादा पसन्द किये जाते हैं, और इनके उत्पादन में अनुमानतः प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ कि०ग्रा० की दर से वृद्धि हो रही है। भारत में सी०टी०सी० चाय का अनुमानित उत्पादन 47.5 करोड़ कि० ग्रा० है जिसमें से अधिकांश की देश में ही खपत हो जाती है। परम्परागत चाय में महक तो अधिक होती है लेकिन उससे श्रोभाकृत कम प्याले चाय बनती है। भारत में इसका अनुमानित उत्पादन 18 करोड़ कि०ग्रा० है जिसकी अधिकांश मात्रा निर्यात की जाती है।

भारतीय चाय का 98 प्रतिशत उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिल-नाडु में होता है। स्वतन्त्रता के बाद भारत ने मुख्यतः उन्नत किस्म की रोपण सामग्री तथा उपज बढ़ाने वाली अन्य वस्तुओं का थियेट उपयोग करके अपने उत्पादन में दुगुने से अधिक की वृद्धि कर ली है। चाय मुख्य रूप से श्रमिक-प्रधान उद्योग है और इसमें 10 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से तथा अन्य 10 लाख व्यक्तियों को सहायक व्यवसाय के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है।

चाय भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 1985-86 के दौरान 21.4 करोड़ कि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ जिसका मूल्य 611.91 करोड़ रु० था। चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनियम 1953 के अन्तर्गत चाय उद्योग का विकास करने के लिए हुई थी। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 30 अन्य सदस्य हैं जो चाय बागानों के मालिकों, कर्मचारियों, निर्माताओं और व्यापारियों तथा चाय उपभोक्ताओं और संसद सदस्यों और प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं।

भारतीय चाय, विशेष तौर पर, डिब्बा बंद चाय, चाय के बोरे तथा तैयार चाय, के निर्यात के लिए स्थायी बाजार बनाने के उद्देश्य से 1971 में भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना की गई। निगम के अन्य कार्यों में धरेलू खपत के लिए चाय का विपणन, चाय बागानों का प्रबंध, चाय के गोदामों तथा चाय उद्योग के लाभ के लिए अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना शामिल है। निगम को अब एम० टी० सी० के पूरक के रूप में परिचित कर दिया गया है।

काँफी (कहूँ) की खेती मुख्य रूप से दक्षिण के तीन राज्यों अर्थात् केरल और तमिल-नाडु में ही होती है। काँफी का उत्पादन करने वाले गैर-परम्परागत राज्य हैं—प्रान्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य। 1978 में काँफी की खेती 1.71 लाख हेक्टेयर भूमि में होती थी, जबकि 1984-85 में 2,34,531 लाख हेक्टेयर भूमि में काँफी की खेती की गई। काँफी की लगभग 97.8 प्रतिशत छोटी जेतें 10 हेक्टेयर से कम की हैं। औसत उत्पादकता जो 1978-79 में 485 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी, 1984-85 में बढ़कर 935 कि० ग्रा० प्रति हेक्टेयर हो गई। काँफी की फसल का उत्पादन-चक्र इस प्रकार देखा गया है कि जिस वर्ष काँफी की उपज बढ़त होती है, उसके अगले वर्ष बहुत

कम हो जाती है। 1986-87 के दौरान कॉफी का उत्पादन अनुमानतः 1.60 लाख टन होगा जबकि 1985-86 में उत्पादन अनुमानतः 1.20 लाख टन था। 1985-86 में 274.98 करोड़ रुपये मूल्य की 99,298 टन कॉफी का निर्यात किया गया। कॉफी बोर्ड ने, जिस पर कॉफी उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व है, कॉफी की उपज और किस्म में सुधार के लिए कॉफी विकास योजना शुरू की है। इस प्रयोजन के लिए वह कॉफी उत्पादकों को ऋण देता है।

कॉफी अधिनियम के अधीन कॉफी के संपूर्ण उत्पादन को विक्री के लिए अनिवार्यतः कॉफी बोर्ड के पास इकठ्ठा किया जाता है। देश के वागानों में कॉफी की विक्री मुख्यतः नीलामी के जरिये होती है और आरक्षित मूल्य न्यूनतम निकासी मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। निर्यात के लिए कॉफी की विक्री, अलग निर्यात नीलामियों में होती है और उसका आरक्षित मूल्य लन्दन के टर्मिनल मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। बोर्ड के पास कॉफी के इकठ्ठे किए जाने तथा देश के अन्दर होने वाली विक्री और निर्यात होने वाली कॉफी की अलग-अलग नीलामी की इस अनूठी व्यवस्था से, कॉफी उत्पादकों को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल पाया है।

### तम्बाकू

तम्बाकू (अनिमित) के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा और उसके निर्यात में पाँचवाँ स्थान है। अंतिम अनुमान के अनुसार, 1985-86 में तम्बाकू का उत्पादन 4.8 लाख टन था जिसमें से 0.98 लाख टन वर्जीनिया तम्बाकू था। तम्बाकू के निर्यात का लगभग 80-85 प्रतिशत वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड (वी०एफ०सी०) तम्बाकू के रूप में होता है। कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप 101874.72 हेक्टेयर क्षेत्र के 68834 उत्पादकों का पंजीकरण किया गया है।

तम्बाकू बोर्ड का यह उत्तरदायित्व है कि वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन का नियमन करे और उसके विपणन की व्यवस्था करे ताकि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके और तम्बाकू और तम्बाकू-उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

### रबड़

रबड़ एक महत्वपूर्ण बुनियादी कच्चा माल है जिसका उपयोग बहुत-सी वस्तुओं के निर्माण में होता है। रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण के राज्यों अर्थात् केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है। रबड़ की खेती का कुल क्षेत्र 1947-48 में 63,000 हेक्टेयर था, जो बढ़कर 1984-85 में 35,000 हेक्टेयर हो गया। रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज इस समय औसतन 860 कि० ग्रा० है जबकि 1979-80 में यह 771 कि० ग्रा० थी। रबड़ के वागानों के अधिकांश मालिक लघु स्तर के हैं, जिनकी संख्या 2,30,000 है। वे कुल 77 प्रतिशत रबड़ क्षेत्र के मालिक हैं। उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए और प्राकृतिक रबड़ की मांग और पूर्ति की स्थिति की विवेचना करने के लिए 1978-79 से रबड़ के आयात की अनुमति दे दी गई है। 1985-86 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 1.98 लाख टन और खपत 2.35 लाख टन हुई। रबड़ बोर्ड इस उद्योग के विकास का काम देखता है।

### इलायची

इस समय इलायची की खेती प्रमुख रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक ही सीमित है। अनुमान है कि 31 मार्च 1986 तक देश में एक लाख हेक्टेयर भूमि में इलायची की खेती हो रही थी। 1985-86 में छोटी इलायची का अनुमानित उत्पादन 47,00

टन था। 1985-86 में 163.39 ₹० प्रति कि०ग्रा० के इकाई मूल्य से 53.46 करोड़ रुपये मूल्य की 3272 टन इलायची का निर्यात किया गया। इलायची अधिनियम, 1965 के अधीन गठित इलायची बोर्ड, इलायची उद्योग के हर क्षेत्र अर्थात् उत्पादन, विपणन, निर्यात, अनुसंधान आदि की देखरेख करता है।

### ग्रामीण और लघु उद्योग

कम पूंजी निवेश तथा ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की उच्च क्षमता के गुणों को देखते हुए, लघु उद्योगों के विकास को प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसे नये 20-सूची कार्यक्रम में शामिल कर लेने से इसका महत्व और भी बढ गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हस्तशिल्प, हथकरघा, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के उत्थान तथा उनकी तकनीक के प्राधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है।

लघु उद्योगों ने पिछले दशक से असाधारण प्रगति कर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण तथा विशेष स्थान बना लिया है। कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत उत्पादन ग्रामीण और लघु उद्योग करते हैं। लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों का योगदान 33 प्रतिशत है।

1984-85 में अनुमान है कि लघु उद्योगों ने 50,520 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया (1979-80 की कीमतों के आधार पर 34065 करोड़ रुपये का) और इन उद्योगों में लगभग 90 लाख लोगों को रोजगार मिला। इस वर्ष के दौरान लघु उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात भी बढ़कर 2580 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

### परिभाषा

लघु उद्योगों की परिभाषा में पूंजी निवेश की सीमा 1985 में बढ़ा दी गयी है। संयंत्र तथा मशीनरी पर निवेश की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये तथा सहायक इकाइयों के मामले में यह सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 45 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा सेवा प्रदान करने वाले सभी उद्यम लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत होने के योग्य बने रहेंगे, बशर्त कि यह ग्रामीण क्षेत्रों और 5 लाख या उससे कम आबादी वाले शहरों में स्थापित किए जाएं और उनमें संयंत्र तथा मशीनरी में पूंजी-निवेश 2 लाख रुपये से अधिक न हो। इस प्रकार पंजीकृत होने पर वे उन सभी छूटों तथा प्रोत्साहनों के हकदार होंगे जो लघु उद्योगों और सहायक उद्योगों को मिलते हैं।

### आयात नीति

नयी आयात और निर्यात नीति मार्च 1988 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों तक लागू रहेगी। लेकिन लाइसेंस वार्षिक आधार पर ही दिए जाते रहेंगे। नीति को और अधिक उदार बनाया गया है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से शीघ्रता और आसानी से आयात की सुविधा दिलाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद करना, आयात में हर संभव बचत करना, देश में होने वाले उत्पादन को समर्थन देना तथा सक्षम आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना है।



वर्तमान आयात नीति में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बना दिया गया है तथा निर्णय लेने के प्राधिकार का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और लाइसेंस का क्षेत्र कम कर दिया गया है।

53 मर्दों के मामलों में सीधे आयात की व्यवस्था कर दी गयी है। इनमें से 17 मर्दों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओ० जी० एल०) की सूची में, 20 मर्दों को सीमित स्वीकार्य सूची में और 16 को प्रतिबन्धित सूची में डाल दिया गया है। स्वतः लाइसेंसिंग वर्ग को समाप्त कर दिया गया है तथा स्वतः अनु-मत्य सूची की अधिकांश मर्दों को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लाया गया है। इस सूची की मर्दों में से 467 को ओ० जी० एल० तथा 60 मर्दों को सीमित स्वीकार्य सूची में डाल दिया गया है। इससे पिछली खपत के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और अधिकांश मर्दों के आयात के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं रह जायेगी। इससे खास तौर पर लघु उद्योग क्षेत्र को लाभ होगा।

1984-85 की नीति के अधीन नये/प्रस्तावित एकक 5 लाख रुपये के 'लागत-बीमा-भाड़ा' मूल्य से, स्वतः स्वीकार्य मर्दों के आयात का लाससेंस प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर वे 50,000 रुपये की सीमित स्वीकार्य मर्दों का आयात कर सकते हैं। स्वतः लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करने के परिणामस्वरूप यह सीमा तदनुसार कम करके 50,000 रुपये कर दी गयी है। ये एकक ओ० जी० एल० के अधीन मर्दों का भी आयात कर सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक विषयों के स्नातकों/डिप्लोमाधारियों द्वारा अथवा भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जातियों व जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा स्थापित उद्योगों के मामले में, लाइसेंस की अधिकतम मूल्य सीमा 7.5 लाख रुपये से कम करके 75,000 रुपये कर दी गयी है।

आधुनिकीकरण और निर्यात उत्पादन के लिए मशीनरी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक मशीनरी को 201 मर्दों को ओ० जी० एल० के अधीन आयात किए जाने वाले पूंजीगत सामान की सूची में शामिल कर दिया गया है। पूंजीगत सामान से सम्बन्धित आवेदनों पर विचार करने के लिए, क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों तथा आयात-निर्यात महानियंत्रक के कार्यालय में, तदर्थ लाइसेंस समिति के महानियंत्रकों की शक्तियों को बढ़ाकर क्रमशः 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तथा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।

पंजीकृत निर्यातक नीति (आर० ई०पी०) लाइसेंस के उपयोग के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। ऐसे पंजीकृत निर्यातक, जिनका पिछले दो वर्षों में किसी वर्ष कुछ चुने हुए उत्पादों का निर्यात उनके उत्पादन के लिए न्यूनतम निर्धारित 10 प्रतिशत से कम, किन्तु मूल्य में 1 करोड़ रुपये से अधिक हो, लघु उद्योग एकक के मामले में आर० ई०पी० लाइसेंस पर 5 लाख रुपये तक मूल्य के पूंजीगत सामान का आयात कर सकते हैं।

कुछ वस्तुओं के देश में उपलब्ध होने के कारण, कच्चे माल क संघटकों की 7 मर्दों को, सीमित स्वीकार्य सूची से हटाकर प्रतिबन्धित सूची में और 67 मर्दों को ओ० जी० एल०/स्वतः स्वीकार्य सूची से हटाकर सीमित स्वीकार्य सूची में डाल दिया गया है। कम्प्यूटर प्रणाली की आयात-नीति को उदार बनाया गया है। सभी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए 10 लाख रुपये (लागत-बीमा-भाड़ा) लागत की

कम्प्यूटर प्रणाली का ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात कर सकते हैं। आयात/निर्यात पास-बुक स्कीम नामक एक नयी योजना शुरू की गयी है ताकि निर्यातक निर्यात-उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयातित सामग्री प्राप्त कर सकें। तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब कभी आवश्यक हो, सार्वजनिक सूचनाएँ जारी करके सरकार इस नीति में समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन करती रहती है।

**जिला उद्योग केन्द्र** केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फैले हुए लघु, मध्य और बड़े छोटे, ग्राम और कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए, जिला-स्तर पर एक केन्द्र की व्यवस्था की जाती है, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर निवेश से पहले, निवेश के समय तथा निवेश के बाद के चरणों में तथा संभव सभी आवश्यक सेवाएँ और समर्थन उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर देश के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में ऐसे औद्योगिक एककों की स्थापना पर है जो इन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सकें।

इस समय स्वीकृत जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या 419 है, जिनके अन्तर्गत 428 जिले हैं। चार महानगर—बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और भद्रास इस कार्यक्रम की परिधि से बाहर हैं।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेगा। पहली अप्रैल 1985 से प्रति केन्द्र केन्द्रीय सरकार का भाग बढ़ा कर चार लाख रुपये कर दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि (1980-81 से 1984-85) में 16.37 लाख छोटी और कारीगर पर आधारित इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिनसे 52.10 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुए।

### ऋण सुविधाएँ

वैको द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' माना जाता है। वाणिज्यिक बैंको को अपने कुल ऋणों का 40 प्रतिशत 'प्राथमिकता वाले क्षेत्र' को देना पड़ता है, जिसमें से 15 से 16 प्रतिशत सीधे कृषि कार्यों के लिए देने पड़ते हैं और शेष लघु उद्योगों, छोटे धन्धों, छोटे परिवहन चालकों और कृषि कार्यों के लिए परोक्ष रूप में होते हैं। दिसम्बर 1985 के अन्त तक बैंकों ने जो कुल शुद्ध ऋण दिए थे, उनमें से 15.3 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र के लिए थे।

दिसम्बर 1985 के अन्त तक लघु उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए देय राशि में से हिस्सा 35.9 प्रतिशत था। दिसम्बर 1985 के अन्त में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 15.67 लाख लघु उद्योगों/ऋण लेने वालों की सहायता की। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए देय राशि 7375 करोड़ रुपये थी। 1984-85 में राज्य वित्त निगमों द्वारा लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत राशि 540 करोड़ रुपये थी और 369 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

## लघु उद्योग विकास संगठन

लघु उद्योग विकास संगठन 26 लघु उद्योग सेवा संस्थानों, 32 शाखा संस्थानों, 40 विस्तार केन्द्रों, 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, 3 संक्रिया (प्रोसेस) व उत्पाद विकास केन्द्रों के माध्यम से लघु उद्योगों को व्यापक रूप से परामर्श सेवायें, तकनीकी, प्रबन्धकीय, आर्थिक व विपणन सहायता देता है। लघु उद्योग विकास संगठन ने हाल में लघु उद्योगों के लाभ के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी समर्थन कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके लिए (क) संक्रिया व उत्पाद विकास केन्द्र; (ख) औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र; (ग) विशेषीकृत संस्थायें, यानी विद्युत्मापक यंत्र, औजार, डिजाइन; और (घ) क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और उनके क्षेत्र परीक्षण स्टेशन स्थापित किये गये हैं। रांची में कांच और सिरेमिक के लिए, मेरठ में खेलों और मनोरंजन की सामग्री के लिए तथा पागला में फाउण्डरी और फोर्ज टेक्नालॉजी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से) के लिए तीन संक्रिया व उत्पाद विकास केन्द्र हैं। ये केन्द्र संक्रिया तथा विकसित किए जाने वाले उत्पादों के परीक्षण की सुविधाओं में सुधार करेंगे। सातवीं योजना अवधि में प्लास्टिक की वस्तुओं, सेण्ट्रीफ्यूगल पम्पों, आटो और मिनिचेर लैम्पों, कृषि औजारों और उपकरणों, ट्रांसफार्मरों, वॉल्टेज टेक्नोलॉजी, घरेलू उपयोग के विजली के सामान, यांत्रिक डिजाइन, औजार और खिलौनों, रसायनों, डीजल इंजनों आदि के लिए 10 और केन्द्रों की योजना बनायी गयी है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संघीय जर्मन गणराज्य की सहायता से कलकत्ता, लुधियाना और हैदराबाद में स्थापित औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र, इंजीनियरी उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया, संघटकों के मानकीकरण, उन्नत किस्म के औजारों के प्रयोग के बारे में परामर्श सेवायें दे रहे हैं तथा उच्च किस्म के औजारों, जिग, फिक्स्चर, प्रेस औजारों, गेजों के डिजाइन और निर्माण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये उद्योग को ताप संसाधन की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और साथ ही औजारों के डिजाइन और औजार बनाने के क्षेत्र में कुशलता बढ़ाने के लिए, दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा अल्पकालिक पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं। इंस्टीट्यूट फार डिजाइन एण्ड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, बम्बई जैसी विशेषज्ञता वाली संस्थाएं मापक उपकरण उद्योग को कॅलिब्रेशन, उपकरणों के परीक्षण, जिगों, औजारों और फिक्स्चरों के निर्माण, प्रवाह मापकों के क्षेत्र में नये उपकरणों के विकास जैसी सेवा प्रदान करती हैं। जालन्धर स्थित संस्थान, हाथ के औजारों के निर्माण की कुशलता में वृद्धि करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से स्थापित किया गया है। उद्योग मंत्रालय ने उत्तर-प्रदेश सरकार और दिल्ली प्रशासन के माध्यम से लखनऊ और नयी दिल्ली में दो औजार कक्षों की स्थापना की है जो इन क्षेत्रों के औजार सम्बन्धी तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

यांत्रिक, विद्युत्, धातुकर्मी और रासायनिक क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए चार महानगरों में चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योग की किस्म नियंत्रण व परीक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन 4 क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों के अधीन 17 फील्ड परीक्षण स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उत्तरप्रदेश में रामनगर में एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होने वाला है।

**राष्ट्रीय पुरस्कार**

सरकार ने 1983 से लघु उद्योग क्षेत्र में उद्यमियों को मान्यता और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य में प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना शुरू की है। पहले तीन अखिल भारतीय पुरस्कारों में क्रमशः 25,000 रुपये; 20,000 रुपये और 15,000 रुपये नगद दिए जाते हैं। प्रत्येक राज्य/विन्देशित प्रदेश के छोटे उद्योगों में से एक-एक उद्यमी को लघु उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार और 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है।

**शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार**

औद्योगिक विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन के केंद्रीय अभिकरण के रूप में जिना उद्योग केंद्रों के महत्व और उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना काम-धंधा शुरू करने की सुविधा देने की सरकार द्वारा घोषित नयी योजना, क्रियान्वयन के लिए जिना उद्योग केंद्रों को सौंप दी गयी है। इस योजना के अधीन ये केंद्र 18 से 35 वर्ष की आयु के तथा मैट्रिक या उससे ऊपर की परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग, सेवा और छोटे-मोटे व्यापार के जरिए, अपना काम धंधा शुरू करने में सहायता करते हैं। प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केंद्र के अधीन एक कामें दल गठित किया गया है जिसमें लीड बैंक, लघु उद्योग सेवा-संस्थान और रोजगार कार्यालय लाभार्थियों का पता लगाते हैं। ये लाभार्थी 25,000 रुपये तक का सम्मिश्र ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण पर ब्याज की निर्धारित दर पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा अन्य क्षेत्रों में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता, उद्यमी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण के 25 प्रतिशत के बराबर, पूंजीगत सहायता भूमिगत के रूप में दी जाती है। उद्यमी को ऋण मिल जाने के बाद मरचिन्डी बैंक को जारी कर दी जाती है जो बैंक द्वारा ऋण लेने वाले के नाम पर निश्चित अर्धवर्ष की जमा राशि के रूप में रखी जाती है। ऋण के 3/4 भाग को अदायगी होने पर, शेष 1/4 भाग को ऋण लेने वाले के नाम पर रखी जमा राशि से समायोजित कर दिया जाता है।

1984-85 में इस योजना का विस्तार किया गया, जिसमें यह संशोधन किया गया कि कम से कम 50 प्रतिशत मामले उद्योग क्षेत्र के हों और छोटे व्यवसाय के लिए 30 प्रतिशत से अधिक मामले मंजूर न किए जाएं। देश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत सीमा निर्धारित की गयी है किन्तु व्यवसाय के लिए कोई अधिकतम सीमा लागू नहीं की गयी है।

जिला उद्योग केंद्र कार्यदल में उस जिले के दो प्रमुख बैंकरो को शामिल कर के इनका विस्तार किया गया है। 1985-86 में बिना किसी संशोधन के यह योजना जारी रही।

**उद्यम व्यापार संस्थान**

नीतियां निर्धारित करने और उद्यम विकास के क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने और उनमें एकात्मक रखने के लिए तथा विभिन्न लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं के अनुसार, विशेष कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से, 1983 में एक राष्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय उद्यम और लघु व्यापार विकास संस्थान का गठन किया गया। यह संस्थान प्रेरकों, प्रशिक्षकों और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, देश में उद्यमियों के विभिन्न समूहों

के प्रशिक्षण के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करता है, परीक्षाएं और टेस्ट आयोजित करता है, लघु व्यापार विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और आंकड़े तैयार करता है तथा उद्यम और व्यापार विकास के क्षेत्र में अधिकारियों/प्रेरकों के लिए गोष्ठियां, वर्कशाप और सम्मेलन आदि आयोजित करता है ।

यह संस्थान राष्ट्रीय-स्तर का शीर्ष-संस्थान है और उद्यम तथा छोटे उद्योगों और लघु व्यापार विकास के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध एजेंसियों और संस्थानों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच की भूमिका भी निभाता है ।

## राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, लघु उद्योग एककों को किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की सप्लाई करता है और सरकारी विभागों तथा कार्यालयों से आर्डर प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है । यह दुर्लभ और आयातित सामग्री की खरीद और देश तथा विदेशों में उनके उत्पादों की बिक्री में भी लघु उद्योगों की सहायता करता है । निगम विश्व के अन्य विकसित देशों को पूरी तरह तैयार (टर्नकी) परियोजनाओं का निर्यात करता है । इसके अतिरिक्त, यह ओखला (नयी दिल्ली), हावड़ा, राजकोट और मद्रास स्थित अपने प्रोटोटाइप विकास व प्रशिक्षण केन्द्रों में अनेक टैकनीकल व्यवसायों में प्रशिक्षण देता है । ये प्रोटो-टाइप विकास व प्रशिक्षण केन्द्र मशीनों और उपकरणों के प्रोटोटाइप तैयार करते हैं और उनके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उन्हें लघु उद्योग एककों को देते हैं ।

## हस्तशिल्प

हस्तशिल्प में बहुत-सी कलाएं शामिल हैं, जिनके पीछे सदियों का अनुभव और निपुणता है । यह क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है और देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करता है, इसलिए भारत को अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है । 1985-86 में दस्तकारी की वस्तुओं (जवाहरात और आभूषणों के अलावा) का निर्यात अंतिम रूप से 392.34 करोड़ रुपये हो गया ।

सरकार को हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास सम्बन्धी मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से जुलाई 1981 में अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड गठित किया गया था । अक्टूबर 1984 में बोर्ड का पुनर्गठन किया गया । परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तशिल्प के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाने का दायित्व विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय का है । इसके बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और नई दिल्ली में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं । कलकत्ता, बम्बई, बंगलूर और नई दिल्ली में चार क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्र हैं । नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय भी स्थापित किया गया है । बंगलूर और नई दिल्ली स्थित डिजाइन केन्द्रों को स्वायत्त समिति में परिवर्तित करके उनका नाम "रंगतंत्र" रख दिया गया है जिससे कि वे अधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें ।

## हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र को राष्ट्रीय वस्त्र-नीति तथा छोटी योजना के दस्तावेज में अत्यधिक महत्व दिया गया है और नए वीस-सूत्री कार्यक्रम में भी इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है । विकेन्द्रित क्षेत्र में कृषि के बाद इसी उद्योग में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं । सहकारी समितियों का क्षेत्र बढ़ाने को सरकार की नीति और संगठनात्मक

ढाँचा उपलब्ध कराने के लिए 1985-86 के अन्त तक, सहकारी क्षेत्र में लाए गए करणों की संख्या बढ़कर, लगभग 19 लाख हो जाने की आशा है।

सातवीं योजना का लक्ष्य 460 करोड़ मीटर रखा गया है और अनुमान है कि 1985-86 में हथकरघा पर 588.6 करोड़ मीटर कपड़ा बना था। निर्यात के क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र को महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। जहां 1967-68 में केवल 11.6 करोड़ रुपये के हथकरघा वस्त्र का निर्यात किया गया था, वहां 1985-86 में यह बढ़कर 362.00 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

## तकनीकी विकास

तकनीकी विकास महानिदेशालय, एक तकनीकी सलाहकार संस्था है जो सरकार को इस्पात, खनन, वस्त्र, पटसन, कोयला, चीनी, और वनस्पति उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी सलाह देता है। तकनीकी विकास महानिदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण, उद्योग मंत्रालय करता है और यह महानिदेशालय औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग, पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल और कल-युजों के आयात के प्रस्तावों की तकनीकी दृष्टि से जांच करता है। यह इंजीनियरी और रसायन उद्योगों की उत्पादन इकाइयों के विभिन्न चरणों में, विदेशी निर्भरता पूरी तरह समाप्त करने के कार्यक्रम की जांच करता है और इस कार्यक्रम की प्रगति पर निगाह भी रखता है। यह विदेश व्यापार आयात/निर्यात नीतियों और सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क आदि के बारे में तकनीकी राय भी देता है। वैसे यह मुख्य रूप से उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के सम्पूर्ण नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न उद्योगों की मांग का अनुमान तैयार करता है और उपलब्ध शक्ती के अनुसार, धामियाँ दूर करने के बारे में उपयुक्त टेक्नोलॉजी अपनाने की सिफारिश भी करता है।

बढ़ते हुए औद्योगीकरण के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्योग, तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत हुए हैं और यह महसूस किया गया है कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय खोलने से उद्योगों की बेहतर सेवा हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से मद्रास, बलरुत्ता और लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए।

यद्यपि तकनीकी विकास महानिदेशालय के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ी है, परन्तु 132 चुने हुए उद्योगों की प्रगति की देख-रेख पर ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1970 को आधार वर्ष मानकर यदि कुल उत्पादन सूचकांक 100 रखा जाए तो इन उद्योगों का योगदान 39.7 होता है। 1984-85 के मुकाबले 1985-86 में इन उद्योगों के कुल विकास में अनुमानतः 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जिन कारखानों में संयंत्र और मशीनों पर 5 करोड़ रुपये तक की पूंजी लगी हो और जहां निर्धारित सीमा तक कच्चे माल और कल-युजों के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत हो, उनके पंजीकरण का अधिकार इस तकनीकी विकास महानिदेशालय को ही है। जिन कारखानों को औद्योगिक लाइसेंस से मुक्त रखा गया है, उन्हें इस महानिदेशालय में पंजीकरण कराना होता है। ऐसे कारखानों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1984 और 1985 में क्रमशः 1915, और 1961 योजनाएं पंजीकृत हुईं। इनमें से पिछड़े क्षेत्रों के लिए 1984 में 1144, और 1985 में 1140 योजनाएं थीं।

1985 में उद्योगों में विशेष जोर प्लास्टिक और पोलिमर उद्योगों पर दिया गया जिनके लिए 794 एककों को पंजीकृत किया गया, इसके बाद धातुकर्मी उद्योग (107 एकक), औद्योगिक गैसों (द्विविध रसायन) (227 एकक) तथा औद्योगिक मशीनरी (127 एकक) का स्थान था। क्षेत्रीय वितरण के सम्बन्ध में 1985 में सबसे पहला स्थान उत्तर-प्रदेश (335 एकक) का रहा। उसके बाद महाराष्ट्र (228 एकक), मध्य प्रदेश (189 एकक) और आंध्र प्रदेश (178 एकक) का स्थान था।

तकनीकी विकास महानिदेशालय विभिन्न कारखानों की पंजीकरण देने में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने की क्षेत्रवार-नीति अपनाता है। पिछड़े इलाकों और अन्य इलाकों में पंजीकरण की संख्या बढ़ते रहने की आशा है।

### रूग्ण उद्योग

देश में औद्योगिक रूग्णता की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने अक्टूबर 1981 में एक मार्गदर्शक नीति की घोषणा की थी, जिसे केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं की सहायता के लिए, फरवरी 1982 में संशोधित किया गया। इन मार्गनिर्देशों के महत्वपूर्ण पहलू ये हैं:

- (1) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय अपने-अपने अधीन घाटे वाले उद्योगों के बारे में, घाटे की स्थिति को रोकने और उसमें सुधार करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन घाटे पर चलने वाले उद्योगों के कामकाज पर निगाह रखने के लिए वे केन्द्र सरकार की ओर से भूमिका निभाएंगे और ऐसे उद्योगों की स्थिति फिर से मजबूत करने के काम में तालमेल भी रखेंगे। उपयुक्त मामलों में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ रूग्णता व्यापक है, वे स्थायी समितियाँ भी स्थापित करेंगे।
- (2) वित्तीय संस्थाएँ घाटे वाले उद्योगों के कामकाज पर निगाह रखने की व्यवस्था को बनायेगी, ताकि इस तरह के समुचित उपाय समय पर किये जा सकें जिससे उद्योगों के घाटे में जाने की संभावना को रोका जा सके। ये संस्थाएँ उन कारखानों से समय-समय पर आवश्यक जानकारी माँगेगी, जिन्हें वे सहायता देती हैं और इन कारखानों के निदेशक मंडल में अपने मनीनीत निदेशकों से भी रिपोर्टें माँगेगी। इन रिपोर्टों के विश्लेषण का काम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करेगा और विश्लेषणों के परिणाम सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं और सरकार को भेजे जाएंगे।
- (3) वित्तीय संस्थाएँ और बैंक, उद्योगों के घाटे पर चलने की आशंका को रोकने के लिए समुचित आवश्यक उपाय करेंगे। घाटे की स्थिति बढ़ने पर वित्तीय संस्थाएँ अगर ये समझेंगी कि उद्योग की स्थिति सुधारी जा सकती है तो वे इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत भेजेगा।
- (4) जहाँ बैंक और वित्तीय संस्थाएँ उद्योगों की घाटे की स्थिति रोकने या उनकी हालत सुधारने में असमर्थ होंगी, वहाँ वे इन कारखानों के वकाया ऋणों को सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के आधार के अनुसार मानेंगी

परन्तु ऐसा करने से पहले वे इस मामले की रिपोर्ट सरकार को देंगी, जो यह फैसला करेगी कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है या उस उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए प्रबन्ध-कार्य में मजदूरों को शामिल करने जैसे कोई अन्य वैकल्पिक उपाय किये जा सकते हैं।

- (5) जहाँ उद्योग का राष्ट्रीयकरण का फैसला किया जाए, वहाँ औद्योगिक (विकास और नियम) अधिनियम 1951 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 6 महीनों के लिए उसका प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में ले सकती है ताकि वहाँ उसके राष्ट्रीयकरण के बारे में आवश्यक कार्रवाई कर सके।
- (6) जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध इस समय औद्योगिक (विकास और नियम) अधिनियम, 1951 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत चल रहा है, उन्हें उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार चलाया जाएगा। यह फैसला किया जाएगा कि इन प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण या कोई अन्य वैकल्पिक उपाय किया जाए। यदि कोई विकल्प उचित नहीं दिखाई पड़ता तो सरकार उस उद्योग को गैर-अधिसूचित (डी-नोटिफाई) करने पर विचार कर सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक और वित्तीय संस्थाएँ उपक्रमों को देय धकाया राशियों के बारे में सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेंगी।

औद्योगिक (विकास और नियम) अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे कारखाने

सरकार ने औद्योगिक (विकास और नियम) अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत घाटेवाले अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है, ताकि उन्हें विभिन्न बैंकों और वित्तीय मस्थाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता और प्रबन्ध कार्य में समर्थन दिलाया जा सके। जुलाई 1986 में औद्योगिक (विकास और नियम) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने 16 औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध संभाला हुआ था। परन्तु अभी तक प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की नीति कारगर सिद्ध नहीं हुई और ये छग्न इकाइयाँ अपने पैरो पर खड़ी नहीं हो सकी। इसलिए वर्तमान नीति प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के पक्ष में नहीं है। केवल उन प्रतिष्ठानों का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में थोड़े समय के लिए लेती है, जिनका राष्ट्रीयकरण करना होता है। ऐसी इकाइयों की संख्या 1979 में 9 थी जो 1982 में घटकर एक रह गई। 1982 के बाद किसी इकाई का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लिया गया।

जिन इकाइयों का प्रबन्ध सरकार ने उद्योग (विकास और नियम) अधिनियम के अन्तर्गत संभाल लिया है, उनके भविष्य का निर्णय कई विकल्पों पर विचार करके किया जाता है, जैसे उनका राष्ट्रीयकरण करना, पुनर्गठन करना या लाभ कमाने वाली कम्पनियों से मिला देना। यदि कोई भी विकल्प संभव नहीं होता और ऐसा लगता है कि बुनियादी रूप से ये इकाइयाँ अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकतीं तो इन उद्योगों को अन-अधिसूचित (डिनोटिफाई) कर दिया जाता है और कम्पनी का प्रबन्ध सरकार छोड़ देती है। 1985-86 में जुलाई तक विभिन्न विकल्पों पर विचार करके और यह देखकर कि इन्हें अपने पैरों पर खड़े करने के



प्रयास विफल हुए हैं, तीन इकाइयों को अन-अधिसूचित कर दिया गया है। जनवरी 1985 से जुलाई 1986 की अवधि में ग्यारह इकाइयों में से दस का राज्य सरकारों ने और एक का केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

### रियायतें

सरकार ने घाटे में चलने वाली यूनिटों की स्थिति सुधारने के लिए, बिना सीधे हस्तक्षेप किये, अनेक रियायतें देने का फैसला किया है। ये रियायतें हैं :

- (1) सरकार ने 1977 में आयकर कानून में धारा 72-ए जोड़कर संशोधन किया, जिसके द्वारा घाटे वाले यूनिटों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से, अपने में विलय करने वाली लाभ वाली कम्पनियों को करों का लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गई है। करों का यह लाभ इस रूप में होगा कि वे इकट्ठे व्यापार घाटों को अपने खातों में दिखा सकती हैं और जो टूट-फूट और अवमूल्यन घाटे वाली कम्पनी के खाते में नहीं हुआ, उसे लाभ वाली कम्पनी विलय के बाद अपने खाते में शामिल कर सकती है।
- (2) पहली जनवरी, 1982 से एक योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र में घाटे में चल रही इकाइयों को उदार शर्तों पर सीमान्त (मार्जिन) राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ताकि वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से आवश्यक धन प्राप्त कर सकें।

### औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985, बनाया है, जिसके अन्तर्गत और बातों के साथ-साथ एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की व्यवस्था है। इसका नाम है, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और इसका काम है औद्योगिक रुग्णता की समस्या को प्रभावकारी ढंग से हल करना। यह बोर्ड रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना के बारे में निर्णय लेगा और हर मामले के गुणावगुणों पर विचार करके कदम उठाएगा। बोर्ड को कई विकल्पों पर विचार करने का अधिकार दिया गया है, जैसे प्रबन्ध संभालना, किसी अन्य औद्योगिक कम्पनी में मिला देना, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के किसी प्रतिष्ठान को पूरा का पूरा या उसके किसी भाग को बेच देना या ठेके पर दे देना, और ऐसे ही अन्य निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक कदम उठाना, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

## विदेश व्यापार

स्वाधीनता से पहले भारत का व्यापार एक परम्परागत औपनिवेशिक और कृषि प्रधान देश की तरह का था। विदेश व्यापार मुख्यतः ब्रिटेन और राष्ट्र-मंडल के अन्य देशों तक ही सीमित था। निर्यात कुछ प्राथमिक वस्तुओं का ही होता था। आयात भी सीमित ही था, जो मुख्य रूप से तैयार सामान का होता था। ऊपर से देखने में व्यापार-संतुलन अनुकूल लगता था, परन्तु वास्तव में औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक विकास दोनों ही कम थे।


सन् 1947 के बाद महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप भारत के विदेश व्यापार की पूरी तरह कायापलट हो गई है। अब यह व्यापार कुछ ही देशों और कुछ ही वस्तुओं तक सीमित नहीं है। आज विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बंध हैं और निर्यात होने वाले या आयात किए जाने वाले सामान की सूची में अब लगभग 6,660 वस्तुएं शामिल हैं। निर्यात होने वाली वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रों के उपकरण, हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर व शिल्प उद्योग की वस्तुएं सम्मिलित हैं। परियोजना-निर्यात ने, जिनमें परामर्श सेवा, नगर निर्माण तथा 'टर्न-की' परियोजनाओं के ठेके शामिल हैं, गत वर्षों में महत्वपूर्ण तरक्की की।

इसी तथ्य देश को अर्थव्यवस्था के विकास को आवश्यकताओं के कारण आयात में भी भारी वृद्धि हुई है। स्वभावतः अब आयातित वस्तुओं में बहुत परिवर्तन हो गया है। अब मुख्यतः अत्याधुनिक मशीनों एवं दुर्लभ कच्चे माल का तथा देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए अरूरी स्यूब्सिडेंट तेल तथा रासायनिक खाद का आयात होता है। विकास के लिए आयातित वस्तुओं की अधिकता तथा वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों से देश का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल है।

## विदेश व्यापार का मूल्य

भारत का कुल विदेश व्यापार (आयात और निर्यात, पुनर्निर्यात सहित) निरंतर बढ़ रहा है और 1971-72 से 1985-86 के बीच यह लगभग नौ गुना बढ़ा है। आयात तथा निर्यात का मूल्य, विदेश व्यापार का कुल मूल्य तथा व्यापार संतुलन के 1950-51 अब तक के चुने हुए वर्षों के आकड़े सारणी 21.1 में दिए गए हैं।

आज की कीमतों के आधार पर भारतीय निर्यात—छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान 13.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़े, जबकि आयात में 14.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस काल में निर्यात वृद्धि की दर में वृद्ध तथा आयात वृद्धि की दर में कमी के कारण 1977-78 से 1980-81 के दौरान द्रुत गति से हुए व्यापार घाटे में कमी आई। यह बात महत्वपूर्ण है कि निर्यात मूल्य



में वार्षिक वृद्धि 1980-81 के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 1981-82 में 16.3 प्रतिशत, 1982-83 में 12.8 प्रतिशत, 1983-84 में 11.0 प्रतिशत तथा 1984-85 में 21.3 प्रतिशत हो गई, जबकि आयात में वार्षिक दर 1980-81 के 37.3 प्रतिशत से घटकर 1981-82 में 8.4 प्रतिशत, 1982-83 में 5.0 प्रतिशत, 1983-84 में 10.8 प्रतिशत तथा 1984-85 में 8.5 प्रतिशत रह गयी। फलस्वरूप, व्यापार संतुलन का घाटा 1980-81 में 5,838 करोड़ रुपये से कुछ घटकर 1981-82 में 5,802 करोड़ रुपये तथा 1982-83 में 5,504 करोड़ रुपये रह गया। तथापि 1983-84 में व्यापार घाटा बढ़कर 6,061 करोड़ रुपये हो गया। अन्य बातों के अलावा मार्च 1984 की बंदरगाहों पर हड़ताल जैसी अप्रत्याशित घटनाएँ इसके लिए कारणभूत थीं। वर्ष 1984-85 भारत के विदेश व्यापार, विशेषतया निर्यात के क्षेत्र में अच्छी उन्नति का वर्ष था। नवीनतम उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, 1984-85 में भारत का कुल निर्यात 21.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,855.15 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आयात 17,173.25 करोड़ रुपये था, जिससे व्यापार संतुलन का घाटा कम होकर 5,318.10 करोड़ रुपये रह गया।

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में घीमापन, गतिहीनता तथा विकसित देशों द्वारा बढ़ते हुए संरक्षणवादी प्रतिबंधों के कारण, भारत के बहुत से उत्पादों तथा वस्तुओं के लिए विश्व का व्यापार माहौल कठिन होता जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध अनन्तिम आकड़ों (जून 1986 तक सशोधित) के अनुसार सातवीं योजना के पहले साल, 1985-86 में 11,005.31 करोड़ रुपये के निर्यात ने 7.2 प्रतिशत की कमी दर्शायी, जबकि 19,622.27 करोड़ रुपये के आयात ने 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई।

अंतर्राष्ट्रीय कारणों के अलावा हमारे कुल निर्यात में कमी का एक कारण यह भी है कि कच्चे तेल का निर्यात, जो 1984-85 में 1,563 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था, देश में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि होने के कारण अप्रैल 1985 के बाद लगभग खत्म हो गया। 1985-86 के दौरान सिर्फ 135.15 करोड़ रुपये के कच्चे तेल का निर्यात किया गया। लेकिन अनन्तिम आकड़ों के अनुसार कच्चे तेल को छोड़कर, अन्य चीजों का 1985-86 में निर्यात 10,870.76 करोड़ रुपये का हुआ, जो पिछले साल के 10,291.99 करोड़ रुपये की तुलना में 5.6 प्रतिशत अधिक था।

(मूल करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आयात	निर्यात (पुनर्निर्यात सहित)	विदेश व्यापार का कुल मूल्य	व्यापार संतुलन
1	2	3	4	5
1950-51 <sup>1</sup>	650.21	600.64	1,250.85	-49.57
1960-61 <sup>1</sup>	1,139.69	660.22	1,799.91	-479.47
1970-71	1,634.20	1,535.16	3,169.36	-99.04

सारणी 21.1  
भारत का विदेश  
व्यापार

1	2	3	4	5
1975-76	5,264.78	4,036.26	9,301.04	-1,228.52
1980-81	12,549.15	6,710.71	19,259.86	-5,838.44
1981-82	13,607.55	7,805.91	21,413.46	-5,801.64
1982-83	14,306.97	8,803.31	23,110.28	-5,503.66
1983-84 <sup>1</sup>	15,831.46	9,770.71	25,602.17	-6,060.75
1984-85	17,173.25	11,855.15	29,028.40	-5,318.10
1985-86 <sup>2</sup>	19,622.27	11,005.91	30,628.18	-8,616.36

### निर्यात-व्यापार का स्वरूप

1951-60 के दशक में निर्यात लगभग स्थिर रहा, जो औसत 600 करोड़ रुपये वार्षिक था। इसमें 1961 और 1966 के बीच वृद्धि होनी शुरू हुई। अबमूल्यन के पश्चात् निर्यात धीरे-धीरे बढ़ता तो रहा, परन्तु इसकी वृद्धि-दर अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू स्थिति के अनुसार घटती-बढ़ती रही। अबमूल्यन वर्ष 1966-67 में 1,093.78 करोड़ रुपये से बढ़कर एक दशक के बाद 1976-77 में निर्यात व्यापार 5,142.71 करोड़ रुपये हो गया था। निर्यात में यह वृद्धि जारी रही तथा 1985-86 में यह अनंतिम रूप से 11,005.91 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

हाल के कुछ वर्षों में निर्यात न केवल बढ़ा है बल्कि उसमें बहुत विविधता भी आई है। अब अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाने लगा है, जैसे—पूँजीगत माल व अन्य इंजीनियरिंग सामग्री, रसायन व रासायनिक उत्पाद, चमड़ा व चमड़े का सामान, सिले-सिलाए कपड़े, रेशमी, ऊनी व रेयन के वस्त्र, रत्न व आभूषण, हस्तशिल्प, तैयार खाद्य सामग्री व समुद्री सामग्री आदि। परम्परागत निर्यात वस्तुओं जैसे वागान-फसलों, कृषि सामग्री, खनिज पदार्थ, कपास तथा पटसन की वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

गतिशील निर्यात क्षेत्रों में इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात 1971-72 से 1983-84 के 10 वर्षों में 122 करोड़ रुपये से बढ़कर 826 करोड़ रुपये हो गया। चमड़ा व चमड़ा उत्पादों (जूते सहित) का निर्यात 102 करोड़ रुपये से बढ़कर 463 करोड़ रुपये, सिले-सिलाए वस्त्रों का 14 करोड़ रुपये से 692 करोड़ रुपये, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात 30 करोड़ रुपये

1. आंकड़े अबमूल्यन से पूर्व के हैं।

2. अनंतिम, जून 1986 तक संशोधित।

से 315 करोड़ रुपये तथा मछली और इससे बने पदार्थों का 41 करोड़ रुपये से 364 करोड़ रुपये और हाथ से बने कालीन का निर्यात 12 करोड़ रुपये से 208 करोड़ रुपये हो गया है।

यद्यपि चाय, पटसन की बनी वस्तुओं और सूती कपड़े जैसी प्रमुख परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में मूल्य का दृष्टि से वृद्धि हुई है, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और पूर्ति की स्थिति के अनुसार इनमें काफी परिवर्तन होता रहा है।

हाल के वर्षों में बहुत-सी वस्तुओं और उत्पादों के निर्यात के लिए विश्व की व्यापारिक और आर्थिक स्थिति अघिकाधिक विकट होती जा रही है। ओपेगीकृत देशों में, व्यापक बेरोजगारी के साथ-साथ निरंतर मंदी की स्थिति से विश्व की अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद बढ़ रहा है। इससे भारत जैसे विकासशील देशों के निर्यात पर गभीर दुष्प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ सालों में विश्व के व्यापार के विकास में स्पष्ट गतिहास आया है। 1950 से 1975 की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यधिक विस्तार हुआ, लेकिन 1975 से 1979 तक विश्व व्यापार की मात्रा में लगभग 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से वृद्धि हुई तथा 1980 में वृद्धि दर लगभग स्थिर रही। यद्यपि पिछले वर्षों में विश्व की अर्थव्यवस्था में मुधार के लक्षण दिखायी दिए हैं, लेकिन मुधार की यह प्रक्रिया अब तक सीमित तथा असमान लगती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्थिति अब भी खराब है।

इस सन्दर्भ में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि खराब अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए हाल के वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में देश की उपलब्ध सराहनीय रही। सारणी 21.2 में पिछले तीन वर्षों में चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात की स्थिति दिखायी गयी है।

भारत से मुख्य रूप से निर्यात होने वाली वस्तुओं को देखने से पता लगता है कि 1983-84 के मुकाबले 1984-85 में जिन वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है उनमें चाय, पटसन से बनी चीजें, सिले-सिलाए वस्त्र, सूती कपड़े, मसाले, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद और लौह अयस्क शामिल है। कच्चे तेल ने भी निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरी ओर रतन और आभूषण, धातु से बनी वस्तुएं, मछली तथा उससे बने पदार्थ, खली, कच्चा तंबाकू और चमड़ा तथा उससे बनी चीजों के निर्यात में 1984-85 में गिरावट आई।

1984-85 की तुलना में 1985-86 में रतन और आभूषणों का निर्यात 236.40 करोड़ रुपये, सिले-सिलाए वस्त्रों का 149.47 करोड़ रुपये, लौह अयस्क का 107.36 करोड़ रुपये, मसालों का 80.94 करोड़ रुपये, चमड़ा तथा उससे बनी वस्तुओं (जूतों सहित) का 64.10 करोड़ रुपये, मछली और उनसे बने पदार्थों का 52.77 करोड़ रुपये और मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों का 48.61 करोड़ रुपये बढ़ा। दूसरी ओर देश में तेल-योग्य क्षमता के बढ़ने से कच्चे तेल का निर्यात 1,428.01 करोड़ रुपये से कम हो गया। 1984-85 के मुकाबले 1985-86 में जिन दूसरी चीजों के निर्यात में कमी हुई है, उनमें चाय, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, पटसन से बनी वस्तुएं, सूती वस्त्र, कच्चा तंबाकू, धातु से बनी वस्तुएं और खली शामिल हैं।

सारणी 21.2  
चुनी हुई वस्तुओं का निर्यात

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	वस्तुएं	1983-84	1984-85 <sup>1</sup>	1985-86 <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
1.	चाय . . .	515.17	707.86	611.91
2.	काफी तथा उसके स्थानापन्न पदार्थ	181.74	198.13	235.64
3.	कच्चा तम्बाकू तथा कचरा तंबाकू .	155.63	148.63	115.36
4.	काजू की गिरि .	150.79	174.48	215.33
5.	मसाले .	116.67	174.06	255.00
6.	खली .	151.58	132.81	123.54
7.	मछली तथा मछली से बने पदार्थ .	359.32	335.82	388.59
8.	लोह अयस्क .	401.57	447.23	554.59
9.	सूती वस्त्र .	304.71	412.87	371.57
10.	सिले-सिलाए वस्त्र	691.94	857.84	1,007.31
11.	पूर्णतः तैयार सूती वस्त्र . . .	90.70	92.03	102.53
12.	पटसन से बनी वस्तुएं (रस्सी तथा सूत सहित)	171.70	341.07	269.60
13.	चमड़ा तथा चमड़े से बनी चीजें (जूतों सहित)	463.16	456.77	520.87
14.	रसायन तथा सम्वद्ध उत्पाद .	314.88	370.59	285.89
15.	रत्न और आभूषण	1,294.13	1,261.70	1,498.10
16.	हस्तनिर्मित कालीन तथा सम्वद्ध ऊनी वस्त्र . . .	207.59	227.07	228.57

1	2	3	4	5
17.	मशीनरी तथा परि- वहन उपकरण	540.76	554.94	603.55
18.	धातु से बनी वस्तुएं (लोहा तथा इस्पात को छोड़कर)	196.31	183.45	156.35
19.	कच्चा तेल	1,231.10	1,563.16	135.15
	कुल निर्यात (अन्य वस्तुओं सहित)	9,770.71	11,653.93	11,005.91
			11,855.15 <sup>2</sup>	

1. 1984-85 तथा 1985-86 के आँकड़े अनन्तित हैं ।

2. मार्च 1986 में संशोधित ।

1983-84 से 1985-86 तक किये गये मुख्य आयातों को उनके मूल्य के माय सारणी 21.3 में दर्शाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिक तेजी से विकास के लिए पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, सोहा तथा इस्पात, अलौह धातुओं, अन्य औद्योगिक कच्चे माल, विशेष किस्म की मशीनों तथा पूंजीगत साज-सामान, पुर्जों और संघटकों आदि का पर्याप्त आयात आवश्यक है।

विश्व में पेट्रोलियम तथा सम्बद्ध उत्पादों की कीमतों में तीव्र वृद्धि होने में देश के कुल आयात व्यय में काफी वृद्धि हुई। आयात के मूल्य में 1979-80 और 1980-81 में क्रमशः 34.2 तथा 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि का यही स्तर 1981-82 व 1982-83 में 8.4 और 5.6 प्रतिशत, 1983-84 में 10.8 प्रतिशत, 1984-85 में 8.5 प्रतिशत एवं 1985-86 में 14.3 प्रतिशत तक पहुंच गया।

भारत में मुख्य रूप से आयात होने वाले पदार्थों को देखने में पता चलता है कि 1983-84 के मुकाबले 1984-85 में जिन वस्तुओं के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई उनमें पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम पदार्थ, उत्पादिन उर्वरक, रसायन (कार्बनिक और अकार्बनिक), बनस्पति तेल (घाघ तेल) और कागज, गत्ते तथा उनमें बना सामान शामिल है। घाघान्न तथा उनमें बने पदार्थ, मशीनरी तथा परिवहन उपकरण, लौह तथा इस्पात, मांती, बहुमूल्य तथा कम मूल्य के रत्न, कृत्रिम तथा पुनर्निर्मित धागे, अद्यत्तिक यन्त्र, उत्पाद, अलौह धातु और धातु से बनी चीजें, ये कुछ वस्तु-समूह हैं, जिनका आयात 1983-84 के मुकाबले 1984-85 में कम हुआ।

1984-85 के मुकाबले 1985-86 में मशीनरी तथा परिवहन उपकरणों के आयात में 851.91 करोड़ रुपये, लोहा और इस्पात में 437.30 करोड़ रुपये, अलौह धातु में 122.19 करोड़ रुपये, कृत्रिम रेशम तथा प्लास्टिक सामान आदि में 108.11 करोड़ रुपये, रसायनों (कार्बनिक तथा अकार्बनिक) में 100.19 हजारों,



मोती, बहुमूल्य तथा कम मूल्य के रत्नों में 74.02 करोड़ रुपये और धात्विक उत्पादों में 55.24 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। दूसरी ओर पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम पदार्थों का आयात 391.94 करोड़ रुपये, वनस्पति तेल का (खाद्य तेल) 216.26 करोड़ रुपये, खाद्यान्न तथा उनसे बने पदार्थों का 82.46 करोड़ रुपये तथा अधात्विक खनिज उत्पादों का 63.35 करोड़ रुपए कम हुआ।

यह बात महत्वपूर्ण है कि अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं की मांग तथा प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में विनियोग की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से भारत में आयात किया जाता है।

(मूल्य करोड़ रुपये में)

सारणी 21:3  
मुख्य वस्तुओं  
का आयात

क्र० सं०	वस्तुएं	1983-84	1984-85 <sup>1</sup>	1985-86 <sup>2</sup>
1.	पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ और सम्बद्ध सामग्री	4,831.99	5,382.08	4,990.14
2.	उर्वरक (कच्चा)	106.71	111.02	145.80
3.	उत्पादित उर्वरक	204.48	751.02	803.06
4.	लोहा और इस्पात	1,048.67	777.33	1,214.90
5.	अलीह धातुएं	390.64	345.14	467.33
6.	कागज, गत्ते और उनसे बना सामान	156.59	175.12	195.24
7.	वनस्पति तेल (खाद्य तेल)	734.05	330.19	613.93
8.	कार्बनिक और अकार्बनिक-रसायन	659.88	769.13	869.32
9.	मशीनरी और परिवहन उपकरण	3,173.54	2,617.58	3,469.49
10.	धातु से बने उत्पाद	148.67	129.56	184.79
11.	अन्न तथा उससे बनी वस्तुएं (अ) गेहूं	808.52	170.01	87.55
		643.38	107.41	49.21
12.	मोती, बहुमूल्य तथा कम मूल्य के रत्न	1,097.94	1,027.72	1,101.74
13.	कृत्रिम और पुनर्निर्मित फाइबर	104.81	48.81	55.70
14.	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक का सामान आदि	198.82	182.36	290.47
15.	अधात्विक खनिज उत्पाद {(मोती आदि के अतिरिक्त)}	179.40	130.52	80.57
		17092.92		
कुल योग (अन्य वस्तुओं सहित)		15,831.46	17,173.25 <sup>2</sup>	19,622.27

1. 1984-85 और 1985-86 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

2. मार्च 1986 में संशोधन।

विदेश व्यापार की  
बिरा

विश्व के सभी क्षेत्रों के साथ, चाहे वे विकसित ही हों या विकसित, भारत के आयात-निर्गत व्यापार संबंध हैं। भारत द्वितीय मन्तव्यों और अन्य संवर्द्धन-मूलक क्रियाकलापों द्वारा अन्य देशों के साथ अपने आर्थिक और आर्थिक संबंधों को विकसित करना चाहता है।

विभिन्न क्षेत्रों/उपक्षेत्रों के साथ भारत के निर्गत और आयात की रूपरेखा सारणी 21.4 में दी गयी है। निर्गत के बारे में, बंगालि टारिफ 21.4 में दिया गया है, यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रों और उपक्षेत्रों को छिने गये कुल निर्गत में भारत से उन देशों को छिने गये कच्चे तेल का निर्गत शामिल नहीं है, किन्तु इनके निर्गत को कुल योग में शामिल कर लिया गया है। निर्गत के कुल योग में से कच्चे तेल को हटाने से यह मालूम हुआ है कि 1985-86 के दौरान एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक तथा मानविक आयोग के सदस्य देशों में भारतीय वस्तुओं का सबसे बड़ा बाजार था, जिसके साथ भारत के कुल निर्गत का 24.0 प्रतिशत निर्गत हुआ। उसके बाद इन क्षेत्रों का स्थान था: पूर्वी यूरोप 22.3 प्रतिशत; उत्तरी अमरीका (संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा) 20.2 प्रतिशत, यूरोपीय साम्राज्य बाजार 18.6 प्रतिशत, ग्रेट एशियाई और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र 8.7 प्रतिशत, अफ्रीका 3.3 प्रतिशत, यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (इ० एन० टो० ए०) — 2.1 प्रतिशत, ग्रेट पश्चिमी यूरोप 0.6 प्रतिशत, और दक्षिण तथा ग्रेट अमरीका 0.18 प्रतिशत। किन्तु, 1985-86 के दौरान सर्वाधिक आयात यूरोपीय साम्राज्य देशों से हुआ, जिसका भारत के कुल आयात में 25.5 प्रतिशत हिस्सा था। उसके बाद एसकेप क्षेत्र 24.2 प्रतिशत और ग्रेट एशिया तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, मुक्त रूप से पश्चिमी एशिया, 16.3 प्रतिशत का स्थान था। 1985-86 के दौरान भारत के कुल आयात में अन्य क्षेत्रों/उपक्षेत्रों का हिस्सा इस प्रकार था: उत्तरी अमरीका (संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा) 12.9 प्रतिशत, पूर्वी यूरोप 10.9 प्रतिशत, अफ्रीका 3.3 प्रतिशत, दक्षिण अमरीका तथा ग्रेट अमरीका 2.7 प्रतिशत, यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र 2.6 प्रतिशत, और ग्रेट पश्चिमी यूरोप 1.4 प्रतिशत।

संयुक्त राज्य अमरीका सोवियत संघ तथा जापान, भारत के लिए प्रमुख व्यापारिक देश रहे हैं। अनन्तिम आधार पर 1985-86 में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच 4,057.12 करोड़ रुपये का कुल व्यापार हुआ, जिसमें 1,994.25 करोड़ रुपये का निर्गत तथा 2,062.87 करोड़ रुपये का आयात था। इसी वर्ष सोवियत संघ के साथ कुल व्यापार 3,594.97 करोड़ रुपये का (निर्गत 1,937.44 करोड़ रुपये तथा आयात 1,657.03 करोड़ रुपये) हुआ। जापान के साथ कुल व्यापार 2,968.64 करोड़ रुपये का (निर्गत 1,190.11 करोड़ रुपये तथा आयात 1,778.53 करोड़ रुपये) हुआ। इन तीन प्रमुख देशों के अलावा जिन देशों में भारतीय सामान की काफी मांग है, उनमें यूरोपीय साम्राज्य बाजार के देशों में जर्मन संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड, पश्चिम एशियाई क्षेत्र में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईराक तथा कुवैत और 'एसकेप' देशों में ईरान, सिंगापुर, हांगकांग तथा आस्ट्रेलिया शामिल हैं। इनमें से अधिकांश देश भारत में होने वाले आयात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण

हैं, यद्यपि विदेशी व्यापार में वृद्धि हुआ घाटा 1980-81 के बाद कम हुआ है, लेकिन फिर भी विश्व के बहुत से क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार घाटा काफी अधिक बना हुआ है, और इसलिए इन देशों को होने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

### आयात और/निर्यात नीति

पिछले कुछ वर्षों में देश की आयात-निर्यात नीति को निर्यात और उत्पादन के अनुकूल बनाया गया है। कच्चे माल, मशीनों के उपकरण, पूंजीगत सामग्री और प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने के संबंध में अनेक प्रावधान इस नीति के तहत रखे गए हैं, जिससे ये प्रक्रियाएँ सरल हो जाएँ और आगे चलकर कारगर सिद्ध हों। नयी आयात तथा निर्यात नीति, जो अप्रैल 1985 से मार्च 1988 तक के तीन वर्षों के लिए घोषित की गयी है, निर्यात बढ़ाने तथा आयात प्रतिस्थापन को प्रभावशाली रूप से बढ़ावा देने के लिए तैयार की गयी है। नीति के उद्देश्य हैं। आयात-निर्यात नीति में निरन्तरता तथा स्थायित्व बनाए रखना, आयातित निवेशों को सरलता तथा शीघ्रता से उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि करना, निर्यात उत्पादन के लिए आधार को मजबूत करना और निर्यात में वृद्धि के लिए प्रयास करना, घरेलू उत्पादन व आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, उत्पादन में प्रौद्योगिक उत्कृष्टता और आधुनिकीकरण को सुलभ बनाना तथा उद्योगों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निर्णय लेने की शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने के उद्देश्य से लाइसेंस व्यवस्था का क्षेत्र सीमित करना, जिससे समय और संसाधनों के रूप में लागत घटाई जा सके।

### निर्यात संवर्द्धन

निर्यात को बढ़ावा देना एक राष्ट्रीय कार्य है। निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जो संस्थागत ढाँचे और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित हैं। सरकार का उद्देश्य निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाना है, लेकिन साथ ही देश की जरूरत की वस्तुओं को अंधाधुंध बाहर भेज कर उसकी आर्थिक व्यवस्था को डावांढोल भी नहीं करना है। इस प्रकार निर्यात पर नियंत्रण कुछ सीमित वस्तुओं पर ही किया जाता है, जिन्हें बाहर भेजने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा देश के अधिकतम हित की दृष्टि से किया जाए।

निर्यात संवर्द्धन के लिए नकद प्रतिपूर्ति योजना एक महत्वपूर्ण साधन है। नकद प्रतिपूर्ति योजना का लाभ विशेष मामलों में दिया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रयुक्त सामग्री पर उनके द्वारा दिये गये करों और शुल्कों की वापसी न होने पर मुआवजा देना है। शुल्क वापसी योजना में, जिसमें निर्यातकों को कच्चे माल और निर्यात उत्पादों की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर दिये गये सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, में संशोधन किया गया है ताकि शुल्क वापसी के दावों की शीघ्र अदायगी की जा सके। निर्यात-उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े निर्यात घरानों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों को, 2 फरवरी 1973 की औद्योगिक नीति के परिशिष्ट में शामिल किये गये उद्योगों की सूची के अतिरिक्त भी अन्य उद्योगों में क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी गई है। निर्यात के लिए

निर्यात

क्षेत्र/उपक्षेत्र	निर्यात		
	1984-85 <sup>1</sup>	1985-86 <sup>1</sup>	1984-85 <sup>1</sup>
1. पश्चिमी यूरोप . . . . .	2,245.10	2,235.90	4,794.47
(क) यूरोपीय सहायता योजन देश . . . . .	1,985.20	1,945.81	4,186.91.
(ख) ई० एन० टी० ए० के देश . . . . .	197.45	222.61	423.26
(ग) अन्य पश्चिमी यूरोप . . . . .	62.45	67.48	184.30
2. एशिया और प्रशांत महासागरीय देश . . . . .	3,365.33	3,431.37	7,111.22
(क) ई० एन० सी० ए० वी० . . . . .	2,393.37	2,516.25	3,894.57
(ख) शेष एशिया और प्रशांत महासागरीय देश . . . . .	971.96	915.12	3,416.85
3. अफ्रीका . . . . .	363.16	345.76	417.51
4. अमरीका . . . . .	1,924.91	2,144.98	2,584.27
(क) उत्तरी अमरीका . . . . .	1,903.15	2,123.92	2,174.97
(ख) दक्षिणी अमरीका . . . . .	6.52	8.81	372.44
(ग) शेष अमरीका . . . . .	15.24	12.25	36.86
5. पूर्वी यूरोप . . . . .	1,985.94	2,337.03	2,165.50
कुल योग . . . . .	11,656.93	11,005.91	17,092.12
	11,855.15 <sup>2</sup>		17,173.25 <sup>2</sup>

टिप्पणी - संक्ष/उपक्षेत्र के अंकड़ों में कुछ तेल का निर्यात तथा गन्नायोजना के निर्यात को भीमा के अंकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि कुल योग में इन निर्यातों को सम्मिलित कर लिया गया है।

1. अद्यतनी
2. संशोधित

आवश्यक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अन्तर्देशीय निर्यातक इन्लैंड कन्टेनर डिपो जो दिल्ली, बंगलूर, कोयम्बटूर, अनासपटी, गुंटूर, गृवाहाटी और लुधियाना में स्थित हैं, पर निर्यात संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करके अपने कारगो कन्टेनर सीप सकते हैं। ये कन्टेनर डिपो शुष्क बन्दरगाह की सभी सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ आई० एस० ओ० कन्टेनरों द्वारा आयात और निर्यात होने वाले गदार्थों के परिवहन की सुविधा भी प्रदान करेंगे। निर्यात के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष बैंक—निर्यात-आयात बैंक बनाया गया है। व्यापार विकास प्राधिकरण और व्यापार मेला प्राधिकरण विश्व के विभिन्न भागों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन/प्रदर्शन करके भारतीय वस्तुओं का प्रचार कर रहे हैं।

गुजरात के कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सांताक्रुज (बम्बई) इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, इन दो वर्तमान निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के अलावा कोचीन, मद्रास, फाल्टा और नीएडा में बनाए जा रहे नए निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र से 1985-86 में हुए निर्यात ने 237.79 करोड़ रुपये का नया कीर्तिमान बनाया, जबकि यहां से निर्यात 1984-85 में 238.75 करोड़ रुपये तथा 1983-84 में 107.50 करोड़ रुपये था। यहां काम करने वाली इकाइयों की संख्या निरन्तर बढ़ती हुई 1980-81 में 52 से 1985-86 में 114 तक पहुंच गई। सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र से 1985-86 में निर्यात 85.45 करोड़ रुपये हुआ, जबकि 1984-85 में यह 95.80 करोड़ रुपये तथा 1983-84 में 88.62 करोड़ रुपये था। इस क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयां 1980-81 में 37 से बढ़कर 1985-86 में 59 हो गयीं। नए निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों में से मद्रास तथा फाल्टा क्षेत्रों में निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया है। मद्रास क्षेत्र में 6.85 करोड़ रुपयों की लागत से बन रही 88 परियोजनाओं, जिनमें 32 विदेशी सहकार्य के प्रस्ताव भी हैं, को मंजूरी दी गयी। फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र में 3.22 करोड़ रुपयों के निवेश वाली स्वीकृत परियोजनाओं में से 9 प्रस्तावों में विदेशी सहकार्यता शामिल है। नीएडा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 4.3 करोड़ रुपयों के निवेश वाले स्वीकृत 25 परियोजना प्रस्तावों में से 10 मामलों में विदेशी सहकार्यता शामिल है।

सरकार ने उत्पादन में स्थानीय परिस्थितियों से लाभ उठाने और मुक्त व्यापार क्षेत्र को सभी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 31 दिसम्बर, 1980 में शत-प्रतिशत निर्यातानुमुख योजना शुरू की है। दिसम्बर 1985 तक 93 इकाइयों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था, तथा जून 1986 तक 365.50 करोड़ रुपये का निर्यात होने का अनुमान है। ये यूनिट अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत भाग वैध आयात लाइसेंस से देश के अन्दर ही बेच सकते हैं।

स्वायत्तशासी  
संस्थाएं

वाणिज्य मंत्रालय और वस्त्र तथा आपूर्ति मंत्रालय के अधीन बहुत-सी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जो निर्यात के विज्ञान और संवर्द्धन के क्रियाकलापों से सम्बद्ध हैं।

चाय, कॉफी, रबर, इलायची और तम्बाकू के उत्पादन, विकास और निर्यात के लिए पांच सांविधिक वस्तु बोर्ड हैं। निर्यात निरीक्षण परिवद कलकत्ता

जो कि एक सांविधिक संस्था है, निर्यात योग्य विभिन्न वस्तुओं के किस्म नियंत्रण और सदानपूर्वक प्रतिकार्य जांच के लिए उत्तरदायी है।

भारतीय विदेशी व्यापार संधान, नई दिल्ली एक पंजीकृत संस्था है, जो निम्नलिखित कार्य करती है :

1. पदाधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण;
2. विदेश व्यापार में आने वाली समस्याओं पर अनुसंधान के लिए व्यवस्था करना,
3. विपणन अनुसंधान, क्षेत्र सर्वेक्षण, वस्तु सर्वेक्षण और बाजार सर्वेक्षण का आयोजन करना: तथा
4. शोध तथा बाजार अध्ययन से संबंधित इसकी गतिविधियों से प्राप्त सूचना का प्रचार-प्रसार करना।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, बम्बई, जो कि 1966 में स्थापित की गई थी; एक पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य पैकिंग उद्योग में काम आने वाले कच्चे माल के संबंध में अनुसंधान करना, पैकिंग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना, अच्छी पैकिंग की आवश्यकता के लिए चेतना का विकास करना आदि हैं।

अभी 18 निर्यात विकास परिपदों काम कर रही है, जिनमें से 11 वाणिज्य मंत्रालय और 7 वस्तु तथा प्रापूत मंत्रालय से सम्बद्ध हैं। ये कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है तथा जो परामर्श और संचालन दोनों ही प्रकार के कार्य करती हैं। निर्यात प्रयासों में वे किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों का सक्रिय सहयोग लेती हैं। ये परिपदें पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत पंजीकरण प्राधिकारी का भी कार्य करती हैं।

कृषिजन्म तथा तैयार खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण 13 फरवरी 1986 को गठित किया गया। यह नया प्राधिकरण कृषिजन्म पदार्थों के निर्यात के लिए केन्द्रविद् के रूप में काम करेगा तथा यह हमारे तैयार खाद्य पदार्थों को बढ़े हुए मूल्य के रूप (वैल्यू एडेड फॉर्म) में बेचने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह गुणवत्ता के लिए कारगर उपायों को भी प्रचलित करेगा।

फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली विभिन्न निर्यात विकास संगठनों और संस्थाओं का शीर्षस्थ संगठन है। यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यातकों को सम्पूर्ण सहायता देने के लिए प्रारम्भिक सेवा इकाई के रूप में तथा देश में सलाहकारी सेवाओं के क्षेत्र में निर्मात प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिए एक के्रीय समन्वय अभिकरण के रूप में भी कार्य करती है।

इंडियन कौंसिल ऑफ आउटट्रेड, नई दिल्ली; जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित की गई है, व्यापारियों, विशेषकर ऐसे व्यापारियों जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न हैं, के बीच वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के एक साधन के रूप में मध्यस्थता को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य करती है।

व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना जुलाई 1970 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ हुई थी। इसका प्रारम्भिक उद्देश्य मध्यम और छोटे क्षेत्रों के उद्यमियों को प्रोत्साहित व संगठित करना है, शाकि वे अपनी

व्यक्तिगत निर्यात क्षमताओं का विकास कर सकें। यह प्राधिकरण वैयक्तिक रूप से प्रत्येक निर्यातक को उनके निर्यात करने के आशय से लेकर संग्रह करने और सूचना का सम्पादन करने, उत्पाद विकास बाजार अनुसन्धान और विश्लेषण करने में सहायता प्रदान करता है। यह उनको निर्यात वित्त के बारे में भी सलाह देता है तथा निर्यात आदेशों के प्राप्त करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता देता है।

समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन एक सांविधिक संस्था है, इसकी स्थापना अगस्त 1972 में की गई थी। यह समुद्री उत्पाद उद्योग के संवर्द्धन विशेषकर निर्यात के लिए उत्तरदायी है।

व्यापार पर केन्द्रीय सलाहकार परिषद्, जिसमें व्यापार-ज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, सरकार को निम्न मामलों से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देती है :

1. आयात और निर्यात नीति कार्यक्रम;
2. आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण का परिचालन;
3. वाणिज्यिक सेवाओं का संगठन और विकास; तथा
4. निर्यात उत्पादन का संगठन और फैलाव।

सम्बद्ध/अधीनस्थ  
कार्यालय

आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीन कार्यरत आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन मुख्य रूप से सरकार की आयात व निर्यात नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इस संगठन द्वारा लोहे और इस्पात तथा अयोमिति धातुओं के आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था की जाती है। आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीनस्थ कार्यालय अगस्तला, अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलूर, भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कटक, कोचीन, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नई दिल्ली, नया कांडला, पणजी, पटना, पांडिचेरि, राजकोट, शिलंग, श्रीनगर और विशाखापत्तनम् में स्थित हैं।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, नागपुर और पुणे स्थित निर्यात विकास कार्यालय भी आयात-निर्यात के क्षेत्रीय संयुक्त मुख्य नियंत्रक या आयात-निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत हैं।

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महाविद्यालय, कलकत्ता, सांख्यिकीय सूचना और वाणिज्यिक आसूचना के संग्रहण और प्रसार के लिए प्राथमिक अभिकरण है। निदेशालय वाणिज्य, सांख्यिकी और सम्बन्धित क्षेत्रों में अनेक प्रकाशन और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। यह व्यापार के विकास से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अध्ययन आयोजित करता है। यह वाणिज्यिक विवादों को सुलझाने में भी सहायता करता है।

काङ्गला मुक्त व्यापार क्षेत्र; गांधीघाम; सांताक्रुज निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, बम्बई, फाल्टा निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, मद्रास निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, कोचीन निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र तथा नौएडा निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र में स्थित विकास आयुक्तों के कार्यालय इन क्षेत्रों में प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ये क्षेत्र शत-प्रतिशत निर्यातानुबन्ध इकाइयों के लिए बनाए गए हैं।

भारत में शत्रु सम्पत्ति की देखभाल शत्रु सम्पत्ति संरक्षक, बम्बई द्वारा की जाती है। संरक्षक पाकिस्तान द्वारा ली गई सम्पत्तियों के विरुद्ध भारतीय दावों को पंजीकृत करता है। यह ऐसे भारतीय नागरिकों/कम्पनियों को अनुग्रह अनुदान देता है, जिनकी परिसम्पत्तियां पाकिस्तान द्वारा सितम्बर 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान या बाद में जब्त कर ली गई हैं। संरक्षक का कार्यालय 1939 में दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान अस्तित्व में आया। इसको दो प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं:—

1. भारत में चल और अचल संपत्तियों का संरक्षण, प्रवर्धन और प्रशासन; और
2. ऐसे भारतीय नागरिकों, जिनकी सम्पत्ति पाकिस्तान में छूट गई थी, के दावों का निपटारा। अनुग्रह योजना के अन्तर्गत दर्ज किए गए 53,549 दावों में से 14,330 मामले निपटारे जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत दावेदारों को दिसम्बर 1985 तक 57.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

#### वाणिज्यिक सम्बन्ध

अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास लगातार जारी है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में वर्तमान में 65 वाणिज्यिक कार्यालय/प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जिनमें 'गैट' के लिए भारतीय राजदूत भी सम्मिलित हैं। यह राजदूत भारत के जेनेवा स्थित स्थायी मिशन में 'अंकटाड' के लिए उप-स्थायी प्रतिनिधि भी हैं। ये व्यापारिक कार्यालय वाणिज्य मंत्रालय के वजट नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं तथा अन्य देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वे विदेशों से भारत के व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिशन के मुखिया को समस्त वाणिज्यिक और आर्थिक मामलों में सलाह और सहायता देने के अलावा वाणिज्य प्रतिनिधियों का यह भी कार्य है कि वे सरकार की बाजार के नियमित रहान को देखकर, व्यापार और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायता करें। उन पर अपने क्षेत्र में व्यापार विकास की आशाओं और सामान्य आर्थिक स्थिति को भी देखने का दायित्व है। विदेशों में हमारे वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को निर्यात तथा आर्थिक क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास से अवगत कराने के लिए जून 1984 से मंत्रालय से दूतावासों के लिए मासिक सूचना-पत्र (न्यूज लेटर) की व्यवस्था शुरू की गई।

#### दक्षिण एशियाई क्षेत्र

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार ईरान से पेट्रोलियम पदार्थों के आयात के कारण असंतुलित



रहा है। आपसी लाभ के क्षेत्रों का पता लगाने और इन देशों में निर्यात वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों से विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान किया जाता है।

24 जून 1978 को दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं में किया जाता है। जून 1986 में भारत के एक व्यापार शिष्टमंडल ने काबुल की यात्रा की तथा दोतरफा व्यापार बढ़ाने, विशेषतया भारत से गैर-परंपरागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अफगानी अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चाएं कीं।

भारत तथा ईरान ने 19 नवम्बर 1985 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके मुख्य मुद्दे थे: (i) ईरान से तेल के आयात को भारत से निर्यात होने वाले माल के साथ जोड़ा गया, तथा (ii) पहले से चले आ रहे अनिर्मित एल/सीज की रुकावटें कुछ हद तक दूर कीं।

भारत-ईरान संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक तेहरान में 10-12 जनवरी 1986 को हुई। इसमें दोतरफा व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने के बारे में निर्णय लिए गए।

पाकिस्तान से नया व्यापार समझौता न होने के कारण, दोनों देशों के बीच व्यापार आयात-निर्यात नीति तथा निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार होगा। पाकिस्तान के वित्त, नियोजन तथा आर्थिक मामलों के मंत्री नवम्बर 1985 में भारत आए तथा उन्होंने बढ़ते हुए भारत-पाकिस्तान व्यापार के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए विचार-विमर्श किया। जब पाकिस्तान ने अपनी गैर-सरकारी कंपनियों को भारतीय निर्यातकों के साथ 42 वस्तुओं के लिए सीधे व्यापार करने की इजाजत देने की घोषणा की, उस समय भारत के वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जनवरी, 1986 में पाकिस्तान की यात्रा की।

बंगला देश के साथ भारत का व्यापार 1980 के व्यापार समझौते के अंतर्गत होता है। इसमें अत्यंत अनुग्रहीत देश (मोस्ट फेवर्ड नेशनस) की शर्तों के अंतर्गत मुक्त परिवर्तनीय मुद्राओं के जरिए व्यापार का प्रावधान है। हर छह मास बाद दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार की प्रगति की समीक्षा का भी प्रावधान इस समझौते में है। भारत-बंगला देश व्यापार समीक्षावार्ता नई दिल्ली में मई, 1986 में हुई तथा उसमें वर्तमान व्यापार समझौते को अक्टूबर 1989 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

भारत-नेपाल व्यापार का नियमन अवैध व्यापार रोकने के लिए व्यापारिक सहयोग समझौते की दोनों देशों के बीच की संधियों द्वारा होता है। इस संधि पर 1978 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों की सरकारों द्वारा गठित समिति की आठवीं बैठक नई दिल्ली में अगस्त 1985 में हुई। इस बैठक में व्यापार संधियों तथा अवैध व्यापार नियंत्रण के लिए सहयोग समझौते के कार्य की समीक्षा की गई।

इसमें नेपाल के उत्पादन तथा निर्यात के आधार में वृद्धि के लिए एक ठोस कार्यक्रम बनाने की जरूरत महसूस की गई। इस दिशा में समिति ने भारत-नेपाल विनियोग प्रवर्तन बैठक आयोजित की; कुछ परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अध्ययन करने का निर्णय लिया तथा नेपाल में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न उद्योगों का पता लगाया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा नेपाल कोयला संस्था की कोयला निर्यात के लिए एक नई सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित प्रणाली जारी करने के लिए दोनों देश सहमत हो गए। सीमा पर चल रहे अवैध व्यापार पर ध्यान रखने तथा उनका नियंत्रण करने और इस दिशा में चौकसी बढ़ाने तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए भी दोनों पक्ष सहमत हो गए। नेपाल के साथ की परामर्श संधि 23 मार्च 1989 तक बढ़ाई गई।

शीलका के साथ व्यापार 1961 में हुए एक व्यापार समझौते के अन्तर्गत होता है। यह समझौता एक सामान्य समझौता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसको संगोधित न कर दिया जाए या किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन माह की पूर्व सूचना देकर इसे समाप्त न कर दिया जाए।

फरवरी 1986 में प्रधानमंत्रों की मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक आर्थिक और तकनीकी सहयोग के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 21 करोड़ रुपये के महायत्न कार्यक्रम की भी घोषणा की गयी। पहली बार तूतीकोरिन (भारत) तथा माले (मालदीव) के बीच पाकिस्तान जहाज सेवा अगस्त 1985 से शुरू हुई। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार हैं: चीने, मछलियाँ, सूत तथा कपड़ा, धातु से बनी चीजें, रसायन तथा संबंधित उत्पादन।

## पूर्वी एशिया

पूर्वी एशिया क्षेत्र में 27 देश हैं, जिनमें जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे 3 औद्योगिक देश शामिल हैं। बाजार की दृष्टि से यह क्षेत्र उत्तरोत्तर विकसितमान है। इस क्षेत्र में पूंजीनिवेश की काफी अधिक संभावनाएं हैं। भारत ने पूर्वी एशिया क्षेत्र को 1985-86 में 2060.85 करोड़ रुपये का सामान निर्यात किया जबकि आयात 3,838.91 करोड़ रुपये का रहा। 1978-79 तक इस पूरे क्षेत्र की दृष्टि में रखते हुए व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना रहा। इसके बाद ताड़ के तेल, सीमेंट, उर्वरक, कोयले, गेहूं, कच्चे लोहे, इस्पात, पहियों और घुड़ियों आदि के काफी मात्रा में आयात के कारण व्यापार संतुलन उल्टा हो गया।

इन क्षेत्र की निर्यात किए जाने वाली हमारी प्रमुख वस्तुएं हैं: कपड़ा, मिले-मिलाए वस्त्र, कपास, अयस्क तथा उसके मारकृत, चाय, कॉफी समुद्र से प्राप्त उत्पादन, चमड़ा तथा उनसे बनी वस्तुएं आदि। जापान तथा आस्ट्रेलिया जैसे विकसित बाजारों की हमारी इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है।

## पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

भारत के विदेश व्यापार में पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के देशों का महत्वपूर्ण स्थान है। 1984-85 में इन देशों को भारत का निर्यात 1,024.08 करोड़ रुपये का था, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात

करता है, अतः व्यापार संतुलन भारत के हित में नहीं है। उर्वरक तथा खनिज फास्फेट जैसा औद्योगिक कच्चा माल भी भारत को इस क्षेत्र से मिलता है। तेल की कीमतों में कमी के बावजूद विशेषतया इंजीनियरी सामान, कृषिजन्य उत्पाद तथा रत्न और आभूषणों के निर्यात के विकास के मामले में इस क्षेत्र से काफी आशाएं हैं।

इस क्षेत्र के देशों में परियोजना निर्माण के ठेके प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ऐसे देशों में ईराक, और अल्जीरिया विशेष हैं। सऊदी अरब ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जहां पहले से स्थापित परियोजनाओं के रखरखाव तथा परिचालन से सम्बन्धित सेवाओं की व्यापक सम्भावना पाई गई है।

इस क्षेत्र के 11 देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हैं। ये देश हैं: मिस्र, अल्जीरिया, ईराक, जोर्डन, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, यमन, सीरिया और ट्यूनीशिया। इनमें से कुछ देशों के साथ भारत ने संयुक्त आयोग भी स्थापित किये हैं ताकि ऐसे उपाय किए जायें, जिनके जरिये व्यापार में प्रगति व विस्तार के प्रयत्न किये जा सकें।

### अफ्रीका (सहारा का दक्षिण क्षेत्र)

अफ्रीका महाद्वीप से पारस्परिक सहयोग, व्यापार और संयुक्त रूप से कारखाने आदि लगाने के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। अधिक से अधिक अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार समझौते करना, विपणन के बढ़ते हुए कार्य को निपटाने के लिए विपणन विभागों को कारगर बनाना, अविद्वानों में इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् का कार्यालय खोलना, लाइबेरिया में व्यापार विकास परिषद तथा हरारे (जिम्बाब्वे) में परियोजना उपकरण निगम के कार्यालय की स्थापना आदि इनमें से कुछ कदम हैं। इस क्षेत्र के जिन देशों के साथ भारत ने व्यापार समझौते किए हैं, उनमें इथोपिया, घाना, केनिया, लाइबेरिया, सेनेगल, युगान्डा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नाइजीरिया और केमेरून शामिल हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री की अफ्रीका के जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, तंजानिया तथा मारीशस आदि देशों की यात्रा के कारण व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग के विकास तथा संयुक्त उद्यमों के कई अवसर खुल गए हैं।

बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का पता लगाने के लिए एक स्थायी समिति बनाई गई है। सहायता-प्राप्त परियोजनाएं हासिल करने में भारतीय कंपनियों के प्रस्तावों की असफलताओं के कारणों का पता लगाने का कार्य भी यह समिति करेगी। अफ्रीका आर्थिक आयोग की 21वीं बैठक यौंड, केमेरून में हुई। इस आयोग की वार्षिक बैठकों में भारत ने हिस्सा लिया।

### पूर्वी यूरोप

भारत के विदेश व्यापार में पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र का अभी तक प्रमुख स्थान है। कच्चे तेल को छोड़कर भारत ने इस क्षेत्र को 1985-86 में अपने कुल निर्यात के 22.3 प्रतिशत मूल्य के सामान का निर्यात किया। इस अवधि में इस क्षेत्र से किया जाने वाला आयात कुल आयात का 10.9 प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र में किये जाने वाले आयात में पिछले कई वर्षों में वस्तुओं की दृष्टि से अनेक

परिवर्तन भी आए है। इस दौरान गैर-परम्परागत व उत्पादित सामान के निर्यात पर जोर दिया जाता रहा है। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार-भागीदार बना रहा है। 1985-86 के दौरान भारत का सोवियत संघ को निर्यात 1937.44 करोड़ रुपये रहा जबकि आयात 1657.03 करोड़ रुपये रहा।

रुपये में भुगतान करने वाले क्षेत्र के पांच देशों, सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनवादी गणतन्त्र तथा रोमानिया के साथ अपने व्यापार समझौतों का भारत ने पांच और वर्षों के लिए नवीकरण किया। भारत और इन देशों के बीच व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक लेन-देन का भुगतान अखंडनीय भारतीय रुपयों में किए जाने का प्रावधान इन समझौतों में है। इस प्रणाली के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार संतुलित आधार पर होता है, जिसमें एक समभावधि में आयात तथा निर्यात बराबर होता है। द्विपक्षीय आधार पर होने वाले रुपयों में लेन-देन ने मुक्त विदेशी मुद्रा का प्रयोग किए बिना भारत को जरूरी कच्चा माल तथा औद्योगिक वस्तुएं प्राप्त करने में मदद की है। इससे भारत के परंपरागत तथा गैर-परंपरागत पदार्थों के निर्यात के लिए निश्चित बाजार भी मिला है। इस प्रकार रुपयों में व्यापार करने की व्यवस्था ने, मुक्त विदेशी मुद्रा बचाने तथा निर्यात बढ़ाने में भारत को मदद की है।

पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने तथा विस्तृत करने की दिशा में बराबर प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना, विभिन्न सरकारों के समुक्त आयोजनों की बैठकें आयोजित करना और वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए वार्षिक व्यापारिक समझौते करना।

पूर्वी यूरोपीय देशों को मुख्य रूप से निर्यात किए जाने वाली चीजें हैं: कृषि-जन्य उत्पादन, खनिज तथा भस्मक, रसायन तथा समवर्गीय उत्पाद, धमड़ा तथा उससे बनी वस्तुएं, कपड़ा तथा इंजीनियरी वस्तुएं आदि। इन देशों से भारत में मुख्य रूप से आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं। कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, अलौह धातु, धातुकारी कागज, रसायन, मशीनरी तथा उपकरण और अन्य औद्योगिक कच्चा माल।

### पश्चिमी यूरोप

पश्चिमी यूरोप भारतीय विदेश व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 1985-86 में कच्चे तेल के अलावा भारत को कुल निर्यात का 21.3 प्रतिशत निर्यात हुआ। इसी अवधि में आयात की प्रतिशतता कुल आयात की 29.6 प्रतिशत रही। आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र में दो प्रमुख गठबन्धन हैं: ई० ई० सी०, (इंग्लैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, डेनमार्क, आयरलैंड और ग्रीस) और ई० एफ० टी० ए० (नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आस्ट्रिया, स्विटजरलैंड और पुर्तगाल)। इससे अलावा स्पेन, टर्की, गाल्टा और साइप्रस जैसे अन्य देश भी हैं। भारत से पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यात की एक खासियत यह है कि इस क्षेत्र में किए जाने वाले निर्यात का अधिकांश निर्यात केवल सात देशों को किया गया, जिनमें इंग्लैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, बेल्जियम और स्विटजरलैंड आते हैं। इससे जाहिर होता है कि अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय बाजार

अभी तक लगभग अछूते पड़े हैं। पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के देशों से भारत को अधिकतर उत्पादित वस्तुओं का आयात होता है, जिसमें संयंत्र तथा मशीनरी, रसायन, इस्पात तथा परिवहन उपकरण शामिल हैं; जबकि इन देशों को होने वाले निर्यात में परम्परागत वस्तुएं आती हैं जिसमें कपड़ा, सिले-सिलाए वस्त्र, चाय, तम्बाकू, मसाले, चमड़ा, हस्तशिल्प की वस्तुएं आदि शामिल हैं।

ब्रूसेल्स स्थित भारतीय व्यापार केन्द्र एक महत्वपूर्ण संस्था है जो पश्चिमी यूरोप में भारतीय निर्यात वृद्धि का ध्यान रखती है। भारत के निर्यातकों को वितरण प्रणाली, क्वालिटी और पैकिंग की आवश्यकताओं, प्रचलित फैशन, परिवर्तित होने वाले डिजाइनों आदि विषयों के बारे में सूचना और बाजार आसूचना उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह केन्द्र निर्यातों के प्रकार को बढ़ाने में सहायता देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। पश्चिमी यूरोप में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन संगठनों जैसे व्यापार विकास प्राधिकरण, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कांसिल, राज्य व्यापार निगम आदि के विदेश कार्यालय खूले हुए हैं। इनमें व्यापार विकास प्राधिकरण का स्टॉकहोम स्थित एक और कार्यालय जुड़ गया है जो स्कैंडिनेवियाई देशों की आवश्यकता पूर्ति करेगा।

पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों के साथ भारत के व्यापारिक समझौते हैं। इनमें भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय का वाणिज्यिक तथा आर्थिक समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। वर्ष 1985 के दौरान, कार्यकारी गुटों की बैठकों में भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आर्थिक संबंधों के पुनरीक्षण के अलावा संयुक्त आयोग/समितियों की विभिन्न बैठकों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का भी पुनरीक्षण किया गया। ब्रूसेल्स के भारतीय व्यापारिक केन्द्र में एक कम्प्यूटर सूचना प्रणाली स्थापित की जा रही है जिससे कि उसके कार्य को और बढ़ाया जा सके तथा व्यापार के लिए उसकी उपयुक्तता बढ़े। पश्चिमी यूरोप के 21 देशों में से ब्रिटेन, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली तथा फ्रांस—इन चार देशों को निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रयत्नों के लिए चुना गया है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बराबर बढ़ते हुए व्यापार घाटों के संबंध में सदस्य देशों तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यह जोर देकर बताया गया कि चुनी हुई भारतीय वस्तुओं को समुदाय के बाजारों में अधिक सुलभ प्रवेश दिए जाने की समय-समय पर की गई भारत की मांग को मान लिया जाए। कच्चा तम्बाकू, चमड़े की वस्तुएं तथा कपड़ों जैसे पदार्थों के सुलभ प्रवेश के लिए भारत विशेष रूप से इच्छुक रहा है।

## उत्तरी अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ बड़ी मात्रा में आयात तथा निर्यात होता है। संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात की जाने वाली मर्चों में कच्चा पेट्रोलियम, हीरे, सिले-सिलाये वस्त्र, काजू, समुद्री उत्पाद, चमड़े तथा चमड़े से तैयार माल, कालीन तथा कम्बल, रसायन तथा उससे संबंधित उत्पाद, पटसन से बना सामान आदि प्रमुख हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के सामान का निर्यात किया जाने लगा है तथा अब भारत

गैर-परम्परागत वस्तुएं, जिनमें तैयार माल और अत्यधिक मूल्य की वस्तुएं भी शामिल हैं, का भी निर्यात करता है।

कनाडा में भारतीय उत्पादों, विशेष तौर पर गैर-परम्परागत वस्तुओं; की माँग बढ़ रही है। भारत से कनाडा को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमुख हैं कपड़ा तथा सिले हुए वस्त्र, इंजीनियरिंग का सामान, रसायन, चमड़ा तथा चमड़े के उत्पाद, पटसन के गलीचे तथा दरियाँ, चाय, कीमती रत्न/आभूषण, मसाले, कॉफी, फल तथा सब्जियाँ तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं शामिल हैं। कनाडा को होने वाले निर्यात की विशेषता यह है कि पारम्परिक कच्चे माल का स्थान धीरे-धीरे परिष्कृत तथा अर्ध-परिष्कृत माल लेता जा रहा है।

### दक्षिणी अमरीका

दक्षिणी अमरीकी क्षेत्र में लैटिन अमरीका तथा अन्य कैरीबियाई देग घाते हैं। इस क्षेत्र के साथ भारत के विश्व व्यापार का 6 प्रतिशत व्यापार होता है। भारत अब भी इस क्षेत्र का एक उपेक्षित साझेदार है। इस क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार हमेशा असंतुलित रहा है। इस क्षेत्र में अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मैक्सिको, ब्राजील, ट्रिनिडाड तथा टोबागो, गुयाना, पेरू, चिली, कोलम्बिया और म्यूडा ही भारत के महत्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र रहे हैं। ब्राजील, मैक्सिको, ट्रिनिडाड तथा टोबागो, वेनेजुएला तथा अर्जेंटीना आपूर्ति के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्राजील तथा अर्जेंटीना से घनस्पति तेल तथा गेहूँ का काफी मात्रा में आयात किया गया है। अधिक दूरी, सीधे मोबहन की कमी तथा भारत की तकनीकी एवं निर्यात क्षमताओं के बारे में इन देशों में जानकारी के अभाव के कारण दक्षिणी अमरीकी क्षेत्र से अभी तक व्यापार संतुलन अनुकूल नहीं रहा है। फिर भी, स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

### विदेशों में संयुक्त उद्यम

भारत ने तृतीय विश्व की विकास प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपनी नीति के एक भाग के रूप में विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। दिसम्बर 1985 के अंत तक 208 संयुक्त उद्यम थे जिनमें से 156 ने कार्य प्रारम्भ कर दिया था तथा 52 कार्यान्वित होने की विभिन्न अवस्थाओं में थे। कियाधील हो चुके 156 भारतीय संयुक्त उद्यमों में से 101 उद्यम उत्पादन-क्षेत्र के हैं जिनमें हल्के इंजीनियरी क्षेत्र का स्थान पहला तथा उसके बाद वस्त्र-उद्योग का है। अन्य उद्योग जिनमें संयुक्त भारतीय उद्यम स्थापित किए गए हैं, वे हैं: रसायन तथा औषधि निर्माण, खजूर के तेल का परिशोधन तथा आसवन, लौह तथा इस्पात से बनी वस्तुएं, लुगदी तथा कागज, शीशा तथा चीने से बनी वस्तुएं, खाद्य-जानघ्री, चमड़ा तथा खर से बनी वस्तुओं से संबंधित उद्योग आदि। गैर-उत्पादन क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या व्यापार तथा विपणन क्षेत्र में है, इसके बाद होटल तथा रेस्टॉ, इंजीनियरी, ठेके व निर्माण कार्य, सलाहकार सेवा आदि आते हैं। यदि क्षेत्रदार विचार किया जाए तो संयुक्त-उद्यमों में से अधिकतर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों में स्थित है, इसके बाद अफ्रीका का नाम आता है।

### सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियाँ

देश के आयात तथा निर्यात व्यापार में सरकारी भागदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र में कई एजेंसियाँ स्थापित की गई हैं।

1956 में राज्य व्यापार निगम एक स्वायत्तशासी निगम के रूप में गठित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विदेश व्यापार को विस्तृत करना तथा भारतीय विदेश व्यापार की प्रगति के लिए चल रहे निजी व्यापार तथा उद्यमों के प्रयत्नों को बढ़ावा देना रहा है। इस मुख्य उद्देश्य के अलावा समय-समय पर निगम को कुछ और कार्य भी सौंपे गए हैं। ये हैं: उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आधारभूत कीमतें देना, कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए वफर स्टॉक रखना तथा सरकार के माध्यम से आयात या निर्यात होने वाली वस्तुओं का उचित प्रबंध करना। 1985-86 में निगम ने 2,523 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके अन्तर्गत 377 करोड़ रुपये का निर्यात; 2,131 करोड़ रुपये का आयात एवं 15 करोड़ रुपये की घरेलू विक्री सम्मिलित है।

परियोजना और उपकरण निगम, राज्य व्यापार निगम का सहयोगी निगम है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी उपकरणों तथा परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। रेल के डिब्बों, भारी उपकरणों के निर्यात तथा 'टर्न की' परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इस निगम को विशेषज्ञता हासिल है। निगम माल के उत्पादन में तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता तथा समय पर अनुबंध को पूरा करने की दृष्टि से एजेंसियों की क्षमता का पता लगाने का कार्य भी करता है।

भारतीय चाय व्यापार निगम 1971 में स्थापित हुआ ताकि भारतीय चाय, विशेषकर डिब्बा बन्द चाय को थैलियों व इस्टेंट चाय के लिए स्थायी बाजार ढूँढा जा सके। यह घरेलू उपयोग के लिए चाय का विपणन करता है तथा इसके अधीन चाय के बागान तथा भण्डारण का प्रबंध करता है एवं चाय उद्योग के लिए लाभदायक दूसरी सुविधाएं प्रदान करता है।

भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम खनिज व धातु के विदेश व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह निगम मुख्य रूप से लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, कोयला, क्रोम तथा वाक्साइड का निर्यात करता है और मुख्य रूप से उर्वरक, अलौह धातु, औद्योगिक कच्चा माल तथा इस्पात का आयात करता है। निगम उत्पादक देशों और दूसरे बाजारों से बिना तराशे हीरों का आयात भी करता रहा है। इन बिना तराशे हीरों को निगम रजिस्टर्ड निर्यातक नीति (आर० इ० पी०) तथा अग्रिम पेशगी लाइसेंस के अधीन भारतीय निर्यातकों को बेचता है। तराशे हुए तथा पालिश किए हीरों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निगम ने एक अच्छी शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने दूसरे कुछ क्षेत्रों में अपने कार्य का विस्तार करते हुए व्यापक व्यापार-गृह का रूप ले लिया है। स्फटिक, चमड़े का चोनिश, एल्युमिनियम की तारें, काफ़ी, नीगर के बीज, पीतल से बनी चीजें, सोयाबीन का अर्क, चावल, तम्बाकू, काजू, कीलें, औद्योगिक दस्ताने, रसोई के वर्तन, औद्योगिक पर्दे, जेराक्स की मशीनें, तथा विभिन्न इंजीनियरी और रसायन की वस्तुओं जैसी अनेक चीजों का निगम ने निर्यात किया है।

माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन प्राफ इंडिया 1 जून 1974 को स्थापित किया गया था। यह खनिज व धातु व्यापार निगम का ऐसा अकेला सहयोगी निगम है, जो अन्नक को छीजन तथा कचरा सहित तैयार अन्नक के निर्यात कार्य की देखभाल करता है। निगम 90 प्रतिशत से अधिक खरीद केवल छोटे व्यापारियों से करता है। अन्नक को छांजन के अतिरिक्त अन्नक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए निगम ने बहुत-सी परियोजनाएं जैसे सिंडरेट माइका एण्ड माइका केपेसीटर यूनिट, माइक्रोनाइज्ड माइका पाउडर प्लांट, माइका पेपर यूनिट, स्थापित की है।

भारतीय निर्यात-साख तथा गारंटी निगम लिमिटेड को स्थापना निर्यात डुबंदन, बीमा निगम के रूप में सन् 1957 में की गई थी। बाद में 15 जनवरी 1964 में इसको निर्यात साख तथा गारंटी निगम में परिवर्तित कर दिया गया तथा 12 दिसम्बर 1983 को इसका नाम फिर से बदल कर भारतीय निर्यात साख गारंटी निगम कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय निर्यातकों एवं वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात साख बीमा और अदायगी की गारंटी की सुविधाएं प्रदान करना है।

मेलों तथा प्रदर्शनियों द्वारा देश की राज्य नीति को नई दिशा प्रदान करने हेतु कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी के रूप में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसने इन मेलों तथा प्रदर्शनियों का कार्यक्रम व्यापारिक मेलों का आयोजन करने वाली भूतपूर्व संस्थाए-प्रदर्शनी तथा व्यापारिक प्रचार महानिदेशालय तथा भारतीय व्यापार मेला प्रदर्शनी परिषद् से लिया है। इस प्राधिकरण ने मार्च 1977 से कार्य आरम्भ किया है तथा अब तक कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मेलों का आयोजन किया जा चुका है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, विदेशों में केवल भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन; भारत में मेले तथा विशिष्ट वस्तुओं का प्रदर्शन; भारतीय पाठियों को मेलों में सीधे भाग लेने के लिए सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय मेले तथा जन-संचार के माध्यमों द्वारा व्यापारिक प्रचार का आयोजन आदि।

### आन्तरिक व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल, भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जल-वायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक साधनों के कारण भारत का आन्तरिक व्यापार इसके बाह्य व्यापार से कई गुना अधिक है। इसे पांच मुख्य शीघ्रियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) रेलमार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार, (2) नदी मार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार, (3) तटीय व्यापार, (4) अन्य वाहनों द्वारा किया जाने वाला व्यापार, और (5) वायुमार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार। आन्तरिक व्यापार संबंधों को पूरी और सही-सही जानकारी समझ नहीं है, क्योंकि विशेषतः मद (4) और (5) द्वारा किए जाने वाले व्यापार के अधिकतम आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।



रेल और नदियों  
द्वारा व्यापार

रेल और नदियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार के आंकड़े रेलों तथा स्टीमर कम्पनियों के वीजकों के आधार पर लिए गए हैं। अप्रैल 1965 से ये 'निर्यात के आधार पर' संकलित किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से भारत को कई व्यापारिक भागों में विभाजित किया गया है, जो भारत संघ के राज्यों का मोटे तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। बम्बई; कलकत्ता, कोचीन और मद्रास, मुख्य बन्दरगाह वाले शहरों का एक अलग खण्ड है। कम महत्वपूर्ण बन्दरगाहों को अन्य बन्दरगाहों की कोटि में रखा गया है, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग व्यापार खण्ड माना जाता है। अप्रैल 1977 से व्यापार खण्डों की संख्या 38 हो गयी है।

78 चुनी हुई प्रधान वस्तुओं के सन्दर्भ में दिये हुए आंकड़े केवल मात्रा से सम्बन्धित हैं, क्योंकि रेलवे तथा अन्तर्देशीय स्टीमर वीजकों के मूल्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1978-79 से मात्राएं शुद्ध भार के रूप में नहीं; बल्कि कुल भार के रूप में व्यक्त की गई हैं। अप्रैल 1960 से अगस्त 1965 तक नदी मार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार केवल एक स्टीमर कम्पनी द्वारा ही तीन व्यापार खण्डों में किया गया। कम्पनी ने अपनी जल सेवाओं को सितम्बर 1965 से बन्द कर दिया। इसके बाद से एक नई स्टीमर सेवा प्रारम्भ की गई तथा तब से नदी मार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा ही दो व्यापारिक खंडों, असम तथा कलकत्ता के मध्य किया गया।

तटीय व्यापार

तटीय व्यापार को दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रिकार्ड किया जाता है : (1) अंतरिक व्यापार अर्थात् एक समुद्री खंड के विभिन्न बन्दरगाहों के बीच व्यापार और (2) बाह्य व्यापार अर्थात् एक समुद्री खंड तथा अन्य सभी समुद्री खंडों के बीच व्यापार।

## रेल

भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन-रेखा है और परिवहन का मुख्य साधन है। अप्रैल 1853 में अपनी छोटी-सी शुरुआत से लेकर जब कि प्रथम रेलगाड़ी बम्बई से थाना (34 किलोमीटर लम्बी) तक चली थी, भारतीय रेल अपने 61,850 कि० मी० लम्बे रेल-मार्गों (31 मार्च, 1985 को) के साथ अब एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की चौथी बड़ी रेल प्रणाली है। यह देश का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान भी है।

भारतीय रेल की कुल परिणमति 31 मार्च, 1985 को 10,377.3 करोड़ रुपये थी तथा 16.03 लाख नियमित कर्मचारी थे। 1984-85 की अवधि में 333.32 करोड़ व्यक्तियों ने यात्रा की तथा 26.48 करोड़ टन माल डोया गया। भारतीय रेल की प्रतिदिन लगभग 11,270 रेलगाड़ियां चलती हैं जो 7,093 स्टेशनों को जोड़ती हैं। भारतीय रेलवे तीन प्रकार की लाइनों का प्रयोग करती है। ये हैं: बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संकरी लाइन। रेलवे के पास 10,128 इंजन, 33,583 यात्री डिब्बे और 3,65,390 माल डिब्बे हैं।

सारणी 22.1 और 22.2 में 1950-51 से चुने हुए वर्षों की सरकारी रेलवे की प्रगति दिखाई गई है।

सारणी 22.1  
रेलवे की प्रगति

वर्ष	मार्ग की लम्बाई (किलोमीटर)			चालू मार्ग (किलोमीटर)	यात्री (लाख)	माल (लाख टन)
	विद्युतीकृत	अविद्युतीकृत	कुल			
1950-51	388	53,208	53,596	59,315	12,840	930
1960-61	748	55,499	56,247	63,602	15,940	1,562
1970-71	3,706	56,084	59,790	71,669	24,311	1,965
1980-81	5,345	55,895	61,240	75,860	36,125	2,200
1981-82	5,473	55,757	61,230	75,964	37,044	2,458
1982-83	5,815	55,570	61,385	76,197	36,554	2,560
1983-84	5,971	55,489	61,460	76,407	33,252	2,580
1984-85	6,325	55,525	61,850	76,963	33,332	2,648

रेलवे का आधु-  
निकीकरण

सारणी 22.1 और 22.2 रेलवे के आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। 1950-51 से विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 16 गुनी से अधिक बढ़ी है। भाप इंजनों का (जिनका निर्माण 1972 से बन्द कर दिया गया है) स्थान अब धीरे-धीरे विद्युत और डीजल इंजन ले रहे हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं (1950-51) के आरम्भ से डीजल इंजनों की संख्या 171 गुनी बढ़ी है अर्थात् 1951 में केवल 17 से 1984-85 में 2,905 और विद्युत चालित इंजनों की संख्या 17 गुनी बढ़ गई यानी 72 से 1,253 हो गई। 1984-85 में डीजल और विद्युत इंजनों द्वारा कुल टन किलोमीटरों में कुल माल यातायात का 96 प्रतिशत दिया गया। सिगनल और दूर संचार के सुधार और आधुनिकीकरण में भी काफी प्रगति हुई। 1984-85 में 14,182 किलोमीटर की दूरी में बहुमार्गीय सूक्ष्म तरंग व्यवस्था चालू थी। 1,693 किलोमीटर रेलवे मार्ग पर स्वचालित सिगनल लगाए गए।

### सारणी 22.2 इंजन और डिब्बे

वर्ष	इंजनों की संख्या				यात्री डिब्बों की संख्या <sup>1</sup>	माल डिब्बों की संख्या
	भाप	डीजल	विद्युत	कुल		
1950-51	8,120	17	72	8,209	19,628	2,05,596
1950-61	10,312	181	131	10,624	28,439	3,07,907
1970-71	9,387	1,169	602	11,158	35,145	3,83,990
1980-81	7,469	2,403	1,036	10,908	38,327	4,00,946
1981-82	7,245	2,520	1,104	10,869	37,960	3,92,062
1982-83	6,292	2,638	1,157	10,087	37,539	3,83,429
1983-84	6,217	2,800	1,194	10,211	37,931	3,74,757
1984-85	5,970	2,905	1,253	10,128	38,583	3,65,390

भारतीय रेलवे ने उपकरण और भण्डारों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1950-51 में योजनावद्ध विकास के आरम्भ में भारतीय रेलवे अपने उपकरणों व भण्डारों का 23 प्रतिशत आयात करता था जो 1984-85 में कम होकर 5.7 प्रतिशत रह गया।

पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन रेलवे के विकास पर खर्च में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पहली योजना में यह खर्च 422.28 करोड़ रु०, दूसरी में 1,043.70 करोड़ रु०, तीसरी में 1,685.84 करोड़ रु०, चौथी और पांचवीं में क्रमशः 1,419.66 करोड़ रु० और 1,491.93 करोड़ रु० था।

छठी योजना के दौरान योजना व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस व्यय की कुल राशि 6299.96 करोड़ रु० है। छठी योजना के अन्तिम वर्ष 1984-85 का अनुमानित व्यय 1,587.99 करोड़ रु० था।

### रेल इंजन और डिब्बों का निर्माण

रेल इंजन चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तूरजन और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में बनाए जाते हैं। इन दोनों कारखानों की प्रशासनिक जिम्मेदारी रेल मन्त्रालय की है।

चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क्स (सी० एल० डब्ल्यू०) ने सबसे पहला रेल इंजन 1950-51 में बनाया और 1959-60 में इस कारखाने ने प्रतिवर्ष 173 रेल

<sup>1</sup>इसमें बहुएकक विद्युत चालित (ई०एम०यू०) भी शामिल हैं।

इंजन बनाने शुरू कर दिए। दिसम्बर 1971 में इस कारखाने ने मान में चलने वाला अन्तिम इंजन बनाया। इस प्रकार कुल 2,351 मान-इंजन बनाने के बाद इस कारखाने ने प्रमुख रेल भागों के लिए विद्युत और डीजल-हाइड्रोलिक शांति रेल-इंजन बनाने का काम हाथ में लिया। इसी अवधि में छोटी पटरियों पर चलने वाले अधिकांश भार इंजन 'टेल्को' नाम के एक निजी क्षेत्र वाले कारखाने ने बनाए।

चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 1961-62 में अपना पहला डी० सी० विद्युतचालित रेल-इंजन बनाया और 1967-68 में पहले डीजल हाइड्रोलिक शांति रेल-इंजन का निर्माण किया। मार्च 1985 तक इस कारखाने ने कुल मिलाकर 1,028 विद्युतचालित रेल-इंजन, 493 डीजल-हाइड्रोलिक शांति रेल-इंजन और संकरी लाइन पर चलने वाले 60 डीजल-हाइड्रोलिक रेल-इंजन बनाए।

बड़ी लाइन पर चलने वाले डीजल-विद्युतचालित रेल-इंजन (हेवी इन्टी ग्रेडिंग) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी० एल० डब्ल्यू०) में बनाए जाते हैं। इन कारखाने ने बड़ी पटरियों पर चलने वाले रेल-इंजनों का निर्माण कार्य 1963-64 में शुरू किया और 1968-69 से इन्हें छोटी पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन बनाने भी शुरू किए। तब से एक भी डीजल-विद्युतचालित रेल-इंजन का आयात नहीं हुआ। इस कारखाने ने मार्च 1985 तक विभिन्न प्रकार के 1,974 इंजन बनाए।

अधिकतर सवारी गाड़ियों के डिब्बे इन्टीग्रल कोच फैक्टरी (आई० सी० एफ०) पराम्बर में बनाए जाते हैं। यह कारखाना भी परिवहन मन्त्रालय, रेल विभाग के अधीन है। इस कारखाने के उत्पादन-कार्य में दो सहायक उपक्रम बी० ई० एम० एल० और 'जेसप' भी सहयोग देते हैं। रेलवे की पूरी आवश्यकताओं को ये तीनों कारखाने पूरा करते हैं।

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी ने सवारी डिब्बे बनाने का कार्य 1955-56 में आरम्भ किया और मार्च 1985 तक इसने पूरे साज-सामान के साथ 15,827 सवारी डिब्बे बनाए। इन्टीग्रल कोच फैक्टरी और 'जेसप' द्वारा तैयार किए गए रेल डिब्बों में ई० एम० यू० भी सम्मिलित हैं। इन डिब्बों में खान चलने वाला विद्युत उपकरण एक अन्य सरकारी उपक्रम—भारत हेवी इन्डस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा बनाये जाते हैं।

रेल विभाग को जितने माल डिब्बों की आवश्यकता होती है उसे सेंट्रल-जनिक और निजी क्षेत्र के कारखाने पूरा करते हैं। इन कारखानों के उत्पादन में तीन रेल कार्यमालाएँ भी अपना योगदान देती हैं। 1984-85 में कुल मिलाकर चार पहियों वाले 12,371 माल डिब्बे बनाए गए जिन्हें 12,371 डिब्बे इन कारखानों ने बनाए।

रेल विभाग की पहियों और एक्सल की मौजूदा आवश्यकताओं में से केवल आंशिक रूप में ही पूरी हो पाती है। बाकी आवश्यकताएँ सेंट्रल-जनिक और निजी क्षेत्र के कारखानों से पूरी नहीं हो पाती हैं। रेल विभाग ने विदेशी मुद्रा की बचत के लिए बॉम्बे में एक्सल और एक्सल बनाने का एक कारखाना लगाया है। इस कारखाने में एक्सल

लगभग 70,000 पहिये और 23,000 एक्सल तैयार होंगे। यह 15 सितम्बर 1984 को चालू किया गया था और मार्च 1985 तक इसने 1188 व्हील सेटों का निर्माण किया था।

### यात्री यातायात और सुविधाएं

1984-85 में 333.3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने रेल से सफर किया जब कि 1950-51 में यह संख्या 128.4 करोड़ थी। दूसरे दर्जे से 1950-51 में हुई 84.47 करोड़ रु० की आय के मुकाबले 1984-85 में 1,292 करोड़ रु० की आय हुई।

दूसरे दर्जे के लिए औसत किराया प्रति यात्री किलोमीटर पैसेंजर गाड़ी के लिए 5.12 पैसे तथा डाक और एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए 7.42 पैसे, पहले दर्जे के यात्रियों के लिए 24.4 पैसे और वातानुकूलित दर्जे के लिए 52.3 पैसे था।

रेल प्रशासन यात्रियों, विशेषकर दूसरी श्रेणी में सफर करने वालों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। रेल में सफर करने वाले यात्रियों में से 96.6 प्रतिशत दूसरी श्रेणी में यात्रा करते हैं। दूसरी श्रेणी के यात्रियों की यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए किए गए उपाय हैं: दूसरी श्रेणी के डिब्बों में गद्देदार शायिकाओं/सीटों की व्यवस्था, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में शायिकाओं की संख्या में वृद्धि, आरक्षण प्रणाली में सुधार, जलपान/पिन्ट्री वाहनों के इस्तेमाल की सुविधा, जनता भोजन की विक्री और साफ-सुथरे वातावरण की व्यवस्था। आरक्षित डिब्बों में भीड़ को कम करने के लिए द्वितीय श्रेणी के शयनयानों/दो टायर वाले वातानुकूलित डिब्बों/प्रथम श्रेणी के गलियारे वाले डिब्बों में यात्री टिकट निरीक्षक और परिचारक की व्यवस्था की गई है।

बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का कार्य एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 7,093 स्टेशनों में से 6,046 स्टेशनों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। 2,995 स्टेशनों और 88 जोड़ी गाड़ियों पर खान-पान का प्रबन्ध किया गया है।

### मेट्रो रेल, कलकत्ता

1984-85 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष भारतीय रेल ने मेट्रो युग में प्रवेश किया। इसी वर्ष कलकत्ता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच पांच स्टेशनों को जोड़ने वाला 3.5 कि० मी० का मार्ग वाणिज्यिक प्रचालन के लिए खोल दिया गया। बाद में दमदम और बेलगाचिया के बीच 2.2 कि० मी० का मार्ग भी खोल दिया गया। अब एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच सुबह नौ से 11 वजे तथा अपराह्न तीन से आठ वजे के दौरान बीस-बीस मिनट के अंतराल पर, रेल सेवा उपलब्ध है।

इस प्रणाली के अंतर्गत रेलमार्ग उत्तर में दमदम से प्रारंभ होता है और 16.43 कि०मी की दूरी तय करके टालीगंज पर समाप्त होता है। इस मार्ग पर 17 स्टेशन बनाने की योजना है इनमें से दो टर्मिनल स्टेशन यानी दमदम और टालीगंज भूमि के ऊपर तथा शेष 15 स्टेशन भूमिगत होंगे। दक्षिण में भवानीपुर और टालीगंज के बीच शेष रेलमार्ग के निर्माण का कार्य पूरा करने के हर संभव प्रयास जारी हैं, ताकि टालीगंज तक मेट्रो रेल चलाई जा सकें।

## माल यातायात

रेलवे ने 1950-51 में कुल 9.3 करोड़ टन माल को ढुलाई की थी जब कि 1984-85 में लगभग 26.5 करोड़ टन माल ढोया गया। 1984-85 में माल भाड़े से प्राप्त आय 3,465 करोड़ ₹० थी। माल ढुलाई में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर बहुत-सी द्रुतगामी मालगाड़ियां चलाई गई हैं।

घर तक सामान पहुंचाने के लिए एक कन्टेनर सेवा भी चालू है। ये कन्टेनर तेज मालगाड़ियों के जरिए नियत कार्यक्रम के अनुसार गारण्टी से पहुंचाए जाते हैं। 1984-85 के दौरान माल को डिब्बों में चढ़ाने-उतारने के लिए 70 मार्गों पर एक योजना कार्यान्वित की गई।

## प्रशासन

सरकारी रेलों के प्रशासन और प्रबन्ध का उत्तरदायित्व रेलवे बोर्ड पर है जो समग्र रूप से एक केन्द्रीय मन्त्री की देख-रेख में काम करता है तथा उसकी सहायता के लिए एक राज्य स्तर का मंत्री भी होता है। बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है जो रेल विभाग में सरकार का पदेन प्रधान सचिव होता है। इसके अलावा एक वित्त आयुक्त और चार अन्य सदस्य होते हैं जो रेल विभाग में सरकार के पदेन सचिव होते हैं।

## रेलवे क्षेत्र

रेलवे को 9 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक महाप्रबन्धक होता है, जो रेलों के परिचालन, रखरखाव और वित्तीय मामलों के लिये रेलवे बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है।

ये नौ क्षेत्र, कोष्ठक में उनके मुख्यालय और मार्ग किलोमीटर सहित हैं: उत्तरी क्षेत्र (नई दिल्ली: 10,977), उत्तर-पूर्वी (गोरखपुर: 5,163), उत्तर-पूर्वी सीमांत (मालीगांव-गुवाहाटी: 3,739), मध्य (बम्बई-बी० टी०: 6,472), दक्षिणी (मद्रास: 6,722), दक्षिण-मध्य (सिकन्दराबाद: 7,137), दक्षिण-पूर्वी (कलकत्ता: 7,075), पश्चिमी (बम्बई-चर्चंगेट: 10,295) और पूर्वी (कलकत्ता: 4,270)।

जनता और रेल प्रशासन के बीच सहयोग विभिन्न समितियों के जरिये सुनिश्चित किया जाता है, जिनमें ये शामिल हैं: (1) राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्श समिति, (2) क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्श समितियां, और (3) मण्डलीय उपभोक्ता परामर्श समितियां।

## रेल वित्त

1924-25 से रेल वित्त सामान्य राजस्व से अलग रहता है। रेलवे की अपनी निधियां और खाते हैं और रेल बजट संसद में अलग से पेश किया जाता है। रेलवे विनियोजित पूंजी पर सामान्य राजस्व में सामांश देती है। इस योगदान की मात्रा पर संसद की कन्वेंशन समिति समय-समय पर विचार करती है। अब तक ऐसी छः समितियां गठित की जा चुकी हैं। 1980-85 की अवधि के दौरान दिए जाने वाले सामांश की दरें 31 मार्च, 1980 तक रेलवे पर विनियोजित पूंजी पर 6 प्रतिशत (जिसमें मात्री भाड़ा कर आदि के बदले में 31 मार्च,

1964 को भुगतान की पूंजी पर 1.5 प्रतिशत, भी शामिल है) तथा 1 अप्रैल; 1980 से व्यय की गयी पूंजी पर 6.5 प्रतिशत, अन्तरिम उपाय के तौर पर है।

## कर्मचारी कल्याण

रेल कर्मचारियों के लिए बहुत-सी कल्याण योजनाएं चल रही हैं। 1950-51 में रेल कर्मचारियों की संख्या 9.1 लाख थी जो 1984-85 में 18.03 लाख (16.03 लाख नियमित व 2.0 लाख अनियमित) हो गई। इनके कल्याण से सम्बन्धित प्रमुख योजनाओं में आवास और चिकित्सा सुविधाओं, पहाड़ी स्थानों पर अवकाशगृहों और विद्यालयों तथा छात्रावासों का प्रवन्ध शामिल है। 1951 और 1985 (31 मार्च) के बीच कर्मचारियों के लिए लगभग 5.97 लाख रिहायशी मकान, 107 अस्पताल और 623 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया। पहाड़ी जगहों और अन्य स्थानों पर अवकाश गृहों की संख्या 33 थी।

## अनुसन्धान और प्रशिक्षण

अनुसन्धान, डिजाइन और मानक संगठन, रेलवे की एक पृथक क्रियात्मक इकाई है, जिस पर रेलवे में सभी तरह के अनुसंधान और तकनीक विकास का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय मानक संगठन (सी० एस० ओ०) की स्थापना 1930 में की गयी थी तथा इस पर रेलवे द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी प्रकार की सामग्री, उपकरणों और परिसंपत्तियों के विनिर्देशों और डिजाइनों के मानकीकरण की जिम्मेदारी थी। रेल परिवह की भारी मांग और दुर्लभ विदेशी मुद्रा की वंचत को देखते हुए रेलवे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी विकास की तत्काल आवश्यकता थी। इस काम के लिए 1952 में लखनऊ में रेलवे परीक्षण और अनुसंधान केन्द्र (आर०टी०आर०सी०) की स्थापना की गयी। 1957 में इन दोनों संगठनों—सी० एस० ओ० और आर० टी० आर० सी० को मिलाकर वर्तमान अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) बनाया गया। इसमें रेलवे के कामकाज के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं।

रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और उद्योग तथा व्यापार के लिए अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आर० डी० एस० ओ०) एक सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मालगाड़ियों के डिब्बे, रेल की पटरियों, पुलों और ढांचों तथा रेलवे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के उपकरणों के मानकीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। इस संगठन के पास दूसरा महत्वपूर्ण काम, रेलवे के कामकाज से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान के काम को अपने हाथ में लेना है। आर० डी० एस० ओ०, रेलवे प्रचालन के सभी क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से रेलवे की मदद कर रहा है तथा उसने उन्हें इ योग्य बनाया है कि वे रेल उपकरणों में से अनेक का निर्यात कर सकें।

रेलवे के चार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान हैं :

(1) सिविल इंजीनियरों की ट्रेनिंग के लिए एडवॉर्ड ट्रेक टेक्नोलॉजी भारतीय रेल संस्थान, पुणे।

(2) सिगनल और दूरसंचार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सिगनल इंजीनियरी और दूर-संचार का भारतीय रेल संस्थान, सिकन्दराबाद ।

(3) प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों के लिए मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी का भारतीय रेल संस्थान, जमालपुर, और

(4) सभी राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य प्रशिक्षण के लिए रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ोदरा ।

परामर्श सेवाएं

रेल मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में दो संस्थाएं हैं जो रेल तकनीक और रेल परि-योजनाओं के क्रियान्वयन में उच्च स्तर की परामर्श सेवा उपलब्ध कराते हैं। ये हैं: रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विस (राइड्स) और इंडियन रेलवे कंसल्टिंग कम्पनी (इरकान)। रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विस, परिवहन टेक्नीशियनों के सभी क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती है और 'इरकान' 'टर्न-की' आधार तथा अन्य शर्तों पर भारत तथा विदेशों में रेलवे परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगी हुई है।

### जहाजरानी

विकासशील देशों में भारत का व्यापारिक जहाजी बंधा सबसे बड़ा है और जहाजी टन भार में विश्व में उसका स्थान सोलहवां है। 30 जून, 1986 को भारत का चालू टन भार 55.83 लाख जी० भार० टी० (सकल टन) था जबकि स्वतन्त्रता के समय 1.92 लाख जी० भार० टी० ही था।

जहाजरानी निगम

राष्ट्रीय जहाजरानी मण्डल एक ऐसा निकाय है जिसकी स्थापना व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 के तहत की गई है। यह जहाजरानी से सम्बन्धित मामलों पर सरकार की सलाह देता है। प्रखिल भारतीय जहाजरानी परिषद, जहाजरानी सम्मेलनों और कम्पनियों के साथ भाड़ा तय करने और जहाजरानी समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करती है। भारतीय राष्ट्रीय जहाज-मालिक संगठन, राष्ट्रीय जहाजरानी, जहाज निर्माण और सम्बद्ध उद्योगों को बढ़ावा देती है।

जहाजरानी कम्पनियां

इस समय देश में 55 जहाजरानी कम्पनियां हैं जिनमें से 19 पूर्णतया तटीय व्यापार में कार्यरत हैं, 29 वैदेशिक व्यापार में तथा शेष 7 तटीय और वैदेशिक दोनों प्रकार के व्यापार में कार्यरत हैं। एकमात्र सरकारी जहाजरानी कम्पनी—भारतीय जहाजरानी निगम—तटीय और वैदेशिक दोनों ही व्यापार करती है।

भारतीय जहाजरानी निगम दुनिया की सबसे बड़ी जहाजरानी साइनों में से है। जून 1986 के अंत तक इसके पास 31.32 लाख सकल टन भार के 137 जहाज थे जो लगभग सब महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर चले रहे थे।



भारतीय जहाजरानी निगम को 1984-85 में कारोबार से 816.37 करोड़ रु० की आय हुई। भारतीय जहाजरानी निगम का टन भार (जहाज) समस्त भारतीय टन भार (जहाजों) का लगभग 56 प्रतिशत है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य कम्पनी मुगल लाइन लि० का 30 जून 1986 को भारतीय जहाजरानी निगम में विलय कर दिया गया।

एक लाख या इससे अधिक सकल टन भार के स्वामित्व वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी जहाजरानी कम्पनियों में ये शामिल हैं—सिधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० (4.03 लाख सकल टन भार), ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि० (4.50 लाख सकल टन भार), इंडिया स्टीमशिप कम्पनी लि० (1.01 लाख सकल टन भार); दामोदर बल्क कैरियर्स लि० (1.13 लाख सकल टन भार), चौधुले स्टीमशिप लि० (2.27 लाख सकल टन भार), साउथ इंडिया शिपिंग कॉरपोरेशन लि० (2.47 लाख सकल टन भार) और रत्नाकर शिपिंग कम्पनी लि० (1.33 लाख सकल टन भार)।

### भारतीय जहाजरानी पंजिका

भारतीय राष्ट्रीय पोत वर्गीकरण सोसायटी की स्थापना, सर ए० रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, धारा-25 कम्पनी के रूप में, मार्च, 1975 में की गई। सोसायटी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

1. भारतीय जहाजरानी पंजिका में वर्गीकृत व्यापारिक नौ-वहन का विश्वसनीय तथा सही वर्गीकरण और रिकार्ड उपलब्ध कराना,
2. जहाजों तथा अन्य समुद्री संरचनाओं के निर्माण तथा समय-समय पर किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए मानक तैयार करना तथा उन्हें लागू करना,
3. डिजाइनों को स्वीकृति करना, सर्वेक्षण करना तथा भू-आधारित प्रतिष्ठान, मशीनरी, सामग्री और सभी प्रकार के उपकरणों के बारे में प्रतिवेदन जारी करना, और
4. अनुसंधान और विकास कार्य के जरिए, भारत में समुद्री प्रौद्योगिकी विकसित करना।

भारतीय जहाजरानी पंजिका का मुख्यालय बम्बई में तथा बाह्य बंदरगाह कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम, मद्रास, कोचीन, गोवा, राउरकेला और तिरुचिरापल्ली में हैं। भारतीय आग बीमा निगम और शुल्क सलाहकार समिति, दस करोड़ रुपए तक की कीमत के सभी तटीय और बंदरगाह जलयानों को, भारतीय जहाजरानी पंजिका के एकल वर्गीकरण के लिए स्वीकार करते हैं। भारत सरकार ने, भारतीय जहाजरानी पंजिका को अंतर्राष्ट्रीय भार-वहन मार्ग आवंटित करने और भारतीय ध्वज पोतों पर माल पोत सुरक्षा संरचना का सर्वेक्षण करने के लिए अधिकृत किया है। 1986 के मध्य तक 125 जहाजों को ये भार-वहन मार्ग आवंटित किए जा चुके थे।

अच्छे स्तर की सेवा बनाए रखने और अपनी सेवाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए, भारतीय जहाजरानी पंजिका ने विश्व की सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बर्गीकरण सोसायटियों से आपसी सहयोग के समझौते किए हैं। इनके अंतर्गत जहाजों को भारतीय जहाजरानी पंजिका तथा उसके साथ समझौता करने वाली सोसायटी में, दोनों जगह, बर्गीकृत कराया जा सकता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सारे विश्व में सर्वेक्षण का प्रबंध किया जाता है। इन समझौतों के माध्यम में, भारतीय जहाजरानी पंजिका को, विभिन्न स्रोतों से, अपनी विविध सेवाओं के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, तकनीकी सहयोग भी मिल जाता है।

अगस्त, 1986 की समाप्ति तक, सोसाइटी के वर्ग में कुल 39.7 लाख जी० आर० टी० के 443 जहाज तथा आई० आर० एस० वर्ग के विभिन्न प्रकार के 192 जहाज भारत और विदेशों में निर्माणाधीन थे। भारतीय जहाजरानी पंजिका निर्माताओं के कारखानों में मशीनरी, उपकरण और कलजुओं के निरीक्षण और प्रमाणीकरण के कार्य में भी सक्रिय भूमिका निभाती है।

भारतीय जहाजरानी पंजिका ऐसे मालिकों की ओर से विनिर्देशन सेवाएं भी उपलब्ध कराती है जो सामान्यतः अपने विशेषज्ञों को पीत-निर्माण स्थलों पर नए निर्माण की रोजमर्रा देखभाल के लिए नियुक्त करने में असमर्थ होते हैं। पंजिका ने अब तक भारत और विदेशों में लगभग 100 जहाजों को इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

गैर-समुद्री औद्योगिक क्षेत्र में, जहां भारतीय जहाजरानी पंजिका तृतीय पक्ष द्वारा निष्पक्ष निरीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराती है, तेल और प्राकृतिक गैस भाषाग, भारतीय तेल निगम लि०, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, इत्यादि जैसे अनेक बड़े संगठनों ने भी कई प्रकार के उपकरणों के लिए इन सेवाओं का उपयोग किया है। इन उपकरणों में इलेक्ट्रिक सेवल लॉफिंग केनें, फ्लेमप्रूफ उपकरण, ए० पी० आई० स्तर की विशेष पाइपें, हाई वोल्टेज और हाई पावर उपकरण तथा अग्नि-शमन उपकरण इत्यादि शामिल हैं।

भारतीय जहाजरानी पंजिका पोर्बई (बम्बई) में 24,000 वर्ग मीटर के भूखंड पर एक पूर्णरूप से सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना भी कर रही है। प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय बर्गीकरण समितियों ने जिस प्रकार अपने सम्यद्ध देशों में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किये हैं, उसी प्रकार यह पंजिका भी प्रथम चरण में, लगभग 3000 वर्ग मीटर में विस्तृत अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से युक्त भवनों का निर्माण करेगी।

प्रशिक्षण संस्थाएं

व्यापारिक नौवहन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 प्रतिष्ठान हैं। प्रशिक्षण जहाज 'टी० एस० राजेन्द्र' बम्बई, नौपरिवहन कैंडेटों के लिए समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण कोर्स चलाता है। लालबहादुर शास्त्री नाविक और इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई नौपरिवहन और अभियांत्रिकी के समुद्रोत्तर प्रशिक्षण कोर्स चलाता है।

समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय बम्बई और कलकत्ता में समुद्री इंजीनियरी के कैंडेटों को प्रशिक्षण देता है। डेक और इंजीनियरी रेटिंगों और अंशकारियों को समुद्र में काम पर लगाने से पूर्व प्रशिक्षण देने वाले तीन रेटिंग प्रति-

प्लान टी० एस० "भद्र", टी० एस० "मेखला" और टी० एस० "नीलक्षी" बंद कर दिए गए हैं।

### पोत निर्माण

भारत में चार बड़े और चार मझीले आकार के पोत कारखाने हैं। ये सभी पोत कारखाने या तो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं या फिर राज्य सरकारों के उद्यम हैं। इनके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 32 छोटे पोत कारखाने हैं जो छोटे पोतों की घरेलू मांग को पूरा करते हैं। कोचीन के कोचीन शिपयार्ड और विशाखापत्तनम के हिन्दुस्तान शिपयार्ड में, बड़े-से-बड़े आकार के क्रमशः 86,000 डी० डब्ल्यू० टी० और 45,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज बनाए जा सकते हैं।

इस समय जहाजों की मरम्मत के लिये 15 मुख्य सूखी गोदियां हैं—5 बम्बई में, 6 कलकत्ता में, 2 विशाखापत्तनम में और 2 कोचीन में। इसमें से अधिकांश शुष्क गोदियों में 10,000 अचल टन भार (डी० डब्ल्यू० टी०) से कम के ही जहाज आ सकते हैं; परन्तु बम्बई की एक गोदी में 20,000 अचल टन भार तक के और विशाखापत्तनम के हिन्दुस्तान जहाज निर्माण घाट की एक गोदी में 70,000 अचल टन भार और कोचीन की एक गोदी में एक लाख अचल टन भार तक के विशाल जहाज भी आ सकते हैं।

### सलाहकार सेवाएं

इस उद्योग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम बनाने तथा नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए, पोत-निर्माण और पोत मरम्मत खंड नामक एक अलग विभाग स्थापित किया गया है। इस विभाग का प्रमुख एक विकास सलाहकार होता है। जून, 1984 में राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मेजर्स हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एच० डी० पी० ई०) कलकत्ता को, जुलाई, 1986 में सड़क परिवहन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए सातवीं योजना में 130 करोड़ रुपये रखे गए हैं। जो योजनाएं विचाराधीन हैं या जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. एच० एस० एल० की सुविधाओं का आधुनिकीकरण;
2. एच० एस० एल० की पोत मरम्मत क्षमता में वृद्धि;
3. कलकत्ता और बम्बई बंदरगाहों की शुष्क बंदरगाह सुविधाओं का आधुनिकीकरण,
4. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना;
5. कलकत्ता में तलकपर्ण पोत मरम्मत की विशेष सुविधा जुटाना; और
6. पोत अनुपंगी क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता देने की योजना।

देश में मछली पकड़ने के काम आने वाले जहाजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत में पोत-निर्माण के छोटे कारखानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इस समय देश में विभिन्न पोत निर्माण कारखानों में 55 जलपोतों के निर्माण का कार्य चल रहा है।

**हिन्दुस्तान शिपयार्ड** हिन्दुस्तान शिपयार्ड में 1947 से 89 जहाज बने हैं। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 21,500 बी० डब्ल्यू० टी० के 4.28 जहाज प्रतिवर्ष की है। एक सूत्री गोदी के अलावा, जो 1971 से चालू है, पश्चिम बेसिन परियोजना जहाजों की मरम्मत के लिये आंशिक रूप से चालू कर दी गई है। टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण, आधारभूत ढांचे के विस्तार और नयी मुविघाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस समय 66 करोड़ रुपये की लागत में इस शिपयार्ड का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

**कोचीन शिपयार्ड** जापान के सहयोग से निर्मित कोचीन के जहाज निर्माण घाट में 85,000 बी० डब्ल्यू० टी० के जहाज निर्माण के लिए एक गोदी तथा 1,00,000 बी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजों की मरम्मत के लिए एक और गोदी बनाने की व्यवस्था है। इन्होंने 75,000 बी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज भारतीय जहाजरानी निगम को दिये हैं। इसमें अब 86,000 बी० डब्ल्यू० टी० के तीन टैंकरों का निर्माण आरम्भ किया है।

**जहाजरानी सहायता** सरकार सामान्य जहाजरानी सहायता की देखभाल करती है जब कि राज्य पतन न्यास और अन्य अभिकरण स्थानीय सहायता के लिए उत्तरदायी हैं, परन्तु लाईटहाउस एक्ट, 1927 के अनुसार सरकार समस्त सहायताओं पर लाईटहाउस और लाईटशिप्स विभाग के जरिए सामान्य नियन्त्रण रखती है। यह विभाग जलपोतों और भ्रति उच्च फ्रीवॉर्स वाले धाररलैस नेटों की देख-रेख के साथ-साथ नौपरिवहन से संबंधित उपकरणों की भी साज-समाल करता है। इसके अतिरिक्त विभाग 152 लाईटहाउस, 12 लाईट वायस, 13 फोग सिग्नलस, 14 रेडियो बीकर्स, 12 डेका नेवीगटर चैन स्टेशन, एक साइट वेसल, 10 रेकोर्स और 32 एच० एफ०/बी० एच० एफ०/आर० टी० सैट का भी प्रबन्ध करता है। मातृ योजना के अंतर्गत नवीन योजनाओं एवं आकस्मिक खर्चों के लिए 33.07 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

### अन्तर्देशीय जलमार्ग

भारत में मशीनीकृत नौपरिवहन योग्य जल-मार्गों की सम्बाई लगभग 5,200 किलोमीटर है, किन्तु केवल 1,700 किलोमीटर का ही वास्तविक उपयोग हो पाता है। कुल नहरों की सम्बाई 4,300 किलोमीटर है, जिसमें केवल 485 किलोमीटर ही स्टीमर चलाने योग्य है। इसमें से भी केवल 331 किलोमीटर का ही वास्तविक उपयोग हो पाता है।

नौपरिवहन योग्य महत्वपूर्ण नदियों में हैं—गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और तापी तथा उनकी नहरें, केरल का अप्रवाही जल और नहरें, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बकिधम नहर और गोवा में माडवी और जुवारी नदियों को जोड़ने वाली कम्बजुंआ नहर तथा सुन्दरवन में बहने वाली बरमाती नदियां।

अन्तर्देशीय जल परिवहन राज्य सूची का विषय है। विकास कार्यक्रम अधिनियम राज्य सरकारें ही केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित करती हैं।

सातवीं योजना के अंतर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें से वर्ष 1985-86 के लिये 38 करोड़ रुपये दिए गये।

**अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास**

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड, नई दिल्ली देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए नीति निर्धारित करता है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय का अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय उन राज्यों को तकनीकी सलाह देता है जो अन्तर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। निदेशालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय पटना में कार्यरत है।

राष्ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों का इलाहाबाद से हल्दिया तक का भाग) अधिनियम, 1982 में यह व्यवस्था की गई है कि इस जल मार्ग के विकास, नियमन और जहाजरानी तथा नौपरिवहन के लिए इसके प्रभावकारी उपयोग की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होगी। हल्दिया-फरक्का भाग में नदी सेवा शुरू कर दी गई है। सेवा का अधिक विस्तार तभी सम्भव होगा जब फरक्का पर नौवहन जलपाश बन जाएगा।

**भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण**

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 30 दिसम्बर 1985 को सांविधिक रूप ले चुका है। इस प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, की स्थापना 1967 में कलकत्ता में हुई थी। यह निगम बांग्लादेश के रास्ते कलकत्ता और असम के बीच भालवाहक नदी सेवा का संचालन करता है। यह कलकत्ता और फरक्का एवं कलकत्ता और कछार के बीच नदी सेवाओं का भी संचालन करता है। इस निगम की अन्य गतिविधियों में जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत आदि कार्य शामिल हैं।

## बन्दरगाह

दश में 11 बड़े बन्दरगाह हैं, जिनमें न्हावा शेवा बन्दरगाह निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त 139 छोटे कार्यरत बन्दरगाह हैं (कुल 226 छोटे बन्दरगाहों में से) जो 6,000 किलोमीटर लम्बे समुद्र-तट पर फैले हुए हैं। बड़े बन्दरगाहों के प्रबन्ध का सीधा संवैधानिक उत्तरदायित्व सरकार का है। जबकि छोटे तथा मझोले स्तर के बन्दरगाह संविधान की समवर्ती सूची में हैं और उनका प्रबन्ध तथा प्रशासन संबंधित राज्य-सरकारें करती हैं।

**प्रमुख बन्दरगाह**

भारत के पश्चिम तट पर कांडला, बम्बई, मर्मुगाओ, न्यू मंगलीर और कोचीन प्रमुख बन्दरगाह हैं। बम्बई का नया प्रमुख बन्दरगाह न्हावा शेवा है जिस पर 506 करोड़ रुपये

सागत धाने का अनुमान है। इसमें तीन महत्वपूर्ण रूप से यंत्रीकृत बन्दरगाह, बड़े धाकार के शुष्क मालवाही जहाजों को सम्भालने के लिए दो यंत्रीकृत घाट और एक घाट जहाजों के रख-रखाव के लिए बनाया जा रहा है। यह परियोजना 1988 तक चालू हो जाने की आशा है।

सूर्तीकोरिन, मद्रास, धिगाबापत्तनम, पारादीप तथा बलवत्ता-हृदिया पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों का प्रबंध प्रमुख बंदरगाह न्यास अधिनियम, 1963 के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के प्रबंध एवं जहाजरानी उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक न्याया मंडल होता है।

बम्बई प्रमुख बंदरगाहों में सबसे बड़ा है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सभी बंदरगाहों से किये गये कुल कारोबार के पांचवें हिस्से से भी अधिक का कारोबार यहाँ से किया जाता है, जिसमें पेट्रोलियम तथा शुष्क पदार्थ मुख्य हैं। वर्ष 1984-85 में सभी प्रमुख बंदरगाहों से किये गये कारोबार का 23.61 प्रतिशत यहाँ से किया गया। 1985-86 में सभी प्रमुख बंदरगाहों से किये गए कारोबार का 20.8 प्रतिशत यहाँ से किया गया। काडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र भी स्थापित किया गया है। यहाँ से सभी प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है जिनमें मुख्यतः कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक, खाद्यान्न कपास, सीमेंट, चीनी, चाय तेल, वस्तुओं की छीलन आदि हैं। 1984-85 में 157.5 लाख टन के मुकाबले 1985-86 में 164.9 लाख टन माल का कारोबार हुआ। 1984-85 में कुल व्यापार संचालन को देखते हुए मर्मगाओ का चौथा स्थान रहा जिसमें उसका भाग 13.6 प्रतिशत था। 1984-85 के मुकाबले 1985-86 में यहाँ से 16 लाख टन अधिक माल का कारोबार हुआ। मुद्रेशुद्ध खनिज लोहे के निर्यात के लिए सुविधाएँ जुटाने हेतु न्यू मंगलौर का विशेष रूप से विकास किया गया है। यहाँ से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, चाय तेल, ग्रेनाइट और अन्य सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात-निर्यात का संचालन किया जाता है। बेम्बनाद झील के प्रवेश द्वार पर कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से उर्वरक, कच्चा माल, पेट्रोलियम उत्पाद, सामान्य माल के भेजने और प्राप्त करने की व्यवस्था है। सूर्तीकोरिन बंदरगाह से नमक, कोयला, चाय तेल, रसायन, खाद्यान्न, चीनी, शुष्क पदार्थों तथा पेट्रोलियम उत्पाद का आयात-निर्यात किया जाता है।

पूर्वी तट पर मद्रास सबसे पुराना बंदरगाह है, जहाँ से खनिज लोहे का निर्यात करने के लिए एक बाहरी बंदरगाह का विनास किया गया है। साथ ही कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्यात के लिए अलग से एक प्लेटफार्म निर्मित किया गया है। जिन अन्य वस्तुओं को यहाँ से भेजा या प्राप्त किया जाता है, वे हैं- तेल, उर्वरक तथा शुष्क पदार्थ। पारादीप से खनिज लोहे तथा कुछ मात्रा में कोयला तथा शुष्क पदार्थों के व्यापार का संचालन होता है। बलवत्ता नदीय बंदरगाह है, जहाँ से विविध वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जाता है। बलवत्ता बंदरगाह पर जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उनकी पूरक सुविधाएँ एक नयी मशीनीकृत गोदी

प्रणाली हृत्तदया में उपलब्ध कराती है जो कलकत्ता से आगे गहरे समुद्र से जहाजों को खींचकर लाने में समर्थ है। हृत्तदया गोदी में कोयला और तेल के लदान के लिए कन्टेनर युक्त लंगरगाह है। इस बन्दरगाह से मुख्यतः कोयला, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और अन्य प्रकार के शुष्क पदार्थों का आयात-निर्गत किया जाता है।

छठी योजना में न्हावा शेवा के अलावा दूसरे बड़े बन्दरगाहों के विकास के लिए 521 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था। इस योजना में बन्दरगाहों पर उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा देश की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। मद्रास, तूत्तीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप, न्यू मंगलौर, मर्मुगाओ और कांडला में सामान्य माल के लिए लंगरगाह के पूरा होने, बम्बई और कोचीन में पी० ग्रा० एल० के लदान की अतिरिक्त सुविधायें, मद्रास में एक पूर्ण रूप से सुविधा-सम्पन्न कन्टेनर गोदी, तूत्तीकोरिन में एक कोयला घाट और बम्बई तथा मद्रास बन्दरगाह पर कन्टेनर रखने के उपकरणों की सुविधा प्राप्त करने; हृत्तदया में कोयला उतारने-चढ़ाने के संयंत्र में सुधार और पारादीप में लौह-खनिज उतारने-चढ़ाने के संयंत्र में सुधार के फल-स्वरूप छठी योजना अवधि के दौरान बन्दरगाहों की क्षमता में 3.10 करोड़ टन से अधिक की वृद्धि हुई है। इस योजना के पूरा होने पर बन्दरगाहों की क्षमता 13.27 करोड़ टन हो गयी है, जब कि योजना के प्रारम्भ में 10.13 करोड़ टन थी।

सातवीं योजना में न्हावा शेवा सहित प्रमुख बन्दरगाहों के विकास के लिए 955 करोड़ रुपये रखे गए हैं और 1986-87 की वार्षिक योजना में इस कार्य के लिए 300.09 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

मद्रास और विशाखापत्तनम में पेट्रोल, तेल और लुब्रिकैंटों से संबंधित कार्य की अतिरिक्त सुविधा हो जाने तथा पारादीप में उर्वरक गोदी बन जाने के बाद 1985-86 में बन्दरगाहों की क्षमता में 92 लाख टन की और वृद्धि हो गई। हृत्तदया में कच्ची धातु से संबंधित कार्य की सुविधा के रूपांतरण के बाद, 1986-87 के दौरान 10 लाख टन की और क्षमता बढ़ने की आशा है।

1985-86 में सभी प्रमुख बन्दरगाहों से कुल 12 करोड़ टन का कारोबार किया गया, जब कि 1984-85 के दौरान यह 10.67 करोड़ टन था। यह वृद्धि लगभग 12.5 प्रतिशत थी।

मद्रास में कन्टेनर की सुविधा उपलब्ध कराने के विचार से 18 दिसम्बर, 1983 से एक सम्पूर्ण कन्टेनर टर्मिनल चालू हो गया है। इसमें दो बड़ी गैट्टी क्रेनों और दो ट्रांसफर क्रेनों की विशिष्ट सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। बम्बई में तीन ट्रांसफर क्रेनें पहले ही लगायी जा चुकी हैं और दो बड़ी गैट्टी क्रेनें लगायी जा रही हैं। कोचीन में कन्टेनर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें अन्य उपकरणों के अतिरिक्त दो ट्रांसफर क्रेनें और दो टाप लिफ्ट ट्रक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्च 1985 में कलकत्ता बन्दरगाह के लिए 10.36 करोड़ रु० की दो बार्ड गैट्टी क्रेनों के अतिरिक्त एक कन्टेनर सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजना मंजूर की गयी है। कन्टेनर रखने वाले बन्दरगाहों को रेल

मापों द्वारा विभिन्न स्थानों पर बने कन्टेनर डिपो में जोड़ा गया दिनरा सम्पर्क कन्टेनर फ्रेट केन्द्रों में है। इसमें मान भरने वाले घोर पाने बालों के बीच उनके निकटतम स्थान तक कन्टेनरयुक्त माल लाने और ले जाने की सुविधा प्राप्त होगी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन बंदरगाहों पर 1984-85 में 3,08,035 कन्टेनरों को उतार-चढ़ाया गया, जब कि 1983-84 में 2,39,941 कन्टेनर उतारे-चढ़ाए गए थे।

### छोटे और मझोले बंदरगाह

छोटे बंदरगाहों के विकास के लिए धन का प्रावधान संबंधित राज्य क्षेत्र योजनाओं में किया जाता है। मातृकी योजना के दौरान, केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत दो छोटे बंदरगाहों का दर्जा बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए हैं। इनमें से एक बंदरगाह पूर्वी और दूसरा पश्चिमी घाट में होगा परन्तु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप और पाण्डिचेरि में बंदरगाह सुविधाओं के विकास का प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं में किया गया है।

### भारतीय तलकूपण निगम

भारतीय तलकूपण डेवलपिंग निगम की स्थापना मार्च 1976 में बंदरगाहों के तलकूपण पर किये जाने वाले व्यय तथा रख-रखाव के लिए की गई। इस समय निगम के पास 8 विकल्पों पर 1 (डेकर) और दूसरे सहायक जलयानों का बेटा है। 1985-86 में निगम ने 194 लाख क्यूबिक मीटर का तलकूपण किया।

### सड़कें

भारत की सड़क व्यवस्था विश्व की विशालतम सड़क व्यवस्थाओं में से एक है। 31 मार्च 1982 तक देश में सड़कों की कुल लम्बाई 15,45,891 कि० मी० थी। मातृकी योजना में देश में सड़कों के सतुलित और समन्वित विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिए सड़कों के तीन वर्ग बनाए गए हैं:

- (1) प्राथमिक सड़कें—जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं।
- (2) सहायक और पूरक सड़कें जिनमें राजकीय राजमार्ग और जिला स्तर की प्रमुख सड़कें आती हैं।
- (3) ग्रामीण सड़कें, जिनमें ग्रामीण और अन्य जिना सम्पर्क मार्ग शामिल हैं। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सड़कों के विकास के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान किया गया है।

प्रथम तीन योजनाओं एवं तीन वार्षिक योजनाओं में 1,104 करोड़ रुपये सड़क विकास पर व्यय किये गये। चौथी, पांचवीं एवं छठी योजना का भय क्रमशः 862 करोड़ रुपये, 1,353 करोड़ रुपये एवं 3,439 करोड़ रुपये था। मातृकी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में सड़क विकास के लिए 1,019.75 करोड़ रुपये, राज्य क्षेत्र में 3666.98 करोड़ रुपये एवं संघ प्राणित क्षेत्र के लिए 513.31 करोड़ रुपये का प्रावधान है।



## राष्ट्रीय राजमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी व्यवस्था सरकार करती है। 1947 में समन्वित और सुचारु सड़क प्रणाली के लिए 2,500 कि०मी० के सम्पर्क मार्गों और हजारों पुलियों तथा पुलों के निर्माण की आवश्यकता थी। उसके बाद के वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में नई सड़कें बनाने के कारण और अधिक सम्पर्क मार्गों की आवश्यकता हुई। 31 मार्च, 1936 तक कुल 4,581 कि०मी० लम्बे सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा 22,995 कि०मी० कच्ची सड़कों का सुधार किया गया। इसके अलावा 23,933 कि०मी० लम्बी इकहरी सड़कों को चौड़ा और मजबूत करके दोहरी सड़कों में बदला गया और 427 बड़े पुल निर्मित किए गए। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था में सड़कों की कुल लम्बाई 31,987 कि०मी० है। सातवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1019.75 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई, सड़कों की कुल लम्बाई के 2 प्रतिशत हिस्से के बराबर है, पर लगभग एक तिहाई यातायात उन्हीं पर होता है।

## राज्य क्षेत्र की सड़क

राज्यों के राजमार्ग और जिला तथा ग्रामीण सड़कों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियां इनकी देखभाल करती हैं। ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य 1,500 या इससे अधिक आवादी वाले सभी गांवों तथा 1,000 से 1,500 की आवादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक पक्की सड़कों से जोड़ना है। सरकार राज्यों में कुछ चुनौ हुई सड़कों के विकास में मदद भी देती है।

## सीमावर्ती सड़कें

उत्तरी और उत्तरपूर्वी सीमांत क्षेत्रों में सड़कों तथा संचार सुविधाओं में तीव्र तथा समन्वित सुधार करके आर्थिक विकास में तेजी लाने तथा रक्षा की तैयारियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मार्च 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब इन विकास कार्यों में राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा भूटान भी शामिल कर लिए गए हैं।

सीमा सड़क संगठन (बी०आर०ओ०) अपने कार्य विभाग के माध्यम से ही करता है। यह एक आत्मनिर्भर, यंत्रों से लैस चलता-फिरता बल है और राष्ट्र के सम्मुख संकट आने की स्थिति में सेना को इंजीनियरी सहायता देता है। सड़कें बनाने के अलावा, सीमा सड़क संगठन ने हवाई अड्डे तथा इमारतें भी बनाई हैं तथा सुरक्षा सेवाओं की प्रचालन आवश्यकताओं से संबंधित अन्य निर्माण कार्य किए हैं। संगठन अब तक लगभग 18,500 कि०मी० सड़कें बना चुका है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली लगभग 17,500 कि०मी० सड़कों का रख-रखाव करता है।

सड़कों की लम्बाई

1982-83 में भारत में राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों तथा राजकीय सड़क निर्माण विभागों की कच्ची और पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 15,54,204 कि० मी० थी। सड़कों का राज्यवार ब्यौता, सारणी 22.3 में दिया गया है।

(किलोमीटर में)

सारणी 22.3  
भारत में सड़कों  
की लम्बाई  
(31 मार्च  
1983 तक)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	कुल
अखिल भारतीय राज्य	7,31,132	8,23,072	15,54,204
1. आंध्र प्रदेश	67,087	66,908	1,33,995
2. असम	7,924	24,542	32,466
3. बिहार	29,215	54,970	84,185
4. गुजरात	48,780	14,612	63,392
5. हरियाणा	21,281	3,160	24,441
6. हिमाचल प्रदेश	4,704	16,142	20,846
7. जम्मू और कश्मीर	7,494	4,369	11,863
8. कर्नाटक	68,136	46,073	1,14,209
9. केरल	24,481	80,389	1,04,850
10. मध्य प्रदेश	58,230	54,946	1,13,176
11. महाराष्ट्र	92,145	91,029	1,83,174
12. मणिपुर	1,973	3,491	5,464
13. मेघालय	2,762	2,483	5,245
14. नागालैण्ड	878	5,453	6,331
15. उड़ीसा	16,784	1,02,702	1,19,486
16. पंजाब	37,033	10,711	47,744
17. राजस्थान	42,422	33,350	75,772
18. सिक्किम	1,118	59	1,177
19. तमिलनाडु	81,878	63,646	1,45,524
20. त्रिपुरा	1,294	7,098	8,392
21. उत्तर प्रदेश	72,811	81,962	1,54,773
22. पश्चिम बंगाल	25,336	31,665	57,001

1	2	3	4	5
केन्द्र शासित प्रदेश				
23.	अंन्दमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	583	81	664
24.	अरुणाचल प्रदेश <sup>1</sup>	2,051	10,693	12,744
25.	चंडीगढ़	18	—	18 <sup>2</sup>
26.	दादर और नागर हवेली	217	43	260
27.	दिल्ली	8,844	7,052	15,896
28.	गोवा, दमन व दीव	3,287	2,796	6,083
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम <sup>1</sup>	1,168	1,494	2,662
31.	पांडिचेरि	1,218	1,153	2,371

1. 11 फरवरी 1987 को जारी असाधारण राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार, 20 फरवरी 1987 से केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

2. केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

अधिकतर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूर्णतः अथवा अंशतः यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। 31 मार्च, 1985 को सारे देश में अनुमानतः 40 प्रतिशत बसें सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही थीं। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अनेक राज्यों में सांविधिक निगम स्थापित किए जा चुके हैं। अन्य में राष्ट्रीयकृत सेवाओं का परिचालन विभागों या नगर-निगमों या पंजीकृत कम्पनियों द्वारा होता है। अधिकांश बड़े नगरों में नगर बस सेवाएं राज्यों के अधीन हैं। माल परिवहन लगभग पूर्ण रूप से गैर सरकारी क्षेत्र में ही है।

राष्ट्रीय क्षेत्रीय परमिट योजना

सामान की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जिन वाहनों को राष्ट्रीय परमिट दिए जाते हैं, उनकी संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस सिलसिले में 28 जनवरी, 1986 को एक अध्यादेश के जरिए, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन कर दिया गया है।

यात्री वाहन

सार्वजनिक क्षेत्र में यात्री वाहनों की संख्या 1970 के 35,193 से बढ़कर 1985 में 86,156 हो गई। राज्य परिवहन निकाय, जिनमें लगभग 6.25 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं, हर रोज लगभग 4.25 करोड़ यात्रियों को लाते-ले जाते हैं।

परिवहन निकाय

केन्द्र और राज्यों की नीतियों और परिवहन के विभिन्न साधनों के संचालन में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक परिवहन विकास परिषद् की स्थापना की है। अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग, अन्तर्राज्यीय भागों पर सड़क परिवहन

सेवाओं के विकास, समन्वय और नियमन के लिए जिम्मेदार है। आयोग के प्रयत्नों के फलस्वरूप अब लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्तरराज्यीय मार्गों पर माल और यात्रा सेवाओं के लिए पारस्परिक व्यवस्था है।

राज्यों के सड़क परिवहन सस्यानों की एक एसोसिएशन, 62 राज्य परिवहन सस्यानों तथा दो एसोसियेटेड सदस्यों श्रीलंका और भूटान (अस्थायी) के कार्यों में समन्वय करण, प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने, उच्च स्तर की सेवा गुणम कराने और निम्नस्वयंपिता स पारिचालन करण के लिए 1963 में स्थापित की गई थी।

### मुआवजा कोष- अधिकरण

1982 में मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में किए गए संशोधन को तर्कसंगत मानते हुए सरकार ने एस दुघटनाप्रस्त व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा कोष स्थापित किया है, जिन्हें मोटर वाहन टक्कर मार कर मारा जाते हैं। अर्थात् ऐसा सड़क दुर्घटनाएँ जिसमें उचित प्रयासों के बावजूद भी टक्कर मारने वाले वाहन अथवा चालक का जिनायत न को जा सके और उसका अज्ञानता न लगे। मृतकों के मामले में मुआवजे का राशि 5,000 रु० और गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए 1,000 रु० है। मुआवजा कोष का शुरुआत एक करोड़ रु० से की गया था, इसका प्रबन्ध मुआवजा कोष प्राधिकरण करता है। इसमें हर साल माम बामानिगम (जो० आई० सी०) और बामा कर्मानियों द्वारा 70 प्रतिशत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः पन्द्रह-पन्द्रह प्रतिशत अनुदान देकर वृद्धि की जाती है।

मुआवजा कोष योजना को राज्य सरकारें लागू करती हैं। इसमें मृतक अथवा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति के कानूनो उत्तराधिकारियों को अपना दावा तहसीलदार/परधान अधिकारियों के पास पेश करना होता है, जो मुआवजा जाच अधिकारी के रूप में प्रथम सूचना-रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर मामले में तुरन्त कार्रवाई करता है तथा मुआवजा दिलाने का सिफारिश जिलाधीश से करता है।

### पर्यटन

#### संरक्षण

भारत में पर्यटन के विकास की उतनी ही अधिक सम्भावना है, जितनी अधिक इसमें विविधता है। अधिक-से-अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश में पर्यटन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है और विदेशों में प्रोत्साहन कार्य किए जा रहे हैं। पर्यटन आकर्षणों में विविधता लाने के लिए, तटीय तथा पर्वतीय स्थलों के विकास का काम हाथ में लिया गया है। 1984 के 11,93,752 के मुकाबले 1985 में 12,59,384 विदेशी पर्यटक (पाकिस्तान तथा बांग्ला देश के पर्यटक मिलाकर) भारत आए। पर्यटन से 1984-85 में अनुमानत 1,300 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आय हुई जब कि 1983-84 में 1,225 करोड़ रु० की हुई थी।

इन योजनाओं में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए नया दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अनुसार कुछ मात्रा मार्गों की परिकल्पना की गई है। इन मात्रा मार्गों पर पड़ने वाले विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विकसित किया गया है।

## संगठन

पर्यटन मंत्रालय संवर्धनात्मक तथा संगठनात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य करता है। यह भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा नागरिक उड्डयन विभाग के सहयोग से कार्य करता है। पर्यटन-बाजार में प्रचार तथा पर्यटन-विपणन का कार्य, विदेशों तथा देश में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय करते हैं। भारत में क्षेत्रीय कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में तथा उपकार्यालय आगरा, औरंगाबाद, बंगलूर, भवनेश्वर, कोचीन, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, इटानगर, जयपुर, खजुराहो, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, शिलंग, त्रिवेन्द्रम और वाराणसी में हैं। भारत के बैंकाक, ब्रुसेल्स, शिकागो, दुबई, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा, कुआलालम्पुर, कुवैत, काठमांडू, लंदन, लास एंजेलस, मिलान, न्यूयार्क, पेरिस, सिंगापुर, स्टाकहोम, सिडनी, टोक्यो, टोरंटो और वियना में नियमित पर्यटन कार्यालय हैं।

इन कार्यालयों की जल्दियों को पूरा करने के लिए भारतीय दूतावास, एयर इंडिया और पर्यटन मंत्रालय अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इतालवी, फारसी, अरबी, कोरियन जापानी और थाई भाषाओं में पर्यटक प्रचार साहित्य प्रकाशित करते हैं। देशीय पर्यटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिन्दी में भी साहित्य प्रकाशित किया जाता है। देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक प्रेरक संवर्धन अभियान चलाया है। इसके प्रेरक संदेश इस प्रकार हैं:- 'भारत को खोजिए—स्वयं को पाइए,' 'भारत में आप विश्व को देखेंगे'। पर्यटन कार्यालयों में पर्यटकों की रुचि की फिल्में और छाया-चित्र पुस्तकालय भी होते हैं।

### आवास और वन्य सुविधाएं

पर्यटन मंत्रालय ने पक्षी-अभयारण्य भरतपुर में तथा अन्य वन्य जीव-स्थलों-काजीरंगा, सांसणगिर, जलदापाड़ा, कान्हा और दांडली में वन विश्राम गृहों का निर्माण किया है। भारतीय पर्यटन विकास निगम भरतपुर के वन विश्राम गृह का तथा काजीरंगा, सांसणगिर, कान्हा, किस्ली, जलदापाड़ा और दांडली के विश्राम गृहों का प्रबन्ध राज्य पर्यटन विकास निगम करता है। वेतिया, रणथम्भीर, सिमलीपाल, भांडवगढ़, नंदन कानन और मानस वन्य-प्राणी अभयारण्य विश्रामगृहों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। भरतपुर, मानस, काजीरंगा, कान्हा, वेतिया, इटंकी, नंदन कानन, लमजाओ पार्क, जलदापाड़ा, कार्वेट, दुधवा, रणथम्भीर और मृदुमलाई अभयारण्यों में नौकाओं, हाथियों तथा मिनी बसों द्वारा वन्य प्राणियों को देखने की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

धार्मिक महत्व के स्थानों पर तीर्थ-यात्रियों को किरायायती आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत नवम्बर, 1978 में, भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक सोसायटी स्थापित की गई। सोसायटी का प्रमुख उद्देश्य धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिर-खानों तथा देश में इस प्रकार की अन्य संस्थाओं का निर्माण, विस्तार, देखभाल और संवर्धन करना है।

भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिए मंत्रालय ने दस स्थावों पर यात्री निवासों का निर्माण शुरू किया है। चायू वित्तीय वर्ष के दौरान दस प्रकार के और भी निवासों का निर्माण शुरू करने की योजना है।

हिम स्कींग तथा जल स्कींग की व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू स्कींग और पर्वतारोहण संस्थान, गुलमर्ग करता है। इस समय विभाग की अनुमोदित मूची में 215 यात्रा एजेंट तथा पुनः कार्यकर्ता (होननेनर्ग), 203 पर्यटक टैक्सी प्रचालक और 32,609 कमरों ने मात्र 511 होटल हैं। 19,248 कमरों की अनुमानित क्षमता वाली 301 होटल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

पर्यटक यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा विनिमय और सीमा शुल्क नियंत्रण सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया गया है। अफ्रीकांग देशों से आने वाले यात्रियों को बीसा की आवश्यकता होती है लेकिन देश में आने का आजागर (सीडिंग परमिट) मान्यता प्राप्त यात्रा एजेंटों द्वारा आयोजित यात्रा दर्नों और विशेष कारणों से सफर करने वाले पर्यटकों को दिए जाते हैं।

रेल विभाग पर्यटकों को वापसी और वृत्त यात्राओं के लिए रियायती टिकट देता है। छात्रों को विशेष छूट दी जाती है।

विदेशी पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों के लिए परिवर्तन योग्य मुद्राओं के मुनान पर 'इग्जरेन पाम' को मुक्ति उन्नत है। 'भारत छोड़' योजना के अग्रगण्य स्थायी रूप से बाधक रहने वाले भारतीय व विदेशी पर्यटक परिवर्तनयोग्य मुद्रा में मुनान करके इग्जिप्ट एयर लाइन्स की घरेलू उड़ान सेवा का 21 दिन तक लाभ उठा सकते हैं। इस सेवा से मार्ग में कहीं भी रुका जा सकता है। इसके अलावा इंडियन एयर लाइन्स ने दो रियायती टिकट भी शुरू किये हैं।

भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने राज्य के पर्यटन स्थलों की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए संयुक्त रूप से 'पेरेल ग्रान्ड ग्रीन' रेलगाड़ी सेवा शुरू की है।

पर्यटन प्रचानकों को अब बड़ी रेल लाइन के किरी भी मार्ग पर, चाट्टर सेवा के रूप में, "पहले छात्रों-पहले पात्रों" के माध्यम पर, वृहत् भारतीय पर्यटक रेल सेवा—"द ग्रेट इंडियन रीवर"—उपलब्ध है।

#### पर्यटन संस्थान

भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबंध संस्थान की स्थापना जनवरी, 1983 में की गई। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। यह पर्यटन प्रबंध, रेस्तरां प्रबंध, पर्यटन योजना और वित्त, विपणन इत्यादि क्षेत्रों में व्यावसायिक क्षेत्रों पर गोष्ठियों, कार्यक्रमी विकास कार्यक्रम (ई० डी० पी०) तथा कार्य-शालाएं आयोजित करता है।

#### पर्यटन सप्ताहकार बोर्ड

विदेशों से तथा भारत के एक भाग ने दूरदरे भाग में पर्यटन यातायात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार तथा विकारित करने के लिए पर्यटन सप्ताहकार बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड पर्यटन उद्योग की प्रतिविधियों की समीक्षा करता है तथा उचित उपाय सुझाता है।

## भारतीय पर्यटन विकास निगम

भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन के वाह्य ढांचे के—निर्माण के लिए, 1 अक्टूबर, 1966 को की गई। निगम होटलों की सबसे बड़ी शृंखला अशोक ग्रुप के होटलों, समुद्र तट पर बने विश्रामगृहों, पर्यटक परिवहन सेवाओं, कर-मुक्त दुकानों, एक यात्रा एजेंसी तथा ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का संचालन करता है तथा विशेषज्ञ परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम को आडनेर होटल रिप्रेजेंटेटिव्स लि० हांगकांग, ट्रस्ट हाउस फोर्टे लि०, यू० के० और गोल्डन ट्यूलिप वर्ल्ड-वाइड होटल्स लि० हालैण्ड से विपणन समझौतों के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विपणन और आरक्षण सुविधा मिलती है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अशोक ग्रुप के दिल्ली में आठ और आगरा, औरंगाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, हसन, मैसूर, जयपुर, जम्मू, खजुराहो, मद्रुरई, पटना, उदयपुर और वाराणसी में एक-एक तथा कोवलम और ममल्लपुरम में समुद्रतटीय विश्रामगृह हैं। निगम भरतपुर में एक वन-विश्रामगृह, बोधगया, कुल्लू और मनाली में तीन यात्री विश्रामगृह और चार एयरपोर्ट रेस्तराओं समेत सात रेस्तरां भी चलाता है।

अशोक यात्रा और पर्यटन प्रभाग (अशोक ट्रेल्स एण्ड टूर्स डिवीजन) की परिवहन सेवा शाखा के कोवलम और भुवनेश्वर में दो परिवहन काउंटरों तथा श्रीनगर में अनुकूल ऋतु में कार्य करने वाली एक यूनिट को मिलाकर निगम की देश में 14 ए० टी० टी० यूनिटें हैं। 31 मार्च, 1986 को इसके वेड़े में 164 वाहन थे। इन वाहनों में वातानुकूलित और डीलक्स कोचें, लिमोसीन और पर्यटक कारें, शामिल हैं। ए० टी० टी० डिवीजन की यात्रा एजेंसी को आई० ए० टी० ए० से मान्यता मिल गई है। इस तरह यह अब सर्वसुविधासम्पन्न यात्रा एजेंसी बन गई है। इसने इंडियन एयरलाइंस के लिए "टि नट वांटेने" का कार्य भी शुरू कर दिया है।

निगम की सांस्कृतिक शाखा, निगम के होटलों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, लाल किला (दिल्ली), सावरमती आश्रम (अहमदाबाद) और शालीमार गार्डन (श्रीनगर) में तीन ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम चलाती है। बक्सर में निगम द्वारा तुलसीदास के रामचरित मानस पर आधारित, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम को संचालन हेतु विहार सरकार को सौंप दिया गया है।

निगम अपनी बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और त्रिवेन्द्रम स्थित कर-मुक्त दुकानों और सम्राट होटल, नई दिल्ली की कर-मुक्त दुकान के जरिए पर्यटकों को खरीद फरोख्त की सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

निगम की राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से होटल खोलने की सांझी उद्यम योजना के अन्तर्गत अब तक छः परियोजनायें शुरू की जा चुकी हैं। गुवाहाटी, पुरी, रांची और भोपाल की सांझी परियोजनायें संभवतः 1986-87 के दौरान पूरी हो जायेंगी। पांडिचेरि और इटानगर की दो अन्य परियोजनाओं को 1987-88 के दौरान पूरा करने की योजना है।

निगम होटलों के डिजाइन तैयार करने तथा होटल निर्माण व प्रबन्ध के क्षेत्र में तकनीकी और परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। देश में इसकी परामर्श सेवा

परियोजनाओं में शासकीय स्वामित्व वाले दो होटलों—शिलंग में होटल पाइन-वुड अशोक, और इम्फाल में होटल अशोक की प्रवर्ध-व्यवस्था तथा हैदराबाद, कोचीन और पुणे में होटल निर्माण, गोवा में पारिवारिक समुद्र तटीय विधामगृह निर्माण और नई दिल्ली में रेल यात्री निवास निर्माण के निधे परामर्श सेवाएं शामिल हैं। यह पर्यटन मंत्रालय की ओर से वन विधाम गृहों, युवा होस्टलों, पर्यटन केन्द्रों और स्मारकों में फ्लडलाइट व्यवस्था आदि की डिजायनिंग योजना तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य भी करता है। भारतीय पर्यटन विकास निगम ने, विदेशी परामर्श परियोजनाओं के क्षेत्र में, इराक में मोसुल और डोकन की दो होटल परियोजनाओं पूरी कर ली है।

भारतीय भोज और भारत की सांस्कृतिक विरासत की लोकप्रियता बढ़ाने और इनके संवर्धन के लिये निगम देश-विदेश में भोज व सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करता है। अमरीका में एक वर्ष तक चले "भारत महोत्सव" (फेस्टिवल ऑफ इण्डिया) के दौरान निगम ने 26 जून से 7 जुलाई, 1985 तक वाशिंगटन डी० सी० में लगे भारतीय मेले में भोज का प्रवर्ध किया और प्रसिद्ध 'विंडोज ऑन द वर्ल्ड' रेस्तरां में 25 सितम्बर से 9 अक्टूबर, 1985 तक भारतीय आहार समारोह का आयोजन किया।

### नागरिक उड्डयन

नागरिक उड्डयन विभाग का उत्तरदायित्व हवाई अड्डों की व्यवस्था करना, नागरिक उड्डयन विकास और विनियमन सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना तथा कार्यक्रम तैयार करना और वैमानिक यातायात तथा यात्री संवाहकों व विमान द्वारा सामान लाने, ले जाने के कार्य को विनियमित करना है। विभाग नागरिक विमान परिवहन के व्यवस्थित विकास और विस्तार कार्यक्रमों के विषय में सलाह देता है और उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है।

### विमान

31 दिसम्बर, 1985 को 110 ग्लाइडरों को मिलाकर देश में चालू (करन्ट) पंजीकरण प्रमाणपत्र वाले 739 नागरिक विमान थे, इनमें से 275 के पास उड़ान भरने में सक्षम होने के चालू प्रमाणपत्र थे। 1985 के दौरान भारतीय पंजीकृत विमान, अपनी निर्धारित सेवाओं के अन्तर्गत 1.0824 करोड़ यात्रियों को ले गए।

### हवाई अड्डे

1 जून, 1986 को मंत्रालय की देख-रेख में 91 बड़े और 26 छोटे नागरिक हवाई अड्डे थे। इनके अलावा रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी व्यक्तियों तथा पत्राङ्ग नवय जैसे निकायों के नियंत्रण/स्वामित्व/देख-रेख में भी अनेक हवाई अड्डे काम कर रहे हैं।

### संचार केन्द्र

1 जून, 1986 को वैमानिक संचार सेवा के 110 वैमानिक संचार केन्द्र थे। यह विभाग विमानों की सूचारु उड़ान के लिए संचार एव मार्ग-निर्देशन सुविधायें उपलब्ध कराता है।



**हवाई परिवहन**

अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू वायु परिवहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो निगम-इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया, नियमित विमान सेवाओं का संचालन करते हैं। इन दोनों निगमों का गठन 1953 में, हवाई निगम अधिनियम, 1953 के अधीन किया गया था।

31 दिसम्बर, 1986 को एयर इंडिया के वेड़े में नौ बोइंग-747; तीन एयर बस-ए 300, पांच एयर बस-ए 310 थीं तथा 1987 के प्रारम्भ में इसमें एक और ए 310-300 विमान शामिल किये जाने की संभावना थी। एयर इंडिया ने पांच पुराने बोइंग 707 का उपयोग बन्द कर दिया है। इंडियन एयर लाइन्स के वेड़े में 10 एयर बस, 26 बोइंग 737 विमान, 8 फोकर फ्रेंडशिप विमान और दो एब्रो हैं। भारत के 59 देशों से विमान-सेवा सम्बन्धी समझौते हैं।

**उड्डयन क्लब**

देश में 18 निजी उड्डयन (फ्लाईंग) क्लब हैदराबाद, गुवाहाटी, बम्बई, नई दिल्ली, वडोदरा, तिरुवनन्तपुरम, इंदौर, नागपुर, मद्रास, जालंधर, कोयम्बटूर, पटियाला, अमृतसर वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान), हिसार, जमशेदपुर, करनाल और लुधियाना में हैं। राज्य सरकारों के छ. उड्डयन विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान पटना, बंगलूर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, जयपुर और लखनऊ में हैं।

**ग्लाइडिंग क्लब**

अहमदाबाद, नई दिल्ली, पिलानी, नासिक, कानपुर, पिंजौर और हैदराबाद में 7 ग्लाइडिंग क्लब हैं। उड्डयन क्लब के 7 ग्लाइडिंग विंग अमृतसर, जयपुर, पटना, जालंधर, हिसार, पटियाला और लुधियाना में हैं। इसके अलावा पुणे में एक सरकारी ग्लाइडिंग केन्द्र भी है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित है।

**प्रशिक्षण केन्द्र**

इलाहाबाद के नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र में एक हवाई अड्डा विद्यालय और एक संचार विद्यालय है। यहाँ हवाई यातायात-नियन्त्रकों, परिचालकों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। विमान चालकों को जमीन पर उड़ान से सम्बन्धित कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता में बचाव और अग्निशमन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

**इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी**

वाणिज्यिक पायलटों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का मानकीकरण करने तथा प्रशिक्षण की बेहतर सुविधायें जुटाने के लिये फुसंतगंज (उ० प्र०) में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इयुआ) नामक एक राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना की गई है।

**विमान कर्मिक**

मंत्रालय ने 6979 विमान कर्मचारी लाइसेंस (एयर क्रू लाइसेंस) दिये हुए हैं। इनमें से 2107 निजी पायलेट लाइसेंस तथा 375 वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस हैं।

भारतीय अन्त-  
राष्ट्रीय विमान-  
पत्तन प्राधिकरण

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना बम्बई, कनकना, दिल्ली और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के संवर्धन, प्रवर्ध और विकास के विषय की गई। प्राधिकरण भारत तथा विदेशों में हवाई अड्डों की योजना बनाता है और उनके विकास में संबंधित मामलों पर परामर्श भी देता है। 1986 के दौरान यात्रायात्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर दो अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल और मद्रास हवाई अड्डे पर एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल गृह कर दिया है।

वायुदूत

तीसरी एयरलाइन्स सेवा वायुदूत को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में जनवरी, 1981 में शुरू किया गया। इसकी स्थापना पूर्वोत्तर क्षेत्र के दुर्गम इलाकों तथा श्यापार, धाणिज्य और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उन स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने के लिये की गई, जहाँ इण्डियन एयर लाइन्स को विमान सेवा उपलब्ध नहीं थी। वायुदूत देश में 52 स्थानों को जोड़ने वाली 177 साप्ताहिक विमान सेवाएँ प्रदान करता है। इसके बेड़े में 10 बोयिंगर, दो फोर्क फेडरिग विमान और दो एप्रो विमान हैं।

राष्ट्रीय विमान-  
पत्तन प्राधिकरण

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना विमान यात्रायात्र निंत्रण सेवा तथा विमान संवाहन सहायता प्रदान करने, संवार और निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था करने तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और नागरिक एयरवेयों की प्रवर्ध-व्यवस्था करने के लिये जून, 1986 में की गई। इसके कार्यों में विमान पट्टियों, टैक्सी-पट्टियों, अन्य सुविधाओं तथा अग्नि शानत सेवा की देख-रेख की व्यवस्था करना भी शामिल है।

भारतीय हेलीकोप्टर  
निगम

भारतीय हेलीकोप्टर निगम की स्थापना व पंजीकरण दुर्गम और कठिन क्षेत्रों में वायु-मार्ग द्वारा पेट्रोल आदि पहुँचाने की सुविधा उपलब्ध कराने, पर्यटकों को चार्टर सेवा प्रदान करने तथा अन्तर-नगर (एक नगर से दूसरे नगर के लिए) परिवहन सुविधा जुटाने के लिए, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत 15 अक्टूबर, 1985 को किया गया। निगम 42 हेलीकोप्टर प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है।

विमान टैक्सी सेवा

सरकार ने समय की वचत करने, आने-जाने की सुविधा बढ़ाने, विदेशी पर्यटकों और उच्च-स्तरीय व्यापारिक दलों को आकर्षित करने के लिए देश में हवाई टैक्सी सेवा चलाने की अनुमति दे दी है।

रेलवे सुरक्षा  
आयोग

आयोग रेल यात्रा में सुरक्षा संबंधी मामलों को निपटाता है तथा अपने दायित्व को पूरा करने के लिए भारतीय रेल अधिनियम और उसके तहत निर्धारित किए गए वैधानिक कर्तव्यों को निभाता है। पहले इसे रेल निरीक्षणालय के नाम से जाना जाता था तथा मई 1941 तक यह रेलवे बोर्ड के अधीन था। बाद में इसे अलग

कर दिया गया तथा उड्डयन शाखा से सम्बद्ध करके संचार मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। मई 1967 से यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

आयोग का प्रमुख कर्तव्य रेलवे को उसकी विनियमन, निरीक्षण और अन्वेषण संबंधी समूची प्रक्रिया के बारे में सलाह देना तथा आवश्यक एहतियात बरतने के लिए कहना है ताकि रेलों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जा सके।

## भारतीय होटल निगम

भारतीय होटल निगम पूरी तरह एयर इंडिया द्वारा नियंत्रित कम्पनी है। एयर इंडिया की इस सहायक कम्पनी को, एक कम्पनी के रूप में, 1971 में निगमित किया गया। यह बम्बई हवाई अड्डे, दिल्ली हवाई अड्डे और श्रीनगर में सेन्टॉर होटल तथा बम्बई और दिल्ली हवाई अड्डों पर दो 'फ्लाइट किचन' चलाता है। इसने हाल ही में जूहू 'बीच' (समुद्रतट) पर भी एक होटल खोला है।

## मौसम विज्ञान

1875 में अखिल भारतीय आधार पर गठित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। विभिन्न प्रकार की 1400 वेधशालाओं से मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और विभाग में उन्हें तैयार किया जाता है। भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, मौसम विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की पूर्व सूचना, मौसम वैज्ञानिक उपकरण ज्ञान, राडार मौसम विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, जल मौसम विज्ञान, उपग्रह मौसम विज्ञान, और वायु प्रदूषण में मूलभूत और व्यावहारिक अनुसंधान करते हैं। पुणे का संस्थान कृत्रिम वर्षा लाने के लिए वादल बनाने के बारे में भी परीक्षण कर रहा है।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलूर; भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, बम्बई और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे—जो पहले भारतीय मौसम विज्ञान के अंग थे, 1971 से स्वायत्त संस्थान के रूप में काम कर रहे हैं। बंगलूर संस्थान सौर तथा तारक भौतिकी, रेडियो खगोल विद्या, कास्मिक विकिरण आदि में अनुसंधान करता है। बम्बई स्थित संस्थान में चुम्बकीय अवलोकनों का संकलन किया जाता है और भू-चुम्बकत्व में अनुसंधान होता है।

यह विभाग मौसम विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान करने वाले कुछ विश्वविद्यालयों को फ़ण्ड देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, नयी दिल्ली में एक केन्द्र द्वारा मौसम सम्बन्धी अनुसंधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय मौसम गतिविधि केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका एक कार्यात्मक कार्यालय पुणे में है जो जलवायु विज्ञान तथा पूर्व-सूचना का काम संभालता है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली में पांच क्षेत्रीय

मौसम विज्ञान केन्द्र हैं। कलकत्ता में विभाग का स्थितीय खगोल विज्ञान केन्द्र है, जो अंग्रेजी में 'इंडियन इफेमेरिस' और अंग्रेजी, हिन्दी, मंछूरत तथा 9 अन्य भारतीय भाषाओं में 'राष्ट्रीय पंचांग' का संकलन और प्रकाशन करता है।

राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल के लिए बाह्य राज्यों की राजधानियों—अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, श्रीनगर, तिरुवनन्तपुरम और चण्डीगढ़ में मौसम विज्ञान केन्द्र खोले गये हैं। तिरुवनन्तपुरम का केन्द्र ऊपरी वातावरण की मौसम विज्ञान संबंधी राकेट खोज के लिए थुम्बा और बालासोर स्थित राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के साथ सम्पर्क रखता है। कृषकों के लाभ के लिए सन् 1945 से मौसम विज्ञान केन्द्रों से प्रतिदिन कृषि मौसम बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। ये बुलेटिन राज्यों की राजधानियों में स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र भी जारी करते हैं, जिनमें अपने-अपने क्षेत्रों के संबंध में जानकारी होती है और जिलावार मौसम की पूर्व सूचना तथा खराब मौसम के बारे में चेतावनी होती है। विभाग ने मद्रास, पुणे कलकत्ता, नई दिल्ली, भोपाल, चण्डीगढ़, श्रीनगर, पटना और भुवनेश्वर में कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार सेवायें प्रारम्भ की हैं। इन केन्द्रों से किसानों के लाभ के लिए कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सप्ताह में एक या दो बार मौसम विज्ञान परामर्श बुलेटिन जारी किए जाते हैं।

मौसम विज्ञान विभाग भारी वर्षा, तेज हवाओं, तूफान आदि के बारे में ग्राम जनता तथा गैर-सरकारी और सरकारी संगठनों के लिए चेतावनियां जारी करता है। इनमें उड्डयन, रक्षा सेवाएं, जहाज, बन्दरगाह, मछली पकड़ने वाले संगठन, पर्वतारोहण अभियान दल और कृषि विशेषज्ञ शामिल हैं।

केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ भविष्यवाणी संगठन को मानम सवधी जानकारी देने के लिए दस विभिन्न स्थानों पर मौसम कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

विभाग में कृषि मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण, हिन्द-महासागर और दक्षिणी गोलार्ध पर मौसम विश्लेषण, उपकरण, जल मौसम विज्ञान, उपग्रह मौसम विज्ञान, उड्डयन सेवायें, भूकम्प विज्ञान, रेडियो मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान संबंधी दूरसंचार के लिए अलग-अलग निदेशालय हैं।

### चक्रवात (तूफान) पूर्व सूचना

बन्दरगाहों और जहाजों को तूफान की चेतावनी बम्बई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और मद्रास कार्यालयों से दी जाती है। यह चेतावनी तटीय और द्वीपीय वेधशालाओं, भारतीय समुद्र में मौजूद जहाजों, तटीय तूफान चेतावनी राडारों और मौसम उपग्रह को प्राप्त बादलों के चित्रों से प्राप्त आकड़ों पर आधारित होती है। तूफान की चेतावनी देने वाले राडार केन्द्र, बम्बई, गोवा, कलकत्ता, मद्रास, कराइकल, पारादीप, विशाखापत्तनम और मछलीपत्तनम में हैं। कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, बम्बई, पुणे, नई दिल्ली, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के स्वचालित चित्र प्रेषण केन्द्रों को मौसम उपग्रह से चित्र प्राप्त होते हैं। मद्रास स्थित तूफान की चेतावनी और अनुसंधान करने वाला केन्द्र केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सम्बद्ध समस्याओं का अध्ययन करता है।

### पर्यटक मौसम विज्ञान सेवा

केन्द्र और राज्यों के पर्यटन विभाग, पर्यटकों को जलवायु संबंधी जानकारी देने के लिए मौसम केन्द्रों से सम्पर्क रखते हैं। पर्यटकों को जलवायु की पूर्व सूचना देने के लिए कश्मीर में गुजनाम स्थित पर्यटक मौसम विज्ञान कार्यालय कार्यरत है।

### आंकड़ों का आदान-प्रदान

तीव्र गति के दूरसंचार चैनलों के माध्यम से कई देशों के साथ मौसम सम्बन्धी आंकड़ों का आदान-प्रदान होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जलवायु निगरानी कार्यक्रम में भारत के सहयोग के हिसाब में नई दिल्ली में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र और क्षेत्रीय दूरसंचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय पूर्व सूचना केन्द्र भी है। यह केन्द्र 40° उत्तर 30° पूर्व से, 40° उत्तर 125° पूर्व और 0° उत्तर 30° पूर्व से, 0° उत्तर 125° पूर्व तक के क्षेत्र के लिए प्रतिदिन सतही और ऊपरी वायुमण्डल के पूर्व सूचना चाई तैयार करके उनका अध्ययन करता है। नागरिक उड्डयन और पड़ोसी देशों के लाभ के लिए यह पूर्व सूचना क्षेत्रीय दूरसंचार केन्द्र से वार्तारित की जाती है। विश्व क्षेत्र भविष्यवाणी प्रणाली के अंतर्गत इस केन्द्र का दर्जा बढ़ा कर इसे 'प्रोबलिक क्षेत्र भविष्यवाणी केन्द्र' बना दिया जाएगा।

### इन्फोस कार्यक्रम

30 अगस्त, 1983 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्फोस--1बी) सफलतापूर्वक छोड़ा गया और दिल्ली में प्रमुख आंकड़ा प्रयोग केन्द्र को इस योग्य बनाया गया कि उपग्रह से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जा सके। 3 अक्टूबर, 1983 से इस उपग्रह से वादनों के चित्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी में खासतौर से समुद्री लूकान के बनने और उनके आगे बढ़ने के बारे में जानकारी और आवश्यक चेतावनी जारी करने में किया जा रहा है।

विभाग ने 18 अनुसूचक आंकड़ा प्रयोग केन्द्र और 100 आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म स्थानों को स्थापित किए हैं। आपदा चेतावनी प्रणाली (डी० डब्ल्यू० एस०) के अंतर्गत दो और आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में आपदा को आगंका वाले तटीय क्षेत्रों में 100 डी० डब्ल्यू० एस० रिसीवर लगाए गए हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, इन्फोस के चित्रों की सहायता से, विभाग द्वारा दी गई चेतावनियां और अधिक विश्वसनीय साबित हुई हैं।

भारत में आधुनिक डाक-प्रणाली 1837 में प्रारम्भ हुई। तभी जनता को सर्वप्रथम डाक सेवा उपलब्ध हुई थी। पहला डाक टिकट 1852 में कराची में जारी किया गया, जो केवल सिंध में वैध था। 1854 में डाक विभाग जब स्थापित किया गया, उस समय देश में लगभग 700 डाकघर पहले से ही थे। मनीमार्डर प्रणाली 1880 में प्रारम्भ हुई, डाकघर बचत बैंक 1882 में तथा डाक जीवन बीमा 1884 में शुरू हुआ। रेलवे डाक सेवा 1907 में और हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारम्भ की गई।

डाक-तार मंडल, जो डाक और दूर-संचार सेवाओं का प्रबन्ध करता है, देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले संगठनों में से एक है। इसे अब दो मण्डलों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक का संबंध डाक और दूर-संचार सेवाओं से है। यह विभाजन 31 दिसम्बर 1984 से डाक-तार विभाग को दो अलग-अलग विभागों अर्थात् डाक विभाग और दूर संचार विभाग में बाटे जाने के फलस्वरूप किया गया है।

। संचालन के उद्देश्य से देश को 16 डाक सर्किटों, 6 डाक सिविल सर्किटों, 2 डाक विद्युत सर्किटों में विभक्त किया गया है। डाक विभाग के जरिए संचार मंत्रालय कुछ एजेंसी-कार्य भी करता है, जैसे—डाकघर बचत बैंक का संचालन, राष्ट्रीय बचत बन्ध तथा डाक जीवन बीमा पालिसियां जारी करना एवं यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटों को देखना। दिल्ली, बलकत्ता और बंगलूर में निजी मोटरकार मालिक निविष्ट डाकघरों में बाहन चर का भी मुग्तान कर सकते हैं। यह बर्गचारी खयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के आवेदनपत्रों तथा आदकर विवरण, सर्व्ही, प्रपत्रों को भी देखता है।

### डाक सेवाएं

31 मार्च, 1986 को देश में कुल 1,44,241 डाकघर थे जिनमें से 15,682 ग्रहरी क्षेत्रों में तथा 1,28,559 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। देश में भीसतन 5,206 व्यक्तियों के लिए एक डाकघर था जो 22.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में काम करता था। इसके अतिरिक्त देश के 69,611 गांवों को चलती-फिरती डाक सेवा का लाभ पहुंचाया गया। 31 मार्च, 1984 तक 99 प्रतिशत गांवों में प्रतिदिन डाक बाटी जाने लगी थी।

### पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने की संगोधित नीति के अन्तर्गत पिछड़े, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के नियमों को उदार बनाया गया है और इन्हें 28 अगस्त, 1978 से लागू किया जा चुका है। नियमों में ढील दिए जाने की नीति के अन्तर्गत डाकघर खोलने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों को दो जाने वाली रियायत को सितम्बर 1981 से निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अब तय डाकघर खोलने के लिए नियमों में दी जाने वाली ढील केवल जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों पर ही लागू होती है। अब आम पचायत वाले विसी भी गांव में यदि 3

कि०मी० के दायरे में कोई डाकघर नहीं है और प्रस्तावित डाकघर से इसकी अनुमानित लागत के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर आय होने की संभावना है तो वहां अब डाकघर खोला जा सकता है। जिन गांवों में ग्राम पंचायतें नहीं हैं, वहां के लिए एक अतिरिक्त शर्त यह रखी गई है कि वहां की जनसंख्या कम से कम 2,000 हो। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के ग्राम पंचायत वाले गांवों में यदि प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० दायरे में कोई और डाकघर नहीं है और प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित लागत के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर आय होने की संभावना है तो डाकघर खोला जा सकता है। डाकघर के लिए प्रस्तावित जिन गांवों या ग्राम समूह में आय और लागत की इस शर्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भी नहीं है, वहां लगभग 1.5 कि० मी० के दायरे में कम-से-कम 1,000 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए।

### डाक-प्रेषण

देश में औद्योगीकरण तथा जनसंख्या और साक्षरता की दर में वृद्धि के कारण डाक में भी अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। डाक स्थल और वायु दोनों मार्गों से ले जायी जाती है। स्थल मार्ग से डाक ले जाने के लिए अनेक साधन इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे—रेल, मोटर गाड़ियां, नाव, अंट, घोड़े तथा साइकिलें आदि। हवाई मार्गों से जुड़े प्रमुख नगरों को डाक विमानों द्वारा सीधे भेजी जाती है और आगे के अन्य नगरों को स्थल मार्ग द्वारा भेजी जाती है।

'ग्राम अप योजना' के अन्तर्गत सामान्यतः सभी अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे, पोस्टकार्ड, रजिस्टर्ड पत्र और मनीग्रैंडर विना किसी अतिरिक्त शुल्क के विमानों द्वारा पहुंचाए जाते हैं।

### द्रुत डाक सेवा

1975 में एक नई योजना—'द्रुत डाक सेवा' प्रारम्भ की गई। इस सेवा के अन्तर्गत अब सभी राज्यों की राजधानियां, सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय तथा प्रमुख व्यापारिक नगर आते हैं। ऐसी सभी गैर-पंजीकृत डाक की वस्तुएं, जिनके पतों पर पोस्टल इन्डेक्स नम्बर (पिन कोड) लिखा हो तथा जो द्रुत डाक सेवा के विशेष लैटर वाक्सों में डाली जाएं, इस सेवा द्वारा भेजी जाती हैं। इस योजना के अनुसार डाले गए पत्र सामान्यतः दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा, राज्यों के अंदर जिलों के अधिकांश मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। इस समय देश में 45 राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र और 410 क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र हैं।

### टिकट संकलन

डाक विभाग 1931 से विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी कर रहा है। 1984-85 के दौरान डाक विभाग ने 38 स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी किए। इनमें बोगनवेलिया तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) पर दो-दो टिकट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शताब्दी पर चार टिकटों के सैट भी शामिल हैं।

1 मई, 1985 को अग्रतला (पूर्वोत्तर परिमंडल) में एक नया टिकट संकलन व्यूरो खोला गया। इसे मिलाकर टिकट संकलन व्यूरो की कुल संख्या 45 हो गई। इसके अतिरिक्त पांच टिकट संकलन काउंटर भी खोले गए, तथा एक

काउंटर बंद किया गया। इनके फलस्वरूप अब इन काउंटरो की संख्या 140 हो गई है।

विभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है और देश में भी प्रदर्शनियों आयोजित करता है।

### विदेशी डाक व्यवस्था

भारत विश्व डाक संघ (यू० पी० यू०) का सदस्य है। यू० पी० यू० के सदस्य देशों की कुल संख्या लगभग 168 है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं को संगठित करना, उन्हें सुधारना और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सदस्य देशों के डाक विभागों के आपसी सहयोग और जनमे तालमेल के बारे में जानकारी भी संकलित करता है। इसके अतिरिक्त भारत एशियाई-प्रशान्त डाक संघ (ए० पी० पी० यू०) का भी सदस्य है। यह विश्व डाक संघ के ही अधीन एक छोटा डाक संघ है, जिसके कुल 19 देश सदस्य हैं। इस संघ का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार करना, उन्हें सुगम बनाना और सुधार करना तथा डाक के मामलों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। घटी डाक दरे ऐसे पत्रों और पोस्ट-कार्डों पर लागू होती है जिनका आदान-प्रदान एशियाई प्रशांत पोस्टल संघ के सदस्य देशों के बीच स्थल-मार्ग द्वारा होता है। भारत राष्ट्रमंडलीय देशों के डाक प्रशासनों की कान्फ्रेंस का भी सदस्य है। इस समय भारत 'सार्क' देशों की डाक सेवाओं की तकनीकी समिति का अध्यक्ष है। विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के सीधे डाक संचार मपक है। कुछ देशों के साथ डाक का आदान-प्रदान किसी तीसरे देश के माध्यम से किया जाता है। भारत में भेजी जाने वाली विदेशी डाक आमतौर पर समुद्री जहाज तथा विमान में ले जायी जाती है।

1 अगस्त, 1986 को विदेशों में कुछ घाग-घास स्थानों के लिए एक द्रुत-गामी डाक-सेवा शुरू की गई। इसे अन्तर्राष्ट्रीय द्रुतगामी डाक सेवा के नाम से भी पुकारा जाता है। यह एक समयबद्ध डाक वितरण सेवा है। इसके अन्तर्गत डाक द्वारा प्रेषित वस्तुओं को निर्धारित समय के अन्दर वितरित करने की गारंटी होती है। ऐमा न होने पर डाक व्यय लौटाने का प्रावधान होता है।

भारत की 37 देशों के साथ मनीग्रार्डर सेवा व्यवस्था भी है।

### पिन कोड

बढ़ती हुई डाक सामग्री को शीघ्र तथा सही ढंग से पहुंचाने के लिए 1972 में डाक मूचक अंक (पिन कोड) चालू किया गया। पिन कोड छ. अंकों की वह संख्या है, जिसमें प्रत्येक विभागीय डाक वितरण कार्यालय (शाखा डाकघर को छोड़कर) के स्थान आदि का पता लगाने में मदद मिलती है। इसके पहले अंक से क्षेत्र, दूसरे से उपक्षेत्र, तीसरे से छटाई जिने का पता चलता है, जबकि अंतिम तीन अंकों से यह पता चलता है कि डाक-छटाई जिने में बिट्टी किन वितरण डाकघर में पहुंचनी चाहिए।

### डाकघर बचत बैंक

डाकघर बचत बैंक देश का सबसे बड़ा बचत बैंक है, जिसके पाम देश भर में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1,44,000 डाक घरों का जाल



कि०मी० के दायरे में कोई डाकघर नहीं है और प्रस्तावित डाकघर से इसकी अनुमानित लागत के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर आय होने की संभावना है तो वहाँ अब डाकघर खोला जा सकता है। जिन गांवों में ग्राम पंचायतें नहीं हैं, वहाँ के लिए एक अतिरिक्त शर्त यह रखी गई है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 2,000 हो। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के ग्राम पंचायत वाले गांवों में यदि प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० दायरे में कोई और डाकघर नहीं है और प्रस्तावित डाकघर से अनुमानित लागत के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर आय होने की संभावना है तो डाकघर खोला जा सकता है। डाकघर के लिए प्रस्तावित जिन गांवों या ग्राम समूह में आय और लागत की इस शर्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भी नहीं है, वहाँ लगभग 1.5 कि० मी० के दायरे में कम-से-कम 1,000 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए।

### डाक-प्रेषण

देश में औद्योगीकरण तथा जनसंख्या और साक्षरता की दर में वृद्धि के कारण डाक में भी अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। डाक स्थल और वायु दोनों मार्गों से ले जायी जाती है। स्थल मार्ग से डाक ले जाने के लिए अनेक साधन इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे—रेल, मोटर गाड़ियाँ, नाव, ऊंट, घोड़े तथा साइकिलें आदि। हवाई मार्गों से जुड़े प्रमुख नगरों को डाक विमानों द्वारा सीधे भेजी जाती है और आगे के अन्य नगरों को स्थल मार्ग द्वारा भेजी जाती है।

‘ग्राम अप योजना’ के अन्तर्गत सामान्यतः सभी अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे, पोस्टकार्ड, रजिस्टर्ड पत्र और मनीग्रार्डर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विमानों द्वारा पहुंचाए जाते हैं।

### द्रुत डाक सेवा

1975 में एक नई योजना—‘द्रुत डाक सेवा’ प्रारम्भ की गई। इस सेवा के अन्तर्गत अब सभी राज्यों की राजधानियाँ, सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय तथा प्रमुख व्यापारिक नगर आते हैं। ऐसी सभी गैर-पंजीकृत डाक की वस्तुएं, जिनके पत्तों पर पोस्टल इन्डेक्स नम्बर (पिन कोड) लिखा हो तथा जो द्रुत डाक सेवा के विशेष लैटर बाक्सों में डाली जाएं, इस सेवा द्वारा भेजी जाती हैं। इस योजना के अनुसार डाले गए पत्र सामान्यतः दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा, राज्यों के अंदर जिलों के अधिकांश मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। इस समय देश में 45 राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र और 410 क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र हैं।

### टिकट संकलन

डाक विभाग 1931 से विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी कर रहा है। 1984-85 के दौरान डाक विभाग ने 38 स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी किए। इनमें योगनवेलिया तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) पर दो-दो टिकट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शताब्दी पर चार टिकटों के सैट भी शामिल हैं।

1 मई, 1985 को अगरतला (पूर्वोत्तर परिमंडल) में एक नया टिकट संकलन व्यूरो खोला गया। इसे मिलाकर टिकट संकलन व्यूरो की कुल संख्या 45 हो गई। इसके अतिरिक्त पांच टिकट संकलन काउंटर भी खोले गए, तथा एक

व्यवस्था थी। देश भर में अप्रैल 1948 में केवल 321 टेलीफोन एक्सचेंज थे। उस समय कार्यरत कनेक्शनों की कुल संख्या 86,000 थी। लम्बी दूरी के पब्लिक कॉल आफिसों की संख्या केवल 338 और टेलीग्राफ आफिसों की संख्या 3,324 थी। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हुई दूर-संचार सेवाओं की प्रगति का विवरण तालिका 23.1 में दिया गया है।

## तालिका 23.1

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश में दूर संचार सेवाओं के क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण

क्र० सं०	मद/वस्तु	1 अप्रैल को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार		
		1948	1985	1986
1	2	3	4	5
1.	टेलीफोन एक्सचेंज (संख्या)	321	10,712	11,480
2.	स्थानीय एक्सचेंज क्षमता (लाख लाइनें)	1.00	33.07	36.65
3.	सीधे कार्यरत कनेक्शन (डी०ई०एल०) (लाख लाइनें)	0.82	28.98	31.65
4.	टेलीफोन स्टेशन (लाख)	1.68	37.74	40.57
5.	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन (संख्या)	338	17,459	24,025
6.	स्थानीय पीसीओज़ (संख्या)	कुछ नहीं	18,335	19,869
7.	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज टी० ए० एक्स० (संख्या)	कुछ नहीं	29	31
8.	टी० ए० एक्स० क्षमता (लाइनें)	कुछ नहीं	85,770	91,170
9.	ट्रंक हस्तचालित एक्सचेंज (संख्या)	250	1,586	1,592
10.	टी० ए० एक्स० से जुड़े स्टेशन (संख्या)	कुछ नहीं	267	338
11.	एस० टी० डी० स्ट (प्वान्ट टू प्वान्ट) (संख्या)	कुछ नहीं	156	176
12.	अन्तर्गरीय चैनलों का प्रणालीवार विवरण (क) कोएक्सियल केबल प्रणाली (चैनल)	कुछ नहीं	34,146	37,066

फैला हुआ है। 31 मार्च, 1986 को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय वचत योजनाओं के तहत जमा वचत राशि 21,339.00 करोड़ रुपये थी।

### डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा को सरकारी कर्मचारियों के कल्याण की एक योजना के रूप में 1 फरवरी, 1884 से शुरू किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य द्वारा अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। इसी पृष्ठ-भूमि में डाक जीवन बीमा के कार्य-क्षेत्र का भी विस्तार होता रहा। इस समय डाक जीवन बीमा योजना के लाभ कई वर्गों के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं:—

1. केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी;
2. सरकारी वित्त संस्थानों के कर्मचारी;
3. स्थानीय कोष और स्थानीय निकायों के कर्मचारी;
4. विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों और सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारी;
5. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी;
6. केन्द्र/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी, तथा
7. आचलिक ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी।

वर्ष 1984-85 में डाक जीवन बीमा योजना की पॉलिसियों की संख्या 11,56,497 हो गई। इन पॉलिसियों के अन्तर्गत किए गए बीमों की कुल राशि 9 अरब, 42 करोड़, 83 लाख रुपये थी जबकि 1983-84 में पॉलिसियों की संख्या 10,84,172 और कुल बीमा राशि 8 अरब, 9 करोड़, 42 लाख रुपये थी। इस तरह 1984-85 में, उससे पिछले वर्ष की तुलना में, पॉलिसियों की संख्या में लगभग 6.67 प्रतिशत और कुल बीमा राशि में 16.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

### दूर संचार

भारत में दूर-संचार सेवाएं टेलीग्राफी और टेलीफोन के आविष्कार के कुछ ही समय बाद शुरू हो गईं। पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। मार्च 1854 में आगरा से कलकत्ता तक टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजे जाने लगे थे। 1900 तक भारतीय रेलों भी टेलीग्राम और टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करने लगीं। कलकत्ता में टेलीग्राम की तरह टेलीफोन सेवा भी टेलीफोन के आविष्कार के केवल छः वर्ष बाद, वर्ष 1881-82 में शुरू हो गई। 700 लाईनों की क्षमता का पहला स्वचालित एक्सचेंज 1913-14 में शिमला में शुरू किया गया।

इन सब उपलब्धियों के बावजूद स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व दूर-संचार सेवाओं के विकास की गति कुछ धीमी ही रही। सन् 1947 में स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में एकदम निम्न स्तर की दूर-संचार

वर्ष 1985-86 के अर्ध में देग में लम्बी दूरी के मासिक टेलीफोन की संख्या 24,025 थी। इनके जरिए इनके ही गांव टेलीफोन नेटवर्क में जुड़े थे। स्थानीय पब्लिक कॉल स्ट्रॉन्गों की संख्या 19,869 थी।

### टेलीफोन सेवा (सर्वा दूरी)

लम्बी दूरी के उपनोक्ता टायल नेटवर्क के माध्यम से सभी राज्यों की राजधानियां नई दिल्ली में जुड़ी हैं। नेटवर्क में 31 ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज हैं। इनमें 398 स्टेमन जुड़े हैं। प्वाइंट टु प्वाइंट एम० टी० डी० स्टों की संख्या 176 है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में मंत्रालय कार्यक्रम नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों की स्थापना से उपनोक्ता टायल नेटवर्क की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। विभाग की नीति के अनुसार नवियं में सभी ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में लैन होंगे।

देग के 412 में से 380 बिना मुख्यालय सीधे अपने-अपने राज्यों की राजधानियों की टेलीफोन लाइनों में जुड़े हैं। 171 बिना मुख्यालय उपनोक्ता ट्रंक टायलिंग (एम० टी० डी०) के जरिए अपने-अपने राज्यों की राजधानियों में जुड़े हैं। देग के 412 बिताओं में से 170 बिने एम० टी० डी० द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में जुड़े हैं।

### हस्तचालित ट्रंक सेवा

31 मार्च, 1986 को देग में हस्तचालित ट्रंक एक्सचेंजों की संख्या 1,592 थी। ये एक्सचेंज 58,854 ट्रंक सर्किटों के जरिए एक दूसरे में जुड़े थे। 1985-86 के दौरान कुल 29 करोड़ एक लाख ट्रंक बाने बूक की गईं। इनमें से 74 प्रतिशत ट्रंक बानों का वास्तव में उपयोग हुआ।

### हिमांश ट्रंक सर्किट

हिमांश ट्रंक सर्किट सबसे पहले 1971 में बम्बई-बंगलौर रूट पर शुरू की गई। अब यह सेवा 1,014 स्टों पर उपलब्ध है।

### अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा

इस समय 1,026 बंदों पर विश्व के 47 देगों के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय प्वाइंट-टु-प्वाइंट ट्रंक सर्किट उपलब्ध हैं। (45 देगों के लिए उन्नत के माध्यम से) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों तथा 74 अन्य महर्गों के उपनोक्ता इन्टर्नल, अमेरिका, निगातुर, मनेगिवा, हांगकांग, फान, जापान, इटली, आस्ट्रिया, हॉलैंड, टर्की, जर्मनी, बेल्जियम और अमेरिका के उपनोक्ताओं से, पूर्ण स्वचालित प्रणाली के जरिए, सीधे टायल करके बान-बान कर सकते हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान अनुमानतः 10 करोड़, 3 लाख मिनीटों की टेलीफोन सेवाएं प्रदान की गईं, जिनका मूलतान किया गया। चार महानगरों तथा अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जयपुर, लखनऊ, मुम्बई, पटना, पुणे, निगातुर, मुंबई, पटना, बंगलौर और कोयंबटूर में रिमोट एक्सेस टायलिंग सर्किटों (आर० ओ० डी०) के जरिए 145 देगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की ट्रंक सेवा उपलब्ध है। भारत में पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल और भूटान (माकं देगों) के लिए हस्तचालित अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक सेवा उपलब्ध है।

1	2	3	4	5
	(ख) माइक्रोवेव/यू० एच० एफ० प्रणाली (चैनल)	कुछ नहीं	22,431	30,827
	(ग) ओपन वायर (चैनल)	426	23,082	25,098
	(घ) उपग्रह (चैनल)	कुछ नहीं	2,033	3,956
13.	सार्वजनिक टेलीग्राफ आफिस (संख्या)	3,324	35,251	37,424
14.	टेलिक्स एक्सचेंज (संख्या)	कुछ नहीं	187	209
15.	टेलिक्स एक्सचेंज क्षमता (लाइनें)	कुछ नहीं	39,094	40,675
16.	टेलिक्स उपभोक्ता कनेक्शन (संख्या)	कुछ नहीं	26,253	30,180
17.	कार्यरत मीटरयुक्त कॉल यूनिटें (टेलीफोन) (करोड़)	कुछ नहीं	1,206.9	1,382.4
18.	कार्यरत आपरेटर-नियंत्रित ट्रंक कालें (करोड़)	4	20.2	21.4
19.	कार्यरत मीटरयुक्त कॉल यूनिटें (टेलिक्स) (हजार)	कुछ नहीं	2,09,462	2,81,341
20.	बुक किए गए टेलीग्राफ संदेश (करोड़)	2.7	6,152	--
21.	वास्तविक निर्धारित परि-सम्पत्तियां (करोड़ रुपये)	37	3,728	5,400
22.	कुल राजस्व (करोड़ रुपये)	12.78	1,242.63	1,309.31
23.	कुल आय (अधिशेष) (करोड़ रुपये)	कुछ नहीं	424.99	414.69

टेलीफोन सेवा  
(स्थानीय)

इस समय देश के सभी शहरों (216), कस्बों (3,029) और 7,000 बड़े-बड़े गांवों में 11,480 टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। 31 मार्च, 1986 को टेलीफोन एक्सचेंजों की उपकरणों से लैस क्षमता 36 लाख, 65 हजार लाइनों की थी। उस दिन कार्यरत सीधी लाइनों की संख्या 31 लाख, 65 हजार और प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या दस लाख थी। टेलीफोन नेटवर्क में एनोलॉग और डिजिटल टाईप के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज भी उपयोग में लाए जाने लगे हैं।

### अन्तर्राष्ट्रीय टेलिफोन सेवा

अन्तर्राष्ट्रीय टेलिफोन सेवा 46 देशों को सीधे ही 1,081 चैनलों पर उपलब्ध है। 181 देशों में अन्तर्राष्ट्रीय टेलिफोन सेवा का नाम उठाने वाले, भारतीय टेलिफोन नेटवर्क से जुड़े सभी लोग पूरी तरह से स्वचालित यंत्रों के जरिए जुड़े हैं। दिल्ली, बम्बई और मद्रास में उपलब्ध गेटेक्स (GATEX) सेवा द्वारा यह संभव हो सका है। वर्ष 1985-86 में अनुमानतः चार करोड़ भारतीय लाभ मिलने की टेलिफोन सेवाएं प्रदान की गईं, जिनका भुगतान किया गया।

### दूरसंचार (टेलीफोन) कारखाने

बम्बई, कलकत्ता, जबलपुर और भिलाई स्थित चार विभागीय दूरसंचार कारखाने हस्तचालित ट्रंक तथा लोकल बोर्ड, पी० वी० एक्स० बोर्ड, नवाइन वाक्स, टेलीफोन, स्विच बोर्ड कार्ड, बी० पी० वाक्स, सीटी वाक्स, साईन स्टोर, टेलीग्राम उपकरण, माईक्रोवेव टावर (इस्पात की जाली की तरह के) इत्यादि अनेक प्रकार के उपकरण बनाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग दूरसंचार सेवाओं के विकास और परिचालन के लिए किया जाता है।

इन कारखानों ने 1984-85 के दौरान 33 करोड़, 40 लाख रुपये का उत्पादन किया। इसमें पहले इतना अधिक उत्पादन कभी नहीं हुआ था। कारखानों में औद्योगिक श्रमिकों सहित कुल 7,189 कर्मचारों कार्य करते हैं।

...संगठन ने आयुनिकीकरण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत (1) जबलपुर में ट्यूब बनाने का आधुनिक कारखाना लगाने; (2) कलकत्ता के आधुनिक केबल टर्मिनेशन वाक्स बनाने और (3) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में एक यंत्रीकृत आधुनिक फाइब्री स्थानित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

### नये सेवाएं

(1) 31 दिसम्बर, 1985 में दिल्ली में चलती-फिरती टेलीफोन सेवा शुरू की गई है।

(2) 31 दिसम्बर, 1985 में दिल्ली में रेडियो पृष्ठांकन सेवा (रेडियो पेजिंग सर्विस) शुरू की गई है।

(3) जुलाई, 1986 में बम्बई, दिल्ली और मद्रास में एक पेंकेट दिवचट डाटा नेटवर्क ने प्रामाणिक तौर पर कार्य शुरू किया है।

(4) 9,600 बिट्स तक की गति के आकड़ा सकिट पट्टे पर उपलब्ध कराए गए हैं।

(5) 1986-87 के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में डाइरेक्टरी इन्वारी, टेलीफोन बिल, इत्यादि मन्वन्गी कार्य का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाएगा।

(6) जुलाई, 1986 में तिरुवनन्तपुरम् में हस्तचालित ट्रंक एक्सचेंजों में ट्रंक वर्किंग टिकेटींग, बालों का संसाधन, बिल बनाना, इत्यादि जैसे हार्म में किए जाने वाले कार्यों का सकलतापूर्वक कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

1985-86 के दौरान हस्तचालित अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन परियात (ट्रिफिक) के अन्तर्गत सफलतापूर्वक उपयोग में लाई गई कॉलों की संख्या 24 लाख, 50 हजार थी।

भारत के पहले अन्तर महाद्वीपीय टेलीफोन केन्द्र ने नवम्बर 1973 से कार्य आरम्भ किया। एक देश से डायल घुमाकर सीधे ही दूसरे देश से टेलीफोन द्वारा बात करने की सुविधा सबसे पहले बम्बई से ब्रिटेन के बीच शुरू हुई। इस सुविधा को अगले चार वर्षों की अवधि में धीरे-धीरे अन्य तीन महानगरों में भी शुरू किया गया। सीधे डायल घुमाकर अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सुविधा व्यवस्था में भारत के 78 से अधिक शहर, आस्ट्रिया, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी (संघीय गणराज्य) हांगकांग, इटली, जापान, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, तुर्की और अमरीका से जुड़ गए हैं। देश में टेलीफोन के राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े सभी केन्द्रों तक यह सेवा बढ़ाए जाने की योजना है।

### प्रेषण प्रणालियाँ

लम्बी दूरी के दूरसंचार नेटवर्क में माइक्रोवेव/यू० एच० एफ० के माध्यम से 30,827, कोऐक्सियल माध्यम से 37,066, खुलीतार वाली लाइनों के माध्यम से 27,098, और उपग्रह के माध्यम से 3,956 अन्तरनगरीय चैनल हैं। 71,022 कि० मी० मार्ग के क्षेत्र में 474 वायरलैस स्टेशन कार्यरत हैं। लगभग 6,300 स्पीच सर्किट पट्टे पर काम कर रहे हैं।

### सार्वजनिक टेलीफोन सेवा

1981 की जनगणना के अनुसार देश में जितने भी शहर (216) और कस्बे (3,209) हैं, उनमें तथा बड़ी संख्या में गांवों में 37,424 सार्वजनिक टेलीग्राफ आफिसों के माध्यम से सार्वजनिक टेलीग्राफ सेवा उपलब्ध है। देवनागरी टेलीग्राफ सेवा 16,400 टेलीग्राफ आफिसों में तथा फोटो टेलीग्राफ सेवा (प्रतिकृति) जिन 16 स्थानों में उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं:—अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, जालंधर, लखनऊ, पणजी, पटना तिरुअनन्तपुर, कलकत्ता गुवाहाटी, मद्रास और नागपुर।

पट्टे पर कार्य कर रहे टेलीप्रिंटरों की संख्या लगभग 4,750 है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत तार-प्रेषण में होने वाली देरी को कम करके उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से प्रमुख तारघरों (टेलीग्राफ आफिसों) में माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित 'स्टोर एण्ड फॉरवर्ड' टेलीग्राफ (एस० एफ० टी०) प्रणालियाँ स्थापित कर दी गई हैं।

एस० एफ० टी० प्रणालियाँ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, जयपुर, एर्नाकुलम, आगरा, कोयम्बतूर, बंगलौर, गुवाहाटी, विजयवाड़ा और तिरुचिरापल्ली में लागू की गई है। वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, कटक और सिलिगुड़ी में भी इन प्रणालियों को स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

### टेलेक्स सेवा

टेलेक्स नेटवर्क में 209 एक्सचेंज हैं। इसकी उपकरणों से लैस क्षमता 40,075 टेलेक्स लाइनों की है। इसमें कार्यरत कनेक्शनों की संख्या 30,180 है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना से और अच्छी टेलेक्स सेवाएं उपलब्ध होने लगी हैं।

प्रणालियों को स्थापित करने और चालू करने के बारे में विशेषज्ञ सेवा प्रदान करता है।

### महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना दिल्ली और बम्बई टेलीफोन जिलों में, सार्वजनिक टेलीफोन सेवाओं को छोड़कर टेलीफोन-टेलीकम और अन्य टेलीकाम सेवाओं के प्रबंध, नियंत्रण, परिचालन और विकास के लिए की गई। महानगर टेलीफोन निगम लि० का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि निगम दिल्ली और बम्बई तथा दूरसंचार विभाग के अन्य भागों की दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए जनता से ऋण लेने जैसे उपायों के जरिए पर्याप्त धन की व्यवस्था कर सके। निगम बम्बई और दिल्ली के साठे सात लाख टेलीफोन उपभोक्ताओं पर 12,500 टेलीकम उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त यह इन शहरों में धाकड़ा सेवा, चलती-फिरती टेलीफोन सेवा और रेडियो (रेजिग) सेवा भी प्रदान करता है।

### हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० (एच० टी० एल०) दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह टेलीप्रिंटर तथा सहायक कल-युज बनाता है और दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग, रेल तथा अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसकी फ़ैक्टरी मद्रास और स्थानीय कार्यालय बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और बंगलौर में है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर बनाने की एक और फ़ैक्टरी भोसोर (तमिलनाडु) में लगाई जा रही है। यह फ़ैक्टरी फ्रांस की मॅसर्स सगेम के तकनीकी सहयोग में लगाई जा रही है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि० ने 1985-86 के दौरान 8,622 इलेक्ट्रॉनिक-मेकेनिकल टेलीप्रिंटर, 175 इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर और उनके कल-युज बनाए। 1986-87 के दौरान इसकी योजना लगभग 3,500 इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर बनाने की है। भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक मेकेनिकल टेलीप्रिंटरों का उत्पादन धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा।

### इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० (आई० टी० आई०) बंगलौर दूरसंचार विभाग रेल, रक्षा तथा ग्राहकों के काम आने वाले अनेक प्रकार के दूरसंचार उपकरण बनाता है। इसका पजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय बंगलौर में और पाच उत्पादन यूनिटें बंगलौर, नैनी, पालघाट रायबरेली और धोन्गर में हैं। इनके दो अनुसंधान और विकास प्रभाग बंगलौर और नैनी में हैं। आई० टी० आई० की एक और यूनिट फ्रांस की मॅसर्स सी० आई० टी० अल्कातेल के तकनीकी सहयोग में मन्नरपुर (उ० प्र०) में स्थापित की जा रही है। यह यूनिट ई-10 टाईप के इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपकरण बनाएगी। 1986-87 के दौरान डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपकरणों के उत्पादन का लक्ष्य 1 लाख 20 हजार साइनें हैं। 1990 में परियोजना पूरी हो जाने के बाद प्रतिवर्ष 5 लाख साइनों के उत्पादन का लक्ष्य रहेगा।



## अनुसंधान और विकास

विभाग का अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्य मुख्यतः दिल्ली स्थित दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र करता है। इस केन्द्र की सेवाओं का उपयोग इंजीनियरिंग संबंधी मामलों पर सलाह देने और दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी से हो रहे परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में भावी आवश्यकतानुकूल उत्पादों के विकास के लिए किया जाता है।

दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने, अगस्त 1984 में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिस्टम की, आधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए, टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र सी० डी० ओ० टी० की स्थापना की। अगस्त 1984 से प्रारंभ की गई इस परियोजना को 36 महीने की अवधि के भीतर पूरा करने की योजना है। परियोजना पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे दोनों विभाग मिलकर समान रूप से वहन करेंगे। दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र (टी० आर० सी०) डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले उपकरणों और प्रणालियों के विकास कार्य में लगा हुआ है। पल्स कोर्ड मांड्यूलेशन (पी० सी० एम०) तकनीकी में नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित उपकरणों तथा डिजिटल रेडियो और ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली जैसे बड़ी क्षमता वाले संचार माध्यमों का विकास किया जा रहा है।

दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र ने देश के दूरसंचार नेटवर्क में आंकड़ा संचार (डाटा कम्यूनिकेशन) लागू करने की व्यापक योजना बनाई है। एक सार्वजनिक आंकड़ा नेटवर्क की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर की गई है। नेटवर्क के प्रमुख केन्द्र (नोड्स) बम्बई, नई दिल्ली और मद्रास में हैं। दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप 1,200 विट प्रति सेकेंड तक की गति के पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (पी० एस० टी० एन०) द्वारा आंकड़ा सेवाएं शुरू की गई हैं।

दूरसंचार केन्द्र की विकास संबंधी प्रमुख मौजूदा गतिविधियों में, सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क को अधिकाधिक डिजिटल नेटवर्क में परिवर्तित करने का कार्यक्रम भी शामिल है। इससे शताब्दी के अन्त तक एक राष्ट्रव्यापी समेकित सेवा डिजिटल नेटवर्क (आई० एस० डी० एन०) स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसमें ध्वनि-युक्त (वाँइस) तथा ध्वनिरहित (नॉन-वाँइस) दोनों ही सेवाओं को महत्व दिया जाएगा।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लि०

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना संचार मंत्रालय के अन्तर्गत 1978 में विशेषज्ञ परामर्श, तकनीकी, अर्थशास्त्रीय तथा इंजीनियरी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई। टी० सी० आई० एल० मुख्यतः कम्प्यूटरों पर आधारित दूरसंचार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम है। इसने एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में दूरसंचार परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं। टी० सी० आई० एल० भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों की मौजूदा और 21 वीं सदी की प्रौद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें दूरसंचार प्रणालियों के डिजाइन तैयार करने, दूरसंचार

**शॉरट्टे** एयरलाइन्स, अंतर्राष्ट्रीय बैकिंग संस्थाएँ, मौलम विभाग इत्यादि प्वायंट टू प्वाइंट अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा प्रेषण संचित्तों का उपयोग करने में ही अनेक देशों के निचे कर रहे हैं। इस समय पट्टे पर निचे गये आंकड़ा संचित्तों की संख्या 20 है।

**पट्टे पर उपलब्ध टेलीप्रिंटर सेवाएँ** पट्टे पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय टेलीप्रिंटर चैनल मुविद्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार धरानों, बैंकों, एयरलाइनों, दूतावाजों, मौलम और नागरविमानन विभागों जैसे दूरसंचार सेवाओं को बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं में काफी लोकप्रिय है। इन उपभोक्ताओं को दिन-रात विद्युत्संचालित संचार [मुविद्या की आवश्यकता होती है। यह पद्धति आर्थिक दृष्टि में भी उपयोगी है और इसके जरिए तत्काल सम्पर्क करने में आसानी होती है। फलस्वरूप, अधिकारिक ग्राहक इस मुविद्या का लाभ लेने लगे हैं। इस समय पट्टे पर दिग् गर 162 टेलीप्रिंटर चैनल काम कर रहे हैं।

**टेलीविजन** विदेश संचार नियम उपग्रह के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय टी० बी० प्रसारणों का सीधे रिसे करता है। यह मुविद्या बम्बई और नई दिल्ली में उपलब्ध है। इसके निर वृद्धि सामान्यतः प्रति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राओं, खेलों तथा प्रत्यक्ष प्रदर्शनों के प्रसारण के निर की जाती है। 1985-86 के दौरान 17,288 मिनिट के समय-समय पर प्रसारित होने वाले 270 कार्यक्रम तथा 21,941 मिनिट के 1,895 अनुबंधित कार्यक्रमों का प्रेषण किया गया।

**च्यूरोटेलम** बम्बई और दिल्ली केंद्रों में, प्रवेशों के दुर्घटनाओं संशोधन के निर एक डिजिटल प्रतिनिधि सेवा (च्यूरोटेलम) उपलब्ध है। इस समय यह सेवा आस्ट्रेलिया, आर्जेन्टिना, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, (संघीय गणराज्य किरी, हांगकांग, इंग्लैण्ड, इटली, जापान, कोरिया, क्रोएशिया गणराज्य, कुवैत, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैण्ड और इन्डोनेशिया के निचे प्रदान की जाती है।

**इन्कोटेल** अन्तर्राष्ट्रीय टेलीटेलम सम्मेलन (इन्कोटेल) मुविद्या भी शुरू कर दी गई है। अभी यह बम्बई में उपलब्ध है। इसको महत्वपूर्ण ग्राहक चार अन्तर्राष्ट्रीय पक्षों (पार्टियों) तक के साथ टेलीटेलम सम्मेलन कर सकता है। इन्कोटेल के निचे उपकरणों का निर्माण विदेश संचार नियम वि० के अनुमोदन और विकास अनुभाग ने किया था।

**प्राइमस** जब कोई ग्राहक दो या दो से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संचित्त पट्टे पर जाता है तो उसे संदेश संशोधन की मुविद्या परिवारन की गई ग्राहक और संशोधन विधि (स्टोर एण्ड फॉरवर्ड मोड) से संदेश लिखित प्रणाली के जरिए उपलब्ध की जाती है। यह मुविद्या अन्तर्राष्ट्रीय संचित्त राष्ट्रीय संचित्त के 'रेटवे' टर्मिनलों (जो लिखित केवल बम्बई में है) तथा उपभोक्ताओं द्वारा चुने गए 50 नम्बरों पर उपलब्ध है।

सरकार ने आई० टी० आई० की पालघाट इकाई के विस्तार की योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अनुसार यूनिट की प्रतिवर्ष 10,000 उपकरण लाइनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर, डेढ़ लाख लाइनें करने का प्रस्ताव है। विस्तार योजना के अंतर्गत यूनिट ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज उपकरण, ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज उपकरण, निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज उपकरण आदि बनाएगी। डिजिटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज उपकरण बनाने की परियोजना फ्रांस की मैसर्स सी० आई० टी० अल्कातेल के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

1985-86 के दौरान कम्पनी ने कुल 2 अरब, 78 करोड़, 15 लाख रुपये की विक्री की, जबकि इसके पिछले वर्ष (1984-85) में उसने 2 अरब 36 करोड़ 93 लाख रुपये का कारोबार किया। 1985-86 के दौरान कम्पनी के 68 करोड़ 86 लाख रुपये के प्रेषण उपकरण बनाने के अतिरिक्त 7 लाख 11 हजार टेलीफोन यंत्र, 86 हजार क्रास बार लाइनें 61,883 इलेक्ट्रॉनिक लाइनें, 1,918 स्ट्राजर रैक, 85,000 स्ट्राजर सेलेक्टर और 37,000 स्ट्राजर रिले सैट बनाए।

## विदेश संचार निगम लिमिटेड

भारत सरकार के उपक्रम विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 1986 को संचार मंत्रालय के विदेश संचार सेवा विभाग को निगम में परिवर्तित करके की गई। विदेश संचार निगम लि० भारत की अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा का कार्य करता है। यह अपने चार केन्द्रों (गेट वेज) बम्बई, नई दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के माध्यम से कार्य करता है। ये शहर अन्तर्राष्ट्रीय सर्किटों के निकट हैं। साथ ही इन्हीं शहरों से सर्वाधिक डाक विदेशों को भेजी जाती है। इस तरह इन केन्द्रों के जरिए भारत की जनता को यथा संभव सर्वोत्तम विदेश संचार सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

ये सेवाएं भारत में मद्रास और मलेशिया में पेनांग के बीच विछे चांडे वैंड के अंतः सागरी टेलीफोन केवल तथा हिन्द महासागर के ऊपर स्थापित 'इन्टेलसैट' उपग्रह के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। उपग्रह पुणे के निकट अर्वा तथा देहरादून स्थित दो भू-केन्द्रों (अर्थस्टेशन) से जुड़ा है। एक ट्रोपोस्केटर संचार संयोजक भी भारत को सोवियत संघ से जोड़ता है।

बम्बई, नई दिल्ली और मद्रास में कम्प्यूटर नियंत्रित गेटवे टेलीफोन और टेलिक्स एक्सचेंज भारतीय जनता को आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टेलिक्स सेवाएं उपलब्ध करते हैं। बम्बई गेटवे की कम्प्यूटराइज्ड संदेश प्रेषण प्रणाली से अन्तर्राष्ट्रीयटेलीग्राफों की छंटाई में मदद मिलती है। ऐसी ही प्रणाली दिल्ली में भी शुरू की जा रही है। मद्रास के लिए भी ऐसी प्रणाली के आदेश दिए जा चुके हैं।

## टेलीग्राफ

36 देशों के लिये सार्वजनिक संदेश तार सेवा 48 चैनलों पर सीधी संचालित की जाती है। एक अनुमान के अनुसार 1985-86 के दौरान 12 करोड़, 70 लाख दत्तशुल्क शब्दों का प्रेषण किया गया।

भांकड़े

एयरलाइनों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सस्याएं, मौसम विभाग इत्यादि प्वाइंट टु प्वाइंट अंतर्राष्ट्रीय भांकड़ा प्रेषण सकिटों का उपयोग पहले से ही अनेक देशों के लिये कर रहे हैं। इस समय पट्टे पर दिये गये भांकड़ा सकिटों की संख्या 20 है।

पट्टे पर उपलब्ध टेलीप्रिंटर सेवाएं

पट्टे पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय टेलीप्रिंटर चैनल सुविधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परानो, बैंकों, एयरलाइनों, दूतावासी, मौसम और नागरविमानन विभागों जैसे दूरसंचार सेवाओं को बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं में काफी लोकप्रिय है। इन उपभोक्ताओं को दिन-रात विश्वसनीय संचार [सुविधा की आवश्यकता होती है। यह पद्धति अधिक दृष्टि से भी उपयोगी है और इसके जरिए तत्काल सम्पर्क करने में आसानी होती है। फलस्वरूप, अधिकधिक ग्राहक इस सुविधा का लाभ लेने लगे हैं। इस समय पट्टे पर दिए गए 162 टेलीप्रिंटर चैनल काम कर रहे हैं।

टेलीविजन

विदेश संचार निगम उपग्रह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय टी० वी० प्रसारणों को सीधे रिले करता है। यह सुविधा बम्बई और नई दिल्ली में उपलब्ध है। इसके लिए युक्ति सामान्यतः अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यात्राओं, खेलों तथा अन्य घटनाओं के प्रसारण के लिए की जाती हैं। 1985-86 के दौरान 17,288 मिनट के समय-समय पर प्रसारित होने वाले 270 कार्यक्रम तथा 21,941 मिनट के 1,895 अनुबंधित कार्यक्रमों का प्रेषण किया गया।

यूरोफैक्स

बम्बई और दिल्ली केन्द्रों से, प्रलेखों के द्रुतगामी संप्रेषण के लिए एक डिजिटल प्रतिलिपि सेवा (यूरोफैक्स) उपलब्ध है। इस समय यह सेवा आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, जर्मनी, (संघीय गणतंत्र फिजी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोनिया, (फोरियाई गणतंत्र, कुवैत, हॉलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर, थाईलैण्ड और इंग्लैण्ड के लिये प्रदान की जाती है।

इन्कोटेल

अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सम्मेलन (इन्कोटेल) सुविधा भी शुरू कर दी गई है। अभी यह बम्बई में उपलब्ध है। इनकी सहायता से ग्राहक चार अंतर्राष्ट्रीय पक्षों (पार्टियों) तक के साथ टेलीफोन सम्मेलन कर सकता है। इन्कोटेल के लिये उाकरणों का निर्माण विदेश संचार निगम लि० के अनुसंधान और विकास अनुभाग ने किया था।

प्राइम्स

जब कोई ग्राहक दो या दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ मार्केट पट्टे पर लेता है तो उसे सदेश संप्रेषण की सुविधा परिचालन की गई मग्नह और संप्रेषण विधि (स्टोर एण्ड फारवर्ड मोड) से सदेश स्वचिन प्रणाली के जरिए उपलब्ध की जाती है। यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय सॉकेट राष्ट्रीय सॉकेट के 'गेटवे' टर्मिनलो (जो फिनहाल केवल बम्बई में है) तथा उपभोक्ताओं द्वारा चुने गए 50 नम्बरो पर उपलब्ध है।

## अन्य सेवाएं

विदेश संचार निगम लिमिटेड समाचारपत्र संवाददाताओं, समाचार एजेंसियों और प्रसारण संगठनों को, मौके पर ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विवरण भेजने की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम प्रसारण सेवा 'वायस कास्ट' के नाम से भी जानी जाती है। विदेश संचार निगम लि० द्वारा समाचारों के तीव्र प्रसारण के लिये समाचार एजेंसियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस बुलेटिन सेवा तथा प्रसारण प्रेषण और ग्रहण सेवा भी शामिल है। नई दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिये फरवरी 1983 से प्रायोगिक तौर पर, संग्रह और अग्रपेण टेलिक्स (स्टोर एण्ड फॉरवर्ड टेलिक्स—एस० एफ० टी०) सेवा शुरू की गई है। यह सुविधा इंग्लैंड, हांगकांग, जापान और अमरीका के लिये है।

## विकास सेवाएं

## विदेश संचार निगम लि० की विकास योजनाएं

भारत की विदेश संचार सेवाओं में निरंतर सुधार करके उन्हें उन्नत राष्ट्रों की संचार सेवाओं के समकक्ष लाने के लिये विदेश संचार निगम लि० ने अनेक अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन योजनायें बनाई हैं। इनके अन्तर्गत उपकरणों और सेवाओं को आधुनिक बनाया जाएगा, उनका विस्तार किया जाएगा तथा नई प्रौद्योगिकियां अपनाई जाएंगी। बड़े बैंड की एक अंतः सागरी टेलीफोन केबल प्रणाली प्रदान करने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 1,380 वाइस ग्रेड चैनल की क्षमता वाली इस प्रणाली के अगस्त 1987 के अन्त तक तैयार होने की आशा है। विदेश संचार निगम लि० के अर्वा स्थित विक्रम उपग्रह भू-केन्द्र (अर्थ स्टेशन) में डिजिटल स्पीच इन्टर्पॉलेशन सहित टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रणाली चालू कर दी गई है। अर्वा भू-केन्द्र (अर्थ स्टेशन) और वम्बई गेटवे के बीच के डिजिटल माइक्रोवेव लिंक के लिये उपकरणों के लिये ठेका दे दिया गया है। आशा है यह कार्य 1987 की प्रथम तिमाही तक पूरा हो जाएगा। एक तटीय भू-केन्द्र स्थापित करने की परियोजना की रूपरेखा भी काफी हद तक तैयार कर ली गई है। यह केन्द्र इनमसैट उपग्रह के माध्यम से समुद्री यात्रा के दौरान जहाजों को दिन-रात विश्वसनीय संचार सुविधा उपलब्ध कराएगा।

विदेश संचार निगम लि० की एक महत्वपूर्ण विकास योजना कलकत्ता गेटवे केन्द्र के विस्तार की है। इस गेटवे में भी निगम के अन्य गेटवे केन्द्रों के समान सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

## वेतार योजना और समन्वय स्कन्ध

वेतार योजना और समन्वय स्कन्ध की स्थापना 1952 में की गयी थी। यह एक रेडियो नियमन प्राधिकरण है जिस पर देश में रेडियो स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का नियमन और समन्वय करने की जिम्मेदारी है। यह अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन (आई० टी० यू०), दूर संचार से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है तथा इस क्षेत्र के एक अन्तरशासकीय संगठन—एशिया प्रशांत टेलीकम्युनिटी (ए० पी० टी०), की एक नोडल एजेंसी है। यह स्कन्ध अपने क्षेत्रीय संगठन के सहयोग से काम करता है जिसे अनुश्रवण संगठन कहा जाता है। यह नियोजन, समन्वय, कार्यनिर्धारण और नियमन से सम्बन्धित सभी कार्य करता है तथा भारत में रेडियो फ्रीक्वेंसियों के इस्तेमाल से सम्बन्धित सभी मामलों

की देखभाल करता है। यह भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत भारत में सभी बेतार केन्द्रों के कामनाज, रखरखाव और प्रतिष्ठापन के लिए लाइसेंस भी जारी करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के अधीन इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी रजिस्ट्रेशन बॉर्ड में फ्रीक्वेंसी का पंजीकरण कराता है। प्राधिकृत भारतीय फ्रीक्वेंसी में व्यवधान पैदा करने वाली फ्रीक्वेंसी की जाच पड़ताल और उन्हें दूर करने के लिए बचम उठाता है इसके अन्य कार्य हैं—भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अधीन बेतार से संबंधित नियमों/विनियमों का निर्धारण तथा उनका प्रत्यान्वयन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन तथा एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी की परियोजनाओं के लिये भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन (नैरोबी-1982) के द्वारा घोषित इंटरनेशनल रेडियो रेगुलेशन में बनाए गए मानकों के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसी, विमान चालकों, नाविकों आदि के लिये दक्षता प्रमाणपत्र की परीक्षाएं आयोजित करना तथा रेडियो उपकरणों को संचालित करने के लिये लाइसेंस देना, लाइसेंस प्राप्त बेतार उपकरणों का लाइसेंस की निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करना तथा संतोषजनक प्रमाण के लिये उपकरणों को ऐसे स्थान से संचालित करना कि इनमें अन्य प्रमाणों में व्यवधान पैदा न हो, तथा अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन और एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी की बैठकों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मम्नित राष्ट्रीय तैयारी।

देश में बेतार इस्तेमाल करने वालों को अपनी सेवाओं के लिए योजना तैयार करने और उसकी व्यवस्था करने के धारे में यह सलाह देना है। यह फ्रीक्वेंसियों के समन्वय में सम्बन्धित सभी मामलों और उपग्रह संचार-प्रणाली के लिए भू-स्वैतिक कक्षा में व्यवस्था तथा इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है।

### अनुभव संगठन

संचार मंत्रालय के अनुभव संगठन ने आवृत्ति प्रबन्ध और रेडियो विनियमों के कार्यान्वयन के लिए अनुभव संगठन (मानिटोरिंग) केन्द्रों की शृंखला स्थापित की है। ऐसे 21 केन्द्रों प्रहमदाबाद, अजमेर, बंगलूर, बम्बई, भोपाल, कनकता, दार्जिलिंग, दिल्ली, डिब्रूगढ़, गोआ, गोरखपुर, हैदराबाद, जालंधर, मद्रास, मंगलौर, नागपुर, रांची, शिलंग, श्रीनगर, त्रिप्रनन्तपुरम और विशाखापत्तनम में काम कर रहे हैं।

उत्तरी अंचल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पहला चलता-फिरता माइक्रोवेव मानीटोरिंग टर्मिनल दिल्ली में स्थापित किया गया है ताकि माइक्रोवेव बैंड पर इस्तेमाल होने वाले रेडियो के अनुभव संगठन को सरल बनाया जा सके और इस प्रकार उनका कुशल संचालन हो सके। यह चलता-फिरता टर्मिनल इस समय रेडियो प्रसारणों में विघ्न पड़ने की शिकायतों, रेडियो शोर सर्वेक्षण, नये माइक्रोवेव मानीटोरिंग लिंक के लिये जगहों के चयन, वर्तमान स्टेशनों के सुसंगत विकिरण स्तर की जाच पड़ताल आदि के देखभाल का काम करता है।

बम्बई, कनकता, दिल्ली और हैदराबाद में स्थित चार विशेष इकाइयों रेडियो संचार में बाधा पैदा करने वाले तत्वों के मूल स्रोतों एवं मात्रा का पता लगाती हैं और रेडियो स्पेक्ट्रम पोल्यूशन को दूर करने हेतु उपाय सुझाती हैं।

अजमेर, बंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, जालंधर, भद्रास, नागपुर, और शिलंग में दस ऐसे एकक स्थापित किये गये हैं जो क्षेत्रवार यह निरीक्षण करते हैं कि लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत स्टेशन रेडियो नियमितता अतुबंध की शर्तों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।

हल चलाने वाला और मशीन चलाने वाला मानव ही वास्तव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय साधन है। संविधान में भी यह बात स्वीकार की गई है और इसलिए उसमें कहा गया है कि सभी मजदूरों के लिए काम की उचित और मानवीय परिस्थितियां होनी चाहिए। संविधान की दो और महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं—निर्वाह योग्य वेतन और ममान कार्य के लिए समान वेतन। इनका उद्देश्य यह है कि भारतीय श्रमिकों को समुचित न्याय मिल सके। सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, रक्षा व उनके कल्याण के लिए कई कानून भी बनाए हैं। औद्योगीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में श्रम नीति मुख्यतः श्रमिक शक्ति के संगठित क्षेत्रों के साथ जुड़ी हुई थी। संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की वास्तविक आय और कार्य में स्थितिके सुधार को ध्यान में रखते हुए, आजकल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्रों के लिए भी कुछ अधिनियम और नियम तैयार किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को इस क्षेत्र के बहुत से श्रमिक वर्गों पर लागू किया गया है।

**कार्यशील जनसंख्या** भारत में श्रमिकों की संख्या 1981 में लगभग 24.46 करोड़ या देश की कुल जनसंख्या का 36.77 प्रतिशत थी। भारतीय भ्रष्टव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक फॅक्ट्रियों में काम करते हैं।<sup>1</sup> 1982 में चालू फॅक्ट्रियों में, जिनके भौतिक उपलब्ध हैं, प्रतिदिन रोजगार का अनुमानित औसत 73.53 लाख था।<sup>2</sup>

महाराष्ट्र में फॅक्ट्री कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक (11,58,965) थी, इसके पश्चात् पश्चिम बंगाल (9,11,195), तमिलनाडु (7,90,803), गुजरात (6,94,652) तथा आन्ध्र प्रदेश (5,26,470) आते हैं। 1978 में सभी खानों में काम करने वाले श्रमिकों की प्रतिदिन औसत संख्या 7,41,777 थी (3,10,170 खानों के भंडार, 2,06,121 खानों की सतह पर तथा 2,25,486

1. फॅक्ट्री अधिनियम, 1948 के अंतर्गत फॅक्ट्री की परिभाषा इस प्रकार की गई है—कोई भी ऐसा स्थान प्रांण सहित, जहां पर 10 या 10 से अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हों, या पिछले 12 महीनों में किसी दिन भी कार्य करते रहे हों, और उसके किसी भी भाग में निर्माण कार्य के लिए विजनी का उपयोग किया जा रहा हो। जहां विजनी का प्रयोग न किया जाता हो, वहां श्रमिकों की संख्या 20 या उससे अधिक होनी चाहिए। अधिनियम में श्रमिक उस व्यक्ति को कहा गया है जिसका किसी निर्माण प्रक्रिया में या किसी मशीनरी या उसके हिस्से धरना स्थान की सहाई में उपयोग किया जाता हो, या किसी अन्य प्रकार के काम में, जिसे सबूत निर्माण प्रक्रिया के विषय में संबंधित हो और जिसकी सीधे या किसी एजेंसी के द्वारा नियुक्ति की जाती हो, चाहे उसे मजदूरी दी जाती हो या नहीं।



खानों के बाहर)। खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 1978 में 4,80,592 थी।

सारणी 24.1 में श्रमिकों की स्थिति (लिंग और कार्यवार) दिखाई गई है।

मजदूरी, भत्ता तथा बोनस सारणी 24.2 में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कारखाना मजदूरों की औसत सालाना कमाई दिखाई गई है।

आय सारणी 24.3 में आय का अन्तर दिखाया गया है।

आधार (1961=100)

आधार 1976=100

सारणी 24.3

श्रमिकों की कमाई

का सामान्य

सूचकांक

	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
	160	170	180	185	199	210	207	207	100	112	118	124

मजदूरी का नियमन

मजदूरी का भुगतान समय-समय पर संशोधित मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा नियंत्रित होता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सिविकम के अतिरिक्त सारे देश पर लागू होते हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; फ़ैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत फ़ैक्ट्री घोषित किए गए संस्थानों सहित किसी भी फ़ैक्ट्री, रेलवे एवं औद्योगिक संस्थानों, जैसे ट्राम-वे या मोटर परिवहन सेवा, वायु परिवहन सेवा, बन्दरगाह; अन्तर्देशीय पोत, खान, खदान या तेल क्षेत्र, बागान, कार्यशाला (जहां वस्तुएं उत्पादित होती हैं) तथा भवनों, सड़कों, पुलों और नहरों आदि के निर्माण, विकास तथा अनुरक्षण कार्य करने वाले संस्थानों में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है।

ये अधिनियम केवल उन पर लागू होते हैं, जो प्रति-माह औसतन 1,600 रुपये से कम मजदूरी प्राप्त करते हैं।

श्रमिकों द्वारा कमाई गई मजदूरी को मालिक रोक नहीं सकते, न ही वे अनधिकृत रूप से कटौतियां कर सकते हैं। श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान निश्चित दिवस के पूर्व हो जाना चाहिए। केवल उन्हीं कार्यों या अवहेलनाओं के लिए जुर्माने किए जाते हैं, जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य हैं। कुल जुर्माने की राशि काम की अवधि में दी जाने वाली मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यदि मजदूरी की अदायगी देर से की जाती है या गलत कटौतियां की जाती हैं, तो मजदूर या उनके संघ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित रोजगारों में समयोपरि (ओवरटाइम) भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सरकार विशिष्ट घन्टों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर सकती है। इस अधिनियम





में उपयुक्त समय-अंतराल के बाद, जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा एवं संशोधन का प्रावधान है। जुलाई 1980 से हुए धम मंत्रियों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि अधिक से अधिक दो वर्ष के अन्तराल पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 50 अंक बढ़ने पर, दोनों में से जो भी पहले हो, न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाए।

### धमजीवी पत्रकार अधिनियम

समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में काम कर रहे व्यक्तियों तथा धमजीवी पत्रकारों की सेवा-शर्तों को नियमित करने के लिए 1955 में धमजीवी पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी (सेवा-शर्तें) तथा विविध उपबंध अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को एक विशिष्ट धारा द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धाराओं में कुछ संशोधन करके धमजीवी पत्रकारों पर लागू किया गया। 26 जुलाई 1981 को अध्यादेश द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसका उद्देश्य "धमजीवी पत्रकार" शब्द की परिभाषा में प्रवर्द्धन करके अंशकालिक संवाददाताओं को शामिल करना और समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा समाचारपत्र कर्मचारियों (अंशकालिक संवाददाताओं सहित) की बर्खास्तगी/सिवामुक्ति/छंटनी की रोकथाम करना है।

वाद में इस अध्यादेश की जगह संसद के एक अधिनियम ने ले ली। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि समाचारपत्र संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों और गैर-पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन निर्धारण के बारे में सिफारिशें करने के लिए मजदूरी बोर्ड/ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) बनाए जायें। आजकल पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के आधार पर वेतन दिए जा रहे हैं जिनकी सिफारिशों सरकार को 13 अगस्त 1980 को दी गई थी। इन सिफारिशों के बारे में सरकारी प्रादेश मामूली, संशोधनों सहित 20 जुलाई 1981 को प्रकाशित हुए थे।

पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशें मिलने के बाद मंहगाई बढ़ जाने के कारण, ये मांग की जा रही थी कि समाचारपत्र संस्थानों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनों पर विचारार्थ नए मजदूरी बोर्ड नियुक्त किए जायें। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 17 जुलाई 1985 को दो मजदूरी बोर्ड, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू० एन० वचावत की अध्यक्षता में बनाए — एक धमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए। इन बोर्डों ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है, जिनमें एक मई 1986 से मूल वेतन का 7.6 प्रतिशत अन्तरिम राहत के रूप में देने की सिफारिश की गई है। इस राहत की न्यूनतम राशि 45 रुपये होगी। मजदूरी बोर्डों की सिफारिशों और उन पर मिले आवेदनो पर विचार करने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अन्तरिम राहत मूल वेतन का 15 प्रतिशत हो और उसकी न्यूनतम राशि 90 रुपये हो। यह फैसला 1 जून 1986 से लागू कर दिया गया है।

### ठेका मजदूर

ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970, जा फरवरी 1971 से समूचे भारत में लागू किया गया, कुछ संस्थानों में ठेका मजदूर व्यवस्था का नियमन क

है तथा कुछ परिस्थितियों में उसका उन्मूलन करता है। मजदूरी की अदायगी न होने पर उसके लिए मुख्य मालिक को जिम्मेदार भी ठहराया जाता है।

**स्त्री तथा पुरुष श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक**

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 स्त्री तथा पुरुष श्रमिकों को 'समान कार्य या समान स्वरूप के कार्य के लिए' समान पारिश्रमिक और रोजगार के मामले में स्त्रियों के साथ किसी प्रकार के भेद-भाव के विरुद्ध व्यवस्था करता है। अधिनियम के उपबन्ध सभी प्रकार के रोजगारों पर लागू किए गए हैं। अधिनियम में सलाहकार समितियों के गठन की व्यवस्था है, जो स्त्रियों को रोजगार के अधिक अवसर देने पर सलाह देंगी। ऐसी समितियाँ केन्द्रीय सरकार के अधीन तथा अधिकांश राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थापित कर दी गई हैं।

**स्त्री श्रमिक**

श्रम मंत्रालय ने कई स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी है, ताकि वे स्त्री श्रमिकों के लाभ के लिए परियोजनाएँ चालू करें।

श्रम मंत्रालय स्त्री श्रमिकों से सम्बद्ध श्रमिक कानूनों और कानूनी उपबन्धों की भी विवेचना कर रहा है, ताकि उनकी कमियाँ और त्रुटियों का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर करने के लिए, यदि जरूरी हो तो, कानूनों में संशोधन किया जा सके। समान पारिश्रमिक अधिनियम में संशोधन की बात विचाराधीन है।

**बंधुआ मजदूर**

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 25 अगस्त 1975 से सारे देश में बंधुआ मजदूरी की प्रथा समाप्त कर दी गई। यह कानून के लागू होने पर सभी बंधुआ मजदूर हर तरह की बंधुआ मजदूरी के दायित्व से मुक्त हो गये और उनके कर्जों को माफ कर दिया गया। मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास 20-सूची कार्यक्रम का अंग है।

बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरों का पता लगाने, उन्हें मुक्ति दिलाने तथा उनका पुनर्वास करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 12 राज्यों में बंधुआ मजदूरी की प्रथा के प्रचलन की सूचना मिली है। ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। राज्य सरकारों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्टों से पता चलता है जिन बंधुआ मजदूरों का पता चला, उनकी संख्या 2,05,923 थी और उनमें से 1,60,268 का पुनर्वास किया जा चुका था। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और फिर उन्हें मुक्त कराने तथा पुनर्वास करने का काम निरन्तर चलने वाला काम है। इसलिए राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने राज्यों में बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करती रहें, और उन्हें जल्दी से मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहें, ताकि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्यक्रम को समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया

जा सके। विभिन्न राज्यों में वार्षिक और त्रै-मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। 1 फरवरी 1986 से प्रति बंधुमा मजदूर को दी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 4,000 रुपये में बढ़ाकर 6,250 रुपये कर दी गई है। इसमें में राष्ट्रीय राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है।

### बोनस

कर्मचारियों से सम्बन्धित लाभ में बंटवारे का अधिकार बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में निश्चित किया गया है। बोनस भुगतान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1980 के अनुसार अधिनियम में कम से कम बोनस 8.33 प्रतिशत या 100 रुपये, इनमें में जो अधिक हो, देने की व्यवस्था है, चाहे इसके लिए निर्धारित अधिशेष की व्यवस्था उपलब्ध हो या नहीं। वार्षिक मजदूरी का अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत एक निश्चित फार्मूले के अनुसार ही भुगतान योग्य है। बोनस का भुगतान निर्धारित अधिशेष के स्थान पर उत्पादन/उत्पादकता से जुड़े हुए एक अन्य फार्मूले के अनुसार नियोजता एवं मजदूरों के बीच आपसी समझौते के द्वारा किया जा सकता है। भुगतान में अपनायी जाने वाली कोई भी अन्य पद्धति नियम के विरुद्ध होगी। निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिबन्धिता कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सिवाय यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम लाभ के लिए काम न करने वाले संस्थानों, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और विभागीय उपक्रम आदि पर भी लागू नहीं होता। तथापि यह सभी बैंकों पर लागू होता है।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 32 (iv) के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित उद्योगों में लगे हुए कर्मचारी इस भुगतान के प्रन्तर्गत नहीं आते।

1985 में अधिनियम में संशोधन करके सरकार ने बोनस की अदायगी के लिए कर्मचारियों की मासिक आय की सीमा 1,600 रुपये से बढ़ा कर 2,500 रुपये कर दी है। तथापि 1,600 रुपये से 2,500 रुपये के बीच मजदूरी या वेतन पाने वालों को 1,600 रुपये मासिक वेतन पाने वालों के समान ही बोनस मिलेगा।

### औद्योगिक सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ऐसा प्रमुख केन्द्रीय कानून है, जिसमें औद्योगिक विवादों को हल करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अनुशासन संहिता (1958) और औद्योगिक शांति प्रस्ताव (1962) से भी सुचारु औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने में मदद मिलती है।

### औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश

औद्योगिक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1948 पारित हुआ, जिसके प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने उन औद्योगिक संस्थानों के लिये, जहां 100 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, आदेश नियम तैयार किये। इस अधिनियम का 1961 में संशोधन किया गया। यह संबंधित सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह इसे उन संस्थानों पर भी लागू करे, जहां 100 से कम कामगार काम करते हैं।

1963 में किये गये एक और संशोधन के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकार द्वारा तैयार किये गये आदर्श स्थायी आदेश उनके अन्तर्गत आने वाले तमाम औद्योगिक संस्थानों पर तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि औद्योगिक संस्थानों द्वारा बनाये गये स्थायी आदेश प्रमाणित नहीं किये जाते। केन्द्रीय सरकार ने 19 मई 1982 की अधिसूचना के द्वारा सरकारी नियंत्रण के सभी औद्योगिक संस्थानों में एवं ऐसी खानों में जहाँ 50 से अधिक लेकिन 100 से कम कर्मचारी नियुक्त हों, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम को लागू किया है।

### कार्य समितियाँ

उन औद्योगिक संस्थानों में जिनमें 100 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, कार्य समितियाँ स्थापित की गई हैं। इनमें मालिकों और श्रमिकों का समान प्रतिनिधित्व रहता है और इनका उद्देश्य दोनों के बीच शांति की भावना को बनाए रखने के लिए अधिक कारगर कदम उठाना तथा सौहार्द एवं अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना है। 30 जून 1986 तक 625 प्रतिष्ठानों में कार्य समितियाँ कार्य कर रही थीं।

### प्रबन्ध में कामियों की भागीदारी

सरकार ने प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए अक्टूबर 1975 और जनवरी 1977 में लागू पिछली योजनाओं की विवेचना की और इस विवेचना तथा अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार ने अपने 30 दिसम्बर 1983 के एक प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की एक नई और व्यापक योजना लागू की। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे भी अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इस योजना को लागू करें। निजी क्षेत्र को भी यह योजना लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत एक त्रि-पक्षीय समिति बनाई गई है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। यह समिति समय-समय पर इस योजना की प्रगति की विवेचना करती है और उसमें सुधार लाने के उपाय सुझाती है। त्रि-पक्षीय समिति की सहायता के लिए मानीटरिंग (निगरानी) सैल बनाया गया है। इस त्रि-पक्षीय समिति की तीन बैठकें हो चुकी हैं और इनमें निम्नलिखित विषयों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं—मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने उपक्रमों की समय-समय पर की गई विवेचनाएं, इस योजना के काम करने के ढंग का समय-समय पर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, प्रबन्धकों और श्रमिकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन आदि। विभिन्न औद्योगिक त्रि-पक्षीय समितियों में भी इस योजना की प्रगति पर विचार-विमर्श किया जाता है। यह योजना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 91 उपक्रमों में शॉप फ्लोर/संयंत्र स्तर पर लागू की जा चुकी है। कुछ और उपक्रमों में भी इस योजना के लागू करने का काम चल रहा है।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी पर 25-26 नवम्बर 1986 को भारतीय श्रमिक सम्मेलन में भी विचार हुआ। सम्मेलन ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया कि सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में प्रबन्ध में

श्रमिकों की भागीदारी योजना लागू की जाए। यह योजना कानून द्वारा लागू की जाए या नहीं और इसे कार्यान्वित करने का तौर-तरीका क्या हो, इस प्रश्न को भारतीय श्रमिक सम्मेलन ने स्थायी श्रमिक समिति को सौंप दिया है।

### अनुशासन संहिता

1958 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में तैयार की गई अनुशासन संहिता यह अपेक्षा करती है कि मालिक और मजदूरों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए सीधे कार्रवाई का सहारा न लेकर वर्तमान व्यवस्था का उपयोग किया जाए। कर्मचारियों व श्रमिकों के सभी केन्द्रीय संगठनों ने तथा कई अन्य संगठनों ने भी इसे स्वीकार किया है।

केन्द्र और राज्यों के कार्यान्वयन संगठन विवादों को तय करने में सहायता करते हैं। अबिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़कर, मालिकों और मजदूरों के केन्द्रीय संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने भी विवादों की छानबीन के लिए ऐसी समितियां या कक्ष गठित किए हैं, जो उनसे सम्बद्ध सदस्यों को औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) और श्रम अदालतों जैसी निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करने के प्रति हतोत्साहित करती हैं। केन्द्रीय प्रतिष्ठान जिन मामलों में अपील करना चाहते हैं, उनकी छानबीन के लिए भी एक ऐसी पद्धति 1964 से अपनायी जा रही है।

### औद्योगिक शांति प्रस्ताव

1962 में मालिकों और मजदूरों के केन्द्रीय संगठनों ने एक औद्योगिक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव का आशय यह था कि देश में उत्पादन में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, और न उत्पादन को रफ्तार कम हो, बल्कि उत्पादन की मात्रा अधिकतम बढ़ायी जाए और सुरक्षा प्रयासों को हर संभव ढंग से बढ़ावा दिया जाए। प्रस्ताव की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अगस्त 1963 में एक स्थायी समिति का गठन किया गया। बाद में इस समिति को केन्द्रीय कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति में मिला दिया गया।

### राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रोत्साहन बोर्ड

अनुशासन संहिता तथा औद्योगिक शांति प्रस्ताव दोनों आपसी झगड़ों को स्वेच्छिक मध्यस्थता द्वारा फंसला करने पर जोर देते हैं। लगभग सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने मध्यस्थता प्रोत्साहन बोर्डों की स्थापना कर दी है या इस उद्देश्य के लिए कुछ अन्य संस्थागत प्रवन्ध कर दिये हैं।

### शिकायतों से सम्बन्धित प्रक्रिया

अनुशासन संहिता के अन्तर्गत कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रवन्धकों को ऐसी प्रक्रिया स्थापित करनी होगी, जिससे झगड़ों की पूरी जांच के बाद फंसला हो सके। केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र प्रवन्धकों को केन्द्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले उपक्रमों में श्रमिकों की शिकायतों की जांच के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते के लिए प्रेरित करता है।

### कामगारों की जबरन छुट्टी और छंटनी

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मालिकों के जबरन छुट्टी, छंटनी और तालाबन्दी के अधिकार पर समुचित पाबन्दी लगा दी गई है। अब मालिक को तालाबन्दी करने से पहले विशिष्ट प्राधिकारी या उपयुक्त सरकार से ऐसा करने की पूर्व-अनुमति लेनी पड़ेगी। उस नोटिस में जबरन छुट्टी, छंटनी और ऐसे औद्योगिक संस्थान को जिसमें 300 या उससे अधिक कामगार नियुक्त है, बन्द करने के कारणों को प्रार्थना-पत्र में साफ-साफ लिखना पड़ेगा। संशोधित अधिनियम में



कारखाना बन्द करने से सम्बन्धित प्रावधान कारगर नहीं थे, परन्तु औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के द्वारा स्थिति को अब ठीक कर दिया गया है।

### समझौता और न्याय निर्णय

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध संगठन, जिसे केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन भी कहा जाता है, का काम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक झगड़ों को रोकना, उनके बारे में जांच-पड़ताल करना और उनको निपटाना है। यही संगठन केन्द्रीय सरकार के उद्योगों में भी कुछ श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

जब औद्योगिक विवाद आपसी बातचीत के द्वारा तय नहीं होते, तो समझौता कराने वाला संगठन झगड़ा निपटाने की कोशिश करता है। जब सार्वजनिक उपयोग की सेवा में कोई औद्योगिक विवाद हो या होने की आशंका हो और इसके लिए 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम की 22वीं धारा के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त हो, तो समझौता अधिकारी के लिए समझौते की कार्रवाई करना अनिवार्य है। दूसरे, औद्योगिक संस्थानों में यह कार्रवाई ऐच्छिक है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में औद्योगिक झगड़ों में ऐच्छिक/अनिवार्य रूप से समझौता कराने की व्यवस्था है। केन्द्रीय उद्योग क्षेत्र के विवादों को निपटाने के लिए 10 औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) एवं श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 3 धनवाद में, 2 बम्बई में और एक-एक कलकत्ता, जवलपुर, चण्डीगढ़, दिल्ली और कानपुर में है। राज्यों के अपने अलग न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय हैं। कलकत्ता का न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय और बम्बई का औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं।

### राष्ट्रीय श्रम संस्थान

केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान की स्थापना 1972 में की गई। इसने 1 जुलाई 1974 से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। संस्थान के शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मूलतः केन्द्रीय और राज्य सरकारों, श्रमिक संघों के नेता, ग्रामीण मजदूरों के संगठनकर्ता, खेतिहर मजदूरों के नेताओं तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योग प्रबन्धकों और पर्यवेक्षकों के लिए बनाया गया है।

### श्रमिक शिक्षा

श्रमिक शिक्षा योजना 1958 में प्रारंभ की गई। इसका क्रियान्वयन केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण श्रमिकों सहित श्रमिकों के सभी वर्गों को राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में भागीदार बनाया जाए, वे अपने सामाजिक व आर्थिक परिवेश की समस्याओं तथा जिम्मेदारियों को अधिक अच्छी तरह समझें और अपने में से नेतृत्व को बढ़ावा दें।

आजकल यह बोर्ड तीन स्तरों पर अपने कार्यक्रम कार्यान्वित करता है,

(1) खुली प्रतियोगिता द्वारा शिक्षा अधिकारियों का चयन करता है और उन्हें

प्रशिक्षित करता है, (2) विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जहाँ वे चुने हुए श्रमिकों को अध्यापक के रूप में प्रशिक्षण देते हैं, (3) यह सुनिश्चित करता है कि ये श्रमिक अध्यापक अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपनी-अपनी इकाइयों में सभी श्रमिकों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये कार्यक्रम उद्योगों, खानों, बागानों, कृषि और अर्धसंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान बम्बई, बोर्ड के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और सघों द्वारा आयोजित सक्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करता है। यह संस्थान, बोर्ड के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय केन्द्रों को प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यक जानकारी भी प्रदान करता है।

चुने हुए श्रमिकों को क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय केन्द्रों में श्रमिक-अध्यापकों के रूप में तीन महीने की अवधि का कालिक नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हर वर्ग में 25 प्रशिक्षार्थी लिए जाते हैं। इन प्रशिक्षार्थियों को ट्रेड यूनियन में भेजती हैं और मालिक या नियोजक उन्हें प्रशिक्षण की अवधि में पूरा वेतन देते हैं और उन्हें काम पर समझा जाता है।

पाठ्यक्रम में ट्रेडयूनियन का संगठन, उसका विकास तथा कार्यकलाप सम्मिलित रहते हैं। इसके अतिरिक्त कर्तव्य, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सामुदायिक हित पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। हमारे देश के इतिहास, विशेषकर स्वाधीनता सघर्ष के बारे में जानकारी, स्वतंत्रता की खातिर किया गया त्याग और बलिदान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राप्त सफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए देश के आर्थिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी तथा वर्तमान स्थिति की वास्तविकता के बारे में जानकारी भी पाठ्यक्रम में शामिल है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'सर्वोपरि राष्ट्र' के सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है।

सार्वजनिक, निजी व सहकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड ने लघु अवधि के कई विशेष कार्यक्रम भी चालू किए हैं। प्रवन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के मधुक्त पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नेतृत्व का विकास, उत्पादकता शिक्षा और श्रमिकों तथा प्रवन्ध कर्मिकों की प्रवन्ध में भागीदारी आदि विषयों पर भी विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अपाहिज श्रमिकों, महिला श्रमिकों, मकान आदि बनाने वाले श्रमिकों की क्रियात्मक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नये-नये कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

एक प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत बोर्ड ने 1977-78 में ग्रामीण श्रमिकों के लिए चयन के आधार पर एक कार्यक्रम शुरू किया था। अब यह एक नियमित कार्यक्रम बन गया है। ग्रामीण श्रमिक कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है

कि वे लोग स्वयं अपनी समस्याएं समझे और उन्हें अपनी सहायता से हल करें और अपने संगठनों का विकास करें।

**मजदूर संघवाद** भारत में प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) से पहले श्रमिक आन्दोलनों ने संगठित स्वरूप नहीं लिया था। देश के कई इलाकों से इस शताब्दी के प्रथम 14 वर्षों में श्रमिकों की संगठित कार्रवाई के मामले सामने आये। कहीं यह कार्रवाई श्रमिकों की मांगों को लेकर हुई, तो कहीं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए।

1919 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना से देश में मजदूर संघों के विकास पर असर पड़ा। कुछ मजदूर संघों ने स्वतन्त्र रूप से कार्रवाई करने और अपनी गतिविधियां एक औद्योगिक केन्द्र इकाई तक ही सीमित रखने का फैसला किया तो दूसरी ओर कुछ संघों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियों में तालमेल की ज़रूरत महसूस की। भारतीय श्रमिकों के एक वर्ग ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित अवसरों के माध्यम से श्रमिक वर्ग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का विचार रखा। इसके परिणामस्वरूप 1920 में अखिल भारतीय स्तर पर एक परिसंघ—अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस—की स्थापना हुई। मजदूर संघ कानून, 1926 के लागू हो जाने पर मजदूरों के संगठित होने के अधिकार को औपचारिक मान्यता मिल गई।

### मजदूर संघ अधिनियम

मजदूर संघ अधिनियम, 1926 में मजदूर संघों के पंजीकरण की व्यवस्था है। मजदूर संघ के सात या उससे ज्यादा सदस्य, संघ के नियमों का समर्थन करने और पंजीकरण के बारे में अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करते हुए, मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत मजदूर संघ के पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकते हैं। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मजदूर संघों को कुछ मामलों में दीवानी और फौजदारी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है।

### मजदूर संघों की सदस्यता

मजदूर संघों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर त्रि-पक्षीय सलाहकार समितियों, विकास परिषदों और बोर्डों आदि में प्रतिनिधित्व देने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय) केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों की सदस्यता की जांच-पड़ताल करता है। 31 दिसम्बर 1968 तक के लिए चार केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता की ग्राम जांच-पड़ताल 1969 के दौरान की गई थी। ये संगठन हैं—भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस।

हाल में ऐसे अनेक नये मजदूर संघ संगठन बने हैं, जो अखिल भारतीय स्वरूप और सदस्यता का दावा करते हैं। अतः दस केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों

से सम्बद्ध संघों की 31 दिसम्बर 1977 और 31 दिसम्बर 1979 तक की सदस्यता की जांच-पड़ताल करने का फैसला किया गया। मैं संगठन हूँ :

- (1) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (इंटर)
- (2) अधिकृत भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस (एटक)
- (3) हिन्दू मजदूर सभा (एच० एम० एस०)
- (4) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटक)
- (5) सेंटर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (सीटू)
- (6) भारतीय मजदूर संघ (बी० एम० एस०)
- (7) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटक) (एल० एस०)
- (8) नेशनल फ्रंट आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (एन० एफ० आई० टी० यू०)
- (9) ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर (टी० यू० सी० सी०), और
- (10) राष्ट्रीय श्रम संगठन (एन० एल० प्री०)।

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों के बीच आम सहमति न होने के कारण जांच का काम शुरू नहीं हो सका। उनमें तीव्र मतभेद होने के कारण सरकार ने एक उपाय निकाला। इसके अनुसार दस केन्द्रीय संगठनों से कहा गया है कि वे 31 दिसम्बर 1980 तक सदस्यता की जांच के लिए अपने दावे पेश करें। एटक और सीटू को छोड़कर सभी केन्द्रीय संगठनों ने अपने दावे पेश किये। एटक और सीटू से सम्बद्ध मजदूर सदस्यों की सूची मजदूर संघों के पंजीयक के कार्यालय से प्राप्त की गई। जांच-पड़ताल का काम नवम्बर 1981 में शुरू किया गया। अब यह काम पूरा हो गया है और 31 दिसम्बर 1980 की अन्तिम जांच-पड़ताल के परिणामों की घोषणा सारणी 24.4 में दी गई है। यह घोषणा 30 अगस्त 1984 को की गई।

#### सारणी 24.4

#### केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों की सदस्यता

श्रम संघों का संघ	केन्द्रीय संगठन	अध्यक्षित (क्लेम्ड)		प्रमाणित	
		संघों की संख्या	सदस्यता	संघों की संख्या	सदस्यता
1	2	3	4	5	6
1.	इंटर	3,457	35,09,326	1,604 <sup>1</sup>	22,36,128
2.	बी० एम० एस०	1,725	18,79,728	1,333 <sup>1</sup>	12,11,345 <sup>1</sup>

1. इन संघों में इतर और तार विभाग के बी०एम०एस० के 13 संघों तथा इतर के एक संघ को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इस विषय पर एक प्रापित उठाई गई है। मामलों की छान जांच के बाद अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

1.	2	3	4	5	6
3.	एच०एम०एस०	1,122	18,48,147	426	7,62,882
4.	यूटक(एल०एस०)	154	12,38,891	134	6,21,359
5.	एन० एल०ओ०	249	4,05,189	172	2,46,540
6.	यूटक	618	6,08,052	175	1,65,614
7.	टी०यू०सी० मी०	182	2,72,229	65	1,23,048
8.	एन०एफ० आई०टी०यू०	166	5,27,375	80	84,123
9.	एटक	1,366 <sup>2</sup>	10,64,330 <sup>2</sup>	1,080	3,44,746
10.	सीटू	1,737 <sup>2</sup>	10,33,432 <sup>2</sup>	1,474	3,31,031
योग		10,776	1,23,86,699	6,543	61,26,816

### सामाजिक सुरक्षा

1923 में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित होने के साथ ही भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भ हुई। इसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवारों को, जिनकी अपने सेवा काल के दौरान कति औद्योगिक दुर्घटना और कुछ विशेष रोगों से राहत हो जाने पर मृत्यु या अपंगता हो गई हो, मुआवजा देने का प्रावधान है। अधिनियम में मृत्यु, पूर्ण अपंगता और अस्थायी अपंगता के लिए अलग-अलग पैमाने पर मुआवजा देने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष खतरे वाले व्यवसायों में लगे कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया है, पर इसमें व कमचारी शामिल नहीं हैं, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाभान्वित हैं।

कर्मचारी  
मुआवजा  
अधिनियम

प्रसूति सम्बन्धी  
लाभ

1929 में तत्कालीन बम्बई सरकार द्वारा प्रसूति लाभ कानून को लागू कर अगला कदम उठाया गया। इसके तत्काल पश्चात अन्य राज्यों ने (जिन्हें प्रोविन्स के नाम से जाना जाता था) इसी विषय पर कानून लागू किये। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध प्रसूति लाभों में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 पारित किया, जिसने इस विषय पर विभिन्न राज्यों में लागू कानूनों का स्थान ग्रहण किया।

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 कुछ संस्थानों में प्रसव काल से पहले और बाद में कुछ समय तक के लिए महिलाओं के रोजगार का नियमन करता है और उनके लिए प्रसूति और दूसरे लाभ उपलब्ध कराता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को छोड़कर यह अधिनियम खानों, कारखानों, सर्वेस उद्योग और वागानों तथा इसी प्रकार के अन्य सरकारी संस्थानों

2. एटक तथा सीटू की अर्थात् सदस्य संख्या इनके श्रमिक संघों के पंजीयक के रिकार्ड से ली गई है, क्योंकि संघ आंकड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे।

पर लागू होता है। यह अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा अन्य संस्थानों पर भी लागू किया जा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई वेतन सीमा निर्धारित नहीं है।

### कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का पारित होना सामाजिक सुरक्षा के हित में बहुत महत्वपूर्ण कदम था। यह अब तक केवल उन कारखानों में लागू था जहाँ सारा माल काम होता है, मशीनें विजली से चलती हैं और कम से कम 20 आदमी काम करते हैं। लेकिन अब यह राज्य सरकारों द्वारा धीरे-धीरे उन छोटे कारखानों, होटलों, रेस्तरांओं, दुकानों, सिनेमाघरों आदि, जहाँ 20 या 20 से अधिक आदमी काम करते हैं, पर भी लागू किया जा रहा है। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिनका प्रतिमाह वेतन 1,600 रुपये से कम है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को आवेष्टिक बीमारी, प्रसूति, रोजगार में चोट की अवस्था में उनके इलाज का प्रबंध करने और उन्हें नकद भत्ता देने तथा चोट से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पेंशन देने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को, जो इस नियम के अन्तर्गत आता है, हर प्रकार के इलाज की सुविधाएं उत्तरोत्तर दी जा रही हैं।

31 दिसम्बर 1985 को इस योजना के अन्तर्गत 89 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 42 उप अस्पताल थे, जिनमें बिस्तरों की संख्या 23,211 थी। शीवघातयों की संख्या 1,216 थी। इस योजना को 61.80 लाख कर्मचारियों तक पहुंचाया जा चुका है।

### कर्मचारी भविष्य निधि

1952 के कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों को अवकाश-प्राप्ति पर कई प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं। इनमें भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन और जमा राशि से सम्बद्ध बीमा शामिल है। 31 दिसम्बर 1985 तक जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में इसके अन्तर्गत 173 उद्योग वर्ग थे, जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। यह कानून उन संस्थानों पर लागू नहीं होता, जो 1912 के सहकारी समिति अधिनियम या किसी अन्य कानून, जो सहकारी समितियों से सम्बन्ध रखता है और जिनमें 50 से कम लोग काम करते हैं तथा जिनकी मशीनें बिजली से नहीं चलती, के तहत पंजीकृत हैं। 1 दिसम्बर 1985 में यह योजना 2,500 रुपये तक मासिक वेतन पाने वालों पर लागू होती है।

इस निधि के लिए मालिकों को कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी व महंगाई भत्ते की कुल राशि के सवा छह प्रतिशत के बराबर अपना हिस्सा देना होता है (कुल राशि में कर्मचारियों को दी गई ऋण रियायतों का नकदी मूल्य और अनुरक्षण भत्ता भी शामिल है)। इतना ही हिस्सा कर्मचारियों को भी देना होता है। सरकार ने 123 उद्योगों के लिए, जिनमें 50 या इसमें अधिक व्यक्ति काम करते हैं, यह हिस्सा बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया है।

31 दिसम्बर 1985 के अन्त में भविष्य निधि योजना में धनदानियों की संख्या 1.31 करोड़ थी।

### मृत्यु होने पर सहायता

जनवरी 1964 में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मृत्यु उपरान्त सहायता निधि स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य गैर छूट प्राप्त संस्थानों के मृतक के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसका लाभ मृतक कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों या नामजद व्यक्तियों को मिलता है, जिनका मासिक वेतन (मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि को मिलाकर) मृत्यु के समय 1,000 रुपये से अधिक नहीं है। भविष्य निधि के रूप में मिलने वाली राशि 1,250 रुपये से जितनी कम होती है, उतनी ही राशि मृत्यु-उपरान्त सहायता के अन्तर्गत दी जाती है।

### एम्पलायज डिपॉजिट लिक्विड इश्योरेन्स स्कीम

सामाजिक सुरक्षा की एक और योजना है—एम्पलायज डिपॉजिट लिक्विड इश्योरेन्स स्कीम, 1976, अर्थात् भविष्य निधि में जमा धनराशि से जुड़ा बोना। यह योजना 1 अगस्त 1976 से लागू हुई। इसके अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके वारिस को भविष्य निधि की धनराशि के अतिरिक्त एक और धनराशि मिलेगी, जो पिछले तीन वर्षों में निधि में मौजूद औसत धनराशि के बराबर होगी, वशत कि निधि में औसत धनराशि 1,000 रुपये से कम न रही हो। इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम भुगतान 10,000 रुपये होगा, जिसके लिए कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा।

### पारिवारिक पेंशन

औद्योगिक मजदूरों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों के लिए लम्बी अवधि तक धन सम्बन्धी सुरक्षा देने की दृष्टि से 1 मार्च 1971 से कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना शुरू की गई। कर्मचारी भविष्य निधि योजनाओं में मालिकों और कर्मचारियों के अंशदान के एक भाग को अलग करके इसके लिए धन प्राप्त किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार भी कुछ भाग जमा करती है। निधि की सदस्यता की अवधि के आधार पर पारिवारिक पेंशन की राशि न्यूनतम 60 रुपये से लेकर अधिकतम 320 रुपये प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त 60 रुपये से 90 रुपये तक अस्थायी पारिवारिक पेंशन की राशि प्रति माह देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

### आनुतोषिक योजना

1972 के आनुतोषिक (ग्रेज्युटी) अदायगी अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना, खानों, तेल क्षेत्रों, वागानों, गोदियों, रेलवे, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, कम्पनियों, दुकानों, तथा अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी आनुतोषिक के हकदार हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत वही कर्मचारी आते हैं जिनका, वेतन या मजदूरी 1,600 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष के सेवाकाल के पीछे 15 दिन का वेतन आनुतोषिक के रूप में दिया जाता है और वह अधिकतम 20 महीने के वेतन के बराबर हो सकता है। विशेष मौसम में चलने वाले (सीजनल) कारखानों में हर मौसम के पीछे सात दिन का वेतन आनुतोषिक के रूप में दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी को मालिक के साथ किए गए किसी पंचाट (अवार्ड) या संविदा या इकरार के अन्तर्गत आनुतोषिक पाने की बेहतर शर्तें मिली हैं तो, यह अधिनियम उसे उनसे वंचित नहीं करता।

काम की शर्तें और कल्याण

कारखानों में काम की शर्तें फेडरटी अधिनियम, 1948 के द्वारा नियमित की जाती हैं। इस अधिनियम के अनुसार प्रोड थ्रमिको के लिए मप्पाह में 48 घंटे काम के लिए निश्चित हैं एवं किसी भी कारखाने में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने की मनाही है। अधिनियम के अन्तर्गत रोगानी, माफ हवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवा के न्यूनतम मानक भी निश्चित हैं, जिनका पालन मालिकों को अपने कारखानों में करना पड़ता है। जिन कारखानों में 30 से अधिक महिला थ्रमिक काम करती हैं, वहाँ उनके बच्चों के लिए बाल-मूर्तों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 150 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ कारखाने के मालिकों को उनके लिए आश्रय-स्थल, विद्याम-गृह तथा भोजन के लिए कमरों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 250 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ थ्रमिको के लिए आवश्यक सुविधाओं में युक्त कंन्टीनों की भी व्यवस्था उन्हें करनी पड़ती है। जिन कारखानों में 500 या इसमें अधिक कर्मचारी काम करते हैं उनमें कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है। 2 दिसम्बर 1986 को लोकसभा में फेडरटी (संगोथन) विधेयक, 1980 पेश किया गया जिसके द्वारा 1948 के फेडरटी एक्ट में संगोथन करके धाग-मुरशा की व्यवस्थाओं को और अधिक कडा कर दिया गया है। गान अधिनियम, 1952; वागान मजदूर अधिनियम, 1951; बीडी और सिगार कामगारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966; ठेका मजदूर नियमन और उन्मूलन अधिनियम, 1970; मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 आदि के अन्तर्गत खानों और वागानों के कर्मचारियों के लिए भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

कोयला, अन्नक, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खानों और बीडी उद्योग में कार्य करने वाले थ्रमिको के लिए प्रायात, बिडील मनोरंजन और अन्य कल्याण सुविधाएं नियोजित प्राधार पर प्रदान करने के लिए सांविधिक कल्याण निधि का सृजन किया गया है।

निधि के लिए धनराशि अन्नक निर्यात पर लगे सीमा शुल्क पर लगे लोहा और मैंगनीज अयस्क निर्यात के सीमा शुल्क पर उपकर, चूना-पत्थर पर लगे उत्पादन शुल्क और लौह-अयस्क, इस्पात सयत्र और डोलोमाइट कारखानों में इन्तेमान होने वाले चूना पत्थर और डोलोमाइट उपकर लगाकर प्राप्त की जाती है। बीडी थ्रमिको की धनराशि तैयार बीडी पर लगे शुल्क पर उपकर लगाकर

वे अधिनियम जिनसे निधि स्थापित की गई है, इन अधिनियमों में कोयला और मैंगनीज अयस्क खान थ्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1976; चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान अधिनियम, 1972; कोयला खान थ्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 और बीडी कर्मचारी कल्याण अधिनियम, 1946 और बीडी कर्मचारी कल्याण अधिनियम, 1981।



## वागान मजदूर

वागान मजदूर अधिनियम, 1951 में वागान मजदूरों के कल्याण तथा वागानों में कार्य करने की शर्तों को नियमित करने का प्रावधान है। अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि अधिनियम को 1951 में पारित किया गया था, परन्तु यह 1 अप्रैल 1954 से लागू किया गया। तब भी केवल वही अनुच्छेद लागू किये गये जो, वगैर किसी नियम निर्धारण के लागू किये जा सकते थे। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने श्रम मंत्रालय के निर्देशों का अनुसरण करते हुए अपने-अपने कानूनों का निर्माण सितम्बर 1955 से अप्रैल 1959 तक को अवधि के दौरान किया।

वागान मजदूर अधिनियम, 1951 के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा अधिनियम का क्षेत्र बढ़ाने के लिए वागान मजदूर (संशोधन) विधेयक, 1981 संसद द्वारा पारित किया गया और इसे 26 जनवरी 1982 से लागू कर दिया गया।

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है तथा इसके अन्तर्गत ऐसे समस्त चाय, काफी, खड़, सिनकोना, और इलायची वागान आते हैं जो पांच हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के हैं और जिनमें 15 या अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। 750 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले श्रमिक, इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। अधिनियम में अब वागानों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है। संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत, समस्त वागानों में मजदूरों और उनके परिवारों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो कि बाहर निवास करते हैं परन्तु वागान में रहने की अपनी इच्छा लिखित रूप में प्रकट कर चुके हैं वशर्त कि वे 6 महीने की नौकरी कर चुके हों, निवासी स्थान की व्यवस्था करने का प्रावधान है। वागानों में मजदूरों के लिए अस्पताल और औपचारिक की भी व्यवस्था करना जरूरी है। कुछ वागानों में मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूलों की भी व्यवस्था है। चाय बोर्ड की सहायता से कुछ वागानों में लाभदायक हस्तकला जैसे—सिलाई, बुनाई और टोकरी बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां पर मनोरंजन की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

## श्रम सुरक्षा

फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण का प्रावधान है। यह उन फैक्ट्रियों में, जिनमें 1000 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं और उन फैक्ट्रियों में जहाँ शारीरिक चोट, विपाकता या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित बीमारियों का जोखिम है, सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। उनके अधीन तैयार अधिनियम और कानूनों को राज्य सरकारें अपने फैक्ट्री निरीक्षणालयों द्वारा लागू करती हैं।

गोदी मजदूर (रोजगार का नियमन) अधिनियम, 1948 के अधीन गोदी मजदूरों के स्वास्थ्य और कल्याण के उपाय सुनिश्चित करने तथा जो कर्मचारी गोदी मजदूर नियमन, 1948 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते, उनकी सुरक्षा करने के लिए गोदी मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 1961 तैयार की गई थी।

भारतीय गोदी मजदूर अधिनियम 1934 के अन्तर्गत जहाज पर काम करने वाले और जहाज के साथ काम करने वाले कर्मचारी आते हैं।

फैक्ट्री सलाह सेवा महानिदेशालय और थम संस्थान, बम्बई औद्योगिक कर्म-चारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर सरकार, उद्योग और अन्य संस्थाओं को सलाह देने वाला एक सम्पूर्ण निकाय है। यह गोदी मजदूरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनों को लागू कराता है।

जोधिम पर नियंत्रण और व्यावसायिक स्वास्थ्य के बचाव तथा खतरनाक उत्पादन प्रतिक्रियाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने समन्वित कार्रवाई योजना का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस कार्रवाई योजना में काम के वातावरण में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए सरकार, प्रबंध तथा श्रमिक संगठनों की जिम्मेदारियाँ निश्चित की जाती हैं। इन कार्रवाई योजना के अन्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक उद्योगों में पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली, प्रकोष्ठ की आदश योजनाएं और 'सुरक्षा और स्वास्थ्य दुर्घटना में कमी कार्रवाई योजना, (सहारा) भी शामिल है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने, दुर्घटनाओं को रोकने, खतरों को कम करने तथा मानव कर्त्यों को कम करने के लिए 1966 में की गई थी। इसे स्थापित करने के अन्य उद्देश्यों में सुरक्षा पर व्याख्यान कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित करना, शैक्षणिक अभियानों को चलाना, नियोजताओं और श्रमिकों में चेतना का विकास करना तथा शैक्षणिक और सूचना सम्बन्धी आंकड़ों को इकट्ठा करना शामिल है। 31 मार्च 1985 को परिषद् के 1,693 सदस्यों में से 1,456 नियमित सदस्य, 141 अस्थितगत सदस्य, 33 श्रमिक संघों के सदस्य और 53 आजीवन सदस्य थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के स्थापना दिवस के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सारे देश में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अच्छे सुरक्षा उपायों को मान्यता देने तथा दुर्घटना रोकथाम कार्यक्रम के लिए प्रबंधकों और श्रमिकों, दोनों का उत्साह बढ़ाने तथा दिलचस्पी को बनाये रखने के लिए सरकार ने 1965 में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों की स्थापना की। पुरस्कार कार्यक्रमों की स्थापना ऐसी फैक्ट्रियों के लिए की गई थी, जो फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत थीं। परन्तु 1971 से बन्दरगाहों और ऐसी फैक्ट्रियों के लिए, जो अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती थीं, अलग योजनाएं प्रारम्भ की गईं। वर्तमान में ऐसी दस योजनाएं चल रही हैं।

श्रमवीर पुरस्कार

'श्रमवीर पुरस्कार' कारखानों, धानों, बागानों और गोदियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 1965 में शुरू किए गए। ये पुरस्कार श्रमिकों के प्रशंसनीय कार्यों जैसे अधिक उत्पादन, मितव्ययता व कार्यक्षमता के लिए दिए

जाते हैं। प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कारों से अलग दिखाने के लिए इनका नाम बदल कर विश्वकर्मा पुरस्कार रखा जा रहा है।

### प्रधान मंत्री के श्रम पुरस्कार

प्रधान मंत्री के श्रम पुरस्कार प्रधानमंत्री ने धनवाद में 1985 में मई दिवस को जो घोषणा की थी, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना लागू की है, जिसका नाम है 'प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार' ये पुरस्कार उन श्रमिकों को दिये जाते हैं जो उत्पादन बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान देते हैं तथा अपने कर्तव्य पालन में अनुकरणीय लगन तथा रुचि लेते हैं। महत्व के अनुसार इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर और श्रम श्री श्रम देवी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों के अन्तर्गत 'सनद' और क्रमशः एक लाख रुपये, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये नकद दिए जाते हैं।

### खान मजदूरों की सुरक्षा

संविधान के अनुसार खानों, में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण की जिम्मेदारी सरकार की है। यह मामला खान अधिनियम, 1952 के द्वारा नियमित है, जो आणविक खनिजों तथा तेल क्षेत्रों सहित सभी प्रकार की खानों पर लागू होता है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और अधिनियमों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। इस निदेशालय और राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् ने खानों में सुरक्षा की दशा सुधारने के लिए प्रचार और दृश्य-श्रव्य साधनों तथा अन्य साधनों द्वारा अपने प्रयास जारी रखे। उनका मुख्य ध्यान इस बात पर है कि खनिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो और वे सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में सक्रिय भाग लें। राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के अधिकारियों ने प्रबन्धकों तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों और गोष्ठियों में भाग लिया, पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम चलाए, प्रदर्शनियां लगाई और प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिताएं आयोजित कीं।

### राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खानों)

खानों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 1983 में शुरू किए गए। इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो खानें 1952 के खान अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं और जिनमें सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय काम हुआ है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाए।

यह योजना 1982 से लागू हुई और ऐसी खानों का पता लगाकर वर्ष 1982 तथा 1983 के पुरस्कार उन्हें दिए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह 13 जनवरी 1986 को नई दिल्ली में हुआ जिसमें वर्ष 1984 के पुरस्कार वितरित किए गए।

### खान सुरक्षा संगठन

खानों में सुरक्षा विषय पर सम्मेलन दो वर्षों के अन्तराल से होता है। ऐसा पहला सम्मेलन 1958 में कलकत्ता में हुआ। छठा सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में 13-14 जनवरी 1986 को हुआ उसका उद्घाटन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया। इस

सम्मेलन में केन्द्रीय और राज्य सरकारों, मानिकों और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त बैठकें तथा व्यावसायिक संस्थाओं ने भाग लिया। इसमें, खानों में सुरक्षा के विविध पहलुओं पर विचार किया गया और इन खानों पर विचार किया गया कि खानों में छात्र मिलने और अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए। इसमें खानों में कामकाज को सुरक्षित बनाने के लिए, श्रमिकों और प्रबंधकों द्वारा अतिरिक्त उपाय अपनाने की सिफारिश की गई। इन सिफारिशों में खानों के निरीक्षण तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

## रोजगार

संगठित क्षेत्र, अर्थात् दस या इससे अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र तथा गैर-कृषि क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में रोजगार मार्च 1984 में 242.1 लाख से बढ़कर मार्च 1985 में 246.0 (अर्थात्) लाख हो गया। यह वृद्धि 1983-84 की 1.4 प्रतिशत की तुलना में 1.6 प्रतिशत थी। पिछले साल की तरह ही सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि 2.5 प्रतिशत रही। निजी क्षेत्र में रोजगार में मार्च 1983-84 में 2.4 प्रतिशत के मुकाबले 1984-85 में 0.3 प्रतिशत हुई।

सातवीं योजना के प्रारंभ में कहा गया है कि छठी योजना में 356 लाख मानक जन वर्षों (प्रतिदिन 8 घंटे काम कर और वर्ष में 273 दिन काम) के रोजगार को सुविधाएं जुटाई गईं। यह भी अनुमान लगाया गया कि सातवीं योजना के शुरू में (15 वर्ष से अधिक उम्र के) बेरोजगार लोगों को मध्य 92 लाख थी। सातवीं योजना की शुरुआत में इस आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में 393.8 लाख लोगों की शुद्ध वृद्धि होगी और 403.6 लाख मानक जन वर्षों का नया रोजगार मिलेगा।

## राष्ट्रीय रोजगार सेवा

राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अधीन 720 रोजगार कार्यालय और 80 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो हैं। ये ब्यूरो रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्तियों की सहायता करते हैं। इनमें विधेय वर्ग भी शामिल होते हैं। जैसे भूतपूर्व विकलांग सैनिक, अनुसूचित जातियां और जनजातियां, स्त्रियां आदि। इन्हें निपेक्षकों द्वारा सूचित किया गए रिक्त स्थानों के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा कुछ अन्य काम भी करती है, जैसे व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार संबंधी परामर्श, रोजगार, बाजार की सूचना इकट्ठी करना तथा लोगों तक पहुंचाना, रोजगार तथा व्यावसायिक अनुसंधान के बारे में अध्ययन करना, ताकि रोजगार और जनशक्ति के बारे में नीतिगत निर्धारित करने के लिए वांछित जानकारी प्रदान की जा सके।

1959 के रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों का अनिवार्य ज्ञान) अधिनियम के अन्तर्गत सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में ऐसे गैर-कृषि प्रतिष्ठानों का, जिनमें 25 या 25 से अधिक आदमी काम करते हों, यह दायित्व है कि अपने यहां रिक्त स्थानों की सूचना (कुछ अपवादों के साथ) अधिनियम के अन्तर्गत व नियमों के अनुसार, रोजगार कार्यालयों को दें और समय-समय पर करें।

सारणी 24.5 इन रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों को दिखाती हैं।

सारणी 24.5  
रोजगार कार्यालयों  
की गतिविधियाँ

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या <sup>1</sup>	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या (हजारों में)	रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (हजारों में)	चालू रजिस्टर में अभ्यर्थियों की संख्या (हजारों में)	ज्ञापित रिक्त स्थानों की संख्या (हजारों में)
1956	143	1,670.0	189.9	758.5	296.6
1971	437	5,129.9	507.0	5,099.9	813.6
1976	517	5,619.4	496.8	9,784.3	845.6
1981	592	6,276.9	504.1	17,838.1	896.8
1982	619	5,862.9	473.4	19,753.0	819.9
1983	652	6,755.8	485.9	21,953.3	826.0
1984	666	6,219.0	407.3	23,546.8	707.8
1985	720	5,821.5	388.5	26,269.9	674.7

1. इसमें विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन व्यूरो शामिल नहीं हैं।

प्रस्ताव

नवम्बर 1956 से रोजगार कार्यालयों पर दिनप्रति-दिन का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। अप्रैल 1969 से राज्य सरकारों को जनशक्ति और रोजगार योजनाओं से सम्बद्ध वित्तीय नियंत्रण भी दे दिया गया। केन्द्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य-विधि और मानकों के समन्वय, विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तथा प्रशिक्षण तक सीमित है।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

रोजगार सेवा में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय संस्थान, श्रम मंत्रालय में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 1964 से कार्य कर रहा है। यह संस्थान ये कार्य करता है :—(1) राष्ट्रीय रोजगार में कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण करना; (2) विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय रोजगार के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण देना तथा योजना बनाना, (3) रोजगार सेवाओं में आने वाली कठिनाइयों पर अनुसंधान करना, तथा (4) कैरियर संबंधी साहित्य का संकलन और प्रकाशन और व्यवसाय-मार्गदर्शन तथा कैरियर परामर्श कार्यक्रमों में उपयोग के लिए श्रव्य-दृश्य साधनों का उत्पादन।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न देशों के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षार्थी अफसरों के लिए यह संस्थान पाठ्यक्रम का प्रबन्ध करता है।

व्यावसायिक मार्गदर्शन

युवक-युवतियों (ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है) और प्रौढ़ व्यक्तियों को (जिन्हें खास-खास कामों का अनुभव है) काम-धन्धे से सम्बद्ध मार्गदर्शन और रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है। 1985 में 35

रोजगार कार्यालयों तथा 80 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो में व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक काम कर रहे थे।

रोजगार सेवा अनुसंधान और प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान में एक आजीविका अध्ययन केन्द्र स्थापित किया गया है, जो युवक-युवतियों तथा अन्य मार्गदर्शन चाहने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है। 30 बुने हुए जिलों में प्रायोगिक तौर पर एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत चाहने वालों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे अपना धन का रोजगार चलाएं और इसके लिए उन्हें मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

विकलांगों के लिए रोजगार कार्यालय

पारोरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय हैं, जो पटना, मद्रास, अहमदाबाद, बंगलूर, लुधियाना, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, गिमला, गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, बडोदरा, सूरत, राजकोट तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं।

विकलांगों के लिए अहमदाबाद, बंगलूर, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, लुधियाना, सीतामढ़ी, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम में 14 व्यावसायिक पुनर्वासि केन्द्र काम कर रहे हैं। ये केन्द्र विकलांगों को व्यापक रूप से पुनर्वासि सेवाएं प्रदान करते हैं।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों के लिए मार्गदर्शन

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्तियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 18 प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केन्द्र दिल्ली, मद्रास, कानपुर, जयपुर, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, सूरत, जबलपुर, एजल, रांची, बंगलूर, हिसार, राउरकेला, इम्फाल, कलकत्ता, नागपुर, मंडी और गुवाहाटी में कार्य कर रहे हैं।

प्रशिक्षण

युवाओं को किशोरावस्था में ही आजीविका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। जहां तक सम्भव होता है, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ढांचे के अन्तर्गत बनाये जाते हैं और विदेशी सहयोग से भी बनाये जाते हैं।

कारिगरी का प्रशिक्षण

15 से 25 साल की उम्र वाले युवक-युवतियों को 38 इंजीनियरी और 26 गैर-इंजीनियरी धंधों में प्रशिक्षण देने के लिए समूचे देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। इस समय 1,447 संस्थाएं, जिनमें कुल 2.64 लाख स्थान हैं, देश में कारिगरी को प्रशिक्षण दे रही हैं। इंजीनियरी धंधों के लिए ट्रेनिंग काल 6 माह से 2 वर्ष का है, परन्तु सभी गैर-इंजीनियरी धंधों के लिए ट्रेनिंग काल एक वर्ष है। अधिकतर धंधों में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं या मैट्रिकुलेशन से 2 वर्ष कम या इसके बराबर है। 64 धंधों के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त धंधों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है।

कारीगरी का प्रशिक्षण पाने वालों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय इंजीनियरी धन्धों के लिए प्रशिक्षण पाने वाले कारीगरों के चुनाव के लिए अभिरुचि (एप्टीच्यूड) परीक्षा का आयोजन करता है। यह परीक्षा विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों में भी लागू कर दी गई है ताकि, एप्रेन्टिस एक्ट; 1961 के अधीन उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रेन्टिस नियुक्त किया जा सके।

प्रशिक्षण विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के अनुरूप 1981-82 में चार आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों—हल्द्वानी (उत्तर प्रदेश), कालीकट (केरल); जोधपुर (राजस्थान) और चौदवार (उड़ीसा)—की स्थापना की जा चुकी है। इसका उद्देश्य कारीगरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः संगठित करना है। इस कार्यक्रम में पहले कारीगरों को व्यापक आधार वाले प्राथमिक प्रशिक्षण और बाद में आदर्श प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

### शिल्प-प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास, लुधियाना तथा हैदराबाद के 6 केन्द्रीय संस्थानों में शिल्प प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन छः संस्थानों में से मद्रास स्थित संस्थान को छोड़कर सन् 1982 के दौरान अन्य पांचों को उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए० टी० आई०) के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। ये छः संस्थान, जिनकी क्षमता 1,144 प्रशिक्षणार्थी लेने की है, विभिन्न कामों का प्रशिक्षण देते हैं। बम्बई संस्थान में रासायनिक वर्ग के व्यापारों में और वुनाई व्यापारों में और हैदराबाद संस्थान में होटल और खान-पान सम्बन्धी मामलों में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए सुविधाएं जुटा दी गई हैं तथा कानपुर और लुधियाना के संस्थानों में क्रमशः छपाई, और खेतीबाड़ी के यंत्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक केन्द्रीय संस्थान से एक आदर्श प्रशिक्षण संस्थान सम्बद्ध है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

### उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

अक्टूबर 1977 में 'उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना' नामक एक परियोजना कई प्रकार के उन उच्च तथा परिष्कृत कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए चालू की गई है, जिनका प्रशिक्षण अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नहीं दिया जाता। यह योजना बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास तथा लुधियाना में स्थित छः उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और 15 राज्य सरकारों के अधीन चुने हुए 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाई गई है। आधुनिकीकरण करके उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न उच्च पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। पूरे देश के लिये मद्रास का उच्च प्रशिक्षण संस्थान शीर्ष संस्था का काम करता है और अन्य पांच उच्च प्रशिक्षण संस्थान (जो पहले केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहलाते थे), जहां यह प्रणाली लागू की गई, प्रादेशिक संस्थाओं के रूप में काम करते हैं। 1985 में 9,300 औद्योगिक कामियों को प्रशिक्षित किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों का प्रशिक्षण देने के लिए 1974 में हैदराबाद में एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। इसमें घरेलू, औद्योगिक, चिकित्सा सम्बन्धी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रक्रिया उपकरणों के

क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स व प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों के लिये 1981 से देहली (उत्तर प्रदेश) में एक अन्य संस्थान की स्थापना की गई है।

**फोरमनों-सुपर-  
घाइजनों को  
प्रशिक्षण**

फोरमनों को प्रशिक्षित करने के लिये एक संस्थान की स्थापना बंगलूर में 1971 में की गई थी। यह इस समय काम कर रहे 'गॉप फोरमनों' और सुपरवाइजनों को तथा भविष्य में ऐसे पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को तकनीकी एवं प्रबंधन क्षमता का और उद्योगों से ध्रुव श्रमिकों को उच्च तकनीकी हुनरों का प्रशिक्षण देता है। दस फोरमनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सन् 1982 में जमशेदपुर में द्वितीय फोरमन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की।

**एप्रेंटिस प्रशिक्षण  
योजना**

एप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत मालिकों के लिए विशिष्ट उद्योगों में एप्रेंटिसों का लगाना अनिवार्य है। यह आधारभूत प्रशिक्षण होता है जिसके साथ-साथ केन्द्रीय एप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षु) परिषद् के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण मानदण्डों के अनुसार ठीक काम के बारे में या व्यवस्था के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तरुण अधिनियम के अन्तर्गत 217 वर्गों के उद्योगों तथा 134 धर्मों को (3 धर्मों को छोड़कर) शामिल किया गया है। 1973 के एप्रेंटिसशिप (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये स्थान सुरक्षित करने और इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लिये रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था है।

यह अधिनियम लगभग 13,375 संस्थानों में लागू है। मार्च 1986 के अन्त तक विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 1.37 लाख एप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। मार्च 1986 के अन्त तक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लगभग 71 प्रकार के ऐसे क्षेत्र तैयार किए गए हैं, जिनमें लगभग 15,248 स्नातक तथा डिप्लोमाधारी एप्रेंटिस प्रशिक्षण ले रहे हैं।

**औद्योगिक काम-  
गारों के लिए अंश-  
कालिक प्रशिक्षण**

जो लोग उद्योगों में बिना किसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते हैं, उनके लिए सच्चा कालोन कदाएं आयोजित की गई हैं। इस पाठ्यक्रम में वे औद्योगिक श्रमिक, उनकी उम्र चाहे कुछ भी हो, प्रवेश पा सकते हैं, जिन्हें किसी विशेष धर्म में दो वर्ष का काम करने का अनुभव प्राप्त है और जिनका नाम उनके मालिक भिजवाते हैं। प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की है। केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास तथा 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पांच ए० टी० आई० में यह पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

**व्यावसायिक प्रशि-  
क्षण अनुसंधान**

देशी प्रशिक्षण विधियों के विकास के लिए 1968 में कलकत्ता में केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। संस्थान में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं उद्योगों से भाए लोगों के लिए (जिनके नियंत्रण, निदेशन और संचालन में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनके अलावा यह धर्मों और



प्रशिक्षण विधियों सम्बन्धी अनुसन्धान की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण सहायता-सामग्री तैयार करता है और उद्योगों को औद्योगिक प्रशिक्षण विधियों में परामर्श देता है।

**महिलाओं के लिए  
व्यावसायिक प्रशि-  
क्षण कार्यक्रम**

केन्द्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में बदल दिया गया है। संस्थान महिलाओं के लिए विशेष व्यवसायों में प्रशिक्षक प्रशिक्षण मूल प्रशिक्षण तथा उच्चतर प्रशिक्षण देता है। बम्बई, बंगलूर तथा तिरुवनंतपुरम में महिलाओं के लिए तीन क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान कायम कर रहे हैं।

**ग्रामीण श्रमिक**

समय-समय पर किये गये विभिन्न अध्ययनों और ग्रामीण श्रमिकों से की गई पूछताछ से पता चला है कि विभिन्न कानूनी और अन्य योजनाओं का लाभ ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंचा है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण श्रमिकों में संगठन की कमी है। सरकार ने महसूस किया कि ग्रामीण श्रमिक उचित ढंग से शिक्षित और संगठित होकर ही आर्थिक विकास से सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिये खण्ड स्तर पर अवैतनिक संयोजकों को नियुक्त करने के लिये एक योजना तैयार की गई है। राज्य सरकारें इस योजना को लागू कर रही हैं और प्रत्येक संयोजक को 200 रुपये प्रति माह मानदेय और 50 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाता है। संयोजक श्रमिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करते हैं और उन्हें बताते हैं कि संगठन का क्या महत्व है। इससे श्रमिकों को सहकारी समितियों, मजदूर संघों और अन्य प्रकार के संगठन कायम करने में मदद मिलती है।

प्रारम्भ में 415 खण्डों में यह योजना शुरू की गई। 1983-84 के दौरान यह योजना 595 खण्डों पर लागू कर दी गई। इनमें से 425 खण्डों में यह योजना पहले ही लागू कर दी गई थी। 1984-85 में 14 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (पांडिचेरि सहित) में अवैतनिक ग्रामीण संयोजकों के 1,000 पद स्वीकार किए गए ताकि 1,000 विकास खण्डों में यह योजना लागू की जा सके। 1985-86 में अवैतनिक ग्रामीण संयोजकों के 500 और पद भी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकार किए गए। इस तरह अब ऐसे पदों की कुल संख्या 1,500 हो गई है। मई 1986 तक इन में से 863 नियुक्तियां की जा चुकी थीं।

**ग्रामीण श्रमिक  
सर्वेक्षण**

सरकार ने अब तक चार अखिल भारतीय ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण (इन्क्वायरीज) किए हैं। पहले दो सर्वेक्षण, जिन्हें खेतिहर श्रमिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 1950-51 तथा 1956-57 में किए गए। अन्य दो सर्वेक्षण, जिन्हें ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 1963-65 में तथा 1974-75 में किए गए। अन्तिम दो सर्वेक्षणों का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया तथा उसमें सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू श्रमिक भी शामिल कर लिए गए।

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य, अन्तराल के दौरान ग्रामीण खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की तुलनात्मक सारणी तैयार करना और कृषि/ग्रामीण/घरेलू श्रम की महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के

विश्वसनीय तथा अद्यतन अनुमान तैयार करना तथा उनके प्रवाह तथा परिवर्तन का अध्ययन करना है। इन सर्वेक्षणों में एकत्रित आंकड़े जनसांख्यिकीय संरचना, रोजगार तथा बेरोजगारी की सीमा, आय, घरेलू उपभोग षर्तों, ऋणों आदि के साथ-साथ नवीनतम सर्वेक्षण, छेतिहूर भजदूरों में शिक्षा, भजदूर संघ तथा अन्य न्यूनतम भजदूरों अधिनियम (तथा इनके अधीन निरिबन को गई भजदूरों) में सम्बन्धित हैं।

जून 1975 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 29वें दौर के साथ दूसरे ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के क्षेत्रगत कार्य का समाकलन किया गया। क्षेत्रों में प्राप्त सर्वेक्षणों की जाच के पूरा हो जाने पर सारणिमा बनाने का काम शुरू किया गया। इनके आधार पर सभी रिपोर्टें (तीन संक्षिप्त तथा चार विस्तृत) जारी कर दी गई हैं।

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण का एन० एन० एन० प्रो० के प्रत्येक पांच साल में होने वाले रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण के साथ समाकलन कर दिया गया है। तदनुसार रोजगार-बेरोजगार सर्वेक्षण (32वा चक्र जुलाई 1977 से जून 1978 तक) में ग्रामीण छेतिहूर तथा घरेलू श्रमिकों में संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे, जो ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण 1974-75 में प्राते थे। इस दौरान संकलित आकड़ों पर कार्य चल रहा है। 1983 के दौरान (एन० एन० एन० प्रो० का 38वां चक्र) सम्बन्धित प्रबन्ध के अधीन अनुवर्ती चक्र पूरा किया गया।

प्रवास अधिनियम, 1983 जो 30 दिसम्बर 1983 से लागू हुआ, विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय नागरिकों के प्रवास का नियमन करता है। इसका उद्देश्य भावी नियोजन तथा इच्छुक प्रवासी या भरती/एजेन्ट तथा इच्छुक प्रवासी के बीच संबंधों का मही संचालन करना है, ताकि प्रवासी को विदेश में रहने तथा कार्य करने की अच्छी परिस्थितियों का विश्वास रहे और वह वेदमान भरती/एजेन्ट के छोटे में सुरक्षित रहे। नियोजन भारतीय मिशन की भाशा लेकर सीधे या श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भरती/एजेन्टों द्वारा भारतीय श्रमिकों को विदेशों में रोजगार के लिए नियुक्त कर भवते हैं। 8 अक्तूबर 1986 तक श्रम मंत्रालय में 1,001 नियोजन एजेन्ट पंजीकृत किए गए हैं। इसके लिए नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की मण्डन के अनुसार 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक जमानत ली गई है। श्रम मंत्रालय ने इच्छुक प्रवासियों के सूचनार्थ भरती/एजेन्टों की दो श्रद्धों में एक डायरेक्टरी प्रकाशित की है, जो कि सम्पूर्ण पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। एजेन्टों को प्रत्येक प्रवासी में सेवा-गुलक के रूप में 2,000 रुपये से अधिक लेने की इजाजत नहीं है।

इस अधिनियम में वेदमान भरती/एजेन्टों के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था है। अधिनियम के तहत प्रवासियों में घोषाघडी जैसे बहुत से अपराधों को संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। अधिनियम के कई उपबन्धों के तहत श्रम मंत्रालय ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बहुत से एजेन्टों के विरुद्ध कार्रवाई की है। पाच मामलों में पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गए हैं और 26 मामलों में उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। एक भरती/एजेन्ट की बैंक गारण्टी के रूप में जमा की गई जमानत जब्त कर ली गई। प्रवासी महासंरक्षक के कार्यालय में तथा प्रवासी मरदाकों के सात कार्यालयों

सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था शुरू की गई है। शिकायतों के निराकरण के लिए प्रवासी महासंरक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह के तीन दिन--सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रवासी महासंरक्षक कार्यालय में तथा मंगलवार और शुक्रवार को प्रवासी को संरक्षक कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं।

प्रवासियों के हितों को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु श्रमिकों की मांग करने वाले देशों में जन-शक्ति समझौते हस्ताक्षरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत में आवास की समस्या के दो पहलू हैं—मकानों की कमी और उनका (सम-नीयजनक) स्तर। आवास की समस्या बढ़ती बनी में विगड़ती ही जाती गई है। इसके कारण हैं : (1) जनसंख्या में तीव्र वृद्धि; (2) ग्रहणीकरण की द्रुत गति; और (3) मकानों की संख्या में प्रोत्साहन कम वृद्धि। ग्रहणी और ग्रामीण आवास समस्याएँ एक-दूसरे से भिन्न हिस्से की हैं। जहाँ ग्रहणी इलाकों में आवास समस्या सुदूरतया मीट-माट, झुग्गी-झोंकियों और अनधिकृत बस्तियों में मर्यादित है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आवासक मकानों का अभाव और खराब वातावरण है। भारत की आवास समस्या का कोई भी समाधान, इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता।

स्वतंत्रता के बाद, भारत में भारी परिवर्तन आए हैं। स्वतंत्रता के बाद धनदाई गई नीतियों द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर प्रदात किए गए हैं और स्वास्थ्य की क्षेत्रमान में सुधार हुआ है। इनमें अनेक लोगों को प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है और बढ़ती आवासीय की प्रोत्साहन में वृद्धि हुई है। आवास को सम्बन्धित परिवारों की बढ़ती संख्या तथा मकानों के स्तर के मकान पर भी आगे बढ़ती जा रही है। अतः भारत की आवास नीति मकानों के निर्माण में वृद्धि तथा लोगों को स्वयं अपने मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित पर केन्द्रित है। हालाँकि कारी लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन यह भी एकदम सार है कि मूलभूत सममानताएँ वैसी-की-वैसी ही बनी हुई हैं।

### आवास आवायकक्षाएँ

मनुष्य राष्ट्र का अनुमान है कि आवास स्थिति को और विगड़ने में रोकने के लिए भारत जैद विकासशील देश में, अपने अपने 2-3 दशकों में प्रति वर्ष एक हजार आवासीय पर 8-10 मकानों के निर्माण की दर हासिल करनी होगी। राष्ट्रीय निर्माण मण्डल ने संयोजना के आधार पर अनुमान लगाया है कि 1985 के दौरान देश में 247 लाख मकानों की कमी होगी। इनमें से 188 लाख मकानों की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में और 59 लाख कमी ग्रहणी क्षेत्रों में होगी। मकानों की इनकी कमी के अलावा, 1985-90 के बीच जनसंख्या में वृद्धि के कारण मीट-माट पर 162 लाख मकानों की और जरूरत होगी, जिसमें से 124 लाख ग्रामीण क्षेत्रों और 38 लाख ग्रहणी क्षेत्रों में होगी। आवासीय में मर्यादित तमाम नीतियों की नई दिशा देने के लिए निम्न षटम उठाते हैं— (1) मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था, (2) ग्रहणी क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि का विकास; (3) ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण और निर्माण तथा भूमिहीन मजदूरों को सहायता की व्यवस्था, तथा (4) मकान निर्माण में कम लागत वाली तकनीकी का विकास और प्रयोग। आवास, राज्य के अधि-कार क्षेत्र का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार, सामाजिक आवास कार्यक्रमों के प्रभाव-शाली और कुशल अन्वय के मदद में सामान्य कार्यक्रमों और दृष्टिकोण को लेकर राष्ट्रीय नीति के प्रतिपादन के लिए जिम्मेदार है। इनमें विशेष तौर से 20-पूरी कार्य-क्रम के अन्तर्गत अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व

बनता है कि वे योजना प्राथमिकताओं और स्थानीय जरूरतों के अनुसार सामाजिक आवास योजना को लागू करें।

लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में, आवास का स्थान खाना और कपड़े के बाद आता है। आवास गतिविधियों के माध्यम से योजना के कई मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिनमें आवास उपलब्ध कराना, जीवन का स्तर सुधारना-खास तौर से जनसंख्या के गरीब तबके का, काफी संख्या में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक गतिविधियां तथा अतिरिक्त ऐच्छिक वचत पैदा करना, शामिल हैं।

अर्थों के अन्तर्गत  
कार्यक्रम

पहली योजना में आवास पर कुल विनियोग 1,150 करोड़ रुपये का था, जो अर्थतंत्र के कुल विनियोग का 34 प्रतिशत था। छठे दशक में योजना की शुरुआत से, परिमाणात्मक रूप से आवास पर सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोग करीब दस गुना बढ़ गया है। सातवीं योजना में इस मद पर 3,145 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जबकि अर्थतंत्र में कुल विनियोग 3,48,148 करोड़ रुपये का है। छठी योजना के अन्तर्गत अर्थतंत्र में कुल विनियोग के प्रतिशत से यह 1.5 प्रतिशत अधिक है।

सामाजिक आवास  
योजनाएं

भारत में सामाजिक आवास योजनाएं 1952 में नियोजन की शुरुआत से ही संगठित तरीके से प्रारम्भ हुईं और अनेक सामाजिक आवास योजनाएं शुरू की गईं। आवास से केन्द्र और राज्य सरकारों का सरोकार लंबे समय से रहा है। यह व्यक्तिविशेष और सामाजिक कल्याण में इसके अत्यन्त महत्व को प्रतिबिम्बित करता है। स्वतंत्रता से ही सरकार ने स्वीकार किया है कि आवास मुहैया करने में, राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। फलस्वरूप आवास में राज्य की भागीदारी बढ़ती चली गई और इस पर सार्वजनिक व्यय में निरन्तर वृद्धि होती चली गई। सामाजिक आवास कार्यक्रमों को लेकर केन्द्र सरकार की भूमिका कर्ज और अनुदान के रूप में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को व्यापक वित्तीय सहायता देना और कार्यक्रमों की प्रगति पर नजर रखने तक सीमित है। राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजनाएं तैयार करने, इन्हें मंजूर करने और लागू करने तथा तत्पश्चात् निर्माण में लगी एजेंसियों को वित्तीय सहायता देने के पूरे अधिकार दिये गए। चौथी योजना के प्रारम्भ से राज्यों को आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए एक मुश्त अनुदान और एक मुश्त ऋण के रूप में, पूरी केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जाती कि विकास या योजना की किस मद पर कितना व्यय किया जाए। परन्तु, शहरी विकास मंत्रालय 20-सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की प्रगति पर नजर रखता है।

जुलाई 1982 में सभी सामाजिक आवास योजनाओं को आय समूहों के आधार पर पांच श्रेणियों में फिर से वर्गीकृत किया गया। वे हैं :

(1) आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आवास योजनाएं; (2) कम

घाय समूह के लिए आवासीय योजनाएं; (3) मध्यम घाय समूह के लिए आवास योजनाएं; (4) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराए की आवासीय योजना; और (5) भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण आवास-स्थान-निर्माण सहायता योजना ।

**आवास-स्थान निर्माण सहायता योजना**

केन्द्रीय क्षेत्र में अक्टूबर, 1971 में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को मकान बनाने के लिए जगह का आवंटन और निर्माण के लिए सहायता की योजना शुरू की गई । अप्रैल 1974 में इस योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया । यह नये 20-सूत्री कार्यक्रम का भी हिस्सा है । यह योजना 18 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों में चालू है ।

छठी योजना के दौरान इसके लिए 354 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 170 करोड़ रुपये मकान बनाने की जगह के लिए तथा 184 करोड़ रुपये निर्माण सहायता के लिए हैं । योजना में 250 रुपये प्रति परिवार स्थान के विकास और 500 रुपये प्रति परिवार निर्माण सहायता की व्यवस्था है । छठी योजना के दौरान 54.33 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए जगह और 19.33 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई ।

सातवीं योजना के दौरान भी मकान बनाने के लिए स्थान के आवंटन तथा निर्माण सहायता की योजना जारी है । वित्तीय प्रावधान जो छठी योजना के दौरान अर्पण माने गए, बढ़ाकर स्थान-विकास के लिए 500 रुपये तथा निर्माण सहायता के लिए 2,000 रुपये प्रति परिवार कर दिए गए हैं । सातवीं योजना में इस योजना के लिए 577 करोड़ रुपये का प्रावधान है । इसमें से 36 करोड़ रुपये स्थान दिलवाने तथा 541 करोड़ रुपये निर्माण सहायता के लिए हैं ।

सातवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1985-86 में, 9.11 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए स्थान आवंटित किए गए तथा 4.13 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई । 1986-87 के दौरान (जून, 1986 तक) 1.48 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए स्थान तथा 0.88 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई ।

**बेघरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष**

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 को 'बेघरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष' की घोषणा की है । इसके उद्देश्य हैं :

1. 1987 तक कुछ गरीब और सुविधाहीनों के परिवेश में सुधार; और
2. 2000 ई० तक सभी गरीबों और सुविधाहीनों के आवास और परिवेश में सुधार के तरीकों और साधनों का प्रदर्शन करना ।

सरकार इन अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है ।

देश में आवास समस्या की गम्भीरता को महसूस करते हुए भारत ने 1987 को बेघरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष के रूप में मनाने का

स्वागत किया तथा इसके लिए 1 लाख अमरीकी डालर का विशेष योगदान दिया है। सातवीं योजना द्वारा 2 करोड़ रुपये का प्रावधान 'विधरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आवास वर्ष' की विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गया है।

## आवास वित्त

आवास वित्त मकान निर्माण और निर्माण गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आवास के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका साधारण लेकिन प्रोत्साहित करने की है। आवास के लिए विनियोग का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आने की आशा है। देश में, हाल ही के वर्षों में, अनेक विशेष एजेंसियों का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन फिर भी आवास के लिए वित्त का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिन्दा केन्द्रीय वित्त संस्थाओं से ही आता है जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जनरल बीमा निगम, आवास और शहरी विकास निगम, कर्मचारी प्राविडेंट फंड संगठन आदि शामिल हैं। राज्य की शीर्षस्थ सहकारी आवास समितियों, राज्य आवास बोर्डों तथा आवास और शहरी विकास प्राधिकरणों, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों आदि द्वारा भी फंड मुहैया किए जाते हैं और इसके माध्यम से फंड दिए जाते हैं।

केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर इसकी सहयोगी संस्थाएं होंगी।

## शहरी विकास

1979-80 में छोटे और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा समर्थित जो योजना शुरू की गई थी, वह छोटी योजना (1980-85) के दौरान जारी रही। विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एक लाख से कम जनसंख्या वाले 231 नगर लिए जाने का प्रस्ताव था। देश की कुल शहरी जनसंख्या और राज्य की शहरी जनसंख्या के अनुपात को आधार बनाकर प्रत्येक राज्य के नगरों की संख्या निर्धारित की गई थी। वाद में, इस योजना के अन्तर्गत कुछ और अतिरिक्त नगरों को भी स्वीकृत किया गया। इससे पहले, केन्द्रीय-ऋण की सहायता नगरों की स्वीकृत योजनाओं के आधार पर जारी की जाती थी। ऋण-सहायता या तो 40 लाख रुपये तक या परियोजना की कुल लागत की 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, होती थी।

भूमि अधिग्रहण और विकास, ट्रैफिक और यातायात, बाजार और मंडियां तथा वृचडखाने वे मदें हैं, जो इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय मदद पाने के 'योग्य' हैं। वाद में कम लागत सफाई की मद को भी केन्द्रीय सहायता में शामिल कर लिया गया। हर नगर 15 लाख रुपये केन्द्रीय मदद पा सकता था। वशतें कि इसके लिए राज्य सरकारें/लागू करने वाली एजेंसियां अपने साधनों में से 12 लाख रुपया दें। तब से इस योजना को संशोधित किया गया है। अब हर नगर अधिकतम 52 लाख रुपये की मदद पा सकता है तथा इसमें कम लागत सफाई व्यवस्था के लिए 6 लाख रुपये अनिवार्य रूप से हों। इससे अतिरिक्त कम लागत सफाई व्यवस्था के लिए बराबरी के आधार पर 8 लाख रुपये की मदद की व्यवस्था भी है;

इसमें झुग्गी-झोंपड़ी सुधार, स्तर उठाना, कम सागत रुफाई व्यवस्था, निवारण चिकित्सा सुविधाएँ, स्वास्थ्य की देखभाल, बगीचों और खेल के मैदानों आदि जैसी मर्से शामिल हैं। इस योजना को राज्य सरकारों को स्वयं हाथ में लेना होगा।

31 मार्च 1985 तक 235 नगरों में स्वीकृत योजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों को 63.57 करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी थी। सातवीं योजना के दौरान, योजना आयोग ने 88 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। चालू योजनाओं पर 33 करोड़ रुपये तथा नई योजनाओं पर 55 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। 1981 की जनगणना के आधार पर, विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 102 प्रतिरिक्त नगरों को भी, इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना के दौरान दिसम्बर 1986 तक 59 नए नगर स्वीकृत किए जा चुके थे। 1985-86 के दौरान चालू योजनाओं के साथ-साथ नए नगरों के लिए 16.50 करोड़ रुपये दिए गए। 1986-87 के दौरान दिसम्बर 1986 तक 3.91 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके थे।

### शहरी भूमि का समाजीकरण

शहरी भूमि (सीमा और नियमन) अधिनियम, 1976—17 फरवरी 1976 से लागू हुआ। इस अधिनियम में निम्न प्रावधान हैं: (1) शहरी इलाकों में खाली भूमि के स्वामित्व और कब्जे पर सीमाबन्दी लगाना; सीमाबन्दी शहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुसार श्रेणीबद्ध आधार पर की जाएगी; (2) प्रतिरिक्त खाली भूमि का राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तथा आम बल्कल की पूर्ति के लिए प्रतिरिक्त खाली भूमि के निबटान के अधिकार; (3) नकद या बाढ़ के रूप में एक राशि का अधिग्रहित प्रतिरिक्त भूमि के लिए भुगतान; (4) खाली भूमि की कुछ विशेष श्रेणियों के मामले में छूट; और (5) योग्य भूमि को भविष्य में आवासीय मकानों के निर्माण के लिए भक्षण रचना।

समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए, इस अधिनियम में सीमा से अधिक भूमि रखने की अनुमति का भी प्रावधान है।

यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर, केरल, नागालैण्ड और सिक्किम को छोड़ सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। इन चार राज्यों ने अब तक इस अधिनियम को स्वीकार नहीं किया है। तमिलनाडु ने 1978 में अपना अलग ही कानून बनाया था।

### शहरी झुग्गी-झोंपड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार

छठी योजना अवधि में झुग्गी-झोंपड़ी वाले शहरी क्षेत्रों के एक करोड़ निवासियों के लिए पर्यावरण सुविधा की अनेक योजनाओं पर अनुमानतः 151.45 करोड़ रुपये व्यय किये गये। यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग है। यह 1972 में लागू की गई योजना का ही अग्रतम कदम है जिसके अंतर्गत जल आपूर्ति, जलमत्त निवासी, रुफाई, पक्के रास्ते, सामुदायिक शौचालय तथा रातों



में प्रकाश जैसी सुविधाएं, चुने हुए शहरी क्षेत्रों के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को मुहैया की गई। छठी योजना के दौरान, 94 लाख झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया। सातवीं योजना का लक्ष्य 90 लाख तय किया गया है जिस पर 269.55 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 1985-86 के दौरान, 20.57 लाख झुग्गी-झोंपड़ी वालों को इस योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की गईं।

### शहरी आवश्यक सेवाएं

पिछले कई वर्षों से, यूनिसेफ शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे और मध्यम नगरों के विकास और कम लागत की सफाई व्यवस्था के 40 से अधिक परियोजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों के शहरी गरीबों को आवश्यक सेवाएं मुहैया करने के लिए मदद देता रहा है। यह मदद प्रतिवर्ष करीब 17 लाख डालर रही है। सातवीं योजना के दौरान शुरू की गई शहरी आवश्यक सेवाएं नामक केन्द्र समर्थित योजना में इन तीनों तत्वों को एक साथ ले जाया गया है। इस योजना के अंतर्गत समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ जीवन की दशा और स्तर सुधारने तथा शहरी कम आय वाले परिवारों के बच्चों के विकास का लक्ष्य तय किया गया है। एक जिले को नियोजन की इकाई के रूप में अपनाया गया है और इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत को यूनिसेफ, राज्य सरकार/स्थानीय निगम और केन्द्र सरकार 40 : 40 : 20 के अनुपात में वहन करेंगे। यूनिसेफ ने योजना अवधि के दौरान 92 लाख डालर की मदद का दावा किया है, जिसका मतलब है कि शहरी आवश्यक सेवा योजना का आकार करीब 230 लाख डालर या करीब 27 करोड़ रुपये का होगा। इसके अंतर्गत योजना अवधि में पूरे देश के 36 जिलों के करीब 200 नगरों को लाने का प्रस्ताव है।

### जल आपूर्ति और सफाई

जल आपूर्ति और सफाई राज्य के क्षेत्र में आते हैं और इनसे संबंधित योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों द्वारा तैयार और लागू की जाती हैं। सातवीं योजना (1985-90) में शहरों में जल आपूर्ति, निकासी और कम लागत की सफाई योजनाओं के लिए 2,988 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह आशा की गई है कि सातवीं योजना के अंत तक जल आपूर्ति और निकासी-सफाई की सुविधाएं क्रमशः 86.40 प्रतिशत और 44.70 प्रतिशत शहरी आवादी को मुहैया कर दी जाएंगी।

जल आपूर्ति और जलमल निकासी के क्षेत्र में नियोजन, डिजाइन, अमल, रखरखाव और प्रबन्ध में मानव संसाधन विकास के कदम के रूप में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सरकार ने जल आपूर्ति वितरण और जलमल निकासी की व्यवस्था के नियोजन और डिजाइनिंग के लिए माइक्रो-कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू किया है तथा जल आपूर्ति और जलमल निकासी एजेंसियों के इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 24 एजेंसियों को माइक्रो-कम्प्यूटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उपयुक्त प्रबन्ध

**राष्ट्रीय राजधानी शहर**

सूचना व्यवस्था के विकास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और प्रणाली विकास पर एक प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है।

केन्द्रीय स्तर पर एक वैधानिक बोर्ड की स्थापना के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी शहर के विकास की योजना को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया गया है। इस बारे में शहरी विकास मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच एक समझौता हो गया है।

इस कार्य के लिए संसद ने राष्ट्रीय राजधानी शहर नियोजन बोर्ड अधिनियम, 1985 भी बना लिया है। 27 मार्च 1985 को राष्ट्रीय राजधानी शहर नियोजन बोर्ड का भी गठन कर दिया गया।

**निर्माण एजेंसियाँ**

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को 1960 में निगम बनाया गया। यह देश में इंजीनियरिंग निर्माण सेवा का एक धरणी संगठन है और देश-विदेश में प्रायु-निक निर्माण कार्य/‘टर्नकी’ ठेके के काम में सक्रियता से लगा है। इसकी परि-योजनाएं नेटवर्क प्रणाली में रखी जाती हैं। कई बड़े औद्योगिक ढांचों के बिजली-घरों, सीमेंट कारखानों, उर्वरक सयंत्र शोधकों, विशाल भार० सी० सी० चिमनियाँ, पुलों और फ्लाइटप्रोवरों, हवाई भूइलों, आर्लासान होटलों, 100 एम० जी० टी० के जल शोधन प्लांट, और जहाजी कार्य आदि को पूरा करने का ध्येय इस निगम को जाता है। इन निगम को 1 अप्रैल 1985 में अनुसूची ‘सी’ से अनुसूची ‘बी’ श्रेणी में लाया गया है। सगठनात्मक और वित्तीय ढांचों को सुदृढ़ करने तथा प्रबंध की आंतरिक व्यवस्था में सुधार से निगम अब पहले से भी अधिक उत्पादन और बेहतर काम के लिए तैयार है।

**आवास और शहरी विकास निगम**

आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) एक सरकारी उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1970 में एक मिश्रित संगठन के रूप में की गई तथा जिसका मुख्य कार्य आवास और शहरी विकास कार्यक्रम को ऋण-वित्त मुहैया करना है। इस कार्य में मूल रूप से जोर निम्न धाय समूहों तथा प्राथिक रूप से कमजोर तबकों के लोगों के लिए आवास को प्रोत्साहन देना है।

हुडको की धाय के मुख्य स्रोत सरकार का इविट्टी योगदान, भारतीय जीवन बीमा से कर्ज तथा सामाज्यों को जारी करना है। छठी योजना में 600 करोड़ रुपये के कर्ज की व्यवस्था है और योजना के दौरान उनके द्वारा 1,050 करोड़ रुपये कर्ज देना तय किया गया है।

31 दिसम्बर 1986 तक कुल स्वीकृत कर्ज और वास्तव में बाटी गई कर्ज की रकम क्रमशः 2,306.40 करोड़ रुपये और 1,422.60 करोड़ रुपये थी। अब तक स्वीकृत की गई योजनाओं की परियोजना लागत 3,53,977 करोड़ रुपये है। इनमें 24.83 लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण में पन्द्रह मिलेगी। इनके अतिरिक्त, हुडको के ऋणों के प्रयोग से 1.98 लाख प्लाटों का विकास भी किया जाएगा। इनमें से 55 प्रतिशत में भी अधिक प्लाट प्राथिक रूप में कमजोर तबकों और कम धाय वाले समूहों के हैं।

## हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (जो पहले हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी), नई दिल्ली, 1955 में पूरी तरह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी बनी। यह कंपनी कंक्रीट के विजली के खंबे तथा रेलवे स्टीपरों के उत्पादन में लगी है। कंपनी लकड़ी के जोड़ने वाले सामान तथा विभाजक और विद्युत्तरोधी ब्लाकों का भी निर्माण करती है। इसके अलावा कंपनी प्रीफैब सामान्य निर्माण कार्य भी करती है। कंपनी द्वारा बनाए गए दरवाजे, खिड़कियों के शटर जैसे लकड़ी के सामान की गुणवत्ता देश में सबसे अच्छी है। औद्योगिक ढांचे के लिए पूर्व संरचित सामान से केवल इस्पात की ही बचत नहीं हुई है बल्कि इससे निर्माण की गति भी तेज हुई है तथा कुछ हद तक निर्माण की लागत को कम करना भी मुमकिन हो सका है।

## केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग केन्द्र सरकार के समस्त भवनों के डिजाइन तैयार करने, निर्माण, रखरखाव तथा मरम्मत के तमाम कार्य करता है। परन्तु रेलवे, संचार, आणविक ऊर्जा, प्रतिरक्षा सेवाओं और आकाशवाणी इस विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव भी यही करता है तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक निर्माण विभागों के ऊपर तकनीकी नियंत्रण भी यही विभाग रखता है। सार्वजनिक उपक्रम जिसके पास स्वयं अपने सिविल इंजीनियरिंग संगठन नहीं हैं, उन्होंने भी अपने निर्माण कार्यों का जिम्मा केन्द्रीय सा० नि० वि० या सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और सलाहकार संगठनों को सौंप दिया है। के० सा० नि० वि० अर्द्ध-सरकारी संगठनों की ओर से भी डिपॉजिट आधार पर काम करता है।

के० सा० नि० विभाग ने वास्तुकला की दृष्टि से भूमि के नक्शे तैयार करने तथा वागवानी और ढांचा तैयार करने के क्षेत्र के साथ-साथ नागरिक निर्माण और सेवाओं की व्यवस्था करने में उल्लेखनीय तकनीकी योग्यता विकसित की है। विभाग के पास एक खासी विकसित वास्तुकला शाखा, जटिल ढांचों के डिजाइन तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय डिजाइन संगठन, परियोजनाओं को लागू करने के लिए फील्ड यूनिटें तथा विभिन्न स्टील के सेवा प्रतिष्ठानों के लिए विजली और यांत्रिकी शाखाएं हैं।

## अनुसंधान

## राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन शहरी विकास मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी और जो भवन अनुसंधान और इसमें प्रयोग के प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में फैली इसकी पंद्रह क्षेत्रीय ग्रामीण आवास शाखाएं, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों में जुटी हैं और ग्रामीण गरीबों के लिए आवास परियोजनाएं लागू करने में राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और सुझाव भी देती हैं। ये शाखाएं देश के विभिन्न भागों के मौसम के उपयुक्त कम लागत से बने घरों के प्रदर्शनों का भी आयोजन करती हैं। इस तरह के घर 20 वर्ग मीटर के क्षेत्र में, स्थानीय स्थिति के अनुसार, 6,000 रुपये से भी कम लागत से तैयार किए जा

सकते हैं। संगठन ने नई निर्माण तकनीकों और गामघी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, देश के विभिन्न भागों में प्रयोगात्मक भावास योजनाओं के अतगंत परियोजनाएं शुरू की हैं।

संगठन, संयुक्त राष्ट्र तथा एशिया एवं प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) के क्षेत्रीय भावाग केन्द्र के रूप में भी काम करता है। यह दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सदस्य है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं: भवन अनुसंधान अध्ययन और प्रलेखन की अंतर्राष्ट्रीय परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण भावास एसोसिएशन।

नगर और ग्राम  
नियोजन संगठन

नगर और ग्राम नियोजन संगठन, शहरी और क्षेत्रीय विकास से संबंधित सभी मामलों में तकनीकी सलाह सकाप्त है। यह सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनो को तकनीकी सलाह और मदद देता है। संगठन सार्वजनिक उपकरणों और स्थायी विकासों को भी विकास के लिए परियोजना कार्यों पर अपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

भारतीय गणराज्य के संविधान में अन्य अधिकारों के अलावा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अनुचित रूप से वंचित किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 में यह व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

1950 में भारत द्वारा गणतंत्रात्मक संविधान अपनाए जाने से वर्तमान कानूनों की निरन्तरता तथा न्यायालयों के एकीकृत ढांचे में कोई विघ्न नहीं पड़ा। अनुच्छेद 372 में उपबन्ध है कि भारत शासन अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 के रद्द हो जाने पर भी, इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत वे सब कानून, जो इसके प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत राज्य-क्षेत्र में लागू थे, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वे सक्षम विधानमण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदले न जाएं अथवा निरस्त या संशोधित न किए जाएं। अनुच्छेद 375 यह उपबन्ध करता है कि "भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र दीवानी, दण्डिक और राजस्व क्षेत्राधिकार वाले सभी न्यायालय, सभी प्राधिकारी तथा न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय अधिकारी इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने-प्रपने कार्य करते रहेंगे।" कानून के कुछ क्षेत्रों को जैसे दण्ड-विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, वसीयतों, उत्तराधिकार, विशेष प्रकार की संविदा सहित संविदाओं—जिसमें कृषि भूमि से संबंधित संविदा शामिल नहीं है, प्रलेखों और दस्तावेजों के पंजीकरण, साक्ष्य आदि को समवर्ती सूची में रखकर न्यायपालिका की एकता व एकरूपता बनाए रखी गई।

### विधि के स्रोत

भारत में विधि के मुख्य स्रोत हैं—संविधान, विधान, परम्परागत नियम और न्यायिक-निर्णय। संसद, राज्य विधानमण्डलों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विधान मण्डलों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कानूनों का एक विशाल समूह है जिसे अधीनस्थ विधान कहते हैं। वह नियमों, विनियमों और उपविधियों के रूप में होता है। इनकी रचना केन्द्रीय और राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें तथा अन्य स्थानीय निकाय करते हैं। अधीनस्थ विधान, संसद या संबंधित राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानमण्डलों द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन बनाया जाता है। वरिष्ठ न्यायालयों जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायिक निर्णय भी विधि के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत सभी न्यायालयों को मान्य होता है। भारत विविधताओं का देश है, अतः न्यायालय कुछ विशेष क्षेत्रों में न्याय करते समय स्थानीय प्रथाओं और परम्पराओं को भी, जो कानून, नीतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं, एक सीमा तक मान्यता देते हैं और ध्यान में रखते हैं।

संसद को संघ सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्यों के विधानमंडल राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकते हैं। जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं दिए गए हैं, उन पर एकमत संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। किन्तु उनमें भ्रतभेद होने की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का प्रतिकूल प्रभाव तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि राष्ट्रपति के विचारपोषण न हो और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न मिले। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर वह कानून उस राज्य में लागू होगा।

विधि की प्रपुक्ति

संसद द्वारा बनाये गए कानूनों का विस्तार भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भी भाग पर हो सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गए कानून, साधारणतया संबंधित राज्य के राज्यक्षेत्र में ही लागू होंगे। इस प्रकार राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर एक राज्य द्वारा बनाए गए कानून दूसरे राज्य या राज्यों से भिन्न हो सकते हैं।

भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संघात्मक प्रणाली अपनाने और अपने-अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय अधिनियमों तथा राज्य अधिनियमों के अस्तित्व के बावजूद, इसमें साधारणतया, केन्द्र और राज्य दोनों के कानून के संबंध में न्याय करने के लिए न्यायालयों की एक संगठित व्यवस्था है। सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि है और प्रत्येक राज्य या राज्यसमूह के लिए एक उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के नीचे अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं।

न्यायपालिका धाम तौर पर कार्यपालिका से पृथक है। कुछ राज्यों में साधारणतया छुट्टपुट और स्वतंत्र प्रकार के सिविल और दण्डिक विवादों का प्रसन्नता करने के लिए पंचायत न्यायालय भी विभिन्न नामों से कार्य करते हैं, जैसे न्याय पंचायत, पंचायत भद्रालय, ग्राम कचहरी आदि। विभिन्न राज्यों की विधियों में न्यायालयों की भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं।

हर राज्य को न्यायिक जिलों में बांटा गया है जिसका प्रमुख जिला और सेगन न्यायाधीश होता है। वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से युक्त प्रधान सिविल न्यायाधीश होता है और वह ऐसे अपराधों सहित, जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है; सभी अपराधों को मुन सकता है। वह जिने में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। उसके नीचे सिविल न्यायालय होते हैं, जिन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे मजिस्ट्रेट, अधीनस्थ न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश आदि। इसी प्रकार, दण्डिक न्यायपालिका में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं।

## उच्चतम न्यायालय

भारत के उच्चतम न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और अधिक-से-अधिक 25<sup>1</sup> अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह किसी एक उच्च न्यायालय का या लगातार दो अथवा अधिक उच्च न्यायालयों का कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो; अथवा किसी एक उच्च न्यायालय का अथवा दो या उससे अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम-से-कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो; अथवा वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदनुसार न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिये तथा उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को उस न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बैठने और कार्य करने के लिये भी प्रावधान किया गया है।

संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बना रखने का प्रयास अनेक तरीकों से किया गया है। उच्चतम न्यायालय का को भी न्यायाधीश अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि उस पर प्रमाणित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर हटाए जाने हेतु राष्ट्रपति आदेश न दिया हो। ऐसे आदेश का आधार संसदीय प्रस्ताव होगा। प्रस्ताव की पुष्टि प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो तिहाई बहुमत द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार समर्थित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष संसद के उसी अधिवेशन में रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, वह भारत में किसी भी न्यायालय में अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष कालत नहीं कर सकता।

भारत का उच्चतम न्यायालय नयी दिल्ली में स्थित है। 31 अगस्त 1986 को उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीश थे :

प्रधान न्यायाधीश :

पी० एन० भगवती<sup>2</sup>

न्यायाधीश :

आर० एस० पाठक, श्री० चिनप्पा रे,  
ए० पी० सेन, ई० एस० वेंकटरमैया,  
वी० वी० एराडी, सव्यसाची मुखर्जी,  
एम० पी० ठक्कर, रंगनाथ मिश्र,  
वी० खालिद जी०, एल० ओझा,  
वी० सी० रे, एम० एम० दत्त,  
के० एन० सिंह, एस० नटराजन ।

1. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 1986 के तहत 9 मई 1986 से न्यायाधीशों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है।
2. 31 दिसम्बर 1986 को श्री पी० एन० भगवती को सेवा निवृत्त होने पर श्री आर० एस० पाठक ने 1 जनवरी 1987 से भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय को प्रारम्भिक, धरीतीय और परामर्श संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। इसके प्रारम्भिक अधिकार का विस्तार संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच भयवा एक और संघ और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच भयवा दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक है, यदि उन विवाद में किसी सीमा तक (विधि का या तथ्य का) कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्निहित है जिस पर किसी बंध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। इसके प्रतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों को लागू करने के बारे में व्यापक प्रारम्भिक अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए उसे निदेग, आदेग या समादेग जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेग, प्रतिषेध, अधिकार-भूच्छा और उत्प्रेषण के समादेग (रिट) भी हैं, जारी करने का अधिकार दिया गया है।

उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सिविल/दाण्डिक मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में भयवा एक राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी मध्यम अधिकारिता वाले न्यायालय में भेजने का निर्देश दे सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय को इस बात से संतुष्टि हो जाती है कि एक-ने या सारतः एक-से विधि-प्रश्नों वाले मामले उसके और एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों के समस्त भयवा दो या उससे अधिक उच्च न्यायालयों के समस्त सम्बन्धित हैं और वे प्रश्न व्यापक महत्व के मूल प्रश्न हैं, तो वह उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के समस्त सम्बन्धित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकता है और उनका फैसला स्वयं कर सकता है।

किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, बिधो या अंतिम आदेग में संविधान की व्याख्या से सम्बद्ध कानून के तात्त्विक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का आग्रह—सिविल और दाण्डिक दोनों मामलों में—संबन्धित उच्च न्यायालय से प्रमाण-पत्र द्वारा या उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति पर लिया जा सकता है। सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में तमी अपील की जा सकती है, जब संबन्धित उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि (क) मामले में व्यापक महत्व का मूल कानूनी प्रश्न अन्तर्निहित है तथा (ख) उच्च न्यायालय की दृष्टि में उक्त प्रश्न का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दाण्डिक मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने (क) किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया है और उसे मृत्यु-दण्ड या आजीवन कारावास या कम-से-कम 10 वर्ष के कारावास का आदेश दिया है, अथवा (ख) अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ किसी न्यायालय से कोई मामला अपने समस्त विचारार्थ मंगा लिया है और उनमें अभियुक्त को दोषी ठहराया है तथा उसे मृत्यु-दण्ड या आजीवन कारावास या कम-से-कम 10 वर्ष के कारावास का आदेश दिया है, भयवा (ग) प्रमाणित कर दिया है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लायक है। सतद्र उच्चतम न्यायालय को ऐसी और शक्तियाँ



दे सकता है, जिनके अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी दार्ढिक कार्यवाही में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दण्डादेश के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता है और उन पर सुनवाई कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अपील संबंधी अत्यन्त व्यापक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वह अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित या किसी मुकदमे या मामले में किसी निर्णय, डिग्री, अवधारण, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है।

उच्च न्यायालय को उन मामलों में विशेष परामर्श संबंधी अधिकार प्राप्त है जो संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से इसे विचारार्थ सौंपे जाएं। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 317(1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 257, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम 1969 की धारा 7(2), सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 130क; केन्द्रीय उत्पादशुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 35ज तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 की धारा 82ग के अधीन मामले उच्चतम न्यायालय को भेजे जा सकते हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, न्यायालय अवमानना अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष अदालतें) अधिनियम 1984 तथा आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियाँ (निवारक) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के भाग 3 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में सीधे निर्वाचन याचिकाएँ भी दायर की जा सकती हैं।

## उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय राज्य के न्याय प्रशासन में शीर्षस्थ होता है। देश भर में 18 उच्च न्यायालय हैं। इनमें वे दो उच्च न्यायालय भी शामिल हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं। केन्द्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली का ही अपना उच्च न्यायालय है। अन्य आठ केन्द्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करने की प्रक्रिया यही है। अंतर केवल इतना है कि इनके संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं और वे भी उसी प्रकार हटाए जा सकते हैं जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। न्यायाधीश के पद के लिए वही व्यक्ति पात्र हो सकता है जो भारत में एक वर्ष तक किसी न्यायालय में एक वर्ष तक

हो या इतनी ही प्रशंसा तक किसी उच्च न्यायालय या न्यायालय को या अधिक उच्च न्यायालयों में अधिकता के रूप में बकावत कर चुका हो।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा या प्रथम किमी प्रयोजन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति, प्राधिकारी और सरकार को निर्देश, आदेश या समादेश (उन समादेशों सहित जो अंती प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-गुच्छा और उत्प्रेषण के रूप में हैं) जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

इस अधिकार का प्रयोग उन क्षेत्रों के संबंध में भी, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है; जिनके अंदर ऐसे अधिकार के प्रयोग का कारण पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होता है; भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकारी का कार्यालय अथवा ऐसे व्यक्तियों का निवास स्थान उन क्षेत्रों के अन्दर न हो।

उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों पर अधीक्षण संबंधी अधिकार प्राप्त है। वे ऐसे न्यायालयों से विवरण मांगवा सकते हैं, उनकी कार्यशैली और कार्यवाहियों को व्यस्तित्व करने के लिए सामान्य नियम जारी कर सकते हैं और फार्म निर्धारित कर सकते हैं तथा पुस्तकों, प्रविष्टियों और सेवानांजिकाओं को सुव्यवस्थित रूप में रखने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था का निर्धारण कर सकते हैं।

उच्च न्यायालयों का स्थान और उनका अधिकार-क्षेत्र नीचे सारणी 26.1 में दिया गया है।

सारणी 26.1  
उच्च न्यायालयों  
का अधिकार-क्षेत्र  
और स्थान

नाम	स्थापना वर्ष	अधिकार क्षेत्र	न्यायालय का स्थान
1	2	3	4
1. इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (अधिकांश में न्यायपीठ)
2. आन्ध्र प्रदेश	1954	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
3. बम्बई	1861	महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली तथा गोवा, दमण तथा दीव	बम्बई (नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में न्यायपीठ)
4. कनकता	1861	पश्चिम बंगाल तथा पंजाब और निकोबार द्वीप समूह	कलकत्ता (पाटं स्नेपर में अस्थायी न्यायपीठ)

1	2	3	4
5. दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
6. गुवाहाटी	1972	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालण्ड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी (इम्फाख; अगतरतला, शिलंग और कोहिमा में अस्थायी न्यायपीठ)
7. गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
8. हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला
9. जम्मू और कश्मीर	1928	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर और जम्मू
10. कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलूर
11. केरल	1956	केरल और लक्षद्वीप	एनाकुलम
12. मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जवलपुर (ग्वाल्द्वर और इंदौर में न्यायपीठ)
13. मद्रास	1861	तमिलनाडु और पांडिच्चेरि	मद्रास
14. उड़ीसा	1948	उड़ीसा	कटक
15. पटना	1916	बिहार	पटना (रांची में न्यायपीठ)
16. पंजाब और हरियाणा	1947	पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
17. राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर (जयपुर में न्यायपीठ)
18. सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक

### प्रशासनिक न्यायाधिकरण

संविधान के अनुच्छेद 323(क) के अनुसार, "संसद, विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य अथवा भारत के राज्यक्षेत्र में या भारत सरकार के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के संबंध में, लोक सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा-शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) या मुकदमे संबंधी उपबंध कर सकेगी।" तदनुसार प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम;

1985 पारित किया गया। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये एक केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का निर्माण किया गया जो 1 नवम्बर 1985 से कार्यरत हुआ। इस न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ दिल्ली में तथा इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में इन्की बृहद्-पीठ है। जून 1986 तक इतकी नौ और न्यायपीठों ने अहमदाबाद, बंगलूर, चंडीगढ़, कटक, मुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जोधपुर और पटना में काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये इसी कानून के तहत इस प्रकार के न्यायाधिकरण हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में स्थापित किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को किन्हीं अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सिविल सेवा या सिविल पद या रक्षा में जुड़े सिविल सेवाओं या पदों (त्रिनकी भर्ती अर्थात् प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा हुई हो) की नियुक्ति, सेवा शर्तों या उनके साथ जुड़ी बातों के बारे में (उच्चतम न्यायालय के सिवाय) एक न्यायालय की सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार प्राप्त है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसी अथ मंत्रालय के अधीन संस्थाओं पर भी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता व्याप्त है। सरकार इस न्यायाधिकरण का न्यायक्षेत्र बढ़ाकर स्थानीय संस्थाओं, निगम और सोसायटियों इत्यादि पर भी इन्की अधिकारिता लागू करने के बारे में सोच रही है। राज्य के न्यायाधिकरणों को राज्य कर्मचारियों के बारे में इन्की प्रकार की अधिकारिता प्राप्त है।

इस प्रकार के न्यायाधिकरणों की स्थापना से कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में सभी विवादों और परिवादों (कम्प्लेन्ट्स्) पर उचित न्यायाधिकरण ही विचार कर रहे हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय के सिवाय और कोई न्यायालय इस प्रकार के मामलों पर विचार नहीं कर सकता।

न्यायाधिकरण की पीठों ने पहले ही काफी पुराने मामलों को निपटा दिया है।

#### पारिवारिक न्यायालय

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत विवाह संबंधी और दूसरे पारिवारिक विवादों को सुनझाने और तेजी से निपटाने के लिये पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए जाते हैं और ऐसा एक न्यायालय राजस्थान में कार्यरत है। अधिनियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पारिवारिक न्यायालय, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरो या दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जहां राज्य सरकारें जरूरी मामलों, स्थापित किये जाते हैं।

#### अधीनस्थ न्यायालय

सम्पूर्ण देश में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके कार्य छद्दुट विभागों को छोड़कर अनुाधिक रूप से एक-ते हैं। एक राज्य को कई जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिला प्रधान सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पाता है। उसका प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है। कमी-कमी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भी उसकी सहायता करते हैं। जिला न्यायाधीश के अधीन विभिन्न श्रेणियों के सिविल न्यायालयों का एक तंत्र होता है।

**सिविल न्यायालय** मुकदमों की सुनवाई करने के अतिरिक्त सिविल न्यायालय अनेक विषयों के बारे में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जैसे मध्यस्थता, संरक्षता, विवाह, विवाह-विच्छेद और प्रमाणित वसीयतनामा। महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारों का निर्धारण करने के लिए कुछ विशेष अधिनियमों के अधीन न्यायिक कल्प अधिकरण भी स्थापित किए गए हैं जो सामान्य न्यायालयों से भिन्न हैं। कुछ मामलों में उनके आदेशों के विरुद्ध अपील सामान्य सिविल न्यायालयों में की जा सकती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अपील न्यायाधीश क्षेत्र के अधीन रहते हुए अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है।

दण्ड न्यायालयों का गठन, संगठन तथा उनकी प्रक्रिया दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा विनियमित होती है। यह संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 को निरस्त करके 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई थी।

### महान्यायवादी

भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। इस पद पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता व्यक्ति में होनी चाहिए। महान्यायवादी का यह कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को उन विधि विषयक प्रश्नों पर सलाह दे और विधि संबंधी वे अन्य कार्य करे, जो उसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे या सौंपे जाएं। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई एवं संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है; परन्तु उसे संसद में मतदान का अधिकार नहीं है।

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए महान्यायवादी को महासालिसिटर और दो अतिरिक्त महासालिसिटरों की सहायता प्राप्त होती है।

### महाधिवक्ता

हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक राज्यपाल उसे चाहें। इसके लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के योग्य होना चाहिए। उसका कर्तव्य राज्य सरकार को उन विधि विषयक प्रश्नों पर सलाह देना और विधि संबंधी वे सभी काम करना है, जो उसे राज्यपाल द्वारा भेजे या सौंपे जाएं। महाधिवक्ता को मतदान के अधिकार के बिना राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।

### विधि-व्यवसाय

भारत में विधि-व्यवसाय से संबंधित कानून, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद् (द्वार कौंसिल आफ इंडिया) द्वारा बनाए गए नियम हैं। यह विधि-व्यवसायियों से संबंधित तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों और भारतीय विधिज्ञ परिषद् के गठन के लिए कानून की एक स्वयंपूर्ण संहिता है। वही व्यक्ति कालत कर सकता है, जो राज्य विधिज्ञ परिषदों में से किसी एक में अधिवक्ता अधिनियम के अधीन अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो। किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद के अन्तर्गत नामांकित अधिवक्ता

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य राज्य विधिगत परिपद में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्य के बार कौंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हो सकता। एटार्नी और अधिवक्ता की दोहरी पदवि, जो बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालयों में थी, 15 अक्टूबर 1976 से समाप्त कर दी गई। अधिवक्ताओं के दो वर्ग हैं—'वरिष्ठ अधिवक्ता' और 'अन्य अधिवक्ता'। यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय है कि कोई अधिवक्ता अपनी योग्यता, न्यायिक अनुभव, विशेष ज्ञान अथवा विधि अनुभव के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम से अभिहित किए जाने की योग्यता रखता है, तो उसे उसकी सम्मति से यह पद नाम दिया जा सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर, भारतीय विधि परिपद की तरह विधि व्यवसाय में संबंधित कुछ विषयों पर प्रतिबंध लगाए गये हैं। विधि-व्यवसाय के विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध ये हैं:

वह पंजीयत अधिवक्ता के रूप में दर्ज हुए बिना उच्चतम न्यायालय में या राज्य रजिस्टर के भाग-2 में दर्ज हुए बिना किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में पेश नहीं होगा। वह मद्रासती बहन (युक्तिवाद/प्रतिपादन) या भय-पत्रों का मसौदा बनाने में परामर्श नहीं लेगा, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में गवाही लेने (साक्ष्य) या मसौदा बनाने संबंधी काम में अनुदेश नहीं लेगा या संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज तैयार करने जैसा कोई काम नहीं करेगा। वह किसी न्यायालय में हाजिर होने के लिये किसी मुबकिल से कोई परामर्श या अनुदेश नहीं लेगा, आदि। वह राज्य रजिस्टर के भाग दो में दर्ज अधिवक्ता की किसी मामले में पेशी संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के लिये जो वह उचित समझे, फीस देगा।

अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए शिष्टा आदि के कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। व्यावसायिक आचार-संहिता एवं स्तर को विनियमित करने, पूर्व सुनवाई के अधिकार, वरिष्ठता तथा नामांकन के लिए प्रयोग्यता आदि से सम्बद्ध कुछ नियम बनाए गए हैं।

प्रत्येक अधिवक्ता इस बात का ध्यान रखेगा कि जिस व्यक्ति को वकील की वास्तविक रूप से भावश्यकता है, वह कानूनी सहायता देने का हकदार है, भले ही वह पूरा या पर्याप्त पारिवारिक न दे सके और अपनी प्राथमिक स्थिति की सीमाओं के भीतर रहते हुए; गरीब और दलित वर्ग को निःशुल्क कानूनी सहायता देना अधिवक्ता का समाज के प्रति एक महान दायित्व है।

विधिगत परिपदों को अपने रजिस्टर में अंकित अधिवक्ताओं पर अनुशासनिक अधिकार प्राप्त है। किन्तु अधिवक्ताओं को भारतीय विधिगत परिपद में भरीत करने तथा इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में भरीत करने का अधिकार है।

विधि व्यवसाय में तत्ने व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करने के उपायों का सभी पहलुओं से अध्ययन करने के लिये संसद उच्च न्यायालय

श्री वहरूल इस्लाम की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति 4 जुलाई 1985 को गठित की गई थी। समिति में आठ सांसद, भारत के महान्यायवादी, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, दिल्ली की विधिज्ञ परिषद् और कुछ ध्यातिप्राप्त अधिवक्ता शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्टें 7 मई 1986 को पेश कर दी हैं।

## विधि आयोग

सभी देशों में लम्बे समय से यह माना जाता है कि विधि के स्वरूप और अन्तर्वस्तु का समय-समय पर पुनरीक्षण होता रहना चाहिए। बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक अवस्थाओं एवं कुल आचार संबंधी विषयों की परिवर्तित संकल्पनाओं के फलस्वरूप समय-समय पर वर्तमान विधि का पुनरावलोकन करना आवश्यक हो जाता है। एक ऐसे स्थाई निकाय के बिना जिसे विधि के कमबद्ध पुनरावलोकन का काम सौंपा जाए, इस काम को संतोषप्रद ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता। विभिन्न देशों में विधि आयोग की स्थापना की धारणा के पीछे यही आधारभूत दृष्टिकोण रहा है।

भारत में विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था और तब से समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है। कानून को संशोधन और सरलीकरण द्वारा अद्यतन बनाना तथा समय की युक्तिसंगत मांगों के अनुरूप बनाने के लिये न्याय-प्रशासन का पुनरावलोकन, आदि विधि आयोग के प्रधान कार्य हैं।

ग्यारहवां विधि आयोग 1 सितम्बर 1985 को तीन वर्ष के लिये गठित किया गया जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हैं। भारत सरकार के सचिव के स्तर के एक सदस्य-सचिव हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवा-निवृत्त एक न्यायाधीश इसके अंशकालिक सदस्य हैं। यद्यपि तीन पूर्णकालिक सदस्य तथा तीन अन्य अंशकालिक सदस्यों के लिये प्रावधान है लेकिन इन रिक्त स्थानों के लिये नियुक्तियां नहीं की गयी हैं।

विधि आयोग ने अब तक भारत सरकार को 113 रिपोर्टें पेश की हैं।

विधि आयोग को विचारार्थ सौंपे गये विषय ये हैं:

(1) न्याय-प्रशासन की व्यवस्था का पुनरीक्षण करते रहना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह समय की युक्तिसंगत मांगों के अनुरूप है और विशेषतया यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि (क) मामलों में विलम्ब न हो, तेजी से निपटारा हो और खर्च कम हो जिससे कि इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर भी कि 'निर्णय न्यायसंगत और निष्पक्ष होने चाहिए', कोई प्रभाव पड़े बिना मामलों का तेजी से और मितव्ययी ढंग से निपटारा हो सके; (ख) विलम्ब करने वाली वारीकियों और युक्तियों को कम करने और बिल्कुल समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया सरल की जाए जिससे कि वही अपने आप में लक्ष्य न बन जाए, बल्कि वह न्याय-प्राप्ति का साधन बनी रहे; और (ग) न्याय-प्रशासन से सम्बद्ध व्यक्तियों का कार्य स्तर ऊंचा उठे।

(2) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में वर्तमान विधियों पर विचार करना और उसमें विकास तथा सुधार के तरीके सुझाना तथा ऐसे विधान का सुझाव देना जो निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने तथा संविधान की अस्तावना में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हों।

(3) व्यापक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना, ताकि वे सरल बनाए जा सकें तथा विसंगतियों, अस्पष्टताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।

(4) इस बारे में सिफारिश करना कि कानून पुस्तिका को अद्यतन बनाने के लिए उन मूल नियमों और उनके उन भागों को; जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है; किस प्रकार समाप्त किया जाए।

(5) विधि और न्याय-प्रशासन संबंधी अन्य कितनी भी विषय पर, जो उसके पास भेजा जाए, विचार करना और सरकार को अपनी राय से अवगत कराना।

इन बीच भारत सरकार ने 17 फरवरी 1986 को विधि आयोग को न्यायिक सुधार का काम भी सौंपा है, जिसका कार्य शीघ्र इस प्रकार है:

(1) न्याय दिलाने के काम को विकेंद्रित करने की जरूरत इन तथ्यों द्वारा पूरी की जाएगी—

(अ) विवादों को सुलझाने के लिये ग्रामीण इलाकों में न्याय पंचायतों या दूसरी प्रक्रियाओं को स्थापित करना, प्रसारित करना और मजबूत करना;

(ब) उचित क्षेत्रों और केन्द्रों में परिभाषित अधिकारिता वाली जन-सहयोगपूर्ण न्याय प्रणाली बनाना;

(स) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों पर काम का बोझ कम करने के लिये और प्रणालियां स्थापित करना।

(2) वे बातें जिनके लिये संविधान के भाग 14(अ) के अनुसार न्यायाधिकरण (सेवा-न्यायाधिकरणों को छोड़कर) तत्परता से स्थापित किये जाने हैं और उनके स्थापन तथा कार्य से जुड़े हुए पहलु;

(3) मामलों के तेजी से निपटारे, अनावश्यक मुकदमेबाजी तथा मामलों की सुनवाई में देरी को समाप्त करने, कार्य-पद्धति तथा कार्य-प्रणालिक कानूनों में सुधार और ऊपर भाग 1(अ) और 1(ब) के लिये अनुसूच्य कार्य-पद्धतियां विशेष रूप से विकसित करने की दृष्टि से कार्य-प्रणालिक कानून;

(4) अधीनस्थ न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिये पद्धति;

(5) न्यायिक अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण;

(6) न्याय दिलाने की व्यवस्था को मजबूत करने में विधि व्यवसाय की भूमिका;

(7) सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों की ओर से चलाये जा रहे मुकदमों, व्यवहार्य वर्तमान पद्धति का पुनरीक्षण तथा सरकार और इन उपक्रमों के अपने विवाद सुलझाने के लिये व्यवहार्य नियम बनाने की वांछनीयता;



- (8) मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के ऊपर मुकदमे के खर्च का भार कम करने की दृष्टि से;
- (9) अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा का निर्माण; और
- (10) दूसरी ऐसी बातें जिन्हें आयोग उपरोक्त विषयों के सन्दर्भ में ठीक या आवश्यक समझे या सरकार जिन्हें समय-समय पर आयोग को विचारार्थ भेजे।

विधि आयोग ने अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में निचले स्तर पर न्याय संस्था की पुनर्रचना के कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है और उसने "निचले स्तर पर विवादों को सुलझाने के लिये वैकल्पिक फोरम" पर एक कार्यकारी दस्तावेज तैयार करके उसे विभिन्न निकायों और व्यक्तियों में उनके अभिप्राय और टिप्पणियां जानने के लिये वितरित किया। आयोग ने देश के विभिन्न भागों में सात कार्यशालाएं भी आयोजित कीं।

## व्यक्तिगत विधि

भारत में विभिन्न धर्म और मतों के लोग रहते हैं। उनके पारिवारिक कार्यक्रमों से संबंधित विषयों जैसे विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार आदि के संबंध से उन पर भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं।

## विवाह

विवाह विषयक कानून को विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू विभिन्न अधिनियमों में संहिताबद्ध किया गया है। वे हैं:

1. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856;
2. संपरिवर्ती (कन्वर्ट) विवाह-विघटन अधिनियम, 1866;
3. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869;
4. भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872;
5. काजी अधिनियम, 1880;
6. आनन्द विवाह अधिनियम, 1909;
7. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929;
8. पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936;
9. मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939;
10. विशेष विवाह अधिनियम, 1954;
11. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955;
12. विदेशी विवाह अधिनियम, 1969।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में लागू है और यह भारत के उन नागरिकों पर भी लागू होता है जो जम्मू और कश्मीर राज्य के रहने वाले हैं, किन्तु जिनका अधिवास उन राज्य-क्षेत्रों में है, जिन तक इस अधिनियम का विस्तार है। जिन व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू होता है, वे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट तौर पर विवाह रजिस्टर करवा सकते हैं, भले ही वे पृथक-पृथक धर्म के मानने वाले हों। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी अन्य रूप में सम्पन्न विवाह इस अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो उसे विशेष विवाह अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जा सकता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है और यह उन हिन्दुओं पर भी लागू होता है जो उन राज्यक्षेत्रों में निवास करते हैं, जिन तक अधिनियम का विस्तार है; किन्तु उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर है। इसके अतिरिक्त यह उन सब धर्म व सम्प्रदाय

के हिन्दुओं पर लागू होता है जो बौद्ध, सिख तथा जैन हैं। इन्होंने वे सब भी शामिल हैं जो अपने धर्मको मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं मानते। विन्तु यह अधिनियम तब तक अनुमोचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता, जब तक कि सरकार निर्देश न दे। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को अधिनियमित करके हिन्दुओं में प्रचलित रीति को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम को बनाने के बावजूद इस देश के न्यायालयों ने हमेशा यह धारणा व्यक्त की है :

“वेम, हिन्दू विधि के अन्तर्गत विवाह की संकल्पना में हिन्दू-विवाह अधिनियम बनाने से कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैं। वस्तुतः उस संरक्षणा के बुनियादी ढांचे को विस्तृत भी नहीं छुड़ा गया है और अभी तक विवाह एक संस्कार ही बना हुआ है। हिन्दुओं के लिए विवाह कठार या संबिदा की विषयवस्तु नहीं है, अपितु दो आत्माओं का आध्यात्मिक मिलन है। हिन्दू विवाह के अनुष्ठापन के लिए अग्नि के समक्ष पवित्र प्रतिज्ञा करना और ‘सप्तपदी’ न्यूनतम आवश्यकताएं हैं।” (शकुन्तला बनाम नौलकंड, 1973, महाराष्ट्र हाईकोर्ट, पृ० 31)।

विवाह-विच्छेद संबंधी उपबन्ध हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 में और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 में दिए गए हैं। इन अधिनियमों के अधीन पति या पत्नी द्वारा जिन सामान्य आघातों पर विवाह-विच्छेद की मांग की जा सकती है, वे इन प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत आते हैं :

जारता, परित्याग, क्रूरता, विवृतचित्त, रति रोग, कुष्ठरोग, परस्पर महमति और मान बर्ष में जीविन न मुना जाना।

जहां तक ईसाई समुदाय का संबंध है, विवाह और विवाह-विच्छेद संबंधी उपबन्ध भारतीय त्रिविधन विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 में दिए गए हैं। ईसाई समुदाय पर लागू विवाह-विच्छेद संबंधी उपबन्ध भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 10 में दिए गए हैं। इस धारा के अनुसार, कोई पति इस आघात पर विवाह-विच्छेद की मांग कर सकता है कि पत्नी जारकर्म की दोषी है, विन्तु पत्नी इस आघात पर विवाह-विच्छेद मांग सकती है कि उसका पति धर्म-परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को मानने लगा है और उसने किसी दूसरी स्त्री में विवाह कर लिया है या वह (क) अगोत्र जास्ता; (ख) जारकर्म रहित द्विविवाह; (ग) जारकर्म रहित किसी अन्य स्त्री में विवाह; (घ) बलात्कार, गुदमैयुन या पशुगमन; (ङ) जारता में युक्त ऐसी क्रूरता जो जारता के बिना भी उसे विवाह-विच्छेद के लिए हकदार बना देनी, ए मेन्हा एट टोरो (यह रोमन चर्च द्वारा बनाई गई विवाह-विच्छेद की एक पद्धति है जो जारता, दोषपूर्ण आचार, क्रूरता, धर्मद्रोह, धर्म विमूढता के आघातों पर न्यायिक पुनर्करण के अमकक्ष है); और (च) दो बर्ष या इससे अधिक समय में युक्तियुक्त कारण के बिना परित्याग रहित जारता का दोषी है।

जहां तक मुसलमानों का संबंध है, उनके विवाह के बारे में देश में प्रचलित मुस्लिम कानून लागू होता है। जहां तक तनाक (विवाह-विच्छेद) का संबंध है, मुस्लिम पत्नी को विवाह-विच्छेद के बहूत प्रतिबंधित अधिकार प्राप्त हैं। अनिश्चित और पारम्परिक कानून ने निम्नलिखित रूपों में तनाक की मांग करने

की इजाजत देकर उनकी स्थिति को बहतर बनाने का प्रयास किया है: (क) तलाक-ए-ताफविद: यह प्रत्यायोजित तलाक का एक रूप है। इसके अनुसार; पति विवाह संविदा में तलाक के अपने अधिकार को प्रत्यायोजित कर देता है। उस संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंध किया जा सकता है कि उसके द्वारा कोई दूसरी पत्नी ले लेने पर प्रथम पत्नी को उससे तलाक लेने का अधिकार होगा। (ख) खुला: यह विवाह के दोनों पक्षों में हुए करार के अनुसार विच्छेद है, जिसके लिए पत्नी को विवाह आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए पति को कुछ प्रतिफल देना पड़ता है। इसकी शर्त आपस में तय कर ली जाती है और प्रायः पत्नी को अपना मेहर या उसका एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है। (ग) मुवर्तत: यह आपसी सहमति द्वारा तलाक है।

फिर, मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939 द्वारा मुस्लिम पत्नी को निम्नलिखित आधारों पर तलाक का अधिकार दिया गया—(1) चार वर्ष से पति का कोई पता न हो, (2) पति दो वर्ष से उसका भरण-पोषण नहीं कर रहा हो, (3) पति को सात वर्ष या उससे अधिक समय का कारावास दे दिया गया हो, (4) किसी समुचित कारण के बिना तीन वर्ष से पति अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वाह न कर रहा हो, (5) पति नपुंसक हो, (6) दो वर्ष से पागल हो गया हो, (7) कुष्ठरोग या उग्र रति रोग से पीड़ित हो, (8) अगर शादी, पत्नी की आयु 15 वर्ष की होने से पहले हो चुकी हो और पूर्णता तक न पहुंची हो, (9) क्रूर बर्ताव रहा हो।

पारसियों के वैवाहिक संबंध, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम; 1936 के अनुसार होते हैं। अधिनियम में पारसी शब्द की परिभाषा जरथुस्ट्र पंथी के रूप में की गई है। जरथुस्ट्र पंथी वह होता है जो पारसी धर्म को मानता है। 'पारसी' शब्द नस्ल का द्योतक है। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक विवाह और विवाह-विच्छेद को अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर कराना आवश्यक है। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन न करने से विवाह गैर-कानूनी नहीं होता। अधिनियम में केवल एक से विवाह की व्यवस्था है।

जहां तक यहूदियों के विवाह-विषयक नियमों का संबंध है, भारत में इसकी कोई संहिताबद्ध विधि नहीं है। आज भी वे अपने धार्मिक नियमों के अनुसार चलते हैं। यहूदी लोग विवाह को सिविल संविदा न मान कर दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध मानते हैं, जिसमें अत्यन्त पवित्र कर्तव्यों का पालन करना होता है। उनमें पर-पुरुष या पर-स्त्री गमन अथवा क्रूर बर्ताव किए जाने पर न्यायालय के माध्यम से तलाक दिया जा सकता है। उनमें भी एक विवाह का प्रचलन है।

जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तिगत कानूनों का संबंध है, सरकार की यह नीति रही है कि इन समुदायों के पहल करने पर ही उनमें सुधार किए जाएं।

आल विवाह

1978 के अधिनियम द्वारा हाल ही में संशोधित बाल विवाह अवरोध अधिनियम; 1929, में अब प्रावधान है कि पुरुष की विवाह-आयु 21 वर्ष होगी और स्त्री की 18 वर्ष। इस संशोधन को 1 अक्टूबर 1978 से लागू किया गया है।

दत्तक ग्रहण

यद्यपि गोद लेने का कोई सामान्य कानून नहीं है फिर भी हिन्दुओं में कानून द्वारा तथा कुछ अन्यत्र अन्यसंस्थाओं में प्रथा द्वारा इसकी इजाजत ही गई है। चूँकि बालक का दत्तक-ग्रहण एक कानूनी संबंध है, अतः यह व्यक्तिगत कानून का विषय है। मुसलमान, ईसाई और पारसियों में दत्तक ग्रहण संबंधी कोई कानून नहीं है। उन्हें संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अधीन न्यायालय में आवेदन करना होता है। मुसलमान, ईसाई और पारसी उक्त अधिनियम के अधीन बच्चे को पालन-पोषण के लिए ले सकते हैं। यह बालक व्यस्क हो जाने पर अपने सब संबंधों को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसके प्रतिरिक्त ऐसे बालक को विरासत का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

जो विदेशी भारतीय बालकों को गोद लेना चाहते हैं, उन्हें अपरोक्ष अधिनियम के अधीन न्यायालय में आवेदन करना होता है। यदि न्यायालय बालक को देश के बाहर ले जाने की अनुमति दे देता है, तो विदेशी विधि (यानी संरक्षक पर लागू विधि) के अनुसार दत्तक ग्रहण देश के बाहर होगा।

दत्तक ग्रहण संबंधी हिन्दू विधि को हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के रूप में संगोधित और संहिताबद्ध किया गया है, जिसके अन्तर्गत सामर्थ्यवान हिन्दू पुरुष या स्त्री किसी लड़के या लड़की को गोद ले सकते हैं।

संरक्षकता

कौटुम्बिक कानून के अन्य पहलुओं की भाँति, किसी अव्यक्त बालक को संरक्षकता के प्रश्न के संबंध में भी कोई एकरूप कानून नहीं है। इसके लिए तीन विभिन्न विधि-मंडलियाँ प्रचलित हैं—यानी हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि और संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890।

संरक्षक तीन प्रकार का हो सकता है: नैसर्गिक संरक्षक, बचीयती संरक्षक और न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। संरक्षकता के प्रश्न का निश्चय करने के लिए दो भिन्न बातें ध्यान में रखनी होती हैं—अव्यक्त का संरक्षक और उसकी सम्पत्ति का संरक्षक। प्रायः ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति को नहीं सौंपी जाती।

अल्पवयस्कता और संरक्षकता से सम्बद्ध हिन्दू विधियों को हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 द्वारा संहिताबद्ध किया गया है। असंहिताबद्ध विधि की तरह इनमें भी पिता के व्येक्त अधिकार को कायम रखा गया है। इसमें कहा गया है कि बालक 18 वर्ष की आयु तक अव्यक्त रहता है। लड़कों और अविवाहित पुत्रियों दोनों का, नैसर्गिक संरक्षक पहले पिता होता है और उसके बाद माता। पाँच वर्ष से कम आयु के बालकों की संरक्षकता के मामलों में ही माँ के अधिकार को प्रधानता दी जाती है। अर्थात् बच्चों के मामले में, माँ को पिता से बेहतर अधिकार प्राप्त है। अधिनियम के अनुसार बालक के शरीर और उसकी सम्पत्ति में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। अतः संरक्षकता का अधिप्राय दोनों पर नियंत्रण रखना है। अधिनियम के निर्देशानुसार संरक्षकता के प्रश्न का निश्चय करते समय न्यायालय को बालक के हित को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए।

मुस्लिम विधि में पिता को प्रधानता दी गई है। इसके अन्तर्गत संरक्षकता और अभिरक्षा में भी अन्तर किया गया है। संरक्षकता का संबंध प्रायः सम्पत्ति की संरक्षकता से होता है। सुन्नियों के अनुसार, यह अधिकार पहले पिता का है और उसकी अनुपस्थिति में उसके निष्पादक (एक्जीक्यूटर) का है। यदि पिता ने कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया है, तो संरक्षकता का अधिकार दादा को मिलता है। शियाओं में एक अन्तर यह है कि पिता को एकमात्र संरक्षक माना जाता है, किन्तु उसके मरने पर यह अधिकार दादा का होता है, न कि निष्पादक का। फिर भी, दोनों विचार-धाराओं के विद्वान इस बात से सहमत हैं कि जीवित रहने पर पिता ही एकमात्र संरक्षक है। मां को पिता के मरने के बाद भी नैसर्गिक संरक्षक नहीं माना जाता।

जहां तक नैसर्गिक संरक्षक के अधिकारों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता का अधिकार सम्पत्ति और शरीर दोनों पर होता है। यदि अवयस्क बालक मां की अभिरक्षा में है, तब भी देखभाल और नियंत्रण का सामान्य अधिकार पिता को प्राप्त होता है। पिता फिर भी मां को एक संरक्षक के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार भले ही मां को नैसर्गिक संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त न हो, फिर भी पिता की वसीयत के अन्तर्गत उसके संरक्षक नियुक्त किए जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मुस्लिम विधि के अनुसार, अवयस्क बालक (हिजानत) की अभिरक्षा का मां का अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। पिता भी उसे इससे वंचित नहीं कर सकता। अनाचार के आधार पर ही मां इस अधिकार से वंचित की जा सकती है। किस आयु में मां का अभिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है, इसके बारे में शिया सम्प्रदाय का मत है कि हिजानत पर मां का अधिकार केवल स्तनपान छड़ाने की अवधि तक होता है, जो बालक की दो वर्ष की आयु होने पर समाप्त हो जाता है। 'हनफी' विचारधारा के अनुसार यह अधिकार बालक के सात वर्ष का होने तक रहता है। लड़कियों के बारे में शिया विधि के अनुसार, मां का अधिकार तब तक रहता है, जब तक लड़की सात वर्ष की न हो जाए और हनफी विचारधारा के अनुसार यह अधिकार लड़की के युवा होने के आरम्भ तक रहता है।

**संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890:** यह अधिनियम सभी समुदायों पर लागू होता है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पिता का अधिकार प्रधान है और अन्य कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि पिता अयोग्य न पाया जाए। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि न्यायालय को अधिनियम के अनुसार संरक्षक नियुक्त करते समय बालक की भलाई ध्यान में रखनी चाहिए।

**भरण-पोषण**

पत्नी का भरण-पोषण करने की पति की जिम्मेदारी विवाह से उत्पन्न होती है। भरण-पोषण का अधिकार व्यक्तिगत विधि में आता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार, भरण-पोषण का अधिकार पत्नी को और आश्रित बालकों को ही नहीं दिया गया है, अपितु निर्धन माता-पिता और

तलाकगुदा पत्नियों को भी दिया गया है। परन्तु पत्नी धादि का दावा पति के पास पर्याप्त साधन होने पर निर्भर करता है। सब प्राथिन व्यक्तियों के भरण-पोषण का दावा 500 रु० प्रति माह तक सीमित रखा गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण-पोषण के अधिकार को शामिल करने से यह एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि उपचार शीघ्र और सस्ता हो गया है। किन्तु वे तलाकगुदा पत्नियाँ, जिन्होंने रुद्रिजन्म या व्यक्तिगत विधि के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि प्राप्त की है, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं हैं।

हिन्दू विधि के अन्तर्गत, पत्नी को अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, किन्तु यदि वह पतिव्रता नहीं रहती है, तो वह अपने इन अधिकार से वंचित हो जाती है। भरण-पोषण का उक्त अधिकार हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 में संहिताबद्ध है। भरण-पोषण का रकम निर्धारित करने में न्यायालय अनेक बातों को ध्यान में रखता है, जैसे दोनों पक्षों की स्थिति और हैसियत, दावेदार का उचित जरूरतें और पति की देनदारी तथा दायित्व। न्यायालय इस बात का भी निर्णय करता है कि पत्नी का पति से पुषक रहना न्यायसंगत है या नहीं। न्यायसंगत मानने योग्य कारण अधिनियम में उल्लिखित हैं।

मुकदमा चलने की अवधि के दौरान भरण-पोषण, निर्वाह-व्यय और विवाह संबंधी मुकदमे का खर्च भी या तो पति द्वारा वहन किया जाएगा या पत्नी द्वारा, यदि दूसरे पक्ष (पति या पत्नी) को अपने भरण-पोषण के लिए कोई स्वतंत्र धन नहीं है। स्वामी भरण-पोषण के भुगतान के बारे में भी यही सिद्धांत लागू होगा।

तलाकगुदा मुस्लिम महिलाओं के हितों का संरक्षण तथा तत्संबंधी बातों के लिये मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यह प्रावधान है, इस अधिनियम के तहत मुस्लिम महिलाओं को दूसरी चीजों के अलावा, ये अधिकार प्राप्त हैं:

- (अ) 'इदत' के दौरान पूर्व पति द्वारा उचित और न्यायसंगत छाद-नामग्री तथा निर्वाह भत्ता दिया जाएगा;
- (ब) यदि तलाक के पहले या बाद में हुए उनके बच्चों का भरण-पोषण तलाकगुदा महिला चुन सकती है तो उनके पूर्व पति द्वारा उचित उचित और न्यायसंगत छादनामग्री और निर्वाह भत्ता हर बच्चे के बाद दो साल तक मिलेगा;
- (ग) 'महर' या 'शरर' (पति की मृत्यु पर पत्नी को मिलने वाला भत्ता), जो भी विवाह के अन्तर्गत पर या बाद में मुस्लिम विधि के अनुसार पत्नी को देना तब हुआ हो, वह तलाकगुदा मुस्लिम को मिलेगा;

(ए) विवाह से पहले, विवाह के पक्ष या बाद में उसे उसके मित्तों या रिश्तेदारों, पति या उसके मित्तों और रिश्तेदारों से मिली सभी संपत्तियाँ भी तलाकशुदा महिला को प्राप्त होंगी।

इनके अलावा यह कानून दूध के साथ खुद का भरण-पोषण न कर सकने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिये भी प्रावधान करता है। इसके अनुसार मजिस्ट्रेट इस महिला को संपत्ति के पारिसों को, उचित और न्यायसंगत निर्वाह-भत्ता, जो उसे ठीक लगे, देने के आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश देते पक्ष मजिस्ट्रेट महिला की जरूरतों, उसके विवाहित जीवन के स्तर और पारिसों की शाय को ध्यान में रखेगा। यह निर्वाह भत्ता पारिसों द्वारा उसी अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में वे उस महिला के संपत्ति के उत्तराधिकारी बनें तथा वे उस काल में निर्वाह भत्ता देंगे जैसा कि मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा होगा।

अगर इस महिला के बच्चे हैं तो मजिस्ट्रेट सिर्फ उन बच्चों को ही निर्वाह भत्ता देने को फहेगा, लेकिन बच्चों की क्षमर्था की दशा में यह तलाक-शुदा महिला के माता-पिता को निर्वाह-भत्ता देने का आदेश देगा। यदि महिला के रिश्तेदार न हों या वे इस महिला के भरण-पोषण में क्षमर्था हों तो उस हालत में मजिस्ट्रेट पक्ष अधिनियम, 1954 की धारा 9 के तहत बनाये गये उस राज्य पक्ष बोर्ड को, जो इस महिला के निवास-स्थान के क्षेत्र में कार्यरत हो, इस तलाकशुदा महिला को उचित निर्वाह भत्ता देने का आदेश देगा।

पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 भरण-पोषण के लिए केवल पत्नी के अधिकार—मूकधमे के दौरान निर्वाह-भ्यय एवं स्थायी निर्वाह-भ्यय दोनों—को मान्यता देता है।

जिस अवधि के दौरान विवाह विषयक पाद न्यायालय में चलता है, उसके लिए न्यायालय अधिकतम एक पति की शुद्ध आय का  $\frac{1}{8}$ वां भाग, पत्नी को दिला सकता है। स्थायी भरण-पोषण की राशि तय करने में न्यायालय; भुगतान करने की पति की क्षमता, पत्नी की अपनी धन-सम्पत्ति और दोनों के सापरण को ध्यान में रखते हुए निर्णय करेगा कि न्यायसंगत क्या है? यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पत्नी पतिव्रता और अविवाहित रहेगी।

ईसाई पत्नी के भरण-पोषण के अधिकारों के बारे में भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 लागू होता है। इसके उपबंध भी वही हैं, जो पारसी विधि के अन्तर्गत हैं और भरण-पोषण, पादकालीन निर्वाह-भ्यय एवं स्थायी निर्वाह-भ्यय दोनों को मंजूर करते समय वही बातें लागू की जाती हैं।

## उत्तराधिकार

1925 से पहले उत्तराधिकार के विषय में अनेक कानून थे। 1925 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उन अनेक विधियों को समन्वित करना था, जो उस समय अस्तित्व में थीं। मुसलमानों और हिन्दुओं के उत्तराधिकार के विषय में लागू होने वाले कानूनों को इस अधिनियम से हलक रखा गया। उत्तराधिकार

संबंधी कानूनों को समाहित करते समय दो स्पष्ट स्कीमों को प्रयत्न किया गया—प्रथम भारतीय ईसाइयों, यहुदियों और विशेष विवाह अधिनियम, 1955 के अधीन विवाहित व्यक्तियों के सम्पत्ति-उत्तराधिकार के बारे में और दूसरी पारसियों के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों के बारे में।

प्रथम स्कीम में, यानी उन व्यक्तियों के संदर्भ में, जो पारसी नहीं थे, प्रावधान था कि यदि किसी व्यक्ति की विवाहीत तबसे मृत्यु हो जाए और उसकी विधवा और पारम्परिक वंशज जीवित हों, तो विधवा एक तिहाई सम्पत्ति के नियत हिस्से का हकदार होगी और शेष उत्तराधिकारी बचे हुए दो तिहाई हिस्से के हकदार होंगे। बाद में विधवा के अधिकारों को बेहतर बनाने की दृष्टि से इस विधि में संशोधन किया गया और उसमें यह प्रावधान किया गया कि जहां किसी निर्वसीयती की मृत्यु हो जाए और उसकी विधवा जीवित हो तथा कोई पारम्परिक वंशज न हो, तथा सम्पदा का शुद्ध मूल्य 5,000 रु० से अधिक न हो, वह सम्पूर्ण सम्पत्ति की हकदार होगी। जहां सम्पदा का मूल्य 5,000 रु० से अधिक है, वहां वह भुगतान तक 4 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित पांच हजार रुपये की राशि के लिए हकदार होगी और शेष में वह अपने निर्वसीयता हिस्से का हकदार है। यह अधिनियम किसी व्यक्ति पर अपनी सम्पत्ति को वसीयत करने के मामले में कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।

दूसरी स्कीम के अन्तर्गत, अधिनियम में पारसी निर्वसीयती उत्तराधिकार के लिए प्रावधान है। पारसी निर्वसीयती पर लागू होने वाले नियम को विधेयता यह है कि हिन्दू विधि के अनुरूप और मुस्लिम विधि से भिन्न, पुरुष और स्त्री पारसी निर्वसीयती की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में पृथक-पृथक नियम हैं। उदाहरण के लिये, यदि किसी पारसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी विधवा और बच्चे हों, तो सम्पत्ति का बंटवारा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक पुत्र और विधवा का हिस्सा प्रत्येक पुत्री के हिस्से से दुगुना होगा। इसके अतिरिक्त जब पुरुष की मृत्यु के बाद विधवा और बच्चों के साथ-साथ माता-पिता—दोनों या उनमें से एक जीवित हो, तो सम्पत्ति का बंटवारा इस प्रकार किया जाएगा कि पिता को पुत्र के हिस्से के साथ के बराबर मिलेगा और माता को पुत्री के हिस्से के साथ के बराबर

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की उत्प्रेषणीय विशेषताएं हैं—निर्वसीयती की सम्पत्ति की विरासत पाने में पुरुषों के समान स्त्रियों के अधिकारों को भी मान्यता और स्त्री वारिसों की जीवनपर्यन्त सम्पदा की समाप्ति।

भारत के अधिकांश मुसलमान सुन्नी विधि के 'हनुफा' सिद्धान्तों का पालन करते हैं और न्यायालय यह मान कर काम करते हैं कि मुसलमानों पर हनुफी विधि लागू होती है, जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए। यद्यपि शिया और सुन्नी सम्प्रदायों में बहुत-सी बातें एक-सी हैं, फिर भी कुछ बातें भिन्न हैं। सुन्नी विधि के अनुसार, विरासत संबंधी कुरान के पद पूर्व-इस्लामी पारम्परिक कानून के परिभाषित माने जाते हैं और उसमें पुरुषों की श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखा गया है।



हिन्दू और ईसाई विधि से अलग मुस्लिम विधि व्यक्ति के वसीयत करने के अधिकार को प्रतिबन्धित करती है। मुसलमान अपनी सम्पत्ति के केवल एक-तिहाई को वसीयत कर सकता है। यदि कोई वसीयत एक तिहाई सम्पत्ति से अधिक नहीं है, तो वारिसों की सहमति के बिना भी किसी अजनबी व्यक्ति के लिए की गई वसीयत विधिमान्य होगी, किन्तु वारिसों की सहमति के बिना किसी एक वारिस के लिए की गई वसीयत विधिमान्य नहीं होगी। उत्तराधिकार आरम्भ होने पर वसीयत के वारिसों की सहमति प्राप्त करनी होगी और वसीयतकर्ता के जीवन-काल में वसीयत के लिए दी गई सहमति उसकी मृत्यु के बाद वापस ली जा सकती है। शिया विधि के अनुसार, मुसलमानों को सम्पदा के व्ययनीय एक-तिहाई तक को वसीयत की स्वतंत्रता प्राप्त है।

### कानूनी सहायता

कानूनी सहायता का मूलभूत अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है जिसमें राज्य को आदेश दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता या विधि द्वारा प्रदत्त समान संरक्षण से वंचित न करे। अनुच्छेद 21, राज्य को, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित करने से रोकता है, ऐसा केवल विधिसम्मत क्रिया-विधियों द्वारा ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 39(क) में इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्थिक और अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्ति के अवसरों से वंचित न किया जाए।

सरकार की इच्छा थी कि देश में कानूनी सहायता की व्यापक योजनायें शीघ्रता से तैयार करने क्रियान्वित की जाएं, इसलिये उसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त लघु समिति सितम्बर, 1980 में गठित की। सितम्बर, 1985 में यह समिति पुनर्गठित की गई। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती को इस समिति का मुख्य संरक्षक तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री आर० एन० मिश्र को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किये जाने के लिये एक आदर्श योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक नागरिक को, जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय छः हजार रुपये से अधिक न हो, मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। ऐसे अदालती मामलों में, जिनमें एक पक्ष अनुसूचित जाति या जनजाति, खानाबदोश जाति, स्त्री अथवा बालक हो, आय सीमा की शर्त लागू नहीं होगी।

इस आदर्श योजना के अनुसार, कुछ राज्यों में 'कानूनी सहायता व सलाहकार बोर्ड' स्थापित किए जा चुके हैं। बोर्डों ने उच्च न्यायालयों और जिला स्तरीय न्यायालयों में तथा अधिकतर जगहों पर तालुका स्तर पर भी कानूनी सहायता समितियाँ स्थापित की हैं।

उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों के बारे में कानूनी सहायता देने के लिये 'उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति' का गठन किया गया है।

पुलिस,

देश में पुलिस बल को कानून व व्यवस्था बनाय रखने, अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने का दायित्व सौंपा गया है। ब्रूंक संविधान के अनुसार, कानून, व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय है, अतः भारत में पुलिस की व्यवस्था बनाये रखना और इस पर नियंत्रण रखना राज्यों का कार्य है।

राज्य में पुलिस बल का प्रधान महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस होता है। राज्यों को दोत्रीय भागों में बांटा गया है, जिन्हें 'रेंज' कहते हैं। प्रत्येक रेंज एक उप महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। एक रेंज में कई जिले होते हैं। जिला पुलिस के कई उप-विभाग होते हैं, जैसे पुलिस खण्ड, पुलिस सिकल और थाने। सिविल पुलिस के अलावा राज्यों की अपनी सशस्त्र पुलिस भी होती है और उनको अपनी सूचना शाखाएं और अपराध शाखाएं आदि होती हैं।

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद और नागपुर जैसे महानगरों में पुलिस व्यवस्था सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन है। पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं।

विभिन्न राज्यों के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) से आते हैं जिनका चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। पुलिस उप अधीक्षक से लेकर नीचे पुलिस सिपाही तक के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति और काठर पर नियंत्रण स्वयं राज्य सरकारें करती हैं।

केन्द्रीय सरकार के अनेक केन्द्रीय सशस्त्र बल हैं, जो भारत 'संध के अन्य सशस्त्र बलों के समान हैं। केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) के प्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये संस्थाएं अपराधियों की वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से खोज और जांच में मदद करती हैं।

सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०) 1965 में बनाया गया था। इसे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं, विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी रखने का काम सौंपा गया है। इसके वैधानिक कार्य हैं : (1) सीमा क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना; (2) सीमा पर अपराध तथा भारत राज्यक्षेत्र में अनधिकृत आवागमन को रोकना; तथा (3) तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना। इसके प्रतिरिक्त यह बल मुद्रकाल में सेना के साथ, अनुपूरक भूमिका निभाता है और सीधे सेना के संचालनारमक नियंत्रण में काम करता है। सशस्त्र बल होने के नाते विभिन्न आन्तरिक सुरक्षात्मक कार्य करने के लिये इससे कहा जाता है तथा इसे निम्न प्रशासन के सहायताय भी लगाया जाता है।

इस बल का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका प्रधान महानिदेशक होता है। यह सीमा क्षेत्र में कार्यरत अन्य बलों जैसे सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पर्याप्त सम्पर्क रखता है। सीमा स्तम्भों का अनुरक्षण एक प्रतिरिक्त कार्य है, जो भारतीय सर्वेक्षण अधिकारियों के सहयोग से किया जाता है। बल के चार बड़े प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनके नाम हैं : (1) टेकनापुर

(ग्वालियर) में वी० एस० एफ० अकादमी जिसमें अफसर, अधीनस्थ अफसर और अन्य रैंकों को शुरुआत में तथा बाद में उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है, (2) हजारीबाग का प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल जिसमें विशेष हथियारों और जंगल का प्रशिक्षण दिया जाता है; (3) इन्दौर में हथियारों और सामरिक प्रशिक्षण का केन्द्रीय स्कूल; और (4) नई दिल्ली में सिगनल ट्रेनिंग स्कूल। बल ने टेकनपुर में अश्रु गैस के गोले और ग्रेनेड गोले बनाने का एक कारखाना खोला है। यह कारखाना देश के अनेक पुलिस बलों की जरूरतें पूरी करता है। इसकी वर्तमान क्षमता 50,000 नग प्रतिवर्ष है। देश भर में अश्रु गैस के गोलों की आवश्यकता को यह कारखाना पूरी करता है। इसके अतिरिक्त वी० एस० एफ० ने छोटे हथियारों की मरम्मत के लिए बहुत-सी वर्कशॉप स्थापित की हैं जो केन्द्र शासित प्रदेश और राज्य पुलिस संगठनों की पिस्तौल, राइफल, कार्बाइन जैसे हथियारों की मरम्मत संबंधी जरूरत पूरी करती है।

## गृह रक्षक दल

गृह रक्षक दल एक स्वयंसेवी बल है। यह दल दिसम्बर 1946 में साम्प्रदायिक दंगों और नागरिक अशांति पर काबू पाने में पुलिस की सहायता करने के लिये अस्तित्व में आया। इसके बाद अनेक राज्यों ने नागरिकों के स्वयंसेवी संगठनों की अवधारणा को लागू किया। 1962 में चीनी आक्रमण के बाद केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग स्वयंसेवी संगठनों को एक ही स्वयंसेवी दल में मिला देने की सलाह दी। फलस्वरूप गृह रक्षक दल अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। गृह रक्षक दल का काम आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने में किसी भी प्रकार की संकटकालीन स्थिति—जैसे हवाई हमले, आगजनी, तूफान, भूकम्प, बाढ़, महामारी आदि के समय लोगों की मदद करने में पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना है। यह दल विशेष सेवाओं को बनाये रखने, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने तथा निचले तबके के लोगों की रक्षा करने में प्रशासन को मदद देता है। सामाजिक, आर्थिक और जनकल्याण से संबंधित कार्यक्रमों में भी इस दल की भूमिका है। नागरिक प्रतिक्रिया भी इस दल के कर्तव्यों में है।

गृह रक्षक दल दो प्रकार के होते हैं—शहरी और ग्रामीण। सीमा प्रदेशों में गृह रक्षक दल के सीमा विंग के रूप में बटालियन बनाई गई है, जो सुरक्षा बलों के सहायक के रूप में काम करती है। देश में गृह रक्षक दल की अधिकृत संख्या 5 लाख 16 हजार है किन्तु अभी तक यह 5.02 लाख तक ही पहुंच पाई है। अब तक यह संगठन केरल, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिक्कम, लक्षद्वीप तथा दादरा और नागर हवेली के अलावा देश के अन्य सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में विद्यमान है।

राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के गृह रक्षक दल अधिनियम के अन्तर्गत इसमें भर्ती की जाती है। गृह रक्षक दल में जन साधारण के विभिन्न प्रतिनिधिक समूह के लोगों में से जैसे डाक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, कालेज तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी, कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रों के

कार्मिक भादि की भर्ती की जाती है, जो अपने समुदाय में सुधार के लिए अपना शेष समय संगठन को दे सकते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18-50 वर्ष के आयु वर्ग में आता है, गृह रक्षक दल का सदस्य बन सकता है। दल के सदस्य की कार्य अवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है। इनके सदस्यों को कई प्रकार की सुत्र-सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें बर्दा तथा घुनाई भत्ता, प्रशिक्षण के दौरान आवासीय सुविधाएं, छाह्रपूर्ण तथा शोरकाली कार्य करने पर नकद पुरस्कार तथा पदक दिए जाते हैं। गृह रक्षक को कार्य या प्रशिक्षण के लिये बुलाये जाने पर उसे नियत दर के अनुसार कार्य या प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है। कार्य/प्रशिक्षण के दौरान यदि कोई गृह रक्षक घायल हो जाता है अथवा उमरी मृत्यु हो जाती है तो वह सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार मृत्यु अथवा घायल महायता अनुदान पाने का अधिकारी है। मृतक के परिवार को अल्पेष्टि धर्म भी दिया जाता है। जो व्यक्ति संगठन में गृह रक्षक के रूप में 3 साल तक कार्य कर लेता है तथा जो बुनियादी तथा अद्यतन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें केन्द्र सरकार की वग 'ग' तथा वग 'ध' सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ उस राज्य सरकार के कार्यालय में भी उनकी नियुक्ति की जा सकती है जिन राज्य में अपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। गृह रक्षक के रूप में प्राप्त किया गया अनुभव भविष्य में सौंपे गए कार्य-निष्ठादन में अनिश्चित सुविधा प्रदान करता है।

गृह रक्षक दल का कानून व व्यवस्था कायम करने, अग्रराजों की रोकथाम, बाहुओं के खिलाफ अभियान, सीमा चौकसी, बाढ़-अस्त्र क्षेत्रों में राहत कार्य, मछलियेध, प्रमुख कारखानों की देख-रेख, बनों की सुरक्षा, पहरेदारों, भीषण दुर्घटनाओं के समय राहत, अग्निशमन, चुनावों की देख-रेख और अमान्य कल्याण जैसे कार्यकलापों में पुलिस का हाथ बंटाने के लिये दिन-प्रतिदिन बड़ी संख्या में उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा का पहला भार गृह रक्षक दल के कंधों पर पड़ता है। ये इस कार्य के लिये अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं।

गृह रक्षक दल की भूमिका व लक्ष्य, इन्हें भर्ती करने व प्रशिक्षण देने, अस्त्र-शस्त्र प्रदान करने, इनके प्रतिष्ठानों का आर्थिक भार वहन करने और अन्य मुख्य विषयों में संबंधित नीति का निर्धारण गृह मंत्रालय करता है। गृह रक्षक दल पर किये गये व्यय केन्द्र और राज्य सरकार आधा-आधा वहन करती है। 1986-87 में राज्य सरकारों द्वारा गृह संरक्षक दल बनाने और उनके प्रशिक्षण में किये धर्म की अदायगी के लिये 20 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

गृह संरक्षक दल तथा सामाजिक प्रतिरक्षा दलों के कार्यों के व्यावसायिक मानदंडों में सुधार तथा विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के उनके सदस्यों

में एकात्म भावना को बढ़ाने के लिये, अखिल भारतीय गृह संरक्षक दल तथा सिविल प्रतिरक्षा दल का व्यावसायिक और खेलकूद अधिवेशन प्रति वर्ष होता है जिसे राज्य सरकारें वारी-वारी से आयोजित करती हैं। मार्च 1986 में ग्यारहवां अधिवेशन ग्वालियर में हुआ था जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित किया था। 21 राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया और हरियाणा के दल ने सर्वश्रेष्ठ चैंपियन ट्राफी जीती।

## केन्द्रीय रिजर्व दल

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की स्थापना 1939 में की गई थी और इसे क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव की पुलिस कहते थे। स्वाधीनता के बाद क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव की पुलिस का नाम बदल कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस रख दिया गया। बाद में इसमें दल भी जोड़ दिया गया। यह महानिदेशक के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

दल का प्रमुख कार्य सभी राज्यों को कानून और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता प्रदान करना है। बाहरी आक्रमण के समय दल का कुछ भाग सेना के अधीन कार्य पर लगाया जाता है।

## केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

इस दल की स्थापना 1969 में सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले औद्योगिक उपकरणों की, और अधिक रक्षा तथा सुरक्षा के लिये संसद द्वारा बनाये गये एक अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (संशोधित) अधिनियम 1983, जो 15 जून 1983 को प्रभावी हुआ, के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को संघीय शासन की सशस्त्र सेना घोषित किया गया। इस दल का प्रधान महानिदेशक होता है जिसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। इस दल को मुख्यतः इस्पात और उर्वरक, संयंत्रों, तेल शोधक कारखानों, बन्दरगाहों, अन्तरिक्ष अधिष्ठानों, परमाणु ऊर्जा संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

## असम राइफलस

असम राइफलस देश का सबसे पुराना अनुसैनिक (पैरा मिलिटरी) दल है। इसने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पिछले 151 वर्षों में बहुमूल्य सेवायें प्रदान की हैं। अंतर्राष्ट्रीय असम राइफलस ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अभी तक गैर-प्रशासित इलाकों में नागरिक प्रशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने इस कार्य को निभाते हुए इसने अपने अनुकरणीय व्यवहार, नागरिक व्यवहार, कार्यक्रम निष्पादन और निस्वार्थ सेवा से अपने आप को लोगों और विशेषतया अपने जनजाति बांधवों में अतिप्रिय बना लिया है।

दल में लगभग 40,000 सैनिक हैं। यह एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय शिलांग में है। अधिकतर दल सेना के अधीन कार्य कर रहा है।

## केन्द्रीय अग्निबेधक ब्यूरो

केन्द्रीय अग्निबेधक ब्यूरो (सी०वी०आई०) की स्थापना अप्रैल 1963 में हुई थी। इससे पहले इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट) के रूप में जाना जाता था, जिसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के

प्रन्तर्गत बनाया गया था और जो इसी अधिनियम के अनुसार संचालित होता था। 1963 में केन्द्रीय भन्वेपण ब्यूरो की स्थापना के बाद इस संगठन के कार्य-कलापों को विस्तृत कर दिया गया। भन्वेपण के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इन्टरपोल) के अधीन कार्यरत भारत के राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो, केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान (फोरेसिक साइंस) प्रमुख्यालयाला और केन्द्रीय भ्रष्टाचार (फिगर प्रिंट) ब्यूरो के कामों में भी इस संगठन को हाथ बंटाना पड़ता है।

केन्द्रीय भन्वेपण ब्यूरो अपने विशेष पुलिस स्थापना विभाग के साथ केन्द्र सरकार की प्रमुख भन्वेपक एजेंसी है। यह ब्यूरो केन्द्र सरकार या उसके निर्गमित उपग्रहों के कर्मचारियों से संबंधित कदाचार के मामलों की जांच करता है। इसके द्वारा भन्वेपण किये जाने वाले मामले इस प्रकार हैं:

ऐसे मामले जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने वाले प्रतिष्ठानों और निगमों के हितों को हानि पहुंचती हो; ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय कानून, जिन्हें केन्द्र सरकार लागू करना चाहती हो, भंग होते हैं, घोषाघडी, फरेव या पैस के दुरुपयोग के बड़े मामले; तथा संगठित गिरोहों और पेशेवर अपराधियों जिनके अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठे हैं, से संबंधित मामले। केन्द्रीय भन्वेपण ब्यूरो उपरोक्त मामलों में भन्वेपण का अधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है।

1985 में केन्द्रीय भन्वेपण ब्यूरो ने 1219 मामलों को भन्वेपण के लिये लिया, जिनमें 968 राजपत्रित दजों के अधिकारी, 623 दूसरे सरकारी कर्मचारी और 935 गैर-सरकारी आदमी संलिप्त थे। इसी साल, भन्वेपण के परिणाम-स्वरूप 630 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई जिनमें 285 राजपत्रित दजों के कर्मचारी, 422 दूसरे कर्मचारी और 1306 गैर-सरकारी व्यक्ति शामिल थे। 1985 में जिन मुकदमों का फैसला हो गया उनमें न्यायालयों ने 49 राजपत्रित अधिकारियों, 146 दूसरे सरकारी कर्मचारियों और 144 गैर-सरकारी व्यक्तियों को दोषी पाकर दंडित किया।

केन्द्रीय भन्वेपण ब्यूरो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अपराधियों की अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) तैयार करता है और अनेक विदेशी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की मदद से भ्रष्टाचार के निशानों का सत्यापन करता है। इन्टरपोल देश में अनेक प्रवर्तन अभिकरणों को भी सूचना भेजता है।

## नागरिक रक्षा

नागरिक रक्षा का उद्देश्य है—शत्रुतापूर्ण आक्रमण की स्थिति में जनजीवन की रक्षा करना, अनवरत उत्पादन बनाए रखना और ऐसी व्यवस्था करना जिससे सम्पत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे। घोर संकट की स्थिति में इसका लक्ष्य लोगों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखना है।

सरकारी नीति के अनुसार नागरिक रक्षा के कार्य सामरिक तथा तकनीकी महत्व के घुने हुए स्थानों और बृहत संयंत्र क्षेत्र तक सीमित हैं। यद्यपि इसको रक्षा मूलतः स्वैच्छिक आधार पर संगठित किया जाता है। तथापि इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थायी कर्मचारी होते हैं जो युद्ध की स्थिति में बढ़ाये जा

सकते हैं। नागरिक रक्षा संचार प्रणाली का लक्ष्य तत्काल चेतावनी देने की प्रणाली की स्थापना करना और असुरक्षित क्षेत्रों में चार चैनलों के नेटवर्क का कार्यान्वयन करना है।

नागरिक रक्षा में स्वयंसेवकों की वर्तमान लक्ष्य संख्या 6.6 लाख है। इनमें से 3.73 लाख स्वयंसेवक भर्ती किए गए हैं और 3.60 लाख को दिसम्बर 1985 तक प्रशिक्षण दिया गया है।

गृह मंत्रालय नागरिक रक्षा कार्यों की राज्यों द्वारा प्राधिकृत मदों पर 50:50 खर्च करता है, किन्तु उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल के पांच उत्तरी जिलों में नागरिक रक्षा कार्यों पर किया गया सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है।

राष्ट्रीय नागरिक रक्षा कालेज, नागपुर प्रशिक्षकों, स्टाफ अफसरों, राष्ट्रीय कैंडेट कोर, भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षार्थियों तथा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

अग्निशमन सेवाएं

अग्निशमन सेवाएं गृहमंत्रालय के नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय का ही अंग हैं। एक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज नागपुर में स्थित है। यह अग्निशमन में व्यावसायिक और स्नातक दोनों पाठ्यक्रम आयोजित करता है। दिसंबर 1978 में यहां अग्निशमन इंजीनियरी में एक द्विवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चलाया गया। इस स्नातक पाठ्यक्रम के लिए यह कालेज नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। इस कालेज में विदेशों से भी प्रशिक्षार्थी आते हैं। अब तक इसमें 8,702 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें विदेशों के 68 उम्मीदवार शामिल हैं।

अग्निशमन सलाहकार और अग्निशमन उपसलाहकार विभिन्न राज्यों में जाते रहते हैं और उनकी अग्निशमन सेवाओं में सुधार लाने के लिए उन्हें आवश्यक सलाह देते रहते हैं।

सामान्य वीमा निगम से कहा गया है कि वे अग्निशमन सेवाओं के विकास के लिए राज्यों को 1980-81 से पांच वर्ष तक के लिए दीर्घावधि ऋण देने की व्यवस्था करें।

'स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद' सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है, जिसमें अग्निशमन सेवाओं के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां बनायी जाती हैं। नागरिक सुरक्षा महानिदेशक इसका अध्यक्ष होता है। सदस्य सचिव के रूप में इसके पांच सलाहकार होते हैं। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अग्निशमन सेवा के प्रधान इसके सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय पुलिस  
अकादमी

1948 में आबू में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई। इसे 1975 में हैदराबाद ले जाया गया। इस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के सभी स्तर के अधिकारियों के साथ ही विदेशी अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें पुलिस प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैं। संगोष्ठियां, परिसंवाद तथा निबंध

प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और पुतिम में संबंधित विषयों पर शोध-पत्र, ग्रंथ और वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं ।

अपराध शास्त्र तथा न्यायिक विज्ञान संस्थान

अपराध शास्त्र तथा न्यायिक विज्ञान संस्थान की स्थापना 1971 में, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से की गई। इसमें अपराध न्याय प्रणाली के विभिन्न कार्यक्रमों और सरकारी विभागों तथा नार्वेजिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त अधिकारियों के लिए अन्तःसेवा प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। कोलंबो योजना के अन्तर्गत विदेशी प्रशिक्षणार्थी भी कुछ पाठ्यक्रमों में शामिल होते हैं। यह संस्थान कतिपय विश्वविद्यालयों की एम० फिल० तथा पी एच० डी० डिग्री प्राप्त करने हेतु अनुसंधान करने के लिए मान्यताप्राप्त है। यहां से 'द इंडियन जर्नल ऑफ क्रिमिनोलोजी' और 'क्रिमिनलिस्टिक' त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है।

कारागार

'कारागार, मुधारगृह और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं, उनमें कई व्यक्ति और अन्य राज्यों के कारागारों तथा अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिये प्रबंध'—यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्यसूची में शामिल है। कैदियों के भरण-पोषण और देख-रेख सहित कारागारों का प्रशासन और प्रबंध, राज्यों द्वारा प्रांगीकृत और समय-समय पर संशोधित तीन अधिनियमों—कारागार अधिनियम, 1894; बंदी अधिनियम, 1900 और बंदी स्थानान्तरण अधिनियम, 1950 द्वारा होता है। कारागारों का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए और अपने-अपने राज्य की कारागार निदेशिका में ममाविष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है।

देश में कई प्रकार के कारागार हैं—केंद्रीय कारागार, जिला स्तरीय कारागार, उप-कारागार, छुट्टे कारागार, महिला कारागार तथा युवा अपराधियों के लिये संस्थान। राज्यों में जेलों की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रधान कारागार महानिरीक्षक होता है।

देश में कारागार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और कारावाह हेतु आवश्यक निष्कारियों करने के प्रयोजन से 25 जुलाई, 1980 को, न्यायाधीश ए० एन० मुल्ता की अध्यक्षता में, कारागार मुधार संबंधी जो अधिल भारतीय समिति गठित की गई थी, उसने मार्च 1983 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में, कारागार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक निष्कारियों हैं। उन निष्कारियों में से कुछ तो राज्य सरकारों और केंद्र शामिल प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जानी है तथा कुछ अन्य निष्कारियों का केंद्र सरकार और कुछ अन्य का राज्य सरकारों द्वारा परिपालन किया जाना है। इनमें अनेक ऐसी निष्कारियों हैं जिनके क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है। प्राथमिकता के आधार पर कुछ क्षेत्र अतिवार्य माने गए हैं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय आवश्यकता पाठ्ये आयोग को भेजी गई। आयोग ने कुछ पूंजी देने की निष्कारिका की और



निर्णय किया कि 1985-89 की चार वर्षों की अवधि के लिए, विभिन्न राज्य सरकारों को 137.56 करोड़ रुपये की राशि दी जाए। आयोग का प्रस्ताव है कि इस धन का उपयोग युवा अपराधियों, महिला कैदियों तथा पागल बंदियों को प्रतिरिक्त सुविधाएं देने और कारागार सुविधाएं, जैसे जल की आपूर्ति, सामूहिक भोजनालय और बिजली की व्यवस्था करने में किया जाए। जेल कर्मचारियों को भी अच्छे आवास प्रदान किए जाएंगे।

इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के परामर्श से अन्य सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है।

इमारतों और कारागार सक्षमताओं, जिनके लिये 137.56 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, के अलावा कार्य-योजना और व्यवसाय प्रशिक्षण आदि जैसे अनेक कल्याण कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है। 1986-90 के लिये विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को समान आधार पर धन देने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

संसद द्वारा बनाई गई विधियां

1985 के दौरान 93 विधेयक कानूनों के रूप में अधिनियमित हुए। इनमें संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 भी शामिल है। इनकी एक सूची सारणी 26.2 में दी गई है। इस वर्ष के दौरान बनाये गये कुछ कानूनों का कार्यक्षेत्र और प्रयोजन इस प्रकार है :

(1) अचल सम्पत्ति, मांग तथा अर्जन (संशोधन) 1985: 1970 से पहले मांगी हुई सभी सम्पत्तियों को 10 मार्च 1985 से पहले मांग से मुक्त कर देना था। लेकिन इनमें से कुछ सम्पत्तियों की सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये मंत्रालयों/विभागों और दिल्ली प्रशासन को जम्हूरत थी। 6 मार्च 1985 को या उससे पहले मांगी हुई सम्पत्तियों के क्षतिपूर्ति के पुनः पुनः दिये जाने वाले हिसरे में संशोधन करने का भी विचार था। इसके लिये 8 मार्च 1985 को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके तहत मांगी गई सम्पत्तियों को रखने की अधिकतम कालावधि दो साल कर दी गई। इस कानून ने अध्यादेश का स्थान ले लिया है।

(2) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना सार्वों का निपटारा अधिनियम, 1985: 2 और 3 दिसम्बर 1984 को भारतीय यूनियन कार्वाइंड कम्पनी, जो अमेरिका की यूनियन कार्वाइंड निगम की सहायक कम्पनी है, के भोपाल संयंत्र से अत्यन्त अतिप्रदूषकारी और असाधारण रूप से घातक गैस के रिसाव से जो दुर्घटना हुई थी वह अपनी प्रकृति और परिणामों की दृष्टि से असाधारण थी। उसमें बहुत बड़ी संख्या में जान-माल का भारी नुकसान हुआ। इस दुर्घटना में जो व्यक्ति बच गये, वे अभी भी उसके दुःप्रभावों से पीड़ित हैं और आगे चलकर उनमें जो जटिलताएँ पैदा होंगी उनका सही अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। इस दुर्घटना से पीड़ित लोगों के हितों का पूरी

उन्हें से संरक्षण और जीवहानि एवं व्यक्तिगत नुकसान के लिये हजनि या क्षतिपूर्ति के दावों पर जल्दी एवं कारगर रूप से उनके हित में कार्य करने हेतु राष्ट्रपति ने 20 फरवरी 1985 को एक अध्यादेश जारी किया था। इसमें दुर्घटना-पीड़ितों के हितों के संरक्षण के लिये एक भाषुक्त की नियुक्ति तथा जरूरी योजनाएँ बनाने का भी प्रावधान था। उपरोक्त अधिनियम ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया है।

- (3) **हथकरघा (उत्पादन के लिये पदार्थों का आरक्षण) अधिनियम 1985** : यह अधिनियम केन्द्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है कि वह अधिसूचित आदेश द्वारा कुछ पदार्थों या पदार्थों के कुछ प्रकारों का सिर्फ हथकरघों द्वारा उत्पादन के लिये आरक्षण करे। इन पदार्थों के विद्युत करों से या अन्य प्रकार से उत्पादन पर रोक लगाए और इस आदेश के उल्लंघन को दंडनीय बनाये। इस अधिनियम में इसकी धाराओं को लागू करने के लिये दूसरी जरूरी चीजों का भी प्रावधान है। निर्यात, अनुसंधान या हथकरघा उद्योग के विकास के लिये अगर जरूरी हो तो इस आदेश में उल्लिखित पदार्थों को छूट प्रदान करने का अधिकार भी इन अधिनियम द्वारा केन्द्र सरकार को दिया गया है।
- (4) **केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) अधिनियम 1985** : संविधान (बावनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़े गये दसवें परिशिष्ट द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम, 1963 में प्रस्तुत अधिनियम द्वारा संशोधन कर के उपरोक्त परिशिष्ट में दल-बदल के आधार पर भ्रष्टता संबंधी धाराओं को आवश्यक परिवर्तन के साथ केन्द्र शासित प्रदेश की विधानमंडल के सदस्यों पर भी लागू किया गया।
- (5) **आतंकवादी तथा विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1985** के देश के कुछ हिस्सों में निर्दयतापूर्ण हत्याओं, भागजनी, लूटमार और दूसरे घृणित अपराधों में संलिप्त आतंकवादियों की रोकथाम और विघटनकारी गतिविधियों को रोकने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया। दूसरी चीजों के अलावा यह अधिनियम आतंकवादियों और विघटनकारी कृत्यों के लिये कड़े दण्ड का प्रावधान करता है तथा केन्द्र सरकार को जरूरी और उचित नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है जिसमें कि वह इस की वारदातों में निपट सके। अपराधों की जल्द सुनवाई के लिये निर्दिष्ट (डेजिम्पेडेड) न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान भी उपरोक्त अधिनियम में है। मूल रूप में पारित कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में प्रांशिक रूप से लागू होना था। इसे पूर्ण रूप से लागू करने के लिये आतंकवादी तथा विघटनकारी गति-

विधियां (निवारण) संशोधन अधिनियम 1985 (1985 का 46वां) पारित किया गया जिसने इसी उद्देश्य से जारी किए अध्यादेश का स्थान ले लिया।

(6) मुद्रा (संशोधन) अधिनियम, 1985: देश में रेजगारी की कमी को समाप्त करने के लिये मुद्रा अधिनियम, 1906 में संशोधन करके उक्त अधिनियम केन्द्र सरकार को विदेशों से सिक्के आयात करने का अधिकार प्रदान करता है।

(7) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1985: इस अधिनियम में 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 293 (अ) की जगह एक नई धारा की व्यवस्था है जो सरकारी कंपनियों और तीन साल से कम समय के लिये अस्तित्व में रही कंपनियों द्वारा राजनीतिक अंशदानों पर चले आ रहे प्रतिबन्ध की अवधि को बढ़ाती है। नई धारा दूसरी कम्पनियों द्वारा उनके औसत शुद्ध मुनाफे के पांच प्रतिशत तक राजनैतिक अंशदानों की अनुमति देती है बशर्ते कि उनके निदेशक बोर्ड द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया हो। अपने लाभ-हानि के लेखे-जोखे में इस प्रकार के अंशदानों को दर्शाना कंपनी के लिये बाध्य होगा। इस प्रावधान को तोड़ने वाली किसी भी कंपनी की उस अंशदान के तीन गुना रकम जितना जुर्माना किया जा सकता है। और कंपनी के दोषी पाये गये अधिकारी को तीन साल तक सजा अथवा जुर्माना किया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 530 में किये संशोधन के अनुसार कंपनी वंद होने की स्थिति में कर्मचारी अपने श्रम और प्रयत्नों के फल में जायज हिस्से से वंचित नहीं किये जाएंगे। सातवीं लोकसभा की अद्वर विधान समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये अधिनियम की धारा 396 में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस धारा के तहत सम्मेलन-आदेश में देय क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन आदेश पर अपील के बाद कंपनी विधि बोर्ड को क्षतिपूर्ति के पुनर्मूल्यांकन का अधिकार दिया गया है।

(8) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1985: इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक न्यायाधीश द्वारा मोटरकार के रख-रखाव को देखते हुए भत्ता तीन सौ रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

(9) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985: स्वाधीनता के बाद औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक विस्तार के बावजूद शिक्षा पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और यह प्रणाली सभी को शिक्षा के समान अवसर नहीं दे पाई है। इस कठोर प्रणाली में अन्य बातों के अलावा कक्षाओं में उपस्थिति भी

भावश्यक है। बहुत से विद्यापिठों को इसने हतोत्साहित किया है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में, जो कि मस्ती और वास्तविक है, कई विकसित और विकासशील देशों के अनुभवों के फायदा उठाने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम देश की शिक्षा व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की गुरुमात और विकास के लिये प्रावधान करता है जो कि पढ़ने वालों, विशेषतया समाज के दुर्बल वर्गों के लिये लचीले और धुले शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करेगी।

- (10) वाट और माप के मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 : ब्यासीसवें संविधान संशोधन द्वारा वाट और माप को लागू करना राज्य-भूची में निकानकर समवर्ती भूची में शामिल किया गया था क्योंकि बहुसंख्य राज्यों ने अपने प्रवर्तन विधानों का पुनरीक्षण नहीं किया था। यह संसदीय कानून देश भर में न केवल प्रवर्तन पद्धति में वलिक वाट माप और इनके उपकरणों के वैधानिक नियंत्रण की व्याप्ति और प्रसार में भी समानता ताना सुनिश्चित करता है। मानव सुरक्षा के लिये आवश्यक व्यावसायिक लेन-देन तथा औद्योगिक मापों और क्रय-विक्रय संबंधी यथायंता साकर उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया है। इसके अलावा, आरम्भिक और समय-समय पर वाट और माप का सत्यापन, प्रयोग के दौरान जांच और उपयोग करने वालों का पजीकरण आदि प्रावधान काफी हद तक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेंगे।
- (11) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1985 : भारतीय यूनिट ट्रस्ट दो दशकों में अधिक समय से कार्यरत है और इसकी संरचना तथा शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। यह अधिनियम उसके कार्य की व्याप्ति को और बढ़ाता है ताकि लोगों द्वारा जमा किए धन का यह ट्रस्ट भारत और विदेशों में अधिक उत्पादक रूप से विनियोजन कर सके। इससे रकम धारकों को अच्छा मुनाफा होगा और न्यास विनियोजन के अवसरों के उचित उपयोग का उद्देश्य भी पूरा हो सकेगा। अधिनियम गैर-भावासी भारतीयों के के विनियोजन का प्रबन्धन, सीधे ऋण, हण्डियों पर कटौती, पट्टे पर देना तथा अन्य बातों और न्यास के दावों के प्रवर्तन के लिये विशेष प्रावधान करता है।
- (12) आसूचना संगठन (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1985 : आसूचना ब्यूरो तथा अनुसंधान और विस्तारण घंटा (रा) के कर्मचारियों द्वारा उनके कर्तव्यों का उचित परिपालन और उनमें अनुशासन बनाए रखने के लिये संविधान के भाग-III द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों पर किम हद तक प्रतिबन्ध हो—यह इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

- (13) न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985: संविधान के अनुसार न्यायपालिका संसदीय लोकतन्त्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अपने न्यायिक कर्तव्यों को निर्भय तथा निष्पक्ष रूप से निभाते के लिये न्यायाधीशों को जरूरी स्वतंत्रताएं प्रदान करना इसीलिये आवश्यक हो जाता है। यह अधिनियम प्रावधान करता है कि न्यायाधीशों या उनके समान न्यायिक काम करने वाले लोगों पर न्यायालयों में किये गये उनके कामों के लिये मुकदमा नहीं हो सकेगा।
- (14) नशीली दवाइयां तथा मनोविकारी पदार्थ अधिनियम, 1985: भारत में अनेक केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अधिनियमों द्वारा नशीली दवाओं का वैधानिक नियंत्रण किया जाता है। समय के बीतने के साथ तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे नशीली दवाओं के अवैध व्यापार तथा प्रयोग में आए परिवर्तन को देखते हुए वर्तमान कानूनों में अनेक कमियां पाई गईं। इस जरूरत को अविलम्ब पूरा करने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया। नशीली दवाओं तथा मनोविकारी पदार्थों पर यह एक व्यापक अधिनियम है, जो वर्तमान कानूनों में संशोधन करते हुए उन्हें एकीकृत करता है। यह अधिनियम दवाओं के अवैध प्रयोग पर वर्तमान नियमों को भी दृढ़ करता है। इस अधिनियम ने इस दवाओं और पदार्थों के व्यवसाय से संबंधित अपराधों के लिये सजा में वृद्धि की है। यह मनोविकारी पदार्थों के कारगर नियमन के लिये प्रावधान करता है तथा नशीली दवाओं और मनोविकारी पदार्थों पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जिनमें भारत भी शामिल हुआ है की सिफारिशों को लागू करने के लिये प्रावधान करता है।
- (15) राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1985: नागरिक उड्डयन के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया। इस समिति ने देश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई अड्डों और उनके यातायात नियमन सेवाओं के विकास, निर्माण तथा प्रबंधन के लिये एक वैधानिक प्राधिकरण बनाने के लिए सिफारिश की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष चार वर्षों में विभिन्न हवाई अड्डों के विकास कार्यक्रमों के लिये 311.26 करोड़ रुपयों का व्यय प्रस्तावित है। इस अधिनियम के अंतर्गत गठित हवाई अड्डा प्राधिकरण देश के हवाई अड्डों तथा नागरिक क्षेत्रों के विकास, निर्माण और प्रबंधन का दायित्व लेगा तथा हवाई यातायात, दूरसंचार और वायुयान परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह अधिनियम उन सभी हवाई अड्डों, नागरिक क्षेत्रों, वायुयान परिवहन संचार स्टेशनों तथा दूसरे उन सभी हवाई अड्डों पर लागू होगा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के दायरे से बाहर है तथा जो संघ की सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण

में नहीं है। यह कानून उन भवनों पर भी लागू होता है जो प्राधिकरण द्वारा इन अधिनियम में दिए शर्तों को निभाने के लिये जहरी है।

(16) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 : राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने दूसरी बाता के अन्तर्गत, राष्ट्रीय जलमार्गों के लिये एक प्राधिकरण गठित करने का सुझाव दिया था। मुझाव के अनुसार यह प्राधिकरण अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा जलमार्गों के विकास, रख-रखाव और प्रबंधन के लिये एक गिद्ध संस्था के रूप में कार्य करेगा। कम प्रदूषण, समाज के दुर्बल वर्गों में रोजगार निर्माण, ऊर्जा-उत्पादन तथा कम [यु]वक उद्देश्य में इन प्राधिकरण द्वारा जलमार्गों का अंतर्राष्ट्रीय जल-परिवहन के मूल ढांचे के रूप में विकास का भी समिति ने सुझाव दिया था। समिति को इन सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिये यह अधिनियम पारित किया गया।

(17) प्रदत्त विद्यान प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1985 : (डेली-गेटेड लेजिस्लेशन प्रोवीजन एमंडमेंट एक्ट) : यह अधिनियम उसके परिशिष्ट में दिये विभिन्न (91) कानूनों में संशोधन करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रकाशन, नियम बनाने और दूसरे प्रदत्त विधानों में संबंधित संसद के दोनों सदनों के प्रदत्त विद्यान समितियों की सिफारिशों को कार्यरूप देना है।

(18) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सूची अधिनियम, 1985 : वर्ष 1984 में केन्द्र उत्पाद शुल्क सूची पर एक तकनीकी अध्ययन दल बनाया गया था जिसका कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूची की सरचना की व्यापक जांच करना था। इस दल ने एक विस्तृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूची अर्पित करने का सुझाव दिया जो कि 'समान वस्तु-वर्णन और सांकेतिक प्रणाली के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में निर्धारित वर्गीकरण प्रणाली पर मुख्य रूप से आधारित हो और जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के दायरे में लाने के लिये जहरी परिवर्तन किए गये हो। दल ने यह भी सुझाव दिया था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय नियम द्वारा एक नई सूची बनाई जाए, जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूची कहा जाएगा।

अध्ययन दल द्वारा प्रस्तावित सूची अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रणाली पर आधारित है तथा उसके बनाने के लिये कानूनी समी प्रकार के विचारों का ध्यान रखा गया।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ हैं—  
वस्तुओं को एक ही श्रेणी में रखा गया है जो कि समानता को दर्शाता है; उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत वर्गीकरण पर वर्तमान कर ढांचे को बनाने का ध्यान रखा गया है।

उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई। छूट अधिसूचनाओं द्वारा कुछ मामलों में शुल्क की कारगर दर के बारे में प्रावधान किया जा सकता है। अधिनियम की धाराओं के तहत सरकार को कुछ परिस्थितियों में अधिसूचना द्वारा परिशिष्ट में दी गई शुल्क की दर बढ़ाने का अधिकार होगा। शुल्क वृद्धि की कुछ सीमाएं होंगी। ऐसे अधिकार सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में ही प्रयोग में लाये जाएँगे और इस प्रकार की दरें बढ़ाने की अधिसूचनाओं को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता रहेगी।

- (10) सीमाशुल्क सूची (संशोधन) अधिनियम, 1985: यह अधिनियम सीमाशुल्क सूची अधिनियम, 1975 में संशोधन करके उसे एक नए परिशिष्ट से प्रतिस्थापित करता है जोकि समान वस्तुवर्णन और सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क की सांकेतिक प्रणालियों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है। इस सम्मेलन में भारत ने जून 1985 में हस्ताक्षर किये थे। इस कोड (सांकेतिक प्रणाली) में चार-अंकीय स्तर के शीर्षक हैं, जिन्हें पांचवें और छठे अंक तक उप-शीर्षकों में विभाजित किया गया है। यह संशोधन अधिनियम सीमाशुल्क आयात सूची में समान प्रणाली लागू करने का एक साधन है।

सारणी 26.2  
वर्ष 1985 के दौरान संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ

क्रमांक	अधिनियम	प्रस्तावक सदन	कब प्रस्तुत किया गया	प्रस्तावक सदन द्वारा कब पारित किया गया	दूसरे सदन द्वारा कब पारित/व्याप्त किया गया	राष्ट्रपति की, अनुमति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	शिवांगी भंडारदान (नियमन) संशोधन अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	21-1-85	23-1-85	24-1-85	31-1-85
2.	राष्ट्रीय राजधानी शेत आयोजन बोर्ड अधिनियम, 1985 . . . . .	राज्यसभा	18-1-85	23-1-85	25-1-85	9-2-85
3.	केंद्रीय बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1985 . . . . .	राज्यसभा	18-1-85	23-1-85	25-1-85	9-2-85
4.	विनियोग अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	24-1-85	24-1-85	30-1-85	9-2-85
5.	विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	24-1-85	24-1-85	30-1-85	9-2-85
6.	विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	24-1-85	24-1-85	30-1-85	9-2-85
7.	विनियोग (रेलवे) संख्या 2, अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	24-1-85	24-1-85	30-1-85	9-2-85
8.	पंजाब विनियोग अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	24-1-85	24-1-85	30-1-85	9-2-85
9.	लोक प्रतिनिधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	18-1-85	23-1-85	25-1-85	16-2-85
10.	कलकत्ता मेट्रो रेलवे (संचालन और रख-रखाव) अधिनियम, 1985 . . . . .	लोकसभा	18-1-85	23-1-85	25-1-85	16-2-85



1 2 3 4 5 6 7

11. चीनी उपक्रम (प्रवर्धन का अधियहण) संशोधन अधिनियम, 1985	राज्यसभा	18-1-85	24-1-85	29-1-85	16-2-85
12. गंगटोक नगर-नियम (संशोधन) अधिनियम, 1985	राज्यसभा	18-1-85	24-1-85	29-1-85	16-2-85
13. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985	लोकसभा	25-1-85	29-1-85	31-1-85	27-2-85
14. विनियोग (लेपा वोट) अधिनियम, 1985	लोकसभा	25-3-85	25-3-85	28-3-85	29-3-85
15. विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1985	लोकसभा	25-3-85	25-3-85	28-3-85	29-3-85
16. विनियोग <sub>1</sub> (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम 1985	लोकसभा	20-3-85	20-3-85	26-3-85	29-3-85
17. विनियोग (रेलवे) संख्या 4 अधिनियम 1985	लोकसभा	20-3-85	20-3-85	26-3-85	29-3-85
18. पंजाब विनियोग (लेपा वोट) अधिनियम, 1985 <sub>1</sub>	लोकसभा	26-3-85	26-3-85	27-3-85	29-3-85
19. पंजाब विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1985	लोकसभा	26-3-85	26-3-85	27-3-85	29-3-85
20. अचन सम्पत्ति गॉर्ग और ब्रॉन (संशोधन) अधिनियम, 1985	राज्यसभा	19-3-85	21-3-85	28-3-85	29-3-85
21. नेपाल गैस रिझर्व डुप्लिका (शर्कों का निपटारा) अधिनियम, 1985	राज्यसभा	15-3-85	18-3-85	27-3-85	29-3-85
22. हुयकरथा (उत्पादन के लिये पदार्थों का आरक्षण) अधिनियम, 1985	राज्यसभा	29-8-84	28-3-85	14-3-85	29-3-85
23. राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	23-3-85	26-3-85	27-3-85	29-3-85

24. केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन अधिनियम, 1985)
25. अनिवार्य जमा योजना (शाय-करदाता संशोधन) अधिनियम, 1985
26. संच उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1985
27. प्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का गामान) संशोधन अधिनियम, 1985
28. संपदा शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1985
29. विनियोग (सत्या 4) अधिनियम, 1985
30. दोनन-श्रदायगी (संशोधन) अधिनियम, 1985
31. भारतक्यादी तथा विपटनकारी गतिविधिया (निवारण) अधिनियम, 1985
32. वित्त अधिनियम, 1985
33. मुद्रा (संशोधन) अधिनियम, 1985
34. भ्रांक्ष प्रदेश किसान परिषद् (समापन) अधिनियम, 1985
35. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1985
36. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तों) संशोधन अधिनियम, 1985
37. चाय कंपनियां (अधिग्रहण और बीमार चाय प्लंटों का संतरण) अधिनियम, 1985

लोकसभा	25-3-85	26-3-85	27-3-85	29-3-85
लोकसभा	16-3-85	25-3-85	29-3-85	30-3-85
लोकसभा	22-3-85	25-3-85	29-3-85	30-3-85
लोकसभा	22-3-85	25-3-85	29-3-85	30-3-85
लोकसभा	22-3-85	25-3-85	29-3-85	30-3-85
लोकसभा	7-5-85	7-5-85	14-5-85	16-5-85
राज्यसभा	6-5-85	9-5-85	16-5-85	22-5-85
लोकसभा	18-5-85	20-5-85	21-5-85	23-5-85
लोकसभा	16-3-85	10-5-85	17-5-85	24-5-85
लोकसभा	13-5-85	15-5-85	17-5-85	24-5-85
लोकसभा	15-5-85	16-5-85	17-5-85	24-5-85
राज्यसभा	9-5-85	14-5-85	17-5-85	24-5-85
लोकसभा	9-4-85	15-5-85	20-5-85	24-5-85
लोकसभा	7-5-85	14-5-85	17-5-85	28-5-85

1	2	3	4	5	6	7
38.	एकाधिकार एवं व्यापार नियामक प्रणालियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	9-4-85	16-5-85	21-5-85	28-5-85
39.	गस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	16-5-85	17-5-85	21-5-85	28-5-85
40.	प्रतिभूति, करार (नियमन) संशोधन अधिनियम, 1985	लोकसभा	18-5-85	18-5-85	21-5-85	1-6-85
41.	पंचाव विनियोग (संख्या 3) अधिनियम, 1985	लोकसभा	29-6-85	29-6-85	2-8-85	6-8-85
42.	विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 1985	लोकसभा	7-8-85	7-8-85	13-8-85	19-8-85
43.	राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	13-5-85	24-7-85	7-8-85	21-8-85
44.	आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1985	लोकसभा	23-7-85	5-8-85	8-8-85	21-8-85
45.	श्रातंकवाद प्रभावित क्षेत्र विशेष न्यायालय) संशोधन अधिनियम, 1985	लोकसभा	16-8-85	19-8-85	20-8-85	26-8-85
46.	श्रातंकवाद तथा विघटनकारी गतिविधियाँ (निवारण) संशोधन अधिनियम, 1985	लोकसभा	1-8-85	7-8-85	19-8-85	29-8-85
47.	भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	30-7-85	14-8-85	20-8-85	2-9-85
48.	कहवा (संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	29-7-85	19-8-85	22-8-85	2-9-85
49.	आवश्यक सेवा अनुरक्षण, संशोधन अधिनियम, 1985	लोकसभा	12-8-85	19-8-85	22-8-85	2-9-85
50.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985	राज्यसभा	24-5-85	5-8-85	26-8-85	2-9-85

51. श्रीविश्वे (संस्कृतशालीन प्राक्घास) संगो- धन अधिनियम, 1985 <sup>1</sup>	राज्यसभा	14-8-85	19-8-85	28-8-85	2-9-85
52. संपदा शुल्क (संगोघन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	22-8-85	23-8-85	28-8-85	2-9-85
53. पांडिचेरी विध्वविद्यालय अधिनियम, 1985	राज्यसभा	21-5-85	30-7-85	28-8-85	4-9-85
54. वाट और माप के मानक प्रवर्तन अधि- नियम, 1985	राज्यसभा	6-8-84	25-7-85	29-8-85	4-9-85
55. कोयला पान (परिरक्षण एवं विकास) संगोघन अधिनियम, 1985	राज्यसभा	1-8-84	25-7-85	20-8-85	4-9-85
56. मरुकारी वचत विधियार (संगोघन) अधि- नियम, 1985	लोकसभा	19-8-85	20-8-85	23-8-85	4-9-85
57. तबाकू बोर्ड (संगोघन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	9-8-85	22-8-85	26-8-85	6-9-85
58. अन्वेषक सस्याएं (अधिकारों पर प्रति- बंध) अधिनियम, 1985	लोकसभा	19-8-85	20-8-85	26-8-85	6-9-85
59. न्यायाधीय (संरक्षण) अधिनियम, 1985	लोकसभा	22-8-85	23-8-85	26-8-85	6-9-85
60. रेलवे संरक्षण बल (संगोघन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	22-8-85	26-8-85	28-8-85	6-9-85
61. नगोली दवाइयों और मनोविकारी पदार्थों अधिनियम, 1985	लोकसभा	23-8-85	28-8-85	29-8-85	16-9-85
62. वात रोजगार (संगोघन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	26-7-85	13-8-85	21-11-85	4-12-85
63. भारतीय युनिट ट्रस्ट (संगोघन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	5-8-85	19-11-85	26-11-85	7-12-85
64. राष्ट्रीय हवाई मंडूडा प्राधिकरण अधिनियम, 1985	लोकसभा	29-8-85	19-11-85	29-11-85	7-12-85
65. नागरिकता (संगोघन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	18-11-85	20-11-85	3-12-85	7-12-85
66. प्रकाशक (संगोघन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	23-8-85	20-8-85	25-11-85	7-12-85

67. वीनस अदायगी (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 1985

68. विनियोग (संख्या 6) अधिनियम, 1985

69. हवाई जहाज (संशोधन) अधिनियम, 1985

70. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985

71. विनियोग (रेलवे) संख्या 5 अधिनियम, 1985

72. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1985

73. वंधुआ मजदूर व्यवस्था (समापन) संशोधन अधिनियम, 1985

74. सांसदों का वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1985

75. संसद के अधिकारियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1985

76. मंत्रियों का वेतन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1985

77. राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 1985

78. संसद में विपक्षी नेताओं के वेतन और भत्ते (संशोधन) अधिनियम, 1985

79. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) अधिनियम, 1985

80. सीमाशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1985

लोकसभा

लोकसभा

लोकसभा

राज्यसभा

लोकसभा

राज्यसभा

राज्यसभा

लोकसभा

लोकसभा

लोकसभा

लोकसभा

लोकसभा

लोकसभा

लोकसभा

25-11-85

4-12-85

25-11-85

6-12-85

6-12-85

4-12-85

29-8-84

19-12-85

19-12-85

19-12-85

19-12-85

19-12-85

16-12-85

16-12-85

4-12-85

4-12-85

5-12-85

9-12-85

9-12-85

9-12-85

19-11-85

19-12-85

19-12-85

19-12-85

19-12-85

19-12-85

18-12-85

18-12-85

13-12-85

12-12-85

13-12-85

17-12-85

17-12-85

17-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

18-12-85

18-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

20-12-85

24-12-85

26-12-85

26-12-85

26-12-85

26-12-85

26-12-85

27-12-85

27-12-85

81. बैंकिंग विधियाँ (संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	17-12-85	18-12-85	20-12-85	27-12-85
82. भारतीय प्रतिदोषीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985	लोकसभा	28-8-85	25-11-85	18-12-85	20-12-85
83. फलावा इस्लामपुर साइट रेलवे लाईन (राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1985	लोकसभा	21-11-85	12-12-85	18-12-85	30-12-85
84. बीमार उद्योग कर्पणियाँ (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985	लोकसभा	29-8-85	9-12-85	16-12-85	8-1-86
85. श्रमिज्य तथा संसाधित याच पदायं नियत विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985	लोकसभा	3-12-85	17-12-85	18-12-85	8-1-86
86. श्रमिज्य और संशोधित याच पदायं नियत उपकर अधिनियम, 1985	लोकसभा	3-12-85	17-12-85	18-12-85	8-1-86
87. प्रदत्त विद्यान प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1985	राज्यसभा	26-8-85	29-8-85	17-12-85	14-1-86
88. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूची अधिनियम, 1985	लोकसभा	13-12-85	16-12-85	18-12-85	19-1-86
89. प्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क कर सूची वस्त एवं वस्त सामान) संशोधन अधिनियम, 1985	लोकसभा	13-12-85	16-12-85	18-12-85	20-1-86
90. प्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क कर (विशेष महत्व का सामान) संशोधन अधिनियम, 1985	लोकसभा	13-12-85	16-12-85	18-12-85	20-1-86
91. सीमाशुल्क सूची (संशोधन) अधिनियम 1986	लोकसभा	17-12-85	18-12-85	20-12-85	24-1-86
92. सविधान (स्वायत्तवां संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	23-8-84	23-8-84	25-8-84	29-4-85
93. संविधान (वायववां संशोधन) अधिनियम, 1985	लोकसभा	24-1-85	30-1-85	31-1-85	15-2-86

## युवा कार्य तथा खेलकूद

भारत के संविधान के अनुसार खेलकूद राज्य का विषय है तथा सरकार को भूमिका मुख्यतः इसको बढ़ावा देने की है जो कि खेलकूद परिसंघों को उनके कार्यालयों में सुधार करने के दिशानिर्देश देकर, प्रशिक्षण शिविरों को चलाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओं में टीमों को भेजने के लिए वित्तीय सहायता देकर, राज्यों की खेलकूद परिषदों को अनुदान स्वीकृत करके तथा विभिन्न प्रकार के खेलकूदों के प्रशिक्षकों के लिए संस्थान स्थापित करके निभाई जाती है। सरकार सूचनाओं के आदान-प्रदान के केन्द्र का भी कार्य करती है। कई राज्यों ने खेलकूद को स्कूलों के अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया है तथा कुछ राज्यों ने खेलकूद-स्कूल व खेलकूद-छात्रावास आदि शुरू किए हैं।

31 दिसम्बर 1984 को पुराने खेलकूद विभाग को युवा-कार्य तथा खेलकूद विभाग का नया नाम दे दिया गया।

### युवा सेवाएं

युवा कार्यक्रम दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। पहला, विकास की प्रक्रिया में नवयुवकों की प्रभावी भागीदारी के लिए उनकी दक्षता तथा उनके व्यक्तित्व का विकास; दूसरा, राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के सीधे अवसर उपलब्ध कराना।

### राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य पहली डिग्री के छात्रों को स्वैच्छिक एवं चयनात्मक आधार पर समाज-सेवा और राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में शामिल करना है। यह योजना 1969 में शुरू की गई थी और लगभग 40,000 छात्रों को इसके अन्तर्गत लिया गया था। 1986-87 में इस योजना में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या धीरे-धीरे बढ़कर 7.70 लाख हो गई है। यह योजना सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में और लगभग सभी विश्वविद्यालयों के 3,500 से ज्यादा कॉलेजों में चल रही है। अब इस योजना को प्रायोगिक तौर पर कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जमा दो स्तर के छात्रों के लिए भी शुरू कर दिया गया है।

1976-77 के बाद से ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों पर तथा ऐसी गतिविधियों पर बल दिया गया है, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की स्थिति में सुधार लाना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र/छात्राएं सड़कों, स्कूली इमारतों, गांव के तालाब व पोखर बनाने और उनकी मरम्मत करने, पेड़ लगाने आदि के अतिरिक्त निम्न प्रकार के कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं:

- (अ) पर्यावरण का संवर्धन तथा संरक्षण;
- (आ) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा पोषाहार कार्यक्रम;
- (इ) महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार;

- (ई) कल्याणकारी संस्थाओं में सामाजिक सेवा;
- (उ) उत्पादन-उन्मुख कार्यक्रम;
- (ए) आपातकाल के दौरान कार्य; तथा
- (ऐ) शिक्षा तथा मनोरंजन के कार्यक्रम जिनमें प्रौढ़-शिक्षा तथा स्कूल, पूर्व शिक्षा शामिल है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र स्थानीय अधिकाधिकों तथा मनुष्यों को विभिन्न राहत तथा पुनर्वासन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं।

छुट्टियों के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों में छात्रों को शामिल करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर शिविर आयोजित करने के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें ग्रामीण लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं में संबंधित कुछ पहलुओं पर कार्य किया जाता है। 'ग्रामीण विकास के लिए युवा' विषय के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों में से छात्र स्वयंसेवक चुने हुए गांवों/गहरों की स्त्री वस्त्रियों में आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों को 'वैश्वर पर्यावरण के लिए युवा' कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियां भरनाकर एक नयी दिशा दे दी गई है, जिनका उद्देश्य विद्यालयों में देश को पर्यावरण के संरक्षण में मददगारों के उद्देश्य तथा प्रकृति के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस कार्यक्रम की कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं : (अ) झीलों में धरतवार निष्काशन; (आ) वृक्षारोपण से पहले किए जाने वाले कार्य जैसे जमीन की सफाई, बाड़ बनाना, गड्डे खोदना और खाद देना; (इ) पहाड़ों को चोटियों तथा सामुदायिक स्थानों पर वृक्षारोपण; (ई) सोखने गड्डे तथा कम्पोस्ट खाद के गड्डे बनाना; (उ) पाकों का निर्माण; (ऊ) पर्यावरण की स्वच्छता; तथा (ए) विद्यालयों, ग्राम्यापकों तथा समाज के अन्य सदस्यों में पर्यावरण की समस्याओं के लिए जागरूकता पैदा करना। 1986 में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक जन साक्षरता कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रमों के दौरान तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा 20 मूत्री कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं। (अ) चरित्र-निर्माण पर बल; (आ) पर्यावरण में सुधार; (इ) राष्ट्रीय एकता की शपथ; (ई) सामुदायिक गायन; (उ) संस्कृति का विकास; (ऊ) शारीरिक दक्षता; तथा (ए) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों की सहभागिता।

राज्यों तथा विश्वविद्यालयों के स्तर पर सम्पर्क स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों के कार्यक्रमों को समन्वित करने के लिए देश में 15 क्षेत्रीय राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

नेहरू युवा केन्द्र

नेहरू युवा केन्द्र की योजना 1972 में प्रारम्भ की गयी थी, जिसका उद्देश्य गैर-छात्रों तथा ग्रामीण युवकों की सेवा करना था। युवकों के व्यक्तित्व का



विकास तथा उनको रोजगार पाने की दृष्टि से अधिक योग्य बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है। 1972 में 30 नेहरू युवा केन्द्रों की साधारण-सी संख्या से शुरुआत के बाद से, अब देश में लगभग 250 नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों द्वारा जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं, वे हैं :

युवा नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय एकता शिविर, सामुदायिक गायन, कार्य-शिविरों की तरह की समाज-सेवाएं, बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, युवा क्लबों का आयोजन, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से ग्रामीण तथा देशी खेलकूद का विकास, खेल प्रतियोगिताएं आदि।

नेहरू युवा केन्द्र युवकों को बायो-गैस संयंत्रों के बनाने, रख-रखाव तथा चलाने का प्रशिक्षण देने में सफल रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिखाने, अर्ध-सैनिक प्रशिक्षण देने, गांवों में घुम्रां रहित चूल्हे को लोकप्रिय बनाने और इसको बनाने का तरीका बताने तथा सार्वजनिक सुविधाओं जैसे रास्तों, सामुदायिक केन्द्रों, आदि के निर्माण का प्रशिक्षण देने जैसे कार्यों में भी नेहरू युवा केन्द्र सफल रहे हैं। नेहरू युवा केन्द्र हर साल देश के विभिन्न भागों में कई राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करते हैं। कई स्थानों पर ट्राइसम (ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण) योजना भी नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यों में विविधता लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि युवा वर्ग को ये अधिक लाभ पहुंचा सकें।

**स्काउट और गाइड** स्काउट और गाइड एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है, जिसका उद्देश्य बालक-बालिकाओं के चरित्र का विकास करना है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें तथा उनमें वफादारी, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना का विकास हो। स्काउट और गाइड आन्दोलन बालक-बालिकाओं के संतुलित शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देता है। भारत स्काउट और गाइड इस गति-विधि को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है, जिसे युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अखिल भारतीय बाल स्काउट संघ दूसरा ऐसा संगठन है जो स्काउट और गाइड आन्दोलन में लगा है तथा मुख्य रूप से गैर-छात्र युवकों के बीच कार्य करता है। इसको भी युवा-कार्य तथा खेलकूद विभाग से अनुदान प्राप्त होता है।

**युवा प्रतिनिधि-मंडलों का आदान-प्रदान** सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग युवा प्रतिनिधि-मंडलों को विदेश भेजता रहा है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान से लाभान्वित हो सकें। इन प्रतिनिधि-मंडलों के साथ वे अधिकारी भी जाते रहे हैं जो युवा-नीति निर्धारण से संबंध रखते हैं।

**राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन** युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने की योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना में निम्न बातों की व्यवस्था है :  
(अ) देश के एक भाग से दूसरे भाग में युवक-युवतियों की आदान-प्रदान यात्राएं

करवाना ताकि उनको देश के विभिन्न भागों में रह रहे। लोगों के परिवेक्ष, पारिवारिक जीवन, सामाजिक रीति-रिवाजों आदि से परिचित कराया जा सके, जिससे उनको देश को विनाशना का, इसकी विविध व्यवस्थाओं के होते हुए भी उनमें अन्तर्निहित मूलभूत एकता का भान हो सके तथा उनमें भारतीय होने का गौरव पैदा हो सके; (घा) नेहरू युवा केन्द्रों, स्वैच्छिक एजेंटियों तथा शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में छात्र तथा गैर-छात्र युवाओं के राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करना। राष्ट्रीय एकता शिविरों में नवयुवकों/युवतियों को अंतर-अंतर्रीय परम्पराओं, रीति-रिवाजों; साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय महत्व के ममलों जैसे, स्वतंत्रता आन्दोलन और जातिवाद, छद्माछूत व दहेज-प्रथा जैसी क्रूरतियों के उन्मूलन तथा राष्ट्र भर में स्वीकृत मूल्यों जैसे जनतंत्र, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता से उनको परिचित कराया जाता है।

### राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयंसेवक योजना

राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयंसेवकों की योजना 1977-78 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ऐसे युवक/युवतियों को, जिन्होंने अपना पहला डिग्री पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, पूरे समय के लिए एक निश्चित अवधि तक स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करना था। युवक/युवतियों को मूजनात्मक तथा रचनात्मक कार्य के अवसर प्रदान करते समय राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा योग्यता को भी ध्यान में रखते हैं। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयंसेवक नेहरू युवा केन्द्रों से सम्बद्ध रहते हैं।

### युवाओं के लिए प्रदर्शनो

1986-87 वर्ष के दौरान, युवाओं के लिए प्रदर्शनियों का एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। लोक नृत्य और लोकगीतों, कलाकृतियों, कला और हस्तकला, पुस्तकों, खेलकूद तथा शिक्षा विज्ञान, उद्योग, वाणिज्य, कृषि, प्रतिरक्षा, सामाजिक-कल्याण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास और पर्यटन आदि क्षेत्रों के विकास पर प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, स्वयंसेवी संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्रों और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। युवा कार्य और खेलकूद विभाग स्वयं भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त विषयों पर अन्य विभागीय एजेंटियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।

### साहित्यिक कार्यों को प्रोत्साहन

युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग के पास साहित्यिक कार्यों को प्रोत्साहन देने की एक योजना है, जिसका उद्देश्य जाँचिम उठाने, सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना, चुनौती भरी स्थितियों में तत्काल और सकल प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता तथा सहनशीलता को विकसित करना है। इस योजना के अन्तर्गत जिन गतिविधियों को चयनित के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है वे हैं: पर्वतारोहण, भ्रमण, पदयात्रा, भाकडे जमा करने के लिए खोज-यात्रा, पर्वतीय इलाकों, जंगलों, महस्यलों तथा समुद्र के जोड़-जनुषों तथा वनस्पति का

अध्ययन, तटीय क्षेत्रों से समुद्र-यात्रा, रैपिडिंग तथा साइकिल चलाना आदि। इस प्रकार की गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए प्रशिक्षण सुविधा जुटाने के साथ-साथ, संस्थाओं की स्थापना तथा विकास के लिए सहायता देने का भी प्रावधान है। भारतीय पर्वतारोहण फाउण्डेशन, नई दिल्ली को उसके स्थापना तथा कार्यक्रमों सम्बन्धी खर्च चलाने के लिए सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त विभाग हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग और जवाहर पर्वतारोहण तथा शीतकालीन खेलकूद संस्थान, जम्मू और कश्मीर को भी सहायता प्रदान करता है।

### युवा विश्रामालय

युवाओं को यात्रा के लिए प्रेरित करने के लिए युवा विश्रामालय (यूथ होस्टल) बनाए गए हैं। नवयुवक/युवतियों को शैक्षिक यात्राओं, सैर-सपाटे, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रों की यात्राओं के समय सस्ती ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये विश्रामालय बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य इस प्रकार के सांस्कृतिक सम्पर्कों के द्वारा राष्ट्रीय एकता और बेहतर आपसी समझ को बढ़ाना है। सरकार द्वारा युवा विश्रामालयों के निर्माण की योजना को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास के रूप में चलाने का विचार है। जहाँ केन्द्र सरकार निर्माण पर हुआ खर्च उठाती है, वहीं राज्य सरकारें निःशुल्क जमीन के साथ-साथ पानी, बिजली, सड़कें तथा कर्मचारी-आवास उपलब्ध कराती हैं। देश में युवा विश्रामालय योजना को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर, औरंगाबाद, भोपाल, डलहीजी, दार्जिलिंग, गांधी-नगर, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, मैसूर, नैनीताल, पणजी, पंचकुला, पांडिचेरि, पटना टॉप, पोर्ट ब्लेयर, पुरी तथा तिरुवनंतपुरम में 18 युवा विश्रामालय पहले ही बन चुके हैं तथा इन्होंने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है। शिलंग, आगरा, दीमापुर और इंफाल में युवा विश्रामालय जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। नाम्ची (सिक्किम), नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश), कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में युवा विश्रामालय 1987-88 के दौरान पूरे हो जाएंगे। पटना (बिहार), अग्रतला (त्रिपुरा), एजोल (मिजोरम), गुवाहाटी, नौगांव, गोलाघाट (असम), तुरा (मेघालय), मदुराई और तिरुनावेली (तमिलनाडु), एर्णाकुलम और कालीकट (केरल), भुवनेश्वर, कोरापुत, जोशीपुर-सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश द्वार पर, और सागर तट पर गोपालपुर (उड़ीसा), पटियाला (पंजाब), हसन और करवार (कर्नाटक), तिरुपति और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में युवा विश्रामालयों के निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

### युवाओं को प्रशिक्षण

1986-87 के दौरान युवाओं को प्रशिक्षण की एक और नई योजना शुरू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, नेहरू युवा केन्द्रों, शिक्षा संस्थाओं, और पंजीकृत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्रस्तावित युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इन क्षेत्रों में पशुपालन, डेरी और मुर्गीपालन, फार्मिंग, कृषि, सहकारिता, स्वास्थ्य-शिक्षा और पोषण, स्थानीय स्तर पर प्रबन्ध, धुआंरहित चूल्हों, बायो-गैस संयंत्रों और ऊर्जा के अन्य गैर-पारंपरिक स्रोतों के प्रयोग के वैज्ञानिक तरीकों के प्रचार आदि क्षेत्र शामिल हैं।

**वित्तीय सहायता**

एक अन्य नई योजना-युवा-नववों की मदद की योजना-निम्नका सक्ष्य देश में युवा क्लब प्रांदोलन को बढ़ावा देना है, 1986-87 वर्ष के दौरान शुरू की गयी। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष पूरे करने वाले पंजीकृत युवा क्लबों को पुस्तकालय और पढ़ने की सुविधाओं, खेलकूद कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शारीरिक दक्षता को प्रोत्साहन जैसी विभिन्न युवा गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

युवा-कार्य तथा खेलकूद विभाग स्वीच्छक युवा संगठनों को व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य है: नवयुवकों/युवतियों की क्रियात्मक योग्यता में सुधार लाना, ताकि वे पूर्णकालिक रोजगार, स्वरोजगार या सहायक रोजगार चलाने लायक बन सकें, सर्वोद्वेग और शोध कार्य संचालित करना तथा सेमिनार आयोजित करना। युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करते में सहायता देने की भी व्यवस्था है। कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेनेवालों में अपने परिवेश के प्रति आलोचनात्मक जानकारी विकसित करना है।

**राष्ट्रीय खेलकूद नीति**

सरकार ने राष्ट्रीय खेलकूद नीति धर्मीकार की है और इस नीति की प्रतिमा 21 अगस्त 1984 को संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रपी गयी। इस का उद्देश्य उन निर्देशों पर जिन्का अनुसरण किया जाता है तथा उन उद्देश्यों पर, जिन पर कार्य किया जाता है, ध्यान केन्द्रित करना है।

यह प्रस्ताव निम्नलिखित मूलों पर आधारित है:

- (1) गांवों और नगरों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के लिए मूल सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता।
- (2) खेल मैदानों और खुली जगहों को ठीक-ठाक बनाये रखने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रयत्न।
- (3) पुरुष और महिला खिलाड़ियों को पीपिटिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्न।
- (4) छोटी उम्र में ही प्रतिभावाली खिलाड़ियों का पता लगाना और उन्हें तैयार करना।
- (5) स्कूलों और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को नियमित विषय के रूप में शिक्षा का अभिन्न भाग बनाना।
- (6) खेलकूद में उत्त्नेष्णीय सफलता पाने वालों को नमुचित प्रोत्साहन देना।
- (7) खेलकूद संस्थाएं खोलने के लिए प्रयत्न करना।
- (8) रोजगार के मामले में खिलाड़ियों का विशेष ध्यान रखना।
- (9) खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का महयोग लेना।
- (10) राष्ट्रीय खेल परिषद आदि द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीमों की तैयारी के लिए कारगर योजनाएँ लागू करना।
- (11) अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तभी भाग लेना जब प्रतियोगी अनेक

स्तर प्राप्त कर लें। (12) उन खेलों में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देना जिन्हें ओलिंपिक, एशियाई अथवा राष्ट्रमंडल खेल में मान्यता प्राप्त है और जिनके विश्व स्तर के परिसंघ बने हुए हैं। (13) भारतीय पुरुष और महिला खिलाड़ियों को खेलों का समुचित साज-सामान उपलब्ध कराना। (14) खेलकूद को बढ़ावा देने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना। (15) खेलों और शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन; और (16) देश में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने और उसे बनाये रखने के लिए प्रचार साधनों का उपयोग।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण  
ना

विभिन्न खेलों में उच्च स्तर के प्रशिक्षक तैयार करने की जिम्मेदारी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान को सौंपी गई है। राज्य खेल परिषदों अथवा राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में राज्यों की राजधानियों और अन्य नगरों में क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना भी यह संस्थान चलाता है। इस संस्थान का दक्षिण में बंगलूर में केन्द्र है जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसका पूर्व केन्द्र कलकत्ता में 1983 में कायम किया गया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान और उसके दक्षिण और पूर्व के केन्द्रों में योग्य प्रशिक्षकों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए नियमित कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत संस्थान में 1,100 शिक्षक (कोच) हैं, जो विभिन्न खेलों में युवा पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देते हैं। इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ने चुने हुए विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थाओं की सोसायटी के क्षेत्रीय केन्द्र (फील्ड-स्टेशन) भी खोले हैं। जिनमें खेलकूद इकाइयाँ और शारीरिक शिक्षा विभाग हैं और जहाँ कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संस्थान ने खेलकूद विज्ञान के संकाय भी स्थापित किए हैं जो हर तरह से पूर्ण हैं और जहाँ खेलकूद में आधुनिकता लाने के लिए खेलकूद और सम्बद्ध क्षेत्रों में नई-से-नई खोज की जाती है।

संस्थान एजेंसी के रूप में सरकार के कुछ और कार्यक्रम भी चलाता है, जैसे ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं, महिला खेल समारोह, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति आदि। यह राष्ट्रीय खेल परिषदों के सहयोग से भारत की उन राष्ट्रीय टीमों को विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं भी दिलाता है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में भाग लेने वाली हैं।

ग्रामीण खेलकूद  
प्रतियोगिताएं

सरकार ने 1970-71 में देशभर में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना शुरू की थी, इसके दो उद्देश्य थे। पहला तो यह कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बड़ी संख्या में देश की खेलकूद गतिविधियों की मुख्यधारा



कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रशिक्षण शिविर तथा खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली पुरुष और महिला खिलाड़ियों को 300 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। प्रत्येक छात्रवृत्ति 3,600 रुपये वार्षिक होती है।

### राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम

शारीरिक दक्षता के विचार को लोकप्रिय बनाने तथा साथ-ही-साथ शारीरिक दक्षता के उच्चतर मानदंड कायम करने हेतु लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, यह योजना राज्य-सरकारों, तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा अन्य चुनी हुई एजेंसियों के सहयोग द्वारा 1959 से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ने सरकार की ओर से एजेंसी आधार पर इस योजना को लागू किया। इस योजना को अब भारतीय खेल प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया है जो लक्ष्मीबाई कॉलेज की तकनीकी मदद और सहयोग से इसे लागू करेगा। लक्ष्मीबाई कॉलेज यह मदद अपने राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता से संबंधित योजना कार्यक्रम के एक अंग के रूप में प्रदान करेगा।

### अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किए गए थे। इनका उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली पुरुष व महिला खिलाड़ियों को खोजना है, जिन्होंने विभिन्न खेलों के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल कर ली है। प्रत्येक अर्जुन पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति से एक कांस्य प्रतिमा तथा प्रशस्ति-पत्र पाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त 1983-84 से विजेताओं को 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है, जो पहले के नियमों के अनुसार उनको 24 महीने तक दी जाने वाली 200 रुपया प्रति माह की छात्रवृत्ति के स्थान पर है। अब तक 300 पुरुष और महिला खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

### द्रोणाचार्य पुरस्कार

सरकार ने 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य देश में खेलकूद का स्तर उठाने तथा खास तौर से खेलकूद में मान्यताप्राप्त क्षेत्रों में प्रशिक्षकों का सम्मान बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी प्रशिक्षित कर देश का गौरव बढ़ाने में, उनकी असाधारण और श्रेष्ठ सेवाओं को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करना है। इस पुरस्कार में एक पट्टिका, एक नामावली, एक ब्लेज़र और टाई तथा 25,000 रुपया नकद दिया जाता है। 1985 के दौरान तीन खेल प्रशिक्षकों को एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

### राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना

राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के लिए असाधारण कार्य करने वाले युवकों और स्वयं सेवी युवा संगठनों को मान्यता देने के उद्देश्य से 1985 में यह योजना शुरू की गयी। इस योजना का उद्देश्य युवकों में अपने समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व का भाव पैदा करना तथा उन्हें स्वयं एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करना भी है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रति वर्ष 50 तक पुरस्कार दिए जायेंगे, जिनमें से एक स्वयं सेवी युवा संगठन को दिया जायेगा। राष्ट्रीय युवा

पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले हर व्यक्ति को एक पदक, एक नामावली (स्त्रॉन) और 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार उसके प्रमाणाण कार्य के लिए दिया जाएगा। स्वयंसेवी युवा संगठन के मामले में पुरस्कार की राशि 1,00,000 रुपये होगी। पुरस्कार के लिए युवको और स्वयंसेवी संस्था का चयन केन्द्रीय चयन समिति द्वारा राज्य सरकारों की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। राज्य सरकारें जिला स्तर की चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर अपनी सिफारिशें देंगी।

#### यात्रा अनुदान

विदेश में विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए खेल-विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं को यात्रा अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य खेलकूद से संबंधित मामलों में अनुसंधान और विशेषज्ञता प्राप्त अध्ययन को बढ़ावा देना है।

#### सिवेटिक पट्टियाँ और कृत्रिम तल

सरकार ने सिवेटिक पट्टियाँ और कृत्रिम तल विद्यमान की एक नई योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य इन आधुनिक सुविधाओं को खिलाड़ियों की बड़ी संख्या को उपलब्ध कराना है। सातवीं योजना के दौरान 26 सिवेटिक पट्टियों और कृत्रिम तलों की स्थापना में मदद देने का प्रस्ताव है।

#### प्रोत्साहन सुविधाएँ

खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना के अंतर्गत दो तरह की सुविधाएँ स्वीकृत की गयी हैं। ये हैं; (1) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएँ जीतने वाले खिलाड़ियों को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के विशेष पुरस्कार। 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को पुरस्कृत करके इस दिशा में शुरुआत की गई है और (2) स्कूलों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एथलेटिक्स, हाकी, वास्केटबाल और बालीबाल की जिला स्तर की प्रतियोगिताएँ जीतने वाले स्कूलों को 10,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार।

#### राष्ट्रीय कल्याण कोष

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण-कोष की स्थापना सरकार ने 1982 में की थी। इसका उद्देश्य ऐसे विलक्षण प्रतिभाशाली पुरुष/महिला खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देना था जो अब खेलों के क्षेत्र में सक्रिय नहीं रह गए हैं तथा निर्धनता की स्थिति में जीवन बिता रहे हैं।

#### भारतीय खेल प्राधिकरण

भारतीय खेल प्राधिकरण (एन०ए०आई०) को 16 मार्च 1984 को एक संसदीय कानून द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य खेलकूद को बढ़ावा देना तथा नई दिल्ली में एशियाड 1982 के लिए बनाए गए प्राधारभूत ढाँचे तथा अन्य सुविधाओं की देखरेख करना था। लोगों में खेलकूद के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्राधिकरण कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित करता है।

1 अप्रैल 1984 से दिल्ली के निम्नलिखित स्टेडियमों की व्यवस्था, देख-रेख तथा उपयोग की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंप दी गई है।

- (अ) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम,
- (आ) राष्ट्रीय स्टेडियम,
- (इ) तुगलकाबाद शूटिंग रेंज,



- (ई) ताल-कटोरा तरणताल,
- (उ) हौजखास टेनिस स्टेडियम तथा
- (ऊ) यमुना वैलोज़ोम

इंदिरा गांधी स्टेडियम को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने युवा मामलों और खेलकूद के सरकारी विभाग को 15 जनवरी 1987 से सुपुर्द कर दिया है। इसके बदले प्राधिकरण को मुआवजा दिया गया। विभाग ने सरकार की ओर से स्टेडियम के रख-रखाव, प्रबंध और उपयोग की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंपी है।

## पर्वतारोहण

भारत में पर्वतारोहण खेल के रूप में हालांकि 19वीं शताब्दी में शुरू किया गया लेकिन हिमालय क्लब की स्थापना 1927 में ही हुई थी। 1953 में एक भारतीय तेनजिंग नोर्गे ने सर एडमंड हिलेरी के साथ जब विश्व में पहली बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, तब से भारतीयों के लिए पर्वतारोहण की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1954 में दार्जिलिंग में की गई।

भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का जन्म 1957 में चो ओयू अभियान के लिए एक प्रायोजक समिति के रूप में हुआ। यह अपनी तरह की एकमात्र राष्ट्रीय संस्था है। 15 मई 1958 को चो ओयू अभियान की सफलता के बाद समिति को श्रीर अभियानों को प्रायोजित करने का प्रोत्साहन मिला। 15 जनवरी 1961 को एक स्थायी संगठन की विधिवत स्थापना कर दी गई और इसका वर्तमान नाम इसे दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

इस फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य पर्वतारोहण अभियान, स्कीइंग, चट्टानों पर चढ़ने, ऊंचे पहाड़ों पर पैदल भ्रमण आयोजित करना, उन्हें सहायता देना और उन्हें आधार प्रदान करना है। साथ ही अन्य साहसिक कार्यों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहायता देना और योजनाओं को कार्यरूप देना भी फाउंडेशन के उद्देश्य हैं। इन कार्यों के लिए यह युवा-कार्य तथा खेल-कूद विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।

अपनी स्थापना के बाद से फाउंडेशन पर्वतारोहण में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति देता है तथा चुने हुए पर्वतारोहियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। इसके अलावा फाउंडेशन भारतीय अभियान दलों के लिए पर्वतारोहण के उपकरण जुटाने व उनके सामान का रख-रखाव करने, ऊंचे पहाड़ों पर पैदल भ्रमण और साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता देने तथा हिमालय में पर्यावरण व वन्य जीवन को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के कार्यों में मदद करता आ रहा है।

भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन विदेशी अभियान दल के लिए शिखरों पर चढ़ने का कार्यक्रम दर्ज करता है, उन्हें सरकार से स्वीकृति दिलाने में मदद करता है और उनके लिए सम्पर्क अधिकारी का प्रबन्ध करता है। जरूरत पड़ने पर यह मौसम संबंधी प्रसारणों की व्यवस्था करता है और बचाव कार्यों के लिए वायुसेना से हेलीकाप्टर प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करता है और उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से जमीन के रास्ते बचाव और खोज कार्य करवाता है।

भारतीय और विदेशियों तथा दोनों के संयुक्त पर्वतारोहणों की संख्या छठे दशक में एक-दो में बढ़कर 1966 में 15, 1975 में 45, 1980 में 135 और 1986 में 155 तक पहुँच गयी है। केवल भारतीय पर्वतारोहण अभियानों की कुल संख्या एक हजार में भी अधिक है।

भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 39 अभियान आयोजित किए हैं। इन अभियानों में शामिल हैं: 1958 में चो मोपू (8,153 मीटर) पर आरोहण; 1961 में नीलकंठ (6,596 मीटर) पर पहला आरोहण; 1961 में अन्नपूर्णा-III (7,937 मीटर) पर पहला आरोहण; 1964 में नन्दादेवी मुख्य शिखर (7,817 मीटर) पर पहला आरोहण; और 1981 का प्रथम महिला आरोहण जिसमें तीन भारतीय महिलाएं इस चोटी पर पहुँचीं; 1965 में एबरेस्ट (8,848 मीटर) अभियान, जिसके 9 सदस्य शिखर तक पहुँचे तथा इसके बाद 1984 का सम्मिलित अभियान, जिसमें पहली भारतीय महिला शिखर तक पहुँची तथा अन्य तीन महिलाएं 8,000 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक पहुँचीं कुल 5 पर्वतारोही चोटी पर पहुँचे, इनमें से एक फू. दोग्जी बिना अक्मोवन के शिखर पर जा पहुँचे। 1977 में कामेट (7,746 मीटर) पर तीन भारतीय महिलाओं ने पहली बार चढ़ने में सफलता पायी। 39 सफल अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में शामिल हैं: 1968 में कैलाश भारत-जापान महिला पर्वतारोहण; भारत-ब्रिटिश छांगबांग पर्वतारोहण (1974) पहली बार, भारत-अमरीका नंदा देवी पर्वतारोहण (1976) उत्तर में पहली बार, 1976 में भारत-जापानी दल का नन्दा-देवी को पार करने का अभियान, जिसमें केवल मुछन तथा पूर्वी शिखरों पर चढ़ाई की गई थी बल्कि दोनों शिखरों को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर लम्बी पर्वतमाला को भी पार किया गया था; 1976 में कामेट और अबि गामिन पर भारत-जापानी महिला अभियान; 1981 में भारत और न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों द्वारा हिमालय के भारत-भार जाने का अभियान, जिसमें उन्होंने 9 पहाड़ों में कंचनजंघा में कराकोरम तब 5,000 किलोमीटर की दूरी तय की तथा 100 दरें पार किये; भारत-जापान मामोमोंग कागड़ी पर्वतारोहण (1984) पहली बार, भारत-जापान मासेर कांगड़ा-II पर्वतारोहण (1985) और भारत-अमरीका मिया कागड़ी पर्वतारोहण (1986)।

भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन भारतीय पर्वतारोहियों को उल्लेखनीय और लगातार पर्वतारोहण करने के लिए स्वर्ण पदक भी प्रदान करता है। यह पदक 1961 से देना शुरू किया गया। 1986 तक 12 पर्वतारोही इसे पा चुके हैं, वे हैं— तेजविग नोर्गे, एन० डी० जयाल, मोनम ग्यात्तो, जॉन टापम, एच० एच० वाह्लो, नरेन्द्र कुमार, नवांग गोम्पू, एच० बी० बहगुप्ता, लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रेम चन्द, गुरदयाल सिंह, मोनम वाग्याल और कुमारी बचेन्द्रो पाव।

भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन भारतीय पर्वतारोहियों को एल्साइन स्ट्राइन मर्डि पर्वतारोहण की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए, हर बने गैर-कालीन शिबिर आयोजित करता है। अब तक इस तरह के नौ शिबिर आयोजित

किए गए हैं। फाउंडेशन ने चट्टानों पर चढ़ने के शिविर भी शुरू किए हैं। 1985 में ऐसा पहला शिविर आयोजित किया गया और हर वर्ष दो शिविर आयोजित करने की योजना है।

फाउंडेशन पर्यटन विभाग, एयर इंडिया और हिमालय क्षेत्र के राज्यों के साथ मिलकर, हिमालयन पर्वतारोहण और पर्यटन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। 1983 से अब तक इस तरह की चार प्रतियोगिताएं आयोजित की जा चुकी हैं।

फाउंडेशन एक अर्द्ध-वार्षिक राष्ट्रीय साहित्यिक कार्य पत्रिका 'द इंडियन मास्टेनीयर' भी प्रकाशित करता है।

भारत की विदेश नीति के मूल आधार, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (1889-1964) ने धाज से तीन दशक से भी पहले निश्चित कर लिए थे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से कुछ समय पूर्व सितम्बर 1946 में श्री नेहरू ने घोषणा की थी —

“हम महाशक्तियों की गुटबन्दी और दाव-पेचों में, जिनके कारण दुनिया को विश्व युद्धों की विभीषिका के दौर से गुजरना पड़ा था तथा जिनसे भय और भी घ्राधिक व्यापक स्तर पर सर्वनाश हो सकता है, धपने को यथासम्भव दूर ही रखना चाहेंगे। हमारा विश्वास है कि शांति और स्वतन्त्रता प्रविभाज्य हैं और किसी एक क्षेत्र की स्वतन्त्रता को हड़पे रखने से दूसरे क्षेत्र की स्वतन्त्रता पर आच भा सकती है तथा इस प्रकार संघर्ष और युद्ध हो सकते हैं। हम उपनिवेशों एवं दासता में जकड़े राष्ट्रों की स्वाधीनता चाहते हैं तथा सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप में हम सम्पूर्ण मानव जाति के लिए सभान भवसरों के पक्षधर हैं। हम कहीं भी, किसी भी रूप में नाजी प्रजातिवाद की विचारधारा का घोर विरोध करते हैं। हम किसी भी अन्य देश पर घ्राधिपत्य नहीं चाहते और अन्य राष्ट्रों के ऊपर धपनी विभेष स्थिति का दावा नहीं करते, परन्तु हम यह भवश्य चाहते हैं कि हमारे लोग जहा भी जाएं, उनके प्रति बराबर का धादर-पूर्ण व्यवहार किया जाए; उनके प्रति हम किसी भी प्रकार का भेदभाप नहीं चाहते।

धापसी दुस्मनी, घृणा और भन्दरुनी झगड़ा के वापजूद, दुनिया नजदीकी सहयोग और विश्व राष्ट्रमण्डल की स्थापना की ओर साजमी तौर पर बढती जा रही है। स्वतन्त्र भारत एक ऐसे विश्व की स्थापना में धपना योगदान करेगा जिसमें स्वतन्त्र राष्ट्रों के बीच निर्बाध महयोग होगा और एक धर्ग या गुट दूसरे का शोषण नहीं करेगा।”

1946 में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार एशियाई सम्बन्धी पर एक सम्मेलन धायाजित किया जिसका उद्देश्य यह बताना था कि एशिया भव धपने परों पर टटा ही गया है। श्री नेहरू के धन्दों में, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि भारत “भनाभयक रूप से नेतृत्व चाहता है” बल्कि यह था कि वह “दूसरों से परस्पर सहयोग के लिए जनकी मदद करेगा तथा पहल करेगा।”

पांचवें दशक के अन्तिम धर्गों में अन्तर्राष्ट्रीय घातावरण बदलता घना गया। जैसे-जैसे शीत युद्ध की धागंकाए बढी और प्रतिद्वन्दी सैनिक गुट अस्तित्व में घाने लगे, भारत ने धपनी सारी शक्ति और ससाधनों का उपयोग राष्ट्रीय विवाध और सामाजिक प्रगति पर लगाने के लिए और सभी राष्ट्रों के बीच शांति और सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए गुट-निरपेधता की नीति धपनायी। गुट-निरपेध नीति का तात्पर्य था—किसी देश का कुछ देशों के, गुटों में बिना जुड़े विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर धपने स्वतन्त्र निर्णय लेना। इस नीति के धनुसार भारत ने धपने पड़ोसी देशों के साथ सैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की दिगा में पहल की, उपनिवेशवादी प्रभुत्व में धपने को स्वाधीन करने का प्रयत्न करने घाने देशों को समर्थन प्रदान किया और समद-भय पर विरत के विभिन्न भागों में अन्तर्राष्ट्रीय मंडल को बन करने का प्रघान किया।

उपनिवेशी मामले दो शताब्दियों से अधिक समय तक उपनिवेशी आधिपत्य में रहने के बाद और प्रजातीय अहंकार के कुछ निरूढ तथ्यों को भुगतने के पश्चात् भारत ने स्वाभाविक रूप से उपनिवेशवाद तथा प्रजातीयवाद का विरोध करने वाले मामलों को प्राथमिकता दी। भारत ने इण्डोनेशिया को उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने में मैत्रीपूर्ण सहयोग दिया। भारत की पहल पर जनवरी, 1949 में नई दिल्ली में 18 सदस्यीय सम्मेलन हुआ, जिसमें इण्डोनेशिया को आजाद कराने के लिए तुरन्त कदम उठाने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया। एशियाई एकता की यह प्रथम साकार अभिव्यक्ति थी। उसके बाद भारत ने अन्य स्वतन्त्रता आन्दोलनों को भी इसी प्रकार सहयोग दिया और उपनिवेशवादी ताकतों से, अधीन राष्ट्रों को आजादी देने को कहा।

छठे दशक में नई भूमिकाएं

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में विश्व को पहली बार एक गम्भीर संकट के दौर से गुजरना पड़ा। कोरिया के युद्ध में भारत ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया और शान्तिपूर्ण समझौते पर जोर देते हुए अपनी स्वतन्त्र नीति कायम रखी। भारत ने इस युद्ध के बढ़ जाने के खतरों के खिलाफ भी चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि एक पक्ष की सेनाएं दूसरे पक्ष की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ेंगी तो इस से युद्ध भड़कने की आशंका हो जायेगी। इस संरचनात्मक दृष्टिकोण का अन्ततः सम्मान किया गया और भारत को युद्ध-बन्धियों के मामलों को सुलझाने के लिए संयुक्त 'राष्ट्र संघ प्रत्यावर्तन आयोग' का अध्यक्ष चुना गया। इसी प्रकार छठे दशक में हिन्द-चीन संकट के दौरान भारत ने परोक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभायी। यद्यपि पहले जिनेवा सम्मेलन में भारत किसी भी पक्ष के रूप में उपस्थित नहीं था, फिर भी सम्मेलन द्वारा विद्यतनाम, कस्प्यूचिया और लाओस के भविष्य को लेकर किए गए निर्णयों में उसने अपने प्रभाव का उपयोग किया। भारत ने लगभग दो दशकों तक तीन अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। 1956 में मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल के हमले के बाद जब स्वेज संकट से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो गया तो भारत ने इस हमले की भर्त्सना की और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसके बाहर भी इस हस्तक्षेप के खिलाफ जनमत तैयार किया। इस संकटपूर्ण स्थिति को शान्त करने के लिए पेश किए गए भारत के प्रस्ताव, बाद में शान्तिवार्ता और समझौते में सम्मिलित किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसके बाहर मिस्र को दिए गए भारत के सैद्धान्तिक समर्थन के कारण विदेशी सेनाओं को मिस्र की सीमाओं से बाहर जाना पड़ा और इस समर्थन से स्वेज नहर पर मिस्र की प्रभुसत्ता स्वीकार कराने में भी सहायता मिली। भारत ने सिनाई प्रायद्वीप में संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सेना के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। कांगो संकट के समय भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस अफ्रीको राष्ट्र की एकता और प्रादेशिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए वहाँ भेजी गयी संयुक्त राष्ट्र सेना में भारतीय सैनिकों ने विशेष रूप से सेवा की। लेबनान और साइप्रस में भी भारतीय राजनयिकों और सैनिक अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शान्ति सेना के माध्यम से कार्य किया।

12

भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को वर्तमान राष्ट्रमण्डल का स्वरूप देने में मुख्य भूमिका निभायी है। भारत ने नव-स्वतन्त्रता-प्राप्त देशों में स्थायित्व और प्रगति को

प्रोत्साहन देने में प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्रमण्डल जैसे संगठनों के माध्यम से सक्रिय रुचि दिखायी। बर्मा में भयंघि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता हटाने की भी फिर भी राष्ट्रमण्डल ने उसे 6,000,000 पाउंड की सहायता दी। इतना ही नहीं, भारत ने अन्य देशों से भी अनुरोध किया कि वे बर्मा को इसी प्रकार की सहायता दें। भारत की इस पहल ने बाद में कोलम्बी-योजना तैयार करने में सहायता दी। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राष्ट्रमण्डल और विश्व के मामलों में भारत की भूमिका के फलस्वरूप ही 23 नवम्बर से 29 नवम्बर 1983 तक राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्राध्यक्षों का सबसे बड़ा सम्मेलन पहली बार नयी दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस निम्न सम्मेलन में पांच महाद्वीपों के 42 देशों ने भाग लिया, विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रमण्डल जैसे मंच पर विभिन्न दृष्टिकोणों और विचार-धारकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति स्वाभाविक ही है परन्तु सन्तोष को जान यह है कि मजबूत होते हुए भी मित्र सम्मेलन द्वारा जारी किए गए अन्तिम दस्तावेजों में शान्ति और विकास से सम्बन्धित मामलों में दृष्टिकोण और उद्देश्य की एकसूत्रता पायी गयी। नमाल में 16 नवम्बर से 22 नवम्बर 1985 तक चलने वाले राष्ट्रमण्डल देशों के अध्यक्षों के सम्मेलन (चौथम) में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के मुख्य भाषण की वजह से 'विश्व शान्ति की घोषणा' को स्वर्णहार चिह्न दिया।

### गुट-निरपेक्षता

अनेक राष्ट्रों की उपनिवेशवाद से मुक्ति होने पर भारत की गुट-निरपेक्ष नीति को बड़े पैमाने पर स्वीकृति मिली। पहला गुट-निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्राद में हुआ जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। बेलग्राद शान्ति घोषणा की काफी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। इस सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष देशों के बीच समय-समय पर होने वाले विचारों के आदान-प्रदान और विचार-विमर्श की उपायों को सिद्ध कर दिया। तब से अन्य देश भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मिलित हुए हैं और इसी वर्तमान सदस्य संख्या 100 तक पहुँच गई है। इसके प्रति-रिक्त दर्जनों देश पर्येश्वर और अतिशक्तियों के रूप में भी हैं। सदस्य संख्या में वृद्धि होने के बावजूद इस आन्दोलन ने शान्ति, निरस्त्रीकरण, विकास और स्वतंत्रता के पक्ष में ही अपना मूल स्वर बनाए रखा है। कुछ मामूली मन-भेदों के बावजूद गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच एकता और आन्दोलन के मजबूती के साथ भागे बढ़ने की आवश्यकता को व्यापक समर्थन और स्वीकृति प्राप्त हुई है।

### श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमन्त्रित्व काल

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 1983 में गुट-निरपेक्ष निम्न सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में अपने प्रमुख भाषण में विश्व में शान्ति, न्याय और प्रगति की दिशा में गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्धता और गहरी निष्ठा तथा न्याय और समानता पर नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक

व्यवस्था की स्थापना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्प को दोहराया ।

श्री राजीव गांधी का प्रधानमंत्रित्व काल

31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी भारत की विदेश नीति में आधारभूत परिवर्तन नहीं आया । प्रधानमंत्री पद संभालने के तत्काल बाद, श्री राजीव गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की विरासत में हासिल मूलभूत दृष्टिकोण और विदेश नीति के सिद्धांतों के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया । उन्होंने कहा : "हमने हमेशा शांति के लिए काम करने में विश्वास किया है । हमारी नीति पारस्परिकता और आपसी हित के आधार पर सभी देशों के साथ मित्रता की है । गुटनिरपेक्षता तथा न्याय, समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित नई आर्थिक व्यवस्था के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है । इसका अर्थ है शांति और विकास से संबद्ध मसलों के प्रति पूर्ण समर्पण । हम देशों की स्वतन्त्रता की हिफाजत करने तथा गैर-हस्तक्षेप और गैर-दखलंदाजी के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं ।"

निरस्त्रीकरण :

भारत ने बार-बार परमाणु हथियारों के खिलाफ और पूर्ण निरस्त्रीकरण के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है । भारत नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध है । भारत उन तमाम कदमों और उपायों के खिलाफ है जो प्रकृति से भेदभावपूर्ण हैं और जो आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के भारत के कार्यक्रम के रास्ते में रोड़ा बनते हैं । नाभिकीय (परमाणु) हथियारों में कटौती के लिए जेनेवा में अमरीका और सोवियत संघ के बीच वार्ता का भारत ने विशेष रूप से, गर्मजोशी से स्वागत किया । जेनेवा शिखर वार्ता में अमरीकी राष्ट्रपति और सोवियत पार्टी नेता ने इस बात को स्वीकारा कि "नाभिकीय युद्ध जीता नहीं जा सकता और कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए ।" इन नेताओं की इस स्वीकारोक्ति से स्वाभाविक रूप से भारत और अन्य देशों में यह आशा बंधी कि हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रगति होगी ; यह परमाणु शक्तियों की इस बात की स्वीकारोक्ति भी थी कि निरस्त्रीकरण की दिशा में सार्थक कदम उठाने का मूलभूत उत्तरदायित्व उन्हीं का है । न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अधिवेशन में, अपने अभिभाषण में, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने "विश्व के नाभिकीय सैन्यवाद के पागलपन से उपचार तथा मानव की सृजनात्मक प्रतिभा का समृद्धि के लिए, न कि विनाश के लिए प्रयोग" करने पर जोर दिया । उन्होंने जनवरी, 1985 में 6 देशों के शिखर सम्मेलन द्वारा जारी किये गये दिल्ली घोषणापत्र के उद्देश्यों को दोहराया, जिसमें अर्जेन्टीना, ग्रीस, भारत, मैक्सिको, स्वीडन और तंजानिया के नेता शामिल थे । इस घोषणापत्र में सभी नाभिकीय हथियारों के

परियोजनाओं पर 12 महानों की रोक नया इनकी पुष्टि की प्रक्रिया के लिए सुविधाएं मुहैया करने के लिए कहा गया था। अमरीका और सोवियत संघ के नेताओं के साथ उनकी बैठकों में इन बात पर पुनः जोर देने का अवसर मिला कि भारत हमारा विदेश नीति के एक चिरकालिक उद्देश्य तथा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के एक प्रमुख मकसद, दोनों के ही रूप में निरन्धीतरण को कितना महत्व देता है। साथ ही साथ, भारत जैविकीय और सामाजिक हथियारों के प्रयोग और उत्पादन, जिनमें अंतरिक्ष युद्ध का कार्यक्रम भी शामिल है, का निरंतर विरोध करता रहा है।

आर्थिक मसले

विश्व अर्थतंत्र सकट की स्थिति में बना हुआ है। हालांकि विकसित और विकासशील दोनों देशों को ही काफी कष्ट उठाते पड़े हैं, अमली भारत विकासशील देशों को ही झेलना पड़ा है। विश्व में घटता मुद्रा प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जर्तें मज्ज करने के साथ-साथ निर्यात की अपनी वस्तुओं के दाम कम रखने से, विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए। विकसित देशों में बढ़ते संरक्षणवाद ने समस्या और जलजी। भारत ने अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ इस रुझान को बदलने और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कई तरीकों में कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों में बहुत मामूली सफलता ही हाथ लगी। सभी देशों को शामिल कर विकास के लिए मुद्रा और वित्त पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहीं भी साकार होता नजर नहीं आता। विकसित देशों के बीच सम्मेलन ने हालांकि उत्तर-दक्षिण अन्त-निरंतरता की कोरी बातें की, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो विकासशील देशों के लिए किसी रूप में मददगार होता। विकसित देशों के अर्थात् प्रत्युत्तर को देखते हुए, यही सही रास्ता था कि विकासशील देशों के बीच अधिक सहयोग की ओर ध्यान दिया जाये, जिनमें '77 के समूह' तथा गुटनिरपेक्ष दोनों ही देश शामिल हैं। एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ सहयोग बढ़ाने में भारत की तत्परता को भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आई० टी० ई० सी०) में अभिव्यक्ति मिली, जिसके अन्तर्गत 60 देश आते हैं। इसके अन्तर्गत होने वाला खर्च 1964 में 4.46 लाख रुपये में बढ़कर 1985-86 में 9 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

मयुक्त राष्ट्र के मंच पर अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में 1985 में भी एक वास्तविक गतिरोध बना रहा। पश्चिमी औद्योगिक देश और घास तीर में अमरीका, मयुक्त राष्ट्र में किसी भी गंभीर विचार-विमर्श में कर्तों पाठते रहे तथा उत्तर-दक्षिण वार्ता को अधिकाधिक गाट, (GATT) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और विश्व बैंक जैसे विशेष मंगलों के लिए बने मंचों तक सीमित किया जा रहा है। इनका खैया मयुक्त राष्ट्र को सामान्य विचार-विमर्श और बहुम के लिए इस्तेमाल करने का है और इसमें वे कोई गंभीर विचार-विमर्श और निर्णय नहीं होने देना चाहते। बड़े औद्योगिक देशों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली को नजर-अंदाज कर दीर्घकालीन मंगलों पर आपस में ही मंगलों करने की इच्छा भी अधिकाधिक प्रचुर हो रही है। अपनी गंभीर आर्थिक



समस्याओं के कारण, अनेक विकासशील देशों को विकसित देशों के दबाव में आना पड़ा है।

संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण आर्थिक मसलों पर वार्ता को फिर से चालू करने के उद्देश्य से कुछ अन्य विकासशील देशों के साथ भारत ने मुद्रा, वित्त, ऋण, व्यापार, संसाधनों के प्रवाह और विकास के, एक दूसरे से जुड़े मसलों, तथा इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुसंगत और एकीकृत तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की विवेचना के लिए, विचार-विमर्श का आवाहन किया। आर्थिक और सामाजिक परिपद की बैठकों के दौरान यह विशेष ध्यान का विषय बन गया।

तीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास रणनीति की समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया में इन व्यापक मसलों पर विचार-विमर्श जारी रहा। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भारत में '77 के समूह' के अध्यक्ष तथा समिति के अध्यक्ष के साथ निकट सहयोग से काम किया। इस मसले पर दो वर्ष के विचार-विमर्श के दौरान इस तरह का सकारात्मक परिणाम संदेहों के घेरे में था और इस प्रगति से भारत प्रोत्साहित हुआ। '77 के समूह' में काराकस एक्शन प्रोग्राम को लागू करने के लिए तीव्र प्रयास प्रारंभ हुए। कुछ महत्वपूर्ण पहलकदमियों जिनमें प्रगति हुई, में एक है व्यापार प्राथमिकताओं पर विश्व व्यवस्था की स्थापना, जिसके लिए विचार-विमर्श शुरू हो गया है।

भारत ने स्वतन्त्र रूप से भी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से भी, मानवता के बड़े हिस्सों में आर्थिक तकलीफ, विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती खाई तथा विकास और निरस्त्रीकरण के बीच की करीबी कड़ी की ओर बार-बार ध्यान खींचा। सातवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के निर्णयों का पालन करते हुए, आंदोलन ने नाभिकीय निरस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर अपने प्रयास केन्द्रित किये। प्रधानमंत्री ने आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से 22 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गुटनिरपेक्ष देशों के विशेष पूर्ण अधिवेशन को संबोधित किया। आंदोलन दुनिया के विभिन्न भागों की घटनाओं, खास तौर से दक्षिणी अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य अमरीका और साइप्रस, से जुझता रहा। 1985 में सुरक्षा परिपद के भारत सहित गुटनिरपेक्ष सदस्यों ने इन और अन्य मसलों पर विचार-विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सातवें शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहयोग के कार्यानीतिक कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए इसने अनेक अनुवर्ती कदम उठाये। अप्रैल में नामीबिया के सवाल पर नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। यह बैठक मार्च 1985 में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर विचार के लिए हुई ब्यूरो की क्षेत्रीय बैठक के बाद बुलाई गयी। इस बैठक में नामीबिया के सवाल पर एक महत्वपूर्ण घोषणापत्र और कार्रवाई का कार्यक्रम मंजूर किये जाने के अलावा अफ्रीका की नाजूक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन की एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की गयी।

क्षेत्रीय सहयोग  
को दक्षिण एशियाई  
एसोसिएशन

भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में इसके उद्भव में ही मन्त्रिय भूमिका ग्रहण की है। पटना दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन दिसम्बर 1985 में ढाका में संपन्न हुआ, जिसका परिणाम था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (एम० ए० ए० आर० सी०) का उदय। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने उद्घाटन भाषण में शिखर सम्मेलन को एक 'नये मंच' की शुरुआत बताया और कहा कि एसोसिएशन को जन-आंदोलन बनना होगा। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय सहयोग "सामूहिक आत्मनिर्भरता का वह रास्ता दिखाना है जिन पर चलकर क्षेत्र में गरीबी, अज्ञानता, बुध्दोपेय और बीमारियों को समाप्त करने में पार पाया जा सकता है।" एसोसिएशन के घोषणापत्र में राष्ट्राध्यक्षों की वार्षिक तथा मन्त्रिपरिषद् की छमाही बैठक का प्रावधान है, जो कि मंगल का सर्वोच्च नीति निर्धारक संकाय है। एक स्थायी सचिवालय कायम करने का भी निर्णय लिया गया है और विदेश मंत्री इसके प्रधान, डाक्टर, माधन और कार्यों के बारे में विस्तृत खाका तैयार करेंगे। दूसरा शिखर सम्मेलन नवम्बर 1986 में दिल्ली में तय किया गया है।

1984 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जोर देकर कहा, "हमारे उन निकट पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिनके साथ हमारी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कड़ियां जुड़ी हैं।"

इस नीति का अनुसरण करने हुए, प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं के साथ समसदारी विकसित करने के लिए अनेक मन्त्रिय कदम उठाये और दक्षिण एशियाई नेताओं से मुलाकात के हर अवसर का उपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप हर देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों का माहौल सुधरा।

श्रीलंका

श्रीलंका की अनसुलझी समस्या और वहाँ तमिलों की हत्या की अधिकाधिक रिपोर्टें गहरी चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। मोहादेवपूर्ण समाधान में मदद के लिए उच्च स्तर पर संपर्क बनाये रखे गये। श्रीलंका की सरकार को भारत का यह दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया कि इस मामले पर सैनिक समाधान घातने के प्रयास कामयाब नहीं होंगे। इन प्रयासों के कारण श्रीलंका से आने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 1,24,000 तक पहुँच गयी। श्रीलंका के आंतरिक मंत्र के समाधान के टिकाऊपन का एकमात्र रास्ता वह राजनीतिक हल है जिसके तहत शरणार्थी सम्मान और सुरक्षा से अपने परो को लौट सकें।

पाकिस्तान

पाकिस्तान द्वारा अपनी प्रतिरक्षा जख्खरतो से कहीं अधिक आधुनिक हथियार हासिल करने और पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने के प्रयास की समावना से भारत को चिन्ता बनी रही। पाकिस्तानी नेताओं द्वारा उच्च स्तर पर दिये गये आश्वासनों के बावजूद सिख उप्रवादियों को सोमा पार से मदद दिया जाना जारी रहना भी भारत के लिए इतनी ही चिन्ता का विषय रहा। फिर भी, इन घटनाओं के बावजूद भारत शिमला समझौते की भावना के प्रति अपनी

वचनबद्धता के अनुरूप पाकिस्तान के साथ सीहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखे रहा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक के साथ हुई चार बैठकों के आधार पर, वे 17 दिसम्बर 1985 को नई दिल्ली की यात्रा पर आये, जिसमें दोनों पक्षों ने घोषणा की कि वे एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने सहयोग के विकास के रास्ते से बाधाओं को दूर करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम भी तय किया। राष्ट्रपति जिया और हमारे प्रधानमंत्री की बैठक के निर्णयों का पालन करते हुए, जनवरी 1986 में भारत के वित्तमंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिरक्षा सचिव सियाचेन ग्लेसियर क्षेत्र की स्थिति पर विचार करने के लिये मिले। दोनों देशों के विदेश सचिवों ने स्थायी शांति, मैत्री और सहयोग के निर्माण के लिए संधि या समझौते का एक विस्तृत मसौदा तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मतभेद बरकरार रहे।

## बंगलादेश

नसाऊ में राष्ट्रमंडल शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बंगलादेश के राष्ट्रपति इरशाद से बातचीत की। यह फैसला किया गया कि गंगा के पानी की लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढने के लिए दोनों देशों के सिंचाई मंत्रियों की बैठक होनी चाहिए। नवम्बर में बंगलादेश के सिंचाई मंत्री की नई दिल्ली यात्रा का परिणाम था कि सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके अन्तर्गत जल संसाधन मंत्रियों को दोनों देशों में उपलब्ध साझे जल संसाधनों का संयुक्त अध्ययन करना था। इससे फरक्का में गंगा के पानी का बहाव बढ़ाने की समस्या का दोनों देश समाधान निकाल पाते। ज्ञापन में यह भी प्रावधान था कि इसकी वैधता के तीन वर्षों के दौरान, 1982 में हस्ताक्षर किये गये सहमति के ज्ञापन की शर्तों और नियमों के अनुसार फरक्का में गंगा के पानी का वंटवारा होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसियेशन के दिसम्बर, 1985 में हुए शिखर सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री पुनः राष्ट्रपति इरशाद से मिले। इससे पहले वे जून में भी उनसे मिले थे, जब वे तूफान पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ ढाका गये थे। इस तूफान ने मई 1985 में बंगलादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा दी थी। इन दोनों ही अवसरों पर, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की भारत की इच्छा का इजहार किया गया। बंगलादेश से अवैध तरीके से लोगों के, भारत आना जारी रहने की समस्या पर भी, भारत की चिंता से उचित स्तरों पर बंगलादेश के अधिकारियों को अवगत कराया गया।

## नेपाल, भूटान

नेपाल और भूटान के साथ भारत का सहयोग निरन्तर बढ़ता चला गया। सितम्बर, 1985 में महामहिम नेपाल नरेश ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान व्यापक विचार-विमर्श किया। नेपाल की विकास परियोजनाओं में

भारत की मदद की सराहना की गयी। दोनों देशों के बीच पारगमन संधि को मार्च 1989 तक बढ़ाया गया। इस संधि से भारत के रहने नेपाल को समुद्री मार्ग मिलता है। महामहिम भूटान नरेश फरवरी 1985 में भारत काये और मितम्बर मे प्रधानमंत्री ने यिपू की यात्रा की। भूटान के सर्वतोमुखी विकास के लिए भारत काफी मदद मुहैया करता रहा।

#### मालदीव, बर्मा

वर्ष के दौरान मालदीव और बर्मा के साथ भी संबंध सुदृढ़ हुए जो कि फरवरी, 1985 मे मालदीव के राष्ट्रपति श्री गयूम की यात्रा और प्रधानमंत्री की हाल ही की माले की यात्रा ने रेखांकित होता है। विदेश राज्य मंत्री ने भी वर्ष के दौरान रगून की यात्रा की।

#### अफगानिस्तान

वर्ष के दौरान भारत के अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार जारी रहा। अगस्त, 1985 में आर्थिक, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर भारत-अफगान संयुक्त समिति का सातवां अधिवेशन मंत्रो स्तर पर दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान का समर्थन करता है, जो अफगान मामलों में गैर-हस्तक्षेप और गैर-दखलंदाजी पर आधारित हो और सभी संबंधित देशों के बंध हितों को ध्यान में रखता हो।

#### हिन्द महासागर

हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की मौनिक उपस्थिति में निरंतर वृद्धि को भारत बेचैनी में देखता रहा और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अन्य गूट निरोधक देशों के साथ द्विपक्षीय आधार पर प्रयत्नशील रहा। भारत आशा करता है कि तटवर्ती देश बड़ी शक्तियों के माय मुदबंदी नहीं करेंगे या इन्हें ऐसी कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करेंगे जिनसे जवाबी प्रतिक्रिया पैदा हो। भारत इस बात में भी बहुत चिन्तित है कि हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के संयुक्त राष्ट्र के 1971 के घोषणापत्र के बावजूद, बाहरी शक्तियों के सामरिक गठबंधन में तटवर्ती और क्षेत्रीय देशों को शामिल करने के प्रयासों से इस क्षेत्र में महाशक्तियों की होड़ और भी तेज हुई। अये कमान डाले के विकास से हथियारों का जमाव और भी बढ़ेगा और बाहरी शक्तियों को हस्ताक्षेप की क्षमता प्रदान करेगा।

#### दक्षिण-पूर्व एशिया

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। 'आसियान' (ए०एस० ई०ए०एन०) ने देशों में इस बात की चेतना के अधिकाधिक सकेत मिल रहे हैं कि कपूर्षिपा के मसले पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण, इनमें से हर देश के साथ द्विपक्षीय रावध विकसित करने के मार्ग में आडे नहीं आने चाहिए। इमी के बाद आसियान देशों का एक प्रतिनिधि मदन भारत यात्रा पर आया जिसमें भलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनी के प्रतिनिधि शामिल थे। इसकी पुष्टि राष्ट्रपति श्री मुहार्ती के नई दिल्ली में रुकने तथा थाईलैंड और मलेशिया के विदेश-मंत्रियों की यात्रा से हुई। इन यात्राओं ने द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर समझदारी बढ़ाने के अवसर प्रदान किए।

न्द-चीन

हिन्द-चीन के देशों के साथ संबंध निरंतर विकसित हुए। प्रधानमंत्री की नवम्बर 1985 में हनोई यात्रा तथा सितम्बर 1984 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव की भारत यात्रा से यह स्पष्ट होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को मरणो-परांत वियतनाम के सर्वोच्च सम्मान 'गोल्ड स्टार आर्डर' से विभूषित किया जाना, न केवल शांति और आजादी के एक असाधारण योद्धा को व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी, बल्कि यह भारत के प्रति वियतनाम के सम्मान की अभिव्यक्ति भी थी। वियतनाम और लाओस के साथ आर्थिक क्षेत्र में आदान-प्रदान बढ़ रहा है। और भारत द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता को कंपूचिया में सराहा गया है।

चीन

भारत चीन जनगणतंत्र के साथ संबंध सुधारने के प्रयास जारी रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही इस बात को भी दोहराता रहा है कि सीमा-विवाद के न्यायोचित और संतोपजनक हल के बाद ही संबंधों में वास्तविक सामान्यीकरण हो सकता है। न्यूयार्क में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री की बैठक से एक अवसर मिला, जब सीमा विवाद के हल पर जोर दिया गया और नवम्बर, 1985 में नई दिल्ली में हुई छठे दौर की अधिकारिक स्तर की वार्ता का आधार तैयार हुआ, जिसके दौरान दोनों ओर से अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। नवम्बर में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों के बीच 1986 में अधिक व्यापार की व्यवस्था है।

द्वं एशिया जापान

1985 में प्रधानमंत्री की टोकियो यात्रा जापान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में एक और कदम का परिचायक थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में संयुक्त समिति की स्थापना का प्रावधान है। जापान और भारत के लोगों को, एक-दूसरे के करीब लाने में, 1987-88 में जापान में प्रस्तावित भारत महोत्सव और भारत में जापान सप्ताह का आयोजन, एक आवश्यक गति प्रदान करेंगे। दोनों देशों के उद्योग और व्यापार, निजी और सार्वजनिक दोनों ही के, विभिन्न हलकों में आदान-प्रदान से भारत के औद्योगिकरण और टेक्नोलॉजी के हस्तानांतरण के क्षेत्र में दोनों देशों के बढ़ते सहयोग को और मदद मिलेगी। भारत तथा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया और मंगोलिया के बीच संबंध विभिन्न स्तरों पर मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान से सुस्पष्ट हैं।

आस्ट्रेलिया,  
न्यूजीलैंड

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संबंध और भी सुदृढ़ हुए। न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में अपना मिशन फिर से स्थापित कर लिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अप्रैल, 1985 में भारत की यात्रा की तथा प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की।

पश्चिम एशिया  
ग्राहरी के देश

अरब जगत के साथ हमारे परंपरागत और पुराने समय से चले आ रहे संबंधों के अनुरूप वर्ष के दौरान भारतीय और अरब नेताओं के बीच लगातार यात्राओं का आदान-प्रदान होता रहा। प्रधानमंत्री ने जून 1985 में मिस्र और अल्जीरिया

की यात्रा की। आशा की जाती है कि भारत और अल्जीरिया के बीच मनी क्षेत्रों में सहयोग, खासतौर से व्यापार और उद्योग में, महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। सुन्तान काबूस के राज्याभिषेक की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवम्बर, 1985 में ओमान की पहली राजकीय यात्रा की। भारत तथा संयुक्त अरब एमिरेट्स, ईरान, कुवैत और बहरीन के बीच मंत्रिस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान ने भारत और इन देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक आदान-प्रदान को और अधिक बढ़ाने में मदद मिली। इसके अलावा इन यात्राओं में एक दूसरे के इष्ट-कोण को समझने में भी मदद मिली। भारत द्वारा पश्चिम एशिया और आफ्रीके देशों के साथ कायम किए गए संयुक्त आयोगों की बैठकों में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों पर, वास्तविकता का अवसर मिला। जिनके अन्तर्गत बने बने देशों में अधिक आर्थिक सहयोग की संभावनाएं बनीं। खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक और औद्योगिक सहयोग का क्षेत्र विस्तृत करने का भारत ने हर प्रयास किया।

भारत फिलिस्तीनी लोगों के मूल अधिकारों का दृढ़ता से समर्थन करता रहा। भारत की मदद से फिलिस्तीनी मंचाल पर गुटनिरपेक्ष समिति की बैठक चुनावी गई जिम्मे सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाए जो कि फिलिस्तीनी लोगों के मूल अधिकारों को हासिल करने और अमल में लाने तथा पश्चिम एशिया में व्यापक और स्थायी शांति का सबसे बेहतर रास्ता है। भारत ने ट्यूनिम में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मुख्यालय पर इजराइली बमबारी पर अपनी अमनोदय जाहिर किया।

भारत आशा करता है कि लेबनान में शांति और न्यायित्व बहाल होगा। भारत एक मजबूत, संयुक्त और गुटनिरपेक्ष लेबनान के पक्ष में है। महारबी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य की मान्यता देने पर मोरक्को द्वारा राजनयिक संबंध तोड़ने के फैसले पर भारत निराश हुआ। भारत ने इस सैद्धान्तिक मान्यता की घोषणा करने में पहले मोरक्को को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का हर संभव प्रयास किया।

ईरान और इराक के बीच दुषद टकराव, इसे अन्त करने के तमाम प्रयासों के बावजूद, छठे वर्ष में प्रवेश कर गया।

## अफ्रीका

अफ्रीकी देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने की अपनी नीति पर भारत चलता रहा है। अप्रैल, 1985 के दौरान नामीबिया पर गुटनिरपेक्ष मन्व्य ब्यूरो की असाधारण मंत्रिस्तरीय बैठक हुई और इस बैठक के दौरान भारत ने अपने यहां स्वापो के प्रतिनिधि को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने के फैसले की घोषणा की। रंगभेदवाद के पूर्ण विरोध की भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति के अनुसार, भारत ने हर मौके पर दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी नीतियों की अल्पता की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमल का आवाहन किया जिसमें नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए कहा गया है। अक्टूबर, 1985 में नमाऊ में राष्ट्रमंडल सिपर बैठक के दौरान, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने में राष्ट्रमंडल सदस्यों के बीच सर्वसम्मति हासिल करने में भारत ने अग्रणी भूमिका अदा की।

भारत ने अफ्रीका के सूखाग्रस्त देशों की मदद के लिए, हर संभव प्रयास किया और इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, केन्या और तंजानिया को एक लाख टन गेहूं उपहार स्वरूप दिया। इसके अलावा अफ्रीका में अकाल और सूखे के लिए अफ्रीकी एकता संगठन के आपातकालीन कोष में भारत ने 12 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

### पूर्वी यूरोप सोवियत संघ

सोवियत संघ और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों का विकास जारी रहा। प्रधानमंत्री की सोवियत संघ की यात्राओं से शीर्षस्थ स्तर पर भारत-सोवियत संबंधों की समीक्षा का अवसर मिला। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग तथा भारत की औद्योगिक परियोजनाओं में सोवियत भागीदारी के महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच व्यापार अगले 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों की तुलना में, दोगुना हो जाने की आशा है। 1987 के लिए प्रस्तावित भारत महोत्सव और सोवियत सांस्कृतिक महोत्सव दोनों देशों के लोगों को एक-दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर प्रदान करेंगे। भारत और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ संबंधों में भी इसी तरह का विकास हुआ। नवम्बर 1985 में उपराष्ट्रपति श्री वेंकटरमण ने बुलगारिया, जर्मन जनवादी गणतंत्र और यूगोस्लाविया की राजकीय यात्रा की। वर्ष के दौरान पौलैंड की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष ने नई दिल्ली की राजकीय यात्रा की। अक्टूबर में हंगरी के उप-प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हंगरी के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में भी सहयोग का स्तर बढ़ाने के लिए पूर्वी जर्मनी, पौलैंड और रूमानिया के साथ संयुक्त आयोग की बैठक हुई।

### पश्चिमी यूरोप

भारत की उदार बनायी गयी आयात नीतियों के परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों में अधिक दिलचस्पी प्रदर्शित की और अर्थतंत्र को आधुनिक बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी को आधुनिक स्तर पर लाने की हमारी ज़रूरत को देखा। पश्चिमी यूरोपीय देशों से उच्चस्तरीय प्रति-निधिमंडलों की एक के बाद दूसरी यात्रा, इस नए ख़ान का प्रमाण है। पश्चिमी देशों में विकसित हो रहे शांतिवादी आंदोलन ने भी इन्हें भारत की ओर आकर्षित किया जिसने शांति और निरस्त्रीकरण के आवाहन में अग्रणी भूमिका अदा की। प्रधानमंत्री की कुछ पश्चिमी देशों—ब्रिटेन, फ्रांस और हालैंड की यात्रा तथा ब्रिटेन, स्वीडन और ग्रीस के प्रधानमंत्रियों तथा हालैंड की महारानी की भारत यात्राओं से इस प्रवृत्ति के संकेत मिलते हैं। भारत को पोप के आगमन पर भी प्रसन्नता है। पेरिस में संपन्न भारत महोत्सव ने फ्रांस के लोगों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा इसके अर्थतंत्र की संभावनाओं के प्रति भी नई जागरूकता पैदा की।

**संयुक्त राज्य  
अमरीका**

प्रधानमंत्री की अमरीकी राष्ट्रपति के साथ बैठकों ने, पहली जून 1985 में, वाशिंगटन में और फिर अगस्त में न्यूयॉर्क में, भारत की नीतियों और परियोजनाओं के प्रति अमरीका में बेहतर समझ विकसित करने में मदद दी। प्रधानमंत्री की अमरीकी कांग्रेस को संबोधित करने का सम्मान दिया गया। वाशिंगटन में प्रवास के दौरान उन्होंने अमरीका में भारत महोत्सव का औपचारिक रूप में उद्घाटन किया, जो 1986 के अंत तक जारी रहा। इस यात्रा के बाद उच्च टेक्नोलॉजी के हस्तान्तरण पर सहमति के ज्ञापन को अमल में लाने की प्रक्रिया को अतिमत्त, रूप दिए जाने में उम्मीद की जाती है कि भारत और अमरीका के बीच सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की आधुनिक हथियारों की आपूर्ति तथा परमाणु क्षमता प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयासों पर अपनी चिन्ता में भी अमरीका को अवगत कराया।

**कनाडा**

नमाऊ में राष्ट्रमण्डल सरकारों के प्रमुखों की बैठक में प्रधानमंत्री श्री कनाडा में प्रधानमंत्री के साथ आरम्भिक हितों के मामलों पर बातचीत का अवसर मिला। नवम्बर, 1985 में जब कनाडा के विदेश मंत्री नई दिल्ली की यात्रा पर आये तो आगे बातचीत हुई।

पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका के कुछ देशों के साथ सम्बन्धों में इस कारण जटिलता पैदा हुई कि कुछ सरकारों ने कहा रह रहे भारत विरोधी विघटनकारी तत्वों के प्रति अनुकूलता का रवैया अपनाया। यह भ्रमना संबंधित सरकारों के साथ निरन्तर उठाया गया और भारत को विश्वास है कि ये देश आतंकवादी गतिविधियों के खतरों के प्रति अथ बेहतर ढंग में अवगत हैं। इन देशों में भारतीय समुदाय के भारी बहुमत की पंजाब और अमम समझौतों पर अनुकूल प्रतिक्रिया रही।

**सैंटिन अमरीका  
तथा कैरेबियन देश**

भारत तथा सैंटिन अमरीका और कैरेबियन देशों के बीच अनेक यात्राओं में भारत और इन देशों के बीच सम्बन्धों को बढ़ाने में मदद मिली। इन यात्राओं में, ब्रिजेंटिना और मेक्सिको के राष्ट्रपतियों तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री की भारत यात्राएँ उल्लेखनीय थी। भारत और इन देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सम्झौतों पर हस्ताक्षर किये गये। प्रधानमंत्री ने क्यूबा की यात्रा की। क्यूबा द्वारा मरणोपरान्त श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने सर्वोच्च सम्मान में विभूषित करना, इस बात को प्रदर्शित करता है कि क्यूबा में भारत का कितना सम्मान है और विश्व ज्ञानि में श्रीमती इन्दिरा गांधी के योगदान की वह कितनी इज्जत करता है। भारत और क्यूबा के बीच एक और महत्वपूर्ण घटना, दोनों के बीच आणविक उर्जा का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये उपयोग के सम्झौते पर, हस्ताक्षर करना था। मैक्सिको और कोलम्बिया में प्राकृतिक विपदाओं से जान-मान के भारी नुकसान पर भारत को बहुत दुःख पहुंचा।

**मध्य अमरीका**

मध्य अमरीका और ग्राम तोर में निकासारुघ्रा में हिंसा जारी रहने पर भारत ने गहरी चिन्ता व्यक्त की। भारत ने कोन्टादोरा ग्रुप के शान्ति और क्षेत्र



से तनाव दूर करने के प्रयासों पर अपना निरन्तर समर्थन व्यक्त किया। भारत ने 'समर्थन ग्रुप' के गठन का भी स्वागत किया, जिसमें अर्जेन्टीना, ब्राजील, पेरू और उरुग्वे शामिल हैं।

### प्रवासी भारतीय

बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग दुनिया भर के अनेक देशों में जाकर बसे हैं। इन देशों के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण और व्यापक योगदान दिया है। भारत सरकार की नीति है कि जो भी भारतीय दूसरे देशों में जाकर बस गये हैं और वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं, उन्हें उसी देश के साथ अपनी पहचान बनानी चाहिये। अधिकाधिक रूप से यह स्वीकार किया जा रहा है कि प्रवासी भारतीय प्रवास के देशों और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के प्रयासों में समझदारी का एक माध्यम प्रदान कर सकते हैं। इन्होंने अपनी मूल भूमि और प्रवास के देश दोनों को ही लाभान्वित कर यह प्रदर्शित कर दिया है कि हुनर, विशेषज्ञता, टेक्नोलॉजी और विनियोग के स्रोत की इनमें संभावनायें हैं। इन्हें और अधिक सलाहकार और सूचना सेवायें मुहैया करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

### विदेशिक प्रचार

जब एक जीवंत और उत्थानशील भारत आकार ग्रहण कर रहा है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विकासक्रम की जानकारी सही परिप्रेक्ष्य में व्यापक विश्व को मुहैया की जाये। सरकार ने श्रव्य-दृश्य (आडियो विजुअल) और प्रिन्ट माध्यमों में अधिक से अधिक आधुनिक तरीकों का बेहतर इस्तेमाल कर, इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। मतदान के माध्यम से नई सरकार का उदय और पंजाब और असम में समझौतों के माध्यम से संकट के शांत पड़ने और इन दोनों राज्यों में सफलतापूर्वक स्वतन्त्र और लोकतांत्रिक चुनावों को, विदेश में समाचार माध्यमों ने व्यापक रूप से स्थान दिया। यह तथ्य कि भारत में बड़ी संख्या में विदेशी पत्रकार बिना किसी बाधा के घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, अपने आप से भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की ताकत का वयान है और पूरे विश्व में इसकी सराहना की गई है।

### भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिपद

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिपद अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए एक मुख्य एजेंसी के रूप में काम करती है। अपने आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपद ने 50 जाने-माने विदेशी विद्वानों, कलाकारों, लेखकों और वुड्रिजीधियों का भारत में स्वागत किया। परिपद ने काफी संख्या में विदेशी कलाकार दलों के कार्यक्रमों का भारत के विभिन्न प्रमुख नगरों में आयोजन किया। इसके अतिरिक्त 100 से भी अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से तथा 80 कलाकार दलों को परिपद ने विश्व के विभिन्न भागों में भेजा जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पी० सी० सरकार ( जूनियर ) के जादू दल की सोवियत यात्रा थी।

विदेशमन्त्री पी० निवशंकर के नेतृत्व में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के एक प्रतिनिधि मंडल की चीन-यात्रा आयोजित की गई। परिपद ने अनेक महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन किया था इनमें महयोग दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए 1984 का जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार मरणोपरान्त दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया। 1983 के लिए यह पुरस्कार आस्ट्रिया के भूतपूर्व चांसलर डा० शुनो टिएस्वी को दिया गया था।

परिपद के सत्वावधान में, वाल्मीकि विश्व कविता उत्सव का आयोजन किया गया। 'भारत और विश्व साहित्य' पर एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के आयोजन के लिए परिपद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिपद, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिपद और साहित्य अकादमी के साथ सहयोग किया। शिक्षा और संस्कृति पर भारत-अमरीकी उपआयोग के सचिवालय के रूप में, 1985 में अमरीका में भारत महोत्सव के कारण, परिपद की भतिविधियों में भारी तेजी आई। महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के पं० रविशंकर का सितार वादन शामिल था।

1985 के दौरान परिपद ने अनेक प्रकाशन निकाले। उन्हें हुए प्रकाशनों का विभिन्न देशों में, पुस्तक मेलों में प्रदर्शन किया गया।

विदेशों में भारतीय अध्ययन केन्द्रों की योजना के एक भाग के रूप में परिपद ने भारतीय शिक्षकों को विभिन्न विदेशी संस्थानों में भेजा। फिजी, गुयाना, सूरीनाम और वीन में सांस्कृतिक केन्द्रों ने, संगीत नृत्य आयोजनों, मेमीनारों तथा अन्य तरीकों में जानकारी दे कर, भारतीय जीवन और संस्कृति का प्रचार किया।

विदेशी मिशन  
पासपोर्ट दफ्तर

भारत की छवि प्रतिबिम्बित करने तथा राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए विदेशों में 136 मिशन और केन्द्र हैं। कुल 21 पासपोर्ट दफ्तर हैं जो लगभग सभी राज्यों में फैले हुए हैं।

## असम

क्षेत्रफल : 78,438 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 1,98,96,843

राजधानी : दिसपुर (अस्थायी) मुख्य भाषा : असमिया

## कृषि

मजदूरों का 2/3 से अधिक भाग कृषि में लगा है तथा यह जनसंख्या के 77 प्रतिशत से अधिक भाग को पोषित करती है। धान मुख्य खाद्य फसल है। नक्दी फसलें पटसन, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना तथा आलू आदि हैं।

राज्य में मुख्य वागवानी उत्पाद—संतरे, नींबू, केला, अन्नानास, सुपारी, नारियल, अमरुद, लीची, आम, कटहल आदि लघु क्षेत्र में पैदा किये जाते हैं। राज्य में कुल 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है जिसमें से 79.6 प्रतिशत खाद्यान्न की खेती का क्षेत्र है। अकेले धान की ही खेती 23.16 लाख हेक्टेयर में होती है।

आरक्षित वन के रूप में श्रेणीबद्ध वन क्षेत्र 17272.98 वर्ग किलोमीटर या राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 22 प्रतिशत है। अवर्गीकृत वन 10,063.81 वर्ग कि० मी० है।

## उद्योग

कृषि-आधारित उद्योग में चाय का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में लगभग 765 चाय वागान हैं। विश्व के कुल चाय उत्पादन का एक चौथाई असम में होता है और गुवाहाटी चाय विक्री केन्द्र अब विश्व का सबसे बड़ा चाय विक्री केन्द्र बन गया है।

पेट्रोलियम और इसके उत्पाद दूसरे मुख्य उद्योग हैं। डिगबोई तेलशोधक कारखाना, गुवाहाटी तेलशोधक कारखाना और बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाना और पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स, तेलशोधक कारखानों में मुख्य स्थान रखते हैं। इसके अलावा बोंगाईगांव तेलशोधक कारखाने के उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी गयी है और तदनु रूप 20 जून 1986 को कामरूप जिले में नायकुची गांव में पोलिस्टर स्पिनिंग मिल की स्थापना की गयी। कामरूप में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना, सिलहट में पटसन का कारखाना और जोगीघोषा, जागीरोड़ तथा पंचगांव में कागज के कारखाने भी लगाये

टिप्पणी : जिलों के नाम, क्षेत्रफल और जनसंख्या स्रोतस ऑफ इंडिया 1981--सिरीज-1 इंडिया पार्ट-II वी (i) प्राइमरी सेन्सस एक्टिवेटेड—जनरल पापुलेशन, के अनुसार है।

गये हैं। ह्यकरपा, रेगम उत्पादन, बेंत और बांस का सामान, लकड़ी का सामान, धातु और तांबे के वर्तन महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग हैं। 'इरा' और 'मुगा' की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सोएलकुची में निर्यात-प्रधान ह्यकरपा परियोजना स्थापित की गयी है।

घनिज तेल, कोयला, चूना पत्थर, उच्च-ताप-मह, ईंटों और डोलोमाइट के उत्पादन में भी असम का विशिष्ट स्थान है।

**सिचाई एवं बिजली** विशाल ब्रह्मपुत्र और इगकी महायक नदियों की बदीनत घसम में पन-बिजली की अपार क्षमता है। इस पूरे क्षेत्र की बिजली उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट आकी गयी है, जो देश की कुल क्षमता का 30 प्रतिशत है। इस समय असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तीन मुख्य बिजली परियोजनाएँ चलायी जा रही हैं। उत्तर-पूर्व बिजली शक्ति निगम (नोपको) 1976 में शुरू किया गया तथा इसी के साथ 100 मेगावाट के कापिली बिजलीघर के तैयार हो जाने से निगम असम की बिजली की जरूरत को पूरा कर सकेगा। सातवी योजना के अंत तक सभी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त होने पर असम में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता बढ़कर 695 मेगावाट हो जायेगी।

राज्य में बढ़ी, मध्यम और छोटी योजनाओं की मदद से कुल 3,86,760 हेक्टेयर भूमि में सिचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस पर 297 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसकी सातवी योजना में व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, हाल ही में केन्द्र सरकार ने डिब्रूगढ़ के पास कयालगुड़ी में गैस पर आधारित 280 मेगावाट की बिजली परियोजना स्थापित करने का फैसला किया है। यह प्रस्तावित बिजली-घर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ा होगा। इसकी स्थापना जापान के सहयोग से की जायेगी।

**महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल**

पर्यटकों की दिलचस्पी के महत्वपूर्ण स्थान हैं : कामाख्या, असुवाकलटा, उमानन्द या पीकोक आईलैंड, वशिष्ठाश्रम, नवगृह मंदिर, काडीरगा, मानस, सोनाई रूपा, वन्यजीवन अभयारण्य तथा शिवसागर, हाजो (बुद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है), माजुली (विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप), वाताडव (धी ध्रोंसंकरदेव का जन्मस्थल), पोघ्रा मक्का की मस्जिद और दृश्यपूर्ण चान्दुबी झील।

**सरकार**

राज्यपाल : मोघ्न नारायण मिह

मुख्यमंत्री : प्रफुल्ल कुमार महंता

**विधान सभा**

अध्यक्ष : पुतकेश बरूया

**उच्च न्यायालय**

मुख्य न्यायाधीश : पी० सी० रेड्डी

मुख्य सचिव : जे० सी० राम्पुई



उत्पादन का लगभग 55 प्रतिशत और बर्जोनिया तम्बाकू के उत्पादन का लगभग 94 प्रतिशत यहाँ होता है।

राज्य के कुल क्षेत्र के 23.3 प्रतिशत भाग में वन हैं। मुख्य वन-उत्पाद हैं : सागवान, मुक्लिप्टस, काजू, बांस तथा मापटबूड इत्यादि।

## उद्योग

हैदराबाद और विद्याघापत्तनम के आसपास अनेक बड़े उद्योग हैं। उद्योगों में मशीनी धोजार, संश्लेष्य धोपधियाँ, भारी विजली मशीनें, जहान, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विमानों के कल-गुर्जे, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, रसायन, एस्बेस्टस, शीशा तथा घड़िया शामिल हैं।

विद्याघापत्तनम में इस्पात संयंत्र पर ठेके से कार्य हो रहा है। रेलगाड़ी के टिकों की मरम्मत के लिए विद्युति में वर्कशाप की नींव डाली जा चुकी है। रामानुषडम कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। मई 1985 में मेंडक के जहौराबाद में घात्विक निशान लाइट बर्मिगियम स्क्रिपल प्लांट का उद्घाटन किया गया।

काकीनाडा में संयुक्त उद्यम के रूप में इफको 108 करोड़ रुपये की लागत का उर्वरक कारखाना स्थापित करेगा।

छात्र प्रदेश में अच्छे किस्म का क्रिमोलाइट एस्बेस्टस होता है। भारत के कुल घाटोस्फाटक (वैराइट्स) उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत यहाँ होता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिज हैं—तांबा, अयस्क, मैंगनीज, अफ्रक, कोयला और चूना-पत्थर। मैंगनीज अयस्क उत्पादन में इस राज्य का देश में छठा स्थान है। सारे दक्षिण में सिंगरेनी कोयला खानों में कोयले की आपूर्ति की जाती है।

## सिंचाई और विजली

कार्यान्वित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में नागार्जुनसागर परियोजना, प्रकाशम बराज, तुंगभद्रा निचली सतह नहर, कुरनूल-गुड्डप्पा नहर, कदम परियोजना, रोमपेरु जलनिकासी परियोजना और ऊपरी पेन्नार परियोजना शामिल हैं। श्रीरामसागर परियोजना, वामसंधारा परियोजना, पोनावरम बहु-उद्देशीय परियोजना तथा सोमाशिला परियोजना ये महत्वपूर्ण परियोजनाएँ हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। तेलुगु गंगा परियोजना, जिसका उद्देश्य भद्राम के लिए पाने का पानी तथा रायलसीमा और नेल्लोर जिलों के लिए सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, 1983 में शुरू की गई।

महत्वपूर्ण विजली परियोजनाएँ हैं : मछकुण्ड, ऊपरी सिलेरु तथा निचली सिलेरु, तुंगभद्रा बांध, नागार्जुनसागर और निजामसागर पनविजली परियोजना और नेल्लोर, रामानुषडम तथा कोडामुण्डम, विजयवाडा तथा हुसैनसागर (हैदराबाद) ताप विजलीघर। मार्च 1986 तक स्थापित क्षमता 3,366 मेगावाट थी। मार्च 1986 तक 23,680 गांवों तक विजली पहुँच गयी थी और 7.33 लाख पत्तियों को चालू कर दिया गया था। राज्य की प्रतिष्ठित अंशरहित पनविजली परियोजना निर्माणाधीन है।

सरकार	राज्यपाल	: कुमुदवेन मणिशंकर जोशी
	मुख्यमंत्री	: एन० टी० रामाराव
विधान सभा	अध्यक्ष	: जी० नारायण राव
उच्च न्यायालय	मुख्य न्यायाधीश	: के० भास्करन
	मुख्य सचिव	: श्रवण कुमार

जिलों का क्षेत्रफल,  
जनसंख्या और  
महपालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. आदिलाबाद	16,128	16,39,003	आदिलाबाद
2. अनन्तपुर	19,130	25,48,012	अनन्तपुर
3. चित्तूर	15,152	27,37,316	चित्तूर
4. कुडप्पा	15,359	19,33,304	कुडप्पा
5. पूर्व गोदावरी	10,807	37,01,040	काकीनाडा
6. गुण्टूर	11,391	34,34,724	गुण्टूर
7. हैदराबाद	217	22,60,702	हैदराबाद
8. करीमनगर	11,823	24,36,323	करीमनगर
9. खम्मम	16,029	17,51,574	खम्मम
10. कृष्णा	8,727	30,48,463	मछलीपत्तनम
11. कुरनूल	17,658	24,07,299	कुरनूल
12. महबूबनगर	18,432	24,44,619	महबूबनगर
13. मेडक	9,699	18,07,139	संगारेड्डी
14. नलगोंडा	14,240	22,79,685	नलगोंडा
15. नेल्लौर	13,076	20,14,879	नेल्लौर
16. निजामाबाद	7,956	16,79,683	निजामाबाद
17. प्रकासम	17,626	23,29,571	श्रंगोल
18. रंगारेड्डी	7,493	15,82,062	हैदराबाद
19. श्रीकाकुलम	5,837	19,59,352	श्रीकाकुलम
20. विशाखापत्तनम	11,161	25,76,474	विशाखापत्तनम
21. विजयनगरम	6,539	18,04,196	विजयनगरम
22. वारंगल	12,846	23,00,295	वारंगल
23. पश्चिम गोदावरी	7,742	28,73,958	एलूरू

**उड़ीसा**

क्षेत्रफल : 1,55,707 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 2,63,70,271
राजधानी : भुवनेश्वर	मुख्य भाषा : उड़िया

**कृषि** 76 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। कुल फसल क्षेत्र 87.46 लाख हेक्टेयर में से 18.79 लाख हेक्टेयर सिंचित हैं जिसे गातवा योजना में बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण फसलें हैं—चावल, दालें, तिलहन, पटसन, मेस्ता, गन्ना, नारियल और हल्दी। राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 42.7 प्रतिशत वन है। मुख्य वन उत्पाद हैं : साल, सामवान, शोणम, लाख, टसर, जड़ी-बूटियाँ और केन्दू पत्तियाँ।

**उद्योग** घनिष्ठ, समुद्री पदार्थ, रसायन, वन तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए उड़ीसा में प्रचुर औद्योगिक संसाधन विद्यमान हैं।

इसके विशाल घनिष्ठ भंडार, व्यापक समुद्र तट, हरे-भरे जंगल और नाना प्रकार के कृषि उत्पाद, तीव्र औद्योगीकरण के लिए भादार्थ प्राधार प्रदान करते हैं।

औद्योगिक नीति, 1980 और 1986 के अन्तर्गत से उद्योगों के तेज विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में गावाँ में उद्योग-धंधों, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों का निरंतर विकास हुआ। दिसम्बर 1986 के अंत तक 170 मध्यम और बड़े उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया। 70 और उद्योग क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 101 उद्योगों की स्थापना का निर्धारण हो गया है।

राज्य में दस्तकारों पर आधारित उद्योगों की संख्या 5,42,080 है। सातवीं योजना में राज्य में 16,500 छोटे उद्योगों तथा 3,75,000 दस्तकार आधारित इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 1986 की नई औद्योगिक नीति में मुख्य जोर प्राधुनिक उद्योगों के विकास, टेक्नोलॉजी के उन्वीकरण, मौजूदा इकाइयों का प्राधुनिकीकरण और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर है।

केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित परियोजनाएँ हैं। राउरकेला में इस्पात कारखाना, छत्तरपुर में बालू काप्नेम, तलचर में भारी जल सभंत्र, भवैश्वर में कोच मरम्भन कार्यशाला, कोरापुत में एल्यूमीनियम काप्नेम, तलचर में त्रिजली घर, पागाडीप में उर्वरक कारखाना, मबलपुर के पैकमल में गधमर्दन अन्न परियोजना। केन्द्रीय क्षेत्र में छत्तरपुर, बोलागीर और बान्नासौर में प्रतिरक्षा परियोजनाएँ भी कायम की जा रही हैं। इनसे व्यापक रोजगार मिलेगा।

उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी है, इनमें शामिल हैं हीराकुड में प्रापजी मिल, बरबिल में स्त्र पाइप प्लांट, सोनीपुर और वादीपाड़ा में स्प्रिंग मिलें, चौदवार, भाग्मुगुडा और बाग्गड में



कपड़ा मिलें, वारगढ़ में स्लैग सीमेंट प्लांट, चन्दुका में व्वायलर पाईपिंग और एस्सेसरीज प्लांट, वारगढ़ में हीरा सीमेंट वर्क्स, वारविल में कलिंग ग्रायन वर्क्स, जाजपुत रोड़ में फेरो क्रोम प्लांट, हीराकुड़ में हीरा केवल वर्क्स और हीराकुड़ इंडस्ट्रियल वर्क्स तथा री-रोलिंग मिल हीराकुड़, चीदवार में टाइल फैक्ट्री तथा भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन आर्गनाइजेशन।

उड़ीसा औद्योगिक प्रोत्साहन और विनियोग निगम राज्य में संयुक्त और निजी क्षेत्र में बड़े और मध्यम उद्योगों के विकास में प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। इन उद्योगों में शामिल हैं : वारीपाड़ा में पी० बी० सी०-एक्स० एल० पी० ई० कांप्लेक्स, तलचर में 'औरिचेम' कोरापुट जूट लिमिटेड, धारमंडल तथा वारीपाड़ा में निक्को उड़ीसा लिमिटेड।

### सिंचाई और विजली

1947 से राज्य में सिंचाई की सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है। हीराकुड़ बांध परियोजना एक बहूद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई और विजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और नौवहन है। वालिमैला पन-विजली परियोजना, मच्छाकुंडा पन-विजली परियोजना, तलचर ताप विजलीघर, इंद्रावती पन-विजली परियोजना और रेंगाली बांध परियोजनाएं राज्य की अन्य महत्वपूर्ण विजली परियोजनाएं हैं।

दिसम्बर 1986 के अंत तक पन और ताप विजलीघरों की कुल स्थापित क्षमता 1,234 मेगावाट थी। 1990 के अंत तक इसमें भारी वृद्धि होगी जब थपन कोलाव बहूद्देश्यीय परियोजना, इंद्रावती पन-विजली परियोजना तथा रेंगाली बांध परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी।

गाँवों में उत्पादक-शक्तिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विद्युतीकरण का व्यापक महत्व है। राज्य के कुल 51,639 गाँवों में से 24,952 गाँवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

### सरकार

राज्यपाल : विशम्भरनाथ पांडे  
मुख्यमंत्री : जानकी बल्लभ पटनायक

### विधान सभा

अध्यक्ष : प्रसन्न कुमार दास

### उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : हरि लाल अग्रवाल

मुख्य सचिव : ज्ञान चन्द

### जिलों का क्षेत्रफल जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. बालासोर	6,311	22,52,808	बालासोर
2. बोलांगीर	8,193	14,59,113	बोलांगीर
3. कटक	11,142	46,28,800	कटक

1	2	3	4
4. बैंकानाल	10,827	15,82,787	बैंकानाल
5. गंजम	12,531	26,69,899	छत्तपुर
6. कालाहांडी	11,772	13,39,192	भवानी पत्तन
7. बयॉंझर	8,303	11,14,622	बयॉंझर
8. कोरापुट	26,961	24,84,005	कोरापुट
9. मयूरभंज	10,416	15,81,873	बारीपाड़ा
10. फूलबनी	11,119	7,17,280	फूलबनी
11. पुरी	10,182	29,21,045	पुरी
12. सम्यलपुर	17,516	22,80,976	सम्यलपुर
13. सुन्दरगढ़	9,712	13,37,371	सुन्दरगढ़

### उत्तर प्रदेश

क्षेत्रफल : 2,94,411 बर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 11,08,62,013

राजधानी : लखनऊ

मुख्य भाषा : हिन्दी

कृषि

उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित क्रांति में सफलता प्राप्त करके कृषकों को एक नई दिशा प्रदान की है। राज्य की कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए 'प्रयोगशाला से खेतों तक' कार्यक्रम को व्यवहार में लाया गया है।

वर्ष 1985-86 की खरीफ फसल के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 106 लाख टन था। इसमें 75 लाख टन चावल था। ज्वार, बाजरा और मक्का का उत्पादन क्रमशः 4.34 लाख टन, 6.33 लाख टन और 15.35 लाख टन था। वर्ष 1985-86 के लिए खाद्यान्न का कुल उत्पादन लक्ष्य 334 लाख टन रखा गया है।

उद्योग

उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में से एक है। हथकरघा उद्योग यहाँ का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है और सूती तथा ऊनी कपड़ा, चमड़ा और जूता, शराब, कागज और रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा काच और काच की चीजों के उद्योग अन्य प्रगतिशील उद्योगों में से हैं।

राज्य में अनेक सार्वजनिक प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। ये हैं— हरिद्वार में भारत हूवी इलेक्ट्रिकल्स; ऋषिकेश में इंडियन इस्त एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०; वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव फॅक्ट्री; गोरखपुर और इलाहाबाद में सर्वरक कारखाने; सिंगरौली कोयला खानें, सिंगरौली; माडन बेकरी, बानपुर; भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर, नैनी; इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नैनी और रायबरेली; त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स नैनी; टूडला में डीप फ्रीज मीट प्लांट; लखनऊ में हिन्दुस्तान एपरोनाटिक्स लि०;

ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, झांसी; अपट्रान केपेसिटर लि० और अपट्रान डिजिटल सिस्टम लि० लखनऊ तथा चुर्क और डल्ला में एक-एक सीमेंट कारखाना। मिर्जापुर जिले के कजराहट में एक नया सीमेंट कारखाना बन गया है। गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता निगम भी हैं। कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर; तेल शोधक कारखाना, मथुरा; फाउंड्री फोर्ज, हरिद्वार अन्य परियोजनाओं में हैं। राज्य कपड़ा निगम के अन्तर्गत ग्यारह कताई मिलें चल रही हैं। एक अन्य बड़ा उद्योग इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स सुल्तानपुर में स्थापित किया जा रहा है।

परंपरागत हस्तशिल्प हैं—रेशमी कपड़ा, धातु के वर्तन और वस्तुएं, लकड़ी का काम, मिट्टी के वर्तन, पत्थर का काम, गुड़िया बनाने का काम, चमड़े की कलात्मक वस्तुएं, हाथीदांत की वस्तुएं, बक्से आदि बनाने के लिए कागज की लुगदी, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थ, बांस का सामान और बाद्ययन्त्र। खादी और ग्राम उद्योगों के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

राज्य में उपलब्ध खनिजों में हैं : चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कोयला, तांबा, जिप्सम, कांच बनाने के काम आने वाली बालू, संगमरमर और फास्फोराइट।

## सिंचाई और विजली

राज्य में देश की कुछ सबसे पुरानी नहरें हैं : पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी एवं निचली गंगा नहरें, आगरा नहर, बेतवा नहर, शारदा नहर, घसन नहर और केन नहर। 1947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं : माताटीला बांध, श्रोवरा पन और ताप बिजलीघर। इनके अलावा अनेक छोटी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं भी पूरी की गईं। यमुना और टिहरी पनबिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, वे हैं : टिहरी बांध, लखवार व्यासी बांध, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण, नारायणपुर पम्प नहर और दिहाटी पम्प नहर।

उत्तर प्रदेश में 1960-61 में विजली की संस्थापित क्षमता 376 मेगावाट थी जो 1985-86 में बढ़ कर 4,084 मेगावाट हो गई। मार्च 1986 तक 64,840 गांवों को और 32,034 हरिजन वस्तियों को विजली प्रदान की गई, सिंचाई के लिए 4,98,452 निजी नलकूपों और 25,085 राजकीय नलकूपों को विजली प्रदान की गई।

## महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र

राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ इत्यादि तथा मसूरी, नैनीताल, लैसडाउन, अल्मोड़ा, रानीखेत, पौड़ी, गोपेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय स्थान हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट, नैमिषारण्य जगेश्वर जैसे धार्मिक स्थान हैं। बहुत से नए स्थान जैसे शुकताल, विन्ध्यम श्रोवरा (मिर्जापुर), महोबा, गोरखपुर, नवाबगंज (उन्नाव), भीमताल, कौसानी, डाक पत्थर (देहरादून), कुशी नगर (देवरिया), श्रावस्ती (बहराइच), सेनकिसा

(फर्रुखाबाद) कारवेट नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क भी पर्यटन स्थलों के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं।

सरकार राज्यपाल : मोहम्मद उस्मान भारिफ

मुख्यमंत्री : वीर बहादुर सिंह

विधान परिषद मभापति : वीरेन्द्र बहादुर मिह शर्देत

विधानसभा अध्यक्ष : नियाज हुसन

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : कालामजे जगन्नाथ शेट्टी

मुख्य सचिव : जे० ए० कल्याणकृष्णन

जिलों का क्षेत्रफल,  
जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. भागरा	4,805	28,52,942	भागरा
2. झलीगढ़	5,019	25,74,925	धनीगढ़
3. इलाहाबाद	7,261	37,97,033	इलाहाबाद
4. भल्मोड़ा	5,385	7,57,373	भल्मोड़ा
5. भ्राजमगढ़	5,740	35,44,130	भ्राजमगढ़
6. बहुराइच	6,877	22,16,245	बहुराइच
7. बलिया	3,189	19,45,376	बलिया
8. बादा	7,624	15,33,990	बादा
9. बाराबंकी	4,401	19,92,074	बाराबंकी
10. बरेली	4,120	22,73,030	बरेली
11. बस्ती	7,228	35,78,069	बस्ती
12. बिजनौर	4,848	19,39,261	बिजनौर
13. बदायूँ	5,168	19,71,946	बदायूँ
14. बुलंदशहर	4,352	23,88,270	बुलंदशहर
15. चमोली	9,125	3,64,346	चमोली
16. देहरादून	3,088	7,61,668	देहरादून
17. देवरिया	5,445	34,96,564	देवरिया
18. एटा	4,446	18,58,692	एटा
19. इटावा	4,326	17,42,651	इटावा
20. फैजाबाद	4,511	23,82,515	फैजाबाद
21. फर्रुखाबाद	4,274	19,49,137	फतेहगढ़

1	2	3	4
22. फतेहपुर	4,152	15,72,421	फतेहपुर
23. गढ़वाल	5,440	6,37,877	पींडी
24. गाजीपुर	3,377	19,44,669	गाजीपुर
25. गोंडा	7,352	28,34,562	गोंडा
26. गोरखपुर	6,272	37,95,701	गोरखपुर
27. गाजियाबाद	2,590	18,43,130	गाजियाबाद
28. हमीरपुर	7,165	11,94,168	हमीरपुर
29. हरदोई	5,986	22,74,929	हरदोई
30. जालान	4,565	9,86,238	उरई
31. जौनपुर	4,038	25,32,734	जौनपुर
32. झांसी	5,024	11,37,031	झांसी
33. कानपुर (शहरी)	337.2	17,33,492	कानपुर
34. कानपुर (ग्रामीण)	5,848.8	20,08,731	कानपुर
35. खेड़ी	7,680	19,52,680	खेड़ी
36. ललितपुर	5,039	5,77,648	ललितपुर
37. लखनऊ	2,528	20,14,574	लखनऊ
38. मैनपुरी	4,343	17,26,202	मैनपुरी
39. मथुरा	3,811	15,60,447	मथुरा
40. मेरठ	3,911	27,67,246	मेरठ
41. मिर्जापुर	11,310	20,39,149	मिर्जापुर
42. मुरादाबाद	5,967	31,49,406	मुरादाबाद
43. मुजफ्फरनगर	4,176	22,74,487	मुजफ्फरनगर
44. नैनीताल	6,794	11,36,523	नैनीताल
45. पीलीभीत	3,499	10,08,312	पीलीभीत
46. पिथौरागढ़	8,856	4,89,267	पिथौरागढ़
47. प्रतापगढ़	3,717	18,01,049	प्रतापगढ़
48. रायबरेली	4,609	18,86,940	रायबरेली
49. रामपुर	2,367	11,78,621	रामपुर
50. सहारनपुर	5,595	26,73,561	सहारनपुर
51. शाहजहांपुर	4,575	16,47,664	शाहजहांपुर
52. सीतापुर	5,743	23,६7,284	सीतापुर
53. सुल्तानपुर	4,436	20,42,778	सुल्तानपुर
54. टिहरी गढ़वाल	4,421	4,97,710	नरेन्द्रनगर
55. उन्नाव	4,558	18,22,591	उन्नाव
56. उत्तरकाशी	8,016	1,90,948	उत्तरकाशी
57. वाराणसी	5,091	37,01,006	वाराणसी

## कर्नाटक

क्षेत्रफल : 1,91,791 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या | : 3,71,35,714

राजधानी : बंगलूर

मुख्य भाषा : कन्नड़

कर्नाटक कृषि-प्रधान राज्य है। करीब 76 प्रतिशत आवादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। करीब 71 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगी है, जो राज्य की करीब 49 प्रतिशत आय का स्रोत है। राज्य के कुल भूमि क्षेत्र में से 1,06,05,085 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है जो कुल क्षेत्र का 56 प्रतिशत है। खेती वाले कुल क्षेत्र के 21.7 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रमुख खाद्य फसलें चावल, रागी, ज्वार, मक्का, गेहूँ, बाजरा और दालें हैं। मूंगफली, गन्ना, कपास, शहतूत, तंबाकू, नारियल, सुपारी, कांकी, कजू, इलायची, चाय, मिर्च और अंगूर प्रमुख नकदी फसलें हैं। प्रति हेक्टेयर कांकी उत्पादन में राज्य का पहला स्थान है।

वन क्षेत्र 38,644 वर्ग कि० मी० है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20 प्रतिशत है। इसमें चन्दन, सागवान, रवड, बांस, शोशम, अनेक नर्म लकड़ियों, नारियल और अन्य छोटी-मोटी चीजों का भी उत्पादन होता है। वन उत्पादों के मामले में, राज्य का प्रति हेक्टेयर वन उत्पादन में दूसरा स्थान है।

औद्योगिकरण के मामले में कर्नाटक अग्रणी राज्यों में से है। कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र के ये प्रतिष्ठान हैं—भारत अर्थ मूवर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, नेशनल एरोनोटिकल लेवोरेट्री तथा व्हील एण्ड एक्सल फैक्ट्री। मयुक्त और निजी तथा लघु औद्योगिक क्षेत्र में भी अनेक फैक्ट्रियां हैं। इनके द्वारा उत्पादित पदार्थों में शामिल हैं : काच, बैटरिया, स्पार्क प्लग, लैम्प, रेल के डिब्बे, विमान, टेलीफोन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरण, पहिए और एक्सल, ब्रिजों की मोटर, कपडा, मिल्क, चन्दन का तेल, विजली का माधान, चीनी मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला शिल्प, चीनी, कागज, सघारित्र (केपेमिटर), गन्ध के घातु के औजार, सीमेंट आदि। भद्रावती स्थित सरकारी स्वामित्व का विश्वेश्वरैया धातुजन एण्ड स्टील लिमिटेड 77,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ विशेष किस्म के इस्पात और मिश्रित इस्पात का उत्पादन करता है। राज्य की एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना बुद्रमुख खनिज लोहा परियोजना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। वस्तुतः बंगलूर को 'भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर' के रूप में जाना जाता है। कच्चे रेशम के उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर है और इसका 85 प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक में होता है। अपने चन्दन के सावुन और तेल के लिए भी यह विश्व बाजार में प्रसिद्ध है। 1984-85 में लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई।

राज्य खनिज संसाधनों में भी समृद्ध है। अच्छे किस्म का कच्चा लोहा, तांबा; मैंगनीज, क्रोमाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और मेग्नेटाइट महत्वपूर्ण खनिजों में से हैं। इस राज्य को सोने के उत्पादन का भी गौरव प्राप्त है।

### सिंचाई और बिजली

कर्नाटक में गोदावरी बेसिन (थाला), कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन तथा पालार और पन्नार बेसिन है, जो मुख्यतः सिंचाई के लिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। काली और शरवती जैसी कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। देश का यह पहला राज्य है जिसने 1887 में गोकक झरने पर बिजली का उत्पादन किया था। शिवसमुद्रम पन-बिजली परियोजना, शरवती पन-बिजली परियोजना और काली नदी की बिजली परियोजना; राज्य में कुछ महत्वपूर्ण बिजलीघर हैं। राज्य के पास रायचूर में ताप बिजलीघर है जिसकी स्थापित क्षमता 1050 मेगावाट है। राज्य की कुल स्थापित बिजली क्षमता 2219.8 मेगावाट है तथा 1985-86 में कुल ऊर्जा उत्पादन 841.5 करोड़ वाट था। राज्य में कुल स्थापित बिजली क्षमता में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मार्च 1986 के अंत तक 31,321 गांवों (जिनमें छोटी वस्तियां भी शामिल हैं) में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी। 4,89,551 पंपसेटों या नलकूपों को बिजली दे दी गयी थी। बिजली-विकास में भारत में राज्य का छठा स्थान है।

सरकार राज्यपाल : अशोक नाथ बनर्जी

मुख्यमंत्री : रामकृष्ण हेगड़े

विधान परिषद सभापति : रामाराव पोतदार

विधान सभा अध्यक्ष : वी० जी० वानाकर

उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : पी० सी० जैन

मुख्य सचिव : टी० आर० सतीशचन्द्रन

### जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और सुदृशालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. बंगलूर	8,005	49,47,610	बंगलूर
2. बेलगांव	13,379	29,80,440	बेलगांव
3. बेलारी	9,885	14,89,225	बेलारी

1	2	3	4
4. बीदर	5,448	9,95,691	बीदर
5. बीजापुर	17,069	24,01,782	बीजापुर
6. चिकमगलूर	7,201	9,11,769	चिकमगलूर
7. चित्रदुर्ग	10,852	17,77,499	चित्रदुर्ग
8. दक्षिण कन्नड़	8,441	23,76,724	मंगलूर
9. धारवाड़	13,738	29,45,487	धारवाड़
10. गुलबर्गा	16,224	20,80,643	गुलबर्गा
11. हासन	6,814	13,57,014	हासन
12. कोडगू	4,102	4,61,888	मरकेरा
13. कोलार	8,223	19,05,492	कोलार
14. मादया	4,961	14,18,109	मादया
15. मैसूर	11,954	25,95,900	मैसूर
16. रामचूर	14,017	17,83,822	रामचूर
17. शिमोगा	10,553	16,56,731	शिमोगा
18. टमकूर	10,598	19,77,854	टमकूर
19. उत्तर कन्नड़	10,327	10,72,034	कारवाड

## केरल

क्षेत्रफल : 38,863 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 2,54,53,680

राजधानी : तिरुवनन्तपुरम (त्रिवेन्द्रम)

मुख्य भाषा : मलयालम

केरल की कुल काष्ठ की जमीन के 12.71 प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। इस राज्य में प्रचुर नकरी फसलें हैं: काजू, मुरारो, नारियल कपास, तिलहन, काली मिर्च, गन्ना, रबड़, कॉफी, चाय, प्रररक और बड़ी इलायची व्यापक रूप से उगाई जाती है। खाद्यान्नों में धान और टैपियोका को खेती होती है।

राज्य के कुल क्षेत्र के 24 प्रतिशत भाग में वन हैं। केरल की वन सम्पदा में कुछ अच्छी प्रसिद्ध किस्मों की लकड़ियाँ जैसे मायवान, काली लकड़ी (स्नेकवुड), भायनूम, सापटवुड और शीगम शामिल हैं, जिनकी विदेशी बाजार में बहुत माँग और ऊँचा मूल्य है। देश के मछली-उत्पादन का एक बड़ा भाग केरल राज्य से प्राप्त होता है।

1. केरल विधानसभा के लिए 23 मार्च 1987 को चुनाव हुआ और श्री ई०के० नन्दार की 26 मार्च 1987 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गई।



## उद्योग

केरल के प्रमुख उद्योग हैं : नारियल तथा नारियल की जटा, काजू, रबड़, चाय मिट्टी के वर्तन, विजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीफोन तारें, ट्रांसफार्म ईटें और टाइलें, औषध और रसायन, ग्राम इंजीनियरी सामान, प्लाईवुड, बी तथा सिगार, सावुन, तेल और उर्वरक, खपची और कलई ।

हाल के वर्षों में सूक्ष्म नाप-तील उपकरण, मशीनी उपकरण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक और सम्बद्ध उत्पाद, पेंट, रबड़, रेयन, लुगदी, कागज प्लाईवुड, अखदारी कागज, कांच और अलौह धातुओं के अनेक महत्वपूर्ण कारखाने लगाए गए हैं ।

केरल का प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं : काजू, चाय, कॉफी, काली मिर्च और अन्य मसाले लाइमग्रास आइल, समुद्री खाद्य, शक्ति, नारियल जटा और उससे तैयार सामान ।

राज्य में उपलब्ध महत्वपूर्ण खनिज हैं— लाइमेनाइट, स्टाइल, मोनेजाइट, जिर्कोन, सीलोमेनाइट, कड़ी मिट्टी, स्फ्रटिक बालू (क्वार्ट्ज सैंड) ।

## सिंचाई और विजली

1947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं : छलाकुडी, पीची, मलमापुज, नेय्यार, पोयुंडी, गायत्री/वालायार, वाझानी, मंगलम्, चिराकुडी । इसके अलावा काल्लदा, पम्बा, पेरियार घाटी, चित्तूरपुझा, कुट्टीअडी, कान्हीरामपुझा, पन्नहस्स, मुवत्तुपुझा, छिमोनी, अट्टापडी, करापुझा, मीनाछिल और इधामलयार परियोजना भी चालू हैं । मुख्य विजली परियोजनाएं हैं : पाल्लीवासल सेनगुलाम, नेरियमैंगल, पेन्नियार, पेरिंगलकुथु, शोलायार/शवरीगिरि, कुट्टीयड्डी और इडुक्की ।

भारी वर्षा और तेज बहती नदियों और चश्मों के कारण राज्य में पनविजली उत्पादन की बहत क्षमता है ।

## सरकार

राज्यपाल : पार्थसारथि रामचन्द्रन

मुख्यमंत्री : के० करुणाकरन

## विधान सभा

अध्यक्ष : वी० एम० सुधीरन

## उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : विजय कुमार सिद्धेश्वर स्वामी मालीमथ

मुख्य सचिव : वी० रामचन्द्रन

## जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. अल्लेपी	1,883	23,50,145	अल्लेपी
2. कन्नानूर	4,958	28,03,467	कन्नानूर

1	2	3	4
3. एर्णाकुलम	2,403	25,35,294	एर्णाकुलम
4. इडुक्की	5,061	9,71,636	पैनवु
5. कासरगाड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	कामरगाड
6. कोट्टायम	2,204	16,97,442	कोट्टायम
7. कोजिकोड	2,345	22,45,265	कोजिकोड
8. मलप्पुरम	3,548	24,02,701	मलप्पुरम
9. पालघाट	4,480	20,44,399	पालघाट
10. पथानामर्याटा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	पथानामर्याटा
11. किरलोन	4,620	28,13,650	किरलोन
12. त्रिचूर	3,032	24,39,543	त्रिचूर
13. तिरुवनन्तपुरम	2,192	25,96,112	तिरुवनन्तपुरम
14. वायनाड	2,132	5,54,026	वायनाड

## गुजरात

क्षेत्रफल : 1,96,024 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 3,40,85,799

राजधानी : गांधीनगर मुख्य भाषा : गुजराती

गुजरात कपास और मूंगफली के उत्पादन में, देश में प्रथम स्थान पर तथा तम्बाकू उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कपास और मूंगफली का अच्छा बाजार है। इसी की वजह से यहाँ कपड़ा, तेल तथा साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योग विकसित हुए। अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं—ईमरगोल, सफेद जौरा, गन्ना, आम तथा केला। राज्य की प्रमुख घास फसलें हैं—धान, गेहूँ और बाजरा। स्थानीय क्षेत्रों में ज्वार और मक्का उगाया जाता है।

1984-85 में रुई का उत्पादन 19 लाख गार्डेनबा घाद्यान का उत्पादन 51.00 लाख टन हुआ। इसके अलावा घनाज का 5.5 लाख टन और निलहा का 22.11 लाख टन उत्पादन हुआ।

गुजरात में 19.66 लाख हेक्टेयर भूमि में वन हैं। वनों में उपलब्ध वृक्षों की जातियाँ हैं—सागवान, खैर, सादद, हल्दार्चों और मानवल बांस।

राज्य में 4 राष्ट्रीय पार्क तथा 11 अभयारण्य हैं।

गुजरात बड़ा उद्योग में प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन ददोदरा में तेलशोधक कारखाने की स्थापना इसके बदलते औद्योगिक आधार का सूचक है। इस कारखाने में विमानों के ईंधन, रसायनों, उर्वरकों, दवा तथा औषधियों और रंगों का भी उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में अनेक प्रकार के उत्पादन करने वाली इंजीनियरिंग इकाइयों की भी स्थापना हुई है। देश के कुल नमक उत्पादन का दो-तिहाई, सोडा एश का करीब 90 प्रतिशत, कार्बिक सोडा और वलोरिन का 16 प्रतिशत, औषधियों और इनसे तैयार पदार्थों का एक तिहाई तथा एजोडाइस और काले गन्धक और डीजल इंजिन का 72 प्रतिशत उत्पादन गुजरात में होता है।

राज्य में डेयरी उद्योग ने भी भारी प्रगति की है। राज्य में 13 दुग्ध प्रोसेसिंग संयंत्रों की कुल क्षमता करीब 30 लाख लीटर प्रति दिन है और 10 लाख से भी अधिक दुग्ध उत्पादक इसके सदस्य हैं।

राज्य में जानवरों के लिए चारा बनाने के 10 कारखाने हैं जिनमें प्रतिदिन 1500 मीट्रिक टन चारे का उत्पादन होता है और इससे दुग्ध उत्पादन में मदद मिलती है। राज्य सरकार डेयरी उद्योग को सहकारी ढांचे और व्यापक वित्तीय मदद के माध्यम से विकसित कर रही है। खैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन की सफलता से अन्य जिलों को भी प्रेरणा मिली है और वे डेयरी विकास के इस ढांचे को अपना रहे हैं, जिसे ग्राम तौर पर आनन्द ढांचे के रूप में माना जाता है।

अंकलेश्वर, खम्वात और कालोल क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की व्यापक खोज और उत्पादन से गुजरात पहले ही देश के तेल नक्शे में अपना स्थान बना चुका है। कोयाली में तेलशोधक कारखाने की स्थापना से इस क्षेत्र में पेट्रो-केमिकल उद्योगों का काफी विकास हुआ है।

1985 के अंत तक कार्यशील फैक्ट्रियों की संख्या करीब 12,963 थी। लघु क्षेत्र की इकाइयाँ 1985 में 60,000 से भी अधिक थीं। प्रवासी भारतीयों ने करीब 362 परियोजनाओं में 190 करोड़ रुपये का विनियोग किया है।

इसके अलावा, गांधीनगर में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनायी गयी एस्टेट में 150 लघु इकाइयों के अलावा, अनेक बड़ी और मध्यम इकाइयाँ भी स्थापित की गयी हैं।

राज्य का समुद्रतट 1600 किलो मीटर लंबा है, जिसमें 40 बंदरगाह हैं। इनमें एक बड़ा बंदरगाह, 11 मध्यम और 28 छोटे हैं। सौराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में अलंग और सावना में जहाजों के याई विकसित हुए हैं। जामनर, पोरबंदर, जाफराबाद, भावनगर आदि बंदरगाह नए उद्योगों तथा व्यापार और वाणिज्य में व्यस्त हैं।

ई तथा  
नी

महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में उकई, कडाना, काकरापार, माही के दावें तट से नहर परियोजना-1, शोर्तुंजी (पालिटाना), दंतीवाड़ा, हायमाटी, मेशवा और भादर परियोजनाएं मुख्य हैं। इसके अलावा सावरमती नदी

पर केन्द्रेडर के समीप घोरोई और पानम में जनाशय बनाए गए हैं। दमगर्गगा, काजैन, मुग्गी और वतरक परियोजनाओं पर जोर-शोर से कार्य हो रहा है और सरदार मरोवर (नर्मदा) परियोजना पर कार्य चल रहा है।

1985 तक 10.62 लाख हेक्टेयर को निचार्ई क्षमता पैदा कर ली गई है। 68 मझोली निचार्ई परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

1985 में राज्य की पनबिजली तथा ताप बिजली की कुल स्थापित क्षमता 3,383.5 मेगावाट थी। कुल 17,150 गावों का विद्युत्तरिण किया जा चुका है और 3,22,681 ननरूप चानू हो चुके हैं।

सरकार	राज्यपाल	: रामकृष्ण त्रिवेदी
	मुख्यमंत्री	: अमरसिंह चौधरी
बिधान सभा	अध्यक्ष	: नटवर माल चन्डू तान शाह
उच्च न्यायालय	मुख्य न्यायाधीश	: पुलियनगुड रमैया रिलै गोकुलकृष्णन
	मुख्य सचिव	: आर० बी० चन्द्रश्रीनि

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. अहमदाबाद	8,707	38,75,794	अहमदाबाद
2. अमरेली	6,760	10,79,097	अमरेली
3. अनासकांठा	12,703	16,67,914	पालनपुर
4. अहोच	9,038	12,96,451	अहोच
5. भावनगर	11,155	18,79,340	भावनगर
6. गांधीनगर	649	2,89,088	गांधीनगर
7. जामनगर	14,125	13,93,076	जामनगर
8. जूनागढ़	10,607	21,00,709	जूनागढ़
9. खेड़ा	7,194	30,15,027	खेड़ा
10. कच्छ	45,652	10,50,161	धुज

1	2	3	4
11. मेहसाना	9,027	25,48,787	मेहसाना
12. पंचमहल	8,866	23,21,689	गोधरा
13. राजकोट	11,203	20,93,094	राजकोट
14. साबरकांठा	7,390	15,02,284	हिम्मतनगर
15. सूरत	7,657	24,93,211	सूरत
16. सुरेन्द्रनगर	10,489	10,34,185	सुरेन्द्रनगर
17. डांग	1,764	1,13,664	अहवा
18. वड़ोदरा	7,794	25,58,092	वड़ोदरा
19. वल्साड़	5,244	17,74,136	वल्साड़

### जम्मू और कश्मीर

क्षेत्रफल : 2,22,236<sup>1</sup> वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 59,87,389<sup>2</sup>

राजधानी : श्रीनगर (ग्रीष्मकाल में) मुख्य भाषाएं : कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी,  
जम्मू (शीतकाल में) उर्दू, लहाखी, वाल्डी;  
पहाड़ी, गुजरी और दादी

लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। धान, गेहूं और ज्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। जी, बाजरा और ज्वार कुछ हिस्सों में उगाया जाता है। चना की खेती लहाख में की जाती है।

खाद्यान्न उत्पादन 1985-86 में 12.46 लाख टन से बढ़कर 1986-87 में 14.43 लाख टन के स्तर पर पहुंच जाने की आशा है। विश्व बैंक की मदद से राज्य सरकार ने 16.50 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना शुरू की ताकि प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाया जा सके।

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15 प्रतिशत भाग वन है जिनका क्षेत्रफल लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लहाख की विस्तृत वंजर भूमि की

1. इसमें गैर-कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे में 78,114 वर्ग किलोमीटर, गैर-कानूनी ढंग से पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया 5,180 वर्ग किलोमीटर तथा गैर-कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है।

2. जनगणना के आंकड़ों में चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है क्योंकि वहां जनगणना नहीं की जा सकी।

गणना नहीं की गयी है जहाँ 51 प्रतिशत से भी अधिक भूमि में बन है। 1985-86 वर्ष के दौरान राज्य की बनों में 47.67 करोड़ रुपये राबस्त्र के रूप में प्राप्त हुए।

### उद्योग

राज्य सरकार हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दे रही है। कश्मीर के हस्तशिल्पों को उत्कृष्टता की दृष्टि से हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुट्टी, लकड़ी पर नक्काशी, कानोत, शाल आदि परशिल को परम्परा कश्मीर में काफी पुरानी है। इस क्षेत्र में राज्य के लगभग 1.85 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। कश्मीरी हस्तशिल्पों में विशेषकर कानोतों के द्वारा देश को भारी संख्या में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। 1985-86 में लगभग 40 करोड़ रुपये कश्मीरी हस्तशिल्प सामान के निर्यात से प्राप्त हुए। 1985-86 के दौरान 105 करोड़ रुपये मूल्य के सामान का उत्पादन हुआ तथा 58,000 सड़के-सड़कियों की नरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राज्य के हथकरघा उद्योग में कुछ समय पहले मन्दो माने जाते थे। सरकार के प्रयासों से इनमें फिर से गति प्राप्त हुई है। एक हथकरघा विद्यालय निगम गठित किया गया है जो देश में उपलब्ध वर्तमान करणों के प्राथमिकीकरण में मगा है। निगम के उत्पादनों में मुख्य रूप से ऊनी हथकरघा वस्त्र हैं जिसमें मोटे ऊनी बस्त्र, जैसे ट्वीड, स्नेजर, कम्बल, शाल की तरह के वस्त्र शामिल हैं। निगम ने 1985-86 में 2.75 करोड़ रुपये का सामान बेचा, जिसके 1986-87 में 5 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने की आशा है। बिलवेहण में एक खेल साम्प्रदाय भी बनाया जा रहा है।

सूय उद्योग क्षेत्र में पंजीकृत उद्योगों की संख्या 19,000 में अधिक हो चुकी है, जिनसे 86,713 लोगों को रोजगार मिल रहा है।

### सिंचाई और बिजली

राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, इसलिए सिंचाई सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएं भी शिथ्यान्वित की जा रही हैं।

बिजली की क्षमता जो 1950 में 5 मेगावाट थी, इस समय बढ़कर 209 मेगावाट हो गई है। बिजली के विकास पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। मातृवीं योजना के दौरान बिजली क्षेत्र के लिए 292.22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। छठी योजना में यह 128 करोड़ रुपये था। 1986-87 के दौरान 70.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जबकि 1983-84 में यह 27.75 करोड़ रुपये था।

### सरकार

राज्यपाल : जगमोहन<sup>1</sup>

### विधान सभा

अध्यक्ष : मंगन राम शर्मा

1. 7 मार्च 1986 को राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया गया।
2. जम्मू और कश्मीर विधान सभा के लिए 23 मार्च 1987 को चुनाव हुआ और डा० फारुख इन्द्रुणा को 23 मार्च 1987 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गई।

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : डा० आदर्श सेन आनन्द

मुख्य सचिव : वी० के० गोस्वामी

जिलों का क्षेत्रफल,  
जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अनंतनाग	3,984	6,56,351	अनंतनाग
2. वदगम	1,371	3,67,262	वदगम
3. वारामुला	4,588	6,70,142	वारामुला
4. दोदा	11,691	4,25,262	दोदा
5. जम्मू	3,097	9,43,395	जम्मू
6. कारगिल	14,036	[65,992	कारगिल
7. कठुआ	2,651	3,69,123	कठुआ
8. कुपवाड़ा	2,379	3,28,743	कुपवाड़ा
9. लद्दाख	82,665 <sup>1</sup>	68,380	लेह
10. पुलवामा	1,398	4,04,078	पुलवामा
11. पृष्ठ	1,674	2,24,197	पृष्ठ
12. राजौरी	2,630	3,02,500	राजौरी
13. श्रीनगर	2,228	7,08,328	श्रीनगर
14. उधमपुर	4,550	4,53,636	उधमपुर

1. गैर-कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है।

## तमिलनाडु

क्षेत्रफल : 1,30,058 वर्ग कि०मी०

जनसंख्या : 4,84,08,077

राजधानी : मद्रास

मुख्य भाषा : तमिल

मुख्य छात्र फ़सलें हैं : चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी और दालें। मुख्य नदी फ़सलों में मन्ना, तिवहन, कपास, मिर्च, बैला, काँची, चाय और रबड़ हैं।

राज्य में 22,316 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में वन है। मुख्य वन उत्पाद में इमारती लकड़ी, चन्दन की लकड़ी, पल्पवुड तथा जताने की लकड़ी हैं। अन्य वन उत्पादों में बांस, मूविण्टस, रबड़, चाय (हरि पत्तियाँ), बाजू, चूद, हाथी दाँत तथा काठल बार्क आदि शामिल हैं।

### उद्योग

मुख्य उद्योगों में सूती वस्त्र, रासायन, उर्वरक, वाहन तथा इसके उत्पाद घाँस प्रिंटिंग है तथा सहयोगी उद्योगों में बीजक इंजन, आटोमोबाइल तथा पुर्जे, आईरिन, सीमेंट, चीनी, लोहा और इस्पात तथा रेलवे इंजन व सवारी टिब्बे का निर्माण मुख्य हैं।

राज्य में अनेक सरकारी उद्यम हैं। इनमें मुख्य ये हैं : नेवेली लिग्नाइट कॉम्पलेक्स, इंडोप्रन कोच फ़ैक्ट्री, हाई प्रेशर वापनर संयंत्र, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास रिफ़ाइनरीज, मद्रास फ़िट्टाइनर्स और हीवी इंड्रिकल फ़ैक्ट्री तथा पुगानुर पेपर फ़ैक्ट्री।

राज्य में चूना पत्थर, मैंगनीज, अक्षक, इस्पातक, फ़ैल्स्पाट, नमक, बॉक्साइट, लिग्नाइट तथा जिप्सम आदि खनिज उपलब्ध हैं।

राज्य तैयार चमड़े, धातों और चमड़े के सामान, सूती वस्त्रों के सामान, रेसो, चाय, काँची, मसाले, इंजीनियरिंग सामान तथा सम्बन्ध और बाले इमारती पत्थर का निर्यातक है।

### सिंचाई और बिजली

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से क्रियात्मक मुख्य सिंचाई योजनाओं में हैं : सोअर भक्तानी, अमरावती, वेणु, पेरम्बडुलम-अतिथार, इष्पागिरी, सप्तनूर, पुल्लाम्बकौ-कुरात्तई हाई लैवल नहर, गोदुपी नदी, चित्तूर-पट्टावाम्बल और पेरानियर योजनाएँ।

राज्य में कुल 18 वन बिजलीघर, तीन धाप बिजलीघर तथा एक परमाणु बिजलीघर हैं। 1983 में चिगतपट्ट जिले के बलनक्कम में परमाणु विद्युत केन्द्र ने कार्य शुरू कर दिया है।

### मुख्य पर्यटन केन्द्र

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं : ऊदागमंडलम (ऊटी), कोडईकनाल, मामल्लापुरम, थिरुवाञ्जुनदम, कांचीपुरम, मद्रुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी तंजावुर, वडचूर विडियापर, वेदायंगल, कोट्टैलम, भारवाट और मुदुमलाई वन।

### सरकार

राज्यपाल : सुन्दर लाल खुराना

मुख्यमंत्री : एम० जी० रामचन्द्रन

### विधान सभा

सदस्य : पी० एच० पांड्या



उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : मधुकर नरहर चन्द्रकर.  
मुख्य सचिव : ए० पद्मनाभन

जिलों का क्षेत्रफल,  
जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल	जनसंख्या (वर्ग कि० मी०)	मुख्यालय
1	2	3	4
1. चिगलपट्ट	7,863	36,16,508	कांचोपुरम
2. कोयम्बटूर	7,469	30,60,184	कोयम्बटूर
3. धर्मपुरी	9,622	19,97,060	धर्मपुरा
4. कन्याकुमारी	1,684	14,23,399	नागरकोइल
5. मद्रास	170	32,76,622	मद्रास
6. मदुरै	12,624	45,35,897	मदुरै
7. नीलगिरि	2,549	6,30,169	ऊदागमंडलम
8. उत्तरी आरकाट	12,268	44,14,324	वेल्लोर
9. रामनाथपुरम	12,590	33,35,437	मदुरै
10. सेलम	8,650	34,41,717	सेलम
11. दक्षिणी आरकाट	10,895	42,01,869	कुड्डालूर
12. पेरियार	8,209	20,68,462	इरोड
13. पुडुक्कोट्टै	4,661	11,56,813	पुडुक्कोट्टै
14. तिरुचिरापल्ली	11,095	36,12,320	तिरुचिरापल्ली
15. तंजावूर	8,280	40,63,545	तंजावूर
16. तिरुनेलवेलि	11,429	35,73,751	तिरुनेलवेलि

टिप्पणी : 20 अक्टूबर 1986 को जारी किए गए असाधारण राजपत्र की अधि-  
सूचना के अनुसार तमिलनाडु विधान परिषद 1 नवम्बर 1986 से  
समाप्त कर दी गयी है।

## त्रिपुरा

क्षेत्रफल : 10,486 वर्ग कि० मी०	जनसंख्या : 20,53,058
राजधानी : अग्रतला	मुख्य भाषाएं : बंगला, काकचोरक तथा मणिपुरी

कृषि

धान, गेहूं, पटंगन, गन्ना, मेस्ता, आलू और तिलहन मुख्य फसलें हैं। लगभग 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की जाती है। अनाज के कुल उत्पादन में, पिछले वर्ष की तुलना में, 1984-85 में करीब 2.10 प्रतिशत की कमी का कारण सूखा और बाढ़ थे। इन दौरान 1,41,000 हेक्टेयर पर एक से अधिक बार बुनाई की गयी जबकि इससे पहले वर्ष यह क्षेत्र 1,64,500 हेक्टेयर था।

**उद्योग**

त्रिपुरा का मुख्य उद्योग चाय है। राज्य में 49 चाय बागान हैं जो 5,527 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें प्रतिवर्ष 45 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। इस उद्योग में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। चाय के पौधे लगाने के लिए आठ श्रमिक सहकारी समितियों का गठन किया गया है। त्रिपुरा चाय विकास निगम ने भी चाय के पौधे लगाने का कार्य शुरू कर दिया है।

अगरतला में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित पटपन मिल में प्रतिदिन 20 एच पटपन तैयार होता है इसमें लगभग 2000 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

राज्य में स्थापित लघु उद्योगों में अल्पमूनीनियम के बर्तन, भाटा मशीन, स्टील फर्नीचर, बडईगिरी, ड्राई बेंटरो, शीपथ, चावल मिल, सपडे घोंघे का सन्तुप, टायर पर नया डाल चढ़ाना, पी० वी० सी० के पाइप, घाटा मिल, मत्स्यमनियम मुचालक, चमड़े का सामान, पोलिथीन पाइप, प्लाईवुड, फलों की डिब्बाबंदी, मोमबत्ती, तेल की मिलें आदि महत्वपूर्ण हैं।

राज्य में हथकरघा उद्योग एकमात्र प्रमुख उद्योग है और बुनारी एक अत्यंत पुराना उद्योग है। उत्तम हथकरघा माल तैयार करने के लिए विभिन्न स्थानों में उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देने का कार्य भी पारलत केन्द्र कर रहे हैं। त्रिपुरा हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम अपने उत्पादों की बिक्री करता है।

एक शीप बुनकर समिति करीब 140 प्राइमरी बुनकर सहकारी समितियों की जरूरतों की पूर्ति करती है। यह संगठन हर वर्ष अल्पम 3 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पादों का विपणन करता है। इन सपठनों की प्रोत्साहन की गतिविधियों से करीब 7000 बुनकर लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य में रेशम उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। करीब 1200 एकड़ क्षेत्र में शहतूत की खेती हो रही है जिसमें प्रति वर्ष 5000 किन्तो कोहन (कोषा) के उत्पादन का अनुमान है। अगरतला में हस्तकला का डिजाइन केन्द्र काम कर रहा है। करीब 5000 शिल्पी हस्तशिल्प वस्तुओं (मुख्य रूप से बेंग और बाम) के उत्पादन में लगे हैं।

**सिंचाई विज्ञान और**

राज्य की सिंचाई क्षमता जो पहली बार 1978 तक 3831 हेक्टेयर भूमि के लिए थी, स्थायी योजनाओं के द्वारा 31 मार्च 1984 तक बढ़कर 13,689 हेक्टेयर भूमि के लिए हो गई। मध्यम सिंचाई क्षेत्र में गुन्टी, बोंबई और मनु नदियों की तीन परियोजनाओं के लिए प्रलगः 5.88 करोड़, 7.10 करोड़ और 8.19 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्वीकृति दी गयी है। गुन्टी परियोजना 1986-87 के दौरान प्रारम्भ की जायेगी, जबकि बोंबई परियोजना नवम्बर, 1984 में प्रारम्भ हो गयी थी।

जुलाई 1986 तक, 2,000 से भी अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया गया और करीब 1,000 पंपसेटों को विजली पहुंचायी गयी। राज्य की स्थापित क्षमता 25 मेगावाट है जबकि इसकी जरूरत 27 मेगावाट की है।

मुख्य पर्यटन-स्थल

राज्य में मुख्य पर्यटन स्थल ये हैं: नीरमहल, सिपाहीजाला, माताबाड़ी, डमबूर-लेक, कमलसागर, जुम्पई हिल तथा उनाकोटि।

सरकार

राज्यपाल : जनरल के० वी० कृष्णा राव (अवकाश प्राप्त)  
मुख्यमंत्री : नृपेन चक्रवर्ती

विधान सभा

अध्यक्ष : अमरेंद्र शर्मा

उच्च न्यायालय

द्विपुरा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ अग्रतला में काम कर रही है।

मुख्य सचिव : एन० पी० नवानी

जिलों का क्षेत्रफल;

जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. उत्तर द्विपुरा	3,872	5,41,248	कैलाशहर
2. दक्षिण द्विपुरा	3,581	5,35,558	दइयपुर
3. पश्चिम द्विपुरा	3,033	9,76,252	अग्रतला

### नागालैंड

क्षेत्रफल : 16,579 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 7,74,939

राजधानी : कोहिमा

मुख्य भाषाएं : आओ, कोन्याक,  
अंगामी, सेमा  
और लोया

**कृषि**

नागालैंड की 90 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। चावल यहाँ का एकमात्र महत्वपूर्ण आयात है। मूय खेती 68,500 हेक्टेयर मूमि पर होती है और पहाड़ के ढालों पर, जहाँ सिंचाई की सुविधा है, 51,250 हेक्टेयर क्षेत्र में चावल की खेती होती है।

**उद्योग**

राज्य में एक चीनी मिल, एक पल्प और पेपर मिल तथा एक प्लाईवुड फैक्ट्री है। हथकरघा तथा रेशम प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। लघु उद्योग की तीन हजार एक सौ से अधिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। सिन्द्रोनेला घास के 15 कार्म हैं। राज्य में पाए जाने वाले खनिजों में हैं: बड़ी मिट्टी (क्ले), कोयला, बॉक्साइट, चूना-पत्थर तथा रेत। फरवरी 1986 में एक पेंडिंगारी चीनी मिल शुरू की गई।

**सिंचाई**

राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य अधिकतर चावल उत्पादन करने वाली धाटियों की सिंचाई के लिए, पहाड़ी चरमों की दिशा बदलना ही है। नागालैंड में जुलाई 1986 तक 890 गाँवों में बिजली पहुँच चुकी थी।

**सरकार**

राज्यपाल : जनरल के० वॉ० कृष्णाराव (भवःराज प्राप्त)

मुख्यमंत्री : एस० सी० जमीर

**विधान सभा**

अध्यक्ष : ई० टी० इजुंग

मुख्य सचिव : आई० सागकुमार

**जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय**

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. कोहिमा	4,041	2,50,105	कोहिमा
2. मोकोरुचुंग	1,615	1,04,193	मोकोरुचुंग
3. वोखा	1,628	57,583	वोखा
4. जूहेपोटो	1,255	61,161	जूहेपोटो
5. फेक	2,026	70,618	फेक
6. मोन	1,786	78,938	मोन
7. त्पूनसांग	4,228	1,52,332	त्पूनसांग

## पंजाब

क्षेत्रफल : 50,362 वर्ग कि० मी०

जनसंख्या : 1,67,88,915

राजधानी : चण्डीगढ़

मुख्य भाषा : पंजाबी

कृषि

पंजाब के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 83.5 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्य में खाद्यान्नों—विशेषकर गेहूँ और चावल की बहुतायत है। अन्य मुख्य खाद्यान्न हैं—मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, जौ तथा दालें। मुख्य नकदी फसलों में तिलहन, गन्ना, तम्बाकू, कपास तथा आलू शामिल हैं। 1985-86 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 171.62 लाख टन रहा। पंजाब हालांकि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.54 प्रतिशत है लेकिन 1984-85 की फसल के दौरान इसने केन्द्रीय पूल में 59.4 प्रतिशत गेहूँ और 43.6 प्रतिशत चावल का योगदान दिया।

1984-85 के दौरान 2,21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन थे।

उद्योग

राज्य में अनेक लघु-उद्योग हैं। साइकिल, सिलाई मशीन, हाथ के औजार, खेल तथा चमड़े का सामान, मशीनी औजार, हीजरी तथा ऊनी वस्त्र, चैन, नट तथा बोल्ट आदि मुख्य लघु उद्योग उत्पाद हैं। 31 मार्च 1986 को कुल 1,10,268 पंजीकृत लघु स्तर की मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ थीं, जिनमें 744 करोड़ रुपये लगे हुए थे। इसके अलावा 343 बड़ी और मध्यम इकाइयाँ हैं जिनमें 1201 करोड़ रुपये से भी अधिक की पूंजी लगी है।

पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने अब तक 53 परियोजनाओं को विकसित किया है, जिनमें लगभग 300 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश है।

वाई और विजली

1947 के पश्चात् जिन मुख्य सिंचाई निर्माण कार्यों को पूरा किया गया, वे हैं—भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नहरें, हरिके बैराज तथा यहीं से निकली सरहिन्द फीडर नहर और माधोपुर हैडवर्क्स को बैराज में परिवर्तित करना। रावी नदी के फालतू पानी को व्यास नदी में छोड़ने के लिए माधोपुर-व्यास संपर्क बनाया गया था। ऐसी ही एक सतलुज-व्यास संपर्क परियोजना भी पूरी कर ली गई है। पन-विजली परियोजना में व्यास नदी पर पौंग बांध मुख्य है। मार्च 1979 में बांध का चौथा यूनिट चालू किया गया था। अक्टूबर 1983 में मुकेरियाँ पन विजली परियोजना के तीन यूनिटों वाला पहला विजली घर (पावर हाउस) शुरू किया गया। सितम्बर 1984 में रोड्ड थर्मल प्लान्ट के प्रथम चरण का प्रथम यूनिट तथा मार्च 1985 में द्वितीय चरण का द्वितीय यूनिट चालू किया गया।

1985-86 में विद्युत-विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कुल संस्थापित क्षमता 2459 मेगावाट थी। राज्य ने पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। सिंचाई हेतु वर्ष 1985-86 के दौरान 1582 नलकूपों तथा 34,674 पम्पसेटों को विजली प्रदान की गयी।

सरकार<sup>1</sup>

राज्यपाल	: निन्द्रार्थ शंकर रे
मुख्यमंत्री	: सुरजीत सिंह बरनाला
मध्यश	: सुरजीतसिंह मिह्लास
मुख्य न्यायाधीश	: हृदयनाथ नेह
मुख्य सचिव	: पी० एच० वैष्णव

विधान सभा

उच्च न्यायालय

जिलों का क्षेत्रफल,  
जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. भ्रमृतसर	5,087	21,88,490	भ्रमृतसर
2. भटिंडा	5,551	13,04,604	भटिंडा
3. फरीदकोट	5,740	14,36,228	फरीदकोट
4. फिरोजपुर	5,874	13,07,804	फिरोजपुर
5. गुरदासपुर	3,562	15,13,435	गुरदासपुर
6. होशियारपुर	3,881	12,43,807	होशियारपुर
7. जालन्धर	3,401	17,34,574	जालन्धर
8. कपूरथला	1,633	5,45,249	कपूरथला
9. लुधियाना	3,857	18,18,912	लुधियाना
10. पटियाला	4,584	15,68,898	पटियाला
11. रूपनगर	2,085	7,16,662	रूपनगर
12. संगरूर	5,107	14,10,250	संगरूर

### पश्चिम बंगाल<sup>2</sup>

क्षेत्रफल : 88,752 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 5,45,80,647
राजधानी : कलकत्ता	मुख्य भाषा : बंगला

कृषि

राज्य की 50 प्रतिशत घाय तथा 55 प्रतिशत लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र में प्राप्त होता है। कुल 76,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के लगभग 36 प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा है। देश के चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल का मुख्य स्थान है।

1. पत्र में 11 मई 1987 को राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई।
2. पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए 23 मार्च 1987 को चुनाव हुआ और श्री उमोनि बन्धु को 31 मार्च 1987 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी गई।

1984-85 में चावल की खेती का क्षेत्र 5,198.5 हजार हेक्टेयर था। देश में पटसन उत्पादन का 55.4 प्रतिशत और चाय उत्पादन का 24.0 प्रतिशत उत्पादन राज्य में होता है। पटसन और चाय के निर्यात से राज्य काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं : आलू, तिलहन, दालें, पान के पत्ते, गन्ना, तम्बाकू, गेहूं, जौ और मक्का।

राज्य के 13.4 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। प्रमुख वन उत्पाद इमारती लकड़ी, शहद, जलाने की लकड़ी, लकड़ी का कोयला और वांस हैं।

## उद्योग

पश्चिम बंगाल देश का मुख्य औद्योगिक राज्य है, जिसमें 1984 तक 7628 पंजीकृत कारखाने (रक्षा कारखानों को छोड़कर) कार्यरत हैं। मार्च 1985 तक पंजीकृत लघु उद्योग की इकाइयों की अनुमानित संख्या 202940 थी।

दुर्गापुर के मिश्रधातु इस्पात के कारखाने के अतिरिक्त दो इस्पात कारखाने हैं—एक दुर्गापुर में तथा दूसरा वरनपुर में। अन्य प्रमुख उद्योग हैं—इंजीनियरिंग; मोटर गाड़ियां, रासायनिक पदार्थ, दवाइयां, अल्यूमीनियम, इमारती लकड़ी तैयार करना, पटसन, सूती कपड़ा, चाय, कागज, कांच, चमड़ा, जूता, हड्डी की खाद, साइकिल, डेयरी आदि। केन्द्रीय सरकार के कई सार्वजनिक संस्थान, जिसमें रेलगाड़ी के इंजन, तार, उर्वरक, समुद्री जहाज निर्माण तथा रक्षा सामग्री बनाने वाले संस्थान शामिल हैं, इस राज्य में हैं। राज्य सरकार ने भी कई सार्वजनिक संस्थान जैसे चीनी, रासायनिक, इलेक्ट्रानिक, चमड़ा, दवाइयां, फोटो-रसायन, इलेक्ट्रो-मेडिकल, कपड़ा तथा सहायक उद्योगों की स्थापना की है। आसनसोल, दुर्गापुर, हल्दिया, कल्याणी, खड़गपुर, संथालदिह, सिलीगुड़ी, फरक्का, कूच बिहार, हावड़ा और वज-वज में नए-नए उद्योग क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। कलकत्ता से 50 कि० मी० दक्षिण में फ्लटा में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जा रहा है।

कोयला और चीनी मिट्टी, दो महत्वपूर्ण खनिज राज्य में पाए जाते हैं।

## सिंचाई और विजली

1947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण बहुदेशीय परियोजनाएं हैं—दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और कांगसावती परियोजना। तीस्ता बैराज परियोजना पर कार्य चल रहा है। 21 मध्यम सिंचाई योजनाएं सूबाग्रस्त पुरुलिया, वीरभूमि और बांकुटा जिलों में शुरू की गईं। तीन को छोड़कर, सभी योजनाएं स्थापित हो गई हैं और पांच योजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

राज्य में विजली आपूर्ति का काम पश्चिम बंगाल राज्य विजली बोर्ड कलकत्ता, विजली आपूर्ति निगम दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम के द्वारा किया जा रहा है। 1984-85 में दामोदर घाटी निगम को छोड़कर राज्य की उपरोक्त थर्मल यूनिटों की कुल विजली उत्पादन क्षमता क्रमशः 3,731 मेगावाट, 2,314 मेगावाट और 705 मेगावाट था। इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल राज्य विजली बोर्ड के अधीन 100 मेगावाट के गैस टरबाइन, 41 मेगावाट की क्षमता वाले पनविजली एकक और 15.5 मेगावाट क्षमता के डीजल एकक से भी विजली उत्पादन हो रहा है। इस प्रकार 1984-85 में दामोदर घाटी परियोजना को छोड़कर राज्य की कुल विजली उत्पादन क्षमता 6,750 मेगावाट थी।

वर्ष 1985-86 में पश्चिम बंगाल में बिजली की कुल स्थापित क्षमता 3,353 (अस्थायी) मे०वा० पी०; बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 1976-77 में 1,625 मेगावाट से बढ़कर 1985-86 में 3,353 मेगावाट हो गई, इस प्रकार 1,728 मेगावाट की वृद्धि हुई। यह वृद्धि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 988 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने, सी० ई० एम० सी० द्वारा 210 मेगावाट, डी० पी० एल० के अन्तर्गत 110 मेगावाट, डी० वी० सी० के अंतर्गत 210 मेगावाट तथा एन० टी० पी० सी० के अंतर्गत 210 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता पैदा करने से हुई।

आई०ई०सी० द्वारा वित्तीय महायत्ना के अन्तर्गत प्राथमिक क्षेत्रों में विद्युतीकरण के विचार से मार्च 1977 तक 10,981 गाँवों में बिजली पहुँचाना सम्भव हो पाया। इसके बाद के आठ वर्षों में 8,220 गाँवों का विद्युतीकरण सम्भव हो पाया। इस समय राज्य में 50.43 प्रतिशत गाँवों में बिजली है। 1984-85 वर्ष में कुल 39,431 पम्पसेटों को बिजली पहुँचाई गई।

**प्रमुख पर्यटन स्थल**

प्रमुख पर्यटन स्थल हैं : कलकत्ता, दीपा (मिदनापुर), बख्तली समुद्री सैरगाह, सुन्दरवन (24 परगना), बंदेल, तारकेस्वर, कामरपुरपुर तथा हुगली (हुगली), धान्तिनिकेतन तथा बाकरेस्वर (बीरभूम), दुर्गापुर (बर्दमान), विष्णुपुर (बांकुरा), मृगिदाबाद, गोर तथा पंडुघा (मालदा), दार्जिलिंग, मिरिक, कालिमपांग तथा कुसियांग (दार्जिलिंग), जाल्दापाड़ा तथा दूजसं (जलपाईगुड़ी)।

**सरकार**

राज्यपाल : नुरुल हसन

मुख्यमंत्री : ज्योति बसु

**बिधान सभा**

अध्यक्ष : हाशिम अब्दुल हलीम

**उच्च न्यायालय**

मुख्य न्यायाधीश : अनिल कुमार सेन

मुख्य सचिव : एस० बी० कृष्णन

**जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय**

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. बांकुरा	6,882	23,74,815	बांकुरा
2. बर्दमान	7,024	48,35,388	बर्दमान
3. बीरभूम	4,545	20,95,829	सूरी
4. कलकत्ता <sup>1</sup>	18,733	41,25,006	कलकत्ता
5. दार्जिलिंग	3,149	10,24,269	दार्जिलिंग
6. हावड़ा	1,467	29,66,861	हावड़ा
7. हुगली	3,149	35,57,306	चिनसुराह



1	2	3	4
8. जलपाईगुड़ी	6,227	22,14,871	जलपाईगुड़ी
9. कूच बिहार	3,387	12,71,643	कूच बिहार
10. माल्दा	3,733	20,31,871	इंग्लिश बाजार
11. मिदनापुर	14,081	67,42,796	मिदनापुर
12. मुर्शिदाबाद	5,324	36,97,552	बरहामपुर
13. नादिया	3,927	29,64,253	कृष्णनगर
14. पुर्लिया	6,259	18,53,801	पुर्लिया
15. 24 परगना <sup>2</sup>	14,052.67	99,19,439	श्रलीपुर
16. पश्चिम दीनाजपुर	5,358	24,04,947	बेलूरघाट

1. इसमें तीन नगरपालिकाएं शामिल हैं। (गार्डेन रोड 12.95 वर्ग कि० मी०, दक्षिणी उपनगर 30.38 वर्ग कि० मी० तथा जादवपुर 40 वर्ग कि० मी०)।
2. पाद टिप्पणी 1 में निर्दिष्ट तीन नगरपालिकाओं को छोड़कर।

**टिप्पणी :** 24 परगना जिले को उत्तर 24 परगना तथा दक्षिण 24 परगना से बांटा गया है जिनके जिला मुख्यालय क्रमशः बलीपुर और बारसात हैं। जनसंख्या के बारे में तुलनात्मक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

## बिहार

क्षेत्रफल : 1,73,877 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 6,99,14,734

राजधानी : पटना

मुख्य भाषा : हिन्दी

**कृषि**

भौगोलिक दृष्टि से बिहार 174 लाख हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इस विस्तृत भूमि का 115 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है। अभी 85 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। धान, गेहूं, मक्का और दालें बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। नकदी फसलों में मुख्यतः गन्ना, तिलहन, तम्बाकू, पटसन और आलू पैदा किए जाते हैं।

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19 प्रतिशत भाग वन है। वनों के महत्वपूर्ण उत्पादन हैं—इमारती लकड़ी, केन्दु-पत्तियां, लाख, गोंद, माल के बीज इत्यादि। बिहार राज्य वन विकास निगम महुआ, कारंज और कुकुम जैसे बीजों को एकत्रित करता है।

यहां 12 संरक्षित वन-क्षेत्र तथा दो चिड़ियाघर हैं।

**उद्योग**

बिहार राज्य आँद्योगिक विकास निगम की आगामी नई परियोजनाएं हैं:—चांदी में स्पंज आयरन, जमुई में जी० आई० शीट्स, भोजपुर में नायलन, लातेहर में सालवेंट एक्स-ट्रेक्शन प्लांट, रांची में घड़ियों की फ़ैक्ट्री, पतरातू में सीमेन्ट प्लांट, जसिदांह में ट्रांसमिशन टावर तथा गया स्थित बिहार फ़ासिनर्स, इत्यादि।

उद्योगपतियों को नमी प्रकार की मदद उपलब्ध कराने के लिए 'सिंचित बिंधा' व्यवस्था शुरू की गई है। 1985-86 के दौरान 10,212 लघु उद्योग इकाइयाँ पंजीकृत की गईं।

**सिंचाई और बिजली**

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए बिहार में 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई की कुल क्षमता है। स्वतंत्रता से पहले स्थापित क्षमता 4.04 लाख हेक्टेयर थी। स्वतंत्रता के बाद, सिंचाई क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी और अब 1985-86 तक बिहार में सिंचाई की स्थापित क्षमता 29.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक फैल चुकी है। सातवी योजना (1985-90) के कार्यक्रम के अंतर्गत 315 हजार हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की जाएगी।

राज्य की प्रमुख बिजली परियोजनाएँ—पतरानू तार बिजलीघर, बरौनी तार त्रिजनोघर, मुजफ्फरपुर तार बिजलीघर, स्वर्ण रेखा पन-बिजलीघर तथा दामोदरघाटी निगम के अघोन बोझारो, बन्टपुर और दुर्गापुर तार बिजलीघर के माप-माप तलैया, माइयान एवं पंचेट पन-बिजलीघर हैं। जुलाई 1986 तक 3,347.6 मेगावाट इकाई बिजली पैदा की गई, 9,743 एचएमटी को चालू किया गया तथा कुल 2,127 गावों में बिजली पहुँचाई गयी।

**मुख्य पर्यटन स्थल**

राजगीर, बोधगया, जमशेदपुर, बोझारो, नाहनदा, पटना, राँचे, गानाराम, वैशाली, हजारीबाग, बेतला, भीमबाघ आदि पर्यटकों के रुचि-स्थल हैं। गया के निम्न स्थित बोधगया बौद्ध-धर्म का केन्द्र है। जमशेदपुर तथा बोझारो इस्थान के लिए विख्यात हैं। नाहनदा प्राचीन समय में भारत का महान ज्ञान-केन्द्र था। प्राचीन नगर पाटलिपुत्र ही राज्य को वर्तमान राजधानी पटना है। गानाराम इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी का शानदार मकबरा बना है। हजारीबाग और बेतला में राष्ट्रीय पार्क हैं तथा एक वन्यजीवन प्रमथारण्य भी है। वैशाली प्राचीन लिच्छवी राज्य की राजधानी थी।

**सरकार**

राज्यपाल : पी० वेकट सुर्वैया  
 मुख्यमंत्री : बिन्देश्वरी दुबे

**विधान परिषद**

समापति : उमेश्वर प्रसाद वर्मा

**विधान सभा**

अध्यक्ष : राजा नंदन झा

**उच्च न्यायालय**

मुख्य न्यायाधीश : सुरजीत सिन्हा संघाबानिया  
 मुख्य सचिव : के० के० श्रीवास्तव

**जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यमालय**

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. धीरंगाबाद	3,305	12,37,072	धीरंगाबाद
2. बेगूसराय	1,918	14,56,343	बेगूसराय

1	2	3	4
3. भागलपुर	5,589	26,21,427	भागलपुर
4. भोजपुर	4,098	24,07,600	भारा
5. दरभंगा	2,279	20,08,193	दरभंगा
6. देवघर	2,478. 6	7,08,828	देवघर
7. धनबाद	2,996	21,15,010	धनबाद
8. गया	6,545	31,34,175	गया
9. गिरिडीह	6,892	17,31,462	गिरिडीह
10. गोड्डा	2,110. 4	7,13,405	गोड्डा
11. गोपालगंज	2,033	13,62,123	गोपालगंज
12. गुमला	9,077. 1	10,17,231	गुमला
13. हजारीबाग	11,165	21,98,310	हजारीबाग
14. जहानाबाद <sup>1</sup>	1,569. 30	9,83,667	जहानाबाद
15. कटिहार	3,057	7,40,837	कटिहार
16. खगाड़िया	1,485. 8	7,68,653	खगाड़िया
17. लोहरदग्गा	1,490. 9	2,29,786	लोहारदग्गा
18. मधेपुरा	1,788. 5	9,64,033	मधेपुरा
19. मधुवनी	3,501	23,25,844	मधुवनी
20. मुंगेर	6,398. 7	25,46,774	मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर	3,172	23,57,388	मुजफ्फरपुर
22. नालन्दा	2,367	16,41,325	बिहारमारीफ
23. नवादा	2,494	10,99,177	नवादा
24. पलामू	12,749	1,97,528	बाल्टनगंज
25. पश्चिम चम्पारन	5,228	19,72,610	वेतिया
26. पटना	3,202	30,19,201	पटना
27. पूर्व चम्पारन	3,968	24,25,501	मोतिहारी
28. पूर्णिया	7,943	35,95,707	पूर्णिया
29. राँची	7,574. 1	18,23,415	राँची
30. रोहतास	7,213	23,66,325	सासाराम
31. सहरसा	4,071. 8	19,89,770	सहरसा
32. संयाल परगना	5,518. 3	12,15,542	दुमका
33. साहबगंज	3,405. 4	10,79,753	साहबगंज
34. समस्तीपुर <sup>1</sup>	2,904	21,16,876	समस्तीपुर
35. सरन	2,641	20,84,322	छपरा
36. सिहभूम	13,440	28,61,799	चाइवासा
37. सीतामढ़ी	2,643	19,32,147	सीतामढ़ी
38. सीवान	2,219	17,78,930	सीवान
39. वैशाली	2,036	16,62,527	हाजीपुर

1. जिला जहानाबाद का 31 जुलाई 1986 को उद्घाटन किया गया।

## मध्य प्रदेश

क्षेत्रफल : 4,43,446 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 5,21,78,844

राजधानी : भोपाल

मुख्य भाषा : हिन्दी

### कृषि

मध्य प्रदेश की ग्रहण्यवस्था कृषि पर आधारित है। लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। कुल भूमि के 43.5 प्रतिशत क्षेत्र पर घेतो होती है तथा उसमें से केवल 14.4 प्रतिशत भाग पर मिर्चाई बुनिया है। मानवा क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त काली मिट्टी से भरपूर है। निचले स्वानिचर, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड तथा छत्तीसगढ़ मैदानों की मिट्टी हल्की है जबकि नर्मदा घाटी में गहरी, कठारी भूमि है। यहां की मुख्य खाद्य फसलें प्वार, गेहूँ और चावल है तथा मॉटे फलियों में कोंडो, कुतकी' आदि है। बाणिज्य फसलों में तिनहन, कपास व गन्ना है। राज्य सीपावीन उत्पादन में शीघ्र ही सफलता प्राप्त करेगा।

राज्य के कुल क्षेत्र के 32 प्रतिशत क्षेत्र में वन है। इनमें अधिकांशतः साल, सलाह, सागवान, गाना, बेहड़ा, हरा, महुआ, आदि के वन हैं।

### उद्योग

राज्य के बड़े उद्योगों में हैं :— भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल; भारत अल्यूमीनियम कारखाना, कोरबा; तिलकोरिटी पेंचर मिल, होशंगाबाद; करौसी प्रिंटिंग प्रेस, देवास; अख्तारो कागज की मिल, नेवागढ़; पेंचर मिल, अमनई; अलकोलाइड फैक्ट्री, नीमच; चमड़े के सामान की फैक्टरी, देवास; विस्फोटक पदार्थों का कारखाना, कोरबा; तथा जवनपुर स्थित बाहन कारखाना, आयुध कारखाना, गन कैरिज कारखाना तथा डाकू ठार कामगारों घाटोमोबाइल कार्पेक्शन, पीतमपुर और बेतूल में स्थित एच० एम० टी० पड़ी असेंबलिंग इकाई। राज्य में 14 मीमेंट प्लांट हैं। इनमें से तीन मार्बेनिक क्षेत्र में हैं। राज्य में माल्केट एमग्रेनात प्लांटों की सबसे बड़ी संख्या है। इंदौर तथा उज्जैन के क्षेत्र, कपड़ा मिनॉ के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य में 14 औद्योगिक विकास केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश खनिज सम्पदा से समृद्ध है, मुख्य खनिज है :—उष्ण स्तर का खून पत्थर, डोलीमाइल, सौह फयस्क, मैगनीज फयस्क, ताबा फयस्क, कोबला, बट्टानी फास्फेट और बानसाइट। यह राज्य हीरे तथा टिन फयस्क का उत्पादक है। सभी हाल ही में बस्तर जिने भी टिन के भण्डार पाये गये ह।

### निर्वाह तथा बिजली

छठी योजना के अंत में सभी ग्रामों को मिलाकर राज्य की निर्वाह-समता लगभग 21 प्रतिशत है। राज्य में 7 नदी प्रणालियां हैं। मानवा पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में निर्वाह समता पैदा करने का प्रस्ताव है।

इस समय 22 बड़ी परियोजनाएं जोर-शोर से कार्य कर रही हैं जिनमें से 6 बहुमुखी हैं। वे हैं : चंबल, राजघाट, वाण सागर, महानदी जलाशय, हंसदेव-बंगो और वार्गी। 16 बड़ी परियोजनाएं हैं—तवा, वर्ना, हंसदेव दाएं तट की नहर, ऊपरी वेनगंगा, वारियरपुर बाएं तट की नहर, उर्मिल, कोलार, सिन्ध चरण-I, भांडर नहर, हलाली, सुक्ता, पैरी, कोडार, जोंक, रंगवाम, एच० एल० सी० और घनवार।

वर्तमान में जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत 5 बड़ी परियोजनाओं, 14 मझोली तथा 929 लघु योजनाओं, जिन पर अनुमानतः 708 करोड़ रुपये खर्च होंगे और जिनकी क्षमता 4.65 लाख हेक्टेयर होगी, पर कार्य चल रहा है।

### महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल

कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं—ग्वालियर, खजुराहो, सांची, विदिशा, उदयेश्वर, उदयगिरि, औरछा, सिरपुर, उज्जैन, अमरकंटक, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानें—जबलपुर; कान्हा का राष्ट्रीय पार्क, शिवपुरी, बांधवगढ़, पन्ना (खजुराहो से 32 किलोमीटर दूर), भोपाल, भीमबेकटा, भोजपुर, मांडु ओंकारेश्वर, महेश्वर और पंचमढ़ी।

### सरकार

राज्यपाल : के० एम० चांडी

मुख्यमंत्री : मोती लाल बोरा

### विधान सभा

अध्यक्ष : राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला

### उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : जी० जी० सोहमी (कार्यवाहक)

मुख्य सचिव : के० सी० एस्० आचार्य

### जिलों का क्षेत्रफल जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. बालाघाट	9,229	11,47,810	बालाघाट
2. बस्तर	39,114	18,42,854	जगदलपुर
3. बेतूल	10,043	9,25,387	बेतूल
4. भिंड	4,459	9,73,816	भिंड
5. भोपाल	2,772	8,94,739	भोपाल
6. विलासपुर	19,897	29,53,366	विलासपुर
7. छतरपुर	8,687	8,86,660	छतरपुर
8. छिंदवाड़ा	11,815	12,33,131	छिंदवाड़ा
9. दमोह	7,306	7,21,453	दमोह
10. दतिया	2,038	3,11,893	दतिया

1	2	3	4
11. देवाम	7,020	7,95,309	देवाम
12. धार	8,153	10,57,469	धार
13. दुर्ग	8,537	18,90,467	दुर्ग
14. पूर्वी निमाड़	10,779	11,53,580	शंभवा
15. गुना	11,065	10,01,985	गुना
16. खालियर	5,214	11,07,879	खालियर
17. होंगंगाबाद	10,037	10,03,939	होंगंगाबाद
18. इन्दौर	3,898	14,09,473	इन्दौर
19. जबलपुर	10,160	21,98,743	जबलपुर
20. झाबुआ	6,782	7,95,168	झाबुआ
21. मंडला	13,269	10,37,394	मंडला
22. मंदसौर	9,791	12,63,399	मंदसौर
23. मुरैना	11,594	13,03,213	मुरैना
24. नरसिंहपुर	5,133	6,50,445	नरसिंहपुर
25. पन्ना	7,135	5,39,978	पन्ना
26. रायगढ़	12,924	14,43,197	रायगढ़
27. रायपुर	21,258	30,79,476	रायपुर
28. रायसेन	8,466	7,10,542	रायसेन
29. राजगढ़	6,154	8,01,384	राजगढ़
30. राजनादगाव	11,127	11,67,501	राजनादगाव
31. रतलाम	4,861	7,82,729	रतलाम
32. रीवा	6,314	12,07,583	रीवा
33. सागर	10,252	13,23,132	सागर
34. सतना	7,502	11,53,387	सतना
35. सीहोर	6,578	6,57,381	सीहोर
36. सिवनी	8,758	8,09,713	सिवनी
37. गृहडोल	14,028	13,45,125	गृहडोल
38. शाजापुर	6,196	8,40,247	शाजापुर
39. शिवपुरी	10,278	8,65,930	शिवपुरी
40. सीधी	10,526	9,90,467	सीधी
41. सरगुजा	22,337	16,33,476	अम्बिकापुर
42. टीकमगढ़	5,048	7,36,981	टीकमगढ़
43. उज्जैन	6,091	11,17,002	उज्जैन
44. विदिशा	7,371	7,83,098	विदिशा
45. पश्चिमी निमाड़	13,450	16,30,943	धरमौन

## महाराष्ट्र

क्षेत्रफल : 3,07,690 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 6,27,84,171

राजधानी : वम्बई

मुख्य भाषा : मराठी

### कृषि

महाराष्ट्र के लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 13.14 प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। प्रमुख खाद्य फसलें हैं—गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, वाजरा और दाल। महत्वपूर्ण नकदी फसलें हैं—कपास, गन्ना, मूंगफली, तम्बाकू, कुसुम्भ और सूर्यमुखी। संतरा, केला, अंगूर और प्याज प्रमुख फलदार फसलें हैं।

महाराष्ट्र ने व्यापक जल-विभाजक विकास कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गांव में योजनाबद्ध ढंग से जल-विभाजक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक तालुका में एक गांव 'कृषि पंढारी' के रूप में चुना है। कुल क्षेत्र के 17.24 प्रतिशत भाग में वन फैले हुए हैं।

### उद्योग

यद्यपि देश की कुल जनसंख्या का 9.2 प्रतिशत भाग ही इस राज्य में रहता है, फिर भी कुल औद्योगिक इकाइयों का लगभग 11 प्रतिशत, श्रमिकों का 17 प्रतिशत से अधिक, पूंजी निवेश का 16 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों का 25 प्रतिशत इस राज्य में है।

कुछ प्रमुख उद्योग जिसका महाराष्ट्र के औद्योगिक उत्पादन में प्रमुख स्थान है— इस प्रकार हैं—रसायन तथा रासायनिक उत्पाद, वस्त्र, विद्युत्तीय तथा गैर-विद्युत्तीय मशीनरी और पेट्रोलियम तथा उससे सम्बन्धित उत्पाद। खाद्य उत्पादों में चीनी सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग हैं—श्रीषधी, इंजीनियरी सामान, मशीनरी औजार, इस्पात और लौह ढलाई और प्लास्टिक का सामान। यहां पर परिष्कृत इलैक्ट्रानिक सामान भी बनता है।

वम्बई हाई में अपतटिय तेल क्षेत्र तथा वेसीन उत्तर तेल क्षेत्र का विकास राज्य में औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण घटना है।

महाराष्ट्र चलचित्र उद्योग में अग्रणी है।

नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, जलगांव, रोहा और अहमदनगर में नये उत्पादन केन्द्र बन रहे हैं।

### सिंचाई और बिजली

योजना अवधि के दौरान अर्थात् 1951 से 1980 तक, नौ बड़े और 90 मध्यम, 1,091 राज्य क्षेत्र की छोटी सिंचाई परियोजनाएं तथा 340 लिफ्ट (पानी खींचने की) सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गयीं। छठी योजना (1980-85) के दौरान 6 बड़ी, 35 मध्यम, 274 राज्य क्षेत्र की छोटी परियोजनाएं तथा 15 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गयीं। छठी योजना के प्रारंभ तक कुल 17.20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की क्षमता विकसित की गयी, जिसमें 2.74 लाख हेक्टेयर योजना के पहले का क्षेत्र भी शामिल है। छठी योजना के दौरान 5.50 लाख

हेक्टियर की अतिरिक्त भिन्दाई क्षमता पैदा की गयी। इस तरह छठी योजना के अंत अर्थात् जून, 1985 तक कुल 23.70 लाख हेक्टियर की भिन्दाई क्षमता पैदा की गयी।

1984-85 वर्ष के दौरान राज्य में पन, ताप, नाभिकीय और गैर टरबाइन बिजलीघरों की गैर-निर्धारित (डीरेटेड) क्षमता 6310 मेगावाट थी। मूल गिरा कर मार्च, 1985 के अंत तक 33,963 नगरों और गांवों में और 0.37 लाख पंप सेटो को बिजली पहुँचाई गयी।

**महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र** भजन्ता, एलोरा, एलिफेन्टा, कन्हेंरी, कारला यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं तथा महाबलेश्वर, मयेरन और पंचगनी पर्वतीय स्थल हैं। पंढरपुर, नासिक, शिरडी, श्रीधानागनाथ, नादेड़ और गणपति पुल धार्मिक स्थल हैं।

**सरकार** राज्यपाल : शंकर दयाल शर्मा

मुख्यमंत्री : एम० वी० चव्हाण

**विधान परिषद** सभापति : जे० एस० तिलक

**विधान सभा** अध्यक्ष : शंकर राव जगताप

**उच्च न्यायालय** मुख्य न्यायाधीश : एम० एच० केनिया

मुख्य सचिव : के० जी० परांजपे

**जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय**

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. अहमद नगर	17,048	27,08,309	अहमदनगर
2. अकोला	10,575	18,26,952	अकोला
3. अमरावती	12,212	18,61,410	अमरावती
4. औरंगाबाद	9,172	15,88,031	औरंगाबाद
5. भण्डारा	9,213	18,37,577	भण्डारा
6. बीड	10,624	14,12,342	बीड
7. बृहत्तर बम्बई	603	82,43,405	बृहत्तर
8. बुलढाणा	9,661	15,02,777	बुलढाणा
9. चन्द्रपुर	10,490	14,18,300	चन्द्रपुर
10. धुले	13,150	22,82,284	धुले



1	2	3	4
11. गडकीजोली	15,443	6,37,336	गडकीजोली
12. जलगांव	11,765	26,18,274	जलगांव
13. जालना	8,656	10,32,157	जालना
14. कोल्हापुर	7,633	24,65,427	कोल्हापुर
15. लाटूर	7,304	12,93,530	लाटूर
16. नागपुर	9,931	25,88,811	नागपुर
17. नांदेड़	10,502	17,49,334	नांदेड़
18. नासिक	15,530	29,91,739	नासिक
19. उत्मानावाद	7,510	10,29,702	उत्मानावाद
20. परभर्णी	11,038	16,42,610	परभर्णी
21. पुणे	15,642	41,64,470	पुणे
22. रायगढ़	7,148	14,86,452	रायगढ़
23. रत्नागिरी	8,249	13,79,635	रत्नागिरी
24. सांगली	8,572	18,31,212	सांगली
25. सतारा	10,484	20,38,677	सतारा
26. सिन्धुदुर्ग	5,219	7,72,559	कुदाल
27. शोलापुर	14,874	25,91,220	शोलापुर
28. ठाणे	9,558	33,51,562	ठाणे
29. वर्धा	6,310	9,26,618	वर्धा
30. यवतमाल	13,584	17,37,423	यवतमाल

## मणिपुर

क्षेत्रफल : 22,327 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 14,20,953

राजधानी : इम्फाल

मुख्य भाषा : मणिपुरी

मणिपुर के 66 प्रतिशत लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। राज्य का करीब 92 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है तथा बनों से घिरा है। आरक्षित बनों में 1,377 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है जबकि संरक्षित बनों में 4,171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। बेहतर क्लिम को लक्ष्यी करते बृक्ष लगाकर रक्षित वन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में खांस प्रचुर मात्रा में मिलता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। कुछ क्षेत्रों में गेहूँ और मक्का

की भी खेती होती है। दोहरी फसल बोना तथा परिष्कृत बीज और उर्वरकों का उपयोग जनप्रिय होता जा रहा है।

**उद्योग**

राज्य में बड़े पैमाने का कोई उद्योग नहीं है। हथकरघा बुनाई मन्ने बड़ा कुटीर उद्योग है। यह यहाँ के लोगों की आय का मुख्य स्रोत है। अन्य कुटीर उद्योग हैं—रेसम, बाँस और बेंत की बस्तुएँ, लुहारगोरी, बड़ईगीरी, चमड़े की बस्तुएँ, घाघ तेल पेरार्ई, चावल कुटाई तथा गुड़ और खंडत्तारी।

**सिंचाई और बिजली**

यहाँ मानसून के दौरान पानी के समुचित वितरण के लिए तेज बहने वाले चरमों पर बाँध बनाकर मुख्यतः छोटे सिंचाई साधनों से सिंचाई की जाती है। यहाँ पर सिंचाई के बड़े व मध्यम कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 परियोजनाएँ हैं। राज्य में लीकटाक ही एकमात्र मुख्य विद्युत परियोजना है।

राज्यपाल : जनरल के० वी० कृष्णाराव (अवकाश प्राप्त)

मुख्यमंत्री : रिशंग केरिया

**विधान सभा**

अध्यक्ष : डब्ल्यू० ए० सिंह

मुख्य सचिव : डी० एन० बरभा

**ज़िलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय**

ज़िला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. इम्फाल . . .	1,303	5,56,146	इम्फाल
2. उखरुल . . .	4,544	82,946	उखरुल
3. चंदेल . . .	3,313	56,444	चंदेल
4. चुडाचांदपुर . . .	4,570	1,34,776	चुडाचांदपुर
5. तामेंगलोंग . . .	4,391	62,289	तामेंगलोंग
6. थोबल . . .	405	2,31,781	थोबल
7. विशनूपुर . . .	530	1,41,150	विशनूपुर
8. सेनापति . . .	3,271	1,55,421	सेनापति

25 मई 1983 को मणिपुर का आठ जिलों के रूप में पुनर्गठन किया गया तथा जिलों के नाम 15 जुलाई 1983 को बदले गए हैं।

## मेघालय

क्षेत्रफल : 22,429 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 13,35,819

राजधानी : शिलंग

मुख्य भाषाएं : खासी, गारो और अंग्रेजी

कृषि

मेघालय के 80 प्रतिशत से अधिक लोग खेती करते हैं। काश्त क्षेत्र के लगभग 27 प्रतिशत में सिंचाई की व्यवस्था है। मुख्य फसलें हैं—आलू, तेजपत्ता, गन्ना, तिलहन, कपास, पटसन, मेस्ता और सुपारी। चुने हुए क्षेत्र धान, गेहूं और मक्का अधिक पैदावार वाली किस्मों के लिए रखे गए हैं। खासी और जैन्तिया के पहाड़ी जिलों में फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं और वागवानी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

वन और वन-उत्पाद राज्य के मुख्य साधन हैं। औद्योगिक और व्यापारिक उपयोग के पीछे बड़े पैमाने पर रोपे जा रहे हैं।

उद्योग

राज्य में खनिज तथा वनों पर आधारित अनेक उद्योगों का विकास हो रहा है। एक प्लाईवुड तथा शराब का कारखाना पहले ही स्थापित किया जा चुका है। चैरापूंजी के सीमेंट कारखाने में प्रतिदिन 930 टन पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन होता है।

खासी, जैन्तिया तथा गारो पहाड़ी जिलों में पाये जाने वाले खनिज हैं: सिली-मैनाइट, चूना-पत्थर, डोलोमाइट, अग्निसह मिट्टी, फैंसपार, स्फटिक तथा रेतीली मिट्टी। देश के कुल सिलीमैनाइट उत्पादन का 95 प्रतिशत पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले में होता है। गारो पहाड़ी जिले में कोयला, चूना-पत्थर, अग्निसह मिट्टी और हल्के रंग के रेतीले पत्थरों के भण्डार हैं। राज्य में लगभग 12,000 लाख टन कोयला और 21,000 लाख टन चूने के पत्थर के भण्डार होने का अनुमान है।

सिंचाई और विजली

इस समय चार पनविजली परियोजनाएं हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 125.2 मेगावाट है। इसके अलावा शिलंग में 1.5 मेगावाट क्षमता वाला एक लघु पनविजली केन्द्र है।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र

चैरापूंजी, मवस्मई गांव के निकट मवस्मई प्रपात, जकरेम का गर्म चश्मा, रानीकोर में मछली पकड़ने का स्थान और उमियम झील यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में से हैं।

सरकार

राज्यपाल : भीष्म नारायण सिंह

मुख्यमंत्री : कैप्टन डब्ल्यू ए० संगमा

विधान सभा अध्यक्ष : ई० के० मैलांग

उच्च न्यायालय मेघालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है ।

मुख्य सचिव : जे० एम० जाला

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. पूर्वी खासी पहाड़ियां	5,196	5,11,414	टिनच
2. पश्चिमी खासी पहाड़ियां	5,247	1,61,576	नौगल्दोइन
3. पूर्वी गारो पहाड़ियां	2,603	1,36,550	विलियम नगर
4. पश्चिमी गारो पहाड़ियां	5,564	3,69,877	दुप
5. जैन्तिया पहाड़ियां	3,819	1,56,402	जोराई

### राजस्थान

क्षेत्रफल : 3,42,239 वर्ग कि०मी० जनसंख्या : 3,42,61,862

राजधानी : जयपुर

मुख्य भाषाएं : हिन्दी और राजस्थानी

कृषि

1983-84 के दौरान राजस्थान में कुल 40.14 लाख हेक्टेयर भूमि की निचाई संभव हो सकी थी और अनुमान है कि 1984-85 में 42 लाख हेक्टेयर भूमि की निचाई हो सकी है। 1983-84 में 188.78 लाख हेक्टेयर भूमि कृषिगत थी जबकि 1984-85 में 163.81 लाख हेक्टेयर भूमि कृषिगत होने की सम्भावना थी। राज्य में कृषि उत्पादन मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। मुख्य फसलें हैं—ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गेहूँ, तिलहन, कपास, गन्ना और तम्बाकू। खाद्यान्न उत्पादन 1985-86 में 100.76 लाख टन हो गया।

उद्योग

महत्वपूर्ण उद्योगों में मूनी बस्त्र, खुरदरा तथा ऊनी माल, चीनी, सीमेंट, शीशा, सोडियम संयंत्र, आन्तरीजन तथा एसिटिलिन इकाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ,

जिक प्रगालक, उर्वरक, रेल के डिब्बे, वॉल वियरिंग्स, पानी तथा बिजली के मीटर, गंधक का अम्ल, टेलीविजन सेट, संश्लेषित रेशे, अप्रक की कुचालक ईटें, अरणजी का तैयार सामान, पालिश तथा दोबारा पालिश किए हुए पत्थर, स्पिरिट तथा शराब आदि हैं।

अन्य उद्योगों में कास्टिक सोडा, केलिशियम कार्बाइड, नायलोन तथा टायर धागे और तांबा समेल्डिंग (गलाना) शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार के प्रमुख उद्यमों में कोटा स्थित प्रिंसीजन इन्स्ट्रुमेन्ट फैक्ट्री है। 1986 में 8,233 पंजीकृत फैक्ट्रीयां थीं।

देश का जिक कंसन्ट्रेट, एमरेल्ड (मरकत) तथा गार्नेट का समस्त उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में जिप्सम का 94 प्रतिशत, चांदी खनिज का 76 प्रतिशत, एस्बेस्टस का 84 प्रतिशत और फ़ैलस्वार का 68 प्रतिशत तथा अप्रक का 12 प्रतिशत राजस्थान में मिलता है। सांभर तथा अन्य स्थानों पर नमक के विशाल मंडार हैं। दरीवा तथा खेतड़ी में ताँबे की खाने हैं।

हस्तशिल्प में संगमरमर की वस्तुएं, ऊनो गलोचे, आभूषण, कसीदाकारी चमड़े का सामान, वर्तनों व ताँबे पर पच्चीकारी मुख्य हैं।

**सिंचाई व बिजली** 1947 से जो मुख्य सिंचाई योजनाएं लागू की गईं, उनमें से कोटा वैराज और राणा प्रताप सागर (दोनों मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त उद्यम हैं) के पूरा होने पर राजस्थान-नहर जिसका नया नाम इन्दिरा गांधी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी नहर होगी। विभिन्न छोटी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य को भाखड़ा नंगल योजना, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर तथा व्यास परियोजनाओं से भी लाभ होता है।

राजस्थान में कुल वर्तमान स्थापित विद्युत क्षमता 1803.16 मेगावाट है। राज्य की सारी पन बिजली क्षमता अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से प्राप्त है। परमाणु शक्ति परियोजना में उत्पादन शुरू किया जा रहा है। 1951 में राजस्थान में केवल 43 नगरों एवं गांवों में बिजली थी जबकि मार्च 1986 तक यह संख्या बढ़कर 21,409 हो गई। मार्च 1986 तक सिंचाई के लिए 2,89,574 नलकूपों को बिजली दी गई है।

**सरकार** राज्यपाल : वसन्तराव वन्धुजी पाटिल

मुख्यमंत्री : हरिदेव जोशी

**विधान सभा** अध्यक्ष : गिराज प्रसाद तिवारी

**राज्य न्यायालय** मुख्य न्यायाधीश : जे० एस० वर्मा

मुख्य सचिव : वी० वी० एल० माथर

क्षेत्रफल, जनसंख्या  
और जिलों के  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि० मी०)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. भजमेर	8,431	14,40,306	भजमेर
2. भलवर	8,380	7,71,173	भलवर
3. बासवाड़ा	5,037	8,86,600	बासवाड़ा
4. बाड़मेर	28,387	11,18,802	बाड़मेर
5. भरतपुर	5,084	12,90,073	भरतपुर
6. भीलवाड़ा	10,455	13,10,379	भीलवाड़ा
7. बीकानेर	27,244	8,48,749	बीकानेर
8. बूंदी	5,550	5,86,982	बूंदी
9. चित्तौड़गढ़	10,856	12,32,494	पिल्लौरगढ़
10. चुरू	16,830	11,79,466	चुरू
11. धौलपुर	3,009	5,85,059	धौलपुर
12. झुंजरपुर	3,770	6,82,845	झुंजरपुर
13. गंगानगर	20,634	20,20,968	गंगानगर
14. जयपुर	14,068	34,20,574	जयपुर
15. जैसलमेर	38,401	2,43,082	जैसलमेर
16. जैलौर	10,640	9,03,073	जैलौर
17. झालावाड़	6,219	7,84,998	झालावाड़
18. झुंझु	5,928	12,11,583	झुंझु
19. जोधपुर	22,850	16,67,791	जोधपुर
20. कोटा	12,436	15,59,784	कोटा
21. नागौर	17,718	16,28,669	नागौर
22. पाली	12,387	12,74,504	पाली
23. मवाई माधोपुर	10,527	15,35,870	मवाई माधोपुर
24. मीरठ	7,732	13,77,245	मीरठ
25. मिरोही	5,136	5,42,049	मिरोही
26. टोंक	7,194	7,83,635	टोंक
27. उदयपुर	17,279	23,56,959	उदयपुर

## सिक्किम

क्षेत्रफल : 7,096 वर्ग कि० मी०

जनसंख्या : 3,16,385

राजधानी : गंगतोक

मुख्य भाषाएं : लेप्चा, भूटिया, हिन्दी;

नेपाली तथा लिम्बू

### कृषि

राज्य की अर्थव्यवस्था मूलरूप से कृषि पर आधारित है। मक्का, चावल, गेहूं, आलू वड़ी इलायची, अदरक और संतरे राज्य की मुख्य फसलें हैं। भारत में बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अधिक क्षेत्र सिक्किम में ही है। अदरक, आलू, संतरा और गैर-मीसमी सब्जियां अन्य नकदी फसलें हैं।

चूंकि खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्र राज्य में कुल उपयोगी भूमि का केवल 10 से 12 प्रतिशत है, अतः यहां क्षेत्र के विस्तार से उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश सीमित है। इसलिए कृषि विकास में मुख्य जोर उत्पादकता और प्रति इकाई क्षेत्र से शुद्ध-आय को अधिकतम करने पर है। इस समय व्यावसायिक और बागवानी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। पुष्पोत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्नत किस्म की कृषि-सामग्री द्वारा गहन-कृषि की जा रही है।

### उद्योग

सिक्किम को पिछड़ा औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है तथा उद्योग विभाग ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कई योजनाएं शुरू की हैं।

राज्य में औद्योगिक माहौल विकसित करने की कार्य-नीति तैयार करने के लिए, 'उद्योग विहीन जिला' सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार की गयी हैं। इनमें राज्य के चार में से दो जिले आने हैं।

राज्य में लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा औद्योगिक विकास में गति लाने के उद्देश्य से एक बहुदेशीय राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास निवेश निगम की स्थापना की गई। उपभोक्ता इकाइयों के लिए सीमित और नियंत्रित औद्योगिक कच्चा माल हासिल करने का काम भी करता है।

राज्य में अनेक औद्योगिक इकाइयां विकसित हुई हैं। ये फलों का मुरब्बा; रस, बेकरी उत्पाद, वीयर, वनस्पति, माचिस, साबुन, प्लास्टिक का सामान, हाथ की घड़ियां, चमड़े का सामान, विजली के तार, कंटीले तार और औद्योगिक सामान का उत्पादन करती हैं।

इसी के साथ लकड़ी की दस्तकारी कालीन, 'थंका' पेंटिंग और लेत्चा बुनाई जैसी पारंपरिक कला और हस्तकला को सुरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन पहलुओं की देख-रेख करने के लिए एक सरकारी कुटीर उद्योग संस्थान की स्थापना की गयी है।

केन्द्रीय आवकारी और नमक कानून 1944 और उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम 1951 को इस राज्य में लागू किये जाने से यहां उद्योगों को नई दिशा मिली है।

**सिंचाई और बिजली** 1979 से राज्य में 65 नई सिंचाई योजनाएं शुरू की गईं तथा 134 योजनाओं का नवीनीकरण किया गया, जिससे 16,106 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। इसमें से 8,650 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है।

अस्थायी अनुमान के अनुसार सीता घाटी में 8000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता मौजूद है। ठोस बिजली क्षमता 3000 मेगावाट के करीब हो सकती है। रांगिट पन-बिजली परियोजना चरण-II (60 मेगावाट) की केन्द्रीय जल प्रायोग ने पड़ताल की और अब यह एन० एच० पी० सी० डाटा अपने हाथ में लिया जा रहा है। दूसरी परियोजना—उत्तरी सिक्किम में सिंगहिक के पास सीता चरण-III की भी प्रायोग ने पड़ताल की है। इसकी स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट होगी। ये परियोजनाएं राज्य के दीर्घकालीन हितों की पूर्ति करेंगी।

अल्पकालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए, राज्य बिजली विभाग करीब 20 मेगावाट की छोटी योजनाओं की जांच-पड़ताल में लगा है। इस गमय दो पन-बिजली योजनाएं—रोंगनिचु, चरण-II (2.5 मेगावाट) तथा रिम्बी चरण-III (1 मेगावाट) निर्माण के अग्रिम चरण में हैं और नई पन-बिजली योजनाएं—मायोंगु (4 मेगावाट) और अपर रोंगनिचु (8 मेगावाट) 1986-87 के बजट वर्ष से लागू की जा रही हैं।

31 मार्च 1986 तक राज्य के कुल 405 राजस्व ब्लॉक गांवों में से 224 का विद्युतीकरण किया जा चुका था।

## सरकार

26 अप्रैल 1975 से सिक्किम भारत संघ का पूर्ण सदस्य बन गया था। सितम्बर 1974 को यह भारत संघ के सहयोगी राज्य के रूप में उभरा था। 10 अप्रैल 1975 को विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर शोम्पात का पद समाप्त कर दिया तथा राज्य को पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया। 14 अप्रैल 1975 को मतदान के द्वारा सिक्किम की जनता ने इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत किया।

धान सभा	राज्यपाल	: टी० वी० राजेश्वर
	मुख्यमंत्री	: नरबहादुर भट्टाऱी
	अध्यक्ष	: नृत्तीराम शर्मा
उच्चायालय	मुख्य न्यायाधीश	: जगत चिंनोर मोहंती
	मुख्य सचिव	: के० एन० एन० छात्रङ्गा



जिल्ला, जनसंख्या जिल्लों के मालय	जिल्ला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. पूर्वी जिल्ला		954	1,38,762	गंगतोका
2. उत्तर जिल्ला		4,226	26,455	मंगन
3. दक्षिण जिल्ला		750	75,976	नामची
4. पश्चिम जिल्ला		1,166	75,192	म्यालसिंग

## हरियाणा

क्षेत्रफल : 44,212 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 1,29,22,618

राजधानी : चण्डीगढ़

मुख्य भाषा : हिन्दी

राज्य के निर्माण के समय तैयार किए गए मूल ढाँचे के कारण इसका कृषि उत्पादन लगातार बढ़ता ही जा रहा है।

घाघरा के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। 1966 में उत्पादन 25.92 लाख टन था जो 1985-86 में करीब 81.46 लाख टन तक पहुँच गया। चावल का उत्पादन सात गुना बढ़ा है। गेहूँ के उत्पादन में पाँच गुना और आलू के उत्पादन में चार गुना वृद्धि हुई है; जबकि कपास का उत्पादन छह गुना बढ़ा है। आज 25.35 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरे की अधिक उपजाऊ फसलें होती हैं। 1966-67 के दौरान ऐसा क्षेत्र केवल 0.17 लाख हेक्टेयर था। उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत, 1966-67 के दौरान मात्र 2.90 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 1985-86 में 65.87 किलो प्रति हेक्टेयर हो गयी। इस तरह उर्वरकों की खपत में 20 गुना वृद्धि हुई है।

आमाजिक बनीकरण योजना से अनुष्णल खेतिहार मजदूरों को उनके दरवाजे पर ही 17 लाख कार्य दिवसों के बराबर 'सीजनल' रोजगार के अवसर पैदा होने की आशा है। 'हर बच्चे के लिए एक वृक्ष' कार्यक्रम को जोर-शोर से लागू किया जा रहा है। हाल ही के वर्षों में राज्य ने अपनी उपलब्धियों में भारी वृद्धि की है। 1980-81 में 1.59 करोड़ की तुलना में 1981-82 में 6 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरा किया और 1985-86 के दौरान राज्य ने 9.43 करोड़ का लक्ष्य पूरा किया और 1986-87 के लिए 7.25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**उद्योग**

हरियाणा के प्रमुख उद्योग हैं : सीमेंट, खोनी, कागज, सूती कपड़ा, चाब का सामान, पीतल की वस्तुएँ, साइकिल, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, टेलीविजन सेट, स्टील ट्यूब, हेण्ड-टूल्स, कपास धागा, रेफीजरेटर, बनस्पति घी, भूतलमं पड़ियों, मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब, सफाई के सामान और क्रिस्टल के जूते आदि । पिजोर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की एक फैक्ट्री है जो ट्रैक्टर बनाती है ।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड पंचकुला में 21 करोड़ रुपये की दूरसंचार परियोजना लगाने जा रहा है । करलान के निकट 1300 करोड़ रुपये पूंजी निवेश का तेलनोधक कार्यक्रम तैयार हो रहा है । गुडगांव में भारतीय उद्योग लिमिटेड पहले ही 'भारति मुजूकी' कार और वैन बाजार में ला चुका है । कुल मिलाकर इन नमय हरियाणा में 65,336 छोटी औद्योगिक इकाइया तथा 358 बड़े और मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयां हैं ।

**सिंचाई और बिजली**

हरियाणा सतलुज और व्यास नदियों पर बनी बहुमुखी परियोजनाओं में पंजाब तथा राजस्थान के साथ मिलकर लाभ उठाता है । राज्य की बड़ी सिंचाई योजनाएँ हैं—पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली तथा गुडगांव नहर । राज्य में पानी को निचली सतह से ऊपर तथा शुष्क इलाकों पर चढ़ाना पड़ता है । यह एक नया सांस्कृतिक प्रयास है जिसने भारत में पहली बार लिफ्ट सिंचाई को वास्तविक रूप दिया । राज्य ने सद्दाक और सिरानी लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ पूरी कर ली हैं । जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई योजना, जो अनेक प्रकार की समये बड़ी योजना है, भी पूरी हो जाएगी । इनमें 2,85,000 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी । हरियाणा के बाराली भूमि के माणिक मजलुज-बनना मन्सरे नहर के द्वारा रावी-शाम नदियों के पानी को उन्नतता में प्रतीता कर रहे हैं ।

शुष्क भूमि की सिंचाई के लिए, 139 छोटे जलानवी का पना लगाया गया है जो पानी जमा करने के ढांचे के निर्माण में बहने पानी का भंडारण करेंगे । 56 जलमयरो का निर्माण पूरा हो चुका है और अन्य 38 का निर्माण-कार्य प्रगति पर है ।

हरियाणा में सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है । 6062 हरिजन वस्तियों में स्ट्रीट लाइट के अलावा हरिजनों के घरों में बिजली के परेलु कनेक्शन भी दिये गये हैं । हरिजनों के घरों में 50,000 से अधिक बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं ।

बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था का कार्य गुना फैलाव हुआ है । बिजली की खपत जो 1966 में प्रतिदिन 17 लाख यूनिट थी, अब बढ़कर 187 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गई है । 1985-86 बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 343 मेगावाट से बढ़कर 1,572 मेगावाट हो गयी है ।

हृदयपूर्ण पर्यटन  
केन्द्र

राजहंस, बड़वल झील, सूरजकुंड, देवचिक, सुल्तानपुर, बरबेट, सोहना और पिंजौर  
यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं। हरियाणा में 30 पर्यटन कॉम्प्लेक्स हैं।

सरकार

राज्यपाल : एस० एम० एन० धर्नी

मुख्यमंत्री : बंसी लाल

संघान सभा

सदस्य : तारा सिंह

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : हृदय नाथ सेठ

मुख्य सचिव : पी०वी० केपरीहन

जिलों का क्षेत्रफल  
जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4
1. भग्नाला	3,832	14,09,463	भग्नाला
2. भिवानी	5,099	9,20,052	भिवानी
3. फरीदाबाद	2,150	10,00,859	फरीदाबाद
4. गुड़गांव	2,716	8,49,598	गुड़गांव
5. हिसार	6,315	14,96,534	हिसार
6. जींद	3,306	9,38,074	जींद
7. करनाल	3,721	13,22,826	करनाल
8. मुरझोत	3,740	11,30,026	मुरझोत
9. गढ़वाड़	3,010	9,59,400	नारनौल
10. रोहतक	3,841	13,41,953	रोहतक
11. सिरसा	4,276	7,07,068	सिरसा
12. सोनीपत	2,206	8,46,765	सोनीपत

## हिमाचल प्रदेश

क्षेत्रफल : 55,673 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 42,80,818

राजधानी : शिमला

मुख्य भाषाएँ : हिन्दी और पहाड़ी

### कृषि

कृषि और बागवानी हिमाचल प्रदेश की सर्वप्रथमता के मुख्य आधार हैं। यहाँ की जनसंख्या के करीब 76 प्रतिशत लोग इन व्यवसायों में हैं। बीए जाने वाले क्षेत्र का केवल 15.90 प्रतिशत ही सिंचित है। यहाँ की जनमानु में विविधता है। इसलिए यहाँ की जलवायु भिन्न-भिन्न प्रकार के फलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। मेव के अतिरिक्त यहाँ पर आलू,बूंदारे, बाड़ू और घुनानी पैदा होते हैं। यहाँ की जलवायु नरमरी फसलों जैसे बीज, जालू, अदरक और शाक-सब्जी के बीज के लिए भी उपयुक्त है। नई फसलों जैसे हान, जैतून, अंजूर और मराहम के विकास पर जोर दिया जा रहा है। गेहूँ, मक्का और चावल यहाँ की मुख्य फसलें हैं।

राज्य के कुल क्षेत्र के 38.6 प्रतिशत भाग में वन हैं। वनों से मुख्यतः इमारती लकड़ी, ईंधन को लकड़ी, गोंद और विरोजा प्राप्त होते हैं।

### उद्योग

प्राकृतिक साधन, कम दाम पर बिजली और धम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण राज्य औद्योगीकरण की ओर धीरे-धीरे दृष्टता से बढ़ रहा है। 1985 के अन्त तक पंजीकृत लघु उद्योग-धन्धों की संख्या 1,4754 थी।

प्रमुख उद्योगों में हैं—पार्वजनिक क्षेत्र में नाहन इलाई कारखाना, साहन और विलासपुर में विरोजा और तारपीन कारखाने तथा निजी क्षेत्र में सोहन में शराब का कारखाना। सरकारी क्षेत्र के कारखाने हिमालय उर्वरक लिमिटेड ने एन० पी० के० सन्तुलित धानेदार उर्वरकों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सोहन के एक टेलीविजन शैलर करने वाले कारखाने ने राज्य में व्यापारिक स्तर पर टेलीविजन सेटों का निर्माण शुरू कर दिया है। सीमेंट निगम एक सीमेंट संयंत्र चला रहा है। एशिया के सबसे बड़े छाद्य परीक्षण संयंत्रों में से एक परचानु में है। शिमला के पास शोंगी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लैक्स शुरू किया जा रहा है।

लघु उद्योग क्षेत्र में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों, पड़ी के पुजों, विरिस्ता और उद्योग के लिए थर्मामीटरों, गर्म करने के उपकरणों और अस्त्रताओं के उपकरणों आदि का उत्पादन हो रहा है।

ग्रामीण उद्योगों में भेड़-पालन, लकड़ी पर नरहानों और गुहारपिरी, कतारें, धुनाई, चमड़ा बनाना, मिट्टी के बर्तन और बंस की बस्तुएँ उत्पत्तीय हैं।

बरोटीवाला, नगरोटा, मेहतपुर, पीसा सख्त, पितासपुर, रामशी, सोहन, परवानू और पैमो में औद्योगिक क्षेत्र तथा सोहन, धरमपुर, कांगडा, जवाली, और मेहतपुर में औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गई हैं।

सैंधा नमक, स्लैट, खड़िया मिट्टी, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट्स और वैराइट्स आदि राज्य के महत्वपूर्ण खनिज हैं।

संचाई और  
विजली

विजली परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना गिरि पनविजली परियोजना कार्य कर रही है। अन्य विजली परियोजनाएं जिन पर कार्य हो रहा है, इस प्रकार हैं:—लाहौल और स्पोंति जिले में रौंगटोंग पनविजली योजना, मंडी जिले में वस्ती परिवर्द्धन परियोजना, किन्नौर जिले में संजय (भाभा) पनविजली परियोजना; शिमला जिले में आंध्र पनविजली परियोजना व नाथपा झाकरी परियोजना। कांगड़ा जिले में विनवा पनविजली परियोजना अगस्त 1984 में शुरू की गई।

मार्च 1986 तक लगभग 15,015 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था।

महत्वपूर्ण पर्यटन  
केन्द्र

परवान, शिमला, चायल, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थल हैं।

सरकार

राज्यपाल : वाइस एडमिरल आर० के० एस० गांधी

मुख्यमंत्री : वीरभद्र सिंह

विधान सभा

अध्यक्ष : श्रीमती विद्या स्टोक्स

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : पी० डी० देसाई

मुख्य सचिव : पी० के० मट्टू

जिलों का क्षेत्रफल,  
जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. विलासपुर	1,167	2,47,368	विलासपुर
2. चम्बा	6,528	3,11,147	चम्बा
3. हमीरपुर	1,118	3,17,751	हमीरपुर
4. कांगड़ा	5,739	9,90,758	धर्मशाला
5. किन्नौर	6,401	59,547	कालपा
6. कुल्लू	5,503	2,38,734	कुल्लू
7. लाहौल और स्पोंति	13,835	32,100	केलौंग
8. मण्डी	3,950	6,44,827	मण्डी
9. शिमला	5,131	5,10,932	शिमला
10. तिरमौर	2,825	3,06,952	नाहन
11. सोलन	1,936	3,03,280	सोलन
12. ऊना	1,540	3,17,422	ऊना

## अन्दमान व निकोबार द्वीपसमूह

क्षेत्रफल : 8,249 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 1,88,741
राजधानी : पोर्ट ब्लेयर	मुख्य भाषाएं : बंगला, हिन्दी, निकोबारी, तमिल, मलयालम और तेलुगु

### कृषि

अन्दमान द्वीपसमूह की मुख्य छायात्र फसल धान है जबकि नारियल और सुपारी, निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख नवदी फसलें हैं। इनके अतिरिक्त इन द्वीपों में मसाला, रूब लायल पाम (यजूर), फल एवं सब्जियों आदि की खेती भी की जाती है। द्वीपसमूह की जलवायु मसाले, यजूर तथा रूब के लिए अनुकूल है।

इसके कुल क्षेत्र में 7,130 वर्ग किलोमीटर भाग में वन फैले हुए हैं। यहाँ सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें विनाल सदाबहार वृक्ष, गिरिशिखर पर होने वाले सदाबहार वृक्ष, नमी सोखने वाले वृक्ष तथा तटवर्ती भोर तराई के जंगलात शामिल हैं। अन्दमान द्वीप समूह में विभिन्न प्रकार की लकड़ी पाई जाती है। सबसे बहुमूल्य लकड़ियों पांडाक तथा गुरजन की हैं। ये निकोबार में नहीं मिलती।

द्वीप के चारों ओर फैले पानी में मछलियाँ बहुत अधिक हैं। देश के मुख्य भाग की तरह द्वीप पर पारम्परिक मछुमारा जाति नहीं है। मछुमाराँ की विभिन्न द्वीपों में बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

### उद्योग

राज्य में लघु उद्योग और हस्तशिल्प औद्योगिक इकाइयों की संख्या 373 है। चाय ही कुछ बड़े स्तर के औद्योगिक एकाई की स्थापना भी हुई है। बड़े उद्योग एकक काष्ठ की सुविधा के आधार पर पोर्टब्लेयर में हाथों और चादन, दक्षिण अन्दमान में बम्बोपलेट तथा मध्य अन्दमान में बाबुताला और लाग द्वीप पर स्थापित किए गए हैं।

बड़े उद्योगों के उत्पादनों में इमारती लकड़ी, व्यापारिक प्लाईवुड तथा दिवाकलाई की तीलियाँ और दिबिया के लिए लकड़ी शामिल है। लघु उद्योग और हस्तशिल्प एकक सीपी-शिल, कर्नाचर बनाना, बेवरी उत्पादन, चावल मिल, गेहूँ दलना, तिलहन के कोरु चलाना आदि उद्योगों में शमे हुए हैं। राज्य में 9 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो क्षेत्रीय शिल्पियों तथा मादिकाशियों को बत और बांस का काम, काष्ठशिल्प, सीपी-शिल्प और दर्जी शिल्प जैसे उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनमें से अधिकांश केन्द्र प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादन भी करते हैं।

## सिंचाई और विजली

चूँकि द्वीप में किसी प्राकृतिक नदी का अभाव है, इसलिए द्वीप समूह में बड़ी परियोजनाएं सम्भव नहीं हैं। छोटी योजनाएं—जैसे वर्षा का पानी इकट्ठा करना तथा भूमिगत पानी के बेहतर उपयोग सम्बन्धी योजनाएं शुरू की जा रही हैं।

द्वीप में 15 विजलीघर हैं। फोनिक्स के पावर हाउस, पोर्ट ब्लेयर तथा इसके निकटवर्ती इलाकों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं। जनवरी 1986 तक कुल 390 गांवों में से 252 गांवों में विजली पहुंचाई जा चुकी थी।

## संचार

द्वीपों पर आवागमन दो तरीकों—वायु व जल-मार्ग से होता है। कलकत्ता तथा मद्रास से पोर्ट ब्लेयर के लिए सप्ताह में तीन बार इण्डियन एयरलाइन्स सेवा चलती है। चार समुद्री जहाज पोर्ट ब्लेयर व कलकत्ता/मद्रास/विशाखापत्तनम के बीच प्रथम दो बंदरगाहों से 10 दिन में एक बार तथा विशाखापत्तनम से तीन माह में एक बार आते-जाते रहते हैं। समुद्र तथा जहाज विभाग के पास अन्तःद्वीप यातायात की आवश्यकताओं को संभालने के लिए समुन्नत वेड़ा है।

## मुख्य पर्यटन स्थल

सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक, एन्थ्रोपोलोजिकल एंड मैरीन म्यूजियम, चैथम साँ मिल, कारवाइन्स कोव बीच, चिक आईलैंड, रोस आईलैंड, वन्दूर, चिदया टापू, मधुवन और माउन्ट हैरियट आदि यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं।

## प्रशासन

अन्दमान और निकोबार बड़े ही सुरम्य द्वीपों का समूह है जिसमें छोटे और बड़े, वसे हुए तथा वीरान द्वीप-समूह शामिल हैं। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित हैं। इन द्वीपों में दो पृथक द्वीप-समूह हैं जिनके नाम हैं : अन्दमान द्वीप-समूह और निकोबार द्वीप-समूह। इस केन्द्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की दूरी समुद्री मार्ग द्वारा कलकत्ता से 1,255 कि० मी० तथा मद्रास से 1,195 कि० मी० है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह को 1 नवम्बर 1956 को केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। प्रदेश का प्रशासन कार्य राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। 1982 से स्थानीय प्रशासन कार्य उप-राज्यपाल देखते हैं।

यहां की अधिकांश जनसंख्या देश के मुख्य भाग से आकर यहां पर बसने वालों की है। वे अपने-अपने धर्म तथा भाषा को ही अपनाये हुए हैं। हालांकि प्रवासी अपनी-अपनी भाषा ही बोलते हैं, किन्तु हिन्दी अधिक बोली जाती है।

1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या 22,361 है। इन द्वीपों में ये जनजातियां पाई जाती हैं—अन्दमान जिले में अन्दमानी, ओजिस, जारवास तथा सनतिनलज तथा निकोबार जिले में निकोवारी तथा शेम्पेन्स। अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम के तहत जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश-निषेध है तथा प्रशासन से लाइसेंस लिए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति द्वीप के जनजाति क्षेत्रों में किसी प्रकार का व्यापार या उद्योग नहीं चला सकता।

सरकार

उप-राज्यपाल : लेफ्टि० जनरल टी० एम० घोड़ेराय (अनुराग प्रसाद)

उच्च न्यायालय

अंदाजित और निकोबार द्वीपसमूह कस्तूरता उच्च न्यायालय के अधिनियम क्षेत्र में आता है।

मुख्य सचिव : एस० आर० शर्मा

जिलों का क्षेत्रफल  
जनसंख्या और  
मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. अंदाजित	6,408	1,58,287	श्री श्री और
2. निकोबार	1,841	30,454	कार निकोबार

### अरुणाचल प्रदेश<sup>1</sup>

क्षेत्रफल : 83,743 वर्ग किलोमीटर<sup>2</sup>

जनसंख्या : 6,31,839

राजधानी : इटानगर

मुख्य भाषाएं : मोरम, बोडो, कचन-  
थरबुक्ने, बोरो, नेवो  
मगारकी, कश्मिरी, हिमाचली,  
फदिये, जोंग, जन्म, जों-  
नियरॉन, इन्, निजिनो,  
कान्गुति, लेंके, कान्गु  
और वनके।

कृषि

केवल छः नगरों को छोड़कर समूचा क्षेत्र शान्ति है, बहरा इनकी 94 प्रतिशत  
भावादी 3,257 गांवों में निवास करती है, जिनमें 48 खंडों में अनुसूचित किये गए हैं।  
लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है जो व्यापक रूप से वनसुक्ष्म पहाड़ियों और कश्मिरी  
में वर्षा वाले ढलानों पर काटने और जलाने का तरीका अपनाते हुए खेती का प्रकार  
बदलते रहते हैं, इसे 'सूम' कहते हैं।

कुल जनसंख्या के 35.33 प्रतिशत लोग कृषक हैं जो निम्नलिखित धान  
गतिविधियों में लगे कुल कर्मचारियों का 72.29 प्रतिशत हैं।

1984 में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 4 प्रतिशत भाग को कृषि के  
अन्तर्गत लाया गया। कुल भूमि के 62 प्रतिशत भाग में वन हैं हुए हैं। 1984  
में कुल 136110 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई। इसमें से 77 प्रतिशत क्षेत्र  
में सूम खेती तथा शेष क्षेत्र में चावल तथा तीलीदार धान की खेती की गई।

1. 11 फरवरी 1987 को जारी किए गए आणखण्ड राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 से पूर्ण राज्य बन गया।
2. क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े आभासी हैं।



धान मुख्य फसल है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें मक्का, मोटे अनाज, गेहूँ, जौ, दालें, सरसों, आलू, गन्ना, अदरक, मिर्च, कपास, सोयाबीन, सट्टियाँ आदि हैं।

अरुणाचल प्रदेश में 1000 से भी अधिक फलों के वागान हैं जहाँ अन्नास, संतरा, नींबू, लीची, पपीता, केले, अमरूद तथा कटिवन्धीय फल जैसे सेब, बेर, नाशपाती, आड़ू, चेरी, जैतून, वादाम आदि उगाये जाते हैं।

पासीघाटी में, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र तथा कृषक प्रशिक्षण केन्द्र दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो युवकों तथा कृषकों को क्रमशः ग्रामीण विकास तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि का प्रशिक्षण देते हैं।

उद्योग

जंगलात, खनिज एवं जलविद्युत संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। तिरप जिले में नामचिक-नामफुक स्थान पर कोयले के भण्डार हैं, जिसमें लगभग 850 लाख टन कोयला सुरक्षित है। अनुमान है कि कच्चे तेल के 15 लाख टन के भण्डार हैं। वेस्टकॉमिंग जिले के रूपा में डोलोमाइट के विशाल भण्डार हैं। लोहित जिले के टिडिंग में चूना-पत्थर के 910 लाख टन के सुरक्षित भंडार होने का अनुमान है। चूना पत्थर डिवांग घाटी जिले में हुनली तथा अपर सुवानसीरी जिले में मेन्ना में भी मिलता है। इनके अतिरिक्त ग्रेफाइट, क्वार्ट्जाइट, अभ्रक, लोहा और ताँबे की खानें मिलने के भी समाचार मिले हैं।

दो महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग हैं—बुनाई तथा टोकरियां बनाना। 1985 में लघु-उद्योगों की संख्या 1426 थी जिसमें लकड़ी काटने के आरे, धान तथा तेल की मिलें, फल परिरक्षण, साबुन तथा मोमवस्तियां बनाने की इकाइयां, इस्पात संरचना, लकड़ी का काम आदि शामिल हैं। 15 मध्यम दर्जे के उद्योग वनों पर निर्भर हैं, जो कलई, चाय की पेटियां, प्लाईवोर्ड आदि का उत्पादन करते हैं। इनके अतिरिक्त 25 रेगम उद्योग के केन्द्र हैं।

बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ औद्योगिक आधार बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योग हैं—पासीघाट में छत की हल्की चादरें बनाने का कारखाना; वेस्ट सिवांग जिले के निगमोई में एक फल परिरक्षण संयंत्र और तेजु में एक लघु सीमेंट संयंत्र।

रोइंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा शिल्प एवं बुनाई के 64 केन्द्र हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के शिल्पों तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इटानगर, पासीघाट तथा दियोमाली में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की गई है।

इटानगर में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और टेक्नोलाजी संस्थान ने भी काम करना शुरू कर दिया है।

सिंचाई और  
बिजली

पहाड़ों की ढलान पर स्थान परिवर्तन की भूमि खेती की जाती है जो वर्षा पर निर्भर है। पहाड़ों की तलहटी और नदी घाटी वाले क्षेत्रों में मीडियुमा और चावल की खेती वाली भूमि को सिंचाई धामतीर पर नालियां बनाकर और उन धाराओं को मोड़कर की जाती है।

छोटी जॉतों की सिंचाई के लिए पम्पसैटो का प्रयोग भी किया जाता है। मार्च 1985 तक 357 लघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं 1985 में कृषिगत कुल मिचित क्षेत्र 68340 हेक्टेयर था।

इस केन्द्र शासित प्रदेश की पनबिजली क्षमता को बिजली उत्पादन के लिए अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है। मार्च 1985 तक स्थापित माइनों और छोटेपन बिजलीघरों की संख्या 22 थी, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 12,410 किलो-वाट थी। डीजल से बिजली पैदा करने वाले सेटो से भी प्रांशिक रूप से बिजली को जरूरत पूरी की जा रही है। 1985 में 22,400 किलोवाट बिजली माइनों पन-बिजलीघरों तथा 3,410 किलोवाट डीजल सेटो में पैदा की गईं। मार्च 1985 तक 827 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई।

महत्वपूर्ण पर्यटन  
स्थल

पर्यटकों को दिलचस्पी के स्थान हैं: बोमडिला, त्वांग तथा इनके निकट प्रसिद्ध बौद्ध मठ, इटानगर तथा इटा दुगं के ऐतिहासिक खंडहर, पुरातत्वीय महत्व के दो मूल्य स्थल मालिनियन तथा भीष्मरनगर, तीर्थस्थल परमुराम कुंड और तिरप जिले का नम्दाफा अभयारण्य।

सरकार

राज्यपाल : शिव स्वरूप

मुख्यमंत्री : गेगोंग अर्पांग

बिधानसभा

अध्यक्ष : टी० एल० राजकुमार

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : पी० सी० रेड्डी

उच्च न्यायालय

अस्थापन प्रदेश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

मुख्य सचिव : एस० सी० रैश्य

जिलों का क्षेत्रफल,  
जनसंख्या और  
महपालय

जिला		क्षेत्रफल <sup>1</sup> (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1	2	3	4	5
1.	दिवंगवैलो	13,029	30,978	अर्नीनी
2.	ईस्ट कामेंग	4,131	42,736	सैम्पा
3.	ईस्ट सियांग	6,512	70,451	पासीघाट

1	2	3	4	5
4.	लोहित	11,402	69,498	तिजु
5.	लोथर सुवनसिरी	13,010	1,12,650	जिरो
6.	तिरप	7,024	1,28,650	खोंसा
7.	अपर सुवनसिरी	7,032	39,410	दपोरिजी
8.	वेस्ट कार्मेग	9,594	41,567	बोमडिला
9.	त्वांग		21,735	त्वांग
10.	वेस्ट सियांग	12,006	74,164	आलोंग

## गोवा, दमन और दीव

क्षेत्रफल : 3,814 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 10,86,730

राजधानी : पणजी

मुख्य भाषाएं : कोंकणी, मराठी  
तथा गुजराती

कृषि

सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि का लगभग 8.53 प्रतिशत है। यहां की मुख्य फसल चावल है। दालें, रागी तथा अन्य खाद्य फसलें भी पैदा होती हैं। नारियल, गन्ना, काजू, सुपारी, अन्नानास, आम और केला यहां की मुख्य नकदी फसलें हैं। कुल क्षेत्र के 28.4 प्रतिशत भाग में वन हैं।

उद्योग

मार्च 1986 तक पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या 3513 थी जिसमें 23611 कर्मचारी थे और इनमें लगभग 45.24 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। इनमें बर्कशाप, बेकरियां, मुद्रणालय, लकड़ी चिराई मिलें, टायर रिट्रीडिंग एकक, फलों और मछलियों की डिब्बाबन्दी, काजू तैयार करना, मोजेक (पन्चीकारी युक्त) टाइलें, साबुन, फर्नीचर, टाइपराइटरों के रिबन, कार्बन कागज, मोटर गाड़ियों की बैट्रियां, एकराइलिक चादरें, पोलिथीन के थैले, सोडियम सिलीकेट, मछली पकड़ने के जाल, जिप फास्तर, स्टोव की बत्तियां, जूते, ऐनकों के फ्रेम, रसायन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, चावल और आटा मिलें, दवाइयां, घड़ियों और टी० वी० सेटों का संयोजन आदि शामिल हैं।

1. क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े अस्थायी हैं।

2. 30 मई 1987 से गोवा पूर्ण राज्य बन गया लेकिन दमन और दीव केन्द्र शासित प्रदेश ही रहेंगे।

यहाँ पाए जाने वाले खनिजों में खनिज सोडा, मैग्नीज, फ़ेरो मैग्नीज, बारिताइट और सेलेनडी व सेलेनडीयुक्त रेत शामिल हैं। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में धान उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है।

**सिंचाई और बिजली**

यहाँ तट्टु सिंचाई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे लिपट सिंचाई योजनाएँ, प्रहार, तासाव आदि। 1985-86 में इससे 1,35,21 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई।

कुछ बड़ी व मझोती सिंचाई योजनाएं हैं—सलंसी, तिलारी, दमन तथा मजुना और माण्डोवी। कुल 412 गांवों में से 395 गांवों को मार्च 1986 तक बिजली पहुंचायी जा चुकी है।

**मुख्य पर्यटन स्थल**

पर्यटन के मुख्य आकर्षण हैं—कोल्वा, कोलनगुट, चागाटोर, हरमल, मंगुना तथा भीरमार सागर तट, वेल्सिल्का आफ वाम जीसस और केपेटुल चर्च, बवेतम, मरदास, धार्मिक स्थल, मंगुशी तथा बनडोरा, भगुदा, तेरेघस, चपोरा तथा बामो-डी-रामा किला; दूधसागर व हरवेलम प्रपात और मयेम झील इत्यादि।

**सरकार**

उप-राज्यपाल : डा० गोपाल सिंह

मुख्यमंत्री : प्रतापसिंह रावजी राणे

**बिधान सभा**

अध्यक्ष : डी० जी० नारवेकर

**उच्च न्यायालय**

एक नई जिला प्रदासत दक्षिण गोवा में बनाई गई है। बम्बई उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ गोवा में पणजी में स्थापित की गई है।

मुख्य सचिव : पी० पी० श्रीवास्तव

**जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा मुख्यालय**

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. दमन	72	48,560	दमन
2. दीव	40	30,421	दीव
3. गोवा	3,702	10,07,749	पणजी

### चण्डीगढ़

क्षेत्रफल : 114 वर्ग किलोमीटर	जनसंख्या : 4,51,610
राजधानी : चण्डीगढ़	मुख्य भाषाएँ . हिन्दी और पंजाबी

**कृषि**

इस समय खेती योग्य कुल 3047 हेक्टेयर भूमि है जिसमें लगभग 2,740 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। मुख्य फसलें हैं—गेहूँ, मक्का और जौ।

कुल भौगोलिक क्षेत्र के 27 प्रतिशत भाग में वन है।

उद्योग

बड़े और मध्यम क्षेत्र में 14 उद्योग हैं जिनमें से दो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 2000 से अधिक इकाइयां पंजीकृत की गई हैं।

बड़ी और मझौली औद्योगिक इकाइयां ऊनी वस्त्र और निर्दिष्ट मशीन की सुइयां, पेय पदार्थ, विजली के मीटर, एण्टीवायटिक्स, साईकिल के रिम और फ्रीह्वील एवं गत्ता आदि बनाती हैं। कुटीर और लघु उद्योग ये सामान बनाते हैं—इस्पात की चीजें, स्वास्थ्य और सफाई सम्बन्धी उपकरण, दरवाजों का सामान, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, छुरी कांटे, लोहे का सामान, विजली के उपकरण जैसे कपड़ा धोने की मशीन, प्लास्टिक के जूते, कपास की ओटाई के मशीनों के पुर्जे, वर्तन, पेंट और वानिश, रेडियो और ट्रांजिस्टर, मोटर वाहन के कल-पुर्जे, सिलाई मशीनों के कल-पुर्जे, टाइलें, रिपटें, कीटाणुनाशक दवाएं, घरों में उपयोग के तार, थर्मामीटर, तार निर्मित वस्तुएं, साबुन, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट पाइप और टाइलें, दाल और तेल मिलें, साईकिल ट्यूब व टायर, इलैक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच, ट्रेक्टरों के पुर्जे, नाइलोन की निवार, कपड़ा, पट्टियां, आयुर्वेदिक दवाइयां, इलेक्ट्रिक चीक, पेंच, चूना, रंगीन फोटोग्राफी, ट्रक व तीन पहियों वाले वाहनों की बाड़ी का निर्माण ब्लाक, डिजाइन, चारा काटने की मशीनें, फर्नीचर हेल्मेट, सोडियम सिलीकेट, खनन मशीनों के पुर्जे और रोडवेज आदि।

संचाई और  
विजली

भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत में से इस संघीय क्षेत्र को 3.5 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। विजली के भारी संकट के समय दो मेगावाट तक विजली उत्पादन करने का भी प्रवन्ध है।

सभी 22 गांवों में विजली पहुंच चुकी है और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था भी की जा चुकी है।

व्यं पर्यटन स्थल

मुख्य पर्यटन केन्द्र हैं—रोज गार्डन, राक गार्डन, शान्ति कुन्ज, झील; संग्रहालय तथा आर्ट गैलरी, राजधानी काम्पलेक्स, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट इत्यादि।

सरकार

प्रशासक : एस० एस० रे।

सलाहकार : के० वनर्जी।

## दादरा और नागर हवेली

क्षेत्रफल : 491 वर्ग किलोमीटर

राजधानी : सिलवासा

जनसंख्या : 1,03,676

मुख्य भाषाएं : भिली, भिलोदी,  
गुजराती तथा हिन्दी

यह प्रदेश 1954 में स्वतन्त्र हुआ था तथा 11 अगस्त 1961 को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इस प्रदेश की जमीन अलवाड़ा और तेरम का

प्रणाली पर दी गई और इसका नियंत्रण भागनाइ चाकामो धगरदीमा नामक कृषि कानून के अन्तर्गत किया जाता है। यह क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। बायीं सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन है जो त्रिलवागा से 15 कि० मी० दूर है।

1964 में इस प्रदेश का नाम सर्वेक्षण तैयार किया गया और 1965 में नये रूप से बंटवारा किया गया। इस नये सर्वेक्षण के अन्तर्गत सभी लोगों को उनकी ज़ोत पर 'घाटावाही' अधिकार दे दिये गये।

प्रदेश में 72 गांव हैं। प्रदेश के कुशल प्रशासन व विकास के लिए इन गांवों को 10 राजस्व क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश में विज्ञान शगा नहीं है।

हवि

दादरा और नागर हवेली पूर्ण रूप से ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र 4,89,580 हेक्टेयर है जिसमें से 21,600 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र है। मुख्य फसल धान (धारीक) है। नगली तथा अन्य पहाड़ी उत्पाद भी महत्वपूर्ण फसलें हैं। गन्ने की खेती को भी धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। धान, धौकू, लीची तथा सेब आदि की भी पैदावार होती है।

केन्द्र शासित प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 40 प्रतिशत भाग में वन हैं। कुल जनसंख्या के 78 प्रतिशत लोग वनों पर आश्रित हैं। जनजातीय लोगों को वन उत्पाद मुफ्त प्राप्त करने के अधिकार दिये गये हैं।

उद्योग

इस प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। फिर भी यहां 236 उद्योग हैं, जिनमें कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग तथा 16 मध्यम दर्जे के उद्योग शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादों में कपड़ा, इंजीनियरिंग, आभूषण, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, प्रीपिमा आदि शामिल हैं।

सिंचाई और बिजली

यहां कोई बड़ी या मझोली सिंचाई योजना नहीं है। किन्तु इस प्रदेश को गुजरात सरकार और गोवा, दमन और दीव की दमन-गंगा जलानाय परियोजना से सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। छोटी सिंचाई परियोजनाओं में 27 लिफ्ट सिंचाई योजनाएं, 15 चैंक बांध और 3 नलरूप और 12 घुले कुएँ हैं।

बिजली गुजरात बिजली बोर्ड में खरीदी जाती है। सभ शासित प्रदेश में शत-प्रतिशत गांवों को बिजली की सुविधा उपलब्ध है।

सरकार

प्रशासक : डा० गोपाल सिंह

उच्च न्यायालय

यह संघीय क्षेत्र बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकांश क्षेत्र में है।

दिल्ली

क्षेत्रफल : 1,483 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 62,20,406

राजधानी : दिल्ली

मुख्य भाषाएं : हिन्दी, पंजाबी और उर्दू

1983 में कृषि क्षेत्र 93 हजार हेक्टेयर से घट कर लगभग 55,000 से 65000 हेक्टेयर के बीच हो गया है। प्रमुख खाद्य फसलें हैं : गेहूं, मक्का, बाजरा तथा ज्वार। खाद्य फसलों की वजाय अन्न सब्जियों, फलों, पशुपालन तथा मूर्गी पालन के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 1982-83 में सब्जियों का उत्पादन 425 हजार टन था जो 1984-85 में बढ़कर 485 हजार टन हो गया। देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन में दिल्ली का दूसरा स्थान है।

आधुनिक नगर दिल्ली और नई दिल्ली उत्तरी भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र होनेवाली वरिष्ठ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र भी है। 1947 के बाद से दही संख्या में औद्योगिक प्रतिष्ठान कायम किए गए। इनमें रेजर प्लेड, खेलकूद का सामान, रेडियो और टेलीविजन और इनके पुर्जे, साइकिलें और इनके पुर्जे, प्लास्टिक और पी० वी० सी० सामान जिसमें जूता, कपड़ा, रसायन, उर्वरक, दवाएं, हीजरी, चमड़े का सामान, छेपे पेय तथा हाथ और मशीनी औजार बनाने की फैक्ट्रियां शामिल हैं। धातु निर्माण ढलाई (कास्टिंग), कलई चढ़ाने और इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिंटिंग और भंडारण का भी कार्य होता है। 1984-85 में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या करीब 62,000 थी। इनमें औसतन 5,58,000 मजदूर काम पर लगे थे और उत्पादन 3,300 करोड़ रुपये मूल्य का था तथा विनियोग करीब 1,200 करोड़ रुपये का था।

कुछ पारंपरिक हस्तशिल्प-जिनके लिए पहले दिल्ली शहर प्रख्यात था-हाथी दांत पर नक्काशी, मिनिएचर पेंटिंग, सोने और चांदी के जेवरों तथा कागज का काम शामिल हैं। दिल्ली के हाथ से बुने कपड़े बेहतरीन माने जाते थे। इस हस्तकला को फिर से सजीव किया जा रहा है।

नाई और  
तली

नहरें, नलकूप तथा सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों से बहने वाले पदार्थ सिंचाई के साधन हैं। कृषि भूमि के 80 प्रतिशत से अधिक भाग को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने इन्द्रप्रस्थ एस्टेट तथा राजघाट विजली स्टेशनों द्वारा विजली उपलब्ध कराता है। बाकी आवश्यक विजली की पूर्ति बदरपुर, वाराणसी तथा राष्ट्रीय ग्रिड द्वारा की जाती है। नये सब-स्टेशन तथा नई लाइनें डालकर विजली की वितरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

समन्वित 'ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम' के अन्तर्गत वायोगैस संयंत्र तथा पवनचक्कियां स्थापित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर, सौर हीटर तथा केरोसीन गैस स्टोव आदि को प्रदर्शनों द्वारा लोकप्रिय बनाया जा रहा है तथा विशेष स्थिति में इसके लिए अनुदान सहायता भी दी जाती है। समन्वित शहरी ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक होटलों, अस्पतालों तथा अन्य शैक्षणिक भवनों में सौर कुकर की बिक्री के अतिरिक्त पानी के सौर हीटर लगाये गये हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के संचालन के लिए दिल्ली उर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई है।

दिल्ली में उपमोहताओं के हितों के संरक्षण के लिए एक निदेशालय बनाया गया है जिसमें उपमोहताओं से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है।

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र

महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं : लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, जंनर-मंतर, इंडिया गेट, विड़ला मन्दिर, हुमायूँ का मकबरा आदि।

सरकार

उपराज्यपाल : एच० एल० कपूर

मुख्य कार्यकारी पर्यटन : जगप्रवेश चन्द्र

महानगर परिषद

अध्यक्ष : पुरुषोत्तम गोयल

उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश : टी० पी० एन० चावला

मुख्य सचिव : के० के० मायूर

## पांडिचेरि

क्षेत्रफल : 492 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 6,04,471

राजधानी : पांडिचेरि

मुख्य भाषाएं : तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच

पांडिचेरि केन्द्र शासित प्रदेश में दूर-दूर स्थित चार बस्तियाँ—पांडिचेरि, कराईकल, माहे और यनाम शामिल हैं। पहली तीन तो समुद्री तट पर हैं, जिनमें से दो पूर्वी तट पर तथा तीसरी पश्चिमी तट पर हैं। चौथी पूर्वी तट मुहाने पर है।

कृषि

कृषि इस केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है तथा यहां भी आधी उपज इसी क्षेत्र से होती है। इस क्षेत्र की 90 प्रतिशत कृषि भूमि को मिचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। धान की खेती वाले 98 प्रतिशत क्षेत्र उच्च पैदावार वाली किस्मों से भरपूर हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र ने अब तक तीन उपयोगी धान की किस्में विकसित की हैं। इनके नाम हैं : पुडुवई पोन्नी (पी० वाई०-1), पुनीतवनी (पी० वाई०-2) तथा भारतीदमन (पी० वाई०-3)। 1985-86 के दौरान एक एग्री क्विज एण्ड इंस्टीट्यूट का परिचय की स्थापना की गई। यह एक बहु-उद्देशीय एजेंसी है जो कृषि-सामग्री के वितरण और कृषि सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करती है।



## उद्योग

यहां 11 बड़े उद्योग हैं— 6 कपड़े की मिलें, 2 चीनी की मिलें, एक कागज की मिल, एक कास्टिक सोडा संयंत्र और एक सिरैमिक ग्लेज टाईल बनाने वाली इकाई है। मध्यम आकार के 19 उद्योग हैं।

इसके अलावा यहां छोटे पैमाने के 2,300 पंजीकृत उद्योग हैं। इन उद्योगों में 15,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

## सिंचाई और विजली

पांडिचेरि में सिंचाई मुख्यतः वर्षा से भरे तालाबों के द्वारा की जाती है। यहां कुल 87 तालाब हैं जिनमें से दो तालाब अपेक्षाकृत बड़े हैं। कराईकल में सिंचाई कावेरी के पानी तथा नहरों पर निर्भर है।

कराईकल और पांडिचेरि की विजली की आवश्यकता तमिलनाडु विजली बोर्ड से पूरी की जाती है। केरल राज्य विजली बोर्ड माहे के लिए विजली की आपूर्ति करता है तथा यनाम को आन्ध्र प्रदेश राज्य विजली बोर्ड विजली प्रदान करता है।

केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरि को रामगुन्डम सुपर थर्मल स्टेशन, नेवेली पावर स्टेशन तथा मद्रास एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, कलपक्कम से क्रमशः 50 मे० वा०, 65 मे० वा०, तथा 5 मे० वा० विजली की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया है। मार्च 1972 तक इस केन्द्र शासित प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था।

## मुख्य पर्यटन स्थल

कुछ मुख्य पर्यटन स्थल हैं : श्री मानकुला विनयागार मन्दिर, वोटेनिकल गार्डन; जोन आफ आर्क स्क्वेयर, वार मेमोरियल, गांधी स्क्वेयर, श्री अरविन्द और मां की समाधि, भरथियार तथा भारथी दासन मेमोरियल, गवर्नमेंट पार्क व पार्क मोन्यूमेंट, सेक्रेड हार्ट आफ जीसेस चर्च, आरोगिले, पांडिचेरि संग्रहालय, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ इण्डोलोजी व रोमा रोलां लाइब्रेरी।

## सरकार

उप राज्यपाल : त्रिभुवन प्रसाद तिवारी

मुख्यमंत्री : एम० ओ० एच० फारूख

## विधान सभा

अध्यक्ष : कर्माचिट्टी श्री परशुराम वरप्रसाद राव नायडु

## उच्च न्यायालय

पांडिचेरि मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

मुख्य सचिव : एफ० पहनुना

## जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

जिला	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय
1. कराईकल	160	1,20,010	कराईकल
2. माहे	9	28,413	माहे
3. पांडिचेरि	293	4,44,417	पांडिचेरि
4. यनाम	30	11,631	यनाम

## मिजोरम

क्षेत्रफल : 21,081 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 4,93,757

राजधानी : एजल

मुख्य भाषाएं : मित्रो और बंघेजी

## कृषि

मिजोरम में लगभग 90 प्रतिशत लोगों का व्यवसाय कृषि है। मुख्य रूप से कृषि की झूम पद्धति अथवा स्थावररहित खेती पद्धति में होती है। लगभग 45,920 हेक्टेयर भूमि को कृषि के अंतर्गत लिया जा चुका है। चाय की खेती लगभग 7500 हेक्टेयर में की गई है। 1985-86 तक 53980 हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। पहाड़ी ढलानों पर मक्का और धान जैनी फसलें उगाई जाती हैं। अदरक वहां की महत्वपूर्ण नरसी फसल है।

कुल वन क्षेत्र 15985.22 वर्ग किलो मीटर है और इनमें से 7835.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सुरक्षित वन क्षेत्र है। कुल 42401 हेक्टेयर क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के वृक्षों की रोसाई की गई है। महत्वपूर्ण वन उत्पाद हैं— रमारली नरसी, बाम और श्रपर।

## उद्योग

मिजोरम में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हथकरघा और हस्तनिर्मित कुटीर उद्योग हैं। चाय की मित्र, चाटा चरसो, बाम की बर्सीका तारंगमाला, धारा मगोन, फेंट बनाना और फर्नीचर बनाना प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान प्राथमिक उद्योग का कुल उत्पादन 5.011 किलोग्राम तथा रजम कांच (बॉना) का उत्पादन 1,69600 किलोग्राम हुआ।

## विजली

डीजल पावर स्टेशन से प्राप्त बिजली को मासिक क्षमता 14.10 मेगावाट है और ग्रिड पावर स्टेशन से 4 मेगावाट क्षमता बिजली प्राप्त होती है। डीजल पावर स्टेशनों की संख्या 20 है और एक ग्रिड पावर स्टेशन है। परबिजली परियोजनाएं अभी आरम्भ की जाती हैं।

## सरकार

उपराज्यपाल : हरिष्चंकर दुबे

मुख्यमंत्री : लाल धानवाला

## विधान सभा

अध्यक्ष : डा० एच० धनसंगा

## उच्च न्यायालय

मिजोरम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

1. 11 फरवरी, 1987 को जारी धनप्रार्थना पत्रों की अधिवृत्तता के अनुसार मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया।
2. मिजोरम विधानसभा के निर्वाचन 16 फरवरी 1987 को हुआ और श्री लालदुंगा को 20 फरवरी 1987 को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया।

मुख्य सचिव : लालखामा

जिला	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	जनसंख्या	मुख्यालय	
जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय	1. एजल	12,588	3,40,826	एजल
	2. छिमतुईपुरई	3,957	66,420	छिमतुईपुरई
	3. लुंगलेई	4,536	86,511	लुंगलेई

### लक्षद्वीप

क्षेत्रफल : 32 वर्ग किलोमीटर

जनसंख्या : 40,249

राजधानी : कवारत्ती

मुख्य भाषा : मलयालम

कृषि

इस क्षेत्र की प्रमुख फसल केवल नारियल है जिसका 1984 में 3 करोड़ रुपये से अधिक का कारोवार हुआ है। 1980-81 में नारियल 2,780 हेक्टेयर में उगाया गया। कवारत्ती तथा मिनिकाय में डेयरियां हैं और अन्दरोय, कदमथ, कलपनी, मिनिकाय, कवारत्ती, अग्रति और किलतन में मुर्गी फार्म हैं।

उद्योग

मछली पकड़ना यहां का मुख्य उद्योग है। इसके चारों ओर के समुद्र में मछलियां बहुत अधिक हैं। हाल ही में मशीनीकृत नावों की संख्या बढ़कर 279 हो गई है। ये नावें बसे हुए तथा गैर बसे हुए द्वीपों से चलायी जाती हैं।

लक्षद्वीप में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है।

विद्युत

फरवरी 1983 में वितरा का विद्युतीकरण हो जाने पर सभी द्वीपों में 24 घंटे विजली की सप्लाई कर दी गई है। वितरा द्वीप एक दूरस्थ छोटा सा स्थान है जिसका क्षेत्रफल 0.1 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 181 है।

सरकार

प्रशासक : जगदीश सागर

उच्च न्यायालय

लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

पर्यटन

पर्यटन को कुछ समय से औद्योगिक धरातल प्रदान किया गया है तथा इसे कल्पनाशील ढंग से बढ़ाया गया है। 1984-85 में मुख्य भूमि से 1,181 पर्यटक तथा 41 विदेशी पर्यटक यहां आए। यहां 16 पर्यटक कुटीर, पांच तटीय विश्रामघर, एक पर्यटक बंगला और एक हनीमून कुटीर (हट्ट) है।

- जनवरी 2 कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री रामवृष्ण हेगड़े की गिनारिम पर विधानसभा भंग कर दी ।
- श्री गणेश भंग ने प्रशासन प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली ।
- 3 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए मंत्री स्तर को एक उच्च स्तरीय मिनिति नियुक्त की ।
- भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महामेल, नई दिल्ली में शुरू ।
- आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में स्थित बर्दिकानूर में गैस का पता चला ।
- कलकत्ता टेस्ट में अजहरुद्दीन ने अपने टेस्ट मैच जीवन की शुरुआत बनकर बनाकर की । इन प्रकार शतक बनाने वाले वह आठवें भारतीय खिलाड़ी हो गये ।
- उत्तर प्रदेश के सोनपुर जिले में मोहिउद्दीनपुर में पारिवारिक कलह में 23 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।
- 4 श्री रिजोग किर्गिज मणिपुर के शमशेर मुख्यमंत्री बने ।
- सरकार ने निर्णय लिया कि सरकारी कर्मचारियों को भंडवाई भले को बकाया चार किरों का भुगतान किया जाएगा ।
- लोक सभा चुनाव 1984 में कांग्रेस (इ) को 508 सीटों में से 401 सीटें प्राप्त ।
- गांधी शांति प्रतिष्ठान के लिए गठित कुशल प्रायोग ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
- 5 अमरीका के राष्ट्रपति श्री रीगन के दूत श्री चार्ल्स परसी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की ।
- भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कलकत्ता में बिना हार-जीत के फंसे के समाप्त ।
- बिहार से कांग्रेस (इं०) के मन्दा मन्दा गलतर वर्षीय श्री मन्नीमुद्दीन अन्तारी का निधन ।
- 6 श्रीलंका की मेना ने श्रीलंका में बनकलाई में एक पादरी सहित नौ तमिलों की हत्या कर दी ।
- शास्त्रीय संगीत गायक श्री कुमार गंधर्व, 1985 के लिए कालिदास सम्मान में पुरस्कृत ।
- मध्य रेलवे की म्वालिपर-भागरा लाइन पर खेलमपुर के पाम ग्रान्ड ट्रंक एक्स्प्रेस और एक मालगाडी में टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मृत्यु ।

जनवरी 7 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को एक स्वतन्त्र मंत्रालय बनाया और डाक एवं तार विभाग को दो भागों में विभक्त कर दिया ।

— श्री गगोंग अंपंग के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इटानगर में शपथ ग्रहण की ।

— महात्मा गांधी के सहयोगी और स्वतंत्रता सेनानी श्री शंकर लाल वांकर का अहमदाबाद में निधन । वह 96 वर्ष के थे ।

8 असम जा रही मालगाड़ी बवमान रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई जिससे छः घरों को क्षति पहुंची और ग्यारह व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ।

— भारतीय समुद्री क्षेत्र में भारतीय मछुआरों पर हुए हमले की कार्यवाही पर भारत ने श्रीलंका से कड़ा विरोध प्रकट किया ।

— श्री प्रताप सिंह राणे के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय गोवा मंत्रिमंडल ने पणजी में शपथ ग्रहण की ।

9 पारिवारिक पेंशन में 1 अप्रैल 1985 से काफी वृद्धि ।

— विश्व के प्रमुख संग्रहालय विशेषज्ञ डा० ग्रेस मिक्न मोर्ले का नई दिल्ली में निधन । वह 84 वर्ष के थे ।

10 श्रीलंका का यह कथन कि भारतीय समुद्री सीमा में उसने दो मछुआरों को नहीं मारा है, भारत द्वारा अस्वीकार ।

— पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन 24 दिसम्बर 1984 से छः महीने के लिए बढ़ा दिया गया ।

11 भारतीय तट रक्षक पोत ने रामेश्वरम् के पास भारतीय समुद्री सीमा में लंका की नौसेना की नाव को पकड़ा ।

— राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने नई दिल्ली में आस्ट्रिया के भूतपूर्व चान्सेलर डा० ब्रूनो क्रेइस्की को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए, नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया ।

— जाने-माने लोक कथाकार, लेखक और गुजरात के भक्ति संगीत के गायक 63 वर्षीय श्री कानू भाई वारोट का दिल का दौरा पड़ने से निधन ।

12 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा 'युवा वर्ष' का शुभारम्भ ।

— गुजरात सरकार द्वारा सरकारी सेवा में सीधी भर्ती में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 28 प्रतिशत पदों के आरक्षण की घोषणा ।

- जनवरी 13 मिने जगत के प्रमुख कलाकार श्री मदन पुरी का बम्बई में निधन। वे 69 वर्ष के थे।
- 14 श्री जगजीवन राम छोड़े समय के लिए छाटवीं लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त।
- इंडियन रेलवे ने महिला हाकी का पिताव लगातार पाचवी बार प्रोता।
- 16 अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंथी जयदेव किरपान सिंह को पंजाब में मांगा के निकट, गोली मारकर घायल कर दिया गया।
- श्री बलराम जाखड लोकसभा के फिर से अध्यक्ष चुने गये।
- श्रीलंका में मुवाहीजुवा के पास, 17 तमिल विद्रोहियों की शीर्का की सेना द्वारा हत्या।
- 17 राष्ट्रपति ज्ञानो जैन सिंह द्वारा मंदर के दोनों मंदनों के गद्युक्त अधिवेशन में अभिभाषण।
- नई दिल्ली में सम्मल हुए भारत के द्रुवें अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोवियत संप की फिल्म 'दयलैंग रोमान्स' और इंग्लैंड की फिल्म 'थोस्टेनियन्स' को स्वर्ण मयूर से सम्मानित किया गया।
- प्रोफेसर अरुण कुमार को जैविक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा दिये जाने वाले गोल्डन जुबली प्रोफेसरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- श्री अजहरुद्दीन ने अपने पहले टेस्ट मैच के बाद मद्रास टेस्ट में एक शतक बनाया और इन प्रकार दो क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार शतक बनाने वाले वे विश्व के पांचवें खिलाड़ी हो गये।
- भारत और फ्रांस ने फिल्मों के निर्माण एवं वितरण के बारे में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 18 विदेशों के लिए जानूमी करने वाले एक बड़े गिरोह का पता चला। नई दिल्ली में मात अधिकारी गिरफ्तार।
- उच्चतम न्यायालय ने कानून बनाकर सेवानिवृत्ति की अवधि को तय करने के सरकार के अधिकार को उचित ठहराया।
- मद्रास में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को नौ विकेट से हराया।
- 19 श्रीलंका में भारतीय संवाददाताओं के प्रवेश पर मनाही।
- सरकार ने निविद अविन परीक्षा, 1985 के लिए अधिकतम प्राप्ति सीमा 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी।
- प्रांश प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एन० भास्कर राव के विरुद्ध कृष्णा अय्यर आयोग द्वारा की जा रही जाच पर रोक।

- जनवरी 20 तमिल छापामारों ने कोलम्बो जा रही रेलगाड़ी में आग लगा दी, जिससे 34 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।
- जयललिता ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम संसदीय पार्टी के उप नेता का पद छोड़ा।
  - इंग्लैंड ने एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला जीत ली। उसने बंगलौर में सीमित ओवरों के तीसरे मैच में भारत को तीन विकेट से हराया।
  - श्री दयानन्द नार्वेकर गोआ, दमन, दीव की विधानसभा के फिर से निर्विरोध अध्यक्ष चुने गये।
- 21 श्री महमूद बिन मोहम्मद, सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त।
- 22 मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दस राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में 2 और 5 मार्च 1985 की चुनाव कराये जाने की घोषणा।
- 23 नागपुर में हुए चौथे अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया।
- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा भंग।
  - प्रसिद्ध कथक नर्तकी सितारा देवी वर्ष 1984 के लिए नवें भूवालका पुरस्कार से सम्मानित।
  - अर्जेंटीना के राष्ट्रपति श्री राउल अलफोन्सिया सात दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे।
  - गुजरात के गीत सेठी ने हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता जीती।
- 24 सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में दलबदल विरोधी विधेयक प्रस्तुत।
- 25 कांग्रेस (इं) की नजमा हेपतुल्ला, राज्य सभा की उप-सभापति चुनी गई।
- प्रोफेसर चिन्तामणि नागेश रामचन्द्र राव और प्रोफेसर एम० जी० के० मेनन पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित।
  - अन्य 21 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 44 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
- 27 22 वर्षीय आशा अग्रवाल ने हांगकांग में हुई आठवीं अन्तर्राष्ट्रीय महिला मैराथन जीती।
- इंग्लैंड ने चण्डीगढ़ में हुए सीमित ओवरों के मैच में भारत को सात रनों से हरा दिया और उसने एक दिवसीय क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला में भारत को चार के मुकाबले एक से हरा दिया।

जनवरी 28 श्रीमती इंदिरा गांधी गरणोत्सवत घणतारुणीय ढानि के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित । एनकी और से प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने पुरस्कार ग्रहण किया ।

— परमाणु निरस्त्रीकरण पर दिल्ली में हुए छः देशों के शिपर सम्मेलन द्वारा परमाणु धरतों की ह्राङ्क रोके जाने पर जोर ।

— सरकार द्वारा गत धरव राये के पार ऋण जारी ।

— ढाका में पाकिस्तान ने एशिया कप हकी फाइनल में भारत को दो के मुकाबले तीन गोल से हराया ।

29 श्रीलंका ने भारत के 17 मछुधारे वापस किये ।

— चुनाव ढ्रायोग द्वारा वर्ष 1985 की 2 और 5 मार्च को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के लिए चुनाव कराये जाने के बारे में अधिगूचना जारी ।

— विधि ढ्रायोग ने अपनी 19 वीं रिपोर्ट संमद को प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट में वस्था गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए—एक सवैधानिक विभाग और दूसरा विधायी विभाग ।

30 लोक सभा द्वारा दलबदल विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित ।

— भारत और मैक्सिको ने भारी उद्योग, बायो-टेक्नोलोजी और सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग के बारे में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

— लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित ।

31 दलबदल विरोधी विधेयक पास करने के बाद राज्य सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई ।

— श्री रोमेश भंडारी ने विदेश सचिव का पदभार संभाला ।

फरवरी 1 भारत के प्रस्ताव पर फ्रांस ने नई दिल्ली से अपने राजदूत श्री सर्ज-बोइडबह को वापस बुलाया ।

— भूटान नरेश जिग्मे सिंघे वांग्चुक भारत की चार दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— अजहद्दीन ने अपने खेल जीवन की शुरुआत में कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में शतक बनाया । इस प्रकार लगातार तीन टेस्टों में शतक बनाने वाले वह विश्व के पहले बल्लेबाज हो गये ।

4 भारतीय राजनयिक महात्रे के हत्या के मामले में बर्निषम राजन अदालत द्वारा कश्मीर के दो लोगों को दण्ड दिये जाने के आदेश ।

— फ्रांस ने भारतीय वायुसेना को बहुआयामी लड़ाकू विमान निराजन-2,000 की पहली खेप भेजी ।



फरवरी 4 श्री एम० जी० रामचन्द्रन अपने गुर्दे का प्रत्यारोपण कराने के बाद न्यूयार्क से मद्रास लौटे ।

— कानपुर में भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां क्रिकेट टेस्ट मैच विना हार जीत के फैसले के समाप्त । इस श्रृंखला में इंग्लैंड ने भारत को हराया ।

5 जासूसी के आरोप में भारत द्वारा जर्मन जनवादी गणतंत्र के दो और पोलैण्ड का एक राजनयिक निष्कासित ।

— जासूसी के आरोप में बम्बई के व्यापारी श्री योगेश मानिकलाल को गिरफ्तार करके नई दिल्ली लाया गया ।

— स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी, डा० सतीश धवन और अन्य तीन व्यक्ति वर्ष 1984 के लिए वी० सी० राय पुरस्कार से सम्मानित ।

7— ले० जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और कांग्रेस (इं) के भूतपूर्व संसद सदस्य श्री अमरिन्दर सिंह ने पटियाला में 'सिख फोरम' नाम का नया संगठन बनाया ।

— भारतीय राजनयिक महात्रे की हत्या के मामले में, अधिकृत कश्मीर के दो पाकिस्तानी नागरिकों को आजीवन कारावास मिला ।

8 अल्पसंख्यक आयोग ने वर्ष 1982 और वर्ष 1983 की अपनी रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कीं ।

— श्री पी० के० कौल ने कैबिनेट मन्त्रि का कार्यभार संभाला ।

— सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले गृह निर्माण ऋण पर सरकार दस प्रतिशत का व्याज लेगी ।

— कलकत्ता में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता में रेलवे की पुरुषों की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर चैम्पियन-शिप जीती ।

9 श्रीलंका के नौसैनिक जहाज के कर्मचारियों द्वारा कोड्डिक्केनाल समुद्र में भारत के पांच मछुआरों पर आक्रमण ।

— श्रीलंका की सेनाओं के लिए गोला-बारूद ले जा रहा एक विमान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उतरा ।

10 मद्रास में आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ।

11 पोलैंड के प्रधानमंत्री जनरल वोजीसीएच जेरुजेत्स्की भारत की पांच दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।

— इंदिरा गांधी हत्याकांड में विशेष जांच दल ने सतवंत सिंह, बलवीर सिंह, केहर सिंह और वैद्यंत सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए ।

— श्रीलंका की सेना ने मन्नार क्षेत्र में 32 निहत्थे तमिलों को गोली से उड़ा दिया ।

- फरवरी 11 पर्यटन के पहले महानिदेशक 75 वर्षीय श्री सोमनाथ चिव का नई दिल्ली में निधन ।
- कलकत्ता में राष्ट्रीय टैबल टेनिस प्रतियोगिता में कमलेश मेहता ने पुरुषों का खिताब जीता । इन्दु पुरी ने छठे साल भी महिलाओं का खिताब जीता ।
- फरवरी 12 भारत और पोलैंड ने टेलीविजन फिल्मों, वृत्त चित्रों और सूचनात्मक लघु फिल्मों के आपसी आदान-प्रदान के बारे में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
- 13 केन्द्र सरकार ने कई विभागों के सचिवों के स्थानान्तरण किये ।
- निगापुर से मद्रास आ रहे विपिन कार्पेरिशन के यात्री पोत एम० वी० चिदम्बरम् में घाग लग जाने से ग्यारह व्यक्तियों की मृत्यु ।
  - श्रीलंका के उत्तर-पूर्व में सैनिकों और विद्रोहियों के बीच हुई गोलीबारी में 4 सैनिक और 14 छापामार मारे गये ।
- 14 ले० जनरल के० सुन्दरजी सेना के उप-प्रमुख पद पर नियुक्त ।
- भारत और चेकोस्लोवाकिया द्वारा नई दिल्ली में वर्ष 1986-87 के लिए एक दीर्घकालीन व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर ।
  - डा० नगेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनाए गए ।
  - कानपुर में हुई राष्ट्रीय बालीबाल प्रतियोगिता में, रेलवे ने पंजाब को हराकर पुरुषों का खिताब और केंरल को हराकर महिलाओं का खिताब जीता ।
- 15 श्रीलंका की सेनाओं ने उत्तरी श्रीलंका में 38 तमिलों को मार डाला ।
- दलबदल-विरोधी विधेयक को राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी स्वीकृति प्रदान की ।
  - हैदराबाद में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने तमिलों को मुक्त कराने के लिए श्रीलंका में भारत के सैनिक हस्तक्षेप से इन्कार किया ।
  - चिदम्बरम् जहाज में लगी घाग में मरने वालों की संख्या 40 हुई ।<sup>1</sup>
- 16 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना ।
- भारत और मोवियत संघ द्वारा वर्ष 1985-86 के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के बारे में नई दिल्ली में हस्ताक्षर ।
- 17 बर्नाटक में रायचूर जिले के मास्ती गांव के निकट तुंगभद्रा नहर में एक ट्रैक्टर के गिर जाने से इक्कीस व्यक्तियों की मृत्यु ।

- फरवरी 18 केरल में पालघाट में हुई राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता के फाइनल में सर्विसेज (सेना) ने टाइब्रेकर में पंजाब को आठ के मुकाबले नौ गोल से हराया ।
- 19 नागा उग्रवादियों ने मणिपुर में मिर्गाचिंग में 15 सुरक्षा कर्मचारियों को मार डाला ।
- 20 मेलबोर्न में हुई एक दिवसीय वेन्सन एन्ड हेजेस विश्व प्रतियोगिता में भारत ने पाकिस्तान को छः विकेट से हराया ।
- 21 भरतपुर (राजस्थान) के भूतपूर्व शासक के छोटे भाई और डीग विधान सभा चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार मानसिंह की पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मृत्यु ।
- पूर्वी दिल्ली में पटपड़गंज में भारत के पहला अन्तर्देशीय कन्टेनर फ्रंट स्टेशन का उद्घाटन ।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 15 सदस्यीय इन्दिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे ।
- 'कानून और दवा' के वारे में आयोजित चार दिवसीय विश्व सम्मेलन में, भाग लेने के लिए 250 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 900 से अधिक प्रतिनिधि नई दिल्ली पहुंचे ।
- नई दिल्ली में सम्पन्न हुए एक समझौते के अन्तर्गत भारत में टी० वी० की रोकथाम के लिए स्वीडन पांच करोड़ रुपये की सहायता देगा ।
- 22 डीग में हुई श्री मानसिंह की हत्या के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने इस्तीफा दिया ।
- 23 दक्षिण पूर्व रेलवे के मुसरा और जलघानपुर स्टेशनों के बीच एक रेलगाड़ी में लगी आग में 50 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु ।
- श्री हीरालाल देवपुरा को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गई ।
- हिन्दी के जाने-माने लेखक, 78 वर्षीय श्री चन्द्र गुप्त विद्यालंकार का वम्बई में निधन ।
- कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि-लागत, एवं मूल्य आयोग रखा गया ।
- सीमा शुल्क अधिकारियों ने वम्बई के समुद्र-तल से पांच करोड़ रुपये मूल्य का सोना वसूला ।
- 24 जयपुर में देवपुरा के नेतृत्व में चार सदस्यों के मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की ।

- फरवरी 24 दिल्ली में हरबन्य स्टेडियम में हुई 26वीं राष्ट्रीय पुस्तकसंग्रह प्रतियोगिता में कैप्टन जे० एम० अहलूवालिया ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकसंग्रह का खिताब फिर से जीता ।
- 25 श्री एस० के० सिंह पाकिस्तान में भारत के राजदूत नियुक्त ।  
— साहित्य अकादमी ने विभिन्न भाषाओं के 22 क्षेत्रों को पुरस्कृत किया ।
- 26 मेलबोर्न में वेल्सन एंड हेजेज विरय प्रतियोगिता में पूल 'ए' मैच में भारत ने इंग्लैंड को 86 रनों से हराया ।  
— डी० डी० पाटोदिया वर्ष 1985-86 के लिए किराई के अध्यक्ष चुने गये ।  
— श्रीलंका में जाफना में, श्रीलंका की सेना ने चार विद्रोहियों को मार डाला ।  
— वपोबुद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं भगतसिंह के सहयोगी 75 वर्षीय थो भद्रोक बोध का लखनऊ में निधन ।
- 27 भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने एक लाख रुपये का मन्तराष्ट्रीय वाल्मीकि कविता पुरस्कार शुरू किया ।
- 28 कानून, न्याय और कम्पनी-मामलों में मृतपूर्व राज्यमंत्री श्री इंग्लैंड में भारत के मृतपूर्व उच्चायुक्त, 81 वर्षीय श्री पी० ए० सईद मुहम्मद का नई दिल्ली में निधन ।  
— चीन का श्राद्ध मन्तव्य व्यापार प्रतिनिधि मण्डल अनेक क्षेत्रों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग तथा भारत चीन व्यापार को बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली पहुंचा ।
- मार्च 1 दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की मुरदा व्यवस्था में कार्यरत दिल्ली पुलिस के एक कमान्डो जगतार सिंह को एक वर्ष के बंजर कारावास का दण्ड मिला ।  
— उत्तरी श्रीलंका में एक पुलिस बल पर तमिलों के हमले में चार सैनिकों सहित 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और बहुत से घायल हो गये ।
- 2 बिहार में चुनाव के पहले दौर में 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और लगभग 100 घायल हो गये ।  
— श्रीलंका में सुरक्षा बलों ने 7 सशस्त्र तमिल अलगाववादियों को मार डाला ।  
— तमिलनाडु में परम्पनगढी के पास 150 व्यक्तियों को सेना खड़ी नाप डूब गई ।
- 3 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में विलय की किसी भी संभावना से इनकार ।

मार्च 3 मध्य प्रदेश में आरक्षण विरोधी आन्दोलन समाप्त ।

— ब्रिटेन की सुरक्षा परिषद् ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वर्ष 1984 के लिए विश्व के सर्वोत्तम सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना ।

4. राष्ट्रीय एकता सभा ने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को विश्व शांति में उनके योगदान के लिए 'मैन आफ द ईयर 1984-85' चुना ।

— इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में हुई राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सैयद मोदी पांचवी बार चैम्पियन और महिलाओं के सिग्ल्स में मधुमिता सिंह नई चैम्पियन बनीं ।

5. मेलबोर्न में हो रही क्रिकेट की विश्व प्रतियोगिता में भारत ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया ।

— पाकिस्तानी विमान अपहरणकर्ता नासिर बलूच को, जिसे सैनिक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, कराची जेल में फांसी लगा दी गई ।

8. सिक्किम में श्री नर वहादुर भंडारी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने कार्यभार संभाला ।

— कर्नाटक में श्री रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में दो सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की ।

9. आंध्र प्रदेश में श्री एन० टी० रामाराव के नेतृत्व में 23 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की ।

— सर्वश्रेष्ठ खोजपूर्ण समाचारों के लिए छः पत्रकार नन्दिनी चन्द्र पुरस्कारों से सम्मानित ।

— पाकिस्तान में इण्डियन एअरलाइन्स के विमान के अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा शुरू ।

10. मेलबोर्न में एक दिवसीय विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में भारत पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर एक बार फिर विश्व चैम्पियन बना ।

— श्री हरिदेव जोशी, श्री वसन्त दादा पाटिल, श्री जे० वी० पटनायक को क्रमशः राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई ।

11. सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में लिए गए आठ प्रमुख अकाली नेताओं को रिहा करने की घोषणा ।

12. श्री पी० वेंकट सुवैया दिहार के और श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त ।

— मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल नियुक्त ।

— श्री विन्देश्वरी दवे द्वारा विहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ।

- मार्च 12 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रोफेसर एस० चन्द्रशेखर को सी० पी० रामन पुरस्कार के लिए चुना ।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री कोन्स्टेन्टिन चेरनेनको के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मास्को पहुंचे ।
- 13 श्री मोतीलाल वोरा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की ।
- गुजरात के एक धार्मिक संगठन, 'शिवा, कल्याण और कार्यवाही सोसायटी' वर्ष 1985 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'सततका' स्वास्थ्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।
- 14 पंजाब सरकार ने प्रेस पर लगी रोक हटायी ।
- श्री प्रसन्न कुमार दास पुनः उड़ीसा विधान सभा के अध्यक्ष चुने गये ।
- 14 वर्ष 1985-86 के रेल बजट में सभी तरह के यात्री किरायों में 12.5 प्रतिशत का अछिभार और मालगाड़ों में 10 प्रतिशत की पूरक लेवी का प्रस्ताव ।
- श्री अर्जुन सिंह ने पंजाब के नये राज्यपाल का शपथ ग्रहण किया ।
- श्रीलंका में जातीय समस्या पर भारत, श्रीलंका बातचीत का स्तर उच्चा-मुक्त से बढ़ाकर सचिव स्तर का किया गया ।
- 16 वित्तमंत्री श्री प्रियवनाथ प्रताप सिंह ने संसद में वर्ष 1985-86 के लिए बजट प्रस्तुत किया जिसमें 33 अरब 49 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया ।
- श्री एम० थो० एस० फारुख के नेतृत्व में पांच सदस्यीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान में शपथ ग्रहण की ।
- राष्ट्रपति जानी जैल सिंह ने 66 पुरुषों और महिलाओं को नागरिक पुरस्कार प्रदान किए ।
- पंजाब के राज्यपाल श्री अर्जुन सिंह स्वर्ण मंदिर देखने गए ।
- 17 प्रसिद्ध भूतपूर्व बल्लेबाज 59 वर्षीय श्री डी० जी० फडकर का मद्रास में निधन ।
- 18 यूरोस्लाविया के प्रधानमंत्री श्री मिल्का प्लानिक नई दिल्ली पहुंचे ।
- मोविमंत दूतावाम के एक कर्मचारी श्री इगोर मुयेजा 17 मार्च को मुंबई में शपथ ।
- भारत के पांच अग्रहणकर्ताओं के मुकदमे की खबर देने के बारे में पाकिस्तान की अदालत ने रोक लगाई ।

- 19 अहमदाबाद के समूचे पुराने शहर में कर्फ्यू लगा। हिंसा की घटनाओं के बाद देखते ही गोली मारने के आदेश जारी।
- 20 अकाली दल (तलवन्डी) गुट ने अकाली दल के अध्यक्ष संत लोंगोवाल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री जी० एस० तोहड़ा पर आरोप लगाया है कि वे आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को गोलत रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
- सरकार ने यात्री रेल भाड़े पर प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत अधिभार को घटा कर 10 प्रतिशत किया।
- ईरान-ईराक युद्ध को न फैलने देने के प्रयास में भारत के विदेश राज्य-मंत्री श्री खुर्शीद आलम खां और विदेश सचिव श्री रोमेश भंडारी बगदाद पहुंचे।
- 21 सोवियत संघ दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री वी० खित्सीचेनको को नई दिल्ली में उनकी कार में ही गोली मार दी गई।
- गेहूं का खरीद मूल्य 157 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।
- 22 शरजाह में भारत ने सीमित ओवरों की रोथमैन्स ट्राफी प्रतियोगिता के आरम्भिक मैच में पाकिस्तान को 38 रनों से हरा दिया।
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा ने अपने मंत्रिमंडल में चौदह और मंत्रियों को शामिल किया।
- तथाकथित यूक्रेनियन रिएक्शन फोर्स ने नई दिल्ली में सोवियत दूतावास के अधिकारी श्री वी० खित्सीचेनको की हत्या की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली।
- 23 कानपुर में फाइनल मैच में पंजाब ने महाराष्ट्र की टीम को शून्य के मुकाबले 3 गोल से हराकर संतोप ट्राफी जीत ली।
- दो पत्रकार श्री राजकुमार केसवानी और श्री प्रेम भाटिया वर्ष 1984 के लिए वी० डी० गोयनका पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुने गये।
- राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने सुरक्षा कर्मचारियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए।
- 24 सोवियत संघ के लापता राजनयिक इगोर गुयेजा देश छोड़कर अमरीका गये और वहां राजनीतिक शरण पायी।
- चण्डीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कृष्णलाल मनचन्दा की आतंकवादियों द्वारा उनके घर में गोली मार कर हत्या।
- 25 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने सिखों को हथियार चलाने के अभ्यास के लिए धन निर्धारित किया।
- सोमाली के राजदूत मोहम्मद फराह आइदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए।

- मार्च 25 जातीय समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विदेश मन्त्रि मंत्री श्री रोनेन मंडारी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने के साथ बातचीत की ।
- 26 भारत और भोवियन गण ने तेल का पना लगाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ाने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
- 27 न्यूजीलैण्ड के उच्चायुक्त सर एडमंड्सहिलेरो ने राष्ट्रपति ज्ञानी जैत सिंह को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया ।
- 28 उद्योगियों ने अमृतसर में लगभग 100 दुकानों में भाग लगा दी और एक दुकानदार को छूट लिया ।
- 39 स्कूल अध्यापकों को प्रमुख विशेषताओं के लिए एन० सी० ई० आर० टी० पुरस्कार प्रदान किये गये ।
- हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार को वर्ष 1982-83 के लिए भारत-भारती पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- 29 शरजाह में, भारत ने आस्ट्रेलिया को तीन विकेट में हराकर रोय-मन्स कप जीता ।
- इन्दिरा गांधी समाधि का नाम 'शक्तिस्थल' रखा गया ।
- हिन्दुस्तानी गायन के लिए, उस्ताद शरफत हुसैन खां को वर्ष 1984 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- भारत के विकेट कीपर सैयद किरमानी और पाकिस्तान के विकेट कीपर यासिन बारी को क्रिकेट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्रिकेटर्स बेनीफिट फंड सीरिज में 50-50 हजार डॉलर दिए गए ।
- दूरदर्शन के भूतपूर्व उपमहानिदेशक 66 वर्षीय इनबात मलिक का नई दिल्ली में निधन ।
- 30 श्री चन्द्रशेखर सिंह को केन्द्रीय मन्त्रिमंडल में कपड़ा और आभूषण राज्यमंत्री बनाया गया ।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी विश्व भारती के कलाधिपति नियुक्त ।
- 31 मोहम्मद उस्मान आरिफ द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण ।
- श्रीलंका में पुलिन कमान्डों ने छ तमिल उपवासियों को गोली से उड़ा दिया ।
- रक्षा मंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव छ दिन की सरकारी यात्रा पर मास्को पहुंचे ।



अप्रैल 1 डा० द्वारकानाथ कोटनिस की पत्नी श्रीमती गुवो किंगलान कोटनिस नई दिल्ली पहुँचीं ।

- 2 मारीशस के प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जुगन्नाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की ।
  - सिखों के प्रमुख ग्रन्थियों ने कृपि मंत्री श्री बूटा सिंह को अकाल तख्त की आवश्यकता करने के कारण पंथ से निष्कासित किया ।
  - एडमिरल आस्कर स्टानले डसन न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त ।
  - पंजाब में प्रवेश के वारे में विदेशियों पर लगे प्रतिबन्धों को 2 जूलाई 1985 तक बढ़ाया गया ।
  - राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 30 उत्कृष्ट महिला और पुरुष कारीगर वर्ष 1983 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित ।
  - श्री हाशिम अली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त ।
  - फिल्म कलाकार अमोल पालेकर भारतीय बाल फिल्म सोसायटी के अध्यक्ष नियुक्त ।
  - श्री मोहिन्दर सिंह साथी चौथी बार दिल्ली के महापौर निर्वाचित ।
- 3 पटियाला में हुए अकाली दल सम्मेलन में, अकाली दल लोंगोवाल समर्थक और आल इन्डिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं में भिड़न्त ।
  - हरचन्द सिंह लोंगोवाल और जगदेव सिंह तलवन्डी के नेतृत्व वाले विरोधी अकाली दल द्वारा पंजाब के वारे में मंत्रिमंडल पेनल का बहिष्कार ।
- 4 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा, नई दिल्ली में, बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया की स्मृति में एक डाक टिकट जारी ।
  - लोक सभा की सिक्किम सीट के लिए सिक्किम संग्राम परिषद् के श्री दिल कुमार भंडारी निर्वाचित ।
- 5 उत्तरी त्रिपुरा में ट्राइबल नेशनल बालन्टियर ने सुरक्षा बलों के सत्तर व्यक्तियों को मार डाला ।
  - विदेशियों से कहा गया है कि वे अपनी पहचान से सम्बन्धित प्रमाण हर समय अपने पास रखें ।
  - उत्तर प्रदेश में, सरसावा और कालानीर के बीच अमृतसर जा रही रेलगाड़ी की छत पर सवार यात्रियों की यमुना पुल पर बने ढाँचे से टक्कर हो जाने पर 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और अन्य 30 घायल हो गये ।
- 6 रणजी ट्राफी में बम्बई ने दिल्ली को 90 रनों से हराया ।

- मार्च 7 अक्षांती दल सहित पाच विपक्षी दलों द्वारा पंजाब मामलों में सम्बन्धित मंत्रिमंडलीय बैठक का बहिष्कार ।
- प्रहमदावाद में धारक्षण समपेक और विरोधी दनों में टकराव ।
- 8 जाने-माने मिर्चार्द विरोपेक श्री के० के० कामजी पहले भारतवासी हैं जिन्हें वर्ष 1985 के लिए ओलम्पिया पुरस्कार दिया गया ।
- प्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री नौशाद खली बी वर्ष 1984-85 के गुगम संगीत के लिए प्रथम लना मंगेशकर पुरस्कार में सम्मानित किया गया ।
- 9 भोपाल गैस काण्ड में पीड़ितों को मुआवजे के लिए भारत द्वारा धन-रीकत की बहुपक्षीय कम्पनी यूनिवर्स कार्बाइड के विरुद्ध मुकदमा दापर ।
- भारतीय वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान बरेली जिले में हानी गाव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और छः घायल हो गये ।
- 9 केरल विधानसभा में, कल्याणकरण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव निरस्त ।
- 10 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा नई दिल्ली में, 'विकास में महिलाओं की भूमिका' विषय पर गुटनिर्पेश और अन्य विकासशील देशों के सम्मेलन का उद्घाटन ।
- कलकत्ता की एक पर्यटक बस के जम्मु-कश्मीर में रामबाण के निकट चिनाब नदी में गिर जाने में 27 व्यक्तियों की मृत्यु और 35 घायल ।
- 11 गृह राज्य मंत्री श्री एस० थो० चव्हाण द्वारा दिल्ली में नवम्बर में हुए दंगों के जांच के आदेश और भारत इण्डिया मिश्र स्टूडेंट्स फेडरेशन पर लगी रोक को उठाने के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा ।
- 12 पश्चिमी जर्मनी द्वारा भारत को एक अरब, छपन करोड़ के बराबर 39 करोड़ यूएस मार्क की वित्तीय सहायता के बारे में भारत और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर ।
- औद्योगिक महगाई भत्ते की दर, उपभोक्ता सूचकांक के प्रति प्वाइंट पर 1 ह० 30 पैसे में बढ़ाकर 1 ह० 65 पैसे कर दी गई ।
- सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए नई आयतन-निर्गम नीति की घोषणा की, जिसमें निर्यात, उत्पादनता और आयतन प्रतिन्यायन को बढ़ावा देने के लिए उदारतापूर्वक रिपायमें दी गई है ।
- दिवंगत श्रीमती इन्दिरा गांधी, मरणोपान्त विरासतगती के मरणोप पुरस्कार 'दक्षिकोत्तम' में सम्मानित । शान्ति निवेदन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया ।

- अप्रैल 12 हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष डा० नगेन्द्र सिंह गोवा विश्वविद्यालय के नये कुलपति नियुक्त ।
- भारत और सोवियत संघ द्वारा नई दिल्ली में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर ।
- 13 कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक डा० मास्ती वेंकटेश आयंगर को बंगलौर में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।
- ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर एक संक्षिप्त सरकारी यात्रा पर कोलम्बो से नई दिल्ली पहुंचीं ।
- पंजाब और चण्डीगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार 56 व्यक्ति रिहा ।
- 14 पंजाब में वर्ष 1984 में गिरफ्तार 37 व्यक्ति अजमेर की केन्द्रीय जेल से रिहा ।
- 16 प्रोफेसर मूनिस रजा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त ।
- भारत के नौ वैज्ञानिक अमरीकी राष्ट्रपति के युवा अनुसंधानकर्ता पुरस्कारों से सम्मानित ।
- दलित मजदूर किसान पार्टी ने अपने पूर्व नाम लोकदल और इसके चुनाव चिन्ह को अपनाया ।
- 17 श्रीलंका के नौ सैनिक गश्तीदल के साथ मुठभेड़ में 27 तमिल छापामारों की मृत्यु और पांच गिरफ्तार ।
- अहमदाबाद में हुई हिंसा में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु और 12 घायल ।
- 18 भोपाल गैस दुर्घटना में पीड़ितों की आपात सहायता के लिए यूनियन कार्वाइड कम्पनी द्वारा 50 लाख डालर की स्वीकृति ।
- प्रमुख अकाली नेता और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री हरचरण सिंह वजवा का चण्डीगढ़ में निधन ।
- 19 आतंकवादियों द्वारा अमृतसर में गोली चलाए जाने से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री आर० एल० भाटिया को चोट आयी तथा एक व्यापारी की मृत्यु हो गई ।
- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा जोधपुर में नजरबंदी से रिहा ।
- 19 जालंधर में पंजाबी कौमी एकता समिति के अध्यक्ष श्री बी० के० खुल्लर पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलाई ।
- गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन को समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता निकालने के वास्ते गुजरात सरकार द्वारा आन्दोलनकर्त्ताओं के नेताओं की मांगें स्वीकार ।

- अप्रैल 19 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा नई दिल्ली में स्वामी कार्नाटक को राजनयिक मान्यता देने के भारत के निर्णय की घोषणा।
- 20 सोवियत संघ के हल्के मानवाहक विमान का नाम इन्दिरा गांधी रखा गया।
- भारत में तैयार किये गये पहले लडाकू टैंक का नाम धर्जुन रखा गया।
- 21 गुटनिरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की मंत्रिस्तर की विशेष बैठक, दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध संपर्प में स्वापो को सैनिक, राजनैतिक साज-सामान सम्बन्धी सहायता बढ़ाने के संकल्प के साथ समाप्त।
- बिहार में माहुबनंज जिले के बांसी गांव में हिंसा पर उतावू भीड़ पर पुनिम द्वारा गोली चनाए जाने से 15 व्यक्तियों की मृत्यु
- श्रीलंका के पूर्वी प्रान्त में सुरक्षा बलों द्वारा 30 तमिलों की हत्या।
- 22 गुजरात में ग्यारह सप्ताह से चल रहा आरक्षण विरोधी आन्दोलन थोड़े समय के लिए समाप्त।
- श्रीलंका के पूर्वी प्रान्त में हुई दो अलग-अलग मुठभेड़ों में 34 तमिल छापामारों और चार सैनिकों की मृत्यु।
- श्री एस० मोटांगों स्वापो के पहले राजदूत नियुक्त।
- 23 इन्वर्ड में तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का तस्करी का सोना पकड़ा गया।
- अहमदाबाद शहर में आरक्षण विरोधी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति और अधिक बिगड़ जाने से 16 व्यक्तियों की मृत्यु और 80 घायल।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुसलमान पति को अपनी तलाक़गुदा पत्नी को धरण-भोषण भत्ता देना होगा।
- बैकाल में हुई किम्स कप प्रतियोगिता में भारतीय मुक्केबाजी की टीम ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता।
- 24 अहमदाबाद में हिंसा के पुनः भड़क जाने से 20 व्यक्ति घायल।
- राज्यपाल श्री बी० के० नेहरू को एक महीने के अवकाश के बीच में से वापस बुलाया गया।
- लोक सभा के तीन सदस्यों और ग्यारह राज्यों से विधानसभा के 26 सदस्यों के चुनाव में हल्के से भारी मतदान हुआ।
- लाहौर में चल रहे मुकदमे में इंडियन एयरलाइन्स के कैप्टन जे० पी० मिन्हा ने उन पांच सिख विमान अपहरणकर्त्ताओं की पहचान कर ली जो वर्ष 1981 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान का अपहरण करके लाहौर से गये थे।

- अप्रैल 25 गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन जारी । हिंसा में दस और व्यक्तियों की मृत्यु ।
- श्री जुलियो एफ० रिद्वैरो दिल्ली पुलिस के आयुक्त नियुक्त ।
- अकाली नेता श्री प्रकाश सिंह बादल पचमढ़ी जेल से रिहा ।
- 26 इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए दंगों की जांच करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा एक सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष नियुक्त ।
- सरकार ने अपने कर्मचारियों को अन्तरिम राहत और मंहगाई भत्ते की एक क़िस्त की घोषणा की ।
- इन्डियन एयरलाइन्स दिल्ली ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइन्स को हराकर तीसरी बार गोल्ड कप टूर्नामेंट जीता ।
- 27 अकाल दल को तोड़ने और उसे पुनः बनाने के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री गुरुचरण सिंह तोहड़ा के निर्णय का सिख मुख्य ग्रन्थियों द्वारा अनुमोदन ।
- सूरत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद के लिए सेना को बुलाया गया ।
- 29 श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने नई दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की ।
- भारत में तैयार किये गये प्लेलोड अनुराधा को ले जा रहा अंतरिक्ष शटल चैलेंजर, यूरोप में बनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में, कैप केनावरल से भारतीय समय के अनुसार शाम 9 बजकर 32 मिनट पर छोड़ा गया ।
- 30 श्रीमती इन्दिरा गांधी वर्ष 1983-84 के लिए मरणोपरान्त लेनिन शान्ति पुरस्कार से सम्मानित ।
- उड़ीसा के राजस्व मंत्री श्री निरंजन पटनायक ने अपने पद से इस्तीफा दिया ।
- श्रीमती इन्दिरा गांधी को राजकार्य में निपुणता के लिए मरणोपरान्त डा० बी० सी० राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । श्री राजीव गांधी ने पुरस्कार प्राप्त किया ।
- तमिल ईलम छापामारों द्वारा सेना पर किये गये हमलों में श्रीलंका के 24 सैनिक मारे गये ।
- मई 1 भारत और इटली ने सुरक्षा प्रणाली में अनुसंधान और विकास में सहयोग के बारे में एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
- ऊर्जा आयनों की संरचना और तीव्रता का पता लगाने के बारे में अमरीकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला 3 में रखे भारतीय प्रयोग, अनु-राधा को शुरू किया गया ।

- मई
- 1 व्याक कांग्रेस (इं) अध्यक्ष श्री भीष्म प्रसाद को सुधियाना जिने में खन्ना में स्थित उनके अपने कार्यालय में धातंनचारियों ने गोली से मार डाला ।
  - 2 श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने कहा है कि उन्होंने भारतीय दल संगोवाल ग्रुप के अध्यक्ष पद से इम्तीफा नहीं दिया है ।
  - विजय भूमतराज ने भ्रतान विंग सीजर पैलेस टेनिग प्रतिपोगिता के पहले दौर में सर्वोच्च बरीयता प्राप्त जिमी कोनसं को हराया ।
  - हिन्दी के जाने-माने लेखक 93 वर्षीय श्री बनारसी दास चतुर्वेदी का उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में निघन ।
  - 3 मध्य प्रदेश में खम्बल नदी में हुई नाव दुर्घटना में लगभग 65 व्यक्तियों की डूबकर मरने की घासंका ।
  - 4 श्रीलंका की नौसेना और सेना के टिकानों पर हुए कई हमलों में 28 तमिल छापामारों और तीन नाविकों की मृत्यु ।
  - इंडियन एयरलाइन्स की टीम ने कलकत्ता में ई० एम० ई० जालन्धर को हराकर बेटन हाकी कप प्रतिपोगिता जीती ।
  - 5 लोक सभा में भारतीय मार्क्सवादी पार्टी के नेता 67 वर्षीय डा० सारादीश राय का नई दिल्ली में निघन ।
  - प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1985 से इन्दिरा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा ।
  - 6 प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शताब्दी समारोहों का शुभारंभ किया ।
  - श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में नई दिल्ली का इन्द्रप्रसय इन्डोर स्टेडियम (देश को) समर्पित ।
  - कॉस्मिक किरणों का पता लगाने की भारत की प्रति-आधुनिक प्रणाली धनुराधा ने अपना सुनियोजित काम मफलतापूर्वक पूरा कर लिया ।
  - 7 गुजरात सरकार के कर्मचारियों ने रोस्टर प्रणाली पर हुए समझौते के बाद अपनी हड़ताल समाप्त की ।
  - सत्यजित रे को वर्ष 1985 के लिए दादासाहब फालके पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया । 'पार' फिल्म में उत्कृष्ट भूमिकाओं के लिए नसीरुद्दीन शाह को सर्वोत्तम पुरुष कलाकार और शबाना अजामी को सर्वोत्तम महिला कलाकार के पुरस्कार दिये गये ।
  - प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने आचार्य रघुनाथ शर्मा को अपनी उत्कृष्ट कृति 'अम्बकन्त्री' के लिए, वर्ष 1982 का विश्व संस्कृत भारती पुरस्कार दिया ।

- मई 7 श्री एस० पी० जगोता वर्ष 1985-86 के लिए जिनेवा स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गये ।
- दो वर्षों के अन्तराल के बाद असम आन्दोलन के नेताओं और सरकार के बीच नई दिल्ली में फिर बातचीत शुरू हुई ।
- 8 मुरुगन्डी स्थित एक मन्दिर में श्रीलंका की सेना ने 15 व्यक्तियों को मार डाला ।
- वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा सीमा शुल्क और आदकारी में 17 करोड़ रुपये की कई रियायतों की घोषणा ।
- 9 अहमदाबाद के कालूपुर क्षेत्र में हुई हिंसा में 9 व्यक्तियों की मृत्यु और 20 से अधिक घायल ।
- श्रीलंका ने पी० टी० आई० के संवाददाता किशन आनन्द को राष्ट्रपति जयवर्धने के भाषण को जानबूझ कर तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया ।
- 10 दिल्ली और उत्तरी भारत के बहुत से नगरों और शहरों में कई बम विस्फोटों में कम से कम 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गये । नागरिक अधिकारियों की मदद के लिए सेना बुलाई गई ।
- पंजाब लोकदल के अध्यक्ष श्री बलबीर सिंह की दो आतकवादीयों ने होशियारपुर में हत्या कर दी ।
- श्रीलंका में जाफना के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्र में सेना के कई हमलों से 200 तमिलों की मृत्यु ।
- न्यायमूर्ति श्री पी०एन० भगवती भारत के प्रधान न्यायधीश नियुक्त ।
- ओलम्पिक हाकी के भूतपूर्व गोलकीपर 58 वर्षीय श्री सी० देशामुथु का दिल का दौरा पड़ने से बंगलौर में निधन ।
- 11 दिल्ली और उत्तरी राज्यों में कई स्थानों पर हुई बम-विस्फोटों की घटनाओं में और 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।
- प्रकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल, अकाली विधायी पार्टी के नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दिए ।
- 12 भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, 73 वर्षीय श्री टी० स्वामीनाथन का नई दिल्ली में निधन ।
- सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री वी० एन० गाडगिल ने कन्नड़ लेखक श्री सी० के० नागराजा को उनके ऐतिहासिक उपन्यास 'पट्टोमहादेवी शान्तलादेवी' के लिए भारतीय ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया ।

- मई 12 चीन सिचों को नई दिल्ली में हुई बम विस्फोटों की घटनाओं में बधित रूप में संनिष्ठ होने के कारण में नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। इन पर उग्रवादी होने का संदिग्ह है।
- 13 अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की भागामी अमरीका यात्रा के दौरान सिध उग्रवादिनों द्वारा उन्हें मारने के पड्यंत्र का पता पता।
- स्वतंत्रता सेनानी, 77 वर्षीय श्री विनोद कुमार दाग मुस्ता का कलकत्ता में निधन।
- डा० पी० सी० धनेश्वरेन्द्र सन्दन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त।
- 14 राज्य सरकार और आन्दोलन कर रहे नेताओं के बीच बातचीत विफल हो जाने के कारण अहमदाबाद में हिंसा फिर भड़क उठने से 4 व्यक्तियों की मृत्यु।
- 15 चीतका के उत्तरी तटवर्ती समुद्र में नौसैनिकों ने 48 तमिलों को मार डाला और अन्य 30 तमिलों को घायल कर दिया।
- आंध्रप्रदेश विधानपरिषद् को समाप्त करने के बारे में एक विधेयक को लोकसभा ने सर्वसम्मति में पास कर दिया।
- संसद द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में संशोधन।
- 17 भारत और अमरीका ने दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी के स्थानान्तरण के बारे में प्रक्रियाओं के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये।
- संचार विभाग के पांच कर्मचारियों को उनकी उल्लूकत सेवाओं के लिए संचारदूत पुरस्कार प्रदान किये गये।
- 19 श्री प्रेम भाटिया और श्री राजकुमार बेसवानी को पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लूकत कार्यों के लिए बी० डी० गॉयनका पुरस्कार प्रदान किये गये।
- 20 लोकसभा में आतंकवादी निरोधक विधेयक संशोधन महिष्ठ पास कर दिया गया। इस संशोधन में आतंकवादी और सोडूकोडू की कार्यवाहियों के लिए दंड देने की व्यवस्था की गई है।
- सरकार ने निर्णय किया है कि 3 जून में केन्द्रीय सरकार के सभी दफ्तरों में 5 दिनों का गप्ताह रहेगा। लेकिन गप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस की अवधि 1 घंटा और बढ़ा दी गई।
- 21 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सोवियत संघ की 8 दिन की राजकीय यात्रा पर मास्को पहुंचे।
- राज्य सभा ने आतंकवादी निरोधक विधेयक को मजूरी दे दी।



मई 22 क्रेमलिन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और सोवियत नेता श्री मिखाइल गोर्बाचोव ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये। एक समझौता द्विपक्षीय आपसी सहयोग बढ़ाने के बारे में भारत को 10 करोड़ रूबल (1,000 करोड़ रुपये) के सोवियत ऋण से सम्बन्धित है और दूसरे समझौते में सन् 2000 तक दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापार सम्बन्धी, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को अपनाया गया है।

— उत्तरी असम के तिनाली क्षेत्र में स्थित तिनखॉंग में तेल का पता चला है।

— श्री प्रकाश नारायण 1 जुलाई से दो वर्ष के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त।

23 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने मिन्सक में वेलोरशियन सोवियत समाजवादी गणतंत्र के प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात की।

24 राष्ट्रपति ने आतंकवादी और तोड़फोड़ गतिविधियाँ निरोधक (रोकथाम) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।

— भारत और नीदरलैंड ने एमस्टरडम में सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

26 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सोवियत संघ की छः दिन की यात्रा के बाद स्वदेश वापस।

— श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने अकाली दल के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लिया।

27 नई दिल्ली में नं० 1, सफदरजंग रोड पर इन्दिरा गांधी स्मारक सबके लिए खोल दिया गया।

— मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा के पास चम्बल नदी में एक नाव दुर्घटना में 74 व्यक्तियों के डूब जाने की आशंका।

28 भारत और फ्रांस ने कोयला क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

— कांग्रेस (इ) ने मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में दो विधान सभा क्षेत्रों में फिर सफलता पाई।

29 सरकार ने सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा सील कर दी।

— आल इन्डिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन दो भागों में विभक्त। एक भाग के नेता श्री मंजीत सिंह और दूसरे भाग के नेता श्री हरचन्दर सिंह खालसा बने

- मई 30 श्री कोपाप्रभाकर राव ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद की शपथ ली।
- मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन के निचट मूर भाबिट मे लगी ब्याप में लगभग 1,500 दुसारे जलकर राख।
  - शकाली दल के वरिष्ठ नेताओं, श्री प्रकाश सिंह बादल, श्री गुरुचरण सिंह तोट्टा ने अपने-अपने पदों से दिए गये इस्तीफे वापस लिए।
- 31 श्री भीष्म नाटायण सिंह ने मित्रिम के राज्यपाल पद की शपथ ली।
- जून 1 श्रीमती प्रभाराव के प्रदेश कांग्रेस (ई) की अध्यक्षता निपुण हो जाने के विरोध में श्री वसन्त राव पाटिल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया।
- श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।
  - 2 श्री राजीव गांधी और श्री जयवर्धने के बीच डीन की जातीय समस्या के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई।
  - श्रीलंका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इरमाद के साथ बंगलादेश के तूफान में प्रभावित क्षेत्रों को देखने गये।
  - 3 राष्ट्रपति जयवर्धने और प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्री मंत्रा की जातीय समस्या को हल करने में भारत की मध्यस्थता का लाभ उठाने की सहमति।
  - श्री निवाजीराव पाटिल नीलगेकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
  - यूनेस्को के अधिशासी बोर्ड में चुनाव के लिए भारत ने श्री स्वर्ण सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा।
  - 4 योजना आयोग ने, केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शामिल प्रदेशों के लिए सानवी योजना में 1,80,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को अंतिम रूप दिया।
  - श्री निवाजीराव पाटिल नीलगेकर ने 24 मरम्भोय मंत्रिमण्डल की घोषणा की।
  - 5 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, 5 देशों की 15 दिनों की यात्रा के लिए रवाना।
  - काहिल में श्री राजीव गांधी और मित्र के राष्ट्रपति श्री हुमनी मुवारक ने, फिलिपीनी लोगों के स्वदेश के लिए मंषप को सहायता देने पर जोर दिया।

- जून 5 श्रीलंका में त्रिनकोमली के पास सशस्त्र सिंहली लोगों की भीड़ ने 80 तमिलों को मार डाला ।
- श्री मुल्क राज आनन्द का वर्ष 1985 के लिए 'इन्टर नेशनल अकेडेमी आफ फिलोसफी आफ आर्ट' पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया ।
- 6 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी फ्रांस की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे ।
- नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में अतिरिक्त सेशन जज श्री महेश चन्द्र की अदालत में इन्दिरा गांधी हत्याकाण्ड के मामले की सुनवाई शुरू ।
- सरकार द्वारा नई कपड़ा नीति की घोषणा ।
- 7 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेन्कोइस मितरां ने ईफल टावर के प्रथम तल में एक साल तक फ्रांस में चलने वाले भारतीय समारोह का उद्घाटन किया ।
- 8 भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक अनुसंधान यूनिट खोलने के बारे में, पेरिस में हस्ताक्षर किए ।
- महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस के भोगवती नदी में गिर जाने से 46 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ।
- 9 अहमदाबाद में पुनः भड़की हिंसा में आठ लोगों को जिन्दा जला दिया गया और सेना द्वारा गोली चलाए जाने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई ।
- 10 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एक दिन की यात्रा पर अल्जीरिया पहुंचे ।
- लाहौर में इन्डियन एयरलाइन्स के नौ सिख अपहरणकर्तारों पर मुकदमा शुरू ।
- दिल्ली, मणिपुर और त्रिपुरा के उपराज्यपाल और वर्मा में भारत के भूतपूर्व राजदूत श्री बालेश्वर प्रसाद का पटना में निधन ।
- 11 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमरीका की सरकारी यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे ।
- 12 अमरीका के राष्ट्रपति श्री रीगन ने व्हाइट हाउस के साउथ लान में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का भव्य स्वागत किया ।
- 13 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अमरीकी कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण दिया ।
- वाशिंगटन के कैनेडी सेंटर में भारत महोत्सव प्रारंभ हुआ । श्री राजीव गांधी और अमरीका के उपराष्ट्रपति श्री जार्ज बुश ने दो घंटे तक संगीत कार्यक्रम देखा ।

- जून 13 बिनासपुर जा रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की यात्रा के पास मालगाड़ी के भाग टकरा हो जाने से 37 व्यक्तियों की मृत्यु ।
- 14 श्री के० टी० सतारवाला, मेक्सिको में भारत के राजदूत नियुक्त ।
- लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में, पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ठिकानों पर फिर हमले किये ।
- 15 श्रीलंका के सुरक्षा बलों द्वारा मन्नार जिले में हुए एक हमले के दौरान 18 तमिल छापामारो को मार डाला गया ।
- 16 एक संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और भमरीबा के राष्ट्रपति श्री रोनाल्ड रीगन ने सभी सरकारों से अनुरोध किया कि वे भारतकषाद, जो कि शांति और लोकतन्त्र के लिए घतरा है, का मुकाबला करें ।
- श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में सेना ने लगभग 100 तमिल छापा-मारो को या तो मार डाला या घायल कर दिया ।
- पंजाब के प्रमुख राजनेता और लाला लाजपत राय के दत्तक पुत्र, 68 वर्षीय प्रोफेसर यशवन्त राय का चण्डीगढ़ में निधन ।
- 17 जिनेवा में, पत्रकार सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भयानक समस्या को हल करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र की पहल को मराहा ।
- लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने हमले और तेज किये ।
- 18 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अपनी 5 देशों की यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचे ।
- पंजाब प्रदेश कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष श्री सन्तोष सिंह रंधावा ने अपने पद से इस्तीफा दिया ।
- श्रीलंका सरकार और पांच प्रमुख अलगवादी गुटों के बीच सडवाई बन्द करने के बारे में सम्झौता सम्पन्न ।
- 19 भारत को सहायता देने वाले देशों की परिषद में हुई बैठक में भारत को वर्ष 1985-86 के लिए 4 अरब डॉलर की वित्तगत सम्बन्धी सहायता का वचन ।
- नई दिल्ली में राज्यों के सूचना मंत्रियों के 18वें सम्मेलन में प्रेस से स्वयं के लिए आचार संहिता तैयार करने का अनुरोध ।
- 20 अहमदाबाद में सेना द्वारा गोली चलाये जाने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु और 19 घायल ।
- 21 राष्ट्रपति श्री रीगन ने नेपाली सेना के प्रमुख श्री ब्रजु सिह राणा को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया ।

जून 21 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दो वैज्ञानिकों श्री एन० एन० सी० भाट और श्री एम० ए० राधाकृष्ण के नाम अमरीका के नेशनल एयरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित किये गये ।

23 एयर इन्डिया के बोइंग-747 विमान के आयरलैण्ड तट के पास एटलांटिक समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में सवार सभी 329 यात्री और चालक दल की मृत्यु ।

— प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विमान दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिये ।

— उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने गंगोत्री के पास भैरव घाटी पर एशिया के सबसे ऊंचे मोटर पुल का उद्घाटन किया ।

24 भारत और बल्गारिया ने नई दिल्ली में उड्डयन समझौते पर हस्ताक्षर किए ।

25 अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने विमान दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की भर्त्सना की ।

— एयर इन्डिया ने कनाडा को जाने वाली अपनी उड़ानें कुछ समय के लिए रद्द कर दीं ।

27 1982 के एशियाई खेलों में सफलता के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 54 खिलाड़ियों को एशियाड पुरस्कारों से सम्मानित किया ।

— डा० पी० सी० एलेक्जेन्डर ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के परिचय पत्र लंदन में प्रस्तुत किये ।

— विदेशी पासपोर्ट धारकों के पंजाब में प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को 2 नवम्बर 1985 तक के लिए बढ़ा दिया गया ।

28 केन्द्र ने ऐसे 150 सिख युवकों को रिहा करने का फैसला किया जो कि आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं हैं ।

— इलम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने मद्रास में हुई बैठक में श्रीलंका के बारे में थिम्पू वार्ता का बहिष्कार करने का फैसला किया ।

29 रक्षा मंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हाराव ने विधिवत रूप से मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया ।

30 व्यापक हिंसक घटनाओं के बाद सूरत में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू ।

जुलाई 1 वायुसेना अध्यक्ष, 58 वर्षीय एयर चीफ मार्शल एल० एम० कत्रे का दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में निधन ।

- जुलाई 2 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिआ-उल-हक ने दूरभाष पर, दोनों देशों के बीच भाषती सहयोग और सद्भावना बढ़ाने के अपने संकल्प को पुनः दोहराया।
- 3 एयर मार्शल डेनिस एन्वोनी वा फ्रान्से नये वायु सेना अध्यक्ष नियुक्त।
- दिल्ली के भूतपूर्व महापौर 82 वर्षीय श्री हंगराज गुप्ता का नई दिल्ली में निधन।
- 4 भारत और पाकिस्तान ने कृषि अनुसंधान में सहयोग के बारे में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- पाकिस्तानी सेना ने 2-3 जुलाई की रात को पुंछ जिले में भारतीय चौकियों पर गोली चलाई।
- श्री लखन लाल महरोत्रा और सुदर्शन कुमार भुटानी क्रमशः युगोस्लाविया और मिस्र में भारत के राजदूत नियुक्त।
- 5 नई दिल्ली में राज्यपालों के सम्मेलन में राष्ट्रपति शान्ति जैल सिंह द्वारा आरक्षण के मामले पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने का आह्वान।
- विश्व बैंक ने नर्मदा सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए, गुजरात सरकार को 5 अरब 40 करोड़ रुपये का ऋण दिया।
- मेघालय में कैप्टन संगमा के नेतृत्व वाले कांग्रेस (ई) मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रद्द।
- 6 श्री अमर सिंह चौधरी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ दितायी गई।
- अकाली दल के प्रमुख श्री हरचन्द सिंह सांगोवाल ने गुरचरण सिंह तोहड़ा के उस बक्तव्य का खण्डन किया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब समस्या संविधान के ढाँचे के अन्तर्गत नहीं सुलझाई जा सकती।
- 7 मुख्यमंत्री श्री अमर सिंह चौधरी के नेतृत्व वाले दम मदरसीय कांग्रेस मन्त्रिमंडल ने गुजरात में शपथ ग्रहण की।
- 8 भूटान की राजधानी थिम्पू में श्रीलंका सरकार और उग्रवादी तमिल गुटों के बीच बातचीत शुरू।
- राष्ट्रपति शान्ति जैल सिंह ने उद्योगपतियों और व्यापारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 'उद्योग रत्न' पुरस्कार प्रदान किये।
- श्री जे० एफ० रिबेरो पजाब पुलिस के नये महानिदेशक नियुक्त।
- 10 दुर्घटनाग्रस्त एयर इन्डिया जेट विमान का कारकित वायस रिकार्डर समुद्र तल में मिला।

- जुलाई 10 रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति डा० हिरो-नमोय वनर्जी का कलकत्ता में निधन ।
- थिम्पू वार्ता में श्रीलंका सरकार उत्तरी प्रान्त से कर्फ्यू हटाने और 600 तमिल वन्दियों को रिहा करने पर सहमत ।
- 11 फ्रांसीसी पोत लियोन चिवेनिन ने दुर्घटनाग्रस्त एयर इण्डिया जम्बो विमान के उड़ान से संबंधित आंकड़ों के रिकार्डर को समुद्र तल से प्राप्त किया ।
- यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र को भोपाल में विधिवत बन्द कर दिया गया ।
- 12 न्यायमूर्ति प्रफुल्लचन्द्र नटवरलाल भगवती को भारत के सत्रहवें प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई ।
- 13 सरकार ने कहा कि एयर इण्डिया बोइंग विमान दुर्घटना की जांच दिल्ली उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति डी० एन० किरपाल की अदालत करेगी ।
- 14 भारतीय जनसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर देव प्रसाद घोष का कलकत्ता में निधन ।
- 16 रक्षा मंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हाराव ने सोवियत संघ के लम्बी दूरी जाने वाले भारी परिवहन विमान आई० एल० का नाम गजराज रखा और इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया ।
- 18 गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियों और राज्य सरकार के बीच आरक्षण के मामले पर शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता हुआ ।
- 19 आरक्षण विरोधी आन्दोलन के नेताओं ने गुजरात में पांच महीनों से चले आ रहे आन्दोलन को वापस लिया ।
- 20 थिम्पू वार्ता में श्रीलंका सरकार के प्रस्ताव, ईलम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा को नामंजूर ।
- पंजाब में आई वाढ़ से 27 व्यक्तियों की मृत्यु ।
- 21 अहमदाबाद में हिंसक घटनाओं में कम से कम दस व्यक्तियों की मृत्यु और 21 घायल ।
- पंजाब और हिमाचल में आई वाढ़ से मृतकों की संख्या 55 हो गई ।
- 22 भारत और ब्राजील ने वायो-टेक्नोलॉजी, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
- जाने माने सर्वोदय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामा चौधरी का कटक में देहान्त ।

- जुलाई 22 पंजाब में छातकवादियों पर मुद्रमा चलाए जाने के बारे में विशेष प्रदानत अधिभूचना में अस्थि न बढ़ाने का सरकार का निर्णय ।
- भारत धीर सोदियत सप ने खेल में कारगर राष्ट्रिय बो ध्या-वहोरिक रूप देने के लिए एक खेल समरतीने पर हस्ताक्षर किए ।
- 23 श्री एल० के० झा प्रगामनिक गुवार पर प्रघानमत्री के सताह-कार नियुक्त ।
- श्री इन्द्रजीत सिंह चड्ढा बंगलादेश में भारत के उपायुक्त नियुक्त ।
- 24 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी धीर प्रकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिंह सोमोवाल ने एक ऐतिहासिक समरतीने पर हस्ताक्षर किए ।
- सर्वोच्च न्यायलय ने निर्णय दिया है कि सरकारी कर्मचारी को बिना जाय के सेवा में न तो यथालि किया जा सकता है और न ही निकाला जा सकता है ।
- अतिरिक्त सेकन जज श्री के० बी० एन्डलेने, भेजर जनरल एफ० डी० लारकिनस (अवकाश प्राप्त), एयर वाइंग मार्शल के० एच० लारकिनस (अवकाश प्राप्त) और ले० कर्नेल जगवीर सिंह (अवकाश प्राप्त) को जागुनी करने के आरोप में 10 वर्ष के बड़े कारावास की सजा दी ।
- 25 मन्त्री स्तर की दो दिवसीय 'विन्न स्तरीय ध्याहार करीयता' (गोवर्न मिस्टम आफ ट्रेड प्रेफरेन्सिज) बैठक नई दिल्ली में शुरू ।
- 26 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी धीर सत हरचन्द सिंह सोमोवाल के बीच हुए समरतीने को प्रकाली दल द्वारा सर्वगम्पनि में स्वीकृति दी गई ।
- 28 विलियर्ड के भारतीय धिलाड़ी श्री गुमाय अखवार ने टू पाट नियम के अन्तर्गत 1,788 प्वाइंट बनाकर एक मया बीनिमान बनाया ।
- 29 श्री तकपी निवसंकर दिल्ली को माहृय के लिए सर्व 1984 के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित किया गया ।
- 30 स्वर्ण मन्दिर परिसर में अल इन्दिया मिथ स्टूडेन्ट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं धीर प्रकाली दल के प्रमुख श्री सोमोवाल के सम्बंधकों के बीच हुई झगलों में 400 में अधिक व्यक्ति घायन ।
- भारतन विरोधी बट्टरनन्धियों ने मुद्रराज में भारतन के विरुद्ध धरना धान्दीनन वागन किया ।



जुलाई 31 संसद सदस्य श्री ललित माकन, उनकी पत्नी श्रीमती गीतान्जली माकन और एक आगन्तुक की नई दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई ।

अगस्त 1 भारत और पाकिस्तान के सचिवों ने शान्ति और मित्रता संधि के प्रस्ताव के प्रारूप पर नई दिल्ली में बातचीत की ।

— न्यायमूर्ति राजिन्द्र सच्चर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त ।

— भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने चार हवाई अड्डों पर आगन्तुकों पर लगे प्रतिबन्ध हटाए ।

— श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कम्पनी की पूंजी में पहली बार मजदूरों को अंशदान देने के बारे में संसद में दो नीतियों की घोषणा की ।

— भारत और साइप्रस ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के बारे में तीन वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए ।

— कुदाल आयोग की अवधि जुलाई 1986 तक के लिए बढ़ाई गई ।

— भारत के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में श्री शिवशंकर ने ढाका में राष्ट्रपति श्री इरशाद के साथ द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की ।

2 भारतीय खाद्य निगम की किसी भी सेवा में सरकार द्वारा हड़ताल पर पाबन्दी ।

3 उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास का लखनऊ में निधन ।

— वकील और सामाजिक कार्यकर्ता, 71 वर्षीय श्री मुरलीधर देवीदास आम्टे को वर्ष 1985 के लिए सार्वजनिक सेवाओं के लिए मेगासेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

— इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग और आल इण्डिया मुस्लिम लीग ने मिलकर इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की ।

4 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कलकत्ता में जोशीमठ और द्वारकापीठ के शंकराचार्य से मुलाकात की ।

— भारत और जोर्डन ने तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग के लिए अमान में एक समझौता किया ।

5 रंगमंच और फिल्म जगत के कलाकार और गायक कमल नारायण चौधरी का गुवाहाटी में निधन ।

— गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के कुछ हिस्सों से कर्पूर को हटा लिया ।

- अगस्त 5 जाने माने पत्रकार श्री बी० के० तिवारी का लदन में निधन ।
- केन्द्रीय मन्त्रिमंडल ने आवश्यक सेवाएं अधिनियम के त्रिआन्वयन को और चार वर्षों के लिए बढ़ाया ।
  - श्री शिवशंकर ने बंगलादेश यात्रा पर अपनी रिपोर्टें श्री राजीव गांधी को प्रस्तुत की ।
  - अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री शाह मोहम्मद दोस्त नई दिल्ली पहुंचे ।
  - लोक सभा ने दण्ड कानून (क्रिमिनल ला) संशोधन विधेयक पारित किया ।
- 6 तमिलनाडु के तंजावुर जिले में तेल और गैस का पता चला ।
- व्यापमूर्ति राजिन्दर सच्चर को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई ।
  - आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की आवांका में गिरफ्तार किए गए तमिल मूल के 525 कैदियों को थोलेका के सुरक्षा बलों ने रिहा किया ।
- 7 विश्व बिलियर्ड प्रतियोगिता में गीत सेठी ने अपने खल जीवन के शुरुआत में आस्ट्रेलिया के बाब मार्शल को नई दिल्ली में हराकर आर्थर बाकर ट्राफी जीती ।
- योयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी 82 वर्षीय श्री मिर्जा गुलाम कादिर बेग का अन्तनाय में निधन ।
  - श्री कपिल देव थोलेका के धीरे पर जा रही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए ।
- 8 100 मेगावाट वाली प्राकृतिक यूरैनियम भट्टी 'ध्रुव' बम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में चालू ।
- विदेश सचिव श्री रोमेश भडारी ने कोलम्बो में राष्ट्रपति जयवर्द्धने के साथ जातीय समस्या पर विचार-विमर्श किया ।
  - भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान की स्वास्थ्य योजनाओं को सहायता देने के बारे में एक समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये ।
  - भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल ए० एम० वैद्य सरकारी यात्रा पर मास्को पहुंचे ।
  - प्रधानमंत्री ने राजस्थान में उदयपुर का दौरा किया ।
- 9 नागा विद्रोहियों ने दम्फाल में मणिपुर के भूतपूर्व विल मती श्री एन० सोलोमन की गोली मार कर हत्या कर दी ।

- अगस्त 10 फिनिक्स में जहाँ कभी महात्मा गांधी रहे थे, काले लोगों ने एक सामुदायिक केन्द्र तथा दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों के घरों और दुकानों को आग लगा दी और लूटा ।
- वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नई दिल्ली में व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ खुली बहस में निर्यात बढ़ाने के उपायों की घोषणा की ।
  - वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, 76 वर्षीय श्री वारीन चटर्जी का कलकत्ता में देहान्त ।
- 12 गांधीनगर में गुजरात सरकार के अधिकारियों के एक दल और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के बीच वातचीत विफल ।
- मद्रास परमाणु विजली संयंत्र की 235 मेगावाट वाली दूसरी यूनिट कल्पकक्रम में चालू ।
  - विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ए० डब्ल्यू० ब्लासन नई दिल्ली पहुंचे ।
- 13 मध्य वम्बई में एक घर के ढह जाने से कम से कम 52 व्यक्तियों की मृत्यु ।
- 14 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपने भाषण में पंजाब समझौते की सराहना की ।
- 'विश्व वृद्धिजीवी सम्पत्ति संगठन' ने दो भारतीय खोजों को स्वर्ण और रजत पदक देने की घोषणा की ।
- 15 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में असम समझौते की घोषणा की ।
- भारतीय मूल के वेस्टइन्डीज के पुरस्कार विजेता उपन्यासकार और पत्रकार 40 वर्षीय श्री शिव नाइपाल का लंदन में निधन ।
  - असम सरकार ने, असम में लागू सभी निषेधाज्ञाएं वापस लीं ।
- 16 पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आई वाढ़ और भारी वर्षा में 157 व्यक्तियों की मृत्यु ।
- रांची की प्राध्यापिका डा० ऋता शुक्ल ने भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोत्तम लघु कथाकार का पुरस्कार जीता ।
  - वम्बई की विज्ञापन एजेन्सी 'मार्केट मूवर्स' और श्री अरुण एस० गोनगडे को 'राष्ट्रीय जागरूकता विज्ञापन 1985' के लिए द्वितीय अशोक जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।
- 17 चुनाव आयोग द्वारा 22 सितम्बर को पंजाब में चुनाव कराए जाने की घोषणा ।
- श्रीलंका की जातीय समस्या को हल करने के लिए आयोजित थिम्पू वार्ता विफल ।

- अगस्त 17 प्रसिद्ध भाषाविद्, 98 वर्षीय डा० सिद्धेश्वर वर्मा का नई दिल्ली में निधन ।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा पंजाब के हुसैनपुर गांव में रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने के कारखाने का शिलान्यास ।
- 18 असम के राज्यपाल श्री भीष्म नारायण सिंह ने 30 महीने पुरानी असम विधानसभा भंग कर दी ।
- गुजरात सरकार और हड़ताली सरकारी कर्मचारियों ने 73 दिनों से चली आ रही की हड़ताल समाप्त करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए ।
  - भारत और स्वीडन ने भारत को 50 करोड़ रुपये की महायुता देने के बारे में एक समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए ।
  - पंजाब चुनाव में अकाली दल ने भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की ।
  - उर्दू के कवि, 52 वर्षीय डा० शाज्ज तमक़त का हैदराबाद में निधन ।
- 19 लोकसभा ने आवश्यक सेवा अधिनियम की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाई ।
- मानव कंकालों के निर्यात पर पाबन्दी लगी ।
  - आतंकवादी निरोधक अधिनियम का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया तथा जम्मू और कश्मीर को इसकी परिधि में शामिल किया गया ।
  - पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की अवधि अगले तीन महीनों के लिए और बढ़ाए जाने की घोषणा की ।
- 20 पंजाब में संगरूर के पास शेरपुर गांव के गुश्दारे में अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिंह लो गोवाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई । पंजाब सरकार ने राज्य में दो दिन के सरकारी शोक की घोषणा की ।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायधीन न्यायमूर्ति मुतंजब फजल अली का नई दिल्ली में निधन ।
  - चार अज्ञात सख युवकों द्वारा कांग्रेस (ई) के नेता श्री डी० डी० छुल्लर की जालन्धर में हत्या ।
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह राज्य सरकार और सार्वजनिक निगमों के उन कर्मचारियों को पुनः सेवा में वापस ले, जो 31 अक्तूबर 1985 को 58 वर्ष के नहीं हैं और जिन्हें 28 फरवरी 1983 से 23 अगस्त 1984 के बीच सेवा-निवृत्ति की अवधि पूरी होने से पहले ही सेवा-निवृत्त कर दिया गया था ।

अगस्त 30 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने ने श्रीलंका सरकार और श्रीलंका में तमिल भ्रुप के नेता के बीच संभावित समझौते के प्राहूप पर नई दिल्ली में विचारविमर्श किया ।

— जामिया मिलिया के श्री मुश्ताक अहमद ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 1984 का नेहरू साक्षरता पुरस्कार प्राप्त किया ।

— भारत और अमरीका ने दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत दोनों देशों की फर्मे टेक्नोलॉजी विकास के नये क्षेत्रों में संयुक्त उद्योग लगायेंगी ।

— भारत और मारीशस ने नई दिल्ली में भारत-मारीशस संयुक्त आयोग की बैठक की कार्यवाही के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये । इसमें कहा गया है कि भारत-मारीशस को विभिन्न क्षेत्रों में 23 लघु विकास परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ 30 लाख की वित्तीय सहायता देगा ।

— भारत और नेपाल ने व्यापार और आवागमन के बारे में एक समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये ।

— भूतपूर्व सांसद श्री शंकरलाल तिवारी का भोपाल में निधन ।

31 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई दिल्ली में कानून मंत्रियों, मुख्य न्यायाधीशों और मुख्य मंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन को सम्बोधित किया ।

सितम्बर 1 अकाली दल के तलवन्डी ग्रुप द्वारा पंजाब चुनावों में भाग लेने की औपचारिक घोषणा के बाद संयुक्त अकाली दल दो भागों में विभक्त ।

— पुंछ जिले में निकारकोट वालियां गांव के पास पाकिस्तानी सेना ने अकारण ही भारतीय सुरक्षा बलों पर गोली चलाई ।

2 वम्बई उच्च न्यायलय के न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री ओ० एन० मेहता ने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के लिए महाराष्ट्र सरकार से 2 करोड़ रुपये लेने में सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोप से श्री ए० आर० अन्तुले को दोष-मुक्त घोषित किया ।

— सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और स्वतन्त्रता सेनानी 79 वर्षीय श्री लक्ष्मीकांत भेन्ने का पणजी में निधन ।

— प्रसिद्ध इतिहासकार और सम्बलपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति 65 वर्षीय डा० नवीन साहू का सम्बलपुर में निधन ।

- सितम्बर 2 जाफना में तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चा के तीन प्रमुख नेताओं श्री वी० धर्मतीगम, श्री एम० अलातामुन्दरम और श्री टी० असलीगम का तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी ।
- 3 उपराष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन ने नई दिल्ली में पत्र-पत्रिकाओं की छपाई और डिजाइन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये ।
- 4 कांग्रेस (इं) के महानगर पापेंद श्री अर्जुन दास और उनके सुरक्षा गार्ड की नई दिल्ली में गोली मारकर हत्या कर दी गई ।
- भारत में मलेशिया के नये उच्चायुक्त श्री मोहम्मद-बिन-हरो ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति जैव सिंह को अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किये ।
- हरियाणा सरकार ने सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण के लिए पंजाब को 15 करोड़ रुपये दिये ।
- 6 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी केरल में मछली पकड़ने के घाट-विजीनम और पुल्लूरकोनम क्षेत्र देखने गये ।
- चेकोस्लोवाकिया में ओलोमाऊ में एक सप्ताह तक चलने वाली रेलवे-खिलाड़ियों की विश्व प्रतियोगिता में पी० टी० उपा ने दो सौ मीटर की दौड़ में एक स्वर्ण पदक सहित तीन पदक जीते और उन्हें इस प्रतियोगिता का सर्वोत्तम खिलाड़ी घोषित किया गया ।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने केरल में साइलेन्ट वेली राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया और पालघाट देखने गए ।
- ईलम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने मद्रास में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की ।
- राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति श्री पालम चैतकेशव रेड्डी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया ।
- प्रोफेसर अनिलकुमार पी-एच० डी० डिग्री प्राप्त करने वाले देश के पहले नेत्रहीन विद्वान बन गये हैं ।
- राष्ट्रपति ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 52 में संशोधन करने का एक अध्यादेश जारी किया । इसमें व्यवस्था है कि एक किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार की मृत्यु होने के आघार पर ही चुनाव निरस्त किये जायेंगे ।
- 8 खबर है कि श्रीलंका के तीन गांवों में 50 से अधिक उम्मीदवारों की हत्या कर दी गई है ।

- सितम्बर 8 मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता, 85 वर्षीय श्री हाफिज़ मन्ज़ूर हुसैन का पटना में निधन ।
- 9 भारत में इक्वाडोर मिशन के राजनयिक श्री एडोल्फ एल्वारेज़ ने इक्वाडोर मिशन बन्द करके भारत छोड़ा ।
- श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष नियुक्त ।
- जौनपुर जिले में लखनऊ में वाराणसी सड़क पर सात वारगुदार नदी के ऊपर बना 179 मीटर लम्बा पुल यातायात के लिए खोल दिया गया ।
- 10 जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने बहुमत से यह निर्णय किया कि वह तीन विपक्षी सदस्यों के विधान सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने के बारे में राज्य उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करेगी ।
- जम्मू क्षेत्र में भारत-पाक सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आस-पास आवागमन पर पाबन्दी लगा दी गई है । ये आदेश तुरन्त प्रभावी हो गये हैं ।
- पाकिस्तान में भारत के नये राजदूत श्री एस० के० सिंह ने इस्लामाबाद में अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किये ।
- 11 श्रीलंका ने कोलम्बो में भारत को 149 रनों से हराकर भारत के साथ खेले टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत हासिल की ।
- 12 सभी भारतीय नागरिकों पर दहेज विरोधी संशोधित कानून 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा ।
- संयुक्तराष्ट्र महासचिव डैंग हैमरशोल्ड के 1960 के दौरान सैनिक सलाहकार, 65 वर्षीय जनरल इन्दरजीत रिखी को वर्ष 1985 के लिए यूनेस्को का 'शांति के लिए शिक्षा' पुरस्कार प्राप्त हुआ ।
- 13 बम्बई से लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर में नये बम्बई हाई क्षेत्र के पहले कूप से तेल निकला ।
- श्री होमी जे० एच० तल्यार खान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य नियुक्त ।
- फ्रांस से मिराज-2000 की दूसरी खेप भारत पहुंची ।
- श्री अकबर मिर्जा खलीदी इटली में भारत के नये राजदूत नियुक्त ।
- 14 मणिपुर में कांग्रेस मंत्रिमंडल में नये मंत्रियों को शामिल करके मंत्रियों की संख्या 17 कर दी गई ।

- सितम्बर 15 लखनऊ में हुई भारी वर्षा में 16 व्यक्तियों की मृत्यु ।
- 16 राष्ट्रपति द्वारा कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानान्तरण ।
- 17 योजना आयोग द्वारा सातवीं योजना के प्राव्य को मंजूरी ।
- श्रीलंका में तमिल उग्रवादी गुटों के शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की ।
- 18 भारत में पोलैंड के नये राजदूत श्री जानुस स्वित्सीवस्की ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किये ।
- नेपाल के महाराजाधिराज और महारानी भारत की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे ।
- 19 श्रीलंका में केन्डी में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा अंतिम क्रिकेट टेस्ट बिना हार-जीत के फैमले के समाप्त और श्रीलंका ने यह क्रिकेट शृंखला शून्य के मुकाबले एक से जीती ।
- कानून मंत्री श्री ए० के० मेन ने नई दिल्ली में मविधान के संस्कृत भाषा में संस्करण का विमोचन किया ।
- 20 नेपाल के महाराजाधिराज और महारानी दिल्ली में स्वदेश रवाना ।
- मित्रो नेशनल फ्रंट के प्रमुख श्री लालबेगा ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मन्त्रि से मुलाकात की ।
- 21 पंजाब के भूतपूर्व मंत्री और सांसद 80 वर्षीय श्री अमरनाथ बिद्यालंकार का नई दिल्ली में निधन ।
- प्रांफेमर जी० राम रेड्डी पांच वर्ष के लिए इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त ।
- 22 दिल्ली में ट्रान्जिस्टर वम विस्फोटों में 3 व्यक्तियों की मृत्यु ।
- भातखण्डे संगीत कालेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य और सर्गीतज्ञ, 80 वर्षीय श्री गोविन्द नारायण नाटू का लखनऊ में निधन ।
- 23 पंजाब में हुए कम से कम छ वम विस्फोटों में तीन लड़कियों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया तथा छ बाहनों को नुकसान पहुंचा ।
- श्री नारायण शत तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया ।
- भारत और पकिस्तान के संचार मंत्रियों ने टेलीफोन पर बात करके दोनों देशों के बीच नई कोएवियसल दूर-संचार व्यवस्था का उद्घाटन किया ।



- सितम्बर 23 वर्ष 1984-85 के लिए सिन्धी के छः लेखकों को साहित्य पुरस्कार प्रदान किये गए। इन पुरस्कारों के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने सातवीं बार प्रतियोगिता आयोजित की थी।
- 24 पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दिया।
- श्री वीर बहादुर सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गई।
- श्रीलंका में अपने सगे-सम्बन्धियों के प्रति लोगों की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए तमिलनाडु में राज्य सरकार द्वारा समर्थित बन्द रखा गया।
- 25 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में फेरबदल की। मंत्रिमण्डल के छः सदस्यों को हटाकर 15 नए सदस्य शामिल किये गए।
- लखनऊ में 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलायी गयी।
- स्वतन्त्रता सेनानी और क्रांतिकारी श्री सचिन बनर्जी का कलकत्ता में निधन।
- भारत ने पूर्वी जर्मनी के साथ प्रतिवर्ष 1 लाख 50 हजार टन यूरिया की आपूर्ति के बारे में तीन साल के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 26 मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला वर्ष 1985 लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार किशोर कुमार को प्रदान किया गया।
- केरल विश्वविद्यालय ने पक्षी विशेषज्ञ श्री सलीम अली को डाक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया।
- गायन-वादन विद्यालय के संस्थापक और प्रसिद्ध गायक 80 वर्षीय श्री अनन्त हरी गुंजेकार उर्फ अन्ना साहव का नांदेड़ में निधन।
- ओडिसी प्रशिक्षण केन्द्र के संस्थापक सदस्य और स्वतन्त्रता सेनानी 67 वर्षीय श्री बाबूलाल दोशी का भुवनेश्वर में निधन।
- 27 श्री सुरजीत सिंह वरनाला को सर्वसम्मति से अकाली दल विधायी पार्टी का नेता चुना गया।
- पंजाब विधान सभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल को 73, कांग्रेस (इं.) को 32, भारतीय जनता पार्टी को 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक, जनता पार्टी को एक तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को 4 सीटों पर विजय प्राप्त। लोक सभा के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस (इं.) को और अकाली दल लोंगोवाल को 7 सीटें मिलीं।

दिसम्बर 29 राष्ट्रपति ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने की घोषणा की।

- चुनाव आयोग ने पंजाब की नई विधान सभा के गठन के बारे में अधिसूचना जारी की।
- पंजाब के राज्यपाल श्री अर्जुनसिंह ने चण्डीगढ़ में मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व वाले 6 सदस्यीय मंत्रिमण्डल को शपथ दिलायी।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी तीन दिन की यात्रा पर भूटान पहुंचे।
- 65 वर्षीय फिल्म निर्माता श्री दीपवन्द करकरिया का कलकत्ता में निधन।
- आगामी राष्ट्रीय खेलों के लिए खेलते हुए शेर 'राजू' को स्थायी प्रतीक चिन्ह बनाने के बारे में घोषणा की गई।

30 पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 224 लोगों को हिरासत में लेने के अपने आदेश वापस लिए।

- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने थिम्पू में भूटान नेशनल एसेम्बली के विशेष अधिवेशन को सम्बोधित किया। वे पारो भी गये।
- भारत ने जकार्ता में हुई छठी एशियाई ट्रेक एवं फील्ड प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीते।

अक्तूबर 1 भारत ने द्यूनीशिया स्थित फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मुख्यालय पर इन्फाइल द्वारा बमबारी की भर्त्सना की।

- भारत ने साहरवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता प्रदान की।
- भारत द्वारा साहरवी अरब गणराज्य को मान्यता प्रदान करने के कारण मोरक्को ने भारत के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़े।
- भारत और फ्रान्स के 14 सदस्यीय सेना के दल ने 7,756 मीटर ऊँचा कश्मिरी चोटी पर चढ़ने में सफलता पायी।

2 प्रधानमंत्री ने द्यूनीशिया स्थित पी० एल० ओ० मुख्यालय पर इन्फाइल द्वारा बमबारी की निन्दा की और श्री यासर अराफात को भेजे एक द्वादश में उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर चिन्ता व्यक्त की।

- पंजाब में सरकार ने राजनीतिक आन्दोलनों के दौरान गिरफ्तार किये गए लोगों के मामलों और अगस्त 1981 से दण्डनीय अपराधों में दण्डित अन्य कुछ लोगों पर चल रहे मुकदमों के मामलों की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की।

- अक्तूबर 2 विदेश मन्त्री श्री वलिराम भगत और अमरीका के विदेश मंत्री जार्ज शुल्ज ने न्यूयार्क में द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की।
- यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयुक्त श्री क्लाउडी चेशन ने नई दिल्ली में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की।
- 3 पुंछ में वगियालदारा और सोकार क्षेत्रों में एक अक्तूबर को पाकिस्तान की सेना ने अकारण गोलियां चलायीं।
- बंगलादेश ने 9 सितम्बर से भारतीय मालवाहक जहाज अरिमाटा को, जिसमें चालक दल के 25 व्यक्ति सवार थे, चेक-वरिया में रोका।
  - भारत और सोवियत संघ ने उत्तरी कैम्बे और कावेरी के थाले में हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के बारे में एक आम समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - सरकार ने भोपाल दुर्घटना के मामले में अमरीकी अदालत के आदेश के अनुपालन के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस आदेश में, यूनियन कार्बाइड ने भारत सरकार और इस मामले में अन्य दावेदारों से कहा गया है कि वे भोपाल दुर्घटना से सम्बन्धित किसी साक्ष्य या अभिलेख को खराब न करें।
  - जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान विभाग के डीन प्रोफ़ेसर विशाल सिंह का नई दिल्ली में निधन।
- 4 प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया के महाप्रबन्धक के पद पर श्री एन० आर० चोट्टन के स्थान पर श्री पी० उन्नीकुण्णन ने कार्यभार संभाला।
- वाणिज्य मंत्रालय में कपड़ा विभाग में उपमन्त्री श्री पी० चिदम्बरम् का विभाग बदल दिया गया। उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग का कार्य भी सौंपा गया।
  - पुंछ और राजौरी सैक्टरों में, लंगरूर नगरकोट और सोकर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोली चलायी।
- 5 कनाडा स्थित पंजाबी लेखकों और कलाकारों की अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशन ने वर्ष 1984 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिरोमणि साहित्य पुरस्कार, डा० सुरजीत सिंह सेठी को प्रदान किया।
- न्यायमूर्ति श्री हृदय नाथ सेठ इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त।
- 6 प्रसिद्ध व्यंग्यकार, मूर्तिकार और स्वतन्त्रता सेनानी, 80 वर्षीय

अक्टूबर : 6 नई दिल्ली में लोक प्रदानत भारम्भ ।

— पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कारगिल में घात लगाकर तीन भारतीय जवानों को मार डाला ।

— जाने-माने स्वतन्त्रता सेनानी, 78 वर्षीय श्री पुरुषोत्तमदास चिकनीवाला का इलाहाबाद में निधन ।

— 95 वर्षीय स्वतन्त्रता सेनानी श्री नसहल्ला भम्बासी का वम्बई में निधन ।

7 केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने गंगा को साफ करने के लिए 292 करोड़ रुपये की मंजूरी दी ।

— भारत ने ईलम नेता श्री एस० बालासिंहम को देश से बाहर भेजने के अपने आदेश वापस लिए ।

— भारतीय पर्वतारोही मेजर किरण इन्द्र कुमार को माउन्ट एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रयास में मृत्यु ।

8 मंत्रिमण्डल ने सातवीं योजना के प्रारूप को मंजूरी दी ।

9 राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वार एसोसिएशन की सम्मान-सदिका, न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती को प्रदान की ।

— भारत और मिछ ने दोनों देशों के बीच हृषि सम्बन्धों को और बढ़ाने के लिए काहिरा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

10 पंजाब के राज्यपाल के भूतपूर्व (शुरुआत) सलाहकार ले० जनरल के० गौरीशंकर का दिन का दौरा पड़ने से मद्रास में निधन ।

— पाकिस्तानी सेना ने पुछ मेक्टर में, बगियालदारा, नलवा और नकारकोर स्थित भारतीय ठिकानों पर अकारण गोलीपा चलाई ।

— विदेश मंत्रालय ने धमरीकी स्तम्भ लेखक श्री जैक एडरमन को उन रिपोर्ट का खण्डन किया, जिसमें कहा गया है कि भारत हाइड्रोजन बम बनाने की राह पर चल रहा है ।

11 प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने नई दिल्ली में प्रेस क्लब में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया ।

— मेजर जब बहुगुणा, मेजर रजित मिह बक्शी, कैप्टन विजयपाल मिह और लेफ्टि० एन० यू० वी० राव और भारतीय सेना के एवरेस्ट अभियान दल के चार और सदस्यों का साउथ कील जिविर में निधन ।

— भारत और हंगरी ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए तीन वर्ष के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

अक्तूबर 2 विदेश मन्त्री श्री वलिराम भगत और अमरीका के विदेश मंत्री जार्ज शुल्ज ने न्यूयार्क में द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की।

— यूरोपीय आर्थिक समुदाय के आयुक्त श्री क्लाउडी चेशन ने नई दिल्ली में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की।

3 पुंछ में वगियालदारा और सोकार क्षेत्रों में एक अक्तूबर को पाकिस्तान की सेना ने अकारण गोलियां चलायीं।

— बंगलादेश ने 9 सितम्बर से भारतीय मालवाहक जहाज अरिमाटा को, जिसमें चालक दल के 25 व्यक्ति सवार थे, चेक-वरिया में रोका।

— भारत और सोवियत संघ ने उत्तरी कैम्बे और कावेरी के थाले में हाइड्रोकार्बन का पता लगाने के बारे में एक आम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

— सरकार ने भोपाल दुर्घटना के मामले में अमरीकी अदालत के आदेश के अनुपालन के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस आदेश में, यूनियन कार्वाइड ने भारत सरकार और इस मामले में अन्य दावेदारों से कहा गया है कि वे भोपाल दुर्घटना से सम्बन्धित किसी साक्ष्य या अभिलेख को खराब न करें।

— जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान विभाग के डीन प्रोफेसर विशाल सिंह का नई दिल्ली में निधन।

4 प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया के महाप्रबन्धक के पद पर श्री एन० आर० चौटन के स्थान पर श्री पी० उन्नीकृष्णन ने कार्यभार संभाला।

— वाणिज्य मंत्रालय में कपड़ा विभाग में उपमन्त्री श्री पी० चिदम्बरम् का विभाग बदल दिया गया। उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग का कार्य भी सौंपा गया।

— पुंछ और राजौरी सैक्टरों में, लंगरूर नगरकोट और सोकार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोली चलायी।

5 कनाडा स्थित पंजाबी लेखकों और कलाकारों की अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशन ने वर्ष 1984 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिरोमणि साहित्य पुरस्कार, डा० सुरजीत सिंह सेठी को प्रदान किया।

— न्यायमूर्ति श्री हृदय नाथ सेठ इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त।

6 प्रसिद्ध व्यंग्यकार, मूर्तिकार और स्वतन्त्रता सेनानी, 80 वर्षीय श्री आर० एस० नायडू का मैसूर में निधन।

- अक्तूबर 16 प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने बाह्रमाज में, नम्राऊ में राष्ट्र मण्डल मिश्रण सम्मेलन में पहले दिन राष्ट्र मण्डल देशों में प्रवल अनुरोध किया कि वे दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार के विरुद्ध प्रतिबन्धों की मांग करें।
- भारी वर्षा और समुद्री ज्वार के साथ-साथ तेज भूकान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर सक्रिय।
  - श्री जे० एफ० रिबेरो, गृह मंत्रालय में वित्त सचिव नियुक्त।
  - राजस्थान के राज्यपाल श्री ओ० पी० मेहरा ने जयपुर में 12 मन्त्रियों को अपने पद की शपथ दिलायी।
  - स्वतन्त्रता सेनानी, शिवाशास्त्री, और कांग्रेस (इं) के भूतपूर्व सांसद 64 वर्षीय श्री चन्द्रमान बालाजी पाटिल का दुणे में निधन।
- 17 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह लक्ष्मीय की अपनी यात्रा के दौरान कोचीन पहुंचे।
- 18 करारकम स्थित 50 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियेक्टर ने काम करना शुरू कर दिया।
- कनाडा ने अपने प्रत्यर्पण अधिनियम में भारत को शामिल किया जिससे भारत, कनाडा में रह रहे भारतीयों द्वारा आतंकवाद की कार्रवाई को रोक सके।
  - नम्राऊ में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और बंगलादेश के राष्ट्रपति श्री इरशाद ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के प्रश्न पर एक समझौता किया।
  - मतवाली उन्व्यासकार श्री एम० टी० वामुदेवन नायर को अपने उपन्यास 'रण्डम ऊप्राणे' के लिए, वर्ष 1985 का बायलार राम वर्मा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  - मराठी भाषा के साहित्यकार श्री दिण्णु वेडेकर को अपनी आत्मकथा 'इक जद्दानी दोन' के लिए साहित्य सम्प्रदा केलकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
  - राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने लक्ष्मीय में कव्वाली, में इन्दिरा गांधी के नाम पर रखे गये साहित्य कला अकादमी के भवन का उद्घाटन किया।
  - पाकिस्तानी सेना ने 16 और 17 अक्तूबर को पुंछ सेक्टर में भारत की दो चौकियों पर गोलिया चलायीं।
  - भूतपूर्व सांसद श्री बाबूराव काले का बम्बई में निधन।
  - सरकार ने विदेशी पत्रकारों को, बिना किसी पूर्व सूचना के असम में घूमने की अनुमति प्रदान की।

- अक्तूबर 11 विश्व हिन्दू परिषद के संस्थापक सदस्य 80 वर्षीय श्री शिवराम शंकर उर्फ दादा साहव आप्टे का पुणे में निधन।
- उड़ीसा की मत्स्य विकास परियोजना के लिए नार्वे द्वारा 3 करोड़ 17 लाख रुपये की सहायता दिए जाने के बारे में नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- 12 भारतीय मूल के केन्या निवासी, न्यायमूर्ति चुन्नीलाल भगवान दास मदान को केन्या का कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के पुखार क्षेत्र में भारत की आगे की चौकियों पर अकारण गोलियां चलायीं।
- 13 उत्तर प्रदेश में देवस्यली में जनता पार्टी का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इसमें सशक्त परमाणु नीति के पक्ष में प्रस्ताव पास किया गया।
- पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में दिगवार और दारे क्षेत्रों में अकारण गोलियां चलायीं।
- नेपाल के महाराजाधिराज ने भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल ए० एस० वैद्य को रायल नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया और जनरल की तलवार उन्हें भेंट की।
- 14 प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ब्रिटेन की दो दिन की राजकीय यात्रा पर लन्दन पहुंचे।
- गृह मंत्रालय ने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग के विचारणीय विषयों में संशोधन किया जिससे कि वोकारो और कानपुर में हुए दंगों को इसके जांच-क्षेत्र में लाया जा सके।
- चण्डीगढ़ में पंजाब विधान सभा का अधिवेशन आरम्भ।
- भूतपूर्व रेल राज्य मंत्री, 68 वर्षीय श्री परिमल घोष का कलकत्ता में निधन।
- असम में दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों पी० एल० पी० और ए० जे० डी० का गोलगघाट में विलय हो गया और एक नई क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद बनी।
- 15 पाकिस्तानी सेना द्वारा पुंछ क्षेत्र के नगरकोट और वगियालदारा क्षेत्र में अकारण गोली चलाने की कार्यवाही।
- श्री रवि इन्दर सिंह, सर्वसम्मति से पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
- भिवन्डी में राष्ट्रीय शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता में श्री विजोय भट्टाचार्य ने वर्ष 1985 का भारतश्री का खिताब जीता।

- अक्तूबर 24 अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, कृषि विश्वविद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए भारत को 7 करोड़ 21 लाख डालर का ऋण देगी।
- श्री राजीव गांधी ने न्यूयॉर्क में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री रणनिधि प्रेमदासा से मुलाकात की।
- 25 प्रधानमंत्री ने हेग में, हार्लैण्ड के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की।
- 26 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मास्को पहुंचे और सोवियत संघ के नेता श्री मिखाइल गोर्बाचोव के साथ मुलाकात की।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोबर्धन लाल जमनालाल श्रोत्रा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त।
- 27 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अपनी विदेश यात्रा के बाद नई दिल्ली लौटे।
- कपिल देव शरजाह और आस्ट्रेलिया में क्रिकेट के आगामी मैचों में भारतीय टीम के कप्तान चुने गए।
- 28 इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद हुई सामूहिक हिंसा और हत्याभों के आरोपों की जांच के बारे में, गठित मिथ्या आयोग की कार्य अवधि अगले छ महीनों के लिए बढ़ा दी गई।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वकिम चन्द्र राय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त।
- केन्द्र ने वर्ष 1983-84 के लिए राष्ट्रीय खनिज पुरस्कारों के लिए 10 भूगर्भ वैज्ञानिकों को चुना।
- 29, हिमालयन कार रैली में केन्या के श्री जयन्त शाह लगातार चौथी बार विजयी।
- मुख्यमंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए तमिलनाडु के सभी मंत्रियों ने एक साथ अपने इस्तीफे दिए।
- पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधान सभा में बताया कि सरकार उन मामलों को वापस नहीं लेगी जिनमें राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह करने के आरोप में मुकदमे चलाये जा रहे हैं।
- श्रीलंका के नौसेना कर्मचारियों ने भारतीय म्मुद्दी सीमा के अन्तर्गत मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं पर हमले किए।
- अब डाकू जीवन बीमा योजना का लाभ केन्द्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।



- अक्टूबर 19 श्री टी० एन० कौल के स्थान पर श्री स्वर्ण सिंह यूनेस्को की कार्यकारिणी में चुने गए।
- 20 वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और भूतपूर्व सांसद, 80 वर्षीय श्री शिव्वन लाल सबसेना का उत्तर प्रदेश में बलरामपुर अस्पताल में निधन हो गया।
- विदेश सचिव श्री रोमेश भण्डारी ने वाहमाज में, नसाऊ में, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जे० आर० जयवर्धने से मुलाकात की।
- 21 प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी हवाना पहुंचे।
- राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कर्नाटक की चार दिन की यात्रा पर कोचीन से बंगलूर पहुंचे।
- वेस्ट-जोन ने साउथ-जोन को 9 विकेट से हराकर दिल्ली ट्राफी जीती।
- 22 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी न्यूयार्क पहुंचे।
- देश में पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के दिल्ली प्रशासन द्वारा उपभोक्ता मामलों का विभाग खोला गया।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत को 245 मिलियन डालर के मूल्य की अतिरिक्त विकास सहायता देने का निर्णय किया है।
- भारत के श्री इनाम रहमान, सोफिया में यूनेस्को के ग्राम सम्मेलन के प्रारूप तैयार करने और विचार-विमर्श करने वाले दल के अध्यक्ष चुने गए।
- 23 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने मैसूर में 500 विस्तरों के एक अस्पताल की आधारशिला रखी।
- प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने न्यूयार्क में चीन के प्रधानमन्त्री श्री झाओ जियांग और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक से मुलाकात की।
- पुंछ सैंटर के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच कई बार गोलीबारी हुई।
- 24 प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के चालीसवें स्थापना दिवस पर एक अधिवेशन को सम्बोधित किया।
- वर्ष 1983 और 1984 के लिए अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा की गई।
- प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने न्यूयार्क में अमरीका के राष्ट्रपति श्री रोनाल्ड रीगन के साथ बातचीत की।

नवम्बर 3 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने, देहरादून के हून स्कूल के स्वर्ण जयन्ती समारोह की अध्यक्षता की।

- 4 नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सीमा-विवाद के बारे में, सरकारी स्तर की बातचीत का छठा दौर शुरू।
  - भारत ने श्रीलंका के छः तमिल गुटों को 7 नवम्बर को नई दिल्ली में बातचीत के लिए आमन्त्रित किया।
  - भारत ने वैंकूवर के निकट सैन्य प्रशिक्षण के स्कूल रायमाला के सम्बन्ध में कनाडा को अपनी चिन्ता व्यक्त की।
  - राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी० पी० गुप्ता को राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के पद की शपथ दिलायी गई।
- 5 भारतीय सेना के एवरेस्ट अभियान दल ने 8,848 मीटर ऊँची चोटी पर चढ़ने का अपना प्रयास छोड़ दिया।
  - 5 स्वतन्त्रता सेनानियों श्री बी० बी० कार्तिक का बम्बई में निधन।
    - भारत और मोरिशस में कोयले के क्षेत्र में सहयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
    - अमेरिका के नीमेता अध्यक्ष एडमिरल जेम्स वाटकिन्स ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की।
    - राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह महाराष्ट्र को पाच दिवसीय यात्रा के बाद नई दिल्ली लौटे।
- 6 मुख्य चुनाव आयुक्त श्री आर० के० त्रिवेदी ने अरुण में, लोक सभा की 14 सीटों और अरुण विधान सभा की 126 सीटों के लिए तथा गणेश भारत में लोक सभा की 6 और विधान सभा की 11 सीटों के लिए 16 दिसम्बर 1985 को चुनाव कराए जाने की घोषणा की।
  - हिन्दी सिने-जगत के जाने माने कलाकार, 47 वर्षीय सर्जिव कुमार का बम्बई में निधन।
  - प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने गुरदासपुर जिले में 7 अरब 50 करोड़ रुपये के धीन बाघ की आधारागिना रयी और पटियाला में उत्तरी क्षेत्र के सांस्कृतिक केन्द्र का उद्घाटन किया।
  - पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा रुक-रुक कर गोली चलाने की कार्यवाही जारी।
  - प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों के युवाओं के पाच दिन के समारोह 'नेमोकेस्ट-85' का उद्घाटन किया।

- अक्तूबर 29 स्वतन्त्रता सेनानी और महात्मा गांधी के घनिष्ठ सहयोगी 76 वर्षीय श्री भीही अमृतुसलाम का दिल्ली में निधन ।
- विदेशों को भारत की गुप्त सूचना देने के आरोप में दिल्ली के व्यापारी राम स्वरूप दिल्ली में गिरफ्तार ।
- जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच गोली-वारी जारी ।
- मणिपुर सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों से सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत लगी पावन्दी को अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया ।
- विदेशियों के लिए वर्जित क्षेत्र आदेश, 1963 के अन्तर्गत सम्पूर्ण पंजाब क्षेत्र 2 दिसम्बर 1985 तक वर्जित क्षेत्र रहेगा ।
- 30, प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिपद की पहली बैठक का उद्घाटन किया ।
- पंजाब सरकार ने वैंस समिति की सिफारिशों पर 456 नजरबन्दों को रिहा करने के आदेश दिए ।
- 31, इन्दिरा गांधी की शहादत की पहली वर्षगांठ, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, के अवसर पर प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने, नई दिल्ली में एक रैली को सम्बोधित किया ।
- आल इन्डिया सिख स्टूडेंट्स फ़ैडरेशन के कार्यकर्त्तियों ने अमृतसर में अकाल तख्त के प्राचीर पर लगी रेलिगों को तोड़ डाला ।
- सरकार ने, मैथ्यू आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करने की अवधि 30 नवम्बर तक, अर्थात् एक महीने के लिए बढ़ायी ।
- पंजाब सरकार ने 269 और लोगों को रिहा करने के आदेश दिये जिन्हें विभिन्न घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था ।
- हैदराबाद के पास जपल रंगपुर वेधशाला के वैज्ञानिकों ने हेली धूमकेतु को देखा ।
- नवम्बर 1 जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा अकारण गोली चलाये जाने की कार्यवाही जारी ।
- 2 नई दिल्ली में मोहन वगान ने जे०सी०टी० फगवाड़ा को चार गोल से हराकर डूरन्ड कप फिर जीता ।
- राष्ट्रपति जैल सिंह ने पुणे विश्वविद्यालय के 73वें दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित किया ।

- नवम्बर 11 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बम्बई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित 100 मेगावाट की अनुसंधान घड़ी 'ध्रुव' को राष्ट्र को समर्पित किया।
- चण्डीगढ़ में रणधीर सिंह बीमा के नेतृत्व में 6 वरिष्ठ सदस्यों ने संयुक्त अफगानी दल छोड़ दिया।
  - भारत-चीन सीमा बाधा का छटा दौर बिना किसी कसरत के समाप्त हुआ।
  - स्वतंत्रता सेनानी 54 वर्षीय श्री मुंगीला बेन नगेन्द्र व्यास का ग्रहणवाद में निघन।
  - स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता 80 वर्षीय श्री वैजीभाई नाथनानी का राजकांट में निघन।
- 13 तमिलनाडु में तूफान और भारी वर्षा ने 63 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और मद्रास में संचार व्यवस्था में रूकावटें आईं।
- श्री टी० वी० राजेश्वर और श्री निव स्वरूप क्रमशः पितृहम और अरणाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त।
- 13 कन्नड़ उपन्यासकार, 75 वर्षीय श्री कृष्णामूर्ति पुष्पिक का बंगलूर में गिरफ्त में निघन।
- श्रीलंका में सुरक्षा बलों ने 17 तमिलों को मार डाला।
  - भारत ने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की विधि समिति को अपनी विन्ता व्यक्त की।
  - अमरीका के जोर्जिया विश्वविद्यालय ने भारत के पौध आनुवंशिकी विशेषज्ञ श्री एम०एस० स्वामीनाथन को पौध आनुवंशिकी और पौध प्रजनन के अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया।
- 14 श्री अर्जुन सिंह द्वारा पंजाब के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद डा० शंकरदयाल जमा पंजाब के राज्यपाल नियुक्त। श्री वसंतराव पाटिल और श्रीमती कुमुद बेन जोशी क्रमशः राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त तथा एच० वाइन मार्गेल (अवकाश प्राप्त) श्री एच० एल० कपूर, दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त।
- बम्बई से 70 किलोमीटर पश्चिम में, समुद्र में एक कुएं में तेल और गैस होने का पता चला। अण्डोला के दक्षिण पश्चिम में, 30 कि०मी० दूर रोडिया क्षेत्र में गैस मिली।
  - राष्ट्रीय खेल-प्रतिभा प्रतियोगिता नई दिल्ली में शुरू।

नवम्बर 7 जनरल ए० एस० वैद्य के स्थान पर ले० जनरल कृष्णास्वामी सुन्दरजी नए सेनाध्यक्ष होंगे।

- हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री सत महाजन ने 6 नवम्बर को हुई बस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए; अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें 82 लोगों की मृत्यु हुई थी।
  - कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के जीवन-वृत्त लेखक, आलोचक और विद्वान 93वर्षीय डा० प्रभात कुमार मुखर्जी का शान्तिनिकेतन में निधन।
  - प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लखनऊ में 6 करोड़ रुपये के लागत से तैयार होने वाली इंदिरा गांधी नेशनल पलाइंग अकादमी की आधारशिला रखी।
  - केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को वोनस देने के लिए वेतन की सीमा 1,600 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई।
  - कनाडा की पुलिस ने कनिष्क विमान दुर्घटना के सिलसिले में, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और तीन अन्य लोगों को हिरासत में लिया।
- 8 इनसेट -IC उपग्रह को ले जाने वाली नासा की अंतरिक्ष शटल में उड़ान के लिए दो भारतीयों को चुना गया।
- माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य, साठ वर्षीय श्री बी० रामदास का कुछ समय की बीमारी के बाद निधन हो गया।
  - गुजरात सरकार ने गुजरात में 12 बन्द कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया।
- 9 राष्ट्रीय विकास परिषद ने सातवीं योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी जिसमें कहा गया है कि कुल घरेलू उत्पाद में पांच प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होगी।
- 10 श्रीलंका की सेना ने नवालघट्टी गांव की हत्याओं के बदले में की गई कार्यवाही में 33 तमिल उग्रवादियों को मार डाला।
- भारत ने अपनी समुद्री सीमा में पाकिस्तान की मछली पकड़ने वाली तीन नौकाओं को पकड़ा।
  - कालीन्दी परियोजना के चरण-1 के अन्तर्गत कर्नाटक में सूपा बांध पर बने 50 मेगावाट क्षमता के विजली केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया।

- नवम्बर 20 कन्नड़ राज पार्टी ने सरकारान के सम्पत्तान पर का कार्य-  
कार सम्माना ।
- तीन सामाजिक कानेइसोंमें नई दिल्ली में जन्मा ज्ञान बजाव  
पुरस्कार प्राप्त किया ।
  - तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राज्यपाल और स्वतन्त्रता सेनानी 76  
वर्षीय श्री प्रभुशान पटवारी का महानुभाव में निवृत्त ।
- 21 तीन दिव का मुद्रानिरोध युवा सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न ।  
उपरोक्त विषय में संयुक्त अधिकाधिक व्यवस्था करने और अधिकाधिक  
गोपनीय के विरुद्ध संघर्ष में मुद्रानिरोध सेनानी के युवा संघर्षियों  
की एकजुटता का आह्वान किया गया ।
- श्री जिव म्बन्ध ने अरुणाचल प्रदेश के जनसम्पत्तान पर का  
कार्यकार सम्माना ।
- 22 जम्मू-कश्मीर की पैरर पार्टी के नेता और विद्वान श्री भीम सिंह  
की गैर-कानूनी हियन्त के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें  
50,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिये ।
- मध्य प्रदेश सरकार ने जाने-माने चित्रकार श्री रामचन्द्र को  
वर्ष 1985-86 के लिए एक लाख रुपये का 'सामाजिक सम्मान'  
पुरस्कार प्रदान किया ।
  - प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी नमस्तेन की अपनी पहली यात्रा  
पर पहुँचे ।
- 23 भारत और चीन ने वर्ष 1986 के दौरान लगभग 1 करोड़,  
120 करोड़ से 192 करोड़ तक के द्विपक्षीय आवाज और  
निर्वाह के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।
- 24 जम्मू और कश्मीर पुलिस ने राज्य में राज्य विरोधी दलों के विरुद्ध  
कड़ी कार्रवाई में गैर-कानूनी और ठोड़-ठोड़ की परिधिधियों  
से सम्बन्धित 400 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया ।
- श्री हर्षनन्दर सेनानी भारत के पहले वाणिज्य बरकर होने की  
सम्बन्ध में नौबत पुरस्कार समारोह के संघर्ष कार्यकर्ता में  
106 संगठनों के साथ भाग लेते ।
- 25 भारत और ब्रिटेन ने नॉर्वेन के विरुद्ध 11 सी हैरिपर  
विमान खरीदने के बारे में नई दिल्ली में एक समझौते पर  
हस्ताक्षर किये ।
- भारत और जपान ने लगभग 197.4 करोड़ रुपये के ऋण  
के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

- नवम्बर 15. श्री अर्जुन सिंह को वाणिज्य मंत्री के पद की शपथ दिलायी गई।
- 15 अत्रि प्राप्त एयर वाइस मार्शल श्री एच० एल० कपूर ने दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण किया।
- 16 इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुहार्तो ने नई दिल्ली में अपने कुछ समय के प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ बातचीत की।
- 16 फिल्म कलाकार और हिन्दी उपन्यासकार, 57 वर्षीय श्री गुलशन नन्दा का वम्बई में निधन।
- 17 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ओमन के 15वें राष्ट्रीय दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए मस्कत पहुंचे।
- गांधीवादी, स्वतन्त्रता सेनानी और 80 वर्षीय श्री प्रेमा कण्ठ का पुणे जिले में सत्त्ववाद में निधन।
- 18 संसद का शीतकालीन अधिवेशन शुरू।
- 19 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा नई दिल्ली में तीन दिन के गुट-निरपेक्ष युवा सम्मेलन का उद्घाटन। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के नेता श्री यासर अरफात ने इसमें भाग लिया।
- वच्चों की सबसे खतरनाक छः विमारियों—डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, खसरा, पोलियो और क्षय रोग की रोकथाम के लिए सभी वच्चों को टीका लगाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उद्घाटन किया।
- इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की आधारशिला नई दिल्ली में रखी गयी।
- 19 प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, 95 वर्षीय श्री प्रभुदयाल का महाराष्ट्र में धारुहेरा में निधन।
- श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बारे में ठक्कर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई दिल्ली में महिलाओं के लिए गोल्ड कप हाकी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।
- राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया।
- इन्दिरा गांधी की याद में विशेष सिक्के जारी किये गए।

- नवम्बर 29 भारत और जापान ने टोकियो में, वित्तान और टेक्नोलॉजी के बारे में एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- श्री गुरचरण मिहू तोहड़ा लगातार 14वीं बार गिरॉनेमि गुण-द्राघ प्रबन्धक बनेटों के अग्रजध धुने गये।
  - राष्ट्रपति ज्ञाती जैत मिहू ने गंगटोक में विघ्नतमभा भवन की आघारजिना रज्जी।
- 30 बंगलूर स्थित भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा० के० एन० चड्ढा को वर्ष 1984 के लिए बोलॉग पुरस्कार ने सम्मानित किया गया।
- मित्र के भारत में राजदूत ने ओबेरॉय हॉटेल धुन के अग्रजध श्री एम० एन० ओबेरॉय को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, नई दिल्ली में मित्र के 'ग्रार्डर आर रिपब्लिक' पुरस्कार से सम्मानित किया।
  - 87 सदस्यों वाला पांचवां भारतीय वैज्ञानिक अभिमान दल मारुंगाधो बन्दरगाह में अष्टार्कटिका के लिए रवाना हुआ।
- दिसम्बर 1 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी विपन्नता और जातन की पांच दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे।
- संविधान सभा के सदस्य, सर्वोच्च नेता और बयोबुद्ध स्वतंत्रता सेनानी 87 वर्षीय आचार्य दास धर्माधिकारी का बर्धा के निकट, मेवाघ्राम में निधन हो गया।
- 2 राष्ट्रपति ज्ञाती जैत मिहू गंगटोक में त्रिकिम रिसर्व इन्स्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी देखने गये।
- राष्ट्रपति ज्ञाती जैत मिहू पटना गये और डा० अनुग्रह नारायण मिहू की आदमरुद प्रतिभा का अनावरण किया।
  - एक बलाकार बहुतर वर्गीय श्री मोहनराव बल्पागपुरकर का हृवनी में निधन।
- 3 इषो में छः देगों की हाकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने मनेजिया को 2 के मुकाबले 4 गोल ने हराकर अग्रजध आहू रूप जीता।
- 4 दिल्ली में श्रीराम फूड एंड फटिनाइजर प्लान्ट के संग्रह टैंक से ऑनियम गैस की बड़ी मात्रा में रिसाव होने से गहर में भगदड़ मच गई।
- श्रीलंका की स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संसद में विजयी नेताओं के साथ मुलाकात की।



नवम्बर 26 भारत और चेकोस्लोवाकिया ने वर्ष 1986 के दौरान व्यापार बढ़ाकर 467 करोड़ रुपये करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

— कनाडा के आठ सिखों द्वारा भारतीय दूतावास के दो कर्मचारियों पर उस समय हमला किया गया, जब वे लाहौर में डेरा साहिब गुरुद्वारे की यात्रा पर जा रहे थे।

— मराठी कवि श्री यशवन्त दिनकर पेन्धारकर का जो कि राज कवि यशवन्त के नाम से जाने जाते हैं पुणे में 86 वर्ष की आयु में निधन।

— जाने-माने मूर्तिकार, 76 वर्षीय श्री पी०वी० केलकर का पुणे में निधन।

— साइकिल चालक जस्मीन अर्थना, तैराक राजा शिराजी और अपने समय के प्रसिद्ध खिलाड़ी जाल पारदीवाला को दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति ने पुरस्कार दिये।

— प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी वियतनाम और जापान की 5 दिन की यात्रा पर रवाना।

27 हरमंदर साहिब के प्रमुख ग्रन्थी ज्ञानी साहिब सिंह की हत्या करने के प्रयास में आतंकवादियों ने उन्हें घायल कर दिया और उनके अंगरक्षक श्री नानकसिंह को मार डाला।

— श्रीमती इन्दिरा गांधी को मरणोपरान्त वियतनाम के सर्वोच्च पुरस्कार 'गोल्ड स्टार आर्डर' से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने हनोई में यह पुरस्कार प्राप्त किया।

— स्वतंत्रता सेनानी, 74 वर्षीय श्री प्रमोजी बनर्जी का अग्रतला के पास वारदात में निधन।

— वायो-मेटेरियल और वायो-इम्प्लान्ट के क्षेत्र में अग्रणी, त्रिवेन्द्रम के डा० एम० एस० वालियाथन को वर्ष 1985-86 के लिए 1 लाख रुपये के रामेश्वरदास वीर स्मारक कोष पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

27 भारत की अनुपमा अभयंकर ने ढाका में हुई एशियाई महिलाओं की शतरंज प्रतियोगिता जीती।

28 लाहौर के एक गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों पर हुए हमले के सिलसिले में पाकिस्तान ने कनाडा में रहने वाले छः सिखों को गिरफ्तार करने की घोषणा की।

- नवम्बर 29 भारत और जापान ने टोकियो में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- श्री गुरचरण सिंह सोहड़ा लगातार 14वीं बार शिरोमणि मुद्रा द्वारा प्रबन्धक कमिटी के अध्यक्ष चुने गये।
  - राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने गंगटोक में विधानसभा भवन की आधारशिला रखी।
- 30 बंगलूर स्थित भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान के निदेशक डा० के० एल० चड्ढा को वर्ष 1984 के लिए बोलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- मित्र के भारत में सम्बद्ध ने ओबेरॉय होटल ग्रुप के अध्यक्ष श्री एम० एम० ओबेरॉय को उनकी उल्लेख्य सेवाओं के लिए, नई दिल्ली में मित्र के 'ग्रार्डर प्राफ रिपब्लिक' पुरस्कार से सम्मानित किया।
  - 87 मद्रासी बाला पाचवां भारतीय वैज्ञानिक अभियान दल भार्मुनाओ बन्दरगाह से अष्टार्केटिका के लिए रवाना हुआ।
- दिसम्बर 1 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी वियतनाम और जापान की पांच दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे।
- संविधान सभा के सदस्य, सर्वोच्च नेता और वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी 87 वर्षीय आचार्य दादा धर्माधिकारी का कर्मा के निकट, सेवाप्राम में निधन हो गया।
- 2 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह गंगटोक में सिक्किम रिमन इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी देखने गये।
- राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह पटना गये और डा० अनुग्रह नारायण सिंह की आदर्शद प्रतिमा का अनावरण किया।
  - ग्यङ्ग कलाकार बृहत्तर वर्षीय श्री मोहनराव कल्याणपुरकर का हवेली में निधन।
- 3 इपो में छः देशों की हार्की प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने मलेशिया को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराकर अफ़जल शाह कप जीता।
- 4 दिल्ली में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर प्लान्ट के संग्रह टैंक से ओलियम गैस की बड़ी मात्रा में रिसाव होने में शहर में भगदड़ मच गई।
- श्रीमंका की स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संसद में विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात की।

दिसम्बर 4 संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत में उर्वरकों की गुणवत्ता का नियन्त्रण करने वाले संस्थानों को कारगर बनाने में मदद देने के लिए नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

5 मिजोरम की राजधानी आइजोल वायुदूत सेवा द्वारा कलकत्ता और सिलचर से जोड़ी गई।

— भारत और रूमानिया ने नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच कारोवार बढ़ाने के एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

— पंजाब सरकार ने विदेशियों के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र आदेश की अवधि 2 फरवरी 1986 तक बढ़ाई।

— कार्बनिक रसायन के प्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता श्री अग्र्यापक डा० एस० नारगुन्ड का बम्बई में निधन।

6 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शान्तिनिकेतन में विश्वभारती के दीक्षांत समारोह में भाषण दिया।

— प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी दक्षिण एशियाई देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ढाका पहुंचे।

— श्री राजीव गांधी और श्री जिया-उल-हक ने ढाका में द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विमर्श किया।

7 सात दक्षिण एशियाई देशों—भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव का दो दिन का 'सार्क' शिखर सम्मेलन ढाका में शुरू हुआ।

— स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार 69 वर्षीय श्री जे० एन० जुत्सी का जम्मू में निधन।

— उर्दू के कवि मोहम्मद अबू साकिब कानपुरी का कानपुर में 85 वर्ष की आयु में निधन।

8 भारत और बहरीन ने दो साल के सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग के एक समझौते पर बहरीन में हस्ताक्षर किये।

— सात देशों का दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन हुआ और क्षेत्रीय सहयोग के लिए ढाका घोषणा को स्वीकार किया गया।

— बंगला लेखिका, 67 वर्षीय श्रीमती सावित्री राय का दिल्ली में निधन।

10 पंजाब के भूतपूर्व मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी श्री पृथ्वी सिंह आजाद का 75 वर्ष की आयु में चन्डीगढ़ के निकट खरड़ में निधन।

- दिसम्बर 12 श्री एस० एल० किलॉस्कर और किलॉस्कर कम्पनियों के समूह के तीन बरिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
- 13 प्रधानमंत्री ने असम में धुआं का भ्रमण किया।
- श्रीलंका की नौसेना ने रामेश्वरम् तट के पास समुद्र में मछली पकड़ने की तीन भारतीय नौकाओं पर गोलियों चलायी और उनके मछली पकड़ने के जाल और पकड़ी हुई मछलियों को जप्त कर लिया।
- पंजाब सरकार ने सन्त हरचन्द सिंह लोमोवाल की हत्या के मामले की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया।
- 14 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शांति के लिए पांच महाद्वीपों में की गयी पहल के लिए विश्व के पांच अन्य नेताओं के साथ 'विद्योन्मट्ट दार' पुरस्कार प्राप्त किया। इन नेताओं को उनके देशों की राजधानियों में यह पुरस्कार प्रदान किये गये।
- 15 अमृतसर में श्री सुरजीत सिंह बरनाला सर्वसम्मति से किरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष चुने गये।
- बंगलूर के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में रबी दूरवीन से लोगों ने हेली-धूमकेतु देखा।
- तबला बादक श्री कृष्ण महाराज को नई दिल्ली में हाफिज अली खान स्मारक पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 16 असम के 75 प्रतिशत मतदाताओं ने असम विधानसभा के सदस्यों और असम से लोक सभा की सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर और भद्रास परमाणु विजली सयस की 235 मेगावाट वाली दूसरी यूनिट को कलपक्कम में राष्ट्र को समर्पित किया।
- भारत और इटली ने आय पर दुहर करों को दूर करने और वज्र सम्बन्धी हेराफेरी को रोकने के लिए नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 17 नई दिल्ली में एक सम्वत् सबाददाता सम्मेलन में जनरल जिजा उल-हक और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने घोषणा की कि दोनों देश एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर आक्रमण नहीं करेंगे।
- 17 एडिलेड ओवल में आस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए सुनील गावस्कर ने अपना 31वां टेस्ट शतक बनाया और इस प्रकार टेस्ट क्रिकेट में 9,000 से अधिक रन बनाने वाले वह प्रथम बल्लेबाज बने।

- दिसम्बर 17 हिन्दी और मराठी नाटकों की पटकथा लेखिका श्रीमती मधु सुदन कालेकर का 62 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन।
- 18 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी [श्री सीवोसागर रामगुलाम की याद में श्रद्धांजलि पुस्तिका में हस्ताक्षर करने के लिए नई दिल्ली में मारीशस के उच्चायोग गये।
- श्री एच० जे० एच० तलवारखान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बने।
- 20 भारत और रूमानिया ने बुखारेस्ट में जिन्सों की अदला-बदली और संतुलित आधार पर उत्पादन करने के लिए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 22 श्री प्रफुल्ल कुमार मोहन्ता असम के नये मुख्यमंत्री नियुक्त।]
- तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चे ने जाफना में श्रीलंका के तमिलों की हत्या रोकने के लिए कारगर उपाय करने के लिए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से अनुरोध किया।
- न्यायमूर्ति दलीप के० कपूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली।
- स्वतंत्रता सेनानी और तमिल लेखक श्री एस० ए० रहीम का 72 वर्ष की आयु में मद्रास में निधन।
- 19 वर्षीय जी० गोपालकृष्ण ने 30 घंटों तक बिना रुके वायलिन बजाने के एक नया विश्व रिकार्ड बनाया।
- भारत और इथोपिया ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 23 मिजो तेयानल फ्रंट के नेता श्री लालडेंगा ने नई दिल्ली में प्रधान-मंत्री से मुलाकात की।
- वाणिज्य मंत्री श्री अर्जुनसिंह ने मास्को में एक व्यापार-समझौते हस्ताक्षर किए।
- वायुदूत की डोरिनयर विमानसेवा द्वारा, कलकत्ता, अरुणाचल प्रदेश में जीरा और पासीघाट से जुड़ गया।
- जाने-माने मलयालम कवि 74 वर्षीय श्री वायलोपिली श्रीधर मेनन का त्रिचूर में निधन।
- अंटार्कटिका के लिए छठा भारतीय अभियान दल बर्फ से ढके महाद्वीप में अपने मुख्यालय दक्षिण गंगोत्री पहुंचा।
- 24 श्री प्रफुल्ल कुमार मोहन्ता के नेतृत्व वाली असम गण परिषद के 21 सदस्यों के मंत्रिमण्डल ने गुवाहाटी में शपथ ग्रहण की।

- दिसम्बर 21 स्वतंत्रता सेनानी, 80 वर्षीय श्री गणेश चन्द्र दीक्षित का हुबली, में निधन ।
- 25 बाबा जोगिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले संयुक्त अफ़ाली दल के 74 सदस्य, मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व वाले अफ़ाली दल से अलग हो गए ।
- पिछड़े क्षेत्रों में लगी एम० आर० टी० पी० और फेरस कम्पनियों को लाइसेंस से मुक्त करने की योजना की घोषणा ।
- जहाजरानी के क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी, परमाणु वैज्ञानिक और उद्योगपति, डा० जयन्ती धर्मतेजा का 53 वर्ष की आय में न्यू जर्सी में निधन ।
- राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैदराबाद की दो दिन की यात्रा पर वहाँ पहुंचे ।
- दक्षिण एशियाई फेडरेशन खेल ढाका में सम्पन्न । भारत 18 स्वर्ण, 74 रजत और 6 कांस्य पदक पाकर प्रथम स्थान पर रहा । इन खेलों में शाहनी अन्नाहीम सर्वोत्तम खिलाड़ी घोषित ।
- 26 खान अब्दुल गफ़्फ़ार खा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे ।
- 27 कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने बम्बई में कांग्रेस शताब्दी समारोहों का विधिवत उद्घाटन किया ।
- भारत और सोवियत संघ ने विजली के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये ।
- 29 मध्य प्रदेश सरकार ने ध्रुपद गायक श्रीमती असगरी वाई, चित्रकार श्री एल०एस० राजपूत और उपन्यासकार श्री बोरेंद्र कुमार जैन को उनके सृजनात्मक कार्यों के लिए 'शिखर सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया ।
- 30 श्री आर०वी०एस० पेरिशास्त्री, मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त ।
- मेलबोर्न स्टेडियम में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट, वर्षा के कारण बिना हार जीत के फैसले के समाप्त ।
- प्रसिद्ध संगीतज्ञ, 68 वर्षीय श्री जयलाल वसन्त का बम्बई में निधन ।
- त्रिकोमली में श्रीलंका की सेना द्वारा 7 तमिल उग्रवादियों की हत्या ।
- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने बम्बई में नीतेना बन्दरगाह में नीतेना के जहाज आई०एन०एस० गंगा का जलावतरण किया ।

दिसम्बर 30 स्वतंत्रता सेनानी श्री महामहोपाध्याय पशुपति नाथ शास्त्री का मिदनापुर जिले में मानिकपुर में निधन ।

— संचार राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने डाक एजेन्सी योजना का उद्घाटन किया, जिसमें लाइसेन्सधारी डाक एजेन्ट अब कुछ डाक सम्बन्धी कार्यों को कर सकेंगे ।

31 पंजाब में अशांति के संबंध में नज़रबंद किये गये लोगों के मामलों की पुनरीक्षा कर रही है। वैसे कमेटी का कार्यकाल 15 जनवरी 1986 तक बढ़ा ।

— संचार मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने नई दिल्ली में सचल टेलीफोन सेवा और रेडियो पेजिंग सेवा का उद्घाटन किया ।

— स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले की जांच कर रहे ठन्कर आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 1986 तक बढ़ा दिया गया ।

घरौयता अनुक्रम

(प्रकाशन-26 जुलाई 1979)

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश  
[लोक सभा के अध्यक्ष
7. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री  
राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य में]  
उपाध्यक्ष, योजना आयोग  
राज्य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता  
भारत-रत्न से सम्मानित व्यक्ति]
8. भारत स्थित विदेशों के अमाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा  
राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त  
राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य के बाहर  
राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य से बाहर
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
10. राज्य सभा के उप-सभापति  
राज्यों के उप-मुख्यमंत्री  
लोक सभा के उपाध्यक्ष  
[योजना आयोग के सदस्य  
केन्द्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के लिए  
कोई अन्य मंत्री
11. भारत के महान्यायवादी (एटार्नी-जनरल)  
मंत्रिमंडल के सचिव



भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक (कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल)

उप-राज्यपाल अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेश में

12. जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष
13. भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. राज्यों के विधान-मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार में
15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में केन्द्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेश में केन्द्र के उप-मंत्री
16. सेप्टिनेट जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष
17. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष  
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष  
मुख्य निर्वाचन आयुक्त  
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर  
उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यून जज) अपने-अपने क्षेत्र में
18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर  
राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर  
एकाधिकार और निर्वन्धन व्यापार प्रणाली आयोग के अध्यक्ष  
राज्य विधान मंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य में  
राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य में  
केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद् के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों में  
केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् के सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों में
19. बिना मंत्रिपरिषद् वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यायुक्त अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों में  
राज्यों के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य में  
केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् के उप-सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों में ।

20. राज्यों के विधान मंडलों के उप-समापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर  
राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर  
उच्च न्यायालयों के भ्रवर न्यायाधीश (प्यूनै जज) अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर

21. संसद सदस्य

22. राज्यों के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर

23. आर्मी कमांडर/उप-थलसेनाध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समान पद वाले अधिकारी

राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में  
भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के प्रायुक्त  
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयोग के सदस्य  
जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधि-  
कारियों सहित)

अल्पसंख्यक आयोग के सचिव

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयोग के सचिव

राष्ट्रपति के सचिव

प्रधानमंत्री के सचिव

सचिव, राज्य समा/नोरु सभा

सालिसिटर-जनरल

24. मेजिस्ट्रेट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

25. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव

एडोशनल सालिसिटर-जनरल

राज्यों के महाधिवक्ता

टैरिफ आयोग के अध्यक्ष

स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चांज डी अफेयर्स) तथा स्थानापन्न

उच्चायुक्त

केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी

पार्षद अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों से बाहर

राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य से बाहर  
उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (डिप्टी कम्पट्रोलर एंड आडिटर  
जनरल);

केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली  
महानगर परिषद् के उप-सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों  
से बाहर

निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल

महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

निदेशक, खुफिया ब्यूरो

उप-राज्यपाल अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों से बाहर

सदस्य, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग

सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने  
केन्द्र शासित प्रदेशों से बाहर

मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्र सेनाओं के  
प्रिंसिपल स्टाफ आफिसर्स

केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर  
परिषद् के सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों से बाहर

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी  
मेजर जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

### भारत के राष्ट्रपति

डा० राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963)	.	.	26 जनवरी 1950—13 मई 1962:
डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)	.	.	13 मई 1962—13 मई 1967
डा० जाकिर हुसैन (1897-1969)	.	.	13 मई 1967—3 मई 1969
वराहगिरि वेंकटगिरि (1894-1980)	.	.	3 मई 1969—20 जुलाई 1969 (कार्यवाहक)
न्यायभूति मुहम्मद हिदायतुल्ला (जन्म 1905)	.	.	20 जुलाई 1969—24 अगस्त 1969 (कार्यवाहक)
वराहगिरि वेंकटगिरि	.	.	24 अगस्त 1969—24 अगस्त 1974
फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	.	.	24 अगस्त 1974—11 फरवरी 1977

वी० डी० जत्ती	.	.	11 फरवरी 1977—25 जुलाई 1977
(जन्म 1913)	.	.	(कार्यवाहक)
नीलम संजीव रेड्डी	.	.	25 जुलाई 1977—25 जुलाई 1982
(जन्म 1913)	.	.	
जानी जैल सिंह	.	.	25 जुलाई 1982—अभी तक
(जन्म 1916)	.	.	

भारत के उप-राष्ट्रपति

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन	.	.	1952—1962
डा० जाकिर हुसैन	.	.	1962—1967
बराहगिरि बेंकटगिरि	.	.	1967—1969
गोपाल स्वरूप पाठक	.	.	1969—1974
(1896—1982)	.	.	
वी० डी० जत्ती	.	.	1974—1979
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला	.	.	1979—1984
अर० बेंकटरामन	.	.	1984—अभी तक
(जन्म 1910)	.	.	

भारत के प्रधानमंत्री

जवाहरलाल नेहरू	.	.	15 अगस्त 1947—27 मई 1964
(1889—1964)	.	.	
गुलजारी लाल नन्दा	.	.	27 मई 1964—9 जून 1964
(जन्म 1898)	.	.	(कार्यवाहक)
लाल बहादुर शास्त्री	.	.	9 जून 1964—11 जनवरी 1966
(1904—1966)	.	.	
गुलजारी लाल नन्दा	.	.	11 जनवरी 1966—24 जनवरी 1966
	.	.	(कार्यवाहक)
इन्दिरा गांधी	.	.	24 जनवरी 1966—24 मार्च 1977
(1917—1984)	.	.	
मोरारजी देसाई	.	.	24 मार्च 1977—28 जुलाई 1979
(जन्म 1896)	.	.	
चरण सिंह	.	.	28 जुलाई 1979—14 जनवरी 1980
(जन्म 1902)	.	.	
इन्दिरा गांधी	.	.	14 जनवरी 1980—31 अक्टूबर 1984
राजीव गांधी	.	.	31 अक्टूबर 1984—अभी तक
(जन्म 1944)	.	.	

## भारत के मुख्य न्यायाधीश

हरिलाल जे० कानिया	• •	26 जनवरी 1950—6 नवम्बर 1951
एम० पतंजलि शास्त्री	• •	7 नवम्बर 1951—3 जनवरी 1954
मेहर चन्द महाजन	• •	4 जनवरी 1954—22 दिसम्बर 1954
वी० के० मुखर्जी	• •	23 दिसम्बर 1954—31 जनवरी 1956
एस० आर० दास	• •	1 फरवरी 1956—30 सितम्बर 1959
भूवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	• •	1 अक्टूबर 1959—31 जनवरी 1964
पी० वी० गजेन्द्रगडकर	• •	1 फरवरी 1964—15 मार्च 1966
ए० के० सरकार	• •	16 मार्च 1966—29 जून 1966
के० सुब्बाराव	• •	30 जून 1966—11 अप्रैल 1967
के० एन० वांचू	• •	12 अप्रैल 1967—24 फरवरी 1968
एम० हिदायतुल्ला	• •	25 फरवरी 1968—16 दिसम्बर 1970
जे० सी० शाह	• •	17 दिसम्बर 1970—21 जनवरी 1971
एस० एम० सीकरी	• •	22 जनवरी 1971—25 अप्रैल 1973
ए० एन० रे	• •	26 अप्रैल 1973—27 जनवरी 1977
एम० एच० वेग	• •	28 जनवरी 1977—21 फरवरी 1978
वाई० वी० चन्द्रचूड़	• •	22 फरवरी 1978—11 जुलाई 1985
प्रफुल्लचन्द्र नटवरलाल भगवती	• •	12 जुलाई 1985—31 दिसम्बर 1986
रघुनन्दन स्वरूप पाठक	• •	1 जनवरी 1987—अभी तक

## भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त

सुकुमार सेन	• •	21 मार्च 1950—19 दिसम्बर 1958
के० वी० के० सुन्दरम	• •	20 दिसम्बर 1958—30 सितम्बर 1967
एस० पी० सेन वर्मा	• •	1 अक्टूबर 1967—30 सितम्बर 1972
डा० नगेन्द्र सिंह	• •	1 अक्टूबर 1972—6 फरवरी 1973
टी० स्वामीनाथन	• •	7 फरवरी 1973—17 जून 1977
एस० एल० शकधर	• •	18 जून 1977—17 जून 1982
आर० के० त्रिवेदी	• •	18 जून 1982—31 दिसम्बर 1985
आर० वी० एस० पेरिशास्त्री	• •	1 जनवरी 1986—अभी तक

## भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975)	• •	1954
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972)	• •	1954
डा० चन्द्रशेखर वेंकटरमण	(1888-1970)	• •	1954
डा० भगवान दास	(1869-1958)	• •	1955
डा० भोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962)	• •	1955
जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	• •	1955
गोविन्द वल्लभ पंत	(1887-1961)	• •	1957
डा० धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962)	• •	1958
डा० विद्यान चन्द्र राय	(1882-1962)	• •	1961

पुस्त्योत्तम दास टंडन	(1882-1962)	.	.	1961
डा० राजेन्द्र प्रसाद	(1884-1963)	.	.	1962
डा० जाकिर हुसैन	(1897-1969)	.	.	1963
डा० पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972)	.	.	1963
लाल बहादुर शास्त्री	(1904-1966)	(मरणोपरांत)	.	1966
इंदिरा गांधी	(1917-1984)	.	.	1971
बराहगिरि बेंकटगिरि	(1894-1980)	.	.	1975
कुमारास्वामी कामराज	(1903-1975)	(मरणोपरांत)	.	1976
मेरी टेरेसा बोजाफिसऊ	(मदर टेरेसा)	(जन्म 1910)	.	1980
आचार्य विनोबा भावे	(1895-1982)	(मरणोपरांत)	.	1983

कमांडर-इन-चीफ

जनरल सर राय बूर	.	.	1 जनवरी 1948—14 जनवरी 1949
जनरल के० एम० करिअप्पा	.	.	15 जनवरी 1949—14 जनवरी 1953
(फील्ड मार्शल)			
जनरल महाराज राजेन्द्र सिंहजी	.	.	14 जनवरी 1953—31 मार्च 1955

एल सेनाध्यक्ष

जनरल महाराज राजेन्द्र सिंहजी	.	.	1 अप्रैल 1955—14 मई 1955
जनरल एस० एम० श्रीनाथेश	.	.	15 मई 1955—7 मई 1957
जनरल के० एस० धिमय्या	.	.	8 मई 1957—7 मई 1961
जनरल पी० एन० थापर	.	.	8 मई 1961—19 नवम्बर 1962
जनरल जे० एन० चौधरी	.	.	20 नवम्बर 1962—7 जून 1966
जनरल पी० पी० कुमारमंगलम	.	.	8 जून 1966—7 जून 1969
जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा	.	.	8 जून 1969—31 दिसम्बर 1972
फील्ड मार्शल एस० एच० एफ० जे०	.	.	1 जनवरी 1972—15 जनवरी 1973

मानेकशा

जनरल जी० जी० बंबूर	.	.	15 जनवरी 1973—31 मई 1975
जनरल टी० एन० रैना	.	.	1 जून 1975—31 मई 1978
जनरल ओ० पी० मल्होत्रा	.	.	1 जून 1978—31 मई 1981
जनरल के० वी० कृष्णाराव	.	.	1 जून 1981—31 जुलाई 1983
जनरल ए० एस० वैद्य	.	.	1 अगस्त 1983—31 जनवरी 1986
जनरल के० सुन्दरजी	.	.	1 फरवरी 1986—अभी तक

नौ सेनाध्यक्ष

वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी	.	.	22 अप्रैल 1958—4 जून 1962
वाइस एडमिरल वी० एस० सोमन	.	.	5 जून 1962—3 मार्च 1966
एडमिरल ए० के० शेटर्जी	.	.	4 मार्च 1966—27 फरवरी 1970
एडमिरल एस० एम० नन्दा	.	.	28 फरवरी 1970—28 फरवरी 1973
एडमिरल एस० एन० कोहली	.	.	1 मार्च 1973—28 फरवरी 1975
एडमिरल जे० एल० कर्सेटजी	.	.	1 मार्च 1976—28 फरवरी 1978

एडमिरल आर० एल० परेरा .	1 मार्च 1979—28 फरवरी 1982
एडमिरल ओ० एस० डासन .	1 मार्च 1982—30 नवम्बर 1984
एडमिरल आर० एच० तट्टिलियानी .	30 नवम्बर 1984—अभी तक

### वायु सेनाध्यक्ष

एयर मार्शल सर थामस एल्महर्स्ट .	15 अगस्त 1947—21 फरवरी 1950
एयर मार्शल सर रोनाल्ड लवे-ला- चैपनैम .	22 फरवरी 1950—9 दिसम्बर 1951
एयर मार्शल सर जेरोल्ड गिब्स .	10 दिसम्बर 1951—31 मार्च 1954
एयर मार्शल एस० मुखर्जी .	1 अप्रैल 1954—8 नवम्बर 1960
एयर मार्शल ए० एम० इंजीनियर .	1 दिसम्बर 1960—31 जुलाई 1964
एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह .	1 अगस्त 1964—15 जुलाई 1969
एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल .	16 जुलाई 1969—15 जनवरी 1973
एयर चीफ मार्शल ओ० पी० मेहरा .	16 जनवरी 1973—1 फरवरी 1976
एयर चीफ मार्शल एच० मुलगावकर .	1 फरवरी 1976—31 अगस्त 1978
एयर चीफ मार्शल आई० एच० लतीफ .	1 सितम्बर 1978—31 अगस्त 1981
एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह .	1 सितम्बर 1981—3 सितम्बर 1984
एयर चीफ मार्शल एल० एम० काद्रे .	4 सितम्बर 1984—1 जुलाई 1985
एयर चीफ मार्शल डी०ए० लफान्ते .	3 जुलाई 1985—अभी तक

### परमवीर चक्र विजेता

- मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं रेजिमेंट  
 मरणोपरांत—नवम्बर 1947 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)  
 सेकिड लेफ्टिनेंट आर० आर० राने, कोर आफ इंजीनियर्स  
 अप्रैल 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)  
 कम्पनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, राजपूताना राइफल  
 मरणोपरांत—जुलाई 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)  
 क्लास नायक करम सिंह, सिख रेजिमेंट  
 अक्टूबर 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)  
 नायक जदुनाथ सिंह, राजपूत रेजिमेंट  
 मरणोपरांत—दिसम्बर 1948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 1947-48)  
 कैप्टन गुरवचन सिंह सलारिया, गोरखा राइफल  
 मरणोपरांत—दिसम्बर 1961 (कांगो)  
 मेजर धनसिंह थापा, गोरखा राइफल  
 अक्टूबर 1962 (लद्दाख)  
 सूबेदार जोगिन्दर सिंह, सिख रेजिमेंट  
 मरणोपरांत—अक्टूबर 1962 (रि.फ)

मेजर शंजान सिंह, कुमाऊँ रेजिमेंट]  
 मरणोपरांत—नवम्बर 1962 (लद्दाख)  
 कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ग्रेनेडियर्स  
 मरणोपरांत—दिसम्बर 1965 (पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई).  
 लेफ्टिनेंट कर्नल ए० वी० तारापुर, पूना हार्स  
 मरणोपरांत—दिसम्बर 1965 (पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई)  
 मेजर होशिमार सिंह, ग्रेनेडियर्स  
 दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)  
 सैकिड लेफ्टिनेंट अरुण खेन्नपाल, 17 पूना हार्स  
 मरणोपरांत—दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)  
 लास नामक अलवर्ट एकरा, ब्रिगेड आफू दी गार्डस  
 मरणोपरांत—दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)  
 पतारुय आफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, फ्लाईंग ब्रांच (पायलट)  
 मरणोपरांत—दिसम्बर 1971 (भारत-पाक युद्ध)

भारत के कुछ प्रमुख पर्वत-शिखरों की ऊँचाई

क्रम सं०	पर्वत-शिखर	समुद्र तल से ऊँचाई (मीटरों में)	
1.	के०३	8,611	पाकिस्तान के कब्जे में
2.	कंचन जंघा	8,598	
3.	नंगा पर्वत	8,126	पाकिस्तान के कब्जे में
4.	गाशेर ब्रम	8,068	"
5.	ब्रॉट पीक	8,047	"
6.	दिस्तेगिल सर	7,885	"
7.	माशेर ब्रम (पूर्व)	7,821	"
8.	नन्दा देवी	7,817	
9.	माशेर ब्रम (पश्चिम)	7,806	पाकिस्तान के कब्जे में
10.	राकापोशी	7,788	"
11.	कामेत	7,756	
12.	सासेर कांगड़ी	7,672	
13.	सिक्पांग कांगड़ी	7,544	पाकिस्तान के कब्जे में
14.	सिया कांगड़ी	7,422	"
15.	चीखम्ना (वदीनाथ शिखर)	7,138	
16.	त्रिगूल (पश्चिम)	7,138	
17.	नूनकुले	7,135	
18.	पौहुनरी	7,128	
19.	कांग्टी	7,090	
20.	डुनागिरी	7,066	



भारत की कुछ प्रमुख नदियों की लम्बाई

क्रमांक नदी	लम्बाई (कि०मी०)
1. सिन्धु	2,900
2. ब्रह्मपुत्र	2,900
3. गंगा	2,510
4. गोदावरी	1,450
5. नर्मदा	1,290
6. कृष्णा	1,290
7. महानदी	890
8. कावेरी	760

राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लम्बाई

सं०	राष्ट्रीय राजमार्ग सं०	मार्ग	राज्य जिनसे होकर (कि० मी०) राजमार्ग जाता है
1	2	3	4
1.	1	दिल्ली-अम्बाला-जालंधर- अमृतसर-भारत/पाक सीमा	दिल्ली (22), हरियाणा (180); पंजाब (254); कुल 456
2.	1क	जालंधर-माधोपुर-जम्मू- वनिहाल-श्रीनगर-वारामूला- उड़ी	पंजाब (108), हिमाचल प्रदेश (14), जम्मू और कश्मीर (541); कुल 663
3.	1ख	वाटोट-डोडा-किश्तवार	जम्मू और कश्मीर (107),
4.	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर- इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया- वरही-पलसित-वैद्यवटी-बड़ा कलकत्ता	दिल्ली (19), हरियाणा (74); उत्तर प्रदेश (770), विहार (392), पश्चिमबंगाल (235); कुल 1,490
5.	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी- इन्दौर-धुले-नासिक-थाणे- वम्बई	उत्तर प्रदेश (26), राजस्थान (32), मध्य प्रदेश (712); महाराष्ट्र (391); कुल 1,161
6.	4	थाणे के निकट पुणे-बेलगांव- हुबली-बंगलूर-रानीपेट-मद्रास होते हुए राजमार्ग सं० 3 से मिलता है।	महाराष्ट्र (371), कर्नाटक (658), आंध्र प्रदेश (83); तमिलनाडु (123); कुल 1,235

1	2	3	4
7.	4क	बेलगांव-अतमोड-पोंडा-पणजी	कर्नाटक (82), गोवा (71); कुल 153
8.	4ख	न्हावा-शेवा-कालाम्बोली पालसर्प	महाराष्ट्र (27); कुल 27
9.	5	बहारागोरा के निकट-कटक- भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम- विजयवाड़ा-मद्रास होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से मिलता है।	उड़ीसा (488), आंध्र प्रदेश (1,000), तमिलनाडु (45); कुल 1,533
10.	5क	हरिदासपुर के निकट-पारादीप पोर्ट होते हुए राजमार्ग सं० 6 से मिलता है।	उड़ीसा (77); कुल 77
11.	6	धुले-नागपुर-रायपुर-सम्बलपुर बहारागोरा-कलकत्ता	महाराष्ट्र (686), मध्य प्रदेश (314), उड़ीसा (462), बिहार (22), पश्चिम बंगाल (161); कुल 1,645
12	7	धाराणसी-मंगवान-रीवा- जबलपुर-लखनादोन-नागपुर- हैदराबाद-कुर्नूल-बंगलूर कृष्णागिरि-सेलम-डिडीमल- मदुरै-केप कोमोरोन (कन्याकुमारी)	उत्तर प्रदेश (128), मध्य प्रदेश (504), महाराष्ट्र (232); आन्ध्र प्रदेश (753), कर्नाटक (125), तमिलनाडु (627); कुल 2,369
13	7क	पलयनकोट्टाई-तूतिकोरीन पोर्ट	तमिलनाडु (51); कुल 51
14.	8	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर- अहमदाबाद-बड़ोदरा-बम्बई	दिल्ली (13), हरियाणा (101); राजस्थान (688), गुजरात (498), महाराष्ट्र (128); कुल 1,428
15.	8क	अहमदाबाद-लिम्बडी-मोरवी- काडला	गुजरात (378); कुल 378
16.	8ख	वामनवोर-राजकोट-पोरबंदर	गुजरात (206); कुल 206
17.	8ग	चिलोडा-गांधीनगर-सरखेज	गुजरात (46); कुल 46
18.	9	पुणे-शोलापुर-हैदराबाद-विजय- वाड़ा	महाराष्ट्र (336), कर्नाटक (75), आन्ध्र प्रदेश (380); कुल 791
19.	10	दिल्ली-फजिल्का-भारत/पाक सीमा	दिल्ली (18), हरियाणा (313), पंजाब (72); कुल 403

1	2	3	4
20.	11	आगरा-जयपुर-वीकानेर	उत्तर प्रदेश (51), राजस्थान (531); कुल 582
21.	12	जबलपुर-भोपाल-वियावरा- राजगढ़-खिलचीपुर-अकलेरा- झालावाड़-कोटा-बूंदी-देवली- टोंक-जयपुर	मध्य प्रदेश (490); राजस्थान (400); कुल 890
22.	13	जालापुर-चित्रदुर्ग	महाराष्ट्र (43), कर्नाटक (448); कुल 491
23.	15	पठानकोट-अमृतसर-भटिंडा- गंगानगर-वीकानेर-जैसलमेर- वाड़मेर-समखियाली (कांडला के पास)	पंजाब (350); राजस्थान (906), गुजरात (270); कुल 1,526
24.	17	पनवेल-महाड़-पणजी-कारवार- मंगलौर-कनानोर-कालीकट- (कोजीकोडे)-फेडोक-कुट्टीपुरम- पुडुपोन्नाई-चौघाट-कैंगानूर जंक्शन राष्ट्रीय मार्ग सं० 47 से एडापल्ली के निकट मिलता है	महाराष्ट्र (482), गोवा (139), कर्नाटक (280) केरल (368); कुल 1,269
25.	17क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 से कोर्टालिम मार्मागाओ के समीप मिलता है	गोवा (19); कुल 19
26.	21	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 22 से मिलता है निकट चंडीगढ़-रोपड़- विलासपुर-मण्डी-कुल्लू-मनाली	चंडीगढ़ (24), पंजाब (67), हिमाचल प्रदेश (232); कुल 323
27.	22	अम्बाला-कालका-शिमला- नारकंडा-रामपुर-चीनी-भारत- तिब्बत सीमा शिपकिला के निकट	हरियाणा (30), पंजाब (31); हिमाचल प्रदेश (398); कुल 459
28.	23	चास-रांची-राउरकेला-तलचर- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 42 से मिलता है।	बिहार (250); उड़ीसा (209); कुल 459
29.	24	दिल्ली-दरेली-लखनऊ	दिल्ली (8), उत्तर प्रदेश (430); कुल 438
30.	25	लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिव- पुरी	उत्तर प्रदेश (237), मध्य प्रदेश (82); कुल 319

1	2	3	4
31.	26	शांसी-सधनादोन	उत्तर प्रदेश (128), मध्य प्रदेश (268); कुल 396
32.	27	इलाहाबाद-मगवान	उत्तर प्रदेश (43), मध्य प्रदेश (50); कुल 93
33.	28	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 से मिलता है निकट वरीनी- मूजफ्फरपुर-पिपरा- गोरखपुर-सधनऊ	बिहार (259), उत्तर प्रदेश (311); कुल 570
34.	28क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 से मिलता है निकट पिपरा- सगौली-रससौल-भारत/नियाल सीमा	बिहार (68); कुल 68
35.	29	गोरखपुर-गजीपुर-बाराणसी	उत्तर प्रदेश (196); कुल 196
36.	30	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 से मिलता है निकट मोहानिया- पटना-वख्तियारपुर	बिहार (230); कुल 230
37.	31	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 से मिलता है निकट बरहो-वख्तियारपुर-मोकामा-मूफिया- डलकोला-सिलीगुड़ी-सिबोक- कूच बिहार-उत्तर सलमारा- नलवाड़ी-बराली-श्रीनगाव- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 37 से मिलता है ।	बिहार (437), पश्चिम बंगाल (366), पश्चिम (322); कुल 1,125
38.	31क	सिबोक-गंगतोक	पश्चिम बंगाल (30), सिक्किम (62); कुल 92
39.	31ख	उत्तर सलमारा-राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 37 से जीर्वांगोषा के निकट मिलता है ।	असम (19); कुल 19
40.	31ग	निकट मलमलिया-वागडीगरा- चालसा-नागरकटा-गोयेरकटा- डलगाव-हूसीमारा-राज- भतखवा-कोवीगांव-सिडली- जंक्शन विजनी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 से मिलता है ।	पश्चिम बंगाल (142), असम (93); कुल 235

1	2	3	4
41.	32	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 से मिलता है निकट गोविन्दपुर-धनवाद-जमशेदपुर	बिहार (107), पश्चिम बंगाल (72); कुल 179
42.	33	बरही-रांची के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 से मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से बहार-गोरा के निकट मिलता है।	बिहार (352); कुल 352
43.	34	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 से मिलता है निकट डालकोला-बरहामपुर-बारासात-कलकत्ता	पश्चिम बंगाल (443); कुल 443
44.	35	बारासात-वांगांव-भारत/बांग्ला-देश सीमा	पश्चिम बंगाल (61); कुल 61
45.	36	नौगांव-डवाका-दीमापुर (मणिपुर रोड)	असम (167), नागालैंड (3); कुल 170
46.	37	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31ख से मिलता है निकट ग्वालपाड़ा-गुवाहाटी जोरबाट-कमरगांव-मकूम-सैखोआघाट	असम (680); कुल 680
47.	38	मकूम-लेडो-लेखापानी	असम (54); कुल 54
48.	39	नुमालीगढ़-इम्फाल-पालेल-भारत/वर्मा सीमा	असम (115), नागालैंड (110), मणिपुर (211); कुल 436
49.	40	जोरबाट-शिलंग-भारत/बांग्ला-देश सीमा निकट डावकी	मेघालय (161); कुल 161
50.	41	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से मिलता है निकट कोलाघाट-हल्दिया पोर्ट	पश्चिम बंगाल (51); कुल 51
51.	42	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से मिलता है निकट सम्बलपुर-अंगुल-राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 से कटक के निकट मिलता है	उड़ीसा (261); कुल 261
52.	43	रायपुर-विजयनगरम-राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 से मिलता है।	मध्य प्रदेश (316); उड़ीसा (152), आन्ध्र प्रदेश (83); कुल 551
53.	44	शिलंग-पासी-बदरपुर-अगरतला	मेघालय (184), असम (111); त्रिपुरा (200); कुल 495

1	2	3	4
54.	45	मद्रास-तिरुचिरापल्ली-डिडिगुल	तमिलनाडु (387); कुल 387
55.	45क	(पांडिचेरि से मिलता है विल्लुपुरम-पांडिचेरी)	तमिलनाडु (22), पांडिचेरी (18); कुल 40
56.	46	कृष्णागिरि-रानीपेट	तमिलनाडु (132); कुल 132
57.	47	सेलम-कोयमुत्तूर-त्रिचूर- एरनाकुलम-तिरुअनंतपुरम- कन्याकुमारी	तमिलनाडु (224), केरल (416); कुल 640
58.	48	बंगलूर-हसन-मंगलौर	कर्नाटक (328); कुल 328
59.	49	मदुरै-धनुषकोडी	तमिलनाडु (160); कुल 160
60.	50	नासिक-राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 से पुणे के निकट मिलता है ।	महाराष्ट्र (192); कुल 192
61.	51	पैकान-तुरा-डालू	असम (22), मेघालय (127); कुल 149
62.	52	बैहटा-चपली-तेजपुर-वादेर- देवा-उत्तर लखीमपुर-भासीघाट- तेजू-सीतापानी राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 37 से सेखोआघाट के निकट मिलता है ।	असम (540), अरुणाचल प्रदेश (310); कुल 850
63.	52क	वांदेर देवा-इटानगर	असम (5), अरुणाचल प्रदेश (20); कुल 25
64.	53	राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 से मिलता है निकट बदरपुर-जीरीघाट- इम्फाल-सिलचर	असम (100), मणिपुर (220); कुल 320
65.	54	सिलचर-एजल-तुईपेंग	असम (50), मिजोरम (388); कुल 438
66.	54क	तेरिअट-लुंगलेई	मिजोरम (9); कुल 9
67.	54ख	बिनस सेडल-साहिया	मिजोरम (2); कुल 27
68.	56	लखनऊ-वाराणसी	उत्तर प्रदेश (285); कुल 285
69.	एनई 1	ब्रह्मदाबाद-बदोदरा	गुजरात (93); कुल 93

कुल लम्बाई

31,987 कि० मी०

## लम्बी दूरी की प्रमुख रेलगाड़ियां

भारतीय रेल की 900 से अधिक मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां देश के प्रमुख शहरों, राज्यों की राजधानियों और तीर्थस्थानों को परस्पर जोड़ती हैं। कुछ

रेलगाड़ियां तो एक वार में 3,000 किलोमीटर तय करती हैं। देश की लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां निम्न प्रकार हैं :-

रेलगाड़ियों का नं० और नाम	जिन दो स्थानों के बीच चलती हैं	दूरी (किलोमीटर)
1	2	3
901/902 एक्स०	गुवाहाटी से त्रिवेन्द्रम (सप्ताह में एक वार)	3,974
907/908 हिमसागर एक्स०	जम्मू से कन्याकुमारी (सप्ताह में एक वार)	3,726
125/126 केरल एक्स०	नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम (सप्ताह में दो वार)	3,054
911/912 एक्स०	गोरखपुर से कोचीन हार्बर टर्मिनस (सप्ताह में एक वार)	2,991
903/904 एक्स०	अहमदाबाद से त्रिवेन्द्रम (सप्ताह में एक वार)	2,720
127/128 कर्नाटक एक्स०	नई दिल्ली से बंगलूर (सप्ताह में दो वार)	2,444
175/176 नीलांचल एक्स०	पुरी से नई दिल्ली (सप्ताह में तीन वार)	2,136
915/916 नई दिल्ली-पुरी एक्स०	नई दिल्ली से पुरी (सप्ताह में चार वार)	2,136
81/82 कन्याकुमारी एक्स०	बम्बई वी०टी० से कन्याकुमारी (प्रतिदिन)	2,149
15/16 ग्राण्ड ट्रंक एक्स०	नई दिल्ली से मद्रास (प्रतिदिन)	2,188
121/122 तमिलनाडु एक्स०	नई दिल्ली से मद्रास (सप्ताह में चार वार)	2,188
171/172 एक्स०	जम्मू तवी से बम्बई सेन्ट्रल (सप्ताह में दो वार)	1,973
59/60 गीतांजली एक्स०	बम्बई से हावड़ा (सप्ताह में पांच वार)	1,968

1	2	3
173/174 हिमगिरी एक्स०	हावड़ा से जम्मू तक (सप्ताह में तीन बार)	1,967
155/156 तिनमुखिया मेल	नई दिल्ली से गुवाहाटी (प्रतिदिन)	1,937
81/82 और 103/104 डीलक्स एक्स०	अमृतसर-नई दिल्ली-हावड़ा (सप्ताह में पांच बार)	1,889
3/4 फांटियर मेल	अमृतसर से बम्बई सेन्ट्रल (प्रतिदिन)	1,836
25/26 डीलक्स एक्स०	अमृतसर-नई दिल्ली-बम्बई सेन्ट्रल (सप्ताह में दो बार)	1,835
1/2 कालका मेल	कालका से हावड़ा (प्रतिदिन)	1,709
123/124 आन्ध्र प्रदेश एक्स०	नई दिल्ली से सिकन्दराबाद (सप्ताह में चार बार)	1,665
141/142 कोरोमण्डल एक्स०	मद्रास से हावड़ा (प्रतिदिन)	1,663
145/146 तपजीवन एक्स०	अहमदाबाद से मद्रास (सप्ताह में दो बार)	1,952
101/102 राजधानी एक्स०	हावड़ा से नई दिल्ली (सप्ताह में चार बार)	1,437
151/152 राजधानी एक्स०	बम्बई सेन्ट्रल से नई दिल्ली (सप्ताह में पांच बार)	1,384
9/10 मेल	बम्बई से मद्रास (प्रतिदिन)	1,279
153/154 वैशाली एक्स०	नई दिल्ली से बरौनी (प्रतिदिन)	1,173
19/20 कोणार्क एक्स०	भुवनेश्वर से सिकन्दराबाद (प्रतिदिन)	1,144



1	2	3
181/182 सर्वोदय एक्स०	नई दिल्ली से अहमदाबाद (सप्ताह में दो बार)	1,092
191/192 मगध एक्स०	नई दिल्ली से पटना (प्रतिदिन)	992
167/168 मालवा एक्स०	नई दिल्ली से भोपाल—इन्दौर (सप्ताह में तीन बार)	969
505/506 आश्रम एक्स० (मीटर लाईन)	दिल्ली से अहमदाबाद (सप्ताह में चार बार)	934
101/102 मीनार एक्स०	सिकन्दराबाद से वम्बई (प्रतिदिन)	900
15/16 चेतक एक्स०	दिल्ली से उदयपुर (प्रतिदिन)	739
57/58 कंचनजंघा एक्स०	हावड़ा—न्यू जलपाईगुड़ी (सप्ताह में छः बार)	693
91/92 प्रयाग राज एक्स०	नई दिल्ली से इलाहाबाद (प्रतिदिन)	627
509/510 मन्दौर एक्स० (मीटर लाईन)	जोधपुर से दिल्ली (सप्ताह में तीन बार)	626
119/120 गोमती एक्स०	नई दिल्ली से लखनऊ (सप्ताह में छः बार)	503
135/136 वाङ्गई एक्स० (मीटर लाईन)	मद्रास से मदुरै (एममोर) (प्रतिदिन)	402
507/508 भारवाड़ एक्स० (मीटर लाईन)	अहमदाबाद से जोधपुर (सप्ताह में दो बार)	455
79/80 ताज एक्स०	नई दिल्ली से खालियर (घाया—आगरा) (प्रतिदिन केवल बुधवार को छोड़कर, उस दिन केवल आगरा तक)	317
501/502 पिक सिटी एक्स०	नई दिल्ली से जयपुर (प्रतिदिन)	308

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/प्रतिष्ठान  
भौतिक विज्ञान

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली

केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, पिलानी

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण सगठन, चंडीगढ़

राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसन्धान संस्थान, हैदराबाद

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, दोनर पाउला, गोवा

रसायन विज्ञान

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे

केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसन्धान संस्थान, कराईकुडी

केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान, भावनगर

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, हैदराबाद

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, जोरहाट

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून

केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान, जोलगोड़ा

जीव विज्ञान

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर

केन्द्रीय औषध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ

केन्द्रीय चमड़ा अनुसन्धान संस्थान, मद्रास

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ

भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, कलकत्ता

केन्द्रीय चिकित्सीय और सुगंध वनस्पति संस्थान, लखनऊ

औद्योगिक विपविज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, लखनऊ

भौतिकीय तथा आणविक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, जम्मू

जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, चंडीगढ़

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद काम्प्लेक्स, पालमपुर

टाकलार्ड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, जोरहाट

इंजीनियरी विज्ञान

केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्थान, रुड़की

केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली

केन्द्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसन्धान संस्थान, कलकत्ता  
 राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर  
 केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र, धनबाद  
 केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, दुर्गापुर  
 राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, नागपुर  
 राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला, बंगलूर  
 संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसन्धान केन्द्र, रङ्की  
 संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसन्धान केन्द्र, मद्रास  
 क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर  
 क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम  
 क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, भोपाल  
 विद्युत अनुसन्धान और विकास संस्था, वदोदरा

### सूचना विज्ञान

राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नयी दिल्ली  
 भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र, नयी दिल्ली  
 प्रकाशन और सूचना निदेशालय, नयी दिल्ली

### औद्योगिक अनुसंधान संस्थाएं

1. चाय असंनुधान संस्था, टोकलाई, जोरहाट
2. विद्युत अनुसंधान और विकास संस्था, वदोदरा

### वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ निर्यात संवर्धन परिषदें

1. इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता
2. चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास
3. लाख निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता
4. मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन
5. खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली
6. मूल रासायनिक, औषध और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई
7. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन
8. रासायनिक और संबंधित उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता
9. रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई
10. प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई
11. ओवरसीज निर्माण परिषद, बम्बई

### संविधान में संशोधन

1. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1950—इस संशोधन में संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक्स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के कतिपय नए अधिकारों की व्यवस्था है। इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा वाक्स्वातंत्र्य के अधिकार के संदर्भ में अपराध-उद्दीपन और व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं विहित करने, अथवा कोई व्यापार या कारोबार चलाने के अधिकार के संदर्भ में राज्य आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग अथवा सेवा चलाने के संबंध में किया गया है। इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद 31क और 31ख तथा नवम अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि भूमि सुधार कानूनों को चनौती न दी जा सके।

2. संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1952—इस संशोधन द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया।

3. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1954—इस संशोधन द्वारा सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 प्रतिस्थापित की गई है, ताकि वह अनुच्छेद 369 के समरूप हो सके।

4. संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1955—निजी सम्पत्ति को अनिवार्यतः अर्जित या अधिग्रहीत करने की राज्य की शक्तियों को फिर से ठीक-ठीक ढंग से व्याख्या करने और इसे उन मामलों से, जहां राज्य की विनियमनकारी और प्रतिपेधात्मक विधियों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को सम्पत्ति से वंचित किया जाता है, अलग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 31(2) में संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 31क की परिधि का जमींदारी उन्मूलन जैसे आवश्यक कल्याणकारी कानूनों तक विस्तार करने तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित आयोजन और देश के खनिज तथा तेल स्रोतों पर पूरा नियंत्रण करने के उद्देश्य से इस अनुच्छेद का संशोधन किया गया। नवम् अनुसूची में छः अधिनियम भी शामिल किए गए। राज्य-एकाधिपत्यों के लिए उपबन्ध करने वाली विधियों के समर्थन में अनुच्छेद 305 में भी संशोधन किया गया।

5. संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 1955—इस संशोधन से अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया जिससे राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह राज्य विधानमंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय विधियों के बारे में, अपने विचार भेजे जाने के लिए, कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है।

6. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956—इस संशोधन द्वारा अन्तर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर करों के संबंध में अनुच्छेद 269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए। संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92क शामिल की गई।

7. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956—राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और पारिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य-क्षेत्रों का राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया। संशोधनों में लोकसभा की रचना, प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों की भी व्यवस्था की गई है।

8. संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960—संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि और दस वर्षों तक बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया।

9. संविधान (नवम् संशोधन) अधिनियम, 1960—भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य-क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेंगलाड़ी के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य-क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार को अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है।

10. संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961—दादरा और नागर हवेली के क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने और राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्तियों के अधीन उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची का संशोधन किया गया।

11. संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961—इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 66 और 71 का इस दृष्टि से संशोधन करना था जिससे उपयुक्त निर्वाचक मण्डल में किसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके।

12. संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक, 1962—इस संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 240 का संशोधन किया गया।

13. संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1962—इस संशोधन द्वारा भारत सरकार और नागा पीपुल्स कन्वेंशन के बीच हुए एक करार के अनुसरण में नागालैंड राज्य के संघ में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया अनुच्छेद 371क जोड़ा गया।

14. संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962—इस अधिनियम के द्वारा पांडिचेरि को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया और इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोआ, दमन व दीव और

पांडिचेरि के केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का सृजन किया जा सका ।

15. संविधान (फर्रुखवां संशोधन) अधिनियम, 1963—इस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि करने और एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने वाले न्यायाधीशों को प्रतिकारात्मक भत्ता देने का उपबंध किया गया । इस अधिनियम द्वारा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थान पर नियुक्त किए जाने की भी व्यवस्था की गई है । अनुच्छेद 226 का भी विस्तार किया गया ताकि उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी जा सके कि वे किसी प्राधिकारी यादिको निर्देश, आदेश या हुक्मनामा (रिट) जारी कर सकें, यदि ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद का कारण उन राज्य-क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ हो जिनमें वहां का उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है चाहे उस सरकारी अधिकारी का स्थान उन राज्य-क्षेत्रों के अन्दर नहीं हो । इस अधिनियम द्वारा सेवा आयुओं के अन्त्य की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग किसी एक सदस्य द्वारा किए जाने का भी उपबंध किया गया ।

16. संविधान (सोलहवां) अधिनियम, 1963—इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 का संशोधन किया गया जिससे भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शान्तिपूर्वक और अस्त्ररहित सम्मेलन तथा संस्था बनाने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया । संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या अभिकथन का संशोधन करके उसमें यह शर्त भी शामिल की गई कि वे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे । इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है ।

17. संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, 1964—अनुच्छेद 31क का और आगे संशोधन किया गया जिसके अनुसार निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिकर के रूप में उसका बाजार मूल्य न दिया जाए, साथ ही इस संशोधन द्वारा उक्त अनुच्छेद में दी गई "सम्पदा" की परिभाषा का विस्तार पूर्व तारीख से लागू किया गया । नवम् अनुसूची का भी संशोधन किया गया और उसमें 44 और अधिनियम शामिल किए गए ।

18. संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, 1966—इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 3 का यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया कि "राज्य" शब्द में केन्द्र शासित प्रदेश भी शामिल होगा और इस अनुच्छेद के अधीन नया राज्य बनाने की शक्ति में किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के एक भाग को किसी दूसरे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश से मिलाकर एक नया राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति को भी शामिल किया गया ।

19. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966—निर्वाचन न्यायाधिकरणों को समाप्त करने और उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिकाओं को सुनवाई किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 324 का संशोधन इस पारिभाषिक परिवर्तन के लिए किया गया ।

20. संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966—यह संशोधन चन्द्र मोहन वनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के कारण आवश्यक हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में जिला न्यायाधीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था। एक नया अनुच्छेद 233क जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तियों को विधिमान्य बना दिया गया।

21. संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967—इस संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया।

22. संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969—यह अधिनियम असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया।

23. संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधान-मंडलों में स्थानों के आरक्षण की अवधि और दस वर्षों तक बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया।

24. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971—यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ। तदनुसार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया।

25. संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971—इस संशोधन द्वारा बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले को देखते हुए अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया। "मुआवजा" शब्द की "पर्याप्त मुआवजा" के रूप में न्यायिक व्याख्या को देखते हुए 'मुआवजा' शब्द के स्थान पर 'रकम' शब्द रखा गया।

26. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971—इस संशोधन द्वारा भारतीय रिपब्लिकों के शासकों के 'प्रिवीपर्स' और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधव राव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया।

27. संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 1971—यह संशोधन अधिनियम उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक हुई कतिपय बातों की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। एक नया अनुच्छेद 239ख जोड़ा गया जिससे कुछ केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन अध्यादेश घोषित करने के लिए समर्थ हो गए।

28. संविधान (अठ्ठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 1972—यह संशोधन भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के छुट्टी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के संबंध में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया।





37. संविधान (संतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975—इस अधिनियम द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गयी, संविधान के अनुच्छेद 240 का भी संशोधन किया गया और यह उपबन्ध किया गया कि अन्य विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों की तरह केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब विधानसभा या तो भंग हो गई हो या उसके कार्य निलंबित हो।

38. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975—इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123, 213 और 352 में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

39. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा जो संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाए। इस अधिनियम द्वारा नवम् अनुसूची में कतिपय केन्द्रीय कानूनों को भी शामिल किया गया।

40. संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा देश के भू-भाग के अन्दर अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन भी संघ के अधिकार में होंगे। इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय जल-सीमा, देश के भू-भाग और पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र की सीमाएं वे होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा अथवा संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी। साथ ही नवम् अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए।

41. संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976—इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा आयोगों और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।

42. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976—इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे।

कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्चादर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों, जिनकी आड़ लेकर सामाजिक-आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है, पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए। इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में एक

नया अध्याय जोड़ा गया और समाज-विरोधी गतिविधियों से, चाहे वे व्यक्तियों द्वारा हों या संस्थाओं द्वारा हों, निपटने के लिए विशेष उपबंध किए गए। कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करके तथा किसी कानून को संवैधानिक दृष्टि से अवैध घोषित करने के लिए कम-से-कम दो-तिहाई न्यायाधीशों की विशेष बहुमत व्यवस्था करके न्यायपालिका संबंधी उपबंधों का भी संशोधन किया गया।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए और सेवा संबंधी मामलों, राजस्व संबंधी मामलों, सामाजिक-आर्थिक विकास और प्रगति के संदर्भ में कतिपय अन्य मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता को सुरक्षित रखने हुए ऐसे मामलों के संबंध में प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों के निर्माण के लिए उपबंध किया गया। अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता में कुछ संशोधन भी किया गया।

43. संविधान (तैत्तलीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977—इस अधिनियम के द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ संविधान (ब्यालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के लागू होने से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में जो कटौती हो गई थी, उसे बहाल करने का उपबंध किया गया और तदनुसार उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए अनुच्छेद 32क, 131क, 144क, 226क और 228क को इस अधिनियम द्वारा हटा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31ए को भी, जिसके द्वारा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए कतिपय कानून बनाने के लिए संसद को विशेष शक्तियां दी गई थी, हटा दिया गया।

44. संविधान (चत्तलीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978—सम्पत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के रूप में हटा कर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर भी यह सुनिश्चित किया गया कि सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाने से अल्प-संख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके सच्चात्त सम्बन्धी अधिकारों पर कोई प्रभाव न पड़े। संविधान के अनुच्छेद 352 का संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि आपात-स्थिति की घोषणा के लिए एक कारण 'सशस्त्र विद्रोह' होगा। आन्तरिक गड़बड़ी, यदि वह सशस्त्र विद्रोह नहीं, आपात-स्थिति की घोषणा के लिए आधार नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को, जैसा कि अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया है, इस उपबंध द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अनुसार निवारक नजरबंदी कानून के अधीन किसी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में दो महीने से अधिक अवधि के लिए नजरबंद नहीं रखा जा सकता, जब तक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट नहीं देता कि ऐसी नजरबंदी के पर्याप्त कारण हैं। इसके लिए अतिरिक्त मन्शन भी व्यवस्था इस अपेक्षा से की गई है कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसी स्टाफ उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

विलम्ब से वचने की दृष्टि से अनुच्छेद 132, 133 और 134 में संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 134क सम्मिलित किया गया, जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि निर्णय, डिग्री, अंतिम आदेश अथवा सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद संबंधित पक्ष के मौखिक आवेदन के आधार पर अथवा यदि उच्च न्यायालय उचित समझे तो स्वयं ही उच्चतम न्यायालय में अपील करने के प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने के प्रश्न पर विचार करे। इस अधिनियम द्वारा किए गए अन्य संशोधन मुख्यतः आन्तरिक आपात-स्थिति की अवधि के दौरान किए गए संशोधनों के कारण संविधान में आई विकृतियों को दूर करने अथवा सुधार करने के लिए हैं।

45. संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980—यह अधिनियम संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को और दस वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया।

46. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1982—इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया ताकि अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए। इस अनुच्छेद का संशोधन इस दृष्टि से भी किया गया ताकि संसद कानून द्वारा यह निर्धारित कर सके कि किस स्थिति में भेजा जाने वाला माल अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा हुआ माना जाएगा। सघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92ख भी शामिल की गई ताकि ऐसी स्थिति में जब माल अन्तर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा जाए तो उस माल पर कर लगाया जा सके।

अनुच्छेद 286 के खंड (3) का संशोधन किया गया ताकि संसद कानून द्वारा कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान वस्तुओं के हस्तान्तरण में, किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी के आधार पर माल की सुपुर्दगी पर कर लगाने की प्रणाली, दरों और अन्य बातों के संबंध में प्रतिबन्ध और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सके।

'माल के क्रय और विक्रय पर कर' की परिभाषा में यह जोड़ने के लिए अनुच्छेद 366 का यथोचित संशोधन किया गया कि उसमें नियंत्रित वस्तुओं के प्रतिफलार्थ अन्तरण, कार्य-संविदा के निष्पादन से संबंधित वस्तुओं के रूप में सम्पत्ति का अन्तरण, किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी आदि की प्रणाली में माल की सुपुर्दगी को भी शामिल किया जा सके।

47. संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984—इस संशोधन का उद्देश्य संविधान की नवम् अनुसूची में कतिपय भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल करना है ताकि उन अधिनियमों को लागू किए जाने में रुकावट डालने वाली मुकद्दमे दाजी को रोका जा सके।

48. संविधान (अड़तालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984—संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा तब तक एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकती, जब तक कि उक्त अनुच्छेद के खंड (5) में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं होती। चूंकि यह महसूस किया गया है कि उक्त उद्घोषणा का लागू रहना आवश्यक है, इसलिए यह संशोधन किया गया है ताकि इस मामले में अनुच्छेद 356 के खंड (5) में उल्लिखित शर्तें लागू न होने पायें।

49. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984—त्रिपुरा सरकार ने सिफारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबन्धों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किया जाये। इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य उस राज्य में काम कर रहे स्वायत्तशासी त्रिना परिपद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है।

50. संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984—संविधान के अनुच्छेद 33 द्वारा संसद को यह निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गयी है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को सशस्त्र सेनाओं अथवा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रभावि बलों पर लागू करने में किस सीमा तक प्रतिबन्धित अथवा निराकृत किया जाए ताकि उनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाये रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

अनुच्छेद 33 को परिधि में निम्नलिखित शर्तों को लाने के लिए इसका संशोधन प्रस्तावित है :

- (i) राज्य की अथवा उसके प्रभार या कब्जे में सम्पत्ति के संरक्षण के लिए प्रभावि बलों के सदस्य; अथवा
- (ii) आसूचना अथवा प्रति-प्रासूचना के प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो अथवा अन्य संगठनों में नियुक्त व्यक्ति, अथवा
- (iii) किसी बल, ब्यूरो अथवा संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूर संचार प्रणालियों में नियुक्त अथवा उनसे संबंधित व्यक्ति।

अनुभव से पता चला है कि इनके द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वहन तथा उनमें अनुशासन बनाये रखने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता राष्ट्रीय हित में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

51. संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984—इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया ताकि मेघालय, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में स्थान आरक्षित किए जा सकें तथा स्थानीय जनजातियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 332 में संशोधन करके नागालैण्ड और मेघालय की विधानसभाओं में भी इसी तरह का आरक्षण किया गया।

52. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985—इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य दलबदल

करता है या उस दल द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के छः महीने के अन्दर किसी राजनैतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। इस अधिनियम दलों के विभाजन तथा विलय के संबंध में समुचित प्रावधान

# परिशिष्ट

## भारत सरकार

22 अक्टूबर, 1986 की स्थिति

राष्ट्रपति	जानी जैल सिंह	
उप-राष्ट्रपति	आर० वेंकटरमन	
प्रधान मन्त्री	राजीव गांधी	
मंत्रिपरिषद के सदस्य		
कृषि		
कैबिनेट मंत्री	जी० एस० दिल्ली	
राज्य मंत्री	योगेन्द्र मकवाना	कृषि और सङ्कारिता
राज्य मंत्री	आर० प्रभु	उर्वरक
राज्य मंत्री	रामानंद माधव	ग्रामीण विकास]
ऊर्जा		
कैबिनेट मंत्री	वसन्त साठे	
राज्य मंत्री	सुशीला रोहतगी	विद्युत
विदेश		
कैबिनेट मंत्री	नारायण दत्त तिवारी	
राज्य मंत्री	एडुभ्राडों फलेरिओ के० नटधर सिंह	
वित्त		
कैबिनेट मंत्री	विश्वनाथ प्रताप सिंह	
राज्य मंत्री	बी० के० गांधी जनार्दन पुजारी	व्यय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
कैबिनेट मंत्री	पी० वी० नरसिम्हा राव	
राज्य मंत्री	कु० सरोज छापडे	स्वास्थ्य

कैबिनेट मंत्री  
राज्य मंत्री  
राज्य मंत्री

बूटा सिंह  
चितामणि पाणिग्रही  
पी० चिदम्बरम

मानव संसाधन विकास

कैबिनेट मंत्री  
राज्य मंत्री  
राज्य मंत्री

पी० वी० नरसिम्हा राव  
कृष्णा साही  
मार्ग्रेट अल्वा

शिक्षा और संस्कृति  
युवाकार्य, खेल और  
महिला तथा बाल  
विकास

उद्योग

कैबिनेट मंत्री  
राज्य मंत्री  
राज्य मंत्री  
राज्य मंत्री

जे० वेगल राव  
प्रो० के० के० तिवारी  
एम० अरुणाचलम  
आर०के० जयचन्द्र सिंह

सावजनिक उद्यम  
श्राधोगिक विकास  
रसायन और पेट्रो-  
रसायन

विधि तथा न्याय

कैबिनेट मंत्री  
राज्य मंत्री

अशोक कुमार सेन  
एच० आर० भारद्वाज

संसदीय मामले

कैबिनेट मंत्री  
राज्य मंत्री  
राज्य मंत्री

एच० के० एल० भगत  
एम० एम० जेकब  
शीला दीक्षित

कार्यक्रम त्रियान्वयन

कैबिनेट मंत्री

ए० वी० ए० शनीखान चौधरी

इस्पात तथा खान

कैबिनेट मंत्री  
राज्य मंत्री

कृष्ण चन्द्र पन्त

राम दुलारी सिन्हा

खान

रेल

राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

माधव राव सिधिया

## परिशिष्ट

शहरी विकास कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री	मोहसिना किदवई दलवीर सिंह
जल संसाधन कैबिनेट मंत्री	वी० शंकरानन्द
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अजित पांजा
वाणिज्य कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री	पी० शिवशंकर पी० आर० दाममुंशी
संचार कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री	अर्जुन सिंह संतोष मोहन देव
खाद्य और नागरिक आपूर्ति कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री	एच० के० एल० भगत गुलाम नबी आखाद
श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	पी०ए० संगमा
कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	डा० राजेन्द्र कुमागी बाजवेयी
उप मंत्री	गिरिधर गोमागो
पर्यावरण तथा वन कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री	भजन लाल जेड० आर० अंसारी



## नागर विमानन

राज्य मंत्री  
(स्वतन्त्र प्रभार)

जगदीश टाइटलर

## पर्यटन

कैबिनेट मंत्री

मुपती मोहम्मद सईद

## जल-भूतल परिवहन

राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

राजेश पायलट

## वस्त्र-उद्योग

राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

रामनिवास मिर्धा

उप-मंत्री

एस० कृष्ण कुमार

## प्रधान मंत्री के अधीन

रक्षा

राज्य मंत्री

अर्जुन सिंह

रक्षा अनुसंधान और  
विकास

राज्य मंत्री

शिवराज पाटिल

रक्षा उत्पादन और  
आपूर्ति

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

राज्य मंत्री

के० आर० नारायणन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी  
महासागर विकास  
परमाणु ऊर्जा  
इलेक्ट्रॉनिक्स  
अंतरिक्ष

## योजना

राज्य मंत्री

सुखराम

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन

राज्य मंत्री

पी० चिदम्बरम्

उप-मंत्री

बीरेन सिंह इंग्ती

संसद सदस्य

राज्य सभा

(18 अगस्त, 1986 को)

सभापति

डॉ० वैकटरमन

उपसभापति

एम० एम० जेकब

असम (7)

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. धरनीधर बामुमतारी        | कांग्रेस (इ) |
| 2. कमलेन्दु भट्टाचार्यी    | कांग्रेस (इ) |
| 3. श्रीमती विजया चक्रवर्ती | असम गण परिषद |
| 4. बहल इस्लाम              | कांग्रेस (इ) |
| 5. भुवनेश्वर कालिता        | कांग्रेस (इ) |
| 6. पृथ्वी माझी             | कांग्रेस (इ) |
| 7. नगेन सैकिया             | असम गण परिषद |

अन्य प्रदेश (18)

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 8. श्रीमती रेणुका चौधरी      | तेलुगु देशम  |
| 9. प्रभाकर राव कात्वला       | तेलुगु देशम  |
| 10. प्रो० सी० लक्ष्मन्ना     | तेलुगु देशम  |
| 11. जी० स्वामीनायक           | कांग्रेस (इ) |
| 12. के० एल० एन० प्रसाद       | कांग्रेस (इ) |
| 13. पुट्टापागा राधाकृष्ण     | तेलुगु देशम  |
| 14. एस० बी० रमेश बाबू        | कांग्रेस (इ) |
| 15. प्रो० बी० रामचन्द्र राव  | कांग्रेस (इ) |
| 16. गोपाल राव टी             | तेलुगु देशम  |
| 17. आर० साम्बशिवा राव        | कांग्रेस (इ) |
| 18. यल्ला शशि भूषण राव       | तेलुगु देशम  |
| 19. आदिनारायण रेड्डी         | कांग्रेस (इ) |
| 20. बी० सत्यनारायण रेड्डी    | तेलुगु देशम  |
| 21. डा० जी० विजय मोहन रेड्डी | तेलुगु देशम  |
| 22. पी० बाबुल रेड्डी         | जनता पार्टी  |
| 23. टी० चन्द्रशेखर रेड्डी    | कांग्रेस (इ) |
| 24. तलारी मनोहर              | तेलुगु देशम  |
| 25. पर्वतनेनि उपेन्द्र       | तेलुगु देशम  |

उड़ीसा (10)

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 26. वनमाली बाबू   | कांग्रेस (इ) |
| 27. गया चन्द भूया | जनता पार्टी  |

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 28. गणेश्वर कुसुम        | कांग्रेस (इ) |
| 29. जगदीश जानी           | कांग्रेस (इ) |
| 30. सुभाष मोहन्ती        | कांग्रेस (इ) |
| 31. वासुदेव महापात्र     | कांग्रेस (इ) |
| 32. के० वासुदेव पनिकर    | कांग्रेस (इ) |
| 33. सुनील कुमार पट्टनायक | कांग्रेस (इ) |
| 34. सन्तोष कुमार साहू    | कांग्रेस (इ) |
| 35. कृ० सुशीला टीरिया    | कांग्रेस (इ) |

### उत्तर प्रदेश (34)

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 36. हशीम रजा इलाहाबादी<br>श्रावदी | कांग्रेस (इ) |
| 37. अजीत सिंह                     | लोकदल        |
| 38. अरुण सिंह                     | कांग्रेस (इ) |
| 39. बेकल उत्साही                  | कांग्रेस (इ) |
| 40. चौधरी रामसेवक                 | कांग्रेस (इ) |
| 41. सोहन लाल घूसिया               | कांग्रेस (इ) |
| 42. माधन लाल फोतेदार              | कांग्रेस (इ) |
| 43. घनश्याम सिंह                  | कांग्रेस (इ) |
| 44. जे० पी० गोयल                  | लोकदल        |
| 45. कृष्णा नन्द जोशी              | कांग्रेस (इ) |
| 46. श्रीमती कैलाशपति              | कांग्रेस (इ) |
| 47. श्रीमती कृष्णा कौल            | कांग्रेस (इ) |
| 48. डा० मोहम्मद हाशिम किदवई       | कांग्रेस (इ) |
| 49. राम नरेश कुशवाहा              | लोकदल        |
| 50. सत्य प्रकाश मालवीय            | लोकदल        |
| 51. सत्यपाल मलिक                  | कांग्रेस (इ) |
| 52. रशीद मसूद                     | लोकदल        |
| 53. शिव कुमार मिश्र               | कांग्रेस (इ) |
| 54. डा० स्तनाकर पाण्डेय           | कांग्रेस (इ) |
| 55. कल्पनाथ राय                   | कांग्रेस (इ) |
| 56. डा० गोविन्ददास रिछारिया       | कांग्रेस (इ) |
| 57. श्रीमती सुशीला रोहतगी         | कांग्रेस (इ) |
| 58. वीरमद्र प्रताप सिंह           | कांग्रेस (इ) |
| 59. डा० शद्र प्रताप सिंह          | कांग्रेस (इ) |
| 60. विश्वनाथ प्रताप सिंह          | कांग्रेस (इ) |
| 61. सुखदेव प्रसाद                 | कांग्रेस (इ) |

62. पशुपति नाथ सुकुल	कांग्रेस (द)
63. नारायण दत्त तिषारी	कांग्रेस (इ)
64. शान्ति त्यागी	कांग्रेस (इ)
65. अशोक नाथ वर्मा	जनता पार्टी
66. कपिल वर्मा	लोकदल
67. वीरेन्द्र वर्मा	लोकदल
68. रामचन्द्र विकल	कांग्रेस (इ)
69. शरद यादव	लोकदल

कर्नाटक (12)

70. श्रीमती मार्वेट अल्वा	कांग्रेस (इ)
71. डी० वी० चन्द्र गोडा	जनता पार्टी
72. के० जी० विम्मे गोडा	जनता पार्टी
73. एम० एस० गुरुपदस्वामी	जनता पार्टी
74. एच० हनुमंतप्पा	कांग्रेस (इ)
75. एफ० एम० खान	निर्दलीय
76. एम० एल० कोल्लूर	कांग्रेस (इ)
77. वीर शेट्टी मोगलप्पा कुशनूर	कांग्रेस (इ)
78. के० जी० महेश्व रप्पा	जनता पार्टी
79. डा० (श्रीमती) मरोजिनी महिषी	जनता पार्टी
80. आर० एम० नायक	जनता पार्टी
81. एम० राजागोपाल	कांग्रेस (इ)

केरल (9)

82. ए० के० एंटनी	कांग्रेस (इ)
83. एम० ए० वेवी	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
84. एन० ई० बलराम	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
85. के० गोपालन	जनता (ग)
86. एम० एम० जेकब	कांग्रेस (इ)
87. वी० वी० अब्दुल्ला कोया	मुस्लिम लीग
88. टामस कुथीरावट्टम	केरल कांग्रेस
89. के० मोहनन्	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
90. टी० के० सी० वाडुयला	कांग्रेस (इ)

गुजरात (11)

91. योगेन्द्र मकवाणा	कांग्रेस (इ)
92. चिमन भाई मेहता	कांग्रेस (इ)
93. कृशोर मेहता	निर्दलीय

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 94. मिर्जा इरशाद बेग                     | कांग्रेस (इ)       |
| 95. प्रणव मुखर्जी                        | निर्दलीय           |
| 96. चिट्ठलभाई मोतीराम पटेल               | कांग्रेस (इ)       |
| 97. रामसिंह भाई पातलिया भाई<br>राठवाकोली | कांग्रेस (इ)       |
| 98. सागर रायका                           | कांग्रेस (इ)       |
| 99. पी० शिष शंकर                         | कांग्रेस (इ)       |
| 100. शंकर सिंह वाघेला                    | भारतीय जनता पार्टी |
| 101. रऊफ वलीउल्लाह                       | कांग्रेस (इ)       |

जम्मू और कश्मीर (4)

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 102. तीरथ राम शम्ला       | कांग्रेस (इ)   |
| 103. गुलाम रसूल मट्टू     | नेशनल कांग्रेस |
| 104. धर्म चन्द्र प्रणान्त | निर्दलीय       |
| 105. रिपत                 | —              |

तमिलनाडु (18)

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 106. शलादी अरुण उर्फ वी०<br>श्रध्दाचलम | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 107. टी० श्रार० बालु                   | द्रविड़ मुनेत्र कडगम         |
| 108. श्रार० टी० गोपालन                 | श्रन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 109. वी० गोपालसामी                     | द्रविड़ मुनेत्र कडगम         |
| 110. कुमारी जयललिता जयराम              | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 111. बालमपुरी जॉन                      | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 112. एम० फादरशाह                       | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 113. मुरासोली मरान                     | द्रविड़ मुनेत्र कडगम         |
| 114. जी० के० मूपनार                    | कांग्रेस (इ)                 |
| 115. श्रीमती जयन्ती नटराजन             | कांग्रेस (इ)                 |
| 116. एन० पालानियान्दी                  | कांग्रेस (इ)                 |
| 117. एन० राजगम                         | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 118. वी० रामनाथन                       | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 119. एरा साम्बशिवम                     | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 120. जी० स्वामीनाथन                    | श्रन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 121. टी० तंगवालू                       | कांग्रेस (इ)                 |
| 122. जी० वरदराज                        | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |
| 123. एम० विसैंट                        | श्रद्धा द्रविड़ मुनेत्र कडगम |

त्रिपुरा (1)

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 124. नारायण कर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) |
|----------------|--------------------------------------|

नागालैंड (1)

125. होकिशो सेमा कांग्रेस (इ)

पंजाब (7)

126. श्रीमती भ्रमरजीत कौर कांग्रेस (इ)  
 127. सरदार जगजीत सिंह भरोड़ा भकाली दल  
 128. पवन कुमार बसल कांग्रेस (इ)  
 129. दरबारा सिंह कांग्रेस (इ)  
 130. हरवेन्द्र सिंह हंसपाल कांग्रेस (इ)  
 131. सतपाल मित्तल कांग्रेस (इ)  
 132. सरदार गुरचरण सिंह टोहरा शिरोमणी भकाली दल

पश्चिम बंगाल (16)

133. देवेन्द्र नाथ वर्मन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 134. चित्त दसु फ़ारवर्डे ब्लॉक  
 135. नेपालदेव भट्टाचार्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 136. निर्मल चटर्जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 137. गुहदास दासगुप्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी  
 138. दीपेन घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 139. शान्तिभय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 140. रामकृष्ण भञ्जमदार फ़ारवर्डे ब्लॉक  
 141. टी० एस० गुरुंग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 142. श्रीमती कनक मुखर्जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 143. माखन पाल क्रांतिकारी सोशलिस्ट दल  
 144. डा० रामेन्द्र कुमार पोद्दार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 145. मुस्तफ़ा बिन कासिम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 146. देव प्रसाद राय कांग्रेस (इ)  
 147. सुकोमल सेन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)  
 148. रिक्त —

बिहार (22)

149. एस० एम० ब्राह्मणवाजिपा कांग्रेस (इ)  
 150. अश्विनी कुमार (भारतीय जनता पार्टी)  
 151. फगुनी राम कांग्रेस (इ)  
 152. दुर्गा प्रसाद जामुदा कांग्रेस (इ)  
 153. लक्ष्मीकांत झा कांग्रेस (इ)  
 154. महेन्द्र प्रसाद कांग्रेस (इ)  
 155. बन्धु महतो कांग्रेस (इ)

156. चतुरानन मिश्र	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
157. कैलाश पति मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
158. महेन्द्र मोहन मिश्र	कांग्रेस (इ)
159. श्रीमती मनोरमा पाण्डेय	कांग्रेस (इ)
160. रफीक आलम	कांग्रेस (इ)
161. रजनी रंजन साहू	कांग्रेस (इ)
162. ए० पी० शर्मा	कांग्रेस (इ)
163. श्रीमती प्रतिभा सिंह	कांग्रेस (इ)
164. ठाकुर कामाख्या प्रसाद सिंह	कांग्रेस (इ)
165. राम श्रवधेश सिंह	लोकदल
166. सूरज प्रसाद	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
167. प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर	कांग्रेस (इ)
168. रामेश्वर ठाकुर	कांग्रेस (इ)
169. जगदम्बी प्रसाद यादव	भारतीय जनता पार्टी
170. रामानन्द यादव	कांग्रेस (इ)

### मणिपुर (1)

171. आर० के० जयचन्द्र सिंह	कांग्रेस (इ)
----------------------------	--------------

### मध्य प्रदेश (16)

172. लालकृष्ण अडवाणी	भारतीय जनता पार्टी
173. हंसराज भारद्वाज	कांग्रेस (इ)
174. अजोत पी० के० जोगी	कांग्रेस (इ)
175. कु० सईदा खातून	कांग्रेस (इ)
176. राधाकृष्ण मालवीय	कांग्रेस (इ)
177. भगत राम मनहर	कांग्रेस (इ)
178. सुरेश पचीरी	कांग्रेस (इ)
179. श्रीमती रतन कुमारी	कांग्रेस (इ)
180. श्रीमती विजया राजे सिधिया	भारतीय जनता पार्टी
181. सतीश कुमार शर्मा	कांग्रेस (इ)
182. केशवप्रसाद शुक्ल	कांग्रेस (इ)
183. ठाकुर जगतपाल सिंह	कांग्रेस (इ)
184. सुरेन्द्र सिंह ठाकुर	कांग्रेस (इ)
185. चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी	कांग्रेस (इ)
186. अटल बिहारी वाजपेयी	भारतीय जनता पार्टी
187. श्रीमती वीणा वर्मा	कांग्रेस (इ)

### महाराष्ट्र (19)

188. मुरलीधर चन्द्रकांत भण्डारे	कांग्रेस (इ)
---------------------------------	--------------

189. जगेश देसाई	कांग्रेस (इ)
190. शंकरराव नारायणराव देशमुख	कांग्रेस (इ)
191. डा० (श्रीमती) नरमा हेपतुल्ला	कांग्रेस (इ)
192. विठ्ठलराव माधवराव जाधव	कांग्रेस (इ)
193. श्रीमती सुधा विजय जोशी	कांग्रेस (इ)
194. डा० बापू कालदाते	जनता पार्टी
195. सुरेश कलमाडी	कांग्रेस (एस०)
196. प्रो० नरेन्द्र माखनराव काम्बले	कांग्रेस (इ)
197. कुमारी सरोज खापडे	कांग्रेस (इ)
198. ए० जी० कुलकर्णी	कांग्रेस (एस०)
199. प्रमोद महाजन	भारतीय जनता पार्टी
200. भास्कर भन्नाजी मसोदकर	कांग्रेस (इ)
201. दिनकरराव गोविन्दराव पाटिल	कांग्रेस (इ)
202. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	कांग्रेस (इ)
203. श्रीमती सूर्यकान्ता जसवंतराव पाटिल	कांग्रेस (इ)
204. नरेग सी० पुगलिया	कांग्रेस (इ)
205. एन० के० पी० साल्वे	कांग्रेस (इ)
206. विश्वजीत पृथ्वीजीत सिंह	कांग्रेस (इ)

मेघालय (1)

207. जर्ली ई० डेरिएंग	कांग्रेस (इ)
-----------------------	--------------

राजस्थान (10)

208. संतोष बगडोरिया	कांग्रेस (इ)
209. भीम राज	कांग्रेस (इ)
210. कृष्ण कुमार बिरला	निर्दलीय
211. भुवनेश चतुर्वेदी	कांग्रेस (इ)
212. जसवंत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
213. ध्रुवेश्वर भीणा	कांग्रेस (इ)
214. नत्या सिंह	कांग्रेस (इ)
215. श्रीमती शांति पहाड़िया	कांग्रेस (इ)
216. बी० एल० पंवार	कांग्रेस (इ)
217. डा० एच० पी० शर्मा	कांग्रेस (इ)

सिक्किम (1)

218. लियोनाड सोलोमन सारिंग	कांग्रेस (इ)
----------------------------	--------------



## हरियाणा (5)

219. भजन लाल	कांग्रेस (इ)
220. एम० पी० कौशिक	कांग्रेस (इ)
221. मुख्त्यार सिंह मलिक	कांग्रेस (इ)
222. हरिसिंह नलवा	कांग्रेस (ह)
223. सुरेन्द्र सिंह	कांग्रेस (इ)

## हिमाचल प्रदेश (3)

224. चंदन शर्मा	कांग्रेस (इ)
225. रोशन लाल	कांग्रेस (इ)
226. आनन्द शर्मा	कांग्रेस (इ)

## केन्द्र तः सित प्रदेश

### अरुणाचल प्रदेश (1)

227. श्रीमती ओमेम मयोंग देओरी	कांग्रेस (इ)
-------------------------------	--------------

### दिल्ली (3)

228. विश्व बंधु गुप्ता	कांग्रेस (इ)
229. लक्ष्मी नारायण	कांग्रेस (इ)
230. शमीम अहमद सिद्दीकी	कांग्रेस (इ)

### मिजोरम (1)

231. डा०सी० सिल्वेरा	कांग्रेस (इ)
----------------------	--------------

### पांडिचेरि (1)

232. वी० नारायण स्वामी	कांग्रेस (इ)
------------------------	--------------

## राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (12)

233. सलीम अली	
234. श्रीमती अमृता प्रीतम	
* 235. हयातुल्ला अंसारी	कांग्रेस (इ)
* 236. मदन भाटिया	कांग्रेस (इ)
237. श्रीमती इला रमेश भट्ट	
238. प्रो० श्रीमती असीमा चटर्जी	
239. एम० एफ० हुसैन	
* 240. पुरुषोत्तम काकोदकर	कांग्रेस (इ)
* 241. गुलाम रसूल कर	कांग्रेस (इ)
242. आर० के० नारायण	
* 243. थिन्डिनम के० राममूर्ति	कांग्रेस (इ)
244. पं० रवि शंकर	
* कांग्रेस (इ) से सम्बन्धित	

आठवीं लोकसभा के सदस्य

(31 अगस्त 1986 को)

अध्यक्ष : डा० बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष : एम० धन्वी दुरई

क्र० सं०	राज्य/निर्वाचन क्षेत्र	सदस्य का नाम	पार्टी
1	2	3	4
असम—14			
1.	करीम गंज (सु)	सुदर्शन दास	कांग्रेस (एध)
2.	कालिदावर	भद्रेश्वर तातो	असम गण परिषद
3.	कोकराझार (सु)	समर ब्रह्म चौधरी	असम्बद्ध
4.	गुवाहाटी	दिनेश गोस्वामी	असम गण परिषद
5.	जोरहाट	प्रो० परान चालिहा	असम गण परिषद
6.	डिब्रूगढ़	हरेन भूमिज	कांग्रेस (इ)

संक्षिप्त नाम :

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (कम्यु०)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकसंबादी) (कम्यु० मा०)

द्रविड मुन्नेत्र कडगम (द्रमुक)

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम (अन्ना० द्रमुक)

भारतीय जनता पार्टी (मा० ज० पा०)

कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट (कांग्रेस-एस०)

जनता पार्टी (जनता)

केरल कांग्रेस (के० का०)

श्रमिकारी सोशलिस्ट दल (का० सो० द०)

फारवर्ड ब्लाक (फा० ब०)

मुस्लिम लीग (मु० ली०)

जम्मू और कश्मीर नेशनल काँग्रेस (जे० का०)

सुरक्षित (सु०)

हरियाणा (5)

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 219. भजन लाल             | कांग्रेस (इ) |
| 220. एम० पी० कौशिक       | कांग्रेस (इ) |
| 221. मुख्त्यार सिंह मलिक | कांग्रेस (इ) |
| 222. हरिसिंह नलवा        | कांग्रेस (ह) |
| 223. सुरेन्द्र सिंह      | कांग्रेस (इ) |

हिमाचल प्रदेश (3)

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 224. चंदन शर्मा  | कांग्रेस (इ) |
| 225. रोशन लाल    | कांग्रेस (इ) |
| 226. आनन्द शर्मा | कांग्रेस (इ) |

केन्द्र 1 असित प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश (1)

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 227. श्रीमती ओमेम मोयोंग देओरी | कांग्रेस (इ) |
|--------------------------------|--------------|

दिल्ली (3)

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 228. विश्व बंधु गुप्ता  | कांग्रेस (इ) |
| 229. लक्ष्मी नारायण     | कांग्रेस (इ) |
| 230. शमीम अहमद सिद्दीकी | कांग्रेस (इ) |

मिजोरम (1)

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 231. डा०सी० सिल्वेरा | कांग्रेस (इ) |
|----------------------|--------------|

पांडिचेरि (1)

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 232. वी० नारायण स्वामी | कांग्रेस (इ) |
|------------------------|--------------|

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (12)

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 233. सलीम अली                   |              |
| 234. श्रीमती अमृता प्रीतम       |              |
| * 235. हयातुल्ला अंसारी         | कांग्रेस (इ) |
| * 236. मदन भाटिया               | कांग्रेस (इ) |
| 237. श्रीमती इला रमेश भट्ट      |              |
| 238. प्रो० श्रीमती असीमा चटर्जी |              |
| 239. एम० एफ० हुसैन              |              |
| * 240. पुरुषोत्तम काकोदकर       | कांग्रेस (इ) |
| * 241. गुलाम रसूल कर            | कांग्रेस (इ) |
| 242. आर० के० नारायण             |              |
| * 243. थिन्डिनम के० राममूर्ति   | कांग्रेस (इ) |
| 244. पं० रवि शंकर               |              |
| * कांग्रेस (इ) से सम्बन्धित     |              |

1	2	3	4
29.	तिरुपति (सु०)	डा० चित्ता मोहन	तेलुगु देशम
30.	नगर कुरुल (सु०)	टी० तुलसीराम	तेलुगु देशम
31.	नन्दयाल	मददुर सुमा रेड्डी	तेलुगु देशम
32.	नरसा राव पेट	कट्टुरी नारायणस्वामी	तेलुगु देशम
33.	नरसापुर	विजय कुमार राजू भूपतिराजू	तेलुगु देशम
34.	नलगोंडा	मल्ला रघुमा रेड्डी	तेलुगु देशम
35.	नेल्लोर (सु०)	पेंचालैया पेंचाल्लिया	तेलुगु देशम
36.	निजामाबाद	सदुर बाला गौड	कांग्रेस (इ)
37.	पार्वतीपुरम (सु०)	वी० किशोर चन्द्र सूर्यनारायण देव	कांग्रेस (एस०)
38.	पेड्डापल्ली (सु०)	जी० भूपति	तेलुगु देशम
39.	बोन्विली	भानंद गजपति राजू	तेलुगु देशम
40.	बापटला	चिषमता सान्दु	तेलुगु देशम
41.	भद्राचलम (सु०)	सोदे रमैया	कम्यु०
42.	भछलीपट्टनम	कावूरु सम्बासिव राव	कांग्रेस (इ)
43.	महबूब नगर	मुदीनी जयपाल रेड्डी	जनता
44.	मिरयालगुडा	भीम नरसंह रेड्डी	कम्यु० भा०
45.	मेडक	मानिक रेड्डी	तेलुगु देशम
46.	राजामुंदी	सी० एच० धीहरि राव	तेलुगु देशम
47.	राजमपेट	एस० पालाकोन्द्रायुडु	तेलुगु देशम
48.	वारंगल	डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी	तेलुगु देशम
49.	विजयवाड़ा	बाहे सोभानेद्रीस्वर राव	तेलुगु देशम
50.	श्रीकाकुलम	एच० ए० दोरा	तेलुगु देशम
51.	विशाखापत्तनम	भट्टम श्रीरामामूर्ति	तेलुगु देशम
52.	सिकन्दराबाद	रिवत	
53.	सिद्दीपेट (सु०)	डा० जी० विजयारामा राव	तेलुगु देशम
54.	हिन्दूपुर	के० रामचन्द्र रेड्डी	तेलुगु देशम
55.	हैदराबाद	सुलतान सलाहूद्दीन क्वेसी	भ्रमम्बद
56.	हनमकोडा	चन्दुपटला जंगम रेड्डी	भा० ज० पा०

1	2	3	4
7.	तेजपुर	विपिन पाल दास	कांग्रेस (इ)
8.	घुन्नी	अब्दुल हमीद	असम्बद्ध
9.	नीगांव	मुहिरम सैकिया	असम गण परिषद
10.	वारपेटा	। ता-उर-रहमान	असम गण परिषद
11.	मंगलदोई	सैफुद्दीन अहमद	असम गण परिषद
12.	लखीमपुर	गोकुल सैकिया	असम्बद्ध
13.	सिल्वर	संतोष मोहन देव	कांग्रेस (इ)
14.	स्वायत्तशासी जिले (सु)	वीरेन्द्र सिंह इंगति	कांग्रेस (इ)

आंध्र प्रदेश—42

15.	आदिलाबाद	सी० माधव रेड्डी	तेलुगु देशम
16.	अमालपुरम (सु०)	ऐथावयुल जोगेश्वर वेंकट बुच्चि महेश्वर राव	तेलुगु देशम
17.	अनामपल्ली	पी० अप्पाल नरसिम्हा	तेलुगु देशम
18.	अनन्तपुर	देवीनेनी नारायणस्वामी	तेलुगु देशम
19.	एलुरु	बोला वुल्लि रमैया	तेलुगु देशम
20.	आंगोल	बेजवाड़ा पापि रेड्डी	तेलुगु देशम
21.	कुडप्पा	डी० एन० रेड्डी	तेलुगु देशम
22.	कुरनूल	एरासु अय्यपु रेड्डी	तेलुगु देशम
23.	करीमनगर	जुव्वादि चोक्का राव	कांग्रेस (इ)
24.	काकीनाडा	थोटा गोपाल कृष्ण	तेलुगु देशम
25.	खम्मम	जे० वेंगल राव	कांग्रेस (इ)
26.	गुंटूर	प्रो० एन० जी० रंगा	कांग्रेस (इ)
27.	चित्तूर	श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी	तेलुगु देशम
28.	तेनाली	निस्संकराराव वेंकटरतनम	तेलुगु देशम

1	2	3	4
29.	तिरुवति (सु०)	डा० विजा मोहन	तेलुगु देशम
30.	नगर कुल्लुल (सु०)	श्री० तुलसीराम	तेलुगु देशम
31.	नन्दपाल	मद्दुर सुभा रेड्डी	तेलुगु देशम
32.	नरसं. राव पेट	कट्टुरी नारायणस्वामी	तेलुगु देशम
33.	नरसापुर	विजय कुमार राजू भूपतिराजू	तेलुगु देशम
34.	नलगाँडा	मल्ला रघुमा रेड्डी	तेलुगु देशम
35.	नेल्लोर (सु०)	पेंचालैया पेंचाल्लिया	तेलुगु देशम
36.	निजामाबाद	तदुर बाला गौड	कांग्रेस (इ)
37.	पार्वतीपुरम (सु०)	वी० क्रिगोर चन्द्र मूर्धनारायण देव	कांग्रेस (एस०)
38.	पेंडापल्ली (सु०)	जी० भूपति	तेलुगु देशम
39.	बोच्चिली	भानंद गजपति राजू	तेलुगु देशम
40.	बापटला	चिपमता सान्दु	तेलुगु देशम
41.	भद्राचलम (सु०)	सोदे रमैया	कम्यु०
42.	मछलीपट्टनम	कावूरु सम्बासिव राव	कांग्रेस स (इ)
43.	महबूब नगर	सुदीनी जयपाल रेड्डी	जनता
44.	मिरयालगुडा	भीम नरसिंह रेड्डी	कम्यु० मा०
45.	मेडक	मानिक रेड्डी	तेलुगु देशम
46.	राजामुंद्री	सी० एच० श्रीहरि राव	तेलुगु देशम
47.	राजमपेट	एस० पालाकोन्द्रायुडु	तेलुगु देशम
48.	वारंगल	डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी	तेलुगु देशम
49.	विजयवाड़ा	वाट्टे सोमानेद्रीस्वर राज	तेलुगु देशम
50.	श्रीकाकुलम	एच० ए० दोरा	तेलुगु देशम
51.	विशाखापत्तनम	मट्टम श्रीरामामूर्ति	तेलुगु देशम
52.	सिकन्दराबाद	रिवत	
53.	सिद्दीपेट (सु०)	डा० जी० विजयाराव राव	तेलुगु देशम
54.	हिन्दूपुर	के० रामचन्द्र रेड्डी	तेलुगु देशम
55.	हैदराबाद	सुलतान सलाहूद्दीन क्वेसी	भ्रमम्बद
56.	हनमकोंडा	चन्दुपटला जंगा रेड्डी	मा० ज० पा०



1	2	3	4
90.	कन्नौज	श्रीमती शीला दीक्षित	कांग्रेस (इ)
91.	कानपुर	नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	कांग्रेस (इ)
92.	कैराना	चौ० अक्षतर हसन	कांग्रेस (इ)
93.	केसरगंज	रणवीर सिंह	कांग्रेस (इ)
94.	खीवा	डा० चन्द्र शोखर त्रिपाठी	कांग्रेस (इ)
95.	खुर्जा (सु०)	रिसेन	कांग्रेस (इ)
96.	खेरी	श्रीमती जया वर्मा	कांग्रेस (इ)
97.	गढ़वाल	चन्द्र मोहन सिंह नेगी	कांग्रेस (इ)
98.	गाजीपुर	जैनुल बखर	कांग्रेस (इ)
99.	गोंडा	भानन्द सिंह उर्फ अन्नू भैया	कांग्रेस (इ)
100.	गोरखपुर	मदन पांडे	कांग्रेस (इ)
101.	घाटमपुर (सु०)	भाशकरण शखवर	कांग्रेस (इ)
102.	घोसी	राज कुमार राय	कांग्रेस (इ)
103.	चंदौली	श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी	कांग्रेस (इ)
104.	चैल (सु०)	डा० बी० एल० शैलेश	कांग्रेस (इ)
105.	जनेसर	कैलाश चन्द्र यादव	कांग्रेस (इ)
106.	जालौन (सु०)	चौ० लच्छी राम	कांग्रेस (इ)
107.	जौनपुर	कमला प्रसाद सिंह	कांग्रेस (इ)
108.	झांसी	सुजान सिंह बुदेला	कांग्रेस (इ)
109.	टिहरी-गढ़वाल	ब्रह्मदत्त	कांग्रेस (इ)
110.	डूमरियागंज	काजी जलील भन्वासी	कांग्रेस (इ)
111.	देवरिया	राज भंगल पांडे	कांग्रेस (इ)
112.	नैनीताल	सत्येन्द्र चन्द्र गुरिया	कांग्रेस (इ)
113.	पठरौना	सी० पी० एन० सिंह	कांग्रेस (इ)
114.	प्रतापगढ़	दिनेश सिंह	कांग्रेस (इ)
115.	पीलीभीत	भानु प्रताप सिंह	कांग्रेस (इ)
116.	फतेहपुर	हरिकृष्ण शास्त्री	कांग्रेस (इ)
117.	फर्रुखाबाद	खुर्शीद आलम खान	कांग्रेस (इ)
118.	फीरोजाबाद (सु०)	गंगाराम	कांग्रेस (इ)
119.	फूलपुर	राम पूजन पटेल	कांग्रेस (इ)
120.	फैजाबाद	खुर्शीद आलम खान	कांग्रेस (इ)
121.	बदायूं	सलीम इकबाल शेरवानी	कांग्रेस (इ)
122.	धरौली	बेगम शाबिदा अहमद	कांग्रेस (इ)
123.	बलरामपुर	दीप नारायण वन महंत	कांग्रेस (इ)
124.	बनिया	जगन्नाथ चौधरी	कांग्रेस (इ)
125.	बस्ती (सु०)	राम अबध प्रसाद	कांग्रेस (इ)





1	2	3	4
	<b>कर्नाटक—28</b>		
163.	उदुपि	ब्राह्मण कर्नाटकीय	कांग्रेस (इ)
164.	कनकपुरा	एन० बी० चन्द्रशेखर मुट्टि	कांग्रेस (इ)
165.	कनारा	बी० देवराय नायक	कांग्रेस (इ)
166.	काप्पन	एच० बी० गुरुमुख	कांग्रेस (इ)
167.	कोनार (मु०)	डा० बी० वैकुण्ठ	जनता पार्टी
168.	गुनबर्गा	वीरेश्वर पाटिल	कांग्रेस (इ)
169.	चामराजनगर (मु०)	बी० श्रीराम स्वामी	कांग्रेस (इ)
170.	चिक्कोडि (मु०)	बी० शंकरराव	कांग्रेस (इ)
171.	चिकमगलूर	कृ० टी० के० श्यामदेव	कांग्रेस (इ)
172.	चिकबल्लापुर	बी० कृष्णा राव	कांग्रेस (इ)
173.	चित्रदुर्ग	के० एच० रंगनाथ	कांग्रेस (इ)
174.	तुमकूर	जी० एस० वासुदेवराव	कांग्रेस (इ)
175.	दादनगेरे	चान्नीया ओडेपार	कांग्रेस (इ)
176.	घारवाड़ (उ०)	नायक दयानन्दा कल्लप्पा	कांग्रेस (इ)
177.	घारवाड़ (द०)	अजीज मेठ	कांग्रेस (इ)
178.	बंगलूर (उ०)	सी० के० जफर शरीफ	कांग्रेस (इ)
179.	बंगलूर (द०)	बी० एस० कृष्णा अय्यर	जनता पार्टी
180.	बागलकोट	एच० बी० पाटिल	कांग्रेस (इ)
181.	बीजापुर	एस० एम० गुराडी	जनता पार्टी
182.	बीदर (मु०)	नरसिंह सूर्यवंशी	कांग्रेस (इ)
183.	बेल्लारी	श्रीमती यासवराजेश्वरी	कांग्रेस (इ)
184.	बेलगाम	एस० बी० सिदनाल	कांग्रेस (इ)
185.	मंगलूर	जनादेन पुजारी	कांग्रेस (इ)
186.	मांड्या	के० बी० शंकर गौडा	जनता पार्टी
187.	मैसूर	श्रीकांत दत्त नरसिंहराजा वाडिमार रिक्त	कांग्रेस (इ)
188.	रायचूर	टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा	कांग्रेस (इ)
189.	शिमोगा	एच० एन० तांजे गौडा	कांग्रेस (इ)
190.	हसन		
	<b>केरल—20</b>		
191.	थरूर (मु०)	के० कुनजम्बु	कांग्रेस (इ)
192.	थलेप्पी	वक्कोम पुरुषोत्तमन	कांग्रेस (इ)
193.	थोटापल्लम (मु०)	के० बी० नारायणन	कांग्रेस (इ)
194.	इडुक्की	प्रो० पी० जे० कृष्णिग	कांग्रेस (इ)
195.	एर्णाकुलम	प्रो० के० बी० भागा	कांग्रेस (इ)



1	2	3	4
229.	भड़ोच	महमद मोहम्मद पटेल	कांग्रेस (इ)
230.	भावनगर	जी० बी० गोहिल	कांग्रेस (इ)
231.	मेहसाणा	डॉ० ए० के० पटेल	भा०ज०पा०
232.	मांडवी (सु०)	धितुभाई गामित	कांग्रेस (इ)
233.	राजकोट	श्रीमती रमाबेन रामजीभाई मावाणी	कांग्रेस (इ)
234.	सावरकाठा	एच० एम० पटेल	जनता पार्टी
235.	सुरेन्द्र नगर	दिग्विजय सिंह	कांग्रेस (इ)
236.	सूरत	सी० डी० पटेल	कांग्रेस (इ)
<b>जम्मू और कश्मीर—6</b>			
237.	मनन्तनग	श्रीमती अकबर जहान अब्दुल्ला	ने० का०
238.	उधमपुर	गिरधारी लाल डोगरा	कांग्रेस (इ)
239.	जम्मू	जनक राज गुप्ता	कांग्रेस (इ)
240.	बारामूला	प्रो० सैफुद्दीन सीज	ने० का०
241.	लद्दाख	पी० नामग्याल	कांग्रेस (इ)
242.	श्रीनगर	अब्दुल रशीद काबली	ने० का०
<b>तमिलनाडु—39</b>			
243.	भारकोगम	भार० जीवारथीनम	कांग्रेस (इ)
244.	कड्डालूर	पी० धार० एस० वैकटेशान	अन्ना द्रमुक
245.	करूर	ए० आर० मुरुगैया	कांग्रेस (इ)
246.	कृष्णागिरि	के० राममूर्ति	कांग्रेस (इ)
247.	कोयम्बतूर	सी० के० कृष्णस्वामी	कांग्रेस (इ)
248.	गोबिचेट्टिपालयम	पी० कोलनदेवेलु	अन्ना द्रमुक
249.	चिदम्बरम (सु०)	डा० पी० वल्लाल पेरुमन	कांग्रेस (इ)
250.	चिगलपेट्ट	डा० एस० जगतरसकम	अन्ना द्रमुक
251.	तंजावूर	एस० सिगारावाडीवैस	कांग्रेस (इ)
252.	तिरुच्चैंगोडे	पी० कन्नन	असम्बद्ध
253.	तिरुच्चिरापत्ति	एल० अदकलाराज	कांग्रेस (इ)
254.	तिरुच्चैंदूर	भार० धनुष्कोटि भयिषन	कांग्रेस (इ)
255.	तिरुनेलवेलि	एम० आर० जनार्दनन	अन्ना द्रमुक
256.	तिरुपत्तूर	ए० जयमोहन	कांग्रेस (इ)
257.	तेन्कासि (सु०)	एम० अरुणाचलम	कांग्रेस (इ)
258.	तिरुविवरम	एस०एस० रामास्वामी पदयाची	कांग्रेस (इ)
259.	तिरुडिगल	के० आर० नटराजन	अन्ना द्रमुक



1	2	3	4
289.	गुरदासपुर	श्रीमती मुखबंस कौर	काग्रन (इ)
290.	होशियापुर	कमल चौधरी	काग्रन (इ)
291.	जालन्धर	मेजर जनरल आर० एस० स्परो (सेवा निवृत्त)	काग्रन (इ)
292.	लुधियाना	मेवासिंह गिन्	अकाली दल
293.	पटियाला	चरणजीत सिंह बालिया	अकाली दल
294.	फिरोज़ (मु०)	चौ० सुन्दर सिंह	काग्रन (इ)
295.	रोपड़ (मु०)	चरणजीत सिंह अटवाल	अकाली दल
296.	संगरूर	वलवंत सिंह रामूबालिया	अकाली दल
297.	तरन तारन	त्रिलोचन सिंह तुड़	अकाली दल
पश्चिम बंगाल—42			
298.	अलीपुर द्वार (मु०)	वायूय तिरकी	का० सो० द०
299.	आराम बाग	अनिल बसु	कम्यु० मा०
300.	आसनसोल	आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय	काग्रन (इ)
301.	उलवेरिया	हन्नाम मौला	कम्यु० मा०
302.	कलकत्ता (उ० पू०)	अजीत कुमार पाजा	काग्रन (इ)
303.	कलकत्ता (उ० पू०)	अशोक सेन	काग्रन (इ)
304.	कलकत्ता (दक्षिण)	भोलानाथ सेन	काग्रन (इ)
305.	कटवा	सैफुद्दीन चौधरी	कम्यु० मा०
306.	कोन्दाई	डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा	काग्रन (इ)
307.	कूच-बिहार (मु०)	अमर राय प्रधान	का० ब०
308.	कृष्णगर	आर० पी० दास	कम्यु० मा०
309.	अधनगर (मु०)	सनत कुमार मंडल	का० सो० द०
310.	जनगाईगुड़ी	माणिक सान्याल	कम्यु० मा०
311.	जांगीपुर	अवेदिन जैनल	कम्यु० मा०
312.	जादवपुर	कृ० ममता बनर्जी	काग्रन (इ)
313.	झारग्राम (मु०)	मतिलाल हंसदा	कम्यु० मा०
314.	डापमन्ड हारबर	अमल दत्ता	कम्यु० मा०
315.	दमदम	आशुतोष ला	काग्रन (इ)
316.	तामलुक	सत्यगोपाल मिश्र	कम्यु० मा०
317.	दाजिलिय	आनन्द प्रसाद पाठक	कम्यु० मा०
318.	दुर्गापुर (मु०)	पूर्ण चन्द्र मलिक	कम्यु० मा०
319.	नवदीना (मु०)	श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	कम्यु० मा०



1	2	3	4
352.	छाया	योगेश्वर प्रसाद योगेश	कांग्रेस (इ)
353.	छाया	राम बहादुर सिंह	जनता पार्टी
354.	जनसेदुर	योगेश्वर	कांग्रेस (इ)
355.	जज्ञानाबाद	रामाश्रय प्रसाद सिंह	कम्पू
356.	झंझारपुर	डा० गौरी शंकर यादव	कांग्रेस (इ)
357.	दरभंगा	विजय कुमार मिश्र	जनता पार्टी
358.	दुमका (मु०)	पूर्वी चंद सिंह	कांग्रेस (इ)
359.	धनबाद	शंकर दत्तान सिंह	कांग्रेस (इ)
360.	नवदा (मु०)	हुंजर राम	कांग्रेस (इ)
361.	नालंदा	विजय कुमार यादव	कम्पू
362.	पटना	डा० मी० पी० ठाकुर	कांग्रेस (इ)
363.	पनाम (मु०)	क० कनका कुमारी	कांग्रेस (इ)
364.	पूनिग	श्रीमती भाग्यती सिंह	कांग्रेस (इ)
365.	दरभंग	प्रो० के० के० त्रिपाठी	कांग्रेस (इ)
366.	दण्डा (मु०)	मोना राठौर	कांग्रेस (इ)
367.	बाना	प्रो० चन्द्र भानु देवी	कांग्रेस (इ)
368.	बंका	रिक्त	
369.	बाढ़	प्रकाश चन्द्र	कांग्रेस (इ)
370.	बिऊनगंज	योगेश्वर सिंह	कांग्रेस (इ)
371.	बेगूसराय	श्रीमती कृष्णा झा	कांग्रेस (इ)
372.	बेदिना	डा० मनोज कुमार पांडे	कांग्रेस (इ)
373.	भादवपुर	भागवत झा भाबाद	कांग्रेस (इ)
374.	मधुबनी	लक्ष्मण हजान अंसारी	कांग्रेस (इ)
375.	महापंचमंच	कृष्ण प्रसाद सिंह	कांग्रेस (इ)
376.	माधोपुर	महावीर प्रसाद यादव	कांग्रेस (इ)
377.	मंगेर	देवेन्द्र प्रसाद यादव	कांग्रेस (इ)
378.	मुजफ्फरपुर	नदिनेश्वर प्रसाद झा	कांग्रेस (इ)
379.	मौकीहारी	श्रीमती प्रसादनी मुख	कांग्रेस (इ)
380.	रांची	शिव प्रसाद साहू	कांग्रेस (इ)
381.	रोमरा (मु०)	राम भगत फगवान	कांग्रेस (इ)
382.	राजमहन (मु०)	सेठ हेमचन्द्र	कांग्रेस (इ)
383.	लोहरागा (मु०)	श्रीमती सुमति उराव	कांग्रेस (इ)
384.	बैजानी	श्रीमती किशोरी मिश्रा	कांग्रेस (इ)
385.	गिवहूर	श्रीमती रामकुमारी मिश्रा	कांग्रेस (इ)
386.	समस्तीपुर	रामदेव राय	कांग्रेस (इ)
387.	महरा	चन्द्र किशोर पाठक	कांग्रेस (इ)
388.	साहायन (मु०)	रिक्त	कांग्रेस (इ)



1	2	3	4
320.	परिमलया	श्रीमती गीता मृगशी	कम्यु०
321.	सुमित्रया	नित्त मडाटा	का० व०
322.	दीर्घपुर	देवी धोवाल	कांग्रेस (६)
323.	बगीचाट	इन्द्रजीत गुप्त	कम्यु०
324.	बम्हामपुर	अशोक चन्द्र सिन्हा	कांग्रेस (६)
325.	बाँकुवा	वागुदेव प्रानाथ	कम्यु० मा०
326.	बागमन	वसुध कानि घोष	कांग्रेस (६)
327.	बनुराट (गु०)	पलाश बर्मन	का०सो०द०
328.	बाँकुवा	सोमनाथ बटर्जी	कम्यु० मा०
329.	बाँकुवा (गु०)	गदाधर साहा	कम्यु० मा०
330.	बाँकुवा	डा० मुर्धर राय	कम्यु० मा०
331.	बाँकुवा (गु०)	प्रो० मनोरंजन झाटार	कांग्रेस (६)
332.	बाँकुवा	ए० श्री० ए० गनी खान	कांग्रेस (६)
333.	बाँकुवा	चौधरी	कम्यु०
334.	बाँकुवा	नारायण चौधरी	कांग्रेस (६)
335.	बाँकुवा	सईद मसूदर हुसैन	कम्यु० मा०
336.	बाँकुवा (गु०)	डा० गूलाब राजधानी	कांग्रेस (६)
337.	बाँकुवा	प्रतीव कुमार साहा	कम्यु० मा०
338.	बाँकुवा	प्रो० निमल कानि घोष	कांग्रेस (६)
339.	बाँकुवा	प्रियरंजनदास मंशी	कांग्रेस (६)
		श्रीमती इंदुमति मट्टाचार्य	कांग्रेस (६)

बिहार--54

340.	अरारिया (गु०)	हमर नान वैया	कांग्रेस (६)
341.	आरा	बलीराम भगत	कांग्रेस (६)
342.	आरंगवादा	सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	कांग्रेस (६)
343.	आरंगवादा	तारिक अन्वर	कांग्रेस (६)
344.	आरंगवादा	सीमाद झाँसुर्दीन	जनता पार्टी
345.	आरंगवादा	सिलकधारी सिंह	कांग्रेस (६)
346.	आरंगवादा	डा० चन्द्र शंकर वर्मा	कांग्रेस (६)
347.	आरंगवादा (गु०)	साहमन सिंग	कांग्रेस (६)
348.	आरंगवादा (गु०)	राम स्वरूप राम	कांग्रेस (६)
349.	आरंगवादा	सरफराज अहमद	कांग्रेस (६)
350.	आरंगवादा	सलीमूद्दीन	कांग्रेस (६)
351.	आरंगवादा	काली प्रसाद पांडे	कांग्रेस (६)

1	2	3	4
352.	छत्ररा	योगेश्वर प्रसाद मोगेन	कांग्रेस (इ)
353.	छत्ररा	राम बहादुर सिंह	जनता पार्टी
354.	जमशेदपुर	योगेश्वर	कांग्रेस (इ)
355.	जहानाबाद	रामाश्रय प्रसाद सिंह	कम्प्यू०
356.	झंझारपुर	डा० गौरी शंकर राजहंस	कांग्रेस (इ)
357.	हरमंगा	विजय कुमार मिश्र	जनता पार्टी
358.	डुमका (मु०)	पृथ्वी चंद किशकू	कांग्रेस (इ)
359.	घनवाद	शंकर बपाल सिंह	कांग्रेस (इ)
360.	नवादा (मु०)	हुंवर राम	कांग्रेस (इ)
361.	नासंदा	विजय कुमार यादव	कम्प्यू०
362.	पटना	डा० सी० पी० ठाकुर	कांग्रेस (इ)
363.	पनामू (मु०)	कु० कमला कुमारी	कांग्रेस (इ)
364.	पूर्णिया	श्रीमती माधुरी सिंह	कांग्रेस (इ)
365.	बक्सर	प्रो० के० के० तिवारी	कांग्रेस (इ)
366.	बगहा (मु०)	भोना राउत	कांग्रेस (इ)
367.	बांसा	प्रो० चन्द्र भानु देवी	कांग्रेस (इ)
368.	बंका	रिवत	
369.	बाह	प्रकाश चन्द्र	कांग्रेस (इ)
370.	बिक्रमगंज	तपेश्वर सिंह	कांग्रेस (इ)
371.	बेगूसराय	श्रीमती कृष्णा साही	कांग्रेस (इ)
372.	बेठिया	डा० मनोज कुमार पांडे	कांग्रेस (इ)
373.	भागलपुर	भागवत झा भाज्जद	कांग्रेस (इ)
374.	मधुबनी	अब्दुल हन्नान अंसारी	कांग्रेस (इ)
375.	महाराजगंज	कृष्ण प्रताप सिंह	कांग्रेस (इ)
376.	भाषीपुरा	महावीर प्रसाद यादव	कांग्रेस (इ)
377.	भुंनेर	देवेन्द्र प्रसाद यादव	कांग्रेस (इ)
378.	मुजफ्फरपुर	ललितेश्वर प्रसाद साही	कांग्रेस (इ)
379.	मोतीहारी	श्रीमती प्रभावती गुप्त	कांग्रेस (इ)
380.	रांची	शिव प्रसाद साहू	कांग्रेस (इ)
381.	रोसरा (मु०)	राम भगत पासवान	कांग्रेस (इ)
382.	राजमहल (मु०)	सेठ हेम्ब्रम	कांग्रेस (इ)
383.	लोडरढागा (मु०)	श्रीमती सुमति उरांव	कांग्रेस (इ)
384.	वैशाली	श्रीमती किशोरी सिन्हा	कांग्रेस (इ)
385.	शिवहर	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	कांग्रेस (इ)
386.	समस्तीपुर	रामदेव राय	कांग्रेस (इ)
387.	सहरसा	चन्द्र किशोर पाठक	कांग्रेस (इ)
388.	सासाराम (मु०)	रिवत	कांग्रेस (इ)

1	2	3	4
389.	सिवान	अब्दुल गफूर	कांग्रेस (इ)
390.	सिंहभूम (सु०)	वगुन सुम्बहई	कांग्रेस (इ)
391.	सीतामढ़ी	रामश्रेष्ठ खिरहार	कांग्रेस (इ)
392.	हजारीबाग	दामोदर पांडे	कांग्रेस (इ)
393.	हाजीपुर (सु०)	राम रतन राम	कांग्रेस (इ)
<b>मणिपुर—2</b>			
394.	भ्रान्तरिक मणिपुर	एन० टोम्बी सिंह	कांग्रेस (इ)
395.	बाह्य मणिपुर (सु०)	प्रो० मीजिलंग कामसन	कांग्रेस (इ)
<b>मध्य प्रदेश—40</b>			
396.	इंदौर	प्रकाश चन्द्र सेठी	कांग्रेस (इ)
397.	उज्जैन (सु०)	सत्यनारायण पवार	कांग्रेस (इ)
398.	कांकर (सु०)	अरविन्द नेताम	कांग्रेस (इ)
399.	छण्डवा	कालीचरण शंकरगयाम	कांग्रेस (इ)
400.	खजुराहो	श्रीमती विद्यावती	कांग्रेस (इ)
401.	खरगोन	चतुर्वेदी	कांग्रेस (इ)
402.	ग्वालियर	सुभाष यादव	कांग्रेस (इ)
403.	गुना	माधव राव सिंधिया	कांग्रेस (इ)
404.	छिदवाड़ा	महेन्द्र सिंह	कांग्रेस (इ)
405.	जबलपुर	कमल नाथ	कांग्रेस (इ)
406.	जांजगीर	अजय मुशरान	कांग्रेस (इ)
407.	झाबुआ (सु०)	डा० प्रभात कुमार	कांग्रेस (इ)
408.	इमोह	मिश्र	कांग्रेस (इ)
409.	दुर्ग	दिलीप सिंह भूरिया	कांग्रेस (इ)
410.	धार (सु०)	डाल चन्द्र जैन	कांग्रेस (इ)
411.	बस्तर (सु०)	चन्द्रलाल चन्द्राकर	कांग्रेस (इ)
412.	वालाघाट	प्रताप सिंह बघेल	कांग्रेस (इ)
413.	विलासपुर (सु०)	मनकू राम सोदी	कांग्रेस (इ)
414.	वेतून	नन्दकिशोर शर्मा	कांग्रेस (इ)
415.	भिण्ड	खेलन राम जांगडे	कांग्रेस (इ)
416.	भोपाल	असलम शेरखान	कांग्रेस (इ)
417.	मण्डला (सु०)	कृष्ण सिंह	कांग्रेस (इ)
		के० एन० प्रधान	कांग्रेस (इ)
		मोहन लाल सिकराम	कांग्रेस (इ)

1	2	3	4
418.	मन्दासौर	बालकवि वैरागी (नन्दरामदास द्वारकादास)	कांग्रेस (इ).
419.	महासमुन्द	विद्याचरण शुक्ल	कांग्रेस (इ).
420.	मुर्देना (सु०)	कम्मोदीलाल जाटव	कांग्रेस (इ).
421.	राजगढ़	दिग्विजय सिंह	कांग्रेस (इ).
422.	राजनादगाव	शिवेन्द्र बहादुर सिंह	कांग्रेस (इ).
423.	रायगढ (सु०)	कु० पुष्पा देवी	कांग्रेस (इ).
424.	रायपुर	केयूर भूपण	कांग्रेस (इ)
425.	रीवा	मार्तण्ड सिंह	कांग्रेस (इ).
426.	विदिशा	प्रताप भानु शर्मा	कांग्रेस (इ)
427.	सिवनी	गार्गी शंकर मिश्र	कांग्रेस (इ)
428.	शहडोल (सु०)	दलबीर सिंह	कांग्रेस (इ)
429.	शाजापुर (सु०)	वापूलाल मालवीय	कांग्रेस (इ)
430.	सतना	अजीज कुरेशी	कांग्रेस (इ)
431.	सारगढ़ (सु०)	परशुराम भारद्वाज	कांग्रेस (इ)
432.	सागर (सु०)	नन्दलाल चौधरी	कांग्रेस (इ)
433.	सीधी (सु०)	मोतीलाल सिंह	कांग्रेस (इ)
434.	सरगुजा (सु०)	लाल विजय प्रताप सिंह	कांग्रेस (इ)
435.	होशंगाबाद	रामेश्वर नोखरा	कांग्रेस (इ).

महाराष्ट्र—48

436.	अकोला	मधुसूदन वैराले	कांग्रेस (इ)
437.	अमरावती	श्रीमती उषा चौधरी	कांग्रेस (इ)
438.	अहमदनगर	यशवंतराव गडाख पाटिल	कांग्रेस (इ)
439.	एरांडोल	विजय एन० पाटिल	कांग्रेस (इ)
440.	इचलकरंजी	राजाराम शंकरराव माने	कांग्रेस (इ)
441.	उस्मानाबाद (सु०)	अरविंद तुलसीराम काम्बले	कांग्रेस (इ)
442.	भोरंगाबाद	साहिबराव पी० डोनगावकर	कांग्रेस (एन)
443.	कराड	श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	कांग्रेस (इ).
444.	कोलाबा	डी० वी० पाटिल	प्रसम्बद्ध
445.	कोरगाव (सु०)	बालासाहेब विखे पाटिल	कांग्रेस (इ)
446.	कोल्हापुर	उदयसिंहराव गायकवाड	कांग्रेस (इ)

1 2

447. खेड

448. चन्द्रपुर

449. चिमूर

450. जलगांव

451. जालना

452. दहाणु (मु०)

453. धाणे

454. धुले (मु०)

455. नांदुरवा (मु०)

456. नागपुर

457. नांदेड

458. नासिक

459. पंढरपुर (मु०)

460. परमनी

461. पुणे

462. बम्बई (उत्तर-मध्य)

463. बम्बई (उत्तर-पूर्व)

464. बम्बई (उत्तर-पश्चिम)

465. बम्बई (दक्षिण)

466. बम्बई (उत्तर)

467. बम्बई (दक्षिण-मध्य)

468. वारामती

469. वीड

470. वुलढागा (मु०)

471. मंढारा

472. मालेगांव (मु०)

473. यशतमाल

474. रत्नागिरि

475. राजापूर

476. रामटोक

477. सादूर

प्रो० रामकृष्ण मोरे

शान्तराम पोतदुखे

विलास मुत्तेमवार

वाई० एन० महाजन

वालासाहेब पवार

डी० वी० शिंगडा

शांतिाराम गोपाल घोलप

रेशम भोतीराम भोये

मनिकराव होडल्य गावित

वनवारीलाल पुरोहित

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

रिक्त

मुरलीधर माने

भानसाहेब घोरट

आर० एन० यादव

वी० एन० गाडगिल

शरद शंकर दिघे

गुरुदास कामत

सुनील दत्त

मुरली देवड़ा

अनूपचन्द शाह

डा० दत्ता सामन्त

पी० संभाजीराव ककाडे

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

असम्बद्ध

जनता

श्रीमती केसरबाई

सोनाजीराव क्षीरसागर

मुकुल वालकृष्ण वासनिक

केशव राव पारधी

सीताराम सयाजी भोये

उत्तमराव पाटिल

हुसैन दलवाई

प्रो० मधु दण्डवते

पी०वी० नरमिम्हा राव

जिवराज वी० पाटिल

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

कांग्रेस (इ)

जनता

कांग्रेस

कांग्रेस

1	2	3	4
478.	बर्धा	वसन्त माठे	कांग्रेस (इ)
479.	बाशिम	मुत्ताम नबी भाजाद	कांग्रेस (इ)
480.	सांगली	प्रकाश वसन्तराव पाटिल	कांग्रेस (इ)
481.	सतारा	प्रतापराव बाबूराव भोंसले	कांग्रेस (इ)
482.	शोलापुर	गंगाधर एम० कुचन	कांग्रेस (इ)
483.	हिंगोली	उत्तम राठोड	कांग्रेस (इ)

## मेघालय—2

484.	शिलंग.	जी० जी० स्वल	कांग्रेस (इ)
485.	तुरा	पी० ए० संगमा	कांग्रेस (इ)

## राजस्थान—25

486	अजमेर	विष्णु मोदी	कांग्रेस (इ)
487.	झलवर	रामसिंह यादव	कांग्रेस (इ)
488.	उदयपुर	श्रीमती इन्दुवाला	कांग्रेस (इ)
		सुखाडिया	
489	कोटा	भास्ति धारीवाल	कांग्रेस (इ)
490.	गंगानगर (सु०)	वीरवल	कांग्रेस (इ)
491.	चित्तौड़गढ़	प्रो० (श्रीमती) निर्मला	कांग्रेस (इ)
492.	चूरु	नरेन्द्र बुडाणिया	कांग्रेस (इ)
493.	जयपुर	नवल किशोर शर्मा	कांग्रेस (इ)
494.	जालौर (सु०)	सरदार वूटा सिंह	कांग्रेस (इ)
495.	जोधपुर	भ्रशोक गहलोत	कांग्रेस (इ)
496.	झालावाड़	जूझार सिंह	कांग्रेस (इ)
497.	झुंझुनू	मुहम्मद अब्दुल खान	कांग्रेस (इ)
498.	टोंक (सु०)	बनवारी लाल बैरवा	कांग्रेस (इ)
499.	दौसा	राजेश पामलट	कांग्रेस (इ)
500.	नागौर	राम निवाम मिर्धा	कांग्रेस (इ)
501.	पाली	मूल चन्द टागा	कांग्रेस (इ)
502.	बयाना (सु०)	लालाराम केन	कांग्रेस (इ)
503.	बाड़मेर	विरधी चन्द्र जैन	कांग्रेस (इ)
504.	बांसवाड़ा (सु०)	प्रमलाल रावत	कांग्रेस (इ)
505.	बीकानेर	मनकून सिंह चौधरी	कांग्रेस (इ)
506.	भरतपुर	कुंदर नटवर सिंह	कांग्रेस (इ)
507.	झोतवाड़ा	गिरधारी लाल व्यास	कांग्रेस (इ)
508.	सानुम्बर (सु०)	प्रलखा राम	कांग्रेस (इ)

1	2	3	4
509.	सवाई माधोपुर (सु०)	राम कुमार मीणा	कांग्रेस (इ)
510.	सीकर	डा० बलराम जाखड़*	कांग्रेस (इ)
सिक्किम—1			
511.	सिक्किम	श्रीमती डी० के० भंडारी	कांग्रेस (इ)
हरियाणा—10			
512.	भम्बाला (सु०)	राम प्रकाश चौधरी	कांग्रेस (इ)
513.	करनाल	चिरंजी लाल शर्मा	कांग्रेस (इ)
514.	कुरुक्षेत्र	हरपाल सिंह	कांग्रेस (इ)
515.	फरीदाबाद	चौ० रहीम खान	कांग्रेस (इ)
516.	मिवानी	बंसी लाल	कांग्रेस (इ)
517.	महेन्द्रगढ़	राव वीरेन्द्रसिंह	कांग्रेस (इ)
518.	रोहतक	हरद्वारी लाल	कांग्रेस (इ)
519.	सिरसा (सु०)	दलबीर सिंह	कांग्रेस (इ)
520.	सोनीपत	धर्मपाल सिंह मलिक	कांग्रेस (इ)
521.	हिसार	वीरेन्द्र सिंह	कांग्रेस (इ)
हिमाचल प्रदेश—			
522.	हमीरपुर	प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर	कांग्रेस (इ)
523.	कांगड़ा	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	कांग्रेस (इ)
524.	मण्डी	मुख राम	कांग्रेस (इ)
525.	शिमला (सु०)	कृष्ण दत्त मुल्तानपुरी	कांग्रेस (इ)
केन्द्र शासित प्रदेश			
गोवा, दमन तथा दीव—2			
526.	पणजी	शांताराम नायक	कांग्रेस (इ)
527.	भारमुगालो	एडुआडों फ्लेरिशो	कांग्रेस (इ)
दिल्ली—7			
528.	करोलबाग (सु०)	श्रीमती मुन्दरवती नवल प्रभाकर	कांग्रेस (इ)
529.	चांदनी चौक	जय प्रकाश अग्रवाल	कांग्रेस (इ)
530.	दक्षिण दिल्ली	अर्जुन सिंह	कांग्रेस (इ)
531.	दिल्ली नगर	जगदीश टाइटलर	कांग्रेस (इ)

1	2	3	4
532.	नई दिल्ली	कृष्ण चन्द्र पन्त	कांग्रेस (इ)
533.	पूर्वी दिल्ली	हरकिशन लाल भगत	कांग्रेस (इ)
534	वाह्य दिल्ली	भरत सिंह	कांग्रेस (इ)
अन्धमान और निकोबार द्वीप समूह-1			
535	अन्धमान और निकोबार द्वीप समूह	मनोरंजन भक्त	कांग्रेस (इ)
अण्डोपद्र-1			
536	अण्डोपद्र	जगन्नाथ कौशल	कांग्रेस (इ)
बादरा और नागर हवेली-1			
537.	बादरा और नागर हवेली (मु०)	सीताराम जीविया भाई गावली	अनन्वद
पांडिचौरि-1			
538	पांडिचेरि	पा० पणमुगम	कांग्रेस (इ)
मिजोरम-1			
539.	मिजोरम	लाल दुहोमा	कांग्रेस (इ)
लक्षद्वीप-1			
540	लक्षद्वीप (मु०)	पी० एम० मईद	कांग्रेस (इ)
अरुणाचल प्रदेश-2			
541.	अरुणाचल प्रदेश (पूर्व)	वांगफा लोवांग	कांग्रेस (इ)
542.	अरुणाचल प्रदेश (पश्चिम)	पी० के० युंगन !	कांग्रेस (इ)
आंग्ल-भारतीय-2			
543.	भनोनीत	फ्रेड एन्थोनी	अमम्बदे
544	भनोनीत	र० ई० टी० वैरो	अमम्बदे



## 26 जनवरी 1986 को घोषित असैनिक पुरस्कार

भारत रत्न	यह पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए, असाधारण कार्य करने तथा सर्वोत्कृष्ट जनसेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
प्राप्तकर्ता	कोई नहीं
पद्मविभूषण	यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गयी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण तथा उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।
प्राप्तकर्ता	1. प्रो० अश्वतार सिंह पेंटन 2. विरजू महाराज 3. मुरलीधर देवीदास उर्फ बाबा आम्टे
पद्मभूषण	यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

1. डा० बद्रीनाथ टंडन
2. चोकानाथापुरम बैकटारामन सुंदरम
3. श्रीमती इला रमेश भट्ट
4. गुलशन लाल टंडन
5. जीन राइबोड (मरणोपरान्त)
6. ले० जनरल (सेवानिवृत्त) मनोहर लाल छिन्नर
7. मार्तण्ड सिंह
8. उस्ताद नाभिर अमीनुद्दीन हागर
9. डा० पुष्पा मित्रा भागवत
10. राजीव मेठी
11. रामकृष्ण त्रिवेदी
12. डा० एन० दिल्ली रिपले
13. डा० बल्लभ्यादुगार्ई श्रीनिवास रायवन अरुणाचलम्
14. बैकटारमण कृष्णामति

पद्मश्री

यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गयी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

प्राप्तकर्ता

30

## वीरता पुरस्कार

राष्ट्रपति ने 27 जनवरी 1985 से 26 जनवरी 1986 तक की भवधि में वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित अलंकरण प्रदान किए :

अशोक चक्र	2	(1 मरणोपरान्त)
कीर्ति चक्र	5	(2 मरणोपरान्त)
शौर्य चक्र	40	(13 मरणोपरान्त)

सुरक्षा सेनाओं में उत्कृष्ट सेवा के लिए अलंकरण

परम विशिष्ट सेवा पदक	29
अति विशिष्ट सेवा पदक	56
सेना पदक	68 (1 मरणोपरान्त)
सेना पदक (वार)	1
नौ सेना पदक	13
वायु सेना पदक	17
वायु सेना पदक (वार)	1
विशिष्ट सेवा पदक	109 (4 मरणोपरान्त)
अति विशिष्ट सेवा पदक (वार)	2

## सलितकला अकादमी पुरस्कार 1985

विजेता का नाम	क्षेत्र
1. विपुल कान्ति साहू	मूर्तिकला
2. वसंत कश्यप	चित्रकला
3. आदित्य बसाक	चित्रकला
4. श्रीमती वीणा भागंध	चित्रकला
5. आर० एम० पलानिअप्पन	रेखाचित्रण
6. गोपाल एम० आदिकेकर	चित्रकला
7. हरीश श्रीवास	चित्रकला
8. वीरेश्वर भट्टाचार्य	चित्रकला
9. सी० दक्षिण मूर्ति	मूर्तिकला
10. नरेज भागद्वारा	मूर्तिकला

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985

गायन (हिन्दुस्तानी)

वादन (हिन्दुस्तानी)

गायन (कर्नाटक)

वादन (कर्नाटक)

नौक संगीत (लद्दाखी)

लोक संगीत (कच्छ)

सोपान संगीत,

खीन्द्र संगीत

नृत्य

नाटक

श्रीमती किशोरी अमोनकर  
नासिर अमीनुद्दीन डगर

अली हुसैन खां (शहनाई)

वोलेती वेंकटेश्वररतु

वालेंगैमण रुन्मुगसुन्दरम् (थाविल)

श्रीमती श्रेष्ठ ल्हामो

सुलेमान जुमा जुमानी (नीवत वादन)

एन० राम पोदुवल

श्रीमती सुचित्रा मित्रा

टी०के० महालिंगम पिल्लै

(भरत नाट्यम—गुरु)

माकोम्पु शिवशंकर पिल्लै (कथकली)

ब्रैडेम लोकेश्वर सिंह (मणिपुरी)

मायाधर राउत (ओडिसी—गुरु)

वेदान्तम प्रह्लाद शर्मा (कुचिपुडि)

एच० कन्हाइलाल (निर्देशन)

मनोज मित्रा (नाट्यलेखन—बंगाली)

श्रीमती वी० जयम्मा (अभिनय—कन्नड़)

फिरा हुसैन (अभिनय—हिन्दी)

गोविधेन पांचाल (दृश्य डिजाइन)

मोहनचन्द्र वर्मन (पारम्परिक रंगमंच)

भावना)

साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985

भाषा	पुस्तक	लेखक
प्रश्नमिया	कृष्णा कांता मांदीकोइ रचना	कृष्णाकांता हंडीक
बंगला	गम्भार	मुनील गंगोपाध्याय
दोगरी	ने नमय	दीनू भाई पंत
अंग्रेजी	अयोध्या	कमला दास
गुजराती	संग्रहित कविताएं	सुन्दरिका कपाडिया
हिन्दी	सन पगलां आकाशमन	निर्मल वर्मा
कन्नड़	शब्दे श्रीर काला पानी	टी०आर० मुञ्जाराव
कश्मीरी	दुर्गाशमना	मिर्जा आरीफ
कोकणी	नोनी बेटाः	जे०वी० मोरेम
मैथिली	भिटोरिस तूफान	हरी मोहन झा
	जीवन यात्रा	

## परिशिष्ट

भाषा	पुस्तक	लेखक
मलयालम	तत्वामनि	मुमुक्षुभार अमीकोटे
मणिपुरी	वीर टिकेन्द्रजीत रोड	एच० गुनो मिह
मराठी	इक जाद अणि दों पाशी	विधाम बेंडेकर
नेपाळी	नीलकंठ	मवेन्द्रा प्रधान
उडिया	मेना कल्प	राजेन्द्र किर्गोर पंडा
पंजाबी	खानाबदोश	अजीत कौर
राजस्थानी	एक दुनिया म्हारी	मांवर देया
संस्कृत	विन्ध्यावासिनि विजय	वंशत टी० मेवडे
	महाकाव्यम्	
सिन्धी	मेरो किज	अर्जुन हांसिद
तमिळ	कम्बन : पुटिया परवई	ए०एम्० जानामम्बन्दन
तेलुगु	गानिवन	पी० पद्मराजू
उर्दू	परिदाँ भरा आशमान	बलराज कोमल

# एन.सी.ई.आर.टी. के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन

शिक्षा जगत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का योगदान सर्वविदित है। परिषद् की पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री घर-घर में सुपरिचित हैं। बच्चों में पढ़ने की दिलचस्पी जगाने के उद्देश्य से परिषद् ने अब कई नई पुस्तक मालाएं प्रकाशित करने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए रोचक, जानबर्धक और कम मूल्य वाली पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। परिषद् के कुछ महत्वपूर्ण हिन्दी प्रकाशनों की सूची नीचे दी जा रही है :

हिन्दी पुस्तकें	रु. पैसे
1. भारत में ग्रामीण विकास	8.85
2. बहुरूपी गांधी	2.20
3. श्री अरविंद	1.50
4. मेघनाद साहा का कार्य और जीवन	2.00
5. बैकिंग की मनोहारिता	1.25
6. श्री रामकृष्ण	0.85
7. नए देश का उदय	2.10
8. विश्वकोश : क्या, क्यों, कैसे	0.55
9. जुरयुस्त्र	1.45
10. प्रेमचंद	5.85
11. कविताएं—सुब्रह्मण्य भारती	9.90
12. हिन्दी कथा लेखिकाओं की प्रतिनिधि कहानियाँ	7.85
13. उत्तराखंड की यात्रा	6.25
14. पोंगिन के देश में	11.20
15. चिकित्सा विज्ञान की कहानियाँ	9.60
16. विश्व की प्रसिद्ध लोककथाएँ	17.15
17. बाबा ज़ाम्दे	4.55
18. स्वप्नदर्शी इंजीनियर विश्वेश्वरैया	7.55
19. फूल जैसी लड़की	5.30

सूचीपत्र और अन्य जानकारी के लिए लिखें :

चीफ़ बिज़िनेस मैनेजर  
प्रकाशन विभाग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

आकाश की सीमाओं को पार करता हुआ  
भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

## भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भविष्य के लिए उत्कृष्टता के मानक  
स्थापित करने की ओर अग्रसर

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण आज विश्व के सर्वोत्तम विमानपत्तन प्रबंधकों की श्रेणी में आता है। योजना और निर्माण से लेकर हवाई अड्डों की चौबीसों घंटे देख-रेख करना प्राधिकरण की अनेक उपलब्धियां हैं। देश तथा विदेशों में भारतीय तथा विदेशी यात्रियों के लिए अति उन्नत टर्मिनलों का निर्माण करके इसने दंगकों भागों की योजना की ओर अपना कदम बढ़ाया है और चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की नई रूप-रेखा बनाकर निर्माण के युग में प्रवेश किया है। यह यात्रियों के लिए नई-से-नई सुविधाएं जुटा रहा है। प्राधिकरण उत्तम सेवा पर बल देते हुए विशाल क्षितिज की ओर कदम बढ़ा रहा है।

बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित अपने चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ 80 लाख भारतीय तथा विदेशी यात्रियों को लाने-ले जाने और 4,00,000 टन जहाज भार के कार्य में संलग्न भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण भविष्य के लिए उत्कृष्ट मानक स्थापित कर रहा है।



जन-सेवा में एक नया मानदण्ड स्थापित करने की कृतसंकल्प  
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित ज्ञानवर्धक, सुन्दर  
एवं सस्ती पुस्तकें

1. पूर्ण कुंभ	रानी चंद	11. 25
2. नुदामा के चावल	श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर	12. 00
3. रानी लक्ष्मीबाई	वृन्दावन लाल वर्मा	6. 00
4. मौसम शस्त्र	एन० शेषगिरि	14. 75
5. वैलगाड़ी घोर उपग्रह	मोनिशा वाँव	5. 00
6. प्रदूषण	एन० शेषगिरि	2. 50
7. मत्स्या	शांता रामेश्वर राव	2. 50
8. पगला ग्राम	ए० एन० पदनेकर	2. 50
9. तेरह अनुपम कहानियां	संकलित	12. 00
10. पुस्तकों का अनोखा संसार	सेम्मुथल इञ्जराइल	2. 50
11. लाल पतंग	गीता	2. 50
12. इन्द्रधनुष	उषा जोशी	2. 50
13. अहिल्याबाई	हीरालाल शर्मा	7. 50
14. उर्वर कहानियां	संकलित	19. 50
15. फूल और मृगच्छी	मनोरमा जफा	2. 50
16. ईदगाह	प्रेमचन्द	2. 50
17. शोर मचा जंगल में	जगदीश जोशी	5. 00
18. इनकी दुनिया	शरविन्द कुन्दू	5. 00
19. बाजार की सैर	मजुला पदमनाभन	5. 00
20. क्या सही क्या गलत	किशोरन श्रीवास्तव	5. 00
21. आशुतोष मुकर्जी	ए० पी० दास गुप्ता	9. 25
22. रेल चले छूक-छूक	मृणाल मित्रा	5. 00

प्राप्ति स्थान

नर्भ प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं तथा ट्रस्ट के निम्नलिखित पुस्तक केन्द्रों से—

ए-4, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016

67/2, महात्मा गांधी मार्ग, कलकत्ता-9

सिटी सेंटर लाइब्रेरी विल्डिंग, अग्रगोक नगर, हैदराबाद-20

गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, टाऊन हाल, अमृतसर

यूनियर्सिटी लाइब्रेरी, विजयभारती यूनियर्सिटी, शांति निकेतन (प० बंगाल)

यूनियर्सिटी लाइब्रेरी, मानस गंगोत्री, मैसूर-575006

सिडको विल्डिंग, सेक्टर-1, टूकुरा माला, वाशी, बम्बई


पूर्वी ग्रण्ड, टूमरा तल्ला, जयनगर शापिंग कॉम्प्लेक्स, बंगलूर

निःशुल्क सूची पत्र के लिए लिखें—

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

ए-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016

**आर ई सी**  
गांवों के तेज  
आर्थिक विकास के लिए  
काम करने वाली संस्था



आर ई सी जी-जान में नगा हुआ है। आर ई सी में  
हर पांच में से तीन से ज्यादा गांवों में बिजली उपलब्ध है।  
60 लाख से अधिक पावरप्लेट को बिजली के वितरण स्थिते जा  
चुके हैं। गांवों में बिजली पहुंचने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।  
हर-दूर तक बदलहाती फसलों की हींग्याती सब्जी और खुशहाली का  
प्रतीक बन गई है। बिजली आने से गांवों में कृषि-आधारित छोटे उद्योग  
खुल गये हैं जिनसे बहुत से लोगों को रोजी-रोटी मिल रही है। बिजली में  
गढ़ने वाली मशीनों ने किसानों को कड़ी मशरवत में छुटकारा दितया है।

**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड**


(भारत सरकार का उपक्रम)

डी वी ए पब्लिशिंग, बरक प्लेस नई दिल्ली-110 019







# आरामदर



विशेष विज्ञापन



केवल आरामदर ही है जो आपको आराम की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।  
 आप इसे अपने काम के आराम में उपयोग कर सकते हैं।  
 यह आपको आराम के साथ ही काम करने में मदद करेगी।



आपके आराम के लिए  
 कायदा एवं विज्ञान विज्ञान

आइये भारतीय संस्कृति से परिचय बढ़ायें

# डायमंड कॉमिक्स ड्राइजेस्ट



मूल्य  
प्रत्येक  
12 00

128 पृष्ठों में  
चित्रकथा के माध्यम  
से ज्ञान-विज्ञान की अनूठी  
गंगा में गोते लगाइये।  
ज्ञान और मनोरंजन  
की दुनिया में  
खो जाइये।




## अन्य उपलब्ध डायमंड कॉमिक्स ड्राइजेस्ट

चाचा चौधरी ड्राइजेस्ट I	12.00	पोलादी सिंह ड्राइजेस्ट I	12.00
चाचा चौधरी ड्राइजेस्ट II	12.00	पोलादी सिंह ड्राइजेस्ट II	12.00
चाचा चौधरी ड्राइजेस्ट III	12.00	सम्बू मोटू ड्राइजेस्ट I	12.00
वित्तू ड्राइजेस्ट I	12.00	सम्बू मोटू ड्राइजेस्ट II	12.00
पिन्की ड्राइजेस्ट I	12.00	महाबली शाका ड्राइजेस्ट I	12.00
ताऊ जी ड्राइजेस्ट I	12.00	मोटू पतनू ड्राइजेस्ट I	12.00
ताऊ जी ड्राइजेस्ट II	12.00	मोटू पतनू ड्राइजेस्ट II	12.00
राजन इन्बाल ड्राइजेस्ट I	12.00	चाचा भतीजा ड्राइजेस्ट I	12.00
		चाचा भतीजा ड्राइजेस्ट II	12.00

अन्य विवरणों के लिए कृपया हमें लिखें या हमें फोन पर - 7700000

डायमंड कॉमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 27/28, रियायत नगर, दिल्ली-110002



हिन्दुस्तान ज़िक लि०

उद्योग की सेवा में

उद्योगों का संचालन अनेक परोक्ष या अपरोक्ष संसाधनों से होता है। हिन्दुस्तान जिक लि० का योगदान यद्यपि बहुत सूखर नहीं है परन्तु वह किसी न किसी रूप में सदैव ही मौजूद रहा है।

सभी संयंत्रों, मशीनों तथा उपकरणों को जंग, नमी और धूल से बचाव के लिये जस्ते की परत (गाल्वेनाइजिंग) जरूरी होती है। बरतन-उद्योग में जिक बल्लोराइड बहुत जरूरी है। बैटरी के सेल, पीतल के वर्तन और दलाई के लिये सींचे बनाने में जस्ते का उपयोग होता है। जिक आम्साइड मरहम, लोशन, सौन्दर्य प्रसाधन में उपयोग के अतिरिक्त चंद्रिया नवालिटि के रंग-रोगन बनाने के काम भी आता है। सीसा धातु का उपयोग रसायन संयंत्रों, भारी वैटरियों, बिजली के तारों, नालियों और संवातन-व्यवस्था में होता है। गोला-बारूद बनाने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है तथा मिश्र धातुओं में जोड़ लगाने, छापेघाने के अक्षरों, एक्सरे किरणों से बचाव, परमाणु-विकीरण और विस्फोटकों के भार-संतुलन आदि में इसकी बहुत जरूरत होती है।

इस प्रकार सीसा और जस्ता व्यापक रूप से समागम सर्वत्र उपयोग में आते हैं। हिन्दुस्तान जिक लि० औद्योगिक क्षेत्र की उत्तरोत्तर बढ़ती विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में तत्पर है।



**हिन्दुस्तान ज़िक लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपक्रम)

भावी विकास की चुनौतियों के लिये उत्तरोत्तर विकास की ओर

अने प्रथम वर्ष 1954 में ही बी ई एल ने भारत में औद्योगिक प्रगति की उत्प्रेरणा दी है। समकालिक औद्योगिकीकरण के समय लापरवाह चलने हुए हुए अनुभव इलेक्ट्रॉनिक कम्पनी नवीन विकास करती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ठके बालती है। देश की औद्योगिक वृद्धि विरोधकर इलेक्ट्रॉनिक की वृद्धि की गति को तेज करने में कम्पनी लागे है।


बी ई एल के विद्यमान एवं वृद्धिशील प्रयोग सामान्यतः देशी औद्योगिकी और देशी उपकरण के विकास के लिए

कल्पना करता है। इसकी उत्प्रेरणाएँ भारत को गौरवपूर्ण बनाती है।

बी ई एल के कार्य एक ही व्यावसायिक उद्देश्य के उपकरण, यंत्र उपकरण प्रदान करने के लिए है। इनमें से अधिकांश को डिजाइन बी ई एल के आसने विद्यार्थी अथवा देश ही तैयार की जाती है। बी ई एल में अल्पकाल की तकनीक प्रयुक्त रहती है। बी ई एल तथा ही प्रगत औद्योगिकी और अनुसंधान प्रयोगों की सहायता में रहती है।

बी ई एल में अन्य उद्योगों के डिजाइन और उपकरण की इतनी सहायता है कि वह संसार प्रगतिशील के काम को शुरू से अखिर तक के अग्रण पर ले सकती है और व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से अनुभव और पर्याप्त प्रदर्शन होने के अनुभव के अग्रण पर बी ई एल परामर्श में कार्य में उपकरण में प्रयुक्त कर सकती है। विद्यमान एक बार नहीं, बार बार दुनिया में आया इलेक्ट्रॉनिक समाधानों निम्न कर सकता है।

## भारत की औद्योगिक समर्थताएँ। बी ई एल ने इस असाधारण प्रगति की उत्प्रेरणा दी है।



BISWAS & BIL JERSON

बी ई एल - व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अनुसंधान



**भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.**

29/4, रम बाग रोड, कोलकाता - 560 001

# परिवर्तन स्थायी प्रक्रिया है

परिवर्तन प्रगति का सार है, एक प्रबन्धात्मक आदेश है। और आज की दुनिया में, किसी संगठन को 'परिवर्तन हो' या 'परिवर्तन न हो' के बीच नहीं, बल्कि परिवर्तन को संचालित करने या उसके द्वारा संचालित होने के बीच चुनाव करना है।

परिवर्तन जब सोच समझ कर अन्तर मन से किया जाता है, तब नये अवसर उपलब्ध होते हैं, प्रगति के नये मार्ग प्रशस्त होते हैं। विरोधाभास यह है कि परिवर्तन की प्रक्रिया स्थायी है, और सदा रहेगी।

यही दर्शन है एम एम टी सी की बवतती हुई भूमिका के पीछे—कुलीकरण (कैनलाइजेशन) की एक सामान्य एजेंसी के स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिष्ठान।

एम एम टी सी के लिए परिवर्तन का मतलब है नये विश्व बाजार, व्यापार के नये क्षेत्र, नये उत्पादों में विस्तार करना, नयी नीतियां अपना कर जैसे कि काउंटर-ट्रेड, बुनियादी सुविधाएं विकसित करना, रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना, खनिजों व धातुओं से आगे बढ़ कर विविध-माल देने वाला विश्व व्यापारी बनना।

यह परिवर्तन, यह बढ़ता हुआ परिप्रेक्ष्य एम एम टी सी के कार्यों में दिखाई दे रहा है। एम एम टी सी का कारोबार 1985-86 में रु. 3,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। तीन वर्षों में तीन गुना वृद्धि। निर्यात 1982-83 के रु. 300 करोड़ से दुगुना होकर रु. 600 करोड़ हो गया।

उल्लेखनीय रूप से गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात 1982-83 के रु. 1 करोड़ से बढ़कर 1985-86 में रु. 212 करोड़ तक पहुंच गया।

1985-86 में एम एम टी सी ने आयातों के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की 30% से अधिक की राशि निर्यातों से ही अर्जित कर ली। आशा है अगले वर्ष यह राशि 50% हो जाएगी।

हां, परिवर्तन स्थायी प्रक्रिया है। एक दर्शन, जो एम एम टी सी में हर व्यक्ति के मन में अंकित कर दिया गया है, और यही उसकी सफलता का आधार है।



वि मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड.  
एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,  
नयी दिल्ली-110 002





